उत्तर प्रदेश 2022

उत्तर प्रदेश-2022

(वर्ष 2021-2022 के तथ्यों पर आधारित)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.
लखनऊ

संरक्षक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वात्वाधिकारी :
शिशिर
निदेशक, सूचना

प्रस्तुति एवं परिकल्पना :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना

सम्पादकीय परामर्श :
कुमकुम शर्मा, उप निदेशक, सूचना

सम्पादकीय सहयोग :
प्रभात शुक्ला, उप निदेशक, सूचना
ललित मोहन श्रीवास्तव, उप निदेशक, सूचना
रजनी कान्त वर्मा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
सतीश भारती, सहायक निदेशक, सूचना
जितेन्द्र प्रताप सिंह, सूचना अधिकारी
शिव राम सिंह, शोध अधिकारी, सूचना
अमित कुमार शुक्ला, प्रभारी वार्षिकी, सूचना
सिद्धार्थ दीक्षित, प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, सूचना

विशेष सहयोग :
राजेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, सूचना
सुधीर कुमार निगम (गैर सरकारी सदस्य)
अशोक कुमार यादव, लैब अटेण्डेन्ट

ISBN : **978-93-94992-15-3**
संस्करण : **2023**
मूल्य : **रु. 450/-**
प्रकाशक : **भारत बुक सेन्टर**
17-अशोक मार्ग, लखनऊ फोन : (0522) 4041222
सर्वाधिकार : **सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ**
मुद्रक : **ए पी पी प्रेस, लखनऊ**

प्राक्कथन

संदर्भ ग्रन्थ 'वार्षिकी उत्तर प्रदेश' शृंखला की अगली कड़ी के रूप में वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश-2022'** के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संदर्भ ग्रन्थ उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्त्व पूर्ण प्रकाशन है। बुद्धि जीवियों, प्रतियोगी छात्र-छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों के लिए वार्षिकी अपनी संदर्भीय उपयोगिता तथा प्रासंगिकता सिद्ध कर चुकी है।

वार्षिकी में वित्तीय वर्ष **2021-2022** के प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नीतियों की जानकारियों के अतिरिक्त प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री का समावेश किया गया है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाणिक आंकड़ों के साथ-साथ जनपदों की प्रमाणिक जानकारियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संदर्भ सूचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व इन्द्रधनुषी साझी संस्कृति देश-विदेश में आकर्षण का केंद्र रही है।

'**उत्तर प्रदेश-2022**' के माध्यम से प्रदेश की गौरवपूर्ण विरासत से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया गया है, साथ ही बहुआयामी, बहुरंगी और विविधताओं वाले इस विराट प्रदेश को देखने और जानने की कोशिश की है। इस स्थायी महत्त्व के प्रकाशन के माध्यम से हम शासन और जनता के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, खिलाड़ियों, पद्म पुरस्कारों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र से सम्मानित विभूतियों के अतिरिक्त प्रदेश के पर्यटन एवं विकास सम्बन्धी चित्रों और ग्राफों के माध्यम से इसे और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस अंक में उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में देश में अग्रणी है, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख सचिव, सूचना श्री संजय प्रसाद जी के हम हृदय से आभारी हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सका।

मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिकी**' उत्तर प्रदेश-2022'** शोधकर्ताओं, प्रतियोगी छात्र-छात्राओं, पत्रकारों एवं विषय विशेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रमाणिक जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य में सम्पादक एवं सम्पादक मण्डल द्वारा पर्याप्त सजगता एवं सावधानी बरतने का हर सम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो सुधी पाठकों के सहयोग से उसे भविष्य में परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा। आशा है कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं इसमें संग्रहीत सूचनाएं ज्ञानवर्धक होंगी।

Shishir

(शिशिर)
सूचना निदेशक

आभार

सन्दर्भ ग्रन्थ **वार्षिकी उ.प्र.–2022** का सम्पादन एक वृहद, जटिल, श्रमसाध्य एवं पूर्ण कालिक कार्य है, जिसका प्रारंभ नये वित्तीय वर्ष के साथ हो जाता है। जुलाई 2022 में बजट सामग्री उपलब्ध होने के बाद उसका अनुशीलन एवं सम्पादन **प्रमुख सचिव, सूचना** महोदय के निर्देशन व **निदेशक** एवं **अपर निदेशक** महोदय के मार्ग दर्शन में विभाग की उपनिदेशक **श्रीमती कुमकुम शर्मा** के द्वारा संपन्न किया गया है। संक्षिप्तीकरण/संपादन कार्य में शोध अधिकारी **श्री शिव राम सिंह** एवं विभागीय दृष्टिकोण के अनुसार **डॉ0 दिनेश कुमार गर्ग,** सेवा निवृत्त उप निदेशक सूचना, वरिष्ठ पत्रकार **श्री प्रद्युम्न तिवारी** (पूर्व राज्य ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला), **श्री रतिभान त्रिपाठी**, राज्य ब्यूरो चीफ, देशबन्धु, **श्री सुरेन्द अग्निहोत्री**, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर, **डॉ. सुधीर कुमार निगम**, सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्या अधिकारी एवं **श्री रवि मोहन त्रिवेदी**, पूर्व मुख्य उप संपादक, राष्ट्रीय स्वरुप, ने श्रम साध्य सहयोग करते हुए इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के रूपायन में अपना अमूल्य योगदान किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सम्पादकीय सहयोग देने के लिए सम्पादक मण्डल के सदस्य एवं सामग्री संकलन में सहयोग के लिए सूचना ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है तथा सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारीगण प्रकाशन की सफलता में भागीदार हैं। इसके अलावा संदर्भ शाखा के मेरे समस्त सहयोगियों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ।

अमित कुमार शुक्ला

प्रभारी वार्षिकी उ.प्र.

प्रकाशकीय

यह हमारे लिए प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन वार्षिकी **"उत्तर प्रदेश– 2022"** को प्रकाशित करने का अवसर हमें 19वीं बार दिया गया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह सन्दर्भ ग्रन्थ, सन्दर्भीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकाशन हो गया है। हम **सूचना निदेशक श्री शिशिर जी** के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये हमें उपयुक्त पात्र समझा।

इस संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, हम उसके लिए सरकार के पुनः हृदय से आभारी हैं। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ न रहने पायें इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में तमाम सावधानियों के बावजूद मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उन्हें बहुत महत्त्व न देकर संदर्भ ग्रन्थ की विषयवस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता एवं उसके संयोजन को महत्त्व देना ही समीचीन होगा।

वीरेन्द्र बाहरी

प्रकाशक

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश बजट– 2022-2023		(xi-xxvi)
उत्तर प्रदेश : एक नजर में		(xxvii-xxviii)
जिलों का क्षेत्रफल : जनसंख्या और मुख्यालय		(xxix-xxx)
●	**प्रथम खण्ड : सामान्य**	
1.	उत्तर प्रदेश परिचय (भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जनगणना)	1-8
2.	इतिहास	9-50
3.	संवैधानिक प्रणाली	51-56
4.	उ0प्र0 नवनिर्मित दर्शनीय स्थल एवं विभूतियाँ	57-102
5.	प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल	103-120
6.	हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब	121-131
7.	हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता	132-154
8.	सांस्कृतिक विरासत	155-181
9.	उत्तर प्रदेश और सिनेमा	182-187
10.	दर्शनीय स्थल एवं मेले	188-207
11.	अर्थ व्यवस्था/आर्थिक समीक्षा	208-265
12.	सामाजिक स्थिति	266-274
●	**द्वितीय खण्ड : वित्त एवं नियोजन**	
13.	नियोजन	275-282
14.	वित्त	283-296
●	**तृतीय खण्ड : कराधान**	
15.	राजस्व	297-306
16.	आबकारी	307-317
17.	संस्थागत वित्त	318-321
18.	वाणिज्य कर/मनोरंजन कर	322-325
19.	स्टाम्प एवं निबन्धन	326-330
●	**चतुर्थ खण्ड : कृषि एवं ग्राम्य विकास**	
20.	कृषि	331-343
21.	ग्राम्य विकास	344-354
22.	पंचायती राज	355-359
23.	जल शक्ति (सिंचाई एवं जल संसाधन)	360-369
24.	पशुधन	370-378
25.	दुग्ध विकास	379-384
26.	मत्स्य विकास	385-390
27.	सहकारिता	391-398
28.	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	399-409
29.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	410-422

30.	परती भूमि विकास	423-426
31.	ग्रामीण अभियंत्रण	427-428
●	**पंचम खण्ड : सार्वजनिक सेवाएँ**	
32.	बेसिक शिक्षा	429-434
33.	माध्यमिक शिक्षा	435-439
34.	उच्च शिक्षा	440-446
35.	प्राविधिक शिक्षा	447-450
36.	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	451-453
37.	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	454-457
38.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	458-465
39.	आयुष	466-471
40.	परिवार कल्याण	472-478
41.	नगर विकास	479-485
42.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	486-488
43.	जल सम्पूर्ति	489-497
44.	आवास एवं शहरी नियोजन	498-509
45.	खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप	510-517
46.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	518-520
●	**षष्ट खण्ड : लोक कल्याण**	
47.	समाज कल्याण	521-531
48.	अनुसूचित जनजाति विकास	532-540
49.	महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	541-551
50.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़	552-555
51.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	556-560
52.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	561-570
53.	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	571-574
54.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनीतिक पेंशन	575-577
55.	श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन	578-591
56.	खेल	592-599
57.	प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण	600-605
58.	उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय	606
●	**सप्तम खण्ड : अवस्थापना विकास**	
59.	लोक निर्माण	607-617
60.	राज्य सम्पत्ति	618-620
61.	ऊर्जा	621-627
62.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	628-634
63.	राज्य सड़क परिवहन	635-644
64.	नागरिक उड्डयन	645-646

●	**अष्टम खण्ड : औद्योगिक विकास**	
65.	औद्योगिक विकास	647-660
66.	सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन	661-670
67.	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	671-672
68.	भूतत्व एवं खनिकर्म	673-680
69.	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	681-689
70.	खादी एवं ग्रामोद्योग	690-697
71.	रेशम विकास	698-703
72.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	704-707
73.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	708-715
74.	पर्यटन	716-724
75.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	725-732
76.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	733-740
77.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	741-746
78.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	747-752
●	**नवम खण्ड : लोक प्रशासन**	
79.	कानून एवं व्यवस्था	753-762
80.	कारागार प्रशासन एवं सुधार	763-770
81.	न्याय प्रशासन	771-776
82.	लोक आयुक्त	777-778
83.	लोक सेवा प्रबन्धन	779
84.	सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार	780-782
85.	होमगार्ड्स	783-786
86.	सचिवालय प्रशासन	787-788
87.	नियुक्ति एवं कार्मिक	789
88	अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ	790-792
89.	विधायी विभाग	793-794
●	**दशम खण्ड : विविध**	
90.	संस्कृति	795-804
91.	राष्ट्रीय एकीकरण	805-806
92.	भाषा	807-813
93.	सूचना एवं प्रचार	814-836
94.	उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन	837-839
95.	धमार्थ कार्य	840-842
96.	भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय	843
●	**एकादश खण्ड : जनपद एक नजर में**	
97	उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नजर में	844-878
●	**द्वादश खण्ड : परिशिष्ट**	
98.	भारत के राष्ट्रपति	879
99.	भारत के उपराष्ट्रपति	880

100.	भारत के प्रधानमंत्री	881
101.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	882
102.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	883-884
103.	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष	885
104.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति	886
105.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	887-888
106.	उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य	889
107.	उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय	890-892
108.	उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त	893
109.	उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव	894-895
110.	भारत के मुख्य न्यायाधीश	896-897
111.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	898
112.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	899
113.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	900
114.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	901
115.	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त	901
116.	उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष	902
117.	कमाण्डर इन चीफ/चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना)	903-905
118.	केन्द्रीय मंत्रिमण्डल	906-908
119.	उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य	909
120.	उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य	910
121.	उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल	911-912
122.	उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य	913-917
123.	उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य	918-919
124.	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति	920-921
125.	नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)	922-924
126.	प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस	925
127.	उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ	926
128	उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2021 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान	927
129.	ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के रचनाकार	928
130.	यशभारती सम्मान	929-936
131.	उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स	937-939

देश में अग्रणी...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) में 52.50 लाख आवास स्वीकृत/निर्मित कर प्रथम।
उज्जवला योजना में 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन देने में प्रथम।
स्वच्छ भारत मिशन में 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर देश में प्रथम।
सौभाग्य योजना में 1.58 करोड़ नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देकर प्रथम।
रु. 2 लाख 2 हजार करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान कर देश में प्रथम।
प्रधानमंत्री जनधन योजना में 8.56 करोड़ खाते खोल कर देश में प्रथम।
मनरेगा के क्रियान्वयन में देश में प्रथम।
पीएम स्वनिधि योजना : 10,33,132 स्ट्रीट वेण्डर्स को रु. 1190 करोड़ का ऋण देकर प्रथम।
गन्ना एवं चीनी उत्पादन में प्रथम।
खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम और दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम।
तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम।
डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में प्रथम।
131 करोड़ पौधारोपण कर प्रथम।
सर्वाधिक कोरोना जाँच एवं टीकाकरण में प्रथम।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम। (96 लाख से अधिक इकाइयां)
सेनिटाइजर और मास्क उत्पादन में प्रथम।
रोजगार व सरकारी नौकरी देने में प्रथम।
सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना करने वाला देश में प्रथम राज्य।
देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य, 65 संचालित, 22 निर्माणाधीन।
अटल पेंशन योजना के तहत 75 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर प्रथम।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1.46 करोड़ लोगों को लाभान्वित कर प्रथम।
ई-टेंडरिंग प्रणाली की परफॉर्मेंस में प्रथम।
जेम पोर्टल पर खरीददारी करने में प्रथम।
ई-संजीवनी पोर्टल से मरीजों के इलाज में देश में प्रथम।
गोपालन एवं संरक्षण में देश में प्रथम।

'गणतन्त्र दिवस समारोह-नई दिल्ली' में प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी को वर्ष 2021, 2022 में प्रथम एवं वर्ष 2023 में द्वितीय पुरस्कार।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित।

'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' में 'अचीवर स्टेट'।

राष्ट्रीय कामधेनु अवार्ड।

वन स्टॉप सेन्टर, लखनऊ को नारी शक्ति पुरस्कार।

एसोचैम द्वारा उत्तर प्रदेश को 'बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट' की 'गोल्ड मैडल ट्राफी'।

दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य हेतु लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ जनपद का पुरस्कार।

सहकारिता विभाग को स्काच आर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड।

ग्राम्य विकास विभाग को कन्वर्जेंस में प्रथम पुरस्कार।

यू.पी. 102 परियोजन-पुलिस आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली के लिए विशेष जूरी पुरस्कार।

नदियों के पुनरुद्धार हेतु जल संचयन में कई जनपदों को प्रथम/द्वितीय स्थान।

देश में अग्रणी

'एक जनपद एक उत्पाद योजना' पूरे देश में मॉडल के रूप में अंगीकृत।

'मिशन शक्ति' अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन का अभिनव प्रयास।

आकांक्षात्मक विकास खंड और आकांक्षात्मक नगर निकायों के समग्र विकास की अभिनव कार्य योजना।

'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना।

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु रु. 1,200 प्रति विद्यार्थी की दर से धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से अन्तरित करने वाला पहला राज्य।

ड्राइविंग लाइसेन्स हेतु फेसलेस लाइसेन्स जारी करने की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य।

यूपी 'माइनमित्र पोर्टल' एवं 'माइनमित्र ऐप' विकसित करने और अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम विकसित करने वाला पहला राज्य।

उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (UPSWAM) के तहत उपलब्ध करायी जा रही बैण्डविड्थ का राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं/सेवाओं यथा ई-डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा आदि के लिए उपयोग करने में अग्रणी।

बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत 600 से अधिक सुधार। सिंगल विण्डों पोर्टल 'निवेश मित्र' के माध्यम से उद्यमियों के लिए 406 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध।

निवेशक प्रबन्धन पोर्टल 'निवेश सारथी' का विकास।

किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने हेतु मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला प्रथम राज्य।

कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य।

अविरल और निर्मल गंगा के प्रति जागरूकता के लिए पहली बार गंगा यात्रा का आयोजन।

●

उत्तर प्रदेश बजट

वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के मुख्य बिन्दु–

- प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रूपये) है।
- बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये (39,181.10 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

कानून व्यवस्था–

- उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल के लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र/शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- उ0प्र0 फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।
- पुलिस के आवासीय भवनों हेतु 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों हेतु 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

किसान

- 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रूपये से 77,530 करोड़ रूपये अधिक है।
- प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
- वर्ष 2022–2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित।
- वर्ष 2022–2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

- प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों के माध्यम से कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध।
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

महिला

- 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है।
- महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत यू.पी.एस.ई.ई.–2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप का वितरण।
- मिशन शक्ति कार्यक्रम हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

बाल कल्याण

- शिशु मृत्यु दर में गिरावट। दस्तक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी।
- कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिये बजटीय प्रावधान।
- 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता।
- 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता अनुमन्य।
- ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि।

युवाओं के लिये

- निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना में लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन का वितरण।
- आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरण का लक्ष्य।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- खेलो इण्डिया 'एक जनपद–एक खेल' योजनान्तर्गत 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना की योजना।

रोजगार

- प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियाँ। बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गयी।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना करते हुए 03 लाख 97 हजार 28 उद्यम पंजीकृत और 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन।
- प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन हेतु 56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर्स का चयन।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन।
- चिकित्सा शिक्षा में लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति तथा लगभग 10,000 नये पद सृजित।

सामाजिक सुरक्षा

- वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 4032 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- दिव्यांग भरण–पोषण योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण योजना हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित।
- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर

- अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग का गठन।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित।
- आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 भोल्टर होम क्रियाशील।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 560 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
- राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित, वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से आच्छादित तथा 14 जनपदों मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन।
- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।

- लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2022 के अनुरूप एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान।
- प्रदेश के 14 जनपदों में नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रूपये का प्राविधान।
- पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

आयुष

- गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- राज्य सरकार की आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना।
- अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन के लिए प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क पर पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
- 'लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022' की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के **सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर** विकसित करने के लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मेरठ से प्रयागराज** तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 **लेन गंगा एक्सप्रेस–वे** परियोजना हेतु 695 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेस–वे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेस–वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है।

लोक निर्माण

- सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रूपये 18 हजार 561 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 04 हजार 747 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्रामों एवं बसावटों को **सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों** से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये 01 हजार 965 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के **बाईपास एवं रिंग रोड** तथा **चौराहों पर फ्लाईओवर** आदि के निर्माण हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रमुख/अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2600 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 1600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूँजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- बाढ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रू0 2751 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- तटबन्धों का निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं हेतु 356 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु 144 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु रू0 800 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- एल0टी0आई0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में मध्यगंगा नहर परियोजना हेतु रू0 600 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु रू0 310 करोड़ तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु रू0 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 423 करोड़ एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

- 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु रू0 130 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- वर्ष 2021–2022 के बजट में **जल जीवन मिशन** के अन्तर्गत 15,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 19,500 करोड़ रूपये की बजट प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना** हेतु 1000 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान।
- **मुख्यमंत्री आर0 ओ0 पेयजल योजना** के अन्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराये जाने का लक्ष्य।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

- ग्रीष्म काल में ग्रामीण क्षेत्र में सांयकाल 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- दिनांक 01 जनवरी, 2022 से **निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50 प्रतिशत की छूट।**
- विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रूपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना **''रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम''** भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की जा रही है जिसे 03 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 5530 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गाँवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कराई जायेगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था।

आवास

- निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ई0डब्लू0एस0 इकाईयों के पंजीयन हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुये इसे 500 रूपये निर्धारित किया गया है। इससे ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड** के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 140 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।

- **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 597 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।
- **दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 कॉरिडोर** का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।
- **वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना** 100 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।

नगर विकास

- भारत सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)** की शुरूआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रूपये प्रस्तावित।
- भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। उक्त योजना हेतु **अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रॉसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता– अमृत 2.0** के अन्तर्गत 2000 हजार करोड़ रूपये तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) योजना** हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **केन्द्र स्मार्ट सिटी** के अन्तर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रूपये तथा **राज्य स्मार्ट सिटी** के अन्तर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 05 शहर सम्मिलित है।
- प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **महाकुम्भ मेला–2025 प्रयागराज** के आयोजन की तैयारी करने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना** हेतु 215 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं** के लिये 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- **त्वरित आर्थिक विकास योजना** का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु 7000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- लोक कल्याण संकल्प–पत्र, 2022 के क्रम में **मनरेगा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 15463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत 2022–2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित।

पंचायती राज

- पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत** 1788 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना** अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 539 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना** हेतु वर्ष 2022–2023 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना** हेतु 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कृषि

- **नमामि गंगे स्वच्छता अभियान** के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबन्ध योजना के लिये 97 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- **गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान** हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर कैम्पस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 08 करोड़ 58 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दुग्ध विकास

- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नजीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद वाराणसी में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट एवं जनपद मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मत्स्य

- मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु **मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टाधारकों व मछुआरों को नाव क्रय करने हेतु सहायता के लिये **निषादराज बोट सब्सिडी योजना** प्रस्तावित, जिसके लिए 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिये 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु **प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 120 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सहकारिता

- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की **"ब्याज अनुदान"** योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- **अयोध्या में सीपेट केन्द्र** के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** हेतु 112 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- नये औद्योगिक आस्थानों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 जनपदों– प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- **मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार** योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना** संचालित किये जाने हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- हथकरघा बुनकरों की परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पावरलूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिये जाने हेतु **'मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना** के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- **उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति–2021** के अन्तर्गत 03 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने और 20,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य।

बेसिक शिक्षा

- वर्ष 2022–2023 में परिषदीय विद्यालयों में **''स्कूल चलो अभियान''** के अन्तर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है।
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कक्षा–1 से 08 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के उपयोगार्थ **निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता–मोजा** हेतु 370 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मध्याह्न भोजन योजना** हेतु 3548 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

माध्यमिक शिक्षा

- सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **संस्कृत शिक्षा** को व्यवसायपरक बनाने के लिये आधुनिक विषयों का समावेश करते हुये एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **समग्र शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उच्च शिक्षा

- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में **75 नये राजकीय महाविद्यालयों** की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर।
- छात्रों को **मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण** प्रदान किये जाने हेतु संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑन लाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश सरकार की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी की योजना के क्रम में छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022–2023 में **''न्यू एज ट्रेड्स''** के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य।

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- वाराणसी में **संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र** की स्थापना के लिये 25 करोड़ रूपये तथा **संत कबीर संग्रहालय** की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- **जनजातीय संग्रहालयों** के निर्माण हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
- **राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग** के निर्माण हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अयोध्या में जनसुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुँचमार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **ऑन लाईन एकीकृत मन्दिर सूचना प्रणाली** हेतु सॉफ्टवेयर बेवसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पर्यटन

- **उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद** हेतु 03 करोड़ 50 लाख रूपये तथा **उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास** हेतु 3 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना** हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास** एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

वन एवं पर्यावरण

- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्षाकाल–2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित।
- वर्ष 2022–2023 में **सारनाथ डियर पार्क** में वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य में गैंडों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण/संकटापन्न वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद संरक्षण योजना, राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबन्ध की स्थापना योजना हेतु 03 करोड़ 77 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- शहीद अशफॉक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान, गोरखपुर, सोसाइटी हेतु कॉर्पस फण्ड की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 1672 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

- **अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम छात्रवृत्ति** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु 195 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना** हेतु 479 करोड़ 07 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट प्लान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

न्याय

- **उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज** के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यों हेतु 705 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि** में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, को पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रूपये 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ा कर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। **अधिवक्ता कल्याण निधि** हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 90 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में **अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास** हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

खाद्य एवं रसद

- **अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को** निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक, **एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों** को 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलिंडर रीफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

महिला एवं बाल विकास

- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रूपये की सहायता पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रदान की जा

रही है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले **पोषाहार हेतु** 1675 करोड़ 29 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजस्व

- **राज्य आपदा मोचक निधि** हेतु 2165 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड** हेतु 541 करोड़ 40 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवाकर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 24 हजार 477 करोड़ रुपये (1,24,477 करोड़ रुपये) निर्धारित।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 49 हजार 152 करोड़ रुपये (49,152 करोड़ रुपये) निर्धारित।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 29 हजार 692 करोड़ रुपये (29,692 करोड़ रुपये) निर्धारित।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 10 हजार 887 करोड़ रुपये (10,887 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022–2023

- प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रूपये) है।
- बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये (39,181.10 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 5 लाख 90 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपये (5,90,951.71 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- कुल प्राप्तियों में 4 लाख 99 हजार 212 करोड़ 71 लाख रुपये (4,99,212.71 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 67 हजार 153 करोड़ 76 लाख रुपये (3,67,153.76 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 20 हजार 655 करोड़ रुपये (2,20,655 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 46 हजार 498 करोड़ 76 लाख रुपये (1,46,498.76 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 06 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये 6,15,518.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 04 लाख 56 हजार 89 करोड़ 6 लाख रुपये (4,56,089.06 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 24 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (24,567.26 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 6 हजार करोड़ रुपये (6000 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 18 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (18,567.26 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 40 हजार 550 करोड़ 03 लाख रुपये (40,550.03 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 21 हजार 982 करोड़ 77 लाख रुपये (21,982.77 करोड़ रुपये) अनुमानित।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 43 हजार 123 करोड़ 65 लाख रुपये (43,123.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 81 हजार 177 करोड़ 97 लाख रुपये (81,177.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है।

●

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

भौगोलिक विशेषताएँ

क्षेत्रफल	- 2,40,928 वर्ग किमी.
प्रमुख नदियाँ	- गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती (अचिरावती), गोमती, घाघरा (सरयू), बेतवा और केन
राजधानी	- लखनऊ
सीमावर्ती प्रदेश/देश	- उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल

मौसम

ग्रीष्म	वर्षा	शीत
मार्च से जून तक	मध्य जून से सितम्बर तक	अक्टूबर से फरवरी तक

प्रमुख फसलें- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना, गन्ना आदि।

प्रमुख फल- आम, अमरूद।

प्रमुख खनिज- चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैन्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, बाक्साइट तथा राक फास्फेट

प्रमुख उद्योग- सीमेन्ट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व काँच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन।

प्रमुख हस्तशिल्प- चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम।

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल- पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झाँसी, मेरठ आदि।

प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल- काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवाशरीफ, हस्तिनापुर, चित्रकूट, शाहजहाँपुर- "हनुमतधाम" आदि।

प्रमुख लोकगीत- बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि।

प्रमुख लोकनृत्य- चरकुला, करमा, पंडव, पाईडण्डा, थारू, धोबिया, राई और शैरा आदि।

जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

सकल जनसंख्या	-	199,812,341
जनसंख्या का घनत्व	-	829 प्रति वर्ग किमी.
महिलाएँ	-	95,331,831
पुरुष	-	104,480,510
स्त्री-पुरुष अनुपात	-	912:1000
ग्रामीण	-	15.53 करोड़
नगरीय	-	4.45 करोड़
दशकीय वृद्धि	-	20.23 प्रतिशत

*प्रशासनिक इकाइयाँ

मण्डल	(2020-21)	18
जनपद	-	75
तहसील	-	351
नगर एवं नगर समूह	-	915
सामुदायिक विकास खण्ड	-	826
न्याय पंचायतें	-	8,135
ग्राम पंचायत	-	58,189
आबाद ग्राम (2011 की जनगणना के अनुसार)		97,814
कुल ग्राम		106,774
नगर पंचायत	(2021-22)	546
नगर निगम	(2021-22)	17
नगर पालिका परिषद	(2021-22)	200

साक्षरता (2011)

सकल	67.7%
पुरुष	77.3%
स्त्री	57.2%
ग्रामीण	65.5%
नगरीय	75.1%

कर्मकर कुल कर्मकारों में प्रतिशत (2011)

कृषक	29.0%
कृषि श्रमिक	30.3%
पारिवारिक उद्योग धन्धों में लगे कर्मकर	5.9%
अन्य कार्यों में लगे कर्मकर	34.8%

राज्य आय (2020-21)

कुल आय [प्रचलित भावों पर] 1510201 करोड़ रुपये।

प्रति व्यक्ति आय [प्रचलित भावों पर] 65338 रुपये।

औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत अंश [2011-12 के भावों पर]

प्राथमिक खण्ड 2020-21	25.5%
माध्यमिक खण्ड 2020-21	25.2%
तृतीयक खण्ड 2020-21	49.3%

वानिकी

वनों के प्रकार : तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विन्ध्य के शुष्क जलवायु के वन, बीहड़ व भाभर वन सामाजिक तथा पंचायती वन

वन्य जीव विहार (2019)	26
राष्ट्रीय उद्यान (2019)	1
प्राणि उद्यान (2019)	2
कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	22148 वर्ग किमी

प्रमुख वन्य जीव : बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, सुइस (डाल्फिन), घड़ियाल, अजगर एवं 650 प्रजातियों के पक्षी।

कृषि

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2017-18) **16,542** हजार हेक्टेयर
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2018-19) **16,538** हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल (2017-18) **26,864** हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल (2018-19) **27,109** हजार हेक्टेयर

उत्पादन (हजार मी0 टन)

	(2019-20)	(2020-21)
खाद्यान्न	**60184**	**61945**
दालें	**2447**	**2532**
तिलहन	**1075**	**1275**
गन्ना	**179568**	**178340**
आलू	**14870**	**16647**

सिंचाई

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2018-19) **14,392** हजार हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल (2018-19) **21681** हजार हेक्टेयर
कुल सृजित सिंचन क्षमता (2020-21)* **36589** लाख हेक्टेयर
सिंचन क्षमता कुल उपयोग (2020-21)* **29545** लाख हेक्टेयर
विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण
(क) नहर (2018-19) **15.1%**
(ख) नलकूप (2018-19) **74.6%**
(ग) तालाब, झील, पोखर आदि (2018-19) **0.6%**
(घ) अन्य (2018-19) **0.8%**

परिवहन एवं संचार

लोक निर्माण विभाग
द्वारा संधृत पक्की सड़कें (2020-21) **261220** किमी0
कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ (2020-21) **36843396**
राजकीय बसें (2020-21) **11920**
कार्यरत टेलीफोन (2020-21) **258617**
डाकघर (2020-21) **17665**
दूरदर्शन केन्द्र **3**
आकाशवाणी केन्द्र **13**
#अनुबन्धित बसें भी सम्मिलित हैं

शिक्षा (2020-21)

प्राथमिक विद्यालय	**136576**
उच्च प्राथमिक विद्यालय	**85144**
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	**27892**
महाविद्यालय	**7874**
विश्वविद्यालय	**48**
पालीटेक्निक	**166**
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	**305**
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	**12**
निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज	**204**
मेडिकल कालेज	**31**
कृषि विश्वविद्यालय	**3**

R-Revised

सहकारिता (2020-21)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	**7,479**
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	**50**
उ. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (शाखाएँ)	**323**

संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ तथा बैंकिंग

संयुक्त स्कन्ध कम्पनी (2020-21)
(क) कार्यरत कम्पनी कुल **94984**
(ख) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाएँ **17666**

उद्योग (2020-21)

31 मार्च को उद्योग निदेशालय में निबन्धित औद्योगिक इकाइयों की संख्या **334265**
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12=100) (2020-21) **117.90%**
इच्छा पत्र की संख्या (2020-21) जारी किये गये **7947**

विद्युत (2020-21)

अधिष्ठापित क्षमता	**5,999** मेगावाट
उत्पादन	**2473** करोड़ कि.वा./घंटा
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	**391** कि.वा./घंटा
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (2020-21)	**97,814**
राजस्व वसूली दक्षता	**90** प्रतिशत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जन्मदर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2019) **25.4** प्रति हजार
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2019) **6.5** प्रति हजार
एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2019-20) **5115**
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय (2020-21) **2360**
होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2020-21) **1,585**

परिवार कल्याण (2020-21)

अनुर्वरीकरण (हजार) पुरूष **1.99**
(हजार) महिला **289.11**
लूप निवेशन (हजार) **1064.93**

जनप्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश से लोक सभा सदस्य	**80**
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	**31**
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	**404**
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य	**100**

स्रोत : नियोजन विभाग (उ.प्र.)
*अनन्तिम

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	आगरा	4,041	44,18,797	आगरा
2.	अलीगढ़	3,650	36,73,889	अलीगढ़
3.	प्रयागराज	5,482	59,54,391	प्रयागराज
4.	आजमगढ़	4,054	46,13,913	आजमगढ़
5.	बहराइच	5,237	34,87,731	बहराइच
6.	बलिया	2,981	32,39,774	बलिया
7.	बांदा	4,408	17,99,410	बांदा
8.	बाराबंकी	4,402	32,60,699	बाराबंकी
9.	बरेली	4,120	44,48,359	बरेली
10.	बस्ती	2,688	24,64,464	बस्ती
11.	बिजनौर	4,561	36,82,713	बिजनौर
12.	बदायूँ	4,234	31,27,621	बदायूँ
13.	बुलंदशहर	4,512	34,99,171	बुलंदशहर
14.	देवरिया	2,540	31,00,946	देवरिया
15.	एटा	2,431	17,74,480	एटा
16.	इटावा	2,311	15,81,810	इटावा
17.	अयोध्या	2,341	24,70,996	अयोध्या
18.	अम्बेडकरनगर	2,350	23,97,888	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	26,32,733	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	18,85,204	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	910	33,43,334	गाजियाबाद
22.	गौतमबुद्ध नगर	1,282	16,48,115	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	36,20,268	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	34,33,919	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	44,40,895	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,021	11,04,285	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	40,92,845	हरदोई
28.	जालौन	4,565	16,89,974	उरई
29.	जौनपुर	4,038	44,94,204	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	19,98,603	झांसी
31.	कानपुर देहात	3,021	17,96,184	अकबरपुर माती
32.	कानपुर (नगर)	3,155	45,81,268	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	40,21,243	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	12,21,592	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	45,89,838	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	18,68,529	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	25,47,184	मथुरा

38.	मेरठ	2,559	34,43,689	मेरठ
39.	मिर्जापुर	4,405	24,96,970	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	2,271	31,26,507	मुरादाबाद
41.	मुज़फ्फरनगर	2,796	28,29,865	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,686	20,31,007	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	32,09,141	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,043	29,03,507	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	23,35,819	रामपुर
46.	अमरोहा	2,249	18,40,221	अमरोहा
47.	सहारनपुर	3,689	34,66,382	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,388	30,06,538	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	44,83,992	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	31,08,367	उन्नाव
51.	सुल्तानपुर	2,673	24,31,491	सुल्तानपुर
52.	वाराणसी	1,535	36,76,841	वाराणसी
53.	मऊ	1,713	22,05,968	मऊ
54.	सिद्धार्थनगर	2,895	25,59,297	नवगढ़
55.	फिरोजाबाद	2,407	24,98,156	फिरोजाबाद
56.	सोनभद्र	6,905	18,62,559	राबर्ट्सगंज
57.	महाराजगंज	2,952	26,84,703	महाराजगंज
58.	संत रविदास नगर	1,015	15,78,213	भदोही
59.	महोबा	3,144	8,75,958	महोबा
60.	हाथरस	1,840	15,64,708	हाथरस
61.	कौशांबी	1,779	15,99,596	मंझनपुर
62.	कुशीनगर	2,905	35,64,544	पडरौना
63.	चंदौली	2,541	19,52,756	चंदौली
64.	बलरामपुर	3,349	21,48,665	बलरामपुर
65.	श्रावस्ती	1,640	11,17,361	श्रावस्ती
66.	चित्रकूट	3,216	9,91,730	चित्रकूट
67.	बागपत	1,321	13,03,048	बागपत
68.	कन्नौज	2,093	16,56,616	कन्नौज
69.	औरैय्या	2,016	13,79,545	औरैय्या
70.	संत कबीर नगर	1,646	17,15,183	खलीलाबाद
71.	कासगंज	1,955	14,36,719	कांशीराम नगर
72.	अमेठी	2,329	18,67,678	गौरीगंज
73.	शामली	1,212	13,13,647	शामली
74.	हापुड़	660	13,38,311	हापुड़
75.	संभल	2,453	21,99,774	सम्भल
		2,40,928	**19,98,12,341**	

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2021

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के महत्वपूर्ण प्रकाशन

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
1.	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	मु.मु. मद्दाह	353=00
2.	हिन्दू धर्म कोश	डॉ. राजबली पाण्डेय	320=00
3.	भारतीय ज्योतिष	अनु. शिवनाथ झारखण्डी	300=00
4.	भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डॉ. गोरख प्रसाद	70=00
5.	महाकवि खुसरो	अनु. अब्दुल सत्तार	100=00
6.	कबीर	डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	40=00
7.	रहीम	डॉ. भालचन्द्र तिवारी	135=00
8.	गोस्वामी तुलसीदास	डॉ. रामचन्द्र तिवारी	50=00
9.	संत रविदास	वीरेन्द्र पाण्डेय	45=00
10.	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियाँ	अनु. माधवी बन्धोपाध्याय	115=00
11.	लक्ष्मीकांत वर्मा	डॉ. राजकुमार शर्मा	140=00
12.	विजय सिंह 'पथिक'	राजकुमार भाटी	77=00
13.	रमई काका	डॉ. रामबहादुर सिंह	85=00
14.	सुदामा पाण्डेय 'धूमिल'	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	155=00
15.	मीराबाई	डॉ. सुधाकर अदीब	100=00
16.	जगदीश गुप्त	डॉ. हरिशंकर मिश्र	140=00
17.	ट्रामा उपचार बचाव एवं प्रबन्धन	डॉ. विनोद जैन	90=00
18.	नाथपंथ : साधना और साहित्य	प्र.स. डॉ. सदानन्दप्रसाद गप्त	376=00
19.	त्रिलोचन शास्त्री	डॉ. भारतेन्दु मिश्र	105=00
20.	घाघ और भड्डारी की कहावतें	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	60=00
21.	हिन्दी में पटकथा लेखन	डॉ. जाकिर अली 'रजनीश'	150=00
22.	दृश्यकला कोश	डॉ. हृदय गुप्त	185=00
23.	भारतीय शैक्षिक विचारक	डॉ. रश्मि श्रीवास्तव	245=00
24.	प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ. पी.डी. मिश्र एवं डॉ. बीना मिश्र	180=00
25.	ऑस्टियोपोरोसिस	प्रो. अजय सिंह	65=00
26.	भगवती प्रसाद सिंह : जीवन और साहित्य	डॉ. कृष्णचन्द्र लाल	180=00
27.	खर्राटे हैं खतरनाक	डॉ. सूर्यकान्त/डॉ. अभिषेक दुबे	82=00
28.	प्रेरक लघु कथाएँ	डॉ. ए.के अग्रवाल	165=00
29.	बालगीत साहित्य : इतिहास एवं समीक्षा	निरंकार देव सेवक	245=00
30.	और हमने कर दिखाया	प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव	60=00
31.	स्वतंत्र दिल्ली	डॉ. सैयद अतहर अब्बास रिजवी	165=00
32.	मानव शरीर की अस्थियाँ	डॉ. विपिन चतुर्वेदी	310=00
33.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	डॉ. शीतला प्रसाद वर्मा	130=00
34.	निराला समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	90=00
35.	रामचन्द्र शुक्ल	सम्पा. डॉ. सत्यदेव मिश्र	90=00
36.	राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी	डॉ. राष्ट्रबन्धु	40=00
37.	बाबा नागार्जुन	डॉ. सुरेश चन्द्र गुप्त	72=00
38.	राष्ट्रकवि दिनकर	डॉ. यतीन्द्र तिवारी	65=00
39.	चंदवरदाई	डॉ. सुमन राजे	50=00
40.	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ. शिवनन्दन मिश्र	120=00
41.	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	डॉ. रामेन्द्र पाण्डेय	50=00
42.	महादेवी वर्मा	डॉ. उपेन्द्र	70=00
43.	पाश्चात्य दर्शन	डॉ. ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल	100=00
44.	चार्वाक दर्शन	आचार्य अनन्द झा	150=00
45.	भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र	190=00
46.	पश्चिमी दर्शन	डॉ. दीवान चन्द्र	75=00
47.	समकालीन भारतीय दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	200=00
48.	कांट का दर्शन	डॉ. सभाजीत मिश्र	120=00
49.	नीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	96=00
50.	भारतीय दर्शन	डॉ. देवराज	120=00
51.	समकालीन पाश्चात्य दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	130=00
52.	अवधी वृहत लोकोक्ति कोश	कमला शुक्ला	300=00

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
53.	भारतीय इतिहास कोश	सच्चिदानन्द भट्टाचार्य एवं के.वी माथुर तथा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	170=00
54.	भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी कवियों का योगदान	सम्पा. डॉ. मंजुलता तिवारी	196=00
55.	उर्दू भाषा और साहित्य	रघुपति सहाय 'फिराक'	60=00
56.	संस्कृत आलोचना	पं. बलदेव उपाध्याय	200=00
57.	प्रसाद समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	75=00
58.	समाजकार्य	प्रो. राजाराम शास्त्री	150=00
59.	सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य	डॉ. पी.डी. मिश्र	150=00
60.	समाजकार्य एक समग्र दृष्टि	डॉ. बालेश्वर पाण्डेय	470=00
61.	भारत का समाजशास्त्र	प्रो. जयकान्त तिवारी	120=00
62.	असामान्य व्यवहार	डॉ. पी.डी. मिश्र	235=00
63.	समाजकार्य के क्षेत्र	गिरीश कुमार	210=00
64.	बाल व्यवहार व्यतिक्रम	डॉ. श्याम बिहारी सिंह	50=00
65.	समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन	डॉ. ज्ञान्नजेय द्विवेदी	215=00
66.	भारतीय वास्तुकला का इतिहास	कृष्णदत्त बाजपेई	195=00
67.	उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	200=00
68.	विश्व इतिहास	डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी	75=00
69.	पश्चिमी एशिया	डॉ. के.के. कौल	170=00
70.	देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक	भगवती प्रसाद पांथरी	120=00
71.	भारत का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	80=00
72.	प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	72=00
73.	डॉ. रामकुमार वर्मा रचनावली (आठ खण्डों में)	सम्पा. डॉ. राजलक्ष्मी वर्मा	3000=00
74.	अवधी कोश	सम्पा. डॉ. सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं डॉ. भगवती प्रसाद सिंह	370=00
75.	प्राचीन भारतीय अभिलेख	डॉ. दिनेश चन्द्रा	110=00
76.	दक्षिण भारतीय संस्कृति	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	165=00
77.	आधुनिक भारत का इतिहास	डॉ. जगन्नाथ मिश्र	145=00
78.	सिंधु सभ्यता	डॉ. के.के. थपल्याल	200=00
79	विद्यानिवास मिश्र : परम्परा, लोक एवं संस्कृति	डॉ. प्रभाकर मिश्र	140=00
80.	वैदिक वांग्मय का परिशीलन	डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय	515=00
81.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–1	डॉ. पी.वी. काणे	140.00(60:)
82.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–2	डॉ. पी.वी. काणे	110.00(60:)
83.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–3	डॉ. पी.वी. काणे	290.00
84.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–4	डॉ. पी.वी. काणे	260.00
85.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–5	डॉ. पी.वी. काणे	230.00
86.	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ. शिवनन्दन मिश्र	120.00
87.	मानवतावाद और मध्यकालीन हिन्दी भक्ति साहित्य	डॉ. हरिशंकर मिश्र	255.00
88.	उपाध्याय चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमघन'	डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय	125.00
89.	दशरथ प्रसाद द्विवेदी	डॉ. प्रत्यूष दुबे	152.00
90.	हिन्दू धर्मकोश	डॉ. राजबली पाण्डेय	320.00
91.	साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग–1	डॉ. विद्यानिवास मिश्र	105.00
92.	साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग–2	डॉ. विद्यानिवास मिश्र	260.00
93.	साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग–3	डॉ. विद्यानिवास मिश्र	265.00
94.	दृश्य कला कोश	डॉ. हृदय गुप्त	185.00
95.	सांस्कृतिक विचार की अविराम भारतीय यात्र	डॉ. ओमप्रकाश पाण्डेय	310.00
96.	बाबू राधाकृष्ण दास (जीवन, समय और साहित्य)	सम्पा. डॉ. प्रतिभा अग्रवाल	580.00
97.	विष्णुकान्त शास्त्री	डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी	170.00
98.	भोजपुरी के संस्कार गीत	श्रीमती शची मिश्र	580.00
99.	चौक पूरना	डॉ. हृदय गुप्त	145.00
100.	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रबन्ध	श्री अनुराग चौबे एवं डॉ. सुधीर शुक्ला	270.00

'साहित्य भारती' (त्रैमासिक पत्रिका) प्रति अंक मूल्य रु. 25=00, वार्षिक सदस्यता शुक्ल रु. 100=00, आजीवन सदस्यता शुक्ल रु. 3000=00
'बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी' प्रति अंक मूल्य रु. 15=00 (द्वैमासिक पत्रिका) वार्षिक सदस्यता शुक्ल रु. 80=00
आजीवन सदस्यता शुक्ल रु. 1,000=00

कृपया संस्थान के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।
सम्पर्क सूत्र :– **निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 6–महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–226001**
दूरभाष नं.–0522–2614470, 2614471 ई–मेल : directoruphindi@yahoo.in वेबसाइट : www.uphindisansthan.in

उत्तर–प्रदेश –संस्कृत–संस्थानम्

(भाषा विभाग उ.प्र. शासन के नियंत्रणाधीन 31 दिसम्बर 1976 को स्थापित)
कक्ष सं. 811, आठवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ–226001
फोन कार्या. –(0522) 4315157, 4024591
वेबसाइटः www.upsanskritsansthanam.org
ई–मेलः upsanskritsansthanam@yahoo.com

संस्कृत के उन्नयन हेतु प्रदेश में संचालित योजनाएँ

- निःशुल्क ऑनलाईन सरल संस्कृत संभाषण सीखने हेतु न0–9522340003 पर **मिस्ड कॉल द्वारा पंज्जीकरण।**
- सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण हेतु **संस्कृत संवादशाला** (पञ्चदश दिवसीय आवास एवं भोजन व्यवस्था के साथ)।
- प्रत्येक ब्लॉक में छोटे बच्चों में संस्कृत एवं संस्कृति के प्रति अभिरुचि जागरण हेतु **चुन्नू–मुन्नू संस्कारशाला** एवं सामान्यजन में संस्कृत अनुराग प्रदीप्त करने हेतु **संस्कृत दीपालय** का संचालन।
- संस्कृत विषय लेकर IAS आदि प्रशासनिक सेवा/प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु सघन अनुशिक्षण (Couching)।
- **संस्कृत विद्यालयों के आधुनिकीकरण**/विकास हेतु पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर अनुदान, संस्कृत विषयक ई–अध्ययन सामग्री निर्माण, संस्कृत शिक्षकों एवं छात्रों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं **मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।**
- SCERT/संस्कृत वि.वि. के संयुक्त तत्त्वावधान में **शिक्षकों का प्रगत/पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम।**
- योग शिक्षा पर बल देने हेतु समस्त जनपदों में **योग केन्द्र की स्थापना।**
- सभी जनपदों में **पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविरों का संचालन** एवं सभी मण्डलों में **ज्योतिष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन।**
- **संस्कृत रंगमंच** का प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन। •बीसवीं शती की उत्तरप्रदेशीय **विद्वत् परम्परा का शोध–सर्वेक्षण।**
- **कवि सम्मेलन,शोध गोष्ठी,व्याख्यान, कार्यशाला, छात्र प्रतिस्पर्धा, शास्त्रार्थ एवं ग्रन्थ प्रकाशन के लिए अनुदान।**
- **वार्षिक उत्सवों के अन्तर्गत** आदिशंकराचार्य, बुद्ध, कालिदास, वाल्मीकि, धनवन्तरी, गीता जयन्तियों, व्यास समारोह, गुरु पूर्णिमा (सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम) एवं संस्कृत दिवस/सप्ताह **समारोहों का भव्य आयोजन।**
- विद्यार्थियों में संस्कृत ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न **शास्त्रीय/आधुनिक स्पर्धाओं का आयोजन।**
- **संस्कृत वागम्य का बृहद इतिहास, दुर्लभग्रन्थ, साहित्यिक पुस्तकें, संस्कृत पत्रिकाएँ, बालसाहित्य उपलब्ध** (विक्रय हेतु)।

साहित्य सृजन के क्षेत्र में विद्वानों को सम्मान

- **विश्वभारती पुरस्कार** (1). रु. पाँच लाख एक हजार
- **महार्षि वाल्मीकि पुरस्कार** (1). रु. दो लाख एक हजार
- **महार्षि व्यास पुरस्कार** (1). रु. दो लाख एक हजार
- **महार्षि नारद पुरस्कार** (1). रु. एक लाख एक हजार
- **विशिष्ट पुरस्कार** (5).रु. एक लाख एक हजार (प्रत्येक)
- **वेद पण्डित पुरस्कार** (10). रु. इक्यावन हजार(प्रत्येक)
- **नामित पुरस्कार** (5).रु. इक्यावन हजार (प्रत्येक)
- **विशेष पुरस्कार** (6).रु. इक्कीस हजार(प्रत्येक)
- **विविध पुरस्कार** (20).रु. ग्यारह हजार (प्रत्येक)

आज़ादी के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव

उ.प्र. उर्दू अकादमी की योजनाएँ

उर्दू छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकों का प्रकाशन, प्रदेश के पंजीकृत सार्वजनिक पुस्तकालयों/वाचनालयों को आर्थिक सहायता, उर्दू लेखकों की समग्र साहित्यिक सेवाओं एवं उर्दु पुस्तकों पर पुरस्कार, पाण्डुलिपियों के मुद्रण हेतु आर्थिक सहायता, लेखकों को आर्थिक मासिक सहायता, उर्दू किताबत स्कूल, उर्दू कोचिंग सेन्टर, उर्दू कम्प्यूटर सेन्टर, उर्दू पुस्तकों का क्रय, त्रमासिक ''अकादमी'' तथा मासिक ''ख़बरनामा'' का प्रकाशन, सेमिनार, सिम्पोज़ियम एवं मुशाएरों का आयोजन, अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सर्विस की कोचिंग के लिये उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर स्थित पारा, मोहान रोड, लखनऊ, बालकों की पत्रिका "बाग़ीचा'' का प्रकाशन, उर्दू मास कम्यूनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर स्थित विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

उ.प्र. उर्दू अकादमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें

क्र. सं.	पुस्तका का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	साग़र ख़य्यामी	नसिर नक़वी	215/-
2.	मज़हर इमाम	इमाम आज़म	208/-
3.	इन्तिज़ार भानासी	डॉ. असलम जमशेदपुरी	270/-
4.	पैग़ाम आफाकी	खान मो. आसिफ	224/-
5.	सालिक लखनवी	प्रो. मुज़फ़्फर हंफी	216/-
6.	मतीन तारिक बागपती	डॉ. जकी तारिक	216/-
7.	प्रो0 कमर रईस	प्रो. तौकीर अहमद खॉ	245/-
8.	डा0 असद बदायूनी	हसीब सोज़	245/-
9.	हफीज मेरठी	डॉ. ताबि ा मेहदी	245/-
10.	आबिद सुहैल	डॉ. सबीहा अनवर	245/-
11.	जोगेन्द्र पाल	डॉ. असलम जमशेदपुरी	287/-
12.	तालीमे निस्वॉ	नसरीन अहमद	170/-
13.	मैयारी नस्र व नज़्म (अव्वल)	हामिद नदीम	73/-
14.	मैयारी नस्र व नज़्म (दोम)	हामिद नदीम	85/-
15.	मसनवी सहरूल बयान	मीर हसन	108/-
16.	मसनवी गुलज़ारे नसीम	दया शंकर नसीम	70/-
17.	एतबार नज़र	सै. एहति ाम हुसैन	105/-
18.	अनीसियात	सै. मसूद हसन रिज़वी	91/-
19.	प्रेम चन्द नए तनाज़िर में	प्रो. अली अहमद फात्मी	80/-
20.	तन्कीदी नज़रियात (अव्वल)	सै. एहति ाम हुसैन	58/-
21.	तन्कीदी नज़रयात(दोम)	सै0 एहति ाम हुसैन	52/-
22.	तौबतुन्नसूह	डिप्टी नज़ीर अहमद	92/-
23.	गॉधी जी और ज़बान का मसला	इ ारत अली सिद्दीक़ी	107/-
24.	इब्दुल वक़्त	डिप्टी नज़ीर अहमद	126/-
25.	बाद ााह नसीरूद्दीन हैदर	मिर्ज़ा वजाहत हुसैन	42/-
26.	मकालात यौमे निगम	उ0 प्र0 उर्दू अकादमी	5/-
27.	नाटक सागर	नूर इलाही व मो. उमर	163/-
28.	नौ आईने हिन्दी	सै0 सुलेमान हुसैन	12/-
29.	हम कबीला	अली जव्वाद ज़ैदी	22/-
30.	हिन्दुस्तानी तहज़ीब	इक्बाल हुसैन	30/-
31.	रिसाला ज़माना	खु ीद अफसर बिस्वानी	22/-
32.	असमत ानासी	डा0 असलम जमशेदपुरी	248/-
33.	अदब पारे नस्र	सै0 एहति ाम हुसेन	45/-
34.	अदब पारे नज़्म	सै0 एहति ाम हुसेन	45/-
35.	मुनतखब गज़लें	मजलिसे मु ाविरत	65/-
36.	मुनतखब नज़्में	मजलिसे मु ाविरत	60/-
37.	मलिकज़ादा मन्जूर अहमद	अनवर जलालपुरी	263/-
38.	क्लीम आजिज़	प्रो. मनाज़िर आ िक हरगानवी	173/-
39.	निदा फ़ाज़ली नम्बर	प्रो. अली अहमद फात्मी	278/-
40.	सै० हामिद	डा. उबैद इक़्बाल आसिम	140/-

अकादमी की पुस्तकों के क्रय व अन्य विवरण के लिये सम्पर्क करें

सचिव, उ.प्र. उर्दू अकादमी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ–226010

फोन नं0–0522–4022924 सेल्स डिपो मोबाइल 7081007078

ई–मेलःupurduakademi3@gmail.com

हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज

संस्थापित –1927

हिन्दुस्तानी एकेडेमी के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज

1.	हिन्दुई साहित्य का इतिहास	ले. गार्सा द तासी अनु.- डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय	480.00/-
2.	श्री शंकराचार्य	आचार्य बलदेव उपाध्याय	160.00/-
3.	जायसी	विजय देव नारायण साही	120.00/-
4.	नाथ सम्प्रदाय	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	200.00/-
5.	घाघ और भड्डरी	सं. राम नरेश त्रिपाठी	220.00/-
6.	ग़ालिब के पत्र (दो भाग)	सं. श्रीराम शर्मा सं. श्री राम निवास शर्मा	प्र.ख.300.00/- द्वि.खं.205.00/-
7.	हिन्दी भाषा का इतिहास	डॉ. धीरेन्द्र वर्मा	300.00/-
8.	अवधी का विकास	डॉ. बाबू राम सक्सेना	125.00/-
9.	हिन्दी अलोचना : अतीत और वर्तमान	डॉ. प्रभाकर माचवे	40.00/-
10.	अवधी कोश	श्रीरामाज्ञा द्विवेदी समीर	300.00/-
11.	अयोध्या का इतिहास	श्री अवधवासी लाला सीताराम	320.00/-
12.	चिन्मय भारत	कुबेरनाथ राय	180.00/-
13.	प्रयाग प्रदीप	श्री शालिग्राम श्रीवास्तव	300.00/-
14.	अरब और भारत के सम्बन्ध	अनु. रामचन्द्र वर्मा	350.00/-
15.	रामचन्द्र शुक्ल पूर्व हिन्दी आलोचना	मंगला प्रसाद सिंह	320.00/-
16.	राम कथा और तुलसीदास	फादर डॉ. कामिल बुल्के	60.00/-
17.	पर्यावरण और पारिस्थितिकी	प्र.सं. डॉ. उदय प्रताप सिंह	260.00/-
18.	पर्याय रत्नाकर	श्री कृष्ण देव मिश्र 'कृष्ण'	700.00/-
19.	अवधी लोकगीत : एक अन्तर्यात्रा	कमल नयन पाण्डेय	160.00/-
20.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में विज्ञान लेखन	डॉ. अर्चना पाण्डेय	260.00/-
21.	भोजपुरी लोक कथा मंजूशा	भगवती प्रसाद द्विवेदी	310.00/-
22.	भोजपुरी लोकोक्ति सागर	डॉ. अर्जुन तिवारी	280.00/-
23.	कबीर साहेब	ले. पं. मनोहर जुत्शी अनु. डॉ. फ़ाजिल अहसन हाशमी	200.00/-
24.	बघेली साहित्य का उद्भव एवं विकास	डॉ. राम गरीब पाण्डेय 'विकल'	500.00/-
25.	नरीवादी चिन्तन की भावधारा	सं. देवेन्द्र प्रताप सिंह	320.00/-

हिन्दुस्तानी त्रैमासिक

महत्वपूर्ण विशेषांक- ब्रजभाषा, कुम्भ, महात्मा गाँधी पर केन्द्रित, लोकनायक श्रीराम विशेषांक (दो खण्डों में), आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जायसी पर केन्द्रित, बाबू गलाब राय पर केन्द्रित, स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित विशेषांक इत्यादि।

कृपया हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र - **सचिव, हिन्दुसतानी एकेडेमी**
12-डी, कमला नेहरु मार्ग, प्रयागराज - 211001
दूरभाष - 0532-2407625

Web – https://hindustaniacademyup.org.in/
E-mail – hindustaniacademyup@gmail.com

शुभकामनाओं सहित

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।

website: http//www.uplc.in, http://www.itpolicyup.gov.in
email:md@uplc.in, uplclko@gmail.com, info@itpolicyup.gov.in
Phone: 0522-4130303, 2286808, 2286809, 2286812 Fax: 2288583

विभिन्न शासकीय योजनाओं यथाः प्रश्नोत्तर प्रणाली, ई–डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, ई–टेण्डरिंग, ई–ऑफिस तथा विधवा पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन इत्यादि सेवायें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रदाता संस्था

प्रदत्त सेवायें:–

अ– निम्नलिखित योजनाओं/सेवाओं हेतु शासन द्वारा नामित नोडल संस्था

1. शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली (https://etender.up.nic.in) लागू किये जाने हेतु एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था।
2. सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन
3. प्रदेश सरकार की ''उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 (प्रथम संशोधन)'', ''उ.प्र. स्टार्टअप नीति–2020 (प्रथम संशोधन)'', ''उ.प्र. डाटा सेण्टर नीति–2021 (प्रथम संशोधन)'' तथा "उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति–2022'' का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
4. लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
5. प्रदेश के विभिन्न नगरों में आईटी पार्क्स की स्थापना, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
6. स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए इन्क्यूबेटर्स की स्थापना।

ब– शासकीय विभागों को हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा आईटी कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।

7. शासकीय विभागों को सूचीबद्ध कन्सल्टेण्ट्स के माध्यम से कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।
8. विभिन्न विभागों के लिए 'टर्न–की' कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति/विकास, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

उत्तर प्रदेश

(परिचय, प्राकृतिक, भौगोलिक स्थिति तथा जनगणना)

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, संस्कृतियों का संगम भी है और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक। इसीलिए वह एक विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिंतन परंपरा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिद्वन्द्विता, विचार-विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का केन्द्र भी है। विविधता में एकता तथा 'जियो और जीने दो' का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ की पहचान है।

देश की स्वाधीनता की पहली लड़ाई यहीं की जनता, किसान, मजदूरों ने लड़ी और स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश ने नाम हासिल किया। इससे पहले इस क्षेत्र के अनेक नाम रहे। ईसा से छह शताब्दी पहले भारत के 16 महाजनपद थे जिनमें आठ– काशी, कोशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल और शूरसेन इसी क्षेत्र में थे, वे अब उत्तर प्रदेश हैं। कोशलों की पहली राजधानी अयोध्या थी, फिर श्रावस्ती हुई। कपिलवस्तु इसी जनपद में था। बाद में कुछ क्षेत्र अवध, कान्यकुब्ज, काशी आदि नाम से जाने जाते रहे और कभी रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध आदि। अंग्रेजों की अमलदारी में इसका नाम पड़ा– 'संयुक्त प्रान्त' आगरा व अवध। यह 'संयुक्त' ही इसका सही नाम लगता है– मिला-जुला, सबका शामिल प्रान्त, संयुक्त संस्कृतियों का क्षेत्र।

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने जिस प्रकार के दमन और अत्याचार किए उससे चंगेज़ खाँ और नादिरशाह भी शरमा जाते। सैकड़ों लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया, हजारों का कत्ल कर दिया गया, गाँव के गाँव फूँक दिये गये, शहरों और कस्बों में कहर ढाए गये, पर स्वाधीनता की ललक और संकल्प में कोई अन्तर नहीं आया।

उत्तर प्रदेश का इतिहास वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का इतिहास है। यहाँ बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे और एक-दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित, समृद्ध करते रहे। हिन्दू कवियों ने कर्बला पर मर्सिये लिखे, मुसलमान कवियों ने राम और कृष्ण के गीत गाये।

विचारों और जीवन-शैली का प्रभाव वेशभूषा, खान-पान, भाषा, संगीत, कला, वास्तुकला पर भी पड़ा। सूफियों ने भी भक्त कवियों का साथ दिया, कहा कि 'ईश्वर एक है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारो।' लखनऊ, आगरा, देवां, रुदौली, बरेली, बहराइच, प्रयागराज व अन्य अनेक स्थानों पर दरगाहों में लाखों हिन्दू आज भी जाते हैं; होली, ईद, दीवाली सभी मिलकर मनाते हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, सीकरी का पंचमहल, सिकन्दरा में अकबर की कब्र, सभी में बौद्ध विहारों की झलक दिखाई देती है। आगरा के दीवान-ए-खास में विष्णु के सिंहासन की झलक देखी जा सकती है। कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि, जिन्हें हिन्दू वास्तुकला की पहचान माना जाता है, सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती की मजार पर सर्पिल 'ब्रैकेट' जैन प्रभाव को दर्शाते हैं। अरब, ईरानी या तुर्क गुम्बदों से भिन्न ताजमहल के गुम्बद हिन्दू-बौद्ध वास्तुकला की अनुकृति लगते हैं।

जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस सांस्कृतिक संश्लेषण को देखा जा सकता है। हिन्दुओं ने भी मंदिरों के

निर्माण में इसको अपना लिया। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नये संस्करण– सितार और तबला दिये। हिन्दुस्तानी संगीत में खयाल के अलावा अनेक नयी प्रवृत्तियाँ समायोजित कीं। संगीत के क्षेत्र में ठुमरी और गज़ल इस संश्लेषण की विशिष्ट देन हैं। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा-वृन्दावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नये रंग भरे। एक ही उत्स से यहाँ हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू का जन्म हुआ और कालान्तर में वे दो भाषाएँ हो गयीं– दो अत्यन्त समृद्ध भाषाएँ। यह तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान का ही क्षेत्र नहीं है, यह मीर और ग़ालिब, रतननाथ सरशार और चकबस्त का भी क्षेत्र है। दोनों भाषाओं ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया है– दोनों सहोदरा हैं। सदियों से एक साथ रहकर दोनों समुदायों ने सामाजिक जीवन में भी एक-दूसरे से बहुत कुछ लिया-दिया है। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि की रस्मों पर भी प्रभाव पड़ा है, वेशभूषा और परिधान पर भी, खान-पान और व्यंजनों पर भी।

हिन्दुस्तानी संगीत में उत्तर प्रदेश की देन उल्लेखनीय है। किराना, अहरौली, आगरा, सहसवान, रामपुर, बनारस आदि घरानों का उद्‌भव क्षेत्र यही है। अब्दुल करीम खाँ, अल्लादित्ता खाँ, फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, वजीर खाँ, रामदास आदि उन कलावन्तों की लम्बी शृंखला की कुछ कड़ियाँ हैं जो यहाँ उभरीं। अहमद जान थिरकवा, कण्ठे महाराज भी यहीं के हैं और विलायत खाँ भी।

शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत पर भी उत्तर प्रदेश ने अपनी छाप छोड़ी है। ठुमरी का नाम, रूप और तत्व यहीं का है। बनारस ने 'पृथ्वी अंग' प्रचारित किया तो लखनऊ ने अपना रंग उसे दिया। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी (सभी बनारस की) और बेगम अख्तर (लखनऊ) ने अपनी-अपनी शैलियों की विशिष्टता स्थापित की। महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य अनेक गायक परम्पराओं के रक्षक हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। ग़ज़ल के अलावा भजन व दादरा के कद्रदान यहाँ रहे हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में कालिका महाराज व बिन्दादीन महाराज ने जो कथक की परम्परा शुरू की, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शम्भू महाराज और बिरजू महाराज ने इस सम्पन्न-समृद्ध धरोहर को नये आयाम दिये। लोक संगीत में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। बुन्देल खण्ड में ईसुरी का फाग, आल्हा, ब्रज का रसिया, पूर्वी जिलों की कजली, बिरहा और चैती जैसी अनेक धाराएँ लोक जीवन को आनन्दित करती रही हैं।

शिल्प के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। बनारस का रेशम और जरी, लखनऊ की जामदानी, जरदोजी व चिकन, भदोही के कालीन, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का काँच का काम सदियों से विश्व के अनेक देशों का मन मोहते रहे हैं। आज भी ये शिल्प अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

यह एक अद्‌भुत प्रदेश है। मानव जाति के जन्म से शुरू हुई इसकी सभ्यता निरन्तर समृद्ध होती रही है। यहाँ की संस्कृति ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, एक ऐसी विचार-शैली दी है, एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया है, जिसने सारे देश को अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसमें पूरे विश्व कल्याण के तत्त्व मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। पिछले 72 वर्षों में चालीस से अधिक वर्षों तक इसी राज्य के लोग प्रधानमंत्री होते आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह राज्य भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि प्रधान इस राज्य के कुल 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 199812341 लोग निवास करते हैं, जिसमें 10.45 करोड़ पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

कुल 97,814 आबाद गांवों तथा 915 नगरों में विभाजित इस प्रांत को अपना नाम 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के ऐन पहले प्राप्त हुआ। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत

(युनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था।

अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था सुविधानुसार इसे कभी 'पश्चिमी प्रांत' के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद में 'आगरा प्रेसीडेन्सी' का निर्माण कर इसे 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' से अलग किया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया। अब इसका नाम 'उत्तर पश्चिम प्रांत' (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हुआ। मुख्यालय आगरा बना। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया। इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से प्रयागराज कर दिया गया। 1875 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से प्रयागराज स्थानान्तरित कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रयागराज। सन् 1877 में इन दोनों प्रांतों के ले. गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत' (युनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। तब ले. गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। 1921 में लखनऊ में ही विधान परिषद् की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर 'संयुक्त प्रांत' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया।

सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके नये राज्य उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन किया गया तो यहां की लगभग 55 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि और लगभग एक करोड़ आबादी यहां से अलग हो गयी है। इसके बावजूद नया उत्तर प्रदेश अभी भी देश के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य।

प्राकृतिक रूपरेखा

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी छूती थीं लेकिन अब यह क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल सीमा के साथ उत्तरांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। इन सीमाओं को प्राकृतिक तौर पर देखा जाय तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गंडक नदी है।

उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के तीन भूभाग थे- पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई- भाभर क्षेत्र ही बचा हुआ है। अब प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को हम इस रूप में देख सकते हैंः–

भाभर और तराई क्षेत्र

पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है।

सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। पहाड़ों से उतरने वाली नदियों एवं वेगवती धाराओं की गति यहां आकर कुछ मन्द पड़ जाती है। पहाड़ से अपने साथ बहाकर लाये गये प्रस्तर खण्डों तथा विभिन्न रसायनों को वे छोड़ती जाती हैं। पश्चिम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. चौड़ा है, किन्तु जैसे-जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्र सँकरा होता जाता है। छोटे-मोटे नदी-नालों का बाढ़ के समय को छोड़कर, प्रस्तर खण्डों के बीच उसका अस्तित्व क्षीण-सा ही रहता है किन्तु थोड़ी दूरी के बाद वे फिर उसी रूप में दिखायी देते हैं। दलदल वाले तराई क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ है।

जंगली और ऊँची घनी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं पडरौना जिलों के भाग आते थे। भूमि सुधार के बाद किसानों को इसमें काफी उपजाऊ जमीन प्राप्त हो गयी है। अब यहां गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकार्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है।

मैदानी क्षेत्र

भाभर और तराई के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी क्षेत्र नदियों से लायी गयी मिट्टी से बना है और खूब उपजाऊ है। यमुना पार, आगरा और मथुरा जिलों के उन भू-भागों को छोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं, यह समग्र भू-भाग समतल है। मैदान का पश्चिम अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है और पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिणपूर्व की तरफ है। यह गंगा,यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है।

दक्षिण के पहाड़ और पठार

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। भू-गर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीनकाल में प्रवाहमान समुद्री निरक्षेप द्वारा हुआ। पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर, सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊँची हैं।

चित्रकूट जिले की कर्वी तहसील में विन्ध्य पर्वत श्रेणियां हैं। यहां जल प्रवाह सामान्यतः उत्तर पूर्व की तरफ है। बेतवा और केन नदियां, जो बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती हैं, यमुना में आकर मिली हैं। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहां की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का नामोनिशान नहीं रहता। ग्रीष्म ऋतु में कुछ जगहों का तापमान 47 डिग्री सेन्टीग्रेड तक जाता है। जाड़े की ऋतु में तापमान मैदानी क्षेत्रों में 8.5 से 17.5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं, जब प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है।

सामान्यतः वर्ष में तीन ऋतुएँ होती हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जाड़ा, मार्च से जून तक गर्मी और इसके बाद सितम्बर तक बरसात होती है। गर्मी आगरा और झांसी में सबसे अधिक, बरेली में सबसे कम पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फलस्वरूप प्रमुख रूप से वर्षा होती है। जाड़ों में उत्तर पश्चिम से उठने वाले तूफानों के कारण कुछ जगहों पर वर्षा का औसत 60 और 100

सेन्टीमीटर के बीच रहता है जबकि पूर्वी भाग के जिलों में 100 से 120 सेन्टीमीटर के बीच रहता है। जौनपुर जिले के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा कुछ कम होती है। प्रदेश में लगभग 83 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य और 17 प्रतिशत जाड़ों में होती है। मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है जिसका औसत 184.7 सेमी. है और मथुरा में सबसे कम, जिसका औसत 54.4 सेमी. है।

नदियाँ और जल प्रवाह

गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है। गंगा उत्तराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहारनपुर जनपद से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आते ही यह धीरे-धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है। इसके दोनों किनारों पर और भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं– रामगंगा, गोमती, घाघरा (शारदा), राप्ती और गण्डक। यमुना का उद्गम भी उत्तराखण्ड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा-यमुना की इन सहायक नदियों के अलावा जल प्रवाह की अनेक छोटी-छोटी नदियां हैं जैसे– कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन और धसान, हिन्डन। ये नदियाँ जगह-जगह गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना भी आपस में मिल जाती हैं।

विन्ध्याचल की तरफ से जो पानी गंगा में आता है उसका आधे से अधिक यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन लाती हैं इसमें चम्बल सबसे बड़ी है। यह विन्ध्याचल से निकलती है और आगे चलकर इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं टॉस और सोन। इनमें सोन बड़ी है। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थल नर्मदा और महानदी के उद्गम स्थानों के पास ही है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग वर्ष भर भरी रहती हैं जबकि विंध्याचल से निकलने वाली नदियां गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फ पिघलने से गर्मियों में भी पानी कम नहीं होता। एक और कारण हिमालय में विन्ध्याचल से अधिक बरसात का होना है।

प्रदेश की मिट्टी

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मिट्टी है। यहां की मिट्टी अधिकांश गहरी भूरी और कहीं पर चिकनी है। यह मिट्टी छिछली है, इसमें कंकड़ पत्थर काफी पाये जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अम्लीय है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानों में मिट्टी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ) गहरी और सामान्य से अधिक उर्वरा है। थोड़ा पूर्व की ओर आगे चलकर (बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत) मिट्टी अधिक चिकनी है। पीलीभीत से आगे की ओर तो मिट्टी अम्लीय है किन्तु बाकी मिट्टी में थोड़ा क्षारत्व है।

प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर के आसपास चिकनी और बलुई चिकनी मिट्टी है, जिसमें थोड़ा अम्ल भी है।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'मांट' और 'बंजर' कहा जाता है।

नदी किनारे की मिट्टी को 'ढूह' कहते हैं। 'मांट' मिट्टी चिकनी-बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है इसकी जलधारण शक्ति अधिक होती है। 'बंजर' मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पायी जाने वाली मिट्टी में फास्फेट कम होता है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटाश की कमी है। शुष्कतर भागों में ऊसर तथा रेह है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ की मिट्टी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है।

प्रदेश के झांसी तथा चित्रकूट धाम मण्डल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं प्रयागराज की करछना व मेजा तहसील, वाराणसी की चकिया तहसील में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पायी जाती है। काली मिट्टी चिपचिपी तथा कैल्केरिया युक्त और उर्वरा होती है। भीगने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में लाल मिट्टी पायी जाती है। यह दो प्रकार की होती है 'परवा' और 'राकर'। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है जबकि राकर अपक्षरित मिट्टी होती है।

वन्य क्षेत्र

उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) गठन से पूर्व प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 33994 वर्ग किमी. अर्थात् 11.54 प्रतिशत भाग वनाच्छादित था। अब 23243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया तथा उत्तर प्रदेश में 10751 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र ही बचा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग ही वनाच्छादित रह गया है।

इस समय उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बाँट सकते हैं :-

1. उष्ण प्रदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन 2. उष्ण प्रदेशीय शुष्क पर्णपाती वन

3. उष्ण प्रदेशीय कटीले वन

आर्द्र पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। प्रदेश के यह वन ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ वर्षा 100 से 150 सेमी. वार्षिक होती है। यहाँ वनों की विशेषता है कि ऊँचे क्षेत्रों में अनिश्चित आकारों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। निचले भागों में अन्य प्रजातियां जिनमें बांस, लताओं और बेंत के साथ हरी भरी झाड़ियाँ होती हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन आदि।

शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों आमतौर पर मध्यपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं। ये प्रायः पर्णपाती प्रजाति के होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश नीचे तक पहुंचता है इसलिए यहां झाड़ियों और घासों की उपज भी अच्छी होती है। ऐसे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र की खेती के लिए सफाई कर दी गयी है। यहां पैदा होने वाले वनों में साल, पलास, अंजीर, सागौन प्रमुख हैं। नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बबूल आदि भी नदियों के आसपास या नमी वाले स्थानों पर होते हैं।

कटीले वन ज्यादातर दक्षिण पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं। ऐसे वन प्रदेश के उन भागों में स्थित हैं जहाँ वर्षा कम (वर्ष में 40 से 60 सेमी.) होती है। इन क्षेत्रों में दूर-दूर तक कटीले बौने वृक्ष मुख्यतः बबूल, कटीले, फलदार पौधे, सांहुड की पैदावार प्रमुख है। वर्षा ऋतु में यहां छोटी-छोटी घास उग जाती है। यहां प्रायः छोटे-छोटे पौधे हैं जो खुले शुष्क वनों का रूप धारण कर चुके हैं। इनमें फुलाई, खैर, कोक्के, धामन, डनझा, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से कई तरह की लीसा और गोंद प्राप्त होता है।

खनिज सम्पदा

उत्तर प्रदेश यूँ तो कृषि प्रधान राज्य है लेकिन यह प्रदेश खनिज सम्पदा का भी धनी है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत शृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैण्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, मैग्नेसाइट, साफ्टस्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास-सैड, संगमरमर, नान प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, एडालूसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के सात दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। ये जिले हैं– आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बाँदा, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अच्छे किस्म का चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। डोलोमाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में प्राप्त होता है। ग्लास– सैड प्रयागराज, बाँदा और चित्रकूट जनपद में मिलता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के बांस मकरी खोह क्षेत्र में नानप्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भण्डार हैं।

जनगणना

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1,998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12,106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1,044.81 लाख पुरुष तथा 953.32 लाख महिलाएं हैं। प्रदेश में कुल जनसंख्या 1,998 लाख में 1,553.17 लाख (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या है तथा 444.95 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है। प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 809.92 लाख पुरुष तथा 743.24 लाख महिलाएं तथा कुल नगरीय जनसंख्या में 234.87 लाख पुरुष तथा 210.07 लाख महिलाएं हैं।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध,2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में प्रयागराज की जनसंख्या (59.54 लाख) सबसे अधिक है तथा जनपद महोबा में (6.90 लाख) सबसे कम जनसंख्या है।

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के वर्ष 2001–2011 की अवधि में में दशकीय वृद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो उवत अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत से अधिक रही।

जनसंख्या घनत्व

एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद (3674) इसके बाद क्रमशः वाराणसी (2395), हापुड़ (2028), लखनऊ (1816), संत रविदास नगर (भदोही) (1555) तथा कानपुर नगर (1452) तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद ललितपुर (242) है।

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है जबकि वर्ष 2001 में यह 898 ही थी। भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 थी।

साक्षरता दर

वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार प्रदेश भर में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है। जिनमें 684 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिलाएं साक्षर हैं। वर्ष 2011 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 भारत के सम्वादी अवधि का साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम रहा। प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत 67.68 में पुरुषों का 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत 57.18 हैं। प्रदेश में गौतमबुद्धनगर की साक्षरता दर सबसे अधिक 80.12 प्रतिशत है इसके बाद कानपुर नगर 79.65 प्रतिशत, औरैया 78.95, इटावा

78.41 प्रतिशत तथा गाजियाबाद 78.07 प्रतिशत का स्थान है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 46.74 प्रतिशत है। इसके बाद बहराइच 49.36 प्रतिशत, बलरामपुर 49.51 प्रतिशत, बदायूँ 51.29 तथा रामपुर 53.34 प्रतिशत है।

साक्षरता दर 1951 से 2011 तक

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	12.02	19.07	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	40.71	54.82	24.37
2001	57.36	70.23	42.98
2011	67.68	77.28	57.18

इतिहास

राजनीतिक इतिहास

पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मध्य-देश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है। यद्यपि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है, पर मिर्जापुर और बुन्देलखंड क्षेत्र में खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन एवं नवीन पाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन जो वस्तुएँ मिली हैं वे हमें सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

ऋग्वेद के समय से कुछ संश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले भारत में ''सप्तसिंधु'' या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश (आधुनिक पंजाब) में बस्तियाँ बनायीं। ये नदियाँ हैं- इण्डस (सिंधु), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), परुश्नी (राबी), विपासा (व्यास), शुतुद्री (सतलज), और सरस्वती (जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है)। शुरू में कुछ प्रमुख घरानों के नाम थे पुरू, तुर्वसु, यदु, अनु और द्रुह्य। ये पाँच घराने 'पंचजन' कहलाते थे। इनके अतिरिक्त एक और प्रमुख वर्ग ''भरत'' कहलाता था।

धीरे-धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का पूरब में विस्तार किया। 'शतपथ ब्राह्मण' में कोशल (अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा इन्हें जीतना उसका रोचक वर्णन है। सीमाओं के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि नये राज्य बने, नये लोग सामने आये और नये केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे-धीरे ''सप्तसिन्धु'' का महत्व कम होता गया और संस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती तथा गंगा के बीच का मैदान जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कोशल (अवध) राज्य थे।

पहले प्रयाग तक फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र मध्य देश के नाम से अभिहित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाएँ भी लगभग वही हैं। हिन्दू कथा-साहित्य में यह देश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्यक्तियों और देवताओं का वर्णन है वे यहीं के थे। यहाँ के निवासी सर्वाधिक सुसंस्कृत आर्य माने जाते थे। उनकी बोल-चाल और उनका व्यवहार आदर्श माना जाता था। वे लोग धार्मिक रीति-रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे और बिना किसी त्रुटि के पूजा आदि कर सकते थे।

इन राज्यों के कुछ शासक, विशेषतः पांचाल के राजा प्रवहण जैवालि, अपने सुकर्मों के कारण अमर हो गये। बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए, हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों और पुराणों के आख्यानों से मिश्रित हो गया, जिससे ऐतिहासिक वृत्तान्त की कड़ी टूट गयी। जब अंधकार छँटता है तथा ईसापूर्व छठी शताब्दी में इतिहास की रेखाएँ फिर से उभरती दिखायी पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा रही। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम थेः-

1. कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर); राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)।
2. पाँचाल (बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद); राजधानी अहिच्छत्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद के पास कम्पिल)।

3. शूरसेन (मथुरा के आस-पास का क्षेत्र); राजधानी मथुरा।
4. वत्स (प्रयागराज और आस-पास); राजधानी कौशाम्बी (प्रयागराज के पास कोसम)।
5. कोशल (अवध); राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोंडा जिले में सहेट-महेट)।
6. मल्ल (जिला देवरिया); राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पावा (सम्भवतः पडरौना)।
7. काशी (वाराणसी); राजधानी बनारस।
8. अंग (भागलपुर); राजधानी चम्पा।
9. मगध (दक्षिण बिहार); राजधानी गिरिब्रज (राजगृह, बिहार-शरीफ के पास राजगीर)।
10. वृज्जि (जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर); राजधानी मिथिला जनकपुर (नेपाल सीमा पर) और वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर में बसरा)।
11. चेदि (बुन्देलखंड); राजधानी शुक्तिमती (सम्भवतः बांदा के पास स्रोतासोढ़ा)।
12. मत्स्य (जयपुर); राजधानी विराट (जयपुर के पास)।
13. अस्मक (गोदावरी घाटी) राजधानी पांडन्य (स्थान की जानकारी नहीं)।
14. अवन्ती (मालवा); राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन)।
15. गांधार (पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पाकिस्तान में है); राजधानी तक्षशिला (रावलपिण्डी के पास)।
16. कम्बोज; राजधानी राजापुर (स्थान की जानकारी नहीं)।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 8 (क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा 11) वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। इनमें से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिर का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य।

सभी राज्यों में हमेशा युद्ध होता रहता था– एक-दूसरे पर राजनीतिक प्रभाव के लिए। कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवन्ती ने वत्स का राज्य छीन लिया। कोशल और अवन्ती एक-एक करके मगध के अधीनस्थ हो गये और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हरयांक, शिशुनाग और नन्द वंश का राज्य रहा।

नन्द वंश का साम्राज्य पंजाब और सम्भवत; बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। नन्दों के शासनकाल में सिकन्दर ने ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इतिहास के अनेक विद्वानों का मत है कि मगध के शक्तिशाली राज्य की सेनाओं से मुकाबला न कर पा सकने का डर ही सिकन्दर की सेना द्वारा व्यास नदी के आगे न बढ़ने के निश्चय के मूल में था। इस प्रकार सिकन्दर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था।

सिकन्दर की वापसी के साथ ही साथ भारत में एक महान क्रान्ति हुई। इसके बाद नन्द शासकों के हाथ से (ईसा से 323 वर्ष पूर्व) शासन की बागडोर चन्द्रगुप्त मौर्य के पास आ गयी। चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय कुल ''मौर्य'' का वंशज था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके लड़के बिन्दुसार और पोते अशोक के शासन-काल में सुख और शान्ति का अनुभव करता रहा। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की जो आकृति बनी है, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राजकीय चिह्न बनाया है। अशोक-स्तम्भ और शिलालेख सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, संकिस्सा, बस्ती और मिर्जापुर में भी पाये गये हैं। ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे। सारनाथ के धूमेख का स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था।

ईसा पूर्व 232 वर्ष में अशोक की मृत्यु होते ही मगध राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। उसके पोते दशरथ

और सम्प्रति ने सारा राज्य आपस में बाँट लिया। नर्मदा के दक्षिण का पूरा क्षेत्र शीघ्र ही स्वतन्त्र हो गया और ईसा पूर्व 210 वर्ष में पंजाब पर अन्य लोगों का शासन हो गया। इस वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी (ईसा पूर्व 185 वर्ष में)। पुष्यमित्र ने उसके बाद मगध का राज्य बनाये रखा। पतंजलि के महाभाष्य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) का यवनों (यूनानियों) द्वारा घेरे जाने का आता है। मेनेन्डर और उसके भाई ने ईसा से लगभग 182 वर्ष पूर्व एक भारी आक्रमण किया। आक्रामक सेनाओं ने सुदूर दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़, सांकल (स्यालकोट, पाकिस्तान के पंजाब में) और मथुरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आक्रामकों ने साकेत (अयोध्या) को घेर लिया तथा गंगा की घाटी में बहुत दूर तक बढ़ आये। इस आक्रमण का आखिर में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने गंगा के किनारे मुकाबला किया तथा यवनों को हरा दिया। यूनानी पीछे हट गये और उन्होंने सांकल (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी। मथुरा बहुत समय तक मेनेण्डर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। मेनेण्डर ने ईसा से लगभग 145 वर्ष पूर्व तक राज्य किया। बाद में छोटी-छोटी अनेक इण्डो-ग्रीक एवं यूनानी रियासतें पंजाब में ईसा की प्रथम ईसवी तक बनी रहीं।

इसी बीच मगध में शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शुंग वंश का अन्तिम राजा देवभूति दुश्चरित्र था। इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री वासुदेव ने राजा देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष पूर्व सिमूक ने, जो सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

कण्व वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला था यह कहना कठिन है, किन्तु ऐसे सिक्के जिन पर ''मित्र'' शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम खुदे हैं, खुदाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों के अधिकार-क्षेत्र में था, जो शुंग वंश से सम्बद्ध थे।

यह वह समय था जब मध्य एशिया के शकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षत्रप स्थापित कर लिये थे। प्रथम शक राजा मायुस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58वें वर्ष में मृत्यु हुई थी। शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किये और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरम्भ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू कर दिया था। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाण लोगों के भी आक्रमण हुए। ये भी मध्य एशिया की पाँच जातियों में से एक थी। शीघ्र ही कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिन्धु नदी तक के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।

कुषाण राज्य-वंश की स्थापना ''कुजुला कदफिसेस'' या कदफिसेस प्रथम ने की थी। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी विमा कदफिसेस या कदफिसेस द्वितीय गंगा की घाटी तक घुस आया था। इसका उत्तराधिकारी था कनिष्क प्रथम जो निःसन्देह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्क की सोकेद (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखी हैं तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह भूभाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

कनिष्क का राज्यकाल और कुषाण राजाओं की वंश-परंम्परा अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्याभिषेक ईसा के 78 वर्ष बाद हुआ और कुछ का यह कि कनिष्क प्रथम ने सम्भवतः ईसा बाद 120 और 144 वर्ष के बीच राज्य किया था। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी और उसके राज्य के अन्तर्गत गांधार, कश्मीर तथा सिन्धु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। कनिष्क के पुत्र हुविष्क ने अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला और उसके बाद उसका पुत्र वासुदेव गद्दी पर बैठा।

वासुदेव के समय में कुषाण साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था तथा उसके बाद छिन्न-भिन्न होकर अनेक छोटे-छोटे सीमान्त राज्यों में बँट गया। ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्यदेश से

समाप्त हो चुका था तथा उसके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओं में कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा प्रयागराज के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं। मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कान्तित) इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। इसी अवधि में नागों की ही एक जाति ''भारशिव'' भी प्रभुत्वशाली बनी। इन लोगों की शक्ति तथा इनके साम्राज्य का आभास इसी से लग जाता है कि इन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किये और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभिषेक हुए।

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई तथा लगभग दो सौ वर्षों के उनके शासन काल में मध्यदेश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। कुछ समय तक मध्यदेश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा। इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इनका अन्तिम राजा गृहवर्मन ईसा के लगभग 606 वर्ष बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया। इसके अनन्तर गृहवर्मन के मंत्रियों ने प्रशासन की बागडोर गृहवर्मन के साले हर्षवर्धन को सौंप दी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राज्यवंश आपस में मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। उसकी शान-शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे ''महोदय श्री'' नाम मिला तथा हर्ष के बाद (ईसा 647 वर्ष बाद) के हिन्दू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था। उस समय आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया है।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस काल का कोई संश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

आठवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को फिर से वैभवशाली नगर बना दिया। कश्मीर के ललितादित्य मुक्तपीड़ के सहयोग से उसने तिब्बत में भी सेना भेजी थी और सफलता पायी थी। किन्तु बाद में ललितादित्य ने उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला (ईसा से 740 वर्ष बाद)। बाद के आयुधवंशीय राजाओं के काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूटों तथा पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के बीच बहुत दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें अन्तिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। इन लोगों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वह विस्तार और ख्याति की दृष्टि से किसी भी गुप्त-वंशीय राजा या सम्राट हर्ष के साम्राज्य से कम नहीं था। गुर्जर प्रतिहार पूरी नवीं एवं दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत पर छाये रहे। इनको सन् 1018-19 में मेहमूद गजनवी ने परास्त किया। जेजाकभुक्ति या वर्तमान बुन्देलखंड में चन्देल राजाओं ने मेहमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा। इन लड़ाइयों में दो चन्देल शासकों, धंग और विद्याधर ने बड़ा शानदार योगदान किया था।

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्यदेश में फिर से अराजकता फैल गयी; किन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांति एवं सुव्यवस्था पुनः स्थापित हुई और इस क्षेत्र में समृद्धि का नया युग प्रारम्भ हुआ। दो प्रमुख गहरवार राजा थे गोविन्द चन्द्र (सन् 1104 से 1154 तक) और जयचन्द्र (सन् 1170 से 1193) तक। जयचन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय की 1192 में तराइन में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुई और फिर अगले वर्ष जयचन्द्र स्वयं भी चन्दवार (इटावा) में हारा और मारा गया। इसके बाद मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और बनारस शीघ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए। जेजाकभुक्ति (अब

बुन्देलखण्ड) में सन् 1203 में चन्देल राजा परमर्दिदेव (लोकगाथाओं का वीर परमाल) एक युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गया और मारा गया। चन्देलों ने बाद में स्थिति सँभाल ली और लगभग दो शताब्दी से भी अधिक समय तक राज्य करते रहे। यह और बात है कि उनका राज्य-क्षेत्र छोटा हो गया था। इसी प्रकार सुदूर उत्तर का पहाड़ी भाग भी आक्रामकों से सुरक्षित रहा।

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वहीं से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वंश के राजाओं और उनके बाद खिलजियों तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली सल्तनत की सीमा बढ़ायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सम्भल, कड़ा और बदायूं प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिये गये थे, तथापि पूरा प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा। विरोध करने वाले क्षेत्रों में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली के नाम उल्लेखनीय हैं।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मध्य-देश का इतिहास शौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का इतिहास रहा है जिसकी एक दो झाँकियाँ उस समय के इतिहासकारों की कृतियों में दिखलायी पड़ती हैं। इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के तुगलकों का साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा था और सन् 1394 में इस क्षेत्र के पूर्वांचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने की थी। शर्की शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत का जमकर प्रतिरोध किया और कन्नौज एवं अन्य सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना।

जौनपुर के अलग हो जाने के चार वर्ष बाद अर्थात् सन् 1398 में भारत पर समरकन्द के एक चुँगताई तुर्क ने, जिसे तिमुर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, आक्रमण किया। यद्यपि मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूरलंग की बर्बरता तथा पाशविकता का शिकार बना किन्तु दोआब का क्षेत्र भी अछूता न बचा। उदाहरण के लिये मेरठ, हरिद्वार तथा कटेहर को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ।

तैमूर की चढ़ाई ने तुगलक वंश का शासन समाप्त कर दिया। सन् 1412 में मुहम्मद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैयद और लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया। लोदी राज-वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन् 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया किन्तु दोआब का अधिकांश भाग अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनायी।

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया किन्तु इसके बाद भी अफगानों ने गंगा की घाटी में और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह सूरी के हाथों करारी हार खानी पड़ी थी। शेरशाह सूरी मुगलों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के विरोध का प्रतीक था। मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सन् 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शांति, समृद्धि सुदृढ़ प्रशासन का, उदारता, सहिष्णुता और हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियों-जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय में भी चलती रही। उत्कर्ष के इस युग में ''हिन्दुस्तान'' का, जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे महत्त्वपूर्ण अंशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रही।

औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल को पेशवा वाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर जमे। स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे। लगभग इसी समय रुहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और सन् 1774 तक रुहेलखण्ड में अधिपति बने रहे। उक्त वर्ष अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये किन्तु 1761 में पानीपत में हुई हार ने उनकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। इस अवसर से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं प्रयागराज अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते वे सब शुरू में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये थे और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की संज्ञा दी गयी। सन् 1816 में सुगौली की संधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून के जिले गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दे दी। इसी समय झाँसी का राज्य भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था।

अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्मरण दिलाते हैं। अतः सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भड़क उठे और सन् 1857 में यही हुआ। उक्त विद्रोह में, जो राष्ट्र की आजादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धर्मों व वर्गों के लोगों ने शानदार भूमिका अदा की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलबी अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संघर्ष में जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश से जुदा कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष 1 नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गयी।

सन् 1877 में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध, कहा जाने लगा। सन् 1902 में इस नाम को भी बदल कर संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 24 जनवरी, 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया।

इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पृथक नहीं रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री तथा रफी अहमद किदवई ये सब राष्ट्र के नेता रहे हैं और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यह भी कम गौरव की बात नहीं है कि इस प्रदेश से अनेक प्रधान मंत्री राष्ट्र को मिले हैं- पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इत्यादि।

स्वाधीनता आन्दोलन : उत्तर प्रदेश की भूमिका

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त पचास वर्षों में कुल आठ मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान सरदार, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड, फर्रुखाबाद के नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र, वर्तमान अवध तथा पूर्वी जिलों पर अवध के नवाब तथा बुन्देलखण्ड पर मराठों का शासन स्थापित था। दिल्ली में मुगलों के पराभव के साथ ही इन सभी स्वतंत्र राज्यों में वर्चस्व का संघर्ष जारी हो गया। 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध (1764) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया। अंग्रेज प्रयागराज तक बढ़ आये थे। अवध के नवाब ने मराठों को बुन्देलखण्ड से सहायता के लिए बुलाया परन्तु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब व मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो गयी। निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम को प्रयागराज तथा कोरा (प्रयागराज, कानपुर तथा फतेहपुर) के साथ-साथ बंगाल के राजस्व से 26 लाख वार्षिक का कर दान देना ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तय किया। जबकि अवध के नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया।

1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर दिया तथा उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। प्रयागराज अवध के नवाब को इस आधार पर सौंप दिया गया कि शाह आलम ने इसे मराठों को सौंप दिया था। 1774 में अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया।

1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बन गया। अंग्रेजों के साथ की गयी एक नई संधि में उसने बनारस क्षेत्र का आधिपत्य अंग्रेजों को सौंप दिया। बनारस क्षेत्र इस समय राजा चेत सिंह के अधिकार में था। राजा चेत सिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त माँग को ठुकरा दिया तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुँच गया। राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुये बनारस विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया।

इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित हो गया।

सन् 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बन गया। उसने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का आश्वासन भी प्रदान कर दिया।

19वीं सदी के प्रारम्भ पर अंग्रेजों के पास इस प्रान्त में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर के अतिरिक्त) तथा प्रयागराज का किला था। 1801 में अवध के सादात अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूँ का तराई परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। अगले ही साल फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार इस समय तक उत्तर को छोड़ कर शेष सभी तरफ से अवध अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों से घिर चुका था। 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, झाँसी के पड़ोसी जिले बाँदा, हमीरपुर, जालौन, गोहाड़ तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी हथिया लिया। परन्तु बाद में अंग्रेजों ने गोहाड़ तथा ग्वालियर सिन्धिया को वापस कर दिया। 1816 के गोरखा युद्ध में अंग्रेजों को कुमायूँ तथा देहरादून भी प्राप्त हो गये।

इस समय तक यह सारा क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर गर्वनर जनरल का ही शासन बना रहा। 1833 में इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया साथ ही एक गर्वनर की नियुक्ति भी कर दी गई। 1836 में जब इस प्रान्त का नाम उत्तर पश्चिमी प्रान्त किया गया तब इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन के साथ-साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। बाद में मारवाड़, बुन्देलखण्ड तथा हमीरपुर भी इसमें शामिल कर लिये गये। 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रान्ति के बाद दिल्ली पंजाब को, तराई के कुछ हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रान्त को दे दिये गये। 1871 में अजमेर व मारवाड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये।

1857 की क्रान्ति

अंग्रेजी शासन के स्थापना वर्ष 1757 के ठीक सौ वर्ष बाद1857 में उत्तरी भारत की जनता ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रारम्भ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों के गदर से हुआ। कम्पनी की सेना मुख्य रूप से तीन अंगों में विभाजित थी– बंगाल, बाम्बे तथा मद्रास सेना। इनमें बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 भारतीय सैनिक थे जो मुख्यतया अवध, बिहार तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों के निवासी थे। ये सभी अपने अपने गाँव के छोटे-छोटे जमींदार अथवा किसान परिवार से आये थे। यद्यपि उन्हें सन्तोषजनक वेतन प्राप्त होता था परन्तु ये कभी भी सार्जेन्ट से ऊपर का पद नहीं प्राप्त कर पाते थे।

1857 में प्लासी के युद्ध को सौ साल पूरा होना था। इस अवसर पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर देने की छिटपुट योजनाएँ बनने लगी थीं। परन्तु कोई संगठित योजना अभी तक नहीं बन सकी थी। इनका प्रयास कुछ संन्यासी तथा वहाबी आन्दोलनकर्ता अवश्य कर रहे थे। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव सैनिकों पर भी था। पिछले कुछ वर्षों से यह आम धारणा बनने लगी थी कि कम्पनी सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना चाहती थी। इसके कारण सैनिकों में एक आक्रोश व्याप्त था। इसी मध्य अंग्रेजों ने नये-नये अविष्कृत, एनफिल्ड रायफिलों के लिए एक नये प्रकार का कारतूस प्रयोग करना आरम्भ किया। चूँकि प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा बन चुकी थी कि उनके खोल सुअर एवं गाय की चर्बी से बनाए गए थे। इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों के आक्रोश को विस्फोट में बदल दिया। 26 फरवरी, 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बरहामपुर के 19वीं देशी सैनिक

टुकड़ी ने दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी। इसके तत्काल बाद कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे ने 21 मार्च को खुला विद्रोह कर दिया। उत्तर प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने उस दिन अपने एडजुडेन्ट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी तथा उस पर तलवार से भी वार किया। 7 अप्रैल को ही उन्हें बैरकपुर में फाँसी दे दी गयी। मंगल पाण्डे की शहादत ने उत्तर भारत के समस्त सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग भड़का दी। इससे पहले से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासकों की लूट, अत्याचार, हत्या, देशी उद्योगों को नेस्तनाबूद करने के कारनामों, अकाल, भूख, किसानों-मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म आदि को लेकर विरोध व प्रतिरोध का लावा उबल रहा था। मंगल पाण्डेय की फाँसी ने इसमें घी का काम किया और व्यापक जनविद्रोह उभर पड़ा। सैनिकों के विद्रोह के साथ जन-विद्रोह भी शामिल हो गया जिसने देश की स्वाधीनता के पहले विद्रोह, मुक्ति की लड़ाई का स्वरूप लिया। अम्बाला के 60वीं व 5वीं सैनिक छावनी के सभी सैनिकों ने 9 मई को विद्रोह कर दिया। यह प्रथम ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें किसी छावनी के समस्त सैनिकों ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इस पर तत्काल काबू पा लिया, पर इसके बाद मेरठ में होने वाला विद्रोह अंग्रेजी सैनिक क्षमता के बूते से बाहर सिद्ध हुआ। 24 अप्रैल की परेड में मेरठ की देशी सेना ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। अंग्रेजी सेना ने 9 मई को 90 में से 85 सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। दूसरे दिन ही पूरी छावनी के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने सैनिकों व साथियों को जेल से छुड़ा लिया तथा सभी अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया। 11 मई को इन्हीं सैनिकों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने तत्कालीन भारत के पेंशनयाफ्ता सम्राट बृद्ध बहादुरशाह जफर द्वितीय को मजबूर किया कि वह उनको नेतृत्व प्रदान करें। 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिली-जुली समिति ने 'जलसा' के नाम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

इस सैनिक विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र अवध तथा बुन्देलखण्ड का था। यहाँ के किसानों ने तत्काल विद्रोही सैनिकों के साथ विद्रोह में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये जमींदारों को भगा दिया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गयी। स्थानीय सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया गया। लगान देना बन्द कर दिया गया। उत्तरी भारत के दोआब क्षेत्र ने भी इस विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैनिक अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया था। कानपुर के प्रशासन पर पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र 'वहाबी' विद्रोही का अधिकार था।पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता कर रहे थे। इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी, झाँसी, अयोध्या, फतेहपुर तथा हाथरस जैसे अपेक्षाकृत छोटे-छोटे शहरों में भी विद्रोह का विस्तार हो चुका था।

इस बीच दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो चुकी थी। विद्रोही सैनिकों में इस समय जिस अनुशासनिक भावना की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने में तत्कालीन विद्रोही नेता असफल रहे। बिना किसी पूर्व तैयारी, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा निश्चित नेतृत्व के बिना ही विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के कारण दिल्ली में एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अनुशासन की यही समस्या कानपुर में भी खड़ी हुई। यहाँ नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व सम्भाल रखा था। इस समय नगर में लगभग 10,000 सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे। कानपुर के निकट लखनऊ में भी विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था। लगभग 50,000 नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे थे। इनका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थीं। यहाँ पर विद्रोहियों ने रेजीडेन्सी का घेरा डाल रखा था, जिसमें अंग्रेज सैनिकों, अधिकारियों तथा उनके परिवारों ने शरण ले रखी थी। कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सेना अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक तथा विन्दम ने अपनी समस्त सैनिक योग्यता तथा नेतृत्व के बल पर विद्रोह को

कुचलने का प्रयास एक लम्बे समय तक जारी रखा। इन सभी के विरुद्ध विद्रोहियों के पक्ष में केवल एक तात्या टोपे ही योग्य सेनापति थे। 6 माह के लगातार प्रयासों तथा एक माह के लम्बे युद्ध के बाद अंग्रेज अन्त में लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गये। कानपुर तथा लखनऊ के बाद अंग्रेजों ने मई में बरेली पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वे जनरल ह्यूरोज़ के नेतृत्व में झाँसी की ओर बढ़े। यहाँ पर उन्हें झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई का सामना करना पड़ा जो अब वीरतापूर्वक विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं। झाँसी की पराजय के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने समस्त पराक्रम के बाद भी पराजित हुईं और इस युद्ध में उन्होंने वीरगति पायी। इसके पश्चात् अप्रैल 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ लिये गये और उन्हें फाँसी दे दी गयी।

इसी मध्य ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से समस्त अधिकार ले लिये। इस घोषणा में साम्राज्ञी ने विद्रोह से हाथ खींच लेने वाले रजवाड़ों, सामन्तों तथा जमींदारों को आम माफीनामा देने का आश्वासन भी दे दिया। परिणामस्वरूप, जो थोड़े बहुत जमींदार और सामन्त अभी भी विद्रोह से जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अपने अन्तिम दौर में विद्रोह पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुका था। अतः इसको दबा देना अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था।

राष्ट्रवाद का अंकुरण

1857 की क्रान्ति के कारण अंग्रेजी राज का रवैया इस प्रान्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो गया था। परिणामस्वरूप, शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में यह प्रान्त बंगाल, बम्बई तथा मद्रास आदि से पिछड़ता चला गया। इसके साथ ही साथ धार्मिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों के मामले में भी यह प्रान्त पिछड़ा ही रहा। जिस दौर में बंगाल, ब्रह्म समाज तथा रामकृष्ण मिशन, पंजाब, आर्यसमाज तथा बम्बई व पूना, प्रार्थना समाज व सत्यशोधक मण्डल जैसी सामाजिक-बौद्धिक संस्थाओं के कारण सांस्कृतिक व बौद्धिक रूप से उद्वेलित हो रहे थे, उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक शून्य के दौर से गुजर रहा था। इस दौर में आर्य समाज की सिर्फ दो शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकी थीं। इस अपेक्षाकृत शान्त माहौल में भी बनारस के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने 'कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका के माध्यम से बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन में मुहिम जारी रखे हुए थे।

इसी दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आन्दोलन की नींव रखी। 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल विद्यालय' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। 'अलीगढ़ आन्दोलन' के नाम से विख्यात यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

सोमवार 28 दिसम्बर, 1885 को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज, बम्बई', में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस स्थापना अधिवेशन के कुल 72 प्रतिनिधियों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी तथा लाला बैजनाथ आदि ने किया था।

कलकत्ता में सम्पन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 पहुँच गयी थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रारम्भ इस अधिवेशन में कुल 431 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में इतना अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाने का कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने के लिए राजी हो जाना था। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा इण्डियन एसोसियेशन द्वारा अधिवेशन में सम्मिलित होने का निर्णय लेते ही बंगाल के अन्य राजनैतिक संगठनों ने भी इसमें खुलकर हिस्सा लिया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का

महासचिव बनाया गया तथा कांग्रेस की स्थानीय समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश से पाँच सदस्यों को चुना गया था। लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा नवाब रज़ा अली खान और प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इस समिति में शामिल थे।

मद्रास के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब अली द्वारा घोषित सब्जेक्ट कमेटी में उत्तर प्रदेश से राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एवं पं. मदनमोहन मालवीय को सम्मिलित किया गया था। कांग्रेस के इसी सत्र में पार्टी के संविधान तथा कार्यपद्धति को निर्धारित करने के लिए एक विधि समिति का निर्माण भी किया गया था जिसमें लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण व मौलाना हामिद अली को शामिल किया गया था। यह अधिवेशन अपने पूर्ववर्ती दोनों अधिवेशनों से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पहली बार प्रतिनिधियों के रहने के लिए एक सभास्थल स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन से कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ।

कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में प्रयागराज में सम्पन्न हुआ। इस प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन ने जी जान से यह कोशिश की कि इस प्रान्त में न तो कांग्रेस का प्रचार ही होने पाये और न वह आवश्यक चन्दे का ही संग्रह कर सके। और तो और, प्रयागराज में अधिवेशन के लिये कांग्रेस को कोई जगह भी न मिल पाये, यह भी प्रयास किया गया। अंग्रेजी शासन के इस कड़े रुख के कारण मद्रास के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध की गयी कटु आलोचनाएँ ही थीं। अंग्रेजों के इस कड़े रुख के साथ-साथ सर सैय्यद अहमद खाँ तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस का विरोध प्रारम्भ कर दिया था। सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा। परन्तु उनके विरोध के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ ही रहा था। इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 2, 1886 में 33 और 1887 में 79 तक बढ़ चुकी थी। कांग्रेस में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को देखकर सर सैय्यद ने 'मुहम्मडन एज्यूकेशनल कांग्रेस' और 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन' नामक दो संस्थाओं की स्थापना कर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। सर सैय्यद के साथ-साथ राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार में उनका पूरा साथ दिया। 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' तथा सर दिनशा मानक जी पेटिट जैसे धनिक पारसियों ने भी कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। इन बाह्य विरोधों के बाद भी प्रयागराज का अधिवेशन पहले तीन अधिवेशन से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें 964 हिन्दू, 222 मुसलमान, 7 पारसी, 11 जैन, 6 सिक्ख, 16 ईसाई, 2 यूरोपियन और 20 अमरीका निवासी भारतीय थे। इन प्रतिनिधियों में से 11 नवाब, 1 शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 अन्य राजकुमार, 388 जमींदार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयुक्त, 58 शिक्षक तथा 10 किसानों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि संख्या की दृष्टि से प्रयागराज का अधिवेशन एक सफल अधिवेशन था परन्तु इसमें सामन्तों तथा अभिजात्यवर्गीय प्रतिनिधित्व का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया कि अंग्रेजी राज के प्रति कांग्रेस का रुख पहले की तुलना में अधिक नरम होने लगा। इस नरम रुख का नेतृत्व रानाडे और गोखले आदि कर रहे थे। इस नरम रुख के परिणास्वरूप ही 1892 का अधिवेशन लंदन में करने का निर्णय लिया गया था हालाँकि बाद में इसे प्रयागराज में करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया तथा इसी अधिवेशन में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय भी लिया गया।

कांग्रेस के इस नरम रुख के विरुद्ध कांग्रेस के अन्दर ही एक उग्रवादी धारा प्रवाहित होने लगी जिसका नेतृत्व तिलक तथा अरविन्द घोष कर रहे थे। बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु प्रकाश' में अरविन्द घोष ने कांग्रेस के इस नये रुख के विरुद्ध जमकर लिखा। 1895 के पूना कांग्रेस में तिलक ने यह सीधा आरोप लगा

दिया कि वह इसे आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। 1905 तक कांग्रेस पर यद्यपि नरम और गरम पंथियों का ही वर्चस्व स्थापित रहा परन्तु धीरे-धीरे तिलक की बढ़ती लोकप्रियता ने नरम और गरम पंथ के मध्य दूरी को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था। 1905 के बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के इस आन्तरिक मतभेद को अत्यधिक बढ़ा दिया। बंग भंग आन्दोलन में दिये गये बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के नारे के प्रश्न पर कांग्रेस में तीखे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे माहौल में कांग्रेस का 25वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ। इन दोनों समूहों में पहला टकराव बनारस में ही हुआ। इस विवाद का प्रथम कारण 'प्रिंस आफ वेल्स' का स्वागत प्रस्ताव था। नरम पंथी इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे, जबकि तिलक आदि इसके विरुद्ध थे। बाद में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब तिलक दल ने 'बहिष्कार' आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया तो नरम दल ने इसका जमकर विरोध किया। इस अधिवेशन का प्रारम्भ ही कटुताओं से हुआ था। वास्तव में, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने 81 वर्षीय दादाभाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाकर तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। इसका विरोध गरम दल न कर सका था। 'स्वदेशी' आन्दोलन को लेकर भी दोनों दलों में विरोध प्रारम्भ हो गया था। इन सब का परिणाम 1907 के सूरत कांग्रेस में उस समय सामने आया जब यह विरोध अपनी चरम सीमा में पहुँच गया तथा कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गयी।

इस समय स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र भी अपने चरम सीमा पर था। तिलक को 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित दो लेखों के लिए 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। बंगाल के प्रसिद्ध नेताओं अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र को देश निकाला दे दिया गया। कांग्रेस अब पूरी तरह नरम दल वालों के हाथ में आ चुकी थी क्योंकि विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष भी सक्रिय राजनीति से निकल गये थे।

यू.पी. कांग्रेस कमेटी

उत्तर प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज़) में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। 1907 के सूरत विभाजन में उत्तर प्रदेश के पं. मोतीलाल नेहरू तथा पं. मदनमोहन मालवीय ने नरम पंथियों का साथ दिया था। 1909 में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में शुरू हुआ। 1910 तक कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था। 1907 में गरम दल के निष्कासन से 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में रही।

इस बीच तिलक बर्मा के माण्डले जेल में रहे। जून 1914 में तिलक के छूटने तथा गोखले व फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद गरम दल फिर से कांग्रेस में प्रवेश पा गया। सितम्बर 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया और नवम्बर में आटोमन खलीफा ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध केन्द्रीय शक्तियों का साथ देना स्वीकार कर लिया था। तुर्की द्वारा जर्मनी का साथ देने का निर्णय लेते ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मुस्लिम समाज में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार प्रारम्भ होने लगा था।

भारत में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के प्रयास से मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों व नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की जगह पर भारत में स्वशासन की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही तिलक, एनी बेसेन्ट तथा जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुम्बई में हुआ। इन दोनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हिन्दू-मुस्लिम भोज का आयोजन किया। इन्होंने चाँद और कमल दोनों चिह्नों वाले बैज लगा रखे थे जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। जिन्ना इस समय तक 'हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत' कहे जाने लगे थे।

अगले वर्ष 1916 में एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इस समय मुस्लिम लीग के नेता स्वयं जिन्ना थे जो 1904 से ही कांग्रेस के नेता थे। लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजुमदार थे। यहाँ पर कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया। इन दोनों ने मिलकर जो योजना तैयार की वह 'कांग्रेस-लीग समझौता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस का यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1907 के बाद पहली बार तिलक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे थे। तिलक की लोकप्रियता इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस घोड़ागाड़ी में लाया गया उसे घोड़ों के बदले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने खींचकर पाण्डाल तक पहुँचाया था।

इस समय तक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका था जो भारत की आजादी का मसीहा बनने वाला था। मोहनदास करमचन्द गांधी नामक इस महात्मा ने दक्षिणी अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के प्रवेश के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में एक नयी दिशा का दौर प्रारम्भ हो गया। गांधीवादी राष्ट्रवाद मात्र भारत के राजनैतिक आजादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रांति का नवीन दर्शन भी निरूपित किया। भारत की राजनैतिक आजादी मात्र इसकी पहली सीढ़ी थी। इस सर्वांगीण क्रान्ति के दर्शन को गांधी ने ''अहिंसा'' के चरखे पर ''सत्य'' के धागों से बुना था। गांधी के इस क्रान्तिकारी खादीवाद समाज में औद्योगिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। इस समाज तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग ''सत्याग्रह'' था।

सन् 1914 में गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। उनके आने के पूर्व ही उनके सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह की ख्याति भारत पहुँच चुकी थी। चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा गुजरात के खेड़ा जिले के अकालग्रस्त किसानों पर लगने वाले लगान के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। फरवरी 1919 में सरकार द्वारा ''रौलट कमेटी'' की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद गांधी ने क्षण भर भी इन्तजार नहीं किया। इस कानून के अन्तर्गत क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबंद व्यक्तियों को कानून समाप्त हो जाने के बाद भी बन्द रखा जा सकता था। इसमें किसी प्रकार की अपील की संभावना नहीं थी। विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इस कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर 30 मार्च से देशभर में हड़ताल तथा उपवास की घोषणा कर दी। बाद में हड़ताल का दिन 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी की सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक युवकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।

अक्टूबर 1920 में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवान दास ने की। सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल, जवाहरलाल, श्रद्धानंद, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलना हसरत मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था। इस सम्मेलन ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दिसम्बर 1920 का नागपुर अधिवेशन गांधीमय अधिवेशन में बदल चुका था। उनके असहयोग का प्रस्ताव यहाँ बहुमत से पारित हो गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का एक नया संविधान भी स्वीकार किया गया जिस पर गांधी की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट था। कांग्रेस के अन्दर खादी, अस्पृश्यता निवारण, नशाबन्दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक सामाजिक कार्यों का प्रारम्भ यहीं से हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिये और सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए पटना, अहमदाबाद तथा पूना की तरह बनारस में काशी

विद्यापीठ और अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली तथा राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाने लगी। हजारों की संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को छोड़कर देश के सभी बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को गिरफ्तार करने का साहस अंग्रेजी शासन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने प्रान्तीय समितियों को स्थानीय स्तर पर सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी। बिहार और उड़ीसा की तरह उत्तर प्रदेश में अवध प्रान्त के किसानों ने भी गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन कर दिया। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स ने भारत यात्रा प्रारम्भ की। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाने का निश्चय किया गया।

जनवरी 1922 के सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर गांधी ने एक माह के लिए आन्दोलन स्थगित करवा दिया, परन्तु सरकारी दमन जब फिर भी नहीं रुका तब गांधी ने बारडोली में सामूहिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। परन्तु बारडोली का आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक ऐसी घटना हो गयी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया।

उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को सत्याग्रहियों का एक जत्था अपराह्न में आयोजित होने वाली एक जनसभा में भाग लेने के लिए सभा-स्थल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सायंकाल तक एक राष्ट्रीय नेता के आने की सूचना थी। सत्याग्रही अत्यन्त उत्साहित थे। स्वयंसेवक खादी की बनी टोपियाँ खरीद और बेच रहे थे। थाने के सिपाहियों द्वारा गाली देने पर इस जत्थे और पुलिसवालों में झगड़ा हो गया। सिपाहियों ने इस जत्थे के सत्याग्रहियों को पीटना प्रारम्भ कर दिया। सभास्थल पर एकत्रित लोगों को इसकी सूचना मिलते ही क्रोधित भीड़ ने सिपाहियों को घेर लिया। सिपाहियों ने तत्काल गोली चलानी प्रारम्भ कर दी। गांधी जी के शब्दों में, ''उनके (पुलिस) पास थोड़े से कारतूस थे; वे चुक गये। तब वे सुरक्षा के लिए थाने में घुस गये। मेरे संवादप्रेषक की सूचना के अनुसार भीड़ ने तब थाने में आग लगा दी। थाने के अन्दर बन्द सिपाहियों को तब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और तब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और उनकी लाश के लोथड़ों को आग में झोंक दिया गया।''

इन सिपाहियों की कुल संख्या 22 थी। इस घटना ने गांधी को अत्यन्त आहत किया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बताया तथा 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर तत्काल प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस का कोई भी नेता इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सभी ने गांधी के निर्णय का विरोध किया। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस आदि सभी गांधी के इस निर्णय से हक्के-बक्के रह गये। निश्चय ही अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का साहस मात्र गांधी में ही था। इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा छह वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया।

स्वराजवादी

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण आस्था न रखने वाले भी गांधी के साथ जुड़ने पर मजबूर हो गये थे परन्तु गांधी की गिरफ्तारी तथा आन्दोलन की वापसी के बाद इस वर्ग ने 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। यह असहयोग के घोषित कार्यक्रम के विपरीत एक प्रस्ताव था। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस वर्ग की यह दलील थी कि आन्दोलन के वापस हो जाने के बाद आन्दोलन के कार्यक्रम भी समाप्त हो गये। अब यह वर्ग विधान

परिषदों में पुनः प्रवेश कर अन्दर से संघर्ष जारी रखने की नीति अपनाना चाहता था। इनके विपरीत दूसरा वर्ग गांधी की अनुपस्थिति में आन्दोलन के किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। इस प्रकार गया कांग्रेस परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों नामक दो घटकों में विभाजित हो गया। परिवर्तन विरोधियों का नेतृत्व राजगोपालाचारी तथा राजेन्द्र प्रसाद आदि कर रहे थे। चितरंजन दास का प्रस्ताव 860 के विरुद्ध 1740 मतों से गिर गया। चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर को लेकर कांग्रेस के अन्दर ही एक अन्य दल ''स्वराज पार्टी'' की स्थापना कर दी।

इस दल ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया। मध्य प्रान्त में इस दल ने बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में भी इसे दूसरा स्थान मिला। परन्तु संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल में इसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। केन्द्रीय विधान परिषद् में इन्होंने 101 जगहों में से 42 जगह प्राप्त कीं। सरकार के समक्ष स्वराजियों ने माँग रखी कि सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय, क्रूर कानूनों को निरस्त किया जाय तथा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान कर परिषदों द्वारा सरकार चलायी जाय। इसके लिए इन्होंने गोलमेज सभा आयोजित करने की माँग रखी।

फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिये गये। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराजवादियों के चुनाव लड़ने के निर्णय को अपना समर्थन दे दिया। परिवर्तन विरोधियों के अनुसार स्वराजवादियों के समक्ष यह गांधी का आत्मसमर्पण था। 16 जून 1925 को चितरंजन दास की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू स्वराजवादियों के एकमात्र नेता बन गये। परन्तु मदनमोहन मालवीय से उत्पन्न उनके मतभेद ने स्वराजवादियों को विभाजित कर दिया। मालवीय ने जयकर तथा लाजपत राय के साथ मिलकर ''नेशनलिस्ट पार्टी'' के नाम से एक नयी पार्टी बना ली। 1926 के चुनावों में इसे संयुक्त प्रान्त में काफी सीटें प्राप्त हुईं और स्वराजवादी पूरी तरह टूट गये। मोतीलाल नेहरू के अनुसार मालवीय-लाला गैंग कांग्रेस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था और उसे बिड़ला की धनशक्ति का भी सहयोग प्राप्त था।

अक्टूबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की उपलब्धियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस ने आयोग के विरोध का निर्णय कर लिया। फरवरी 1928 में यह आयोग मुम्बई पहुँचा। हर नगर में ''साइमन वापस जाओ'' के नारे गूँजने लगे। एक बार फिर से असहयोग का वातावरण जीवन्त हो उठा। कांग्रेस ने मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया तथा इसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के साथ-साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करना था। 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध इस प्रारूप में अधिराज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज को आधार बनाया गया था।

अगस्त में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया। 'नेहरू रिपोर्ट' के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा, न बहस में हिस्सा ही लिया। जवाहरलाल तथा सुभाष चन्द्र बोस ने ''इंडिपेन्डेन्स फॉर इंडिया लीग'' की स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अनेक युवकों, मजदूरों तथा कृषक संगठनों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सोवियत क्रान्ति की सफलता से उत्साहित तथा मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों से चमत्कृत नेहरू इस विद्रोही युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। उनके नेतृत्व में इस समूह ने नेहरू रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। अपने पिता के निर्देशों पर जिस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा था उसी को जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट हिन्दू सम्प्रदायवादियों

की जीत के समान है न कि प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की। खिलाफत आन्दोलन के समापन तथा उसके बाद प्रारम्भ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण अली बन्धु का मोह भी अब कांग्रेस से पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मोतीलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि जिन्ना उनकी रिपोर्ट का समर्थन कर दें, परन्तु जिन्ना उनके पुत्र नहीं थे जो अपने पिता की भाँति तत्परता से विचार परिवर्तन कर दिया करते थे। मोतीलाल नेहरू तथा हिन्दू महासभा के उनके समर्थकों ने जिन्ना की इस माँग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के पंजाब आगमन के विरोध में एक बहिष्कार जुलूस का आयोजन लाहौर में किया गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 64 वर्षीय लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गये कि कुछ सप्ताहों बाद हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके असामयिक मृत्यु से पूरा देश शोकग्रस्त व क्रोध से भर उठा।

नवम्बर के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग को लखनऊ आना था। उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह भी होना था जिसमें आयोग के समारोह में बहिष्कार करने की अपील की। लखनऊ में आयोजित आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर किये गये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी जवाहरलाल ने किया। यहाँ भी उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस की लाठियाँ खाने के बाद नेहरू की राजनीतिक प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गये।

दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में बोस ने रिपोर्ट में संशोधन पेश कर कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता करने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने इसका समर्थन किया। परन्तु गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह समझौतापरक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1929 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान किया गया तो कांग्रेस असहयोग आन्दोलन तथा करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी। इस एक वर्ष में सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन तक नहीं प्राप्त हो सका। इसी बीच 28 दिसम्बर 1926 को लखनऊ में ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अन्ततोगत्वा दिसम्बर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया तथा नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। 31 दिसम्बर की आधी रात को प्रतिनिधियों ने पण्डाल से बाहर निकलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया। एक बार फिर पूरा देश गांधी की तरफ देखने लगा था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन और संयुक्त प्रान्त

सन् 1917 से 1921 के मध्य का काल भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की तैयारी का समय था। 1917 की सोवियत क्रान्ति तथा मानवेन्द्रनाथ राय, अवनिनाथ मुखर्जी, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व भूपेन्द्रनाथ दत्त के प्रयासों से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कानपुर के ''प्रताप'' तथा ''प्रभु'' नामक अखबार बोल्सेविज्म के प्रचार में जोर-शोर से लगे थे। सितम्बर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी थी। इस दल ने यह घोषणा की कि इसका कोई भी सम्बन्ध कामिनतर्न तथा विदेशों में सक्रिय क्रान्तिकारी दलों से नहीं है। इस दल का पहला सम्मेलन दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की। पार्टी के दूसरे अधिवेशन तक इसमें कामिनतर्न के साथ सम्बन्धों के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो चुका था। कलकत्ता के इस अधिवेशन में सत्यभक्त ने यह घोषणा की कि पार्टी अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखेगी। परन्तु प्रतिनिधियों का बहुमत इसके विरुद्ध था फलस्वरूप सत्यभक्त ने त्यागपत्र देकर ''राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी। इसके विपरीत

''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' ने अपना लक्ष्य क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना तथा साम्राज्य विरोधी नीति को बनाया।

संयुक्त प्रान्त में गांधी का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ तथा लखनऊ के आस-पास के जिलों में किसानों के बीच एक जनान्दोलन चल रहा था। ''एका'' आन्दोलन नामक इस जनान्दोलन का नेतृत्व किसान मदारी पासी कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के बीच साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे। यह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाये रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे। सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसी दौर के प्रारम्भ में गांधी के असहयोग आन्दोलन ने अवध के किसानों तथा शहरी निम्न मध्यम वर्ग के नवयुवकों को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु चौरीचौरा काण्ड के बाद जब गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो इन निराश निम्न मध्यमवर्गीय युवाओं को क्रान्तिकारी सैन्यवाद ने अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगीं।

संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की सुप्रसिद्ध घटना। इस घटना के तत्काल बाद पूरे संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गयी। इसके अभियुक्तों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा रोशन सिंह को फाँसी की सजा हुई तथा रामप्रसाद खत्री, मन्मथनाथ गुप्त सहित अनेकों क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास की सजायें सुनायी गयीं। क्रान्तिकारियों की तरफ से इस मुकदमे को बिना फीस लिये लड़ने के लिए जब कोई बड़ा वकील नहीं तैयार हुआ, तब चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाएँ अर्पित कीं। बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने।

गिरफ्तारी से बचे क्रान्तिकारियों ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में एक गुप्त बैठक आयोजित की। इनका उद्देश्य बिखर चुके क्रान्तिकारियों को पुनः संगठित करना था। इस ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त प्रान्त का प्रतिनिधित्व शिववर्मा, जयदेव कपूर, सुरेन्द्र पाण्डे तथा विजय कुमार सिन्हा ने किया था। अन्य प्रतिनिधियों में पंजाब से सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजस्थान से कुन्दन लाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष व मनमोहन बनर्जी ने हिस्सा लिया। बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ सका था। कोटला बैठक के समय एकत्रित क्रान्तिकारी संयुक्त प्रान्त व पंजाब के दो समूहों में विभाजित थे। इन दोनों समूहों ने एक सामूहिक नेतृत्व में कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह का नाम ''हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन'' (एच.एस.आर.ए.) रखा गया तथा चन्द्रशेखर आजाद को इस संगठन का सेनापति चुना गया। एक केन्द्रीय समिति का निर्वाचन भी किया गया जिसमें पंजाब से भगत सिंह व सुखदेव, संयुक्त प्रान्त से शिव वर्मा व विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान से कुन्दनलाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष चुने गये। संगठन का मुख्यालय आगरा को बनाया गया तथा नीतिगत रूप से यह स्वीकार किया गया कि धन एकत्रित करने के लिए आम नागरिकों के यहाँ डकैतियाँ नहीं डाली जाएंगी।

साइमन आयोग के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ बरसायी थीं और जिसके कारण उनका देहावसान हो गया था, उसे एच.एस.आर.ए. ने एक राष्ट्रीय अपमान माना तथा उसका बदला लेने का निर्णय लिया। 19 दिसम्बर, 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर इस अपमान का बदला लिया। इस क्रान्तिकारी कार्य में भगत सिंह के साथ चन्द्रशेखर आजाद व राजगुरु आदि भी शामिल थे। साण्डर्स की हत्या के बाद एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने

गुप्त रूप से लाहौर में स्थान-स्थान पर इस आशय का हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया जिसमें उस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात घोषित की गयी थी। यह पोस्टर एच.एस.आर.ए. के सेनापति की तरफ से जारी किया गया था।

भारत में क्रान्ति के लिए आवश्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने का ध्येय बनाकर इन क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियों का स्वरूप बदलने का निर्णय किया। गुप्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा अब इन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का विचार बनाया। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल में बम फेंक कर भारत की सोयी जनता को जगाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली गयी। हालांकि, इस मिशन पर भगत सिंह को भेजने के पक्ष में कोई नहीं था क्योंकि यह सभी को पता था कि उनको भेजने का अर्थ उन्हें मौत के मुँह में भेजने के समान था। साण्डर्स हत्याकाण्ड में पुलिस को उनकी तलाश थी। उनके पकड़े जाने का अर्थ उन्हें फाँसी के तख्ते पर भेजने जैसा ही था। परन्तु भगत सिंह का मानना था कि पकड़े जाने पर क्रान्तिकारियों के पक्ष को उनसे बेहतर अन्य कोई नहीं रख सकता था। मजबूर होकर संगठन ने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली। 9 अप्रैल 1926 को इन दोनों क्रान्तिकारियों ने केन्द्रीय विधान मंडल में बम फेंक दिया। यह बम ''श्रमिक विवाद प्रस्ताव'' तथा ''जन सुरक्षा संशोधन प्रस्ताव'' की घोषणा के विरुद्ध फेंका गया था। बम के साथ-साथ इन दोनों ने पर्चे भी फेंके तथा नारे भी लगाये। भागना संभव होने पर भी इन दोनों ने गिरफ्तार हो जाना उचित समझा जो उनकी पूर्व निर्धारित नीतियों का ही एक अंग था।

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस मिशन में सहयोग हेतु जिन दो अन्य क्रान्तिकारियों को चुना गया था वे दोनों संयुक्त प्रान्त के थे। इन दोनों को विधान मंडल के बाहर तक पहुँचाने का कार्य शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने किया था। इसके तत्काल पश्चात् शिव वर्मा भगत सिंह का एक फोटोग्राफ तथा सुखदेव के नाम पर एक पत्र लेकर लाहौर चले गये। वह फोटोग्राफ 7 अप्रैल की शाम को ही लाहौर प्रेस को सौंप दिया गया था, जिसने 8 अप्रैल के बम काण्ड के बाद इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था।

भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों पर बम फेंकने और भगत सिंह पर साण्डर्स की हत्या का मुकदमा कायम किया गया। पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी का दौर प्रारम्भ हो गया। शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ''द्वितीय लाहौर षड्यंत्र मुकदमे'' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध इस मुकदमे में इन चारों के अतिरिक्त सुखदेव, राजगुरु, डॉ. गया प्रसाद कटियार, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल तथा कुन्दनलाल आदि भी अभियुक्त थे। चन्द्रशेखर आजाद अन्त तक नहीं पकड़े गये। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह एक पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी दे दी गयी। शेष सभी उपरोक्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इस मुकदमे के दौरान क्रान्तिकारियों ने अपने बयानों से पूरे देश की सहानुभूति व समर्थन अर्जित करने में सफलता पा ली थी।

इस समय तक भारत में गांधीवादी आन्दोलन का दूसरा दौर आरम्भ हो चुका था। क्रान्तिकारी संगठनों की गतिविधियों में जो ठहराव अब आया वह गांधीवादी राष्ट्रवाद के दूसरे दौर के कारण फिर अपनी पुरानी तीव्रता नहीं पा सका। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बहादुर क्रान्तिकारियों के साहसिक कारनामों ने जनचेतना को आन्दोलित कर दिया था।

नमक आन्दोलन

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। गांधी ने वायसराय इरविन के सामने एक 11 सूत्री माँगपत्र रखा। इरविन से निराश होने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा

आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ कुल 78 सत्याग्रही थे। 24 दिन में 200 मील की यह महान यात्रा पूरी कर वह 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। नियत समय पर डांडी तट से नमक उठाकर उन्होंने सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के नमक कानून को तोड़कर उसे खुली चुनौती दे डाली। इस अवसर पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर वहाँ उपस्थित थे। केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इन 24 दिनों तक गांधी पर टिकी रही थी। गांधी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन होते ही पूरे देश में बिजली सी कौंध गयी। लोग स्थान-स्थान पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ने लगे। गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह ने एक क्रान्तिकारी रूप धारण कर लिया। पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई को गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

25 जनवरी 1931 को गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता रिहा कर दिये गये। 4 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हो गया। तत्पश्चात् 31 मार्च को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कटुतापूर्ण माहौल में करांची में प्रारम्भ हुआ। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फाँसी के केवल 6 दिन बाद प्रारम्भ होने वाले इस सम्मेलन में गांधी का स्वागत गांधी विरोधी नारों के साथ किया गया। जो भी हो, इस अधिवेशन ने गांधी-इरविन सन्धि पर अपनी मोहर लगा दी। करांची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना था। 17 अप्रैल 1931 को इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का पद लिया। 29 अगस्त को गांधी लन्दन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हो गये। इसी मध्य जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था। इस समय तक नेहरू के सहयोगी के रूप में जयप्रकाश नारायण और लालबहादुर शास्त्री नेहरू के साथ जुड़ चुके थे। हालांकि, गांधी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने की हिदायत दे रखी थी तथा वल्लभभाई पटेल ने भी गांधी के भारत वापसी तक ऐसा करने से रोका था। गांधी के वापस लौटने के एक दिन पूर्व ही 26 दिसम्बर को ही वह गिरफ्तार किये जा चुके थे। गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन पूर्व वायसराय को आन्दोलन प्रारम्भ करने की मजबूरी से अवगत करा दिया था। इस बार जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, उसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया। संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में करबन्दी का आन्दोलन चलाया गया। इसी प्रकार अन्य कई प्रान्तों में भी आन्दोलन प्रारम्भ हो गये।

ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी बीच साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की घोषणा कर दी। इस घोषणा में दलितों (अछूतों) के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी थी। इस घोषणा ने दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर पृथक् निर्वाचन का हकदार मान लिया था। यरवदा जेल में बंदी गांधी ने इसके विरुद्ध 20 सितम्बर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी परन्तु उन्होंने पृथक् निर्वाचन को मुद्दा नहीं बनाया। उनका कहना था कि सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी कट्टरता से बाज आएं। हिन्दू नेताओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, एम.सी. राजा, डॉ. अम्बेडकर, सर चिमनलाल सितलवाड, एन.एस. एनी, डॉ. मुंजे, पी. बालू, कुजरू व ए.वी. ठक्कर सहित लगभग सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर गांधी के जीवन की रक्षा करनी है तथा शीघ्रातिशीघ्र अस्पृश्यता के धब्बे को मिटा देना है। मंगलवार 20 सितम्बर को गांधी ने अपना अनशन प्रारम्भ किया। गांधी हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन के क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्रों में ही अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग कर रहे थे। इस बार के अनशन में गांधी की हालत बहुत शीघ्र ही तेजी से गिरने लगी थी। छह दिनों में ही उनकी हालत एक मरणासन्न व्यक्ति जैसी हो गई। हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गाँधी जी से विचार-विमर्श कर पृथक निर्वाचन मण्डल बनाए

जाने की माँग छोड़ दी। यह डॉ. अम्बेडकर का दलितों के मध्य बढ़ता प्रभाव ही था जिसमें सवर्ण हिन्दू नेताओं की अस्पृश्यता मिटाने का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। यरवदा जेल के अन्दर ही 24 सितम्बर 1932 को गांधी-अम्बेडकर समझौता हुआ और 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी देते हुए साम्प्रदायिक अधिग्रहण की घोषणा वापस ले ली। यह सूचना प्राप्त होने के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते के बाद गांधी ने हिन्दू समाज में छुआछूत की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए ''मन्दिर प्रवेश'' का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन के कारण सनातनी हिन्दू वर्ग गांधी से काफी नाराज हो गया। जेल से छूटने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गये तथा अछूतोद्धार जैसे सामाजिक कार्यों में लग गये। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी वापस ले लिया। वास्तव में गांधी कांग्रेस के अन्दर बन चुके वाम व दक्षिणपन्थी गुटों की आपसी खींचतान से अत्यन्त खिन्न हो चुके थे। अक्टूबर 1934 में तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने तक की घोषणा कर दी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

पूरी दुनिया में इस समय समाजवाद का दौर चल रहा था। 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रभाव यूरोप सहित उपनिवेशवाद से ग्रसित समस्त देशों में युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कांग्रेस भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची थी। इस समय नेहरू भी समाजवाद के रोमांस से आप्लावित थे। फरवरी 1927 में वे ब्रूसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय दमित राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन भी कर चुके थे। अपने क्रान्तिकारी व वामपंथी विचारों के कारण वह कांग्रेस के अन्दर समाजवाद से प्रभावित युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। इस बीच जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। इसका उद्देश्य भारत में एक ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना था जिसमें निजी सम्पत्ति के लिए न कोई स्थान था न भूमि व पूँजी पर व्यक्ति के स्वामित्व का। इसी तर्ज पर संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने और युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बाम्बे में समाजवादी दलों की स्थापना कर ली थी। 1933 में नासिक जेल में बन्द कांग्रेस के अनेक युवा समाजवादियों ने कांग्रेस के अन्दर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार किया। इस विचार को प्रारम्भ करने वालों में प्रमुख थे– जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दाँतवाला। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस में एक पर्चा लिखा। भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुके पूँजीवादी और सामन्तवादी तत्वों को चुनौती देने के लिए आवश्यक था। इसमें यह बात भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी कि जब कभी भी समाजवादियों के हाथ में सत्ता आयेगी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तथा उद्योगों, बैंकों व भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 1934 में कांग्रेस के एक समूह के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन करने के बाद कांग्रेस के समाजवादियों ने एक अलग दल बनाने का मन बना लिया। 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में आचार्य जी ने कांग्रेस के अन्दर नये स्वराजवादी दल के स्थापना की आलोचना करते हुए कांग्रेस समाजवादी दल की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। इस दल के सचिव की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रान्तों में भी इसके प्रचार के लिए देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया।

कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1934 को सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ इसमें 13 प्रान्तों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी

में जयप्रकाश नारायण (मुख्य सचिव), एम.आर. मसानी, मोहनलाल गौतम, एन.जी गोरे तथा ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद (सहायक सचिव) तथा आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तमदास, त्रिकमदास, पी.वी. देशपाण्डे, राममनोहर लोहिया, एम.एम. जोशी, अमरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, चार्ल्स मस्करिनास, नवकृष्ण चौधरी तथा अच्युत पटवर्धन (सदस्य) निर्वाचित किये गये। इस सम्मेलन में दल का संविधान तथा कार्यक्रम भी तय किया गया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का समर्थन किया परन्तु दोनों में से किसी ने भी इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की। कांग्रेस के दक्षिणपन्थी गुट ने इसका जमकर विरोध किया। वल्लभभाई पटेल ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया।

कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के प्रति कृषकों, मजदूरों व छात्रों का आकर्षण तेजी से बढ़ने लगा। प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द आदि के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी। इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही कांग्रेस स्पष्ट रूप से वामपंथी व दक्षिणपंथी गुटों में लामबन्द होने लगी। वामपंथियों का नेतृत्व यदि नेहरू कर रहे थे तो दक्षिणपंथियों का पटेल। गांधी यद्यपि समाजवादियों के मार्क्सवादी और लेनिनवादी रुझान के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे परन्तु वह दक्षिणपंथियों के साथ भी नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे देना ही उचित समझा था।

इसी बीच 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। यद्यपि कांग्रेस ने सर्व सम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया था परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट इसके अन्तर्गत पदों को स्वीकार करने का मन बना बैठा था। जबकि समाजवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का वामपंथी गुट इस अधिनियम के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने तक की बात कर रहा था। कांग्रेस के इसी गुटबंदी के दौर में इसका वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन ने यद्यपि 1935 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की परन्तु इसके अन्तर्गत चुनावों में हिस्सा लेने की बात को भी इसने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के अन्दर समाजवादियों की यह एक करारी हार थी।

1937 का प्रान्तीय मंत्रिमंडल

कांग्रेस का 50वाँ वार्षिक अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1936 को फैजपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसमें कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। चुनाव प्रचार लखनऊ के सम्मेलन के बाद ही प्रारम्भ हो गया था। उन चुनावी सभाओं में नेहरू को सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए अगर भीड़ जुटती थी। राजतंत्र की मानसिकता से ग्रस्त, भारत की निर्धन एवं अनपढ़ जनता, खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक नेहरू में अपने भावी शासक के दर्शन के लिए उमड़ रही थी, न कि उनके वैज्ञानिक समाजवाद से ओत-प्रोत भाषणों को सुनने के लिए, जिसे समझने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। जो भी हो, जनवरी 1937 में सम्पन्न प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता हाथ लगी। सभी प्रान्तों के कुल 1585 स्थानों में से 714 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। संयुक्त प्रान्त के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। इन 228 स्थानों में 64 मुस्लिम और 164 सामान्य (24 विशेष) स्थान थे।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी संवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानों में शामिल गर्वनर के अपार अधिकारों का विरोध कर रही कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल

को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया। संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मंत्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए राजी कर लिया।

संयुक्त प्रान्त में चुनाव के पूर्व से ही इस प्रकार की संभावना बनने लगी थी कि यहाँ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकार बन सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था परन्तु चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के गठबन्धन की संभावना को पूरी तरह नकार दिया। यद्यपि संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभी भी मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन के पक्षधर थे परन्तु जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिकजुमा 12 मई 1937 को नेहरू से मिलने प्रयागराज भी गए। नेहरू ने भारत के हिन्दू-मुस्लिम समस्या के पीछे चन्द पढ़े-लिखे सामन्ती मुसलमानों का हाथ बताते हुए मुसलमानों के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता को पूरी तरह नकार दिया था। इसी बीच झांसी से निर्वाचित के.बी. हबीबुल्ला की मृत्यु के बाद वहाँ जून 1937 में जो उपचुनाव हुआ उसमें जमातुल उलेमा के विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग का प्रत्याशी विजयी हो गया। इस समय तक जमात तथा कांग्रेस में समझौता हो चुका था। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दूरी और अधिक बढ़ गयी।

22 जून को गवर्नर जनरल द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद 5 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में सम्पन्न हुई जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। इस बैठक में जाते समय गोविन्दवल्लभ पंत ने लखनऊ में रुककर चौधरी खलिकजुमाँ से मुलाकात की तथा यह पूछा कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबन्धन सरकार बनती है तो वह कैबिनेट में कितने स्थान का दावा करेंगे। चौधरी ने जवाब दिया 9 में 3 या 6 में 2 अर्थात् कुल संख्या का एक तिहाई। वर्धा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मौलाना आजाद लखनऊ आए और 12 जुलाई को चौधरी खलिकजुमाँ से मिले। उन्होंने चौधरी से गठबन्धन सरकार में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य के बारे में बात की। चौधरी ने बताया कि वह नवाब इस्माइल खाँ होंगे। 15 जुलाई को मौलाना और गोविन्दवल्लभ पन्त दोनों चौधरी से मिले। उन्होंने चौधरी से इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने को कहा जिसमें यह लिखा था कि संयुक्त प्रान्त विधान सभा में मुस्लिम लीग एक अलग गुट के रूप में कार्य नहीं करेगा। चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य पड़े इस दरार ने आगे चलकर एक विकराल रूप ले लिया जिसका परिणाम बाद में भारत विभाजन के रूप में सामने आया।

अन्त में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में अकेले ही सरकार बनायी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा तथा मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। लक्ष्मीनारायण को संसदीय सचिव बनाया गया। इस प्रकार संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस की सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक (27 फरवरी से 1 मार्च 1937) में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के लिए एक चौदह सूत्री कार्य आचार संहिता का निर्माण किया था। इसके साथ ही गांधी 'हरिजन' में अपने वक्तव्यों के द्वारा समय-समय पर इन्हें निर्देश दिया करते थे।

कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला उत्तरदायित्व 1935 के अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना था जिसके अन्तर्गत स्वयं इन सरकारों की स्थापना हुई थी। संयुक्त प्रान्त में यह प्रस्ताव स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2 सितम्बर 1937 को विधानसभा में रखा। 2 अक्टूबर को इस विषय पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री पन्त ने सभी संशोधनों का जवाब दिया जिसमें एक संशोधन मुस्लिम लीग ने भी रखा था। यह प्रस्ताव अपने मूल रूप में ही उसी दिन पारित हो गया। 29-31 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सभी कांग्रेस प्रान्तों में 1935 के अधिनियम में

प्रस्तावित संघीय योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसी प्रस्ताव के अनुरूप संयुक्त प्रान्त में भी 20 जनवरी 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया गया।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में राजनैतिक बन्दियों की रिहाई प्रारम्भ करने की बात सोची गई परन्तु इस प्रश्न को लेकर संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में समस्या उत्पन्न हो गई। फरवरी 1938 तक संयुक्त प्रान्त में अभी भी 15 राजनैतिक बन्दियों का मामला विचाराधीन था। इन दोनों प्रान्तों के राज्यपाल इनकी रिहाई के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रान्त की शान्ति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1935 के अधिनियम की धारा 126 (5) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने भी उन राज्यपालों को यह निर्देश दे दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे आत्मसमर्पण न करें। परन्तु इन दोनों प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों ने सभी बन्दियों को एक साथ रिहा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जिसे राज्यपालों ने नहीं माना और इन दोनों मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

यह संकट उस समय सामने आया जब 19-21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में कांग्रेस का 51वाँ अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस ने इन दोनों मंत्रिमंडलों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया। गांधी ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध एक वक्तव्य भी जारी किया। 22 फरवरी को गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति साफ करते हुए एक वक्तव्य जारी किया, जिसके बाद 23-24 फरवरी को संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस संकट के समझौतापरक उपायों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने मिलजुल कर एक स्वस्थ परम्परा निर्मित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार यह संकट किसी प्रकार टल सका। अन्त में मार्च 1938 तक सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये।

संयुक्त प्रान्त की इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा आगरा और अवध क्षेत्रों के भूमिधरी अधिकारों में समरूपता लाने का प्रयास किया गया। इस सरकार ने प्रान्त में कुटीर उद्योगों के विकास की नींव रखने के लिए भी कुछ कदम उठाये। गांधी के घोषित आदेशों के अनुरूप प्रान्त में मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को एटा व मैनपुरी जिलों को चुना गया। इसके साथ ही साथ जौनपुर, बिजनौर, प्रयागराज तथा लखनऊ में आबकारी दूकानों को सीधे आबकारी विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। हालांकि मद्य निषेध की यह नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले चन्द प्रयास भी सफल न हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अवश्य किया कि काशी विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया की उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करा दिया।

1937 से 1939 के मध्य कांग्रेस प्रशासन के दौरान हरिपुरा (गुजरात) तथा त्रिपुरी (मध्य प्रान्त) में कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन हुए। 19 से 21 फरवरी 1938 को सम्पन्न हरिपुरा के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी। मार्च 1939 में होने वाले अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आया। कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट सुभाष चन्द्र बोस के पुनर्निर्वाचन का विरोधी था। इस गुट ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया था। जबकि स्वयं बोस इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का विरोधी हो। अपने पुनर्निर्वाचन का विरोध होने पर उन्होंने इस पद के लिए आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भी सुझाया था। परन्तु नेहरू ने अपनी तरफ से मौलाना आजाद का नाम गांधी को सुझा दिया था। बाद में जब मौलाना ने अपना नाम वापस ले लिया तो बोस व पट्टाभि सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ। 29 जनवरी 1939 के इस चुनाव में बोस को 1850 तथा पट्टाभि सीतारमैया को 1277 मत प्राप्त हुए। बोस के पुर्ननिर्वाचित होने के बाद कार्यसमिति के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। नेहरू ने अपना त्यागपत्र अलग से दिया। 10 मार्च 1939 को त्रिपुरा में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। गांधी राजकोट के आन्दोलन में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं आ सके थे।

अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस स्वयं बीमार थे। ऐसे में गांधी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तथा बिना उन्हें बताए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बोस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव गांधी की इच्छानुसार ही करें। इस प्रस्ताव ने ही बोस द्वारा कांग्रेस को त्यागने की भूमिका लिखी। यह प्रस्ताव संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री पन्त ने रखा था। बोस अपनी कार्यसमिति का चुनाव करने में असमर्थ रहे क्योंकि गांधी ने उन पर अपनी राय लादने से मना कर दिया था। फलस्वरूप बोस के पास त्यागपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा था।

1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में युद्ध प्रारम्भ होते ही वायसराय लिनलिथगो ने एक उद्घोषणा में भारत को भी इसमें शामिल कर लिया। इस घोषणा के पूर्व उन्होंने किसी भी राजनैतिक दल से कोई सलाह तक नहीं ली थी। 5 सितम्बर को वायसराय ने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मित्र राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी परन्तु कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने फासीवाद तथा नात्सीवाद की भर्त्सना तो की लेकिन साथ में यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ''युद्ध के उद्देश्यों'' को स्पष्ट करे। ब्रिटिश सरकार ने 17 अक्टूबर के अपने श्वेत पत्र में एक ''परामर्शदायी गुट'' की स्थापना तथा भविष्य में कभी ''औपनिवेशिक दर्जा'' देने की बात कही। साथ ही साथ 1935 के संविधान को निरस्त कर दिया गया। भारत में एक व्यक्ति का शासन लागू हो गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने 29 अक्टूबर को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सभी आठों सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इन विधानसभाओं को भंग नहीं किया क्योंकि वह इस अवसर पर चुनाव का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने उन्हें सिर्फ मुअत्तल कर दिया तथा समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा बलिया की अस्थायी सरकार

इस यूरोपीय युद्ध ने शीघ्र ही विश्वयुद्ध का रूप ले लिया। यूरोप में जर्मनी का विजय अभियान जारी था। लंदन स्वयं नाजी बमवर्षकों के निशाने पर आ चुका था। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का नस्लवादी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। मित्र राष्ट्र हर मोर्चे पर पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। ऐसे में नेहरू सहित पूरे कांग्रेस में सहयोग विरोधी अभियान तेज होता जा रहा था। उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की अहिंसा इस युद्ध में किसी भी प्रकार के भौतिक सहयोग के विरुद्ध थी। उनका अन्तःकरण धीरे-धीरे एक स्वरूप ग्रहण करने लगा था। अभी तक वह सहयोग के विरुद्ध नहीं थे परन्तु अचानक वह पूरी तरह से युद्ध में सहयोग को हिंसा मानने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तक तोड़ लिया। कांग्रेस के एक गुट ने एक और प्रयास किया और सरकार के समक्ष राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। राजगोपालाचारी का यह फार्मूला राष्ट्रीय स्वाभिमान के बिल्कुल विरुद्ध था परन्तु इसी बहाने नाजीवाद से लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाने की उम्मीद में नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जेटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत के सचिव बन चुके थे। सरकार ने कांग्रेस के इस फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया।

एक बार फिर कांग्रेस के सामने गांधी के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गांधी को पुनः कांग्रेस का निर्विरोध नेता मान लिया और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे कांग्रेस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। बोस ने जेल में ही अनशन प्रारम्भ कर दिया। उन्हें जेल से निकालकर घर में ही नजरबन्द कर दिया गया, तभी जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद भारत के साम्यवादी नाजीवाद और फासीवाद के सबसे बड़े विरोधी बन गये। इसी माह सुभाष बाबू अंग्रेजों के अजेय चक्रव्यूह को चकमा देकर काबुल के रास्ते देश के बाहर निकल गये। उनका उद्देश्य किसी प्रकार जर्मनी तथा जापान का सहयोग प्राप्त कर भारत को आजाद कराना था। सुभाष बाबू का

पलायन अपने समय का सबसे बड़ा धमाका था। देखते-ही-देखते वह देश के सर्वाधिक चर्चित नेता हो गये। दिसम्बर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ ही इस युद्ध ने एशिया में भी प्रवेश किया। युद्ध सीमाओं के निकट आता जा रहा था। इस अवसर पर अप्रैल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत भेजा। परन्तु इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिप्स के जाने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रयागराज में हुई। इसमें मीरा बेन द्वारा प्रस्तुत गांधी के प्रस्ताव ने सभी को सकते में डाल दिया। इस प्रस्ताव में गांधी ने स्पष्ट किया था कि जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। वह भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो इसलिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे तो स्वयं भारत की अस्थायी सरकार, अपनी पूरी ताकत से, अपनी रक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगी। इस प्रस्ताव को वर्धा में अन्तिम रूप दिया गया। यही प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव के रूप में बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी ने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' तथा ''करो या मरो'' का नारा दिया। गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसकी असली कीमत जनता को ही चुकानी होगी। युद्ध की उस भयंकरता में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हिंसा के उस तांडव से मुक्ति का एक अवसर अभी शेष बचा था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान संभवतः आक्रमण न करे। इस एक अवसर का उपयोग करने के लिए ही उन्होंने ''करो या मरो'' का नारा देते हुए बताया कि कुछ न करने का अर्थ सिर्फ मौत है चाहे वह जापानियों के हाथ से आये या अंग्रेजों के। गांधी ने इस प्रकार दुविधा की इस अभूतपूर्व स्थिति में भी अहिंसा का मार्ग तलाश ही लिया। वास्तव में गांधी प्रारम्भ से ही इसी अहिंसा की बात कर रहे थे जो कायरों की नहीं बहादुरों की अहिंसा थी।

अगले ही दिन सुबह गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया किसी तरह बच निकले और भूमिगत हो गये। पूरा भारत करो या मरो के नारे से गूँजने लगा। नेताओं की अनुपस्थिति में स्थानीय लोगों, विशेषकर छात्रों ने आन्दोलन की कमान थाम ली थी। यूँ तो देश का हर प्रान्त आन्दोलित हो चुका था लेकिन कुछ जिलों में तो आन्दोलनकारियों ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को ही समाप्त कर अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी थी। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा तथा बंगाल के तुमलुक आदि ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रिटिश सेना को इन्हें पुनः विजित करना पड़ा।

बम्बई में गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही 10 अगस्त को बलिया नगर में हड़ताल हो गई। सभी स्कूल-कॉलेज बन्द हो गये। 11 अगस्त को लगभग 15000 लोगों के एक जुलूस ने बलिया कचहरी की तरफ कूच कर दिया। इस जुलूस पर हुए पुलिस हमले ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया। 13 से 16 अगस्त के बीच अनेकों रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया। 16 अगस्त को बलिया जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया तथा कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इस सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद 20 अगस्त को हनुमानगंज कोठी में एक सार्वजनिक बैठक की। आम लोगों ने सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये एकत्रित किये तथा सरकारी अधिकारियों को पुलिस लाइन में बन्द कर दिया गया। इस नयी सरकार को जनता का अपार नैतिक समर्थन प्राप्त था। इस नैतिक सत्ता के आधार पर ही इस सरकार ने एक जाँच कमेटी का गठन कर लोगों से यह अपील की कि सभी प्रकार की लूटी हुई सम्पत्ति सरकार को वापस कर दें। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब यह देखा गया कि लोगों ने न केवल अपनी भूलों को स्वीकार किया बल्कि लूटी गयी सम्पत्ति भी वापस कर दी। रेवती क्षेत्र की एक विधवा ने इस सरकार से अपील की कि उसके रु. 3000/- मूल्य के जेवरात लूट लिये गये हैं तथा पुलिस चोरों का पता नहीं लगा सकी है। नयी सरकार ने न केवल इस लूट का पता लगा लिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस दिला दिये। यह नयी सरकार कुछ ही दिन चल सकी लेकिन इस बीच न किसी

सरकारी अधिकारी की सम्पत्ति लूटी गई न किसी के साथ दुर्व्यवहार ही किया गया। इस समय सरकारी खजाने में डेढ़ लाख रुपये जमा थे परन्तु किसी ने भी इस पैसे के अवैधानिक उपयोग की बात सोची भी नहीं।

22 अगस्त से बलिया पर अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हो गया। विद्रोहियों के घरों को लूट लिया गया और सैकड़ों घरों को जला दिया गया। आम जनता पर 12 लाख का आम जुर्माना लगाया गया परन्तु 29 लाख से अधिक की वसूली की गई। 17 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिसमें 46 से अधिक लोगों की जान चली गयी। 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधिकांश को 5 से 7 वर्ष की सजायें सुनायी गईं। बलिया पर सेना की सहायता से पुनः अधिकार कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह सूचित किया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया।

सरकार की दमन नीति के विरुद्ध गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। इस उपवास में गांधी की हालत अत्यन्त खराब हो गई थी परन्तु उन्होंने 3 मार्च को 21 दिन पूरे होने पर ही उपवास तोड़ा। जनता और सरकार दोनों ने राहत की साँस ली। इस समय पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया जा चुका था। पुलिस का दमन बढ़ने के बाद अब गुप्त रूप से चलने वाले इस आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी करने लगे थे। यह आन्दोलन ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी फैल चुका था। 1857, 1920 और 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह चौथा महान विस्फोट था।

1943 के अन्त तक भारत छोड़ो आन्दोलन पूरी तरह बिखर चुका था। चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया था। इस वर्ष बंगाल में अकाल से होने वाली 40,000 लोगों की मौत ने निराशा के इस माहौल को और अधिक धूमिल कर दिया था। तभी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँच चुके नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर लोगों में एक नयी जान फूँक दी। यहीं पर उन्होंने ''दिल्ली चलो'' का नारा भी दिया। दिसम्बर 1943 में उन्होंने अण्डमान पहुँचकर इस द्वीप का नाम शहीद व स्वराज रख दिया। एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई। इस समय तक मित्र राष्ट्रों को सभी मोर्चों पर विजय मिलनी प्रारम्भ हो गई थी।

15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धोपरान्त ब्रिटेन में मजदूर दल सत्ता में आ गया। प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीतियों की घोषणा कर दी। 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें शामिल होने की घोषणा मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर को कर दी। 24 मार्च 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। नये वायसराय ने अत्यन्त चतुराई से कांग्रेस और लीग की कटुता का लाभ उठाकर भारत विभाजन की नींव पक्की कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया लेकिन यह आजादी भारत विभाजन की कीमत पर प्राप्त हो सकी।

आजादी के इस पूरे संघर्ष काल में संयुक्त प्रान्त की जनता ने 1857 से लेकर आजादी तक बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 का संग्राम हो, क्रान्तिकारियों का गुप्त आन्दोलन हो या गांधी का सत्याग्रह, इस प्रान्त की जनता ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कांग्रेस के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू इसी प्रदेश के थे। आजादी के बाद भी, आज तक भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश ही करता रहा है।

ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल (विशिष्ट तथ्य)

- मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पाषाणकाल के औजार-हथियार मिले हैं।
- आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है।
- आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- शतपथ ब्राह्मण में कोशल (अवध) का उल्लेख प्राप्त होता है।
- प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था 'मध्य देश' कहलाता था।
- मध्य देश (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदि, वत्स, कुशीनगर के मल्ल, आदि महाजन पद स्थापित थे।
- कुरु महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था।
- पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थापित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी।
- शूरसेन महाजनपद मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।
- वत्स महाजनपद (प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कोसम (कौशाम्बी) थी।
- कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी।
- मल्ल महाजनपद (देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कुशीनगर (कसिया) तथा पावा (पडरौना) थी।
- काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी।
- चेदि महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती (बाँदा के समीप) थी।
- ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को 'पि-लो-शा-न' कहा है।
- अतरंजीखेड़ा में गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- अतरंजीखेड़ा उत्तर-वैदिक युग से सम्बद्ध स्थल स्वीकार किया गया है।
- अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- बौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था।
- जैन ग्रन्थों में उल्लिखित है कि आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी।
- रघुवंशी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी।
- अहिच्छत्र से ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
- अहिच्छत्र से 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के (200-300ई.) प्राप्त हुए हैं।
- अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।
- अहिच्छत्र से गुप्तकालीन 'यमुना' की एक मूर्ति प्राप्त हुई है।
- कालसी में संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो 300 ई. के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है।
- अहिच्छत्र से 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष प्राप्त हुए हैं।
- कुशीनगर में 483 ई.पू. में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।
- कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय (606-647 ई.) हुई थी।

- हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है जो तत्कालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है।
- अतरंजीखेड़ा से 1000 ई. पू. के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- प्राचीन काल में कन्नौज 'कान्यकुब्ज' के नाम से प्रसिद्ध था।
- कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं।
- कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों के समय प्रमुख नगर था।
- हर्षवर्द्धन के काल में कन्नौज 'नगरमहोदयश्री' कहलाता था।
- कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकाल तक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था।
- गुर्जर-प्रतिहारों ने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था।
- 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था।
- 1028 ई. में महमूद गजनवी ने मथुरा के मन्दिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी।
- मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था।
- बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास (स्थान) से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था।
- कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का केन्द्र स्थल था।
- महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित थे।
- काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था। जैन ग्रन्थों, बौद्ध जातक साहित्य व महाभारत में काम्पिल्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
- कुशीनगर की विस्तृत जानकारी, दिव्यावदान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से मिलती है।
- कुशीनगर मल्ल गणराजय की राजधानी थी।
- कुशीनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था।
- हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
- कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह वत्स महाजनपद की राजधानी था।
- कौशाम्बी को मघों ने राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरे शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक, आर्थिक महत्व प्रदान किया था।
- कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण से विशेष क्षति पहुँची थी।
- कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केन्द्र था।
- कालसी में अशोक का चौदहवाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है।
- काशी छठी शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में चर्चित महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी।
- काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
- महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी।
- एटा जिले के 'कंटिगरा' गाँव के टीलों से पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुप्तकाल, कुषाणकाल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड 'पेटेड ग्रेवियर' मिले हैं। इससे पूर्व इन

टीलों से राम-रावण युद्ध, बाली-सुग्रीव युद्ध तथा राम-सीता की मूर्तियाँ भी निकाली जा चुकी हैं।

- गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है।
- 1194 ई. में चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचन्द को पराजित किया था।
- देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। मन्दिरों में दशावतार मन्दिर बहुत उल्लेखनीय है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चन्देल शासकों के अभिलेख मिले हैं।
- प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है।
- गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, गहड़वाल शासकों ने प्रयाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
- हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था।
- बाँसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।
- हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज (कान्यकुब्ज) थी।
- गुप्तकालीन मन्दिरों में भीतरगाँव का मन्दिर छोटी-पकी ईंटों से निर्मित है, इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस मन्दिर की विशेषता शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इस मन्दिर की छत पिरामिडाकार है। मन्दिर की दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।
- महाजनपद युग में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
- मथुरा कृषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों के सिक्के बहुतायत से मिले हैं।
- समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित किया था।
- मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से सम्बद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था।
- मथुराशाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा श्वेताम्बर जैन मत का केन्द्र थी। मथुरा में बौद्धमत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव व विकास हुआ था। मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा 'मथुरा कला शैली' का प्रमुख केन्द्र लगभग 300 वर्षों तक बनी रही थी।
- भरतपुर राज्य की राजधानी 'मथुरा' थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी।
- राजघाट (वाराणसी के समीप) से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों का स्थल केन्द्र थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। श्रावस्ती के साहूकार अनाथपिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था।
- जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे।
- आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी।
- श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
- संकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था। बौद्ध परम्परा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इन्द्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आये थे।
- महात्मा बुद्ध ने संकिसा में स्त्रियों की प्रव्रज्या को संघ में अनुमति दी थी।

- भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी।
- संकिसा में स्कन्दगुप्त का एक सिक्का भी मिला है।
- सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपत्तन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के नाम से प्रसिद्ध था।
- सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था।
- मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तम्भ बनवाया था, स्वतन्त्र भारत का राजचिह्न इसी सिंह शीर्ष स्तम्भ को अपनाया गया है।
- सारनाथ की सिंह, शीर्ष स्तम्भ मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था।
- सारनाथ में गुप्तकालीन धमेख स्तूप निर्मित है; फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है।
- सोहगौरा से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा से मौर्योत्तर काल के सिक्के, कुषणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
- हस्तिनापुर से ऊपरी गंगाघाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। हस्तिनापुर से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं।
- हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी।
- मौर्योत्तर युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएँ, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएँ हस्तिनापुर के उत्खनन में मिली हैं।
- हड़प्पायुग से सम्बद्ध अवशेष हुलास से मिले हैं।
- हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्तयुग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चॉदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। हुलासखेड़ा से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में उत्कीर्ण मुहरें, हाथी दाँत की कंघी, मोहरछापे प्राप्त हुए हैं।

मध्यकाल (विशिष्ट तथ्य)

- मध्ययुग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था।
- मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
- अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था।
- जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था।
- शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा में 'ताजमहल' तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं।
- मुगलकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।
- मुगलकाल में आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में नील की खेती होती थी।
- यूरोपियन यात्री राल्फ फिच, वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।
- सल्तनतकाल व मुगलकाल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) समझा जाता था।
- सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था।
- 831 ई. में महोबा में चन्देलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी।
- कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न

किया था।

- 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था।
- 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- 1194 ई. में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचन्द को चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पराजित किया था।
- 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था।
- 1296 ई. में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी।
- कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी।
- जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी।
- भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।
- पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी ई. के पश्चात् कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था।
- 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था।
- 1492 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- आगरा की स्थापना सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई. में की थी।
- 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।
- 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी।
- मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
- 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी।
- दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् कालपी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था।
- राजा बीरबल कालपी से सम्बद्ध था। कालपी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल (कोल) पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था।
- सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- 5 जनवरी, 1659 ई. को औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी।
- पूर्व मध्यकाल में गढ़कुण्डार पर परमारों ने आधिपत्य स्थापित किया था।
- आठवीं शताब्दी ई. में चन्देलों ने गुढ़कुण्डार पर शासन स्थापित किया था।
- पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था।
- चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने गुढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था।

- पृथ्वीराज के सेनानायक खेतसिंह ने गुढ़कुण्डार में खंगार राज्य की स्थापना की थी।
- सुल्तान बलबन के समय गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था।
- चौदहवीं शताब्दी ई. में चुनार पर चन्देलों का शासन स्थापित था।
- मुगल सम्राट् बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी, परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की थी।
- तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई।
- साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था। अटांला मस्जिद शर्की स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्द' कहा जाता था।
- झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी।
- 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी।
- रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थीं, जिन्होंने 1857 ई. के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार करा कर भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी।
- झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग आज भी विद्यमान हैं।
- अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' (अब 'प्रयागराज') नाम दिया था। इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था।
- अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था।
- सलीम (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था।
- फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध हैं।
- दिल्ली सल्तनत काल में बदायूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी।
- सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का इक्तादार था।
- सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- बदायूँ व्यापारिक मार्ग (दिल्ली-लखनौती मार्ग) का प्रमुख केन्द्र स्थल था।
- प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का निवासी था।
- मथुरा सूरजमल जाट द्वारा भरतपुर राज्य की राजधानी के रूप में गौरवान्वित थी।
- चन्देलों का राज्य जेजाकभुक्ति (जुझौती) के नाम से चर्चित था।
- तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था।
- मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने मेरठ में एक किला निर्मित कराया था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था।

- फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था
- लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी
- नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी
- लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ई. में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था
- लखनऊ की चर्चित इमारते हैं- इमामबाड़ा, भूलभुलैय्या, छतरमंजिल
- लखनऊ कत्थक नृत्य का केन्द्र था
- सम्भल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था
- सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था
- सम्भल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था
- सिकन्दरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था जिसे 1613 ई. में सम्राट जहाँगीर ने पूर्ण कराया था
- 29 मई, 1658 ई. को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के हाथों हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था, मुराद को छल से बन्दी बना लिया था और अपने को बादशाह घोषित कर दिया था
- 10 मई, 1857 ई. को भारत मे महान् विद्रोह का विस्फोट मेरठ से हुआ था
- 1857 ई. के महान् विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था
- औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई) से 1757 ई. (प्लासी के युद्ध) तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे।
- मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था।
- दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड राज्य स्थापित था।
- फर्रुखाबाद के बंगश नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था।
- अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था।
- बुन्देलखण्ड पर मराठों का राज्य स्थापित था।
- 1773 ई. में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोहाब से निष्कासित कर दिया था।
- 1774 ई. में अंग्रजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर (कटरा) में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया था।
- 1775 ई. में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बना।
- आसफउद्दौला ने अंग्रेजों से सन्धि कर के बनारस (अब 'वाराणसी') का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था।
- बनारस ('वाराणसी') के राजा चेतसिंह ने 1780 ई. में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन माँगे

जाने का विरोध किया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेतसिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया। बनारस (अब 'वाराणसी') पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया।

- 1797 ई. में आसफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना, उसने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति वर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का वचन दिया।

आधुनिक काल (विशिष्ट तथ्य)

- अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' का ही अंग था।
- बंगाल प्रेसीडेन्सी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को 'पश्चिमी प्रान्त' भी कहते थे।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ-स्थल

- **अयोध्या** : जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितानाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनन्दनाथ एवं पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म-स्थल।
- **वाराणसी** : सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म-स्थल।
- **कौशाम्बी** : जनपद के ग्राम पभोसा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से सम्बन्धित स्थल।
- **श्रावस्ती** : तृतीय तीर्थंकर भगवान सम्भवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मन्दिर से सम्बन्धित।
- **देवगढ़** : 'देवताओं के किले' के रूप में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प-कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल।
- **महोबा** : 'गोखर पहाड़' पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात।
- **काकण्डी** : नवें तीर्थंकर भगवान सुविधानाथ का निवास-स्थल।

- आगरा प्रेसीडेन्सी बनने पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी से निकालकर आगरा प्रेसीडेन्सी में सम्मिलित कर दिया गया था।
- 1836 ई. में इस प्रदेश का नाम 'उत्तर-पश्चिम प्रान्त' (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया तथा मुख्यालय आगरा बनाया गया।
- 7 फरवरी, 1856 ई. को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था।
- अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में बारह जिले (लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद (अब अयोध्या), गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली) थे।
- 1857 ई. की विद्रोह (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम) की लड़ाई के पश्चात् 1858 ई. में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया था।
- 1858 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का मुख्यालय इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') बनाया गया था।
- 1868 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') स्थानान्तरित कर दिया गया था।
- 1877 ई. तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज')।

- 1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों (अवध व उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त) को ले. गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर ''आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त'' (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया था।
- ले. गवर्नर का पद इस एकीकृत प्रान्त (यूनाइटेट प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी।
- 1920 ई. के चुनावों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त आगरा-अवध (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) की सरकार इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी थी।
- 1921 ई. में लखनऊ में विधान परिषद् की स्थापना की गयी थी।
- 1935 ई. तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित किया गया था।
- 1937 ई. में यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध का नाम परिवर्तित कर 'संयुक्त प्रान्त' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) रख दिया गया था।
- उन्नीसवीं शताब्दी ई. के प्रारम्भ में इस प्रान्त में बनारस (अब 'वाराणसी') क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में स्थापित थे।
- 1808 ई. में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारण्टी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिये थे।
- 1809 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।
- 1803 ई. में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, आगरा पर अधिकार कर लिया था।
- 1836 ई. में इस प्रान्त का नाम उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त रखा गया था, उस समय इस प्रान्त में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।
- 1856 ई. में अवध इस प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था।
- 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् दिल्ली, पंजाब को; तराई के क्षेत्र नेपाल को; बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र रामपुर के नवाब को; सागर का क्षेत्र मध्य प्रान्त को दे दिया गया था।

1857 की क्रान्ति तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान

- 1857 ई. में उत्तरी भारत की जनता ने तथा जमींदारों, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान् विद्रोह कर दिया; यह एक स्व-स्फूर्त विद्रोह था, जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे (उत्तर प्रदेश निवासी) ने 21 मार्च, 1857 ई. को खुला विद्रोह कर अपने एडजुडेण्ट लेफ्टीनेण्ट हेनरी बाग पर गोली चला दी; इस घटना के फलस्वरूप मंगल पाण्डे को 7 अप्रैल, 1857 ई. को बैरकपुर में फाँसी पर चढ़ा दिया गया था।
- मंगल पाण्डे की फाँसी ने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया क्योंकि उसने नये आविष्कृत

एनफिल्ड रायफलों के लिए नये प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगायी गयी है; अतः सैनिकों में आक्रोश था। यह आक्रोश ही मंगल पाण्डे की घटना बन गया था।

- 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की देशी सेना ने नये कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई, 1857 ई. को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली, फलस्वरूप 10 मई, 1857 ई. को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया; विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
- 11 मई, 1857 ई. को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के (पेंशनयाफ्ता) वृद्ध सम्राट (मुगलों के अन्तिम बादशाह) जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिये गये थे, को अपना शासक घोषित करते हुए उसके (बहादुरशाह द्वितीय) नेतृत्व में लामबन्द हो गये।
- विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा चार नागरिकों की एक मिली-जुली समिति 'जलसा' के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुन्देलखण्ड।
- 1857 ई. के इस व्रिदोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह में शीघ्र की अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') को स्वतन्त्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में कानपुर के प्रशासन पर 'नाना साहब' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में इलाहाबाद ('प्रयागराज') पर एक अध्यापक 'मौलवी लियाकत अली' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, आदि छोटे-छोटे- नगरों व कस्बों में हो गया था।
- कानपुर (बिठूर) में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अधीन दस हजार सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे।
- लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरतमहल कर रही थीं, इसमें 50 हजार नागरिक बेगम हजरतमहल के नेतृत्व में संघर्षरत थे।
- कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक विन्धम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था।
- 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे।
- लगभग छह माह के कठिन संघर्ष के उपरान्त ही अंग्रेजों ने लखनऊ, कानपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी।
- मई 1857 ई. में अंग्रेजों ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया था।

- झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था; इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था।
- रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।
- 1 नवम्बर, 1858 ई. को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली तथा भारत में शान्ति की स्थापना की।
- 1857 का महान् विद्रोह अन्ततः असफल हो गया।
- 1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए थे।
- उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बनारस (अब वाराणसी) के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्रिका 'कवि वचन सुधा' में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया।
- सर सैयद अहमद खाँ ने भी प्रगतिशील आन्दोलन का पथ प्रशस्त किया।
- 1857 ई. में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल विद्यालय' की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।
- अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खाँ का आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।
- सोमवार, 28 दिसम्बर, 1885 ई. को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई' में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पण्डित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता' में सम्पन्न) में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') अधिवेशन (1886 ई.) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पाँच सदस्यों को चुना गया था ये सदस्य थे : (1) लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, (2) प्राणनाथ, (3) मौलाना हामिद अली, (4) नवाब रजा अली खान, (5) मुंशी काशी प्रसाद।
- मद्रास अधिवेशन (1887 ई.) में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था, इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में सम्पन्न हुआ था।
- 1888 ई. में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था।
- 1888 ई. में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध ने सर सैयद अहमद खाँ को प्रेरित किया था कि वे भी कांग्रेस विरोध को स्वर दें और वे कांग्रेस विरोधी बन गये थे।
- बनारस (अब 'वाराणसी') के राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे।

- उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ई. तक निम्न अधिवेशन हुए थे :

	वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
1.	1888 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	जॉर्ज यूल
2.	1892 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	डब्ल्यू. सी. बनर्जी
3.	1899 ई.	लखनऊ	रोमेश चन्द्र दत्त
4.	1905 ई.	बनारस ('वाराणसी')	गोपाल कृष्ण गोखले
5.	1910 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	सर विलियम वेडरबर्न
6.	1916 ई.	लखनऊ	अम्बिका चरन मजूमदार
7.	1925 ई.	कानपुर	श्रीमती सरोजिनी नायडू
8.	1935 ई.	लखनऊ	पं. जवाहरलाल नेहरू
9.	1946 ई.	मेरठ	आचार्य जे.बी. कृपालानी

- उत्तर प्रदेश (तत्कालीन नाम 'यूनाइटेड प्राविन्सेज') में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।
- 1909 ई. में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था।
- 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ था; मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया था। इसे ही 'कांग्रेस-लीग समझौता' कहा गया है।
- अक्टूबर, 1920 ई. में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवानदास ने की थी। इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था। सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान बनारस (अब 'वाराणसी') में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गयी थी।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान अवध प्रान्त के किसानों ने गैर-कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था।
- अक्टूबर 1921 ई. में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में सम्पन्न हुआ था जिसमें ब्रिटेन के युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स) की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था।
- 5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा कस्बे में (यू.पी. के गोरखपुर जिले में) सत्याग्रहियों के जत्थे ने थाने के सिपाहियों (कुल संख्या 22) को जीवित जला दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी को अत्यन्त आहत कर दिया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बतलाया तथा प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी थी।
- सितम्बर 1924 ई. में कानपुर के एक पत्रकार सत्य भक्त ने 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' की स्थापना की थी।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसम्बर, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था।
- 1926 ई. के चुनावों में संयुक्त प्रान्त में 'नेशनलिस्ट पार्टी' को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई थीं।
- अगस्त, 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था।
- नवम्बर, 1928 ई. के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। विरोध का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
- कानपुर के 'प्रताप' तथा 'प्रभु' नामक अखबार बोल्शेविज्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे।
- संयुक्त प्रान्त में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924-1930 के मध्य किसानों के मध्य जन-आन्दोलन चल रहा था; इस जन-आन्दोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के मध्य साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमन्त्रित करने के लिए 'सुपारी' का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी सम्बोधित करते थे। वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे।
- असहयोग आन्दोलन की वापसी के पश्चात् निराश मध्यवर्गीय युवाओं ने क्रान्तिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारम्भ किया। संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम '9 अगस्त, 1925 ई.' को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना थी।
- काकोरी ट्रेन डकैती घटना के अभियुक्तों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह को फाँसी की सजा हुई थी। रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दण्ड मिला था।
- काकोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों की पैरवी 'चन्द्रभानु गुप्त' नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के (स्वतन्त्रता के पश्चात्) मुख्यमन्त्री बने थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सेनापति चन्द्रशेखर आजाद चुने गये थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का मुख्यालय आगरा बनाया गया था।
- क्रान्तिकारी शिव वर्मा, डॉ. गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्टरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
- 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये थे।
- 1931 ई. में जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी के रूप में जुड़े थे।
- संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी।

- अप्रैल, 1934 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस (अब 'वाराणसी') में एक पर्चा प्रकाशित किया। इस पर्चे का नाम ''भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम'' था। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों व बैंकों व भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था।
- प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ई. में किया गया था। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी थी।
- 1937 ई. के निर्वाचनों में संयुक्त प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित होकर आनेवाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रों को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल 1 तथा स्वतन्त्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- 1 अप्रैल, 1937 ई. को संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी।
- संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबन्धन चाहते थे। परन्तु जवाहरलाल नेहरू इस गठबन्धन के पूर्णतः विरुद्ध थे।
- संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिक जुमा ने 12 मई, 1937 ई. का इलाहाबाद ('प्रयागराज') में जवाहरलाल नेहरू से भेंट की, परन्तु मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गयी।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से गोविन्द बल्लभ पन्त ने चौधरी खलिक जुमा से भेंट की; लखनऊ में हुई इस भेंट का भी कोई परिणाम नहीं निकला था।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई, 1937 ई. को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलिकुज्जमा से लखनऊ में भेंट की परन्तु परिणाम व्यर्थ रहा।
- संयुक्त प्रान्त में 1937 ई. में कांग्रेस ने सरकार गठित की। इस सरकार में प्रधानमन्त्री गोविन्द बल्ल्भ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, डॉ. कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहीम सम्मिलित थे। लक्ष्मीनारायण, संसदीय सचिव बनाये गये थे।
- संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर, 1939 ई. में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। कुटीर उद्योगों पर बल दिया था।
- अक्टूबर, 1939 ई. में गान्धी जी द्वारा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्याग-पत्र दे दिया।
- 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौर में संयुक्त प्रान्त में बलिया में (10 अगस्त, 1942 ई.) को प्रबल जन-आन्दोलन हो गया जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिये गये। इस आन्दोलन में बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गयी थी।
- 22 अगस्त, 1942 ई. से बलिया में अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हुआ; आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया; हजारों निर्दोष लोगों को बन्दी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया; अन्ततः

बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लन्दन को यह टेलीग्राम दिया कि ''बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है।''

- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रान्त में स्वतन्त्र भारत की प्रथम कांग्रेसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रान्त में पं. गोविन्दवल्लभ पन्त के नेतृत्व में गठन हो गया था।

1857 की क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ

तिथि	घटना
29 मार्च, 1857 ई.	बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इन्कार कर दिया; संयुक्त प्रान्त के मंगल पाण्डे नामक सैनिक ने क्षुब्ध होकर अपने एडजुडेण्ट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी।
10 मई, 1857 ई.	मेरठ में सैनिकों का विद्रोह।
10-30 मई, 1857 ई.	दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर एवं अन्य के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ।
12 मई, 1857 ई.	मेरठ के विद्रोही सैनिकों द्वारा दिल्ली में बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया।
1 जून, 1857 ई.	ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज'), फैजाबाद (अब अयोध्या), सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर (बिठूर) में विद्रोह प्रस्फुटित।
5 जून, 1857 ई.	नाना साहब को कानपुर (बिठूर) का पेशवा घोषित किया गया।
जुलाई, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक जगह विद्रोह प्रारम्भ।
अगस्त, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में स्थानीय जनता (किसानों) ने विद्रोह में भाग लेना प्रारम्भ किया।
सितम्बर, 1857 ई.	दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार; संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजों द्वारा दमन-चक्र प्रारम्भ।
अक्टूबर, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष।
नवम्बर, 1857 ई.	विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विण्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया।
6 दिसम्बर, 1857 ई.	कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने विजय किया; तात्या टोपे पराजित होकर झाँसी पहुँचे; महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष प्रारम्भ किया; अंग्रेज सेना में दूसरे प्रान्तों से सहायता टुकड़ियाँ पहुँचीं।
मार्च, 1858 ई.	लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापितः बेगम हजरत महल अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर गयीं।
3 अप्रैल, 1858 ई.	सर ह्यूरोज ने झाँसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
16 अप्रैल, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेज प्रभावी।
मई, 1858 ई.	अंग्रेजों ने बरेली, काल्पी को पुनः विजित किया; भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखण्ड में छापामार आक्रमण प्रारम्भ किया।
जून, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में विद्रोह लगभग समाप्त।
जुलाई-दिसम्बर 1858 ई.	सभी स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित।

अवध के नवाब-राजा (कालक्रम)

पहला नवाब	सआदत खाँ (बुरहानुल्मुल्क) (अवध में नवाबी का संस्थापक	1732 से 1739 ई.
द्वितीय नवाब	सफदरजंग	1739 से 1753 ई.
तृतीय नवाब	शुजाउद्दौला	1753 से 1775 ई.
चतुर्थ नवाब	आसफउद्दौला	1775 से 1797 ई.
पाँचवाँ नवाब	वजीर अली (मात्र चार माह सिंहासन पर रहा, तत्पश्चात् हटा दिया गया)	1797 से 1798 ई.
छठवाँ नवाब	सआदत अली खाँ	1798 से 1814 ई.
सातवाँ नवाब	गाजीउद्दीन हैदर (1819 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया)	1814 से 1819 ई.
पहला राजा	गाजीउद्दीन हैदर	1819 से 1827 ई.
द्वितीय राजा	नासिर-उद्दीन हैदर	1827 से 1837 ई.
तृतीय राजा	मुहम्मद अली शाह	1837 से 1842 ई.
चतुर्थ राजा	अमजद अली शाह	1842 से 1847 ई.
पाँचवाँ (अन्तिम राजा)	वाजिद अली शाह (फरवरी, 1856 ई. में राजा को च्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया)	1847 से 1856 ई.

संवैधानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद (उच्च सदन) कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय (इलाहाबाद और लखनऊ खण्डपीठ) भी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति की संतुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है। राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकता और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन, भत्तों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण के लिए तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने की शपथ लेता है। राज्यपाल को, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत, किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन या लघुकरण (कम) करने का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि-परिषद होती है। यह परिषद, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं, जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है। इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। मंत्रि-परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यदि कोई मंत्री निरन्तर छह माह की अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न रहे, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधानमण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते हैं। उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देते हैं, जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एकपक्षीय निर्णय लिया है तो राज्यपाल मंत्रि-परिषद से उस पर पुनर्निर्णय लेने के लिए कह सकता है। इस कार्य के लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के विषय में सम्बन्धित सदन को संदेश भेज सकते हैं। जिस सदन

को ऐसा संदेश भेजा जाये, उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराते हैं कि विधानमण्डल की बैठक किन कार्यों के निष्पादन के लिए बुलायी गयी है। राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देते हैं या उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित करके उन्हें केंद्र भेज देते हैं। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। राज्यपाल विधान परिषद के लिए 10 सदस्यों तथा विधानसभा के लिए एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करते हैं। विधान मण्डल सत्र न होने की स्थिति में यदि किसी विषय अथवा नीति पर सरकार को तुरंत विधि बनाने की आवश्यकता होती है, तो वह अध्यादेश लाती है। राज्यपाल को संतुष्ट होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर 404 सदस्य हैं। पूर्व में परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तराखंड के गठन के बाद यह संख्या 404 रह गयी है। विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पांच साल का होता है, बशर्ते कि वह उससे पहले विघटित न कर दी जाये।

सदन अधिनियम

विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधानसभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते हैं और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है। विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता मंडल संचालित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा का मुख्य कार्य अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिए धन स्वीकृत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा अविलम्ब महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्य-विधियों पर नियंत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रूप में सदन के समक्ष सदन की पूर्व अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं। सदन द्वारा विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकता है। इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परिषद भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद के भेजने के बाद एक मास की अवधि तक परिषद उसे अपने यहाँ लम्बित रखती है, तो यह समझा जायेगा कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर मतदान के लिये पाँच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रूप में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों द्वारा स्वीकृति

हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। वे विभागवार मांग प्रस्ताव के रूप में होते हैं। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पड़ती है या अनुमानित व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक, अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

समितियाँ

सदन के पास सभी मुद्दों पर पूरा विचार करने का समय या सुविधा नहीं रहती। इसलिए सम्यक विचार के लिए कुछ समितियां गठित की गयी हैं। जैसे कि विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति या शासन द्वारा अधिनियमों में दी गई शक्ति या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नियमावलियों तथा उपविधियों पर विचार करने वाली प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति। इसके अतिरिक्त सदन की तीन महत्त्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ भी हैं, जो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलाती हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य सदन के समक्ष प्रस्तुत प्राक्कलनों की परीक्षा करना है। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के इस राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करना है और यह देखना है कि जो धन व्यय किया गया है और जिसके लिए सदन ने अपना मत व्यक्त किया था, वह भलीभांति व्यय हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाये। उत्तर प्रदेश में यह परम्परा सन् 1948 से चली आ रही है, जबकि लोकसभा ने इसको सन् 1967 के बाद अंगीकृत किया है। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की स्थापना अभी हाल में राज्य के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के उपरान्त की गयी है। चूँकि इन संस्थाओं की स्वायत्तता के साथ-साथ इन्हें विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाये रखना आवश्यक है, अतः सार्वजनिक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करके उन्हें निर्देश देती है, ताकि वे कुशलता, मितव्ययिता और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें।

विशेष समितियाँ

उपर्युक्त विधि सम्बन्धी तथा वित्तीय समितियों के अलावा सदन के कार्य संचालन में सहायता के लिए अन्य समितियाँ भी हैं। आश्वासन समिति सदन में समय-समय पर दिये गये आश्वासनों की जाँच करती है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने पर विशेषाधिकार समिति उनको देखती है। याचिका समिति उन याचिकाओं पर विचार करती है, जो समय-समय पर जनता द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। सदन की एक समिति हाउस कमेटी भी होती है, जो सदस्यों की आवास, भोजन व्यवस्था आदि सुविधाओं पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्त्वपूर्ण समिति कार्य की परामर्शदात्री समिति भी गठित की जाती है, जो सदन के समक्ष आने वाले कार्य के लिए समय का आवंटन व नियमन करती है। उत्तर प्रदेश को एक संसदीय अध्ययन समिति के गठन का श्रेय भी है। यह संसदीय मामलों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव देती है। इसने सदस्यों के विशेषाधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, सदन की वित्तीय तथा अन्य समितियों में विधान परिषद के सदस्यों के सम्मिलित होने तथा समिति की अपनी कार्यप्रणाली आदि विषयों से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति व विमुक्त जाति से सम्बद्ध कल्याणकारी कार्यों की देख-भाल के लिए नयी समिति का गठन भी किया गया है। वास्तव में सदन का कार्य मुख्यतया इन समितियों द्वारा ही होता है। उक्त समितियों के अतिरिक्त प्रदेश में मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 27 स्थायी समितियाँ भी हैं।

विधान परिषद

प्रदेश में सन् 1937 से दो सदनों का विधान मण्डल है। उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है और यह स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। इसमें से 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, 36 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाते हैं, 38 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा 8-8 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस समय विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक लंबित रखा जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक दोनों सदनों से पारित न हो जाये। विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते हैं और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हीं की भांति अपने पदों पर बने रहते हैं। विधानमण्डल के सदनों के पृथक-पृथक अपने सचिवालय और प्रमुख सचिव हैं, जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है। दोनों सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जो संसदीय, लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते हैं। विधानमण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक विधानमण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधानमण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों को वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को मिली हैं। इसके अतिरिक्त सदन में भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष स्थान दिया गया है। नेता विरोधी दल के लिए मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित निःशुल्क आवास का प्रावधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाएं, जो उसके पद के अनुरूप हों, दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार, सदन में मान्यताप्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मंत्रि परिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और शासकीय नियमों तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके इस कार्य में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं। विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिए उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियों द्वारा निपटाये जा सकते हैं और कौन से ऐसे मामले हैं, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

सचिवालय

सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते

हैं, जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। सारे आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किये जाते हैं, किन्तु वे सचिव अथवा उसके अधीन अनुसचिव पद तक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं। शासन का कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में किया जाता है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव साधारणतया केन्द्रीय या प्रदेशीय प्रशासनिक सेवाओं से नियुक्त किये जाते हैं। कुछ उप सचिव और अनुसचिव सचिवालय की स्थायी सेवाओं से भी नियुक्त किये जाते हैं। न्याय एवं विधायिका विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति न्यायिक सेवाओं से की जाती है।

जिला एवं मण्डल प्रशासन

जिला एवं मण्डल प्रशासन का कार्य मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 1. कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध प्रशासन, 2. वित्तीय प्रशासन, 3. न्यायिक और विधि से सम्बद्ध मामले, 4. शान्ति व्यवस्था से सम्बद्ध मामले, 5. कर की वसूली और रोपण, 6. आर्थिक विकास और प्रदेश की सम्पदा के स्रोतों का संरक्षण, 7. सामाजिक सेवाएं, 8. जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएं, 9. मण्डलायुक्त।

सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के बाद महत्त्वपूर्ण स्थान मण्डलायुक्त का होता है, जो अपने मण्डल में शान्ति-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है। मण्डलायुक्त को जिलाधिकारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास के कार्यों की देखभाल करनी होती है। इस समय प्रदेश में 18 मण्डलायुक्त हैं।

प्रत्येक कमिश्नरी या मण्डल में कुछ जिले होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट या उप मण्डलायुक्त तथा कलेक्टर भी कहलाता है। जिलाधिकारी पूरे जिले के प्रशासन की धुरी है। वह अपने जिले में शान्ति-व्यवस्था के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध कार्यों की देख-भाल करनी होती है। प्रशासन की सुविधा, राजस्व की वसूली तथा विकास कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और गांवों में किया गया है।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बद्ध राज्य में एक उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ) है। राजस्व के मामलों के लिए सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य तथा कार्यवाहियाँ शाश्वत साक्ष्य हैं। इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य माने जाते हैं, जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रूप में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है— उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। उसमें पहले के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल एण्ड सेशन्स जज (अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते हैं। जिले

के स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है। प्रदेश 71 न्यायिक जिलों में बंटा है, जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। मुंसिफ को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं और सिविल जज पदेन असिस्टेन्ट सेशन जज भी होता है।

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय मुंसिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे ऊपर का न्यायालय जिला जज का होता है। राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। राजस्व मामलों में राजस्व परिषद ही सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य के वादों की सुनवाई कर सकती हैं। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कम्पनियों के धन और समय का अपव्यय होता था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।

भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रमुख विभूतियाँ

भगवान दास

जवाहर लाल नेहरू

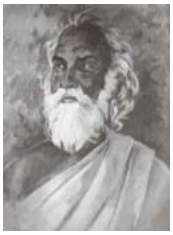
पुरुषोत्तम दास टण्डन

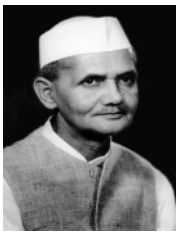
लाल बहादुर शास्त्री

राजीव गाँधी

पं0 मदन मोहन मालवीय

श्रीमती इन्दिरा गांधी

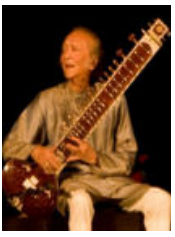
पं. रविशंकर

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान

अटल बिहारी बाजपेयी

परमवीर चक्र विजेता

वीर अब्दुल हमीद

लेफ्टि. मनोज पाण्डेय

नायक जदुनाथ सिंह

ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

महावीर चक्र विजेता

ब्रिगेडियर मो. उस्मान

कै. महेन्द्रनाथ मुल्ला

अशोक चक्र विजेता

कांस्टेबल कमलेश कुमारी

मेजर मोहित शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उ.प्र. में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

नाना साहब पेशवा

प्रिंस बिरजिस कदर

कुँवर सिंह

राणा बेनीमाधव सिंह

अजीमुल्लाह खाँ

ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद

राजा जयलाल सिंह

अज़ीज़न बाई

बेगम हजरतमहल

तांत्या टोपे

रानी लक्ष्मीबाई

मंगल पाण्डे

चन्द्रशेखर आजाद

भगत सिंह

राज गुरू

सुखदेव

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रोशन सिंह

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी

अशफाक उल्ला

चित्तू पाण्डे

योगेशचन्द्र चटर्जी

रामकृष्ण खत्री

कैप्टन रामसिंह

मोनी शील

रामप्रसाद बिस्मिल

महावीर सिंह

यतीन्द्रनाथ दास

भगवती चरण वोहरा

डॉ.गया प्रसाद कटियार

गणेश शंकर विद्यार्थी

डॉ. जयदेव कपूर

शचीन्द्र नाथ सान्याल

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

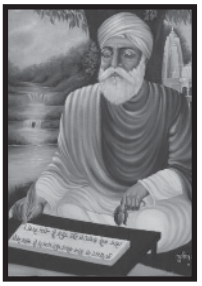

गंगादास

जीनत महल

ऊदा देवी

झलकारी बाई

पं. परमानन्द

विजय कुमार सिन्हा

शिव वर्मा

दुर्गा भाभी

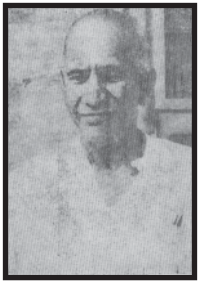

कुन्दन लाल गुप्त

कैप्टन लक्ष्मी सहगल

शहनवाज खाँ

विजय लक्ष्मी पंडित

बायें से पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञाराम,
अजय कुमार घोष, शिव वर्मा

बसन्त लाल खन्ना

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रफी अहमद किदवई

विशम्भर दयाल त्रिपाठी

राव रामबक्श सिंह

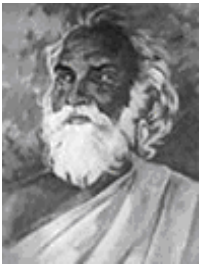

पुरुषोत्तम दास टण्डन

जयप्रकाश नारायण

मौलाना मोहम्मद अली

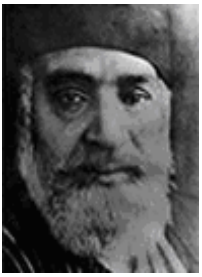

मौलाना शौकत अली

गोविन्द बल्लभ पंत

महावीर त्यागी

मुख्तार अहमद अन्सारी

तेज बहादुर सप्रू

राम मनोहर लोहिया

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

कबीर

सूरदास

मीराबाई

तुलसीदास

रविदास

पद्माकर

मलिक मुहम्मद जायसी

रहीम

चन्द्रबरदाई

बिहारी दास

केशव दास

रसखान

अमीर खुसरो

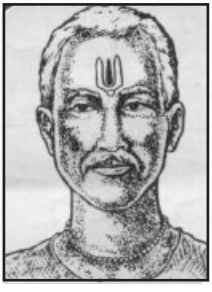
संत कवि बैजनाथ

आ.महावीरप्रसाद द्विवेदी

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द

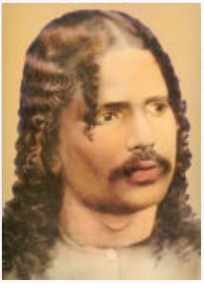
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

बालकृष्ण भट्ट

बाबू श्यामसुंदर दास

मुंशी प्रेमचंद

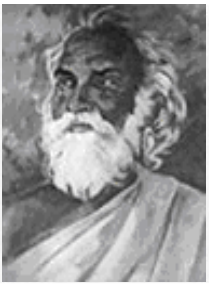

पुरुषोत्तम दास टंडन

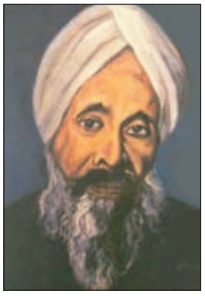

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

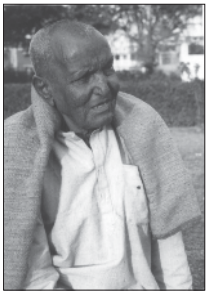

पंडित बंशीधर शुक्ल

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

जगन्नाथ दास रत्नाकर

मैथिलीशरण गुप्त

जयशंकर प्रसाद

देवकीनंदन खत्री

सम्पूर्णानन्द

सोहनलाल द्विवेदी

रायकृष्णदास

शिवपूजन सहाय

परशुराम चतुर्वेदी

कृष्णदेव प्रसाद गौड़

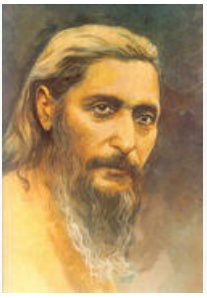

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'

प्रतापनारायण मिश्र

पं. राहुल सांकृत्यायन

यशपाल

शांतिप्रिय द्विवेदी

नंददुलारे वाजपेयी

महादेवी वर्मा

'अज्ञेय'

अमृतलाल नागर

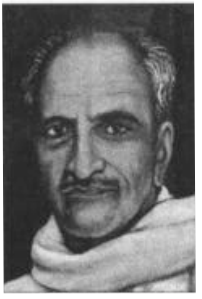

वृन्दावन लाल वर्मा

भगवतीचरण वर्मा

बनारसीदास चतुर्वेदी

डॉ. रामकुमार वर्मा

अमृतराय

आ.हजारीप्रसाद द्विवेदी

त्रिलोचन

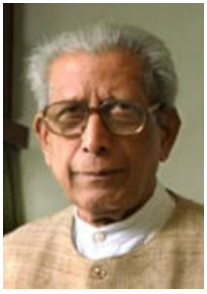

नामवर सिंह

हरिवंश राय बच्चन

नरेश मेहता

धर्मवीर भारती

गोपालदास नीरज

विष्णु प्रभाकर

कुँवर नारायण

डॉ. शिवप्रसाद सिंह

कमलेश्वर

लक्ष्मीकान्त वर्मा

रवीन्द्र कालिया

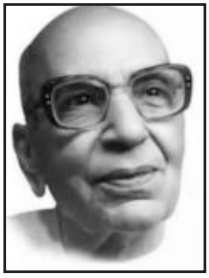

कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर

भारत भूषण

मार्कण्डेय

सोम ठाकुर

अमरकान्त

डॉ. जगदीश गुप्त

डॉ. रमा सिंह

रघुवीर सहाय

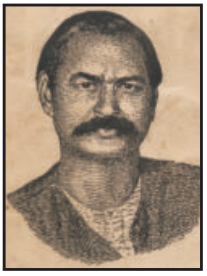

सुदामाप्रसाद पांडेय 'धूमिल'

केदारनाथ अग्रवाल

राही मासूम रज़ा

राजेन्द्र यादव

डॉ .परमानन्द श्रीवास्तव

अब्दुल बिस्मिल्लाह

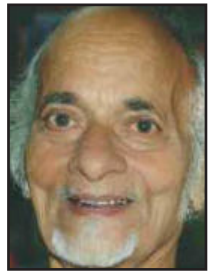

मुद्राराक्षस

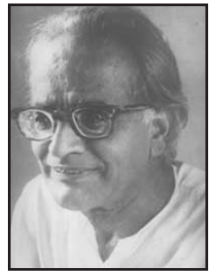

शमशेर बहादुर सिंह

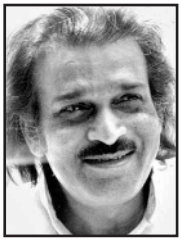

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

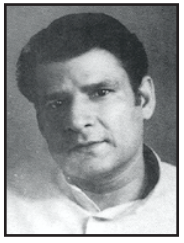

दुष्यन्त

केदारनाथ सिंह

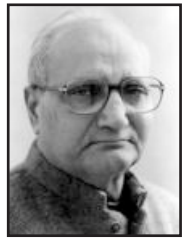

श्रीलाल शुक्ल

प्रबोध मजूमदार

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

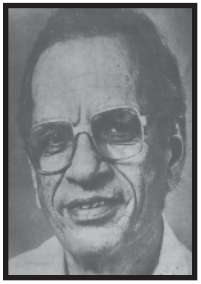

बीर राजा

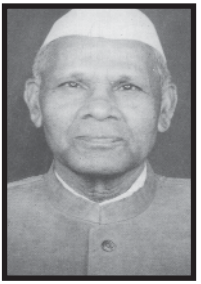

माता प्रसाद

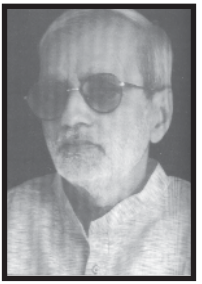

दूधनाथ सिंह

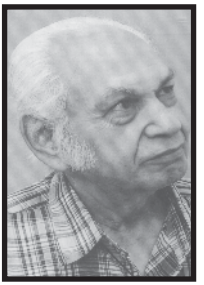

रमेश कुन्तल मेघ

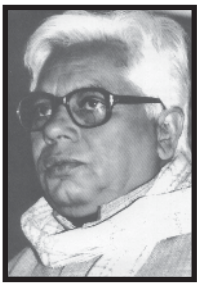

कामता नाथ

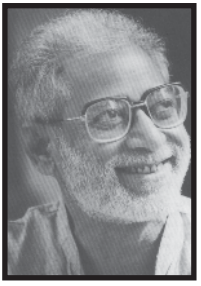

काशीनाथ सिंह

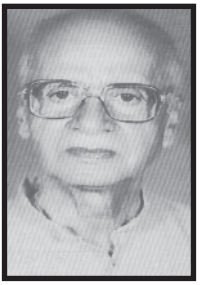

विवेकी राय

कन्हैयालाल नन्दन

डॉ० भवदेव पाण्डेय

रामदरश मिश्र

विद्यानिवास मिश्र

गिरीराज किशोर

गोरख पाण्डे

ठाकुर प्रसाद सिंह

लीलाधर जगूड़ी

शंकर सुल्तानपुरी

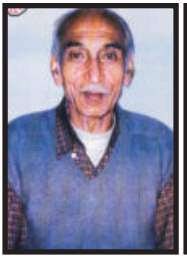

मोहन थपलियाल

विभूतिनारायण राय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

से.रा. यात्री

नरेश सक्सेना

ज्ञानेन्द्रपति

मैत्रेयी पुष्पा

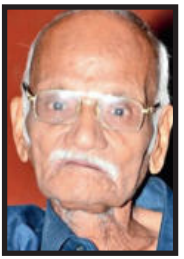
के.पी. सक्सेना

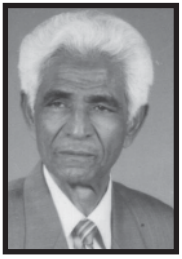
रामस्वरूप 'सिन्दूर'

बेकल उत्साही

हृदयेश

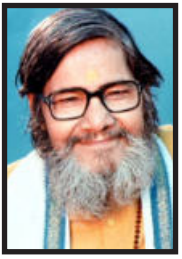
काका हाथरसी

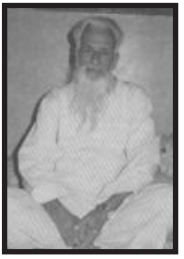
वचनेश त्रिपाठी

इन्दु जैन

चित्रा मुद्गल

गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव

लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

हरीओम शुक्ला'ओमी'

लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'

किशन सरोज

ओम प्रकाश अडिग

भैरव प्रसाद गुप्त

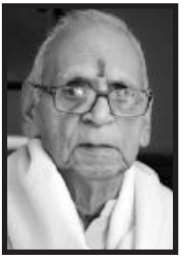
मनु शर्मा

गौरा पंत शिवानी

बाबू गुलाब राय

सुभद्रा कुमारी चौहान

आचार्य कुबेरनाथ राय

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

अनिल जनविजय

डॉ. रामविलास शर्मा

जैनेन्द्र कुमार

असगर वजाहत

जगदम्बिका प्रसाद मिश्र

रमई काका

भूपेन्द्रनाथ शुक्ल

सुमित्रा नन्दन पंत

जर्नादन दास

गोपाल उपाध्याय

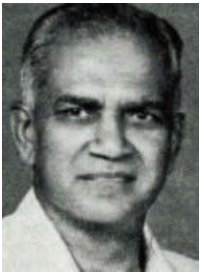
श्याम लाल गुप्ता

अशोक चक्रधर

बलबीर सिंह रंग

डॉ० शिवओम अम्बर

गया प्रसाद शुक्ला सनेही

कौशलेन्दर पाण्डेय

महीप सिंह

मुंशी अजमेरी 'प्रेम'

प. राम रनेश त्रिपाठी

प. श्रीनारायण चतुर्वेदी

श्याम नरायण पाण्डे

विनोद चन्द्र पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में उर्दू साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

मीर अनीस

मिर्जा दबीर

अकबर इलाहाबादी

हसरत मोहानी

सफी लखनवी

अब्दुल माजिद दरियाबादी

डॉ. अब्दुल अलीम

सज्जाद ज़हीर

नुरुल हसन हाशमी

मौ.इम्तियाज अली अर्शी

आनन्द नारायण मुल्ला

अली अब्बास हुसैनी

सागर निज़ामी

चौ.मो. अली रुदौलवी

कुर्तुल एन हैदर

मजनूं गोरखपुरी

आले अहमद सुरुर

रज़िया सज्जाद ज़हीर

ज्ञान चन्द्र जैन

मसूद हसन रिज़वी 'अदीब'

एहतेशाम हुसैन रिज़वी

मसूद हुसैन खाँ

इस्मत चुगतई

खलीलुलर्रहमान आज़मी

मोहम्मद हसन

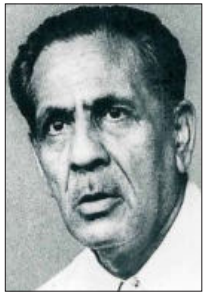

फ़िराक गोरखपुरी

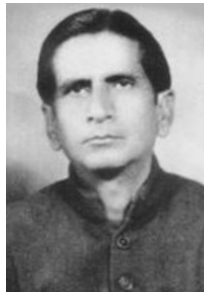

मजाज़ लखनवी

कैफ़ी आज़मी

रशीद अहमद सिद्दीकी

मुइन अहसन ज़ज्बी

मसीह उज़ ज़मा

वामिक जौनपुरी

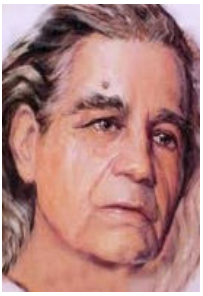
अली सरदार जाफ़री

सलाम संदेलवी

गुलाम रब्बानी ताबाँ

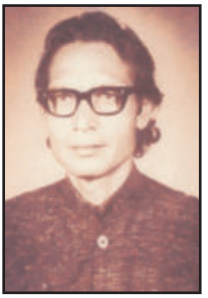
क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार

खुमार बाराबंकवी

शहरयार

एजाज़ हुसैन

अली जव्वाद **ज़ैदी**

वजाहत अली संदेलवी

सलाम मछली शहरी

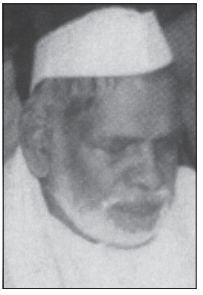
चौधरी सिब्ते मोहम्मद

मोहम्मद अक़ील रिज़वी

रशीद हसन खाँ

महमूद इलाही

क़मर रईस

महमूदुल हसन रिज़वी

कृष्ण बिहारी नूर

रामलाल

नैयर मसूद

काज़िम अली खाँ

आबिद सुहेल

फ़ज़ल इमाम रिज़वी

अहमद जमाल पाशा

हनीफ़ नक़वी

मंजुर सलीम

मलिक ज़ादा मंजूर अहमद

बाक़र मेंहदी

बशेशर प्रदीप

मसीहुल हसन रिज़वी

इरफ़ान सिद्दीक़ी

नाज़िश प्रतापगढ़ी

बशीर बद्र

आरजू लखनवी

हूरमत उल एकराम

अनवर मिर्जा पुरी

डॉ० वसीम बरेलवी

सीमाब अकबराबादी

शौकत थानवी

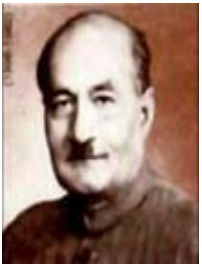
जोश मलिहाबादी

इब्ने सफी

शम्सुल रहमान फारूकी

जिगर मुरादाबादी

मंजूर हाशमी

डॉ. रफीक हुसैन

ज्ञानपीठ अवार्ड्स

फिराक गोरखपुरी

महादेवी वर्मा

कुर्रतुल–ऐन–हैदर

अली सरदार जाफरी

शहरयार

श्री अमरकान्त

श्री लाल शुक्ल

कुंवर नारायण
साहित्य

उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ

बिस्मिल्ला खाँ

बेगम अख्तर

विष्णुनारायण भातखण्डे

हरि प्रसाद चौरसिया

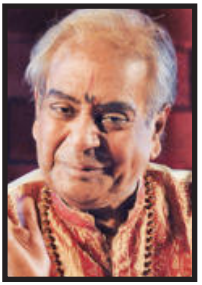

बिरजू महाराज

गिरिजा देवी

लच्छू महाराज

शम्भू महाराज

गोदई महाराज

सितारा देवी

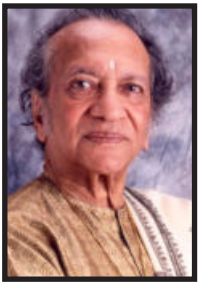

रवि शंकर

पं. किशन महाराज

पागलदास

कन्छे महाराज

सविता देवी

कुमकुम धर

अजिता श्रीवास्तव

मालिनी अवस्थी

पं. विकास महाराज,

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी

श्री छन्नू लाल मिश्र

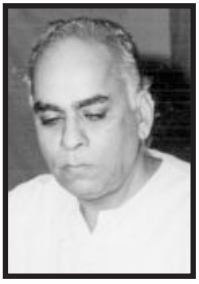

डॉ. लालमनी मिश्रा

श्री गोपाल शंकर मिश्रा

श्री गोपी कृष्ण

पं. कांथे महाराज

पं. समता प्रसाद

राजन मिश्र, साजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

नैमि चन्द्र जैन

राधेश्याम दीक्षित

रतन थियम

रोमेश मेहता

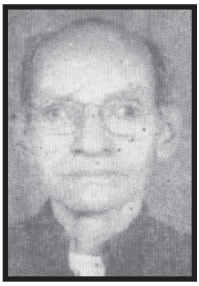
शिवचरण लाल ''प्रेम''

सुदेश शर्मा

सुरेन्द्र कौशिक

सुरेन्द्र माथुर

विश्वनाथ मिश्र

स्वामी श्रीराम शर्मा

गुलाब बाई

के.बी. चन्द्रा

ललित मोहन तिवारी

विनोद रस्तोगी

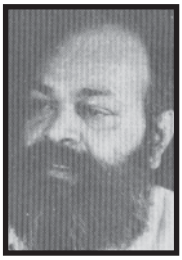
सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ

विजय दीक्षित

जरीफ़ मलिक आनन्द

डॉ० बृजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

आगा हश्र कश्मीरी

अनूप जलोटा

बंसी कौल

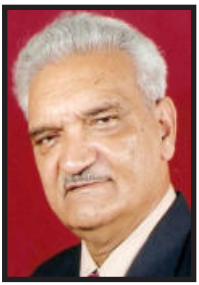
डॉ. अनिल रस्तोगी

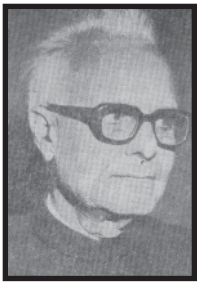
डॉ. भानुशंकर मेहता

डॉ. पुरु दधीच

डॉ. सुरेश अवस्थी

मास्टर फ़िदा हुसैन नरसी

ज्ञानदेव अग्निहोत्री

हरिकृष्ण अरोड़ा

हीरालाल यादव

कृष्णा मिश्रा

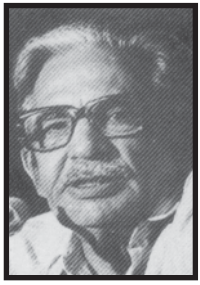
कृष्ण नारायण कक्कड़

मोहन उपरैती

मुकेश सान्याल

नादिरा ज़हीर बब्बर

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिने विभूतियाँ

कमाल अमरोही

के. आसिफ

नौशाद

शैलेन्द्र

जद्दन बाई

कैफी आजमी

के.एल. सहगल

नरगिस

इन्दीवर

भारत भूषण

मजरूह सुल्तानपुरी

तलत महमूद

अमिताभ बच्चन

रवीन्द्र जैन

शबाना आजमी

शकील बदायूंनी

मुजफ्फर अली

योगेश

राज बब्बर

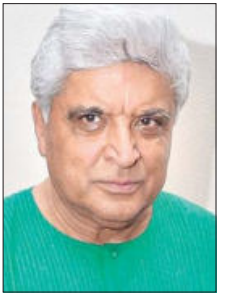

जावेद अख्तर

रेहाना

अचला नागर

समीर

रेहाना सुल्तान

कैलाश खेर

राजा बुन्देला

अभिजीत

माया गोविन्द

नसीरुद्दीन शाह

मंसूर खान

शाहरूख मिर्जा

उमा देवी 'टुनटुन'

विशाल भारद्वाज

शाद अली

प्रकाश मेहरा

अनुराग कश्यप

राजपाल यादव

कन्हैया लाल

निम्मी

मार्क जुबेर

सुधीर मिश्रा

कब्बन मिर्जा

सितारा देवी

युनुस परवेज

निर्मल पाण्डेय

सपना अवस्थी

डेविड धवन

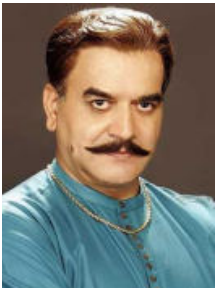

सुरेन्द्र पाल

रजा मुराद

जोहरा सहगल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

आर.एस. बिष्ट

नित्यानंद महापात्र

बी.एन. आर्य

एस.जी. श्रीखण्डे

के.वी. जेना

जयकृष्ण अग्रवाल

असद अली

ए.पी. गज्जर

एस. अजमत शाह

आर.एस. धीर

सनत कुमार चटर्जी

सतीश चन्द्रा

दिलीपदास गुप्ता

श्रीधर महापात्र

पम्मी लाल

उमेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

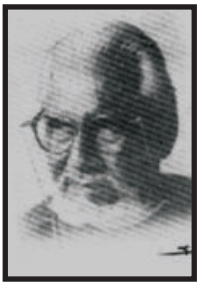
गोपाल मधुकर चतुर्वेदी

विश्वनाथ खन्ना

अश्विनी कुमार शर्मा

बालदत्त पाण्डेय

एस.एन.सक्सेना

मुहम्मद सलीम

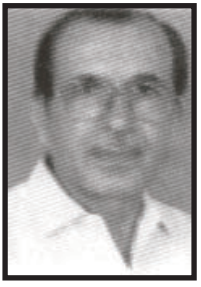
बी.पी.कम्बोज

पुष्पलता शर्मा

बैजनाथ प्रसाद गुप्ता

एन. खन्ना

योगेन्द्र नाथ योगी

जमील अख्तर

एन.एन.राय

रंजीत चक्रवर्ती

शुकदेव श्रोत्रीय

डॉ. कुसुम दास

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

कामता प्रसाद

हृदय गुप्ता

अमरनाथ शर्मा

अवधेश मिश्र

पूर्णिमा तिवारी

आलोक कुमार

हीरालाल प्रजापति

इन्दु जोशी

मृदुला शाह

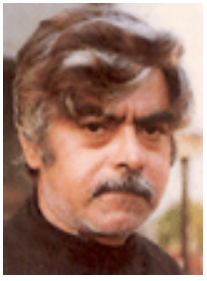

भैंरोनाथ शुक्ल

भारत भूषण

जगदीश गुप्त

राधेश्याम अग्रवाल

रेखा कक्कड़

आर.एस. शाक्य

साधना लाल

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

संतोष वर्मा

सीमा जावेद

शिवेन्द्र सिंह

स्नेह मोहन

शरद पाण्डेय

उमेश कुमार सक्सेना

विनोद कुमार सिंह

विष्णु स्वरूप सिंह

ज़ेबा हसन

गोगी सरोज पाल

डॉ० नन्दिता शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

मेजर ध्यान चन्द

के.डी. सिंह बाबू

मोहम्मद शाहिद

आशीष विंस्टन जैदी

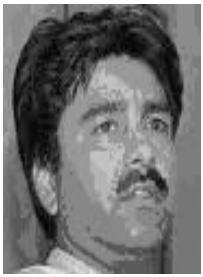
मनोज प्रभाकर

अरुण लाल

मो. कैफ

सुरेश रैना

आर.पी. सिंह

चेतन चौहान

हेमलता काला

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

पीयूष चावला

नरेन्द्र हीरवानी

सुरिन्दर अमरनाथ

रमन लाम्बा

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

रविकान्त शुक्ला

प्रवीण कुमार

अभिन्न श्याम गुप्ता

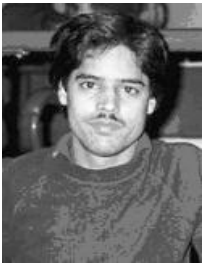

सैयद मोदी

गौस मोहम्मद खान

निखिल चोपड़ा

लाला अमरनाथ

मोहिन्दर अमरनाथ

अर्जुन अवार्ड

अभिन्न श्याम गुप्ता

सैयद मोदी

आशीष सिंह राष्ट्रमण्डल खेल स्वर्ण पदक विजेता

अरूणिमा सिन्हा
(एवरेस्ट फतेह करने वाली
प्रथम भारतीय विकलांग खिलाडी)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार

गणेश शंकर विद्यार्थी

पं. जवाहरलाल नेहरू

पं.मदन मोहन मालवीय

बाबूराव विष्णु पराड़कर

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी

एम.चेलापति राव

के. रामा राव

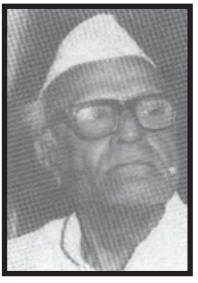
हयातुल्ला अंसारी

सी.वाई.चिन्तामणि

एस.एन.घोष

सच्चिदानन्द सिन्हा

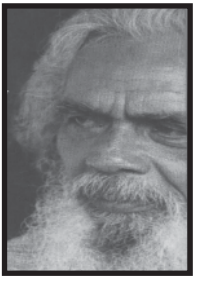
अखिलेश मिश्र

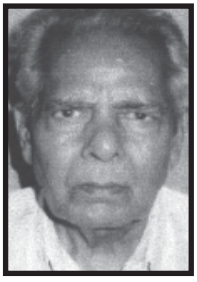
एस.एन.जायसवाल

एस.एम.जाफर

इशरत अली सिद्दीकी

के. विक्रम राव

डॉ० धर्मपाल गुप्त 'शलभ'

आनन्द मोहन पाण्डेय

ओंकार 'मनीषी'

श्री प्रभात सिंह

मृणाल पाण्डेय

नरेन्द्र मोहन

घनश्याम पंकज

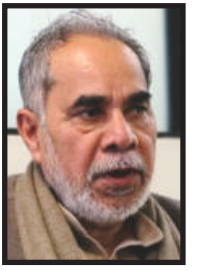

राम बहादुर राय

पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

हकीम सै. जिलुर रहमान
(यूनानी औषधि–2006)

भारत भूषण
(साहित्य एवं शिक्षा - 1991)

मोहम्मद शाहिद
(हाकी खिलाड़ी–1986)

डॉ. जयपाल मित्तल
(विज्ञान एवं यांत्रिकी–2003)

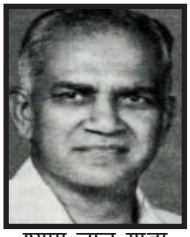

श्याम लाल गुप्ता
साहित्यकार (कवि)

के.डी. सिंह बाबू
(खिलाड़ी–1958)

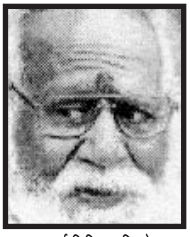

आचार्य गिरिराज किशोर
(राजनीतिज्ञ)

अली जवाद जैदी
(उर्दू साहित्य)

रविन्द्र कुमार
(साहित्य एवं शिक्षा–2001)

बेगम अख्तर
(गजल गायिकी)

कृष्णा राम चौधरी
शहनाईवादन

गोपालदास नीरज
(हिन्दी साहित्य–2007)

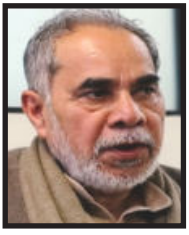

राम बहादुर राय
पत्रकारिता

मुजफ्फर अली
(फिल्म निर्देशक–2005)

के.पी. सक्सेना
(लेखक–2000)

मालिनी अवस्थी
(लोक संगीत पद्मश्री - 2016)

डॉ0 उषा यादव
(साहित्य एंव शिक्षा)

राम यत्न शुक्ल
(साहित्य एंव शिक्षा)

सुधा सिंह
(खेल)

अशोक कुमार साहू
(मेडिसिन)

चंद्रशेखर सिंह
(कृषि)

जगदीश चौधरी
(समाजसेवा)

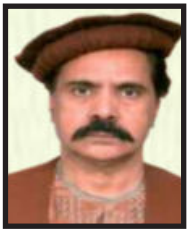
गुलफाम अहमद
(संगीत)

जीतू राय
(खेल)

योगेश प्रवीन
(साहित्य)

राजेश्वर आचार्य
(कला)

रजनी कान्त
(सामाज कार्य)

रमेश बाबा जी महाराज
(सामाज कार्य)

शादाब मोहम्मद
(मेडिसिन)

बृजेश कुमार शुक्ला
(साहित्य एवं शिक्षा)

प्रशांति सिंह
(खेल)

देवेंद्र स्वरूप
(साहित्य एवं शिक्षा/पत्रकारिता)

भारत भूषण त्यागी
(कृषि)

राम सरन वर्मा
(कृषि)

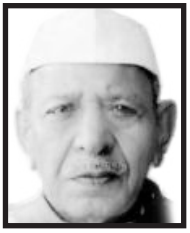
हीरा लाल यादव
(कला)

संजीव बीकाचंदानी
(उद्योग)

डॉ. नरिंदर नाथ खन्ना
(मेडिसिन)

मोहम्मद सरिफ
(सामाज कार्य)

दया प्रकाश सिन्हा
(कला)

हरीश चंद वर्मा
(विज्ञान)

कमलनी एवं नलिनी अस्थाना
(कला)

शिवनाथ मिश्रा
(कला)

शीश राम
(कला)

सेठ पाल सिंह
(कृषि)

विद्या विंदु सिंह
(साहित्य एवं शिक्षा)

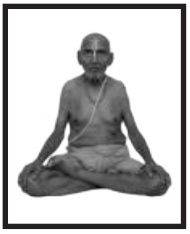

शिवानंदा
(योग)

अजय कुमार सोनकर
(विज्ञान)

अजिता श्रीवास्तव
(कला)

डॉ. कमलाकर त्रिपाठी
(चिकित्सा)

डॉ. पद्मावती बंदोपाध्याय
(चिकित्सा)

राधा चरण गुप्ता
(साहित्य एवं शिक्षा)

दिलशाद हुसैन
(कला)

अरविंद कुमार
(विज्ञान एवं अभियंत्रिकी)

उमा शंकर पाण्डेय
(समाज कार्य)

मनोरंजन साहू
(चिकित्सा)

रित्विक सानयाल
(कला)

विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
(साहित्य एवं शिक्षा)

पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

इरफान हबीब

कुर्रतुल–ऐन हैदर

पं. किशन महाराज

रामकिंकर उपाध्याय

भगवतीचरण वर्मा

अमरनाथ झा

मैथिलीशरण गुप्त

जोश मलिहाबादी

रामेश्वरी नेहरू

महादेवी वर्मा

आबिद हुसैन

हजारी प्रसाद द्विवेदी

राय आनन्द कृष्णा

पं. श्रीकृष्णनारायण रतनजंकर

विजय आनन्द

कुंवर नारायण
साहित्य

गिरिजा देवी
संगीत

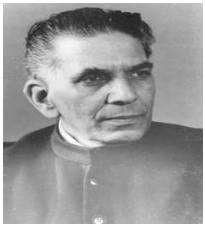

भगवान सहाय

राधाकमल मुखर्जी

राहुल सांकृत्यायन

फिराक गोरखपुरी

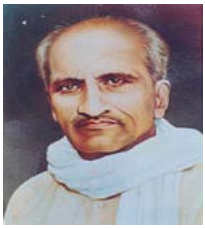

वृन्दावन लाल वर्मा

पं. हरिभाऊ वाकणकर

रवि शंकर

जय कृष्णा

महेश प्रसाद मेहरे

पिताम्बर पन्त

निसार हुसैन खान

अमृत लाल नागर

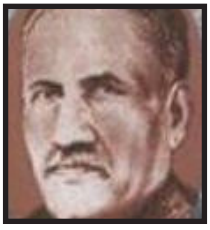

बनारसी दास चतुर्वेदी

जयदेव सिंह

बेगम अख्तर

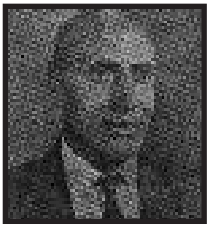

कैलाश नाथ कौल

नृपेन्द्र मिश्र

कल्बे सादिक

राशिद खान
(कला)

वशिष्ठ त्रिपाठी
(साहित्य एवं शिक्षा)

पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

डॉ. जाकिर हुसैन
(सामाजिक कार्य–1954)

विजय लक्ष्मी पंडित
(लोकसेवा–1962)

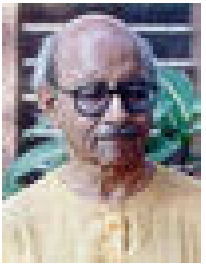

राय आनन्द कृष्णा
(लोकसेवा–1980)

पं. रविशंकर
(कला–1981)

बिरजू महाराज
(कला–1986)

महादेवी वर्मा
(साहित्य एवं शिक्षा–1988)

उमाशंकर दीक्षित
(सामाजिक कार्य–1989)

कैप्टन लक्ष्मी सहगल
(सामाजिक कार्य–1998)

मिर्जा हमीदुल्ला बेग
(सामाजिक कार्य–1988)

पं. किशन महाराज
(कला–2002)

वी.एन. खरे
(कानून/समाज कार्य, 1980)

डॉ. पुरुषोत्तम लाल
(औषधि–1981)

गोविन्द नारायण
(सामाजिक कार्य–2009)

गिरिजा देवी
संगीत

मुरली मनोहर जोशी
समाजिक कार्य

यशपाल
विज्ञान एवं अभियंत्रिकी

जगतगुरू राम भद्राचार्य

आदर्श सेन आनन्द
जनहित कार्य

बी.बी लाल
(आरकेलॉजी)

राधेश्याम खेमका
(साहित्य एवं शिक्षा)

छन्नूलाल मिश्रा
(कला)

कल्याण सिंह
(सामाजिक कार्य)

मुलायम सिंह यादव
(सामाजिक कार्य)

साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

राहुल सांकृत्यायन
(1958–इतिहास)

भगवती चरन वर्मा
(1961–उपन्यास)

अज्ञेय
(1964–कविता)

जैनेन्द्र कुमार
(1964–उपन्यासकर)

अमृतलाल नागर
(1967–उपन्यास)

हरिवंशराय बच्चन
(1968–कविता)

श्रीलाल शुक्ल
(1969–उपन्यासकार)

रामविलास शर्मा
(1969–उपन्यासकार)

नामवर सिंह
(1971–साहित्य आलोचक)

भवानी प्रसाद मिश्र
(1972–कविता)

हजारी प्रसाद द्विवेदी
(1973–लेखक)

कुंवर नारायण
साहित्य

यशपाल
(1976–उपन्यास)

धूमिल
(1979–उपन्यास)

त्रिलोचन
(1981–उपन्यास)

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
(1983–कविता)

शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1974–कविता)

केदारनाथ सिंह
(1989–कविता

केदारनाथ अग्रवाल
(1986–कविता)

रघुवीर सहाय
(1984–कविता)

लीलाधर जगूड़ी
(1997–उपन्यास)

सुरेन्द्र वर्मा
(1996–उपन्यास)

गिरिराज किशोर
(1992–उपन्यास)

विष्णु प्रभाकर
(1993–उपन्यास)

दादासाहब फाल्के अवार्ड्स

नौशाद अली

मजरूह सुल्तानपुरी

प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल

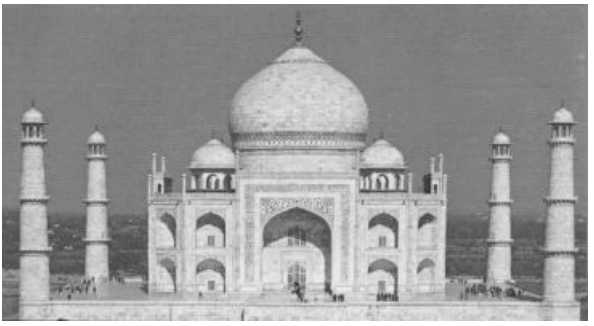

ताजमहल, आगरा

वृन्दावन मंदिर, मथुरा

खानकाह रशीदिया, मैनपुरी

बर्ड सैंक्च्यूरी
जलेसर, एटा

रूमी दरवाजा, लखनऊ

गोला गोकरननाथ मंदिर,
लखीमपुर खीरी

प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, उन्नाव

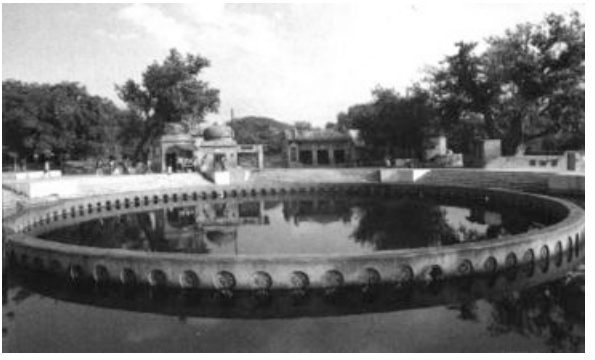

चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर

आनन्द भवन, प्रयागराज

कड़क शाह बाबा की मज़ार, कौशाम्बी

शहीद स्थल बावनी इमली, फतेहपुर

कनक भवन, अयोध्या

कन्नौज में संरक्षित अनूठी
कलाकृति, सप्तमातृका की प्रतिमा

जे० के० मन्दिर, कानपुर नगर

आसई किले से प्राप्त
दिगम्बर जैन मूर्तियाँ, इटावा

शुक्ल तालाब, अकबरपुर
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)

गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर

शहीद स्मारक, महराजगंज

बौद्ध स्तूप, कुशीनगर

बाबा सोमनाथ जी का भव्य मन्दिर, देवरिया

शहीद स्थल छावनी, बस्ती

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली, मगहर (सन्त कबीर नगर)

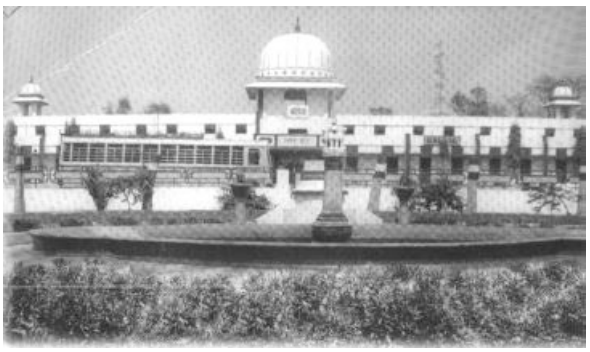

बलिया का रेलवे स्टेशन

चाइना मन्दिर, श्रावस्ती

रानी महल, झांसी

मकरबई मन्दिर, महोबा

कामदगिरि पर्वत, चित्रकूट

कालिंजर दुर्ग, बाँदा

रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर

शिबली एकेडमी, आजमगढ़

शहीद स्मारक, मऊ

घंटाघर, बदायूँ

घंटाघर, बहराइच

देवी पाटन मन्दिर, बलरामपुर

अरगा पार्वती का मन्दिर, गोण्डा

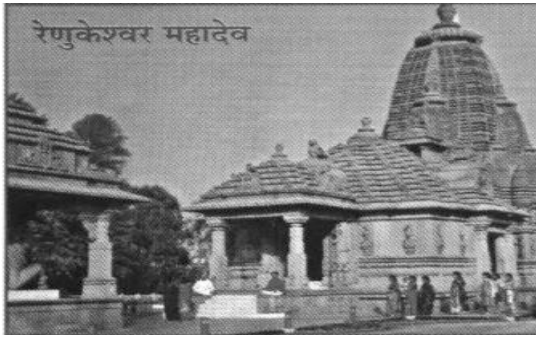

रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सोनभद्र

गंगा घाट, वाराणसी

सीताकुण्ड घाट, सुल्तानपुर

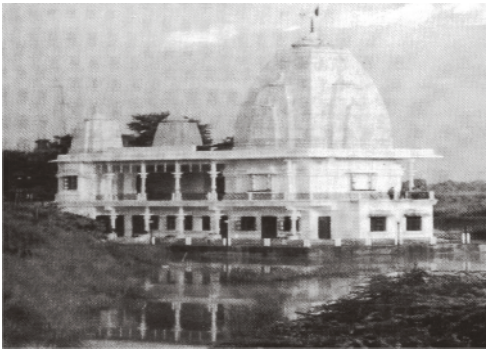

सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल,
संतरविदास नगर, भदोही

घंटाघर, मिर्जापुर

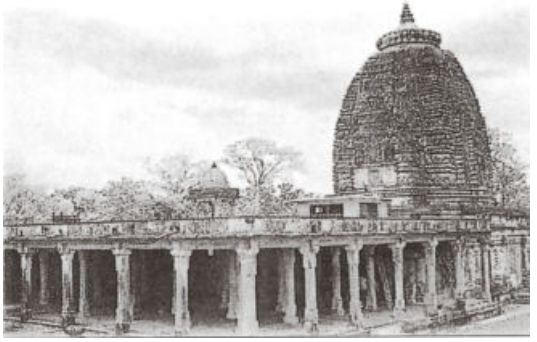

जैन मन्दिर, ललितपुर

चौरासी गुंबद, कालपी (जालौन)

हिन्दी भवन, जौनपुर

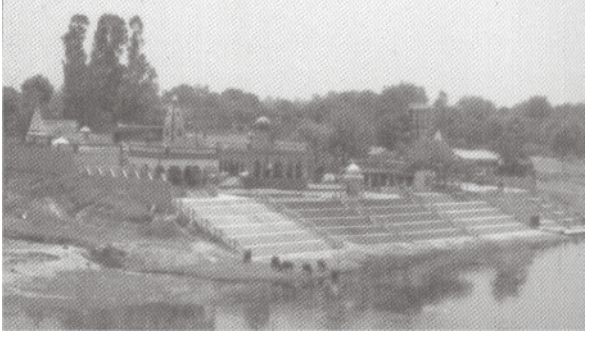

प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर,
प्रतापगढ़

एजाज अली हॉल, बिजनौर

शुक्रताल स्थित प्राचीनतम शिव मंदिर, मुजफ्फर नगर

धानपुर शहीद स्मारक चंदौली

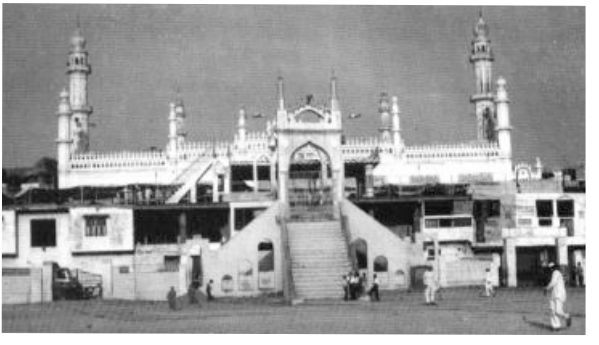

ऐतिहासिक जामा मस्जिद, मुरादाबाद

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा
गाजीपुर

घंटाघर, बुलंदशहर

जैन मन्दिर- फिरोजाबाद

श्री सनातन धर्म मन्दिर
गौतमबुद्ध नगर

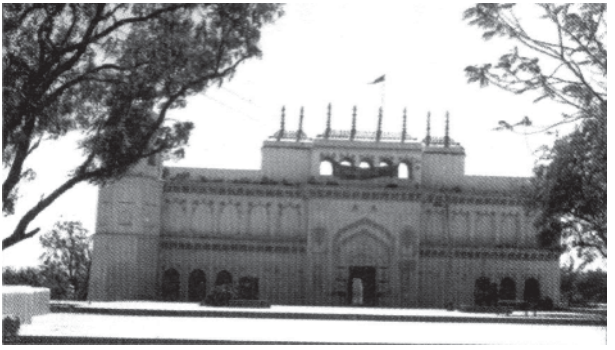

देवकली मन्दिर, औरैय्या

विक्टोरिया हाल,
घण्टाघर, हरदोई

यज्ञशाला, बागपत

प्रसिद्ध मन्दिर
महामायानगर

मुगल घाट, कम्पिल
फर्रुखाबाद

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी,
अलीगढ़

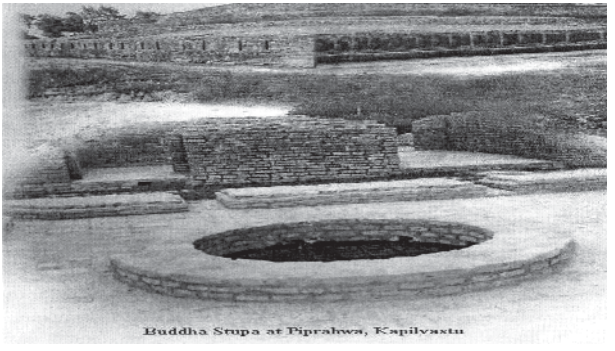

बुद्धा स्तूप, पिपरहवा
कपिलवस्तु

औघढ़नाथ मन्दिर
सरधना, मेरठ

देवा शरीफ, बाराबंकी

समसपुर पक्षी विहार
(रायबरेली)

अशफाक उल्ला की मजार शाहजहाँपुर

हनुमतधाम, शाहजहाँपुर

श्री दाओजी महाराज
हसायन, हाथरस

किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर

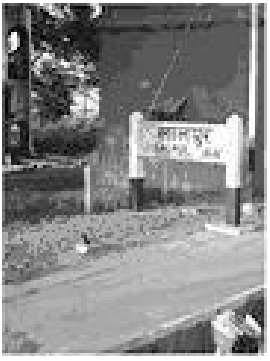

लालपुर
रेलवे स्टेशन
जालौन

प्राचीन श्री गंगा मन्दिर
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद

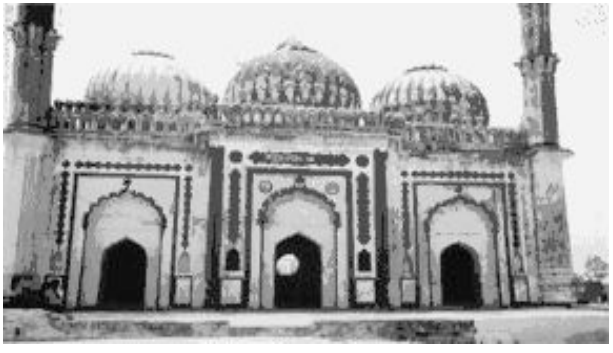

बादशाही मस्जिद, सुल्तानपुर

आनन्द आश्रम, बरेली

कल्पवृक्ष, हमीरपुर

बौद्ध स्तूप, सिद्धार्थनगर

माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर,
सहारनपुर

जायसी स्मारक
अमेठी

नदरई का पुल,
कांशीरामनगर
कासगंज

हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब

उत्तर प्रदेश में पछुआ और पुरवा दोनों हवाएँ तेज़ चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु और संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाती हैं। भस्म कर देने वाली लू और हड्डियों को कंपाने वाली, ख़ून जमा देने वाली ठंडक यहाँ के संस्कृति कर्मियों और रचनाकारों को न तो अधिक भावुक बनाती है और न अधिक वस्तुवादी। तटस्थ होकर जीवन और जगत के प्रश्नों पर सोचने-विचारने की गहरी सम्पृक्ति उत्तर प्रदेश, जो कि मध्यदेश के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, में मिलती है। अमीर खुसरो से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह तक में खुश्की और तरी का मत आश्चर्यजनक जादू का काम करता है, और फिर यह मत ऐन्द्रजालिकता, 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी', के तम्बू की तरह फैलता ही जाता है। आगरा, मेरठ और बुलन्दशहर की भाषा कैसे काव्य भाषा बनी ? उसमें राजसत्ताओं की भौतिक आवश्यकताएँ और बाजार का तर्क तो है ही, इसके अलावा संतों-सूफियों और भक्तों द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऐसा भाषा का माध्यम भी है, जो प्रमुख सांस्कृतिक कारण है। समाज की छोटी-छोटी इकाइयों के भेदों को बिना समाप्त किये, एक बड़े माध्यम और मूल्य के लिए जीना सिखाती है। अमीर ख़ुसरो की क़व्वालियाँ, शेर और मुकरियाँ, कबीर की साखियों और पदों, तुलसी के दोहा-चौपाइयों और कवित्त, सवैयों तथा मुल्ला दाउद, कुतुबन और जायसी की सूफी रचनाओं ने यही किया। अपनी कृतियों के द्वारा इन रचनाकारों ने केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हिन्दी को भी गौरवान्वित किया है। कबीर ने काव्यभाषा हिन्दी के प्राक् रूप का प्रयोग किया। कबीर ने अपने समय की वर्णाश्रम धर्म आश्रित विषमतामूलक संस्कृति, नैतिक और सामाजिक संस्था और विचार तंत्रों को चुनौती दी। तत्कालीन सत्ता के सोपानात्मक ढांचे के आधार को ही उन्होंने हिला दिया। प्रेम की अनन्यता और सर्वोपरिता को स्थापित करते हुए कबीर ने अपने अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए हर प्रकार की पोथियों को वास्तविकता से दूर मानते हुए अपने समय के निर्गुण मुहावरे में साखियों और सबदों की ऐसी सहज और निश्छल बानी प्रवाहित की कि वे बनारस की सीमाओं को लाँघकर पूरे भारत वर्ष को प्रभावित करने लगे। कबीर सामाजिक आन्दोलन के अगुआ के रूप में प्रमुखता से आगे दिखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' से ही नहीं, एजरा पाउन्ड द्वारा उनकी कविताओं के किये गये अनुवाद से भी उस प्रभाव का पता चलता है। तुलसीदास समग्र हिन्दी भाषी जनता के कंधे पर हाथ रखने वाले ऐसे सजग कवि हैं, जो लोक कल्याण को जीवन-मूल्यों के रूप में स्थापित करते हैं। अपने मूल्यों के प्रति तुलसी भी आग्रही हैं। कवित्त और सवैया छन्दों को उन्होंने हिन्दी का जातीय छंद बना दिया। कवि के रूप में अपने पात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण तुलसी के अतिरिक्त शायद कहीं नहीं मिलता। जायसी हिन्दू-मुसलमान को एक साथ रहने और निरर्थक लड़ाई से विरत रहने का मानवीय संदेश देते हुए 'पद्मावत' में अत्यन्त विषादपरक ढंग से पृथ्वी के झूठे होने का संकेत करते हैं। 'पद्मावत' का सारा संकेत समग्र जीवन्तता, आश्चर्यजनक जागतिकता, अलाउद्दीन का आक्रमण आदि ''लीन्ह उठाई छार इकमूठी दीन्ह उड़ाई पिरथिवी झूठी'' में समाप्त होता है। अर्थात् अकाट्य यथार्थ यदि यह है तो धर्म, वासना, अहंकार, सत्ता, चीख-पुकार किसलिए ? क्यों आपस में लड़ते हो, अपने स्वधर्म का पालन करो। सूफियों ने प्रेम की पीर का जो शास्त्र रचा और लौकिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मिलाकर जैसा आख्यान रचा, निश्चय ही उसने हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को काफी सहनशील और मिली-जुली संस्कृति वाला बनाया। जौनपुर के शर्की राजाओं के काल में सूफियों द्वारा रचे गये आख्यान साहित्य ने हिन्दी को ही नहीं, बांग्ला आदि भाषाओं को भी प्रभावित किया।

बंगाल में 'पद्मावत' का व्यापक प्रभाव पड़ा है। विजयदेव नारायण साही तो 'जायसी' को हिन्दी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। जायसी एकमात्र कवि हैं जो अपने समय के इतिहास और मिथक तथा लोक और अलोक के प्रश्नों से मानव परिस्थितियों के संदर्भ में एक कवि के रूप में जूझते हैं। 'सूरदास' के लिए प्रेमैक्यता ही मुख्य विषय है। प्रेम-स्वीकृत समाज ही सत्य है। शायद ही दुनिया में कोई कवि होगा जो माता और बालक दोनों के हृदय का इतना मार्मिक ज्ञाता हो। बाल सुलभ चेष्टाओं का इतना सहज और संवेदनशील वर्णन दुर्लभ है। बाल-मनोविज्ञान को समझने के लिए सूरदास पहले कवि हैं, जो सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन इन रचनाकारों के अलावा रसखान, केशवदास, रहीम, मुल्ला दाउद, मंझन उस्मान और नूर मुहम्मद की रचनाएँ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने जौनपुर की सूबेदारी के समय में ही 'बरवै नायिका भेद' ग्रंथ की रचना की। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएँ लिखी हैं और तुलसी को कवियों का कवि कहा है। रचना का ग्रंथ बनना आसान नहीं है। केशवदास, जिन्हें गालियाँ ही मिलीं, भाषा के सजग कवि थे। केशव ने व्यवस्थित रूप से कविता का शास्त्र रचा। रामचन्द्र शुक्ल के आरोपों के बावजूद 'रामचंद्रिका' में कौशल्या, लक्ष्मण और दशरथ आदि का चरित्रांकन केशव ने मानवीय धरातल पर करने का आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है, बल्कि काफी सीमा तक देवत्वकरण को समाप्त किया। शब्द के प्रति कवि की खोज का जो उल्लेख केशव ने ''सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर'' कहकर किया है, उसकी दाद तो अज्ञेय ने 'केशव की कविताई' लेख में दी ही है। एक अर्थ में केशव प्रयोगवादियों के आचार्य हैं।

बुलंदशहर के रहने वाले सेनापति, पद को चुन-चुनकर रचने का उल्लेख इस गर्व के साथ करते हैं कि उनकी कविता में श्लेष के माध्यम से कर्म अर्थ में है। चमत्कार के इस प्रदर्शन के अलावा प्रकृति के अनेक पक्षों का यथार्थपरक जो चित्र सेनापति ने प्रस्तुत किया है, वह पूरे रीतिकाल में नहीं है।

हिन्दी गद्य को धार्मिक टीकाओं और खतों-फरमानों से अलग व्यावहारिक प्रयोगों के लिए विकसित करने का श्रेय मुंशी इंशा अल्ला ख़ाँ (लखनऊ), लल्लू जी लाल (आगरा) और सदासुख लाल नियाजी (प्रयाग) को है। 'भाखापन' और 'मुअल्लापन' से अलग ठेठ हिन्दी में लिखी कहानी 'रानी केतकी की कहानी', 'प्रेमसागर' और राजनीति तथा 'सुखसागर' ने लगभग 19वीं शताब्दी भर हिन्दी गद्य को मानकीकृत करने का प्रयत्न किया। 'प्रेमसागर' वर्षों तक सरकारी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक में रही। इनके बाद दूसरा प्रमुख साहित्यिक प्रयत्न 'इटावा' से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा मूल संस्कृत से हिन्दी में 'शकुन्तला' के अनुवाद द्वारा शुरू हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने हिन्दी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने गुरु शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह से हटकर हिन्दी भाषा को साहित्य और संस्कृति के साथ विमर्श की भाषा बनाने का अप्रतिम प्रयास किया। आगरा, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित सभाओं, समाजों और इन्स्टीट्यूटों ने जातीय जागरण के लिए हिन्दी को अधिकाधिक प्रयुक्त करने का व्यापक प्रयत्न किया। भारतेन्दु और उनके युग के रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट (प्रयागराज), राधाचरण गोस्वामी (मथुरा), राधा मोहन गोकुल (आगरा), काशीनाथ खत्री (प्रयागराज), राधाकृष्ण दास (वाराणसी), श्री निवास दास (मथुरा), रतनानाथ (इटावा), राम गोपाल विद्यान्त (लखनऊ), प्रताप नारायण मिश्र (कानपुर), बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (मिर्ज़ापुर), राधा चरण गोस्वामी (मथुरा), तोताराम वर्मा (अलीगढ़) ने हिन्दी भाषा और साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि हिन्दी जाति को नये सामाजिक-राजनैतिक प्रश्नों तथा परिवर्तनों के प्रति सजग और सचेष्ट भी किया। इन लेखकों ने हिन्दी क्षेत्र में लेखों, पर्चों, नाटकों के अभिनयों, बहसों और टिप्पणियों से हिन्दी को सारे उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन लेखकों ने ब्रज भाषा, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तरण करके उसकी व्यापकता की वृद्धि की तथा राष्ट्रीय भावनाओं को धारण करने में समर्थ किया।

भारतेन्दु के समय में ही ब्रजभाषा में बल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, राधावल्लभी हित हरिवंश आदि सम्प्रदाय के अनेक कवि या तो पैदा उत्तर प्रदेश में हुए या यहीं आकर बस गये। इन रचनाकारों ने सामान्य गृहस्थों के जीवन से लेकर सामंती जीवन तक की अनेक स्थितियों को आदर्शीकृत कर दिया। मध्यकाल के कठोर सेन्सरशिप के युग में दोहरी अर्थ व्यंजना की इस आश्चर्यजनक पद्धति का आविष्कार योरोपीय मध्यकाल के अनेक कवियों में भी मिलता है। शृंगार और अध्यात्म का यह संकेतात्मक रचना-विधान, कृष्ण लीलाओं के बहुमुखी रूपों में पाया जाता है। रस-मुहावरे का उत्तर प्रदेश में जन्म तो नहीं हुआ, परन्तु अनेक रूपों में विकास यहीं हुआ।

रीतिकाल को प्रायः दरबारी और रूढ़िबद्ध लक्ष्यपरक काव्य कहकर हेय और त्याज्य माना गया है, परन्तु यही वह काल है जिसने कला माध्यम के द्वारा एक प्रकार की आश्चर्यजनक धर्मनिरपेक्षता विकसित की। पूरे हिन्दी क्षेत्र में एक ही काव्यभाषा में कवित्त और सवैया छंदों में ऐन्द्रिय बोध का ऐसा काव्य रचा गया, जिसको पढ़कर यह पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहाँ अनेक धार्मिक मतावलम्बी हैं। ऐहिकता को रचना का माध्यम इस सीमा तक बनाना कि अज्ञानी और अशिक्षित से लेकर पढ़े-लिखे पंडित तक रसिकता में डूब जायें, इसी समय संभव हुआ। संगीत चित्र और काव्य कलाओं की पारस्परिकता से विकसित इस काल के रचनाकारों में बिहारी (मथुरा), देव (मैनपुरी), चिन्तामणि (कानपुर), मतिराम (कानपुर), भिखारीदास (प्रतापगढ़), भूषण (कानपुर), पद्माकर (बांदा), ग्यास (मथुरा), तोष (प्रयागराज), कुलपति मिश्र (आगरा), बेनी (असनी, फतेहपुर), सुरति मिश्र (आगरा), सुखदेव मिश्र (डुमरियागंज, रायबरेली), श्रीधर उपाध्याय (प्रयागराज), श्रीपति (कालपी, जालौन), रसलीन (बिलग्राम, हरदोई), दूलह (अवध), जगत सिंह (गोण्डा), प्रताप शाही (चरखारी), बेनी प्रवीन (लखनऊ), मुबारक अली (बिलग्राम, हरदोई), गुरुदत्त सिंह भूपति (अमेठी, सुल्तानपुर) आदि कवियों ने रीतिकालीन कविताओं द्वारा ऐसा वातावरण विकसित किया कि कविता सर्व संभव ही नहीं बनी, बल्कि शादी-विवाह में एक रस्म के रूप में कला मर्मज्ञता और काव्य कला के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ि तक बन गयी। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों से स्वरचित या किसी अन्य कवि की कवित्त-कविता या सवैया सुनाना वर-कन्या के लिए अनिवार्य सा बन गयी। इस प्रकार का काव्य 20वीं शताब्दी तक रचा जाता रहा। डॉ. जगदीश गुप्त की छंदशती में नवीन उद्भावनाएँ और बिम्ब विधान भी हैं। भक्ति के बरक्स इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष काव्य का सृजन अपने आप में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। श्रीधर पाठक (प्रयागराज), मिश्रबन्धु (लखनऊ) और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सतर्क तेजस्विता के साथ गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, इस तर्क से तो रीतिवाद का विरोध किया ही, कविता से अलंकार, शृंगार रस और नायिका भेद की परम्परा के बहिष्कार पर भी लिखा। सबसे पहले श्रीधर पाठक ने हिन्दी प्रदीप में एक लेख लिखकर देश प्रेम आदि आधुनिक विषयों पर लिखने और इसे छोड़ने का आग्रह किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिन्दी में प्रकृति को नये रूप में प्रस्तुत करने वाले 'नयी चाल' के कवि ही नहीं हैं, बल्कि पहले स्वछंदतावादी रचनाकार हैं, जिन्होंने कांग्रेस के पहले 'जयहिन्द' का नारा दिया जैसा कि हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है। पाठक जी के प्रयागराज स्थित पद्मकोट में ही एक प्रकार से स्वच्छन्दतावाद से छायावाद का विकास हुआ। सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा प्रायः यहाँ आते रहते थे। पंत और पाठक जी का संबंध 1909 से ही बहुत गहरा था। मैथिलीशरण गुप्त (चिरगांव, झांसी) के प्रकृति वर्णन और पाठक जी के प्रकृति-वर्णन में अंतर को ध्यान से देखने पर हिन्दी कविता के प्रारम्भ में विद्यमान संभावनाओं का पता लगता है। भाषा को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के साथ ही साथ देशप्रेम, राष्ट्रीयता और नये विचारों के प्रति ग्राह्यशीलता का नवजागरणकालीन आग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' का अग्रणी तत्त्व था। मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का सती तत्त्व और प्रेमचन्द का सत्याग्रही व यथार्थवादी तत्त्व, दोनों ने मिलकर हिन्दी भाषा और कथा-साहित्य को लोकोन्मुखी बनाया। लोक-जागरण के साहित्य को सशक्त माध्यम बनाने का कार्य और राष्ट्रीय आन्दोलन को पूर्णतः राजनैतिक स्वतंत्रता की ओर

उन्मुख करने का प्रबल आग्रह एक साथ सक्रिय हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, पढ़ीस, राय देवी प्रसाद पूर्ण और कवि मौन आदि की रचनाएँ बकौल निराला खड़ी बोली को समर्थ काव्यभाषा बनाने वाली रचनाएँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय प्रवास' की राधा, 'साकेत' की सीता, 'कामायनी' की श्रद्धा, 'सेवासदन' की सुमन, 'गोदान' की मालती, 'कर्मभूमि' की सुखदा आदि स्त्रियाँ भारतीय समाज के आदर्शवादी यथार्थवादी दौर का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त दोनों अपने समय को जिस रूप में परिभाषित करते हैं, वह सत्याग्रह युग की ही प्रश्नाकुलता का परिणाम है। प्रेमचन्द के 'गबन' और 'गोदान' तथा 'सद्गति', 'गुल्लीडंडा', 'आहुति', 'कफ़न', 'पूस की रात', 'नशा', 'ठाकुर का कुंआ', 'सवा सेर गेहूँ' आदि कहानियों में सामाजिक यथार्थ का जो आन्तरिक उद्घाटन होता है, वह हिन्दी क्षेत्र में नहीं हिन्दी के बाहर भी अन्तर्ध्वनित होता है। हिन्दी के कथा साहित्य पर प्रेमचन्द की छाया आज भी छायी है, यद्यपि प्रेमचन्द के औपन्यासिक शिल्प और सामाजिक समझ से भिन्न उपन्यास भगवतीचरण वर्मा, यशपाल और अज्ञेय ने लिखे। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ने मानव मन को केन्द्र में रखकर अनेक उपन्यास लिखे। जैनेन्द्र ने कथा-साहित्य को समर्थ भाषा दी और जोशी ने मन के उद्घाटन की शक्ति। इन कथाकारों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनेक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को जिस रूप में रखा, उसके पहले वे उस रूप में नहीं थे। 'त्यागपत्र', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'झूठा सच' और 'शेखर एक जीवनी' की दुनिया, प्रेमचंद, प्रसाद की दुनिया नहीं है। कथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी में लखनऊ का एक खासा दबदबा रहा है। अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के कथा समयों का वैसे ही निर्माण किया है, जैसे प्रेमचंद ने। उत्तर प्रदेश के शिव प्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी', विवेकी राय का 'बबूल', राम दरश मिश्र का 'जल टूटता हुआ' तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह का 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' देशकाल की फांस की ओर संकेत करने वाले उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर, बी.राजन, मदन मोहन, देवेन्द्र, प्रियंवद, मुद्राराक्षस, कामतानाथ, अखिलेश आदि ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनी छवि निर्मित की है, बल्कि अपने प्रयोगों को मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक संकट की विसंगतियों सहित रूपायित करने का प्रयत्न किया है। ये वे रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने भौगोलिक समय और स्थान को फैलाया है। संजीव का 'धार', शैलेश मटियानी का 'मुठभेड़', विभूतिनारायण राय का 'कफ़्र्यू' और कमलाकांत द्विवेदी का 'पातीघर', नीलकांत का 'बंधुआ मजदूर रामदास', राजकृष्ण मिश्र का 'दारुलशफ़ा', मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम',वीरेन्द्र सारंग का 'वज्रांगी' महत्त्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनसे पाठक संपृक्त और सजग हुआ है। ऐसे दर्जनों लेखक व उनकी रचनाएँ हैं पर उनका नामोल्लेख न कर पाना हमारी स्थान सीमा है।

हिन्दी नवजागरण के महान रचनाकारों और छायावाद के उन्नायकों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने उत्तर प्रदेश और हिन्दी दोनों को अपनी रचनाओं से एक प्रकार सनातनत्व प्रदान किया। पंत का पद विन्यास, निराला की क्रान्तिकारी प्रयोगधर्मिता और मौलिकता, जयशंकर प्रसाद का समरसतावादी समाधान और नाटकों में व्याप्त समतावादी राष्ट्रीय जागरण की गहरी दृष्टि तथा महादेवी की मानवीय नारीपरक व यथार्थवादी आध्यात्मिक दृष्टि, गहरी सामाजिक राजनैतिक अन्तर्दृष्टि ने पूरी सृष्टि को मानवीय बना डाला। सब कुछ में प्राण संचार करने वाली हिन्दी के रस छायावाद की भूमि, जिसे काव्य पारिभाषिक दृष्टि से मुश्किल से बहुत छोटा छह-सात वर्ष ही माना जा सकता है, उत्तर प्रदेश ही हो सकता था। 'सरस्वती', 'इन्दु', 'हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण', 'भारतेन्दु', 'कवि वचन सुधा', 'बाला बोधिनी', 'स्त्रीदर्पण', 'विज्ञान', 'व्यापार', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'स्वराज्य', 'मर्यादा', अभ्युदय', 'माधुरी', 'चांद', सुधा, 'हंस', 'रूपाभ', 'स्वदेश', 'माडर्न', 'दिव्य', 'प्रवासी' आदि पत्रिकाओं ने देश भर में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो व्यापक अर्थ में मानवीय था। ये पत्रिकाएँ छठीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व के हिन्दी मानस और कुछ सीमा तक भारतीय मानस का निर्माण करती रही हैं।

'क्षितिज के उस पार' या 'कौन तम के पार रे' आदि प्रश्नों को टालकर इस पार को महत्त्व देने वाले

प्रत्यक्षवादियों ने हिन्दी काव्य को नयी दिशा दी। हरिवंश राय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और भगवती चरण वर्मा ने वर्जित रचना क्षेत्र जैसा रवैया छोड़ दिया; उन्मुक्तता और सहजता को कविता के मर्म में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के इन रचनाकारों के गीतों में चिंतनशीलता के बजाय आवेग, स्वच्छंदता और तड़प है। यथार्थ को निरावृत रूप में मन की मौज में ग्रहण करने के कारण इन कवियों ने भाषा में एक विशेष प्रकार की सोच और आकर्षण पैदा किया। हिन्दी को नये प्रतीक प्रदान किये। निराला और पंत की कविताओं में भी युगान्त और युगवाणी की ध्वनि गूँजी। 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के बाद, जिसे प्रेमचन्द ने सम्बोधित किया था, हिन्दी कविता में भारतीय समाज के शोषण और अत्याचार के विविध चित्रों को प्रस्तुत किया गया। प्रगतिशील रचनाकारों में त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शीलजी उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं, जिन्होंने हिन्दी काव्य को निरंतर प्रौढ़ बनाया। शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में इसी दौर से सम्बद्ध थे। अज्ञेय को यदि जन्मस्थान (कुशीनगर) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मान लिया जाये तो कहा जा सकता है कि इस दौर के प्रभाव में वे भी थे। इन कवियों ने हिन्दी भाषा को तद्भव शब्दों और नयी अनुभूतियों से सम्पन्न किया। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 'प्रतीक' (प्रयागराज) के प्रकाशन के साथ हिन्दी कविता में नया दौर प्रारम्भ होता है। 'तार सप्तक' का प्रकाशन एक घटना है। इसमें रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं, परंतु दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में प्रदेश के कई महत्त्वपूर्ण रचनाकार शामिल हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक प्रयोगवाद और नयी कविता के दौर के अनेक लेखन-आन्दोलन ही चूँकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हुए, इसीलिए वे रचनाकार इसी प्रदेश के हैं। शमशेर, नरेश मेहता (जन्म मध्य प्रदेश, रचना क्षेत्र- प्रयागराज), कुँवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, मलयज, केदारनाथ सिंह इस प्रदेश की ही विभूतियाँ हैं, जिनके कारण यह प्रान्त अपनी सीमा के बाहर भी जाना जाता है।

छठे दशक के इन रचनाकारों का प्रभाव इधर लिख रहे अनेक रचनाकारों में पाया जाता है। देवेन्द्र कुमार, श्रीराम वर्मा, शिवकुटी लाल वर्मा, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी आदि रचनाकारों ने कविता को सम्पन्न करने का कार्य किया, परन्तु धूमिल ने कविता के स्थिर मुहावरे को तोड़ा। धूमिल ने यथार्थ के स्थिर और अपेक्षाकृत आदर्शीकृत काव्यात्मक मुहावरे के स्थान पर अनुभव और संवेदना के द्वन्द्वात्मक रिश्ते से विकसित एक नया मुहावरा दिया, जिससे कविता कटघरे में खड़े आम आदमी का बयान करने लगती है। धूमिल के मुहावरे की अपनी सीमा थी, परन्तु उसका प्रभाव सातवें और आठवें दशक पर व्यापक रूप से पड़ा। विशेषकर उन पर जो कविता को क्रान्ति का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम मानते रहे हैं। भावुक प्रतिक्रियाओं के इस दौर के बाद हिन्दी में अनेक नये कवि इस प्रदेश में आठवें और नवें दशक में हैं। कविता के क्षेत्र में कवि कम कवि यशः प्रार्थी अधिक हैं। डॉ. लक्ष्मी शंकर मिश्र 'निशंक' नीलाभ, प्रभात, राजेश, वीरेन डंगवाल, नरेश सक्सेना, देवी प्रसाद मिश्र, बोधिसत्व, मान बहादुर सिंह, कात्यायनी, बद्रीनारायण, हरीशचन्द्र पाण्डे, अनिल श्रीवास्तव, अग्निवेद जैसे सैकड़ों कवियों ने अपनी कविताओं से अपने समय के संकट और सामर्थ्य को चिन्तनशील भावना के साथ व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का योगदान अधूरा ही माना जायेगा, अगर कविता और साहित्य को प्रतिष्ठान का रूप देने वाले उन अनेक गीतकारों और रचनाकारों का उल्लेख न हो, जिन्होंने गीत विधा में विविध प्रयोग करके उसे सम्मेलनी स्तर से उठाकर महज गले का कमाल नहीं रहने दिया है। विसंगतियों, विद्रूपों और व्यंजनाओं का गहरी सम्प्रेषण क्षमता के साथ प्रयोग जिन कवियों ने किया है, उनमें उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, तन्मय बुखारिया, नीरज, रामस्वरूप सिन्दूर, सोम ठाकुर, महेश्वर तिवारी, के.पी. सक्सेना, कैलाश गौतम, उमाशंकर तिवारी, गुलाब सिंह, यश मालवीय, अमरनाथ श्रीवास्तव विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों ने बाजारूपन और कृत्रिम गंभीरता से कविता को यथासंभव बचाया है। हिन्दी गजल को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यन्त कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वैसे प्रयोग तो भारतेन्दु ने भी किया और

निराला ने भी, परन्तु दुष्यंत के अलावा शमशेर, विजयदेव नारायण साही, अदम गोंडवी, गोरख पांडे और एहतराम इस्लाम ने हिन्दी में ग़ज़ल को व्यापक अर्थवत्ता प्रदान की है। शमशेर और साही तो काफिया रदीफ की दृष्टि से भी अत्यंत चौकन्ने गजल लिखने वाले हैं। संसार की अन्य भाषाओं की तरह आत्मविमर्शात्मक स्वरूप वाली अनेक महत्त्वपूर्ण कविताएँ हिन्दी में भी हैं। इन्हें भक्ति अध्यात्म या धर्मानुभूति के खांचे में डालना कठिन है। निराला के आराधना और अर्चना के गीतों से लेकर गोविन्द चन्द्र पांडे की 'किसका', केशव कालीधर की 'समर्थ रीति', लक्ष्मीकांत वर्मा की 'कंचनमृगा', नरेश मेहता की 'उत्सवा' तक एक भिन्न प्रकार का आस्वाद है जो समकालीन प्रश्नों का शाश्वत उत्तर देने का प्रयत्न है।

कहानी विधा एक अर्थ में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित उत्तर प्रदेश में ही हुई। प्रेमचन्द से लेकर दीपक श्रीवास्तव तक उसका सर्जनात्मक तेवर वाला इतिहास है। प्रेमचन्द, प्रसाद, यशपाल, अश्क, अज्ञेय आदि पूर्वजों के बाद कहानी विधा विविध आन्दोलनों और परिवर्तनों के दौर से गुजरती रही है। इस दौर में जिन्होंने इसे सम्पन्न बनाया, उन लोगों में उत्तर प्रदेश के लेखकों को यदि प्रदेश के माध्यम से जाना जाता हुआ माना जाये, तो मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, अमरकान्त, शैलेश मटियानी, रामलाल, शेखर जोशी, हृदयेश, दूधनाथ सिंह, विभूतिनारायण राय, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, गोविन्द मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, नीलकान्त, शिवमूर्ति, संजीव, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कामतानाथ, रघुवीर सहाय, वसु मालवीय, शैलेन्द्र सागर, प्रियंवद, अखिलेश, मुद्राराक्षस, मनोज पाण्डे, वीरेन्द्र सारंग, से.रा. यात्री तथा अन्य दर्जनों नाम, ने अपनी कहानियों से कहानी को सर्जनात्मक विधा ही नहीं बनाये रखा, बल्कि इस विधा के माध्यम से मनुष्य और यथार्थ दोनों को न केवल उद्घाटित किया, बल्कि संवेदनाओं के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया, जो बिल्कुल नये थे। ऐसे अंधेरे की ओर संकेत किया, जहाँ मणियाँ थीं और ऐसे प्रकाशित स्थलों को दिखाया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। नये कथ्य, नयी भाषा और नये यथार्थ और नये शिल्प की दृष्टि से इन रचनाकारों का स्थायी योगदान है। इधर कहानियों में सूचनाओं के जंजाल का तंत्र लक्षणवादी तंत्र से अधिक विकसित हुआ है। कुछ ऐसे लेखक, कवि जो उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बस गये हैं, उनमें से मास्टर कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवन्त सिंह, रवीन्द्र कालिया, सतीश जमाली और ज्ञानेन्द्रपति का उल्लेख आवश्यक है। इनमें से कालिया और सतीश के लगभग सभी संकलन उत्तर प्रदेश आवास के बाद छपे हैं। अश्क और बलवन्त सिंह के उपन्यासों और कहानियों से हिन्दी भाषा समृद्ध ही नहीं हुई, बल्कि कथा-साहित्य में जीवनानुभव के विस्तृत वर्णन और रोमांस से यथार्थ का एक नया ही रूप उद्घाटित हुआ है।

नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्ण दास और माधव शुक्ल हिन्दी नाटक और रंगमंच के प्रजापति हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के रंगकर्मियों ने विक्टोरिया और अलबर्ट थियेटर कम्पनियों के समानांतर रंगमंच का विकास किया। 1870 के आस-पास प्रयाग रेलवे थियेटर में 300 दर्शकों के प्रमाण मिलते हैं। लखनऊ की विद्यान्त नाट्यशाला में बंगला से अनूदित और मूल हिन्दी नाटकों के 1877 तक खेले जाने के प्रमाण हैं। 1885 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पांच प्रदर्शन हो चुके थे। माधव शुक्ल ने तो कलकत्ता में भी हिन्दी रंगमंच का आन्दोलन चलाया। इन नाटककारों के सामाजिक, समस्यामूलक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और देशप्रेमपरक नाटकों के बाद प्रसाद के नाटकों का दौर आता है, जो पठनीय अधिक, अभिनेय कम माने जाते हैं। प्रसाद के नाटकों का अनुकरण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ परन्तु वे नाटक राष्ट्र जागरण के ही नहीं, राजनैतिक स्वतंत्रता के नाटक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' तो सामाजिक स्वतंत्रता का भी नाटक है। प्रसाद के बाद के समय में ही लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर के नाटक छप रहे थे। इन दोनों ने हिन्दी नाटक को सामाजिक प्रश्नों के सामने खड़े होने और मनुष्य तथा समाज में होने वाले मानसिक भौतिक परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर नाटक की भाषा और विधान को बदला। पश्चिम के इब्सन, गाल्सवर्दी और शॉ का प्रभाव ग्रहण कर राम कुमार

वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, विपिन कुमार अग्रवाल ने हिन्दी नाटक में अनेक संभावनाओं का विस्तार किया। नाटक में अभिनय संभावनाओं का विस्तार भुवनेश्वर से प्रारंभ हुआ। विपिन कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, सुलतान अहमद रिज़वी और सत्यव्रत सिन्हा ने उसे समर्थ और समकालीन बनाया। सुरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश के बाद जो सर्वाधिक चर्चित नाटककार हैं वे भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं।

विष्णु प्रभाकर वैसे तो उपन्यासकार और कहानीकार हैं, 'अर्द्धनारीश्वर' पर साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है, परन्तु प्रसिद्धि उन्हें नाटकों से ही मिली है। लगभग 10 खंडों में नाटक प्रकाशित हैं। नेमिचंद जैन और गिरीश रस्तोगी का नाट्य आन्दोलन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'नटरंग' के बगैर नाटक के विकास की चर्चा अधूरी रह जाती है। सत्यमूर्ति और कृष्णनारायण कक्कड़ को भी रंगकर्म और नाटकों के लिए भुलाना असंभव है। कक्कड़ जी ने कविता आलोचना, चित्रकला-विमर्श, चित्रकला-अनुवाद में भी समान रूप से योगदान दिया। नाटक के माध्यम से रंगमंच पर सत्य को परिभाषित करने का कार्य जो भारतेन्दु के समय से प्रारंभ हुआ, उसे इस प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटककारों ने सीमाहीन क्षेत्रों में फैलाया।

आलोचना और पुस्तक समीक्षा दोनों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। भारतेन्दु, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' और बालकृष्ण भट्ट इसके आरंभकर्ता हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक, जिसकी पहली समीक्षा हिन्दी में लिखी गयी, उसके लेखक श्रीनिवास दास मथुरा के थे। प्रसिद्ध आलोचक मिश्र बन्धु और रामचन्द्र शुक्ल ने न केवल हिन्दी आलोचना की भाषा विकसित की, बल्कि पहली बार व्यवस्थित रूप से कुछ मान (कैनन) भी विकसित किये जिसका लोहा लोग आज भी मानते हैं। रामबिलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉ. रघुवंश, दूधनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र कुमार, डॉ. अजय तिवारी, मधुरेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, अजित कुमार, वागीश शुक्ल, वीरेन्द्र यादव, सुशील सिद्धार्थ, पंकज चतुर्वेदी, कृष्णमोहन, अनिल सिन्हा, प्रणय कृष्ण और मूलचन्द गौतम ने हिन्दी आलोचना को अनेक रूपों में समृद्ध किया है। रामविलास शर्मा जलती मशाल की तरह विद्वत्ता और मूल्यांकन की अद्‌भुत क्षमता से युक्त समर्थ ऐतिहासिक आलोचक हैं। 'निराला की साहित्य साधना' तो जीवनी और आलोचना दोनों का प्रमाण है ही, नयी कविता और अस्तित्ववाद, स्थायी मूल्य और साहित्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, 'भारतेन्दु और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा' रामचन्द्र शुक्ल के बाद सबसे समर्थ आलोचना के गौरवग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को मानकीकृत करके हिन्दी को गद्य और पद्य की एक भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि हिन्दी भाषियों की चेतना का अपूर्व संस्कार किया। उन्होंने मनोरंजन और उद्देश्य दोनों को साहित्य का लक्ष्य माना। समीक्षाएँ लिखीं भी और लिखवायीं भी। मिश्र बन्धुओं के 'हिन्दी नवरत्न' की समीक्षा आधुनिक रचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। शुक्ल जी के प्रमुख शिष्य नन्ददुलारे वाजपेयी (उन्नाव) ने शुक्ल जी से हटकर छायावाद की प्रमुख कृतियों पर ही नहीं, 'साकेत', 'शेखर एक जीवनी', 'कामायनी', 'गोदान' आदि पर महत्त्वपूर्ण निबंध लिखे। छायावाद को प्रतिष्ठित करने का कार्य तो किया ही, हिन्दी साहित्य को बीसवीं शताब्दी की विवृत्ति आलोचना का महत्त्वपूर्ण प्रतिमान भी बनाया। सच तो यह है कि शुक्ल जी के बाद वाजपेयी जी कला मर्मज्ञ सामाजिक दृष्टि के सबसे सशक्त आलोचक हैं।

साही की 'जायसी और छठवां दशक', नामवर सिंह की 'कविता के नये प्रतिमान', विपिन कुमार की 'आधुनिकता की पहल', रामस्वरूप चतुर्वेदी की 'भाषा और संवेदना', रमेश कुंतल मेघ का 'अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा', परमानन्द श्रीवास्तव की 'शब्द और मनुष्य' तथा वागीश शुक्ल के 'पूर्वग्रह' तथा 'आलोचना' में प्रकाशित लेख प्रतिमानात्मक कृतियाँ हैं। काल्पनिक और अकाल्पनिक गद्य में हिन्दी आलोचना प्रायः दरिद्र है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है, जैसे जगदीश नारायण श्रीवास्तव का 'उपन्यास की शर्त', नेमिचंद जैन (आगरा) की प्रसिद्ध पुस्तक 'अधूरे साक्षात्कार' अभी भी आदर्श बनी हुई हैं।

यात्रावृत्तान्त, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण आदि विधाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पैदा हुए रचनाकार अग्रणी रहे हैं। विन्द्रावत लाल वर्मा, श्यामसुन्दर दास की 'मेरी आत्म कहानी' कई अर्थों में आत्मकथा विधा का व्यवस्थित स्वरूप है। हरिवंश राय बच्चन की चार खंडों में प्रकाशित 'क्या भूलूँ क्या याद करूँ', 'नीड़ का निर्माण', 'बसेरे से दूर' और 'दशद्वार से सोपान तक' एक प्रकार से महत्त्वपूर्ण पड़ाव हैं। रचनाकारों ने आत्मकथाएँ प्रायः कम लिखी हैं। यात्रा वृत्तान्तों की दृष्टि से अज्ञेय का 'अरे यायावर रहेगा याद', भाषा की संक्षिप्तता और सटीकता तथा वस्तु की जीवंतता का चरम उदाहरण है। जीवनी की दृष्टि से प्रारम्भ तो भारतेन्दु युग में हो चुका था, परन्तु इस विधा का व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण प्रयोग 'आवारा मसीहा' में विष्णु प्रभाकर ने किया है। अमृत राय का 'कलम का सिपाही' उस अर्थ में और भी महत्त्वपूर्ण है कि प्रेमचन्द लेखक के पिता भी थे, लेखक के लिए आवश्यक दूरी बनाना कठिन था। यद्यपि इसके पहले चरित्रों और वृत्तान्तों की लम्बी परम्परा मिलती है परन्तु नरेन्द्र शर्मा लिखित 'महात्मा गांधी', राधामोहन गोकुल लिखित 'नेपोलियन बोनापार्ट', रामचन्द्र वर्मा लिखित 'महात्मा गांधी' बेजोड़ हैं। हिन्दी लेखकों की जीवनियों की महत्त्वपूर्ण शुरुआत श्याम सुन्दर दास ने 'हिन्दी कोविद रत्नमाला' से की। इधर डॉ. रामकमल राय ने प्रसिद्ध कवि अज्ञेय पर 'शिखर से सागर तक' शीर्षक से महत्त्वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है। संस्मरणों में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', रामनरेश त्रिपाठी और अज्ञेय का विशेष महत्त्व है। एक प्रकार से इन रचनाकारों ने इसे सर्जनात्मकता प्रदान की। अमृतराय की 'जिनकी याद सदा हरी रहेगी' तथा जगदीश माथुर की 'जिन्होंने जीना जाना' ऐसी पुस्तकें हैं, जो भाषा के सांकेतिक और सटीक प्रयोग के कारण संस्मरण में गहरी संवेदनात्मक क्षमता पैदा करती हैं। रेखाचित्रों में महादेवी जी की 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' अभी भी अन्यतम हैं। एक शब्द का भी अनावश्यक प्रयोग नहीं मिलेगा।

रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, शिवमूर्ति के इधर प्रकाशित संस्मरणों में सर्जनात्मक ऊर्जा के कारण पाठक को आनन्द मिलता है। दूधनाथ सिंह का 'लौट आ ओ धार' और काशीनाथ सिंह का 'काशी का अस्सी' संस्मरण से हटकर एक प्रकार का संस्मरणात्मक गल्प है। यह पुस्तक विधात्मक नयेपन के कारण ही नहीं, अपनी बुनावट के कारण भी लीक से हटकर है।

सृजनात्मक चिंतन और ललित निबंधों की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय, कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर', डॉ. रघुवंश, युगेश्वर और कृष्णनाथ का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य द्विवेदी जैसी मर्मवेधनी मानवीय दृष्टि और शोषितों तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का तो अभाव हुआ है, परन्तु प्रकृति मात्र के प्रति व्यापक दृष्टि तथा मानवीय चिन्ता निबंधकारों का मुख्य विषय है।

रचनाकार किसी भी प्रदेश के हों, वे मूलतः किसी न किसी भाषा के लेखक होते हैं और भाषाएँ भारत में एक भाषिक क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एक दूसरे को कितना कुछ सम्पन्न करती रहती हैं, कहना कठिन है। इस अर्थ में हिन्दी क्षेत्र का व्यापक महत्त्व है। हिन्दी के अधिसंख्य लेखक उत्तर प्रदेश के हैं परन्तु हिन्दी को इतना व्यापक बनाने का श्रेय उन लेखकों को अपेक्षाकृत अधिक है, जो अन्य भाषा क्षेत्रों से हैं। उत्तर प्रदेश के रचनाकारों में से भी अनेक अन्य प्रान्तों में बसे हैं, फलतः बहुआयामों के कारण अनुभव और भाषा का नया संश्लेष पैदा कर सके हैं।

उर्दू अदब

उर्दू भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। तेरहवीं सदी में यद्यपि अमीर ख़ुसरो ने, जिनका जन्म पटियाली (जिला एटा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ पद्यात्मक रचनाएं कीं पर उर्दू गद्य का वास्तविक विकास अठारहवीं सदी से प्रारम्भ हुआ था। उर्दू के महान शायर ग़ालिब, मीर तथा नज़ीर अकबराबादी, जिनका दृष्टिकोण धर्मनिरेपक्ष रहा, का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताये थे। नज़ीर अकबराबादी आगरा में ही रहे और वहीं उनका देहान्त हुआ। आसिफ़ुद्दौला स्वयं उच्चकोटि के शायर

थे, फलतः लखनऊ उर्दू शायरी का केन्द्र बन गया।

उधर दिल्ली से लखनऊ बहुत सारे शायर आये, क्योंकि दिल्ली दरबार उजड़ रहा था। ऐसे आने वाले महान शायरों में फ़ुगाँ, मीर तक़ी मीर, सौदा, मीर ज़ाहिक़ और मीर हसन का उल्लेख किया जा सकता है। इनके बाद मुसहफी, इंशा और जुरअत आये। समय और स्थान के परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि दिल्ली शायरी की नैराश्यमय एवं उपालम्भपूर्ण शैली का स्थान लखनऊ की सुगम, अलंकारिक एवं ललित शैली ने ले लिया। लखनऊ शैली के दो प्रमुख शायर थे, नासिख़ और आतिश। ग़ज़ल के अतिरिक्त उर्दू शायरी की अन्य विधाओं जैसे मसनवी का सुन्दर उदाहरण मीर हसन, दयाशंकर 'नसीम', नवाब मिर्ज़ा 'शौक़' तथा अहमद अली शौक क़िदवई ने प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं के नाम हैं– 'सहरूलबयान', 'गुलज़ारे नसीम', 'ज़हरे इश्क' और 'आलमेख़्याल'। रेख़ती में जान साहब ने कमाल दिखाया तथा एक पूरा दीवान यादगार छोड़ा। कुछ उर्दू शायरों को रामपुर, फ़र्रुखाबाद में आश्रय मिला। दाग़, असर, अमीर, जलाल और तस्लीम उन प्रसिद्ध शायरों में से थे, जिन्हें रामपुर दरबार की तरफ से मदद मिली।

उर्दू शायरी की एक विधा 'मर्सिया' है जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्कर्ष पर पहुँचाया। अब इस विधा को एक नया आयाम देते हुए जदीद मर्सिये लिखे जा रहे हैं। जोश मलिहाबादी, अली मेंहदी बलरामपुरी, समर हतनौरी, तय्यब काज़मी, तबस्सुम ऐजाज़ी, नासिर लखनवी ने नये मर्सिये को नया रंग दिया। उर्दू नाटककारों में अवध नरेश वाजिद अली शाह 'अख़्तर' ने 'राधा-कन्हैया' का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने 'इन्द्रसभा' लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम पैदा किया। आधुनिक युग में आग़ा हश्र कश्मीरी ने सुविख्यात एवं लोकप्रिय नाटक लिखे। इस परम्परा को विलायत जाफ़री, ज़ैनुद्दीन आदि आगे बढ़ा रहे हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में बृजनारायण 'चकबस्त', सफ़ी, अज़ीज, साक़िब और जलाल ने अपनी ग़ज़लों और नज़्मों में नये विषयों का समावेश किया तथा लखनवी शायरी को नयी दिशा दी । ब्रजनारायण 'चकबस्त' इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी में राष्ट्र प्रेम की भावना का सूत्रपात किया। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रख्यात शायरों में सुरूर जहानाबादी, मौ. मोहम्मद अली 'जौहर', बिशन नारायण दर, नौबतराय नज़र, द्वारिका प्रसाद उफुक़, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, आरज़ू लखनवी, फ़ानी बदायूंनी, रियाज़ खैराबादी, मुज़तर खैराबादी, जाफ़र अली खां 'असर' और सिराज लखनवी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब शायरों ने उर्दू ग़ज़ल और शायरी को नया आयाम दिया। उर्दू शायरी में उपालम्भों की शुरुआत और उक्त शैली का विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से 'अवधपंच' में उपहासात्मक कविताएं तथा लेखादि छपा करते थे। इस कोटि के सबसे सफल कवि अकबर इलाहाबादी तथा ज़रीफ़ लख़नवी थे। बाद में गद्य लिखने वालों में रशीद अहमद सिद्दीक़ी, शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, वजाहत अली सन्दीलवी आदि ने नाम कमाया।

उर्दू गद्य भी उत्तर प्रदेश का महत्त्वपूर्ण देन रहा है। गद्य लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग 'सुरूर' का नाम आता है। उन्होंने अवध के शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में 'फ़सान-ए-अजायब' लिखा। कतिपय अन्य रचनाएं भी इनके नाम से हैं। इनकी शैली अलंकारिक और दुरूह है। शब्दाडम्बर भी अधिक है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' तथा पण्डित रतननाथ 'सरशार' के उपन्यासों में उर्दू गद्य लेखन की सरल शैली दिखायी पड़ी। उर्दू साहित्य में नयी परम्पराएं प्रारम्भ करने वालों में मिर्जा हादी 'रुसवा', मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना शिबली, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आदि ने साहित्य और अन्य विषयों पर जो कुछ लिखा, वह अविस्मरणीय है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सर सैय्यद अहमद खां, जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु उत्तर

प्रदेश में बस गये थे, ने अपने लेखों आदि में अनेक विषयों का समावेश कर उर्दू साहित्य को नयी दिशा प्रदान की तथा भाषा को सरल और आसान बनाया। उन्होंने समाज सुधार, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीति से सम्बद्ध विविध विषयों पर लेख लिखे। उनके विस्तृत ज्ञान की उनके समकालीन लेखक अवहेलना नहीं कर सके। इस प्रकार लेखकों के सामने ऐसे विषय आये, जिनकी तरफ पहले उनका ध्यान ही नहीं गया था। इतिहासकारों में इसी प्रदेश के कमालुद्दीन हैदर हसनी उल हुसैनी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर संदीलवी और मौलवी नजमुल ग़नी रामपुरी ने अवध के इतिहास पर बुनियादी कार्य किया तथा उच्चकोटि की पुस्तकें यादगार के रूप में छोड़ीं। देश के उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन केन्द्र मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ में स्थापित किया था। उर्दू के प्रति इन प्रकाशक की सेवाएं अविस्मरणीय हैं। इन्होंने ही 'अवध अखबार' निकाला था। पं. रतननाथ सरशार का सुविख्यात उपन्यास 'फसान-ए-आज़ाद' इसी अखबार में किस्तवार छपा करता था। सैय्यद जालिब का सुविख्यात अख़बार 'हमदम' लखनऊ से प्रकाशित होता था।

उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अदबी रिसाले भी प्रकाशित होते थे। इनमें खदंग-ए-नज़र, उर्दू-ए-मुअल्ला, दिलगुदाज़, ज़माना, अदीब, अल-नाज़िर, निगार, माअरिफ़, नया दौर और किताब उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'माअरिफ़' और सूचना विभाग से प्रकाशित 'नया दौर' आज भी प्रकाशित हो रहे हैं।

उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम कांफ्रेंस 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुविख्यात उर्दू-हिन्दी कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने की थी। प्रगतिशील साहित्य में मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य दबे-कुचले वर्गों की समस्याओं के चित्रण पर बल दिया गया और साहित्य द्वारा जनता में अपनी मौलिक समस्याओं और अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के चित्रण पर ज़ोर दिया गया। साथ ही साहित्य द्वारा जनता की मौलिक समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गयी। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में सज्जाद ज़हीर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो एक महत्त्वपूर्ण साहित्यकार भी थे। इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से था। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समालोचक प्रो. सैय्यद एहतेशाम हुसैन रिज़वी भी उत्तर प्रदेश के थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने ही उर्दू साहित्य को प्रो. मसूद हसन रिज़वी अदीब, मजनूँ गोरखपुरी, प्रो. एजाज़ हुसैन, डॉ. मसीहउज़्ज़मा, प्रो. आले अहमद सुरूर, प्रो. फ़ज़ले इमाम, अली सरदार जाफ़री और डॉ. इबादत बरेलवी जैसे आलोचक भी दिये। जो अन्य महत्त्वपूर्ण साहित्यकार, कहानीकार और कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये, उनमें क़ुअर्तुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई, अली अब्बास हुसैनी, उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवंत सिंह, हयातुल्लाह अन्सारी, रामलाल, चौधरी मोहम्मद अली, जोश मलिहाबादी, मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वामिक़ जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, मोइन एहसन जज़बी, बाक़र मेंहदी, ख़लीलुर्रहमान आज़मी, सलाम मछली शहरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बेकल उत्साही, नज़ीर बनारसी, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, एहसन रिज़वी, उमर अंसारी, गुलाम रिज़वी गर्दिश, कृष्ण बिहारी 'नूर' और ख़ुमार बाराबंकवी, मन्ज़र सलीम, दाराबबानो 'वफ़ा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू शायरी के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में इरफ़ान सिद्दीकी ने पिछले एक दशक में अपना लोहा मनवाया। भारत ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया में उनकी शायरी आधुनिक और प्रगतिशीलता के समागम के रूप में प्रसिद्ध हुई। 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत 'उमराव जान' फिल्म के गीतकार एवं मशहूर शायर 'शहरयार' ने भी उर्दू शायरी में प्रदेश का नाम बुलन्दियों तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश के लिए यह भी कम गर्व का विषय नहीं है कि साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत होने वली उर्दू की चार महान विभूतियाँ यहीं की हैं। उर्दू शायरी को उत्कर्ष पर पहुँचाने वाली महान शख्सियत व मशहूर शायर 'फ़िराक़' गोरखपुरी, विख्यात उपन्यासकार व कथाकार क़ुअर्तुल ऐन हैदर, मशहूर प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफ़री एवं शहरयार उत्तर प्रदेश के ही हैं।

इसके बाद जिन दो साहित्यकारों को 'सरस्वती सम्मान' से नवाज़ा गया, वे भी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें पुरस्कृत समालोचक, लेखक शम्सुर्रहमान फ़ारुकी को पहले और उसके बाद मशहूर कथाकार नैय्यर मसूद को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। भारत में अभी तक किसी भी अन्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इनके अलावा और भी महान एवं महत्त्वपूर्ण लेखक तथा कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये हैं।

सन् 1960 में और उसके पश्चात् भारत के उर्दू साहित्य में आधुनिक अभिव्यक्ति (जदीदियत) की जो बात चली, उसे आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका 'शबखून' का रहा। इस पत्रिका के माध्यम से सुविख्यात आधुनिक साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारुकी ने, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, आधुनिकता की व्याख्या की और उसे आगे बढ़ाया। आधुनिकता के अन्तर्गत साहित्य में प्रतीकात्मक और एब्सट्रेक्ट अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया गया और कहानी, कविता और ग़ज़ल में आज के युग के व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं पर कम, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चित्रण पर अधिक ज़ोर दिया गया।

उर्दू साहित्य में शोध कार्य करने वालों तथा समालोचकों में प्रो. महमूद इलाही, प्रो. नूरुल हसन हाशमी, काज़िम अली खाँ, डॉ. सै. मु. अकील रिजवी, डॉ. जाफर रजा, प्रो. शारिब रुदौलवी, प्रो. मुजाविर हुसैन रिज़वी, अली जवाद जैदी तथा डॉ. मुहम्मद हसन, प्रो. कमर रईस, प्रो. हनीफ़ नकवी, प्रो. अकबर हैदरी कश्मीरी, वारिस किरमानी, अनीस अशफाक, वक़ार नासिरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार नैयर मसूद, आबिद सुहेल, बशेषर प्रदीप, जुबेर रिज़वी, मलिक ज़ादा मन्जूर अहमद, वक़ार नासिरी, मसरूर जहाँ, अनीस अंसारी, अम्बर बहराइची, फय्याज रफत, विलायत जाफ़री, मुनव्वर राना, रबाब रशीदी, तसनीम फारुक़ी, बशीर फ़ारुकी, इक़बाल मजीद, काज़ी अब्दुल सत्तार, तारिक़ छतारी, खालिद जावेद, सबीहा अनवर, आयशा सिद्दीक़ी, तसकीन ज़ैदी आदि कहानीकार एवं शायर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। नये साहित्यकारों में कई अहम नाम सामने आये । मसलन शायरी में अज़रा परवीन, कमर अदीब, आमिर रियाज, शाहिद कमाल, संजय मिश्रा 'शौक' और कहानी में गज़ाल जैगम उल्लेखनीय रहीं। इनके अलावा मोहसिन खाँ, शाहिद अख़्तर, इश्रत जफ़र, आरिफ़ अय्यूबी, सुहेल वहीद, क़ायद हुसैन कौसर, असरार जोधा आदि ने कई अच्छे अफसाने लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है। अनुवाद कार्य में हैदरी जाफरी सैय्यद और शकील सिद्दीक़ी का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है। डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी, डॉ. रेशमा परवीन, डॉ. अतहर मसूद आदि ने भी तहक़ीक़ व आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है।

इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और उसकी समृद्धि में उत्तर प्रदेश ने हर युग में योगदान दिया है और अपनी विशेष भूमिका निभायी है। विशेष रूप से उर्दू भाषा को निखारने, संवारने और सुन्दर बनाने में लखनऊ का जो योगदान रहा, वह अविस्मरणीय है। उर्दू साहित्य की समृद्धि में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के कतिपय समालोचकों, लेखकों और शायरों का उर्दू साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है। यह प्रदेश उर्दू के पालन-पोषण का एक मुख्य केन्द्र रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभायी है और उर्दू के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक क़दम उठाये हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की प्रथम किरण बंगाल में प्रस्फुटित हुई। हिन्दी का प्रथम पत्र 30 मई, 1826 को कोलकाता से निकला, जिसका नाम 'उदन्त मार्तण्ड' था। यह साप्ताहिक था। इसके सम्पादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता का ऐतिहासिक अध्ययन करते समय निम्न काल विभाजन करना उपयुक्त होगा– प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक), भारतेन्दु युग (1867-1900 तक), द्विवेदी युग (1900 से 1920 तक), गांधी युग या छायावाद युग (1920-1947 तक) तथा स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से अब तक)।

प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक)

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में 'बनारस अखबार' पहला हिन्दी पत्र (साप्ताहिक) था। यह जनवरी 1845 में काशी (वाराणसी) से प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी भाषी प्रान्तों का प्रथम हिन्दी पत्र था। इसे राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया था। इसके सम्पादक थे– श्री गोविन्द रघुनाथ थत्ते। राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' उर्दू के हिमायती थे। इसी कारण हिन्दी का पत्र होने पर भी 'बनारस अख़बार' की भाषा हिन्दी न होकर उर्दू थी। 'बनारस अख़बार' के बाद काशी (वाराणसी) से ही 1850 ई. में श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' (साप्ताहिक) का प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। तीन वर्ष बाद यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा। आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं, भाषा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्त्व रखता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1852 है। इसके सम्पादक थे– मुंशी सदासुखलाल। आगरा से 'सर्वहितकारक' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन 1855 में हुआ। इसके सम्पादक थे– शिवनारायण। इसमें हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ रहती थीं, पर हिन्दी ही इसकी मुख्य भाषा थी।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857) तक उतनी तेजी से नहीं हुआ, जितनी अपेक्षा थी। इसी समय 13 जून, 1857 को प्रेस सम्बन्धी एक कानून जिसे 'गैंगिग ऐक्ट' कहते हैं, लागू किया गया। 1857 की क्रांति की विफलता के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनःस्थिति अवसादमय हो गयी थी। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर भी पड़ा। दमनकारी प्रेस सम्बन्धी कानून की अवधि समाप्त होने एवं राजनीतिक भूकम्प के शान्त होने पर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में नई जागृति उत्पन्न हुई। 1861 में उत्तर प्रदेश से कई पत्र निकले। इनमें 'सूरज प्रकाश' आगरा से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे– गनेशीलाल। इस पत्र के उर्दू भाग का नाम था– 'आफ़ताबे आलमताब'। 'सर्वोपकारक' और 'ज्ञानप्रकाश' भी आगरा से निकले। 'सर्वोपकारक' के सम्पादक थे– शिवनारायण। 1865 में सर्वोपकारक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' का प्रकाशन हुआ। यह पाक्षिक था। सम्पादक थे– हकीम जवाहरलाल। इसके उर्दू और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। 'लोकमित्र' का प्रकाशन 1 जनवरी, 1863 को आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन शुद्ध हिन्दी में होता था। 1864 में आगरा से 'भारतखण्डामृत' नाम का पत्र निकला। इसके हिन्दी अंश का नाम 'भारतखण्डामृत' और उर्दू का नाम 'आबेहयात' हुआ। सम्पादक थे पंडित वंशीधर वाजपेयी। 1865 में बरेली से 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह गुलाब

शंकर के संपादकत्व में निकली। यह शुद्ध हिन्दी पत्रिका थी। पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करती थी।

भारतेन्दु युग (1867-1900)

1867 ई. में आगरा से 'सर्वजनोपकारक' का प्रकाशन हुआ। पंडित पूर्णचन्द्र इसके सम्पादक थे। इसी वर्ष आगरा से एक और पत्र 'धर्मप्रकाश' निकला। ज्वाला प्रसाद इसके सम्पादक थे। यही 1890 में रुड़की से हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में निकलने लगा। 1913 में यह जालौन जिले के कोंच से निकला और 1921 में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा। भारतेन्दु युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने सहधर्मियों का एक मंडल बनाया, जिसे 'भारतेन्दु मंडल' कहा गया। तभी से हिन्दी पत्रकारिता के विकास को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। 15 अगस्त, सन् 1867 ई. को भारतेन्दु ने काशी से 'कविवचन सुधा' मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसके प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ। आरम्भ में इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था। भारतेन्दु इसके माध्यम से भारतीय जनता को हिन्दी कविता की परम्परा से परिचित कराना चाहते थे। यह पत्रिका कुछ ही दिनों के बाद मासिक से पाक्षिक हो गई। पाक्षिक 'कविवचन सुधा' में आधुनिक विषयों तथा समाज नीति, राजनीति पर लेख एवं समाचार भी प्रकाशित होते थे। 1875 में यह साप्ताहिक हो गई। 1868 में प्रयाग से विविध विषय भूषित 'वृत्तान्त दर्पण' नामक पत्र सदासुखलाल के सम्पादकत्व में निकला। यह मासिक था। दो वर्ष बाद ही यह कानून का पत्र बना दिया गया। 1869 में 'मंगल समाचार' मेरठ से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह। यह हिन्दी-उर्दू में एक साथ निकलता था। इसी वर्ष आगरा से 'जगत समाचार', जगदानंद और 'पापमोचन' हिन्दी-उर्दू का पत्र निकला। इसके सम्पादक कृष्णचन्द्र थे। इसका अपना लीथो प्रेस था। 'जगत प्रकाश' मुरादाबाद से निकला। पाक्षिक 'विद्यादर्श' और 'समय विनोद' भी इसी वर्ष निकले। 'विद्यादर्श' मेरठ से प्रकाशित होता था। इसका उर्दू संस्करण भी था। इसमें विद्या की चर्चा रहती थी।

'आगरा एजूकेशनल गजट' का प्रकाशन भी 1869 में हुआ। इसके उर्दू संस्करण के सम्पादक यूसुफ अली और हिन्दी संस्करण के सम्पादक अमीरउद्दीन थे। उर्दू की 150 और हिन्दी की 50 प्रतियाँ छपती थीं। 'ब्रह्मज्ञान प्रकाश' ब्रह्मसमाजी विचारों का पत्र बरेली से निकला था। सम्पादक थे– केशवचन्द्र सेन। 'आगरा अखबार' और 'आर्य दर्पण' का प्रकाशन आगरा तथा शाहजहाँपुर से हुआ। आर्य दर्पण के सम्पादक थे– मुंशी बख्तावर सिंह। यह मासिक पत्र था। आर्य समाज आन्दोलन को गति देने के लिए इसका प्रकाशन किया गया। इन दोनों पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1870 था। 1871 में प्रकाशित होने वाले पत्र थे– 'हिन्दू प्रकाश' (कानपुर), 'प्रयाग दूत' (प्रयाग), 'बुन्देलखण्ड अखबार' (ललितपुर), 'म्यूरगजट (मेरठ) और 'सोल्जर्स गजट' (सहारनपुर)। 'प्रेम पत्र' का प्रकाशन 1872 में आगरा से हुआ। यह पाक्षिक था। इसके सम्पादक पंडित रुद्रदत्त शर्मा थे। 'प्रेमपत्र' ही वह प्रथम पत्र है, जिससे पंडित रुद्रदत्त का सम्पादकीय जीवन आरम्भ हुआ। 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन', 'हरिश्चन्द्रिका', 'भारत-पत्रिका' और 'मर्यादा परिपाटी समाचार' पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी। यह मासिक थी। 15 अक्टूबर, 1873 को इसका प्रथम अंक निकला। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि का प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन स्थल काशी ही था। 'हरिश्चन्द्रिका' साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका थी। पत्रिका में समाचार भी छपते थे। इसके सम्पादक जयराम थे। 'भारत पत्रिका' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। यह उर्दू-हिन्दी में निकलती थी। पत्रिका का प्रकाशन अवध के ताल्लुकेदारों की संस्था– 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' ने किया था। 'मर्यादापरिपाटी समाचार' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आगरा से हुआ। यह हिन्दी और संस्कृत में निकलता था। सम्पादक थे पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल। यह सनातनी पत्र पुरानी मर्यादा की रक्षा हेतु प्रकाशित किया गया।

'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'बालाबोधिनी', 'नाटक प्रकाश', 'नागरी प्रकाश' और 'भारत बंधु' का प्रकाशन स्थल क्रमशः काशी, प्रयाग, मेरठ और अलीगढ़ है। इसके अलावा 'सुदर्शन समाचार', 'प्रयाग धर्मपत्रिका' का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ। इन पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1874 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का संशोधित नाम है। यह पत्रिका भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। पत्रिका ने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान की भावना जगाने, साहित्यिक रुचि फैलाने, हिन्दी साहित्य के विविध भागों को समृद्ध करने और हिन्दी भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उचित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सरकार इसकी सौ प्रतियाँ खरीदती थी। 'बालाबोधिनी' पत्रिका का प्रकाशन 1 जून, 1874 को हुआ। यह स्त्रीजनों की प्यारी मासिक पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित की गई थी। 'नाटक प्रकाश' 26 जून, 1874 को प्रयागराज से निकला था। यह नाटकों का मासिक पत्र था। इसके सम्पादक प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील रतनचन्द्र थे। 'नागरी प्रकाश' का प्रकाशन मेरठ से हुआ। यह मासिक पत्र था। इसका उद्देश्य नागरी या हिन्दी अक्षरों का विकास करना था। 'भारतबन्धु' साप्ताहिक के सम्पादक तोताराम वर्मा थे। यह मोटे और बेतुके टाइप में छपता था। पत्र का स्वर राजनीतिक अधिक और साहित्यिक कम था। 'धर्म प्रकाश' (प्रयाग), 'आनंद लहरी' (बनारस), 'सुदर्शन समाचार' (प्रयागराज), 'आर्य पत्रिका' (मीरजापुर), 'मंगल समाचार' (अलीगढ़), 'काशी पत्रिका' (वाराणसी) का प्रकाशन वर्ष 1875 था। 'आनंद लहरी' और 'काशी पत्रिका' साहित्यिक थीं। 'काशी पत्रिका' का प्रकाशन भारतेन्दु की ही प्रेरणा से हुआ था। इसमें 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'कर्पूर मंजरी' आदि हरिश्चन्द्र के कई नाटक छपे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– बालेश्वर प्रसाद। 'प्रयाग धर्म प्रकाश' (प्रयागराज) और 'आर्यभूषण' (शाहजहाँपुर) का प्रकाशन 1876 ई. में हुआ।

'अजाब' (शाहजहांपुर), 'हिन्दी प्रदीप' (प्रयागराज) से दोनों पत्र 1877 में निकले। 'हिन्दी प्रदीप' मासिक पत्र का प्रकाशन भारतेन्दु मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह साहित्यिक पत्र था। पत्रकारिता की दृष्टि से 'हिन्दी' का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने पत्रकारिकता को नयी दिशा दी। भट्ट जी का राजनीतिक दर्शन भारतेन्दु की तरह राष्ट्रीयता और स्वदेशी से परिपूर्ण था। उसमें अकाल, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक संघर्षों पर भी लेख होते थे। इसके अतिरिक्त नाटक, प्रहसन, निबंध और कविताएँ भी प्रकाशित होती थीं। 'हिन्दी प्रदीप' का राष्ट्रीय स्वर निर्भीकता तथा तेजस्विता से परिपूर्ण था। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में 'हिन्दी-प्रदीप' का बराबर सहयोग रहा। 'कायस्थ समाचार' (प्रयाग), 'ज्ञानचन्द्र' (प्रयागराज), 'आर्यमित्र' (काशी), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'शुभचिंतक' (कानपुर) का प्रकाशन 1878 ई. में हुआ। 1879 ई. में 'सज्जनकीर्ति सुधाकर' (आगरा) और 'भारतसुदशा प्रवर्तक' फर्रुखाबाद से निकले। प्रवर्तक के सम्पादक थे– पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। इसमें वैदिक धर्म प्रचार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, दलितोद्धार, स्त्री-शिक्षा और मादक द्रव्य निवारण आदि विषयों पर लेख छपते थे। 1881 ई. में 'भारती विलास' (आगरा), 'भारतदीपिका' (लखनऊ) और 'आनन्द कादम्बिनी' (मीरजापुर) पत्र निकले, जिनका हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है। 'आनंद कादम्बिनी' के सम्पादक पंडित बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन', 'आनन्दकादम्बिनी' के स्तम्भ बड़े आकर्षक और साहित्यिक हुआ करते थे। यथा– सम्पादकीय, 'सम्मति समीर', 'साहित्य सौदामिनी', 'वृत्तान्त बलाकावली' और 'प्राप्ति स्वीकार' अथवा 'समालोचना सीकर' आदि। पत्रिका के प्रकाशन का मूल उद्देश्य था साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन लाना। 1882 में 'प्रयागराज समाचार' (प्रयागराज), 'बालदर्पण' (प्रयागराज), 'देवनागरी प्रचारक' (मेरठ), 'भारतेन्दु' (वृन्दावन) आदि पत्र निकले।

'काशी समाचार' (काशी), 'सत्य प्रकाश' (बरेली), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'ब्राह्मण' (कानपुर) का प्रकाशन 1883 में हुआ। 'ब्राह्मण' का प्रथम अंक होली के दिन (15 मार्च, 1883) निकला। पत्र का सिद्धान्त वाक्य था ''शमोरपिगुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि''। इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर बड़े उत्कृष्ट लेख होते थे। यह अपने समय का निर्भीक पत्र था। इसने देशोन्नति में बाधक विचारों और

कार्यों की कटु आलोचना करने का व्रत ले रखा था। पत्रिका के सम्पादक थे प्रसिद्ध निबन्धकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र।

सन् 1885 से 1895 के बीच प्रकाशित होने वाले महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में 'हिन्दोस्थान' (कालाकांकर), 'नागरी नीरद' (मीरजापुर), 'भारतप्रकाश' (मुरादाबाद), 'भारतोदय' (कानपुर), 'रसिक पंच' एवं 'प्रयाग मित्र' (प्रयागराज), 'विचार पत्र' (इटावा), 'भारत भानु' (बनारस), 'बुद्धि प्रकाश' (लखनऊ), 'हिन्दी मंच' (अलीगढ़), 'देवनागरी गजट' (मेरठ), 'खिचड़ी समाचार' (मीरजापुर), 'भारतहितैषी' (फर्रुखाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भारत प्रताप' (मुरादाबाद), 'रसिक पत्रिका' एवं 'रसिक पंच' (कानपुर), 'भारतभूषण' (बनारस), 'बुन्देलखण्ड पंच' एवं 'संसार दर्पण' (झाँसी) तथा 'स्वतंत्र' (लखनऊ), 'सनाढ्योपकारक' (आगरा), 'माहेश्वरी' (हापुड़), 'वनिता हितैषी' (कानपुर), 'नाट्यपत्र' (प्रयागराज), 'सर्वहितैषी' (मुरादाबाद), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'जैन गजट' (सहारनपुर), 'जैन समाचार' (लखनऊ), 'ब्राह्मण समाचार' (हरदोई), 'दीनबन्धु' (फर्रुखाबाद), 'प्रश्नोत्तर' और 'कुसुमांजलि' (काशी), 'एलोपैथिक डाक्टर' (प्रयाग), 'विश्वकर्मा' (मथुरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा) आदि प्रमुख हैं। दैनिक 'हिन्दोस्तान' और 'नागरी नीरद' ने अपनी महत्ता के लिए पत्रकारिता के इतिहास में अक्षुण्ण भूमिका अदा की है। पत्र का प्रथम अंक 1885 में निकला। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे। दैनिक हिन्दोस्तान पत्र का वार्षिक मूल्य रुपये दस था। दैनिक 'हिन्दोस्तान' के माध्यम से महामना मालवीय जी ने हिन्दी पत्रकारिता को मूल्यवान बना दिया। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरंतर होता रहा।

इसी वर्ष 'नागरी-नीरद' नामक साप्ताहिक पत्र 'प्रेमधन' जी ने मिरजापुर से निकाला। पत्रिका के स्तम्भों के नाम साहित्य, वर्षा और ऋतु सम्बन्धित हुआ करते थे। यथा– 'सम्पादकीय समिति समीर', 'हास्य हरितांकुर', 'काव्यामृतवर्षा', 'विज्ञापन वीर बहूटियाँ', 'नियम निर्घोष', 'सौदामिनी संदेश', 'अनुवादाम्बुप्रवाह', 'संग्रहसुरेन्द्रायुध' आदि। पत्र में राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि विषय चर्चित होते थे। हास-परिहास के लिए प्रहसन, चुटकुले तथा प्रश्नोत्तर होते थे। नागरी का प्रचार इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था। 'गौड़ हितकारक' (मुरादाबाद), 'सनातन धर्मपताका' (मुरादाबाद), 'कवि और समालोचक' (बलिया), 'चन्द्रिका' (लखनऊ), 'त्रिवेणी तरंग' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष 1886 है। 1897 में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह शोध पत्रिका थी। इसने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नया जीवन प्रदान किया। यह त्रैमासिक थी। 1898 में 'आर्यमित्र' (मुरादाबाद) और 'कान्यकुब्ज हितकारी' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ। 1899 में 'मथुरा-वैश्य सुखदायक' (मथुरा) और 'देशहितकारी' (मेरठ) पत्र निकले।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस युग की पत्रकारिता ने युग चेतना का पर्याय बनकर नये युग का प्रवर्तन किया। हिन्दी भाषा के उत्थान-विकास और भारतीय समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अर्थात समग्र चेतना के विकास में इस युग की पत्रकारिता का योगदान स्तुत्य है।

द्विवेदी युग (1900-1920)

हिन्दी साहित्य का द्विवेदी युग (महावीर प्रसाद द्विवेदी) अपनी साहित्यिक आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के उन्नयन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहारात्मक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण था। इस युग की साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। तीसरे वर्ष में इसके सम्पादन का भार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठा लिया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का सम्पादन लगभग पन्द्रह वर्षों तक किया। उनके सम्पादन काल में 'सरस्वती' का सर्वांगीण विकास हुआ। यह वही अवधि है, जिसको बाद में द्विवेदी युग की संज्ञा दी गयी। 'सरस्वती' का प्रकाशन लगभग 80 वर्षों तक होता रहा। इसके अन्य सम्पादकों में– पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीदत्त शुक्ल और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी प्रमुख हैं। सरस्वती का पुनर्प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है।

'सरस्वती' ने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। इसने लेखकों को लिखने की

कला का प्रशिक्षण दिया। सम्पादन तकनीक से लोगों को अवगत कराया। साहित्य, समाज और राजनीति से सम्बन्धित समस्त विषयों के लेखों का प्रकाशन किया। इस वर्ष के अन्य प्रकाशित पत्रों के नाम हैं– 'काव्यकलानिधि' (मीरजापुर), 'सुदर्शन' (काशी), 'अवध समाचार' (लखनऊ), 'कर्तव्यसुधानिधि' (प्रयागराज), 'नूतन व्यापारी' (मेरठ), 'मित्र' (बनारस), 'जाट हितकारी' (आगरा), 'भारतहितोपदेशक मित्र' (बाराबंकी) और 'गोपाल पत्रिका' (लखनऊ) आदि। 'वसुन्धरा' का प्रकाशन वाराणसी से 1902 में हुआ। सम्पादक थे– रामदास वर्मा। सन् 1903 में 'कायस्थ कुल भास्कर' (इटावा), 'धर्मोपदेशक (बरेली), 'वाणिज्य सुखदायक' (काशी), 'रसिक लहरी' (कानपुर), 'सिपाही' (कानपुर), 'अंबला हितकारक' (मुरादाबाद), 'स्त्री दर्पण' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र वाटिका' (प्रयागराज), 'धर्मपंच' (मेरठ), 'ब्राह्मण सर्वस्व' (इटावा) आदि पत्र निकले। सन् 1906 ई. में 'कनवजिया' (कानपुर), 'कलवार गजट' (मीरजापुर), 'रसिक रहस्य' (जौनपुर), 'विनोद वाटिका' (काशी), 'छात्रहितैषी' (अलीगढ़), 'बालप्रभाकर' (बनारस), 'संसार मित्र' और 'वैदिक सर्वस्व' (प्रयाग) प्रकाशित हुए।

सन् 1907 में प्रयागराज से मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में 'अभ्युदय' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। 'अभ्युदय' प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र बन गया था। कालान्तर में यह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रवाह में प्रवाहित होकर क्रांतिकारियों का पक्षधर बन गया। इस पत्र के सम्पादकों में मालवीय जी के अलावा पुरुषोत्तम दास टण्डन, सत्यानंद जोशी, कृष्णकांत मालवीय, वेंकटेश नारायण तिवारी, पद्मकांत मालवीय और पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी प्रमुख थे। 'अभ्युदय' ने अनेक राष्ट्रभक्त पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी वर्ष 'अभ्युदय' के अतिरिक्त साप्ताहिक 'आनन्द' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। सम्पादक थे पंडित शिवनाथ शर्मा। ये बड़े आनन्दी व्यक्ति थे। हँसी-दिल्लगी का लेख लिखने वाला उनके समान कोई नहीं हुआ। 1917 में यह दैनिक हो गया था। इस वर्ष अन्य प्रकाशित पत्रों में 'दयानन्द पत्रिका' (मेरठ), 'नागरी प्रचारक' (लखनऊ), 'सदुपकारी' (बरेली) और 'भारतभूमि' (मुरादाबाद) आदि रहे।

'सम्राट' (कालाकांकर), 'कलवार मित्र' (प्रयाग), 'खत्री हितकारी' (काशी), 'क्षत्रिय' (मेरठ) तथा 'व्यापारी व कारीगर' (काशी) पत्र सन् 1908 में निकले। सन् 1909 में 'कर्मयोगी' (प्रयागराज), 'देहाती' (आगरा), 'जहावी' (चुनार), 'कवि' (गोरखपुर), 'स्त्रीधर्मशिक्षक' (प्रयाग) और 'इन्दु' (वाराणसी) का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उग्र स्वर प्रदान करने वाले पंडित सुन्दरलाल हैं। इन्हीं के सम्पादकत्व में 'कर्मयोगी' निकला। इसमें ऐसी रचनाएँ छपती थीं, जिसमें भूतकाल के भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया। 'इन्दु' मासिक का प्रथम अंक 1909 में निकला। यह उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था। सम्पादक थे– प्रसाद जी के भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त। 'इन्दु' पत्रिका को हिन्दी-साहित्यिक-संसार में लाने का श्रेय 'प्रसाद जी' को है, क्योंकि यह उन्हीं की प्रेरणा का फल था। प्रसाद का अधिकांश प्रारम्भिक साहित्य इसी पत्रिका के माध्यम से सामने आया। इसमें उनकी कविताएँ, लेख, कहानी, नाटक आदि प्रकाशित हुए। यहीं से उनके स्वच्छन्दतावादी जीवन-दर्शन एवं काव्यान्दोलन का निर्माण होता है। प्रसाद की काव्य साधना के विकास में 'इन्दु' का अविस्मरणीय योगदान है। इसने हिन्दी कविता की नई धारा के पथ को प्रशस्त किया। इसलिए हिन्दी काव्य विकास की धारा को ठीक से समझने के लिए 'इन्दु' की फाइलों का अनुशीलन अनिवार्य है।

'प्रताप' (कानपुर), 'कुलश्रेष्ठ' (अलीगढ़), 'नवजीवन' (काशी), 'प्रजाबंध' (मथुरा), 'सुधांश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1910 में हुआ। इसमें 'प्रताप' एक तेजस्वी पत्र था। इसके सम्पादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी उत्साही नवयुवक थे। उन्होंने कुछ साथियों की सहायता से इसे निकाला था। थोड़े ही समय में 'प्रताप' ने हिन्दी पत्रकारिता में अपना स्थान बना लिया था। प्रताप का आफिस क्रान्तिकारियों का अड्डा था। अपने नीति-विषयक आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रतिबद्ध 'प्रताप' ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन को कदम-कदम पर चुनौती दी और इसके लिए दण्ड भी भोगा।

'श्री सरयूपारीण' (प्रयागराज), 'वैष्णव सर्वस्व' (वृन्दावन), 'जमीनदार' (काशी), 'स्त्रीचिकित्सक' (प्रयागराज), 'भास्कर' (मेरठ), 'जीवन' (कानपुर), 'मर्यादा' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष सन् 1911 है। 'मर्यादा' का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकान्त मालवीय ने किया था। कृष्णकान्त ही 'मर्यादा' के प्रथम सम्पादक थे। यह पत्रिका अपने नाम के गुणानुसार सामाजिक मर्यादा और राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए विज्ञान विषयक सामग्री का भी प्रकाशन करती थी। 'आकाश दर्शन' स्तम्भ में ज्योतिष के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना मासिक रूप में की जाती थी। पत्रिका को नया स्वरूप प्रदान किया था बाबू सम्पूर्णानन्द ने। इनके द्वारा लिखे गये राजनीतिक लेख उस समय बहुत चर्चित हुए। इन्होंने छद्म नाम से भी लिखा। 'मर्यादा' में छपने वाले विशिष्ट नाम हैं– अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', प्रेमचन्द, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, रामदास गौड़ और कृष्णबिहारी मिश्र। जब सम्पूर्णानन्द जेल गये तो इसके सम्पादन का दायित्व प्रेमचन्द ने उठाया। प्रेमचन्द ने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से 'मर्यादा' के कलेवर को सँवारा। पत्रिका का प्रकाशन सन् 1923 में बंद हो गया। सन् 1912 में 'प्रेम' (वृन्दावन), 'साहित्य समालोचक' (गोरखपुर) और 'वैश्व' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ।

'कानपुर गजट' (कानपुर), 'यादवमित्र' (शिकोहाबाद), 'भारत महिला' (मेरठ), 'भारत नारी हितकारी' (मैनपुरी), 'स्त्री शिक्षा' (कानपुर), 'कन्या मनोरंजन' (प्रयागराज), 'कन्या सर्वस्व' (प्रयागराज), 'आरोग्य सिन्धु' (अलीगढ़), 'वनौषधि प्रकाश' (मेरठ), 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'देहाती' (उरई), 'प्रियंवदा' (मीरजापुर) और 'हिन्दी साहित्य' (काशी) का प्रकाशन सन् 1913 ई. में हुआ। इन पत्रिकाओं में 'सम्मेलन पत्रिका' और 'प्रभा' का योगदान अविस्मरणीय है। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से पंडित रामनरेश त्रिपाठी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रकाशन आज भी अबाध गति से हो रहा है। यह शोध पत्रिका है। इसका लोक संस्कृति विशेषांक बहुत ही चर्चित हुआ। इसके विशेषांकों में 'कला विशेषांक', 'गांधी-टण्डन स्मृति विशेषांक', 'श्रद्धांजलि विशेषांक', 'साहित्य-संस्कृति भाषा विशेषांक', 'जन्मशती विशेषांक' प्रमुख हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित पद्मसिंह शर्मा आदि साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

'प्रभा' मासिक राजनीतिक पत्रिका थी। इसके सम्पादकों में गणेश शंकर विद्यार्थी, देवदत्त शर्मा और कृष्णदत्त पालीवाल थे। सन् 1914 में 'अवधवासी' (लखनऊ), 'राजभक्त' (काशी), 'अवध केसरी' (अयोध्या), 'देवनागर' (मेरठ), 'विद्यार्थी' (प्रयागराज), 'डिस्ट्रिक्ट गजट' (बुलन्दशहर), 'हलवाई वैश्य हितैषी' (काशी), 'गूजर हितकारी' (सहारनपुर), 'कृषि सुधार' (मैनपुरी) और 'कलाकुशल' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ।

'प्रहलाद' (काशी), 'ब्रह्मभट्ट हितैषी' (कानपुर), 'हलवाई वैश्य संरक्षण' (काशी), 'पालीवाल ब्रह्मणोदय' (आगरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा), 'विज्ञान' (प्रयागराज), 'डाक्टर' (मथुरा), 'सत्य समाचार' (वृन्दावन), 'तरंगिणी' (काशी), 'व्यापारी' (कानपुर) और 'बालबोध' (बनारस) का प्रकाशन 1915 में हुआ। 'विज्ञान' सार्वजनिक हित का एक अच्छा मासिक पत्र था। इसके सम्पादक थे कवि पंडित श्रीधर पाठक। इस पत्रिका के अन्य सम्पादकों में गोपाल प्रसाद भार्गव, ब्रजराज, रामदास गौड़, सत्यप्रकाश युधिष्ठिर भार्गव और गोरखनाथ प्रमुख थे इसका प्रकाशन प्रयागराज की विज्ञान परिषद करती थी। हिन्दी भाषा वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में इस पत्रिका का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

सन् 1916 में 'मथुरा समाचार' (मथुरा), 'वैद्य सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'सुधावर्षक' (अलीगढ़), 'सर्वशिक्षक' (प्रयागराज), 'माथुर वैश्य हितकारी' (आगरा) और 'जैन मार्तण्ड' (हाथरस) पत्र निकले। 'आनन्द' दैनिक (लखनऊ), 'निर्बल सेवक' (बिजनौर), 'भारतबन्धु' (हाथरस), 'बालसखा' (प्रयागराज), 'समाज' (प्रयागराज), 'स्कूल मास्टर' (अलीगढ़), और 'चिकित्सक' (कानपुर) पत्रों का प्रकाशन वर्ष सन् 1917 है। सन् 1918 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'सूर्य' (काशी), 'आनन्द प्रचारक' (मथुरा), 'कानपुर समाचार' (कानपुर), 'ब्रह्मऋषि' (मेरठ), 'उत्साह' (जालौन), 'मथुरा गजट' (मथुरा), 'सत्यसेतु' (शाहजहाँपुर),

'कालिन्दी' (रामनगर, बनारस), 'भारतीय' (लखनऊ), 'ललिता' (मेरठ), 'विश्वविद्या प्रचारक' (लखनऊ), 'ब्रह्मशक्ति' (बनारस), 'आर्य महिला' (बनारस), 'सत्यवादी' (आगरा), 'अहीर समाचार' (शिकोहाबाद), 'जैनपथ प्रदर्शक' (आगरा), 'जैसवाल जैन' (आगरा), 'कायस्थ महिला हितैषी' (अयोध्या) आदि। 'भविष्य' (प्रयागराज), 'गौड़ समाचार' (मैनपुरी), 'संन्यासी' (प्रयागराज), 'व्यापार' (लखनऊ), 'अग्रवाल बन्धु' (आगरा), 'बरनवाल चन्द्रिका' (मुरादाबाद), 'त्यागी ब्राह्मण' (मेरठ), 'धर्माभ्युदय' (आगरा), 'बिजली' (इटावा), 'सेवा' (प्रयागराज), 'संसार' (कानपुर), 'किसान' (फतेहपुर), 'प्रहलाद' (काशी), 'औदुम्बर' (काशी), 'स्वदेश' (गोरखपुर) आदि पत्र 1919 में निकले। इसी वर्ष के उल्लेखनीय मासिकों में– काशी से 'स्वार्थ' और कानपुर के 'हिन्दी मनोरंजन' का हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है।

राष्ट्रीय आन्दोलन को वाणी देने वाले पत्र 'स्वदेश' का प्रकाशन 6 अप्रैल, 1919 को गोरखपुर से हुआ। उग्र विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण 'स्वदेश' को जन्म से मृत्यु तक सरकारी कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। प्रकाशन के पूर्व ही इससे 500 रुपये की जमानत माँगी गई थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के अधिक निकट है। इस युग ने आन्दोलन के विभिन्न स्वरूपों यथा– समाचारों, नेताओं के संदेशों, दमन और अत्याचारों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों के विवरण के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उत्प्रेरित करने वाले लेखों, कविताओं, कहानियों और सम्पादकीय टिप्पणियों, अग्रलेखों के माध्यम से लोक भावना को जाग्रत कर उसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त किया। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्य के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये।

गांधी या छायावाद युग (1920-1947)

सन् 1920 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आज' (वाराणसी)), 'वर्तमान' (कानपुर), 'लोकमत' (कानपुर), 'सुधाकर' (आगरा), 'हिन्दुस्तानी अखबार (प्रयागराज), 'स्वराज्य' अर्द्धसाप्ताहिक (बिजनौर), 'जुझोतिया प्रभा' (झाँसी), ''वैश्यबन्धु' (काशी), 'अग्रवाल लोहिया हितैषी' (आगरा), 'स्वार्थ' (काशी), 'प्रेमबन्धु' (कानपुर), 'विश्वभूषण' (अयोध्या), 'किसान' (उन्नाव), 'आर्यदर्श' (बस्ती), 'अहिंसा समाचार' (काशी) और 'अवध प्रकाश' या 'स्वदेशेन्दु' (अयोध्या), 'भविष्य दैनिक' (प्रयागराज) आदि।

उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नत और विकसित करने, उसके आदर्श स्वरूप की प्राप्ति करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने हेतु काशी से हिन्दी दैनिक 'आज' का प्रकाशन 5 सितम्बर 1920 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्त थे। गुप्तजी 'आज' को लंदन के 'टाइम्स' जैसा बनाना चाहते थे। पत्र के प्रथम सम्पादक थे श्रीप्रकाश जी। उन्होंने दो वर्षों तक इसका सम्पादन किया। इसके बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1923 से 1955 की जनवरी तक सम्पादन कार्य संभाला। तत्पश्चात् पत्र के सम्पादकों में थे–पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ खाडिलकर, विद्याभास्कर, सत्येन्द्र कुमार गुप्त और शार्दूल विक्रम गुप्त। दैनिक 'आज' राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख पत्र था। सन् 1920 से 1947 तक के बीच यह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दस्तावेज है। 'आज' हिन्दी भाषा और वर्तनी में एकता लाने हेतु सतत प्रयत्नशील था। पत्रकारिता में समाचार लिखने की समस्त तकनीक का जीता-जागता उदाहरण है 'आज'। केवल काशी से निकलने वाला 'आज' अब भी कई स्थानों से निकल रहा है। ज्ञान मण्डल काशी से निकलने वाला 'स्वार्थ' भी अद्वितीय पत्र था। पत्र का विषय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हुआ करता था। इससे पूर्व इस विषय पर कोई स्वतंत्र पत्र नहीं था। सम्पादक थे पंडित जीवन शंकर याज्ञिक।

'वर्तमान' दैनिक के सम्पादक पंडित रमाशंकर अवस्थी थे। सरकारी सूत्र के अनुसार 'वर्तमान' का प्रकाशन 22 अक्टूबर, 1920 को असहयोग आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु हुआ था। सरकार ने इस पत्र को उग्रवादी पत्रों की सूची में रखा था। यह उग्रवादी प्रकाशनों के लिए विख्यात था। राजनीतिक जागृति के परिणामस्वरूप जहाँ पत्रों के प्रकाशन में तेजी आयी, वहीं उनकी प्रसार संख्या में भी वृद्धि हुई। 1920 में 'आज' और 'भविष्य' की दो-दो हजार तथा 'प्रताप' और 'वर्तमान' की तीन-तीन हजार प्रसार संख्या

हो गयी थी। फलस्वरूप जन-जीवन में राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि हुई। 'कर्तव्य' (इटावा), 'किसान' (प्रयागराज), 'महिला समाचार' (फतेहपुर), 'नाई मित्र' (झाँसी), 'राष्ट्रीय अध्यापक' (कानपुर), 'नाई ब्राह्मण' (कानपुर), 'तिलक' (आगरा) और 'शिल्प समाचार' (कन्नौज) पत्र सन् 1921 में निकले। सन् 1922 में 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'हिन्दुस्तान' (अलीगढ़), 'जैन केसरी' (हाथरस), 'जीवन' (मथुरा), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'लोकमत' (उरई), 'मातृभूमि' (कानपुर), 'सत्यवादी' (अलीगढ़), 'विक्रम' (कानपुर), 'कवि' (गोरखपुर), 'निर्भय' (मैनपुरी), 'परिवर्तन' (कानपुर), 'नवयुग' (प्रयागराज), 'हिन्दू गजट' (सहारनपुर), 'देवेन्द्र' (लखनऊ), 'हिन्दी आउटलुक' (लखनऊ), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'देवदर्शन' (प्रयाग), 'महान लोधी राजपूत धर्मपताका' (आगरा), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'मिर्जापुर समाचार' (मीरजापुर), 'भारत धर्मनेता' (काशी), 'रजकबन्धु' (प्रयागराज), 'मस्ताना जोगी' (कानपुर), 'कपटसखा' (कानपुर), 'छात्र हितैषी' (अलीगढ़), 'उद्यम' (झाँसी), 'मार्तण्ड' (कानपुर), 'मुनि' (झाँसी), 'माधुरी' (लखनऊ) और 'चाँद मासिक' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ था।

'ब्रजवासी' का प्रकाशन स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में हुआ था। पत्र की नीति उदारवादी होते हुए भी कभी-कभी उग्र हो जाती थी। 'कवि' मासिक एक साहित्यिक पत्रिका थी। 'लोकमान्य' राजनीति प्रधान पत्र था। सम्पादक थे नंदकिशोर वर्मा। उन्हें असहयोग आन्दोलन के प्रसंग में एक वर्ष के कारावास का दण्ड मिला था। 'लोकमत' और 'नवयुग' दोनों असहयोग आन्दोलन तथा गांधी जी के आन्दोलन के प्रसार हेतु निकले थे। इसी वर्ष जुलाई, 1922 से मासिक पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। नवलकिशोर प्रेस के मालिक विष्णुनारायण भार्गव की प्रेरणा से यह पत्रिका निकली। पत्रिका पूर्णरूपेण साहित्यिक थी। इसका उद्देश्य था– उच्च कोटि के स्थायी साहित्य को प्रस्तुत करना। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 'विविध विषय– विभूषित, साहित्य-सम्बन्धी सचित्र मासिक' लिखा जाता था। साप्ताहिक 'चाँद' इसी वर्ष नवम्बर से मासिक हो गया था। मासिक 'चाँद' के प्रथम सम्पादक श्री रामरख सिंह सहगल थे और संचालिका थीं श्रीमती विद्यावती सहगल। यह प्रयाग से निकला था। पत्र के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था।

पत्र के सम्पादकों के नाम हैं– श्री नन्द किशोर तिवारी, शुकदेवराय, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव और महादेवी वर्मा। चाँद ने प्रथम बार विशेषांकों की धूम मचा दी थी। इनमें प्रमुख विशेषांक हैं– 'गेल्पांक', 'महिला अंक', 'विधवांक', 'शिशु अंक', 'प्रवासी अंक', 'अछूतांक', 'पत्रांक', 'फाँसी अंक', 'मारवाड़ी विशेषांक', 'विदुषी अंक' और 'भारत वर्ष अंक' आदि। 'चाँद' ने साहित्यिकता के आवरण में राजनीतिक, स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि विषयों पर उत्कृष्ट सामग्रियों का प्रकाशन कर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में एक नये कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की। प्रारम्भ में पत्र का स्वर राजनीतिक कम, सामाजिक सुधार का अधिक था, परन्तु बाद में स्वतंत्रता संग्राम के उग्र प्रवाह में यह क्रांतिकारी विचारों की प्रमुख पत्रिका हो गयी। पत्र के 'फाँसी अंक' का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना थी।

सन् 1923 में प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'वंदे मातरम्' (फतेहपुर), 'लक्ष्मण' (लखनऊ), 'उत्साह' (झाँसी), 'बुन्देलखण्ड केसरी' (बाँदा), 'स्वच्छन्द' (अलीगढ़), 'स्वाधीन' (फर्रुखाबाद), 'सुखमार्ग' (अलीगढ़), 'अरुणोदय' (मिर्जापुर), 'राष्ट्र' (लखनऊ), 'पुरुषार्थ' (बाराबंकी), 'नैया' (झाँसी), 'नवयुग' (आगरा), 'महिला सुधार' (कानपुर), 'कृषक राजबंधु' (सीतापुर), 'भारतवर्ष' (गोरखपुर), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'ग्रामवासी' (इलाहाबाद), 'हमदर्द' (कानपुर), 'देशभक्त' (आगरा), 'देहाती' (उरई), 'दीपक' (अयोध्या), 'मातृभूमि' (मेरठ), 'भारत धर्म' (काशी) आदि। 'प्रेत' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'किसान' (कानपुर), 'वीर' (बिजनौर), 'साहस' (झाँसी), 'ब्राह्मण हितैषी' (मैनपुरी), 'देशदूत' (काशी), 'कैलाश' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भविष्य' (कानपुर), 'महावीर' (सहारनपुर), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'वीरेन्द्र' (जालौन), 'हलधर' (इटावा), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'नवयुग' (कानपुर), 'स्वास्थ्य', 'आरोग्य' (कानपुर), 'सिविल सर्जन' (सहारनपुर),

'अध्यापक' (बाराबंकी), 'भूगोल' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र' और 'सहारनपुर' (कानपुर), 'हिन्दी पुष्कर' (बरेली), 'रंगमंच' (बरेली), 'मनोरमा' (प्रयागराज), 'साम्यवादी' (कानपुर), 'महिलासर्वस्व' (अलीगढ़), 'उत्साह' (काशी), 'योग प्रचारक' (काशी), 'साहित्य' (कानपुर), 'कृषक राज बन्धु' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'शैतान' (लखनऊ) आदि पत्र सन् 1924 में प्रकाशित हुए।

इन पत्रों में 'मनोरमा' साहित्यिक पत्रिका थी। इसके सम्पादक थे श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'। यह विविध विषय विभूषित 'सचित्र मासिक' पत्रिका थी। इस पत्रिका में लेखों के विषय अत्यन्त गंभीर होते थे। शिक्षाप्रद कविताएँ, सुन्दर तिरंगे भावपूर्ण चित्र, कार्टून तथा पहेलियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, वैज्ञानिक विचार और प्रहसन इत्यादि अधिक सुन्दर और मनोरंजक निकलते थे। महिलाओं और बालकों के मनोरंजन हेतु इसमें विशेष सामग्री प्रकाशित होती थी। पत्रिका में प्रकाशित होने वाले स्तम्भों के नाम हैं – बालवाटिका, कुसुमकुंज, वनिता विनोद, संगीत आदि।

सन् 1925 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आर्यमित्र' (आगरा), 'नवयुग' (कानपुर), 'जाटवीर' (आगरा), 'प्राणरक्षा' (मथुरा), 'जीवन' (मथुरा), 'सैनिक' (आगरा), 'यादव' (गोरखपुर), 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ग्राम सुधार' (मैनपुरी), 'मिर्जापुर गजट' (मीरजापुर), 'भारत पुत्र' (हाथरस), 'हरदोई डिस्ट्रिक्ट गजट' (हरदोई), 'कुर्मी क्षत्रिय दिवाकर' (काशी), 'मौर्य भाष्कर' (लखनऊ), 'माथुर पत्रिका', 'माथुर क्षत्रिय' (आगरा), 'विश्वकर्मा' (कानपुर), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'आयुर्वेद केसरी' (कानपुर), 'आयुर्वेद समाचार' (मेरठ), 'धनवन्तरि' (अलीगढ़), 'वैद्यकल्पद्रुम' (हमीरपुर), 'आधुनिक धन्वन्तरि' (कानपुर), 'राजवैद्या' (प्रयाग), 'डाक्टर' (बरेली), 'कला-कौशल' (कानपुर), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'खद्दर' (कानपुर), 'व्यापारिक संसार' (हाथरस) आदि।

इन पत्रों में 'सैनिक' का निकलना हिन्दी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है। 'सैनिक' का प्रकाशन आगरा से श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने जून, 1925 को आरम्भ किया था। प्रारम्भ में इसका स्वरूप साप्ताहिक था और यह स्वराज्य पार्टी का पत्र था। इसमें राजनीतिक एवं किसान सभा के विवरण प्रकाशित होते थे। कालान्तर में यह स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक बना। सरकार की निगाह इस पत्र पर लगी रहती थी। इस विचारधारा के पोषक अन्य पत्र थे– 'नवयुग', 'भारतपुत्र', 'मातृभूमि' और 'खद्दर' आदि। सन् 1927 में निकलने वाले प्रमुख पत्रों के नाम हैं– 'सुधा', 'विवेक', 'भारतवर्ष', 'समय'। 'सुधा' का प्रथम अंक अगस्त, 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मासिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– पंडित रूपनारायण पाण्डेय और दुलारेलाल भार्गव। यह मुख्यतः साहित्यिक पत्रिका थी, पर राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर भी लेख छपते थे। 'सुधा' के प्रत्येक महीने के अंक में व्यंग्य-चित्रावली अवश्य रहती थी। इनके विषय कभी सामाजिक, कभी साहित्यिक एवं कभी धार्मिक और कभी संस्कृति से संबंधित होते थे। यह पत्रिका राजनीति के प्रति कितनी जागरूक थी, इसका पता उसके 'कार्टून विशेषांक' का अवलोकन करने से पता चलता है। वैसे तो इस विशेषांक में लेख, कहानी, कविता एवं हास्य-व्यंग्य पर सामग्री पर्याप्त रूप से थी, फिर भी कार्टूनों (व्यंग्य चित्रों) की अधिकता ने इस अंक को 'कार्टून विशेषांक' बना दिया। राष्ट्रीय भावधारा का प्रबल समर्थक साप्ताहिक 'समय' का प्रकाशन जौनपुर से बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह के सम्पादकत्व में 25 अक्टूबर, 1927 को हुआ था। 'समय' एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का संवाहक पत्र था।

सन् 1928 में पत्रकारिता के प्रकाशन में एक नया निखार आया, जिसके नाते प्रदेश के विभिन्न अंचल से अनेक उत्कृष्ट पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष लीडर प्रेस प्रयागराज से 'भारत' (साप्ताहिक), बलिया से 'बलिया गजट', उरई से 'लोकमत', इटावा से 'सुधाकर', मीरजापुर से 'माधव' और झाँसी से धार्मिक पत्र 'अहिंसा' का प्रकाशन हुआ था। काव्य पत्रिका 'सुकवि' का प्रकाशन भी इसी वर्ष अप्रैल 1928 में शुरू हुआ। पत्रिका में उच्च कोटि के कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती थीं। कुछ दिनों बाद 'सुकवि' स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता प्रेमियों का मंच बन गया। इसमें उग्र कविताओं का प्रकाशन होता था। वैसे

तो 'सुकवि' पूर्ण काव्य पत्रिका थी, पर तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपने समय की आवश्यकता के अनुरूप अनेक विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की। साप्ताहिक 'मजदूर' का प्रकाशन वर्ष 1928 ही है। सम्पादक थे– गणेश शंकर विद्यार्थी। यह साम्यवादी विचारों से प्रभावित पत्र था। इसी वर्ष झाँसी से 'क्रान्तिकारी' का प्रकाशन हुआ। सम्पादक कृष्ण गोपाल शर्मा के प्रकाशित निम्न विचारों से पत्र का रुझान समझ में आ जाता है– ''हम क्रान्तिकारी हैं। हम क्रान्ति की शपथ ले चुके हैं। अब हम विश्व में एक नयी आग को दहकायेंगे। हम अन्याय के शासन को उखाड़ फेकेंगे और पाप की नौका को समुद्र में डुबा देंगे। भाइयों जागो ! बहुत सो चुके। आलस्य छोड़ो और हमारे झण्डे के नीचे आओ। विरोधियों ध्यान रहे, हमारे सामने मत आओ, हमारे मार्ग में व्यवधान मत बनो।'' हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से सन् 1929 का वर्ष और भी अनुकूल माना गया। इस वर्ष प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'कांग्रेस समाचार' (प्रयागराज), 'खिचड़ी समाचार' एवं 'लहरी' (काशी), मासिक 'माया' (प्रयागराज), 'मतवाला' (मिर्जापुर), 'समय' (जौनपुर), 'संसार' (बलिया), 'सुदर्शन' (एटा) और 'श्रीकृष्ण संदेश' (काशी) आदि। सन् 1930 में 'हंस' (काशी), 'सत्याग्रह समाचार' (प्रयागराज), 'भविष्य' (प्रयागराज) और साइक्लोस्टाइल क्रान्तिकारी पत्रों में 'रणभेरी' (बनारस), 'रणडंका', 'रणचण्डी', 'बहिष्कार', 'चण्डिका', 'ज्वालामुखी', 'चिनगारी', 'तूफान', 'शंखनाद' आदि का प्रकाशन हुआ।

'हंस' का सम्पादन मार्च, 1930 में बनारस से लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हुआ। इसके सम्पादकों में श्रीमती शिवरानी देवी, जैनेन्द्र कुमार और श्रीपत राय प्रमुख थे। 'हंस' का जन्म भी स्वाधीनता के उद्देश्य से प्रेरित था। इस पत्रिका के तीन विशेषांक– 'आत्मकथांक', 'काशी अंक' और 'आचार्य द्विवेदी अभिनन्दनांक' अपने में एक से बढ़कर एक हैं। इसके 'रेखाचित्रांक', 'स्वदेशांक' नामक दो विशेषांक और प्रकाशित हुए। 'हंस' अपने प्रारम्भिक दो दशकों तक निकलती रही। तदोपरान्त बंद होने पर फिर 1985 से बराबर निकल रही है। 'सत्याग्रह समाचार' का प्रकाशन मार्च-अप्रैल 1930 में इलाहाबाद से हुआ था। सत्याग्रह कमेटी, प्रयागराज का यह दैनिक पत्र था। सम्पादक श्री बैजनाथ कपूर थे। ये कानून के विशेषज्ञ थे। पत्र की साप्ताहिक प्रसार संख्या 1500 थी। इसकी अधिसंख्य प्रतियाँ ग्रामीण अंचलों में प्रसारित होती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते मूल्य पर गाँवों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाचारों को प्रसारित करना और कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति जनसमर्थन जुटाना था।

इसी वर्ष साप्ताहिक 'भविष्य' का प्रकाशन प्रयागराज से श्री रामरख सिंह सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। पत्र प्रकाशन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में आहुति देना था। सन् 1930 में ही प्रेस आर्डिनेन्स के परिणामस्वरूप सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थगित हो गया था। उस समय प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जनता को देश-दशा से अवगत रखने एवं प्रेरणा देने के लिए भूमिगत पत्रकारिता प्रारम्भ की गई। 1930 में जमानत माँगे जाने के फलस्वरूप 'आज' और 'सत्याग्रह समाचार' नाम से निकले तो, पर ये साइक्लोस्टाइल रूप में थे। प्रान्तीय सरकार ने साइक्लोस्टाइल 'सत्याग्रह समाचार' से भी 9 जून 1930 को 2,000 रुपये की जमानत माँगी। बाद में इस तरह के साइक्लोस्टाइल पत्रों से भी संबंधित एक और प्रेस अध्यादेश की घोषणा की गयी। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को तलाशी, पत्र-पत्रिकाओं की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और अघोषित छापाखानों को जब्त करने आदि का भी अधिकार प्रदान किया गया। साइक्लोस्टाइल पत्रों में सर्वाधिक महत्त्व 'रणभेरी' का है। 'रणभेरी' का समस्त मैटर पराड़कर जी लिखते थे। दाम एक पैसा था। इसके संचालन एवं लेखन मंडल में – रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश दत्त झा, उमाशंकर, आचार्य नरेन्द्र देव और कालिका प्रसाद तथा अन्य रूप से सम्बद्ध कई लोग थे। 'रणभेरी' पत्र और उसके उपकरण का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। बनारस से ही 'रणडंका' का भी प्रकाशन हुआ था। इसके सम्पादक एक सैनिक थे।

'चिनगारी' पत्र ने भी युवकों का आह्वान किया था– ''समर की रणभेरी बज रही है। वीर सैनिक तिरंगा राष्ट्रीय झंडा लिए हुए युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक बढ़ रहे हैं। भारत के नवयुवकों को यह निश्चय करना है कि युद्ध

क्षेत्र में उनका स्थान कहाँ है और उस स्थान पर डट जाना है। इसलिए प्रश्न है कि भारत माँ का बंधन कौन काटेगा ? कौन रोती माँ के आँसू पोछेगा।'' इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में इन साइक्लोस्टाइल पत्रों का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य लालसा ने उत्तर प्रदेश के हिन्दी पत्रों को कष्ट सहन करने की अद्‌भुत शक्ति और साहस प्रदान कर दिया था, जिसके नाते सन् 1932 में उत्तर प्रदेश से 11 पत्रों का प्रकाशन हुआ– 'आदर्श' (खीरी), 'आदेश' (आगरा), 'जागरण' (बनारस), 'जाग्रति' (गोरखपुर), 'कुमार' (कालाकांकर), 'अवध' (प्रतापगढ़), 'प्रताप दैनिक' (कानपुर), 'संदेश' (मेरठ), 'त्रिशूल' (कानपुर), 'वीरभूमि' (झाँसी) और 'वोटर' (कानपुर)। इसमें पाक्षिक एवं साप्ताहिक 'जागरण' का विशेष महत्त्व है। पाक्षिक 'जागरण' का प्रकाशन 11 फरवरी सन् 1932 को हुआ। सम्पादक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। इसके मुखपृष्ठ पर 'साहित्यिक-पाक्षिक पत्र' लिखा होता था। पाक्षिक 'जागरण' एक वर्ष निकलने के बाद साप्ताहिक रूप में प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकला। पत्र का प्रकाशन स्थल काशी था। साप्ताहिक 'जागरण' का प्रथम अंक 22 अगस्त, 1932 को निकला। राजनीतिक विचारों के प्रकाशन के लिए इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। 26 अक्टूबर, 1932 के अंक में 'उसका अंत' शीर्षक क्रांतिकारी कहानी प्रकाशन के कारण 'जागरण' से भी जमानत माँगी गयी। इस वर्ष हिन्दी के 24 पत्रों का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया। 'जागरण' साप्ताहिक भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 21 मई, 1934 को वह हमेशा के लिए बन्द हो गया। 'जागरण' अपने दोनों रूपों में शुद्ध साहित्यिक पत्र था।

सन् 1933 में उत्तर प्रदेश से 31 नयी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इनमें प्रमुख हैं– 'अभिनव' (कानपुर), 'अधिकार' (लखनऊ), 'आशा' (अलीगढ़), 'विशनोई समाचार' (बिजनौर), 'बुन्देलखण्ड केशरी', 'दलितोदय' (कानपुर), 'हिन्दू' (कानपुर), 'जन्मभूमि' (इटावा), 'क्षत्रिय सेवक' (आगरा), 'क्षत्रिय वीर' (आगरा), 'मदारी' (प्रयागराज), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'मिलन' (बुलन्दशहर), 'निर्भीक' (हरदोई), 'निष्काम' (मेरठ), 'पालीवाल एवं प्रभात' (अलीगढ़), 'प्रभात' (बलिया), 'राजपूत' (आगरा), 'स्वदेशी' (प्रयागराज), 'तपोभूमि' (मेरठ), 'विकास' (सहारनपुर), 'विश्वबंधु' (सहारनपुर), 'विश्ववाणी' (शाहजहाँपुर) आदि। हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वर्ष 1936-37 है। इस वर्ष 41 पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख हैं– 'आजकल' (प्रयागराज), 'आलोक' (सहारनपुर), 'बिगुल' (लखनऊ), 'चन्द' (सहारनपुर), 'दिग्विजय' (इटावा), 'दूत' (प्रयागराज), 'ग्रामसेवक' (खीरी), 'हिन्दी मिलाप' (बाराबंकी), 'जीवन' (आगरा), 'कर्मधर्म' (झाँसी), 'किसान बंधु' (गोरखपुर), 'नई दुनिया' (आगरा), 'अवधवासी' (बाराबंकी), 'प्रभाकर' (आगरा), 'प्रभात' (मेरठ), 'प्रेमसुधा' (आगरा), 'पंच' (प्रयागराज), 'रोटी' (बिजनौर), 'सत्यवक्ता' (झाँसी), 'शंकर' (गोरखपुर), 'स्वतंत्र' (प्रयागराज), 'उदय' (कानपुर), 'उत्थान' (प्रयागराज), 'वसुंधरा' (बनारस), 'विजय' (लखनऊ) आदि महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ हैं। सन् 1937 ई. में उत्तर प्रदेश से हिन्दी के अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें– 'दरबार' (प्रयागराज), 'दर्शक' (उरई), 'ग्राम संदेश' (रायबरेली), 'संग्राम' (उन्नाव), 'संघर्ष' (लखनऊ), 'शंखनाद' (कानपुर), 'विश्वबन्धु' (सुलतानपुर) एवं 'विश्वास' (सहारनपुर) आदि पत्र-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ये सभी पत्र कांग्रेस नीति के समर्थक थे।

1938 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष दैनिक 'आज' का साप्ताहिक रूप 18 जुलाई, 1938 से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादकत्व में प्रकाशन शुरू हुआ। साप्ताहिक 'आज' उस समय का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र था, जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर लेख होते थे। विदेशी समाचारों से सम्बन्धित दो नेताओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र होते थे। व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी होता था। इस वर्ष का दूसरा साप्ताहिक पत्र 'देशभक्त' प्रयाग से श्रीनाथ सिंह के सम्पादकत्व में निकला। पत्र के प्रथम अंक में पत्र की नीति का निर्धारण करते हुए लिखा गया– ''इसमें संसार के समाचारों का सार, विचारों का निचोड़ और व्यक्तियों आदि की चर्चा के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय और प्रगतिशील जीवन की झाँकी रहेगी।'' पत्र के प्रमुख विशेषांक हैं– 'किसान अंक', 'कांग्रेस अंक', 'साक्षरता अंक'। प्रयागराज से

इसी वर्ष प्रकाशित होने वाले अन्य पत्र हैं– 'पंच', 'विजय', 'न्याय'। इस वर्ष 'अधिकार' साप्ताहिक का प्रकाशन फतेहगढ़ से हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर तिलक का उद्घोष 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' मुद्रित होता था। यह किसानों और मजदूरों की पत्रिका थी, जिसमें क्रान्तिकारियों के चित्र तथा उन पर विशेष सामग्री का प्रकाशन होता था। 'विप्लव' पत्रिका का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। यह लखनऊ से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल के सम्पादकत्व में निकली। यह अति उग्र विचारों की राजनीतिक पत्रिका थी, जिसके मुखपृष्ठ पर 'तुम करो शांति-समता प्रसार, विप्लव का अपना अनल गान' नीति वाक्य छपता था। पत्र का 'चन्द्रशेखर आजाद अंक', जो क्रांति गाथाओं से परिपूर्ण था, निःसंदेह संग्रहणीय है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1940 तक होता रहा।

सन् 1939 में 'कर्मयोगी' का प्रकाशन प्रयागराज से रामरख सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। यह मासिक पत्र था। साप्ताहिक 'वीरभारत' का प्रकाशन बस्ती से हुआ। इसमें राष्ट्रीय विचारों के लेख एवं कविताएँ प्रकाशित होती हैं। मुखपृष्ठ पर 'आवो प्यारे वीरों आवो, मातृभूमि पर बलि-बलि जावो' शीर्षक पंक्तियाँ पत्र की राष्ट्रीय भावना की परिचायक हैं। इस वर्ष के अन्य पत्रों में– 'कमला', 'अग्रगामी', 'मेरठ टाइम्स' (मेरठ), 'नवसंदेश' (आगरा), 'चकल्लस' (लखनऊ), 'हलचल' (गोण्डा), 'प्रकाश' (लखनऊ), 'ताजा तार' (आगरा), 'सत्यप्रकाश' (काशी) आदि महत्त्वपूर्ण हैं। सन् 1940 में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'सिद्धांत' (काशी), 'अग्रगामी' (सीतापुर), 'चातक' (प्रतापगढ़), 'स्वदेश' (अलीगढ़), 'जीवन' (सहारनपुर), 'सूत्रधार' (सीतापुर), 'आनन्द' (उरई), 'अखंड ज्योति' (आगरा), 'मेल' (काशी) और 'विप्लवी ट्रैक्ट' (लखनऊ) आदि। 'सूत्रधार' साप्ताहिक राष्ट्रीय विचारों का पत्र था। 'मेले' दैनिक पत्र 14 मई, 1940 को काशी से निकला। इसके सम्पादक महावीर प्रसाद गहमरी थे। इसका प्रकाशन केवल एक माह हुआ था। 'काशी समाचार' (काशी), 'अमृत' (लखनऊ), 'नवीन भारत' (एटा) और 'संदेश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1941 में हुआ। इस युग की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान योगदान किया। इस आन्दोलन में पत्रों ने एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभायी। पत्र-पत्रिकाओं ने दिशा-निर्देशन के साथ-साथ जनचेतना को भी झंकृत किया। साहित्य की नवीन विधाओं की स्थापना भी इन पत्रिकाओं ने की।

स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता के बाद केवल सामाजिक परिवेश ही नहीं बदला, बल्कि लोक कर्तव्यों और अधिकारों का नवीन दिशा बोध भी हुआ। इस समय देश के सामने राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य उपस्थित हुआ। इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनमत-निर्माण आवश्यक था। परिणामतः सबसे अधिक भार पत्रकारों पर आया। राष्ट्र जीवन के सभी अंगों के विकास में समुचित सहायता प्रदान करना पत्रकारों का दायित्व बन गया। इससे पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में और उनकी प्रसार संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि यहाँ के दैनिक पत्रों ने पत्रकारिता के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो आजादी से पहले निकलने वाले पत्रों में 'आज' का एक प्रमुख स्थान है। यह 1920 से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता की श्रीवृद्धि कर रहा है। 1947 से लेकर अब तक जिन प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक पत्रों का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हो रहा है या हुआ है वे हैं– 'आज', भारत, सैनिक, जनवाणी, श्री इण्डिया, अमर उजाला, मयराष्ट्र, सत्ता सुधार, प्रभात, हिन्द, चिंगारी, विश्व परिवार, 'स्वतंत्र भारत', 'दैनिक जागरण', 'नवजीवन', स्वदेश, तरुण भारत, 'नवभारत टाइम्स', 'राष्ट्रीय सहारा', 'हिन्दुस्तान', 'अमृत प्रभात', 'जनसत्ता', 'जनसत्ता-एक्सप्रेस', 'वायस आफ लखनऊ', 'गाण्डीव', 'भास्कर', 'जनमोर्चा', 'राष्ट्रीय स्वरूप तथा अन्य अनेक अखबार। इनके अतिरिक्त सांध्य दैनिकों की भी संख्या काफी है।

उत्तर प्रदेश में साहित्य तथा पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से के आधार भी धर्म और अध्यात्म रहे हैं, जिनसे पुरातन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में मदद मिली। प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करना था। 'कल्याण' तथा 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन धार्मिक साहित्य के क्षेत्र

में बेजोड़ घटना है। कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में बम्बई (मुम्बई) से प्रकाशित हुआ था। इसका पहला विशेषांक श्री भगवन्नामांक में महात्मा गांधी का राम-नाम की महत्ता पर सारगर्भित लेख छपा था। 'कल्याण' ने लागत से भी कम मूल्य पर हिन्दू संस्कृति अंक, गोअंक, तीर्थांक, संत अंक, भक्त चरितांक तथा विभिन्न पुराणों का विशेषांक रूप में प्रकाशन कर धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'कल्याण' ने 70 से अधिक विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी तथा स्वामी रामसुख दास जी जैसी विभूतियों ने 'कल्याण' का सम्पादन किया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित धार्मिक पत्र हैं– 'भक्त भारत' (वृन्दावन), 'भैरवी' (काशी), 'श्री अमर भारती' (आगरा), 'श्रीकृष्ण संदेश' (मथुरा-1965), 'अध्यात्म ज्योति' (कानपुर-1966), 'भागवत पत्रिका' (मथुरा), 'भगवत दर्शन' (वृन्दावन), 'धर्मदूत' (पिलखुवा-1982), 'आचार्य' (बरेली), 'श्री शंकराचार्य संदेश' (प्रयाग), 'मानस हंस' (हाथरस) आदि। 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन शान्ति कुंज, मथुरा से होता रहा है। ये सभी धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था हैं। कई तो अब सम्बद्ध संस्थान की पत्र-पत्रिकाएँ हैं। संस्थानों की अपनी अलग भूमिकाएँ हैं।

मानव के लिए सबसे आवश्यक है– स्वास्थ्य। इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं। इसकी जानकारी हेतु अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्र हैं– 'आरोग्य' (गोरखपुर-1957), 'आयुर्वेद संदेश' (लखनऊ-1967), 'आपका स्वास्थ्य' (वाराणसी-1987), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ-1991) और 'धनवंतरी' (अलीगढ़-1988) आदि। उद्योग में नित नये-नये उद्योग धंधों का आविष्कार हो रहा है। पर, उत्तर प्रदेश में हिन्दी भाषा के माध्यम से कुछ ही पत्रिकाएँ निकल रही हैं– 'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (अलीगढ़), 'व्यापार संदेश' और 'उद्योग विकास' (गाजियाबाद-1993) आदि। अमर उजाला समूह ने हिन्दी का सर्वप्रथम वृहद रूप में आर्थिक दैनिक अखबार 'अमर उजाला कारोबार' निकाला। इन दिनों समूह ने इसके प्रकाशन को स्थगित कर रखा है। समय को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। 'बाल पत्रकारिता' के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि सर्वप्रथम बाल पत्र सन् 1882 में प्रयागराज से प्रकाशित 'बाल दर्पण' मासिक था। भारतेन्दु युग का पत्र बच्चों के लिए एक नवीन प्रयोग था। 1891 में लखनऊ से 'बाल हितकारक' मासिक निकला था। इलाहाबाद से ही फिर 1902 में 'आर्य बाल हितैषी' पत्र प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है जिनमें प्रमुख हैं – 'लल्ला' (प्रयागराज-1948), 'जीवन शिक्षा' (वाराणसी-1957), 'राजा बेटा' (वाराणसी-1958), 'बेसिक शिक्षा' (सहारनपुर-1959), 'विज्ञान लोक' (आगरा-1960), 'ज्ञान भारती' (लखनऊ-1962), 'शिशु बंधुर' (लखनऊ-1966), 'मनमोहन' (प्रयागराज-1967), 'बच्चों की पुकार' (लखीमपुर खीरी-1968), 'चमाचम' (लखनऊ-1972), 'बालरुचि' (लखनऊ-1975), 'बालदर्शन' (कानपुर-1975), 'चिल्ड्रन टाइम्स' (लखनऊ-1981), 'नन्हीं मुस्कान' (कानपुर-1981), 'बालनगर' (प्रयागराज-1982), 'लल्लू जगधर' (लखनऊ-1982), 'अच्छे भइया' (प्रयागराज-1986) आदि।

स्वतंत्रता से पूर्व कृषि को केवल पेट भरने का एक साधन माना जाता था, पर आज कृषि कार्य प्रत्येक देश में सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्थान के लिए अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। इन विश्वविद्यालयों में नित नये शोध कार्य किये जा रहे हैं। इन शोध कार्यों के विषय में जनमानस को जानकारी देने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है। कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कृषि पत्रों में प्रमुख हैं– 'कृषि सेतु' (सुल्तानपुर-1978), 'खेती किसानी' (अयोध्या-1972), 'किसानोत्थान' (लखनऊ-1972), 'गाँव की बात' (कानपुर-1991), 'देहाती' (आजमगढ़-1933) और कृषक क्रांति (मेरठ-1994) आदि। सन् 1947 के बाद राजनीति के विषय को लेकर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश से 1947 में राष्ट्रधर्म लखनऊ मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ इसके प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी (पूर्व प्रधानमंत्री), 'माया' (प्रयागराज), 'विकास' (सहारनपुर), 'नया

जीवन' (सहारनपुर), 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य' (लखनऊ), 'अवकाश' (वाराणसी), 'उ.प्र. संदेश', 'जन' (अयोध्या), उत्तर प्रदेश (मासिक) 'दायित्वबोध' (लखनऊ) आदि। राष्ट्रधर्म के युगान्तर, राष्ट्ररक्षा, हम सबके अटल जी, नमामि गंगे, महापर्व कुम्भ विशेषांक महत्त्वपूर्ण हैं। 'सांस्कृतिक पत्रकारिता' द्वारा संस्कृति की रक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। उ.प्र. की संस्कृति और उसकी सांस्कृतिक पत्रकारिता दोनों ही अपने-आप में बेजोड़ हैं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'नीहारिका' (आगरा-1962), 'साथी' (मुरादाबाद-1960), 'संगीत' (हाथरस) 'गीत संगीत' (प्रयागराज-1987), 'पुराकल्प' (वाराणसी-1992), 'मालिनी' (प्रयाग-1995), 'संस्कृति' (लखनऊ-1995), समकालीन जनमत (प्रयागराज, 2002) 'कलादीर्घा' (लखनऊ 2000) और 'कला वसुधा' (लखनऊ) आदि। साहित्यिक पत्रकारिता ने एक विधा के रूप में अपना अस्तित्व बना रखा है, इसलिए ऐसे पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है– 'गुरु जासूस' (प्रयागराज), 'घीसूलाल' (झाँसी), 'घुटाला' (झाँसी), 'घोटाला' (आगरा), 'उखाड-पछाड़' (मथुरा), 'क्या कहाँ' (अलीगढ़), 'काक दृष्टि' (कानपुर), 'खुल्लमखुल्ला' (गाजीपुर), 'चर्चिका' (हरदोई), 'जीजी' (जालौन), 'जागो और जगाओ' (बुलन्दशहर), 'झकझक' (मेरठ), 'झुनझुना' (आगरा), 'टहलमहल' (कानपुर), 'डरो मत' (हाथरस), 'फक्कड़' (कानपुर), 'बम बम' (कानपुर), 'भड़ते' (मथुरा), 'लतियाव' (रामपुर), 'लाल बुझक्कड़' (बलिया), 'भ्रष्टभूत' (हरदोई), 'आफतमेला' (अलीगढ़), अट्टहास (लखनऊ) आदि पत्रों ने स्थानीय नागरिकों का मनोरंजन किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता अपने ढंग की निराली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि होती गयी। लघु पत्रकारिता आन्दोलन भी इसी समय आया। साहित्य की विधि-विधाओं को मंडित करने में 'कथा' (मार्कण्डेय, प्रयागराज), 'कथानक' (सुनील, कानपुर), 'कथा दशक' (सतीश जमाली, प्रयागराज), 'जन संस्कृति' (अवधेश प्रधान, वाराणसी), 'कहानीकार' (कमलगुप्त, वाराणसी), 'नयी रचना' (मदन मोहन, गोरखपुर), 'प्रयोजन' (वीरेन्द्र यादव, लखनऊ), 'वर्तमान साहित्य' (विभूति नारायण राय, गाजियाबाद), 'दस्तावेज' (डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर), 'जनपक्ष' (शैलेश मटियानी, प्रयागराज), 'सम्पर्क' (रामस्वरूप द्विवेदी, प्रयागराज), 'प्रतिज्ञा प्रतीक' (डॉ. सावित्री मिश्र, प्रयागराज), 'तेजस्वी' (बालकृष्ण पाण्डेय, प्रयागराज), 'अतएव' (राज्य कर्मचारी हिन्दी संस्थान, लखनऊ), तद्भव (अखिलेश, लखनऊ) 'कथ्यरूप' (अनिल श्रीवास्तव, प्रयागराज), नूतन कहानियां (सुरेन्द्र अग्निहोत्री, प्रयागराज) 'निष्कर्ष' (गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, गोरखपुर), 'समकालीन दस्तावेज' (प्रशांत कुमार, लखनऊ), 'साखी' (केदारनाथ सिंह, गोरखपुर), 'कुंदनशील' (सतीश राज पुष्करणा, मेरठ), 'समकालीन तीसरी दुनिया' (आनंद स्वरूप वर्मा, नोएडा, गाजियाबाद), कथाक्रम (शैलेन्द्र सागर, लखनऊ), 'समकालीन एकलव्य' (लखनऊ), 'समकालीन सोच' (गाजीपुर), 'संदर्श' (शाहजहाँपुर), 'कथासमवेत' (शोभानाथ शुक्ल, सुलतानपुर), (सरवर हसन, गाजियाबाद), 'अन्तर्दृष्टि' (विनोददास), प्रिय संपादक (उग्रनाथ नागरिक, लखनऊ), नागरिक उत्तर प्रदेश (लखनऊ), सामधेनी (राज बहादुर विकल, शाहजहाँपुर), रचना संवाद (पंकज मिश्र, शाहजहाँपुर) पत्रकार सदन (अफ़ज़ाल अंसारी, लखनऊ), विश्व पत्रकार सदन (आबिद हुसैन, मुख्य संपादक-योगीन्द्र द्विवेदी लखनऊ), दलित एशिया, ड्डे (सुरेश पंजक, लखनऊ), अकार (गिरिराज किशोर, कानपुर), परिवेश (मूलचंद गौतम, मुरादाबाद), भारतीय लेखक (भीमसेन त्यागी, नोएडा), अभिनव कदम (जयप्रकाश धूमकेतु, मऊनाथ भंजन), परख (कृष्ण मोहन, प्रतापगढ़), उन्नयन (श्री प्रकाश मिश्र, प्रयागराज), आशय, (बी. के. सोनकिया, लखनऊ), थाती (यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या), कल के लिए (डॉ. जयनारायण, बहराइच), नया मानदण्ड (वाराणसी), उज्ज्वल ध्रुवतारा (जी.पी. मिश्र, कानपुर) आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त कुछ और साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं या हो रही हैं।

इस विवरण व विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न रुचि, योग्यता, उद्देश्य आदि से प्रेरित होकर प्रज्ञा क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तित्व अपनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों दैनिक व साप्ताहिक पत्र अपने जिलावार व क्षेत्रवार विभिन्न संस्करण

प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को कस्बाई, स्थानीय व राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। पत्रकारिता से सम्बद्ध दैनिकों, साप्ताहिकों के विविध प्रयोग व समय-समय पर बढ़ते संस्करण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में धन का काफी लाभ है तथा सरकार और जनता (पाठक वर्ग) दोनों ही इस लाभ में सकरात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक मदद देने का प्रयास करती रहती है पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापन ज्यादा आकर्षण का केन्द्र व उद्यम हैं।

आज के समय में जब 'संचार क्रान्ति' का बिगुल भारत में भी बजने लगा है, तब केवल अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं (प्रिन्ट मीडिया) पर चर्चा करने से ही पत्रकारिता पर बात पूरी नहीं होती। अब जरूरी है कि ब्राडकास्ट व विजुअल मीडिया का भी सामान्य-सा परिचय ले लिया जाय। दरअसल अब मीडिया (पत्रकारिता) का क्षेत्र बड़ा और विविध हो गया है और उसके आयामों का विस्तार हुआ है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने को मीडिया क्षेत्र का ही मानते हैं। पत्रकारिता, विज्ञापन व प्रसार विभाग अब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं और पत्रकारिता की स्वीकृत व प्रचलित परम्परा को अपने ढंग से आकार देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज कई संस्थानों में 'ब्राण्ड मैनेजर्स' की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण हो गयी है। सम्पादक क्रमशः मैनेजर के रूप में सगर्व तब्दील हो गये हैं। संचार क्रान्ति के इस युग में अब खबर संस्थानों में काम करने वालों के पदों के नाम बदल गये हैं और सम्पादकों का अस्तित्व बदल गया है। इसीलिए विजुअल मीडिया (दृश्य समाचार माध्यम) व ब्राडकास्टिंग मीडिया (श्रवण व उद्घोषणा समाचार माध्यम) के बारे में भी दो-चार परिचयात्मक बातें कर लेना जरूरी लगता है।

ब्राडकास्टिंग मीडिया यानी बोलचाल की भाषा में रेडियो की अवधारणा बिल्कुल दूसरी तरह की थी। वह एक साथ समाचार, मनोरंजन, विविध प्रकार की जानकारियाँ देने का एक सम्पूर्ण माध्यम था, लेकिन उसे मीडिया का दर्जा प्राप्त नहीं था। जब से दृश्य माध्यमों (टी.वी.) के सम्पूर्ण खबरिया चैनलों ने अपने को ब्राडकास्टिंग यानी रेडियो (आकाशवाणी) की भूमिका में लाना शुरू किया है, तब से मीडिया को ब्राडकास्टिंग मीडिया का स्वरूप दिया जा रहा है। टी.वी. के खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों पर हम ध्यान दें, तो लगेगा हम एक तरह से रेडियो देख रहे हैं (रेडियो सुन नहीं रहे हैं)। यह परिवर्तन ही इस ओर ध्यान दिलाता है कि लखनऊ आकाशवाणी के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि तमाम केन्द्रों ने किस प्रकार राष्ट्रीय व स्थानीय समाचारों की शृंखला तैयार कर और राजनीति तथा समाज के तमाम मुद्दों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने ढंग से समाचारों व मुद्दों को पहुँचा रहे हैं, साथ ही जब डाक तार विभाग की मदद से इसकी शुरुआत मुम्बई में 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने शुरू करायी, तो केवल संगीत का ही बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रसारण शुरू हो सका। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 1933 में एक बार इसका स्वरूप बदला, फिर दूसरे विश्वयुद्ध के समय और 1947 के बाद स्वाधीनता मिलने पर और आज तो इसका स्वरूप, कार्यक्रम, विस्तार और प्रभाव सब कुछ बदल चुका है। इस दृष्टि से इसने पत्रकारिता का बिल्कुल नया स्वरूप सामने लाकर रख दिया है। यह पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम शुरू से ही रहा, जिसने चाहे यह जब निजी हाथों में था या फिर सरकार के हाथ में, इसने अपने चलाने वालों को लाभ-ही-लाभ पहुँचाया। आज रेडियो (ब्राडकास्टिंग) पत्रकारिता का विस्तार सबसे ज्यादा है और सम्भवतः सरकार को वित्तीय लाभ भी सबसे ज्यादा !

दृश्य माध्यम की पत्रकारिता (टी.वी. के खबरिया चैनल)

इस माध्यम की पत्रकारिता का विकास लगभग उसी तरह हुआ, जैसे रेडियो का हुआ। बड़ा फर्क यह आया कि इस माध्यम ने सबसे तेजी से विकास किया और पूँजीवादी बाजार तथा भूमंडलीकरण के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने दूरदर्शन के अलावा अनेकानेक पूँजीपतियों को निजी तौर पर अपने चैनल चलाने की छूट दे दी। आज पूरा अंतरिक्ष विभिन्न सैटेलाइट, वेबसाइट से भरा हुआ है। यह एक तरह से अंतरिक्ष खरीदने की होड़ का समय है तो इस माध्यम की पत्रकारिता भी इस होड़ से प्रभावित, संचालित होना स्वाभाविक है।

भारत में टी.वी. की शुरुआत यूनेस्को के प्रयासों या कि दबावों से सितम्बर 1959 में हुई। इसके पीछे फोर्ड फाउन्डेशन की मूल परिकल्पना थी। शिक्षा के विस्तार के नाम पर यहाँ टी.वी. माध्यम की शुरुआत हुई– टी.वी. क्लब बने जो इसके मूल-संचालक शक्ति थे। बिरादरी पूँजीपतियों को भी सहयोग सरकार का था। आज ये दोनों बिरादियाँ खुले तौर पर अपनी सफलता का जश्न मना रही हैं।

इस शुरुआत की सीमा थी, बहुत कम क्षेत्रों में टी.वी. की पहुँच हो पायी। चूँकि यूनेस्को का प्रयास था और नेहरू का जमाना था इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार के नाम पर टी.वी. कार्यक्रम स्कूलों से शुरू हुए फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का और कृषि-समस्याओं को बताने-समझाने का प्रयास हुआ। सन् 1959 के बाद इसके कार्य क्षेत्र के पड़ाव सन् 1961, 1963, 1965, 1972, 1975, 1976, 1982, 1984 रहे।

सीमित क्षेत्रों में सही पर 1965 से भारत में रेगुलर टी.वी. सर्विस (सेवा) शुरू हुई। 1972 में बम्बई टी.वी. स्थापित हुआ, 1973 में श्रीनगर, अमृतसर, 1975 में लखनऊ, मद्रास व कलकत्ता। टी.वी. के भारतीय इतिहास में 1976 इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इस साल से टी.वी. पर कामर्शियल (विज्ञापन) सेवा शुरू हुई और 15 अगस्त 1982 से 'नेशनल प्रोग्राम' आने शुरू हुए तथा टी.वी. रंगीन हुआ और कार्यक्रम भी।

सन् 1984 भारत में टी.वी. सेवा का रजत जयन्ती वर्ष था। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला था। सब कुछ का रंगीन प्रसारण मीडिया-लोक का एक रंगीन समय था। सन् 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अनेकानेक कमेटियों के सुझावों, बहसों, सेमिनारों आदि के बाद 'दूरदर्शन' अपने नये कदम बढ़ा रहा था। कहना चाहिए कि 'यूनेस्को' की दृश्य-अदृश्य जकड़बन्दी से मुक्त हुआ, लेकिन इन पच्चीस वर्षों में सरकार, व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा जनता को पता लग चुका था कि दूरदर्शन (टी.वी.) का प्रभाव व महत्त्व क्या है। गौर करें तो पता चलेगा कि दूरदर्शन तथा तमाम टी.वी. चैनलों का बड़ी तीव्र गति से सन् 1984 के बाद से ही विकास शुरू हुआ है।

जिस तरह आकाशवाणी अपनी प्रारम्भिक अवस्था पार करते हुए आज एक निश्चित स्वरूप ले चुका है और हर केन्द्र हर घंटे समाचार प्रसारण के साथ आकाशवाणी के राष्ट्रीय क्रम के अन्तर्गत के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, कृषि समाचार, बातचीत, शिक्षा समाचार आदि देते आ रहे हैं, उसी तरह दूरदर्शन ने भी समाचारों की अपनी शृंखला बनायी है। अब तो दूरदर्शन ने चौबीस घंटे समाचार देने वाले चैनल बना रखे हैं (दूरदर्शन समाचार, डी.डी. न्यूज)। इस कारण समाचार-संकलनकर्ताओं की एक बड़ी फौज दूरदर्शन ने तैयार की है, ठीक उसी तरह, जिस तरह आकाशवाणी ने किया है। इस तरह दूरदर्शन ने समाचार-संकलन के लिए एक जाल बिछा रखा है। यहाँ पत्रकारिता की गुणवत्ता की बात नहीं की जा रही है, उसकी व्यापकता व कार्यविधि से परिचित हुआ जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया अभी फैक्स, इण्टरनेट के जरिये खबरें इकट्ठा कर लेता है पर दूरदर्शन और तमाम टी.वी. के खबरिया चैनलों के पास ओबीसी वैन (आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन) जैसे समाचार संकलन उपकरण हैं, जिनके द्वारा उनके पत्रकार (संवाददाता) खबरों और सम्बद्ध तस्वीरों से चैनल को अपडेट किये रहते हैं।

लखनऊ दूरदर्शन और अन्य स्थानों के ट्रान्समिशन केन्द्रों द्वारा उत्तर प्रदेश में दृश्य माध्यम से यहाँ की जनता को अन्तर्राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार तो मिल ही रहे हैं, इनके अतिरिक्त विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर बातचीत व बहसें भी मिल रही हैं। यानी समाचार और विचार (मनोरंजन आदि के अतिरिक्त) दोनों ही लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। उनके विकास के कई कार्यक्रमों पर अभी विचार भी जारी है। लोकसभा चैनल का अपना अलग महत्त्व है।

ऐसे सरकारी खबरिया चैनल या कार्यक्रमों के अतिरिक्त निजी उद्योगपतियों के खबरिया चैनल आज बहुतायत से उपलब्ध हैं, जो समाचार देने में हम आगे का हर समय दावा करते हुए 'ब्रेकिंग न्यूज' दिखाते रहते हैं। ऐसे कुछ खबरिया चैनल हैं– एन.डी.टी.वी., सी.एन.एन., आई.बी.एन.-7, आज तक, एबीपी न्यूज,

जी.टी.वी. न्यूज,, इंडिया टी.वी., राष्ट्रीय सहारा, सहारा उ.प्र., ई.टी.वी., जनमत, जैन टी.वी., बी.बी.सी. न्यूज,, सी.एन.एन., स्टार वर्ल्ड, सी.एन.बी.सी., न्यूज़ नेशन, समाचार प्लस, न्यूज़ एक्सप्रेस इत्यादि। इनके अतिरिक्त पूर्णतः खेल और व्यापार पर आधारित चैनल भी हैं, जैसे ईएसपीएन, टेनस्पोर्ट्स आदि।

वास्तव में टी.वी. चैनल पर खबरें देने का तरीका प्रिन्ट मीडिया की तुलना में दूसरी तरह का है। खबरों का एक चंक बनता है जो कुछ घंटे लगातार विज्ञापनों के बीच-बीच में चलता रहता है। यानी खबरें फिर विज्ञापन, फिर खबरें– कुल मिलाकर विज्ञापनों और खबरों का प्रतिशत बराबर रहता है या विज्ञापनों का प्रतिशत ज्यादा। टीवी संवाददाताओं की कलमें हैं आमतौर पर फोन, ओबी वैन, अत्याधुनिक कैमरा आदि। इनकी शब्दावली भी प्रिन्ट मीडिया से भिन्न है जैसे– आउटपुट, इनपुट, रन डाउन, एसाइनमेंट, डेक, पैकेज, बाइट, वीओ, फोनो, टिकटैक, इनजस्ट इत्यादि। पदों के नाम भी अलग हैं जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैनेजिंग एडीटर, एंकर, एक्जीक्यूटिव एडीटर, सी.ई.ओ., डायरेक्टर (न्यूज़) इत्यादि। गनीमत है कि अभी संवाददाता पद यहाँ पर बचा हुआ है और अधिकारियों के आगे एडीटर शब्द भी जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि अखबार संस्थान जब से पत्रकारों के लिए बनाये गये कानून के अन्तर्गत और पालेकर अवार्ड आदि की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत सम्पादकीय विभाग के पदनामों को अस्वीकार कर स्वतन्त्र वेतनमान, सेवा शर्तें और सम्पादकीय कर्मियों के पदनाम अपने ढंग से नये रूप में लेकर आये उन्होंने नये पदनाम, वेतनमान व सेवाशर्तें लागू कीं। विजुअल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पत्रकारिता के सारे स्थापित मानक तोड़ दिये और बंधुआ पत्रकारों की एक नयी जमात पैदा की, जिसको हमेशा इस आशंका में जीना पड़ता है कि थकान उतारने या घर के बहुत जरूरी काम के लिए दो दिन भी लगातार छुट्टी लेनी पड़ी तो वह ब्लैक लिस्टेड हो जायेगा, उसका प्रमोशन, नौकरी सब कुछ दाँव पर। इन कार्य स्थितियों का प्रभाव इन पत्रकारों के काम और स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ रहा है। यानी विजुअल मीडिया जान हथेली पर रखवाकर काम करा रहा है। इससे हो यह रहा है कि वास्तव में जिन आम जनों की जान हथेली पर है। पत्रकार उनकी हकीकत बयान नहीं कर पाते। दृश्य मीडिया ये एक तरह से लीपापोती की पत्रकारिता के आदर्शों को निभाते हुए काम करने की अपार संभावनाएँ हैं, खुले रास्ते हैं पर लीपापोती में जो सुख और लाभ हैं, वे हकीकत में जाने कहाँ हैं! इसलिए दृश्य मीडिया के बिल्कुल एक नये ढंग की पत्रकारिता के लिए आम लोगों को अभ्यस्त होना होगा, जिसकी शुरुआत हो गयी है। इस तरह विजुअल मीडिया हमें एक और नये भूमंडलीकरण तथा नये बाजार की चकाचौंध वाली पत्रकारिता में ले जा रहा है, इसीलिए पेज थ्री का कान्सेप्ट पत्रकारिता में आया है, जहाँ कारपोरेट घरानों की पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता का विस्तार तेजी से हो रहा है। 'डी.डी. उत्तर प्रदेश', 'आज तक', 'न्यूज 18 इण्डिया', 'हिन्दी खबर', 'ए.एन. आई.', 'ए.बी.पी. न्यूज', 'ए.पी.एन. न्यूज चैनल', 'इण्डिया टी.वी.', 'इण्डिया वायस न्यूज चैनल', 'इण्डिया न्यूज चैनल', 'इनाडु टी.वी', 'आई.बी.सी.-24', 'ओ.के. इण्डिया न्यूज चैनल', 'एन.डी.टी.वी.', 'जी. न्यूज', 'सी.एन.एन.-न्यूज 18', 'के. न्यूज 24X7', 'गुलिस्तां टी.वी', 'न्यूज 24', 'न्यूज-1, इण्डिया', 'न्यूज एक्स टी.वी.', 'न्यूज इण्डिया 24X7', 'न्यूज एक्सप्रेस', 'न्यूज वर्ल्ड इण्डिया चैनल', 'टोटल टी.वी.', 'जे.के. न्यूज', 'टी.वी.-100', 'टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग', 'भारत समाचार न्यूज चैनल', 'सहारा इण्डिया टी.वी. नेटवर्क', 'समाचार प्लस', 'चैनल 1 न्यूज चैनल', 'साधना प्राइम न्यूज', 'नेशनल वायस', 'न्यूज नेशन न्यूज चैनल', 'रिपब्लिक टीवी', 'लाइव टुडे', 'साधना प्लस न्यूज', 'सुदर्शन टी.वी.', 'न्यूज वर्ल्ड' इत्यादि इसके प्रमाण के तौर पर हैं। अखबारों के ग्रामीण संस्करणों की तरह वे छोटे-छोटे शहरों-कस्बों तक में घुसकर खबरें निकाल लाते हैं, इसलिए वह पत्रकारिता के नये दर्शक भी बना रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की छोटी-छोटी जगहों में घुसकर 21वीं शताब्दी के विज्ञान-विकसित समय की हकीकत देख सकते हैं।

यहाँ हर ख़बरिया चैनल के विवरण में जाने की जगह नहीं है, केवल पत्रकारिता के बदलते चेहरे से परिचित होना है। उत्तर प्रदेश की नयी पत्रकारिता ऐसी है जो देश की पत्रकारिता की ही झलक पेश करती है। भारत की सभी भाषाओं में विजुअल खबरिया चैनल का जाल फैला है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की है। दरअसल अब बिल्कुल नयी पत्रकारिता का युग है चाहे वह किसी विधा में हो– प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक (रेडियो, टीवी)।

उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की यह अजब विडम्बना है कि 'उर्दू' का पहला अख़बार 'जामे जहांनुमा' उर्दू भाषा व साहित्य के किसी परम्परागत प्रतिष्ठित केन्द्र अर्थात् लखनऊ, हैदराबाद या दिल्ली से नहीं, बल्कि बांग्ला बहुल क्षेत्र कोलकाता से निकला। यह घटना मार्च 1822 ई. की है। यद्यपि इन सभी जगहों पर प्रेस मौजूद थे। यह बात दीगर है कि इसके संस्थापक-सम्पादक सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के जिला मीरजापुर के रहने वाले थे, जहाँ से बाद में कई अख़बार निकले, मुख्यतः नागरी लिपि में। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विभिन्न सामाजिक-बौद्धिक आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय आज विराट हिन्दी क्षेत्र के रूप में बार-बार चर्चा में आने वाले उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे संयोग कहिये या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूरअंदेश अधिकारियों की सुनियोजित कोशिश कि हिन्दी का पहला नागरी लिपिधारी समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' प्रथम उर्दू अखबार के चार साल बाद (मई 1826) कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक-संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। यानी उर्दू-हिन्दी दोनों के प्रथम प्रकाशन का श्रेय उत्तर प्रदेश को ही है। 'जामे जहांनुमा' तो कलकत्ता में था, लेकिन उसके कान लखनऊ की आहटों पर लगे रहते थे। लखनऊ के समाचार उसमें प्रमुखता से छपते थे।

इसी प्रकार थोड़े अर्से बाद ही बम्बई और फिर पंजाब के पेरिस माने जाने वाले शहर लाहौर से प्रकाशित होने वाले क्रमशः दो और एक अख़बारों के सम्पादकों का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से था। यह भी इस प्रदेश के अवध क्षेत्र से। खास तौर से बम्बई के 'अखबारे सिकन्दरी', यह था तो फ़ारसी का अख़बार, लेकिन उसमें कुछ पृष्ठ 'उर्दू' के लिए मख़्सूस होते थे, लखनऊ की गतिविधियाँ उसमें प्रमुखता से जगह पाती थीं।

उर्दू का पहला अखबार हैदराबाद, दिल्ली से या मुम्बई से अथवा लखनऊ से क्यों नहीं निकला, यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उर्दू पत्रकारिता की प्रस्थान यात्रा प्रतिरोध तथा जन सम्बद्धता की तीखी आँच में तपकर अस्तित्व में आयी थी। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बर्बर लूट तथा दमन की क्रूरतापूर्ण कार्रवाइयों के ख़िलाफ जन भावनाओं का उत्तेजक बयान बनकर उभरी थी। वह अपनी सीमाओं में एक सांस्कृतिक अभियान की तरह तो थी ही, स्वाधीनता के पक्ष में गुलामी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी थी। 'जामे जहांनुमा' के बाद जिसकी सर्वाधिक मुखर नुमाइन्दगी उर्दू के पहले बाकायदा अख़बार 'दिल्ली उर्दू अखबार' ने की, उसका प्रकाशन मई 1837 ई. से प्रारम्भ हुआ। साहित्य के सामाजिक उद्देश्य का प्रारम्भिक दौर दर्शा देने वाले विशिष्ट साहित्यकार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के विद्वान पिता मौलवी मोहम्मद बाक़र इसके सम्पादक थे। इस अखबार ने अपने स्वरूप से 'उत्तर प्रदेश' की उर्वर भूमि से भविष्य में विकसित होने वाली उर्दू पत्रकारिता के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे। यह अख़बार भी लखनऊ के घटनाक्रम पर गहरी नजर रखता था।

इस अख़बार ने अवध के बारे में और भी खबरें छापीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा 1857 के महासंग्राम में ज़ालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक मुस्तक़िल मोर्चा खोल देना था। इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को दिल्ली गेट में सरेआम फाँसी पर लटका दिया। इस जुनूनी कृत्य के पीछे 'दिल्ली उर्दू अखबार' के सम्पादक को अंग्रेज विरोध का दण्ड तो देना ही था, साथ ही उस काल में अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध करने वाले अखबारों को आतंकित करना भी था, जो संभव नहीं हो पाया। मौलवी मोहम्मद बाक़र अभिव्यक्ति की आज़ादी के पहले शहीद थे। उनके द्वारा चिह्नित स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध की दिशा ही उत्तर प्रदेश में विकसित हुई और पत्रकारिता की विशिष्ट पहचान बनी। इसमें सामाजिक एकता का पक्ष अवश्य बाद में बहुत मज़बूत हुआ। इस आधार के निर्माण में उर्दू के पहले अख़बार 'जामे जहांनुमा' की उन साहसपूर्ण अभिव्यक्तियों का उल्लेख भी आवश्यक है जो उसने मैसूर विजय के बाद लार्ड वेलेजली द्वारा प्रेस पर बोले गये हमले तथा देशी भाषाओं के नये अख़बारों के प्रकाशन पर लगायी गयी पाबन्दी

के ख़िलाफ शब्दबद्ध की थी। इस मुद्दे पर अवध के सदासुख लाल तथा बंगाल के ब्रह्मसमाजी राजा राममोहन राय के एक स्वर थे। भारत में फ़ारसी का पहला अखबार इन्हीं ब्रह्मसमाजी महाशय राजा राममोहन राय ने निकाला था। बाद में वह वाजिद अली शाह के दूत बनकर लन्दन भी गये थे। अवध तथा देश के दूसरे हिस्सों से भी नये अखबार 'दिल्ली उर्दू अखबार' के समान 1836 ई. में नये अखबारों के प्रकाशन पर लगी पाबन्दी हटने के बाद ही निकल सके। इसमें कुछ योगदान 'जामे जहांनुमा' का ज़रूर है।

उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार 'सदरुल अखबार' 1848 में आगरा कालेज के प्रोफेसर सीफेन्क ने आगरा से ही निकाला। यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। आगरा से ही 1847 में मुंशी क़मरुद्दीन ने नहले पर दहला मारते हुए 'असदुल अखबार' साप्ताहिक पत्र निकाला, यह दोनों अखबार अवध के नवाब की गतिविधियों के समाचार प्रमुखता से छापते थे। दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता अवश्य थी।

भाषा के मामले में 'हिन्दुस्तानी' के प्रबल पक्षधर राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने 'बनारस अख़बार' के नाम से नागरी लिपि में उर्दू का पहला अखबार निकालकर उर्दू पत्रकारिता को नयी दिशा दिखायी। यह 1845 की घटना है। वर्तमान में 'जदीद मरकज़' लखनऊ इसी दिशा का पथिक है। यद्यपि अनेक विद्वान नागरी लिपि में होने के कारण 'बनारस अखबार' को हिन्दी अखबार मानते हैं। बहरहाल 1850 में 'सुधाकर' इसकी प्रतिक्रिया में ही निकला था।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उर्दू-हिन्दी दोनों भाषाओं की पत्रकारिता को गहरे संकट के समय उन लोगों ने बहुत सहारा दिया, परम्परा से जिनकी भाषा उर्दू या हिन्दी नहीं थी। 'बनारस अख़बार' के सम्पादक यदि मराठी भाषी गोविन्द नाथ थत्ते थे, तो 'सुधाकर' के सम्पादक बंगभाषी तारामोहन मैत्रेय। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता को सहारा देने वालों में यदि एक ओर अंग्रेजी भाषी सीफेन्क हैं तो दूसरी ओर वे लोग, जिनकी मातृभाषाएँ अवध, ब्रज, डोगरी या भोजपुरी हैं। यह परम्परा बहुत आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन 1847 ई. में लालजी ने लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार 'लखनऊ अखबार' तथा 1858 में मुंशी नवल किशोर ने 'अवध अखबार' जैसा महत्त्वपूर्ण समाचार पत्र निकालकर उर्दू पत्रकारिता के जो आयाम निर्मित किये, उनके विशद अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार 1849 में लखनऊ के सभी छापेखाने बन्द कर दिये जाने का शाही हुक्म क्यों जारी हुआ, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पत्र जगत में जैसा तहलका 'अवध पंच' ने पहली बार अंग्रेजी अख़बारों की नक़ल में कार्टून छापने का सिलसिला शुरू कर किया, वह यादगार क़दम था।

लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से यूं तो बीसवीं सदी आरम्भ होने से पहले कई अखबार निकले, लेकिन मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर सर सैय्यद अहमद खाँ के साइंटिफिक सोसाइटी (1866 ई.) तथा 'तहज़ीबुल अख़लाक' (1870 ई.) अलीगढ़ ने एक बड़े शून्य को तो भरा ही, उर्दू-भाषी मुस्लिम समाज तथा उर्दू पत्रकारिता के लिए नयी राहें भी खोलीं। सर सैय्यद के अख़बार उनके द्वारा आरम्भ किये गये आधुनिक शिक्षा के ऐतिहासिक आन्दोलन का अनिवार्य हिस्सा थे, जो एक खास लयबद्धता की तड़प लिये हुए थे। सर सैय्यद के शिक्षा आन्दोलन के समान यथास्थितिवादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उनके अख़बारों का भी विरोध किया गया। कानपुर से 'नूरुल आफ़ाक़' और 'नूरुल अनवार', मुरादाबाद से 'लौहे महफूज' तथा आगरा से 'तेरहवीं सदी' नामक पत्र सर सैय्यद के आन्दोलन की काट के उद्देश्य से ही प्रकाशित हुए, पर सर सैय्यद कहाँ हार मानने वाले थे।

मुक्ति के पक्ष में निर्मित हुई आधुनिकता की यह थाती तो 'मुस्लिम ग़ज़ट' तथा 'हमदम' का संबल पाकर अधिक सुदृढ़ तथा आभामयी हुई। ये दोनों अखबार लखनऊ से निकलते थे। अपने समय के विशिष्ट पत्रकार हसन वासिफ उसमानी का मानना था कि ''लखनऊ की पत्रकारिता में एक महत्त्वपूर्ण स्थान 'मुस्लिम ग़ज़ट' का

है। मीर जान साहब के इस पत्र ने गंभीर विचारों एवं साहित्यिक लेखों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।'' मुस्लिम ग़ज़ट ने सामाजिक जीवन में उठने वाली जिज्ञासाओं को तो मंच दिया ही, रूढ़िगत शब्दावली से पत्रकारिता की भाषा को मुक्त करने का प्रयास भी किया।

इसी प्रकार दैनिक 'हमदम' (अक्टूबर 1916) ने, जो अपने समय का निश्चित ही बड़ा अखबार था, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाचारों की प्रस्तुति में आधुनिक मापदण्डों को प्राथमिकता दी। 'हसन वासिफ उसमानी' ने ठीक ही लिखा है कि– ''उर्दू पत्रकारिता में धर्म, हंगामी राजनीति एवं भावुकता के स्थान पर चिंतन और दृष्टि को स्वीकृति दिलाने में 'मुस्लिम गजट' और 'हमदम' ने लाहौर के 'पैसा अखबार' की तरह समकालीन मानदण्डों को बढ़ावा दिया। समकालीन ज्ञान के सम्प्रेषण को अपना ध्येय और मिशन बनाया। पढ़ने वालों की रुचि बनाये रखने के लिए और उनकी जेहनी तरबियत के लिए साहित्यिक कृतियों के अंश भी प्रकाशित किये और हास्य-व्यंग्य के कालम भी शुरू किये।'' उन्हीं के अनुसार लखनऊ के दैनिक 'हक़ीक़त' व 'हक' ने भी इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

विचारणीय तथ्य है कि 1857 के बाद विशेष रूप से 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में समूचे उत्तर भारत में पंजाब सहित मौलाना आजाद के 'अलहिलाल' तथा 'ज़फ़र अली खाँ' के 'ज़मींदार' का जोर था। ऐसे में उत्तर भारत के उर्दू अख़बारों ने जो भूमिका निभायी, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे उर्दू अख़बारों का साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक रचनात्मक हो सका।

आगे चलकर साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक तीखा और व्यापक हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कड़वाहट शेष थी, तो इस्लामी मुल्कों में जो कुछ घट रहा था, उसका असर भी उर्दू अख़बारों पर पड़ रहा था। उर्दू अख़बारों की दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, सैय्यद जालिब, खलीक हसन निजामी, मोहम्मद मजीद हसन बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मुंशी दया नारायण निगम और सरदार दीवान सिंह मफ़्तून जैसी बड़ी शख़्सियतें सक्रिय थीं। साथ ही वहीदुद्दीन, अनीस अहमद अब्बासी, अब्दुल रऊफ अब्बासी तथा अब्दुल माजिद दरियाबादी भी।

इस महाप्रभामण्डल में उत्तर प्रदेश का वैशिष्ट्य यह है कि 'उर्दू-ए-मुअल्ला' जैसी पत्रिका (1903), 'मुस्तक़िल' जैसे दैनिक (1928) और इनके सम्पादक मौलाना हसरत मोहानी ने, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातक थे, अत्यन्त दृढ़ता से राष्ट्रवाद को व्यापक स्वीकृति दिलाने की मुहिम चलाकर साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण को अधिक प्रखर बनाया। रूस की सर्वहारा क्रान्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले इन महाशय ने आधुनिक चेतना के विस्तार को भी अपनी मुहिम से जोड़ा तथा गैर धार्मिक जनान्दोलनों से एकजुटता प्रदर्शित की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने के कारण हसरत मोहानी तथा उनके प्रकाशनों को बार-बार दमन का निशाना बनना पड़ा, पर वह किंचित डिगे या घबराये नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

ख़िलाफत आन्दोलन ने उर्दू पत्रकारिता के सम्मुख नयी चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, उसके विकास की नयी संभावनाएँ भी निर्मित कीं, साथ ही उर्दू पत्रकारिता में भावनात्मक अतिरेक की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जो अखबार सर सैय्यद के दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना से बच रहे थे, उन्हें भी अपना रवैया बदलना पड़ा। बिजनौर से 1 मई, 1912 को प्रारम्भ होने वाला 'मदीना' ऐसा ही अखबार था। यह अखबार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले जंगे आजादी का हमनवा था। इसने विशाल पाठक वर्ग तो तैयार किया ही, साथ ही मौलाना आज़ाद व मौलाना हसरत मोहानी के अखबारों के समान अलगाववादी प्रवृत्ति के प्रभाव से भी अपने को बचाकर रखा। डॉ. इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जफर अली खाँ, हसरत मोहानी वगैरह तो इसमें नियमित रूप से लिखते ही थे, साथ ही उस दौर के तक़रीबन सभी बड़े शायरों की रचनाएँ भी इसमें बराबर छपती थीं। यह अखबार भी उर्दू के अन्य अख़बारों के समान स्वदेशी तहरीक का ज़बरदस्त हिमायती था। अपनी साहसिक अभिव्यक्तियों के कारण इसे भी कई बार सरकारी दमन का शिकार बनना पड़ा। पंजाब प्रान्त में इसके

प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महिला रचनाकारों की रचनाएँ भी अक्सर इसमें जगह पाती थीं। बिजनौर से 'दस्तूर' व 'अलअमान' जैसे अखबार भी निकले।

सूफ़ीवादी अध्यात्म पर अपने महत्त्वपूर्ण काम के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले ख़लीक हसन निजामी ने मेरठ से 'तौहीद' (अप्रैल 1913) निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सुहैल वहीद ने अपनी चर्चित पुस्तक 'सहाफ़ती ज़बान' में इस अखबार की विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना है कि इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' का खासा प्रभाव था। मौलाना मोहम्मद अली विद्वान व्यक्ति थे। उस वक्त के सभी बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में उनके लेखादि छपा करते थे, अतः वह उर्दू अखबारों को भी अंग्रेजी अखबारों की ऊँचाई देने के आकांक्षी थे, जिसकी प्रारम्भिक कोशिशें लखनऊ के 'अवध अखबार' तथा सर सैय्यद के 'तहज़ीबुल एख़लाक़' कर चुके थे। जिस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी लेखन में तीखापन बढ़ते जाने के कारण मौलाना मोहम्मद अली तथा उनके सम्पादन में निकलने वाले साप्ताहिकों को लगातार सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार 'तौहीद' पर भी सेंसर बिठा दिया गया। परिणामस्वरूप अखबार बन्द हो गया।

1918 में मुरादाबाद से निकलने वाले 'रहनुमा' ने इस परम्परा को अधिक समृद्ध किया। मोहम्मद अशफ़ाक हुसैन इसके सम्पादक थे। यह पाक्षिक अखबार था तथा समाचारों की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता था। स्वाधीनता के पक्ष में उर्दू अखबारों द्वारा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी परम्परा को इस अखबार ने भी आगे बढ़ाया। पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में भी इस अखबार ने उल्लेखनीय काम किया।

उर्दू पत्रकारिता को समृद्ध करने, विशेष रूप से इसके कलात्मक व वैचारिक पक्ष तथा जागरण में इसकी भूमिका को धारदार बनाने में उत्तर प्रदेश के जिन अन्य अखबारों का उल्लेख ज़रूरी है, वह हैं 'दिलगुदाज़' (अब्दुल हलीम शरर), 'खदंगेनज़र' (मुंशी नौबतराय), 'अलनदवा' (मौलाना अबुल कलाम आजाद), 'मंजिल' (हसरत मोहानी), 'मसावत चिंगारी' (सज्जाद ज़हीर), 'हिन्दुस्तान वीकली' (हयातुल्लाह अंसारी), 'रिफार्मर' (ला. मेहर दयाल) और 'स्वराज वीकली'। स्वराज प्रयागराज से और रिफार्मर लखनऊ से प्रकाशित होता था। जफ़रुल मुल्क अलवी के 'अलनाजिर तथा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के साप्ताहिकों– सच, सिद्क़ तथा सिद्केजदीद की चर्चा भी ज़रूरी है। अलनाज़िर ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता को नयी ऊँचाई दी, वहीं अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू पत्रकारिता को गद्य का नया वैभव दिया। हसन वासिफ उसमानी ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अख़बार माना है। पूर्वी संस्कृति के भावुक पक्षधर बनते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के सांस्कृतिक आयाम का प्रवक्ता बनने का प्रयास भी किया, जिसके सन्दर्भ निश्चित ही सीमित थे।

सामाजिक जीवन में पत्रकारिता के हस्तक्षेप को व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी भूमिका के सैद्धान्तिक आधार को सुदृढ़ करने की उर्दू अखबारों द्वारा बीसवीं सदी के आरम्भ में कायम की गयी रिवायत को दो साहित्यिक पत्रिकाओं– 'ज़माना' (मुंशी दया नारायण निगम) तथा 'निगार' (नियाज़ फतेहपुरी) ने नये आयामों को सम्पन्न करने की हर संभव कोशिश की। इन्होंने किसी हद तक उर्दू पत्रकारिता की बौद्धिक धारा को नये ज्ञान की तपिश दी। साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर तो इन्होंने निर्मित किये ही, भावनात्मकता पर विवेक को प्रमुखता दिलाने के क्रम में इन दो पत्रिकाओं ने जो कोशिशें कीं, उसे भुलाया नहीं जा सकता।

प्रतिरोध की क्षमता को तीव्र करते तथा वैचारिक अभियानों को शक्ति व ऊर्जा देते हुए उर्दू पत्रकारिता जिस गहरे भाव से भाषा व साहित्य के सरोकारों से सम्बद्ध हुई, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, उसमें भी राजधानी लखनऊ के योगदान का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है। 'अवध अख़बार' द्वारा स्थापित पत्रकारिता और साहित्य के रिश्तों को मजबूत करने की परम्परा का

अनुकरण बंगलौर के धार्मिक अख़बार 'नशेमन' को छोड़कर भारत के सभी अख़बारों ने किया। भाषा में संवेदनात्मक लालित्य के हस्तक्षेप की परम्परा भी लखनऊ के अखबारों ने विकसित की और यह पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, भाषा के अपेक्षानुरूप गढ़ने-बनाने के साथ हुआ। अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती गयी। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से निकले हुए दैनिक 'क़ौमी आवाज़' का योगदान इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। सदी के चौथे दशक में उभरे बहुचर्चित कथाकार हयातुल्ला अंसारी लम्बे काल तक इसके सम्पादक रहे। साम्प्रदायिक उबाल वाले कठिन दिनों में उन्होंने इसे न सिर्फ मुस्लिम लीग की नकारात्मक राजनीति का विकल्प बनाया, बल्कि अंग्रेजी अख़बारों के समक्ष खड़े हो सकने वाले एक उर्दू दैनिक की कमी को भी पूरा किया। उन्होंने विचार और टेक्नोलॉजी, दोनों की आधुनिकता को अखबारी तंत्र का हिस्सा बनाया। सामान्य पाठकों तक में सम्पादकीय के प्रति ख़बर जैसी जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा स्तरीयता के नये शिखरों को छूते हुए अख़बार को समूचे परिवार की जरूरत बनाने का महान कार्य भी उन्होंने किया। यह पहला अख़बार था, जिसने साप्ताहिक परिशिष्ट निकाला तथा इसके लिए योग्य सम्पादक जुटाये। अन्सारी साहब के बाद इशरत अली सिद्दीकी और उनके बाद उस्मान ग़नी ने क़ौमी आवाज़ के सम्पादक की ज़िम्मेदारी संभाली और अंसारी साहब की परम्परा को आगे बढ़ाया।

उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी क़ौमी आवाज़ को जाता है। आज़ादी के बाद बदले हुए हालात में इस अखबार ने जिस रचनात्मक पत्रकारिता का सुबूत दिया, वह भी याद रखा जाने वाला कारनामा है। अफसोस कि यह अखबार 1997 में बन्द हो गया है।

आज पत्रकारिता के मापदण्ड बदल गये हैं। एक दौर था जब अकबर इलाहाबादी का यह शेर लोगों की ज़बान पर था और उस पर पत्रकार अमल भी करते थे -

'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो, तो अख़बार निकालो।'

उत्तर प्रदेश की उर्दू पत्रकारिता की चर्चा करते हुए सामाजिक एकता, भारतीय जनवाद, लोकतंत्र तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सेवाओं को भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है। धार्मिक सवालों पर कुछ खास क्षणों में भावुक हो उठने के बावजूद उर्दू अखबारों ने धार्मिक-जातीय द्वेष और घृणा को कभी शक्ति नहीं दी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अखबारों 'वहदत' (दिल्ली), 'मंशूर' (कानपुर) को कभी वैसी लोकप्रियता नहीं मिल सकी, जैसी मुस्लिम लीग विरोधी राष्ट्रवाद समर्थक उर्दू अखबारों ने अर्जित की। ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग के आन्दोलन को बड़े मुस्लिम नेताओं और उलेमा का वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा राष्ट्रवादी आन्दोलन को मिला। यही कारण है कि सामाजिक एकता के पक्ष में तथा रूढ़िवाद के खिलाफ़ उर्दू अख़बारों ने जो मुहिम चलायी, वो कुछ विशेष क्षणों में भले क्षीण होती तो दिखायी पड़ी हो, पर रुकी कभी नहीं।

निःसंदेह अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के समान उर्दू अखबारों ने भी भारतीय समाज की कुछ त्रासद वास्तविकताओं की अनदेखी की। फिर भी स्त्री शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के अभियान से जुड़कर उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका को विस्तार दिया। उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबारों ने न केवल स्त्री रचनाओं को प्रकाश में आने का अवसर दिया, बल्कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में लेख-टिप्पणियाँ भी छापीं। महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'अंगारे' की प्रसिद्ध कथाकार रशीद जहाँ के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (अलीगढ़) द्वारा जुलाई, 1904 में आरम्भ की गयी मासिक पत्रिका 'ख़ातून' का उल्लेख आवश्यक है। मुस्लिम लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल (1907) भी इस पत्रिका के सम्पादक द्वारा ही स्थापित किया गया, जो आज स्त्री शिक्षा का बड़ा केन्द्र है।

यह भी रोचक संयोग है कि धार्मिक पत्रकारिता के उच्चादर्श यहाँ कायम हुए। यहाँ के धार्मिक पत्रों ने

बहुत स्तरीय व गंभीर पत्रकारिता की मिसालें पेश की हैं। इसका कारण शायद इन अख़बारों में मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सुलेमान नदवी, खलीक़ हसन निज़ामी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी तथा मोहम्मद आसिफ किदवई जैसे अनेक विद्वानों का सम्बद्ध होना था। इस पत्रकारिता ने भी उर्दू गद्य को समृद्ध किया तथा विश्व की बड़ी भाषाओं से उर्दू में श्रेष्ठ और आसान अनुवाद की परम्परा को मजबूत बनाया। अलनदवा, सिद्के जदीद, सरफ़राज, तामीरे हयात तथा निदाये मिल्लत, तौहीद, इत्यादि साप्ताहिकों के नाम इस सम्बन्ध में प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वाराणसी से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अलजवाद' एवं लखनऊ से प्रकाशित 'इस्लाह' और 'शोआएअमल' भी महत्त्व रखते हैं।

उर्दू अख़बारों ने अपने पाठकों को सीमित संदर्भों वाला सही, पर अन्तर्राष्ट्रीय बोध अवश्य दिया। हम इन अख़बारों की आलोचना या प्रशंसा करते हुए इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस समय प्रदेश से राष्ट्रीय सहारा, सहाफ़त, इन दिनों, सियासत जदीद, अवधनामा, आग, इन्क़लाब, अखबारे मश्रिक, अनवारे क़ौम, आवाज़े मुल्क, जदीद अमल, वारिसे अवध मताए आख़रत आदि उर्दू दैनिक अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं। यह अखबार हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों की भाँति पत्रकारिता के सिद्धान्तों पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं। साथ ही नये कलेवर एवं आधुनिक टेक्नालजी से परिपूर्ण नज़र आते हैं।

इसी कड़ी में उर्दू दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' की बहुसंस्करणीय शृंखला में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से 'इंकलाब' दैनिक का प्रकाशन भी उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है। 1947 से मुम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इंकलाब' ने उर्दू पत्रकारिता के नये-नये आयाम गढ़े हैं। उत्तर भारत में जो हैसियत उर्दू दैनिक 'कौमी आवाज़' की रही है, वही स्थान 'इंकलाब' का महाराष्ट्र में हो रहा है। इसने भी उर्दू के कई बड़े पत्रकारों को स्थापित किया है।

जहाँ तक साहित्यिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, इस क्रम में पिछले 70 वर्षों से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका 'नया दौर' अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उर्दू भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक विरासत की तर्जुमानी करती आ रही है। हाल ही में 'नया दौर' के द्वारिका प्रसाद 'सफ़ुन्द' और अली बिदरान विशेषांक ने पत्रकारिता के मैदान में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। 'नया दौर' के लगभग सभी विशेषांक एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली अन्य पत्रिकाओं में शबखूं, तहजीबुल अख्लाक, इमकान, लारैब, सबक-ए-उर्दू, ख़बरनामा, गुलबन आदि हैं।

उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में अनीस अब्बासी (हक़ीक़त), नसीम इन्हौन्वी (हरीम), सलामत अली मेहदी, जमील मेहदी (अज़ाएम), इसहाक इल्मी (सियासत), वजीहउद्दीन (पैग़ाम), मसीहउलहसन रिजवी, ज़ोय अंसारी, हसन वासिफ़ उस्मानी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, परवाना रुदौलवी, हफीज़ नोमानी, अहमद इब्राहीम अल्वी, हसन कमाल, हारुन रशीद, आलिम नकवी, चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक़्वी, आबिद सुहेल, हसन अब्बास 'फ़ितरत', शाहनवाज़ कुरैशी, हुसैन अमीन, शाफ़े किदवाई, क़ुतुबुल्लाह, ओबेदुल्लाह नासिर, अल्लामा ज़मीर नक़वी, हुसैन अफ़सर, तारिक क़मर, डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी आदि का उल्लेख न करना नाइंसाफी होगी।

सांस्कृतिक विरासत

संगीत

इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। आर्यों के आगमन से आज तक धर्म, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्रों में जितने उतार-चढ़ाव उत्तर प्रदेश ने देखे, उतने किसी और प्रदेश को नहीं देखने पड़े। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर प्रदेश के संगीत ने देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र, जो प्राचीन समय में 'तपोभूमि' या 'ऋषि-मुनियों की कर्मभूमि' के रूप में जाना जाता रहा, वैदिक काल से ही 'स्वर गुंजार' का केन्द्र रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं ने यहीं 'सामवेद' का रूप ले लिया। वाल्मीकि से यहीं शिक्षा पाकर लव-कुश ने वीणा पर राम का चरित्र गाया था, जिसे सुनकर अयोध्यावासी अभिभूत हो उनके पीछे चल पड़े थे। यहीं कृष्ण की वंशी ने जड़-चेतन यानी समस्त चराचर जगत में प्राण फूँके। रास-नृत्य, भाव-नृत्य यहीं उपजे, पनपे। गुप्त और हर्ष के काल में भारतीय संगीत अपने शिखर पर था। इस विषय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी कालखण्ड में विश्व में अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक 'भरतमुनि का नाट्यशास्त्र' की रचना हुई जो उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है।

मुस्लिम काल में संगीत दो अलग-अलग शैलियों में बँट गया। एक को दरबारों से प्रोत्साहन मिला और यह शैली राज्याश्रय में विकसित हुई, जबकि दूसरी का आधार भक्ति था, जिसे सामान्य जन ने अपनाया क्योंकि वह लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाला संगीत था। उस समय के दरबारी संगीत, जिसे उस काल का शासकीय संगीत भी कह सकते हैं– के केन्द्र थे आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बाँदा, दतिया और अन्य कई राजाओं के दरबार। भक्तिकाल के प्रमुख केन्द्रों में मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें उपासना का मुख्य विषय 'कृष्णलीला' था। आठ वीणाओं के स्वर प्रार्थना में उठे। इनमें से सबसे मधुर स्वर सूरदास की वीणा का था। कृष्णलीला के सुन्दर गीत रचकर सूरदास ने उन्हें अपनी सुमधुर आवाज दी। इस तरह सूरदास ने साकार भक्ति के अनुरूप स्वरूप को अभिव्यक्ति दी।

ये शैलियाँ आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं हालांकि बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ इनके स्वरूप और क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहे हैं। बनारस, लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज के साथ कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ आदि शास्त्रीय संगीत के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। भजन गीतों की, जो आज भी उत्तर प्रदेश की विशेषता है, अपनी विशिष्टताएँ और खूबियाँ हैं। तुलसी के 'रामचरित मानस' को इतनी अधिक शैलियों में इतनी अधिक बार, इतने भिन्न-भिन्न तरीकों से गाया गया है कि अगर इसकी सारी धुनें इकट्ठी करने लगें तो संगीत का एक अलग ग्रंथ ही तैयार हो जायेगा। शास्त्रीय और भक्ति संगीत के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक संगीत का प्रचुर खजाना मौजूद है। सामान्य आदमी के लिए इस विराट खजाने के विस्तार का अनुमान तक लगाना कठिन है। यहाँ के हरेक क्षेत्र में लोकगीतों का ऐसा अद्‌भुत खजाना मौजूद है कि मोटे तौर पर भी इनका लेखा-जोखा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को कला की दृष्टि से भी लिपिबद्ध करना जरूरी है क्योंकि इनमें संगीत के विभिन्न तत्त्व पाये जाते हैं जैसे 'नौटंकी' और 'रास' जो बड़े 'लोक ऑपेरा' हैं और जिनकी परम्परा बड़ी पुरानी है। होली, बारहमासा, कजली, रसिया आदि ने शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। इसलिए, यह कहना सर्वथा

उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र में अपने बहुरंगी, बहुआयामी और मूल्यवान योगदान के कारण उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

यह सच है कि वर्तमान संगीत के पुनर्जागरण की अलख जगाई महाराष्ट्र में पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. विष्णुनारायण भातखण्डे ने, परन्तु उनका प्रयास फलीभूत हुआ उत्तर प्रदेश में। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा न केवल प्राचीनतम है बल्कि सबसे अधिक समृद्ध भी। उत्तर प्रदेश में देशी और मार्गी दोनों संगीत परम्पराएँ मिलती हैं। एक ओर आगरा, रामपुर, बनारस, लखनऊ (अवध) संगीत को आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें थीं तो दूसरी ओर भरतपुर, प्रयागराज, दतिया, फर्रुखाबाद, मेरठ आदि संगीत के केन्द्र थे। काशी, मथुरा, अयोध्या के मन्दिरों में भक्ति प्रधान ध्रुवपद गायन, भजन-कीर्तन की समृद्ध परम्परा मिलती है। लोक-जीवन तो जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीतमय हो उठता है– चाहे वर्षा की फुहार हो, चाहे होली का फाग हो, चाहे चैत की बयार हो और चाहे फसल की बहार। सम्भवतः यही रहा है संगीत की समृद्धि का रहस्य। प्रदेश के अड़ोस-पड़ोस में भी संगीत कला के प्रमुख आश्रयदाताओं एवं पारखी महाराजों की रियासतें थीं जैसे ग्वालियर, दिल्ली, रीवाँ, मैहर, खैरागढ़, दरभंगा आदि जहाँ प्रदेश में संगीतज्ञों के आने-जाने का क्रम बना रहता था।

भारतीय मिथक परम्परा में देवी-देवताओं को जो स्वरूप दिया गया है उसमें कृष्ण ने संगीत को सहज मार्ग रूप में प्रतिपादित किया है। सम्मोहिनी वंशी के रूप में कृष्ण स्वयं संगीत के प्रतिरूप थे। स्वभावतः उनकी जन्म एवं लीलाभूमि मथुरा-वृन्दावन में संगीत प्रधान अर्चना पद्धति प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन, पदों के गायन को मन्दिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। उनके शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान सम्प्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। इन कवियों में उल्लेखनीय थे– सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी एवं कृष्णदास। यह सभी भक्त रचनाकार एवं संगीतकार दोनों थे, जो गेय पदों की रचना करने के साथ सुर-ताल निबद्ध रूप में गाते भी थे। कृष्णभक्ति सम्प्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। प्रत्येक प्रहर की लीला के पद अवसर एवं समयानुकूल रागों, तालों में निबद्ध करके गाये जाते थे। स्वरों एवं भावों का यह मणिकांचन संयोग अद्‌भुत था। प्रातःकालीन पद भैरवी (जागो मोहन प्यारे), भैरव, ललित (उठे नन्दलाल...) आसावरी आदि रागों में गाये जाते तो परवर्ती पद बिलावल, रामकली आदि राग-रागिनियों में निबद्ध किये जाते थे। मध्याह्नकालीन लीला सम्बन्धी पद सारंग जैसे रागों में मिलते तो संध्याकालीन पद यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकौस, कान्हरा आदि राग-रागिनियों में निबद्ध होते थे। यही नहीं, इन पदों को सरपरदा, साजगिरि, झीलफ जैसी राग-रागिनियों में बाँधा गया। केवल 'सूरसागर' के लिए ही समीक्षकों का कहना है, ऐसी कोई राग-रागिनी न होगी जो छूट गयी हो। सूरदासी मल्हार के प्रणेता स्वयं सूरदास माने जाते हैं। इन पदों का कहरवा, दादरा, तीनताल में गायन होता था परन्तु ध्रुवपद शैली की प्रधानता थी। इस प्रकार ध्रुवपद गायन शैली, मात्र मृतप्राय शैली न होकर सम्मान प्राप्त एवं जीवन्त शैली का रूप थी। संगीत प्रधान अर्चना पद्धति इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अन्य कृष्ण भक्तों ने राग एवं तालबद्ध ध्रुवपद गायन को धार्मिक अर्चना का अभिन्न अंग बना लिया।

परमानन्द दास के गायन से वल्लभाचार्य के और गोविन्द स्वामी के गायन माधुर्य से तानसेन के आत्मविभोर होने का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण स्वामी हितहरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। हितहरिवंश ने 84 पदों को 14 राग-रागनियों में निबद्ध किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास संगीत एवं मथुरा-वृन्दावन दोनों के पर्याय आज भी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं 'श्रीकेलिमाल' तथा 'अष्टादश' पदों की रचना की। उनकी रचनाओं में संगीत का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके द्वारा रचित 110 पदों का राग विभाजन निम्न प्रकार है :–

कान्हरा 30, मल्हार 22, गौड़ 2, कल्याण 12, बसंत 5, सारंग 11, गौरी 6, विभास 10, नट 2, बिलावल 2।

इसी प्रकार अष्टादश पदों में 4 विभास, 1 बिलावल, 7 आसावरी तथा 6 कल्याण राग में निबद्ध हैं। अनेक विद्वान स्वामी हरिदास को ध्रुवपद की डागुर बानी का प्रवर्तक ही नहीं मानते बल्कि उनकी मान्यतानुसार स्वामी हरिदास ने मन्दिरों में ध्रुवपद गायन द्वारा अर्चना-पद्धति का श्रीगणेश किया। आज भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हरिदास जयन्ती समारोह कई दिन चलता है जिसमें विरक्त साधु परम्परागत ध्रुवपद की शैली में गाते हैं। इन संगीतज्ञ भक्तों ने ब्रजभाषा प्रधान ध्रुवपदों को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया।

स्वामी हरिदास को राग-रागिनियाँ सिद्ध थीं। कहते हैं उनके दीपक राग गाने से दीपक स्वयं प्रदीप्त हो उठते तो मेघ से बादल असमय भी घुमड़ कर बरसने लगते, 'श्री' राग में गायन करते ही प्रकृति पर बसन्त की बहार छा जाती। उनके संगीत से प्रसन्न होकर बाँके बिहारी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत् 1567 को निधिवन में उन्हें दर्शन दिया था, यह किंवदन्ती आज भी प्रचलित है। श्री बाँके बिहारी के प्राकट्य की वह तिथि आज भी विहार पंचमी अथवा श्री पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, इसी दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होता है। कहते हैं स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक, बैजू बावरा को मेघ और गोपाल नायक को मालकौंस में सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदासी सम्प्रदाय के पाँच मुख्य संगीत अर्चना केन्द्र थे :–

(1) बाँके बिहारी का मन्दिर– जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए; (2) निधिवन– स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि; (3) गोरेलाल का मन्दिर– स्वामी जी की शिष्य परम्परा में नरहरि देव के उपास्य; (4) श्री रसिक बिहारी– स्वामी रसिक देव के ठाकुर; (5) थट्टी स्थान– स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित।

स्वामी जी के पदों से तत्कालीन संगीत परम्परा का परिचय मिलता है। तत् वाद्यों में किन्नरी, वीणा, अर्द्धवीणा, अवनद्ध वाद्यों में मृदंग, डफ, घनवाद्यों में झाँझ-मजीरा एवं सुषिर वाद्यों का उल्लेख है। औघट ताल की चर्चा मिलती है। वाद्यों के संदर्भ में स्वामी जी ने लाग, डाट, टिरिप, चन्द्रागति, घात, नृत्य के प्रसंग में ताण्डव, लास्य, भेद-विभेद, अंगहार जैसे पारिभाषिक शब्दों, नृत्य के बोलों 'ता थेई, तत्ता थेई' का विस्तृत उल्लेख किया है। कथक नृत्य को कृष्ण लीला प्रसंगों की प्रेरणा संभवतः इसी संगीतमय लीला पद्धति से मिली होगी। स्वामी हरिदास की परम्परा में अनेक संत-संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अर्चना के माध्यम से संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इनमें श्री विट्ठल विपुल देव, स्वामी बिहारी शरण, सरसदेव, नरहरि देव, रसिक देव, ललित किशोरी देव तथा ललित मोहिनी देव अष्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त स्वामी पीताम्बर देव जी, रूपसखी, चरणदास, किशोरदास, रसिकदेव, बिहारी बल्लभ, शीतलदास, सहचरिशरण, गोवर्द्धन शरण देव, हरिकृष्ण शरण, राधाशरण देव, राधा प्रसाद देव, स्वामी अग्रदास ने मन्दिरों में पल्लवित संगीत परम्परा को समृद्ध किया। आज भी कृष्ण लीला का वर्णन होता है। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं ध्रुवपद मेला होता है जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ दूर-दूर से बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आते हैं।

मीरा की भाँति ब्रज में कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है जो श्री विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर गिरिधर के रंग में ऐसी रंग गयी कि ब्रज में ही बस गयी और एक दिन होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के सम्मुख धमार गाते-गाते श्रीनाथ जी की प्रतिमा में लुप्त हो गयी। बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी होली के अवसर पर ताज द्वारा रचित ध्रुवपद एवं धमार गायी जाती है।

उपर्युक्त संत परम्परा के साथ अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो गये हैं जिनमें ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद रासधारी, मदनमोहन पखावजी, मक्खन लाल पखावजी, गणेशी लाल चौबे, गजानन मिश्र, चौथ्या रासधारी, भवानी दास, जीवन लाल, बालकृष्ण, गोपाल लाल, घनश्याम लाल, बौली बाबा उल्लेखनीय हैं। अम्बा जी चतुर्वेदी तो दाऊजी के मन्दिर में नियमित रूप से कीर्तन-भजन गाया करते थे। उनके पुत्र चन्दन चौबे ने ध्रुवपद गायन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाला जी, राजा भइया, कमलनयन ने भी मथुरा की ध्रुवपद परम्परा को समृद्ध किया।

वाराणसी में मन्दिरों की अर्चना और संगीत का अभिनव सम्बन्ध रहा है। वाराणसी में बल्लभ सम्प्रदाय,

अष्टछाप, अष्टाचार्य जैसे संत कवियों, गायकों की नियमित परम्परा नहीं रही है, परन्तु आराध्य के चरण कमलों में कला का पूर्ण समर्पण, साधना की चरम परिणति मानी जाती रही है। कलाकारों ने इस मान्यता का अपने जीवन में निरन्तर अनुशीलन किया है। फलस्वरूप काशी के मन्दिरों में श्रेष्ठतम कलाकार भी आराध्य के सम्मुख घंटे-दो-घंटे नियमित अथवा यदा-कदा ही गाने-बजाने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के पूर्वज और बिस्मिल्ला खाँ स्वयं डुमराँव के बाला जी मन्दिर में प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक शहनाई वादन करते थे। काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परम्परा आज भी प्रचलित है। सत्यनारायण मन्दिर, संकटमोचन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्वनाथ मन्दिर में समारोह प्रायः होते रहते हैं जिनमें कलाकार विशुद्ध आराधना के भाव से स्वयं आकर निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और श्रोता बिना किसी शुल्क, भक्ति भाव से शास्त्रीय संगीत का आनन्द लेते हैं। सावन में तो प्रत्येक मन्दिर में विशेषतः हर सोमवार के दिन विशेष शृंगार होता है और इसके साथ गायन, वादन एवं नृत्य के श्रेष्ठ कार्यक्रम भी। संकटमोचन मंदिर के महन्त अमरनाथ जी अपने युग के श्रेष्ठ पखावज वादकों में से एक थे। संकटमोचन मन्दिर में आज भी प्रत्येक वर्ष तीन दिनों का विशाल संगीत सम्मेलन होता है जिसमें काशी के अतिरिक्त दूर-दूर से आए श्रेष्ठ कलाकार भाग लेते हैं। गत अनेक वर्षों से अस्सी घाट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर स्व. डॉ. लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के प्रयास से आरम्भ किया गया ध्रुवपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। यह संगीत समारोह अपने ढंग का अद्‌भुत है। ध्रुवपद जैसी तथाकथित अप्रचलित शैली का सम्मेलन, कोई टिकट नहीं, परन्तु पारखी रसिक श्रोताओं का अपार समूह जो स्वयं ताल एवं स्वर ज्ञान में पारंगत है मंच पर पं. रविशंकर, बलराम पाठक, गजानन राव, सियाराम तिवारी, फहीउद्दीन डागर, पागलदास पखावजी आदि जैसे उच्च कोटि के परन्तु निःशुल्क कार्यक्रम देने वाले कलाकार। सारी रात चलने वाला संगीत सम्मेलन। यह परम्परा आज भी जीवन्त है।

अयोध्या वैष्णव भक्ति परम्परा में रामभक्ति शाखा का प्रमुख केन्द्र रही है। यद्यपि राम का चरित्र पराक्रम प्रधान है उसमें वंशी, संगीत के लिए कोई स्थान नहीं है तथापि कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय की संगीतात्मकता ने राम भक्ति धारा को भी प्रभावित किया और राम मन्दिरों में भी संगीतमय भजन, कीर्तन की पद्धति चल पड़ी। वैसे रामायण काल में भी अयोध्या की सम्पन्न संगीत परम्परा, नट, नर्तकों-गायकों, वीणा, माल, वाद्य, विशारद, विलम्बित, मध्य, द्रुत गतियों का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकाल तक फलती-फूलती रही। बाद में आराध्य की अष्टयाम (प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक) संगीतात्मक उपासना का शुभारम्भ हुआ जो वल्लभ सम्प्रदाय के नामी भक्तों में अब भी प्रचलित है। रामानन्द के शिष्य सुरसुरानन्द जी ने 500 ध्रुवपद बन्दिशों की रचना की थी जो आज भी रामानन्दी ध्रुवपद नाम से प्रचलित है। सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वह दीपक राग गाते थे तो आरती के दीपक स्वयं प्रज्ज्वलित हो उठते थे, फिर दीपक राग द्वारा प्रदीप्त दीपों से वह आराध्य की आरती करते थे। बड़ी छावनी तथा विद्याकुण्ड में आज भी इनके अनुयायी हैं जो गले में मृदंगार कंठी दानों की माला धारण करते हैं और ध्रुवपद धमार शैली में ही गाते हैं। बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद गायक राम पदारथ जी अयोध्या क्या आए कि बस यहीं रम गये। तत्कालीन अयोध्या नरेश राजा ददुआ ने राजाश्रय दिया। संत-संगीतज्ञ राम पदारथ जी ने पं. संत शरण, बलदेव चतुर्वेदी तथा बाबा धनुषधारी को संगीत की शिक्षा दी। बाबा धनुषधारी इतने प्रतिभा सम्पन्न थे कि उनका गायन अयोध्या के कोने-कोने में प्रचलित हो गया। अयोध्या के विरक्त साधु आज भी बाबा धनुषधारी द्वारा रचित तथा उन्हीं की शैली में बधाई, नवाह, मानस गायन आदि प्रेम से प्रस्तुत करते हैं। बाबा धनुषधारी ने बधाई, मानस गायन को शास्त्रीय संगीत का पुट दिया। उनके शिष्यों सियाराम दास, छेदा सूर, संतशरण ने ध्रुवपद धमार के क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया। अन्य ध्रुवपद धमार गायकों में थे लालजी भाई सत्य स्नेही, बाबा गौरी शंकर, राम आसरे शरण, चन्द्र प्रकाश मिश्र जो साधु-संतों की भाँति रहते थे। कोदऊ सिंह मृदंगवादक बहुत समय तक अयोध्या में रहे। उनके शिष्य मनमोहन उपाध्याय दतिया में मृदंग, पखावज सीखकर अयोध्या आए जहाँ राजा अयोध्या ने दर्शनेश्वर मन्दिर में उन्हें नियुक्त कर दिया। कोदऊ सिंह के दूसरे अन्य शिष्य वैरागी रामकुमार दास ने अवध बिहारी मन्दिर में सात वर्षों तक मृदंग वादन की अनवरत

साधना की और हनुमान गढ़ी में रहते थे। राम कुमार दास जी ने मृदंग के अतिरिक्त अवध की पखावज एवं तबलावादन परम्परा का सूत्रपात किया। रामकुमार दास के तीन प्रमुख शिष्य थे स्वामी रामदास, ठाकुर दास तथा राममोहिनी शरण। रामदास जी की शिष्य परम्परा में रामध्यान दास तथा छत्रपति सिंह और ठाकुर दास के शिष्यों में श्री महाबीर दास, गोपाल दास एवं पागलदास उल्लेखनीय हैं। ठाकुर दास के अन्य शिष्य यमुना चौधरी (दरभंगा), गोपालदास (मुंगेर), जगदीश सिंह एवं भीषम सिंह (रायगढ़) बाहर बस गये। राममोहिनी शरण के शिष्यों में स्वामी भगवान दास तथा किशोरी दास का नाम लिया जाता है। बाद में स्वामी पागलदास भी इन्हीं के शिष्य हो गये तथा देश के सर्वोच्च पखावज वादकों में उनका स्थान है। अन्य शिष्यों में सरयूदास तथा वसुमित्र शास्त्री तथा इनके अतिरिक्त अवध किशोर चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं। इटावा के कल्लू उस्ताद के ही अनेक शिष्य अयोध्या में रहते थे। शास्त्रीय गायन वादन की यह परम्परा बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में शिथिल होने लगी। मंदिरों में ध्रुवपद धमार गायन का स्थान जै सियाराम जै-जै सियाराम कीर्तन तथा मानस ने गान ले लिया। कुछ दिन कीर्तन अपनी विशिष्ट कीर्तन लोक शैली में होते थे परन्तु इधर फिल्मी प्रभाव के कारण कीर्तन भी फिल्मी गीतों की धुन की पैरोडी बनते जा रहे हैं। कीर्तन सुनकर लगता है कि भक्ति संगीत की अपेक्षा फिल्मीगीत सुन रहे हैं। झूलन आदि उत्सवों पर गायन के साथ नृत्य की परम्परा भी अयोध्या में प्रचलित रही है। नर्तक राम कथा को लेकर चार-जामा पहिने तथा शलमा लगाकर कथक नृत्य करते थे परन्तु इसका स्वरूप शास्त्रीय नहीं था। इधर संत गोपाल मिश्र स्वर्गद्वार के निकट कथक कला केन्द्र खोलकर नृत्य की शिक्षा देने में लगे रहे। पुराने कथक कलाकारों में लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय हैं। कुछ कथक परिवारों का सम्बन्ध वीरू मिश्र, अनोखेलाल तथा अच्छन महाराज से भी है। अयोध्या के तीन मन्दिर शास्त्री नगर, स्वर्गद्वार तथा बेतिया– कथक परिवारों के पास हैं। इसके अतिरिक्त रामप्रिया दास, गुलाब दास, सरस्वती दास, लालदास, तुलसीदास (तपसी छावनी), भगवतदास (रामलीला विहार कुंज), हनुमान दास ने रामलीला थियेटर कम्पनियों द्वारा नाट्य संगीत का प्रचार किया। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध घराना परम्परा के रूप में प्रतिष्ठा का श्रेय धनुषधारी जी तथा स्वामी रामशंकर दास उर्फ पागलदास को तथा उनके अनेक योग्य शिष्यों को है जिन्होंने अयोध्या में शास्त्रीय संगीत का वातावरण बनाया।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा के मध्यकालीन इतिहास में तीन नगण्य स्थानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में सन् 1223 ई. में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मुबारकशाह तथा पंजाब के गाजी खाँ गयासुद्दीन के दरबारों में नौकरी की तथा विभिन्न विषयों पर लगभग सौ पुस्तकें लिखीं। अमीर खुसरो की पुस्तकों में लगभग 22 फारसी ग्रन्थ तथा कुछ फुटकर रचनाएँ ही आज प्राप्त हैं।

अमीर खुसरो ने संगीत पर भी अनेक पुस्तकें लिखीं जो प्राप्त नहीं हैं। प्रचलित मान्यतानुसार अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया जो आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। पूर्वी, गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी अथवा साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाये सरपरदा शाहनाज, पटराग के मिश्रण से बने ज़ीलफ अथवा ज़िल्फ, गारा आदि ऐसे आविष्कारों में उल्लेखनीय हैं। खुसरो ने ईरानी शैली के अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया। उनके द्वारा बनाये गये झूमरा आदि ताल आज भी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। खुसरो को ही तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो के पुत्र फीरोज़ खाँ ने सितार वादन को अपनाया और उनके पौत्र मसीत खाँ ने सितार की मसीतखानी (विलम्बित) वादन शैली का प्रचलन किया। खुसरो ने ही अपने समय में प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली में उल्लेखनीय ईरानी संगीत का मिश्रण, संशोधन करके नयी शैली का प्रचलन किया जो उनके जीवन काल के पश्चात् ख्याल गायन शैली के नाम से न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि जिसने आगे चलकर ध्रुवपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस नयी शैली ने भारतीय संगीत पद्धति को

अपनी विशेषताओं के कारण दो भिन्न गायन-वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया; उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर प्रदेश के एटा जैसे नगण्य स्थान में जन्म लेने वाले अमीर खुसरो ने संगीत को समृद्ध करने के साथ वर्तमान रूप दिया। इसी प्रकार जौनपुर के सुलतान हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप में लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया जिसे संगीतज्ञों ने विशेष उत्साह के साथ अपनाया।

निधिवन, वृन्दावन (मथुरा) के स्वामी हरिदास के केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुवपद गायन तथा अपनी शिष्य परम्परा से संगीत को समृद्ध किया। स्वामी हरिदास ने कृष्णोपासना प्रधान ध्रुवपद शैली को परिष्कृत तथा आध्यात्मिक रूप में सुरक्षित रखा। ग्रंथ 'नाद विनाद' में स्वामी हरिदास के आठ शिष्यों का उल्लेख किया गया है : बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन, सौरसेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में अठारह के स्थान पर बाइस अथवा चौबीस परदे लगाकर इसके चार तारों पर मध्य, मन्द तथा तार सप्तक के स्वरों को बजाने की शैली तथा शुष्क वादन (अलापचारी) गीतांगय, नृत्यांगय तथा नृत्य एवं संगीत गायन के साथ वीणावादन शैली प्रचलित की। थट्टी सम्प्रदाय के श्याम-श्यामा उपासक स्वामी हरिदास के शिष्यों में तानसेन तथा बैजू विभिन्न दरबारों से सम्बद्ध रहे। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की भी शिक्षा प्राप्त की। तानसेन के संदर्भ में ग्वालियर घराने तथा ग्वालियर में बनी उनकी समाधि का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है परन्तु उनकी संगीत शिक्षा-दीक्षा वृन्दावन के निधिवन में स्वामी हरिदास द्वारा हुई तथा उनकी साधना स्थली, कर्मभूमि बनी आगरा की धरती, जहाँ अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत परवान चढ़ा और वह अन्तिम समय तक आगरा में ही रहे। सोनिया अथवा बीनकार घराना नाम से प्रसिद्ध उनकी शिष्य परम्परा में नौबत खाँ, नियामत खाँ (सदारंग), वजीर खाँ, हाफिज अली खाँ, अलाउद्दीन खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार तानसेन घराने की गायकी परम्परा प्रचलित हुई। इन दोनों परम्पराओं के आदि स्रोत निधिवन, वृन्दावन के स्वामी हरिदास ही थे।

सुप्रसिद्ध ध्रुवपद संगीतज्ञों डागर परिवार का सम्बन्ध डागुर बानी गायक स्वामी हरिदास से जोड़ा जाता है। इस मत के समर्थक स्वामी हरिदास की शिष्य परम्परा में स्वामी सत्यदेव, गोपाल स्वामी, गिरधर स्वामी, शिवदत्त, ब्रज नारायण, इमाम बख्श, बहराम खाँ, मुहम्मद जान खाँ, अलाबन्दे खाँ तथा जाकिरुद्दीन, मोइनुद्दीन डागर आदि से डागर बन्धुओं का सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि डागुर बानी के गायक हरिदास अकबरकालीन स्वामी हरिदास से भिन्न हैं, स्वामी हरिदास का सम्बन्ध डागुर बानी से था ही नहीं। स्वामी हरिदास की ध्रुवपद गायन शैली गोबरहार थी जिसे उनके शिष्य तानसेन ने सर्वोपरि माना। हरिदास डागुर स्वामी हरिदास से भिन्न तथा तानसेन के परवर्ती शाहजहाँ, औरंगजेब के समकालीन माने गये हैं तो कतिपय अन्य विद्वान हरिदास डागुर को ग्वालियर वासी ज्ञान खाँ का शिष्य मानते हैं। विषय, रचना, शैली, रचना-पद्धति की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसी क्रम में अन्य विद्वान डागर परिवार शिष्य परम्परा का सम्बन्ध आदि गुरु हरिदास डागुर से जोड़ते हैं। शाहजहाँ के समकालीन कालिदास डागुर की शिष्य परम्परा में मसनद अली खाँ, फतेह अली खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, फहीमुद्दीन खाँ डागर आदि कलाकार हुए। रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास तथा हरिदास डागुर अथवा कालिदास डागुर भले ही अलग-अलग व्यक्ति हों, परन्तु इससे इनके वृन्दावन, उत्तर प्रदेश वासी होने के सम्बन्ध में कोई मतभेद, विवाद अब तक सामने नहीं आया है। इस दृष्टि से नासिरुद्दीन खाँ, बहराम खाँ, अलाबंदे खाँ, डागर बन्धुओं ज़िया फहीमुद्दीन खाँ डागर की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शिष्य परम्परा उत्तर प्रदेश संगीत परम्परा की महत्वपूर्ण देन है।

अयोध्या के नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गये। नवाब शुजाउद्दौला के समय तक यहाँ कलाकारों का अच्छा-खासा जमघट हो गया। इनमें उल्लेखनीय थे शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कथक खुशी महाराज, पंजाब के शोरी मियाँ। आसफुद्दौला द्वारा राजधानी लखनऊ ले जाने के बाद भी यहाँ की संगीत परम्परा पनपती रही। अयोध्या में मेंहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खाँ, मुश्तरी बाई जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। शम्भू महाराज ने रहीमुद्दीन खाँ से अनेक वर्षों तक

ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की। मलिकाए ग़ज़ल बेगम अख्तर ने विश्व के संगीत जगत में अयोध्या का सम्मान बढ़ाया।

वाराणसी की संगीत परम्परा प्रदेश में सबसे अधिक बहुमुखी एवं समृद्ध रही है। इसका कारण है काशी की माटी, जिसका कण-कण संगीत के रस से सराबोर है और है संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज का दरबार। यही कारण है कि काशी की स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त वाराणसी ने दूर-दूर से कलाकारों को आकर्षित किया। जो काशी में एक बार आया तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वहीं बस गया। सुप्रसिद्ध सारंगीवादक मीरजापुर के पंडित शम्भूनाथ मिश्र काशी में आकर बस गये तो कालिका प्रसाद जी हंडिया तहसील, प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में रहने लगे। नृत्याचार्य सुखदेव महाराज ने नेपाल छोड़ा तो काशी को अपना घर बना लिया। दिल्ली दरबार छोड़कर ध्रुवपदिये उस्ताद निसार अली खाँ, बीनकार उस्ताद वारिस अली खाँ, ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खाँ, टप्पा गायक उस्ताद अकबर अली खाँ, तानसेन घराने के प्यार खाँ, भूपत खाँ, नेपाल से ही मुहम्मद खाँ (बड़कू मियाँ), लखनऊ से निर्मलशाह काशी आकर इस नगरी पर ऐसे रीझे कि बस यहीं के होकर रह गये। बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी ऐसी बसी कि डुमराँव गाँव पीछे छूट गया। जो काशी छोड़कर बाहर भी रहने लगा उसके तन-मन में काशी ऐसी रम गयी कि अन्तिम क्षण तक उसने काशी को नहीं छोड़ा। सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक मुश्ताक अली खाँ भले ही कलकत्ता में जाकर बसे थे परन्तु वह सदैव अपने को ठेठ बनारसी कहते थे। उस्ताद मुश्ताक अली खाँ के पूर्वज सेनिया घराने के बीनकार वारिस अली खाँ, टप्पा गायक अकबर अली खाँ, ध्रुवपद गायक निसार अली खाँ तथा ख्याल गायक सादिक अली खाँ, अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के समय में ही बनारस आकर बस गये थे। मुश्ताक अली खाँ, सेनिया घराने के बरकतुल्ला के शिष्य आशिक अली खाँ के सुपुत्र थे। उदयशंकर, रविशंकर संसार के किसी कोने में भ्रमण करते रहे हों परन्तु काशी उनके मन में हर क्षण बसी रही, कभी ओझल नहीं होने पाई। पंडित रविशंकर ने तो 'रिम्पा' के रूप में काशी को अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया।

काशी की गायिकाओं की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। ये गायिकायें मन्दिरों में भी गाती थीं, दरबार और रईसों की महफिलों में भी। ठुमरी, टप्पा से लेकर ख्याल, ध्रुवपद धमार की कठिन बन्दिशें प्रस्तुत करने में ये गायिकायें बेजोड़ थीं। इन गायिकाओं में विद्याधरी, सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, राजेश्वरी, बड़ी मोती, गौहर, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णदेवी, गिरिजा देवी, शान्ती देवी की प्राचीन परम्परा रही है। सितारा देवी तथा अलखनन्दा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया।

काशी की वर्तमान संगीत परम्परा लगभग दो सौ वर्ष पुरानी है। ध्रुवपद धमार गायन में पं. रामसेवक मिश्र, पशुपति नाथ, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवनारायण मिश्र, प्रसिद्ध मनोहर, शिवा-पशुपति युगल कलाकारों की विशेष ख्याति रही है। आज भी राजन-साजन तथा अमरनाथ-पशुपतिनाथ अपने युगल गायन के लिए संगीत जगत में लोकप्रिय हैं। काशी के कथक परिवारों में पं. शिवनन्दन मिश्र, उनके पुत्र बड़े रामदास, रामदास जी के श्वसुर पंडित जैकरन मिश्र, छोटे रामदास, पं. हरिशंकर मिश्र, पं. महादेव प्रसाद मिश्र का गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। स्थानीय कथक परिवारों ने संगीत, नृत्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तियाँ दी हैं। जैसे उदाहरणार्थ नाम बताने के ख्याल से– कथक में अभयशंकर मिश्र, तबला तथा संगीत समीक्षा में पं. विजय शंकर मिश्र, सितार में अशोक मिश्र जैसे नाम लिए जा सकते हैं। अभय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कथक नर्तक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य नगरों से काशी में आकर रहने वाले और कुछ बस जाने वाले संगीतज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें उल्लेखनीय हैं– भावे बुवा, भैयाजी लाडे, सोमनाथ, गरुड़कर, सोमनाथ बेहरे, वेदमूर्ति नारायण भट्ट, मुकुन्द विष्णु कालविन्त, अघोर चक्रवर्ती, दामोदर विष्णु कालविन्त, भालचन्द्र चिन्तामणि दामले, उपेन्द्र बाबू। जगदीप जी तथा मौजुद्दीन खाँ द्वारा आंगिक अभिनय की अपेक्षा स्वर माधुरी, बनारसी पुट, भाव प्रधान पूरब अंग की ठुमरी शैली इस ढंग से प्रस्तुत की गयी कि सारे देश पर छा गयी। इधर टप्पा के सुप्रसिद्ध गायक अकबर अली खाँ और शोरी मियाँ के शागिर्द गम्मू खाँ और उनके पुत्र शादे खाँ ने टप्पा का वाराणसी में प्रचार किया। शादे खाँ ने इमाम बाई तथा चित्रा बाई को टप्पा

गायन की शिक्षा दी और टप्पा बनारसी गायकी का अभिन्न अंग बन गया। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, शिव सेवक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र के पास टप्पे की दुर्लभ बंदिशों का अपार भण्डार था। बड़े रामदास जी ठुमरी गायकी, ख्यालों की तानों की तैयारी के लिए टप्पे का अभ्यास कराते थे। रसूलन बाई टप्पा गायन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थीं। इमामबादी के पुत्र रमजान खाँ तथा उनके शिष्य नागेन्द्रनाथ भट्टाचार्य ने टप्पा को काशी से कलकत्ते तक पहुँचाया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग खुल जाने के कारण बाहर से अनेक संगीतज्ञ संगीताध्यापन के लिए यहाँ आकर रहने लगे जिनका संगीत परम्परा में योगदान उल्लेखनीय है। इस परम्परा में अनेक नाम लिये जा सकते हैं – पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बलवन्तराय भट्ट, डॉ. लालमणि मिश्र, प्रदीप कुमार दीक्षित, डॉ. एम.आर. गौतम, डॉ. पाटेकर, श्रीकान्त ठकार, डॉ. (कुमारी) प्रेमलता शर्मा, श्रीमती एन.राजम।

खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परम्परा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय द्वारा सन् 1830 के आस-पास माना जाता है। राम सहाय जी ने तबलावादन शैली को ऐसा रूप दिया कि स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, नृत्य, सितार, सरोद सभी के साथ समान रूपेण सफल संगत की जा सके। रामसहाय जी द्वारा बनाई चक्करदार टेढ़ी परनों में गज परन, सिद्ध परन, चक्करदार परन, कृष्ण परन, रासलीला परन, काली परन, दुर्गा परन, शंकर परन, गणेश परन उल्लेखनीय हैं। राम सहाय जी की शिष्य परम्परा में जानकी सहाय, गौरी सहाय, गौरी सहाय के सुपुत्र भैरव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय के पुत्र दुर्गादास सहाय, भाँजे पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, शारदा सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर तिरकिट-धिरकिट की कड़ी के लिए प्रसिद्ध तीन चार हजार कायदों, गतों, फर्द, पेशकार, रेलों, टुकड़ों पर पूरा अधिकार रखने वाले भैरव प्रसाद जी के लगभग 400 शिष्यों में प्रमुख थे पंडित मौलवी राम मिश्र, बागेश्वर प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट। प्रताप अथवा परतप्पू महाराज की शिष्य परम्परा में उनके पुत्र जगन्नाथ जी, पौत्र शिव सुन्दर और प्रपौत्र बलमोहन महाराज तबले के खलीफा माने जाते थे। कहते हैं शिवसुन्दर के अनुज वाचा मिश्र ने देवी को तबला वादन से प्रसन्न करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाचा मिश्र के पुत्र पंडित सामता प्रसाद गुदई महाराज ने पिता के अतिरिक्त बिस्सू मिश्र जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की। गुदई महाराज के प्रमुख शिष्यों में हुए कुमार मिश्र, कैलाश मिश्र। पंडित भगवान प्रसाद के पुत्र एवं विश्वनाथ जी के शिष्य पंडित वीरू मिश्र ने तबला वादन, बनारसी बाज में दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक संगीत सम्मेलनों, रियासतों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कबीर चौरा के मौलवी राम मिसिर का बनारसी राज अपना अलग था। भैरव प्रसाद मिश्र की परम्परा को इधर प्रतिष्ठा मिली पं. अनोखे लाल द्वारा जिनकी तैयारी, सफाई और नाधिन धिन्ना बोलों का जवाब नहीं था। इनके अतिरिक्त बनारसी राज के युवा कलाकारों में सर्वश्री ईश्वरलाल मिश्र, छोटे लाल मिश्र तथा रामजी मिश्र के नाम लिये जा सकते हैं। तबले के अतिरिक्त ध्रुवपद धमार की लोकप्रियता के कारण काशी में पखावजवादन की समृद्ध परम्परा रही है। इनमें प्रमुख थे मन्नू जी, भोलानाथ पाठक, वृन्दावन दास, मदन मोहन, रामदेव पाण्डेय, संकट मोचन मन्दिर के महन्त पंडित अमरनाथ मिश्र।

तबले की भाँति काशी में सारंगी वादन के तीन घराने प्रचलित रहे हैं– पंडित राम बख्श जिनके पुत्रों गणेश जी, शीतल जी तथा आगे चलकर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र एवं गोपाल मिश्र ने अपने श्रेष्ठ सारंगीवादन से देश-विदेश में सारंगी और बनारस घराने की धाक जमा दी। मीरजापुर से वाराणसी में आकर बसे पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्रों सुमेरू (सुमेरनाथ) तथा सियाजी ने सारंगी वादन से सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। रामनारायण मिश्र की अपनी सारंगी वादन शैली अलग थी। इनके पुत्रों भवानी भीख जी तथा शम्भूनाथ मिश्र के पुत्र पण्डित सरयू प्रसाद मिश्र तथा पौत्रों पण्डित विश्वनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र तथा बैजनाथ मिश्र ने सारंगीवादन परम्परा को समृद्ध किया। बनारस के अन्य श्रेष्ठ सारंगी वादन कलाकारों में तमाकू जी, नारायण मिश्र, भगवान मिश्र, बिरई जी, ठाकुर प्रसाद, सीताराम, पन्नालाल मिश्र, मुंशीराम, आशिक अली खाँ, वंशी महाराज, काशी प्रसाद किन्नर आदि के नाम लिये जा सकते हैं जो स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी

की चतुरंग एवं सफल संगत करने में सिद्धहस्त थे। इन कलाकारों के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। सियाजी महाराज की सारंगी पालकी में राजसी ठाठ के साथ जहाँ भी वे जाते, ले जायी जाती। तबला एवं मृदंग वादकों के लिए प्रसिद्ध था कि वह गजपरन बजा कर पागल हाथी को शान्त कर देते थे।

वायलिन वादन में श्रीमती एन. राजम तथा सितारवादक राजभान सिंह के बिना काशी की चर्चा अधूरी रहेगी जो अब काशी में ही रहने लगे हैं। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बनारस के पर्याय रहे हैं। उनके अतिरिक्त पंडित नन्दलाल, ख़ादिम अली ने वाराणसी की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली खाँ ने सितार में, श्री उदयशंकर एवं गोपीकृष्ण ने नृत्य के क्षेत्र में वाराणसी का गौरव बढ़ाया। डॉ. लाल मणि मिश्र ने स्वयं विचित्र वीणा वादक होने के साथ देश-विदेश में ध्रुवपद प्रचार-प्रसार, संगीताध्ययन एवं शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, शोधपरक और रचनात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिय। ठाकुर जयदेव सिंह दर्शन एवं धर्म के अतिरिक्त संगीत शास्त्र के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किये जाते हैं। वाराणसी की संगीत परम्परा आज भी जीवन्त एवं समृद्ध है।

रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे और स्वयं तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खाँ के शिष्य थे। वजीर खाँ सुप्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मुहम्मद खाँ के भाँजे तथा उस्ताद निज़ाम खाँ के सुपुत्र थे जो अपने युग के श्रेष्ठतम ध्रुवपद गायक थे। वज़ीर खाँ ने पिता से ध्रुवपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। उस समय रामपुर में देश के कोने-कोने से आए श्रेष्ठतम संगीतज्ञों का जमघट था जो उस्ताद वजीर खाँ से सीखते थे। इनमें उल्लेखनीय थे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खाँ, उस्ताद सादिक अली खाँ आदि। उस समय रामपुर दरबार का संगीत के क्षेत्र में वही स्थान था जो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र के क्षेत्र में काशी पण्डित समाज का स्थान था। रामपुर में कलाकारों को मुँहमाँगा पुरस्कार मिलता था।

आसफुद्दौला द्वारा अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ ले जाने के साथ अनेक कलाकार लखनऊ जाकर बस गये। नवाब वाजिद अली शाह न केवल संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी बल्कि स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। उनके राज्य काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बिन्दादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य, कोदऊ सिंह जैसे पखावजी वाजिद अली शाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दरबार में ठुमरी, भाव एवं श्रृंगार प्रधान बन्दिशों का विशेष प्रचलन था जो अधिकतर भैरवी, खम्माज, काफी, देश, झिंझोटी आदि राग-रागिनियों तथा दीपचन्दी (14 मात्रा) जल ताल, कहरवा आदि तालों में गाई जाती थीं।

ख्याल, ध्रुवपद गायन की दृष्टि से लखनऊ संगीत का प्रमुख केन्द्र रहा है जहाँ देश के मूर्धन्य कलाकारों का जमघट होता था। उस्ताद सादिक अली खाँ के शिष्य उस्ताद खुर्शेद अली खाँ, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। उनके शिष्यों में प्रमुख थे लखनऊ के राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, बब्बन साहब, चिन्मय लाहिड़ी, भैया गनपत राव, नसीर खाँ, श्री कृष्ण रातंजकर आदि। ख्याल गायकी को लखनऊ में लोकप्रिय बनाने वाले श्रेष्ठ कलावन्तों में उल्लेखनीय हैं सूरज खाँ, चाँद खाँ, मुराद अली, अमीर अली, छज्जू खाँ, बासत खाँ, हैदर खाँ, गुलाम हुसैन, दूल्हे खाँ, अहमद खाँ, मुहम्मद खाँ, नवाब कासिम अली, अमराव खाँ, तारब अली, रहीम खाँ, यूसुफ खाँ, वजीर खाँ आदि। गुलाम रसूल के पुत्र मियाँ गुलाम नबी शोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। लखनऊ परम्परा के अनेक संगीतज्ञों ने उनसे टप्पा गायन सीखा। लखनऊ परम्परा को अनेक गायिकाओं ने भी समृद्ध किया। इनमें रहीमन बाई, शराफो बाई, धन्नो बाई, जयसुख बाई, खुर्शेद बाई, चन्द्रा बाई, जसोबाई के नाम लिये जा सकते हैं।

लखनऊ बाज की अपनी विशेषता, शैली रही है। प्यार खाँ, जाफर खाँ, बासत खाँ, बहादुर खाँ, काजिम अली जैसे रबाबिये हुए तो गुलाम मुहम्मद, रहीम सेन, गुलाम हुसैन खाँ, बरकत अली, हसन खाँ डाढ़ी, नवाब अली, वकी खाँ, हशमत जंग, हामिद हुसैन जैसे श्रेष्ठ सितारवादकों को लोग आज भी आदर से याद करते हैं। लखनऊ के ही रज़ा खाँ ने सितार की मध्य, द्रुतलय, प्रधान रजाखानी गत शैली का प्रवर्तन किया। सादिक अली खाँ वीणावादन तथा एवज़ अली खाँ सारंगी वादन में बेजोड़ थे। उस्ताद सुधार खाँ के पौत्रों मोदू

खाँ तथा बख्शू खाँ (पुत्र मम्मन खाँ) ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खाँ के प्रिय शिष्य पण्डित रामसहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। मम्मन खाँ के तीसरे पुत्र उस्ताद मुहम्मद खाँ के पुत्र मुन्ने खाँ खलीफा की परम्परा में वाजिद हुसैन खाँ, आफाक हुसैन खाँ हुए तो दूसरी ओर आबिद हुसैन की शिष्य परम्परा में वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, हीरेन्द्र गांगुली, महबूब खाँ आदि जैसे ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए। लखनऊ में कोदऊ सिंह, पण्डित सखा राम, पण्डित अयोध्या प्रसाद जैसे पखावजी प्रसिद्ध हुए।

वाजिद अली शाह 'रहस' नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका स्वयं प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कैसरबाग में विशाल बारादरी, नहरें, फव्वारे, उद्यान बनवाए जो हर समय केसर की फुहार से गमकते और नूपुरों की झंकार से गूँजते रहते। इसी युग में कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। नवाबी प्रभाव के कारण लखनऊ की गायकी में ग़ज़ल एवं शायरी की प्रधानता थी। नृत्य ही नहीं वाजिद अली शाह ने स्वयं 'अख्तर पिया' और बिन्दादीन ने 'सनद पिया' उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार कीं। इसी समय अन्य कलावन्तों ने कदरपिया, चाँदपिया, ललनपिया नाम से ठुमरी की बन्दिशें तैयार कीं, जो बड़ी लोकप्रिय हुईं। अवध दरबार में होलिकोत्सव विराट संगीत समारोह के रूप में मनाया जाता जो दिन-रात चलता रहता। बिन्दादीन के अतिरिक्त शम्भू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। इधर श्रीकृष्ण रातंजकर को मौरिस कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। इसी क्रम में उस्ताद दूल्हे खाँ, उस्ताद सखावत हुसैन खाँ (सरोद), सादिक अली खाँ (बीनकार), उमर खाँ, इलियास खाँ (सितार), जी.एन. गोस्वामी (वायलिन), युसुफ अली खाँ, ध्रुवतारा जोशी (सितार), डॉ. सुरेन्द्र शंकर अवस्थी ने लखनऊ की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को सहायता-सम्मान देने की दिशा में कार्य करती है। लखनऊ महोत्सव में संगीत-सम्मेलन का आयोजन होता है।

आगरा मुगलकाल में संगीत का सबसे बड़ा केन्द्र था। मुगल बादशाह अधिकतर आगरा में ही रहते थे। आगरा के पड़ोस में एक ओर ग्वालियर रियासत थी तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार जहाँ से संगीतज्ञों का आना-जाना लगा रहता था। अतः जहाँ ग्वालियर घराने के नत्थन खाँ, पीर बख्श, हद्दू खाँ, हस्सू खाँ, मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, कृष्णराव शंकर, विनायक राव पटवर्द्धन, मेंहदी हुसैन खाँ, नज़ीर खाँ, हफीज़ खाँ, कल्लन खाँ, बालकृष्ण बुआ, इचलकरंजीकर, बन्ने खाँ, गनपत राव आदि जैसे संगीतज्ञों की दमदार, गम्भीर गायकी और तैयारी ने आगरे की गायकी को प्रभावित किया वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार के संगीतज्ञ थे जिनकी ध्रुवपद एवं ख्याल गायकी अपने ढंग की थी। दिल्ली घराने के संगीतज्ञों में लाल खाँ, बाबा रामदास, हाजी सुजान खाँ, सदारंग, अदारंग, काले मिर्जा, तानरस खाँ, उमराव खाँ, हुसैन अली, फतेह अली की गायकी ने आगरा घराने की गायकी को बहुत अधिक प्रभावित किया। मथुरा पड़ोस में होने के कारण ब्रज भाषा और कृष्णालीला की आगरा घराने की बन्दिशों पर स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। आगरा घराने का सूत्रपात श्यामरंग और सरसरंग से माना जाता है। आगरा घराने के संगीतज्ञों में घग्घे खुदाबख्श, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक शेर खाँ, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खाँ (कल्लन खाँ), नत्थन खाँ, नन्हें खाँ कड़क एवं चमक वाली तानों के लिए प्रसिद्ध मुहम्मद सिद्दीक खाँ, तसद्दुक हुसैन खाँ, अनवर हुसैन खाँ, लताफत हुसैन खाँ, विलायत हुसैन खाँ, स्वामी बल्लभदास, भास्कर बुवा बारवले, दिलीप चन्द्र वेदी, श्री कृष्ण रातंजनकर, जगन्नाथ बुवा पुरोहित के नाम लिये जाते हैं। परन्तु आगरा घराने की गायकी को सबसे अधिक यश मिला आफताबे मौसी की उस्ताद फैय्याज खाँ की लोकप्रियता के कारण। वैसे तो उस समय देश में रज्जब अली खाँ, अल्लादित्ता खाँ, अब्दुल करीब खाँ, बन्दे अली खाँ जैसे अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे परन्तु ख्याल, ध्रुवपद, होरी, धमार सभी शैलियों पर समान अधिकार, अलाप, बढ़त, राग-रागिनी के स्वरूप की अवधारणा और मधुर भावाभिव्यक्ति आदि दृष्टियों से फैयाज खाँ अद्वितीय थे। भैरवी में ''बाजूबन्द खुल-खुल जाय'' और ''ब्रज होली खेलन को रसिया'' से लेकर ध्रुपद ख्याल तक जब फैयाज खाँ प्रस्तुत करते तो रस की फुहारों से श्रोता भावविभोर हो जाते। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। इस परम्परा में इमदाद खाँ, हमीद खाँ, प्यार खाँ, लतीफ खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। वैसे तो फैय्याज खाँ अपने

गायन के बीच-बीच में ''हाँ, हाँ, अरे हाँ'' जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जो ख्याल गायन शैली का नहीं है, परन्तु कव्वाल बच्चों का अपना अलग घराना था जो तानों की पेंचदार फिरत, बल एवं फन्दे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के प्रतिनिधियों में मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, मुबारक अली खाँ, सादिक अली खाँ, फजले अली खाँ, करम अली, दिलावर अली उल्लेखनीय हैं।

मुगलकाल में, विशेषतः अकबर-काल में फतेहपुर सीकरी का आगरे अथवा दिल्ली की अपेक्षा अधिक महत्व था और अकबर का अधिकांश समय फतेहपुर सीकरी में ही व्यतीत होता था। अतः फतेहपुर सीकरी में संगीतज्ञों का जमघट और परम्परा का सूत्रपात स्वाभाविक था। इस घराने के संगीतज्ञों में जैनू खाँ, जोरावर खाँ, गुलाम रसूल खाँ, छोटे खाँ पखावजी, मदारबख्श के नाम लिये जाते हैं।

सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मुहम्मद जमाँ सूफी सन्त थे तथा गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में अद्वितीय माने जाते थे। सहारनपुर के गुलाम तकी खाँ और गुलाम जाकिर खाँ होरी ध्रुवपद गायन के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। बन्दे अली खाँ के जोड़ के बीनकार पूरे देश में इने-गिने थे। इस परम्परा के गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम जामिन, बहराम खाँ की ख्याति दूर-दूर तक थी। बहराम खाँ ने भारतीय संगीत के अध्ययन की दृष्टि से हिन्दी-संस्कृत का अध्ययन किया और उन्हें पण्डित की उपाधि से अलंकृत किया गया। बहराम खाँ की शिष्य परम्परा में गौसी बाई, फरीद खाँ, मौला बख्श सांखड़ वाले तथा जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ थे। जाकिरुद्दीन खाँ तथा अलाबन्दे खाँ के ध्रुपद एवं होरी गायन की पूरे देश में धूम थी। सभी रियासतों से इन दोनों के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रण पत्रों का ताँता लगा रहता था। सन् 1915-16 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन के मंच पर जब क्लीमेण्ट ने अपना बनाया हारमोनियम प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उनके हारमोनियम में सभी श्रुतियाँ निकल सकती हैं तो उनकी चुनौती जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ ने सफलतापूर्वक स्वीकार की और गाकर बतलाया कि श्रुतियाँ गले से ही निकल सकती हैं। इनमें गले की हरकतें हारमोनियम पर निकालने में असफल होने पर श्री क्लीमेण्ट ने अपना वाद्य और दावा वापस ले लिया। वस्तुतः वर्तमान ध्रुपद परम्परा को इस घराने का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अलाबन्दे खाँ के पुत्रों नसीरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, इमामुद्दीन खाँ डागर एवं मोहनुद्दीन डागर ने ध्रुपद, धमार, होरी गायन के क्षेत्र में सहारनपुर घराने की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब्बन खाँ गायन के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने अनेक राग-रागिनियों पर शोध कार्य भी किया था।

बहादुर हुसैन खाँ तथा हद्दू खाँ के शिष्य इनायत हुसैन खाँ सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनायत हुसैन नेपाल, ग्वालियर, रामपुर, हैदराबाद दरबार में रहे और सम्मानित किये गये। इनके शिष्यों रामकृष्ण, बाजे बुआ, छज्जू खाँ, नजीर खाँ ने सहसवान की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इमदाद खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, फिदा हुसैन के पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ के पुत्र इश्तियाक हुसैन और हारमोनियम नवाज़ इशाक हुसैन के कारण सहसवान संगीत परम्परा का नाम आदर के साथ लिया जाता है।

जब तक रसिक पारखी चाँद खाँ और काले खाँ का ध्रुवपद धमार गायन के क्षेत्र में नाम रहेगा, अतरौली घराने का नाम भी अमर रहेगा। इनके पूर्वज शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस परम्परा के दुल्लू खाँ और छज्जू खाँ ध्रुपद की गोबरहार अथवा गोहार बानी के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय थे। हुसैन खाँ, शाहाब खाँ, ध्रुवपद धमार गायन में बेजोड़ थे तो मानतोल खाँ डागुर बानी के विशेषज्ञ कलाकार माने जाते थे। गुलाम गौस खाँ के परिवार में गोहार बानी की परम्परा चल रही थी परन्तु गुलाम गौस खाँ की रुचि डागुर बानी में थी। अतः उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से डागुर बानी के संगीतज्ञों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया। खैराती खाँ के खण्डारी बानी को ध्रुपद गायन में अपनाया। करीम बख्श ने भी खण्डारी बानी का अभ्यास किया। चिम्मन खाँ, करीम बख्श खाँ, जहाँगीर खाँ, जुहूर खाँ ने ध्रुवपद धमार के साथ ख्याल गायन के क्षेत्र में भी अतरौली घराने का सम्मान बढ़ाया। जहूर खाँ तो इतना अच्छा गाते थे कि एक बार रास्ते में इन्हें डाकुओं ने घेर लिया लूटने के लिए। तानपूरा देखकर डाकुओं ने गाने के लिए कहा। जहूर बख्श का गायन सुनकर डाकू ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने न केवल क्षमा माँगी बल्कि भारी धनराशि देकर

सुरक्षित पहुँचा दिया। भूपत खाँ, इमाम बख्श, गुलाम खाँ, हस्सू खाँ, दौलत खाँ, अतरौली वाले अल्लादिया खाँ, अली अहमद खाँ, ख्वाजा अहमद खाँ, अज़मत हुसैन खाँ ने ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, दादरा सभी शैलियों में भागलपुर, मुंगेर, बनारस, पटना, कलकत्ता दूर-दूर तक अनेक रियासतों में यश प्राप्त किया।

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में रमज़ान खाँ, कुतुब बख्श, मुहम्मद अली खाँ, अजमत उल्ला खाँ, कुदरत उल्ला खाँ, जहूर खाँ, फिदा हुसैन खाँ, बदरुज़्ज़माँ मुजफ्फर खाँ जैसे श्रेष्ठ ध्रुवपद एवं ख्याल गायकों का जमघट था। कुतुबबख्श सितारवादन में भी प्रवीण थे। कुतुब अली खाँ के कार्यक्रम के पश्चात् किसी अन्य कलाकार का कार्यक्रम जमना कठिन होता था। मुहम्मद अली खाँ को राजसी सम्मान प्राप्त था। कुदरत उल्ला खाँ, तराने की गायकी के अतिरिक्त कव्वाली गायन में सारे देश में बेजोड़ थे तथा अपनी सुरीली, बुलन्द एवं पाटदार आवाज के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। भास्कर बुवा बारवले इनके प्रिय शिष्य थे। बदरुज़्ज़माँ शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त ठुमरी, दादरा आदि ऐसे सुरीले ढंग से गाते कि सुनने वाले ठगे से रह जाते।

खुर्जा (अलीगढ़) घराने का आरम्भ नत्थे खाँ के पुत्र जोधे खाँ से माना जाता है जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गये। इमाम खाँ, गुलाम हुसैन खाँ, ज़हूर खाँ, अलताफ हुसैन खाँ, गुलाम हैदर खाँ ऐसे संगीतज्ञ थे जिनका ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, तिरवट, चतुरंग पर समान अधिकार था तथा इन लोगों की गायकी बुलन्द परन्तु पेंचदार मानी जाती थी। ज़हूर खाँ की बनाई ध्रुवपद, ख्याल छन्द, प्रबन्ध, चतुरंग, सरगम की अनेक बंदिशें अभी तक प्रचलित हैं। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितारवादक थे। ये सभी कलाकार अपने को खुर्जा घराने का प्रतिनिधि कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की स्थिति डाँवाडोल होने पर कलाकार आस-पास खुर्जा, अतरौली, बुलन्दशहर आदि स्थानों में बसते गये। वहाँ संगीत परम्परा ने जन्म लिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की के संगीत में योगदान से सभी सुपरिचित हैं।

मथुरा के ध्रुवपद में कृष्णभक्ति सम्प्रदाय मन्दिरों, विरक्त साधुओं के अतिरिक्त सूबेदार नवाब अली खाँ के दरबार से संगीतज्ञों की अलग परम्परा मिली है। कौड़ी रंग और पैसारंग दोनों भाई ध्रुवपद धमार एवं ख्याल के बड़े प्रसिद्ध गायक थे। पानखाँ को इन सभी शैलियों पर समान अधिकार था और नवाब से इन्हें ज़ागीर मिलती थी। बुलाकी खाँ श्रेष्ठ गायक होने के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे और अधिकतर मथुरा के मन्दिरों में ही गाते थे। मथुरा के ही अहमद खाँ (गुलदीन खाँ) सितारवादन में इतने निपुण थे कि गुजरात के लूनावडा दरबार में एक-एक स्वर सटीक लगाने पर एक दिन के कार्यक्रम में इन्हें कई महीनों, वर्ष भर का वेतन पुरस्कार स्वरूप मिल जाता। काले खाँ ने 'सरस पिया' नाम से ख्याल ठुमरी, ध्रुवपद की अनेक रचनाएँ कीं जो आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। गुलाम रसूल खाँ ने अपने संगीत शिक्षण की यात्रा का शुभारम्भ मथुरा से ही किया लेकिन जाकर बस गए बड़ौदा दरबार में। फैयाज़ खाँ सितार वादन में अद्वितीय थे। मुन्नन खाँ ने भी सितारवादन में बड़ी ख्याति अर्जित की लेकिन मुर्शिदाबाद अपने श्रेष्ठ गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे। दोनों संस्कृति के अच्छे विद्वान थे। कहते हैं आज से 80-90 वर्ष पूर्व इन कलाकारों को नेपाल आदि स्थानों में एक-एक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा बहुमूल्य हीरे-जवाहरात पुरस्कार स्वरूप मिलते थे।

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की अपनी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संगीत परम्परा रही है। इसके परवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकार उस्ताद इनायत खाँ के गौरीपुर रियासत (बंगाल) में बस जाने के कारण सितार वादन का यह अनूठा घराना गौरीपुर घराना के नाम से भी प्रसिद्ध था। विशिष्ट वाद्य शैली के श्रेष्ठ प्रतिनिधि इमदाद खाँ की लोकप्रियता के कारण पारखी संगीत प्रेमी इसे इमदादखानी बाज नाम से भी जानते थे। सितार वाद्य पर गायकी, विशेषतः किराने घराने की गायकी, हूबहू प्रस्तुत करने के कारण अनेक संगीत समीक्षक इस परम्परा को किराना घराना के अन्तर्गत मानते हैं। 'बाज एक, नाम अनेक' इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

इटावा की सितार वादन संगीत परम्परा सात पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी है। इस घराने के पूर्वजों में मलूकदास के राजपूत वंशज सुरजन सिंह, सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खाँ, पौत्र साहबदाद खाँ, प्रपौत्र इमदाद खाँ, इमदाद खाँ के दो पुत्र इनायत खाँ, वहीद खाँ, इनायत खाँ के पुत्र विलायत खाँ, इमरत खाँ तथा वंशजों में रईस

खाँ उल्लेखनीय हैं। ध्रुवतारा जोशी इसी परम्परा के प्रतिनिधि हैं। बीनकार अंग के फलस्वरूप सितार सुरबहार पर ग्वालियर, आगरा तथा किराने घराने की गायकी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की अद्‌भुत क्षमता के अतिरिक्त इटावा संगीत परम्परा की इस बात की अपनी विशेषताएँ रही हैं। विशुद्ध बाज अंग, मींड़ का विस्तार, झाले की विविधता तथा माला जैसी लड़ी, स्वरों की शुद्धतायुक्त तैयारी, सपाट तान, कूटतान, तिहाई आदि संगीत के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा साधुसंत जैसा उदासीन जीवन इस संगीत परम्परा की दूसरी विशेषता रही है।

उस्ताद विलायत खाँ ने अपनी अथक साधना तथा विलक्षण प्रतिभा से इटावा की संगीत परम्परा को विशेष समृद्ध किया। उनकी लगभग तेरह-चौदह वर्ष की आयु थी, जिस समय पिता उस्ताद इनायत खाँ के आकस्मिक निधन से घराने तथा उसकी विशिष्ट शैली परम्परा के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया। उस्ताद विलायत खाँ ने चुनौती स्वीकार की, वर्षों अपने को कमरे में बन्द करके पूर्वजों और उनके बाज का मनन करते हुए पन्द्रह-सोलह घंटे प्रतिदिन सितार सुरबहार पर रियाज (अभ्यास) करते रहे और अन्ततः संगीत में जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने सितार सुरबहार में दो के स्थान पर एक ही तुम्बा रखा। सितार सुरबहार पर हृदयस्पर्शी, सुमधुर, सटीक मींड़ लेने में उस्ताद विलायत खाँ अद्वितीय हैं। एक ही परदे पर पूरे सप्तक की मींड़ लेने, अद्‌भुत लयकारी, अति द्रुत लय के बावजदू माधुर्य, स्वरों की शुद्धता उनकी विशेषता है। विलायत खाँ के दादा इमदाद खाँ इन्दौर में रहे तो चाचा वहीद खाँ कलकत्ता में और पिता इनायत खाँ गौरीपुर में रहे। शहनाई जैसे गायकी प्रधान सुषिर वाद्य के साथ अपने वाद्य सितार की अनेक वाद्यगत सीमाओं तथा कठिनाई को पार करते हुए बिस्मिल्ला खाँ के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी उस्ताद विलायत खाँ की विलक्षण प्रतिभा की द्योतक है। यदि बिस्मिल्ला खाँ ने हेय समझे जाने वाले लोकवाद्य को शास्त्रीय संगीत वाद्यों के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया तो विलायत खाँ ने सितार सुरबहार वादन को नया अनुकरणीय आयाम दिया। मुम्बई में कई दशक रहने के पश्चात् महानगरी की चमक-दमक, प्रचार-प्रसार, चकाचौंध छोड़कर नगर के कोलाहल से दूर उत्तर प्रदेश के देहरादून के सुरम्य वनखण्ड, प्रकृति के बीच संगीत के माध्यम से एकान्तवास, आध्यात्मिक साधना, नाद ब्रह्म चिंतन के रूप में जीवन में शान्ति की रसात्मक साधना में तल्लीन विलायत खाँ ने इटावा परम्परा विशेषतः अपने पिता, पितामह के जीवन दर्शन का अनुशीलन किया।

कासगंज (एटा) के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितारवादक भी थे और दिल्ली दरबार के पतन तक बहादुरशाह जफर के दरबार में ही रहे।

शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। उस्ताद काजिम अली के शिष्य, इंसाफ अली रबाबिया तथा इनायत अली खाँ सरोदिया ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी ख्याति अर्जित की। इनायत खाँ के पौत्र सखावत खाँ (पुत्र शफात खाँ) ने उस्ताद मीरू खाँ, उस्ताद करामत उल्ला तथा प्रोफेसर कौकब से सीखकर सरोदवादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की तथा भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ में अध्यापन कार्य करते रहे। उस्ताद सखावत खाँ के पुत्र उस्ताद इलियास खाँ सितारवादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता का कीर्तिमान रहे हैं। इलियास खाँ की शिष्य परम्परा में सितार तथा सरोद वादन की परम्पराएँ चल रही हैं।

बनारसी अंग और लखनऊ कथक नृत्य शैलियों की भाँति तबले की वादन शैलियों ने तबले के विभिन्न घरानों का रूप लिया। चाँटी स्याही के अधिक प्रयोग, पेशकार, कायदों-तिनक तिन, केन, धिनगिन, धिड़ान आदि बोलों की बहुलता के कारण मेरठ जनपद के अजराड़ा घराने ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इस शैली के प्रवर्तकों, प्रमुख कलाकार प्रतिनिधियों मुहम्मदी बख्श, कल्लू खाँ, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्भू खाँ और हबीबुद्दीन खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार दिल्ली से आकर उस्ताद मोदू खाँ और बख्शू खाँ लखनऊ में बस गये। उन्होंने कथक नृत्य के अनुरूप परन, नृत्य की आत्मा लिए चक्करदार टुकड़ों, धिड़नग, धतिन्न आदि बोलों की प्रधानता के साथ विशिष्ट शैली का प्रचलन किया जो लखनऊ शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खलीफा मम्मू खाँ, मुहम्मद खाँ, मुन्ने खाँ, वाजिद हुसैन खाँ (खलीफा पूरब), आबिद हुसैन खाँ, वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, महबूब खाँ की समृद्ध परम्परा के कारण लखनऊ के बाज को तबला वादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उधर बख्शू खाँ ने टुकड़ों,

रेलों, परनों के अतिरिक्त त्तिधिड़ान, किट, धिड़नग, दिनतक, धिंता आदि बोलों के साथ बोलों की तैयारी, सफाई और मिठास को महत्व दिया। उनकी शैली फर्रुखाबाद घराने के नाम से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुई। फर्रुखाबाद के घराने के कलाकारों में हाजी खाँ, हुसैन अली खाँ, मुनीर खाँ, अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन, गुलाब हुसैन, नन्हें खाँ, मसीत खाँ तथा करामत हुसैन के नाम लिये जा सकते हैं। पहले कलाकार अशिक्षित अवश्य होते थे परन्तु गुणी एवं अपनी कला में पारंगत थे। कहते हैं रामपुर के बहादुर हुसैन खाँ, छम्मन साहब और जानी साहब ने थाट पद्धति, आधारभूत कल्याण थाट, पूर्वांग, उत्तरांग, राग वर्गीकरण के सिद्धान्त का बहुत पहले प्रतिपादन किया था जो भातखण्डे थाट एवं राग सिद्धान्त पद्धति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

प्रयागराज कोई रियासत नहीं थी परन्तु संगीत प्रेम, रईस ज़मींदारों के कारण यहाँ देश भर के शीर्षस्थ संगीतज्ञों का जमघट बना रहता। विलायत खाँ, बिस्मिल्ला खाँ आदि जैसे कलाकारों ने मंच प्रदर्शन का शुभारम्भ प्रयाग के संगीत सम्मेलन से किया। देश का शायद ही कोई ऐसा श्रेष्ठ संगीतज्ञ होगा जिसने प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में भाग न लिया हो। जिसे प्रयागराज संगीत सम्मेलन के पारखी श्रोताओं की 'वाह-वाह' मिल गयी, वह देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बन गया। यही कारण है कि सभी संगीतज्ञ प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में अवसर मिलने के लिए लालायित रहते और प्रदर्शन का अवसर मिलने पर गर्व का अनुभव करते। यहाँ संगीत सम्मेलन चार-पाँच दिनों तक दिन-रात चलते। न कलाकार थकते और न श्रोता। प्रयागराज के संगीत प्रेमी शिक्षित समाज के प्रयास का ही फल था कि शिक्षित एवं सम्भ्रान्त परिवारों में अस्पृश्य एवं त्याज्य समझी जाने वाली संगीत कला एवं कलाकार को प्रतिष्ठित स्थान मिला। प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों तथा केन्द्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है।

प्रयागराज में गायक-गायिकाओं की अपनी परम्परा रही है। टीपदार, तेज परन्तु मीठी आवाज वाली जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के मोहक संगीत को संगीत के पारखी आज तक भूल नहीं सके हैं। जानकी बाई प्रयागराज की शान थीं। बिस्मिल शायर ने उनके लिए ठीक ही लिखा था :–

हर ग़ज़ल अब ख़त्म हो इस टीप पर उस्ताद की,
मेरा नाम जानकी बाई और इलाहाबाद की।

यह मिसरा जानकीबाई को इतना पसन्द आया कि जब उनके गायन की कोई रिकार्डिंग होती तो वह उस राग व ताल विशेष में निबद्ध बोल के पहिले गातीं ''मेरा नाम जानकीबाई इलाहाबाद'' और फिर अपना गायन आरम्भ करतीं। यही मिसरा उनके रिकार्ड की पहचान (ट्रेड मार्क) जैसा बन गया था। उन दिनों जब रेकार्ड बनाने का प्रचलन नहीं हुआ था जानकी बाई के सैकड़ों रेकार्ड बन गये थे। इनके रेकार्ड्स के विज्ञापनों में लिखा रहता ''जिनका गायन सुनकर मुर्दे जिंदा हो गये'' और सचमुच उनका गायन ऐसा ही बतलाया जाता है। बनारसी अंग की गायिकायें विद्याधरी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी, गौहरजान (कलकत्ता) बराबर प्रयागराज आया करती थीं। पंडित विष्णु दिगम्बर के शिष्य विष्णु ए. कशालकर, बी.एन. ठकार प्रयाग में ही बस गये और आजीवन यहीं रहे। श्री एन.एल. गुणे (गायन), एस.आर. मावलंकर (सितार) ने प्रयाग को अपना स्थायी निवास बनाया। सरोदवादन में उस्ताद करामत उल्ला खाँ का घराना प्रसिद्ध था जिनके शिष्यों में उस्ताद चुन्ने खाँ तथा पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, बनवारी लाल सितार में उल्लेखनीय हैं। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लाल जी के नाम लिये जा सकते हैं। सारंगी वादन में नजीर खाँ का नाम उल्लेखनीय है। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लालजी के नाम लिये जा सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ ने बाँसुरीवादन में बम्बई और देश के कोने-कोने तक प्रयाग की संगीत परम्परा का सम्मान बढ़ाया है।

अन्य पुराने कलाकारों में तत्कालीन ख़लीफा पण्डित भोला भट्ट का नाम आता है जो अलोपीबाग में रहते थे। भट्ट के पास ध्रुपद, होरी, ख्याल, ठुमरी, टप्पा की दुर्लभ बन्दिशों का अपार भण्डार था। गगन बाबू वायलिन वादन में अद्वितीय थे। लय पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। उनके शिष्यों में श्रीराम श्रीवास्तव तथा

जोई श्रीवास्तव ने वायलिन वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। हारमोनियम वादक नीलू बाबू को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने इतना अधिक अभ्यास किया था कि अभ्यास करते-करते हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो गयी थीं। किसी समय में केसरबाई की समस्त रियासतों के संगीत सम्मेलनों में धाक थी। वह जानकी बाई के साथ गाती थीं। पैंसठ वर्ष से भी अधिक आयु वाली कृष्णा देवी सात वर्ष की आयु से ही गायन द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी थीं। उन्होंने लोकप्रियता का कीर्तमान स्थापित किया। अब तक बादशाही मण्डी स्थित उनके निवास से कभी भोर में तैरती पंक्तियाँ ''कब लोगे खबर मोरी राम'' मन को स्पर्श कर जाती हैं और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती हैं। किराना घराने के हबीब खाँ की शिष्या मुनीर खातून बेगम ने न केवल अपने देश के कोने-कोने में बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की।

प्रयाग में संगीत सम्मेलनों की परम्परा संगीत कला की प्रतिष्ठा एवं संगीत समिति की स्थापना में मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा है। श्री प्रोजेश बनर्जी ने संगीत की दिशा में पर्याप्त कार्य किया तो श्री महेश नारायण सक्सेना ने संस्थागत पद्धति के लिए भी शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखीं। संगीत सदन से संगीत संबंधी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

उत्तर प्रदेश का प्रत्येक अंचल संगीत के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत हैं। ब्रज की होली, रासनृत्य, मीरजापुर-बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्रीकृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परम्परा, प्रदेश के ग्रामों में आल्हा, सावन आदि जैसी शैलियाँ, रामलीला मण्डलियाँ, पर्वतीय प्रदेश का संगीत– इन सबसे समस्त प्रदेश संगीत रस से आप्लावित होता रहता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा अत्यन्त प्राचीन और देश में सबसे अधिक समृद्ध रही है अतः इसे सरस प्रदेश कहना उपयुक्त प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा की अपनी विशेषताएँ रही हैं और योगदान भी ऐतिहासिक रहा है। शायद इसका कारण इस प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसकी माटी के कण-कण में बसी संगीतात्मकता है। इटावा, अतरौली, सहसवान, किराना से लेकर रामपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज तक और इनके अतिरिक्त मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या के कोने से सुरीले स्वरों की झंकार, उसकी अनुगूँज सुनाई देती है। शायद इस कारण इस प्रदेश का संगीतज्ञ पारसमणि कहा जाता है, जिसे जिसने स्पर्श कर लिया वह लोहे से सोना बन गया।

लखनऊ परम्परा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद मक्खन खाँ), नत्थन पीर बख्श ग्वालियर चले गये तथा लखनऊ की गायन शैली में अपने ढंग से परिवर्तन करके नयी शैली के साथ ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया, जिसने हद्दू खाँ, हस्सू खाँ जैसे संगीतज्ञों के कारण संगीत की घराना गायकी में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। नत्थन पीर बख्श के प्रपौत्र हस्सू खाँ के शिष्य पंडित वासुदेव राव जोशी तथा जोशी के शिष्य पंडित बालकृष्ण बुवा, इचलकरंजीकर की शिष्य परम्परा में पंडित विष्णु दिगम्बर जी के यशस्वी शिष्य हुए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के नत्थन पीर बख्श से ग्वालियर घराने तथा पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की शिष्य परम्परा का सूत्रपात हुआ। गुलाम रसूल के दूसरे प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद शक्करा खाँ) बड़े मुहम्मद खाँ जयपुर चले गये।

उस्ताद बड़े मुहम्मद खाँ तथा उनके पुत्र मुबारक अली खाँ की गायकी ने उस्ताद अल्ला दित्ता खाँ को बड़ा प्रभावित किया, वह उनके शिष्य बन गये। इस परम्परा में केसर बाई केरकर, भुर्जी खाँ, मंजी खाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हुए। वैसे उस्ताद अल्लादित्ता खाँ स्वयं अतरौली (जिला अलीगढ़) के थे और आगे चलकर बम्बई में रहने लगे। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद, होरी गायक सूफी संत खलीफ मुहम्मद जमा की शिष्य परम्परा में बीनकार बन्दे अली खाँ, ध्रुवपद गायकों नासिरुद्दीन खाँ, जाकिरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन तथा नसीर फैयाजुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल वसीम खाँ ने जिस गायकी का प्रचलन किया, वह किराना घराने के नाम से लोकप्रिय हुई। इसी घराने में बालकृष्ण बुवा, हीराबाई बड़ौदकर, बहरे बुवा, रामभाऊ

कुंदगोलकर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सुरेश बाबू माने, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी जैसे यशस्वी संगीतज्ञ हुए। इसी प्रकार मुरादाबाद जिले में बिजनौर में उस्ताद दिलावर हुसैन के पुत्र छज्जू खाँ, नजीर खाँ तथा खादिम हुसैन खाँ बम्बई के भिण्डी बाजार मुहल्ले में जाकर बस गये। उनके हृदयग्राही अलाप, सूत, मींड, गमक, मेरुखण्ड पद्धति पर आधारित तानों के कारण यह लोकप्रिय गायकी भिण्डी बाजार घराना नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घराने की शिष्य परम्परा में मम्मन खाँ, शमीर खाँ (शिष्य उस्ताद अमीर खाँ), मुहम्मद खाँ, कप्तान बख्श, झण्डे खाँ, जान खाँ, चाँद खाँ, अंजनीबाई मालपेकर, अमान अली खाँ, रमेश नादकर्णी, बसन्त राव देशपाण्डे जैसे श्रेष्ठ कलाकार हुए।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अमान अली से कई वर्षों संगीत की शिक्षा प्राप्त की। भिण्डी बाजार घराने से संबंधित प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है। इटावा के सितार नवाब इनायत खाँ गौरीपुर (बंगाल) चले गये तो सितार का गौरीपुर घराना प्रचलित हो गया जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हुए उस्ताद इनायत खाँ, उस्ताद विलायत खाँ, जयपुर के पंडित जयलाल जी ने पंडित बिन्दादीन जी से दस वर्ष कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की तथा लौटने पर बिन्दादीन जी द्वारा सिखलाई शैली में तोड़ा, परन की प्रधानता का समावेश करके कथक के जयपुर घराने का नाम दिया। इस घराने की शिष्य परम्परा उल्लेखनीय है– सोहन लाल, मोहन लाल, दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कार्तिकेय। इस प्रकार यह कथन कि ''वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की देन है'' कहना अनुचित न होगा और न अतिशयोक्तिपूर्ण।

रंगकर्म

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोली, बानी और संस्कृति की विविधता ने लोकनाट्य एवं लोक संगीत (गायन, वादन, नर्तन) को अनन्तरूपता प्रदान कर प्रदेश की संस्कृति को अनगिनत रूपों में सजा-सँवार कर हमें वैभवशाली सांस्कृतिक संपदा का स्वामी बनाया है। नागरसभा, भरथरी, धोबिया राग, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो-सिताबो (पुतुल नाट्य), ख्याल, स्वांग, भगत, सांगीत (नौटंकी), धनुष यज्ञ, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के विविध पारम्परिक नाट्य रूपों में से बीसवीं शताब्दी के अंत तक शनैः शनैः अनेक रूपों का क्षरण हो चला और उन्हें लुप्तप्राय की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा– उपभोक्ता संस्कृति, भूमंडलीकरण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के आतंक की मार खाते हुए 21वीं सदी की देहरी में जिन रूपों को लेकर हम दाखिल हो सके हैं उनमें मुख्यतः रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किये जा सकते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। प्रदेश की प्राचीन एवं प्रतिनिधि रामनगर (वाराणसी) की रामलीला आज भी पूरे नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी लीला स्थली बना लेती है– रामलीला समिति प्रायः प्रदेश के छोटे-बड़े सभी नगरों में होती है कुछ नगरों में मंच बनाकर किसी एक केन्द्रीय स्थल पर एक ही रामलीला समिति द्वारा और किन्हीं नगरों में अनेक समितियों द्वारा अलग-अलग रामलीलाएँ होती हैं। रासलीला आज भी अपनी रूढ़िगत परम्परा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारम्परिक शैली में ही निबद्ध है।

नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथि नाटक का है, किन्तु पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शनैः शनैः इसके प्रदर्शन औपचारिक प्रेक्षागृह और मंच पर भी होने लगे हैं। फिल्म और टी.वी. की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चकाचौंध में इस विधा ने आधुनिकता का जामा फूहड़पन के साथ ओढ़ना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप इस विधा और इसके कलाकारों के अस्तित्व पर भी संकट के घने बादल घिरने लगे हैं। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए **नौटंकी कला केन्द्र** नामक संस्था सचेष्ट है।

उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास की चर्चा करते समय प्रायः 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित **किस्सा राधा कन्हैया** तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैय्यद आगा हसन अमानत लखनवी कृत **इन्दरसभा** के मंचन का जिक्र किया जाता है किन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह मत निर्विवाद लगता है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र-प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास)

द्वारा 1857-58 में लिखित भाषा का प्रथम नाटक **नहुष** था। वाराणसी में 3 अप्रैल, 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत **जानकी मंगल** के मंचन को आधुनिक विधि से सम्पन्न प्रथम मंच प्रयोग कहना सर्वमान्य है। हिन्दी नाट्यलेखन के साथ ही नाटकों के मंच प्रयोग की परम्परा के पहले अलमबरदार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे अतः उन्हें आधुनिक हिन्दी रंगमंच का जनक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उनकी प्रेरणा से कानपुर में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने रंगमंच की अलख जगायी। 1870 में वाराणसी में जन्मे आगा मुहम्मद शाह ने जब होश संभाला तो उन्होंने नौटंकियाँ भी देखीं, भारतेन्दु के नाटक भी देखे और व्यावसायिक पारसी थियेट्रिकल कंपनियों के नाटक भी देखे और कालान्तर में नाट्यलेखक के रूप में वे आगा हश्र काश्मीरी के नाम से व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में यशस्वी हुए। उनकी देखरेख में चरखारी (महोबा) के महाराज ने चरखारी (महोबा) में एक थियेटर कम्पनी कायम की जो कुछ दिन चली। उनके समकालीन पंडित राधेश्याम कथावाचक तथा नारायण प्रसाद बेताब ने भी नाटककार के रूप में यश अर्जित किया तथा पारसी हिन्दी रंगमंच की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके विपरीत 1881 को प्रयागराज में जन्मे कवि-सेनानी पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट्यलेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन द्वारा राष्ट्रीय भावधारा को अग्रसारित करने के साथ ही विभिन्न नगरों में हिन्दी नाट्य समितियों की स्थापना की। निस्संदेह हिन्दी रंगमंच के द्वितीय उत्थान काल में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें हिन्दी रंगमंच का उन्नायक कहना सटीक है। 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के अतिरिक्त बंगला के नाट्य दलों द्वारा भी वृन्दावन, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ आदि में नाट्य प्रदर्शन करने के संदर्भ मिलते हैं– छतर मंजिल, लखनऊ में कलकत्ता के **ग्रेट नेशनल थियेटर** द्वारा 1875 में बंगला नाटक **नीलदर्पण** के प्रदर्शन के दौरान एक अंग्रेज द्वारा नाट्य दल के कलाकारों से हुई मारपीट, 1876 की ड्रामा परफारमेन्स एक्ट लागू होने का एक कारण बनी। मजे की बात यह है कि लखनऊ की इस घटना के 78 वर्ष बाद 1953 में लखनऊ के रिफ़ा-ए-आम क्लब के हॉल में इप्टा, लखनऊ द्वारा खेले गए मुंशी प्रेमचंद की कहानी **ईदगाह** के बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर कृत नाट्य रूपान्तर के अमृतलाल नागर के निर्देशन में हुए मंचन के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसी ड्रामा परफारमेन्स एक्ट के तहत चलाये गए मुकदमे का ऐतिहासिक फैसला 1956 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति, प्रसिद्ध शायर पंडित आनन्दनारायण मुल्ला ने किया और स्वाधीनता के बाद इस धारा को निरस्त करने की व्यवस्था दी।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चौथे दशक में बोलपट (सिनेमा) के आने तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का ही बोलबाला रहा। नाटकों का मंचन शौकिया रंगमंच के रूप में कतिपय नाट्य संस्थाओं अथवा स्कूलों कॉलेजों एवं कुछ विश्वविद्यालयों के वार्षिकोत्सवों में ही होता रहा, बोलपट के आते ही थियेट्रिकल कम्पनियों का बाजार खत्म हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) की शाखाएँ आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, महावीर स्वामी, ललितमोहन अवस्थी, बाबूलाल वर्मा, गोकुलचन्द्र रस्तोगी आदि के प्रयास से कायम हुई जो प्रायः छठे दशक तक अधिक सक्रिय रहीं। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों के नाट्य रूपान्तर इप्टा की शाखाओं द्वारा खूब खेले गए। इस काल में कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से नाटककार मंचन के लिए नहीं पाठ्यक्रम के लिए ही नाटक लिखते रहे। कालेजों के शौकिया मंच की आवश्यकता प्रायः रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल तथा कृष्ण चन्दर आदि के नाटक ही पूरी करते रहे। आल इण्डिया रेडियो के लिए लिखे गए विष्णु प्रभाकर और चिरंजीत के नाटक भी मंच पर खेले गए।

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत गीत नाट्य प्रभाग कायम किये गए इन्हीं की तर्ज़ पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी नाटक एवं रंगमंच की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं जिनमें नाटक प्रतियोगिता तथा प्रचार-प्रसार हेतु नाट्य दल की स्थापना मुख्य है, 1963 में उ.प्र. संगीत नाट्य भारती (राज्य की संगीत नाटक

अकादमी) कायम हुई जो अप्रैल 1968 के पूर्व रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय न हो सकी। 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्यों में आरम्भ की गई रवीन्द्र रंगशालाओं के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 1964 में प्रदेश की राजधानी में निर्मित रवीन्द्रालय ने राजधानी के रंगान्दोलन को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। प्रायः इन्हीं-आठवें दशकों में इलाहाबाद में मेहता प्रेक्षागृह, वाराणसी में नागरी नाट्य मंडली का प्रेक्षागृह, आगरा में सूरसदन, कानपुर में लाजपत भवन आदि सर्वसुविधा सम्पन्न प्रेक्षागृह तैयार हुए। प्रेक्षागृहों के निर्माण के फलस्वरूप रंगकर्मी उत्साहित हुए, सभी नगरों में नाट्य संस्थाएँ गठित होने लगीं, राज्य अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य कार्यशालाओं, नाट्य प्रतियोगिताओं, समारोहों के आयोजनों, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने रंगमंच की गतिविधियों को विगत चार दशकों में बहुत बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य कला के स्नातकों तथा 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित भारतेन्दु नाट्य अकादमी में प्रशिक्षित नाट्यकर्मियों द्वारा नित नए नाट्य प्रयोगों से रंगचेतना के विकास में सहयोग मिला। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर सदृश महानगर ही नहीं वरन् मथुरा, उरई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रंगमंच की गतिविधियाँ प्रायः होती रहती हैं– इन नाट्य केन्द्रों में एकाधिक सक्रिय नाट्य संस्थाएँ कार्यरत हैं। दर्पण, भारतीय जननाट्य संघ, मेघदूत, यायावर, थियेटर आर्ट्स वर्कशाप नव चेतना सांस्कृतिक संगठन (लखनऊ), रूपान्तर (गोरखपुर), भारतीय जननाट्य संघ (आगरा), स्वास्तिक (मथुरा), नागरी नाट्य मंडली, श्री नाट्यम (वाराणसी), समानान्तर इटीमेट थियेटर, प्रयाग रंगमंच दस्ता, (प्रयागराज), माध्यम नाट्य संस्थान (गाजीपुर), साधना नाट्य कला केन्द्र (गाजियाबाद) आदि संस्थाएँ अपने कार्यकलापों के स्तर और नैरंतर्य को बनाए रखने में सचेष्ट दिखती हैं। उत्तर प्रदेश में विगत दशकों में प्रतिभाशाली रंगकर्मियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है– प्रथम पंक्ति के जिन नाट्य निर्देशकों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और जो रंगमंच के विकास में सक्रिय हैं उनमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ (लखनऊ), श्रीमती गिरीश रस्तोगी (गोरखपुर) के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रादेशिक स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नाट्य निर्देशकों एवं अभिनेता-अभिनेत्रियों के नामों की सूची बहुत बड़ी है।

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रंगमंच की कसौटी पर खरी उतरने वाली नाट्य कृतियाँ देने वाले उत्तर प्रदेश के नाट्य लेखकों में सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीनारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, शम्भुनाथ सिंह, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना तथा सर्वश्री विनोद रस्तोगी, सिद्धेश्वर अवस्थी, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, मुद्राराक्षस, नरेश सक्सेना, नीलाभ, अजित पुष्कल, गिरिराज किशोर, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कपूर, परिमल दत्ता, श्याम नारायण, श्रीमती मृणाल पाण्डेय उल्लेखनीय हैं। स्वाधीनता के उपरान्त उत्तर प्रदेश के नाट्यान्दोलन को गति प्रदान करने में जिन रंगकर्मियों ने अपनी संगठन क्षमता अथवा कल्पनाशीलता अथवा समीक्षाओं अथवा अन्य प्रकार से उल्लेखनीय भूमिका अदा की उनमें अमृतलाल नागर, द्विजेन्द्रनाथ सान्याल, सत्यमूर्ति, हरिमोहन सैम्पसन, सरनबली श्रीवास्तव तथा सर्वश्री कुंवर नारायण, डॉ. भानुशंकर मेहता, कृष्णनारायण कक्कड़, के.बी. चन्द्रा, स्वदेश बन्धु, डॉ. शरद नागर, दयाप्रकाश सिन्हा, डॉ. शिवमूरत सिंह, डॉ. अनिल रस्तोगी, डी. बैकुण्ठनाथ शर्मा, सतीश चित्रवंशी के नाम उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसने यहाँ के मात्र मनोरंजक व फूहड़ नाटकों पर हमला करते हुए जाति-विद्वेष, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, व्यक्तिवाद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कुरीतियों के विरुद्ध जनता को तैयार किया, संदेश दिया ताकि आदमी-आदमी के बीच प्रेम का व्यवहार पैदा हो तथा विसंगतियों, विडम्बनाओं व शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो। प्रतिबद्धता ही नुक्कड़ नाटकों की असली पहचान है। प्रयागराज, वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, कानपुर सहित

उ.प्र. के विभिन्न छोटे व ग्रामीण इलाकों में बनी विभिन्न नाट्य व सांस्कृतिक संस्थाओं ने वर्षों तक नुक्कड़ नाटक किये स्थिति यहाँ तक आई कि नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की नाट्य टीम द्वारा निशातगंज सब्जी मंडी (लखनऊ) के पास नुक्कड़ नाटक करते समय निशातगंज (लखनऊ) पुलिस ने रंगकर्मियों के सीने पर बंदूक रख दी और गाजियाबाद क्षेत्र में 'सहमत' के सफदर हाशमी को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। नुक्कड़ नाटकों का राष्ट्रीय नाटक समारोह वर्षों तक नैनीताल (जब वह उ.प्र. में था) में होता रहा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। कुछ समय के विराम के बाद नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर इन्हीं जगहों पर शुरू होता दिखायी दे रहा है जिसे हम उ.प्र. के नाटय आंदोलन में एक नया चरण मान सकते हैं। दूसरी तरफ भारतेन्द्र नाटय अकादमी (बी.एन.ए.) के छात्रों व अकादमी की ओर से भी नाट्य गतिविधियाँ (मंचन, निर्देशन संगोष्ठी आदि) बढ़ी हैं बहुत सारे सरकारी प्रचारात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो विधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक शुभ संकेत है।

लगभग 25 वर्षों से प्रदेश में बाल रंगमंच को एक अलग पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहल की गई, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने भी विगत दो दशकों से इस ओर ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप बाल रंगमंच के विकास के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा कुछ नगरों में ग्रीष्मावकाश में नाट्य शिविरों आदि के आयोजन होते रहते हैं। इन संस्थाओं में भारतीय जन नाट्य संघ (आगरा), साधना नाट्यकला केन्द्र (गाजियाबाद), यायावर (लखनऊ), साक्षात्कार का बाल रंगमंच प्रभाग, ए.बी.सी.डी., तथा नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति (वाराणसी) उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं तथा बाल रंगमंच के प्रति जागरूक प्रदेश के वयोवृद्ध नाट्यकर्मी ललितमोहन थपलियाल (गाजियाबाद) तथा बाल रंगमंच विशेषज्ञ श्रीमती रेखा जैन एवं अनुभवी पोखरिया, चित्रा मोहन (लखनऊ) आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश में रंग प्रयोगों की विशद समीक्षाएँ छठे-सातवें दशक तक अंग्रेजी के अखबारों लीडर, द पायोनियर और नेशनल हेराल्ड में ही प्रकाशित होती थीं। 1964-65 से दैनिक नवजीवन में कुशीलव की विशद समीक्षाएँ प्रकाशित होने लगीं। शनैः शनैः प्रदेश के हिन्दी-अंग्रेजी के प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों में रंग गतिविधियों की सचित्र चर्चा प्रमुखता से होने लगीं। उत्तर प्रदेश से रंगमंच विषयक पहली डिमाई आकार की पत्रिका 1953-54 में इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) आगरा ने **रंगमंच** शीर्षक से प्रकाशित की जो बाद में **अभिनय** के नाम से प्रकाशित हुई। 1972 में नक्षत्र, लखनऊ ने पहले चक्र मुद्रित पत्र **रंगमंच समाचार** शुरू किया जिसके कुछ अंक टैबलायड आकार में छपे। अगस्त 1973 से इसका प्रकाशन डॉ. झ.ला. सुल्तानिया 'अज्ञात' के सम्पादन में मासिक पत्रिका **रंगभारती** के रूप में हुआ। दर्पण संस्था ने काफी समय तक **दर्पण दृश्य** अंतर्देशीय नाट्य पत्र प्रकाशित किया। 1976 में बन्धु कुशावर्ती ने **बाल रंगमंच** का प्रकाशन आरम्भ किया। नौटंकी कला केन्द्र ने डॉ. कृष्णमोहन सक्सेना के सम्पादन में नौटंकी एवं लोक प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित पत्रिका **नौटंकी कला** का प्रकाशन किया। इन सभी पत्रिकाओं का जीवन कुछ महीनों से लेकर चंद सालों का ही रहा। जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक **छायानट** आरम्भ किया जिसका प्रकाशन अब तक नियमित रूप से हो रहा है– भारतेन्दु नाट्य अकादमी ने अपने रजत जयंती वर्ष (2000 ई.) से **भरतरंग** अर्द्धवार्षिक का प्रकाशन आरम्भ किया है– सुदूर गाजीपुर से **माध्यम नाट्य संस्थान** की ओर से डॉ. शिवमूरत सिंह के सम्पादन में वार्षिक नाट्य पत्रिका **रंगप्रभा** का प्रकाशन कुछ वर्षों से हो रहा है। 2000 ई. में **वर्तमान साहित्य (गाजियाबाद)** द्वारा संग्रहणीय शताब्दी नाटक विशेषांक प्रकाशित किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. की मासिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** भी प्रदेश की रंग गतिविधियों को प्रायः प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, एक अल्पविराम के बाद 2001 ई. में इसका 29वें वर्ष में प्रवेश अभिनन्दनीय है। इसी वर्ष (2001 ई.) से प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा वंद्योपाध्याय के सम्पादन में प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित सुंदर साज-सज्जा एवं सारगर्भित सामग्रीयुक्त

त्रैमासिक **कला वसुधा** की सांस्कृतिक मंच पर आमद स्वागत योग्य है। इसमें रंगकर्म पर भी सामग्री रहती है।

कला

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में कला-परम्परा का लम्बा और प्राचीन इतिहास है। होशंगाबाद, जोगीमारा, मिर्जापुर की सोनकढ़ा, रियासत रायगढ़, मानिकपुर आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो कई राज्यों के बीच से गुजरती हुई गई हैं, उनकी गुफाओं में शैल चित्रकला का प्राचीन और वैभवशाली विकास देखने को मिलता है। इसी तरह ग्रामीण लोक कलाओं में भी संस्कृति व रीति-रिवाजों के अनुसार चित्रकला का भारतीय स्वरूप देखने को मिलता है जिसमें ईश्वर से लेकर समाज में फैले विभिन्न रूपों व प्रतीकों की छवि मिलती है। विभिन्न स्थानों पर प्रस्तर प्रतिमाएँ व टेराकोटा के रूप भी दिखाई देते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुमायूँ, गढ़वाल (अब उत्तराखंड राज्य में), अवध क्षेत्र– पूर्वांचल, बुन्देल खण्ड और पश्चिमांचल, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कला जगत का विशिष्ट भारतीय गुणों व चरित्रों, परम्पराओं व रूढ़ियों, अंधविश्वासों व प्रतीकों से भरा कला का एक विशिष्ट, निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है। कहते हैं जीने के लिए विभिन्न उपाय करने की जब जरूरत मनुष्य को पड़ी तब आदिकाल से उसकी कल्पना शक्ति व जीवन की जरूरतों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार व निर्माण की ओर प्रेरित किया। मनुष्य की इसी कल्पना शक्ति ने उसे बाद में विभिन्न रीति-रिवाजों को प्रस्तुत करने व उनका आनन्द लेने के लिए मूर्तियों, चित्रों, गीतों व संगीत की रचना की प्रेरणा दी। प्रारम्भ में उनमें अनगढ़ता चाहे जितनी रही हो पर जीवन के स्पंदन से वह खदबदाता रहता था। जीवन में ऐसी रुचि लेने और उसे निरंतर आनंदमय बनाने की स्वाभाविक प्रेरणा ने मनुष्य से चित्रकला व मूर्तिकला का विकास करवाया। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का रूप भी बदलता गया। आज जिसे हम आधुनिक कला या चित्रकला के नाम से जानते हैं उस कला की जड़ें यहाँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रही हैं। कला हर समय में आधुनिक रही है। जो भी नया रचा जाता है वह आधुनिक होता है। राजपूत, मुगल व पहाड़ी शैलियों में उसका बीसवीं सदी से विकास हुआ जिसे हम आधुनिक चित्रकला के नाम से जानते हैं।

ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की मेधा के दोहन के लिए एकेडेमिक व इण्टेलेक्चुअल अभियान शुरू किये। इसी अभियान के तहत उन्होंने 1907 में औद्योगिक कांफ्रेन्स की जिनमें विविध बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की 1911 में स्थापना के उद्देश्य के पीछे अंग्रेजों की यही मंशा थी बाद में स्वाधीनता के बाद यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय हो गया है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद भारतीय चित्रकला का आधुनिक दुनिया में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का भी, प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ हम जिस हिस्से पर संकेत करेंगे वह है प्राचीन और आधुनिक कला परिदृश्य का वह हिस्सा जो स्वाधीनता के बाद शुरू होता है।

मानव सभ्यता के विकास में संस्कृति एक ऐसा आयाम है जिसे काल के अनुसार बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी पिछले अध्याय, पिछली प्रवृत्तियाँ, पिछली अभिरुचियों का प्रभाव अगले अध्याय पर पड़ता-ही-पड़ता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसीलिए जब हम स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश की कला के पचास वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसे पिछली कला-परम्पराओं और प्रभावों से बिल्कुल मुक्त या अकेला नहीं पाते। वास्तव में यह कला की जीवंतता व विकास का प्रमाण भी है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कला पिछले पचास वर्षों में अपना विशिष्ट विकास करते हुए भी अपने अतीत की छाया या प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। पिछली छायाओं, प्रभावों से सर्वथा मुक्त हुआ भी नहीं जा सकता। इनमें से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासनकाल से उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्रॉफ्ट, लखनऊ से काम शुरू किया और स्वाधीनता के बाद इनके काम में नया परिवर्तन आया। उनकी जो कला-धारा

थी वह अपने अनुसार ही विकसित होती रही। जैसे वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेढ़, बी.एन. जिज्जा, सुधीर रंजन खास्तगीर इत्यादि। इन सभी चित्रकारों ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी प्रदेश की सीमा लांघकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना स्थान बनाया। इस संदर्भ में चित्रकार एन. खन्ना का एक उद्धरण दृष्टव्य है– ''प्रदेश की कला में आधुनिक आयामों की ऊर्जा के लिए लखनऊ कला महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। 1911 से 1925 तक नेथोलियन हर्ड ने प्रधानाचार्य के पद पर रहकर भी अंग्रेजी सत्ता से देशज कला को आहत नहीं होने दिया। 1925 में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य असित कुमार हाल्दार का आगमन हुआ। उस समय उनकी हैसियत आधुनिक भारतीय कला में पहली पंक्ति के मजबूत स्तम्भ सी थी। उन्होंने नए प्रयोगों के लिए वाश व टेम्परा माध्यम से सरलता व सादगी के अस्तित्व का मंत्र दिया। बंगाल की राष्ट्रीय चेतना से चले हाल्दार से पहले 1918 में लघु दृश्य चित्रों के प्रख्यात वीरेश्वर सेन (1897-1974) विद्यालय में पहले ही आ चुके थे। सौभाग्य से 1945 में वहीं की शाखा के ललित मोहन सेन (1900-1954) को प्राचार्य का पद संभालने को मिला। दस वर्षों तक पदीय सेवा के दौरान, उन्होंने पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आकृतियों, विशेषकर मुखाकृतियों में सजीव बोधगम्यता के लिए प्रयोगों की दिशाओं में विस्तार किया। उन्होंने ग्राफिक के तकनीकी पक्ष एवं रचना प्रक्रिया में बौद्धिक चिंतन का सूत्र दिया। फिर दो वर्षों तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरिहर लाल मेढ़ (1909-1974) जो स्वयं प्राकृतिक सौन्दर्य एवं छविचित्रों के अध्यापन के लिए प्रख्यात थे, ने उस समय पुनः 1963-64 में कार्यकारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। 1956 में दून स्कूल से आमंत्रित सुधीर रंजन खास्तगीर (1907-1974) के आगमन से विद्यालय को स्वर्णकाल का सूर्य मिला।

इससे स्पष्ट है कि स्वाधीनता के समय तक उत्तर प्रदेश में कला का एक मुकम्मिल वातावरण बन चुका था और पूरे देश में अपनी विशिष्टता के कारण यहाँ का कला स्कूल अपनी पहचान बना चुका था। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक कला प्रवृत्तियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। वास्तव में यह नया कला आन्दोलन था। कला उपकरणों का विकास तो हो ही रहा था लेकिन कला के काम में आधुनिक जीवन की समस्याएँ व विसंगतियाँ प्रवेश करने लगी थीं। दो विश्व युद्धों को झेल लेने के बाद कला परिदृश्यों में चिंतन का विकास एकदम से यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं तथा त्रासदी के आधार पर शुरू हो गया था। कला का काम केवल रम्य रचना नहीं है, वह केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि वह कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाती है। इस तरह कला की दुनिया में एक नए धरातल ने अपनी जगह बनाई जिसमें मनुष्य और उसका यथार्थ, उसका शोषण व संघर्ष, उसकी बदहाली व मानसिक दशा सब कुछ आ गया। एक तरफ प्रकृति का सुरम्य सौन्दर्य था तो दूसरी ओर भूख-पीड़ा, उपेक्षा, आक्रमण की दशाओं की अभिव्यक्ति भी कला के काम में आना शुरू हो गई थी। यानी कला के काम की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ, उसके सरोकार और सामाजिक उत्तरदायित्व बदले।

इन सारी स्थितियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कला-विकास को भी एक रूप देता है। उत्तर प्रदेश में कला की चाहे विभिन्न परम्पराएँ विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद रही हों लेकिन स्वाधीनता के बाद एक नया आयाम इस प्रकार आया कि लखनऊ कला महाविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम कलाकार प्रदेश के विभिन्न भागों में छा गए। विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कला शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे नौकरी भी करते रहे और अपना मूल काम चित्रकला, मूर्तिकला आदि भी करते थे और नई विषय-वस्तु, कला-तकनीक आदि के साथ सामने आ रहे थे। उन्हें बढ़ने में या स्वयं को और विकसित करने में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने भी अपने राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, शिविरों, छात्रवृत्तियों आदि के द्वारा विभिन्न अवसर दिए।

दरअसल स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश में कला का विकास विभिन्न माध्यमों से हुआ। मुख्य माध्यम तो लखनऊ का कला और शिल्प महाविद्यालय ही था। कला के क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण परम्परा रही है। इसी तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों में कला के विभाग खुले। चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला की पढ़ाई

शुरू हुई। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंतनगर आदि में कला-शिक्षण का काम शुरू हुआ। औद्योगिक नगर होने के बावजूद कानपुर और अलीगढ़ में भी कला के विभाग खुले और विभिन्न स्तरों पर कला-शिक्षण आरम्भ हुआ। स्कूलों, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर कला शिक्षण का जो विकास स्वाधीनता के बाद हुआ उसने उत्तर प्रदेश में कला-विकास किया। इनके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में विभिन्न कलाकारों के सामूहिक और निजी प्रयास से कई संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें वरिष्ठ चित्रकारों/कलाकारों से लेकर युवतर कलाकारों की भी किसी-न-किसी रूप में हिस्सेदारी रही। इन संस्थाओं ने कला को एक नया परिदृश्य देने, युवा कलाकारों में काम करने की ऊर्जा भरने में बड़ी मदद की।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ललित कला अकादमी की तरह यहाँ भी कल्चरल अफेयर्स एण्ड साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट उ.प्र. की देखरेख में 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्था यू.पी. स्टेट ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश में कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति करना था। अकादमी आज भी अपने कार्य में समर्पित है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. सम्पूर्णानन्द थे।

यही नहीं केन्द्रीय ललित कला केन्द्र ने भी 1984 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यन्त सामान्य नियमों के आधार पर केन्द्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था।

जाहिर था उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या जिस तरह बढ़ रही थी और कलाकार अपना काम आम दर्शकों के बीच भी ले जाना चाहते थे तथा अन्य राज्यों के युवा तथा वरिष्ठ चित्रकारों, कलाकारों के काम से परिचित होना चाहते थे उनके लिए उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी तक राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। उनकी अपनी सरकारी सीमाएँ, नियम-कानून थे और पूरी तरह कला का वातावरण तैयार करना तथा निरन्तर कला गतिविधियों की खोज करते हुए, नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहना संभव नहीं था।

इन स्थितियों में युवा चित्रकारों/कलाकारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि यहाँ भी कुछ लोग निजी प्रयासों से कला दीर्घाओं को चालू करें। इसकी एक बड़ी परम्परा भारत के महानगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि में पहले ही स्थापित हो चुकी थी। अतः उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे– लखनऊ में 'सृष्टि आर्ट गैलरी' का उद्घाटन अगस्त 1994 में हुआ और बाद में– 'गैलरी डी आर्ट' नाम से एक कला दीर्घा 11 मई 1997 को उद्घाटित हुई। इनमें से 'सृष्टि' बन्द हो गई है। वाराणसी में भी इस ढंग के कुछ कला केन्द्र निजी, सामूहिक व छात्रों के प्रयासों से सक्रिय हैं; जैसे ए.बी.सी. आर्ट गैलरी, कला केन्द्र, आर्य भाषा संस्थान, वर्किंग आर्टिस्ट्स-आफ वाराणसी आदि। कानपुर की संस्थाएँ– चिकितुषी, शिल्पी कला केन्द्र आदि। गोरखपुर की संस्था– 'सृजन' आदि। इसी तरह आगरा की संस्था– 'संकल्प आर्ट सोसाइटी' और अलीगढ़ की संस्था– 'उत्कर्ष फनकार सोसाइटी', प्रयागराज की जैसी विभिन्न संस्थाएँ इस प्रदेश में हैं जो अपने स्तर से विभिन्न कला गतिविधियाँ करती हैं।

स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य को देखने के लिए मुख्य रूप से तीन-चार बिन्दुओं पर गौर करना जरूरी है। पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश (विशेष तौर पर लखनऊ) में कला के जितने सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान स्थापित हुए उन्होंने क्या गतिविधियाँ कीं ? यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए ? यहाँ कला प्रशिक्षण करते हुए कलाकारों ने किस ढंग से काम किया तथा आत्मशिक्षित कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फिर कला

संबंधी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित हुई कि नहीं तथा यहाँ दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में कला-समीक्षाओं की क्या स्थिति रही ? किस दिशा व कितनी वस्तुपरकता के साथ वे सामने आईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले पचास वर्षों में उत्तर प्रदेश में कला गतिविधियों के विकास के अनेकानेक चरण रहे हैं।

राज्य ललित कला अकादमी ने यहाँ से 'कला त्रैमासिक' नाम से पत्रिका कुछ वर्षों तक निकाली। लगभग छह साल के बाद यह स्थगित हो गई और अब फिर निकलना शुरू हुई है। इसके शुरुआती दौर के संपादक मंडल में पी.सी. लिटिल, कृष्णनारायण कक्कड़ आदि थे। इस पत्रिका से प्रदेश की विभिन्न कला गतिविधियों की एक झलक मिलती थी और कई बार कला संबंधी कुछ सूचनात्मक व महत्वपूर्ण लेख भी सामने आते थे, जिनसे उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य समझने में कुछ सहायता मिलती थी। इधर 'कला दीर्घा' नामक कला पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ है। वैसे साहित्यिक पत्रिका भी कला को स्थान देती हैं। पत्रिका के बाद उन गतिविधियों का महत्व होता है जो विभिन्न कला संस्थाएँ करती रहती हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि प्रदेश में कला और कलाकार की दिशा क्या है तथा वे किस ढंग से काम करते हैं।

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में शांति निकेतन, कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि देश के प्रमुख कला केन्द्रों में ज्यादातर कलाकारों ने यथार्थवादी व प्रभाववादी शैली में आकृतिमूलक या दृश्य चित्रों को लेकर ही विभिन्न प्रयोग किए। भारतीय चित्रकला पर ईरानी, जापानी, चीनी, तिब्बती और बाद में यूरोपीय कलाओं का प्रभाव रहा है। इससे प्रभावित होकर यहाँ के वरिष्ठ व शताब्दी के शुरुआती दौर के चित्रकारों ने काफी काम किए लेकिन बाद में अपनी निजी शैली व विषयवस्तु का प्रयोग भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कला का परिदृश्य चूँकि वही था इसीलिए इन सारे प्रभावों व प्रयोगों के बावजूद यहाँ के चित्रकारों, कलाकारों ने अपने ढंग से काम किया। इन पर आधुनिक कला परिदृश्य और निजी प्रयास स्पष्ट है। वरिष्ठ चित्रकार मदनलाल नागर ने ठीक टिप्पणी की है कि– ''उत्तर प्रदेश में भी सन् 1949-50 ई. के लगभग कुछ नयी पीढ़ी के कलाकार लीक से हटकर नये प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए।'' ऐसे कलाकारों में हम सुरेश्वर सेन, विश्वनाथ खन्ना, रमेश चन्द्र साथी, आर.एस. बिष्ट, मदनलाल नागर, विजय चक्रवर्ती, कांजीलाल, नित्यानंद महापात्र, अजमत शाह, एस.पी. चड्ढा, बी.एन. आर्य, फ्रैंक वैसली, योगेन्द्रनाथ योगी– जैसे तत्कालीन पुराने नए कलाकारों का नाम ले सकते हैं। इनमें मूर्तिकार जयनारायण सिंह का अपना एक विशेष महत्व है। अवतार सिंह पँवार शांति निकेतन से आए थे। राम किंकर बैज का उन पर प्रभाव था। उन्होंने मूर्तिकला में नयी शैली ईजाद की। 1945 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था साथ ही न्यूड फोटोग्राफी में कलात्मक प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास की तस्वीर वास्तव में लखनऊ कला महाविद्यालय तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कला संस्थाओं, ग्रुपों व निजी कला दीर्घाओं में विभिन्न कलाकारों के काम की होने वाली प्रदर्शनी से पता चलता है।

शुरू में लखनऊ कला महाविद्यालय में होने वाली वार्षिक कला-प्रदर्शनी का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं कलाकारों में से ज्यादातर कलाकार बाहर निकले हैं या अपने काम को विशिष्ट बनाते हुए राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हुए हैं। ऐसी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ का एक विशेष महत्व है जो 1936 में स्थापित होकर अपनी कुछ गतिविधियाँ चलाकर फिर निष्क्रिय पड़ गया पर 1948 में यह पुनः सक्रिय हो गया और सभी कलाकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इसके अन्तर्गत लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी, कानपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहीं जिनसे स्पष्ट हुआ कि यहाँ के कलाकार किस ढंग से काम में जुटे हुए हैं। बल्कि ऐसे ही कलाकारों में एक रणदा उकील भी अपने विशिष्ट काम और बाद में दिल्ली में चित्रकला स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए। यह एक ऐसा विशिष्ट स्कूल सिद्ध हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण चित्रकारों ने अभ्यास किया, दीक्षा ली। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चित्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यहाँ चित्रकला की शिक्षा ली और यथार्थवादी चित्रकला परम्परा में काफी महत्वपूर्ण काम किया। वह हिन्दी के अत्यन्त महत्वपूर्ण कवि हैं अतः जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया (अनियमित रूप से) तो उनके काम में गहरी संवेदना, मानव-जीवन के विभिन्न

यथार्थवादी और सेन्सुअस चित्र मिलते हैं। टूटी खाट, एक छोटा सा कमरा, एक छत, एक रेल क्रासिंग से लेकर पुष्ट स्तनों का सौन्दर्य उनके चित्रों में देखते बनता है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में एक-एक कर मानों अपने कवि कर्म के लिए विशेष ऊर्जा लेने के लिए चित्रकला के काम किये। एक अद्‌भुत लयात्मकता से उनका काम भरा है जहाँ मानव जीवन के विभिन्न रूप अपनी पूरी ऊष्मा के साथ मौजूद हैं। कवि-चित्रकार की चर्चा चल रही है तो दो-तीन अन्य महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश का कला इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हैं– महादेवी वर्मा, बिपिन कुमार अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, घनश्याम रंजन आदि।

जब हम कला संस्थाओं की बात करते हैं तो कानपुर के इन्टरनेशनल सेंटर, लखनऊ की 'सोशल वेल्फेयर सोसाइटी', विजुअल आर्ट सोसाइटी, ग्रुप आफ नाइन आर्टिस्ट्स आदि को भुलाया नहीं जा सकता। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य व सचिव थे गजनफर हुसैन सिद्दीकी और संयुक्त सचिव जे.एन. सिंह। समाज कल्याण के साथ इस संस्था ने कला के क्षेत्र में भी अपने ढंग से बिल्कुल अलग काम किया। विभिन्न शहरों में अनेक कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं जिनमें जे.एन. सिंह की कृतियों की प्रदर्शनी पोलिश कला प्रदर्शनी, ब्रिटिश मास्टर पीसेज थ्रू द एजेज, रूमानियन शिल्प के अन्तर्गत विशिष्ट प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं और सुधीर खास्तगीर की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। इन आयोजनों से उत्तर प्रदेश में कला को लेकर एक विशिष्ट प्रकार की चेतना व उत्सुकता का विकास हुआ। दुनिया की विभिन्न कला शैलियों से यहाँ के कलाकार परिचित हुए, वाश शैली की विशिष्टता व कोमलता को आत्मसात किया और अपने काम के लिए नई ऊर्जा, तकनीक व विषय वस्तु प्राप्त किए। ग्रुप-5, लखनऊ ने 1969 में प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं फिर 1970 में ग्रुप-9 की स्थापना करके गतिविधियाँ कीं। इन दोनों ग्रुपों के संस्थापक सदस्य जे.एन. सिंह, घनश्याम रंजन, सतीश द्विवेदी, के.के. श्रेष्ठ आदि मुख्य थे। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट आफ वाराणसी का गठन 90 के दशक में किया था। फिर लखनऊ में यू.पी. वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी।

आज उत्तर प्रदेश में जितने चित्रकार/मूर्तिकार काम कर रहे हैं उन सबका नामोल्लेख करना तो संभव नहीं है लेकिन स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम लिए बिना यहाँ का कला-परिदृश्य व सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं– क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, सी. बरतरिया, सुखवीर सिंहल, श्रीराम वैश्य, सुधीर खास्तगीर, रामचन्द्र शुक्ल, मदनलाल नागर, आर.एस. बिष्ट, बी.एन. आर्य, सतीश चन्द्र, जयकृष्ण, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, डी.पी. धूलिया, श्रीमुनि सिंह, नारायण कुमार मिश्र, रणवीर सक्सेना, सुमानव, रथिन मित्रा, दिलीप दास गुप्ता, आर.सी. साथी, आर.एस. धीर, असद अली, पम्पीलाल, पी.सी. लिटिल, श्रीपत राय, नरेन्द्रनाथ राय, एस. दास गुप्त, नन्द किशोर खन्ना, गोपाल कृष्ण, गज्जर, सतीश द्विवेदी, शंखो चौधरी, तूफान रफाई, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, एस.एन. सक्सेना, मो. हनीफ, नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, विमला विष्ट, कृष्ण शंकर, प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, बलवीर सिंह कट्ट, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, बालादत्त पाण्डेय, एन. खन्ना। ये स्वाधीनता बाद के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विविध शैली में अपने काम किए और उ.प्र. की एक खास पहचान बनाई। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। आज भी इनमें से ज्यादातर कलाकार अपने काम में लगे हुए हैं।

इनके बाद चित्रकारों की अगली पीढ़ी आई जिसने अपने काम को नए आयाम दिये। पहले की तुलना में इस पीढ़ी में मूर्तिकार भी ज्यादा थे और चित्रकार भी। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने समय-परिवर्तन और बाजार की स्थिति को देखते हुए मूर्तियाँ बनाईं। इनमें ओम झिंगरन (1994 में निधन, 37 साल की उम्र में), पवन कुमार 'निर्धन', उमेश सक्सेना, नानक वर्मा, मो. शकील, शरद पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद गोण्ड, बी.एन. शुक्ला, डी.पी. मोहन्ती, अजीत वर्मा, अवधेश मिश्र, राजीव मिश्र, आर.एस. शाक्या, आशुतोष निगम, सनत कुमार चैटर्जी, राम कंवर, राजेन्द्र 'करन', नवाज, कृष्ण कुमार सिंह, विमल बालचन्द्र, राजीव मंडल, विमल रमैया, वंदना राजदान, विश्वनाथ, सैयद, आजाद सोनकर, अनीता नारायण, रीना पंवार,

चन्द्रकांत कुमार पालीवाल, खालिद अहमद, दशरथ, अरुण कुमार गुप्ता, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र कुमार, अशोक भौमिक, रमेश राय, मकबू अंसारी, बृजेश कटियार, जफर, रोशन, योगेन्द्र देव सिंह, विनोद कुमार सिंह, रातुलचन्द्र गोगोई, मुकुल पंवार, अरविन्द कुमार सिंह, अमित कुमार जायसवाल, अभय, अरुण सिंह, अशोक कुमार उपाध्याय, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिंह, असित कुमार पटनायक, ईश्वर चन्द्र गुप्ता, उमेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, चंदन कुमार, टंकेश कुमार, दलसिंगार प्रजापति, दिनेश कुमार, नवीन श्रीवास्तव, नरेन्द्रजीत सिंह, पंकज शर्मा, पंकज सरोज, प्रह्लाद सिंह, बी.आर. नरेन्द्र, भारतभूषण, राजेन्द्र प्रसाद यादव, शिवनाथ राम, शत्रुघ्न प्रसाद, शशि प्रकाश, सुनतराम चौधरी, संजय कुमार साहनी, संतोष कुमार खन्ना, हृदय गुप्ता, ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र, सुशील कन्नौजिया, आलोक कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवेन्द्र सिंह, तिलोक कुमार शर्मा, संजय कुमार, नवरतन लाल गुप्ता, रामहृदय, पंकज, पी. मदन गुप्ता, धर्मराज सिंह, दिलीप कुमार, ब्रह्म स्वरूप, शिव बालक, राम बाबू आदि अनेकानेक चित्रकारों/मूर्तिकारों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अधिसंख्य कलाकार ऐसे हैं जो फ्रीलांस भी हैं और पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार उपरोक्त कलाकार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित कला प्रवृत्ति की एक तस्वीर पेश करते हैं, उसी प्रकार महिला कलाकारों की भी एक लम्बी परम्परा यहाँ विकसित हुई। उत्तर प्रदेश में काफी पहले से ही कला की तरफ एक विशेष रुचि महिलाओं में दिखाई पड़ी। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की ही थीं। उनके पति वहाँ डॉक्टर थे। अप्रत्यक्ष रूप से अमृत शेरगिल का प्रभाव आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकारों पर पड़ा है। प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, विमला बिष्ट, अपर्णा सचान, चित्रलेखा सिंह, पुष्पा गुप्ता, किरन राठौर, करुणा सिब्बू, अलकनंदा मुखर्जी, अर्चना वर्मा, अनुसूया सिंह, अनीता नारायण, आराधना, इंदिरा पुनिया, कृष्णा बैराठी, कुसुम दास, कीर्ति वर्मा, प्रेरणा सिंह, प्रेमा मिश्रा, पुष्पा खन्ना, पूर्णिमा तिवारी, प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह, मृदुला सिन्हा, मंजू प्रसाद, मंजुला चतुर्वेदी, मनीषा दोहरे, मंजू शुक्ला, मालविका कपूर, दीपा पाठक, नीता कुमार, नीलम यादव, निशी कुमारी, रंजना शर्मा, रेशमा जाफरी, रेखा कक्कड़, रेखा निगम, रोली सिंह, रूपम त्रिपाठी, वर्षा जौहरी, वसुधा योगी, वंदना, वंदना राजदान, शीला, संध्या जायसवाल, सिरताज सालेहा, फातिमा काजमी, सुषमा अग्रवाल, साधना लाल, इन्दु रस्तोगी, रेणु सिंह, प्रेमलता सिंह, सीमा जावेद, सावित्री पाल, दीपा खरे, ज्योति शुक्ला, किक्षा श्रीवास्तव, रुकइया सुल्ताना, विभावरी सिंह, विधि निगम, रेखा यादव, स्नेह मोहन, संगीता शर्मा, रंजना सिन्हा, वीणा श्रीवास्तव, मीना सिंह, इंदु रस्तोगी, शुभ्रा नाग, सारिका बाला, हेमा पांडेय, श्वेता शर्मा, अमृत मेहरोत्रा इत्यादि अनेक उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने ढंग से कला विकसित की है।

यहाँ जितने भी कलाकारों के नाम लिए गए हैं उनमें आकारादि क्रम और उम्र का ध्यान नहीं रखा गया है। वे कहाँ के हैं यह भी नहीं लिखा है लेकिन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर आदि स्थानों के कलाकार हैं। यानी स्वाधीनता के बाद ये पूरे-पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 के बाद जैसे-जैसे वर्ष आगे निकलते गए और लखनऊ के कलाकारों का परिचय तथा जानकारी बाहर के कलाकारों, उनके काम और गतिविधियों से हुआ इन कलाकारों ने जीवन, समाज, राजनीतिक और मनोलोक की विभिन्न स्थितियों को पकड़ने की कोशिश की है। अकारण नहीं है कि इनके कार्यों की प्रदर्शनियाँ ललित कला अकादमी दीर्घा से लेकर सृष्टि कला दीर्घा, गैलरी दी आर्ट तक में आए दिन लगती रहती हैं। इनको देखने से लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम काफी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान बन रही है। अफसोस है कि 'सृष्टि' आर्ट गैलरी बन्द हो गई और गैलरी 'द आर्ट' लगभग कला वस्तुओं की एक दुकान में बदल चुकी है।

उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, कला-समीक्षाएँ भी नियमित होती हैं। यहाँ के प्रमुख कला समीक्षकों में कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, एन. खन्ना आदि हैं

जिन्होंने कला-समीक्षा को व्यावहारिक व ठोस आधार दिया है तथा उत्तर प्रदेश की कला की व्याख्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ के सभी दैनिक पत्रों में कला प्रदर्शनियों पर संवाद लिखने वाले नए-पुराने उत्सुक और उत्कर्ण संवाददाता हैं जो निरंतर अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कला-समीक्षक वास्तव में उस उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिससे प्रदेश की आधुनिक कला व सांस्कृतिक परिदृश्य तथा विकास की तस्वीर स्पष्ट होती है। इनमें खास तौर से दो-एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने कला-समीक्षा का, एक तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है और समीक्षा की एक सर्वथा नई स्थापना की है, जिससे केवल कला प्रदर्शनियों का विवरण ही नहीं मिलता बल्कि कला के आधुनिक संदर्भ में जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उन्हें वे उठाते रहे हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं। आज यह परिदृश्य बदल गया है। 2007 तक आते-आते कला समीक्षा की स्थिति समाप्तप्राय है। शेष अखबारों में कला-प्रदर्शनी की सूचनाएँ छपती हैं।

उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य तथा इसके विकास की रेखाएँ किस प्रकार फैली हैं इसे इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए और महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उदाहरण के तौर पर श्याम शर्मा पटना में हैं, बलदेव गंभीर अमृतसर में, सुरेन्द्र जोशी और राम अवतार जायसवाल जयपुर में, अशोक भौमिक, मामून नोमानी व राजीव लोचन, रमेश बिष्ट, मुकुल पंवार, श्याम शर्मा (चित्रकार) दिल्ली में, संपत कुमार शांति निकेतन में तो हरीश राम शिमला कला महाविद्यालय के प्राचार्य। यह चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर चित्रकार यशोधर मठपाल की चर्चा न की जाय। एक आदर्शवादी भूदानी की तरह यशोधर मठपाल ने स्वयं तो समय-समय पर चित्रकला का उत्कृष्ट काम किया ही है भीमताल में इन्होंने अपना एक बड़ा व विविध कला-संग्रहालय भी स्थापित किया है जो इनके अथक परिश्रम और खोजी दृष्टि का परिणाम है। पहाड़ क्षेत्र की कलात्मक संपदा और कलात्मक प्रतिमाओं का संयोजन, संकलन इनके संग्रहालय का उद्देश्य है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है उसकी एक झलक यहाँ मिलती है। वास्तव में यह एक 'कला आश्रम' है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश के कलाकार फिल्मी दुनिया व राजनीति में भी गये और अपनी जगह बनाई। मिसाल के तौर पर ललित नाग और मुजफ्फर अली को लिया जा सकता है। नाग ने फिल्मों में कला निर्देशन किया और कार्टून फिल्मों के निर्माण में महारथ हासिल की। मुजफ्फर अली की गहरी रुचि चित्रकला में थी, शुरू में काफी काम उन्होंने किए, कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कृत भी हुए। बाद में राजनीति और फिल्म में सक्रिय हुए लेकिन आज भी उनके मन में चित्रकला के लिए गहरा लगाव है।

ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विकास के साठ वर्ष किन-किन राहों से गुजरे हैं। 1957-58 में बनी 'फोर आर्टिस्ट ग्रुप' (फैग) तथा 1960 में ग्रुफ आफ यंग पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स (जिण्स)। सूचना विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक सरला साहनी ने फैग और विभिन्न कलाकारों श्री मुनि सिंह, विजय चक्रवर्ती, एस.जी. श्रीखण्डे आदि का अपूर्व योगदान रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कला का एक वातावरण तैयार किया। चित्रकार अखिलेश निगम, जो अपनी प्रिंटाज शैली के रूप में विशेष तौर पर जाने जाते हैं, कहते हैं– ''1975-76 में क्रमशः दो और कला संस्थाओं ने, 'विजुअल आर्ट सोसाइटी' और 'यू.पी. आर्ट कौंसिल'– के नाम से जन्म लिया परन्तु क्रमशः ललित कला अकादमी की कला वीथिका में (दस चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों की) एक-एक प्रदर्शनी आयोजित कर ये संस्थाएँ आगे न बढ़ सकीं। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में 'तरनी' नाम से प्रभा पंवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ जिसने काफी समय तक प्रदर्शनियों सहित कला संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, अल्मोड़ा के अतिरिक्त म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी, लखनऊ और लोक कला संग्रहालय लखनऊ का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस विवेचन से यह तस्वीर उभरती है कि आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश की कला चेतना ने कई तरह की विकास रेखाएँ पार की हैं जिनमें उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, केन्द्रीय ललित कला केन्द्र, सृष्टि कला

दीर्घा सहित अनेक कला संस्थाओं का योगदान है। अकादमी ने अपने 23 सूत्रीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, कला आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, कला संबंधी पुस्तकों-पत्रिकाओं, मोनाग्राफ, पोर्टफोलियो, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पोस्टर आदि के प्रकाशन सहित डॉ. राधाकमल मुखर्जी व्याख्यानमाला तथा व्याख्यान, सेमिनार व कला गोष्ठियों आदि से उत्तर प्रदेश में कला के विकास के लिए बहुमुखी कार्य किए जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र में जहाँ बाहर के और स्थानीय कलाकार काम करते हैं, वहीं प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और मदनलाल नागर व्याख्यानमाला साठ वर्षों का यह संक्षिप्त कला परिदृश्य अभी अन्य आयामों में विकसित होगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि नयी-नयी कला शैलियाँ विकसित हो रही हैं। जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कला के विविध आयामों पर स्वतंत्र रूप से कार्य योजनाएँ बनाई जाएँ।

कलाकर्म के इस विकास में कलाकारों के सामने आर्थिक समस्याएँ या कि जीवन यापन की समस्याएँ विकराल रूप में सामने आ रही हैं इसलिए उन्हें छद्म काम करने, ठेके पर काम लेने, महत्त्वपूर्ण चित्रों की अनुकृति बनाने, चित्रकार/मूर्तिकार बनने की अद्म्य व शौक रखने वाले पैसे वाले लोगों के लिए काम कर देने उत्सव/मेले/त्यौहारों को ध्यान में रखकर मूर्तियाँ बनाने, लकड़ी में कला को सँवारने, कुछ चित्रकारी का काम करने की मजबूरी पैदा हो रही है। कुछ समय तक इस मजबूरी में काम करने के बाद ऐसे कलाकारों की आदत व स्वभाव में ये चीजें घर करती जा रही हैं जिनसे उबरना उनके लिए संभव दिखायी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर पिछले दो दशकों से छाए व घने होते जा रहे इस धुंधलके ने यहाँ की गरिमा को काफी क्षति पहुँचायी है। इसका एक अन्य बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र के स्वायत्त चरित्र का निरंतर गिरते हुए लगभग एक सरकारी संस्थान में बदल जाना। चित्रकार सतीश चंद्र के अकादमी अध्यक्ष रहते हुए अकादमी जो नई कला दीर्घाएँ बनी तथा पुरानी का नवीनीकरण किया गया तथा अकादमी की वित्तीय सहायता राशि बढ़ी और कला-गतिविधियाँ भी, वे अब वहीं रुकी हुई हैं बल्कि वित्तीय सहायता में तो निरंतर कटौती हो रही है; छवि कुछ ऐसी बन गई है कि अकादमी के पास कला गतिविधियों की परिकल्पना करना मुश्किल हो रही है इसलिए स्वीकृत राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही तो वित्तीय कटौती का आधार बन गयी। यही कारण है कि अकादमी में कला गतिविधियों के नाम पर अपना रजिस्टर पूरा कर रही है। लगभग ऐसा ही हाल राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र की लखनऊ शाखा का भी है सिवा इसके कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ कुछ आधुनिक कला दीर्घाएँ उद्घाटित की गई जिनमें कला गतिविधियाँ जारी रहने की उम्मीद है। 2005 के लिए उ.प्र. कला जगत को केन्द्र की ओर से यह एक वस्तु परक तोहफा है। कला गतिविधियों का स्वरूप, निरंतरता ही इस तोहफे को सार्थक बना सकती है। इसकी उम्मीद केन्द्र की इस शाखा से बनी हुई है।

●

उत्तर प्रदेश और सिनेमा

बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारत वर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है। सिनेमा ने जन संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सिनेमा के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी उसके विकास काल से ही रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ फिल्मों का सबसे ऊँचा बाजार है। इसी कारण उत्तर प्रदेश का रंग हर वर्ष फिल्मों में छाया रहता है। उत्तर प्रदेश और मुम्बई फिल्म नगरी दोनों ही एक दूसरे पर काफी हद तक आश्रित हैं। अगर हम इस आशय को नापतौल कर देखें, तो उत्तर प्रदेश का ही पलड़ा भारी पड़ेगा। राज्य की विशाल जनसंख्या मुम्बई फिल्म नगरी को हिन्दी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही वहाँ काम करने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश का ही है। कहा जाता है कि एक समय बॉलीवुड में दखल के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नम्बर पर था। फिल्मों में शायद ही कोई क्षेत्र अछूता बचा हो, जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सार्थक मौजूदगी दर्ज न करायी हो।

उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्यन्त मनोरम स्थल भी थे, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ यदा कदा कुछ स्थानों पर ही होती थी। मसलन 1960 के दशक में 'मेरे हुजूर' तथा 80 के दशक में 'सावन को आने दो' जैसी हिट फिल्मों के कुछ हिस्से यहाँ फिल्माये गये थे। 80 के दशक में 'शतरंज के खिलाड़ी' तथा मलिहाबाद में जानदार फिल्म 'जुनून' की शूटिंग से भी लखनऊ के साथ ही प्रदेश को बॉलीबुड में विशेष पहचान मिली। पर, पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म नीति के कारण यहाँ शूटिंग कार्य शुरू हो गया, फिल्मकार भी मानने लगे हैं कि यूपी में फ्रेंडली है शूटिंग का माहौल। सबसे सफलतम फिल्मों के रूप में दर्ज 'गदर', 'इश्कजादे', 'बुलेट राजा', 'तनु वेड्स मनु' की शूटिंग यहाँ हुई है। हाल के वर्षों में राजधानी लखनऊ में तथा आसपास, दावत-ए-इश्क, बाबर, रंगदारी, डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलबी-2, टॉइलट-एक प्रेम कथा, बरेली की बरफी, अलीगढ़, मुक्काबाज, तमिल फिल्म थिरूत्तु पायले-2 का हिन्दी रीमेक, दोस्ती जिन्दाबाद, रेड, आईएम. नॉट ए देवदास, बनारस में राझड़ा, टप्पा आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीबुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो-सिताबो की शूटिंग राजधानी लखनऊ में एक माह से अधिक समय तक हुई। अछूती व अनूठी लोकेशन की मौजूदगी के कारण उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी लौट रहा है। बीते वर्षों में 200 से अधिक हिन्दी, भोजपुरी तथा दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न नगरों में हो चुकी है। आज हमारे पास तकनीकी ज्ञान, नयी मशीनें व अत्याधुनिक कैमरे उपलब्ध हैं। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नयी फिल्म सिटी बनाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है। इसके जरिये फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है। 'फिल्म बन्धु' के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधा प्रदान की जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हिन्दी और उसकी सहयोगी भाषाओं ही नहीं, अपितु तमिल, तेलुगू सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करने पर फिल्म बन्धु अनुदान दे रहा है। इस शुभ समाचार के बाद तमिल फिल्म की शूटिंग प्रदेश के आंगन में सम्पन्न हो चुकी है।

माना जाता है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म 'आलम आरा' (1931) के निर्देशक बी.पी. मिश्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। एक बार पृथ्वीराज कपूर ने पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि बी.पी. मिश्रा ही 'आलम आरा' के निर्देशक थे। 'इम्पीरियल' फिल्म कम्पनी ने इसका निर्माण किया था। यह कम्पनी इससे पहले मूक फिल्मों का निर्माण किया करती थी और बी.पी. मिश्रा इसी कम्पनी के जाने-माने

निर्देशक थे। मूक फिल्मों के जमाने में उनके निर्देशन में 'मिड नाइट राइडर', 'नाहर सिंह डाकू', 'शीशमहल', 'अलीबाबा चालीस चोर' आदि फिल्में बनी थीं। दुर्भाग्य से असमय ही उनकी मृत्यु हो गयी।

सन् 1931 में चलती फिरती तस्वीरों को स्वर भी मिल गये। 'आलम आरा' से आरम्भ हुआ आवाज का यह सफल अभियान अब तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गूँज रहा है। अब जब बात लोकप्रियता की हो, तो हिन्दी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सिनेमा को सिर्फ दर्शक ही नहीं दिये, अपितु गुणी और प्रतिभावान कलाकार भी दिये हैं जो पर्दे पर और पर्दे के पीछे अथक मेहनत से सिल्वर स्क्रीन में रंग भरते रहे हैं। हिन्दी सिनेमा को पहाड़ी सान्याल, मोतीलाल, अजीत जैसा खलनायक, चित्रगुप्त तथा रवि जैसे संगीतकार व देवेन्द्र गोयल, भीमसेन तथा बासु चटर्जी, त्रिलोक जेटली आदि निर्माता-निर्देशक इसी प्रदेश ने दिये हैं। यहाँ के विभिन्न लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य और गीत की शैलियों ने हिन्दी सिनेमा के गीत-संगीत को समृद्ध किया है। इन दिनों अमेठी के मनोज मुंतशिर के गीतों की धूम मची हुई है। जोश मलिहाबादी, पंडित नरेन्द्र शर्मा, मजाज लखनवी, शकील बदायूँनी, इंदीवर, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, हरिवंशराय बच्चन, जॉ निसार अख्तर, शैलेन्द्र, नीरज, अन्जान, खुमार बाराबंकवी, योगेश, समीर, अली सरदार जाफरी, हसन कमाल, अन्जुम पीलीभीती, शहरयार, संतोष आनन्द, देव कोहली, शबनम गोरखपुरी, नूर बिजनौरी, देवमणि पाण्डेय, शबाब मेरठी, बहजाद लखनवी, जलाल मलिहाबादी, अहमद वसी, प्रवीण भारद्वाज, फैज अनवर, पंछी जालौनवी, मनोज यादव, नितिन रैकवार, राम भारद्वाज प्रसिद्ध गीतकारों में हैं। गीतकार, पटकथाकार जावेद अख्तर का बचपन लखनऊ में अपनी ननिहाल में बीता। शकील बदायूँनी ने 'मदर इण्डिया', 'आन' और 'उड़न खटोला' के अमर गीत लिखे। झाँसी के शशिधर मुखर्जी, शंकर मुखर्जी और सुबोध मुखर्जी ने फिल्मकार के तौर पर हिन्दी सिनेमा को समृद्ध किया। जैनेन्द्र कुमार ने लेखन तथा इफ्तिखार ने बेहतरीन अदाकार के रूप में स्क्रीन पर अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोलती फिल्मों के प्रारम्भिक दौर से गीत लिखना शुरू किया था। आगे चलकर पॉप गीतों के जमाने में भी उनकी कलम का जादू कम नहीं हुआ। ए.आर. कारदाह की 'शाहजहाँ' से लेकर अपने बेटे अन्दलीब की फिल्म 'जानम समझा करो' तक के लम्बे सफर में मजरूह सुल्तानपुरी ने 'धीरे-धीरे वो हमारे दिल' और नौजवानों के लिए 'पापा कहते हैं' जैसे गीतों से हर फिल्म में जान फूंकी। उत्तर प्रदेश से हिन्दी सिनेमा को कई कहानीकार, पटकथा लेखक भी मिले। नरोत्तम व्यास, पं. राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भगवती प्रसाद बाजपेयी, धर्मवीर भारती, इस्मत चुगताई, शौकत कैफी, डॉ. राही मासूम रजा, कमलेश्वर, ज्ञान अग्निहोत्री, राजेन्द्र यादव, कुशवाहा कान्त, गुलाब रत्न बाजपेयी 'गुलाब', जैनेन्द्र जैन, माया गोविन्द, गौहर कानपुरी, डॉ. अचला नागर, अतुल तिवारी, के.पी. सक्सेना, कमल पाण्डेय उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखकों में से हैं।

अभिनय के सरताज बने अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं। यहाँ की मीठी बोली का असर उनकी संवाद अदायगी की शैली बन गयी, जिसने उन्हें बुलन्दियों पर बैठा दिया। 'ताजमहल' की नायिका बीना राय लखनऊ के ही आई.टी. कालेज की छात्रा थीं। अभिनय कला में संस्थान बन चुके नसीरुद्दीन शाह का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से है। गुलजार की फिल्म 'माचिस' में अभिनय के जौहर दिखाने वाले चन्द्रचूड़ सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फैजाबाद में जन्मी अनुष्का शर्मा, कानपुर की पूनम ढिल्लो, बरेली में पली-बढ़ी प्रियंका चोपड़ा, इटावा की पिया बाजपेयी जैसे अनेक नाम हैं। निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्मों 'सत्या' और 'कौन' के खूबसूरत छायांकन के बाद लखनऊ के मजहर कामरान का नाम अब फिल्मी दुनिया में नया नहीं है। 'सत्या' की सिनेमैटोग्राफी पहले एक हॉलीवुड के छायाकार कर रहे थे। मेरे महबूब, मेरे हुजूर, चौदहवीं का चाँद, शतरंज के खिलाड़ी, पाकीजा, उमराव जान को देखना तो वैसे लखनऊ शहर को एक शताब्दी पहले देखना जैसा है। लखनऊ के अलावा अन्य कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हिन्दी फिल्मों के प्रिय शूटिंग स्थल हैं। आगरा के ताजमहल के दर्शन तो बहुत सी फिल्मों में होते रहे हैं। इस शहर के अन्दर की तस्वीर बासु

भट्टाचार्य की 'सारा आकाश' में दिखती है। वाराणसी का चित्रण अनगिनत फिल्मों में हुआ है। मर्चेन्ट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म 'द गुरु' की कहानी वाराणसी के इर्द-गिर्द घूमती है। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित 'संघर्ष' वाराणसी के पण्डों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शूटिंग उन शहरों में न होकर वैसे ही सेट लगाकर, माहौल तैयार करके, कर ली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मुम्बई के बड़े निर्माताओं ने प्रदेश सरकार की पहल पर यहाँ आकर प्रदेश की फिल्म नीति से जुड़े मसलों पर चर्चा की थी। इन फिल्मकारों ने दिलचस्पी दिखाकर उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावना को पुख्ता किया है। नये छविगृहों का निर्माण कराना, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितम्बर 1975 को उ.प्र. चलचित्र निगम की स्थापना भी की गयी थी। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में भोजपुरी फिल्मों को पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी मंडलों में विस्तार मिला है।

फिल्म वितरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्षेत्र, दिल्ली-यू.पी. सर्किल के नाम से मशहूर है। सर्वाधिक दर्शकों वाले इस क्षेत्र में मनोरंजन कर सबसे अधिक है। शादी में जरूर आना, मंजूनाथ, रामभजन, इश्क के परिन्दे, दो दूनी चार, बर्फी, पति-पत्नी और वो, मिर्जापुर-2, मिलियन डॉलर आर्मी सहित अनेक फिल्मों की शूटिंग राजधानी के आस-पास हुई है।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद फिल्म नीति को उदार और आकर्षक बनाने के लिए जो सकारात्मक पहल हुई, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ दर्शक और कलाकार ही नहीं देगा, बल्कि स्वयं उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माता बनने की ओर अग्रसर होगा।

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सिने व्यक्तित्व

उत्तर प्रदेश में जन्मे या यहाँ की मिट्टी में रहकर बॉलीवुड में अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुछ लोगों की सूची में आर.एन. शुक्ला, के. आसिफ, बासु चटर्जी, भीमसेन, कमाल अमरोही, ए.एन. अंसारी, त्रिलोक जेटली, देवी शर्मा, रवि नगाईच, शंकर मुकर्जी, सुबोध मुकर्जी, नासिर हुसैन, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, ताहिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, रामशंकर चौधरी, शेखर, आर चन्द्रा, सिप्ते हसन रिजवी, याकूब हसन रिजवी, आर.डी. माथुर, अनिल शर्मा, गोविन्द मूनिस, शिव कुमार, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, बोनी कपूर, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धुलिया, माहरूख मिर्जा, शाहरूख सुल्तान, मेराज, सुनील बत्रा, राकेश साहू, चन्दू सिंह, सनोज मिश्रा, अनुभव सिन्हा, राम बुन्देला, चन्द्रपाल सिंह प्रमुख हैं।

नरगिस, तलत महमूद, निर्मला देवी, शमा जैदी, जद्दन बाई, रेहाना सलमा सिद्दीकी, कुन्दनलाल सहगल, मदन सहगल मुकेश, गोपीकृष्ण, भारत भूषण, लच्छू महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, सुजीत कुमार, हीरालाल, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा, शबाना आजमी, कुमकुम, उमादेवी (टुनटुन), सितारा देवी, यूनुस परवेज, रेहाना सुल्तान, राज बब्बर, सुरेन्द्र पाल, राजा बुन्देला, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर, सुल्तान अहमद, हुमायूँ मिर्जा, नसीरुद्दीन शाह, संतोष सरोज, के.के. सिंह, मंदाकिनी, निशा गोयल, दीप्ती भटनागर, लारा दत्ता, मंसूर खान, आमिर खान, शक्तिमान, हसन कमाल, मुशीर रियाज, प्रेम कपूर, मोतीसागर, प्रीति सागर, नाजनीन, तारिक, नदीन खान, जमील खान, अदिति शर्मा, जोया अफरोज, पूजा बत्रा, श्वेता तिवारी, साहिल शेख, पुलकित सिंह, संदीप नाथ, इंदर ठाकुर, राकेश पाण्डेय, साधना सिंह, आयुष कुमार, विश्वनाथ मिश्रा, शाहीन सुल्ताना, ब्रज गोपाल, मोहन भण्डारी, राजकुमार त्रिवेदी, राजेन्द्रनाथ मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, कविता चौधरी, रहमान, नौशाद, समीर, रानी मुखर्जी, जया भट्टाचार्या, राम गोविन्द, ललित तिवारी, सपना अवस्थी, राजेश कुमार सिंह, रवीन्द्र जैन, अपूर्व अग्निहोत्री, अरुण गोविल, सूरज कुमार वर्मा, मुश्ताक अली, अनूप जलोटा, बाबा आजमी, स्नेहा सांगवान, सुनिधि चौहान, कनिका कपूर, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज मिहिर, अनुपम श्याम,

राजू श्रीवास्तव, तनवीर जैदी, सौरभ दुबे, राजपाल यादव, आदित्य शर्मा, उदय यादव, कैलाश खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वीरेन्द्र सक्सेना, विनीत सिंह, अनु प्रिया, वरुण बडोला, मुकुल नाग आदि भी बॉलीवुड में यूपी के नगीने के रूप में जाने जाते हैं।

उ.प्र. फिल्म बन्धु तथा फिल्म नीति

प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व के सदुपयोग से पर्यटन विकास को नये आयाम मिले तथा रोजगार सृजन के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु यद्यपि 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी, तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किए गये हैं, ताकि उ.प्र. में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके। उ.प्र. में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विविध पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढाँचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हो सके, प्रदेश के अद्भुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिले एवं पर्यटकों को, आकर्षित करके प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके, प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलें, प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर सुलभ हों, फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ एवं अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. फिल्म बन्धु का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित करने के लिए विभिन्न प्रयास जारी हैं। इनमें प्रशासनिक सहायता, वित्तीय प्रोत्साहनों को आकर्षण पैकेज, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएँ, फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना उपकरण, कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था। अब नोएडा में नयी फिल्म नगरी तैयार हो रही है। ताकि यह फिल्म नगरी उत्तरी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया गतिमान है। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा– शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रखरखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि' का उपयोग किया जाएगा। इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल

एजेंसी' के रूप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जाएगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।

शूटिंग स्थलों का विकास

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउटडोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य, जैसे– ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश में नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिभा सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा पूर्ति हो सके, जो देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, 'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान' के रूप में किया जायेगा।

फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कुछ संस्थानों में प्रारम्भ किए जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जाएगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनों संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि' से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'परफॉर्मिंग आर्ट्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश में आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था की गयी है। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन फिल्म इकाइयों को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुमन्य करायी जायेगी।

फिल्मों का वित्त पोषण

फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्त्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंकों से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु 'कानन समिति' का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय संस्थाएँ पहले से ही

स्टूडियो तथा उपकरणों जैसे– हार्डवेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 'कानन समिति' की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कानन समिति' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण 'फिल्म बन्धु' द्वारा 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश 'नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन' पिकप अथवा बैंकों के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्हीं फिल्मों को अनुमन्य होगा, जो 75 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।

फिल्म निधि

फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में फिल्म निधि के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गयी धनराशि समेकित रूप में कर एवं निबन्धन विभाग से ज्ञात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के रूप में 'फिल्म बन्धु' को स्वीकृत किया जायेगा। इसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित फिल्म विकास निधि में जमा किया जायेगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा।

सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी विषयों पर वृत्त चित्र एवं वर्तमान घटना क्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। अधिसंख्य वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र का फिल्मांकन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किया जाता है। अब तक इस विभाग द्वारा 95 समाचार चित्र तथा 165 वृत्त चित्र तैयार किये जा चुके हैं। इनमें 28 रंगीन वृत्त चित्र सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 54 को 26वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1979 में पुरस्कृत भी किया गया है। इस विभाग द्वारा निर्मित वृत्त चित्र 'फूलों की घाटी' तथा 'बदरी-केदार' पर बने चित्रों को देश की 14 भाषाओं में डबिंग कराकर अखिल भारतीय सर्किट में विभिन्न सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया है। अब तक निर्मित वृत्त चित्रों में 'कार्बेट नेशनल पार्क', 'लखनऊ मेरा लखनऊ', 'महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश', 'चोर-चोर', 'फूलों की घाटी', 'बदरी-केदार', 'नैमिषारण्य', 'ब्रज में होली', 'ग्राम्या', 'कुम्भ मेला', 'भागीरथी', 'सुमित्रानन्दन पंत', 'महादेवी वर्मा', 'प्रेमचन्द', 'बुन्देलखण्ड', 'विकास की चमक हर आँख में' इत्यादि वृत्त चित्र विशेष रूप से सराहे गये हैं।

फिल्म पत्रकारिता

उत्तर प्रदेश में जहाँ तक फिल्म पत्रकारिता का प्रश्न है, तो इस क्षेत्र में पहला नाम 1930 के दशक में उमाशंकर जोशी का उभरता है। इसके बाद रामकृष्ण, कपिलकुमार, धर्मेन्द्र गौड़, ओंकार शरद, विनोद भारद्वाज, कुंवर नारायण, सतीश सिंह, जिनेन्द्र जैन, महादेव शर्मा, नेत्र सिंह रावत ने फिल्म पत्रकारिता में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया मंगलेश डबराल, मोहित अस्थाना थपलियाल, धीरेन्द्र राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, ओम प्रकाश गुप्ता, विवेक चटर्जी, प्रवीण श्रीवास्तव, हेमंत शुक्ल, वीर विनोद छाबड़ा, अवधेश नारायण 'प्राण', सुरेन्द्र अग्निहोत्री, गौतम चटर्जी आदि ने।

दर्शनीय स्थल, मेले एवं प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

युगों की प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। बहुत से ऐसे स्थल भी हैं, जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। हमारा प्रदेश ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के कुछ स्थान इस प्रकार हैंः–

सोरों (जिला एटा)– सोरों या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था। इस तीर्थ में वराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मन्दिर है। इस मन्दिर में भगवान वराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निकट ही हरिपदी पर वराह घाट है। शूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान वराह की पुण्य स्मृति में मार्गशीर्ष का मेला लगता है।

काशी (वाराणसी)– यह भारत के ही नहीं, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नाम वरुणा और अस्सी, दो नदियों से मिलकर बना है। वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मन्दिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और पांचरत्न आदि हैं। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहाँ घाटों की संख्या बहुत है। इनमें अस्सी, तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका घाट आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

देवबन्द (जिला सहारनपुर)– मुजफ्फरनगर से 24 कि.मी. दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है। यहाँ दुर्गा जी का मन्दिर है। मन्दिर के समीप देवी कुण्ड सरोवर है।

शाकम्भरी देवी– यह मन्दिर सहारनपुर से 41.6 कि.मी. दूर है। शाकम्भरी देवी का मन्दिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नवरात्र में मेला लगता है।

हस्तिनापुर (जिला मेरठ)– यह नगरी मेरठ से 35.2 कि.मी. दूर है। यह पाण्डवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान दिया था। इसलिए इसे 'दानतीर्थ' कहा जाता है। यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं।

गढ़मुक्तेश्वर (जिला गाजियाबाद)– मेरठ से 42 कि.मी. दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है। मन्दिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगीरामपुर– यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ शृंगी ऋषि का मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगवेरपुर– जिला प्रयागराज से 48 कि.मी. दूर राम चौरा रोड स्टेशन से 3 मील की दूरी पर शृंगवेरपुर है। यहीं पर भगवान राम ने वन जाते हुए निषादराज का आग्रह मानकर रात्रि में विश्राम किया था।

विन्ध्याचल (जिला मिर्जापुर)– यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है।

लोधेश्वर– यह बाराबंकी जिले में है। यहाँ लोधेश्वर जी का मन्दिर है।

देवीपाटन (जिला गोण्डा)– यहाँ पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।

मगहर (जिला संत कबीर नगर)– कबीरदास जी ने यहीं पर शरीर छोड़ा था। संत कवि कबीर की समाधि और मजार, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यहीं स्थित है। उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहीं है। कबीर पंथियों का यह पवित्र तीर्थस्थल है।

भृगु मन्दिर (बलिया)– ब्रह्माजी के पुत्र भृगु के शिष्य दरदर मुनि की यह तपस्थली रही है। इन्हीं के नाम पर यहाँ भारत का विख्यात ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष लगता है।

मथुरा– सप्त महापुरियों में इसकी गणना होती है। इसका प्राचीन नाम मथुरा था। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर मधुरी या मधुपुरी नगरी बसी थी। श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया रूप दिया था। चन्द्रवंश की यादव शाखा में श्रीकृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। मथुरा में द्वारिकाधीश मन्दिर और विश्राम घाट के दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। मथुरा में निम्न दर्शनीय स्थल हैं-

वृन्दावन (जिला मथुरा) – वृन्दावन, मथुरा से 9.6 कि.मी. पर स्थित है। यहाँ करीब 4 हजार मन्दिर, घाट और सरोवर हैं। गोविन्द देव मन्दिर बड़ा भव्य और सुन्दर है। जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् 1590 में इसे बनवाया था। गोविन्द देव मन्दिर के सामने द्रविण शैली में निर्मित सफेद पत्थर का बना रंगनाथ का विशाल मन्दिर स्थित है। बिहारी जी का मन्दिर, राधाबल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, अष्टसखी मन्दिर आदि वृन्दावन के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वन स्थलियाँ हैं। वंशीवट, कालीदह और केशघाट यमुना के प्रसिद्ध घाट हैं।

नन्दगाँव (जिला मथुरा)– मथुरा से 48 कि.मी. उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में नंदगाँव स्थित है। नंद बाबा का घर जिस स्थान पर था, वहाँ पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है। यह हिन्दुओं का एक पवित्र स्थल है।

गोवर्धन (जिला मथुरा)– गोवर्धन, मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह मथुरा से 23 कि.मी. दूर पड़ता है और मथुरा से डीग (भरतपुर) जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ के विशाल पक्के सरोवर (पवित्र मानसी गंगा) के पास हरिदेव का मनोहर मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवान दास ने बनवाया था।

बरसाना (जिला मथुरा)– बरसाना गाँव गोवर्धन से 24 कि.मी. उत्तर में कोसी (आगरा-दिल्ली सड़क पर) के 16 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। इसे भगवान कृष्ण की प्रिया राधाजी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्मासारिणी था। यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते हैं और लाड़ली जी, जो राधाजी का स्थानीय नाम है, के सम्मान में निर्मित मन्दिरों से सुशोभित है। यहाँ प्रतिवर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है।

दाऊजी (जिला मथुरा)– दाऊजी मथुरा से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर है। नगर के मध्य में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ (दाऊजी) का प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है। यहाँ वर्ष में दो मेले लगते हैं। इनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देवछठ कहते हैं तथा दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है।

बिठूर (जिला कानपुर) – कानपुर नगर से लगभग 24 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में गंगा के किनारे बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। यहीं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है।

चित्रकूट– (जिला चित्रकूट) बाँदा से झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन द्वारा चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दक्षिण-पूरब में स्थित है। चित्रकूट के पास मन्दाकिनी बहती है। वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे। जनश्रुति के

अनुसार महर्षि वाल्मीकि भी यहाँ रहे थे। बहुत से पवित्र स्थल, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ मन्दाकिनी के किनारे पाई जाती हैं। मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बायें तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 कि.मी. पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे 24 घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। रामघाट के समीप स्थित पर्णकुटी के विषय में कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था। यहाँ से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्षि अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसे मन्दराचल कहते हैं। यहीं से मन्दाकिनी निकलती है। सीतापुर से 3.30 कि.मी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुण्ड है। यहाँ नदी की धारा श्वेत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है। जानकी कुण्ड से 3.2 कि.मी. पर स्फटिक शिला है। यहाँ दो बड़ी चट्टानें हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था। चित्रकूट में भरत कूप भी है। इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुँए में डाला गया था।

राजापुर (जिला चित्रकूट) – बाँदा से 99.2 कि.मी. और चित्रकूट से 38.4 कि.मी. की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है। कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुन्दर स्मारक का निर्माण हुआ है।

देवा शरीफ (जिला बाराबंकी) – बाराबंकी से लगभग 12 कि.मी. दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है।

महोबा– चन्देलों के वैभवशाली समय में वर्तमान बुन्देलखण्ड का नाम 'जेजाक युक्ति' था तथा इसकी राजधानी महोबा थी। इसी महोबा में वीर शिरोमणि आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ था। **दर्शनीय**– कीरत सागर, चन्देल कालीन स्मारक।

बहराइच– यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे।

गोला गोकर्णनाथ (जिला लखीमपुर खीरी) – त्रेता युग में रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। शिवलिंग को भूमि पर रखना निषेध था। रावण ने मार्ग में शिवलिंग को एक भक्त के पास कुछ देर के लिए छोड़ा, लेकिन वह उसका भार सहन न कर सका और उसने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। लौटकर रावण यह देखकर क्रोधित हुआ और लिंग को अंगूठे से दबा दिया जो कान के आकार का हो गया। इसी आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा। यह स्थान लखीमपुर-खीरी से लगभग 35 कि.मी. दूर है।

कम्पिल (जिला फर्रुखाबाद)– अपने अंतःस्थल में देश के लम्बे इतिहास की रहस्यपूर्ण रोचकता छिपाये हुए यह छोटी सी भाव-मुग्धा नगरी अति प्राचीन काल से आज तक दर्शन, धर्म और संस्कृति की मनोहर मंजूषा के रूप में विख्यात रही है। विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रन्थों व रिपोर्टों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। पतित पावनी गंगा नदी के दायें तट पर कायमगंज तहसील के कस्बे से 10 कि.मी. पश्चिम में सड़क द्वारा सम्बद्ध यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर भी यहीं हुआ था। हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि के प्रमुख दिग्दर्शक, जो कम्पिल में विद्यमान हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

मुगलघाट– द्रौपदी कुण्ड के समीप ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे गुम्बदनुमा चार घाटों का निर्माण कराया था।

कपिलमुनि का आश्रम– यहाँ खुदाई करते समय एक गुफा मिली है, जिसमें कुछ मूर्तियाँ और पूजा-पाठ की सामग्री उपलब्ध हुई है।

रामेश्वरधाम मन्दिर– कहा जाता है कि भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने भगवान राम द्वारा लंका से लाये

शिवलिंग को, जिसकी पूजा सीताजी लंका निवास के समय अशोक वाटिका में प्रतिदिन करती थीं, इसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया था।

जैन श्वेताम्बर मन्दिर– इस भव्य मन्दिर के मूल नायक भगवान विमलनाथ हैं जो मन्दिर में ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। मंदिर के चारों कोनों पर चार कल्याणकों के स्मारक हैं।

जैन दिगम्बर मन्दिर– इसमें भगवान विमलनाथ की मूल नायक प्रतिमा विद्यमान है। अनुमान है कि यह प्रतिमा कई सौ वर्ष पुरानी है।

भेदकुण्ड– कम्पिल ग्राम से 3 मील पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर द्रौपदी के वरण हेतु मीन वेध किया था। हमारी संस्कृति के प्रतीक इन मन्दिरों के अतिरिक्त कम्पिल में अनेक छोटे-छोटे मंदिर, खण्डहर, प्राचीन कुँए आदि हैं, जो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, शिल्पियों, शोध-छात्रों आदि के लिए आकर्षण और महत्व के केन्द्र हैं।

संकिस्सा– प्राचीन काल में इसे संकास्य कहते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका उल्लेख 'कपित्थ' नाम से किया है। वर्तमान संकिस्सा जिला फर्रुखाबाद में है। इसके एक टीले पर, जो पूर्व से पश्चिम तक 455 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 303 मीटर है, कतिपय भग्नावशेष हैं। बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर यहाँ अवतरित हुए थे। यह स्थान हिन्दुओं के लिए भी पवित्र है। प्रतिवर्ष यहाँ श्रावणी मेला लगता है।

नैमिषारण्य (जिला सीतापुर)– पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा है। यह अट्ठासी हजार ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ तीस हजार तीर्थस्थल हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वाले की सिद्धि-प्राप्ति निश्चित है। नैमिषारण्य में अनेक पुण्य तीर्थ हैं जिनकी यात्रा के लिए भारत के कोने-कोने से लाखों यात्री आते हैं। महर्षि दधीचि की पुण्य स्मृति में चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में समाप्त होती है। यहाँ के कुछ तीर्थ हैं :–

चक्रतीर्थ– नैमिष के तीर्थों में चक्रतीर्थ सर्वोपरि है। इसके समान पृथ्वी तल पर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के पृथ्वी पर गिरने से एक गोलाकार कुण्ड बन गया जो चक्रतीर्थ कहलाया।

व्यास गद्दी– चक्रतीर्थ के निकट व्यास गद्दी तीर्थ है, जहाँ व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया तथा पुराणों की रचना की थी।

सूत गद्दी– यहाँ सूत और शौनक संवाद हुआ था।

श्री ललिता देवी का मन्दिर – यह स्थान चक्रतीर्थ के निकट ही है। कहते हैं कि ब्रह्माजी के आदेश से यहाँ ललिता नामक शक्ति ने अवतरित होकर ब्रह्मा जी के चक्र की शिखा पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया था। भक्तजनों में इस मंदिर का बहुत महत्व है।

श्री हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डव– यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। जनश्रुति के अनुसार हनुमान जी अहिरावण का वध कर श्रीराम तथा लक्ष्मण को लेकर इसी स्थान पर पाताल तोड़कर प्रकट हुए थे। यहीं पर पाण्डवों का भी मंदिर है। पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय यहीं निवास किया था।

मिश्रिख– नैमिषारण्य से 10 कि.मी. दूरी पर मिश्रिख स्थित है। कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिख पड़ा। यहाँ महर्षि दधीचि आश्रम और सीताकुण्ड दर्शनीय है।

गोरखनाथ मन्दिर (गोरखपुर)– जिस स्थान पर महायोगी गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बाँटा था और चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थापित है। इस नगर का नाम तभी से महायोगी के नाम पर गोरखपुर पड़ा। महायोगी जी की यह तपस्थली है और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ है।

शुक्रताल (जिला मुजफ्फरनगर)– यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। कार्तिक में पूर्णमासी एवं एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायियों के मन्दिर हैं।

भरत कुण्ड– जिला अयोध्या से 25 कि.मी. दूर नन्दिग्राम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरत जी ने श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि में 14 वर्ष तक तपस्या की थी।

किछौछा (जिला अम्बेडकर नगर)– यहाँ मुस्लिम संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह है।

बांगरमऊ– यह जिला उन्नाव में एक छोटा सा कस्बा है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित राजराजेश्वरी श्री विद्या का मन्दिर है। इसमें जगदम्बा की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा है, जो अष्ट धातुओं के मिश्रण से बनी है। मन्दिर कुण्डलिनी-योग विचारधारा पर आधारित है तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट महत्व का है।

बांसा– बाराबंकी से लगभग 16 कि.मी. दूर स्थित बांसा मुसलमानों के लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है।

बाराबंकी– लखनऊ से लगभग सत्ताइस कि.मी. की दूरी पर जनपद बाराबंकी है, जहाँ महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यहाँ महादेव की स्थापना, कहा जाता है कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। किन्तूर ग्राम में महारानी कुन्ती द्वारा स्थापित कुन्तेश्वर मन्दिर है। इसी जनपद के ग्राम बदोसराय में हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक सलामत शाह की मजार है।

अतरंजीखेड़ा : अतरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्त युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में 'अतरंजीखेड़ा' को 'पि-लो-शा-न' कहा है। अतरंजीखेड़ा से गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतया चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति से सम्बद्ध हैं। इस युग में 1000 ई.पू. के लौह-प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड तथा कटे निशान वाले पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग को उत्तर वैदिक युग से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता है। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के चरण में अतरंजीखेड़ा एक नगर के रूप में उभरा था। यहाँ के लोग प्रायः कृषिजीवी और स्थिर प्रवृत्ति के थे। अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्तों से सम्बद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अयाज्सा था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है, इस कारण अयोध्या की एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी रही है। यही कारण है कि अयोध्या में उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद युग में अयोध्या कोशल जनपद की प्रमुख नगरी थी। बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। जैन ग्रन्थों में आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना गया है। अयोध्या नगरी भारत की सप्तमहापुरियों में से एक है। इस नगरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान का गौरव प्राप्त है। यह नगरी बहुत समय तक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी रही। इस नगरी में श्री राम, सीता और दशरथ से सम्बन्धित अनेक स्थान हैं। अयोध्या पर बैक्ट्रियाई यूनानियों के आक्रमण हुए थे। अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त हुआ है। गुप्तों के काल में अयोध्या प्रमुख नगरी थी। साकेत इस क्षेत्र का ही नाम है। ह्वेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मन्दिरों का उल्लेख किया है।

अहिच्छत्र : अहिच्छत्र की समता (पहचान) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गयी है। उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित होने के कारण अहिच्छत्र में नागरिक विकास के तत्व उभरे थे, इस कारण यहाँ से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी

पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था। ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी समय के 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष भी प्राप्त हुए हैं।

आलमगीरपुर : आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैन्धव सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। यह स्थल उत्तर-हड़प्पा सभ्यता का भी केन्द्र था। आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

आगरा : आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित महानगर है। आगरा की स्थापना 1504 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी, उसने इसे सामयिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक-राजनीतिक केन्द्र बनाया था। मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक-आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की भी यह राजधानी रही थी। जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहाँ ने किले में अनेक भव्य भवन निर्मित कराकर आगरा को वैभव प्रदान किया था। इन भवनों में जहाँगीरी एवं अकबरी महल प्रमुख थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्यकला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं। मुगलकाल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यह व्यावसायिक केन्द्र के रूप में समस्त भारत में चर्चित था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। सभी यूरोपियन यात्रियों (राल्फ फिच, बर्नियर, आदि) ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।

कन्नौज : प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से चर्चित कन्नौज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में यह प्रदेश का जनपदीय नगर है और गंगा नदी तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण कन्नौज का आर्थिक महत्व ईसा पूर्व शताब्दियों से रहा था। कन्नौज का उल्लेख टॉलेमी के 'द ज्योग्राफी' एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा सभी पुराणों, महाभारत एवं चीनी यात्रियों (फाह्यिान, ह्वेनसांग) के यात्रा-विवरणों में प्राप्त होता है। कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों और मौखरियों के समय यह प्रमुख नगर था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। ह्वेनसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उस समय कन्नौज 'नगरमहोदय श्री' कहलाता था। हर्षोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का कारण इस नगर का वैभव व आर्थिक-राजनीतिक महत्ता थी। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था। 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। मुहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था। कन्नौज शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केन्द्र लगभग 1000 वर्षों तक बना रहा था। यहाँ हिन्दू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा-विधि प्रचलित रही थी। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन-अध्यापन किया था। राजशेखर, भवभूति, वाण कन्नौज से सम्बद्ध रहे थे। ह्वेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक ने स्तूप निर्मित कराया था। इस प्रकार कन्नौज प्राचीन व मध्यकाल का चर्चित नगर था। यहाँ हजारों वर्ष पुराने खण्डहर, मंदिर और मस्जिद पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें से कुछ हैं :–

क्षेमकली देवी का मन्दिर– यह अब भी जिले के पूर्वी किनारे पर एक चबूतरे पर सुशोभित है। क्षेमकली देवी राजमहल की प्रमुख देवी थीं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्य प्रारम्भ किया जाता था। इसी स्थान पर सम्राट जयचन्द्र की तोप रखी रहती थी।

पद्मावती सती मन्दिर– कन्नौज से 5 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में देवरिया ताल के पूर्वी तट पर लाखन की रानी पद्मावती सती हुई थीं जिनकी पुण्य स्मृति में पद्मावती सती मन्दिर बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन भी होता है।

जयचन्द्र के किले के अवशेष– राजा जयचन्द्र के किले की अवशेष यहाँ पाये जाते हैं।

राजा जयचन्द्र की सोलहद्वारी तथा बारहद्वारी– कन्नौज से 3 कि.मी. की दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ आल्हा और ऊदल की कचहरी लगती थी। यहाँ आज भी प्राचीन भवनों के अवशेष उपलब्ध हैं। चिन्तामणि मन्दिर, गौरीशंकर मन्दिर, मकदून जहानियाँ की मस्जिद, हाजी शरीफ मंदिर, अजयपाल, जामा मस्जिद, बालापीर, फूलवती देवी का मंदिर आदि दृष्टव्य हैं।

कपिलवस्तु : कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गयी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) इसके समीप ही है। यह क्षेत्र तराई में है। कपिलवस्तु के विषय में पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों तथा पुरातात्विक अवशेषों से विशेष प्रकाश पड़ता है। कपिलवस्तु का अर्थ कपिल ऋषि के वास (स्थान) से लगाया गया है। बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। कुषाणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल रहा था, इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक-व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे।

कुशीनगर : कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गयी है। दिव्यादान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से कुशीनगर की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण (483 ई.पू.) कुशीनगर में ही हुआ था। गुप्तकाल तथा कुशीनगर का प्रमुख महत्व स्थापित रहा था। श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इसका आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। प्रमुख बौद्ध नगरी होने के कारण अशोक के समय में कुशीनगर में अनेक स्थापत्य कृतियाँ निर्मित हुई थीं। यह स्थापत्य निर्माण गुप्तकाल में भी खूब रहा था। अशोक ने यहाँ स्तूप व विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप एवं विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर के व्यापारियों एवं शिल्पियों के द्वारा मुद्रा-परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।

कौशाम्बी : कौशाम्बी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गाँव से की गयी है। वर्तमान में यह जनपद के रूप में जाना जाता है। जैन, बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से कौशाम्बी पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों में कौशाम्बी की विस्तृत चर्चा की गयी है। कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी स्वीकार किया जाता है। महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात् कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र स्थल बन गयी थी। कौशाम्बी उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल थी। मौर्योत्तर युग तक यह महत्वपूर्ण नगर रहा था; यहाँ से विमकडफिसस तथा कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मघों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक-आर्थिक महत्व प्रदान किया था। कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण के आक्रमण से विशेष

क्षति पहुँची थी। इस प्रकार दीर्घकाल तक कौशाम्बी का सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक महत्व स्थापित रहा था। बुद्ध की यह कार्यस्थली के रूप में सदैव चर्चित रही थी। यह थेरपन्थ का प्रमुख केन्द्र थी। घोषितारामविहार, अशोक का प्रयाग स्तम्भ इसके सांस्कृतिक महत्व के साक्ष्य हैं।

कड़ा : कड़ा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 64 किमी. पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण कड़ा का आर्थिक महत्व रहा था। इस कारण सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था। 1296 ई. में ही कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ई. में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में ही शरण ली थी। 1765 ई. में सन्धि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कम्पनी को कड़ा सौंप दिया था। भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।

कालिंजर : उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में कालिंजर दुर्गीकृत स्थल है। पूर्वमध्य युग में कालिंजर में राजपूतों का शासन था। बारहवीं शताब्दी के बाद से कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों से प्रभावित रहा था। 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था। 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर कालिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कालिंजर का सदैव सामयिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था।

कालपी : कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था। दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था। काल प्रियनाथ सूर्य मंदिर महर्षि वेदव्यास की जन्म स्थली, किला के ध्वंसावशेष, पाहलाल का मंदिर, बीरबल का महल, चौरासी गुम्बद महत्वपूर्ण है। कालपी में ही देवब्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी।

कोइल : कोइल अथवा कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था। इब्नबतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

गढ़वा : गढ़वा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासकों, कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दानगृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कन्दगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिये जाने की सूचना मिलती है।

चुनार : चुनार उत्तर प्रदेश में विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में चुनार सामयिक महत्व के कारण सदैव चर्चित रहा था; चुनार से पूर्वी भारत पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। चौदहवीं शताब्दी में चुनार में चन्देलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने

चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि का मन्दिर है। पास ही बल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर है, जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी की गद्दी है।

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर जिला मुख्यालय है। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। 1492 में सिकन्दर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत को अंग बना लिया था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा था। साहित्य, स्थापत्य कला (अटाला मस्जिद), संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा। इसी विशेषता के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्दी' कहा जाता था।

झाँसी : उत्तर प्रदेश का जिला नगर झाँसी मध्यकालीन नगर है; झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी। 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी। तत्पश्चात् झाँसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ई. के महान् विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी। झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अवशेष सुरक्षित हैं।

देवगढ़ : देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कृति की जानकारी ज्ञात होती है। देवगढ़ में मूर्तियों सहित मन्दिर प्राप्त हैं जो गुप्तकालीन हैं। इनमें दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यह भगवान विष्णु का मन्दिर पाषण-स्थापत्य का सुन्दर प्रतीक है। नव तथा सिह की गुफा देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। यहाँ से चन्देलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।

ललितपुर : कला इतिहास की नगरी ललितपुर गुप्त कालीन मूर्तिकला तथा आदिमानव की गुफाओं में मौजूद भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चाँदपुर-जहाजपुर, दुघई, रणछौर जी, सीरोन, पबा, आल्हा, उदल की बैठकी मदनपुर, नीलकंठ शिव मंदिर वाली, तालवेहट तथा बानपुर का किला, हजारिया महादेव आदि प्रसिद्ध स्थल हैं।

प्रयागराज : प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है। मौर्योत्तर युग के पश्चात् के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थिति रही, उस समय दोआब की उपजाऊ भूमि में स्थित प्रयाग का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व बहुत बढ़ता चला गया। गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक-राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया था। प्रयागराज से अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। एस.आर. गोयल का कथन है कि पाटलिपुत्र के पूर्व प्रयागराज गुप्त सामन्तों की राजधानी भी रही थी। गुप्तों के सम्राट बनने के उपरान्त प्रयाग उनकी धार्मिक-सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन गुर्जर-प्रतिहारों, चन्देलों, गहड़वालों का आधिपत्य प्रयागराज पर स्थापित रहा था। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' नाम दिया जो आज सर्वाधिक प्रचलित-चर्चित है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व (त्रिवेणी संगम) के कारण सदैव रहा है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था। कालिदास, कल्हण, अल्बरूनी ने प्रयागराज के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की चर्चा की है।

फतेहपुर सीकरी : फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है। मध्यकाल में अकबर ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की थी; अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे। सलीम (जहाँगीर) का जन्म यहीं हुआ था। तत्पश्चात् अकबर ने यहाँ शानदार स्थापत्य स्मारक बनवाये। 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

बाँसखेड़ा : उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से प्राप्त हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख इतिहास स्त्रोत है। इससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। बांसखेड़ा, अभिलेख में पुष्यभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों का उल्लेख है। राज्यवर्द्धन के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है। इस अभिलेख में प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों एवं दातव्य गाँवों पर लगने वाले करों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, साथ ही इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।

बदायूँ : बदायूँ उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत काल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता स्वीकार की जाती थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का ही इक्तादार था। सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूँ के ही थे। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी भी बदायूँ का था। दिल्ली-लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केन्द्र स्थल था अतः इसका व्यापारिक-आर्थिक महत्व था। दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में भी महत्व स्थापित था।

बरन : वरन उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला किया था। 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था। 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का ही निवासी था।

भीतरगाँव : भीतरगाँव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है; इसका सम्बन्ध गुप्तकालीन मन्दिर निर्माण शैली से है। गुप्तकाल में छोटी-पकी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मन्दिर का अवशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मन्दिर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बना था। भीतरगाँव के मन्दिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना है। मन्दिर की छत पिरामिडाकार है, इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।

मेरठ : उत्तर प्रदेश के जिला नगर के रूप में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध रहा है। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। 10 मई, 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था।

राजघाट : राजघाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट ऐतिहासिक महत्व से युक्त जानकारियों से सम्बद्ध पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करता है। वर्तमान में राजघाट वाराणसी नगर का उपभाग है। राजघाट से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाराणसी महाजनपद युग में काशी महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ के शिल्प और व्यापारी समृद्ध थे, जिन्होंने नगर में अपने सिक्के प्रचलित किये थे। विविध प्रकार के शिल्पों का यहाँ विकास हुआ था। पतंजलि ने यहाँ के रेशम-वस्त्र शिल्प का उल्लेख किया है। यह मध्य एशिया और यूनानी-रोमन संसार से व्यापारिक सम्पर्क रखता था। ह्वेनसांग ने भी यात्रा-विवरण में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गुप्तकाल में इसका

अत्यधिक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व था। शिक्षा, दर्शन का केन्द्र स्थल था: अल्बरूनी भी इसके सांस्कृतिक प्रभाव से मुग्ध था।

सरायनाहर राय : सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ई.पू. मानी गयी है। मध्यपाषाण युग तथा स्तम्भगर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।

श्रावस्ती : श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है। श्रावस्ती की पहचान बहराइच-गोण्डा जिलों के मध्य सेहट-मेहट गाँव से हुई है। श्रावस्ती से महाजनपद युग से गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक महत्व रखती थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। यहाँ के साहूकार अनाथपिण्डक ने जेतवनमहाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे। आजीवक सम्प्रदाय के महान् प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणों में श्रावस्ती का विस्तृत उल्लेख किया है।

सारनाथ : उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर से 12 किमी. दूर स्थित सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपतन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के रूप में प्रसिद्ध था। यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से सम्बद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह-शीर्ष प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था। स्वतन्त्र भारत का राज चिह्न इसी सिंह-शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का लघु लेख भी उत्कीर्ण है। फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी, इसका विस्तृत उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में दिया है। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था; अपने यात्रा-विवरण में ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहाँ विहार और संघाराम बनवाये थे। उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

सोहगौरा : सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के तथा मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के तथा लौह वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं।

सम्भल : उत्तर प्रदेश सम्भल जिला मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था। सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण इक्ता मानी जाती थी। मुगलकाल में भी सम्भल महत्वपूर्ण स्थल था, इसका सामयिक महत्व सदैव बना रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था।

सामूगढ़ : उत्तर प्रदेश में आगरा से 16 किमी पूर्व में स्थित सामूगढ़ शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रमुख स्थल रहा था। 29 मई, 1658 ई. को यहाँ हुए युद्ध में औरंगजेब-मुराद की संयुक्त सेना को विजय प्राप्त हुई थी तथा दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हो गयी थी; युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरान्त औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था तथा अपने को बादशाह घोषित कर दिया था।

सिकन्दरा : उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के लिए चर्चित है। अकबर ने अपने जीवनकाल में इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया था परन्तु 1613 ई. में इसे जहाँगीर के राज्यकाल में पूरा निर्मित किया जा सका था। इस मकबरे में बौद्ध कला की स्थापत्य शैली का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

हुलास : हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उतर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय में भी हुलास में आवासीय बस्तियाँ थीं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती तट पर स्थित है। जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल से प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी और तब से 1856 ई. तक (वाजिद अली शाह तक) लखनऊ सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रही थी। आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया। आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाहनजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुर्शीदजादी के मकबरे बनवाये। उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बारादरी आदि इमारतें बनवाईं। प्रसिद्ध छतर मंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय हैं। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की मजार है। शाहमीना लगभग 500 वर्ष पूर्व दिवंगत हुए और मुस्लिम महीने 'रजब' के प्रथम गुरुवार को इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनके भक्त हैं। बसन्त पंचमी को आयोजित 'बसन्त की नौचन्दी' में दोनों ही भाग लेते हैं। कत्थक का यह केन्द्र रहा है। 1857 के महान् विद्रोह की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने इतिहास रचा था। लखनऊ महानगर शिया सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है। ईरान में इस्लामी क्रान्ति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गये थे। हिन्दुस्तान में रहने के कारण उन्हें ईरान में 'हिन्दल' कहा जाता था। आज भी लखनऊ, बाहर से आने वाले शिया सम्प्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है।

दर्शनीय स्थल (लखनऊ)

लखनऊ में 21वीं सदी के प्रथम दशक में सौन्दर्य के नये प्रतिमान जुड़े हैं। इनमें प्रमुख रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं।

डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर

लखनऊ की प्रतिष्ठित गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगाये गये हैं तथा शरद, वसन्त एवं वर्षा ऋतु के समय 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी इस पार्क में निवास करते हैं। पार्क में विशाल वाटरबाडी, वृहद् लॉन, फाउन्टेन व म्यूजिकल फाउन्टेन इसके स्वरूप को नया आयाम प्रदान करते हैं। महान समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया की स्मृति में विकसित इस विशाल पार्क का मुख्य भ्रमण पथ एक किमी. लम्बाई में पार्क के उत्तरी छोर को दक्षिण-पश्चिमी छोर से जोड़ता है। मुख्य भ्रमण पथ पर रफ कोटा स्टोन फिनिश तथा शेष सभी पाथवे पर विट्रीफाइड टाइल्स लगायी गयी हैं। पार्क के मध्य में एक विशालकाय पैडेस्टल पर डॉ. राम मनोहर लोहिया की 18 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके पार्श्व में 25 मीटर ऊँचाई के चार पिलर स्थापित किए गये हैं, जो कि डॉ. लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। मुख्य स्मारक के निकट विकसित अर्द्ध चन्द्र पथ पर डॉ. लोहिया के छह निकट सहयोगियों के

जीवन वृत्तान्त अंकित करते हुए स्मृति स्तम्भ निर्मित किए गए हैं। पार्क में बच्चों के प्रयोग हेतु झूले, जन सुविधाओं के दृष्टिकोण से टायलेट, बेंच आदि सुविधाएँ स्थापित की गयी हैं। सभी पाथवे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रातः व सायंकाल भ्रमण के समय कर्णप्रिय एवं मधुर संगीत बजाया जाता है।

डॉ. भीमराव आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल

लखनऊ में गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 'डॉ. भीमराव आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' 107 एकड़ (4,33,417 वर्ग मी.) क्षेत्रफल में निर्मित है। स्मारक से बढ़कर निकलने पर डॉ. भीमराव आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी और सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ दर्शनीय है।

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल 60 एकड़ (2,42,811 वर्ग मी.) में विकसित है।

बौद्ध विहार शान्ति उपवन

31 एकड़ (1,25,710 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल में विकसित यह उपवन 1.2 कि.मी. की लम्बाई में है और शारदा नहर तथा वी.आई.पी. रोड के पार्श्व में है। इस उपवन के किनारे पर संरचनाएँ और विस्तृत बगीचे हैं। इसके पार्श्व में मेल खाती हुयीं सामाजिक परिवर्तन के नायकों की प्रतिमाएँ हैं। इससे आबद्ध ध्यान कक्ष और विस्तृत पुस्तकालय है।

श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन

श्री कांशीराम जी स्मारक के समीप श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन है। लगभग 112 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस गार्डेन के अन्दर भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पार्क के अन्दर प्रवेश, पूर्वी एवं पश्चिमी चहारदीवारी पर स्थित विशाल एवं भव्य प्रवेश द्वारों द्वारा नियंत्रित किया गया है। सेन्ट्रल माउन्ड के चारों ओर एक विशाल जलाशय बनाया गया है, जिसमें फौव्वारे एवं पशु-पक्षियों की 500 से अधिक प्रतिमायें लगायी गयी हैं।

राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन

राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन यमुना नदी के किनारे 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बनाया गया है।

हुलासखेड़ा : हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं- 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल-निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के और तीन कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के। हुलासखेड़ा से जो गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में लिखी कुछ मुहरें, हाथीदाँत की कंघी, मोहर छापे, 17 छड़ों वाली लोहे की अण्डाकार वस्तुएँ प्रमुख हैं।

पर्व और मेले

प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 2,250 मेले लगते हैं। सबसे अधिक मथुरा में (86) और उसके बाद कानपुर में (79) तथा हमीरपुर में (79) मेले लगते हैं। झाँसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं।वाराणसी नगर महापालिका में फातमा (चेतगंज) में लगभग 1,00,000 आदमी मुहर्रम के दसवें दिन एकत्र होते हैं।

प्रति बारहवें और छठे वर्ष कुम्भ एवं अर्द्ध कुम्भ मेला प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। इनमें बहुत विशाल संख्या में लोग आते हैं।

सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहण के अवसरों पर गंगा स्नान के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वाराणसी एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर एकत्र होते हैं।

राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों द्वारा लगभग 40 त्योहार मनाये जाते हैं। हिन्दुओं द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं :– शीतला-अष्टमी, रक्षाबन्धन, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, ज्येष्ठ दशहरा, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, हलषष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, दुर्गा-नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय्या दूज, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, सकट चौथ, मकर संक्रांति, वसन्त पंचमी, शिवरात्रि और होली।

बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा सिख गुरु नानक जन्मदिवस मनाते हैं। इन त्योहारों में हिन्दू भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं– रमजान, ईदुज्जुहा, मोहर्रम, ईदुलफितर, बारावफात और शब-ए-बरात। ईसाइयों के मुख्य पर्व हैं– नववर्ष दिवस, गुड-फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस।

पर्यटन उत्सवों पर लगने वाले मेले

	स्थान	उत्सव		स्थान	उत्सव
1.	लखनऊ	लखनऊ महोत्सव	2.	वाराणसी	वाराणसी पर्यटन उत्सव
3.	वाराणसी	संकट मोचन संगीत उत्सव	4.	वाराणसी	गंगा महोत्सव
5.	प्रयागराज	कुम्भ मेला	6.	प्रयागराज	अर्द्धकुम्भ मेला
7.	प्रयागराज	माघ मेला	8.	प्रयागराज	वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
9.	प्रयागराज	पर्यटन उत्सव	10.	आगरा	ताज महोत्सव
11.	आगरा	कैलाश मेला	12.	आगरा	बटेश्वर मेला
13.	आगरा	राम बारात	14.	बटेश्वर (आगरा)	ऊँट मेला
15.	मथुरा	होलिकोत्सव	16.	मथुरा (मथुरा सर्किल गोकुल)	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17.	वृन्दावन (मथुरा)	मुड़िया मेला	18.	बरसाना ब्रज (मथुरा)	लठ्ठमार होली
19.	अयोध्या	परिक्रमा मेला	20.	अयोध्या	रामायण मेला अयोध्या
21.	देवा (बाराबंकी)	देवा मेला	22.	मगहर (बस्ती)	कबीर मेला
23.	कम्पिल (फर्रुखाबाद)	कम्पिल पर्यटनोत्सव	24.	फर्रुखाबाद	राम नगरिया मेला श्रमीरामपुर मेला
25.	कन्नौज	कन्नौज पर्यटनोत्सव	26.	चित्रकूट	रामायण मेला
27.	मेरठ	नौचँदी मेला	28.	सरधाना (मेरठ)	सरधाना महोत्सव
29.	झाँसी	झाँसी आयुर्वेद महोत्सव	30.	बाँदा	कालिन्जर मेला
31.	कानपुर	बिठूर गंगा महोत्सव	32.	एटा	सोरों मेला
33.	गोरखपुर	खिचड़ी मेला	34.	उत्तर प्रदेश	गंगा दशहरा
35.	उत्तर प्रदेश	नकैया चेतगंज	36.	सैफई (इटावा)	सैफई महोत्सव

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

कबीर : कबीर का जन्म 1425 ई. में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी की सन्तान थे, जिन्हें लोकलाज के भय से उन्हें जन्मते ही लहरतारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। निःसन्तान जुलाहा दम्पति (नीरू व नीमा) ने उसे पाला-पोसा और उसका नाम 'कबीर' रखा था जिसका अर्थ होता है 'महान'; इस प्रकार कबीर का प्रारम्भिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ। कबीर की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई थी, उनका ज्ञान जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आघात किया तथा समाज-सुधार करने की लोगों को प्रेरणा दी थी। मध्ययुगीन समाज-सुधारकों में कबीर का व्यक्तित्व व कृतित्व अनुपम रहा था। वे मात्र भक्त ही नहीं अपितु एक युगस्त्रष्टा, समाज-सुधारक, महात्मा तथा उच्च गुणों से युक्त महामानव थे। कबीर ने युग-युग से प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सम्मानजनक स्थान तक पहुँचाने की चेष्टा की थी, उनके आत्म-सम्मान को जगाया था।

निजामुद्दीन औलिया : निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूँ में हुआ था। 1236 ई. में जन्मे निजामुद्दीन औलिया का प्रारम्भिक जीवन कष्टप्रद था। 1256 ई. में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गये थे। उन्हीं के प्रभाव से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सम्प्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपना सम्पूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ई. में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गयी।

बाणभट्ट : बाणभट्ट हर्षवर्द्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' व 'कादम्बरी' नामक ग्रन्थों की रचना की थी, दोनों ग्रन्थों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कन्नौज में रहने वाले इस महान् विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्द्धन तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी।

जियाउद्दीन बरनी : जियाउद्दीन बरनी बरन (बुलन्दशहर जिले में स्थित) का निवासी था, उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फीरोजशाही' 1265 ई. से लेकर 1358 ई. तक के इतिहास की घटनाओं को अभिव्यक्त करती है। इतिहासकार बरनी के सम्बन्ध सुल्तानों से रहे थे, मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक के सम्पर्क में वह रहा था, अतः उसकी कृति समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश घटनाओं का वह चश्मदीद साक्षी रहा था। बरनी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति 'फतवा-ए-जहांदारी' तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

अमीर खुसरो : अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा का महान् कवि व इतिहासकार था, उसने हिन्दी (हिन्दवी) में भी रचनाएँ की थीं। वह अपने को भारतीय तोता कहता था। उसे भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। वह सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर चुका था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये रचनायें हैं- केरानुस्सादैन, मिफताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवलरानी-खिज्र खाँ, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह।

शेख फैजी : शेख फैजी का जन्म 1547 ई. में आगरा में हुआ था। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। मुगल सम्राट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गया था। अकबर ने शीघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया। शेख फैजी स्वतन्त्र विचारों वाला विद्वान था। धर्मान्धता का विरोध होने के कारण अकबर का कृपापात्र था। शेख फैजी अकबर के काल का श्रेष्ठ कवि व विद्वान था। बदायूँनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्साशास्त्र निबन्ध रचना में अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का शेख फैजी सदस्य था। 1595 ई. में शेख फैजी की मृत्यु हो गयी थी।

अबुल फजल : अबुल फजल का जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएँ 'अकबरनामा' व 'आइने-अकबरी' अकबरकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी का विद्वान था। अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतृत्व किया था। 1602 ई. में दक्षिण से वापसी के मार्ग में वीरसिंह बुन्देला ने, शाहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी।

राजा टोडरमल : राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्यरत हो गया था। सूरवंश के पतन के पश्चात् उसने मुगलों की सेवा प्रारम्भ की तथा अपनी योग्यता से वह अकबर का दीवान बन गया था। अन्ततः अकबर उसकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हुआ और उसे प्रधानमन्त्री का पद प्रदान किया। टोडरमल ने अपनी योग्यता व परिश्रम से मुगलों की भू-व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान कर व्यवस्थित किया। इसी कार्य से वह इतिहास में चर्चित हो गया। टोडरमल ने दहसाला बन्दोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। भूमि की नाप कराकर, उपज का सही मूल्यांकन करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया था। भूमि के आधार पर ही भूमिकर निर्धारित किया गया था, इस भू-व्यवस्था से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। टोडरमल एक योग्य वित्तमन्त्री के साथ-साथ कुशल सैन्य संचालक भी था। 1565 ई. में उसने उजबेगों के दमन में, 1568 ई. के रणथम्भौर अभियान में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था। टोडरमल 1589 ई. को इस संसार से विदा हो गया और अपनी अक्षयकीर्ति को सदैव के लिए छोड़ गया था।

बीरबल : बीरबल का जन्म कालपी (जिला जालौन) में 1528 ई. में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण थे, उनका मूल नाम महेशदास था। वह प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण बुद्धि का कवि हृदय का हास्यप्रिय व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवां नरेश रामचन्द्र बघेल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था तत्पश्चात् उन्हें आमेर के राजा भगवानदास ने आश्रय दिया, जहाँ से वह अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में सम्मिलित किये गये थे। बीरबल ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था। 1583 ई. में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किये गये। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2,000 का मनसबदार बनाया था तथा 'कविराज' की उपाधि दी थी। 1586 ई. में बीरबल युसुफ जाइयों के साथ युद्ध में मारे गये।

तात्या टोपे : तात्या टोपे का मूल नाम 'रामचन्द्र' था। तात्या उन्हें स्नेह से कहा जाता था, अतः वह तात्या कहे जाने लगे। बिठूर में अंग्रेजों द्वारा पेन्शन प्राप्त पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उनका पालन-पोषण किया था; वे उन्हें तात्या टोपे कहते थे, इसी नाम से वे चर्चित हुए। पेशवा बाजीराज द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपन्त की पुत्री मनु (लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित) भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल (बिठूर में) में रहती थी अतः तीनों को साथ-साथ अपना बचपन बिताने का अवसर प्राप्त हो गया; उन तीनों में एक-दूसरे के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था और वे सदैव एक साथ सहयोगी की भाँति रहे थे। तात्या टोपे ने सदैव नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। 1857 ई. के महासमर में उसने (तात्या टोपे ने) अपनी गनीमी कावा रणनीति (छापामार रणनीति), अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अन्ततः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को छल से 7 अप्रैल, 1859 ई. को गिरफ्तार कर लिया और 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल, 1859 ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया। निःसन्देह कानपुर, बिठूर, झाँसी, काल्पी सभी स्थानों पर उसने अंग्रेजों को 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता

संग्राम में धूल चटा दी थी। अंग्रेज उसके नाम से थर्राते थे। भारत के इतिहास में तात्या टोपे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

महारानी लक्ष्मीबाई : महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका पालन-पोषण बिठूर के महल में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देख-रेख में हुआ था। वह मोरोपन्त की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव स्नेह से 'छबीली' कहते थे; पेशवा के स्नेह से ही उसने घुड़सवारी, तलवार चलाने की कला सीखी। सयानी होने पर उसका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हो गया और तब मनू (मणिकर्णिका) का नाम महारानी लक्ष्मीबाई हो गया। परन्तु वह कुछ ही समयोपरान्त विधवा हो गयीं; अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी 'हड़प नीति' द्वारा झाँसी राज्य को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च, 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने का कम्पनी सरकार से प्रयास किया परन्तु असफल रहीं। अतः वे अंग्रेजों के प्रति क्षोभ व क्रोध से दग्ध हो गयी थीं। अन्ततोगत्वा 1857 ई. के महासमर में उन्होंने झाँसी में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। 7 जून, 1857 ई. को झाँसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। लगभग दस माह बाद मार्च 1858 ई. में नये अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोज ने पुनः संघर्ष प्रारम्भ किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया, इसमें अंग्रेज जनरल बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु अल्प साधनों द्वारा वे अधिक समय तक विस्तृत अंग्रेजी साधनों का सामना करने में असमर्थ हो गयीं; फिर भी उसने आत्म-समर्पण नहीं किया, अन्ततः उनके इस महासंघर्ष में सभी सैनिक शहीद हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी 18 जून, 1858 ई. को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। भारतीय इतिहास में इस वीरांगना का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उसने अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी; रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व साहस से अंग्रेज भी प्रभावित थे। महारानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था, ''विद्रोहियों में अगर कोई जवांमर्द था तो वह झाँसी वाली रानी थी।''

रानी दुर्गावती : बुन्देलखण्ड के राठ-महोबा के चन्देल राजा शालिवाहन की पुत्री दुर्गावती विंध्यांचल-सतपुड़ा के अंचल में राज करने वाले स्थानीय गौढ-गढ राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु थी। पति दलपत शाह के निधन के बाद अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में उन्होंने चौदह वर्ष (सन् 1550-1564 ईस्वी) तक शासन किया। उन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर और आक्रान्ता मियाना अफगानों को तो परास्त किया ही, मुगल बादशाह अकबर के भेजे सेनापति आसफखान को कड़ी टक्कर दी थी। युद्ध क्षेत्र में ही खुद को कटार घोंप कर आत्म बलिदान कर एक गौरवशाली इतिहास रच दिया।

नाना साहब : नाना साहब का नाम भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संघर्ष में चिरस्मरणीय है। नाना साहब का प्रारम्भिक नाम गोविन्द था परन्तु वे अपने परिवार में 'घोड़ोपन्त' के नाम से चर्चित थे। उनका पालन-पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में किया था तथा प्यार में वे 'नाना' कहलाने लगे थे। पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेन्शन से नाना को वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने कम्पनी सरकार के विरुद्ध अपील करने हेतु अजीमुल्ला को इंग्लैण्ड भेजा परन्तु असफलता ही हाथ लगी, फलस्वरूप 1857 के महासमर में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार ने नाना को पकड़ने हेतु एक लाख रुपये की घोषणा की थी, परन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका; वे अन्तिम दौर तक संघर्षरत रहे यद्यपि अंग्रेजों के विस्तृत साधनों के समक्ष वे सफल न हो सके। अन्ततः वे नेपाल के जंगलों की ओर पलायन कर गये, परन्तु अपनी वीरता, साहस की गाथा अपने भारतीय लोगों के लिए छोड़ गये जो उन्हें अनुप्राणित करती रही और सदैव प्रेरित करती रहेगी।

बेगम हजरत महल : 1857 ई. के सैनिक विद्रोह व प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों की कैद में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में थे, अतः अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम

हजरतमहल के हाथों में थी। उसने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस संघर्ष में बेगम हजरतमहल ने अवध के किसानों तथा जमींदारों का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया था। अवध में 30-31 मई, 1857 ई. को भीषण संघर्ष का सूत्रपात हो गया; संघर्ष व्यापक हो गया और अंग्रेजों को भागना पड़ गया। परन्तु बेगम हजरत महल के साधन अल्प थे, अंग्रेजों को पंजाब व नेपाल से सहायता प्राप्त हो गयी और उन्होंने सितम्बर 1858 ई. में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने पराजित होने पर भी आत्म-समर्पण नहीं किया, वे 1564 में नेपाल पलायन कर गयीं, परन्तु अपनी वीरता, साहस तथा देशभक्ति से सम्पूर्ण भारतवासियों को गौरव पथ पर चलने के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गयीं। इतिहास में वे सदैव स्वर्णअक्षरों में अंकित रहेंगी।

अजीजन बेगम : 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने-गाने वाली महिला अजीजन बेगम का नाम विशेष चर्चित है। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, दुर्भाग्य की थपेड़ों से वे कानपुर आईं और उस समय की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने-गाने का काम करने लगीं; यहीं उनका सम्पर्क क्रान्तिकारियों से हुआ। नाना साहब के आह्वान पर अजीजन बेगम ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया; शीघ्र ही वे महिला सशस्त्र दल की नेता बन गयीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अजीजन बेगम को एक योद्धा के रूप में वर्णित करते हुए लिखा है, ''घोड़े पर सवार सैनिक वेश-भूषा में अनेक तमगे लगाये और हाथ में पिस्तौल लिए अजीजन बिजली की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदती चली जाती थी, उसके साथ महिलाओं की घुड़सवार टुकड़ी भी घूमा करती थी। सैनिकों को हथियार देना, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाना एवं घायलों की देखभाल करना, उसके प्रमुख कार्य थे।'' पं. सुन्दरलाल ने अपनी पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज' में लिखा है कि कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम ही थी। सम्भवतः ऐसा उसने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों के कारण क्रोध और घृणा के आवेश में किया होगा। अन्ततः अजीजन को गिरफ्तार कर अंग्रेज कमाण्डर सर हेनरी हेवलाक के समक्ष लाया गया। एक मुस्लिम क्रान्तिकारी (अजीमुल्ला खाँ) का पता बताने की शर्त पर उसे माफी देने का वायदा किया गया। अजीजन ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया फलस्वरूप उसे गोली से उड़ा दिया गया। गोली लगने से ठीक पहले उसने जयघोष किया, ''हिन्दुस्तान अमर रहे'' और फिर शहीदों की टोली में मिल गयीं।

सर सैयद अहमद खाँ : सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था। 1839 ई. में उन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारम्भ की। 1857 ई. में वह सदर अमीन नियुक्त थे। 1876 ई. में सर सैयद अहमद खाँ सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज-सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे। मुसलमानों में नयी शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल स्कूल स्थापित किया व 1878 ई. में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आन्दोलन चलाया था। 1898 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी।

मोतीलाल नेहरू : पं. मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 ई. में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में वकालत प्रारम्भ की, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए। उनकी गणना भारत के महान् वकीलों में की जाती थी। स्वदेशी आन्दोलन के दौर में उन्होंने राजनीति में सक्रियता प्रदर्शित की थी। 1919 ई. में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के उपरान्त उन्होंने स्वराज दल गठित किया। साइमन कमीशन के विरोध करने के पश्चात नेहरू रिपोर्ट तैयार की जो आधुनिक संविधान

का ब्लू प्रिण्ट स्वीकार की जाती है। 1930 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, ''मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी।''

पं. मदन मोहन मालवीय : पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 दिसम्बर, 1861 ई. को हुआ था; शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे शिक्षक बने तथा समाज सेवा भी प्रारम्भ की। 1902 ई. में वे संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित हुए थे। 1910 ई. से 1920 ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में आयोजित) में भाग लिया था। 1934 ई. में 'साम्प्रदायिक निर्णय' का उन्होंने घोर विरोध किया था। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। मालवीय जी भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बनारस (अब 'वाराणसी') में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की (1918 ई. में)। 1946 ई. में मालवीय जी की मृत्यु हो गयी थी।

पं. जवाहरलाल नेहरू : स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। उनके पिता पं. मोतीलाल नेहरू भारत के प्रतिष्ठित वकील थे। पं. जवाहरलाल नेहरू पर उनके शिक्षक ब्रुक्स का बहुत प्रभाव था। ब्रुक्स ने उन्हें मानवता का पाठ बहुत लगन से पढ़ाया था। जवाहरलाल की उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी; उन्होंने इंग्लैण्ड से बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में रुचि थी। 1912 ई. में भारत वापस आकर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की व इसी समय से उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया। 1916 ई. में उनका विवाह कमला से हुआ व इसी वर्ष वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये। 1923 ई. में जवाहरलाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 ई. में उन्होंने रूस की यात्रा की जिससे उनके समाजवादी विचारों में दृढ़ता आयी। 1928 ई. में लखनऊ में साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान वे लाठियों से मर्माहत हुए। 1929 ई. में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जहाँ उन्होंने घोषणा की ''हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। स्वाधीनता का अर्थ है- पूर्ण स्वतन्त्रता।'' जवाहरलाल ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में तथा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये। 1946 ई. में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतन्त्र होने पर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पद पर वे मृत्यु-पर्यन्त (27 मई, 1964 ई.) कार्यरत रहे। पं. जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ, प्रशासक, देश भक्त तथा उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 'भारत की खोज', 'विश्व इतिहास की झलक', 'आत्मकथा' लिखी जो साहित्य व इतिहास की अमूल्य निधियाँ हैं। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी है। डॉ. राधाकृष्णन ने उनके बारे में लिखा था, ''स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।''

लालबहादुर शास्त्री : लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 ई. को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गान्धी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। 1951 ई. में लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस के महामन्त्री बने थे, उसके उपरान्त उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। पं. जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (1964 ई.) के पश्चात् वे भारत के प्रधानमन्त्री बने थे। 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। 11 जनवरी, 1966 ई. को ताशकन्द में उनकी मृत्यु हो गयी थी।

चन्द्रशेखर आजाद : चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को हुआ था। उन्होंने काशी (अब 'वाराणसी') में संस्कृत का अध्ययन किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हुए और अपनी शिक्षा को रोककर आन्दोलन रत हो गये, उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने पर वे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये जहाँ अपनी वीरता व साहस की देदीप्यमान मिसाल से वे लोकप्रिय तथा चर्चित हो गये। कलेक्टर के पूछने पर उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतन्त्र', निवास स्थान 'जेल' बतलाया; इस पर क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने 15 बैंत मारने का आदेश दिया। प्रत्येक बैंत पर वे 'वन्देमातरम्' व 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते रहे थे। इस घटना के पश्चात् वे सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक प्रिय बन गये थे। उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का एक संगठन बनाया जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' कहा गया। इस संगठन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, इत्यादि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। संगठन को धन की आवश्यकता अनुभव होने पर सितम्बर 1925 ई. में सरकारी खजाने को लूट लिया जो 'काकोरी घटना' के नाम से इतिहास में अंकित है। पुलिस उन्हें बन्दी नहीं बना सकी थी। 1928 ई. में पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या में वे संलग्न थे क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने निर्दोष भारतीयों का बर्बरता से उत्पीड़न किया था; इस बार भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और वे क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलनकर्ताओं को सहयोग करते रहे थे। परन्तु 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों से घिर गये तथा बन्दी बनाये जाने के पूर्व ही उन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गये। अन्त तक वे आजाद रहे। इस साहस व वीरता तथा अटूट देशभक्ति की भावना से वे प्रत्येक भारतीय के लिए परम आदरणीय बन गये तथा भारत के स्वातन्त्र्य संघर्ष के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति जगमगाते रहेंगे।

अर्थव्यवस्था/आर्थिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जो कि 25°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3287 हजार वर्ग किमी. का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.03 प्रतिशत), के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के चौथे विशाल राज्य के रूप में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल हैं तथा इन मण्डलों में कुल 75 जनपद हैं। प्रदेश को नियोजन के दृष्टिकोण से चार आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 826 सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आर्थिक सम्भागवार कुछ प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	मद	आर्थिक सम्भाग				
		पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
1.	जनसंख्या का घनत्व (2011)	931	329	930	785	829
2.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (2011)	19.12	27.19	24.28	24.17	22.34
3.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	59.42	69.44	51.28	59.51	56.74
4.	फसल सघनता (2018-19)	166.68	143.30	167.17	157.20	162.41
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (2018-19)	82.63	68.20	96.95	87.44	87.03
6.	प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलोग्राम (2018-19)*	164.90	95.59	205.19	181.86	175.80

7.	प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य रु. प्रचलित भावों पर (2018-19) आधार वर्ष (2011-12)	8936	16206	14632	12904	12121
8.	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य रु. (2017-18)	4847	8983	42936	18019	21632
9.	प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (2017-18)	90	91	1280	423	389
10.	कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि में उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत (2020-21)	16.99	29.57	24.54	14.73	20.93
11.	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि.वा. प्रति घं.) (2020-21)	272.94	367.91	522.39	385.47	390.93
12.	ऋण जमा अनुपात (मार्च 2021)	32.24	46.08	49.22	36.44	40.84
13.	प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार स्कूलों की संख्या (2020-21)					
	क. जूनियर बेसिक	61	72	57	59	60
	ख. सीनियर बेसिक	37	49	37	33	37
	ग. हायर सेकेण्डरी	13	10	12	11	12
14.	प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यार्थियों की संख्या (2020-21)					
	क. जूनियर बेसिक	7566	6825	6232	6480	6837
ख.	सीनियर बेसिक	6764	7024	5845	5574	6220
ग.	हायर सेकेण्डरी	6524	5332	5676	3968	5693
15.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (2020-21)	2.39	3.08	2.01	2.01	2.21
16.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (2019-20)	36.44	45.97	32.94	42.58	36.68
17.	प्रति हजार आबाद मजरों पर नल द्वारा पेयजल युक्त मजरों की सं. (2020-21)	1000	1000	1000	1000	1000
18.	प्रति लाख जनसंख्या पर लोक नि.वि. के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई	131.43	144.54	90.10	105.55	111.97

* सकल बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2016-17 पर आधारित है।

(कि.मी.) (2019-20)					
19. प्रति हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर लोक नि.वि. की पक्की सड़कों की लम्बाई कि.मी. (2019-20)	1384.11	531.86	955.77	947.79	1057.98
20. विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (2020-21) 2011 के आबाद ग्रामों के आधार पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत :- सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2021, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य आय के वर्ष 2020-21 के जारी संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर -4.2% रही है। वर्ष 2019-20 में स्थिर (2011-12) भावों में सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः -0.4%, -0.4%, 9.4% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति आय रु. 65338 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से -1.2% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है- (क) प्राथमिक खण्ड-27.0%, (ख) द्वितीयक खण्ड-23.8% तथा (ग) तृतीयक खण्ड- 49.2%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2019-20 के जारी संशोधित त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी वर्ष 2019-20 के संशोधित त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़, वर्ष 2012-13 में रु. 716339 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 754331 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 780937 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 851574 करोड़, वर्ष 2016-17 में रु. 952314 करोड़, वर्ष 2017-18 में 998406 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 1043975 तथा 2019-20 में 1089409 रहा है, जो वर्ष 2012-13 में 5.1%, वर्ष 2013-14 में 5.3%, वर्ष 2014-15 में 3.5%, वर्ष 2015-16 में 9.0%, वर्ष 2016-17 में 11.8% , वर्ष 2017-18 में 4.8% , वर्ष 2018-19 में 4.6%, वर्ष 2019-20 में 3.3% तथा वर्ष 2020-21 में (-) 3.3% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013-14 में क्रमशः (-) 0.1%, 7.9% तथा 7.1%, वर्ष 2014-15 में क्रमशः (-) 0.9%, (-) 2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015-16 में क्रमशः 5.6%, 15.3% तथा 7.6%, वर्ष 2016-17 में 6.4%, 28.0% तथा 5.7%, वर्ष 2017-18 में क्रमशः 9.9%, (-)4.7% तथा 8.6%, वर्ष 2018-19 में 5.3%, 1.0% तथा 6.3% तथा वर्ष 2019-20 में (-)3.5, (-) 0.1 तथा 8.5 तथा 2020-21 में क्रमशः (-)2.3, (-) 6.0, (-)4.3% रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों पर)

प्राथमिक खण्ड : इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन शृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी शृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे।

- स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमशः 4.9%, 6.2%, 3.7% 6.5% तथा 1.7% की वृद्धि हुई है तथा 2020-21 में (-) 0.02% है।
- पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 3.7%, 3.4%, 5.1%, 4.2% तथा 5.1% की वृद्धि हुई तथा 2020-21 में (-) 12.7% है।
- मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में क्रमशः 2.1%, 22.4%, 1.8%, 5.3% तथा 5.5% की वृद्धि हुई तथा 2020-21 में 6.7% है।
- खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः (-) 32.4%, 9.5%, 105.8% तथा (-) 3.9% तथा 49.2%की वृद्धि हुई तथा 2020-21 में 43.5% है।

स्थायी भावों पर माध्यमिक खण्ड : माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (-) 2.0%, 15.3%, 28.0%, (-)4.7%, 1.0% तथा (-)0.1% एवं वृद्धि हुई एवं 2020-21 में (-)6.0% है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 26.4%, 47.0%, (-)10.9%, (-)5.8% तथा (-)3.3% की वृद्धि हुई एवं 2020-21 में -7.3% है।

स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमशः 6.3%, 14.3%, 11.6%, 0.6%, 6.6% तथा 2020-21 में 1.0% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 5.2%, 6.6%, 3.6%, 10.8% तथा 2.9% की वृद्धि हुई एवं 2020-21 में (-)5.6% है।

तृतीयक खण्ड : अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन-संचार-व्यापार", "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 7.6%, 5.7%, 8.6%, 6.3% तथा 8.5% की वृद्धि हुई तथा 2020-21 में (-)4.3% की वृद्धि हुई है। ।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में रु. 777206 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में रु. 948993 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु.1057651 करोड़, वर्ष 2016-17 में रु. 1196900 करोड़, वर्ष 2017-18 में रु. 1323457 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में रु. 1443527 तथा रु. 1551896 करोड़ रहा तथा वर्ष

2020-21 में 1545013 करोड़ रहा है।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2019-20 के संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2019-20 व 2020-21 में क्रमशः रु. 66136 एवं 65338 हो गयी है एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्रमशः 6.0 तथा (-) 1.2 प्रतिशत रही हैं। स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2019-20 व 2020-2021 में क्रमशः रु. 42888 एवं रु. 40310 हो गयी एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में क्रमशः 0.9 प्रतिशत तथा (-)16.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है जैसे कि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:

तालिका

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय (रु.में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गतवर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011-12	32002	-	32002	-
2012-13	35812	11.9	32908	2.8
2013-14	40124	12.0	34044	3.5
2014-15	42267	5.3	34583	1.6
2015-16	47118	11.5	36973	6.9
2016-17	52671	11.8	40847	10.5
2017-18	59944	10.0	41771	2.3
2018-19	62380	7.7	42523	1.8
2019-20	66136	6.0	42888	0.9
2020-21	65338	-1.2	40310	-6.0

लोक निधि-

प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रदेश के कर-करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है।

1. राजस्व प्राप्ति-

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं- कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रु. 3,66,393.17 करोड़ के कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रु. 2,04,530.91 करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रु. 1,61,862.26 करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत (करोड़ रु. में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियाँ
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
2016-17	85966.25	28944.07	109427.96	32536.87	256875.15
2017-18	97393.00	19794.86	120939.14	40648.45	278775.45
2018-19	120121.85	30100.71	136766.46	42988.49	329977.51
2019-20	122825.83	81705.08	117818.30	44043.96	366393.17
2020-21 (पु.अ.)	124866.94	10811.92	98618.07	72504.73	306801.66

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2019-20 के वास्तविक आकड़ों के अनुसार 55.82 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 44.18 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

2. राजस्व व्यय-

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं- राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 की अवधि में राजस्व व्यय तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राजस्व व्यय के मुख्य घटक (करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
2015-16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016-17	236592.26	88254.82	91861.12	45834.16	10642.16
2017-18	266223.52	105781.67	84251.68	64634.76	11555.41
2018-19	301727.96	131057.25	91311.73	67528.59	12100.39
2019-20	298833.04	117674.86	103848.76	62809.42	14500.00
2020-21(पु.अ.)	319962.43	127264.93	112573.07	64624.41	15500.02

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय कि श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घटकर 37.3 प्रतिशत के स्तर तक आ गया था परन्तु इसके उपरान्त इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं।

3. वेतन, पेंशन, ब्याज-

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+ पेंशन+ ब्याज
2016-17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017-18	84,160.43	38476.49	29,135.83	1,51,772.75
2018-19	90,262.88	44,023.94	32,042.09	1,66,328.91
2019-20	1,01,780.77	49,603.45	34,813.02	1,86,197.24
2020-21(पु.अ.)	109914.47	52463.74	38379.38	200757.59

4. पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूँजीगत परिव्यय पर ही निर्भर होता है। पूँजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर ऋण राहत के एक बड़े अंश का मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017-18 में कमी परिलक्षित हो रही हैं। किन्तु आगामी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के सार्थक प्रयास किये गये है।

5. ऋण का उपयोग-

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियंत्रित होकर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ऋण लेना बुरा नहीं है। बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाये।

6. राजकोषीय घाटा-

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत होता है। वर्ष 2016-17 में यह 3.30 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2019-20 में घटकर -0.66 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा- ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10% से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25-0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गयी अर्थात शर्त

पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा की सीमा तक जा सकते हैं।

7. राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता-

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता (करोड़ रु. में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	49,674.02	44,886.05	3,73,417.33
2017-18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	4,08,716.49
2018-19	2,35,356.93	55,736.67	54,907.14	49,674.02	49528.48	4,45,203.24
2019-20	2,89,383.00	50,614.60	58,220.80	49,674.02	52,075.13	4,99,967.55
2020-21 (पु.अ.)	3,63,987.00	45,492.53	59,978.66	45,358.86	51,092.54	5,65,909.59

***अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।**

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील हैं जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2019-20 तक कुल ऋणग्रस्तता रु. 499967.55 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2020-21 के अन्त तक इसके रु. 5,65,909.59 करोड़ तक होने का अनुमान है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल ऋण ग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋण ग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिए ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है।

प्रदेश में बैंकिंग नेट वर्क

प्रदेश में जून 2021 तक कुल 19045 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

क्र.सं.	बैंकिंग केन्द्र	बैंक शाखाओं की संख्या (जून 2021)
1.	बैंक शाखा	19045
2.	एटीएम	18713
3.	बैंक मित्र	68585
4.	इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक	75

कृषि, वन एवं पर्यावरण

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर क्षेत्र विशेष हेतु विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

प्रदेश में देश का लगभग 21 प्रतिशत खाद्यान्न, 10.8 प्रतिशत फल और 15.4 प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में 28.3 प्रतिशत एवं स्थायी भावों पर 25.5 प्रतिशत का योगदान है।

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल है। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये है, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आंकलित किये जाते थे। विगत् वर्षों में प्राथमिक खण्ड के उप-खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है:-

प्राथमिक उप-खण्डों का स्थायी भावों पर वृद्धि दर

(आधार वर्ष 2011-12)

क्र. सं०	उप-खण्ड	वर्षवार वृद्धि प्रतिशत					
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	कृषि, वानिकी एवंमत्स्यन	4.2	6.2	3.7	6.5	1.7	(-)0.02
2.	फसलें	4.9	6.6	3.6	7.7	0.4	5.1
3.	पशुधन	3.7	3.4	5.1	4.2	5.1	(-)12.7
4.	वानिकीऔरलट्ठाबनाना	0.6	10.9	0.1	4.3	0.4	(-)0.7
5.	मत्स्ययन औरजलीय कृषि	2.1	22.4	1.8	5.3	5.5	6.7
6.	खननऔरउत्खनन	32.4	9.5	105.8	-3.9	-49.2	43.5
	क-प्राथमिक(1+6)	5.6	6.4	9.9	5.3	-3.5	2.3

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद् तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में क्रमशः 4.2, 6.2, 3.7, 6.5, 1.7 एवं (-)0.02 प्रतिशत तथा फसल उपखण्ड में क्रमशः 4.9, 6.6, 3.6, 7.7, 0.4 एवं 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूलय वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में क्रमशः 0.6, 10.9, 0.1, 4.3 तथा 0.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2020-21 में -0.7 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई हैं।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय,भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में क्रमशः 3.7, 3.4, 5.1, 4.2, 5.1 एवं -12.7 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में क्रमशः 2.1%, 22.4%, 1.8%, 5.3%, 5.5% तथा 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा कै०सां० कार्या०, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में क्रमशः 32.4, 9.5, 105.8, (-) 3.9 तथा (-) 49.2 तथा 43.5 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
			वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1.	कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2.	कृषि श्रमिक	लाख	134.01	199.39	24.8	30.3
3.	पारिवारिक उद्योग	लाख	30.31	38.99	5.6	5.9
4.	अन्य	लाख	153.84	229.19	28.5	34.8
	योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

उक्त तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

भूमि उपयोगिता

वर्ष 2018-19 के भू-उपयोग सांख्यिकीय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24170 हजार हेक्टेयर है जिसमें 1714 हजार हे. वन क्षेत्र, 442 हजार हे. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, 3169 हजार हे. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 388 हजार हे. कृषि अयोग्य भूमि, 70 हजार हे. स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, 269 हजार हे. अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि, 986 हजार हे. वर्तमान परती तथा 594 हजार हे. भूमि अन्य परती की है। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 26859 हजार हे. कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें 16538 हजार हे. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल तथा 10321 हजार हे. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है।

प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2020-21 तक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका

फसल	आच्छादन (लाख हे.)		उत्पादन (लाख मी.टन में)		उत्पादकता कु./ हे.	
	वर्ष 2000-01	वर्ष 2020-21	वर्ष 2000-01	वर्ष 2020-21	वर्ष 2000-01	वर्ष 2020-21
चावल	59.04	59.41	116.72	171.36	19.77	28.84
गेहूँ	92.39	98.52	251.68	374.79	27.24	38.04
धान्य	176.16	178.42	405.76	594.13	23.03	33.30
दलहन	26.92	23.80	21.61	25.34	8.03	10.64
खाद्यान्न	203.08	202.22	427.37	619.47	21.04	30.63
तिलहन	8.92	11.97	7.10	17.95	8.25	10.65

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 53.45 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया। उत्तर

प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(हजार मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फास्फेट (पी.)	पोटाश (के.)	योग
2011-12	3067	1024	167	4258
2012-13	3352	1166	133	4651
2013-14	2972	765	105	3842
2014-15	3169	915	187	4272
2015-16	2930	1098	202	4230
2016-17	2890	1134	238	4261
2017-18	3224	1192	239	4655
2018-19	3481	1051	190	4722
2019-20	3804	1263	203	5270
2020-21	3773	1316	256	5345

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2020-21 में कुल 59.31 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है, जिसमें खरीफ 2020 में 8.36 लाख कुन्तल एवं रबी में 50.95 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है।

वन

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का वन प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,148 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हे. था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.09 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष 2017 से 2019 की तुलना में 127 वर्ग किमी बनावरण एवं वृक्षारोपण की वृद्धि हुई हैं। यह मुख्य रूप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षावरण के कारण हुई है।

प्रदेश में मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 180 हजार घन मीटर इमारती लकड़ी, 20 हजार घन मी. चट्टा जलाने की लकड़ी, 47 हजार कौड़ी बांस, 189 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका
उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	वर्ष		
	2011-12	2019-20	2020-21
1. इमारती लकड़ी (हजार घन मी.)	193	119	148
(क) साल	27	14	13
(ख) सागौन	8	3	4
(ग) शीशम	12	14	15
(घ) खैर	3	1	3
(च) असना	-	0	1
(छ) यूकेलिप्टस	111	41	48
(ज) विविध	32	46	64
2. जलाने की लकड़ी (हजार घन मी.)	3	13	15
3. बांस (हजार कौड़ी)	40	18	37
4. तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)	175	147	163
5. भाभड़ घास (हजार कुन्तल)	2	0	0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में साल को छोड़कर सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है।

पशुधन

गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, भेड, सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकरण आदि कार्य नियमित रूप से किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में वृद्धि हो सके। पशुपालन सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। वर्ष 2012 एवं 2019 की पशुगणनानुसार प्रदेश में पशुध ान तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका
प्रदेश में पशुधन

(लाख में)

पशुधन	2012	2019	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
गाय	205.66	202.04	(-) 1.76
भैंस	306.25	330.17	7.81
भेड	13.54	9.85	(-) 27.25
बकरी	155.86	144.80	(-) 7.10
सूकर	13.34	4.08	(-) 69.42
कुक्कुट	186.68	125.16	(-) 32.95

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा

केन्द्र, 267 डी श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 06 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5044 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

पशु उत्पाद एवं उत्पादकता

देश के भौगोलिक क्षेत्र के 7.3 प्रतिशत क्षेत्र को आवरित करने वाला उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राज्य है वहीं पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल पशु धन का 13.4 प्रतिशत हैं जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है।

दूध, पौष्टिकता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण आहार है, इसलिये इसे आदर्श आहार कहते है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है। वर्ष 2021-22 में लक्ष्य 401.00 लाख मी०टन के सापेक्ष जुलाई 2021 तक 105 लाख मी०टन दुग्ध उत्पादन किया गया है। वर्ष 2020-21 में 36288 लाख अण्डों का उत्पादन किया था, वर्ष 2021-22 में 38850 लाख अण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई 2021 तक 11004.00 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है। मांस का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 590.00 हजार मी०टन किया गया था एवं वर्ष 2021-22 में 1586 हजार मी टन लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई तक 140.00 हजार मी० टन मांस का उत्पादन किया गया है।

तालिका

पशु उत्पाद की प्रगति

उत्पाद	उत्पादकता की स्थिति			
	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 जुलाई 2021
1. दूध (लाख मी० टन)	305	318	305	105
2. अण्डा (लाख संख्या में)	26050	30950	36288	11005
3. ऊन (हजार किग्रा.)	1316	1316	886	338
4. माँस (हजार मी० टन)	1227	1020	590	140

मत्स्य पालन व उत्पादकता

संपूर्ण आहार और बायोइण्डीकेटर के रूप में मछली जैविक पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। भारतवर्ष में 2200 तथा उ०प्र० में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है (झींगा उत्पादन में प्रथम) जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30 प्रतिश्त उत्पादन होता है। भारत वर्ष की जी०डी०पी० मत्स्य पालन का लगभग 0.1% प्रतिशत योगदान है। उ०प्र० की जी०डी०पी० में मत्स्य उद्योग का योगदान लगभग 0.4% है जबकि कृषि सेक्टर में मत्स्यिकी का 1.73 प्रतिशत योगदान है। आन्ध्रप्रदेश व प० बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।

मत्स्य बीज उत्पादन, अंगलिकाओं के संचय तथा अंगुलिक वितरण

मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 250 हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को

प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 10 मिलियन क्षमता की एक हैचरी की स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रु. 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 15.00 लाख अनुदान धनराशि देय है, शेष 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलाशयो में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

तालिका

अनुमानित मत्स्य बीज उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

औद्योगिक विकास

o'kZ	vuqekfur eRL; mRiknu ¼yk[k eh-Vu½	vkSr eRL; mRiknd rk ¼fdxzk-@gS @o'kZ½	vkaHkyd@ eRL; cht for j.k ¼yk[k esa½	vkaHkyd@ eRL; cht l apa; ¼yk[k esa½	vkaHkyd@ eRL; cht mRiknu ¼yk[k esa½
	mi yfC/k	mi yfC/k	mi yfC/k	mi yfC/k	mi yfC/k
2017-18	6.29	4375	26333.92	786.95	27120.87
2018-19	6.62	4455	29442.13	347.22	29789.35
2019-20	6.99	4367	30008.96	278.85	30287.81
2020-21	7.46	4670	33392.98	294.78	33927.40

औद्योगिक विकास

प्रदेश की अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के प्रकोप से अत्यन्त अस्थिरता युक्त वातावरण में आत्म-निर्भर भारत की संकल्पना के साथ उद्यम प्रदेश के रूप में अग्रसित है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन की अहम भूमिका है। प्रदेश में रोजगार तथा स्वारोजगार के अवसर सृजित किये जाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विशेष योगदान हैं। सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास हेतु नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के प्रयास कर रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति सम्बन्धी निम्न तालिका दी जा रही है। तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12= 100) वर्ष 2019-20 में 118 था, जो (-)0.08 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2020-21 में 117.90 हो गया। सर्वाधिक वृद्धि सूती कपड़ा व अन्य वर्ग में हुई।

तालिका

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक (2011-12=100)

	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि
	1	2	3	4
1.	खाद्य विनिर्माण	101.87	101.71	(-)0.16
2-	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	67.27	57.12	(-)15.09
3.	सूती कपड़ा	117.38	124.63	6.18
4-	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	131.95	118.97	(-)9.84
5-	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	131.99	125.89	(-)4.62
6-	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	85.50	65.62	(-)23.25
7-	अन्य	128.70	138.69	7.76
	विनिर्माण सूचकांक	**118.00**	**117.90**	**(-)0.08**

उ०प्र० द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनायें

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है। प्रदेश ने राज्य में 31 एसईजेड को स्वीकृत किया है जिसके माध्यम से विभिन्न सेक्टरों/आईटीईएस, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर-पारम्परिक ऊर्जा की पूर्ति की जा रही है। प्रदेश के 31 एसईजेड में लगभग 74 प्रतिशत आईटी/आईटीईएस, 20 प्रतिशत बहुउत्पाद, 3 प्रतिशत वस्त्र/हस्तशिल्प एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा 3 प्रतिशत है।

तालिका

प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र

क्रमांक	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र	प्राथमिक उद्योग
1.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	नोएडा	मल्टी-प्रोडक्ट
2.	एचसीएल टेक्नोलॉजी	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
3.	मोजर बियर विशेष आर्थिक क्षेत्र	ग्रेटर नोएडा	गैर-पारंपरिक ऊर्जा
4.	विप्रो लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
5.	मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र	मुरादाबाद	हस्तशिल्प
6.	सीव्यू डेवेलपर लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
7.	एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
8.	आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
9.	अर्शिया नॉर्दन एफटीडब्लूजेड लिमिटेड	खुर्जा, बुलंदशहर	एफटीडब्ल्यूजेड

तालिका

प्रदेश में कुछ अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र

क्रमांक	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र	प्राथमिक उद्योग
1.	असंल आईटी सिटी पार्क्स	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
2.	ओएसई इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
3.	एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
4.	यूनीटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
5.	परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
6.	यूनीटेक हाई-टेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
7.	आचविस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
8.	गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
9.	जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
10.	सर्वमंगल रीयलटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर
11.	आईवीआर प्राइम आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
12.	गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
13.	पवित्रधाम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट एण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	कानपुर	वस्त्र, चमड़ा, अभियांत्रिकी सामग्री।

स्रोत-प्रवासी भारतीय विभाग, उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण हेतु योजना संचालित है -

1-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम आठवीं पास, बेरोजगारों के स्वरोजगार हेतु महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रु. 25 लाख तक विनिर्माण क्षेत्र तथा रु. 10 लाख तक सेवा क्षेत्र की इकाईयों को ऋण, जिसमें सरकारी सहायता के रू में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी दिया जाता हैं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उद्यमों पर 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाईयों पर 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है।

प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 4571 लाभार्थियों को रु. 14070.97 लाख मार्जिनमनी वितरित की गई। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से 4854 इकाइयों की स्थापना हेतु रु. 14693.00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आवंटित है। अक्टूबर, 2021 तक 1868 लाभार्थियों को रु. 6089.91 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई है।

2. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक हस्तशिल्पियों-बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुंम्हार, हलवाई आदि को प्रोत्साहन एवं उनकी कलाओं के सम्वर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित हैं।

वर्ष 2020-21 हेतु रु. 41000 लाख बजट के सापेक्ष रु. 5989.66 लाख एवं वर्ष 2021-22 में 75000 को लाभान्वित कराने हेतु रु. 3000 लाख की धनराशि स्वीकृत है। अक्टूबर, 2021 तक 14275 लाभार्थियों को प्रशिक्षण व टूल किट वितरित कराये जाने में रु. 2231.21 लाख का व्यय किया जा चुका है।

3. एक जनपद एक उत्पाद

प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों के कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को "एक जनपद एक उत्पाद" नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। उत्पादों की उन्नति एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिये कई योजनाएं जैसे - वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास और टूल किट वितरण योजना और सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन येाजना का संचालन किया है।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 09 जनपदों में सामान्य सुविधा केन्द्र का ऑनलाइन शिलान्यास हुआ तथा ई-सेवा पोर्टल का भी शुभारम्भ किया गया। इसी क्रम में एक जनपद एक उत्पाद येाजना की उप योजना सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत अब तक 41 सीएफसी की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसमें से 22 सीएफसी क्रियान्वयन की स्थिति में है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2764 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रु. 8522.55 लाख का व्यय एवं वर्ष 2021-22 हेतु रु. 10670 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है। अक्टूबर 2021 तक लक्ष्य के सापेक्ष 738 लाभार्थियों को रु. 2736.90 लाख की वित्तीय सहायता दी गयी।

ओडीओपी कौशल उन्नयन एवं टूलकिट येाजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण के लक्ष्य हेतु रु. 3999.51 लाख आवंटित किये गये जिसके सापेक्ष 16000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण में कुल रु. 3998.88 लाख व्यय हुये जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21000 लाभार्थियों हेतु रु. 2109.49 लाख का आवंटन है, जिसके सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक कुल 19655 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित की जा चुकी है।

4. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवाओं को उद्योग स्थापना हेतु रु. 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु. 10 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रावधन है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 लाख है।

वर्ष 2020-21 में 4543 इकाइयों पर 9698.47 लाख की धनराशि व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयों हेतु रु. 9700 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। अक्टूबर 2021 तक 1053 लाभार्थियों के आवेदन-पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

5. मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु दिसम्बर, 2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन, चयनित हस्तशिल्पी को रु. 500 प्रतिमाह दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला एवं

दिव्यांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है) एवं शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हों। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1456 हस्तशिल्पियों को पेंशन दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जून, 2021 तक 1431 हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक पेंशन दी जा चुकी है।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 2018-19 से पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2020-21 हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षार्थियों हेतु रु. 200 लाख स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु. 199.68 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 हेतु 2775 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 200 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

7. अनु० जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

अनु० जाति/ज०जा० के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर एक माह का सैद्धान्तिक एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण के पश्चात् सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 487.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से 6771 प्रशिक्षार्थियों को एक वर्ष 2021-22 में 6771 प्रशिक्षार्थियों हेतु रु. 487.50 लाख का बजट स्वीकृत है। अक्टूबर 2021 तक लगभग 5811 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

8. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर चलायी जा रही है। वर्ष 2020-21 में 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 06 लाख एवं वर्ष 2021-22 में भी 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 06 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। अक्टूबर, 2021 तक 360 व्यक्तियो ंको प्रशिक्षित किया जा चुका है।

तालिका

रोजगार सृजन हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति

(धनराशि लाख रु. में)

	वर्ष 2020-21 वर्ष			**2021-22 (अक्टूबर तक)**		
योजना का नाम	**भौतिक प्रगति**	**वित्तीय प्रगति**	**वित्तीय प्रगति प्रतिशत में**	**भौतिक प्रगति**	**वित्तीय प्रगति**	**वित्तीय प्रगति प्रतिशत में**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	4571	14070	136.78	1868	6089.91	41.45
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना	41000	5989.7	99.83	14275	2231.21	74.37
एक जनपद एक उत्पाद	2764	8522.5	79.87	738	2736.9	25.65
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	4543	9698.5	99.98	1053	2548.24	29.36

मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना	1456	84.06	98.89	1431	21.46	21.46
पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम	2775	199.68	99.84	2405	-	-
अनु०ज०/ज०जा० प्रशिक्षण कार्यक्रम	6771	486.89	99.8	5811	0.08	-
उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	1200	6.00	100	360	-	-

9. विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना

भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त न्यूनतम 50 वर्ष के हस्तशिल्पियों को प्रतिमाह रु. 2,000 पेंशन, आजीवन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 246 एवं वर्ष 2021-22 में अक्टूबर, 2021 तक 238 हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध करायी गयी है।

10. हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लेने के लिये परिवहन व्यय एवं स्टॉल किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु. 10,000 राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 200 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु. 74.03 लाख व्यय कर 741 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया परन्तु कोविड-19 के कारण मेलों का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2021-22 में रु. 200 लाख स्वीकृत की गई है।

11. निर्यात बाजार हेतु डिजाईन वर्कशाप योजना

यह प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में संचालित है, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियाँ बनाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु इस योजना में लक्ष्य 1740 के सापेक्ष 1730 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु रु. 119.40 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु. 120 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

12. विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पी को उनकी उत्कृष्ट कलाकृति हेतु राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार तथा दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार 20-20 हस्तशिल्पियों को प्रदान किया जाता है, जिसमें रु. 35000 की धनराशि राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार में एवं रु. 20000 दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार में प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किया गया एवं वर्ष 2021-22 में भी 25 लाख रु. की धनराशि 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत करने हेतु स्वीकृत की गयी है।

13. एकलमेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग-बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार किये जाने की व्यवस्था है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के सृजन व निवेश बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत फैसले लेती है।

कोई भी उद्यमी जिले, मण्डल अथवा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका निराकरण करा सकता है।

प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुगम (फैसिलिटेट) करने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था की गयी हैं। एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश-मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी हैं, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाइट निवेशमित्र.यूपी.एनआईसी.इन पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एनओसी आदि प्राप्त कर सकते है।

14. औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

प्रदेश के वृहद् औद्योगिक आस्थानों में विभिन्न अवस्थापना सुविधा के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 700 लाख से प्रदेश के 19 आस्थानों में विकास कराया गया है। वर्ष 2021-22 में भी रु. 700 लाख से प्रदेश के 18 आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है।

15. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिवर्तन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम व्यवस्था सितम्बर 2015 में लागू की, जिसे पुनः परिवर्तित कर 'उद्यम रजिस्ट्रीकरण' 26 जून 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त 1 जुलाई, 2020 से लागू किया गया। प्रदेश में भी इस व्ययस्था के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो उद्यम स्थापित करने का आशय रखता है, वह उद्यमरजिस्ट्रेशन.गव.इन वेबसाइट पर जाकर स्व-घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा। जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाणपत्रों या सबूत को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

16. उद्यम विकास की उपलब्धियाँ एवं रणनीतियां

प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है।

उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 में उद्यम, विस्तारीकरण हेतु 72 घण्टे के भीतर अधिस्वीकृति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये उद्यमी द्वारा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र व अन्य अपेक्षित प्रपत्रों सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा किया जायेगा। इससे उद्यमी को 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त अवधि के उपरान्त उद्यमी 100 दिवस में उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन कर सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम तम्बाकू, उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, एल्कोहल, वात युक्त पेय पदार्थ, कोर्बोनेटेड उत्पाद एवं पटाखों के निर्माण में लागू नहीं होगा।

लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमतापूर्वक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेडिटलाइन गारण्टी स्कीम के रूप में विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा एसएलबीसी के सहयोग से बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया गया है।

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों/परियोजनाओं को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की चयन/संस्तुति प्रक्रिया को मई 2020 के सर्कुलर द्वारा सरलीकृत करते हुए स्कोर कार्ड के आधार पर चयन की व्यवस्था लागू की गयी है।

अवध शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष यूपी.डे के अवसर पर ओडीओपी फेयर में प्रदेश के समस्त जनपदों के उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय किया गया तथा उत्कृष्ट उत्पादों का प्रचार-प्रसार कराया गया।

रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने हेतु जून 2021 को ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 31542 इकाईयों को 2505.58 करोड़ रूपये का ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत तीन सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किये जा चुके है एवं 02 स्थापनाधीन है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में स्थापित फैसिलिटेशन काउन्सिल को मण्डल स्तर तक विकेन्द्रीकृत किया गया है।

कोविड-19 के कारण प्रभावी लॉक-डाउन के समय उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु एमएसएमई-साथी नाम से एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसपर उद्यमी अपने प्रकरण को दर्ज कर सकता है जो सम्बन्धित विभाग को निराकरण हेतु ऑटोमेटिक रूप से अग्रसित हो जाता है।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कार्मस, भारत सरकार द्वारा वाणिज्य मेगा एक्सपोर्ट कान्क्लेव का आयोजन जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर में किया गया है। शेष जनपदों में भी एक एक्सपोर्ट कान्क्लेव का आयोजन किया गया है।

प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों के लिये जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों को खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश को जेम पोर्टल पर सबसे अधिक क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

लखनऊ में रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस एक्सपों का आयोजन फरवरी 2020 में किया गया।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड-19 में भारत सहित सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था मांग व पूर्ति दोनों पक्षों से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, उड्डयन, सिनेमा थियेटर, परिवहन उद्योग को सर्वाधिक क्षति हुई। इसके अतिक्ति विनिर्माण क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र, रियल स्टेट, निर्माण क्षेत्रों पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। कच्चे माल की आपूर्ति, मध्यवर्ती माल की आपूर्ति, वित्तीय समस्यायें, श्रमिकों की अनुपलब्धता ने उद्योगों पर विपरीत प्रभाव डाला है। वहीं फार्मास्यूटिकल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग में पीपीई किट व मास्क का वृहद् स्तर पर मांग का बढ़ना, हैण्डवाश व सैनेटाइजर उत्पादों की मांग बढ़ने से नये स्टार्टअप भी शुरू हुए। कोविड-19 अवधि में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिये किये गये प्रमुख प्रयास इस प्रकार रहें-

भारत सरकार द्वारा 'आत्म निर्भर भारत अभियान' के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमतापूर्वक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के रूप में विशेष पैकेज दिया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु पूरे देश में चैम्पियन कन्ट्रोल रूम खोले गये है, जिनमें से 4 चैम्पियन कन्ट्रोल रूम कानपुर, आगरा, प्रयागराज एवं वाराणसी में कार्यरत है। प्रदेश सरकार द्वारा भी लॉकडाउन अवधि में एमएसएमई उद्योगों को परमिट देने में आ रही कठिनाईयों एवं शिकायतों के निवारण हेतु 20 अप्रैल 2020 से विशेष सेल का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया जिसमें उन उद्योगों को भी फायदा हुआ, जो एमएसएमई के दायरे से बाहर हो गये थे।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उप खनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मेग्नासाइट ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उप खनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं. खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में)		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	परिमाण ('000) मी. टन		गतवर्ष की की अपेक्षा % वृद्धि
	2019-20	2020-21*		2019-19	2020-21	
1. पाइरोफाइलाइट	230	-	-	5090+	8855+	73.97
2. सिलिका सैन्ड	1415	-	-	152450	310542	103.70
3. कोयला	-	-	-	16598	15390	-7.28
4. चूने का पत्थर	7046	6463	-9.02	2633	2321	-11.85
4. गन्धक	-	-	-	43602	48620	11.51

* अनन्तिम + परिमाण घन मी.

सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन के स्थायी भावों पर सेवा क्षेत्र का अंशदान 50.6 प्रतिशत है।

प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 49.2 प्रतिशत हो गया है।

प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

इस खण्ड के अन्तर्गत स्थायी भाव पर वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उपखण्ड का 14.0 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था के तीन खण्डों-प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के अन्तर्गत तृतीयक खण्ड का जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2020-21 में इस सेक्टर का अंश 49.2 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं, जिनके कई आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और

विशेषज्ञता की हैं, तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा-बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी है। इसी प्रकार से कुछ से सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान के ऑकलन हेतु आँकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के वर्ष 2019-20 के आँकडे अनन्तिम एवं 2020-21 के त्वरित अनुमान है। आधार वर्ष 2011-12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रदेश के जीएसवीए में स्थायी भावों पर 50.6 प्रतिशत का अंशदान है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 24.1 प्रतिशत तथा 25.2 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है।

तालिका

सकल राज्य मूल्य वर्धन में तृतीयक क्षेत्र का योगदान

(स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु. करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2011-12	310326	-	45.5
2014-15	387420	9.2	49.6
2015-16	416939	7.6	49.0
2016-17	440696	5.7	46.3
2017-18	478665	8.6	47.9
2018-19	508704	6.3	48.7
2019-20	552053	8.5	51.2
2020-21	528072	(-)4.3	50.6

वर्ष 2019-20 व 2020-21 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत तथा (-)4.3 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 49.2 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" इस उपखण्ड में सम्मिलित है। विगत वर्षों में तृतीयक खण्ड के उप-खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत रही है-

तालिका

तृतीयक उप-खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर

(आधार वर्ष 2011-12)

क्र.सं.	उप-खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर					
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	9.6	6.6	7.4	6.6	10.7	-19.6
2.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	12.2	3.8	6.6	10.1	13.0	-5.8
3.	रेलवे	-2.1	0.3	14.7	3.0	1.9	-31.6
4.	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	13.1	8.2	9.3	13.1	18.6	-3.6
5.	भण्डारण	3.7	1.1	6.5	33.4	3.9	-3.1
6.	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	23.1	-2.0	-4.5	7.1	8.3	6.6
7.	वित्तीय सेवायें	8.5	-1.3	13.6	4.4	5.5	1.5
8.	स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	4.9	5.3	4.7	3.2	3.9	1.6
9.	लोक प्रशासन और रक्षा	3.2	10.8	16.3	7.5	7.5	2.5
10.	अन्य सेवायें	9.1	7.8	11.5	7.4	12.3	0.9
	तृतीयक खण्ड (1 से 10)	7.6	5.7	8.6	6.3	8.5	-4.3

* वर्ष २०१६-२० अनन्तिम एवं २०२०-२१ त्वरित अनुमान

तृतीय खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों तथा राज्य की आय-व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों के विश्लेषण से तैयार किये गये है।

प्रदेश के जीएसवीए में सेवा उपखण्ड का स्थायी भाव पर वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 7.6, 5.7, 8.6, 6.3, 8.5 तथा -4.3 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है। इस खण्ड के अन्तर्गत स्थायी भाव पर वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उपखण्ड का 14.0 प्रतिशत है।

परिवहन

पहिरवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्रियों की आवाजाही तथा माल की ढुलाई का कार्य तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2016 तक	31.3.2017 तक	31.3.2018 तक	31.3.19 तक	31.3.2020 तक	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय मार्ग (किमी.)	7572	8328	10981	11384	11475	11750
2.	राज्य मार्ग (किमी.)	7147	7202	6810	6859	8334	9890
3.	प्रमुख जिला मार्ग (किमी.)	7637	7486	7277	7388	5434	5536
4.	अन्य जिला मार्ग (किमी.)	46006	47576	49037	49138	49027	47258
5.	ग्रामीण मार्ग (किमी.)	163035	169051	168694	175437	176698	170077
	योग	**231397**	**239643**	**242799**	**250206**	**250968**	**244511**

स्रोत- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

सड़क परिवहन

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

क्र. सं.	मद	वर्ष				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में प्रतिशत वृद्धि
1.	औसत परिचालित बसें (सं.)	11862	11615	11688	11343	-2.9
2.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग(सं.)	2933	2979	2897	2800	-3.3
3.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (किमी.)	258	257	246	256	4.06
4.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार किमी.)	757	765	712	717	0.7
5.	दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार किमी.)	4092	3972	3939	2955	-24.9
6.	प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	17.15	16.48	15.72	9.41	-40.1
7.	दुर्घटनाएं (प्रति लाख किमी.)	0.06	0.07	0.06	0.05	-16.6
8.	कुल दुर्घटनाएं (सं.)	741	751	648	471	-27.3

स्रोत- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों की गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

क्र.सं. मद 31 मार्च को	वाहनों की संख्या		वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में प्रतिशत अंश	कुल के सापेक्ष वाहनों की प्रतिशत अंश	
	2019-20	2020-21*		2019-20	2020-21
1. मोटर साइकिल	27959149	30452129	8.92	80.00	80.9
2. कार	3351115	3558751	6.20	9.6	9.4
3. बस	109765	114749	4.54	0.3	0.3
4. टैक्सी	753124	625646	-16.93	2.2	1.7
5. ट्रक	880630	893971	1.51	2.5	2.4
6. ट्रैक्टर	1522750	1646213	8.11	4.4	4.4
7. अन्य	348291	347747	-0.16	1.0	0.9
कुल	**34924824**	**37639206**	**7.77**	**100.00**	**10.00**

(स्रोतः- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम) *अनन्तिम

विद्युत

विद्युत सुविधा की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष 2020-21
1.	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	5999
2.	उपभोग (मिलियन यूनिट)	90357
3.	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	24731
4.	कुल विद्युतीकृत ग्राम (संख्या)	97814
5.	निजी/वाह्य स्रोत से आयात (मि०यू०)	95548
6.	पारेषण लाइनों की कुल ल० (कि०मी०)	48298
7.	स्वीकृत निजी नलकूपों की सं० (लाख में)	12.56

स्रोत- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाय गये है:

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े वर्ष 2019-20

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि. वाट घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि. वाट घंटा)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1258	1507
2.	बिहार	3	332
3.	झारखण्ड	383	853
4.	गुजरात	1554	2388
5.	हरियाणा	743	2229
6.	कर्नाटक	914	1468
7.	केरल	171	826
8.	मध्य प्रदेश	843	1086
9.	छत्तीसगढ़	2653	2044
10.	महाराष्ट्र	1004	1418
11.	ओडिशा	585	1559
12.	पंजाब	1266	2171
13.	राजस्थान	859	1317
14.	तमिलनाडु	864	1844
15.	पश्चिम बंगाल	383	757
16.	उत्तर प्रदेश	303	629
17.	उत्तराखण्ड	1122	1528
	भारत	**1048**	**1208**

स्रोत- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों (राजस्व) की संख्या वर्ष 2019-20 में 97814 है। प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 के अन्त तक 99462 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य कराया जा चुका है।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरन्तर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू.पी. नेडा) का गठन किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु

उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गयी। इस नीति में थर्ड पार्टी सेल, ओपन एक्सेस एवं सोलर पार्क के विकास का प्राविधान किया गया है। नीति में वर्ष 2022 तक कुल 10700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। जिसमें से 6400 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट और 4300 मेगावाट के रूपटाप पावर प्लाण्ट प्रोजेक्ट हैं।

निजी आवासों पर इन संयंत्रों की स्थापना पर रु. 15000 प्रति किलोवाट और अधिकतम रु. 3000 प्रति उपभोक्ता राज्यानुदान देय है।

तालिका

सौर परियोजनाओं का प्रगति विवरण

(अगस्त 2021 तक)

क्र.सं.	योजना	इकाई	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
1	सौर परियोजनाओं की स्थापना	मे०वा०	490	186
2	संस्थानों में रूफटॉप सोलर प्लाण्ट	कि०वा०	1252.61	2087.69
3	ग्रामीण क्षेत्र सार्वजनिक प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट मोड	संख्या	1640	2650
4	मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास सोलर स्ट्रीट योजना	संख्या	2850	-
5	निजी आवासों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट	मे०वा०	15	5
6	ऑफ ग्रिड सोलर प्लाण्ट		422.4	704

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्प बचत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	वर्ष			
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5
डाकघरों की संख्या	17671	17672	17670	17665
(क) नगरीय	1924	1927	1927	1905
(ख) ग्रामीण	15747	15745	15743	15760

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इण्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइबर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार में)
1		2	3	4 5
2019-20	414600	2289	157236	16126
2020-21	258617	2267	78843	8366

स्रोत- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

*भारत संचार निगम लि० उ०प्र० पश्चिमी परिमण्डल के आंकड़े सम्मिलित नहीं है।

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखंड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7 प्रतिशत) कम है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है- जहाँ वर्ष 1991 में उ.प्र. में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गयी किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001			साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2.	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3.	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4.	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
5.	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 138185 थी जो वर्ष 2020-21 में कम होकर 138145 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2019-20 में 83859 थी जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 85570 हो गयी। वर्ष 2019-20 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों की संख्या 27959 थी जो वर्ष 2020-21 में कम होकर 27892 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 558 हजार थी जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 586 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 479 हजार थी जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 502 हजार हो गयी। वर्ष 2019-20 में हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 324 हजार थी जो वर्ष 2020-21 में कम होकर 322 हजार हो गयी।

प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष 2020-21 में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 71.58 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 57.32 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 59.77 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 48.63 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 32.69 केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 37.02 रही। वर्ष 2020-21 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पूर्वी क्षेत्र में 12.73 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 9.92 रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12.07 थी।

वर्ष 2020-21 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (28.13) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (24.86) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 26.97 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक (29.68) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (26.50) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 28.62 रही। वर्ष 2020-21 में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (52.37) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (28.52) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 40.84 रही।

तालिका

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या (2020-21)

क्र. सं.	आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1.	पूर्वी	60.80	37.39	12.73	28.13	29.68	46.44
2.	बुन्देलखण्ड	71.58	48.63	9.92	26.35	27.54	39.67
3.	पश्चिमी	57.32	37.22	12.20	25.99	29.07	28.52
4.	केन्द्रीय	59.46	32.69	10.90	24.86	26.50	52.37
	उत्तर प्रदेश	59.77	37.02	12.07	26.97	28.62	40.84

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 2273 राजकीय, 5082 अशासकीय सहायता प्राप्त 21252 वित्त-विहीन कुल 28607 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या	वर्ष 2019-20	2020-21
1	2	3	4
1.	विश्वविद्यालयों की संख्या		
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	16	18
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	27	28
2.	शासकीय महाविद्यालय	170	171
4.	अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	331	331
5.	अनुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	6682	7372
6.	कुल महाविद्यालयों की संख्या	7183	7874
7.	महाविद्यालयों में छात्र संख्या		
	(क) छात्र	1969206	2177467
	(ख) छात्राएं	2214786	2363138
	योग	4183992	4540605

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

	संस्थाएं	वर्ष 2018-19	2019-20	2020-21
	1	2	3	4
1.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या	12	12	12
	(क) प्रवेश क्षमता	3021	3079	3069
	(ख) वास्तविक प्रवेश	2917	3017	3051

2.	राजकीय अनुदानित संस्थाओं की संख्या	160	166	166
	(क) प्रवेश क्षमता	36810	42646	46105
	(ख) वास्तविक प्रवेश	30875	34991	34309

सत्र 2020-21 हेतु डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी०टेक, बी० फार्मा, बी०आर्क० तथा होटल मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्रमों हेतु चयनित 23902 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है। अभी भी उत्तर प्रदेश इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हो रहा है:

तालिका

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष 2009			वर्ष 2019		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
जन्म दर	28.7	24.7	29.7	25.4	22.3	26.4
मृत्यु दर	8.2	6.5	8.6	6.5	5.3	6.9
प्राकृतिक वृद्धि दर	20.5	18.3	21.1	18.9	17.1	19.6
शिशु मृत्यु दर	63	47	66	41	31	44

स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

जन्म दर

जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या बताता है। वर्ष 2009 एवं वर्ष 2019 की अवधि में प्रदेश स्तर पर जन्म दर में 3.3 की कमी दर्ज की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में 3.3 और शहरी क्षेत्रों में 2.4 की कमी हुई, इसके बावजूद देश के बड़े राज्यों में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश जन्म दर में दूसरे स्थान पर है।

मृत्यु दर

मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक है। इसे एक निश्चित क्षेत्र और समय अवधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रदेश में मृत्यु दर वर्ष 2009 में 8.2 से घटकर 2019 में 6.5 पर आ गई। शहरी क्षेत्रों में 1.2 और ग्रामीण क्षेत्र 1.7 की कमी आई है। इस कारण राज्य के प्राकृतिक वृद्धि दर में 1.6 की कमी आई है,

शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक वृद्धि दर 1.2 की और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 की कमी आई है।

शिशु मृत्यु दर

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जिसे व्यापक रूप से किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य के क्रूड संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है, को निश्चित समय अवधि में और किसी दिए गए क्षेत्र के लिए प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

शिशु मृत्यु दर को नियन्त्रित करने के मामले में राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है। वर्ष 2009 में 63 से कम होकर 2019 में 41 पर आई गई है तथा शहरी क्षेत्र में 16 और ग्रामीण क्षेत्र में 22 की कमी दर्ज हुई है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.08 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 2.01 केन्द्रीय एवं पश्चिमी क्षेत्र में है। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 45.97 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 32.34 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.79 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 1.34 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 8.46 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 4.13 पश्चिमी क्षेत्र में रही। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:

तालिका

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2020-21)

क्र. सं.	आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1.	पूर्वी	2.39	36.44	1.91	5.17
2.	बुन्देलखण्ड	2.01	32.94	1.34	4.13
3.	पश्चिमी	2.01	42.58	1.76	5.21
4.	केन्द्रीय	3.08	45.58	2.79	8.46
	उत्तर प्रदेश	2.21	36.97	1.71	4.94

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी वर्ष		होम्योपैथिक	
		1.1.20	1.1.21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1.	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5113	5115	2360	2360	1576	1585
2.	शैय्याओं की संख्या	66737	84779	11077	11077	438	438
3.	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	958	658	27908	18268	25616	15452

प्रदेश में 07 नये मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० के प्रथम वर्ष का पठन-पाठन वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में 50-50 एम०बी०बी०एस० सीटों पर छात्रों के प्रवेश हो चुका है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यकम

इस कार्यकम के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिन्द आपरेशन के लिए आई०ओ०एल० विधि द्वारा शल्य-क्रिया की जाती है। मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों (डायबेटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, लेजरटेक्निक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

यह योजना अब वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक बेंचमार्क बन गयी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सम्पूर्ण देश को रोगमुक्त करंके विकास के पथ पर ले जाना है। आयुष्मान भारत पर आने वाले व्यय को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 60-40 के अनुपात में वहन करेंगी। इन सभी परिवारों को पाँच लाख रुपये तक प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया गया है, जो क्लेम की जाँच करेगी। आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए सरकार ने कुल 1425 सर्जिकल व मेडिकल पैकेज निर्धारित किए है जिसमें 67 तरह के उपचार केवल राजकीय अस्पतालों में मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड व एमआरआई जैसी सुविधाएं भी मुफ्त मिलेंगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, 2019 में की गई। इसमें हीमोग्लोबीन, मूत्र द्वारा गर्भ की जाँच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि की जाँच की सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यकम

गम्भीर मानसिक विकारों में सीजोफ्रेनिया बाई पोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से एक हजार की जनसंख्या में बीस व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनके उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में उपचार और सन्दर्भन की व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

टेलीमेडिसन केंद्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने मार्च, 2019 में गोरखपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर एवं बहराइच में 15 टेलीमेडिसिन केन्द्रों का शुभारम्भ किया। इसके जरिए रोगियों को टोल फ्री नम्बर पर दूरभाष के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

प्रदेश के समस्त जनपदों में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं, समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रदेश में क्षय नियंत्रण हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं-

- वर्ष 2021 मे सरकारी क्षेत्र में 224125 एवं निजी क्षेत्र में 105297 कुल 329422 क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकत किये गये।
- कल्चर डीएसटी लैब (मेरठ में) तथा सी०बी०नॉट मशीन क्रियाशील करा दिया गया है।
- 22 नोडल डीआरटीबी सेन्टर में एमडीआर/ एक्सडीआर क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन का शुभारम्भ किया जा चुका है।
- अप्रैल 2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी०बी०टी० के माध्यम से रु. 500 प्रति माह की दर से सितम्बर, 2021 तक 9.48 क्षय रोगियों को कुल धनराशि रु. 235.29 करोड़ का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, उत्तर प्रदेश

प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सीओटीपीए-2003 का संचालन सामान्य जनता विशेषकर युवा पीढ़ी को तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कानपुर नगर प्रशासन द्वारा 31 मई, 2015 को ही कानपुर नगर को देश का प्रथम तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किया गया। इसके पश्चात् जनपद रामपुर प्रशासन द्वारा 12 नवम्बर, 2018 को रामपुर को तम्बाकू मुक्त जनपद घोषित किया चुका है।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 में प्रदेश के कुल 56 जनपद राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम से आच्छादित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित इस कार्यकम में बधिरता की जाँच एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर कान की बीमारियों की जटिल एवं नाजुक माइक्रो सर्जरी द्वारा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम से आाच्छादित 52 जनपदों के चंयनित जिला चिकित्सालय में साउण्ड प्रूफ कक्ष का निर्माण किया जा चुका है। बधिरता के निदान के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण तथा कान की सर्जरी हेतु सर्जिकल उपकरणों का क्रय, सम्बन्धित जिला चिकित्सालयों द्वारा किया जा रहा है। कार्यकम के प्रभावी संचालन हेतु

54 जनपदों के चयनित ईएनटी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर करा लिया गया है। 53 जनपदों में बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ तथा 54 जनपदों में स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकरियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 143503 मरीज देखे गये एवं 1123 की शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया गया।

जे०ई०/ ए०ई०एस० अभियान

प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार के समूल उन्मूलन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यापक स्तर पर प्रभावित जनपदों में पूर्णरूप से सुसज्जित पीआईसीयू, मिनी पीआईसीयू, ईटीसी की स्थापना कर प्रभावी उपचार व्यवस्था को रोगी के घर के निकट पहुँचाया गया। संकामक रोगों पर नियंत्रण के इस मॉडल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है एवं दिमागी बुखार के प्रकोप को नियन्त्रित करने में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में ए० ई०एस० रोगियों की संख्या में 65.62 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। इसी प्रकार से वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में जापानी इन्सेलाइटिस के रोगियों की संख्या में 86.29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में ए०ई०एस रोगियों की संख्या में 24.63 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 34.13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार जे०ई० रोगियों की संख्या में वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में 57.26 एवं मृत्यु दर में 57.14 प्रतिशत की प्रभावी कमी दर्ज की गयी।

प्रदेश सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया, कालाजार सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण संचारी रोगों के विरूद्ध नियमित अन्तराल पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है।

102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं 01 वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक भेजने में भी प्रयोग की जाती है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घंटे उपलब्ध है। जुलाई 2019 से प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण हेतु निष्पादित अनुबन्ध में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये रोगी तक 108 एम्बुलेंस को 15 मिनट में पहुँचाये जाने का प्राविधान कर दिया गया है।

एम्बुलेन्स सेवा

- रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 2200 एम्बुलेंस का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर "108" के माध्यम से किया जा रहा है।
- एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि के साथ ही प्रतिदिन प्रति एम्बुलेंस संचालित किये जाने वाले ट्रिप्स की संख्या में वृद्धि कर इसे 04 ट्रिप्स से बढ़कर 05 ट्रिप्स प्रतिदिन कर दिया गया है।
- गम्भीर रोगियों को सुरक्षित उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाई हेतु सन्दर्भित किये जाने के लिए अप्रैल 2017, को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के अन्तर्गत वर्तमान मे 250 एम्बुलेंस संचालित किया जा रहा है। एएलएस मे एडवांस उपकरण वेंटिलेटर, डिफिबिलेटर, फिटल डॉप्लर, जीवन रक्षित दवायें, जरूरी उपकरण एवं प्रशिक्षित इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने

के उदेदश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारम्भ फरवरी, 2019 से किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में फरवरी, 2019 से जुलाई, 2021 तक कुल 35,07,404 रोगियों को उपचारित किया गया है।

- नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक डाक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स एवं एक लैब टेक्नीशियन उपलब्ध रहता है।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

राज्य स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन का स्तर वर्ष 2007 मे प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश में कुष्ठ रोग का उपचार वर्ष 1995-96 से मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा किये जाने के फलस्वरूप जून, 2021 के अन्त तक प्राप्त परिणाम निम्नवत है-

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

क्रमांक	विवरण	जुलाई 2020 के अंत में	जुलाई 2021 के अंत में
1.	अवशेष अभिलिखित कुष्ठ रोगी	8102	6965
2.	नये रोगी खोजी दर प्रति लाख जनसंख्या	2.75	3.07
3.	कुष्ठ रोग की व्यापकता दर प्रति दस हजार जनसंख्या	0.34	0.29
4.	नये खोजे रोगियों में विकलांगता दर (प्रतिशत में)	0.83	0.98
5.	अवयस्क रोगी दर (प्रतिशत में)	2.46	1.79
6.	विकलांगता दर प्रति दस लाख जनसंख्या पर	0.23	0.30

नियमित टीकाकरण कार्यकम

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी०बी०, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे०ई०, खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- नियमित टीकारण कार्यकम के अन्तर्गत एचएमआईएस डेटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि वर्ष 2020-21 में 48.68 लाख (83.55 प्रतिशत) रहा है।
- वर्ष 2021-22 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि अगस्त, 2021 तक 17.99 लाख (77.12 प्रतिशत) है।
- प्रदेश मे जनवरी, 2021 से कोविड-19 टीकारण किया जा रहा है, जिसमे 18 वर्ष से ऊपर वाले लाभार्थियों को अक्टूबर 2021 तक कुल 12.23 करोड़ डोज वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिसमें से 9.44 करोड़ को प्रथम डोज एवं 2.79 करोड़ को द्वितीय डोज लगायी जा चुकी है।
- समस्त प्रदेश में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार, जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की

खुराक निःशुल्क दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 में कुल 2.24 करोड़ एवं जुलाई-अगस्त 2021 में कुल 2.28 करोड़ बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

- प्रदेश के 37 जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 दो चरणों में चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 215115 (85 प्रतिशत) बच्चों का टीकारण किया गया, साथ ही कुल 62004 (92 प्रतिशत) गर्भवती माताओं को टी०डी० टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 38 जनपदों में जेःई० टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों हेतु जेःई० विशेष टीकाकरण अभियान 22 फरवरी, 2021 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 424227 बच्चों का टीकारण किया गया।
- पोलियों उन्मूलन के अर्न्तगत 05 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादन हेतु प्रदेश में एनआईडी (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एसएनआईडी (सब-नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे है, प्रदेश के समस्त जनपदों में 31 जनवरी, 2021 को पल्स पोलियो एनआईडी अभियान चलाया चलाया गया जिसके अन्तर्गत कुल 3.32 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।
- रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यकम में सम्मिलित कर रोटा वायरस की तीन डोज निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2.7 को आगामी वर्षो में 2.1 का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु परिवार कल्याण की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम में निम्नांकित सेवाएं/सुविधायें प्रदान की जा रही है।

- दो बच्चों के जन्म में अन्तर बनाये रखने हेतु गर्भ निरोधक, जैसे ओरल पिल्स, निरोध, आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी, गर्भ-निरोधक इन्जेक्शन-अंतरा तथा गैर-हार्मोन गर्भनिरोधक गोली सैन्ट्रकोमान-छाया की सेवा आशा के माध्यम से तथा चिकित्सा इकाइयों में प्रदान की जा रही है।
- 03 या उससे अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल 2017 से प्रदेश में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमे नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जा रहा है।
- प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु अधिनियम लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिसमें तीन वर्ष की कठोर सजा का प्राविधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 01 जुलाई 2017 से मुखबिर योजना लागू की गई है।
- महिला तथा पुरूष नसबंदी हेतु जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जाती है।
- कण्डोम बॉक्स की स्थापना-समस्त जनपदों ने प्रमुख स्थलों तथा उपकेन्द्र स्तर तक की इकाइयों पर निःशुल्क कण्डोम आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कण्डोम बाक्स की स्थापना की जा रही है।
- मिशन परिवार विकास अन्तर्गत आच्छादित 03 या उससे अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में नवीन गर्भनिरोधक साधन (इन्जेक्शन) को प्रयोग करने पर लाभार्थी को रूपये 100 प्रति डोज एवं आशा द्वारा नवविवाहित जोडों को शगुन किट उपलब्ध करायी जाती है। इनमें परिवार नियोजन

सम्बन्धित गतिविधियों के समुदाय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक तिमाही सारथी वाहन का संचालन किया जा रहा है।

- परिवार नियोजन कार्यकम में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेबपोर्टल के माध्यम से हौसला साझीदारी योजना सिफ्सा संस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है।
- परिवार कल्याण सेवाओं को गति प्रदान करने हेतु राज्य द्वारा नवम्बर 2020 से मुहिम के तौर पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा हैं। सभी लक्षित दम्पतियों, विशेषकर विगत 01 वर्ष के दौरान नवविवाहित दत्पति, चिन्हित उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलायें, एचआरपी एवं 03 या उससे अधिक बच्चे वाले योग्य दम्पति को परामर्श एवं सेवाएं प्रदान की जा रही है।
- खुशहाल परिवार दिवस के आयोजन के दिन प्रदेश में समुदाय में चिन्हितः लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों के कुल 1,03,953 लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध करायी गई, जिसमें पुरूष नसबन्दी-356, महिला नसबन्दी-662 आईयूसीडी-7,273 पीपीआईयूसीडी-3,498 साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया-37,353 माला एन-42,878 तथा इन्जेक्शन अन्तरा-11,933 की सेवायें लाभाणथयों को दी गई एवं कण्डोम के कुल 3,19,540 पीसेज वितरित किये गये। साथ ही नवविवाहित दम्पतियों को परिवार नियोजन के बास्केट ऑफ च्वाइस साधनों की जानकारी देते हुये कुल 3,915 शगुन किट का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज के संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया गर्भावस्था तथा प्रसवोपरान्त माताओं की मृत्युदर घटाना, शिशु मृत्युदर को कम करना, हर बच्चे को सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना एवं माताओं, बच्चों व किशोरों में कुपोषण के स्तर में सुधार करना निहित है।

मातृ-मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एसआरएस सर्वे के अनुसार 2011-13 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ-मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था जो वर्ष 2016-18 सर्वे के अनुसार घटकर 197 प्रति 01 लाख जीवित जन्म हो गया है।
- एसडीजी गोल के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2030 तक इसे 70 प्रति 01 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- समस्त जनपदों में मातृ-मृत्यु को कम करने के लिए पीपीएच प्रबन्धन प्रशिक्षण कराया गया। जिसमें अब तक प्रदेश के 640 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2008-09 से अब तक एसबीए प्रशिक्षण 5032 को दिलाया गया।

वर्षवार	2020-21	2021-22 (अगस्त 2021)
सम्भावित मृत्यु	11894	11894
मातृ-मुत्यु	3743	1465
मातृ-मृत्यु प्रतिशत	31	12.31

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध-विकसित मलिन बस्तियों मे स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का, निर्णय लिया गया है, जिसे प्रदेश मे चरणबद्ध रुप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों /कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है-

- प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से 17 नये केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल 610 केन्द्रों में से वर्तमान में 593 केन्द्र क्रियाशील है। इनमें से चिह्नित 123 केन्द्र को 24 x7 प्रसव केन्द्र के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है।
- प्रत्येक 5 लाख की शहरी जनसंख्या वाले शहर में प्रत्येक 2.5 लाख की जनसंख्या पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी है। लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह एवं वाराणसी में संचालित 03 मैटरनिटी होम एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत एवं झाँसी व वाराणसी के दो, इस प्रकार कुल 14 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 11 केन्द्रों को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में संचालित किया जा रहा है।
- प्रदेश के चयनित 18 बड़े जनपदों में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वर्ष 2019-20 से 250 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ई-यूपीएचसी के रूप में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त 50 नये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्तमान मे कुल 509 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में से 477 सेंटर क्रियाशील है।
- प्रत्येक 10 हजार की शहरी जनसख्या पर एक ए.एन.एम. एवं शहरी मलिन बस्तियों के प्रत्येक 200-500 घरों पर 14 अरबन आशा बस्तियों में निवास करने वाली जनता, स्वास्थ्य इकाई, सेवा प्रदाता एवं महिला आरोग्य समिति के मध्य लिंक वर्कर का कार्य करेगी।
- शहरी मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या जैसे घुमन्तु, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले आदि जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आकर स्वास्थ्य लाभ उठाने में असमर्थ है, के लिए विशेष रूप से प0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रू 1400 व शहरी क्षेत्र में रु. 1000 एवं बीपीएल श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु. 500 सहायता राशि रूप में दिये जाते है। आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन प्रसवोत्तर व सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु. 600 एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु. 400 दिये जाते हैं। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रु. 100 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है। गर्भवती को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल,/टीकाकरण,/बीमार होने पर पर निःशुल्क व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक एवं चिकित्सा इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने की निःशुल्क सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों मे अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टेड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियाँ एवं जाँच आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है, साथ ही चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन एवं एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से सेवा प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है। समस्त जनपदों के 100 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री मातृ-वन्दन योजना

इससे आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किश्तों में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किश्त रु. 1000, कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच पर (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किश्त-रु. 2000 तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किश्त रु.-2000 दी जाती है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाते हुए वर्ष 2013-14 से जन्म से 19 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु "राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" पूरे भारत वर्ष में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों में जा रही है तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है।

इसके अन्तर्गत 13 सर्जिकल चिह्नित बीमारियां, जो केवल मेडिकल कालेजों में सम्भव है, के निःशुल्क उपचार हेतु प्रदेश के 7 सरकारी मेडिकल कालेजों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, एवं गोरखपुर) एवं दो चिकित्सा संस्थानों (एसजीपीजीआई लखनऊ एवं आरआईएमएस सैफई, इटावा) में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। जनपद अलीगढ़ (जिला महिला चिकित्सालय) मुरादाबाद एवं गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टर्वेन्शन सेन्टर स्थापित किया गया हैं। प्रसव केन्द्रों पर जन्में नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों के पहचान हेतु कुल 2.86 लाख शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश में 4 डीईआईसी सेन्टर (डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर) यथा- एएमयू अलीगढ़, केपीएमयू लखनऊ, एसएसपीएचपीजी टी.आई.जी.बी. गनर एवं डीसीएच गाजियाबाद संचालित है।

साप्ताहिक आयरन एण्ड फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि में पंजीकृत लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर / किशोरियों कों आयरन की नीली गोली शिक्षकों की निगरानी में खिलायी जाती है।

इसके अतिरिक्त विफ्स कार्यक्रम में स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियों को आईसीडीएस की आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय डी-वार्मिंग डे

प्रदेश के 01 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त, प्राइवेट स्कूलों, मदरसो, अनाथालयों एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में दो बार माह फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल 400 मि०ग्रा० की गोली दिये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे बच्चे, पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सके तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सके।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी /परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक /अध्यापिकाओं के द्वारा जनवरी 2016 से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 22.99 लाख किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इससे शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित है।

- किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक प्रदेश के 32 जनपद चिकित्सालय एवं 25 हाईप्रायोरिटी जनपदों में जनपद चिकित्सालय के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी किशोर/किशोरियों को परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित हैं।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित 344 किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर प्रशिक्षित काउन्सलर्स द्वारा किशोर /किशोरियों के स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श एवं प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा उपचारात्मक सेवायें प्रदान की जा रही है।

पियर एजूकेशन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 25 उच्च प्राथमिता वाले जनपदों के 50 प्रतिशत ब्लॉकों में ग्राम स्तर पर 1000 आबादी पर आशा द्वारा 02 स्कूल जाने वाले तथा 02 स्कूल न जाने वाले कुल 4 पियर एजूकेटर्स (15 से 17 वर्ष) का चयन किया गया है। पीयर एजूकेटर जिन्हें साथिया भी कहा जाता है, जो अपने साथियों में सकारात्मक एवं स्वस्थ विचारों का संचार करेंगे।

स्वच्छ जल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरन्तर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है।

गाँवों में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत करायी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 से जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना की अवधि 05 वर्ष रखी गयी है। केंद्र सरकार की इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराये जायेंगे।

प्रदेश के जे0ई०/ए०ई०एस० प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बाँदा एवं चित्रकूट मण्डल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आर०ओ० पेयजल योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत 14 जनपदों में 28 हजार से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर भण्डारण क्षमता के संयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2020-21 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख हैं। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 259895 एवं इससे लाभान्वित जनसंख्या 1698 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 63 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 95 लाख थी।

पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

	मद	2019-20	2020-21
	1	2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त		
	(1) नगरों की संख्या	652	652
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	492	492
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	259739	259895*
	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0

	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1698	1698
	(6) अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर	63	63
	लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	91	95

*पूर्व की कुछ बस्तियां नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या कम हो गयी है। स्रोतः- उत्तर प्रदेश, जल निगम।

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15-59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.1 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकार थे। कुल कर्मकारों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकारों की संख्या 446.35 लाख तथा 211.80 लाख थी।

तालिका

प्रदेश में मुख्य कर्मकार तथा सीमान्त कर्मकार

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिकरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्तिहेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक् एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे है। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 03 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हे। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैः-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष		गतवर्ष की अपेक्षा
		2019	2020	प्रतिशत वृद्धि
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	985449	304836	(-) 69.06
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	116	109	(-) 6.03
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	897	512	(-) 42.92
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	95961	123525	28.72
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	270	31	(-)88.52
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3305	3615	9.38

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	726	726	0
2.	राज्य सरकार	8377	8378	0.01
3.	अर्द्ध सरकारी (केन्द्र)	5599	5620	0.38
4.	अर्द्ध सरकारी (राज्य)	1602	1602	0
5.	स्थानीय निकाय	1311	1314	0.23
	योग	**17615**	**17640**	**0.14**

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	302524	302326	(-) 0.06
2.	राज्य सरकार	701418	700823	(-) 0.08
3.	अर्द्ध सरकारी (केन्द्र)	158530	158167	(-) 0.23
4.	अर्द्ध सरकारी (राज्य)	332268	331872	(-) 0.12
5.	स्थानीय निकाय	107135	107578	0.41
	योग	1601875	1600766	(-)**0.07**

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च 2020 में गत वर्ष 2019 की अपेक्षा (-0.06) प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि
1.	एक्ट अधिष्ठान	667740	666839	(-) 0.13
2.	नान एक्ट अधिष्ठान	50226	50709	0.96
	योग	**717966**	**717548**	**(-) 0.06**

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या 2020 में गत वर्ष 2019 की अपेक्षा (-) 0.03 प्रतिशत की कमी तथा निजी क्षेत्र में 0.07 प्रतिशत अधिक रही है जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 0.01 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च, 2019	मार्च, 2020	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	213226	213168	(-) 0.03
2.	निजी क्षेत्र	111038	111118	0.07
	योग	324264	324286	0.01

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा प्राथमिकताएँ

देश में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था करना मुख्य चुनौती है। वर्ष 2022 तक कृषि आय को दो गुना करना, वर्ष 2024 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। वर्तमान वर्ष में कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुन पटरी पर लाना, विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, प्रदेश सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती है। इसके लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना अति आवश्यक है।

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, किसानों की खुशहाली तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल सम्वर्द्धन तथा प्रदेश की बढ़ती कार्यकारी जनसंख्या को यथोचित रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश सरकार, उपरोक्त चुनौतियों के सापेक्ष रणनीतिक सामन्जस्य के साथ संतुलित विकास की ओर अग्रसर है। वर्ष 2017-2018 का बजट किसानों को, वर्ष 2018-2019 के बजट में औद्योगिक विकास, वर्ष 2019-2020 मे महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाये जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान की गयी, वही वर्ष 2020-2021 के बजट में युवाओं की शिक्षा, कौशल सम्वर्द्धन एवं रोजगार के साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराये जाने को प्रमुखता दी गयीं।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट का केन्द्र बिन्दु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का 'स्वावलम्बन से सशक्तिकरण' है।

प्रादेशिक अर्थव्यवस्था

सरकार, प्रदेश में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलम्बन तथा सशक्तिकरण पर केन्द्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को स्वरोजगार के अवसर एवं सुविधायें उपलब्ध कराते हुये उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाया जाना है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के चार स्तम्भ होंगे-- अवस्थापना विकास, जनस्वास्थ्य, मानव सम्पदा एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों का विकास।

अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे विकास की आगे की अवस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के योगदान मे परिवर्तन होता है। प्राथमिक खण्ड का योगदान निरन्तर कम होता है और द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड के योगदान में वृद्धि होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमानों

के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 40.3 प्रतिशत है। राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है।

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। राजस्व व्यय के सापेक्ष इस पर व्यय जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी अधिक तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगी। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये ऋण लेना उपयुक्त होता है। वर्ष 2002-03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जो वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से भी ऊपर है, जिसका आशय है कि राजस्व बचत के बड़े अंश का भी उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है। राज्य द्वारा विगत् कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006-07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

त्वरित न्याय एवं कानून-व्यवस्था

निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उपयुक्त माहौल का होना अत्यन्त आवश्यक है। विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयो एवं ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गयी हैं। फोरेन्सिक साइंस, आचार विज्ञान, तकनीक और प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण में आवश्यक तकनीकों की विशेषज्ञता उत्पन्न करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से लखनऊ में पुलिस और फोरेन्सिक साइन्स इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी है।

आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्तियों में से लगभग 1000 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्तियों पर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा इनके लगभग 150 से अधिक शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की गयी। मिशन शक्ति दृढ़तापूर्वक लागू किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी।

प्रदेश में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ-चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेन्सेज) ऐक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये 218 न्यायालयो के गठन का निर्णय लिया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक कोर्ट्स की सख्या 81 है। अनुसूचित जाति,/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के 25 कोर्ट तथा 13 कामर्शियल कोर्ट्स की स्थापना करायी गयी है। निर्वाचित सांसदो, विधायको के लम्बित अपराधिक वादों के लिए 01 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने मे सहायक होगा।

महिला सशक्तिकरण

प्रदेश की महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु उन्हे सुरक्षा प्रदान कर शिक्षा, कौशल सम्वर्धन और रोजगार तथा स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाना सरकार की प्राथमिकता है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता से प्रदान की जा रही है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों

में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु उ०प्र० पुलिस द्वारा 01 नवम्बर, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक विशेष अभियान "मिशन शक्ति" चलाया गया जिसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगार में समान अवसरों की वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घण्टे व पुरूषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित है जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा पैनिक बटन लगाये गये हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयासरत हैं एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों मे पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करायी जा रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अन्तर्गत संजय गाँधी पीजीआई, लखनऊ में लेवल-3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जायेगी। प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जायेगी। अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं। केजीएमयू के अधीन लखनऊ में इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एण्ड इन्फेक्शंस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो-सफेटी लेवल-4 लैब की स्थापना लक्षित है जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। केजीएमयू लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर की स्थापना करायी जायेगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये एसजीपीजीआई, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा को बेहतर करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में फीस को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना "मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना" प्रारम्भ की गयी है। पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्मय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जायेगी। प्रदेश में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगार प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना है।

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल

पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

कृषि विकास

किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिये अवस्थापना से संबंधित अन्तर को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जायेगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो; जाती है, के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अर्न्तगत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुये खातेदार एवं सहखातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं, को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लागू की गयी है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश, किसानो को डीबीटी के माध्यम से अनुदान का भुगतान करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना। '

प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14 प्रतिशत एवं 66.27 प्रतिशत कम है। कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ-साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है, इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

वर्ष 2010-11 से पूर्वी उत्तर प्रदेशः में हरित क्रान्ति के विस्तार की उप-योजना, चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने, जलस्तर को ऊपर उठाने, जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर, उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है। खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने हेतु वर्ष 2016-17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

पेराई सत्र 2019-2020 मे 119 चीनी मिले संचालित हैं, जिनके द्वारा 552 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुये 60 लाख 26 हजार टन चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश में कुल स्थापित 50 आसवनियों द्वारा दिसम्बर, 2019 तक 50 करोड़ 54 लाख लीटर एथनॉल की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है।

गन्ना की आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल, रमाला (बागपत) की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 टी.सी.डी. की गई तथा इसके साथ 27 मेगावॉट को-जेन संयंत्र लगाया गया, जिसका लोकार्पण 04

नवम्बर, 2019 को किया जा चुका है। मोहिउद्दीन-मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5,000 टी.सी.डी. तक बढ़ाया जा सकता है। सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, बिजनौर में 40 के.एल.पी.डी. और सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ में 30 के.एल.पी. डी. क्षमता की 02 नई डिस्टलरियाँ लगायी गयी। बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच, गोरखपुर एवं मुण्डेरवा, बस्ती के स्थान पर 5 हजार टी.सी.डी. की 2 नई चीनी मिलें और 27 मेगावॉट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई।

ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

प्रदेश के 38 हजार से अधिक असेवित गाँवों में से वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में 19 हजार 5 सौ असेवित गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। वर्ष 2019-2020 में मार्च, 2020 तक 6556 गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के परफार्मेन्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मे मुसहर, वनटांगिया तथा थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण मे प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यों के साथ सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायतों के क्षमता सम्वर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे की उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना की जा रही है।

पशुपालन

पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है तथा उनमें गति प्रदान करने के लिये नये अभिनव प्रयोगों को लागू किया जा रहा है। पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले मे प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है। वर्ष 2020-21 में मार्च, 2021 तक 305.00 लाख मी०टन० दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता कमश 330 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत 32.5 है जिसे 2022 तक 75 प्रतिशत किया जाना है। प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, सम्बर्धित तथा रोगमुक्त रखने में सरकार प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका-मुँहपका एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुँहपका रोग से मुक्त कराया जाना है। मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है, अतः सरकार द्वारा जून, 2014 मे मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रारम्भ की जा रही नयी योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" हेतु 243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत 74 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिये गये हैं। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किये जाने की योजना है। ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट के कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा।

बुन्देखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गोशालाओं का ऑन लाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी का क्षेत्र, कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प है। प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक-"पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन" औषधीय पौध मिशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

सिंचाई एवं जलापूर्ति

प्रदेश मे बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को वर्षा जल संचयन हेतु पुनर्विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण पर गठित "जल शक्ति विभाग" के अन्तर्गत रखा गया है।

इसी प्रकार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु "नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों मे भूजल के संचयन और अतिदोहन पर रोक लगाने हेतु 6 हजार करोड़ रूपये की लागत वाली "अटल भू-जल योजना" प्रारम्भ की है।

विगत् तीन वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं जिसके पूर्ण होने के उपरान्त 2 लाख 21 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे प्रदेश में 2 लाख 33 हजार किसान लाभान्वित हुये।

पूँजी निवेश

प्रदेश में तीव्र औद्योगीकरण के लिये प्रदेश सरकार सतत् प्रयासरत है। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजीनिवेश के लिये आकर्षक बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किये हैं। विगत् वर्षो में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एवं प्रवांसी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार हुआ है और प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाये जाने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये क्रेडिट आधारित क्लस्टर सुविधायें विकसित किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इसमें विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3 हजार से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें 23 एमओयू प्रदेश सरकार के डिफेन्स कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किये गये जिनसे प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश सम्भावित है।

पारम्परिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा

प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये तथा सुदूर इलाके तक विद्युत संयोजन, सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 5 हजार 800 मेगावॉट को माँग के अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3 हजार 960 मेगावॉट उत्पादन क्षमता की तापीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे वर्ष 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में लगभग 3 हजार मेगावॉट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना सम्भावित है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की गयी है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावॉट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

नागरिक उड्डयन

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति" प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ-साथ नॉन-रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या मे वृद्धि हो गई है। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के अन्तर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र (म्योरपुर) स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर गौतमबुद्धनगर में होंगे।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे की भूमि तथा परती भूमि ऊसर, बीहड़ खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर वृक्षारोपएण कराने की कार्य योजना है।

05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय संहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 मे प्रदेश में 28 जुलाई, 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों का पौधरोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकाड्र्स में नाम दर्ज कराया गया है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य मे बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 मे 173 हो गई हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु आईआईटी कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित

किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम-स्ट्राइप्स एप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारम्भ की गई है।

सड़क परिवहन व्यवस्था

प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लम्बाई में "पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना" का परिचालन प्रारम्भ हो चुका है। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिये लगभग 9। किलोमीटर लम्बाई में "गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे" के निर्माण का निर्णय लिया गया है। "पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे" से बलिया को जोड़ने के लिये "बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे" के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिये जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लम्बाई का "बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-व" निर्माणाधीन है। यह एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड के लिये लाइफ लाइन सिद्ध होगा।

मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लम्बे "गंगा एक्सप्रेस-वे" के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु "डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर" परियोजना के लिये आवश्यक भूमि झाँसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों मे चिन्हित की गयी है।

लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहाँपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। "इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019" का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गयी है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुर व लखनऊ-रूपैडिहा-नेपालगंज के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया।

नगरीय विकास

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20 हजार करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त 10 नगर निगमों के अतिरिक्त, 07 अन्य नगर निगमो- मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुये परियोजना की लागत 11 हजार 76 करोड़ रूपये अनुमोदित की गयी है। रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8 हजार 379 करोड़ रूपये की लागत से अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'सबके लिये आवास योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणो; विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

पर्यटन विकास

प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के बिखरे पड़े अवंशेषो को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों, स्मारकों तथा पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलो का उत्खनन आदि कार्य किये जा रहे हैं।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। 4 फरवरी,

2021 को चौरी-चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा, के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना, पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य का विकास किया जा रहा है।

औद्योगीकरण

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जो प्रयास किये गये हैं उनसे अब उद्यमियों द्वारा प्रदेश में उद्यम लगाना सरल हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के उपरान्त पिछड़े क्षेत्रों के लिये त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 घोषित की। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है।

औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश मे राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर के निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लिए जा रहे है, परिणामस्वरुप वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट" में प्रदेश गत वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये दूसरी रैंक हासिल की है।

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग-बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020" लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 03 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

देश के एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की शिकायतों के निराकरण हेतु 'रिवाइवल एवं फैसिलटेशन सेल' का गठन किया गया है। उ०प्र० सरकार ने उ०प्र० सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये "उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020" लागू किया है।

प्रदेश मे ओडीओपी जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017" प्रख्यापित की गई है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" लागू है।

अन्य

- त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओ से सम्बंधित यथा-सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है।
- दिव्यांग दम्पतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसे दिव्यांग दम्पतियों, जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों, के बच्चों के पालन-पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा।

- प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेंट, कृषि तथा विनिर्माण विकास, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों तथा सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है।
- आर्थिक विकास एक सतत् प्रकिया है, इसमें नीतिगत निर्णयों का परिणाम धीरे-धीरे ही दृष्टिगोचर होता है। विगत् वर्षों में लिए गए आर्थिक निर्णयों के सार्थक परिणाम मिलने प्रारम्भ हो गए हैं। सरकार द्वारा संतुलित विकास की रणनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश सरकार, एक ओर जहाँ कृषि विकास पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगीकरण हेतु भी निरन्तर प्रयास कर रही है इन्हीं प्रयासों के फलस्वररूप निवेश करने मे निवेशकों की रूचि बढ़ रही है।

अतः प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि कृषि विकास के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नहीं है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। इसीलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों क्षेत्रों के विकास पर एक साथ जोर दे रही है। एक ओर भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं यथा-प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैण्ड-अप एवं स्टार्ट-अप इण्डिया आदि के क्रियान्वयन मे उत्कृष्ट कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम-सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि प्रारम्भ कर उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के माध्यम से उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है।

सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्‌गम स्थल रहा है। अति प्राचीन समय से विभिन्न जाति एवं सामाजिक समूह इस क्षेत्र में आये और यहीं बस गये। इस राज्य में भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत भाग निवास करता है तथा भौगोलिक दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के पश्चात चौथे स्थान पर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किमी0 है।

प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 18 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 75 जनपद, 915 नगर एवं नगर क्षेत्र, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद्, 546 नगर पंचायतें, 58189 ग्राम पंचायतें, 826 विकास खण्ड, 97814 आबाद ग्राम, 351 तहसीलें, 17665 डाकघर एवं 2267 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

राजनैतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 404 सदस्य तथा विधान परिषद् में 100 सदस्य चुनकर भेजता है। आर्थिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिनमें 190.58 कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति राज्य आय (नवीन शृंखला) वर्ष 2011-12 के प्रचलित भावों पर वर्ष 2020-21 प्रति व्यक्ति आय रु. 65338 है।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 12106 लाख का 16. 5 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के 36 प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या सम्बन्धी सूचना तालिका में दृष्टिगत है-

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व-2011

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल 2011 (हजार वर्ग किमी०)	जनसंख्या 2011 हजार में	घनत्व 2011 (प्रति वर्ग किमी०)
1	आन्ध्र प्रदेश	162.97	49387	308
2	अरुणाचल प्रदेश	83.74	1384	17
3	असम	78.44	31206	398
4	बिहार	94.16	104099	1106

5	छत्तीसगढ़	135.19	25545	189
6	गोवा	3.70	1459	394
7	गुजरात	196.24	60440	308
8	हरियाणा	44.21	25351	573
9	हिमाचल प्रदेश	55.67	6865	123
10	झारखण्ड	79.72	32988	414
11	कर्नाटक	191.79	61095	319
12	केरल	38.85	33406	860
13	मध्य प्रदेश	308.25	72627	236
14	महाराष्ट्र	307.71	112374	365
15	मणिपुर	22.33	2856	128
16	मेघालय	22.43	2967	132
17	मिजोरम	21.08	1097	52
18	नागालैण्ड	16.58	1979	119
19	ओड़िशा	155.71	41974	270
20.	पंजाब	50.36	27743	551
21.	राजस्थान	342.24	68548	200
22.	सिक्किम	7.10	611	86
23.	तमिलनाडु	130.06	72147	555
24.	तेलंगाना	112.08	35194	307
25.	त्रिपुरा	10.49	3674	350
26.	उत्तर प्रदेश	240.93	199812	829
27.	उत्तराखण्ड	53.48	10086	189
28.	पश्चिम बंगाल	88.75	91276	1028
29.	जम्मू-कश्मीर	222.24	12541	124
30.	लद्दाख	**	**	**
31.	अण्डमान-निकोबार आईसलैण्ड	8.25	381	46
32.	चण्डीगढ़	0.11	1055	9258
33.	दादर नागर हवेली एवं दमन-द्वीप	0.60	587	975
34.	दिल्ली	1.48	16788	11320
35.	लक्ष्यद्वीप	0.03	64	2149
36.	पुडुचेरी	0.49	1248	2547
	भारत	**3287-24+**	**1210855**	**382**

+120849 वर्ग किमी0 विवादित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

**जम्मू-कश्मीर में सम्मिलित

स्रोतः भारत की जनगणना

जनसंख्या घनत्व

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991 में प्रति वर्ग किमी0 पर 548 व्यक्ति थे जो कि 2001 में 690 तथा 2011 में 829 प्रति वर्ग किमी0 हो गये जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भी व्यक्तियों का भार प्रति किमी0 क्षेत्र के अनुसार बढ़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवाँ स्थान रहा। 2001-11 की अवधि में उ.प्र. की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में (20.23 प्रतिशत) थी जबकि उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही। 1991-2001 की अवधि में उक्त वृद्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उक्त अवधि में भी भारत की दशकीय वृद्धि 21.5 प्रतिशत से अधिक थी।

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े

उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँटा गया है। आर्थिक क्षेत्रवार कुछ मदों के आँकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े

	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनसंख्या का प्रतिशत	भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी०	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
1	पूर्वी	804	40.0	86(35.6)	931	952
2	पश्चिमी	743	37.2	80(33.2)	930	884
3	केन्द्रीय	355	18.0	46(19.0)	785	895
4	बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
	उत्तर प्रदेश	1998	100.0	241(100.00)	829	912

नोट - कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.0 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत) केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत) का स्थान है।

विभिन्न आयु वर्गानुसार जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न आयु वर्गाकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आँकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये है-

तालिका

विभिन्न आयु वर्गानुसार उतर प्रदेश की जनसंख्या, 2011

	जनसंख्या (हजार में)				
आयु वर्ग	पुरूष	स्त्री	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6
समस्त	104,481	95,332	199,812	155,317	44,495
0—4	10,660	9,716	20,377	16,556	3,820
5—9	13,250.	11,811	25,062	20,362	4,699
10—14	13,679	12,191	25,870	20,774	5,096
15—19	12,308	10,733	23,040	17,779	5,261
20—24	9,405	8,173	17,579	12,989	4,590
25—29	7,466	7,113	14,580	10,861	3,719
30—34	6,431	6,523	12,.955	9,810	3,144
35—39	6,401	6,155	12,556	9,524	3,033
40—44	5,395	4,836	10,231	7,685	2,546
45—49	4,382	4,068	8,450	6,278	2,172
50—54	3,572	3,015	6,587	4,913	1,674
55—59	2,626	2,838	5,464	4,167	1,298
60—64	2,969	2,736	5,705	4,555	1,150
65—69	1,958	1,881	3,840	3,117	723
70—74	1,535	1,297	2,832	2,318	515
75—79	639	611	1250	1008	242
80+	936	877	1,812	1,448	364
आयु नहीं बताई	866	756	1,622	1,172	450

स्रोतः भारत की जनगणना

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 682 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिला साक्षर हैं तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जो भारत के संगत अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है जबकि वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था जो भारत के संगत अवधि में साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था।

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4157514 कुल विकलांग व्यक्ति हैं जिसमें 763988 दृष्टिहीनता, 266586 मूक, 1027835 बहरापन, 677713 गति, 76603 मानसिक, 181342

मानसिक मंदता, 946436 अन्य एवं 217011 बहु विकलांगता की श्रेणी में आते है। प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.08 है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमशः 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमशः 16.6 एवं 8.6 था।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1593.1 लाख (79.7 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं।

उत्तर प्रदेश तथा भारत में प्रमुख धर्मानुसार की जनसंख्या, 2011

	प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या (लाख)			कुल जनसंख्या से प्रतिशत	
		उ.प्र.		भारत	उ.प्र.	भारत
		कुल	नगरीय			
	1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दु	1593.1	293.7	9662.6	79.7	79.8
2.	मुस्लिम	384.8	143.3	1722.5	19.3	14.2
3.	ईसाई	3.6	1.7	278.2	0.2	2.3
4.	सिक्ख	6.4	2.1	208.3	0.3	1.7
5.	बौद्ध	2.1	0.3	84.4	0.1	0.7
6.	जैन	2.1	1.8	44.5	0.1	0.4
7.	अन्य तथा अवर्णित धर्म	6.0	2.0	108.1	0.3	0.9
	कुल जनसंख्या	1998.1	445.0	12108.5	100.0	100.0

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

एम.आर.एस. बुलेटिन भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2020 में प्रति हजार पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 25.1, 6.5 तथा 38.0 रही। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष २०२० में उक्त संख्या क्रमशः 19.5, 6.0 तथा 28.0 रही।

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण तथ्यात्मक आँकड़े

- क्षेत्रफल - 240928 वर्ग किमी0
- जिलों की संख्या - 75
- मण्डलों की संख्या - 18
- कुल जनसंख्या (वर्ष 2011) - 199812341
  - पुरुष - 104480510
  - महिला - 95331831
- 2001-2011 में जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 20.23
- नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश (2011) - 22.26
- जनसंख्या घनत्व - 829
- लिंगानुपात - 912:1000
- साक्षरता दर 7 वर्ष व अधिक की जनसंख्या के लिए (2011)
  - कुल - 67.7 प्रतिशत
  - पुरुष - 77.3 प्रतिशत
  - महिला - 57.2 प्रतिशत
- कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या (2011) - 20.7 प्रतिशत
- कुल जनसंख्या में अनुसूचित जन जाति की संख्या (2011) - 0.57 प्रतिशत
- कुल जनसंख्या में 15–59 आयुवर्ग-संख्या (2011) - 55.77 प्रतिशत
- कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर (2011) - 22.30 प्रतिशत
- कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत (2019–20) - 100.00 प्रतिशत

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद-2011 (जनसंख्या हजार में)

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या
1	प्रयागराज	5954	1	महोबा	876
2	आजमगढ़	4614	2	चित्रकूट	992
3	लखनऊ	4589	3	हमीरपुर	1104
4	कानपुर नगर	4581	4	श्रावस्ती	1117
5	जौनपुर	4494	5	ललितपुर	1222

सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1	खीरी	7680	1	हापुड़	660
2	सोनभद्र	6905	2	गाजियाबाद	910
3	हरदोई	5986	3	भदोही	1015
4	सीतापुर	5743	4	शामली	1212
5	प्रयागराज	5482	5	गौतमबुद्ध नगर	1282

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)
1	गाजियाबाद	3674	1	ललितपुर	242
2	वाराणसी	2395	2	सोनभद्र	270
3	लखनऊ	1816	3	हमीरपुर	275
4	संत रविदास नगर	1555	4	महोबा	279
5	कानपुर नगर	1452	5	चित्रकूट	308

सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत	क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत
1	गौतमबुद्ध नगर	49.11	1	कानपुर नगर	9.92
2	गाजियाबाद	41.27	2	हमीरपुर	11.12
3	श्रावस्ती	30.54	3	बागपत	11.95
4	बहराइच	29.10	4	फतेहपुर	14.05
5	बलरामपुर	27.72	5	देवरिया	14.25

सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात	क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात
1	जौनपुर	1024	1	महोबा	851
2	आजमगढ़	1019	2	चित्रकूट	861
3	देवरिया	1017	3	हमीरपुर	861
4	प्रतापगढ़	998	4	श्रावस्ती	862
5	सुल्तानपुर	983	5	ललितपुर	863

सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	80.12	1	श्रावस्ती	46.74
2	कानपुर नगर	79.65	2	बहराइच	49.36
3	औरय्या	78.95	3	बलरामपुर	49.51
4	इटावा	78.41	4	बदायूँ	51.29
5	गाजियाबाद	78.07	5	रामपुर	53.34

सर्वाधिक व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	88.26	1	श्रावस्ती	57.16
2	औरय्या	86.11	2	बहराइच	58.34
3	इटावा	86.06	3	बलरामपुर	59.73
4	गाजियाबाद	85.42	4	बदायूँ	60.98
5	झाँसी	85.38	5	रामपुर	61.40

सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर
1	कानपुर नगर	75.05	1	श्रावस्ती	34.78
2	लखनऊ	71.54	2	बलरामपुर	38.43
3	गौतमबुद्ध नगर	70.82	3	बहराइच	39.18
4	औरय्या	70.61	4	बदायूँ	40.09
5	गाजियाबाद	69.79	5	रामपुर	44.44

●

नियोजन

प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2021-2022 में इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न प्रभाग कार्यरत हैं :-

1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग
2. विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग
3. मूल्यांकन प्रभाग
4. प्रशिक्षण प्रभाग
5. क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
6. दीर्घकालीन योजना प्रभाग
7. जनशक्ति नियोजन प्रभाग
8. योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग
9. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

संस्थान के उपर्युक्त प्रभागों में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, प्रकाशन एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है।अग्रगामी प्रयोगों द्वारा ग्रामीण विकास के शोध एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है। संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी तथा विभिन्न विकास विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन एवं विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में जनशक्ति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कार्य जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्लेषण तथा दीर्घकालीन योजना की संरचना का कार्य दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों की चयनित वृहद् परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का

अनुश्रवण एवं परियोजनाओं की लागत प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में विनियोजन हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन कराया जाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में ''ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स् एण्ड इकोनामिक रिसर्च'' नाम से की गयी थी। बीच में अनेक बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1947 में आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित कर इसे एक सम्पूर्ण विभाग का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंततः वर्ष 1971 में नियोजन के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गयी तथा उक्त स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
2. प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
3. राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
5. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
6. विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
7. जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण-

- राज्य आय अनुमान
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान
- जिला घरेलू शुद्ध उत्पाद के अनुमान
- उ.प्र. के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
- उ.प्र. की आर्थिक समीक्षा
- मण्डलीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- विकास खण्ड स्तरीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- जिला योजना की संरचना एवं अनुश्रवण
- स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
- भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े
- थोक/फुटकर भाव संग्रह
- मजदूरी की दरें
- क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों पर आधारित स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट
- ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन
- जिलेवार विकास संकेतक उ.प्र.
- उ.प्र. एक झलक (आंकड़ों में)
- सांख्यिकीय डायरी
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़ें
- सांख्यिकीय सारांश, उ.प्र.
- अन्तर जनपदीय आंकड़ें

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके, क्रियात्मक शोध पद्धति अपनाते हुये पायलेट प्रोजेक्ट बनाना तथा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनसहभागिता को अपनाते हुए उसका क्रियान्वयन करके उपयुक्त माडल विकसित करना है। सफल कार्यक्रमों को शासन के सम्बन्धित विभागों को व्यापक प्रचार तथा ''रेप्लीकेशन'' हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

अपेक्षित मुख्य कार्यकलापों का विवरण

वर्तमान में इस प्रभाग द्वारा क्रियात्मक शोध सम्बन्धी कार्य यथा वैकल्पिक ऊर्जा (बायोगैस), ग्रामीण स्वच्छता (रूरल सेनीटेशन) आदि संचालित किये जा रहे हैं।

मूल्यांकन प्रभाग

प्रभाग का गठन एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1965 में की गयी थी। इस प्रदेश में मूल्यांकन संगठन स्थापित करने में कार्यकारी दल की संस्तुतियों का पूर्ण रूपेण अनुसरण किया गया है। मूल्यांकन संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, ताकि मूल्यांकन सलाहकार परिषद मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन कर सके। तत्पश्चात् वर्ष 1972 से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. की स्थापना के फलस्वरूप एक प्रभाग के रूप में स्थापित है।

प्रभाग का कार्य

प्रदेश के विकास में मूल्यांकन प्रभाग की अहम भूमिका है। योजनाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रही हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ज्ञात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन दल द्वारा चयनित जनपदों में जाकर लाभान्वितों से

साक्षात्कार कर आवश्यक तथ्य संकलित किये जाते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार–विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। अध्ययन प्रतिवेदन में मूल्यांकनोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव/संस्तुतियाँ की जाती हैं।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना 1981 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत की गयी थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं के 'क' एवं 'ख' वर्ग के अधिकारियों एवं राज्य नियोजन संस्थान के कार्मिकों हेतु नियोजन एवं विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थ एवं संख्या प्रभाग के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

प्रभाग के उद्देश्य

1. नियोजन एवं विकास से सम्बन्धित विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. अर्थ एवं संख्या प्रभाग के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
3. राज्य स्तर के विभागों हेतु परामर्शी सेवाएं एवं उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना।

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

प्रदेश में संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में की गयी। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं एवं समस्याओं को अभिज्ञानित करने हेतु अध्ययन करना है। प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नवत् है :-

1. पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
2. बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।

दीर्घकालीन योजना प्रभाग

दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी थी। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु एक उपयुक्त दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना है, जिसकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। इस उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय विकास परिप्रेक्ष्य से तालमेल स्थापित करते हुए प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र (सेक्टोरल एण्ड ओवर आल) अर्थव्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धि दर, आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय, सम्भावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवर्ती प्रतिबद्धतायें हैं। इन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्स (उत्पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम-उत्पादन, अनुपात, पूँजी-उत्पादन अनुपात, विकास-रणनीति आदि) से सम्बन्धित बहुआयामी अध्ययनों का सतत् सम्पादन प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

वर्ष 2021-22 के प्रकाशनों की सूची

1. जनपदों से प्राप्त सतत् विकास लक्ष्य से सम्बन्धित

2. वेस्ट प्रैक्टिसेज (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) प्रकाशित

जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है जिनसे प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर, मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. महत्त्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉफ तथा मांग एवं पूर्ति का आंकलन।
2. विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का आंकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।
3. विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण (2021)

1. केन्द्र सरकार के अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा आधार के साथ लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी.बी.टी. पोर्टल पर डी.बी.टी. योजनाओं को ऑनबोर्ड कर मासिक सूचनायें केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना।
2. उत्तर प्रदेश के विकास हेतु ज्ञापन का एजेण्डा वर्ष 2015-16 सूत्र संख्या-151 के अन्तर्गत ''एन.जी.ओ. के साथ सहभागिता के लिये प्रोसीजर्स तय किया जाना'' सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही।
3. आयुवर्ग -0-18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही तथा आधार परियोजना से सम्बन्धित अन्य कार्य।

दिनांक 31.03.21 तक सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का विवरण-

1. केन्द्र सरकार के अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा आधार के साथ लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर डी0बी0टी0 योजनाओं को ऑनबोर्ड कर मासिक सूचनायें केन्द्र सरकार के उपलब्ध कराना तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं की पाक्षिक एवं क्रमिक प्रगति की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना।
2. आयुवर्ग 0-18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही।
3. राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य-विवरण वर्ष 2021-22
4. सरप्लस स्टाफ पूल एवं अनुपयोगी स्टाफ सम्बन्धी कार्य।
5. एन0आई0सी0 के माध्यम से एन0जी0ओ0 वेबपोर्टल का निर्माण कराना।

6. विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेंट (सीनियर लेवल/मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्था (कन्सल्टेंसी फर्म्स) का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।
7. प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।
8. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जा रही केन्द्र पोषित योजनाओं का उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाना।
9. उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर राज्य सरकार की योजनाओं को ऑनबोर्ड किया जाना।
10. उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल को डी0बी0टी0 से आच्छादित योजनाओं हेतु सम्बन्धित विभागों को एन0आई0एस0 पोर्टल से लिंक किया जाना।
11. उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत योजनाओं, सेवाओं आदि में आधार के उपयोग के सम्बन्ध में विभागों द्वारा बनाये जा रहे नियमों/अधिसूचनाओं का अनुश्रवण।
12. डी0बी0टी0 योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों के आधार बेस्ड ऑथेन्टीकेशन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही।
13. एन0जी0ओ0 वेबपोर्टल/वेबसाइट तैयार होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार स्वय सेवी संस्थाओं को ऑन-लाइन सूचीबद्ध एवं अन्य कार्यवाही करना।
14. कार्यवाही विभागों द्वारा ब्लैंक लिस्टेड संस्थाओं हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य।
15. सेवानिवृत्त स्वेच्छा से एवं बिना पारिश्रमिक के सेवायें प्रदान करने वाले कार्मिकों का डाटाबेस एवं पोर्टल तैयार किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
16. शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य प्रकीर्ण कार्यों का निष्पादन।

योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग

नियोजन विभाग के अन्तर्गत योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग का सृजन मई, 1973 में इस उद्देश्य से किया गया था कि यह प्रभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गयी चयनित परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा कमी के सम्बन्ध में शासन को नियमित रूप से अवगत करायेगा।

प्रभाग के कार्यकलापों का विवरण

- उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) भारत सरकार में गठित प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पी.एम.जी.) भारत सरकार के प्रतिनिधि के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समस्त तकनीकी कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नियोजन विभाग द्वारा राज्य नोडल के रूप में भारत सरकार तथा जिला प्राधिकारियों के मध्य समन्वय का कार्य सम्पादित किया जाना।
- मंत्रिमण्डलीय सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ई-समीक्षा वेबसाइट पर विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत दर्शित एक्शन समय-समय पर समीक्षा बैठकें आहूत कर अपडेट करवाना।

- प्रदेश में निर्माणाधीन रु. 500 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- प्रदेश में निर्माणाधीन रु. 100 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आहूत करना।
- प्रदेश में रु. 25.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आहूत कराना।
- प्रदेश में रु. 50.00 करोड़ से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों (सड़कों को छोड़कर) से सम्बन्धित कार्यों के अनुश्रवण हेतु नोडल के रूप में कार्य सम्पादित करना।
- परियोजनाओं की लागत पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु सेतु एवं भवन सूचकांकों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य।
- निवेशकों को निवेश के लिए ऑनगोइंग प्लेटफार्म प्रदान करने के साथ ही निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने, अर्थव्यवथा को तीव्र गति से बढ़ाने एवं अवस्थापना और अवसंरचना के क्षेत्र में आ रही नवीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों को अवगत कराने के उद्देश्य से गठित भारत सरकार के नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड पर वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक की रु. 100 करोड़ से अधिक लागत की इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का गठन राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत शासनादेश सं0 भाग 2074/35-1-73-3/18(स)/72 दिनांक 29.05.1972 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूँजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय सहायता, तकनीक सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदता का मूल्यांकन करना है।

प्रभाग का कार्यक्षेत्र

- व्यय वित्त समिति सचिवालय
- पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) सचिवालय

व्यय वित्त समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

- व्यय के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर जाँच करके तत्परता से अन्तिम निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 22 अप्रैल 1977 द्वारा व्यय वित्त समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति की सदस्यता, कार्य प्रक्रिया, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में दिनाँक 24 जुलाई, 1998 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया।

समिति का कार्यक्षेत्र

- योजनाओं/परियोजनाओं में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्व के परीक्षण का स्तर निम्नवत है–

क्र.सं.	परियोजना के व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का प्रशिक्षण
1.	रु. 5.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग
2.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हो।)
3.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हो)।
4.	रु. 25.00 करोड़ से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन जनवरी, 1977 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था।
2. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले पूँजी विनियोग प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति देना है।
3. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड प्रदेश में नये नियमों की स्थापना की आवश्यकता का भी परीक्षण करता है।
4. सार्वजनिक उद्यमों, स्टेट्यूटरी निगमों, सहकारी संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों स्थानीय निकायों विचार करना के सभी विनियोजन प्रस्तावों पर (को छोड़कर, जिनमें कुल विनियोजन पांच करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक हो।)
5. संयुक्त सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में एक करोड़ रुपये या अधिक का विनियोजन किया जाता है। ऐसी प्रायोजनाओं को पुनरीक्षित किया जाता है, जिनकी पुनरीक्षित प्रायोजना लागत, मूल लागत से 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो तो पुनरीक्षित प्रायोजना पी0आई0बी0 के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
6. संयुक्त/सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का विनियोजन किया जाना हो और प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

●

वित्त

वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय :-

गठन :

संसाधन खण्ड, वित्त विभाग के अन्तर्गत दिनांक 08 फरवरी, 1984 को निदेशालय का गठन किया गया।

गठन का उद्देश्य :

वित्त संसाधन खण्ड के अधीन सम्पादित किये जाने वाले तकनीकी प्रकृतिके कार्यों की निरन्तरता बनाये रखने के लिये सचिवालय स्तर पर अलग से ऐसी संस्था बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके द्वारा शासन का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सके।

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग :

कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ तथा व्यय से सम्बन्धी कार्य

- राजस्व प्राप्तियों का मासिक/क्रमिक सूचना तैयार करना।
- प्राप्तियों की समीक्षा हेतु उच्च स्तर पर बैठकों के आयोजन सम्बन्धी समस्त कार्य।
- राजस्व प्राप्तियों वाले विभागों के वार्षिक लक्ष्य सम्बन्धी समस्त कार्य।

बजट सम्बन्धी कार्य

- राज्य के बजट हेतु कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों के विभागों द्वारा उपलब्ध अनुमानों का परीक्षण कर अन्तिम रूप दिया जाना।
- राजस्व प्राप्तियों वाले विभागों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने सम्बन्धित समस्त कार्य।
- बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले मध्यकालिक नीति पत्रक (MTFRP) में आगामी वर्षों के वित्तीय स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करना।
- ऋणों एवं कर तथा करेत्तर राजस्व के बकाया वसूली की स्थिति तैयार करना तथा आय-व्ययक के प्रपत्रों को तैयार करने का कार्य।
- बजट के साथ प्रकाशित खण्ड-6, जिसमें राज्य के सभी कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध होती है, की सूचना का संकलन, अध्ययन एवं अन्तिम रूप दिये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य।
- प्रत्येक वर्ष राज्य बजट की प्रस्तुति के उपरान्त बजट का सारांश बजट की रूपरेखा तैयार कर पुस्तिका सदन में वितरित कराने सम्बन्धी कार्य।
- नीति आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य। सतत विकास लक्ष्यों के सम्बन्धित वित्त विभाग के

समस्त कार्य।

- नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली ''आर्थिक समीक्षा'' में वित्त विभाग से सम्बन्धित अध्याय तैयार कराने का कार्य।
- समय-समय पर गठित टैक्सेशन कमेटी सम्बन्धी समस्त कार्य।
- समय-समय पर मा. मंत्रिगण/मुख्य सचिव के स्तर पर गठित की जाने वाली संसाधन समिति की बैठकों के आयोजन का समस्त कार्य।
- महालेखाकार कार्यालय द्वारा माँगी गई सूचनाओं से सम्बन्धित कार्य।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग तथा केन्द्रीय सहायता) अनुभाग

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि के दौरान किये जाने वाले समस्त कार्य-

- आयोग के निर्देश पदों (TOR) पर राज्य सरकार का ज्ञापन (Memorandum) तैयार करना।
- आयोग द्वारा राज्य एवं स्थानीय निकाय सम्बन्धी वांछित वृहद सूचनाओं को संचालित किये जाने हेतु प्रदेश के सभी विभागों के साथ समन्वय/संवाद स्थापित कराना।
- उक्त हेतु उच्च स्तर पर लगातार आयोजित की जाने वाली बैठकों सम्बन्धी समस्त कार्य।
- संकलित सूचनाओं का वित्त विभाग के स्तर पर गहन परीक्षण करने सम्बन्धी कार्य।
- सूचनाओं को अन्तिम रूप देकर आयोग को प्रेषित करने एवं इसके उपरान्त आयोग द्वारा की गई जिज्ञासाओं के निराकारण सम्बन्धी कार्य।
- केन्द्रीय वित्त आयोग के प्रदेश भ्रमण के दौरान, बैठकें (मा. मुख्यमंत्री जी, उच्च स्तरीय अधिकारियों, राजनीतिक दलों एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों एवं औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों) आयोजित सम्बन्धी कार्य।
- केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर संस्तुतियों का अध्ययन तथा आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य।
- केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान, स्थानीय निकायों हेतु अनुदान तथा आपदा राहत अनुदान के उपयोग के अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय बैठकों के आयोजन का समस्त कार्य।

राज्य वित्त आयोग सम्बन्धी कार्य

- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन।
- संस्तुतियों को मा. मंत्रि-परिषद के समस्त प्रस्तुत करने सम्बन्धित कार्य।
- संस्तुतियों पर विचार-विमर्श हेतु गठित की जाने वाली मा. मंत्रि-परिषद की समिति की बैठकों का आयोजन।
- संस्तुतियों पर कार्यवाही ज्ञापन को तैयार करना एवम् विधान-मण्डल में प्रस्तुत करने सम्बन्धी समस्त कार्य।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा वांछित सूचनाओं का संकलन तथा उन्हें अद्युनान्त कराने से सम्बन्धित समस्त कार्य।

अन्य कार्य

- केन्द्र तथा राज्य के वित्तीय सम्बन्ध विषयक बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि का नियमित संकलन, महालेखाकार कार्यालय से मिलान तथा विभागों के साथ बैठकों आदि का आयोजन।
- शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये विशिष्ट प्रकृति के कार्य।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट के पूर्व आयोजित वित्त मंत्रियों की बैठक हेतु मा. वित्त मंत्री जी का भाषण तैयार करने का कार्य।
- भारत सरकार में आयोजित राज्यों के वित्त सचिवों की बैठकों हेतु सूचना तैयार कराने सम्बन्धी कार्य।
- समय-समय पर केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित आयोग/कमेटी हेतु वांछित सूचना/प्रस्तुतीकरण तैयार कराये जाने सम्बन्धी कार्य।

निदेशालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य

- राज्य के बजट में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं आदि के परिव्यय की स्थिति की विस्तृत स्थिति को स्पष्ट करने वाली 'बजट प्लान लिंक' पुस्तिका को तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना।
- विगत 20 वर्षों की प्रदेश की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति का ऑकड़ों के माध्यम से प्रदर्शन हेतु सूचनायें तैयार करना।
- निदेशालय के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।

राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय बचत का इतिहास :-

राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश का गठन वर्ष 1972-73 में किया गया है, राष्ट्रीय बचत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव वित्त, उ.प्र. शासन, राष्ट्रीय बचत विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव वित्त उ.प्र. शासन विभाग के अपर निदेशक हैं।

विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें :-

1. शासन के निर्देशानुसार प्रदेश का राष्ट्रीय बचत योजना का शुद्ध जमा धनराशि का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तदोपरान्त उक्त लक्ष्य या विभाजन प्रदेश के जनपदों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक मंडल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के लक्ष्य का योग मंडल का लक्ष्य होता है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नियंत्रण/निर्देशन में सहायक निदेशक (बचत)/जिला बचत अधिकारी द्वारा जनपद के अधिकारियों, बचत अभिकर्ताओं द्वारा जन सामान्य में संपर्क स्थापित कराकर धनराशि निवेश कराई जाती है एवं मंडल स्तर पर आयुक्त के नियंत्रण/निर्देशन में उप निदेशक राष्ट्रीय बचत द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना की प्रगति की समीक्षा कराई जाती है।
2. डाकविभाग में धनराशि निवेश कराये जाने के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का निराकरण यथा

संभव डाक विभाग के अधिकारियों को संपर्क कर, जिला डाक समन्वय समिति एवं मंडल स्तर पर मंडलीय डाक समन्वय समितियों के माध्यम से तथा सहायक निदेशकों द्वारा अभिकर्ताओं के साथ हुई बैठकों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय बचत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियाँ :-

राष्ट्रीय बचत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रदेश का शुद्ध जमा का वार्षिक लक्ष्य रुपये रुपये 6000 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2022 तक 22497.53 करोड़ शुद्ध जमा कराते हुए 374.96 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की गयी हैं।

राष्ट्रीय बचत की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बचत योजनायें :-

राष्ट्रीय बचत निदेशालय द्वारा अपनी कोई परियोजना संचालित नहीं है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत की विभिन्न प्रतिभूतियां प्रचलन में हैं, इन प्रतिभूतियों की ब्याज दरें प्रत्येक तिमाही में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की जाती है। वर्तमान में प्रचलित प्रतिभूतियों में निवेश डाकघरों के माध्यम से एवं कुछ प्रतिभूतियों में डाकघरों के साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के माध्यम से धनराशि निवेशित की जाती है।

विभाग की नीति :-

राष्ट्रीय बचत योजना ग्रामीण अंचलों व नगरीय अंचलों में जन सामान्य में धन निवेशित कराकर बचत की आदत को बढ़ावा देना है जिससे ये अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकें। निवेशकों को बचत हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है और अभिकर्ताओं को धन डाकघर की विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेशित कराने पर कमीशन मिलता है जो कि उनके जीविकोपार्जन में सहायक होता है व उन्हें रोजगार प्राप्त होता है।

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ.प्र.

विभाग का संक्षिप्त इतिहास :-

विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का वित्तीय प्रबन्धन अपने आप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण ही नहीं अपितु विविधतापूर्ण एवं बहुआयामी रहा है। इसे दृष्टि में रखते हुए राज्य के लेखा एवं आडिट से सम्बन्धित कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं सतत कौशल-अभिवृद्धि हेतु इस संस्थान के बीज रूप में सर्वप्रथम वर्ष 1973 में कोषागार कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी थी जिससे वर्ष 1978-79 से शासन के विभिन्न विभागों के लेखाकारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी। वर्ष 1984-85 से वित्त एवं लेखा के अधिकारियों हेतु वाणिज्यिक लेखा प्रणाली में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। वित्तीय विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण की उपादेयता को देखते हुए वर्ष 1986-87 में प्रशिक्षण केन्द्र की पूर्णकालिक निदेशक के अधीन वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान (FATI) के रूप में उच्चीकृत किया गया। कालान्तर में इस संस्थान को वर्ष 1997-98 में राष्ट्रीय स्तर प्रदान करते हुए इसका नाम वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ.प्र. (IFMTR) कर दिया गया।

प्रमुख कार्य योजनायें :-

वर्तमान में संस्थान में उ.प्र. वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों तथा कोषागार कार्मिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान

किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियाँ :-

संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही वित्त-पथ पुस्तिका- 2022 भी प्रकाशित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित योजनायें :-

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनवरत संचालन किया जा रहा है।
- प्रशिक्षुओं हेतु लखनऊ के अन्य विशेषज्ञ/प्रोफेशनल संस्थानों यथा- IIM, ICWAI, ICAI, RBI तथा गिरी संस्थान तथा लखनऊ में अवस्थित अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों यथा उपाम, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान आदि में अल्पावधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- प्रशिक्षुओं का दूसरे राज्यों तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों यथा- NIPFP फरीदाबाद, दिल्ली में अल्पावधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

विभाग की नीति :-

प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों का गुणवत्तापूर्ण संचालन।

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा उ.प्र.

विभाग की उपलब्धियाँ :-

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखे गये।
2. भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 की 56481 ग्राम पंचायतों का आनलाइन आडिट 31.03.2022 तक सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायतों की 53185 की ऑडिट ऑनलाइन सम्पन्न की गयी।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुभाग सहकारिता में कुल 278 विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत है, जिसमें कुल 59712 लाख रु. की धनराशि सन्निहित है तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कुल 4753 अधिभार प्रतिवेदन निर्गत हुए हैं तथा निर्गत प्रतिवेदनों में कुल 131305 लाख रु. की धनराशि सन्निहित है।
4. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता की अपेक्षानुसार विशेष अभियान चला कर 3826 पैक्स समितियों के वर्ष 2021-22 का आडिट सम्पन्न कराया गया। इस प्रकार वर्तमान वर्ष में कुल 5510 सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा सम्पन्न करायी जा चुकी है।
5. आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अपेक्षानुसार अभियान चलाकर वर्तमान वर्ष में 473 सहकारी आवास समितियों की लेखापरीक्षा सम्पन्न करायी गयी।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र.

विभाग की स्थापना की पृष्ठभूमि :-

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना महालेखाकार कार्यालय की एक शाखा के रूप में

वर्ष 1898 में हुई थी। तत्पश्चात् पहली अप्रैल, 1926 को राज्य सरकार ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो सम्प्रति शासन के वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित है। राज्य सरकार इस विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में प्रदान की गयी निधियों की सम्परीक्षा कराता है।

उद्देश्य :-

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का उद्देश्य प्रदेश की स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों, राज्य विश्वविद्यालयों, न्यास निधियों तथा राज्य सरकार से अनुदानित अन्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा करना है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा विभिन्न संस्थाओं की विशेष सम्परीक्षा हेतु आवंटित लेखों की भी सम्परीक्षा सम्पादित की जाती है।

रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ.प्र.

विभाग का क्रियाकलाप :-

विभाग द्वारा जनहित में निम्नलिखित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण आदि की कार्यवही सम्पादित की जाती है:-

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860
2. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932
3. चिट फण्ड अधिनियम 1982

कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

प्रदेश के कोषागारों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए कोषागार निदेशालय की स्थापना सन् 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। कोषागार निदेशक को इस विभाग का प्रमुख घोषित किया गया और उनकी सहायता के लिये एक अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक और एक विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओ.एस.डी) नियुक्त किये गये। यह समस्त अधिकारी उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के हैं। निदेशक कोषागारों के लेखा संवर्ग के कार्मिकों, मण्डलीय कार्यालयों के अधीनस्थ कार्मिकों, सहायक कोषाधिकारी, उप कोषाधिकारी, नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखा कार्यालय के कर्मचारियों तथा जवाहर भवन लखनऊ स्थित कोषागार के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी अधिकृत किया गया है। निदेशक को इन अधिकारियों के कैडर प्रबंधन का अधिकार भी दिया गया है। निदेशालय के अधीन अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन के मण्डलीय कार्यालय तथा जिला स्तर पर कोषागार है, जो जिलाधिकारी के प्रशानिक एवं कोषाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिले के तहसील स्तर पर उपकोषागार के अधीन, उपकोषाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते है।

प्रमुख विशेषताएं :-

1. पूर्ण कम्प्यूटरीकृत कार्य-प्रणाली द्वारा कार्यों का संचालन
2. ऑनलाइन भुगतान व प्राप्ति प्रणाली
3. पारदर्शी कार्य

4. सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रबंधन
5. ऑनलाइन डी0डी0ओ0 पोर्टल
6. कोषवाणी वेबसाइट द्वारा विभागों एवं जनता के लिए वांछित डाटा उपलब्धता

कार्य :-

1. कोषागार निदेशालय, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा जनपद कोषागारों के कार्यालयों के बजट का आवंटन करना।
2. उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के समूह 'ख' के अधिकारियों, कोषागार निदेशालय, उ.प्र. के अधिष्ठान के कार्मिकों, कोषागार लेखा संवर्ग के कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य यथा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, भवन निर्माण और भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम धनराशि की अनुमति देना।
3. वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों, उप कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी और प्रदेश के जनपद कोषागार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के पाठयक्रम की निगरानी करना।
4. महालेखाकार, उ0प्र0 के साथ कार्यो में समन्वय स्थापित करना।
5. उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों के कार्यो का पर्यवेक्षण/नियन्त्रण करना।
6. शासन एवं कोषागारों के मध्य समन्वयक की भूमिका।

विभाग की नीति/भौतिक प्रगति :-

- **ई-पेमेंट :-** एन0पी0एस0 (NPS) और फाइनैंशियल मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम् (FMIS) जैसी योजनाओं के साथ-साथ सरकार ने ई-पेमेंट की एक और नई योजना वर्ष 2012-13 में लॉन्च की। ई-पेमेंट योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू कर दिया गया। ई-पेमेंट योजना का एक अधिक उन्नत और परिष्कृत रूप ई-कुबेर योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी।
- **नवीन पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन योजना :-** इस योजना के प्रारम्भ में नई पेंशन योजना को डीसीआई नंबर के साथ पेंशन निदेशालय ने शुरू किया था। पेंशन निदेशालय द्वारा इस परियोजना के तहत हजारों कर्मचारियों को डीसीआई नंबर प्रदान किये गये और उनके खातों का हिसाब रखना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में एनएसडीएल द्वारा उक्त खातों का रख-रखाव किया जा रहा है। ऑनलाइन लॉगिन कर कटौतियों का विवरण देखा जा सकता है।
- **एनएसडीएल के माध्यम से नवीन पेंशन योजना का संचालन :-** वर्तमान में नवीन पेंशन योजना का नाम राष्ट्रीय पेंशन योजना हो गया है। अब एनपीएस कर्मचारियों का पंजीकरण और उनके योगदान का ब्यौरा रखना एनएसडीएल का उत्तरदायित्व है। पुराने डीसीआई नंबर की जगह अब प्रान का इस्तेमाल होने लगा है।
- **सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षण :-** उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को वेतन एवं पेंशन हेतु जारी कर दिया है।
- **डी0डी0ओ0 पोर्टल :-** प्रदेश में ई-पेमेंट व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा ऑनलाइन सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की व्यवस्था की गयी।

- **यूपीएफएएस की वेबसाइट** :- कोषागार निदेशालय द्वारा यू.पी. फाईनेन्स एण्ड एकाउन्ट सर्विसेज़ की एक वेबसाइट बनाई गयी है।
- **केंद्रीय सर्वर** :- इस समय यू.पी. के 78 जनपदीय कोषागार, राजभवन, इरला अनुभाग तथा विधान सभा कोषागार स्वयं की एप्लिकेशन और डेटा सर्वर पर केंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। कोषागार का डेटा 'कोषवाणी' सर्वर पर हर घंटे अपलोड होता है।
- **ई-रिसीट** :- वर्तमान समय में प्रदेश में जी0एस0टी0 एवं वैट की 100% रिसीट प्राप्त की जा रही है तथा राजकोष पोर्टल (Rajkosh.up.nic.in) के माध्यम से विभिन्न विभागों के पोर्टल को इन्टीग्रेट करके रिसीट प्राप्त की जा रही है।
- **ई-कुबेर प्रणाली** :- शासनादेश दिनांक 30 जून, 2017 के अनुपालन में कोषागार कानपुर नगर में दिनांक 11 जुलाई, 2017 से ई-कुबेर प्रणाली का परीक्षण प्रारम्भ किया गया। 11 जुलाई, 2018 के पश्चात इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू किया गया तथा दिसम्बर, 2018 के पश्चात् प्रदेश के समस्त कोषागारों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस प्रणाली की निम्न विशेषतायें है :-

1. ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत कोषागार द्वारा सेंट्रल ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से आर0बी0आई0 द्वारा बेनीफिशियरी के खातों में हर आधे घंटे में भुगतान क्रेडिट हो रहा है।
2. यदि किसी बेनीफिशियरी का खाता त्रुटिपूर्ण है अथवा खाता नॉन ऑपरेटिंग है या आई0एफ0एस0सी0 कोड गलत है अथवा किसी भी अन्य कारणों से बेनीफिशियरी के खाते में धनराशि क्रेडिट नही हो पा रही है, तो वह धनराशि कोषागार के खाते में उसी दिन वापस प्राप्त हो जा रही है अर्थात सरकार का पैसा सरकार के खाते में उसी दिन वापस प्राप्त हो जाता है।
3. ई-कुबेर प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त ड्राफ्ट बनाने की सुविधा समाप्त हो जाने से विभागों द्वारा जो अनावश्यक रूप से ड्राफ्ट बनवाकर रख लिया जाता था, जिससे सरकार का राजस्व तो आहरित हो जाता था परन्तु बेनीफिशियरी को भुगतान समय से प्राप्त नहीं होता था। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट बनवाने में कमीशन के रूप में होने वाले व्यय की भी बचत हो रही है।
4. ई-कुबेर प्रणाली में पेमेंट स्क्राल उसी दिन अथवा बिलम्बतम अगले दिन प्रातः प्राप्त हो रहा है जबकि वर्तमान प्रणाली में पेंमेंट स्क्राल प्रायः बिलंबित हो जाता है।
5. भुगतान पक्ष का खारिजा स्वतः हो रहा है। पेमेंट की कैशबुक मिलाने में कोई भी असुविधा नही होती है। वर्तमान प्रणाली में स्क्राल ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है।
6. ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक ई-पेमेंट में पूर्व निर्धारित 05 हजार लाभार्थियों की संख्या को रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है, जिससे किसी भुगतान में लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर भी एक साथ भुगतान किया जाना संभव हो गया है।
7. भुगतान संबंधी जानकारी एवं एम0आई0एस0 हेतु रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सरकार को पोर्टल उपलब्ध कराया जायेगा जिससे भुगतान की जानकारी तत्काल उपलब्ध होगी तथा स्क्राल आने की बाध्यता नही रह जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियाँ :-

(क) कोषागारों के सर्वर को महालेखाकार, बैंकों तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के वेबसाइट से इंटीग्रेट किया गया, जिससे पेपरलेस व्यवस्था की ओर अग्रसर हों।

(ख) कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर हेतु डी.आर. सेन्टर (Disaster Recovery Center) स्थापित किया गया है।

(ग) कोषागारों में बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस की स्थापित कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित योजनायें :-

(क) ई-ऑफिस लागू कराया जाना।

(ख) कोषागारों के अनुरक्षण के माध्यम से सौन्द्रयीकरण कराया जाना।

(ग) पेंशनरों की सुविधा हेतु पेंशनर कक्षों का निर्माण कराया जाना।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ.प्र.

निदेशालय की स्थापना- (21 जुलाई, 1986)

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 जुलाई, 1986 द्वारा राज्य के सभी विभागों में लेखा रखने की पद्धति में सुधार लाने हेतु अध्ययन कर प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को सुझाव देने तथा विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों तक बनाये जाने वाले लेखों के निरीक्षण और उसमें पायी गयी कमियों के निराकरण के उद्देश्य से **''विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ''** की स्थापना की गयी थी। शासनादेश दिनांक 21-07-1988 द्वारा विभिन्न विभागों के कोषागार में खोले गये **''वैयक्तिक लेखा खातों की नियमित सम्परीक्षा''** निदेशक, विभागीय लेखा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किये जाने का दायित्व सौंपा गया।

विभाग का नाम परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना- (15 जनवरी, 2003)

शासन द्वारा वित्तीय प्रबन्ध के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मेसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स लि0 से छः माह का सघन अध्ययन कराया गया था। अध्ययनोपरान्त उनके द्वारा की गयी संस्तुतियों को शासन स्तर पर स्वीकार करते हुए राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा **''वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाने हेतु विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0 का नाम परिवर्तित करके, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0''** रखा गया है और उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये:-

1. राज्य के आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का कार्यान्वयन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से कराया जायेगा।
2. राजकीय विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा या उनके द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारियों या विभाग हेतु नियुक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा शासन के वित्त विभाग के निर्देश पर/विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विशेष सम्परीक्षा करेंगे।

4. आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य विभाग में कार्यरत लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/सहायक लेखाकारों/लेखाकारों विभागों के वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी या उनके पद का कार्य करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा वे विभागीय लेखा परीक्षा मैनुवल तैयार करके अद्यावधिक रखेंगे। विभाग में लेखा परीक्षा के उपरान्त पायी गयी अनियमितताओं की पिछले त्रैमास की सूचना अगले माह की (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल) 20 तारीख तक अपने विभागाध्यक्ष व निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को देंगे। उक्त सूचना की समीक्षा करके तथा अन्य विशेष आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे।
5. राज्य स्तरीय आन्तरिक सम्परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु त्रैमासिक व वार्षिक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना।
6. विभागों द्वारा तैयार आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कैलेण्डर का अन्तिम रूप दिया जाना।
7. आन्तरिक लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व उसकी रूपरेखा तैयार करना।
8. सम्परीक्षा हेतु मानकों का निर्धारण व विभाग के आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा त्रैमास/वार्षिक कैलेण्डर प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देना। आन्तरिक लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य को सलाह देना। विभागों में गठित विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में भाग लेना।
9. उच्च स्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षा की बैठकों/सेमिनार आदि में राज्य का प्रतिनिधित्व करना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित योजनाएं :-

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में देय कार्मिकों की देय ए0सी0पी0 स्वीकृत करना।
2. 65 विभागों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य किया जा रहा है। उक्त 65 विभागों की आन्तरिक लेखा परीक्षा की कार्य योजना अनुमोदित करना तथा त्रैमासिक सूचना शासन को प्रेषित करना।

वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ.प्र.

वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ.प्र. (पुराना नाम इलेक्ट्रानिक आधार सामग्री विधायन केन्द्र, उ.प्र.) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय के रूप में वर्ष 1973 में हुई थी। वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ.प्र. का प्रमुख कार्य प्रदेश के समस्त कोषागारों से आय एवं व्यय के आँकड़ों को प्रतिमाह एकत्र किया जाना है। एकत्र किए गए आँकड़ों को विधायनित करके शासन की अपेक्षानुसार आउटपुट्स तैयार किये जाते हैं जिनका उपयोग शासन स्तर पर महत्त्वपूर्ण नीतियों/योजनाओं के क्रियान्वयन में होता है। निदेशालय द्वारा व्यय एवं प्राप्तियों के आँकड़ों को लघु लेखाशीर्षकवार, विस्तृत लेखाशीर्षकवार, प्राथमिक इकाईवार, योजनावार और आहरण-वितरण अधिकारीवार विघटित किया जाता है। निदेशालय द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों का प्रयोग वित्त विभाग द्वारा व्यय नियंत्रण एवं उपलब्ध धनराशि का बेहतर प्रयोग करने में किया जाता है। टेक्नालाजी में

परिवर्तन के आधार पर वर्तमान में यह निदेशालय ई-पेमेण्ट, ई-रिसीट, ऑनलाइन बजट आवंटन तथा ऑनलाइन बिलों के प्रस्तुतीकरण जैसे कोषागार के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य कर रहा है।

प्रमुख कार्य योजना :-

वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ.प्र. की स्थापना निम्नलिखित कार्यों के लिए हुई है:-

(1) कोषागारों के लेखा-कार्य के भार को शासकीय आधार-सामग्री विधायन केन्द्र पर केन्द्रीय यन्त्रीकरण द्वारा कम करना।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश और वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा कोषागारों के लेखों पर जारी किये निर्देशों और कार्याविधि सम्बन्धी आदेशों पर कोषागारों की अद्यावधिक मार्ग-दर्शन करके कोषागारों के लेखों में सुधार करना और दुर्वर्गीकरण को कम करना।

(3) कोषाधिकारियों और कोषागारों के स्टाफ को भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की लेखाशीर्षक प्रणाली और प्रदेश शासन के वित्त विभाग के वार्षिक आय-व्ययक लेखाशीर्षक की योजना से भलीभांति परिचित कराना और उनके अनुपालन के लिये प्रेरित करना ताकि कोषागार लेखों में उपरोक्त प्राधिकारियों के वर्तमान स्थायी आदेशों के अनुसार आयोजनेत्तर और आयोजनागत व्यय के आँकड़ों को स्पष्टतः अलग-अलग दिखाया जाये और उसके व्यय को आगे लघु लेखा शीर्षकवार, विस्तृत लेखाशीर्षकवार, प्राथमिक इकाईवार, योजनावार और आहरण-वितरण अधिकारीवार विघटित भी किया जा सके।

(4) कोषागारों और चेक जारी करने वाले (वर्तमान में ऑनलाइन पेमेन्ट करने वाले) विभागों से वास्तविक प्राप्ति व व्यय के आंकड़े प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराना ताकि वित्त विभाग बेहतर व्यय नियंत्रण और उपलब्ध धनराशि को बेहतर प्रयोग कर सके।

(5) बजट अनुमानों के मौलिक आंकड़ों को तैयार करना।

(6) अन्य विभागों, जैसा शिक्षा, पुलिस, परिवहन आदि के आधार-सामग्री विधायन कार्य को करना।

वित्तीष वर्ष 2021-22 की उपलब्धियाँ :- वित्तीय सांख्यकी निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये।

(1) वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, स्तर पर प्रदेश के समस्त कोषागारों से प्राप्त आय एवं व्यय सम्बन्धी आंकड़ों को संकलित कर शासन एवं विभागों के उपयोगार्थ सूचनाएं प्रतिमाह तैयार की गयी।

(2) प्रदेश में रेमिटन्स विभागों के अन्तर्गत कार्य करने वाले खण्डों सी.सी.एल./डी.सी.एल. कोड्स का आवंटन किया गया।

(3) वित्तीय सांख्यकी निदेशालय द्वारा कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण जैसे ऑनलाइन बजट एलाण्टमेंट, डी.डी.ओ. पोर्टल, ई-कुबेर, ई-रिसीट आदि के क्रियान्वयन का कार्य सम्पादित किया गया।

(4) शासन द्वारा गठित कम्प्यूटर सेल द्वारा कोषागारों के साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन हेतु कोषागार निदेशालय की संस्तुति प्रदान की गयी।

वित्तीष वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित योजनाएं :-

प्रदेश के समस्त कोषागारों से आय एवं व्यय के आंकड़ों को संकलित करना, संकलित आंकड़ों को शासन के अनुरूप चाही गयी सूचनाओं को समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना निदेशालय का प्रमुख उद्देश्य है।

पेन्शन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

दिनांक 30.09.1988 अथवा इसके बाद सेवा निवृत्त एवं मृत शासकीय सेवकों के पेंशन स्वीकृति हेतु पेंशन निदेशालय का गठन सेवकों के लिए किया गया। पेंशन निदेशालय के गठन के उपरान्त पेंशन निदेशालय स्तर से मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है।

1. पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सम्बन्धी।

पुरानी पेंशन योजना स्वीकृति सम्बन्धी :-

- कंप्यूटर पर आधारित प्रक्रिया पर पेंशन स्वीकृति का कार्य करने हेतु पेंशन निदेशालय तथा मंडलीय स्तर पर IPMS Pension System से कार्य को लागू किया गया। IPMS Pension System को पेंशन निदेशालय द्वारा NIC के सहयोग से बनाया गया। इसका अद्यतन रखरखाव पेंशन निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है।
- पेंशन स्वीकृतियों में हो रहे अनावश्यक विलम्ब एवं अन्यं कठिनाइयों को ध्याान रखते हुए शासनादेश दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रदेश में पेंशन स्वीकृति के कार्य को Central Server पर केंद्रीकृत कर ई-पेंशन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की गई। इस हेतु ई-पेंशन पोर्टल http://epension.up.nic.in जारी किया गया। पूरे प्रदेश में 01.04.2016 से राजकीय कार्मिकों के लिए ई-पेंशन प्रणाली लागू की गई। दिनांक-15.05.2020 से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति भी ई-पेंशन प्रणाली से कराने की व्यवस्था की गई।
- ई-पेंशन वेब बेस्ड व्यवस्था है जिससे प्रदेश भर के आहरण एवं वितरण अधिकारी को सीधे पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है।
- उक्त व्यवस्था से पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन आदि के भुगतान की प्रक्रिया को सुद्रढ़ एवं और अधिक पारदर्शी किया गया।
- उक्त पोर्टल में पेंशनर अपने प्रकरण की स्थिति अपने Employee ID (GPF/ PRAN/Computer ID) का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। पेंशनर को समय-समय पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी प्रकरण की स्थिति प्राप्त कराने की व्यवस्था भी है।
- ई-पेंशन प्रक्रिया में माह मार्च, 2023 तक लगभग 134300 प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।
- माह मार्च, 2022 द्वारा ई-पेंशन व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2023 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित प्रांतीय राजकीय सेवा (Selfddo)

जो पूर्व में ई-पेंशन प्रणाली की परिधि से बाहर थे, को भी ई-पेंशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इनकी पेंशन स्वीकृत करने का कार्य भी ई-पेंशन पोर्टल से ही किया जा रहा है।

- विगत एक वर्ष में पेंशन स्वीकृति की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था से लगभग 17000 पेंशन स्वीकृति आदेश ई-पेंशन के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) सम्बन्धी :-

- 01.04.2005 या उसके बाद सेवा में आये कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (अंशदान पेंशन योजना) लागू की गई, जिसके अंतर्गत निदेशक पेंशन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
- पेंशन निदेशालय स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिको की कटौती एवं लेखों का रख रखाव वर्ष 2011-12 तक पेंशन निदेशालय से किया जा रहा था, जो अप्रैल 2012 से एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया।
- अब तक समस्त कोषागारों का पंजीकरण एन.एस.डी.एल से कराया जा चुका है, जिससे राजपाल सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा इरला भी सम्मिलित है।
- लगभग 5800 आहरण एवं वितरण अधिकारियों का एन.एस.डी.एल. से पंजीकरण कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।
- 01.04.2012 के बाद से मार्च, 2023 तक लगभग 5.53 लाख कार्मिकों का पंजीकरण कर अंशदान की कटौती कर जमा की जाने की कार्यवही की जा रही है। वर्तमान में कार्मिकों का पंजीकरण कर अंशदान की कटौती कर जमा की जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कार्मिकों के पंजीकरण को सुगम एवं शीघ्र करने हेतु शासन द्वारा OPGM (OnlinePRANgenertionmodule) की प्रक्रिया लागू की गई है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त कोषागारों को Server to Server के अन्तर्गत CRA सर्वर से Integrate कर लिया गया है जिससे प्रत्येक माह अंशदान को यथा निर्धारित समयावधि से संबंधित खातों में पहुंचाया जा सके।
- माह मार्च, 2023 तक अंशदान कार्मिक एवं सरकारी अंशदान सहित के रूप में रु. 29782.84 करोड़ trustee bank को हस्तांरित कर संबन्धित PRAN खातों में Matched and Book किया जा चुका है।
- स्वायत्तशासी संस्थाओं (State Autonomous Body) में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने के क्रम में अद्यतन 85 संस्थाओं को पंजीकरण कर सम्बन्धित लगभग 3.59 लाख कार्मिकों का PRAN आबंटन कर अंशदान की प्रक्रिया को चालू किया गया है। जिनके द्वारा अद्यतन अंशदान (कार्मिक एवं नियोक्ता अंशदान सहित) के रूप में लगभग रु. 14687.32 करोड़ trustee bank को हस्तांतरित कर संबन्धित PRAN खातों में Matched and Book किया जा चुका है।

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों हेतु शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण CRA की ऑनलाइन व्यवस्था CGMS (Central Grevance Management System) के माध्यम से किया जाता है।

महत्वपूर्ण लक्ष्य जो निदेशालय द्वारा प्राप्त किये जाने प्रस्तावित हैं :-

- ई-पेंशन से सम्प्रति मुक्त श्रेणी के कार्मिकों जैसे पुलिस विभाग, सचिवालय सेवा, अनुदानित संस्थाएं जैसे परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को ई-पेंशन की परिधि में लाना।
- ई-पेंशन पोर्टल की व्यवस्था में प्रयोग किया जा रहा सेन्ट्रल सर्वर कोषागार निदेशालय से सम्बंधित है जिसके कुछ हिस्से (Memory) को शेयरिंग के माध्यम से पेंशन के कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है। पेंशन निदेशालय के लिए अलग सेन्ट्रल सर्वर की व्यवस्था करना विचाराधीन है, जिससे पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को और सुचारु किया जा सके।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रदेश भर में सुचारू क्रियान्वयन हेतु पेंशन निदेशालय स्तर पर NPS सेल का गठन प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित सभी डाटा को centralize करने हेतु पेंशन निदेशालय स्तर एक डाटा सेंटर बनना प्रस्तावित है जिसके लिए पेंशन निदेशालय की वेबसाइट http://pensiondirectorate.up.gov.in को NPS पोर्टल के रूप में update किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित Subscriber Master को भी CRA सिस्टम से Integrate किया जाना प्रस्तावित है।
- वादों एवं विधिक प्रकरणों के सुचारु एवं समयावधि में निस्तारण हेतु पेंशन निदेशालय स्तर पर विधिक सेल का गठन प्रस्तावित।

●

राजस्व

उत्तर प्रदेश राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के बावजूद आज भी प्रमुख उद्यम कृषि ही है जिससे इस प्रदेश की बहुसंख्यक जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यवसायों के लिए भूमि सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव, बिखरे जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका क्रियान्वयन तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए विभिन्न देयों की वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन राजस्व विभाग के प्रमुख दायित्व हैं। सामान्य जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से सीधे जुड़े होने के कारण राजस्व विभाग प्रदेश शासन की मेरुदण्ड की भाँति है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उससे सम्बन्धित और आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का कार्य भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वर्तमान में विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं।

1. भूमि सुधार कार्यकम

भूमि सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। भूमि जैसी दैव प्रदत्त आर्थिक सम्पदा का सम्यक् लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिये उ०प्र० सरकार द्वारा समय की मांग के अनुरूप कुछ व्यवहारिक, संतुलित एवं जनोपयोगी कदम उठाये गये हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि का विवरण निम्नवत् हैः-

1.1 कृषि एवं आवास पटटे में सभी गरीबों को समानता

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिये संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये पूर्णतया दिव्यांग होने वाले व्यक्ति को द्वितीय वरीयता तथा इसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग के भूमिहीन कृषि श्रमिक या गरीबी रेखा के नीचे ज़ीवन-यापन करने वालों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है।

1.2 आवास स्थल आवंटन

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों

को, जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-64 के अन्तर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। आबादी स्थलों के आवंटनों में विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

1.3 मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों एवं पोखरों का आवंटन रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राजाज्ञा में संशोधन करते हुये विस्तृत योजना राजाज्ञा दिनांक 17-10-95 में लागू की गयी थी। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियामावली के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु पट्टों का आवंटन किया जा रहा है।

1.4 कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन

कुम्हारी कला के व्यवसाय में लगे परिवारों के आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिये ताल, पोखरों एवं अन्य स्थलों, जहां कुम्हारी कला हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 द्वारा जनवरी, 1994 से किया जा रहा है।

1.5 वृक्षारोपण हेतु पट्टे

वृक्षारोपण हेतु हरियाली कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भूमि का पट्टा दिये जाने का शासनादेश दिनांक 30-12-1985 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों को केवल वृक्षों के उपयोग तथा उपज व उनसे होने वाले लाभ हेतु पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. अनाधिकृत कब्जे/अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की स्थिति

- प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर दिनांक 01-05-2017 से अद्यतन प्रदेश में अवैध कब्जे के सम्बन्धित कुल 3,23,373 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,20,431 शिकायतें निस्तारित की गईं तथा 2,942 शिकायतें निस्तारण हेतु अवशेष हैं।
- अभियान के अन्तर्गत कुल 64,690.72 हे० क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 23,650 राजस्व वाद, 891 सिविल वाद एवं 4457 एफ०आई०आर० दर्ज करायी गई हैं।
- 739 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्तमान में 185 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं।
- 870 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, 235 के विरुद्ध दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत, 04 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 66 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 303 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 2796 के विरुद्ध अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

3. राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यकम-

- खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से लक्ष्य 1,10,351

राजस्व ग्रामों की खतौनियों के सापेक्ष अब तक कुल 87,128 राजस्व ग्राम खतौनियों (वर्ष 2017-18 में 18,399 राजस्व ग्राम खतौनी, वर्ष 2018-19 में 16,314 राजस्व ग्राम खतौनी, वर्ष 2019-20 में 17,421 राजस्व ग्राम खतौनी, वर्ष 2020-21 में 17,962 राजस्व ग्राम खतौनी एवं वर्ष 2021-22 में 17,032 राजस्व ग्राम खतौनी) में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है।

- खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से निम्नवत लाभ प्राप्त होंगे :-

(1) बंटवारे के वादों में कमी आयेगी।
(2) खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा।
(3) सरकारी योजनाओं का लाभ हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त होगा।
(4) भविष्य में किसी प्लाट का लेनदेन बायोमैट्रिक अथवा ओ०टी०पी० आधारित आथेन्टिकेशन के उपरान्त ही किया जाएगा। इसके द्वारा भूमि के अवैध लेनदेन पर रोक लगेगी।

4(1) सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जातियों को सीलिंग भूमि आवंटन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के 2280 आवंटियों को 1400.00 एकड़ भूमि, अनुसूचित जनजाति के 2284 आवंटियों को 1439.00 एकड़ भूमि एवं अन्य जातियों के 2242 आवंटियों को 1418.00 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। इस प्रकार प्रदेश में 6806 आवंटियों को 4257.00 एकड भूमि आवंटित की गयी है।

4(2) सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता

प्रतिवर्ष अनुदान सं०-83 के लेखा शीर्षक-2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उ०प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आंवटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना में शासन द्वारा प्रावधान किया जाता है। अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 1.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

5. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है। योजना जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5.00 लाख रु० दिए जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के क्रियान्वयन किए जाने हेतु सहायता धनराशि के भुगतान हेतु रु० 600.00 करोड की धनराशि प्राविधानित की गई थी, जिसका आवंटन प्रदेश के समस्त जनपदों को किया गया जिससे 13645 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

6. राजकीय देयों की वसूली

राजकीय देयों के अन्तर्गत वसूली करके शासन की आय में राजस्व विभाग महत्वपूर्ण योगदान करता है।

7. राजस्व वादों का निस्तारण

प्रदेश के जनपदीय राजस्व न्यायालयों में 01 जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक दायर कुल 22,32,031 वादों के सापेक्ष 21,52,601 वाद निस्तारित किये गये। 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक दायर कुल 6,91,220 वादों के सपेक्ष 6,93,275 वाद निस्तारित किये गये।

प्रदेश के मण्डलीय न्यायालयों में 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक दायर कुल 17,454 वादों के सापेक्ष 15214 वाद निस्तारित किये गये। 01 जनवरी, 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक दायर कुल 4802 वादों के सापेक्ष 5090 वाद निस्तारित किये गये।

8. सम्पूर्ण समाधान दिवस

जन शिकायतों के निस्तारण हेतु सभी तहसीलों में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' का आयोजन किया जा रहा है।

समन्वित जन शिकायत निवारण प्रणाली (आई०जी०आर०एस०) पर 01 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक प्राप्त कुल 22,629 शिकायतों के सापेक्ष 21,887 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

9. राजस्व भवनों का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 99.81 करोड़ लागत की 14 परियोजनाओं (01 जनपद हापुड़ कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन सहित 07 तहसीलों के कार्यालय भवन तथा 06 तहसीलों के आवासीय भवन) का निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से पूर्ण कराए गए।

10. कम्प्यूटराइजेशन

10.1. खतौनी का कम्प्यूटरीकरण (भूलेख)

- प्रदेश में चकबन्दी से बाहर समस्त 1,06,832 राजस्व ग्राम खतौनियों को डिजिटाइज कर रीयल टाइम कर दिया गया है एवं इसे ऑन लाइन भूलेख पर देखा जा सकता है (एच०टी०टी०पी०:/यू०पी०भूलेख.जी०ओ०वी०.इन)।
- डिजटली हस्ताक्षरित खतौनी का उद्धरण तहसील अथवाजन सेवा केन्द्रों से नाम मात्र का प्रभार देकर प्राप्त किया जा सकता है।

10.2. ऑनलाइन डिजिटल खसरा

- पूर्व के 21 स्तम्भों के ऑफलाइन खसरे के स्थान पर 46 स्तम्भों के नये पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरे के लिए साफ्टवेयर राजस्व परिषद् द्वारा तैयार किया गया है।
- प्रदेश के कुल 1,08,927 राजस्व ग्रामों के लगभग 7.65 करोड़ गाटों/खसरों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

- प्रदेश के समस्त लेखपालों को प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में ही लैपटॉप व मोबाइल फोन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अतः इस ऑनलाइन खसरे को फील्ड में ही भरा जा सकता है।
- ऑनलाइन खसरा होने के कारण प्रत्येक स्तर से इसका पर्यवेक्षण किया जा सकेगा, जिससे अभिलेखों में शुद्धता व पारदर्शिता आयेगी।

10.3. नामान्तरण बही (आर-6 रजिस्टर) का कम्प्यूटरीकरण

- प्रदेश के समस्त न्यायालयों के आदेशों को नामान्तरण बही (आर-6 रजिस्टर) में भर कर सुरक्षित रखा जाता है। इस व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त नामान्तरण आदेशों को कम्प्यूटर में फीड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्व के समस्त नामान्तरण बही (आर-6 रजिस्टर) को स्कैन कर लिंक कर कृषकों/हितबद्ध व्यक्तियों को देखने की सुविधा प्रदान की गई है।

10.4. ऑनलाइन म्यूटेशन/अनुमतियां-

- संपत्ति लेनदेन का पंजीकरण भूमि रिकार्ड में लगभग 90 प्रतिशत परिवर्तनों को ट्रिगर करता है। प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए पंजीकरण पोर्टल, भूलेख और आरसीसीएमएस के साथ एकीकृत है।
- सब रजिस्ट्रार द्वारा डीड पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद पंजीकरण विवरण एपीआई के माध्यम से आरसीसीएमएस पोर्टल को स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह तहसीलदार लॉगिन के तहत आरसीसीएमएस पोर्टल में दिखाई देता है।
- राजस्व अधिकारियों द्वारा तहसील में की जाने वाली गतिविधियाँ :-
- म्यूटेशन नोटिस जनरेशन,
- फील्ड स्टॉफ द्वारा वाद विवरण का सत्यापन,
- राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश पारित,
- म्यूटेशन (आर-6) रजिस्टर के माध्यम से आर०ओ०आर० खतौनी में नामान्तरण आदेश को शामिल करना।

10.5. भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशन-

- भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम (डी०आई०एल०आर०एम०पी०) के अन्तर्गत भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू-मानचित्रों को स्कैन एवं डिजिटाइज्ड कर एन०आई०सी० द्वारा तैयार किये गये ''भू-नक्शा'' साफ्टवेयर के माध्यम से खतौनी (आर०ओ०आर०) के डाटा से लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 1.08 लाख राजस्व ग्रामों के प्रारम्भिक रूप से चिन्हित/उपलब्ध मैपशीट्स में से 90,979 राजस्व ग्रामों के मैप्स (शजरों) को डिजिटाइज्ड कर खतौनी से लिंक किया जा चुका है।

भावी कार्य योजना-

1- पी०एम० गति शक्ति योजना के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्राम भूखण्ड गाटों को जियोरेफेन्सरेन्सड् किया जाना।

2- डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड्स मार्डनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना कराया जाना।

11. सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकिया की स्थिति-

नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए ''स्वामित्व योजना'' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम चरण में कुल 82913 ग्रामों को माह जून व जुलाई, 2020 में अधिसूचित किया गया है तथा द्वितीय प्रथम चरण में कुल 27400 ग्रामों को माह अप्रैल, 2022 में अधिसूचित किया गया है, जिसमें से दिनांक 23-12-2021 तक कुल 15940 ग्रामों में कुल 23,47,243 ग्रामीण आवासीय अभिलेखों (घरौनी) का भौतिक वितरण सम्बन्धित भू-खण्ड स्वामियों को किया गया है।

12- जनहित गारण्टी अधिनियम-2011

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय प्रमाण पत्र के कुल 17801474 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 17698982 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। जाति प्रमाणपत्र के कुल 11884621 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 11842108 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। निवास प्रमाण पत्र के कुल 14667160 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 14611712 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। खतौनी के कुल 1111630 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 1111630 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। हैसियत प्रमाण पत्र के कुल 37088 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 22772 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

13- निर्विवाद उत्तराधिकार/वरासत-

परिषदादेश दिनांक 29.10.2018 द्वारा उत्तराधिकार/वरासत हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी।

भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 15.12.2020 से दिनांक 28.02.2021 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रदेश में दिनांक 28.02.2021 तक कुल 867343 प्रार्थना पत्र पोर्टल पर दर्ज हुए जिसके सापेक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा 823473 आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए 719540 प्रकरणों में निर्विवाद वरासत दर्ज कर दी गयी।

उक्त अभियान अवधि के पश्चात् दिनांक 15.12.2020 से दिनांक 19.05.2022 तक कुल 2545660 प्रार्थना पत्र पोर्टल पर दर्ज हुए जिसके सापेक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा 2498745 आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए 2108036 प्रकरणों में निर्विवाद वरासत दर्ज कर दी गयी।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गई। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रुटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गई है। भूमि अध्याप्ति निदेशालय में निदेशक (भूमि अध्याप्ति) के प्रतिवेदक अधिकारी मा० अध्यक्ष, राजस्व परिषद होते हैं।

जिला गजेटियर विभाग

गजेटियर्स किसी भी स्थान का परिचयात्मक अभिलेख होते हैं, अतः ब्रिटिश शासनकाल में प्रदेश के सभी जिलों के जिला गजेटियर्स लिखे गये थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा भी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुये सभी प्रदेशों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने की योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदेश के तत्कालीन सभी 54 जिलों के जिला गजेटियर्स एवं 08 जनपदों के पूरक अंक (सप्लीमेन्ट्री वाल्यूम्स) अंग्रेजी भाषा में तैयार कर प्रकाशित कराये गये। जिला गजेटियर विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद "राज्य गजेटियर" पांच खण्डों में तैयार कर प्रकाशित कराया है।

प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का पुनरीक्षण/लेखन हिन्दी भाषा में कराये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम उन जिलों के गजेटियर्स प्रथमतः तैयार कराये जायें जो कि नवसृजित हैं तथा उन जिलों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित किया जाये जिन जिलों से ये नवसृजित जिले सृजित हुये हैं। इस शृंखला में गाजियाबाद, मेरठ, ललितपुर, कानपुर देहात तथा फिरोजाबाद के गजेटियर लिखे तथा प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा बिक्री हेतु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं। झाँसी जिले का गजेटियर के प्रेस से प्राप्त डमी प्रति से इण्डेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर मुद्रण हेतु प्रेस भेज दिया गया था, जो मुद्रणोपरान्त विभाग को प्राप्त हो चुका है। समस्त जिलों के गजेटियर को जन सामान्य की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट (गजेटियर.यूपी.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध था, किन्तु वेबसाइट की सिक्योरिटी आडिट न होने के कारण यह वेबसाइट अभी रुका हुआ है, जिसको शीघ्र ही चालू कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

राहत आयुक्त संगठन

आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन के मुख्यतः दो आयाम हैं:-

- आपदा के पूर्व आपदा जोखिम का अनुमान व आंकलन करना, उनके बचाव व न्यूनीकरण के लिए उपाय, नीति व योजना तैयार करना तथा इस संबंध में आवश्यक पूर्व तैयारी व क्षमता सम्वर्धन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत (आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राहत) प्रदान किया जाना व बाढ़ से प्रभावित

व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था।

2. **आपदा प्रबंधन के पूर्व तैयारी के संबंध में राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं:-**

- आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के आलोक में उ०प्र० सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 पारित किया गया है।
- उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के तहत उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन हैं। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन पदेन रूप से प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।
- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य प्रदेश में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से बचाव के क्षमता संवर्धन सम्बन्धी योजनाएं इत्यादि तैयार करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनपद में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से संबंधित योजनाएं आदि तैयार करना है।

3. आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत हेतु राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं:-

- उ०प्र० शासन के राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। राजस्व विभाग, राहत आयुक्त संगठन एवं जनपद स्तर पर प्रशासन के समन्वित प्रयास से आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत के कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किए जाते हैं। खोज, बचाव एवं राहत के कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) का वित्त पोषण 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खोज बचाव एवं राहत के कार्यों को सुचारु रूप निष्पादित किए जाने हेतु तथा राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) की धनराशि को व्यय किए जाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा राहत समिति का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन एवं राहत की वर्तमान स्थिति

- प्रदेश में बाढ़ व सूखा से प्रभावित जनपदों (बरेली, मिर्जापुर, हापुड़, संतकबीरनगर, ललितपुर,

औरैया, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, सम्भल, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, अलीगढ़, जालौन, देवरिया, बुलन्दशहर, महोबा, श्रावस्ती, भदोही, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, मऊ, प्रयागराज, मथुरा, बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, गोण्डा, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, चित्रकूट, व लखनऊ) में आपदा से बचाव के लिए 39 जिलों में आपदा विशेषज्ञ एवं 06 आपदा सलाहकार जनपद फतेहपुर, बलरामपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट एवं श्रावस्ती में कार्य कर रहे हैं।

- आपदाओं से निपटने के लिये प्रदेश स्तर पर स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी है जो 24x7 शास्त्री भवन, द्वितीय तल में संचालित किया जा रहा है। कंट्रोल रूम आवश्यकतानुसार समस्त जनपदों एवं संबंधित विभाग जैसे- सिंचाई, कृषि, मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचक बल, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण आदि से समन्वय स्थापित कर आपदाओं से प्रभावितों को यथाशीघ्र राहत एवं बचाव उपलब्ध कराने का कार्य करता है।
- बाढ़ आपदा से निपटने के लिए राहत आयुक्त की अध्यक्षता में बाढ़ अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। यह समिति वर्ष 2021-22 में बाढ़ से पूर्व तथा बाढ़ के दौरान समस्त विभागों के साथ मिशन मोड में समन्वय बैठकों को संचालित किया गया है।
- वर्ष 2021 में आयी बाढ़ व अतिवृष्टि से 44 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए थे। प्रदेश में बाढ़ के दृष्टिगत पी०ए०सी० के 12 प्लाटून व एस०डी०आर०एफ० एवं एन०डी०आर०एफ० की 13 कम्पनियों को स्थापित किया गया। बाढ़ से प्रभावित जनपदों को भोजन, पीने का पानी एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत कैम्प में स्थानान्तरित किया गया। बाढ़ से प्रभावित परिवारों में कुल 440189 फूड पैकेट एवं 1330929 लंच पैकेट वितरित किया गया। बाढ़ से हुई क्षति के आकलन के लिए केन्द्रीय दल भारत सरकार द्वारा प्रभावित जनपदों को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा फसल क्षति के सापेक्ष रु० 534.94 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत पी०पी० किट, खाद्यान्न, कम्यूनिटी किचेन, मास्क, सेनेटाइजर इत्यादि पर भी राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा व्यय हेतु धनराशि प्रदान की गयी। जिसके अन्तर्गत मेडिकल कालेजों एवं मेडिकल विश्वविद्यालयों को कन्जुमेवल एवं उपकरणों हेतु रु० 457.03 करोड़, कम्यूनिटी किचेन हेतु रु० 30,87 करोड़ की धनराशि राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया है।
- कोविड-19 महामारी में रोकथाम हेतु एवं मजदूरों को उनके गृह जनपद तक लाने हेतु रेलवे को रु० 20.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी इसके साथ कोविड-19 के अन्तर्गत ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को मास्क एवं सेनेटाइर के लिए अपर मुख्य सचिव गृह के निवर्तन पर रु० 45.00 करोड़ की धनराशि राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा अवमुक्त की गयी।
- आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत पहुंचाने की कार्यवाही करते हुए राहत आयुक्त कार्यालय की एक मोबाइल एप को विकसित करने का निर्णय किया गया है। इस एप की सहायता से

किसी भी आपदा से प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत खुद रजिस्टर करते हुए उसके शिकायत की स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। इस एप की सहायता से शिकायतों पर शासन स्तर से निगरानी की जा सकेगी।

- प्रभावितों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत समस्त जनपदों से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है जो त्वरित राहत में हो रही समस्याओं को दूर करेगी।

चकबन्दी निदेशालय

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर जीवन स्तर ऊँचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबन्दी क्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिए विशेष उपलब्धि है।

चकबन्दी अधिकारियों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 146781 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण द्वारा कुल 21402 अपीलों का निस्तारण किया गया तथा उप संचालक चकबन्दी द्वारा 9818 निगरानियों का निस्तारण इस वित्तीय वर्ष में अब तक किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के चकबन्दी न्यायालयों द्वारा कुल 17800 चकबन्दी वादों का निस्तारण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 2875 ग्राम चकबन्दी प्रक्रियाधीन है, जिसमें से 40115 हे० पर उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-23 के अन्तर्गत प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टिकरण की कार्यवाही की गयी है। 231160 गाटों के नये अधिकार अभिलेख अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत निर्मित किये गये हैं तथा कुल 212 ग्राम की चकबन्दी क्रियाएं धारा-52(1) के अन्तर्गत समाप्त की जा चुकी हैं।

●

आबकारी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय।

प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। वर्तमान में प्रदेश में वाणिज्य कर (वस्तु एवं सेवाकर) के बाद आबकारी की राजस्व प्राप्तियाँ ही सर्वाधिक हैं। आबकारी विभाग पर होने कुल व्यय, इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

आबकारी विभाग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित व्यवस्था में यथावश्यक संशोधन कर वर्ष 2019-20 के लिये आबकारी नीति घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ निम्न आनुषंगिक बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया है-

- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान।
- चीनी एवं अल्कोहल उत्पादक इकाईयों का आधुनिकौकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।
- एथनाल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत।
- मदिरा-उद्योग-व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं सन्तुष्टि।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

गन्ने से शीरा उत्पादन

प्रदेश के कृषि उपज में गन्नें का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन

एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में स्थापित 158 चीनी मिलों में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 120 है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 326.85 लाख कुन्तल संचय क्षमता उपलब्ध है।

शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें हैं जिनमें से शीरा सत्र 2021-22 में 120 चीनी मिलें कार्यरत हैं। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियां व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुये थे। इसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्टरी परिसर से उठाकर बाहर फिकवाने के लिये चीनी मिलों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिये विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियों एवं अन्य उद्योग स्थापित हुये, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2021-22 (01 नवम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक) में 464.43 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्रोत हैं :-

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।
2. खाण्डसारी इकाईयों द्वारा।

अभी तक प्रदेश में खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर आबकारी विभाग का सीधे कोई नियंत्रण नहीं है, परन्तु खाण्डसारी इकाईयों द्वारा शीरा निर्यात किये जाने हेतु शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार चीनी के किसी कारखाने का अध्यासी, कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकिया रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिये तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के चार प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम साठ प्रतिशत या पिछले 04 वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का साठ प्रतिशत जो भी अधिक हो, संग्रह कर सके। शीरा सत्र-2021-22 में प्रदेश में कुल 120 चीनी मिलें कार्यरत हैं, प्रदेश में शीरा वर्ष 2020-21 में 38 चीनी मिलें बन्द तथा 120 चीनी मिलें कार्यरत रही हैं। विगत सत्र में रामपुर, कुठकुईयां, गौरी बाजार, आनन्द नगर, नवाबगंज, नन्दगंज, महोली, बरेली, बाराबंकी, छितौनी, हरदोई, मलियाना, घुघली, औराई, धुरियापार, खलीलाबाद, भटनी, बुढ़वल देवरिया, बैतालपुर, रामकोला-के, शाहगंज, छाता, दरियापुर, घाटमपुर, लक्ष्मीगंज, कमलापुर, मझोला, सराया, रसड़ा, आनन्द एग्रोकेम, बस्ती, बघौली, अमरोहा, विडवी, शाकुम्भरी, पड़रौना व वाल्टरगंज

चीनी मिलें बन्द थीं।

ऑन लाइन शीरा सम्भरण की प्रक्रिया

ऑन लाइन शीरा सम्भरण हेतु आसवनी एवं औद्योगिक ईकाइयों द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परीक्षणोपरान्त शीरे के सम्भरण हेतु आन लाइन परमिट आदेश जारी कर दिया जाता है।

नयी शीरा नीति वर्ष 2021-22 के मुख्य प्राविधान

गत वर्ष के अवशेष आरक्षित शीरे को अग्रेनीत करते हुए इस वर्ष की आवश्यकता में समायोजित किया गया है। वर्तमान में आरक्षित शीरे की देयता 18 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे की निकासी के मध्य अनुपात 1:4.55 रखा गया है जो महावार निकासी पर लागू रहेगा।

चीनी मिलों को पेराई सत्र के दौरान आरक्षित शीरे को संचित रखते हुए अनारक्षित शीरे के निस्तारण की सुविधा दी गई है।

शीरा सम्भरण को सुगम बनाने के लिये मांग पत्रों को ऑन लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

देशी मदिरा निर्माण के लिये अन्य आसवनियों से देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आपूर्ति की गई ई०एन०ए० के समतुल्य मात्रा का आरक्षित शीरा देशी शराब निर्माता आसवनियों को आवंटित आरक्षित शीरे में से समायोजित करके ई०एन०ए० आपूर्तक आसवनी को किये जाने की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।

भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेण्डेड पेट्रोल (ई०बी०पी०) प्रोग्राम के अन्तर्गत बी-हैवी शीरे से पावर अल्कोहल बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य में बी-हैवी शीरे से भी एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है

शीरा वर्ष 2021-22 में अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात की अनुमति शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति उत्तराखण्ड राज्य की रासायनिक इकाईयों को प्रदान की गयी है।

शीरा वर्ष 2021-22 में चीनी मिलों में संचित बिलोग्रेड/जले शीरे के निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।

समस्त आसवनियों में शीरे एवं इससे उत्पादित अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों को वेब कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकॉर्ड रखे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु उन्मुख होने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

अल्कोहल

आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 60 से 70 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 77 आसवनियां शीरे एवं 1 आसवनी गैर परम्परागत स्रोतों पर आधारित है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 78 आसनियां कार्यरत हैं। इनमें से 5 पेय, 41 औद्योगिक, 30 मिश्रित एवं 2 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियां हैं। प्रदेश में 9 आसवनियां सरकारी/सहकारी क्षेत्रों में तथा 60 आसवनियां निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बियर उत्पादन हेतु 5 (पांच) आसवनियां है।

राज्य के औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वांगीण औद्योगिक विकास मुख्यतः उद्योग स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण, बिजली, कोयला, विभिन्न अनुज्ञापन प्राप्त करने की सुगमता, विकसित औद्योगिक केन्द्र, कुशल कारीगर, उत्पाद की बिक्री एवं खपत व कच्चे माल की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के औद्योगिक विकास में आबकारी विभाग, उद्योगों को शीरा एवं अल्कोहल उपलब्ध कराने, युक्तिसंगत कराधान एवं सुलभ लाइसेंसिंग प्रणाली निरूपित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्ष 2022-23 हेतु घोषित नयी आबकारी नीति के महत्वपूर्ण तथ्य :-

- आबकारी नीति वर्ष 2022-23 को निम्नांकित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये निर्मित किया गया है:-
  1- मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना।
  2- उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।
  3- निवेश को प्रोत्साहन देना, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाया जाना, कृषि उत्पादों को नष्ट-होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करना और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।
  4- मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखा जाना।
  5- लिकर माफियाओं के प्रभुत्व को समाप्त करते हुये दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाना और आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किया जाना।
  5- प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सके जिससे 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' एवं 'गुड गवर्नेन्स' को बढ़ावा मिले।

7- धनराशियों का अंतरण डिजिटल माध्यम से कराया जाना।

8- अवैध मदिरा के निर्माण/ विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण किया जाना, राजस्व क्षति एवं चोरी को रोकते हुये विकासोन्मुख सरकारी परियोजनाओं के पर्याप्त वित्तपोषण हेतु अधिकतम राजस्व का अर्जन।

9- आबकारी नीति को आकर्षक बनाते हुये मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करना।

- वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार 02 श्रेणियां ही रखी गयी हैं:-

  (1) 36 प्रतिशत वी./ वी. (मसाला)

  (2) 25 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिये कैप्स व लेबुलों के बार्डर के रंग वर्ष 2021-22 की भांति यथावत रखे गये हैं। परन्तु पेट बोतलों के लिये मिनरल वाटर की बोतलों में प्रयुक्त होने वाले कैप्स के समान अच्छी गुणवत्ता के प्लास्टिक कैप्स भी अनुमन्य होंगे। देशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के कैप्स पर श्रिंक कैप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

- वर्ष 2021-22 की भांति ही वर्ष वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2021-22 की भांति 42.8 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में यूपी मेड लिकर (यू०पी०एम०एल०) की व्यवस्थापन वर्ष 2022-22 में भी यथावत रखी गयी है। परन्तु वर्ष 2022-23 में यूपी, मेड लिकर (यू०पी०एम०एल०) की आपूर्ति असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) के स्थान पर केवल कांच की बोतलों में की जायेगी। यूपी मेड लिकर (यू०पी०एम०एल०) की कांच की बोतलों में आपूर्ति में कठिनाई आने पर असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) में आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने की अनुमति अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। यूपी. मेड लिकर (यू०पी०एम०एल०) की आपूर्ति 100 एम. एल. में भी होगी।
- वर्ष 2022-23 में देशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2021-22 के वार्षिक एम जी क्यू एवं बेसिक लाइसेंस फीस पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश का न्यूनतम एम.जी.क्यू, 58.82 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी./ वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में रखा गया है।
- नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों अथवा ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रुपया 36/- प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- देशी मदिरा की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
- देशी मदिरा पर वर्ष 2022-23 में विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्यों में कमी की जा रही है। यूपी. मेड

लिकर/(यू०पी०एम०एल०) के 200 एम.एल. की बोतल का मूल्य वर्ष 2022-23 में रु. 80/- होगा। 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. का मूल्य अब रु. 65/- होगा। 25 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. का मूल्य यथावत रु. 50 /- होगा।

- विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों और माडल शाप्स की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की गयी है।
- आसवनियों के एफ.एल.1, एफ.एल.1ए लाइसेंसों की फीस एवं प्रतिभूति में वृद्धि की गयी है।
- विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति में वृद्धि की गयी है।
- मास्टर वेयरहाउस की पंजीकरण एवं नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी है।
- बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। वर्ष 2022-23 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में रु. 50,000/- की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी।
- प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रुपया बीस लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है।
- वर्ष 2022-23 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप एवं भांग की श्रेणीवार कुल दुकानों की संख्या के, 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।
- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की गयी है।
- नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिर, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप का वर्ष 2022-23 हेतु व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- दो चरणों की ई-लाटरी के पश्चात् समस्त दुकानों का व्यवस्थापन तीन चरणों में ई-टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा। ई-टेण्डर हेतु न्यूनतम एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।
- वर्ष 2021-22 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2022-23 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया गया है।
- थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति में वृद्धि करते हुये 2022-23 हेतु थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निर्धारित

की गयी है।

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी।

- ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस में वृद्धि की गयी है।
- देशी मदिरा, विदेश मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे यथवत रखा गया है।
- कई दशकों बाद एफ.एल.-16 तथा एफ.एल.17 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का निर्धारण करते हुए एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रु. 50,000/- तथा एफ. एल.-18 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रु. 25,000/- निर्धारित किया गया है।
- प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।
- आसवनियों द्वारा हैवी शीरे/बी हैवी शीरे/केन जूस से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रु. 25,000/- प्रोसेसिंग फीस ली जायेगी।
- एथनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज को एथनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रु. 1,000/- प्रोसेसिंग फीस ली जायेगी।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

  (1) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का अंतरण की वर्ष 2021-22 में लागू व्यवस्था रहेगी परन्तु स्थानान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस वर्ष 2022-23 में निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु लाइसेंस कतिपय शर्तों के अधीन दिया जायेगा। इसकी लाइसेंस फीस एवं धनराशि में कमी करते हुये लाइसेंस फीस रूपया 11,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि 25,000/- निर्धारित की गयी है।
- नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु बजट का प्राविधान।
- नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जायेगा। इसमें मुख्य रूप से (1) अण्डर ऐज ड्रिंकिंग (2) नशे में वाहन चलाना (3) संयमित मदिरा सेवन पर केन्द्रित किया जायेगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने एवं विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु 1 करोड़ रुपये का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

एथनाल को पेट्रोल में मिश्रित किये जाने की योजना

एथनाल को पेट्रोल में मिश्रित कर व्यापक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा

महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 हेतु पायलट योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत पेट्रोल में 5 प्रतिशत पावर अल्कोहल का मिश्रण किया जाता था। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संबंधी राजपत्र दिनांक 20.09.2006 द्वारा 01.11.2006 से 20 राज्यों एवं चार संघीय राज्यों के समस्त टर्मिनलों/डिपुओं पर पेट्रोल में पावर अल्कोहल मिश्रण किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.01.2013 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में एथनाल के मिश्रण हेतु विभिन्न तेल कंपनियों के 32 डिपुओं को एफ०एल०-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किए गये है।

लघु यवासवनी

प्रदेश में बार अनुज्ञापन धारक इकाईयों को लघु यवासवनी का भी अनुज्ञापन प्रदान किये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली 2019 के अन्तर्गत की गयी है। इसके अन्तर्गत ड्राट बियर की 600 लीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में अद्यतन 13 लघु यवासवनी के एम०वी-1 अनुज्ञापन क्रमशः आगरा, गाजियाबाद, बरेली एवं लखनऊ में प्रदान की जा चुकी है। 3 लघु यवासवनियों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालायें

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल 4 प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में लखनऊ तथा पश्चिमी क्षेत्र मेरठ में एक-एक क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु आबकारी मुख्यालय प्रयागराज में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।

प्रवर्तन कार्य

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। जहां एक तरफ अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शाराब पीने से विषाक्त काण्ड जैसी दुखद घटना घटित होने की सम्भावना रहती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी,मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में आवश्यकतानुरूप सहायक आबकारी आयुक्तों के अधीन प्रवर्तन इकाईयों का भी गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पाँच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर

प्रदेश के अधीन आबकारी ब्यूरो स्थपित है। अभिसूचना ब्यूरो का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त ई०आई०बी० के अधीन है, जिनके सहायतार्थ पाँच उप आबकारी आयुक्त, एक सहायक आबकारी आयुक्त, छः आबकारी निरीक्षक एवं बारह आबकारी सिपाही रहते हैं। आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई०आई०बी०) आबकारी अपराधों एवं तस्करों की स्वयं पकड़-धकड़ करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी अपराधों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है तथा भारत सरकार के नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के भी सम्पर्क में रहता है। साथ ही यह देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के उपभोग तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर सतत निगरानी रखता है। इसके अतिरिक्त ई०आई०बी० अनुभाग विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच कार्यवाही सम्पादित करता है तथा मण्डल स्तर पर स्थापित प्रवर्तन इकाईयों का पर्यवेक्षण करता है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने में भी आबकारी अभिसूचना ब्यूरो का महत्वपूर्ण योगदान है।

विषाक्त मदिरा से होने वाली मौतों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाले जनहानि को रोकने हेतु कठोर कदम उठाते हुए सरकार द्वारा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में संशोधन करते हुए धारा 60 (क) बढ़ा दिया गया है, जिसके अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु में मिश्रित करने तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के अपराध में जुर्माने के साथ-साथ मुत्यु या आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान किया गया है।

आबकारी दुकानों की बंदी

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों यथा वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख (नैमिषारण्य), देवाशरीफ तथा देवबन्ध के धार्मिक स्थलों में शराब बन्दी लागू है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा एवं प्रयागराज में संगम की परिधि के चारों ओर के एक किलोमीटर के अन्तर्गत तथा घाटी बहालराय, गोविन्दपुर, मण्डी रामदास, चौबिया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीतनगर, वनखण्डी, भतरपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गऊघाट, मनोहरपुरा, वैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कालोनी, कृष्णानगर प्रथम, कृष्णानगर द्वितीय, कोयला गली, डैम्पियर नगर, जयसिंहपुरा, बरसाना, गोकुल, नन्दगांव, राधाकुण्ड व वल्देव नगर पंचायत सीमा के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।

राष्ट्रीय पर्व के दिवसों यथा गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), डॉ० भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस (14 अप्रैल), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), महात्मा गांधी जन्म दिवस (2 अक्टूबर) को शराब की दुकानें पूर्णतया बन्द रहती है। इसके अतिरिक्त लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी के विवेकानुसार वर्ष में तीन दिन समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखी जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को पी०ओ०एस० मशीन सहित ऑन-लाइन किये जाने एवं एण्ड टू एण्ड सोल्यूशन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत इन्टीग्रेटेड एक्साइज

सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.ई.एस.सी.एम.एस.) हेतु सर्विस इन्टीग्रेटर (सेवा प्रदाता) का चयन किया गया है। उक्त प्रणाली के अन्तर्गत शीरा का उत्पादन/संचय/वितरण से लेकर अल्कोहल का उत्पादन/संचय/वितरण बॉटलिंग एवं उपभोग के विभिन्न चरणों हेतु आवश्यक पी०ओ०एस० मशीन्स, हैण्ड हेल्ड स्कैनर्स, डिजीलॉक्स जीपीएस आदि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर की आपूर्ति स्थापना एवं संचालन/अनुसरण आदि का समावेश किया जायेगा। इससे विभाग की राजस्व संग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल होगी अवैध शराब/नकली शराब की कालाबाजारी और ओवररेटिंग रोकने में मदद मिलेगी तथा राजस्व की वृद्धि होगी।

- जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं-यथा अलकोहल/स्प्रिट, नारकोटिक्स ड्रग्स का आयात/निर्यात सैक्रामेटल वाईन का निर्गमन, नवीन बॉण्ड लाइसेंस व उनका नवीनीकरण नवीन ब्राण्ड-लेबल रजिस्ट्रेशन व उनका नवीनीकरण अन्य देशों व अन्य राज्यों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई०एम०एफ०एल०) का निर्यात अन्य देशों व अन्य राज्यों को स्प्रिट का निर्यात अन्य राज्यों से स्प्रिट का आयात, नवीन थोक अनुज्ञापन लाइसेंस व उनका नवीनीकरण ब्रेवरी व आसवनी के संचालन हेतु लाइसेंस, बेवरी व आसवनी की स्थापना हेतु लाइसेंस नवीन फुटकर लाइसेंस व फुटकर लाइसेंसों के नवीनीकरण को विभागीय पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हैशबोर्ड "दर्पण" से इंटीग्रेट कर ऑनलाइन कर दिया गया है।
- पेय मदिरा उत्पादन एवं आपूर्ति प्रक्रिया पर सतर्क दृष्टि रखे जाने तथा राजस्व क्षति रोकने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 मैं ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली अपनायी गयी, जिसके द्वारा विभागीय पोर्टल पर उत्पादित पेय मदिरा, औद्योगिक मदिरा, आपूर्तिकर्ता, सन्निहित राजस्व आदि की समस्त सूचनायें पारदर्शी एव सुदृढ़ रूप रो उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आबकारी की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का वर्ष 2022-23 हेतु ऑनलाइन नवीनीकरण एवं ई-लॉटरी के दो चरणों द्वारा व्यवरथापन कराया गया।
- नई सेवाओं यथा- सी०बी०डब्लू० का ऑनलाइन पंजीकरण, बी०आई०ओ० लाइसेंस का निर्गमन होम एक बार लाइसेंस हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन एम०आर०पी० अनुमोदन प्रक्रिया बी०डब्लू०एफ०एल० एवं एफ०एल०-2ए हेतु एडवांस ड्यूटी रजिस्टर का क्रियान्वयन ऑनलाइन गेटपास वैधता विस्तार प्रक्रिया, एन०डी०: 30-1 व 2 परमिट हेतु ऑनलाइन प्रोसेसिंग, राजकोष सत्यापन हेतु कोषवाणी वेब सर्विस का इन्टीग्रेशन, बॉण्ड इन्सपेक्टर द्वारा निकासी गेट पासेस पर ऑनलाइन हस्ताक्षर, पी०डी०-18/पी०डी०-20 आवेदनों का ऑनलाइन आवेदन एवं बी०आई०ओ० पर स्टॉक प्रबंधन, सी०बी०डब्लू० स्टॉक से स्थानांतरण व परमिटों के सापेक्ष डिबॉडिंग की व्यवस्था इत्यादि सेवाओं को यू०पी०. एक्साइज पोर्टल पर जोड़ा गया।
- Reference No.- IESCMS/002 (RFP&/End to End Solution) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु Pos मशीनों का वितरण आरंभ कर दिया गया है एवं Pos मशीनों से 10 जनपदों में स्केनिंग की टैस्टिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। संभव है कि जून, 2022

तक परियोजना का Pilot फेज चालू हो जायेगा। IESCMS (End to End Solution) परियोजना के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा आसवनियों/यवासवनियों/बॉण्ड/थोक अनुज्ञापन पर सी०सी०टी०वी कैमरा एवं हार्डवेयर का इंस्टालेशन प्रारम्भ किया जा रहा है।

- अल्कोहल/शीरा के पारेषण में प्रयुक्त होने वाले टैंकरों में डिजीलॉक्स लगाये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर सेवा पुस्तिका की ऑनलाइन फीडिंग व अधिकारियों/कर्मचारियों के मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
- फेज-1 व फेज-2 के अन्तर्गत नागरिकों एवं व्यवसाय पर रेग्युलेटरी एवं कम्पलायस वर्डन को कम किये जाने व डी-क्रिमिनलाइजेशन से सम्बंधित आबकारी विभाग के कुल 84 प्रकरणों में से 24 प्रकरणों को ऑनलाइन कराया गया तथा अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित प्रावधान समाप्त कराये गये।
- निवेश मित्र पोर्टल पर पूर्व में इंटीग्रेटेड आबकारी विभाग की पांच सेवाओं क्रमशः औद्योगिक अल्कोहल, आसवनी स्थापना, आसवनी चलाया जाना यवासवनी स्थापना एवं यवासवनी चालाया जाना के अतिरिक्त आठ नयी सेवाओं यथा-अन्य राज्यों से मदिरा का आयात, अन्य देशों से मदिरा का आयात भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई०एम०एफ०एल०) का निर्यात ई०एन०ए० का आयात ई०एन०ए० का निर्यात ब्राण्ड-लेबिल रजिस्ट्रेशन, ब्राण्ड-लेबिल का नवीनीकरण एवं फुटकर दुकानों के लिये लाइसेंस व नवीनीकरण को भी निवेश मित्र पोर्टल पर इंटीग्रेट कराया गया है।

●

संस्थागत वित्त

दिसम्बर, 1968 में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान तत्कालीन श्री राज्यपाल द्वारा यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश में पर्याप्त विनियोजन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो इन वित्तीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि जुटाने हेतु समन्वय का कार्य कर सके। तद्नुसार प्रारम्भिक चरण में फरवरी, 1969 में वित्त विभाग में एक ''संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया तथा कार्य की बढ़ोत्तरी के साथ इसे वर्ष 1972 में पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसके अधीन यह निदेशालय कार्य कर रहा है।

राज्य के विभिन्न निर्बल वर्गों के कल्याणार्थ प्रतिपादित तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के राज्य स्तर पर सुचारु रूप से समन्वयन तथा उनकी प्रगति का समुचित अनुश्रवण कराये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जनवरी, 1990 में राज्य सरकार के शासनादेश के माध्यम से संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. का नाम बदल कर संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र. कर दिया गया। फील्ड स्तर पर इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः वाराणसी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा एवं गोरखपुर में स्थापित हैं। पुनः वर्ष 2015 में वाह्य सहायतित परियोजना विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं से संबंधित कार्यों का समावेश करते हुए निदेशालय का नाम संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया है।

प्रारम्भ से ही इस महानिदेशालय द्वारा विभिन्न विकास/रोजगारपरक कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए संस्थागत स्रोतों से धनराशि जुटाने में अपनी अहम भूमिका निभायी जाती रही है। संक्षेप में इस महानिदेशालय द्वारा विभिन्न सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय वित्तीय/बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण/कार्यशील पूँजी जुटाये जाने में योगदान दिये जाने के साथ-साथ प्रदेश में चलायी जा रही विभिन्न गरीबी निवारण एवं रोजगारपरक योजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग/ऋण लेने वाले तथा बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य किया जाता है।

प्रदेश शासन के स्तर से बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं से संबंधित नीति विषयक प्रकरणों को इस

विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, व्यावसायिक बैंकों एवं अन्य विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर उठाया जाता है और यथा सम्भव उनका निदान कराया जाता है। वर्तमान आर्थिक परिवेश में बजट स्रोतों से उपलब्ध धनराशि की कमी के कारण दिन-प्रतिदिन इस महानिदेशालय के कार्यों में और अधिक बढ़ोत्तरी हो रही है।

प्रमुख उत्तरदायित्व एवं कार्य योजना

- वित्तीय समावेशन/बैंक शाखा प्रसार की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
- केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/व्यावसायिक बैंकों एवं प्रशासकीय विभागों तथा सार्वजनिक/सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना। विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में वित्त पोषण से सम्बन्धित मामलों में कार्यदायी/प्रशासकीय विभागों को सहायता देना।
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजन के संसाधन जुटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में बैंक क्रेडिट से सम्बन्धित योजनाओं को उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें राज्य पुरोनिधानित घोषित करना।
- सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत जनपद के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी बैंकों के माध्यम से वार्षिक ऋण योजनायें तैयार कराना एवं उसके अन्तर्गत वित्त पोषण का सतत अनुश्रवण करना ताकि सुनियोजित ढंग से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत बजटीय भार कम हो सके।
- अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करना।
- त्रैमासिक अन्तराल पर होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों का समन्वय करना तथा उनमें प्रतिभाग करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रदेशीय स्तर पर समन्वय करना तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति का अनुश्रवण करना।
- बैंकों के ऋण जमानुपात का अनुश्रवण करना एवं बैंकों से सम्बन्धित प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण कराना।
- वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बैंक के बकायों की वसूली में सहायता प्रदान करना। दैवीय आपदाओं की दशा में बैंक ऋणों की रिश्ड्यूलिंग कराने में बैंकों से समन्वय करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत सरकार से संस्थागत वित्त संबंधी नीति विषयक प्रकरणों को उठाया जाना एवं उनका समाधान खोजना।
- नाबार्ड की माइक्रोफायनेसिंग योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/कृषक क्लब आदि के गठन में आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि प्रदेश में अधिकाधिक संस्थागत वित्त सुलभ हो सके।

- विभिन्न निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से लिए गये ऋण के अतिदेय को एकमुश्त समाधान के माध्यम से निस्तारित कराये जाने में समन्वयक की भूमिका अदा करना।
- Banning of Unregulated Deposite Scheme Act 2019 एवं U.P. Protection of Interest of Depositors Act 2016 का क्रियान्वयन।

विभाग द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले कार्यक्रम

1. प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रत्येक नागरिक को सुगम बैकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश में कुल 19404 बैंक शाखायें एवं 113662 बैंक मित्र/इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक, 32666 बैंक सखी तथा 19415 ए.टी.एम. के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

2. वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती हैं। संस्थागत वित्त विभाग के गहन अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक रु. 220496 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया जो गत वर्ष 2021-22 की समान अवधि के अन्तर्गत वितरित ऋण रु. 157812 करोड़ से रु. 62684 करोड़ अधिक है।

3. ऋण जमानुपात

प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के 31 दिसम्बर, 2022 को कुल जमा धनराशि रु. 1462270 करोड़ के सापेक्ष रु. 796820 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। इस प्रकार प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) का दिसम्बर, 2022 के अन्त तक ऋणजमानुपात 54.49 प्रतिशत था।

4. प्रदेश में वित्तीय सेवाओं से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना- प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दिसम्बर, 2022 तक लगभग 8.56 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष 5.58 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्य जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 7.11 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। **योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।**

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है, को वार्षिक प्रीमियम रु. 20 में रु. 2.00 लाख के दुर्घटना

बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा, जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक 4.39 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। **योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में प्रथम स्थान है।**

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य है, को रु. 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रु. 436/- पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2022 तक 1.46 करोड़ व्यक्ति पंजीकृत किये जा चुके हैं। **योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में द्वितीय स्थान है।**

(घ) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है, ताकि न्यूनतम 20 वर्ष तक अंशदान का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर, 2022 तक 78.56 लाख व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। **योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।**

विभिन्न बैंक वित्त पोषित शासकीय योजनाओं यथा- किसान क्रेडिट वितरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि के सफल क्रियान्वयन हेतु बैंकों और कार्यदायी विभागों के साथ निरन्तर समन्वय किया जाता है। प्रदेश में बैंकिंग क्रियाकलापों की शीर्ष स्तर पर समीक्षा हेतु दिनांक 01.07.2022 एवं 29.09.2022 को मा. वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तथा दिनांक 23.11.2022 को मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित करायी गयी।

वाणिज्य कर (जी.एस.टी.)

राज्य कर विभाग प्रदेश के कर राजस्व का महत्वपूर्ण विभाग है। वर्ष 2017-18 में जून, 2017 तक देय वैट, सी.एस.टी. व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व जमा हुआ है। दिनांक 01.07.2017 से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू हुआ तद्परान्त जी.एस.टी. से आच्छादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी.एस.टी. राजस्व जमा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड आयल, वायुयान ईंधन, नेचुरल गैस, मानवीय उपयोग हेतु शराब जी.एस.टी. से आच्छादित नहीं है, इसलिये उक्त वस्तुएं नॉन जी.एस.टी. के अन्तर्गत हैं और इन पर पूर्व की भाँति वैट राजस्व जमा हो रहा है। वर्ष 2021-22 में समेकित राजस्व संग्रह रु. 98107.04 करोड़ है। वर्ष 2022-23 का वार्षिक लक्ष्य रु. 124477.05 करोड़ निर्धारित है।

राज्य कर विभाग में कर व्यवस्था के विकास के विभिन्न सोपान

विभाग के स्थापना के समय से अनेक ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनका विभाग के वर्तमान स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे कुछ निर्णयों का उल्लेख निम्न प्रकार है :-

- बहुसूत्रीय कर प्रणाली का सूत्रपात वर्ष 1948 में किया गया था, वर्ष 1952 में कुछ विशिष्ट वस्तुओं को एक सूत्रीय प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष 1975 में बहुसूत्रीय कर प्रणाली समाप्त कर एक सूत्रीय कराधान की व्यवस्था की गयी।
- विशेष अनुसंधान शाखा की प्रथम इकाई कानपुर में वर्ष 1954 में खोली गयी।
- बिक्रीकर अधिकरण का गठन वर्ष 1980 में किया गया।
- वर्ष 1994 में दि. 01.06.1994 से बिक्रीकर के स्थान पर व्यापार कर दिया गया।
- प्रवेश कर वर्ष 1999 में लागू किया गया।
- फ्लोर रेट प्रणाली वर्ष 2000 में लागू की गयी, नई इकाईयों की छूट समाप्त की गयी।
- वर्ष 2000-01 से विभाग पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू।
- वर्ष 2000-01 से मोटर स्प्रिट की बिक्री पर प्राप्त होने वाला व्यापार कर राज्य आबकारी विभाग उ.प्र. से व्यापार कर विभाग को हस्तान्तरित।
- वर्ष 2005-06 में मई 2005 से विकास कर आरोपित किया गया जो वैट लागू होने के पूर्व दिसम्बर 2007 तक प्रभावी।
- वर्ष 2007-08 में दि. 01.01.2008 से उ.प्र. मूल्य संबर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू किया जाय।
- दि. 30/31 जुलाई 2009 की रात्रि से प्रदेश की वाणिज्य कर चेक पोस्ट व्यवस्था समाप्त।

- वर्ष 2009-10 में वाणिज्य कर राजस्व संग्रह के लिए ई-पेमैंट सुविधा एस.बी.आई. तथा पीएनबी द्वारा प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2009-10 में रु. 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के व्यापारियों हेतु ई-रिटर्न का प्रावधान किया गया।
- दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. अधियिम लागू किया गया।
- दिनांक 01.04.2018 से इण्टरस्टेट परिवहन के लिये नेशनल ई-वेबिल लागू किया गया।
- दिनांक 15.04.2018 से इण्ट्रारस्टेट परिवहन के लिये ई-वेबिल लागू किया गया।
- दिनांक 01.04.2019 से जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीयन की सीमा रु. 20 लाख से बढ़ाकर रु. 40 लाख तथा समाधान के व्यापारियों की सीमा रु. 1 करोड़ से बढ़ाकर रु. 1.50 करोड़ किया गया।
- दिनांक 01.04.2019 से सेवा क्षेत्र के रु. 50 लाख टर्नओवर के व्यापारियों के लिए समाधान योजना 5 प्रति. की समाधान योजना लायी गयी।
- दिनांक 01.01.2021 से रु. 100 करोड़ तक टर्नओवर के व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था तथा दिनांक 01.04.2021 से रु. 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के टैक्सपेयर्स के लिए ई- इनवाइस की व्यवस्था प्रावधानित की गयी।
- शासनादेश दिनांक 28.12.2018 द्वारा उ.प्र. व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।

मिशन :-

"भ्रमरा एव पादपमू"

उद्देश्य :-

- जी.एस.टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के माल एवं सेवा की आपूर्ति पर देय कर को जमा कराना।
- नान-जी.एस.टी. गुड्स पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को जमा कराना।
- राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापारियों के हितों की रक्षा करना।

संगठन :-

राज्य कर विभाग का संगठन मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। प्रथम प्रशासनिक/कर निर्धारण कार्य, द्वितीय न्यायिक कार्य तथा तृतीय प्रवर्तन कार्यों से सम्बन्धित है।

क्षेत्र :-

विभागीय कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु प्रदेश की भौगोलिक सीमा में राज्य कर विभाग 20 जोन, 45 संभाग तथा 436 खण्ड कार्यालयों में विभाजित हैं। विभागीय कार्यालय 93 स्थलों पर स्थापित हैं, जिन्हें वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय कहा जाता है। बड़े करदाताओं की सुविधा हेतु 21 कारपोरेट सर्किल सभी जन में एवं एक ऑयल कारपोरेट सर्किल मुख्यालय पर स्थापित है।

प्रथम अपील :-

विभाग में कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील दायर करने हेतु एडी. कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील) के 56 न्यायिक सम्भाग विभिन्न मण्डल कार्यालयों पर स्थापित हैं। वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में 16783 प्रथम अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष थी, वर्ष में 19137 नई अपीलें दायर हुई तथा 21047 अपीलें निस्तारित हुई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 14873 अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष रहीं है।

द्वितीय अपील :-

दिनांक 03.10.1980 में व्यापार कर अधिकरण की स्थापना के फलस्वरूप द्वितीय अपीलों का निस्तारण व्यापार कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। वाणिज्य कर अधिकरण के उत्तर प्रदेश में 31 पीठें है। मा. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ.प्र. इस कार्यालय के विभागाध्यक्ष हैं।

पंजीयन जागरूकता अभियान :-

- उत्तर प्रदेश में जी.एस.टी. पंजीयन देश के सभी राज्यों में **सर्वाधिक** है।
- मा. मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप वर्ष 2022-23 में दिनांक 07.07.2022 से विभाग द्वारा पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अद्यतन तिथि तक 5990 कैम्प, 3771 सेमिनार, 231 मेगा सेमिनार किये गये हैं तथा प्रदेश के विभिन्न नगर व नगरीय कस्बों में 4915 होर्डिंग लगाये गये।
- अभियान का प्रचार-प्रसार बैनर, इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड, इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया, सिनेमाघर/मल्टीप्लैक्स के माध्यम से किया गया। अभियान में अभी तक 43435 नये पंजीयन कराये गये हैं।
- वर्ष 2021-22 में 299587 नये पंजीयन कराये गये।
- वर्ष 2022-23 में 01 अप्रैल 22 से 01.09.2022 तक 132131 नये पंजीयन कराये गये है।
- उत्तर प्रदेश में निर्गत जी.एस.टी. पंजीयन की संख्या 26.80 लाख हो गयी है।

प्रवर्तन कार्य :-

- करापवंचन के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 20 जोन में जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा./प्रर्वतन) के कार्यालय स्थापित हैं। इनके अधीन सम्भागीय स्तर पर ज्वाइंट कमिशनर (वि.अनु.शा.) के कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों से अपने-अपने अधिक्षेत्र के सचल दल तथा वि.अनु.शा. इकाईयों के कार्य नियंत्रित व सम्पादित होते हैं। प्रदेश में 148 सचल दल इकाईयाँ सभी जोनल कार्यालयों में तथा 02 वाणिज्य कर मुख्यालय पर कुल 150 सचल दल इकाईयाँ एवं 45 विशेष अनुसन्धान शाखा की प्रवर्तन इकाईयाँ कार्यरत हैं।
- विभाग की प्रदेश में स्थापित 150 सचलदल इकाईयों द्वारा वर्ष 2021-22 में वाहनों की जाँच में पाये गये 20464 दोषी वाहनों से रु. 224.16 करोड़ की जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी गयी है।
- विभाग की 45 विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों द्वारा निर्माता व्यापारियों के व्यापार स्थल की जाँच करके वर्ष 2021-22 में रु. 851.25 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत सीजर के समय ही उपलब्ध करापवंचित स्टाक पर देय राजस्व रु. 92.04 करोड़ जमा कराया गया।

पंजीकृत व्यापारियों के लिये मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना :-

- इस योजना के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः बीमित माने जाते हैं। इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी की हत्या व दुर्घटना में मृत्यु/आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी के नामिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को बीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है।
- वर्ष 2017-18 में उक्त योजना हेतु दिनांक 15.06.2017 से दिनांक 14.06.2018 तक अर्थात एक वर्ष हेतु दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लि. लखनऊ का चयन किया गया। इस अवधि में पात्र 115 व्यापारी के परिजन को इस बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- बीमित धनराशि दिनांक 27.10.2017 से रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख किया गया है।
- दिनांक 27.10.2017 से 14.06.2018 तक के प्राप्त दावों में रु. 5 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा तथा रु. 5 लाख का भुगतान शासन की स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- दिनांक 15.06.2018 से विभाग द्वारा ही उक्त बीमा योजना संचालित है, जिसमें लाभार्थी को विभाग द्वारा रु. 10 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत कराकर दी जा रही है।
- वर्ष 2021-22 में 198 व्यापारी के परिजन लाभान्वित हो चुके हैं।

विभाग द्वारा लिए गये निर्णय एवं व्यापारियों को दी गयी सुविधाएं :-

- जी.एस.टी. रिफण्ड की समस्त प्रक्रिया को दिनांक 26.09.2019 से ऑनलाइन की गयी है।
- वर्ष 2019-20 में दिनांक 20.08.2019 से पेट्रोल व डीजल पर दिनांक 04.10.2018 को वैट कर की दर व राशि में की गयी कमी का समाप्त करते हुए पूर्ववत दर व राशि बहाल की गयी।
- वर्ष 2020-21 के वैट के कालबाधित वादों के निस्तारण की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ा कर 30 जून, 2021 की गयी।
- प्रदेश में व्यापार कर, बिक्री की, वैट व मनोरंजन कर के अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक सृजित मांग की अवशेष बकाया जमा कराने हेतु 27 फरवरी से 3 माह तक की अवधि के लिए ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 लागू की गयी जिसकी अवधि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत 31 अक्टूबर, 2020 की गयी। जिसमें 18666 व्यापारी लाभान्वित हुए तथा रु. 113.12 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा हुई। यह योजना पुनः दिनांक 03 मार्च, 2021 से 02 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु लागू की गयी है। ताकि अधिक से अधिक व्यापारी योजना से लाभान्वित हो सके। इस योजना में भी 14323 व्यापारी लाभान्वित हुए तथा रु. 126.02 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा हुई।
- जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं के व्यापारियों के लिए रु. 1.5 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक एवं सेवाक्षेत्र के व्यापारियों हेतु रु. 60 लाख टर्न ओवर तक समाधान योजना प्रभावी है। जिसके अन्तर्गत वार्षिक टर्नओवर का मात्र 01 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा किया जाता है।
- रेस्टोरेन्ट के व्यापारियों को मात्र 5 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा किये जाने की अलग से समाधान योजना लागू है।
- जी.एस.टी. में समाधान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 3.32 लाख व्यापारी लाभान्वित है।

स्टाम्प एवं निबंधन

उत्तर प्रदेश सरकार हेतु राजस्व संग्रह करने वाले प्रमुख विभागों, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, आबकारी, मनोरंजन कर, परिवहन कर आदि में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग द्वारा लगभग तीस लाख से अधिक लेखपत्रों का पंजीयन होता है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग विभाग के सम्पर्क में आते है। पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बैनामा, गोदनामा, इकरारनामा, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों, जिसमें विवाहों के घोषणा पत्र भी सम्मिलित हैं, का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। निबन्धन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन की दृष्टि से वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के पश्चात् तीसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है।

निबन्धन विभाग के उद्देश्य :-

लेखपत्रों के निबन्धन की एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना, जिसमें किसी विशेष सम्पत्ति के अन्तरण विषय, पक्षकरों के बीच अधिकारों/दायित्वों की संविदा को सामान्य जनता को सुलभ एवं सार्वजनिक कराना अनन्त काल तक इनके रिकार्डो को जन समान्य हेतु सुरक्षित रखना तथा इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक विद्वेष को समाप्त करना।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाये :-

1. प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों का ऑनलाइन निबन्धन।
2. ऑनलाइन ई-भुगतान एवं Appointment/SMS की सुविधा
3. संव्यवहार से सम्बन्धित विलेखों का ऑनलाइन निरीक्षण/मुआयना
4. डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण-पत्र
5. विलेखों की सत्यापित प्रति
6. विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण
7. निबन्धन कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का चिर काल तक अक्षुण्ण एवं निरापद रखना।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें :-

1. भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रानिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत फर्जी स्टाम्पों पर प्रभावी रोक लगाने तथा अधिक से अधिक इलेक्ट्रानिक स्टाम्प के प्रयोग को बढ़ाने के दृष्टिगत ई-स्टाम्प योजना के अन्तर्गत स्टाम्प विक्रेताओं को ए.सी.सी. प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

2. पक्षकारों की सुविधा हेतु निबन्धन शुल्क की धनराशि लेखपत्र के पंजीकरण से पूर्व ऑन-लाइन जमा करने की व्यवस्था करायी गयी है।

3. शासनादेश दिनांक 18.06.2022 द्वारा दान के ऐसे विलेख जिसके द्वारा दाता, अचल सम्पत्ति का अन्तरण, परिवार के सदस्यों (पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्रवधु) (पुत्रक की पत्नी), दामाद (पुत्री का पति), सगा भाई, सगी बहन, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री) के पक्ष में विलेखों का पंजीयन कराता है तो स्टाम्प शुल्क रु. 5,000/- निर्धारित करते हुए जनहित में यह सुविधा प्रदान की गई है।

4. विभाग में त्वरित एवं पारदर्शी कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश के समस्त निबन्धन कार्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं सेकेन्ड्री डिसप्ले की व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है।

5. ऐसे उप निबन्धक कार्यालय के कार्यालय जहां विलेखों के प्रस्तुतीकरण की संख्या अधिक है वहां कार्यरत एक से अधिक उप निबन्धक कार्यालयों को समवर्ती अधिकार लागू कर दी गई है।

6. निबन्धन कार्यालयों में विलेखों के निबन्धन हेतु एस.एम.एस. आधारित अप्वाइन्टमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

7. पुराने पंजीकृत विलेखों की इण्डेक्सिंग, स्कैनिंग व डिजिटाइजेशन का कार्य प्रथम चरण में 03 जनपदों-बाराबंकी, अम्बेडकरनगर व श्रावस्ती में प्रारम्भ कर पूर्ण कराया गया।

8. स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है।

9. **भारत सरकार के उद्योग संवर्धन विभाग के Ease of Doing Business के अन्तर्गत बिजनेस रेफोर्म एक्शन प्लान :-**

1. प्रथम चरण में तीन जनपदों (श्रावस्ती, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर) के 20 वर्षों के लेखपत्रों की स्कैनिंग, इंडेक्सिंग एवं डिजिटलिकरण के अन्तर्गत 14 उपनिबन्धक कार्यालयों के 9.13 लाख लेखपत्रों का इंडेक्स एवं 1.80 करोड़ पृष्ठों की स्कैनिंग पूर्ण की गयी। अब अवशेष सभी जनपदों के पुराने पंजीकृत विलेखों की इण्डैक्सिंग, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
2. NeSL के प्लेटफार्म से डिजिटल ई-स्टाम्प सुविधा का प्रारम्भ किया गया।

3. भारतीय स्टेट बैंक के MoU पश्चात निबन्धन शुल्क का ई-भुगतान सुविधा का प्रारम्भ किया गया।

4. डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अन्तर्गत प्रेरणा सॉफ्टवेयर को लेखपत्र पंजीकरण हेतु एस.एम.एस. आधारित Appointment सुविधा एवं ऑनलाइन नामांतरण हेतु राजस्व परिषद की वेबसाइट "भूलेख" एवं "राजस्व न्यायालय" से लिंक किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियां

राजस्व प्राप्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग के लिए सकल राजस्व प्राप्तियों हेतु रु. 25500.00 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य के सापेक्ष 20068.81 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई।

जनोपयोगी कार्य :-

- सम्पत्ति पंजीकरण की व्यवस्था जनसामान्य को अपने लेखपत्र का ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से सृजन कर सकता है।
- विभाग के द्वारा ई-विवाह पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है।
- सम्पत्ति विवरण सत्यापन विभागीय पोर्टल पर वर्तमान में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को खरीदने से पूर्व सम्पत्ति खोज विकल्प का प्रयोग कर सम्पत्ति का सत्यापन कर सकता है।
- दाखिल खारिज आम जन को दस्तावेजों के निबन्धन के उपरान्त दाखिल खारिज संबंधी कार्यवाही हेतु सुगमता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत राजस्व परिषद् के पोर्टल का विभागीय पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है।
- विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है।
- भारत सरकार Ease of Doing Business को कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल को उद्योग बन्धु को सिंगल विण्डों, निवेश मित्र, ई-डिस्ट्रिक्ट, सी.एम. डैश बोर्ड एवं राजस्व परिषद् की वेबसाइट से एकीकृत किया गया है।
- Ease of Doing Business के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- उद्योग स्थापना हेतु त्वरित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में एकल विण्डों पोर्टल **"निवेश मित्र"** एकीकृत किया गया।
- विभाग को ई-गवर्नेन्स/ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण प्रक्रिया (PRERNA) हेतु निम्न पुरस्कार प्राप्त हुआः-
  - Award of Recognition

- Digital Technology Excellence Award
- SKOCH AWARD "SILVER"

- बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग लि. (BOISL) से शेयर अंतरण में ब्रोकर टर्नवओवर पर स्टाम्प शुल्क अधिग्रहित करने हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे शेयर अन्तरणों से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।
- भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रिानिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत फर्जी स्टाम्पों, पर प्रभावी रोक लगाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्प नियमावली-2013 को प्रभावी किया गया है।
- दिव्यांगजन हेतु ग्राउण्ड फ्लोर पर रजिस्ट्री की सुविधा हेतु समस्त उप निबन्धकों को लैपटाप उपलब्ध कराये गये है।
- 05 दिसम्बर, 2017 से प्रदेश में सम्पत्ति के विलेखों के पंजीकरण की ऑन लाईन प्रक्रिया का शुभारम्भ मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी।

नियम-विनियम :-

विभागीय कानूनों एवं नियमों की समीक्षा करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नियम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपना स्टाम्प अधिनियम बनाया जा रहा है तथा इसी सन्दर्भ में ई-स्टाम्पिंग नियमावली, प्रभावी हो गयी है।

आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ :-

स्टाम्प शुल्क के करापवंचन की रोकथाम हेतु स्टाम्प व पंजीकरण विभाग द्वारा आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ का गठन पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में निबन्धित विलेखों की जांच एवं निरीक्षण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित/भविष्य की योजनायें

राजस्व प्राप्ति :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्टाम्प पंजीकरण के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रु. 29692.12 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्य योजना निर्मित की गई है। अवशेष वसूली, स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण, करापवंचन की रोकथाम करते हुए उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

1. रजिस्ट्री कार्यालय व पक्षकारों की उपस्थित हुए बिना सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं विलेखों का ई-पंजीकरण प्रणाली प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
2. छोटे मूल्य के स्व मुद्रित ई-स्टाम्प व्यवस्था एवं कतिपय विलेखों में डिजिटल ई-स्टाम्प की सुविधा प्रारम्भ की जा रही है।
3. ऑन लाइन कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा का सृजन करने के साथ ही प्रदेश के समस्त उप

निबन्धक कार्यालयों में संरक्षित लेखपत्रों में स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य किया जायेगा।

4. आयकर एवं अन्य विभागों व नियमाक संस्थाओं को ऑनलाइन सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा।

5. जन सुविधा हेतु अधिकतम सेवाएं ऑन लाइन करते हुए विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्य को बेहतर बनाया जायेगा। विभागीय डाटा को संरक्षित करने हेतु डाटा रिकवरी सेन्टर की स्थापना एवं आई.टी. सेल का गठन किया जायेगा।

पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटाईजेशन :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उप निबन्धक कार्यालयों में अनुरक्षित लेखपत्रों के स्कैनिंग एवं इनडैक्सिंग कार्य हेतु धनराशि रु. 40.00 करोड़ का आय व्ययक अनुमान में प्रावधानित किया गया है।

कार्यालय भवन :-

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में अनावासीय कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में धनराशि रु. 1.00 करोड़ आय-व्ययक अनुमान में प्रावधानित किया गया था, जिसे निबन्धन, कार्यालय कैसरबाग लखनऊ द्वितीय एवं तृतीय तल के हाल विस्तार निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड लखनऊ को धनराशि रु. 83.92 लाख आवंटित किया गया है, जिसका सदुपयोग किया जा रहा है।

कृषि

जीवन-यापन में संतुलित एवं गुणवत्तायुक्त भोजन की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग की वर्ष 1875 में स्थापना की गयी। प्रारम्भ में कृषि विभाग का कार्य कृषि सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन तथा आदर्श कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। वर्ष 1880 में कषि विभाग को भू-अभिलेख विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट-1919 के पारित होने के उपरान्त कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 01 दिसम्बर, 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा 1 मई, 1920 को इसकी विधिवत् स्थापना हुईं। विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र यथा-उपज, पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन सम्बन्धी गतिविधियों का समावेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गन्ना विभाग के गठन के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन सम्बन्धी कार्य नवगठित विभाग में समाहित कर दिया गया। कालान्तर में उद्यान एवं कृषि विपणन को भी कृषि विभाग से अलग किया गया है।

कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध सहयोगी संस्थाओं यथा- उ०प्र० बीज-विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यू०पी० एग्रो, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन सम्बन्धी क्रिया-कलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है।

दायित्व

कृषि विभाग प्राकृतिक संसाधनों यथा- मृदा, जल एवं कृषि सम्बन्धी जैव विविधता के समुचित संरक्षण, देश/प्रदेश की कृषि उत्पादन नीतियों के विनिर्माण एवं क्रियान्वयन तथा संसाधनों को अक्षुण्ण बनाये रखते हुये उत्तरोत्तर वृद्धि परक उत्पादन के आयाम विकसित करने के लिए सतत प्रयासरत है। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व, क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबन्धन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को गति प्रदान करना है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से उपयोगी कार्यक्रमों का दायित्व कृषि विभाग पर है।

उद्देश्य

कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन-स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठाया जा सके। इसके

अतिरिक्त प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये जा प्रयास

- कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार-प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।
- कृषकों को विभिन्न पारिस्थतिकीय परिस्थितियों में उपयुक्त फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी प्रदर्शन का आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना।
- विभाग द्वारा विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषि निवेशों की आपूर्ति निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप कृषकों के मध्य उपलब्ध कराना।
- कृषि उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं, कीट/ रोग आदि जोखिम के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए प्रदेश में संचालित कृषि बीमा योजनाओं को व्यापकता प्रदान करना।
- कृषि उत्पादन के लिए अपरिहार्य विभिन्न कृषि निवेशों की गुणवत्ता नियंत्रण पर सतत निगरानी रखना।
- देवी आपदाओं यथा-बाढ़, सूखे की स्थिति आदि में उन परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजनाएं बनाकर कृषकों को सही समय पर उचित जानकारी देकर उसी के अनुरूप कृषि निवेशों की व्यवस्था कराना एवं इस प्रकार के जोखिम से बचाने के लिए कृषकों को फसल बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश की समस्याग्रस्त भूमि यथा-जलमग्न, ऊसर, बंजर, बीहड़ आदि को उपचारित करके कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करना।

कृषि विभाग के नवीन संकल्प

- पी०एम० कुसुम योजना के अन्तर्गत कृषकों को सोलर पम्प प्रदान किया जायेगा तथा साथ ही कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था करेंगे।
- 4000 नये फसल विशिष्ट एफ०पी०ओ० स्थापित करके, प्रत्येक एफ०पी०ओ० को 18 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- मिशन प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।

गत वर्षों में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- प्रदेश के समस्त लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ किया जाना-समस्त लघु एवं सीमान्त किसानों, जिनके द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक फसली ऋण प्राप्त किया गया है, एक लाख रुपये तक की सीमा का ऋण मोचन किया गया।

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम० किसान) योजना-** : प्रदेश के कृषकों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम० किसान) योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को वर्ष में रु० 2000/- के तीन किस्तों में कूल रु० 6000/- डी०बी०टी० के माध्यम से खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वह सभी कृषक परिवार पात्र हैं जो प्रदेश के निवासी हैं और जिनके पास कृषित भूमि है। कृषक परिवार में कृषक, कृषकी की पत्नी व कृषकके अवयस्क बच्चे शामिल हैं। योजनान्तर्गत माह मार्च, 2022 तक कृषकों को कुल रु० 42565 करोड़ की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की गयी है।
- **प्रधानमंत्री किसान मान-धन (पी०एम०-के०एम०वाई०) योजना-** वर्ष 2019-20 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरुष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु० 3000 / माह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें सम्मिलित होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। योजनान्तर्गत मार्च, 2022 तक 249223 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें पुरुष 74 प्रतिशत एवं महिला 26 प्रतिशत हैं। इस योजना में 18-25 आयु वर्ग के 23.60 प्रतिशत, 26-35 आयु वर्ग के 49.90 तथा 36-40 आयु वर्ग के 26.40 प्रतिशत लाभार्थी हैं।
- कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। इंस समस्या के स्थायी निदान के उपाय स्वरूप जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015-16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन०एम०एस०ए०) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम चक्र (2015-16 एवं 2016-17) एवं द्वितीय चक्र (2017-18 एवं 2018-19) में कुल 373.69 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 से मॉडल ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत 2.55 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजनान्तर्गत चयनित 15810 ग्रामों में 15810 प्रदर्शन एवं 5775 ग्रामों में 5775 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)** भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अन्तर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया

जा रहा है।

- **पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति** के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2021-22 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की गयी। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्द्धक वृद्धि के आँकड़ें प्राप्त हुए।
- **नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन**- प्रदेश में गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 से तिलहनी फसलों के के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु सम्मिलित किया गया है।
- **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी**-इस योजनान्तर्गत चार सब मिशन यथा-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर इस मिशन से संचालित किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना एवं राज्य सिंचाई योजना तैयार कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ भूमि जल स्तर को ऊपर उठाने तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में वाटरशेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों के द्वारा जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके चार मुख्य घटक हैं :

1. ए०आई०बी०पी०
2. हर खेत को पानी
3. प्रति बूँद अधिक फसल
4. जलागम विकास।

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक हैं :

अ रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर०ए०डी०)

ब- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस०एच०एम०)

1. स्वायल हेल्थ
2. स्वायल हेल्थ कार्ड

स- परम्परागत कृषि विकास योजना (पी०के०वी०वाई०)

द- नमामिः गंगे

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016-17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरुद्ध बीमा प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औधानिक फसलों-केला एवं मिर्च फसल को अधिसूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।

इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित इम्प्रूवमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिसटिक्स स्कीम के अन्तर्गत टी०आर०एस० एवं आई०सी०एस० योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं को इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स में संविलीन कर संचालित किया जा रहा है।

प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना

इस योजना के माध्यम से कृषकों को खरीफ एवं रबी फसलों की गुणवत्तायुक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस पर होने वाले व्यय राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वहन किया जाता है।

संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना

देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों के आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपज देने वाली हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना

कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं "वन स्टाप शॉप" के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही है।

विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना

रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से दृष्टिगोचर दुष्प्रभावों को कम करने हेतु चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

कृषि के विकास हेतुं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना/डी०बी०टी० योजना- किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत कृषि निवेश प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकृत कृषकों को ही विभाग द्वारा अनुदान एवं अन्य सुविधा देय है। डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि नकद स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कृषक के खाते में तीन दिन के अन्दर धनराशि कोषागार/बैंक से अन्तरित किया जा रहा है।

प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

पंडित दीनदयाल उपा याय किसान समृद्धि योजना

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विश्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी।

विगत वर्षों से प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसे गतिशील बनाये रखने के लिए कृषि उत्पादन की नवीन तकनीक को ससमय कृषकों तक पहुँचाना, सामयिक कृषि संसाधन व्यवस्था हेतु मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसमों के प्रारम्भ में गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठियों में कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिक तथा प्रदेश स्तर के अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लेकर कृषकों के हितोपयोगी बनाया जाता है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की सम-सामयिक समस्याओं के निदान एवं अद्यतन पद्धति एवं तकनीकों के प्रचार-प्रसार हेतु कृषि एवं पशुपालन मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है तथा इसे कृषकों के मध्य रु० 24 मात्र के वार्षिक मूल्य पर सदस्य कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

कृषि की सम-सामयिक समस्याओं के निदान एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु मासिक बुलेटित्त "कृषि चिन्तन" का प्रकाशन किया जा रहा है। इस बुलेटिन को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों, विभागीय कर्मचारियों, प्रगतिशील कृषकों एवं जन-प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु रबी 2017-18 से एक अनूठी किसान पाठशाला (द मिलियन फार्मर्स स्कूल) का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है जिसमें 10 लाख से अधिक कृषकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो सत्रों के माध्यम से कृषि, उद्यान, गन्ना, रेशम, विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के कृषकों को दी जा रही अनुमन्य सुविधाओं की पुस्तिका एवं पम्पलेट मुद्रित कराकर कृषकों में निःशुल्क वितरित किया गया है जिसमें विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नं० भी उपलब्ध कराये गये हैं ताकि कृषक विभाग की किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सीधे सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकें।

कृषि विभाग की बेबसाइट "यूपीएग्रीपारदर्शीडाटजीओवीडाटइन" एवं "यूपीपारदर्शीमोबाइल एप" के नाम से संचालित है। जिसके अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन विभाग की वित्तीय प्रगति, विभाग का सिटीजन चार्टर, जनहित गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवायें, विभागीय सर्कुलर एवं अन्य सूचनाओं के साथ ही साथ कृषकों के ज्ञान के लिए विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तरी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कृषक इस वेबसाइट पर जाकर कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कृषि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं।

नई प्रस्तावित योजनाएं :

नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल संरक्षण प्रबन्धन की योजना

नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल संरक्षण प्रबन्धन की योजना हेतु 9742.74 लाख रु० आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 9742.74 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

बुन्देलखण्ड में गो आधारित खेती की योजना

बुन्देलखण्ड में गो आधारित खेती की योजना हेतु 700.00 लाख रु० की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 700.00 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-III के अवशेष देनदारी का भुगतान

सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-III के अवशेष देनदारी का भुगतान की व्यवस्था हेतु रु० 1914.00 लाख रु० की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 1914.00 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

केन नदी परियोजना का वार्षिक अनुरक्षण

केन नदी परियोजना का वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित व्ययों को व्यवस्था हेतु रु० 100.00 लाख की आवश्यकता है तद्नसार वित्तीय 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना

राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना से सम्बन्धित व्ययों की व्यवस्था हेतु

रु० 150.00 लाख रु० की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 450.00 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के नवनिर्मित भवन हेतु फर्नीचर, उपकरण आदि का क्रय तथा नवीन ग्रीन हाउस का निर्माण

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के नवनिर्मित भवन हेतु फर्नीचर, उपकरण आदि का क्रय तथा नवीन ग्रीन हाउस का निर्माण से सम्बन्धित व्ययों की व्यवस्था हेतु रु० 313.28 लाख रुपये की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 313.28 लाख लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदी पुरम्, मेरठ में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी व वर्कशाप

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदी पुरम्, मेरठ में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी व वर्कशाप से सम्बन्धित व्ययों की व्यवस्था हेतु रु० 200.00 लाख रु० की आवश्यकता है तद्नसार वित्तीय 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदी पुरम्, मेरठ में शुगरकेन टेक्नोलॉजी (गन्ना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय) के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदी पुरम्, मेरठ में शुगरकेन टेक्नोलॉजी (गन्ना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय) के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना से सम्बन्धित व्ययों की व्यवस्था हेतु रु० 200.00 लाख की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा परिसर में आंतरिक रोड का निर्माण

कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा परिसर में आंतरिक रोड का निर्माण से सम्बन्धित व्ययों की व्यवस्था हेतु रु० 500.00 लाख की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा में टाइप-1 एवं टाइप-4 के आवासों का निर्माण

कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा में टाइप-1 एवं टाइप-4 के आवासों का निर्माण व्यवस्था हेतु रु० 600.00 लाख की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

महिला छात्रावासों का निर्माण

महिला छात्रावासों का निर्माण व्यवस्था हेतु रु० 300 लाख रु० की आवश्यकता है तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

उपज पालन एवं भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसकी माह मार्च 2022 तक की मुख्य उपलब्धियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्णय निम्नवत हैं:-

- **वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी दोगुना किया जाना :** वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने का रोडमैप तैयार किया गया है तथा आठ सूत्रीय रणनीति तैयार की गयी। सी०सी०आई० एवं मण्डी परिषद, उ०प्र० के संयुक्त तत्वावधान में फार्मर्स-एग्रो इण्डस्ट्रियल मीट "फार्मर्स फर्स्ट" का आयोजन लखनऊ में किया गया है जिसमें

कृषि उद्यमी, अधिकारीगण तथा कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक की संस्तुति/निर्णयों के आधार पर मण्डी-रिफार्म्स, कृषक आय वृद्धि हेतु दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।

- कृषकों की आय दोगुना करने के क्रम में विभाग द्वारा कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु किसान पाठशालाओं का दो सत्रों में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन कराया गया जिसमें खरीफ 2021 में 10.47 लाख तथा रबी 2021-22 में 10.69 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कृषि एवं मनरेगा कनर्वेन्जस के अंतर्गत प्रदेश के 04 सम्भागों में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दो गुनी करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ-2018 का आयोजन दिनांक 26-28 अक्टूबर, 2018 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, कृषि एवं सम्बन्धित विभागों की तकनीकी प्रदर्शनी, सजीव प्रदर्शन तथा फसल अवशेष एवं 14 विभिन्न राज्यों से लगभग एक लाख कृषकों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, विधायकों, सांसदों सहित भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण द्वारा सहभागिता की गयी। इस अवसर पर जापान और इजराइल ने सहयोगी देशों के रूप में प्रतिभाग किया। इजराइल की राजदूत द्वारा प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना तथा जापान के उप सहायक मंत्री (कृषि वन एवं मत्स्य मंत्रालय) द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में सहयोग के सम्बन्ध में एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया।
- किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प की पूर्ति हेतु प्रदेश के 825 विकास खण्डों में कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियों जिनमें पशुपालन, बागवानी, गन्ना इत्यादि तथा कृषि आधारित उद्योग सम्मिलित हैं, को विकसित कर इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन अभियान तीन चरणों में (दिनांक 06, 13 एवं 21.01.2021) संचालित किया गया। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में गोष्ठी, प्रदर्शनी, मेला तथा विभिन्न विभागों द्वारा कृषि कल्याण की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत 850 विकास खण्डों में तीन चरणों में कुल 443042 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें 155446 महिलाओं द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
- वर्ष 2021-22 के खरीफ 2021 के योजनान्तर्गत 21.57 लाख कृषकों द्वारा 15.60 लाख हे० क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया तथा मार्च 2022 तक 7.02 लाख कृषकों को रु० 655.74 करोड़ की क्षति-पूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। रबी 2021-22 में 19.90 लाख कृषकों द्वारा 14.21 लाख हे० क्षेत्रफल बीमित कराया गया।
- **प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना :** वर्ष 2021-22 में पी०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत 52 जनपदों में 1200 क्लस्टरों की योजना भारत सरकार से स्वीकृत की गयी है जो वर्ष 2022-23 में संचालित की जायेगी।

- **मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना कराया जाना :** योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 54483 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 15853 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी गयी है।
- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत-तालाब योजना का विस्तार :** वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक 5388 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया।
- **बीजों पर अनुदान :** खरीफ 2021 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान प्रमाणित बीजों पर उपलब्ध कराया गया तथा रबी 2021-22 में समस्त प्रकार के बीजों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान समस्त जनपदों में उपलब्ध कराया गया।
- **सोलर फोटोबोल्टैइक इरिगेशन पम्प की स्थापनाः** वर्ष 2019-20 (क्रियान्वयन वर्ष 2020-21) में पीएम-कुसुम योजनान्तर्गत 6842 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।
- **वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ :** वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 02.09.2021 को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग की लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रसारण किया गया, जिसमें वैज्ञानिक/विशेषज्ञों द्वारा किसानों से सीधी बातचीत की गयी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
- **ऑनलाइन लाइसेंस व्यवस्था :** विभाग द्वारा उर्वरक, बीज तथा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री हेतु उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था विभाग द्वारा लागू की गयी।
- **प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) की स्थापना :** वर्ष 2021-22 में 521 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना की गयी।
- **प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र (आई.आर.आर.आई) की स्थापना :** प्रदेश सरकार की पहल पर देश का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र फिलीपीन्स की शाखा वाराणसी में स्थापित करायी गयी।
- **20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना :** प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 20 स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करायी जा चुकी है। कृषि विज्ञान केन्द्रों से कृषकों को तकनीकी जानकारी तीव्रता से प्राप्त हो सकेगी।
- **आच्छादन :** खरीफ 2021 में कुल 96.15 लाख हे० क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। रबी 2021-22 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत 13.53 लाख हे० क्षेत्रफल आच्छादित किया गया।
- **बुन्देलखंड क्षेत्र में खरीफ के आच्छादन में वृद्धि :** बुन्देलखंड क्षेत्र के कृषकों को खरीफ 2018 में विभिन्न फसलों के बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गय फलस्वरूप बुन्देलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा में कमी आयी है और खरीफ फसलों के आच्छादन में गत वर्ष की तुलना में 1.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। खरीफ 2019 में गत वर्ष की तुलना में 1.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है।
- **किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना :** खरीफ 2021 में 8.41 लाख कुं० बीज एवं 3.05 लाख कुं० संकर बीजों का वितरण किया गया। रबी 2021-22 में 51.68 लाख कुं0 बीजों को वितरण किया गया।
- **उर्वरक व्यवस्था :** 2021-22 में कुल 104.07 लाख मै० टन (खरीफ-42.31 एवं रबी-61.76) उर्वरकों का वितरण कराया गया।

- **कृषि रक्षा रसायन** : वित्तीय वर्ष 2020-21 के 19535.57 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 19576.67 मै० टन/किली० (खरीफ-8870.53 एवं रबी 10706.14) का वितरण कराया गया।
- **फसली ऋण** : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 124500.58 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया।
- **किसान क्रेडिट कार्ड** : वर्ष 2021-22 में 54.54 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।
- **कृषि यंत्रों का वितरण** : वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत (इन-सीटू छोड़कर) 11993 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण एवं 651 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करायी गयी।
- **क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेण्ट** : वर्ष 2021-22 में 8345 उन्नत कृषि यंत्र वितरण तथा 1904 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी।
- **फसल उत्पादन** : खरीफ 2021 में 199.29 लाख मै० टन प्राप्त हुआ है एवं रबी 2021-22 में 402.08 लाख मै० टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 13.07 (शुद्ध) लाख मै० टन तिहलन का उत्पादन अनुमानित है।
- **राष्ट्रीय पुरस्कार** : वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार (कृषि विभाग) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कार/प्रशस्तिपत्र प्रदान किया गया। प्रगतिशील कृषक श्री राम शरण वर्मा जनपद बाराधंकी, श्री भारत भूषण त्यागी जनपद बुलन्दशहर, श्री चन्द्रशेखर सिंह, जनपद वाराणसी एवं श्री सेठ पाल सिंह जनपद सहारनपुर को कृषि में उल्लेखलीय योगवान हेतु पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद** : प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों में कृषि, शिक्षा, शोध एवं प्रसार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न पाँच कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं :

1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।
3. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
4. बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।
5. सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, नैनी, प्रयागराज।

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न स्रोतों से शोध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार, शस्य व पौध सुरक्षा तकनीक, बीज उत्पादन कर सम्यक कृषि उपयोग तकत्तीकी के विकास को गति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों की शस्य विधियाँ, उर्वरक प्रबन्ध, फसल सुरक्षा, फसल पद्धति, बारानी खेती, दियारा व ऊसर भूमि सुधार, सब्जी एवं उद्यान के क्षेत्र में तकनीक विकसित की गई हैं।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अधीन 251 मुख्य मण्डियाँ एवं 382 उप मण्डियाँ विनियमित हैं। प्रत्येक विनियमित मण्डी के लिए समिति की स्थापना है। मण्डी समितियों

द्वारा मण्डियों के विनियमन के एवं व्यापारियों हेतु सुख-सुविधा युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 221 मुख्य मण्डी स्थल, 96 उपमण्डी स्थल, 10 अतिरिक्त मण्डल स्थल, 06 विशिष्ट मण्डी स्थल, 87 कृषक सेवा केन्द्रों, 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र, 05 दुग्ध मण्डी स्थल, 05 मत्स्य बाजार, 06 किसान बाजार, 279 हाटपैठ, 238 ग्रामीण गोदाम, 1643 एग्रीकल्चर मार्केटिग हब तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे 20,492,34 कि०मी० लम्बाई के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग :

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने, उपभोक्ताओं को मिलावट रहित शुद्ध वर्गीकृत कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने तथा किसानों को विपणन, मण्डी विनियमन एवं मण्डी विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करके, उनके निदान हेतु सुझाव देने के कार्यों हेतु विभाग द्वारा विपणन परिज्ञान, कृषि उपज के वर्गीकरण तथा सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कार्य प्रदेश में आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं से कराये जा रहे हैं। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित हैं :-

क- कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय संगठन

ख- बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केन्द्र।

ग- कृषि विषणन से संबंधित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों की स्थापना।

कृषि उपजों/उत्पादों के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने, किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने आदि के उद्देश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य कराये जा रहे हैं।

क- निर्यातकों एवं उत्पादकों को विभिन्न सुविधाओं हेतु समन्वय करना।

ख- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों की गोष्ठियाँ एवं सेमिनार आदि आयोजित करना।

ग- निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फील्ड स्तर पर निर्यात योग्य आधिक्य की संभावत्ताओं का पता लगाना एवं समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु समुचित सुझाव देना।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम

अच्छे बीजों का उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 29.6.2001 को उ०प्र० बीज विकास निगम की स्थापना का निर्णय हुआ तथा दिनांक 10.12.2002 से निगम द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ किया गया। निगम द्वारा प्रदेश में बीजों का उत्पादन/वितरण/बीज व्यवस्था के उद्देश्य से 09 परियोजना कार्यालयों, 23 शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के 75 जनपद आच्छादित हैं। सभी जनपदों के कृषक बीज क्रम में प्रतिभाग करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

भारतीय बीज अधिनियम-1966 की धारा-9 के अधीन दिनांक 05.10.1976 को बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गयी तथा संस्था द्वारा खरीफ 1977 से बीज प्रमाणीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्रमाणित बीजों की अनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता को मानक के अनुरूप रखते हुए बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित कर प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुलभ कराना है। संस्था द्वारा अपने 18 सम्भागीय कार्यालयों

के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश के कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज विकास निगम, सहकारी तथा निजी बीज उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन कराकर बीज प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना दिनांक 08.08.2014 को हुयी थी। वर्ष 2016 से पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्य प्रदेश में प्रारम्भ किया गया। संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती से उत्पादित उत्पाद का प्रमाणीकरण करना है। एपिडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के दिशा-निर्देश के अनुसार उ०प्र० राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भारत वर्ष की सीमाओं के अन्तर्गत किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण का कार्य सम्पन्न करा सकती है।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ

संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों द्वारा विकसित एवं संस्तुत कृषि की नवीनतम तकनीक को प्रदेश में कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों के अधिकारियों, क्षेत्रीय प्रसार कर्मचारियों एवं कृषकों को अवगत कराते हुए उनको प्रशिक्षित एवं उनका क्षमता विकास करना है।

यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

प्रदेश के कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, प्रमाणित बीज, कीटनाशक दवाओं, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण आदि को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध कराने तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए दिनांक 29 मार्च, 1967 को निगम की स्थापना की गयी। वर्तमान में निगम द्वारा कृषि निवेशों का वितरण, उन्नत कृषि यंत्रों/उपकरणों का निर्माण, मरम्मत एवं वितरण, संतुलित पशु आहारों का उत्पादन एवं वितरण, खाद्यान्नों का क्रय, जिप्सम/माइक्रोन्यूट्रियन्ट की आपूर्ति तथा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प के रिबोर का कार्य कराया जा रहा है।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है। तद्नुसार विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य मजदूरी की गारंटी देना, महिलाओं के सुदृढ़ स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें स्वतः रोजगार के क्रियाकलापों में स्थापित कराना ताकि वे स्वयं अपना आर्थिक उत्थान कर सकें, ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण, सभी गरीब आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में अपेक्षित स्तर तक सुधार हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

आजादी के सात दशक से पिछड़े और वंचित गांवों को चिन्हित कर उनमें प्राथमिकता पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, कालाजार प्रभावित क्षेत्रों, जापानी एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जे.ई./ए.ई.एस.), तथा वनटांगिया, मुसहर जनजाति प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता पर निःशुल्क आवासीय सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-एन.आर.एल.एम. (डे-एन.आर.एल.एम.) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2013 में किया गया। उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना ग्राम्य विकास विभाग के संरक्षण में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गयी जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत किया गया है। यह योजना उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 प्रतिशत के अनुपात में की जाती है।

मिशन का उद्देश्य

- ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं समूहों को ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के रूप में संगठित करना।

- गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन करना।
- ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर जीवनयापन का बेहतर अवसर प्रदान करना।
- समूहों एवं उनके संगठनों की आवश्यकताओं एवं जीविकोपार्जन हेतु मिशन की तरफ से रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करना।
- मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।

उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन इन्टेन्सिव रणनीति के अन्तर्गत राज्य के 75 जनपदों के 826 विकास खण्डों में किया जा रहा है। वर्तमान में मिशन के अन्तर्गत लगभग 72.41 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की महिलाओं को कुल 6,90,685 स्वयं सहायता समूहों, 41285 ग्राम संगठनों एवं 2304 संकुल स्तरीय संघों से आच्छादित किया गया है। आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी, भारत सरकार की प्रेरणा से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय समावेशन की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मिशन निरन्तर प्रगति की तरफ अग्रसर है, मिशन के अन्तर्गत अभी तक कुल 5,33,266 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड (799.89 करोड़ रुपये),3,03,598 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (3339.57 करोड़ रुपये) के माध्यम से आच्छादित किया जा चुका है।

मिशन द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :-

1. **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेयरी वेल्यू चैन (दुग्ध मूल्य शृंखला) :-** बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दुग्ध बेचने हेतु महिलाओं की प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन किया जा चुका है। 'बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी' का उद्घाटन मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन के कर कमलों द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर 2019 को सम्पन्न हुआ। इस योजना का क्रियान्वयन एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज के सहयोग से बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों (चित्रकूट, झाँसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा एवं ललितपुर) में किया जा रहा है।
2. **बी.सी. सखी (बैंकिंग कॉरसपॉडेंट सखी) :-** ग्रामीण क्षेत्र में गाँव में ही वित्तीय समावेशन गतिविधि के माध्यम से वित्तीय लेन देन एवं विभिन्न योजनाओं से ग्रामवासियों को लाभान्वित करने एवं प्रोत्साहित करने के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से प्रदेश की सभी 58189 ग्राम पंचायतों में (वन जी.पी. वन बी.सी. सखी) विभिन्न बैंकों के माध्यम से पदस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
3. **स्टार्टअप विलेज इंटर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.) :-** यह विशेष परियोजना 18 जनपदों में कुल 29000 उद्यमियों को विकसित करने हेतु है। इस विशेष परियोजना को मिशन द्वारा ई.डी.आई. अहमदाबाद कुडुम्बश्री केरल (नेशनल रिसोर्स आर्गनाइजेशन) की साझेदारी से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रति विकासखण्ड

लगभग रु. 5.97 करोड़ का बजट है।

4. **प्रेरणा ओ.जे.ए.एस.** :- (ओर्गनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट फॉर ईकोलोजिकल सस्टेनेबिलिटी) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा एवं उपकरणों के प्रसार हेतु समूह सदस्यों द्वारा गठित एवं वित्त पोषित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकरण दिनांक 15 जुलाई, 2021 को किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 30 जनपदों के 75 विकासखण्डों में कुल 2225 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सोलर लैम्प बनाने पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
5. **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (ए.जी.ई.वाई)** :- यह योजना प्रदेश के दूरदराज के ग्रामों को ब्लॉक मुख्यालय एवं कस्बों से जोड़ने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत वर्ष 19-20 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया।
6. **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एवं कृषि आजीविका** :- इस विशेष परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक 22 जनपदों के 25 विकास खण्डों में महिला किसानों को सतत कृषि पद्धतियाँ (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेस) एवं गुणात्मक पशुपालन (बेटर एनीमल हस्बेण्डरी प्रेक्टिसेस) पर प्रशिक्षण दिया गया है।
7. **वंचित समुदाय हेतु विशेष प्रयास** :- 19 जनपदों के 2843 ग्राम पंचायतों में मुसहर समुदाय के 1438 विशिष्ट मुसहर समूह का गठन (2401 समूहों में कम से कम एक मुसहर परिवार की सहभागिता), 850 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं 567 समूहों को सी.आई.एफ. वितरण किया गया है एवं 133 समूहों को बैंक क्रेडिट लिकेंज के माध्यम से लाभान्वित किया गया।
8. **प्रेरणा कैंटीन** :- प्रदेश के समस्त विकास भवनों एवं विकास खण्ड कार्यालयों में कैफेटेरिया ''प्रेरणा कैन्टीन'' का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 705 से अधिक प्रेरणा कैन्टीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
9. **उत्पादक समूह** :- प्रदेश के 39 जनपदों में अभी तक कुल 3012 उत्पादक समूहों का गठन ग्राम स्तर पर संग्रहण केन्द्र के रूप में स्थापित करा लिया गया है। इन उत्पादक समूहों अंतर्गत 66877 महिला किसान प्रोड्यूसर द्वारा ग्राम स्तर पर अधिशेष उत्पादन का संग्रह, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग एवं पैकेजिंग का कार्य कराया जायेगा।

मिशन द्वारा अभिसरण के माध्यम से किये जा रहे महत्त्वपूर्ण कार्य :-

1. **बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग** :- के साथ अभिसरण के माध्यम से समूह की महिलाओं द्वारा प्रदेश के 43 जनपदों के 204 विकासखण्डों में पुष्टाहार उत्पादन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को वितरण कराने की प्रक्रिया सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है।
2. **उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड** :- के साथ अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन एवं महिलाओं के आय सृजन हेतु मा. मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं दूरगामी मार्गदर्शन के फलस्वरूप प्रदेश के सभी 7.5 जनपदों में जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों के कलेक्शन का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जा रहा है।

3. **उचित दर की दुकान का संचालन** :- खाद्य एवं रसद विभाग से अभिसरण के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाने वाले उचित दर की दुकान का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के माध्यम से किया जाना है।

4. **सिटीजन इन्फार्मेशन बोर्ड एवं मेट के रूप में स्वयं सहायता समूह के सदस्य का चयन** :- मनरेगा अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से सी.आई.बी.बोर्ड का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 1,52,560 सी.आई.बी. बोर्ड बनाने का आर्डर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है, जिसका आर्डर मूल्य लगभग 48 करोड़ का है।

5. **एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.)** :- के अंतर्गत उद्योग एवं उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है जिसके अनुसार प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को एक जनपद एक उत्पाद योजना का लाभ दिलाया जायेगा तथा प्रदेश, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों में सहभागिता कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

6. **पशुपालन विभाग** :- एवं अन्य विभागीय योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से 31146 महिलाओं को मुर्गीपालन आदि से लाभान्वित करते हुए आजीविका संवर्धन का कार्य किया गया है।

7. **सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन** :- पंचायती राज विभाग से अभिसरण के माध्यम से ग्राम स्तर पर कुल 826 विकास खण्डों में 54216 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

मिशन अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैल्यू चैन परियोजना

1. **महिला सामर्थ्य योजना** :- प्रदेश सरकार ने वैल्यू चैन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ का प्राविधान, जनपद रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, कानपुर नगर एवं अमेठी के 1500 ग्रामों एवं 75000 महिलाओं के लिए 62.29 करोड़ की परियोजना स्वीकृत। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर एवं देवरिया हेतु 500 ग्रामों एवं 20000 महिलाओं के लिये 34.44 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।

2. **झलकारी बाई महिला प्रोड्यूसर कंपनी** :- जनपद झाँसी के 4 एवं महोबा के 3 विकास खण्डों के कमोडिटी वैल्यू चैन परियोजना स्वीकृत। गेहूँ, मेंथा एवं धान को एकत्र कर प्रसंस्करण करते हुए बिक्री।

3. **बदायुनी महिला प्रोड्यूसर कंपनी** :- जनपद बदायूं के 5 विकास खंडों हेतु कमोडिटी वैल्यू चेन परियोजना स्वीकृत। धान, गेहूँ एवं मेंथा को एकत्र कर प्रसंस्करण करते हुए बिक्री।

4. **काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी** :- जनपद बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर एवं चंदौली के 700 ग्रामों में दुग्ध वैल्यू चेन परियोजना स्वीकृत। दुग्ध का संग्रह करते हुए उसकी प्रसंस्करण करते हुए बिक्री।

5. **बाँदा, हमीरपुर, जालौन में कमोडिटी वैल्यू चन** :- जनपद बाँदा, हमीरपुर, जालौन के 12 विकास खंडों में कमोडिटी वैल्यू चेन परियोजना स्वीकृत।

6. **जरकला हस्तशिल्प महिला प्रोड्यूसर कंपनी** :- जनपद बदायूं के 10 ग्रामों में जरी जरदोजी

वैल्यू चैन हेतु परियोजना स्वीकृत। जरी जरदोजी के विभिन्न उत्पादों को तैयार कर विभिन्न माध्यमों से बिक्री किया जाना प्रस्तावित।

7. **थारू हस्तशिल्प वैल्यू चेन** :- जनपद लखीमपुर खीरी के 10 ग्रामों में थारू हस्त शिल्प के वैल्यू चेन हेतु परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। थारू हस्त शिल्प के विभिन्न उत्पादों को तैयार कर विभिन्न माध्यमों से बिक्री किया जाना प्रस्तावित।

8. **प्रेरणा क्लस्टर वैल्यू चेन** :- प्रदेश की 25 जनपदों में विभिन्न स्तर के प्रेरणा कैफै एवं की-ओस्क हेतु परियोजना स्वीकृत।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

योजना का प्रारम्भ :- प्रथम चरण 02 फरवरी, 2006 से 22 जनपदों में, दूसरा चरण 15 मई, 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण में 01 अप्रैल, 2008 से सभी जनपदों में।

उद्देश्य :- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

वित्त पोषण :- भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत-प्रतिशत अंश। सामग्री अंश पर भारत का 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में अद्यतन 66.4 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अद्यतन 79.04 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

योजना के मुख्य बिन्दु :-

- माँग आधारित योजना। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है।
- ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठकों में कराये जाने वाले कार्यों का निर्धारण।
- श्रमिक को रोजगार उसके निवास के 05 किमी. के अन्दर दिया जायेगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान श्रमिक को देय होगा।
- 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिये जाने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किये जाने का प्राविधान है।
- प्रदेश में मजदूरी दर रु. 213/- प्रति मानव दिवस निर्धारित है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्य :-

- कंटूर ट्रेंच (समान गहराई वाली खाई), समोच्च बांध, पत्थर के रोक बांध (बोल्डर चौक), बेलनाकार संरचनाएं, भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध तथा स्प्रिंगशेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय।

- ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण, सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए सूक्ष्म जल और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार पुलिया एवं सड़कों का निर्माण कार्य।
- परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीवीकरण सहित जलाशयों की गाद निकालना।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़ नालों (चैनलों) का गहरा करना और मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल है।
- ग्रामों के भीतर जहां भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता।
- पशुधन सम्बन्धित कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्का फर्श निर्माण कार्य, यूरिन टैंक तथा पशुओं के चारे तथा पशु आहार एवं मस्त्य पालन।
- ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य जैसे कि पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबन्धन एवं आंगनबाड़ी कार्यों का निर्माण।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.-1980) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.-1983) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से हुई थी, क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी। जून, 1985 से आर.एल.ई.जी.पी. की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया। जब अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) शुरू की गई थी तब इसकी 6 प्रतिशत निधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों के मकानों के लिए आवंटित की जाती थी। (1993-94) में जे.आर.वाई. के अन्तर्गत मकानों के लिए निर्धारित निधि को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करते हुए गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। अतिरिक्त 4 प्रतिशत निधि का उपयोग गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था।

जनवरी, 1996 से इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई) को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करना था। यद्यपि ग्रामीण आवास की कमी की पूर्ति हुई है, तथापि इसके क्रियान्वयन के 30 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के सीमित दायरे को देखते हुए ग्रामीण आवास परिदृश्य में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष था। इसी कारण भारत सरकार ने अप्रैल, 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ग्रामीण आवास परिदृश्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आई.ए.वाई. योजना को वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पीएमवाई-जी के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य विशेषताएं :-

- आवास निर्माण के लिए क्षेत्रफल को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल हैं।
- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता रु. 1,20,000 और आई.ए.पी. जिलों (चन्दौली, सोनभद्र तथा मिर्जापुर) में रु. 1,30,000 है।
- केन्द्र और राज्य सरकार के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन 60:40 के आधार पर किया जाता है।

प्रगति :-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल 26.13 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 25.89 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 99.00 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 8.63 लाख आवासों के निर्माण लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 8.59 लाख आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना के रूप में दिनांक 25.12.2000 से प्रदेश में किया गया था। योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 500 अथवा उससें अधिक आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना था। नक्सल प्रभावित जनपदों में सम्पर्क मार्गों के चयन हेतु आबादी का न्यूनतम मानक 250 है। साथ ही पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग) के उच्चीकरण के कार्य भी योजनान्तर्गत अनुमन्य किये गये थे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चिन्हित 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त जुड़ सकने योग्य ग्रामीण बसावटों को पक्के मार्गों से एकल सम्पर्कता के आधार पर आच्छादित करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 या उससे अधिक आबादी की ग्रामीण बसावटों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश की उक्त उपलब्धियों के फलस्वरूप ही इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (पी.एम.जी.एस.वाई.-2) के क्रियान्वयन हेतु देश में चयनित किये गये मात्र 08 राज्यों

(पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तेलंगान, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश) के साथ सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई.- के अन्तर्गत पूर्व निर्मित व जर्जर मार्गों के सुधार के कार्य अनुमन्य किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है जिसके अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 से ही लागू कर दी गयी है।

इस योजना के सुचारु रूप से संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः दो कार्यदायी संस्थाओं-लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 40 जनपदों में तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा शेष 35 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक जनपद में कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों का गठन किया गया है।

अनुरक्षण व्यवस्था :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख-रखाव भी है। मार्गों के निर्माण हेतु गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में ही उक्त व्यवस्था अन्तर्निहित है।

गुणवत्ता नियंत्रण :-

सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है। राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक (नेशनल क्वालिटी मॉनीटर), राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (स्टेट क्वालिटी मॉनीटर) व सम्बन्धित विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर योजनान्तर्गत निर्मित व निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच की जाती है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पूर्णतया राज्य सहायतित योजना है, जो फरवरी-2018 में प्रारम्भ की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, वनटांगिया, मुसहर वर्ग, कालाजार से प्रभावित, जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित, कोल सहरिया, थारू, नट, चेरो, बैगा पछइया लोहार/गढ़इया लोहार, दिव्यांगजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस.ई.सी.सी.-2011 एवं आवास प्लस के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवार के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16,700 वर्ष 2019-20 में 34,040 वर्ष 2020-21 में 29829, वर्ष 2021-22 में 28083, लाभार्थियों एवं वर्ष 2022-23 में 53,248, कुल

1,61,900 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा. सदस्यों को अपने क्षेत्रों में अनुभूत स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु निधि का संचालन किया जाता है।

विधायक निधि योजना के अन्तर्गत मा. विधान मण्डल सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के सापेक्ष उनके विधान सभा क्षेत्रों के विकास हेतु सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस सुविधा, फायर ब्रिगेड हेतु वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने आदि जैसे अनुमन्य कार्य कराये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश दिनांक 18.04.2020 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के प्रत्येक विधान मण्डल के लिए वर्तमान निधि धनराशि रु. 200.00 लाख (जी.एस.टी. हेतु धनराशि रु. 40.00 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था है) प्रति वर्ष, को बढ़ाकर धनराशि रु. 300.00 लाख (जी.एस.टी. हेतु धनराशि भी सम्मिलित कर दी गयी है।)

बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना

यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बहुआयामी स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं के संचालन पर बल दिया जाता है। सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। ग्रामीणों में रोजगार हेतु ग्राम से शहरों की ओर होने वाले पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से रोजगार परक योजना संचालित है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।

योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रु. 70,000/- अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रु. 50,000/- तक राज्य सहायता/शासकीय अनुदान देय है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड पर विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रु.10.00 करोड की व्यवस्था की गयी।

ग्राम्य विकास विभाग (मुख्यालय) हेतु नवीन भवन का निर्माण

ग्राम्य विकास विभाग का केन्द्रीयकृत कार्यालय भवन न होने के कारण विभिन्न कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर स्थापित हैं, जिससे कार्यालयों के मध्य समन्वय एवं अनुश्रवण में आ रही कठिनाई को दूर करने के दृष्टिगत एक डेडीकेटेड कार्यालय भवन जानकीपुरम विस्तार योजना सेक्टर-10 में उपलब्ध भूमि में कराए जाने के प्रस्ताव के क्रम में उपलब्ध भूमि के बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए रु. 200 लाख का बजट प्राविधान प्राप्त हुआ है।

जिला ग्राम्य विकास विभाग अभिकरण (प्रशासन) योजना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से डी.आर.डी.ए. (प्रशासन) के अन्तर्गत डी.आर. डी.ए. स्तर पर कार्यरत स्टाफ के वेतन भत्तों आदि एवं कार्यालय के अन्य आकस्मिक खर्चों को वहन किये जाने में धनराशि अवमुक्त की जा रही है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि दिनांक 01.04. 2022 से रोक जाने के क्रम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद के नाम से शत-प्रतिशत राज्य पुरोनिधानित योजना के नाम से वर्तमान में संचालित की जा रही है।

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश में नवम्बर, 1980 में आयोजित एक बैठक के लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश में राज्य विकास संस्थान की स्थापना दिनांक 01 अप्रैल, 1982 को बख्शी का तालाब, लखनऊ में की गयी। इस संस्थान को प्रदेश में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शीय सेवाओं, साहित्य प्रकाशन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय हेतु शोध संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।

शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर, 1991 द्वारा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का नाम ''दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान'' कर दिया गया। शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 1994 द्वारा संस्थान का नाम पुनः परिवर्तित करके "दीनदयाल उपाध्याय, राज्य विकास संस्थान" कर दिया गया।

क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों का कृषक/प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्राम्य विकास में प्रसार प्रशिक्षण का कार्यक्रम, प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ दिनांक 02 अक्टूबर, 1952 से प्रारम्भ हुआ है। ग्रामीण विकास के लिये प्रारम्भ की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को ग्रामीणों तक भलीभाँति पहुँचाने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए वृक्ष एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अतः ग्राम स्तरीय प्रसार प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग के अधीन प्रदेश के विभिन्नत जनपदों में 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान तथा 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें ग्राम विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सोशल आडिट

सोशल आडिट निदेशालय :-

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कार्यों की सोशल आडिट किये जाने हेतु सोशल आडिट निदेशालय का स्वायत्त इकाई के रूप में गठन किया गया है। निदेशालय के कुशल संचालन हेतु निदेशक सोशल आडिट के साथ ही अपर निदेशक (सोशल आडिट), अपर निदेशक (वित्त) एवं कन्सल्टेंट की तैनाती की गयी है। सोशल आडिट में योजना से संबंधित सभी अभिलेखों

एवं दस्तावेजों की जाँच के साथ कार्यों के भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता एवं उपयोगिता पर बल दिया जाता है तथा यह भी देखा जाता है कि कार्यक्रमों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। वर्तमान में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सोशल आडिट की जा रही है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

- योजना का प्रारम्भ केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 16 सितम्बर, 2015 को 5142.08 करोड़ रु. के परिव्यय से पूरे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) को अनुमोदित किया गया है।
- राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) का उद्देश्य देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है तथा स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

ई-गवर्नेन्स

- आयुक्त, ग्राम्य विकास कार्यालय स्तर से समस्त ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ई-गवर्नेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग की वेबसाईट-एचटीटीपीः//आर. डी.यूपी.एन.आई.सी. इन पर विभिन्न कार्यक्रमों के मार्गनिर्देश एवं अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी जन सामान्य के लिए उपलब्ध है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मनरेगा के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली धनराशि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जाती है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा सी-डैक पुणे से तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन के अनुश्रवण के लिए ओ.एम.एम.ए.एस. (ऑनलाइन प्रबंधन, अनुश्रवण एवं लेखा प्रणाली) साफ्टवेयर बनवाया गया है, जिसमें वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की प्रविष्टि कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों द्वारा की जाती है।
- यू.पी.आर.आर.डी.ए. द्वारा अपनी वेब साइट का संचालन किया जा रहा है, जिस पर अभिकरण व योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व सूचनाएं उपलब्ध हैं।

ई-आफिस प्रणाली

मुख्यालय में ई-आफिस लागू किया जाना :-

- मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने हेतु ई.एम.डी. पोस्ट मास्टर आदि मास्टर डेटा तैयार किये जाने व शासकीय ई-मेल, डोंगल, मैपिंग आदि कार्य कराये गये, जिसे शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

●

पंचायती राज

पंचायती राज व्यवस्था, संक्षिप्त इतिहास (ग्राम पंचायतें अतीत से वर्तमान तक)

भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद में 'सभा' एवं 'समिति' के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केन्द्र में राजनैतिक उथल पुथलों के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी इकाइयां पंचायतें आदिकाल से निरन्तर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय सेवाएं :-

वर्ष 2013 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत विभाग की निम्नलिखित तीन सेवाएं सम्मिलित की गई हैं :-

- 1- जन्म का प्रमाण-पत्र
- 2- मृत्यु का प्रमाण-पत्र
- 3- कुटुम्ब रजिस्टर की नकल उपलब्ध कराया जाना, जन सेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपर्युक्त सूचनाएं देने हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं.) को अधिकृत किया गया है।

वर्तमान प्रशासकीय ढाँचा :-

पंचायत राज विभाग से संबंधित कार्यों के नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन और योजनाओं की संरचना उनके अनुश्रवण, कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक एक सशक्त और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था है। निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायती राज के अधीन अपर निदेशक (प्रशा.), मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक पंचायती राज, जिला पंचायत राज अधिकारी (मुख्यालय), प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रकाशन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं और यह समस्त अधिकारी निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश के सामान्य नियंत्रण में विभागीय कार्यों का सम्पादन करते हैं।

मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) आवंटित मण्डल के कार्यों पर नियंत्रण एवं निरीक्षण आदि का कार्य करते हैं। जिला स्तर पर एक जिला पंचायत राज अधिकारी एवं प्रदेश के विकास खण्ड स्तर पर एक-एक सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यरत हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीन पंचायत उद्योगों के तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पद स्वीकृत हैं। पंचायत उद्योगों के व्यवसाय का कार्य करने

के लिए 19 पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के पद हैं। उक्त के अतिरिक्त 63 अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पद, 8 अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पद, एवं 04 अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के पद सृजित किये गये हैं। ग्राम पंचायतों के सचिव के रूप में तथा विकास योजनाओं का कार्य करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत हैं। इन अधिकारियों के सक्षम नियंत्रण और प्रभावी निर्देशन तथा कर्मचारियों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप विभाग को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त हो रही है तथा विभागीय कार्यों में निरन्तर गति आयी है।

भ्रष्टाचार निवारण हेतु कार्यवाही :-

विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार निवारण हेतु जिला पंचायत राज अधिकारियों, अपर मुख्य अधिकारियों और मण्डलीय उपनिदेशकों को कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं। अनियमितताएं पाये जाने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 05 जिला पंचायत राज अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गयी है/अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही भी की गयी है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ.प्र.

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-01

यह सर्वविदित है कि समुचित स्वच्छता के अभाव में वैयक्तिक, सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास की गति प्रभावित होती है। हमारे मा. प्रधानमंत्री जी ने सम्पूर्ण जनमानस को स्वच्छता पर ध्यान संकेन्द्रित करने हेतु, प्रबल राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुये सम्पूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच को समाप्त करने का आह्वान किया। दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 से एक मिशन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई और यह अपेक्षा की गयी थी कि 02 अक्टूबर, 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच मुक्त घोषित कर महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजली दी जाये। मा. मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के अतिशय महत्त्व के दृष्टिगत प्रदेश को एक वर्ष पूर्व ही खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया और प्रदेश के सभी वर्गों, विभागों एवं संस्थाओं के प्रयासों से 2.18 करोड़ शौचालयों निर्माण कराते हुये हमने यह लक्ष्य 2018 में ही प्राप्त कर लिया। इस तरह हमने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रथम चरण की यात्रा लगभग पूर्ण कर ली। अब हम सार्वभौमिक स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय फेज-02

स्वच्छ भारत मिशन प्रथम चरण वर्ष जिसमें प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त/ओडीएफ, घोषित कर लिये जाने के उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण शुभारम्भ कर दिया है। इस चरण में समुदाय एवं स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के समस्त ग्रामों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ओडीएफ प्लस बनाए जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020 से 2025 तक संचालित किया जायेगा। इस अवधि में प्रदेश के समस्त ग्रामों के अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर

पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर एवं स्थायी बनाने में योगदान देना है, जिससे ग्रामीण जनों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।

अवधारणा :-

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अंतर्गत खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) की स्थिरता के साथ-साथ ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम बनाने हेतु जन समुदाय को जोड़ना है।
- "ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम" अर्थात् वह ग्राम जहाँ खुले में शौच से मुक्त वातावरण सृजित हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सुरक्षित व समुचित प्रबंधन किया जा रहा हो तथा गाँव के परिदृश्य पूर्ण रूप से साफ-सुथरे और विकसित हों।

मुख्य उद्देश्य :-

- गाँवों के ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
- दृष्टिगोचर स्वच्छता।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां :-

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 की 2548 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर की दी गयी एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
- प्रदेश में नये 1621409 बढ़े परिवारों के सापेक्ष-10.26 लाख का निर्माण पूर्ण है शेष नये पात्र परिवारों के लिये प्रदेश सरकार से शौचालय की मांग के लिये विभागीय पोर्टल http://panchayatraj.up.nic.in का लिंक निर्गत कर सीधे मांग प्राप्त करते हुये निर्माण कार्य जारी है एवं भारत सरकार द्वारा भी सीधे आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण मुख्यतः अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी एवं आने वाले अतिथियों/प्रवासियों हेतु कराया जा रहा है। अब तक 58382 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

राज्य के अभिनव प्रयास :-

- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव की व्यवस्था का प्राविधान एवं रोजगार सृजन।
- नवसृजित शौचालय विहीन परिवारों को आच्छादित किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- रेट्रोफिटिंग हेतु शासनादेश निर्गत एवं धनराशि की वित्त आयोग से व्यवस्था।
- जनपद बुलंदशहर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न मॉडलों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रबंधन प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र पर जनपदों से

10653, प्रधान व मिस्त्री तथा अन्य अधिकारियों/कर्मियों का भ्रमण व प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण :-

- ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण हेतु रु. 2000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 113 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण :-

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास का निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 24.36 लाख की प्रति अन्त्येष्टि स्थल की दर से रु. 10000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु. 9987.60 लाख से 410 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना :-

- पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु वर्ष 2021-22 में 'मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना' अन्तर्गत प्रदेश की 254 ग्राम पंचायतों के चयन एवं पुरस्कृत किए जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना :-

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना हेतु कुल रु. 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) :-

- पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना को केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में 60.40 (केन्द्रांशः राज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से संचालित किया जा रहा है एवं वर्ष 2022 में पुनः संरचित करते हुए वर्ष 2026 तक विस्तारित किया गया है।

नवीन प्रयास :-

- कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों को वी.एल.ई. के रूप में पंजीकृत करते हुए उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2023 :-

- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की सुगम प्राप्ति हेतु 17 निर्धारित लक्ष्यों का स्थानीयकरण करते हुए 9 थीम/विषयों में समेकित किया गया है, जिस

पर कार्य करते हुए पंचायतें संरचनात्मक ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं मानव विकास से संबंधित मानकों को प्राप्त कर सकेंगी।

- गत वर्ष 2021-22 में पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजनान्तर्गत कुल 29 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया था।

डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना

डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना वर्ष 2016-17 से पंचायतों में ई-गर्वनेन्स स्थापना के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत मुख्यतः पंचायतों में ई-गर्वनेन्स की स्थापना में राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तकनीकी परामर्शी/कर्मियों की सेवाओं के साथ ई-गवनेंन्स कार्य हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था है।

ग्राम पंचायतों की संयुक्त समितियों द्वारा संचालित पंचायत उद्योग :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की अर्थव्यवस्था को नयी दिशा देने, उन्हें आय के निजी, स्रोत प्रदान करने ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल की ग्राम के भीतर ही बिक्री के अवसर उपलब्ध कराने एवं इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं बेरोजगारी की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण आदि के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश की गांव पंचायतों के निजी प्रयत्नों से पंचायत उद्योगों का एक मौलिक एवं देश में अपने ढंग का अग्रणी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

हैण्डपम्पों की मरम्मत :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों के रख-रखाव एवं उसमें होने वाली अस्थाई खराबियों की मरम्मत हेतु ग्राम पंचायतों को अप्रैल, 2002 से उत्तरदायी बनाया गया है। इस प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतें 14वाँ वित्त एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि का उपयोग कर सकती हैं।

15वाँ वित्त आयोग :-

- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में बेसिक ग्राण्ट (टाइड एवं अनटाइड) की धनराशि रु. 7466.00 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान था, जिसके सापेक्ष 3733.00 करोड़ धनराशि पंचायती राज संस्थाओं में अवमुक्त की जा चुकी है। शेष धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त किया जाना है।

पंचम राज्य वित्त आयोग :-

- पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल दरों की आय का 5.5 प्रतिशत अंश पंचायतों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

●

जल शक्ति विभाग
(सिंचाई एवं जल संसाधन)

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का कृषि योग्य क्षेत्रफल 188.40 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर में कृषि होती है। कुल सिंचित क्षेत्रफल 143.32 लाख हे० है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाना प्रदेश की आवश्यकता है। इस हेतु अधिक से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जाता रहा है। खाद्यान्न की उपज़ बढ़ाने के लिये निरन्तर रासायनिक खाद व उन्नत बीजों का उपयोग भी बढ़ गया है, जिसके लिये जल की माँग बढ़ रही है। नहरों का पानी मुफ्त होने के कारण इस पर अधिक दबाव रहा है। कृषि के उपयोग में आने वाले नहरी जल का मूल्य, आयतन के आधार पर न होकर, क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाता है। सिंचाई के लिए जल के प्रबन्धन हेतु आवश्यकता के अनुसार वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाएं प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्मित की जा रही हैं। नलकूपों द्वारा सिंचाई में भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है।

प्रदेश में तीन प्रकार की खेती होती है रबी, खरीफ एवं जायद। इस प्रकार कुल बुआई का क्षेत्रफल 268.162 लाख हेक्टेयर है। (खरीफ-128.89 लाख हे०, रबी-129.24 लाख हे०, जायद-10.032 लाख हे०)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सतही जल एवं भूगर्भ जल का उपयोग करते हुए कुल 75090.90 किमी० की लम्बाई में नहर प्रणालियाँ विद्यमान हैं। नहरों के सुचारु रूप से संचालन हेतु अचानक वर्षा होने पर जल की मांग जब कम अथवा शून्य हो जाती है तो अतिरिक्त जल की सुरक्षित निकासी हेतु 1436.21 किमी० लम्बी स्केप चैनल्स् भी निर्मित है। इस तरह कुल 76527.11 किमी० की लम्बाई में निम्नानुसार नहर प्रणालियां प्रदेश में सिंचाई हेतु निर्मित हैं :-

- वर्ष 1822 में दिल्ली नहर एवं यमुना नदी के बांये किनारे पर पूर्वी यमुना नहर के पुनर्निर्माण एवं संचालन का कार्य प्रारम्भ हुआ था।
- वर्ष 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय की स्थापना सहारनपुर में की गयी।
- वर्ष 1830 में यमुना नहर का संचालन प्रारम्भ हुआ।
- बुन्देलखण्ड में जल की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1885 में बेतवा नहर प्रारम्भ हुई।

- वर्ष 1907 से लेकर वर्ष 1915 तक कई नहरों का निर्माण हुआ।
- वर्ष 1955 में सिंचाई विभाग द्वारा पहला बाढ़ का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- वर्ष 1968 में शारदा सहायक प्रणाली पर कार्य प्रारम्भ हुआ।
- वर्ष 1972 में गण्डक नहर प्रणाली पर कार्य प्रारम्भ हुआ।
- वर्ष 1977 में कनहर परियोजना का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- वर्ष 1978 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- वर्ष 1996 में बाणसागर नहर परियोजना का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- वर्ष 2018 में बाणसागर नहर परियोजना का समापन।
- वर्ष 2021 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का समापन।
- वर्ष 2021 में अर्जुन सहायक राष्ट्रीय परियोजना का समापन।
- ऊपरी गंगा नहर प्रणाली।
- मध्य गंगा नहर प्रणाली।
- आगरा नहर प्रणाली।
- निचली गंगा नहर प्रणाली।
- शारदा नहर प्रणाली।
- पूर्वी गंगा नहर प्रणाली।
- बेतवा नहर प्रणाली।
- केन नहर प्रणाली।
- सोन नहर प्रणाली।
- विभिन्न पम्प नहरें।
- विभिन्न जलाशयों से निकली नहरें।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियाँ

प्रमुख कार्य योजनाएँ

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी०एम०के०एस०वाई०) के अन्तर्गत पूर्ण की गयी परियोजनाएं

1. सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना

- यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ की गयी थी जिसकी लागत रु० 78.68 करोड़ थी।
- यह परियोजना विगत 42 वर्षों से धीमी गति से चल रही थी।
- वर्ष 2017 के पश्चात् सरकार ने नियमित बजट व्यवस्था तथा उच्चतम स्तर पर सघन समीक्षा करते हुए परियोजना को नया जीवन प्रदान किया।
- पुनरीक्षित परियोजना लागत रु० 10002.68 करोड़ (जी०एस०टी० की लागत रु० 200.00 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) को वित्तीय वर्ष 2021-22 को पूर्ण कर लिया गया।
- इस परियोजना का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा

दिनांक 11.12.2021 को किया गया।

इस परियोजना के पूर्ण होने के फलस्वरूप 09 जनपदों में 14.04 लाख हे० की सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है एवं इससे 29.00 लाख कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

2. अर्जुन सहायक नहर परियोजना

- अर्जुन सहायक परियोजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद हमीरपुर, महोबा एवं बांदा में क्रियान्वित है। यह परियोजना वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ हुई थी।
- यह परियोजना भी धीमी गति से चल रही थी।
- यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ की गयी थी जिसकी लागत रु० 806.50 करोड़ थी।
- वर्तमान सरकार द्वारा परियोजना पर विशेष ध्यान दिया गया और नियमित बजट व्यवस्था एवं सघन समीक्षा करते हुए परियोजना पुनर्जीवित की गयी।
- पुनरीक्षित परियोजना लागत रु० 2655.35 करोड़ (जी०एस०टी० की लागत रु० 61.42 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) को वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया गया है।
- मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 19.11.2021 को इस परियोजना का लोकार्पण किया गया।

इस परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त 44381 हे० सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है तथा इससे 1,49,755 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

3. बाण सागर नहर परियोजना

- यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1989-90 में प्रारम्भ की गयी थी। परियोजना के कार्य वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ हुए जिसकी लागत रु० 330.19 करोड़ थी।
- पुनरीक्षित परियोजना, लागत रु० 3420.20 करोड़, को वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण करा लिया गया है।
- वर्ष 2017 में नयी सरकार के गठन के बाद इस परियोजना पर नियमित रूप से बजट की व्यवस्था करते हुए बाणसागर नहर परियोजना के 03 दशकों से अधिक लम्बित पड़े नहरों के गैप की भूमि क्रय करने की युद्धस्तर पर कार्यवाही की गयी तथा प्राथमिकता के आधार पर अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया गया।
- दिनांक 15.07.2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा परियोजना का लोकार्पण किया गया।

वर्तमान वर्ष में सूखे की स्थिति में बाणसागर परियोजना से पर्याप्त पानी सिंचाई हेतु प्राप्त हो रहा है। यह पानी माह जून से निरन्तर उपलब्ध हो रहा है तथा कृषकों के लिए खरीफ फसल में लाभदायक है। बाण सागर नहर परियोजना से जनपद मिर्जापुर एवं प्रयागराज में लगभग 1.70 लाख कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा उक्त दोनों जनपदों में 1.50 लाख हे० कृषि योग्य भूमि में सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पूर्ण की गयी परियोजनाएं

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की 06 अन्य परियोजनाएं भी पूर्ण की गयी :-

जनपद ललितपुर में कुल 04 परियोजनाएं :-

1. **बण्डई बाँध के अवशेष कार्यों की परियोजना :-** यह परियोजना वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ हुई व मार्च 2021 में पूर्ण हुई। परियोजना पूर्ण होने की लागत रु० 70.74 करोड़ रही। इस परियोजना का निर्माण जनपद ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इसकी सृजित सिंचन क्षमता 3025 हे० है। जिससे 4597 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।
2. **भावनी बाँध परियोजना :-** यह परियोजना वर्ष 2011-12 में प्रारम्भ हुई व दिनांक 19.11.2021 को पूर्ण हुई। परियोजना पूर्ण होने की लागत रु० 512.74 करोड़ रही। इस परियोजना का निर्माण जनपद ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इसकी सृजित सिंचन क्षमता 3800 हे० है। जिससे 8062 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।
3. **जाखलौन पम्प नहर पर 3.42 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना :-** यह परियोजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ हुई व दिनांक 09.03.2021 को पूर्ण हुई। परियोजना पूर्ण होने की लागत रु० 29.64 करोड़ रही। इस परियोजना से 3.42 मेगावाट (60 लाख यूनिट प्रतिवर्ष) सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही हैं।

4- जाखलौन पम्प नहर 2.50 मेगॉवाट सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना :- यह परियोजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ हुई व दिनांक 09.03.2021 को पूर्ण हुई। परियोजना पूर्ण होने की लागत रु0 24.88 करोड़ रही। इस परियोजना से 2.50 मेगावाट प्रतिवर्ष सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है।

जनपद महोबा में 01 परियोजना

1. **रतौली वीयर/बाँध परियोजना :-** यह परियोजना वर्ष 2009-10 में प्रारम्भ हुई व दिनांक 19.11.2021 को पूर्ण हुई। परियोजना पूर्ण होने की लागत रु० 54.28 करोड़ रही। इस परियोजना का निर्माण जनपद ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इसकी सृजित सिंचन क्षमता 1050 हे० है। जिससे 529 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

जनपद हमीरपुर में 01 परियोजना

1. **मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिकंलर सिंचाई परियोजना :-** यह परियोजना वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ हुई व दिनांक 19.11.2021 को पूर्ण हुई। परियोजना पूर्ण होने की लागत रु० 18.24 करोड़ रही। इस परियोजना का निर्माण जनपद ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इसकी सृजित सिंचन क्षमता 600 हे० है। जिससे 200 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

सिल्ट सफाई कार्यक्रम

क्रम सं.	फसली वर्ष	वित्तीय वर्ष	प्रगति (किमी में)	आवंटन/व्यय (रु0 करोड़ में)
1.	1428	2020-21	45942.26	160.14
2.	1429	2021-22	50961.73	186.47

सिल्ट सफाई कार्य में पारदर्शिता हेतु वर्तमान सरकार द्वारा किये गये उपाय

सिल्ट सफाई के कार्यक्रम की प्रतियाँ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों तथा मा० सांसद, मा० विधायक, मा० सदस्य राज्यसभा, मा० सदस्य विधान परिषद आदि को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी, तथा मा० मंत्री जी जल शक्ति एवं मा० जन प्रतिनिधियों से सिल्ट सफाई कार्यों का शुभारम्भ कराया गया एवं उनका फीडबैक प्राप्त हुआ, जो अभिनव प्रयोग रहा।

प्रत्येक नहर में उचित स्थान पर सिल्ट सफाई कार्य का विवरण दर्शाते हुए साइन-बोर्ड लगाये गये।

नहरों की सिल्ट सफाई के कार्यों की फोटोग्राफी एवं ड्रोन-वीडियोग्राफी द्वारा विस्तृत अभिलेखीकरण किया गया है जिसके अन्तर्गत कार्यों से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लिए गये फोटोग्राफ एवं वीडियो संरक्षित किये गये। इन फोटोग्राफ की जियो-टेगिंग भी सुनिश्चित की गयी।

बाढ़ कार्य योजना वर्ष 2021-22

- अति संवेदनशील जनपद-24 (पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, बदायूँ, फर्रुखाबाद, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज)
- संवेदनशील जनपद-16 (उन्नाव, बुलन्दशहर, लखनऊ, बरेली, हमीरपुर, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, शाहजहाँपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरदोई, कासगंज, प्रयागराज, वाराणसी)
- बाढ़ से बचाव हेतु नदियों पर 523 अदद तटबन्ध (लम्बाई 3869.00 किमी०) निर्मित हैं।
- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 10727 नाले (लम्बाई लगभग 60047.00 किमी०) है। वर्ष 2021-22 में 23043 किमी० नालों की सफाई का कार्य कराया गया।
- वर्ष 2021-22 में बाढ़ परियोजनाओं हेतु रु० 1598.54 करोड़ का बजट प्राविधान था जिसके सापेक्ष रु० 1598.54 करोड़ का आवंटन एवं व्यय हुआ।
- वर्ष 2021-22 हेतु अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण में रु० 150.00 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष अनुमन्य सीमा तक रु० 150.00 करोड़ आवंटित एवं व्यय किया गया।
- वर्ष 2021-22 हेतु अनुरक्षण मद के अन्तर्गत जल निकास/सोडिक ड्रेन की सफाई हेतु बजट व्यवस्था क्रमशः रु० 200.00 एवं रु० 18.00 करोड़ (कुल 218.00 करोड), के सापेक्ष अनुमन्य सीमा तक क्रमशः रु० 200.00 करोड़ एवं रु० 18.00 करोड़ (कुल रु० 218.00 करोड़) आवंटित एवं व्यय किया गया।
- वर्षाकाल में लगातार तटबन्धों की निगरानी व आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल बचाव/सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है।
- उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल राष्ट्र से आने वाली नदियों के दृष्टिगत पड़ोसी राज्यों

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश से समन्वय एवं नेपाल राष्ट्र से बाढ़ प्रबन्धन हेतु समन्वय किया गया।

बाढ़ से बचाव हेतु विभाग की प्रोएक्टिव एप्रोच एवं समेकित दृष्टिकोण :-

विभाग द्वारा वर्षाकाल से पूर्व तटबन्धों पर सुरक्षित स्तर तक परियोजना व अनुरक्षण कार्य कराये जाने के साथ-साथ सतत चौकसी बरतने, तटबंधों पर पेट्रोलिंग करने एवं क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा समितियॉ बनाकर उनसे लगातार समन्वय स्थापित करने तथा जहाँ कहीं भी तटबन्ध में कटान की सूचना प्राप्त हुई वहाँ द्रुत गति से फ्लड फाइटिंग कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के कारण जल प्लावन, जन धन की हानि एवं फसलों की हानि लगभग शून्य हो गई। तटबंध के किनारे बसी जनता ने अपने आपको वर्षाकाल में भी सिंचाई विभाग की उक्त कार्य प्रणाली के कारण सुरक्षित महसूस किया।

सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान नदियों के कैचमेण्ट में अतिवृष्टि होने की दशा में नदियों के विभिन्न स्थानों पर जलग्रहण करने से लेकर उ०प्र० की सीमाओं में विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाले स्थानों का उच्चस्तर पर अनुरक्षण कर जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित अधिकारियों को बाढ़ से निपटने की तैयारियों के लिए चेतावनी दी गयी। उक्त कार्य प्रणाली के कारण उ०प्र० की सीमाओं से सटे हुए प्रदेशों एवं नेपाल राष्ट्र में अतिवृष्टि के फलस्वरूप यमुना, चम्बल, केन, बेतवा, रिहन्द, घाघरा (सरयू), राप्ती, रोहिन, गण्डक, गंगा में प्रवाहित होने वाले 22 लाख क्यूसेक तक के डिस्चार्ज को भी सुगमता से उ०प्र० की सीमाओं में परिवहन किया गया है जबकि उक्त अतिवृष्टि के कारण प्रदेश से लगे हुए राज्य यथा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरह त्रस्त हुए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की सफाई

प्रदेश सरकार द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जलप्लावन को न्यून करने के उद्देश्य से समस्त ड्रेनों की सफाई कराये जाने का अभियान प्रारम्भ किया गया है, जो इससे पूर्व कभी नहीं हुआ था इसके अन्तर्गत सिंचाई विभाग की ड्रेनों को पूर्ण लम्बाई में सफाई करायी गई। यह कार्य पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्लावन न्यून हुआ।

ड्रेजिंग कार्य के अभिनव प्रयोग :-

नदियों में वर्षाकाल के समय अत्यधिक मात्रा में सेडीमेन्टेशन ले जाने के कारण शोल के निर्माण के फलस्वरूप नदी के बैंकों पर अत्यधिक दबाव को कम करने के दृष्टिगत शोल के मध्य चैनलाइजेशन का कार्य ड्रेजर द्वारा करने से नदी के बैंकों में कटान को न्यूनतम किया जा सका। जनपद गोण्डा में घाघरा नदी पर स्थित एल्गिन-चरसरी तटबंध, जनपद बलरामपुर में ग्राम-चन्दापुर, जनपद बस्ती में कलवारी रामपुर एवं कटरिया चाँदपुर, जनपद गोरखपुर में खड़गपुर, साहपुर, सोपाई, भग्ने एवं मलौनी ग्राम के निकट लहसड़ी, जनपद कुशीनगर में अहिरौलीदान के निकट ड्रेजिंग के कार्य सफल रहे हैं। ड्रेजिंग के फलस्वरूप वर्षाकाल में बाँधों पर दबाव न्यूनतम रहते हुए वर्षाकाल के उपरान्त उक्त क्षेत्र में सिल्टेशन होना दृष्टिगत हुआ है, जिससे कृषि भूमि का रिस्टोरेशन हुआ।

बाढ़ के समय किये गये कार्य

- तटबन्धों के रेनकट्स, गड्ढे, रैटहोल एवं कटान आदि ठीक किये गये हैं एवं वर्षा के अवधि में जो भी रेनकट्स हुए उन्हें तत्काल ठीक कराया गया।
- संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों पर रिजर्व स्टॉक की पूर्ण व्यवस्था की गयी। बाढ़ चौकियां क्रियाशील रहीं, जहाँ से भी कटान की सूचना प्राप्त हुई, उस पर तत्काल एवं त्वरित कार्यवाही की गयी।
- प्रदेश में 48 स्थानों पर 24 घण्टे बाढ़ नियंत्रण कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक क्रियाशील रहे। बाढ़ सूचनाओं की चेतावनी (Alert) हेतु 113 बेतार केन्द्र क्रियाशील रहे।
- केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा निर्गत की जाने वाली दैनिक बाढ़ बुलेटिन दिनांक 15 जून से 15 अक्टूबर तक FMISC, लखनऊ द्वारा राप्ती नदी बेसिन बाढ़ पूर्वानुमान वेबसाइट www.fmiscup.in पर अपलोड की गई।
- अतिसंवेदनशील स्थलों जिन पर बाढ़ परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हैं, उन पर अनुरक्षण मद से यथा आवश्यक कार्य कराकर सुरक्षा प्रदान की गयी जिन स्थानों पर नदी द्वारा कटान किया गया, वहाँ त्वरित गति से फ्लड फाइटिंग के कार्य कराये गये।
- संवेदनशील स्थलों पर अधिकारियों द्वारा कैम्प कर अनुश्रवण किया गया।
- सभी अतिसंवेदनशील स्थलों/तटबन्धों पर जनरेटर, लाइट, पेट्रोमेक्स एवं गार्डों द्वारा निगरानी की व्यवस्था की गयी।
- विभाग द्वारा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर बाढ़ बचाव कार्य कराये गये।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित योजनाएं

1. मध्यगंगा स्टेज-2 परियोजना

यह परियोजना वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ हुई। परियोजना की मूल लागत रु० 1060.76 करोड़ थी जिसे वर्ष 2016 में पुनरीक्षित किया गया है, पुनरीक्षित लागत रु० 4417.21 करोड़ है। इसे वर्ष 2022-23 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के निर्माण से जनपद सम्भल, अमरोहा एवं मुरादाबाद में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 1.47 लाख हे० की सिंचन क्षमता का सृजन एवं 4.10 लाख कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

2. कचनौदा बाँध के अवशेष कार्यों की परियोजना

यह परियोजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ हुई। परियोजना की मूल लागत रु० 263.65 करोड़ थी जिसे वर्ष 2018 में पुनरीक्षित किया गया है, पुनरीक्षित लागत रु० 594.46 करोड़ है। इसे वर्ष 2022-23 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के निर्माण से जनपद ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 10850 हे० की सिंचन क्षमता का सृजन एवं 11989 कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

3. शहजाद बाँध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना

यह परियोजना वर्ष 2018 में पुनरीक्षित की गई है, पुनरीक्षित लागत रु० 89.88 करोड़ है। इसे वर्ष 2022-23 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के निर्माण से जनपद

ललितपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 1740 हे० की सिंचन क्षमता का सृजन एवं 1500 कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

4. लखेरी बाँध परियोजना

यह परियोजना वर्ष 2019 में पुनरीक्षित की गई है, पुनरीक्षित लागत रु० 24.37 करोड़ है। इसे वर्ष 2022-23 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के निर्माण से जनपद झांसी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 3098 हे० की सिंचन क्षमता का सृजन एवं 3240 कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

"सिंचाई (याँत्रिक) संगठन"

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण/लोकार्पित महत्वपूर्ण परियोजनाएं

दिनाँक 01-04-2021 को प्रदेश में 34307 राजकीय नलकूप एवं 252 लघुडाल नहरों सें कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त सिंचाई (याँत्रिक) विभाग द्वारा 29 वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों के शीर्ष कार्य का रख-रखाव/संचालन किया जा रहा है, वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों की जल वितरण प्रणाली का रख-रखाव एवं सींच दर्ज करने का कार्य सिंचाई विभाग के सिविल संगठन द्वारा किया जाता है। चलित राजकीय नलकूपों से 29.07 लाख हेक्टेयर एवं लघु डाल नहरों से 1.91 लाख हेक्टेयर के सिंचन क्षमता सृजित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित विभिन्न बाँधों/बैराजों पर स्थापित याँत्रिक उपकरणों एवं संयन्त्रों के अनुरक्षण/आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कार्यों को भी सम्पादित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु धनराशि रु० 15170.33 लाख का बजट व्यवस्था (लेखानुदान) प्राविधानित है।

विगत वर्षों में पूर्ण कराये गये, बाँधों/बैराजों की गेट स्थापन/आटोमेशन का कार्य

- ओखला बैराज, ओखला नई दिल्ली के पुराने जीर्णशीर्ण 18 अदर बे-गेटों, हिन्डन बैराज, गाजियाबाद के 07 अदद पुराने जीर्णशीर्ण अदर बे-गेटों के प्रतिस्थापन का कार्य एवं बन्डई बाँध, ललितपुर में 04 नवीन गेटों की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया गया है।
- अफजल बैराज, बिजनौर के स्वचालन का कार्य, राम गंगा मुख्य बाँध एवं सैडिल बाँध, कालागढ़ के स्वचालन का कार्य एवं हरेवली बैराज, बिजनौर के स्वचालन का कार्य पूर्ण कराया गया है।
- सरयू/घाघरा पर जनपद गोण्डा स्थित एल्गिन चरसड़ी के निकट एवं राप्ती नदी पर जनपद बलरामपुर में ग्राम चन्दापुर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु ड्रेजिंग का कार्य पूर्ण कराया गया है।

विभिन्न बैराजों/बाँधों को स्वचालित किये जाने के कार्य

- विभिन्न बाँधों/बैराजों के गेटों का संचालन सुनिश्चित करने, बैराजों के अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में रीयल टाइम मॉनिटरिंग एवं कैनाल में जल का रीयल टाइम मॉनीटरिंग किये जाने एवं गेटों को कन्ट्रोल रूप से संचालन हेतु ऑटोमेशन के उद्देश्य से निम्न बाँधों/बैराजों पर स्वचालन सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं :-
    - जनपद बुलन्दशहर - नरौरा बैराज

- जनपद-हरिद्वार - भीमगौड़ा बैराज
- जनपद-ललितपुर - रोहणी बाँध (एच.आई.एस.)
- जनपद-ललितपुर - जामिनी बाँध (एच.आई.एस.)
- जनपद-ललितपुर - सजनम बाँध (एच.आई.एस.)
- जनपद-ललितपुर - जमरार बाँध
- जनपद-हमीरपुर - मोदहा बाँध
- जनपद-लखीमपुर - शारदा बैराज
- जनपद-बहराइच - घाघरा बैराज
- जनपद-महोबा - लहचुरा बाँध
- जनपद-पौड़ी गड़वाल - रामगंगा बाँध
- जनपद-बिजनौर - अफजलगड़ बैराज
- जनपद-बिजनौर - हरेवली बैराज

मुफ्त सिंचाई व्यवस्था

- दिनांक 01.04.2022 को प्रदेश में स्थित 34316 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में संचालित/प्रस्तावित परियोजनाएं/कार्य (यांत्रिक)

- प्रदेश के जनपद शामली एवं सहारनपुर के डार्क जोन में स्थित 73 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना लागत धनराशि रु० 2134.97 लाख का कार्य प्रगति पर है जिससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-23) में पूर्ण करते हुए 7300 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 5110 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- प्रदेश के विभिन्न 29 जनपदों में 63 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना लागत धनराशि रु० 21.75 करोड़ का कार्य प्रगति पर है जिससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-23) में पूर्ण करते हुए 3150 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कर लगभग 3087 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न 73 जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत धनराशि रु० 285.80 करोड़ का कार्य प्रगति पर है जिससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को आगामी 02 वर्षों में पूर्ण करते हुए 76098 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 70000 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत धनराशि रु0 841.99 करोड़ होने के उपरान्त आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 105000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कर लगभग 102900 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। (परियोजना स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री परिषद को प्रेषित है।)

- प्रदेश के जनपद बांदा में 25 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना लागत धनराशि रु० 7.39 करोड़ का कार्य प्रगति पर है जिससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को आगामी 02 वर्षों में पूर्ण करते हुए 2500 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 1750 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना लागत धनराशि रु० 173.34 करोड़ को स्वीकृत होने के उपरान्त आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 56900 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 39800 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। (परियोजना की व्यय वित्त समिति से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।)
- जनपद बलिया में तिलापुर पम्प नहर का निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 40 क्यूसेक, लागत धनराशि रु० 3064.00 लाख से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को आगामी 02 वर्षों में पूर्ण करते हुए 1513 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन करते हुए 1360 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय लघु डाल नहरों (अमौरा, अरंगी, नगवां, भैंसा, टण्डवा, बहादुरपुर, गुरुदेवनगर, गलाथा, मधिया एवं फतेहगंज पूर्वी आदि) के आधुनिकीकरण एवं बसुहारी व तिलापुर पम्प नहरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

विभाग की नीति

भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है। इसमें उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है। प्रदेश के विस्तृत भू-भाग में कृषि कार्य किया जाता है। यहां की जनता गांवों में रहती है और कृषि कार्यों पर ही निर्भर है। जनता की आमदनी का मुख्य श्रोत कृषि ही है। आम जनमानस के जीवन स्तर को उपर उठाने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अधिक से अधिक भू-भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में निरन्तर महती भूमिका निभाई जा रही है। अनिश्चित वर्षा एवं भू-जल के दोहन से बचने हेतु विभिन्न नदियों में प्रवाहित हो रहे सतही जल को प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में बैराज के माध्यम से संचित करते हुए नहरों के द्वारा खेतों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

असमय एवं अतिवृष्टि की स्थिति में जल-प्लावन से बचाव हेतु ड्रेनों का निर्माण कर सुरक्षित जल निकासी की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्षा ऋतु में नदियों में आयी बाढ़ से कृषि योग्य भूमि एवं जन-धन की क्षति की रोकथाम हेतु तटबन्धों का निर्माण एवं कटाव निरोधक कार्य भी विभाग की प्राथमिकता में है।

●

पशुधन

उत्तर प्रदेश, विशाल जनसंख्या, पशु संख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की 23 करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत सी अपेक्षायें हैं। इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संकल्प लिये गये हैं विशेषकर गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण सुनिश्चित करते हुए कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योज़नायें संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश सरकार के संकल्प में निहित वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने हेतु कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत पशुधन विभाग की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हेतु अध्ययन दल बना कर अल्प अवधि में ऐसी सुविचारित नीति/कार्य योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान/आर्थिक उन्नति के लिए कुक्कुट के क्षेत्र में सफल "कुक्कुट विकास नीति" जैसे अन्य मॉडल तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने, पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग सतत प्रयत्नशील है।

मुख्य उद्देश्य

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील है :-

- प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं माँस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।
- समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
- पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।
- प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत पशु प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।
- विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।
- पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

- गरीबी उन्मूलन एवं भुखमरी को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
- गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
- महिला सशक्तीकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
- पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
- उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनायें संचालित करना।
- डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।
- निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान कराना एवं उन्हें उपयोगी बनाना।

पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रमः-

● पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ● गाय एवं भैंस विकास ● कुक्कुट विकास ● भेड़-बकरी विकास ● सूकर विकास ● अन्य पशुधन विकास ● चारा और चरागाह विकास ● गौशाला एवं गो-सदनों का विकास ● गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण ● पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम ● प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय ● बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें ● उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन ● वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन ● राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें ● राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें ● नेशनल लाईवस्टाक मिशन की योजनायें।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2020-21 में 313.591 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2021-22 में 328.821 (अनन्तिम) लाख मी० टन (वृद्धि दर 4.86 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन हुआ।
- वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 3628.891 मिलियन लाख अण्डा उत्पादन हुआ। वर्ष 2021-22 में 3839.803 मिलियन (अनन्तिम) अण्डा का उत्पादन हुआ जिसकी वृद्धि 5.81 प्रतिशत हुई।
- वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 1037.550 हजार मी० टन मांस उत्पादन हुआ तथा वर्ष 2021-22 में 1102.660 (अनन्तिम) हजार मी० टन (वृद्धि दर 6.28) मांस उत्पादन हुआ।
- कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 व 10,000 पक्षी की एक इकाई) क्रमशः 372 इकाईयां/340 इकाईयां क्रियाशील हैं।
- ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 42 इकाईयां क्रियाशील हैं, जिनसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में 475.31 लाख एक दिवसीय चूजे उत्पादित हुये हैं।
- प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति-2013 अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश में 1097.43 करोड़ निवेश प्राप्त हुआ है।

- प्रदेश में योजनान्तर्गत स्थापित इकाइयों से औसतन 85.00 लाख अतिरिक्त अण्डे प्रतिदिन उत्पादित हो रहे हैं तथा 99800 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2021-22 में 174 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2022 तक 146.35 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों) में राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकम (एन०ए०आई०पी०-3) का संचालन दिनांक 01 अगस्त 2021 से 31 मई, 2022 तक की अवधि हेतु किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रजनन योग्य 69.30 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष दिनांक 13 अप्रैल 2022 तक 17.08 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है एवं 9.92 लाख पशुओं का डाटा इनाफ पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 69.30 लाख पशुओं में दिनांक 13 अप्रैल 2022 तक कुल 20.8 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया है एवं 11.84 कृत्रिम गर्भाधान इनाफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
- वर्गीकृत वीर्य द्वारा लगभग 90 प्रतिशत मादा संतति प्राप्त करने तथा सामान्य से 40 प्रतिशत अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकता बढ़ाकर पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से आर०के०वी०वाई० योजनान्तर्गत गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमेन का उपयोग (पायलट प्रोजेक्ट) तीन जनपदों यथा लखीमपुर, इटावा एवं बाराबंकी में संचालित किया गया। उक्त तीन जनपदों में वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान से 1694 मादा संतति एवं उच्च गुणवत्ता युक्त 117 नर संतति सहित कुल 1811 संतति प्राप्त हुई हैं। योजनान्तर्गत मादा संतति उत्पन्न होने का प्रतिशत 90 प्रतिशत है। योजना के सफलता के दृष्टिगत इस कार्यकम को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किये जाने का निर्णय मा० मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत बुंदेलखण्ड के जनपदों में मात्र 100 रु० प्रति कृत्रिम गर्भाधान तथा अन्य जनपदों में रु० 300/- प्रति कृत्रिम गर्भाधान की दर से शुल्क लिया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ से अद्यतन 99290 कृत्रिम गर्भाधान किया गया, जिसके सापेक्ष 7358 मादा संतति एवं 949 नर संतति कुल 8307 संततियों की प्राप्ति हुई।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत 95 भ्रूण साहीवाल नस्ल की गायों में प्रत्यारोपित किये गये जिनसे उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता युक्त साहीवाल नस्ल के कुल 75 पशु गर्भित पाये गये उक्त के फलस्वरूप अद्यतन 63 संततियां उत्पन्न हुयी हैं तथा 12 गोवंश गर्भावस्था के अंतिम तैमास/चरण में हैं।
- जनपद बरेली के ग्राम मुडिया मुकर्रमपुर तहसील बहेड़ी में रु० 36.92 करोड़ की लागत से भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित किया गया है। उक्त केन्द्र पर उच्च गुणवत्तायुक्त भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से स्वदेशी नस्ल के नववत्स उत्पन्न किया जाना तथा पशुपालकों/पशुचिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्ष 2020-2a में टीकाकरण का लक्ष्य 1064.59 लाख के सापेक्ष 996.51 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। वर्ष 2021-22 में टीकाकरण का लक्ष्य 1660.24 लाख के सापेक्ष 583.47 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2020-21 में बधियाकरण एवं चिकित्सा कार्यकम में कमशः 30.48 एवं 353.13 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति क्रमशः 31.25 एवं 422.95 लाख किया गया। वर्ष 2021-22 में पशुचिकित्सा का लक्ष्य 353.13 के सापेक्ष 439.29 लाख पशुओं की चिकित्सा की गयी। वर्ष 2021-22 में बधियाकरण का लक्ष्य 30.18 लाख के सापेक्ष 32.56 लाख पशुओं का बधियाकरण किया गया।
- वर्ष 2018-19, 2019-2020, 2020-21 तथा 2021-22 में समस्त जनपदों में न्यूनतम कुल 02 वृहद गो संरक्षण केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत कुल 303 केन्द्र स्वीकृत हैं तथा 183 स्थापित हो चुके हैं। जिसके सापेक्ष कुल 31860.00 लाख की धनराशि आवंटित है।
- प्रदेश में विभाग द्वारा प्रथम बार गौशालाओं का पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। अद्यतन 574 गोशालाएं पंजीकृत है।
- अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल में शहरी तथा ग्रामीण अंचल में कुल 950174 गोवंशीय पशु दिनांक 06.04.2022 तक सुपुर्दगी सहित संरक्षित किये गये हैं।

पशुपालन का उद्देश्य

1. मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि करना।
2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
3. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. कुक्कूट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संकामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
7. बैक्यार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
8. कुक्कुट विकास कार्यकम में उद्यमिता का विकास करना।
9. कृषि उत्पादन हेतु जैविक खाद की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

प्रकियात्मक रणनीति

समस्त विभागीय कार्यकमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रकिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया हैः

1. पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।

2. संकामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
3. पशुओं में अनुउर्वता निवारण शिविरों, पशु आरोग्य मेलों का आयोजन करना।
4. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाया जाना।
5. कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों एवं कामर्शियल लेयर इकाईयों की स्थापना।
6. कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
7. सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
8. स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2022-23 हेतु प्राथमिकतायें

1. दुधारू पशुओं की तस्करी को रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
2. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं सम्वर्धन।
3. फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गो संरक्षण की योजना।
4. कृषकों की आय को दोगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
5. विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन पशुचिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवा का विस्तार करना।
6. किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन योजनाएँ तैयार करना तथा उनके कियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
7. नयी प्रजनन नीति 2018 को लागू करना।
8. कुक्कुट विकास नीति को 2022 तक बढाया, गया है, नीति को आगे भी क्रियान्वित किये का प्रयास।
9. भारत सरक़ार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत पशुपालन के लिये क्रेडिट बनाये जाने हेतु पशुपालकों को प्रेरित किया जा रहा है। दिनांक 15.11.2021 से दि० 15.02.2022 तक लक्ष्य 9.00 लाख के सापेक्ष 146218 कृषकों द्वारा पशुपालन हेतु क्रेडिट कार्ड बनवाने के आवेदन किया गया है तथा 44454 केडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया गया है।
10. पशुपालकों के द्वार पर ऑनकाल पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल वेटनरी वाहन एवं काल सेन्टर का संचालन।

विभागीय संस्थाएं

क्र0सं0	**संस्था का नाम वर्ष**	**2021-22 की वास्तविक स्थिति**
1.	पशु चिकित्सालय	2202
2.	पशु सेवा केन्द्र	2575

3.	द श्रेणी पशु औषधालय	267
4.	पालीक्लीनिक	22 (05 क्रियाशील)
5.	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01
6.	मण्डलीय प्रयोगशाला	10
7.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5044
8.	तरल नत्रजन केन्द्र	02
9.	अति हिमीकुत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
10.	सघन भेड़ विकास प्रायोजना	01
11.	मेढ़ा केन्द्र	05
12.	भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र	180
13.	भेड़ प्रक्षेत्र	02
14.	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	04
15.	भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन	01
16.	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र	10
17.	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	06
18.	सूकर रोग निदान प्रयोगशाला	01
19.	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
20.	बतख प्रक्षेत्र	01
21.	बटेर प्रक्षेत्र	01
22.	कुक्कुट काम्प्लेक्स	08
23.	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	01
24.	सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब	02
25.	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
26.	कुक्कुट प्रक्षेत्र	04 (01 क्रियाशील)
27.	पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट	02
28.	पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र बक्शी का तालाब	01
29.	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र	06
30.	बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी नियंत्रण	09
31.	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
32.	टी०बी० ब्रूसेला एवं जोनाईन यूनिट, मुख्यालय	01
33.	आहार परीक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
34.	इपिडिमियोलॉजी यूनिट, मुख्यालय	01
35.	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट	10

36.	पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ	01
37.	पशु पोषण प्रयोगशाला	01

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्य

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई-गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट (http://animalhusb.upsde.gov.in) क्रियाशील है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न योजनाओं आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय-समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना के अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करायी गई हैं। विभाग के टेन्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। बेवसाइट पर सभी पशुचिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 20वीं पशुगणना के आँकडे भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियाँ, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन ऑनलाइन किया जा रहा है।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई-मेल एवं बेवसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। बजट आवंटन प्रकिया को भी पूर्ण रूप से कम्पयूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है।

विभाग के तीन कार्यक्रम निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, मा० मुख्यमन्त्री जी गोवंश सहभागिता योजना एवं वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण को ऑनलाइन कर मा० मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड दर्पण से इन्टीग्रेट किया गया है जिसका अनुश्रवण मा० मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा किया जाता है।

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त विवरण मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अधीन विभाग की सेवा गोशालाओं के पंजीकरण को ऑनलाइन किया गया है, जिसके माध्यम से गोशालाओं का पंजीकरण जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी कराया जा सकता है। प्रदेश के पशुचिकित्साविदों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण उ0प्र0 पशुचिकित्सा परिषद द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8 बजे से

रात्रि 8 बजे तक सप्ताह के सातों दिन कार्यरत हैं। उक्त केन्द्र पूर्णया ऑनलाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है जिसका टोल फी नम्बर 1800-180-5141 है। विभाग अन्तर्गत जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सूचना तकनीक का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं इस हेतु उन्हें कम्प्यूटर संचालन, इन्टरनेट, ई-मेल आदि का प्रशिक्षण भी मुख्यालय पर दिया गया है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के समस्त गोवंशीय एवं महिश वंशीय पशुओं को ग्राफ पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। पंजीकरण के पश्चात् इनाफ पोर्टल पर पशु का इयर टैग नम्बर डालने मात्र से पशु, पशु मालिक, पशु में किये गये कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, चिकित्सा, पशु नस्ल आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पशुपालकों को उनके द्वार पर मोबाइल वेटनरी वाहन के माध्यम से त्वरित पशुचिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु काल सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

योजना का नाम : राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु मैत्री (MAITRI-Multipurpose AI Technician in Rural India) की स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में योजना संचालित की जानी है। प्रथम चरण में प्रदेश के 31 जनपद-अम्बेडकरनगर, अमेठी अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जालौन जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, महराजगंज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी एवं सोनभद्र आच्छादित हैं।

उ०प्र० पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं। जनपद में मैत्री का चयन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

नव चयनित मैत्री का प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा चिन्हित/अभिप्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। 55 दिवसीय व्यवाहारिक प्रशिक्षण निकटम राजकीय पशुचिकित्सालय (जहाँ से अभ्यर्थी का चयन किया गया है) पर सम्पादित कराया जाता है। इसके पश्चात् पाँच दिवसीय मूल्यांकन पुनः प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु उपकरण उपलब्ध करा कर स्थापित किया जाता है। अब तक 3618 पशुमित्र/मैत्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना "नेशनल लाईवस्टाक मिशन के सब-मिशन ऑन लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट" के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है।

योजनान्तर्गत स्वदेशी /संकर दुधारू पशु, भारवाहक पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, टट्टू

एवं नर भैसा/सांड़) एवं अन्य पशु (बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि) आच्छादित है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ समस्त पशुओं (भेड़, सूकर एवं खरगोश को छोड़कर) हेतु 05 पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश के लिये 01 पशु इकाई को 10 भेड़/बकरी /सूकर/ खरगोश के बराबर माना जायेगा। सब्सिडी का लाभ 05 पशु इकाई प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। यदि लाभार्थी के पास 05 से कम पशु/01 पशु इकाई है तो भी उसे सब्सिडी लाभ प्राप्त होगा। जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना जी. एस.टी. से मुक्त है।

प्रदेश में पशु प्रजनन नीति

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के 30 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिएं विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त कराया जाना प्रस्तावित है इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत नस्ल के सांड़ों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित हैं।

1. दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोवंश को विदेशी नस्ल के सांड़ों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए बुन्देलखण्ड मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्टीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है।
2. विशुद्ध भारतीय मूल के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु इसके उत्वर्गीकरण के लिए शुद्व भारतीय नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।
3. संकर संतति में विदेशी प्रजाति के रक्त को 62.5 प्रतिशत तक रखे जाने हेतु संकर मादा संतति (एफ-1) को 50 से से 62.5 प्रतिशत विदेशी रक्त के अतिहिमीकृत वीर्य से संकरण कराया जायेगा।
4. महिषवंश के उत्वर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।
5. राज्य सरकार के सहयोग से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र बाबूगढ-हापुड में विदेशी संस्था ए०बी०एस० ग्लाबल के सहयोग से सेक्सड सीमन उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी है जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 3.30 लाख उच्च गुणवत्ता के साँड़ों के वीर्य से तैयार वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में इस संस्था द्वारा नवम्बर 2019 से उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत वीर्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त इकाई हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

●

दुग्ध विकास

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यक्रम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1976 में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ०प्र० दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा-3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया है।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी०सी०डी०एफ०) को एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप से उ० प्र० सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया, जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार, निर्माणशाला मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

दुग्ध विकास कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा आपरेशन फ्लड योजना वर्ष 1970-71 से प्रदेश के 8 जनपदों में चलाई जानी प्रस्तावित हुई, योजना संचालन के प्रारम्भिक चरण में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पी०सी०डी०एफ० को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। मात्र तीन जनपद वाराणसी, मेरठ तथा आंशिक रूप से बलिया में वर्ष 1973 से आपरेशन फ्लड योजना प्रारम्भ की गयी। इसके बाद आपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का कार्यक्रम वर्ष 1982-83 से 1987-88 तक तथा आपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष 1996-97 तक चला। इसके अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल सम्भावनाओं से युक्त प्रदेश के 30 जनपदों का चयन कर उनमें 30 दुग्ध संघों का गठन कर आपरेशन फ्लड योजना को क्रियान्वित किया गया।

प्रदेश के शेष 21 जनपदों, जो दुग्ध उपार्जन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे, को नान आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर उनके विकास हेतु दुग्ध विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्ष 1992 से (राज्य दुग्ध परिषद द्वारा) प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि०, लखनऊ क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है, जिसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों का विलयन करते हुए 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन, उनसे दुग्ध उपार्जन व प्रक्रिया उपरान्त नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवाएं, कृत्रिम गर्भाधान व पशु स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी

जाती हैं, ताकि दुग्ध उत्पादन में तदनुसार वृद्धि सुनिश्चित होने के साथ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।

दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल कृषकों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गांव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यकम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध दुग्ध एवं विसंक्रमित दुग्ध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

विभाग के कार्यकलाप

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप मुख्य रूप से निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित हैं :-

(क) **रेग्यूलेटरी कार्यकलाप**-इसके अन्तर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना, यथा- समितियों का निबन्धन, आडिट, पंजीयन, निरीक्षण, इंजीनियरिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ख) **विकास संबंधी कार्य**-प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कराना।

(ग) **व्यावसायिक कार्यकम**-दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का कियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना।

राज्य दुग्ध परिषद का गठन

"उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976" की धारा-3 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में "उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद" का गठन किया गया जिसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यकम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस संगठन द्वारा लाइसेसिंग कार्यों के साथ-साथ दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों में भी गति प्रदान की गयी। परिषद को प्रथम बार वर्ष 1990 में गैर आपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहा गया, में दुग्धशाला विकास कार्यकमों को संचालित करने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष 2004 में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व व्यावसायिक कार्यों का संचालन समान रूप से आपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

दुग्धशाला विकास विभाग, उ०प्र० कार्यक्रमवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र० सं०	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यरत समिति	सख्या कमिक	8554	8049	9419	8578	9837	8615

2	समिति सदस्यता	(लाख में) कमिक	3.74	3.58	4.71	3.69	4.42	3.77
3	दुग्ध उपार्जन	(लाख में) कि०ग्रा० प्रतिदिन	7.00	3.32	6.70	2.88	5.19	2.79
4	दुग्ध बिक्री	(लाख में) लीटर प्रतिदिन	2.06	1.97	2.97	1.87	3.01	1.84

राज्य योजनाएं/ जिला योजनाएं

1. सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय/ मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय तथा पी०सी०डी०एफ० मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एक रूपता लाने हेतु संचार व्यवस्था व कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/ कार्यालयों में नेटवर्क रथापित किये जाने का कार्यक्रम आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु० 200.00 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि रु. 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में रु० 200.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधानित है।

2. दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)

इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के अच्छे रख-रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दुग्ध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु. 51000 नकद एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले प्रथम दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमशः रु.1.50 लाख, रु.1.00 लाख नकद तथा गाय-बछड़ा के साथ श्रीकृष्ण की मूर्ति शील्ड प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु. 51000 एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम दो उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख एवं द्वितीय पुरस्कार रु. 1.50 लाख नकद तथा प्रमाण-पत्र व शील्ड प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु० 55.73 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 55.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में रु. 55.73 लाख की धनराशि प्रावधानित है।

3. नन्दबाबा पुरस्कार

"देशी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (नन्दबाबा पुरस्कार)" के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के आधार पर प्रदेश के 75 जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों को सर्वाधिक देशी नस्ल की गाय के दुग्ध की आपूर्ति करने वाले 75 दुग्ध उत्पादकों को (नन्दबाबा पुरस्कार) से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में देशी नस्ल की गाय से सर्वाधिक दुग्ध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 ली० दुग्ध का विक्रय करने वाले उत्पादक को नन्दबाबा पुरस्कार वितरण हेतु विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर पर क्रमशः धनराशि रु. 5100.00, रु. 21000.00 , रु. 51000.00 पुरस्कार तथा प्रत्येक लाभार्थी को प्रमाण-पत्र एवं प्रतीक चिह्न दिया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु० 137.73 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु. 137.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में रु० 56.15 लाख का आय-व्ययक प्राविधानित है।

4. उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता

उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के संचालन एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु० 112.20 लाख का बजट प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष रु. 111.09 लाख की स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में रु. 112.20 लाख का आय-व्ययक प्रावधानित है।

5. दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार (जिला योजना) (सामान्य/एस०सी०पी०)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने हेतु दुग्ध संघों-समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में दुग्ध सहकारी समितियों को गठित व बन्द दुग्ध समितियों को पुनर्गठित कर ग्रामीण दुग्ध समितियों को संचालित करने के लिए कार्यशील पूँजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, हेड लोड अनुदान दुग्ध केन्द्रों एवं समिति पर वांछित अन्य आवश्यक उपकरण वाहन, दुग्धशाला-अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं भूमि क्रय आदि की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु० 5000.00 लाख एवं रु० 2142.73 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु० 4166.619 लाख एवं रु० 2142.730 की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में रु० 6000.00 लाख एवं रु० 2695.16 लाख का आय-व्ययक प्राविधानित है।

6. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य-एस०सी०पी०)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं

को तकनीकी निवेश सुविधाएं (पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) तथा डीवार्मिंग, टीकाकरण, नस्ल सुधार कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार, काफरैली आदि सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाया जाना है। उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग द्वारा जनपद के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर व अन्य पशु चिकित्सालय-सचल पशु चिकित्सा वाहन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा दी जाती है। इसके दृष्टिगत पशुपालकों को पशुपोषण की महत्ता व उससे होने वाले लाभ के आलोक में दुधारू पशु की उत्पादन क्षमता के अनुरूप अधिकतम दुग्ध उत्पादन हेतु संतुलित पशु आहार एवं मिनरल मिक्शचर उपलब्ध कराना श्रेयकर पाया गया, जिससे दुग्ध उत्पादक कृषक की आय में वृद्धि होगी। इसके दृष्टिगत पशु आहार एवं मिनरल मिक्शचर की आपूर्ति, पीसीडीएफ के पशु आहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित पशु आहार एवं मिनरल मिक्शचर से किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में क्रमशः रु० 464.10 लाख एवं रु० 138.72 लाख, कुल धनराशि 602.82 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु० 293.42 लाख की 2022-23 में उक्त मद में रु० 464.10 लाख एवं रु० 138.72 लाख का आय-व्ययक प्रावधानित है।

7. कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सामान्य/एस०सी०पी०)

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में ए०आई० कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए०आई० रिफ्रेसर, प्रोग्रेसिव प्रोडयूसर, क्लीन मिल्क प्रोडयूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए०एम०सी०यू० व बी०एम०सी० आपरेटर, कार्मिकों व प्रबन्धकों आदि के प्रशिक्षण कार्य आच्छादित है, साथ ही उपभेक्ताओं एवं दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में क्रमशः रु० 400.00 लाख एवं रु० 272.92 लाख, कुल धनराशि 672.92 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु० 672.92 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मद में रु० 400.00 लाख एवं रु० 272.92 लाख का आय-व्ययक प्रावधानित है।

8. उ०प्र० दुग्ध नीति 2018

शासनादेश दिनांक 07 जून 2018 द्वारा उ०प्र० दुग्ध नीति-2018 लागू की गयी है। दुग्ध नीति के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचल के किसानों को दुग्ध व्यवसाय में अभिरुचि पैदा कर स्वरोजगार में स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना, नये रोजगार का सृजन करना तथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान, ऋण एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु० 500.00 लाख का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रु० 249.99 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु० 500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधानित है।

9. मथुरा में नवीन डेयरी की स्थापना(जनपद मथुरा में 30000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 100000 लीटर प्रतिदिन के नवीन डेरी प्लान्ट का निर्माण)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मथुरा जनपद में नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु रु० 5500.00 लाख की धनराशि विभागीय बजट में प्राविधानित की गयी थी, परन्तु धनराशि पीसीडीएफ को अवमुक्त नहीं हो सकी है। वर्तमान में मै० आई०डी०एम०सी० द्वारा प्रस्तुत कुल रु० 6803.00 लाख का डीपीआर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है, जो पी०आई०बी० के अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है। उक्त के आलोक में जनपद मथुरा में प्रस्तावित नवीन डेरी की स्थापना हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत ''पीसीडीएफ के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत मथुरा में एक नवीन डेरी की स्थापना'' मद में धनराशि रु. 800.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधानित है।

10. राज्य योजना के अन्तर्गत नई माँग

जनपद मेरठ एवं वाराणसी में निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु प्रस्ताव

आई०डी०एफ० से मेरठ व वाराणसी परियोजना के सापेक्ष क्रमश रु. 56.98 करोड़ व रु. 22.84 करोड़ की धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना का कार्य अवरुद्ध है, जिसके कारण दुग्ध विकास के क्षेत्र में शासन के ग्रीन फील्ड डेरी प्लांट की स्थापना किए जाने सम्बन्धी निर्णय पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन माँग के रूप में रु. 7982.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधानित है।

मत्स्य विकास

संक्षिप्त इतिहास

मत्स्य विकास कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ०प्र० मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। पौष्टिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में मछली की अपनी विशेष उपयोगिता है, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन एवं विभिन्न विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण पाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है, जिसका समुचित उपयोग कर जन सामान्य को पौष्टिक मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इस कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों विशेषतः मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलपमेन्ट ऑफ फिशरीज सेक्टर 2013 का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी और अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबों के सुधार/नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंकों से ऋण व शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण व निःशुल्क तकनीकी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह-जून, 2016 तक यह योजना संचालित थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक अम्ब्रैला में लाते हुए नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम "ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज योजना" संचालित रही। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) आरंभ की गयी है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

2. विभाग के मूल उद्देश्य

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु दुर्घटना बीमा/ऋण आदि की सुविधाएं भी सुलभ करायी जाती हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैः-

cákk gqq k t y l a k/ku	d qy mi yC/k t y {ks ½yk[k gSDVs j½	eRL; vk[ks/ izUku ,oa eRL; ikyu ds vUrxZr mi;ksx esa yk;k x;k t y {ks ½yk[k gSDVs j½	izfr'kr
1. वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय,	2.28	2.26	99.12
2. .प्राकृतिक झीलें,	1.33	0.20	15.03
3. ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
;ksx	**5.34**	**3.66**	**68.53**

मत्स्य विभाग की प्रमुख कार्य योजनाएं

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं तथा प्रगति से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

1. ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज योजना के स्थान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) आरंभ की गयी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा-निजी क्षेत्र में तालाब निर्माण, खारे पानी में मत्स्य पालन, रियरिंग तालाबों का निर्माण, बायोफ्लाक पाण्ड का निर्माण, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिटों की स्थापना, मत्स्य हैचरियों की स्थापना, मोटर साइकिल विद आइस बाक्स, साइकिल विद आइस बाक्स, थ्री-व्हीलर विद आइस बाक्स, इन्सुलेटेड वाहन, फिश फीड मिलों की स्थापना, फिश फीड प्लान्ट तथा कियोस्क का निर्माण आदि का मानकीकरण करते हुए प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर (पिजड़ों में मत्स्य पालन) के माध्यम से मत्स्य पालकों/व्यवसायियों को इस विधि को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई

लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 24 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 16 प्रतिशत राज्यांश तथा 60 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने तथा महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थी को परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 24 प्रतिशत राज्यांश तथा 40 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में मत्स्य विकास योजनाओं को लागू किये जाने से पूर्व मत्स्य उत्पादकता 600 कि०ग्रा०/हेक्टेयर/वर्ष थी। वर्ष 2020-21 में मत्स्य उत्पादकता का स्तर 4670 कि०ग्रा०/हेक्टेयर/वर्ष था, जिसको वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 4800 कि०ग्रा०/हेक्टेयर/वर्ष के स्तर तक पहुंचाया गया एवं वर्ष 2022-23 में मत्स्य उत्पादकता का लक्ष्य 4900 कि०ग्रा०/हेक्टेयर/वर्ष प्रस्तावित है।

2. मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 38 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 285 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में एक फिन फिश हैचरी की स्थापना हेतु सामान्य वर्ग की रु० 25.00 लाख इकाई लागत पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है, जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि सामान्य वर्ग रू० 10.00 लाख की सीमा में केन्द्रांश रु० 6.00 लाख तथा राज्यांश रु० 4.00 लाख व शेष रू० 15.00 लाख लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य अंगुलिका उत्पादन हेतु मत्स्य बीज रियरिंग पाण्ड इकाई लागत रु0 7.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि रू० 2.80 लाख अनुदान की सीमा में केन्द्रांश रु० 1.68 लाख तथा राज्यांश रु० 1.12 लाख शेष रु० 4.20 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसी प्रकार इन योजनाओं में कमजोर वर्ग (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए कुल 60 प्रतिशत अनुदान (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत) अनुमन्य है, अर्थात् परियेाजना की इकाई लागत के अन्तर्गत परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रांश, 24 प्रतिशत राज्यांश व 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है।

3. जलाशयों में मत्स्य विकास

मत्स्य विकास व मत्स्याखेट की दृष्टि से भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मात्स्की विकास बोर्ड के मैनुअल के अनुसार जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है तथा उन्हें 10 वर्ष हेतु ई-निविदा/निविदा के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी 1 व 2 एवं 3 के जलाशयों का ठेका उच्चतम ई-निविदा पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ठेकेदार को ई-निविदा पद्धति से दिये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी-4 के जलाशयों तथा श्रेणी-5 के विभागीय

तालाबों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रथम चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य निस्तारित किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम निविदा के माध्यम से ठेका दिये जाने की व्यवस्था है।

इन जलाशयों/तालाबों का निस्तारण ई-निविदा/निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में 66 जलाशय एवं 302 तालाब हैं। उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० के 21 तथा उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि० के 9 जलाशय हैं। जलाशयों में मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु मत्स्य अंगुलिका संचय करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

4. मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में 1146 प्राथमिक समितियां, 23 जनपद स्तरीय संघ एवं 01 प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटनावश मृत्यु /स्थाई अपंगता होने की दशा में रु० 5,00,000 व स्थाई आंशिक अपंगता की दशा में रु० 2,50,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) में समाहित कर ली गयी है तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में रु० 10.00 लाख का प्रावधान है तथा वर्ष 2022-23 हेतु रु० 20.00 लाख का प्रावधान है तथा 74185 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है।

5. मत्स्य उत्पादन

प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 6.99 लाख मी० टन एवं वर्ष 2020-21 में 7.46 लाख मी० टन उत्पादन प्राप्त किया गया है, जिसका स्तर वर्ष 2021-22 में 8.087 लाख मी० रहा है। वर्ष 2022-23 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 9.21 लाख मी० टन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान धनराशि जिसमें केन्द्रांश 24 प्रतिशत व राज्यांश 16 प्रतिशत सम्मिलित है। महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अनुदान धनराशि 60 प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश 36 प्रतिशत व राज्यांश 24 प्रतिशत सम्मिलित है, की अनुदान सहायता निर्धारित है। अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। यह योजना प्रोजेक्ट/डी०पी०आर० आधारित है। इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की विस्तृत योजना विवरण (डी०पी०आर०) बनाते हुए लाभार्थीपरक योजना हेतु लाभार्थी द्वारा कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

7. मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। वर्तमान में 1146 प्राइमरी समितियाँ, 23 जिला फेडरेशन व 01 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं।

8. मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु० 2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अंपग होने की दशा में रु० 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता था। वर्ष 2020-21 में यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) में समाहित कर ली गयी है तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु० 5.00 लाख, दुर्घटना में आंशिक स्थाई अंपग होने की दशा में रु० 2.50 लाख तथा दुर्घटना के पश्चात् अस्पताल में उपचार हेतु रु० 0.25 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में बीमा धनराशि का प्रीमियम रु० 72.44 (रू० 43.46 भारत सरकार व रु० 28.98 राज्य सरकार) प्रति व्यक्ति निर्धारित है। वर्ष 2021-22 में कुल 27,244 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया गया है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 129 मृत सदस्यों के आश्रितों को रु० 81.67 लाख एवं 07 अपंग सदस्यों को रु० 2.675 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए रु० 20.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है तथा 74185 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है।

9-ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति :- मुख्यालय स्तर पर वर्तमान में 45 कम्प्यूटरों द्वारा सफलतापूर्वक कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य किये जा रहे है जैसे- ई-आफिस, बजट आवंटन, पे-रोल, पेंशन इत्यादि समस्त टंकण का कार्य एम०एस० वर्ड पर व रिपोर्टिंग का कार्य एम०एस० एक्सल द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। समस्त जनपदों से ई मेल, व्हाटसएप एण्ड एस०एम०एस० के माध यम से विभिन्न पटलों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने व भेजने की सुविधा है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर- 1800 180 5661 की भी सुविधा दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in विकसित करायी गयी है। मत्स्य विभाग की समस्त योजनाओं को आनलाइन करने, उनका एम०आई०एस० साफ्टवेयर विकसित करने, आम जनमानस को विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का कार्य यूपी डेस्को के माध्यम से पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in विकसित किया गया है। विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों को भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जा रहा है।

मत्स्य विभाग में संचालित योजनाओं की उपलब्धियां

मत्स्य उत्पादन

प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 6.99 लाख मी० टन एवं वर्ष 2020-21 में 7.46 लाख मी० टन उत्पादन प्राप्त किया गया है, जिसका स्तर वर्ष 2021-22 में 8.087 लाख मी० रहा है। वर्ष 2022-23 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 9.21 लाख मी० टन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

मत्स्य बीज उत्पादन

वर्ष 2020-21 में सभी स्रोतों से कुल 33687.76 लाख मत्स्य बीज तथा वर्ष 2021-22 में कुल वार्षिक लक्ष्य 34696.64 लाख के सापेक्ष्य 34136.49 लाख मत्स्य बीज उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत 36234.04 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है।

मत्स्य बीज वितरण

वर्ष 2022-23 में 35943.60 लाख मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 359.49 लाख तथा वर्ष 2021-22 में 280.30 लाख मत्स्य बीज का संचय कराया गया है। वर्ष 2022-23 में 290.44 लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

मत्स्य विभाग में वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित योजनायें

1. विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण
2. मछुआ दुर्घटना बीमा योजना
3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पुरूष)
4. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (महिला)
5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (अनु० जाति)
6. मत्स्य पालक कल्याण फण्ड
7. राष्ट्रीय मत्स्यिकीय विकास बोर्ड पोषित योजना
8. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना
9. निषादराज बोट योजना

●

सहकारिता

भूमिका

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुये सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की आधिकारिक रूप से शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्रावधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे वर्षानुवर्ष सहकारी आन्दोलन में प्रगति उभर कर आने लगी। इस अधिनियम में आगे चलकर कुछ कमियाँ भी दृष्टिगोचर हुईं, जिन्हें दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समिति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण मिल जाने से ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। तत्पश्चात् सहकारी आन्दोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में इसी अधिनियम के अधीन समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं।

सहकारिता विभाग के संगठन का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है, वरन प्रदेश के विभिन्न अंचलों में ग्रामीण तथा शहरी जनता के निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्धिशाली बनाते हुए उनके स्तर को ऊँचा उठाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं यथा क्रय-विक्रय, कृषि निवेश, श्रम,एकीकृत सहकारी विकास, उपभोक्ता, सहकारी ऋण एवं अधिकोषण आदि कार्यान्वित कर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

यह विभाग समितियों के लिये एक मित्र, विचारक एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा उनके कार्यों में आवश्यक निर्देश देता है एवं पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियाँ सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को समितियों की अंशपूँजी में विनियोजन हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एवं संग्रहण में सहायता करती है और क्रय विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने

में सहयोग प्रदान करती है। यह समितियाँ किसानों को कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों को उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराती हैं।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स), जिनकी संख्या वर्तमान में 7479 है, को बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक समिति पर एक गोदाम/दुकान एवं कार्यालय की व्यवस्था है तथा कुछ समितियों में सचिवों हेतु आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी न्यायाधिकरण का गठन भी 1971 में किया गय है।

सहकारिता विभाग के कार्यकलापों को इन्टरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी वेबसाइट इस प्रकार हैः http://cooperative.up.nic.in/

कार्य योजना

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 0.67 लाख नये कृषक सदस्य बनाये गये। वर्ष 2021-22 में दिनांक 31.2.2021 तक 0.74 लाख नये सदस्य बनाये गये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.00 लाख नये सदस्यों को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ने का लक्ष्य है। सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी विस्तृत प्रशिक्षण देने तथा समितियों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

वर्ष 2021-22 में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 तक रु० 6448.24 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु० 12000.00 करोड़ सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 34.00 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 0.85 लाख कुन्टल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन0सी0डी0सी0) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के विकास की विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 15 जनपदों-हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, जालौन, सीतापुर, आगरा, हापुड़ एवं उन्नाव में परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तथा कृषकों के हितों के लिए नियमित भुगतान / प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत की दर से अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने की योजना है। सामान्य ब्याज दरों में छूट दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में किए जाने की व्यवस्था है।

गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैकिंग लाइसेन्स प्राप्त कराने हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 3500.00 लाख का प्राविधान हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 2558.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

3. कार्यक्रमों एवं वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

3(1) सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

3(1) क-सहकारी ऋण एवम् अधिकोषण योजना

कृषि उत्पाद कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों/कृषकों को कृषि उत्पानदन ऋण, उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक दवाएं आदि उपलब्ध कराती हैं। उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा सिंचाई कार्यों तथा कृषि संयंत्रों आदि के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

3(1) क-1 पैक्स के माध्यम से कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नियमित भुगतान/प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा अन्य को 7 प्रतिशत की दर से पैक्स के माध्यम से फसली ऋण वितरित करने की योजना है, ब्याज दरों में छूट प्रदान करने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु रु० 40000.00 लाख के आय-व्ययक का प्राविधान के सापेक्ष रु० 33397.00 लाख एवं वर्ष 2021-22 में रु० 40000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत रु० 30000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

3(1) क-2 कमजोर जिला सहकारी बैकों को पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता

सहकारी साख व्यवस्था के अस्तित्व को बनाये रखने के साथ-साथ प्रदेश के कृषकों को अनुमन्य कराये जा रहे अनुदानित फसली ऋण पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचाने के लिये अधिकोषण योजनान्तर्गत कमजोर जिला सहकारी बैकों को पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 2793.01 लाख आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रु० 2793.01 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 3500.00 लाख के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रु० 2000.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत रु० 2556.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

3(1) क-3 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन (नवीन योजना-राजस्व)

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत "पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन (के-60 / रा. 40-के)" वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान मद में नवीन योजना (राजस्व) के अन्तर्गत रु० 1 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3(1) क-4 सहकारिता से समृद्धि (नवीन योजना-पूंजीगत)

प्रदेश के 7479 पैक्स के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार की पुरोनिधानित योजना के तहत समितियों को पुनर्पूंजीकरण, समितियों को बहुउद्देश्य भूमिका में लाना, बुनियादी ढांचे के निर्माण

के लिए पूंजीगत सब्सिडी, नये पैक्स के लिए बीज राशि की व्यवस्था आदि के लिए केन्द्र प्रायोजित येाजना के अंतर्गत सहकारिता से समद्धियों के.60/रा.40-के)" वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निवेश/ऋण मद में नवीन येजना (पूंजीगत) के अन्तर्गत रु० 1 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3(1) क-5 34 जिला सहकारी बैंक में अंशपूंजी विनियोजन (नवीन योजना- पूंजीगत)

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-44 में सरकार द्वारा सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने की व्यवस्था के तहत राज्य में सहकारी समितियों के विकास में सहायता के उद्देश्य से सहकारी समिति की अंशपूंजी में सरकार द्वारा विनियोजन क्रय जाने के लिए "34 जिला सहकारी बैंक में अंशपूंजी विनियोजन" वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निवेश / ऋण मद में नवीन योजना (पूंजीगत) के अन्तर्गत रु० 100 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3(1) क-6 सहकारी समितियों को संग्रह योजना हेतु ऋण (नवीन योजना-पूंजीगत)

सहकारिता विभाग के सहकारी देयों की वसूली हेतु वर्ष 1978 एवं 1982 में संग्रह योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अंतर्गत वसूली हेतु क्षेत्रीय स्टाफ (अमीन एवं उनके सहयोगी) तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय स्टाफ (संग्रह लिपिक, कार्यालय सहयोगी और चालक) को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते, कमीशन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए "सहकारी समितियों को संग्रह योजना हेतु ऋण" वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निवेश। ऋण मद में नवीन योजना (पूंजीगत) के अन्तर्गत रु० 100 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3(1) ख- सहकारी कृषि-निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना :

सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना के कार्यक्रम सीधे खेती एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक किसानों से से जुड़े हैं। प्रदेश की हरित क्रांति की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि निवेशों के वितरण में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि उत्पादन में यथेष्ठ वृद्धि लाने के लिए खरीफ तथा रबी अभियान के अन्तर्गत सहकारी समितियों/संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं अल्पकालीन ऋण का वितरण किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक उत्पादकों विशेषकर इफको एवं कृभकों द्वारा सहकारी विक्रय केन्द्रों को सीधे उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में समय से उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता के फलस्वरूप कृषि उत्पादन की वृद्धि से प्रदेश के किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 8496 सहकारी विक्रय केन्द्रों द्वारा प्रमाणित बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा रासायनिक उर्वरकों का वितरण नकद एवं ऋण के रूप में खरीफ एवं रबी अभियानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 0.71 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज तथा 39.59 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वित्तरण किया गया। वर्ष 2021-22 में 0.82 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज तथा 33.66 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वित्तरण के लक्ष्य के सापेक्ष 0.44 लाख कुन्तल बीज एवं 32.36 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-23 हेतु 0.85 लाख कुन्तल उन्नतशील बीज एवं 34.00 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

3(1) ख-1 पी. सी. एफ. द्वारा उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु अनुदान :

रबी एवं खरीफ अभियान के अन्तर्गत यूरिया, डी,ए.पी. एवं एन.पी.के. उर्वरकों की सहकारी समितियों की मांग के अनुरूप समय से आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऑफ सीजन में रसायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण कर समस्या के निदान हेतु पी.सी.एफ. को उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण शुल्क, ब्याज की प्रतिपूर्ति तथा उर्वरकों के परिवहन हेतु अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 15000.00 लाख एवं 2021-22 में रु० 15000.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ द्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत रु० 15000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

3(1) ग- एकीकृत सहकारी विकास योजना :

समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के अनुसार अवस्थापना वृद्धि एवं व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण एवं अंशधन प्रदान किया जाता है, ताकि समितियाँ अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सुदृढ़ एवं स्वाश्रयी हो सकें।

एन.सी.डी.सी. द्वारा राज्य को अल्पविकसित राज्य की श्रेणी में रखते हुए निर्माण कार्य की योजनाओं हेतु 20% अनुदान, 30% अंशधन एवं 50% ऋण के रूप में सहायता दिए जाने का पैटर्न निर्धारित किया गया है। परियोजनान्तर्गत स्टाफ के वेतन आदि हेतु 50% राज्य सरकार एवं 50% एन.सी.डी.सी. द्वारा अनुदान वहन किए जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के ऋण एवं अंशधन की शत-प्रतिशत तथा पी.आई.टी. अनुदान का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति एन.सी.डी.सी. द्वारा की जाती है

वर्तमान में 15 जनपदों-हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, जालौन, सीतापुर, आगरा, हापुड़ एवं उन्नाव में इस योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में रु० 5000.00 लाख एवं वर्ष 2021-22 में 5000.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। वर्ष 2022-23 में इस योजनान्तर्गत रु० 5000.00 का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

3(1) घ- ग्रामीण गोदाम योजना :

प्रदेश में किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने हेतु 7479 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इन सहकारी समितियों के पास उपलब्ध गोदामों का निर्माण लगभग 30-40 वर्ष पूर्व कराया गया था, जिनमें से अधिकाँश गोदाम क्षतिग्रस्त हो गये हैं और उनकी मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोदामों के सुदृढ़ीकरण हेतु रु० 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजनान्तर्गत रु० 2200 लाख का का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

3(2) सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम

सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ दिशा प्रदान करने हेतु सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों के दृष्टिगत प्रदेश की समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्व दिया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि. लखनऊ (पी.सी.यू.) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए शीर्ष संस्था है। जिसके द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित हैः-

- सचल इकाईयों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/कार्मिकों को स्थलीय प्रशिक्षण देना।
- सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।
- सामान्य योजना के अन्तर्गत आन्दोलन को बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यक्रम करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पी.सी.यू. द्वारा स्थापित एवं संचालित 6 प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त इन्स्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एवं कारपोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च ट्रेनिंग, लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली द्वारा संचालित इन्दिरा गाँधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान, राजाजीपुरम, लखनऊ कार्यरत है।

3(2) क-प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हेतु अनुदान

सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सहकारी संस्थाओं में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित "की पर्सनल" के अभाव में भी आन्दोलन की प्रगति को धक्का लगा है, जिसको दूर करने के लिए एक प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (आई.सी.सी.एम.आर.टी.) का संचालन उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि. के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु शासन द्वारा रु० 25.00 लाख एवं वर्ष 2021-22 में रु० 25.00 लाख एवं वर्ष 2022-23 में रु० 25.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

3(3) सहकारी समिति अधिनियम का प्रशासन :

सहकारी संस्थाओं का संगठन एवं उनके कार्यकलाप उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 से नियंत्रित किये जाते हैं। विभाग द्वारा अधिनियम तथा नियमावली की धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। अधिनियम तथा नियमावली की धाराओं के अनुपालन कराए जाने के क्रम में असंतुष्ट पक्ष को न्याय दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचित सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के चयन, अनुशासनिक नियंत्रण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल गठित है।

उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण एवं सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के कार्यकलापों का विवरण निम्नवत हैः

3(3) क उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण

उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम

1965 के अन्तर्गत वर्ष 1971 में किया गया है, जिसका मुख्य कार्य अपीलों की सुनवाई करके निर्णय देना है।.-

शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 1995 द्वारा अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ.प्र. को पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा 97 व 98 के प्रावधान के अन्तर्गत आदेश, निर्णय अभिनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है।

3(3) ख उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल

वर्ष 1972 से पूर्व प्रदेश की सहकारी संस्थायें अपने सेवा नियमों के अधीन अपने कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निष्पादन करती थीं। संस्थाओं के बढ़ते हुए आकार, उनके कार्यकलापों के प्रसार, आधुनिकीकरण और बदलते परिवेश में यह आवश्यक समझा गया कि कार्मिकों के सेवा नियमों और चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लायी जाये जिससे सहकारी संस्थाओं को अपना कार्य कुशलतापूर्वक संचालन हेतु व्यवसायिक प्रबन्ध सुलभ हो सके। अतः उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-122 के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवामण्डल का गठन मार्च, 1972 में किया गया। सेवामण्डल के कार्य क्षेत्र में प्रदेश की समस्त शीर्ष संस्थायें, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय या प्रारम्भिक समितियाँ, जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों या उ.प्र. राज्य में हैं, आते हैं। सेवामण्डल संस्थाओं द्वारा उनके कर्मचारियों हेतु बनाये गये सेवा नियमों का अनुमोदन भी करता है।

3 (4) विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) उत्तर प्रदेश का गठन :

वर्ष 1970-71 तक प्रदेश की सहकारी समितियों में अपहरण एवं दुर्विनियोग के अभियोग, सामान्य पुलिस की जाँच एवं अभियोजन हेतु बड़ी संख्या में लम्बित होने तथा जिलों में कार्यरत सामान्य पुलिस स्टाफ को अपने कार्यों में व्यस्त रहने के काराण उसे सहकारिता विभाग के अभियोगों को देखने अथवा जाँच करने का कम समय मिलता था। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग के अभियोगों की विस्तृत तकनीकी जानकारी के लिए सहकारी लेखा पद्धति का अध्ययन आवश्यक था। अतएव 1971-72 से सहकारिता विभाग में विशेष अनुसंधान शाखा (सह.) की स्थापना करते हुए इसे सी.बी.सी.आई. उ.प्र. से सम्बद्ध किया गया।

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) के द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं को सुनियोजित करने के लिए शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 2003 निर्गत कर रु० एक लाख से अधिक गबन के उन मुकदमों का अन्वेषण करने की शक्ति इस शाखा को प्रदत्त की गई है।

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) का प्रशासनिक नियंत्रण पुलिस अधीक्षक के अधीन है। शाखा के कार्य संचालित, जाँच एवं अभियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण को दृष्टि में रखकर इसके 09 क्षेत्रीय कार्यालयों की क्रमशः लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, झाँसी, आगरा व वाराणसी में स्थापना की गई है। यह क्षेत्रीय कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं।

3 (5) उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का गठन :

भारतीय संविधान में हुये 97वें संशोधन एवं उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 सन 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-29 में हुये संशोधन के प्रभाव में उ.प्र. राज्य के 10 विभागों यथा-सहकारिता, गन्ना, आवास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, उद्योग, रेशम, मत्स्य, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में गठित एवं संचालित सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन कराये जाने का दायित्व "उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग" का है।

आयोग द्वारा अपने गठन के पश्चात् सहकारी समितियों के निर्वाचन स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराये जाने का सतत प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग द्वारा 15080 प्रारम्भिक सहकारी समितियों का चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त राज्य के दस विभागों यथा-सहकारिता, गन्ना, आवास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, उद्योग, रेशम, मत्स्य, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का निर्वाचन योग्य/अवशेष समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं सभापति, उपसभापति तथा अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु समय-समय पर सामान्य तिथियाँ एवं निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जाता है।

3(6) निदेशन तथा प्रशासन

उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग 5 स्तरों पर कार्य करता हैः-

1. प्रदेश स्तर 2. मण्डल स्तर 3. जिला स्तर
4. तहसील स्तर 5. खण्ड स्तर

3(7) मा. सहकारिता मंत्री हेतु विवेकाधीन अनुदान

मा. सहकारिता मंत्री हेतु विवेकाधीन अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में रु० 0.10 लाख का प्राविधान हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 0.10 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-23 में इस योजनान्तर्गत रु० 0.10 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन) (राज्य स्वच्छ गंगा मिशन) (भूगर्भ जल विभाग) (लघु सिंचाई विभाग)

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

जल जीवन मिशन

कार्यक्रम का विवरण

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित जल जीवन मिशन का संचालन केन्द्र एवं राज्य द्वारा 50-50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाना है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक हर घर को क्रियाशील नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं-

- पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग करते हुए योजना के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।
- पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्कतानुसार पुर्नगठन एवं योजना के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।
- गुणता प्रभावित बस्तियों (आर्सेनिक/फ्लोराइड/अन्य गुणता प्रभावित) के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।
- जे.ई./ए.ई.एस. से अत्यधिक प्रभावित जनपदों के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।
- आकाँक्षात्मक जनपदों के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।
- सांसद आदर्श ग्रामों के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।

- अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों के समस्त परिवारों को एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का कार्य।
- स्कूल/आंगनबाड़ी/केन्द्र/ग्राम पंचायत भवनों /स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील नल जल संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य।

भौतिक प्रगति

उत्तर प्रदेश में कुल 97494 राजस्व ग्राम और 259739 बस्तियां हैं। दिनांक 01.04.2022 को कुल 5297 कार्यशील पाइप पेयजल योजनायें थीं, जिनमें 9.82 लाख एफ.एच.टी.सी. प्रदान की गई थीं। इसमें से 3287 रेट्रोफिटिंग योग्य योजनाओं में रेट्रोफिटिंग का कार्य गतिमान है।

प्रदेश में जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित 3089 ग्रामों में 656 ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है एवं 1044 ग्रामों में पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में आर्सेनिक से प्रभावित कुल 1441 बस्तियों में 1358 बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है एवं 83 बस्तियों में पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

प्रदेश में फ्लोराइड से प्रभावित कुल 2386 बस्तियों में 1749 बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है एवं 637 बस्तियों में पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 1025 ग्रामों में ए.आर.यू./एफ.आर.यू. लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के समस्त अनाच्छादित स्कूल/आंगनबाड़ी/केन्द्र/ग्राम पंचायत भवनों/स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील नल जल संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों तथा उ.प्र. के समस्त गुणता प्रभावित ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन में समाहित कर दिया गया है।

फेज-1 में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों की पाइप पेयजल योजना से अनाच्छादित ग्रामों में 49 पैकेज पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसी क्रम में फेज-2 में 17940 ग्रामों में 10632 योजनाओं का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिनकी अनुमानित लागत रु. 29950.00 करोड़ अनुमानित है। जिनमें निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन 785 पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कता कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

- पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों के रासायनिक एवं जैविक परीक्षण के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं एवं राज्य स्तर पर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला संचालित है। इसके अतिरिक्त 05 मोबाइल प्रयोगशालाएं भी संचालित की गयी हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत-प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से 05 महिलाओं को एफ.टी.के. माध्यम से जल गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

भौतिक प्रगति

- "राज्य ग्रामीण पेयजल योजना" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता/दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे ग्रामों में पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं जो केन्द्र पोषित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता से आच्छादित नहीं है, जिनकी प्रदेश में शुद्ध पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त आवश्यकता है।
- राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 188 परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्ष 2021-22 तक 120 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। शेष 68 परियोजनाएं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र०, लखनऊ

एन०जी०आर०बी०ए०/नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनायें

गंगा नदी बेसिन में 05 राज्यों में कुल लगभग 2510 किमी प्रवाह करती है जिसमें से लगभग 1140 किमी की यात्रा जनपद बिजनौर से बलिया तक उ.प्र. में करती है। प्रदेश के 27 जनपदों, 21 नगर निकायों व 1038 ग्राम पंचायतों से प्रवाह करती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन, पर्यावरण एवं मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी रूप से उपषमन करने और गंगा नदी के संरक्षण के उपाय करने के लिए मा. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। एन०जी०आर०बी०ए० के उददेश्यों में कुछ परिवर्तन करते हुए वर्ष 2016 में नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण/नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनायें निम्न हैं-

1. मल-जल शोधन संबंधी कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में रु.10494.40 करोड़ की लागत की कुल 46 सीवरेज सम्बन्धी परियोजनाएं स्वीकृत हैं इनकी कुल शोधन क्षमता 1373.01 एम.एल.डी. की है। रु. 3855.67 करोड की लागत की 25 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिनमें कुल 24 एस.टी.पी.क्षमता 422.91 एम.एल.डी. संचालित किये जा रहे हैं। रु. 5105.76 करोड़ की लागत की 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 2 सीवरेज परियोजनाओं पर टेण्डर की प्रक्रिया प्रारम्भ है।

स्वीकृत 46 परियोजनाओं के सापेक्ष 25 परियोजनाएं पूर्ण, 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 02 परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं।

- कानपुर के 128 वर्ष पुराने सीसामऊ नाले के 140 एम.एल.डी. सीवरेज को आई.एण्ड डी. द्वारा टैप कर 80 एम.एल.डी. बिनगवां एस.टी.पी. तथा 60 एम.एल.डी. जाजमऊ एस.टी. पी. के माध्यम से शोधित किया जा रहा है।
- जायका पोषित 140 एम.एल.डी दीनापुर एस.टी.पी. का कार्य पूर्ण कर संचालित किया जा रहा है तथा योजना के अन्तर्गत बायोगैस का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है।

1. घाट नवनिर्माण एवं शव दाहगृह पुनरोद्धार

भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा गंगा नदी के किनारे घाटों एवं शव दाहगृहों के पुनरोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। अब तक भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत 19 डी.पी.आर. के सापेक्ष 72 घाट एवं 15 शव दाहगृहों के निर्माण कार्य क्रमशः मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सम्भल, बिठूर, कानपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, हापुड़, प्रयागराज, बदायूँ, रायबरेली, मिर्जापुर, गाजीपुर जिलों में ई.आई.एल. द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से सभी 69 घाटों एवं 13 शव दाहगृहों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एन.एम.सी.जी. द्वारा अनुमोदित नगर निगम, वाराणसी द्वारा 26 घाटों के पुनरोद्धार का कार्य भी पूर्ण कराया गया है।

2. घाट सफाई का कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी में 88 घाटों की सफाई का कार्य किया जा रहा है उक्त कार्य की लागत रु. 8.23 करोड़ है। इसके अतिरिक्त 04 नगरों क्रमशः प्रयागराज, बिठूर, कानपुर एवं मथुरा वृन्दावन में 87 घाटों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जो 31.05.2022 तक स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

3. औद्योगिक योजनाएं

4.5 एम.एल.डी. क्षमता के बन्थर, 7.5 एम.एल.डी. क्षमता के गोरखपुर, 2.6 एम.एल. डी. क्षमता के उन्नाव, 20 एम.एल.डी. क्षमता के जाजमऊ कानपुर तथा 6.25 एम.एल.डी. क्षमता के मथुरा में सी.ई.टी.पी. परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु. 901.33 करोड़ है। 4.5 एम.एल. डी. क्षमता के बन्थर, 20 एम.एल.डी. क्षमता के जाजमऊ कानपुर तथा 6.25 एम.एल.डी. क्षमता के मथुरा में सी.ई.टी.पी. परियोजनायें, वर्तमान में सभी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। 2.6 एम. एल.डी. क्षमता के उन्नाव एवं 7.5 एम.एल.डी. क्षमता की गोरखपुर परियोजना निविदा की प्रक्रिया में है।

4. वनीकरण एवं जैव विविधता का कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग उ.प्र. को प्रदेश को वनीकरण व जैव विविधता संरक्षण हेतु लागत रु. 171.46 करोड़ की 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके अन्तर्गत गंगा व सहायक नदियों के किनारे वृक्षारोपण, औषधीय पौधों के रोपण कर लोगों की आजीविका का संवर्द्धन, जलीय जैव विविधता जैसे कछुआ एवं घड़ियाल के संरक्षण एवं गंगा के किनारे स्थित

27 जनपदों में वेटलैण्ड के संरक्षण एवं प्रबंधन आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

5. गंगा स्वच्छता अभियान हेतु जन जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य

- माघ मेला 2021-22 प्रयागराज में नमामि गंगे प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विभिन्न सूचना, शिक्षा, जन जागरण एवं प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- 26 जनवरी 2022 को राज्य स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी प्रस्तुत की गयी जो शोधित जल के पुनर्प्रयोग पर आधारित थी।
- 02-02-2022 को जिला स्तर पर "वर्ल्ड वेटलैण्ड डे" का आयोजन किया गया।
- 08-03-2022 को राज्य स्तर पर "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- विन्ध्याचल मेला चैत्र नवरात्र के दौरान प्रदर्शनी जिला गंगा समिति मिर्जापुर के तत्वाधान में लगायी गयी। इस दौरान विन्ध्याचल में गंगा घाटों की साफ सफाई, गंगा शपथ, गंगा रैली इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

6. भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अधिसूचना, राजपत्र दिनांक 07.10.2016 के द्वारा गंगा नदी के पर्यावर्णीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपसमन और जल का सतत पर्याप्त सुनिश्चित करने हेतु तथा उपाय करने तथा इससे सम्बन्धित अथवा प्रासांसगित मामले हेतु केन्द्रीय स्तर पर मा. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा समिति, जिला स्तर पर 67 जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति का गठन किया गया है। जिला गंगा समितियों के माध्यम से जनपद की स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों, शिक्षण संस्थानों, छात्रों तथा इस दिशा में कार्य कर रहे संगठनों एवं व्यक्तियों को जोड़ा गया है। जिला गंगा समितियों द्वारा नियमित रूप से त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जिला गंगा समितियों की स्थापना हेतु प्रत्येक को समय-समय पर विभिन्न जन-जागरुक गतिविधियों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। जिला गंगा समितियों को 4एम प्रारूप पर प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक को Mandated, Monthly, Minuted and Monitored के आधार पर जिले में गंगा/अन्य नदियों से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा हेतु आयोजित की जाती है तथा इसे मोबाइल एप के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

7. उ.प्र. में वर्तमान के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 110 मलजल शोधन संयंत्र जिनकी कुल क्षमता 3481.85 एम.एल.डी. है, निर्मित कर उपयोग में लाये जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर निर्मित मलजल शोधन संयंत्र की पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता के साथ उपयोग सुनिश्चित कराने की दिशा में वितरण प्रणाली सम्मिलित करते हुए इनके समेकित रख-रखाव व संचालन तथा घरेलू सीवरेज कनेक्शन से आच्छादित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, अनूपशहर, लोनी, सहारनपुर, बिजनौर, पिलखुआ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर एवं अयोध्या की वितरण प्रणाली व सीवरेज शोधन संयंत्रों का

विशेषज्ञ फर्मों के चयनोपरान्त रख-रखाव एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है।

भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०

भूगर्भ जल विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में एक पृथक विभाग के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी। राज्य में भूगर्भ जल संसाधनों के निरन्तर बढ़ते महत्त्व एवं इसके प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग को प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रिचार्ज योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु वर्ष 2004 में 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया।

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व प्रदेश की भूजल सम्पदा का सर्वेक्षण, आकलन, प्रबंधन व नियोजन तथा उससे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भ जल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण, संचयन तथा रिचार्ज योजनाओं का तकनीकी समन्वय व अनुश्रवण करना है।

भूगर्भ जल विभाग की पूर्व से संचालित योजनाएं एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

1. भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में किये गये कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत है:

अ. हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क पर भूजल स्तर अनुश्रवण

भूजल स्तर आंकड़ों की आवश्यकता एवं महत्ता के आधार पर भूजल स्तर मापन वर्ष में चार बार यथा-माह जनवरी, मई/जून, अगस्त तथा अक्टूबर/नवम्बर में किया जाता है। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशन पर नियमित भूजल स्तर मापन किया गया। वर्ष 2022-23 में 826 विकास खण्डों एवं 75 शहरी क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशनों पर भूजल स्तर मापन किया जाना प्रस्तावित है।

ब. विकास खण्डवार भूजल संसाधनों का आंकलन

प्रदेश के समस्त 826 विकास खण्डों एवं 10 शहरी क्षेत्रों (10 लाख से अधिक आबादी वाले) का वित्तीय वर्ष 2020-21 में भूजल के नियोजित विकास एवं प्रबन्धन हेतु विकास खण्डवार भूगर्भ जल संसाधनों का आंकलन तथा विकास खण्डों का अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी-क्रिटिकल तथा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकरण भारत सरकार की गाइडलाइन (जी.ई.सी.2015) के अनुसार किया गया। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के नवीन निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-2023 में समस्त 826 विकास खण्डों एवं 10 शहरी क्षेत्रों के भूजल संसाधनों का आंकलन निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

स. जनपदीय भूजल रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपदीय भूजल प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित) तैयार करके प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश

के 75 जनपदों का जनपदवार भूजल का तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 75 जनपदों का जनपदीय तकनीकी प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में भूजल संसाधनों के अध्ययन हेतु निम्नलिखित तकनीकी प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का लक्ष्य प्रस्तावित हैः

1- जियोफिजिकल सर्वे प्रतिवेदन (खण्डवार) - 04 नं.

2- लिथोलाजिकल डाटा प्रतिवेदन (जनपदीय) - 04 नं.

3- भूजल एटलस - 01 नं.

द. हाइड्रोग्राफ स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीजोमीटर के रख-रखाव के अन्तर्गत 340 पीजोमीटर का रख-रखाव/अनुरक्षण एवं अक्रियाशील पीजोमीटर स्ट्रेशनों के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर के निर्माण का लक्ष्य था। वर्ष 2021-22 में आवंटित धनराशि के सापेक्ष 300 पीजोमीटर का रख-रखाव/अनुरक्षण एवं अक्रियाशील पीजोमीटर स्ट्रेशनों के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 75 जनपदों में **"भूजल सप्ताह"** का आयोजन किया जायगा। इसके साथ ही भूजल कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है।

2. शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना

प्रदेश के कतिपय विभागों द्वारा अपने संसाधनों से विभागीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जा रही है, किन्तु पृथक-पृथक ढंग से इस कार्य को किये जाने से इस प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्व निर्मित समस्त शासकीय भवनों में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में अभी भी बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के पूर्व निर्मित शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना किया जाना अवशेष है। गिरते भूजल स्तर एवं वर्षा जल संचयन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 25.05.2021 द्वारा पूरे प्रदेश में रूफटाप हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल 40,000 वर्ग मीटर शासकीय भवनों की छत के क्षेत्रफल को आच्छादित करते हुए लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

3. भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग

प्रदेश में भूजल गुणवत्ता की समुचित जानकारी का अभाव है और विभिन्न विभाग अलग-अलग स्तर पर भूजल गुणवत्ता की जाँच कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक मुख्य रूप से पेयजय स्रोतों एवं सिंचाई नलकूपों के जल नमूनों की गुणवत्ता की जाँच हो रही है। प्रदेश के अनेक जनपदों में भूजल गुणवत्ता विभिन्न रासायनिक धातुओं से प्रभावित है और ऐसे प्रदूषित भूजल के दुष्प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। विभाग द्वारा बेसिनवार भूजल नमूनों का एकत्रीकरण करते हुए भूजल गुणवत्ता के विश्लेषण का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में आंशिक घाघरा बेसिन के अन्तर्गत प्री-मानसून अवधि के 338 नं. एवं

पोस्ट मानसून अवधि के 338 नं. भूजल नमूनों का रासायनिक विश्लेषण सी.एस.आई.आर. भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई.आई.टी.आर.), लखनऊ से कराया गया। वर्ष 2021-22 हेतु अवशेष आंशिक घाघरा बेसिन के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के चयनित विकास खण्डों के प्री-मानसून अवधि के 422 नं., इस प्रकार कुल 844 नं. अवशेष भूजल नमूनों का सी.एस.आई.आर. भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई.आई.टी.आर.), लखनऊ प्रयोगशाला से रासायनिक परीक्षण कराये गये।

4. भूजल जन-जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार योजना

भूजल जन-जागरूकता की आवश्यकता को देखते हुए यह योजना सतत रूप से संचालित की जा रही है। स्कूली छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, गैर सरकारी संगठनों सहित जनसामान्य को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के आसन्न संकट, बढ़ते भूजल प्रदूषण के प्रति जागरुक करना, भूजल संरक्षण के महत्व के प्रति शिक्षित करने के साथ इस प्राकृतिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ की गई है। जिसमें वृहत् रूप से जन-जागरुकता की विभिन्न गतिविधियों के साथ तकनीकी प्रचार-प्रसार सामग्रियों को तैयार कर वितरण कराया जाना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत प्रदेश में भूजल संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु जन-जागरण भी किया जाना प्रस्तावित है।

5. स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना

भूजल संसाधनों के सघन एवं सतत अनुश्रवण तथा भूजल की गुणवत्ता के संवेदनशील क्षेत्रों के चिह्नांकन एवं प्रबन्धन, शोध, विकास, प्रशिक्षण इत्यादि के दृष्टिगत प्रदेश में **"स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना"** जनपद-लखनऊ शहर में की जा रही है। इस हेतु शासन द्वारा उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

6. पीजोमीटर की स्थापना

प्रदेश के समस्त जनपदों में भूजल स्तर के मापन हेतु पीजोमीटर की स्थापना की गई है। भूजल स्तर के स्तत रूप से मॉनिटरिंग हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 5×5 कि.मी. एवं शहरी क्षेत्रों में 2×2 कि.मी. ग्रिड का निर्धारण किया गया है, किन्तु अभी भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र अंसतृप्त हैं। जी. आई.एस. तकनीक के माध्यम से उपरोक्त निर्धारित ग्रिड के अनुसार समस्त जनपदों को संतृप्त किये जाने हेतु तथा भूजल स्तर मापन के लिए पूर्व चयनित कूप के सूख जाने के फलस्वरूप लगभग 3000 नं. अतिरिक्त पीजोमीटर की स्थापना किया जाना आवश्यक है, जिससे भूजल स्तर का सघन एवं सतत रूप में मानीटरिंग कार्य किया जा सकेगा। उक्त योजना वर्ष 2020-21 से लागू की गई है। वर्ष 2020-21 में 600 नं. पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, जिसके क्रम में आवंटित बजट के सापेक्ष कुल 300 नं. पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वर्ष 2021-22 में 600 नं. नये पीजोमीटर की स्थापना का कार्य कराया गया। वर्ष 2022-23 में 600 नं. पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

7. भूगर्भ जल निधि से जल संचयन एवं संवर्धन के कार्य

प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं एवं भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर

प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रख्यापित किया गया है। अधिनियम की धारा-48 के द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के भूजल उपभोक्ताओं द्वारा शुल्क इत्यादि जमा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा **"भूगर्भ जल निधि"** को सृजित किया गया है, जिसमें शास्तियों, रजिस्ट्रीकरण फीस तथा भूगर्भ जल निष्कषर्ण फीस आदि की समस्त लेखा-प्राप्तियाँ जमा की जा रही हैं।

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः उथले नलकूप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिंग मशीनों से गहरी बोरिंग तथा एल्यूवियल क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना संचालित है।

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैंः-

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना

प्रदेश में उथले, मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों की मांग बढ़ने के दृष्टिगत विभाग स्तर पर उक्त योजनाओं को समेकित रूप से सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है।

योजनान्तर्गत उथले नलकूप योजना में अधिकतम 30 मीटर तक की गहराई में बोरिंग सेट द्वारा बोरिंग की जाती है।

मध्यम गहरी बोरिंग योजनान्तर्गत 31 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई की बोरिंग की जाती है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.75000 का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। गहरी बोरिंग योजना में 61 मीटर से 90 मीटर गहराई की बोरिंग हैवीरिंग मशीन से की जाती है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु.1.00 लाख का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है।

2. वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन

वर्तमान में प्रदेश के 66 अतिदोहित एवं 49 क्रिटिकल विकास खण्ड हैं। उक्त विकास खण्डों के अतिदोहित/क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाने के कारण भूजल स्त्रोतों की निरंतरता को कायम रखना प्रदेश के कृषि विकास के लिए अति आवश्यकता है। अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि विकास खण्डों में भूगर्भ जल उपलब्धता की संकटग्रस्त स्थिति को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग योजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुधारा जाए। प्रदेश के 177 सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों को सुधारने के उपाय भी किये जाने होंगे, ताकि वह समय के साथ अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में आने से बचे रहें। दिन-प्रतिदिन भूजल के गहराते संकट के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन, भूजल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। योजनान्तर्गत सामुदायिक तालाबों का

पुनर्विकास एवं प्रबन्धन का कार्य भी किया जाना है। योजना के अन्तर्गत 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन किया जा रहा है।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना

प्रदेश में वर्षा जल के इष्टतम उपयोग तथा सिंचाई के साथ-साथ भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी क्षेत्रों में स्थानीय नदी/नालों पर चेकडैम बनाकर यह कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट प्राविधान रु. 4570.00 लाख के सापेक्ष 166 चेकडैमों का निर्माण किया गया।

4. डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप के निर्माण की योजना

डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम रु.4.02 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिए वास्तविक लागत का अधिकतम रु. 30000/- तथा उर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि रु.68000/- का अनुदान पृथक-पृथक देय है। इस प्रकार सामूहिक नलकूप (अनुसूचित जाति/जनजाति) के कृषक को अधिकतम रु.5.00 लाख अनुदान अनुमन्य है।

सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह हेतु नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 3.015 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 22500/- तथा उर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि रु.68000/- का अनुदान पृथक-पृथक देय है। इस प्रकार सामूहिक नलकूप (सामान्य जाति) के कृषक को अधिकतम रु. 3.92 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

5. लघु सिंचाई विभाग में विशेष उपकरणों का क्रय

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना में रु.50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी इस योजना में रु.50.00 लाख का बजट प्राविधान है।

6. बोरिंग गोदाम के निर्माण की योजना

लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यतः कृषकों की बोरिंग का कार्य कराया जाता है। यह बोरिंग कार्य विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं की देख-रेख में बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा कराया जाता है।

7. क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

लघु सिंचाई कार्यक्रम में हो रहे सर्वोन्मुखी विस्तार के दृष्टिगत प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था, जिसके लिये लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बक्शी का तालाब, जनपद

लखनऊ में स्थापित है, अपर्याप्त है। निरन्तर बढ़ते जा रहे संकटग्रस्त विकास खण्डों एवं भूजल परिदृश्य के गम्भीर हो जाने के परिणामस्वरूप वर्षा जल संचयन, सतही जल के इष्टतम् सदुपयोग एवं जल संरक्षण हेतु विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित करने तथा कृषकों को जल संरक्षण के प्रति जागरुक करने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन एवं बुन्देलखण्ड में एक-एक क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान परिकल्पित किया गया है।

8. लघु सिंचाई कार्यों की संगणना

लघु सिंचाई योजनाओं के विकास, नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु लघु सिंचाई योजनाओं से सम्बन्धित निश्चित, एकीकृत, तथ्यात्मक एवं सुदृढ़ आंकड़े होना आवश्यक है। जिसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व की भाँति केन्द्र पोषित "रेशनइलाइजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन स्टैटिस्टिक्स योजना" अन्तर्गत वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानकर लघु सिंचाई कार्यों की छठी संगणना कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें कृषि वर्ष 2017-18 अर्थात् जून 2018 तक स्थापित समस्त लघु सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित कर कार्य कराया जा रहा है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 2626.82 लाख का बजट प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना में रु. 2663.14 लाख का बजट प्राविधान है।

9. सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना

सौर ऊर्जाचालित नलकूपों को बढावा देने हेतु विभाग द्वारा सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना प्रस्तावित की गयी है। जिसके अन्तर्गत आफग्रिड सामूहिक नलकूपों पर 5 हार्स पावर के सोलर पम्पसेटों की स्थापना की जायेगी। प्रस्तावित योजना की इकाई लागत रु. 4.69 लाख है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

भूमिका

उत्तर प्रदेश समृद्ध जैव-विविधता और विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों से युक्त है, जो बागवानी फसलों के लिए आदर्श है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत फल, सब्जियां, फूलों की खेती, मसाले, औषधीय एवं सगन्ध फसलें शामिल हैं, जो न केवल प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी देने में महत्वपूर्ण हैं अपितु पोषण सुरक्षा, कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ राज्य के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। प्रदेश की अधिकांश जोत छोटी हैं जिनके लिए बागवानी फसलें वरदान स्वरूप हैं। बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण द्वारा न केवल तुड़ाई उपरान्त होने वाली क्षति में कमी आती है अपितु उत्पादक को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य प्राप्त होता है।

प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसलों में फलों के अन्तर्गत आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची, केला, कटहल, बेर, बेल, पपीता, खरबूजा, तरबूज आदि तथा शाक-भाजी फसलों के अन्तर्गत आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी वर्गीय सब्जियां, सब्जी मटर, परवल, कद्दूवर्गीय सब्जियां, सेम, ग्वार, लोबिया, फ्रेन्चबीन, प्याज, पत्तेवाली सब्जियां आदि, मसाले जैसे- धनिया, मेथी, लहसुन, हल्दी, अदरक, आदि, पुष्पीय फसलों में गुलाब, जरबेरा, ग्लैडियोलाई, रजनीगंधा, गेंदा आदि, सगंध फसलों में मेंथा, दमिश्क रोज, औषधीय फसलों में तुलसी, एलोवेरा (घृतकुमारी) आदि तथा अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन एवं पान की खेती आदि के संहत क्षेत्र विद्यमान हैं।

आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 30 से 35 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 6.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 158.11 लाख मीट्रिकटन आलू उत्पादन हुआ है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक सूचना के अनुसार 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 161.62 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन संभावित है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 6.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 163.00 लाख मीट्रिकटन आलू के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

राष्ट्र और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी फसलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास किया गया है। उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों को उगाकर, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और बागवानी क्षेत्र में 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त

करने के लिए मौजूदा क्षमता को विकसित करने हेतु कार्यक्रम तैयार किया जाये। बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में उभरी है क्योंकि बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अन्य फसलों की तुलना में उच्च उत्पादकता प्रदान करने का अन्तर्निहित लाभ है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय और रोजगार सृजन हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में फल और सब्जियों ने कृषि फसलों की तुलना में अधिक उपज और उच्च कीमतों के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन प्रदर्शित किया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेश में फल, शाक-भाजी, आलू, मसाले, पुष्प, सगंध आदि बागवानी फसलों के विकास, फल-सब्जी संरक्षण व खाद्य प्रसंस्करण विधियों के प्रचार-प्रसार के साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी, मेंथा, पान तथा मशरूम की खेती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

औद्यानिक योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य

- औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपलब्ध नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुंचाना तथा उनको अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल-चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुँचाना।
- वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।
- औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास कराना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कराकर उन्हें प्रभावी बनाना।
- फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
- बागवानी की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना तथा प्रायोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।
- सेवारत अधिकारियों/कर्मचरियों तथा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण देकर तकनीकी हस्तांतरण को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराना।
- क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकीप्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, बागवानी क्षेत्र को सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

रणनीति

- फल, शाक-भाजी तथा आलू की खेती में प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि।
- हाई वैल्यू फलों (आम, अमरूद, केला, स्ट्राबेरी, आंवला, लीची, अनार, शरीफा, नींबू प्रजाति

आदि) तथा शार्क-भाजी (टमाटर, हरी मटर, शिमला मिर्च, भिण्डी, गोभी कुल, लतावाली तथा अन्य प्रमुख सब्जियों) के उत्पादन पर समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा विशेष बल।

- बागवानी विकास के लिए चल रहे विभिन्न योजनाबद्ध कार्यक्रमों को आपस में सहक्रियाशील रूप से सहयोगी बनाना।
- निर्यात योग्य फलों, पुष्पों, मसाले तथा शाक-भाजी का संहत क्षेत्रों में विकास। इस हेतु विशिष्ट फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रों को चयनित कर उनके विकास की सुविधायें उपलब्ध कराना।
- उन्नत, शुद्ध तथा रोगमुक्त फलदार पौधे, उन्नतशील एवं प्रमाणित शाक-भाजी बीज, आधारीय एवं प्रमाणित आलू बीज के उत्पादन में वृद्धि इसमें कृषकों एवं बागवानों को भागीदार बनाना।
- प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में इस कोटि के कृषकों एवं लघु-सीमान्त कृषकों के खेतों में फल, शाक-भाजी एवं पुष्प विकास को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि कराना।
- जल संचयन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन की दृष्टि से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक ग्राह्य बनाना।
- औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
- फल एवं सब्जी का संरक्षण, मशरूम एवं पान उत्पादन, मौन-पालन, कुकरी व बेकरी में प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों का विकास।
- खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन एवं इकाइयों की स्थापना में वृद्धि कराना।
- अधिक आय देने वाली औद्यानिक फसलों में विविधीकरण कर आय एवं रोजगार में वृद्धि कराना।
- पुराने, अल्प उत्पादन तथा अनुत्पादक बागों का कैनोपी प्रबंधन एवं जीर्णोद्धार कराना।
- फसल तुड़ाई के उपरान्त हो रही क्षति को कम किये जाने हेतु तकनीकी हस्तान्तरण का कार्य।
- संरक्षित खेती, एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधक तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली की ग्राह्यता बढ़ाने के कार्यक्रम नियोजित कराना जिससे पर्यावरण, मृदा एवं उत्पाद की गुणवत्ता में पर्याप्त सुरक्षा हो सके।
- औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु सहकारिता के सिद्धान्त पर प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें क्रियाशील बनाना।
- कौशल विकास कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं को माली-प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना।

वर्तमान में विभाग द्वारा कृषकों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

- बागवानी, फसलों-फल, शाक-भाजी, मसाले, आलू एवं अलंकृत बागवानी के लिए उन्नत रोगरहित प्रमाणित रोपण सामग्री-पौध, बीज आदि लाभ-हानिरहित मूल्य पर उत्पादकों को उपलब्ध कराना।
- सघन फल विशेष के क्षेत्रों में घोषित फल-पट्टी (आम, अमरूद, आंवला) का सर्वांगीण विकास।
- औद्यानिक फसलों की खेती, बागों के रेखांकन, कीट-व्याधि के बचाव सम्बन्धी नवीनतम् तकनीक को उपलब्ध कराकर सहयोग देना।

- मौन-पालन, मशरूम की खेती तथा पान की खेती हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान की सुविधा।
- विभाग के अधीन राजकीय सामुदायिक फल-संरक्षण केन्द्रों पर फल-सब्जी संरक्षण कार्य के साथ ही विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण शिविरों का आयोजन करना।
- राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर फल संरक्षण, कुकरी व बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण की सुविधा।
- औद्यानिक फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की सुविधा।
- प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से उ0प्र0 राज्य औद्यानिक विपणन संघ (हॉफेड) के द्वारा श्रेणीकरण, संग्रहण, विपणन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- लाभार्थी कृषकों के लिए नवीनतम उत्पादन तकनीकों, पुराने बागों के कैनोपी प्रबंधन/जीर्णोद्धार, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन पर स्थानीय रूप से तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराना।
- विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित औद्यानिक फसलों के विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण तथा अनुदान की सुविधा लाभार्थी कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान/राज्य सहायता की सुविधा प्रदान करना।
- प्रदेश में असंगठित क्षेत्र की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण, नवीन तकनीक, ऋण एवं मार्केटिंग में सहयोग तथा पूंजीगत अनुदान दिये जाने की सुविधा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रस्तावित की गई है।

कार्य एवं प्रगति

औद्यानिक फसलों की खेती संवेदनशील होने के कारण निरंतर देख-रेख तथा कीट-व्याधि नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास अपेक्षित होता है। साथ ही अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु उच्चकोटि की रोगमुक्त रोपण सामग्री का भी विशेष महत्व है। विभाग राजकीय उत्पादन इकाइयों पर तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रजाति के रोगमुक्त पौधे, आलू, शाक-भाजी तथा मसालों के बीज उत्पादित कर लागत मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रदेश की अनुकूल एवं उपयुक्त जलवायु में लगभग सभी प्रकार की सब्जियों, विविध मसालों एवं आलू तथा आम, अमरूद, आंवला, कटहल, पपीता, केला, लीची, अनार, शरीफा आदि फलों की खेती की जाती है। लखनऊ की दशहरी, सफेदा तथा चौसा, सहारनपुर, मेरठ तथा बागपत का रटौल, गोरखपुर का गौरजीत, वाराणसी का लंगड़ा आम, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर तथा बदायूं का अमरूद तथा प्रतापगढ़ का आंवला अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण सारे देश में विख्यात हैं। लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी तथा अयोध्या जनपदों के सघन आम उत्पादक क्षेत्रों को आम फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रतापगढ़

में आंवला एवं कौशाम्बी तथा बदायूं जनपद में संहत क्षेत्रों को अमरूद की पट्टी घोषित किया जा चुका है। सब्जी उत्पादन में प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर गोभी, टमाटर, मटर, बैंगन, शलजम, मूली, पालक, भिण्डी, लौकी, कटहल, कद्दू, अरवी, मिर्च, लहसुन, प्याज का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है तथा प्रदेश से देश के दूसरे प्रांतों को भेजा जाता है। देश का लगभग 30 से 35 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है तथा यहाँ से आलू दूसरे प्रदेशों में विपणन होता है एवं दूसरे देशों में निर्यात भी होता है।

वाणिज्यिक फसलें

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 12 जनपदों यथा- उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, कानपुर नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1500 वर्ग मी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,51,360/- की 50 प्रतिशत धनराशि रु. 75,680 विभिन्न निवेशों पर देय है।

बागवानी तथा वनस्पति की फसलें (उद्यान घटक)

आलू-बीज उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आलू उत्पादकों को उच्चकोटि के रोगरहित आलू-बीज उपलब्ध कराकर प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में अभिवृद्धि कराना है। उ0प्र0 आलू के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू-बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है।

शाक-भाजी एवं मसाला विकास

कृषकों को उचित मूल्य पर आधारीय प्रमाणित/सत्य बीज (ट्रूथफुल लेवल) उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय राजकीय प्रक्षेत्रों/औद्यानिक इकाइयों पर रबी, खरीफ एवं जायद मौसम में विभिन्न प्रजातियों के शाक-भाजी बीजों के संवर्धन कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं।

प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सघनीकरण एवं बीज प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना

औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत सब्जियों का अधिक उत्पादन किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय बीज संवर्धन इकाइयों पर उन्नत प्रजाति के शाक-भाजी बीज उत्पादित कर कृषकों को लागत मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं। साथ ही उत्पादित शाक-भाजी बीज की प्रोसेसिंग हेतु दो बीज प्रोसेसिंग केन्द्र लखनऊ तथा बस्ती में स्थापित हैं।

पौध उत्पादन कार्यक्रम

प्रदेश के कृषकों को उनकी भूमि पर बाग स्थापित कराने के उद्देश्य से विभाग की राजकीय

पौधशालाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का उत्पादन जनपदों में संचालित पौधशालाओं से कराया जाता है। इन पौधशालाओं पर फलदार पौधों में मुख्यतः आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची एवं अन्य पौधों के साथ-साथ बीजू एवं शोभाकार पौधे तैयार कराये जाते हैं। उत्पादित पौधों का उपयोग विभाग में संचालित विभिन्न क्षेत्र विस्तार योजनाओं में रोपण कार्यक्रमों में एवं नकद बिक्री पर (बिना लाभ-हानि के लागत मूल्य पर) कृषकों को सुलभ कराया जाता है। विभाग की पौधशालाओं में विभिन्न फलदार पौधों की प्रजातियाँ जैसे-आम कलमी (दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, आम्रपाली, मल्लिका, नीलम इत्यादि) अमरूद कलमी (एल-49, इलाहाबाद सफेदा, एपिल कलर, सुर्खा, संगम इत्यादि) आंवला कलमी (एन-6,7,10 कंचन, कृष्णा, चकैया इत्यादि) लीची गूटी (शाही, कलकतिया, चाइना इत्यादि) के अतिरिक्त अन्य पौधों की विभिन्न प्रजातियों का उत्पादन कराया जाता है। इसी प्रकार बीजू पौधों में जैसे-पपीता, कटहल, करौंदा, बेर, नींबू इत्यादि के साथ-साथ शोभाकार पौधों जैसे-गुलाब, क्रोटन, बोगेनवेलिया, चाँदनी, मनोकामिनी इत्यादि पौधों का उत्पादन कराया जाता है।

नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम

पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित रहे। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान की सुविधा प्रदत्त कर नवीन उद्यानों का रोपण कराया जाता है जिसमें मुख्यतः फलदार (कलमी व बीजू पौधों) व कुछ शोभाकार पौधों का रोपण कार्य कराया जाता है जिससे प्रदेश के भू-भाग हरियाली से परिपूर्ण रहें तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखा जा सके।

फल-पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना

प्रदेश की भूमि एवं जलवायु फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के कतिपय जनपदों के क्षेत्र-विशेष फल-विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में फल-विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र-विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु फलपट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों आम, अमरूद एवं आवंला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी हैं। आम फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैज़ाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरूद फलपट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 02 विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु योजना का प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से किया गया है।

औषधीय जड़ी-बूटियों के विकास हेतु हर्बल गार्डेन की योजना

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2002-2003 में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय हो रही महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देना, उनको संरक्षित करना व उनके बीज/पौध-रोपण सामग्री का उत्पादन करना है ताकि महत्वपूर्ण औषधीय फसलों को संरक्षित किया जा सके और उनकी खेती में वृद्धि हो सके। दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् यह योजना जिला एवं मण्डलीय

कार्यालय की योजना में स्थानान्तरित हो गई है। यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रदेश के 18 जनपदों बाराबंकी, मथुरा, सोनभद्र, हरदोई, पीलीभीत, हमीरपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, बस्ती, मुजफ्फरनगर, महराजगंज, बलिया, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झांसी एवं अयोध्या में चलायी जा रही है। इस योजना में सतावर तथा सर्पगन्धा के क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल की इकाई पर फसल प्रदर्शन हेतु अनुदान क्रमशः रु.2500/- एवं रु.6250/- प्रति प्रदर्शन निवेश के रूप में लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्रों का विकास करने, पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने, माइक्रो क्लाइमेट में सुधार करने तथा भूमिगत जल में वृद्धि करने के साथ-साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में कम अवधि में फल देने वाले उद्यानों का रोपण कराया जाना सर्वथा अनुकूल विकल्प है।

उक्त के दृष्टिगत कृषकों एवं बागवानों द्वारा उनके क्षेत्र/जनपद की भूमि, जल संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार अपनी इच्छानुसार फलों का चयन करके उनके द्वारा स्वयं नवीन उद्यानों का रोपण किये जाने को प्रोत्साहित किये जाने की कार्ययोजना तैयार की गयी है। योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा उनके स्वयं के द्वारा रोपित उद्यानों के रख-रखाव के फलस्वरूप पौधों की जीवितता सुनिश्चित किये जाने पर प्रति माह निर्धारित धनराशि अनुदान/प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

पूर्व में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 से प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जनपदों में प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में राज्य औद्यानिक मिशन समिति का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860, संख्या 21 के अधीन 07.09.2005 को किया गया तथा जनपदों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जिला औद्यानिक मिशन समिति का पंजीकरण किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में प्रदेश के 14 जनपदों तथा वर्ष 2009-10 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 5 जनपदों यथा-ललितपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर एवं चित्रकूट में योजना को विस्तारित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2009-10 से यह योजना निम्नानुसार प्रदेश के चयनित 45 जनपदों में संचालित की जा रही है।

वर्तमान में यह योजना वर्ष 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के रूप में संचालित है। योजना से आच्छादित 45 जनपदों का विवरण निम्नवत हैः-

सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, एवं फर्रूखाबाद (प्रथम चरण के 26 चयनित जनपद) सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर नगर, अयोध्या, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर, एवं मुजफ्फरनगर, (द्वितीय चरण के 14 चयनित जनपद) महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर (तृतीय चरण के 05 चयनित जनपद)।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन)

प्रदेश में माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन'' के अन्तर्गत कार्यान्वयन किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.04.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से पर ड्राप मोर क्राप को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उपघटक के रूप में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल एजेन्सी नामित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश इस योजना के उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन'' का क्रियान्वयन विभाग है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक - (अ) ड्रिप सिंचाई (ब) स्प्रिंकलर सिंचाई (स) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण।

कार्यक्षेत्र - योजना का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं जिसमें प्रदेश के चिन्हित अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल विकासखण्ड, आकांक्षात्मक जनपद एवं विकासखण्ड, अटल भूजल, नमामि गंगे के आच्छादित जनपद बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र को केन्द्रित करने हुए क्रियान्वित किया जा रहा है।

आच्छादित फसलें - योजनान्तर्गत बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसलें सम्मिलित हैं जिसमें आम, आंवला, लीची, अमरूद, नीबू, शरीफा, अनार, केला, पपीता, आलू सभी प्रकार की शाक-भाजी फसलें, औषधीय, गन्ना एवं अन्य कृषि फसलें सम्मिलित हैं।

अनुमन्य पैटर्न - ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 12.07.2017 द्वारा 35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप-अप) के साथ लघु सीमान्त कृषकों को निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक लागू रही। योजनान्तर्गत आगामी वर्षों के लिए प्रस्तावित अनुदान पैटर्न विचाराधीन है।

राज्य में मुधमक्खी पालन की योजना

मधुमक्खी पालन या मौन पालन एक अत्यन्त लाभप्रद व्यवसाय है। मुधमक्खी एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ शहद का उत्पादन करती है। मधुमक्खियाँ मधु के अलावा मोम, प्रोपोलिस, रायल जेली तथा डंक विष प्रदान करती है एवं सभी औद्यानिक फसलों में पर-परागण कर पैदावार बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका निभाती है। पर-परागण प्रक्रिया के बाद फसलों का वजन बढ़ता है एवं पौष्टिकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रदेश के कृषकों एवं बागवानों को मौनपालन व्यावसायिक रूप से अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मौनपालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में निम्नांकित मौनपालन केन्द्र एवं उपकेन्द्र संचालित हैं-

(क) केन्द्र - 1. प्रयागराज 2. सहारनपुर 3. बस्ती 4. मुरादाबाद

(ख) उपकेन्द्र - 1. लखनऊ 2. प्रयागराज 3. गोरखपुर 4. आगरा 5. बरेली 6. वाराणसी 7. सुल्तानपुर 8. गाजीपुर 9. जौनपुर 10. अयोध्या 11. कानपुर नगर 12. आजमगढ़

बागवानी तथा वनस्पति की फसलें (खाद्य प्रसंस्करण घटक)

खाद्य प्रसंस्करण शाखा में संचालित योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण प्रसार सेवा

फल सब्जियों की वर्ष भर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन के समय ही

वैज्ञानिक विधियों से प्रसंस्कृत कराकर नष्ट होने से बचाया जा सकता है। प्रसंस्करण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन एक राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ एवं 10 राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017

कृषकों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना, कच्चे उत्पाद का मूल्य संवर्धन, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना, रोजगार के नये अवसर सृजित कराना, उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 शासनादेश दिनांक 27.10.2017 द्वारा घोषित की गयी है। योजना के दिशा-निर्देश व ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु वेब-पोर्टल का लोकार्पण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सुविधायें/रियायतें अनुमन्य हैं-

- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु.50.00 लाख तक पूंजीगत अनुदान।
- भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क/एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत निवेश अनुदान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का 10 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख की सीमा तक अतिरिक्त पूँजीगत निवेश अनुदान।
- सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर्स पार्टस हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज दर की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्षों तक।
- अन्य मध्यम एवं वृहद् इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर्स पार्टस हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की दर का 07 प्रतिशत या वास्तविक ब्याज जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति, अधिकतम रु.50 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति।
- रीफर वाहन के क्रय हेतु लिये गये ऋण की ब्याज दर पर 07 प्रतिशत अधिकतम रू0 50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जागरुकता, उद्यमिता के विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एवं इच्छुक अभ्यर्थी को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर इकाई स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख का अनुदान।
- गुणवत्ता सुधार एवं मानकीकरण यथा आई.एस.ओ. 14001, 22000 एच.ए.सी.सी.पी., सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी प्रमाणीकरण हेतु शुल्क एवं टेस्टिंग चार्जेज का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख की प्रतिपूर्ति।

- पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत का अधिकतम 1.50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- बाजार विकास हेतु सैम्पुल को विदेश भेजने के व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख की प्रतिपूर्ति।
- निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख प्रतिवर्ष 03 वर्षों तक।
- निर्यात हेतु एफ.ओ.बी. मूल्य का 20 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख प्रतिवर्ष 03 वर्षों तक।
- खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 05 लाख।

महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत ''महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना'' प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित लघु इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में संचालित की गयी। न्याय पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरुकता शिविर के आयोजनोपरान्त लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जागरुक करते हुए जनपद स्तर पर एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित लघु इकाई स्थापित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधाओं (यथा मसाला, बीड़ी,पापड़, चिप्स, आयल स्पेलर, दलहन-तिलहन, आटा चक्की, दुग्ध एवं फल-सब्जी प्रसंस्करण आदि) में तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ परियोजना प्रस्ताव निर्माण, वित्तीय प्रबन्धन एवं विपणन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)

प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित और अपंजीकृत क्षेत्र में संचालित सूक्ष्म उद्यमों जिनकी संख्या एक अनुमान के अनुसार लगभग 3.5 लाख है, के द्वारा इस क्षेत्र में कुल निवेश (मशीनरी और संयंत्र) का मात्र 7 प्रतिशत और कुल ऋण की मात्रा का 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस सेक्टर में 74 प्रतिशत रोजगार (जिसमें एक तिहाई महिलायें हैं), 12 प्रतिशत उत्पादन और 27 प्रतिशत मूल्य संवर्धन में योगदान दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र की लगभग 66 प्रतिशत इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और लगभग 80 प्रतिशत परिवार आधारित उद्यम हैं।

इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत एक व्यापक पैकेज के माध्यम से अखिल भारतीय केन्द्र पोषित, "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" (पी.एम.एफ.एम.ई.) प्रदेश सरकार के सहयोग से 60:40 साझेदारी से संचालित की जा रही है।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र

बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में उभरी है क्योंकि बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्रदेश के किसानों के उत्पादन बढ़ाने एवं उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम/गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती

पूर्वान्चल में बागवानी विकास के उद्देश्य से वर्ष 1956-57 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बागवानी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 30.96 हेक्टेयर है जो यहाँ की जलवायु में उगाये जाने वाले आम, अमरूद, केला, लीची, आँवला, नीबू, बेर, कटहल, बेल, आड़ू, नाशपाती तथा लोकाट आदि फलदार वृक्षों की लगभग 400 प्रजातियों के अतिरिक्त शोभाकार पौधों एवं सब्जी तथा मसाला की फसलों के अन्तर्गत आच्छादित हैं। केन्द्र पर एक प्रयोगशाला, बीज विधायन संयंत्र, मशरूम स्पान प्रयोगशाला, केन्द्रीय पौधशाला तथा आदर्श पौधशाला भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र के अधीन ही राजकीय संतति उद्यान, बंजरिया एवं फल उत्कृष्टता केन्द्र बंजरिया, बस्ती वर्ष 2017-18 में स्थापित हुआ, में 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सब्जी पौध उत्पादन तथा फल पौध उत्पादन का कार्य संचालित है। केन्द्र पर फसल एवं फसल विधि सुधार औद्यानिक फसलों के उत्पादन, पौधशाला प्रबन्धन, मौनपालन और मशरूम उत्पादन एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक आदि पर वर्ष भर प्रशिक्षण दिये जाने की अवस्थापना सुविधा है।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, (कम्पनी बाग) सहारनपुर वर्ष 1750 में स्थापित केन्द्र है। केन्द्र पर सन् 1950 में औद्यानिक फसलों के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य प्रारम्भ किये गये तथा वर्ष 1974 में यह केन्द्र उद्यान विभाग के गठन के उपरान्त विभाग को हस्तान्तरित हुआ। केन्द्र के स्वरूप को वर्ष 1976 में प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने एवं केन्द्र पर फल पौध उत्पादन हेतु पौधशाला की स्थापना कर दिये जाने के उपरान्त केन्द्र में पुराने औषधीय एवं वनस्पतिक वृक्षों के रख-रखाव के साथ-साथ फल पौध उत्पादन हेतु मातृ-वृक्षों का रोपण एवं अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बरूआसागर, झांसी

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बागवानी विकास के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस केन्द्र की स्थापना करायी गयी। प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित यह महत्वपूर्ण राजकीय बागवानी शोध केन्द्र है। इस केन्द्र का कुल क्षेत्रफल 60 एकड़ है, जो क्षेत्र की भूमि एवं जलवायु में उगाये जाने वाले फलों जैसे कागजी नींबू, किन्नो, ग्रेप फ्रूट, आंवला, अमरूद, करौंदा फलों के पौधों से आच्छदित है। इस केन्द्र पर फल-वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों का एक बड़ा संग्रह है।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र मलिहाबाद, लखनऊ

लखनऊ जनपद आम उत्पादन के लिये मुगल शासनकाल से ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विकास खण्ड माल, मलिहाबाद, काकोरी एवं बक्शी का तालाब आम फल विकास हेतु चयनित हैं। फलों के क्षेत्र में नवीन शोध एवं फल पौध उत्पादन में नवीन तकनीकी को विकसित कर बागवानों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी।

इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्यों में क्षेत्रीय आम उत्पादकों की समस्याओं पर शोध प्रयोग कर निराकरण, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से उद्यानपतियों को नवीन तकनीकी उपलब्ध कराना है तथा शुद्ध अनुवांशिक उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध उत्पादित कर कृषकों को वितरित कराना आदि प्रमुख

हैं। इस केन्द्र पर 72 से अधिक आम की प्रजातियों का जैविक संग्रह है, जिसमें स्थानीय चयनित एवं संकर प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। केन्द्र पर आम, अमरूद, आँवला, लीची व बेल के पौधों का स्थानीय जलवायु में उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए कलमी पौधे तैयार कर बागवानों/कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। केन्द्र पर प्रायोगिक/प्रशिक्षण कार्यों के अतिरिक्त लगभग 9.9 एकड़ में पौधशालाओं में पौध उत्पादन का कार्य किया जा रहा है तथा 9.9 एकड़ क्षेत्रफल में आम के बाग के विभिन्न प्रजातियों के मातृ फल वृक्षों के रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है।

राजकीय आलू अनुसंधान केन्द्र बाबूगढ़, हापुड़

राजकीय आलू अनुसंधान केन्द्र बाबूगढ़, हापुड़ की स्थापना वर्ष 1977 में की गयी थी। इस केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आलू की विभिन्न प्रजातियों पर शोध/प्रयोग /प्रजातियों का संरक्षण तथा कृषकों एवं विभागीय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना था, उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के आलू उत्पादकों को आलू की विभिन्न प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु आलू बीज का संबर्द्धन कार्य भी किया जाना था।

पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा

पान एक बहुवर्षीय फसल है। भारत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों यथा-थाईलैण्ड, फिलीपीन्स एवं इण्डोनेशिया में पान एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक फसल है। भारत में लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि में पान की व्यवसायिक खेती की जाती है। यह फसल कृषि एवं व्यापार से जुड़े लोगों के जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है।

भारत में पान मुख्य रूप से कर्नाटक, तलिमनाडु, उड़ीसा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती लगभग ढाई हजार हेक्टेयर में की जाती है। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में इसकी व्यवसायिक खेती की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से महोबा, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बाराबंकी प्रमुख हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पान के महत्व को देखते हुए 1981 में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ के फार्म पर महोबा-चरखारी रोड, महोबा जनपद में की गयी थी। जिसमें पान से सम्बन्धित शोध कार्य, प्रशिक्षण एवं कृषकों को तकनीकी जानकारी दी जाती है। महोबा में 800 बरेजों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे उत्पादित पान को प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में भी भेजा जाता है। केन्द्र पर प्रदेश के कृषकों के साथ अन्य प्रदेशों के कृषकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बरेजा निर्माण की तकनीकी, कटिंग, उपचार, रोग-कीट प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पान उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजिटेबिल उमर्दा, कन्नौज

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजिटेबिल उमर्दा, कन्नौज की स्थापना इण्डो-इजराइल कृषि परियोजना द्वारा स्वीकृत हुई। कृषि कुंभ लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अक्टूबर, 2018 को

इसका उद्घाटन किया गया। इस केन्द्र द्वारा आधुनिक तकनीक से सब्जी पौध उत्पादन तकनीक को अपनाकर कृषकों को विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध उपलब्ध कराना उद्देश्य है। हाईटेक पौधशाला द्वारा सब्जियों की गुणवत्तायुक्त पौध विषम परिस्थितियों में सर्दी, गर्मी, वर्षा, पाला के प्रभाव का बचाव करते हुये तैयार की जाती है। कृषकों को इसका बढ़ा लाभ मिल रहा है। अभी तक विभिन्न सब्जियों की 17.50 लाख से ज्यादा पौध तैयार कर कृषकों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। विगत तीन वर्षों में 5750 कृषकों को संरक्षित सब्जियों की खेती, पौध उत्पादन तकनीक के विभिन्न घटक पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जो कृषकों को बहुत उपयोगी रहा है।

विशेष योजनायें

आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना

बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गत वर्ष के उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि एवं बाजार भाव में 10 प्रतिशत की कमी होने पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा आलू क्रय मूल्य एवं अवधि निर्धारित करते हुये योजना की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007-08 से विभाग में प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक-पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014

प्रदेश में आलू की खेती के विकास, उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ''उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014'' का प्रख्यापन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है।

आलू विकास नीति के उद्देश्य-

1. आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना।
2. आलू गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित कराना।
3. आलू की खेती की आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना।
4. प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना।
5. बाजार विकास एवं प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित करना।
6. आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
7. उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास।

●

परती भूमि विकास

वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 (डब्लू.डी.सी.-पी.एम.के.एस.वाई. 2.0)

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम

उ.प्र. भूमि सुधार निगम का संक्षिप्त परिचय

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1978 को "उ.प्र. भूमि सुधार निगम" की स्थापना की गयी जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-25 के अन्तर्गत पंजीकृत उ.प्र. सरकार का उपक्रम है। निगम के पास विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में स्वयं का अपना मुख्यालय है तथा 10 जनपदों में स्वयं के जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित हैं। उ.प्र. भूमि सुधार निगम की स्थापना अपघटित भूमि के स्थायी सुधार तथा अकृष्य भूमि यथा-ऊसर, बंजर एवं बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व-बैंक के वित्त पोषण से उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन की निम्न परियोजनाएँ कृषकों के हित में सफलतापूर्वक संचालित की गयीं :-

1. **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-प्रथम** परियोजना वर्ष 1993-1999 तक संचालित की गयी, जिसमें कृषकों की 68413.800 हे. ऊसर भूमि का सुधार कर कृषकों की सहभागिता से कृषि योग्य बनाया गया।
2. **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-द्वितीय** परियोजना वर्ष 1999-2007 तक संचालित की गयी, जिसमें कृषकों की 189714 हे. ऊसर भूमि का सुधार कर कृषकों की सहभागिता से कृषि योग्य बनाया गया।
3. **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय** परियोजना वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2018 तक प्रदेश के ऊसर प्रभावित 32 जनपदों यथा अलीगढ़, बुन्लदशहर, प्रयागराज, कौशाम्बी, आजमगढ़, भदोही (संत रविदासनगर), एटा, कासगंज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज एवं वाराणसी में संचालित की गयी जिसमें 1.42 लाख हे. ऊसर भूमि का सुधार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के कार्यों का विवरण

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम द्वारा कृषि विभाग को 32 जनपदों में 7184.20 मै.टन

जिप्सम आपूर्ति की गयी।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा कृषि विभाग को 35 जनपदों में 11200.00 मै.टन जिप्सम आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास हेतु वित्त पोषित डी.पी.ए.पी. एवं आई.डब्लू.डी.पी. योजनाओं को वर्ष 2008-09 में बंद करते हुए पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण करने की अंतिम समय सीमा मार्च, 2013 निर्धारित करते हुए इन योजनाओं के स्थान पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लू. एम.पी.) की योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरम्भ की गयी है। इस कार्यक्रम को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.07.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में 2018-19 में परियोजना बन्द कर दी गयी है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने पर इन क्षेत्रों में गरीबी, जल की कमी, भू-जल स्तर में तेजी से गिरावट तथा कमजोर पारिस्थितिकीय प्रणालियों की भयावह स्थिति का पता चलेगा। वायु तथा जल के द्वारा मृदा के क्षरण के कारण भूमि का अवक्रमण, वर्षा जल के उपयोग की कम क्षमता, अधिक जनसंख्या का दबाव, चारे की अत्यधिक कमी, पशुधन से अत्यंत कम उत्पादन, जल उपयोग की क्षमता में कम निवेश, सुनिश्चित और लाभकारी विपणन अवसरों की कमी और कमजोर अवसंरचना सर्वोपकारी नीतियों की मुख्य चिन्ताएं हैं। अतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में चुनौती, सतत आधार पर आय, उत्पादकता को बढाने तथा जीविका की सुरक्षा हेतु एकीकृत कृषि प्रणालियों पर जोर देते हुये सहभागी वाटरशेड विकास के जरिये ग्रामीण जीविका साधनों में सुधार लाना है।

इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये नवम्बर 2006 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) का गठन किया गया है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार सभी सम्बन्धित मंत्रालयों, सम्बन्धित संस्थानों एवं एन.आर.ए.ए. के सहयोग से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (संशोधित-2011) पुनः संशोधित डब्लू.डी.सी.-पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 (2021-2022) तैयार किया गया है। जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं-

- **राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन**- राज्यों को अपने क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत इस मार्गदर्शी सिद्धान्त में निर्धारित किये गये मापदंडों के तहत वाटरशेड विकास परियोजनायें स्वीकृत करने तथा इनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के अधिकार दिये गये हैं।
- **समर्पित संस्थाएं**- वाटरशेड विकास कार्यक्रम के प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बहु-विधा सम्पन्न व्यवसायिक दलों से मुक्त समर्पित कार्यान्यवन एजेन्सियां स्थापित की गयी हैं।
- **समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता**- वाटरशेड परियोजनाओं का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये जिला तथा राज्यों पर संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

- **कार्यक्रम की अवधि**- कार्यक्षेत्र तथा प्रत्याशाओं में वृद्धि किए जाने के मद्देनजर परियोजना अवधि को तीन अलग-अलग चरणों अर्थात् प्रारम्भिक चरण, कार्यचरण तथा समेकन चरण में विभक्त किया गया तथा परियोजना की कार्यावधि 04 वर्ष से 05 वर्ष तक रखी गयी।
- **जीविका अभिमुखीकरण**- संरक्षण उपायों के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि तथा जीविका साधनों को विकसित करने की प्राथमिकता प्रदान की गयी।
- **सामूहिक पद्धति (क्लस्टर एप्रोच)**- सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्रों के समूहों को शामिल करके 5000 हेक्टेयर तक की औसत आकार की भूजलीय इकाइयों की परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था की गयी।
- **वैज्ञानिक आयोजना**- कार्यक्रम की आयोजना, निगरानी तथा मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर संवेदी, निविष्टियों को उपयोग में लाने पर विशेष बल दिया गया।
- **क्षमता निर्माण**- वाटरशेड विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और भागीदारों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक व्यवस्था की गयी।
- **बहुस्तरीय पद्धति**- शिखर से घाटी की ओर क्रमबद्ध पद्धति से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

वाटरशेड विकास दल (डब्लू०डी०टी०)

परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) स्तर पर वाटरशेड विकास दल (डब्लू.डी.टी.) का गठन किया गया है। वाटरशेड विकास दल में कृषि मृदा विज्ञान, जल प्रबन्धन, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात किये गये हैं।

वाटरशेड समिति (डब्लू०सी०)

वाटरशेड विकास दल (डब्लू.डी.टी.) की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वाटरशेड समिति **(डब्लू.सी.)** गठित की जाती है। ग्राम प्रधान को वाटरशेड समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है। वाटरशेड समिति के सचिव का चयन ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाता है, जो एक वैतनिक कार्यकर्ता है जोकि पंचायत के सचिव से पृथक है तथा इसका चयन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाता है। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होते हैं।

वाटरशेड परियोजना के चयन हेतु मानदण्ड

- पेयजल की अत्यधिक कमी।
- भू-जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि की अधिकता ।
- पहले ही विकसित/सुधार किये जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता।
- स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, समान सम्पत्ति संसाधनों को बांटने के लिये सामाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का वितरण करने तथा सृजित की गई परिसम्पत्तियों के

संचालन एवं रख-रखाव हेतु व्यवस्थायें करने के लिये ग्रामीण समुदाय की सहमति होना।

- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात।
- परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत शामिल नहीं होना चाहिये।
- भूमि की उत्पादन क्षमता।

वित्त पोषण

योजना के प्रारम्भ वर्ष 2009-10 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता रहा है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.03.2015 द्वारा वित्त पोषण के मानक में परिवर्तन करते हुये वित्तीय व ष ा ं 2015-16 में वित्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया गया है। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 2021-22 से रु. 22000 प्रति हे. की धनराशि अनुमन्य की गई है।

योजना का कार्यक्षेत्र

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में गरीबी, पेयजल की कमी, भू-जल स्तर में गिरावट, डार्क ब्लाक, ओवर एक्सप्लाईटेड क्षेत्र एवं कमजोर पारिस्थितिकीय संतुलन वाले क्षेत्रों हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.01.2022 द्वारा वाटरशेड विकास की 34 जनपदों क्रमशः कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर नगर, जौनपुर, बिजनौर, रामपुर, बुलन्दशहर, अमरोहा, महोबा, मैनपुरी, कुशीनगर, एटा, इटावा, देवरिया, चित्रकूट, कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, सोनभद्र, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, बदायूँ, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, बरेली, सम्भल, सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत एवं हापुड़ में 53 परियोजनायें जिनका क्षेत्रफल 2.64 लाख हे. लागत रु. 58071.42 लाख अवधि 4-5 वर्ष निर्धारित है, स्वीकृत की गयी है।

स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष प्रथम किस्त के फर्स्ट ट्रेन्च की धनराशि रु. 2177.67825 लाख की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त किया गया है। मुख्य सचिव उ. प्र. शासन/अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. द्वारा कृषि विभाग के भूमि संरक्षण इकाइयों को कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.ए.) के रूप में चयन किया गया है।

वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में पूर्व संचालित परियोजनाओं को फोर क्लोज करते हुये क्लोज्ड रिपोर्ट, इण्ड टर्म मूल्यांकन एवं कम्पलीशन रिपोर्ट एवं सी.ए. ऑडिट कराते हुये भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

●

ग्रामीण अभियन्त्रण

विभाग का परिचय एवं कार्य

स्थापना :

वर्ष-1972 04 अप्रैल, 1972 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का गठन सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में हुआ था।

वर्ष-1979 सामुदायिक विकास विभाग से पंचायतीराज विभाग के अलग होने पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत आ गया।

वर्ष-1993 लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से पृथक विभाग का गठन किया गया।

वर्ष-1997 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से पृथक विभाग का गठन किया गया।

वर्ष-2011 08 जुलाई, 2011 को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का नाम बदल कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कर दिया गया।

उद्देश्य :

1. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय विभागों के मार्गों एवं भवनों का निर्माण।
2. ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत समस्त निर्माण।
3. जिला प्रशासन एवं त्रिस्त्रीय पंचायती संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तकनीकी परामर्श एवं सहयोग।

बजट :

आयोजनागत (PLAN) मद में विभाग को कोई बजट प्राविधान नहीं है। अन्य शासकीय विभागों से डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। वेतन भत्तों एवं अन्य अधिष्ठान मदों में विभाग को लगभग रु. 575 करोड़ प्रति वर्ष प्राप्त होता है।

विभाग द्वारा वर्तमान में कराये जा रहे निर्माण कार्य :

1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण नई तकनीक एफ. डी.आर. से लगभग 667 मार्ग, लम्बाई 5270 किमी. का उच्चीकरण।
2. त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा में मार्गों का निर्माण।
3. अन्य योजनाओं के अंतर्गत मार्ग एवं भवनों का निर्माण विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल

एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि, बार्डर एरिया विकास योजना आदि के कार्य।

4. विभिन्न विभागों के भवनों का निर्माण पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, चिकित्सा विभाग, खेल कूद विभाग एवं कृषि विभाग आदि के कार्य।

गुणवत्ता नियंत्रण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्राविधान है।

प्रथम स्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण एवं निर्धारित मात्रा में गुणवत्ता परीक्षण।

द्वितीय स्तर स्टेट क्वालिटी मानिटर (SQM) द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता परीक्षण।

तृतीय स्तर नेशनल क्वालिटी मानिटर (NQM) द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता परीक्षण।

अन्य योजनायें :

अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी 3 स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्राविधान है।

प्रथम स्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं निर्धारित मात्रा में गुणवत्ता परीक्षण एवं जांच की जाती है, प्रत्येक मण्डल स्तर पर विभागीय प्रयोगशालायें भी स्थापित की गयी हैं।

द्वितीय स्तर शासन के अधीन गठित टेक्निकल आडिट सेल (TAC) द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं आडिट किया जाता है एवं शिकायतों की जांच की जाती है।

तृतीय स्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों के माध्यम से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है।

मापन योग्य (Measurable) एवं प्राप्त किये जा सकने वाले (Achievable) लक्ष्य (2022-23)

- वित्तीय लक्ष्य - 3860 करोड़
- भौतिक लक्ष्य

क्र.सं.	मद	संख्या	लम्बाई
1.	भवन निर्माण	2500	
2.	मार्ग निर्मण	8800	2650 किमी.
3.	पुलिया निर्माण	120	
4.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण	401	2318 किमी.

बेसिक शिक्षा

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :-

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 में लगभग 1.95 करोड़ छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं का वितरण कराया गया है।

डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खाते में धनराशि का हस्तान्तरण :-

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 में, प्रथम बार, प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता-मोजा की धनराशि पी.एफ.एम.एस.-डी.बी.टी. मॉड्यूल के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गई, जिससे लगभग 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुये हैं।

स्कूल चलो अभियान तथा छात्र नामांकन :-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत, **"सब पढ़ें, सब बढ़ें"** के संकल्प को पूरा करने के लिए विद्यालयों में बच्चों का शत्-प्रतिशत नामांकन कराया गया। **शारदा (स्कूल हर दिन आयें) "ऑनलाइन पोर्टल"** के माध्यम से प्रदेश के 'आउट ऑफ स्कूल'/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन करके उनका नामांकन कराया गया। शैक्षिक सत्र 2021-22 में, परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में लगभग 166.00 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा-12(1) ग के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन/प्रवेश :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा- 12(1) ग के अन्तर्गत सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन/प्रवेश कराया जाता है। शैक्षिक सत्र 2021-22 में 99,255 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय :-

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से कुल 5000 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित करने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के संचालन से परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है तथा विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में भी वृद्धि देखी गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 15000 परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया गया है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में लगभग 500 विद्यालयों में 'स्मार्ट क्लासरूम' स्थापना को भी लक्षित किया गया है।

वनटांगिया गाँव में स्कूलों का निर्माण :-

वनटांगिया गाँवों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से उन गाँवों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद महाजगंज के अवशेष 03 वनटांगियां ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों का संविलियन :-

एक ही परिवार में संचालित प्राथमिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का संविलियन किया जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल की सूचना के आधार पर अब तक कुल 24721 विद्यालयों का संविलियन कर कम्पोजिट विद्यालय बनाया गया है। जिससे बच्चों को बेहतर मूलभूत सुविधायें प्राप्त हो सकें तथा विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सके।

राज्य शिक्षक पुरस्कार :-

उ.प्र. सरकार द्वारा शिक्षक पुरस्कार-2021-22 के लिए प्रदेश के 73 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जाने के लिए चयनित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 75 एवं पुरस्कार धनराशि रु.10,000/- से बढ़ाकर रु. 25,000/- की गयी है।

निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया :-

प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने की पूर्व प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए, 'ऑनलाइन' माध्यम से किए जाने हेतु पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें मान्यता हेतु आवेदन किए जाने से प्रारम्भ कर मान्यता आदेश निर्गत किए जाने की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन सम्पादित की जाती है।

महत्त्वाकांक्षी जनपद :-

नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास दौड़ में पिछड़े 08 जनपदों (सोनभद्र, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली एवं फतेहपुर) को बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से विकास की दौड़ में अन्य जनपदों

के समान लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इन 08 महत्त्वाकांक्षी जनपदों में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कुल 17626 विद्यालय तथा लगभग 1,82,500 छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

समग्र शिक्षा

गुणवत्ता शिक्षा :-

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'निपुण भारत मिशन' के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा-3 तक सभी बच्चों में पढ़ने-लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं :-

1. **'निपुण भारत मिशन' का लक्ष्य :-** कक्षा 1 से 3 के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'निपुण लक्ष्य' निर्धारित किया गया है, जिसे वर्ष 2025-26 तक 100 प्रतिशत बच्चों में हासिल कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. **ई-पाठशाला का संचालन :-** कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा-1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिये बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा "मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला" के अन्तर्गत गतिविधियों का संचालन किया गया।
3. **100 Days Reading Campaign का संचालन :-** बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने, पठन अभियान के लिये रणनीति तैयार करने, पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता एवं रीडिंग कैम्पेन के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा 100 Days Reading Campaign का संचालन किया गया।
4. **गणित किट :-** प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए NCERT द्वारा विकसित गणित किट उपलब्ध करायी गयी है। गणित किट का उपयोग छात्रों को गणितीय प्रक्रिया कौशल को समझने, तर्क करने और जोड़ने के कौशल, कम्प्यूटेशनल सोच के विकास में सहायक एवं प्रभावी सिद्ध होगा।
5. **पुस्तकालय :-** एन.बी.टी., नई दिल्ली के माध्यम से समस्त प्राथमिक विद्यालयों को 39 पुस्तकों के सेट्स एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 50 पुस्तकों के सेट्स उपलब्ध कराये जाने हेतु क्रयादेश निर्गत किया गया। तत्क्रम में एन.बी.टी. नई दिल्ली द्वारा जनपदों को उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।
6. **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम :-** उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग करने, विवेकपूर्ण तार्किकता और परीक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्यालयों में जिज्ञासा-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया।

7. **शिक्षक संकुल** :- निपुण भारत मिशन को जन आन्दोलन बनाने एवं प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं विद्यालयों के प्रदर्शन को उत्कृष्ट बनाने के लिये न्याय पंचायत में कार्यरत नवाचारी व बेहतर प्रयास करने वाले पाँच शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर प्रति न्याय पंचायत में 5 'शिक्षक संकुल' के द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों के साथ मासिक बैठक की जा रही है, जिसके अंतर्गत बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रेक्टिसेज को साझा करते हुए सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन किया जा रहा है।

8. **सपोर्टिव सुपरविजन** :- निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 05 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) 01 डायट मेंटर एवं जनपद स्तर पर 3 एस.आर.जी. की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। तद्नुसार ए.आर.पी. द्वारा 30, एस.आर.जी. द्वारा 20 एवं डायट मेन्टर्स द्वारा 10 विद्यालयों का प्रतिमाह सपोर्टिव सुपरविजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि कक्षा-कक्ष रूपान्तरण के साथ ही निपुण लक्ष्य की प्राप्ति एवं बच्चों में कक्षावार दक्षतायें सुनिश्चित की जा सकें। वर्ष 2021-22 में औसत प्रतिमाह 125360 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन किया गया।

9. **शिक्षक प्रशिक्षण** :- समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा बच्चों में बुनियादी भाषायी कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास खण्ड स्तर पर कुल प्रस्तावित 482826 शिक्षकों के सापेक्ष कुल 344026 शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया।

10. **दीक्षा कार्यक्रम** :- "दीक्षा" मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लांच किया गया राष्ट्रीय ई-लर्निंग प्लेटफार्म पाठ्यक्रम आधारित पोर्टल है।

प्री-प्राइमरी :-

- नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए विद्यालय तैयारी माड्यूल पर 1.09 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- अवशेष 16,000 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को ई.सी.सी.ई. मैन्युअल पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- समुदाय जागरूकता के अन्तर्गत 'हमारा आंगन हमारे बच्चे' कार्यक्रम विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 45,000 अभिभावकों, समुदाय, जनप्रतिनिधियों आदि द्वारा प्रतिभाग करते हुए कार्यक्रम सम्पादित किया गया।
- 18 मण्डलों में पायलेट के रूप में 19 बालवाटिका/गतिविधि कक्षा-कक्ष जनसहयोग स्थापित किये गये हैं, जिनका उपयोग कक्षा-1 एवं को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों के आयुवर्ग 5-6 वर्ष द्वारा किया जा रहा है।

ऑपरेशन कायाकल्प :-

- ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से विद्यालयों को

आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने हेतु शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय/मूत्रालय में नल-जल आपूर्ति, शौचालय/मूत्रालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट कक्षा-कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट्ट, रसोईघर, विद्यालय की समुचित रंगाई-पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, कक्षा-कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन, संतृप्तीकरण कराया जा रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालय :-

- **बालिका शिक्षा-** प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुये 746 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थायी व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में के.जी.बी.वी. में कुल 79600 बालिकाएं पंजीकृत हैं। इन बालिकाओं को कक्षा 6 से 12 तक शिक्षित करने के साथ-साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, खेल गतिविधियां, एक्सपोजन विजिट, गाइड प्रशिक्षण, सिलाई और कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

के.जी.बी.वी. में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नवाचार :-

- उत्तर प्रदेश के सभी के.जी.बी.वी. में खान एकेडमी द्वारा जून-जुलाई 2021 में गणित विषय के अभ्यास कार्यों का क्रियान्वयन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को गणित विषय में दक्ष बनाना है। इसके अन्तर्गत गणित के सभी शिक्षकों को खान एकेडमी के प्लेटफार्म को किस प्रकार उपयोग करना है इसका प्रशिक्षण दिया गया।
- इस प्रशिक्षण में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा समस्त के.जी.बी.वी. वार्डेन का अलग से भी प्रशिक्षण किया गया, जिसका परिणाम है कि वर्तमान में शिक्षक खान एकेडमी की गणित सामग्री का उपयोग कक्षा 06 से 08 के लिए हिन्दी माध्यम (https://www-hi-khanacademy-org) में कर रहे हैं।
- इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को गणित विषय में मजबूत आधारभूत कौशल से लैस करना है। के.जी.बी.वी. की बालिकाएं खान एकेडमी की वेबसाइट पर अपने शिक्षक द्वारा सौंपे गये कार्यों पर अभ्यास करती हैं।

आईआईटी गांधीनगर, गुजरात के सहयोग से मनोरंजन के साथ विज्ञान सीखने के लिए अनुभवात्मक तरीके से विज्ञान पढ़ाने के लिए जिज्ञासा कार्यक्रम :-

- विज्ञान विषय को आकर्षक, आनंदमय और वैचारिक बनाने के लिए आईआईटी गांधीनगर में गत वर्ष 2017 में स्थापित सेन्टर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (सी.सी.एल.) के द्वारा रोचक गतिविधियों को समाहित करते हुये यह कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। पिछले 4 वर्षों में सीसीएल ने 1000 गतिविधियों का निर्माण किया है, 10,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है और देश भर के 50,000 छात्रों के साथ काम किया है।

- **मीना मंचों का गठन और पावर एंजल का क्षमता निर्माण-** राज्य के सभी 746 के.जी. बी.वी. में मीना मंचों का गठन किया गया है। मीना मंच बालिकाओं के लिए अपने विचार व्यक्त करने, उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और उनकी किशोरावस्था से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा करने का मंच है। मीना मंच की एक सक्रिय बालिका को पावर एंजिल के रूप में चुना जा रहा है। पावर एंजिल बालिकाओं की समस्याओं को सुनने और उन्हें उचित मंच पर उठाने के लिए तत्पर रहती हैं।

समेकित शिक्षा-

- समर्थ तकनीकी प्रणाली के अन्तर्गत 2.68 लाख दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन किया गया है।
- एलिम्को, कानपुर के सहयोग से जनपदों में 20919 दिव्यांग बच्चों को उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये।
- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जनपदों में 802 मेडिकल एसेसमेंट कैम्प के माध्यम से 25759 दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाये गये।
- समेकित शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की कुल 2808 पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।
- समेकित शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक की कुल 3474 सेट पाठ्य पुस्तकों के इनलार्ज प्रिंट में मुद्रण कराये गये।
- कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 2700 पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल स्टेशनरी एवं कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत 3586 अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को लो विजन किट उपलब्ध कराये गये।
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की 9424 विशिष्ट आवश्यकता वाली दिव्यांग बालिकाओं को डी.बी.टी. के माध्यम से स्टाइपेण्ड उपलब्ध कराया गया।
- कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत 86295 दिव्यांग बच्चों (पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को छोड़कर) हेतु भाषा एवं गणित विषय की सुगम्य वर्कशीट का वितरण जनपदों में कराया गया।
- होम बेस्ड एजूकेशन के अन्तर्गत 6487 गम्भीर रूप से बहुदिव्यांग आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लर्निंग मैटेरियल उपलब्ध कराये गये।
- समेकित शिक्षा के अन्तर्गत 2013 स्पेशल एजूकेटर्स के द्वारा दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) क्रय तैयार की गयी।

माध्यमिक शिक्षा

विभाग की प्रमुख योजनाएं :-

माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। किशोर बालक/बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 27892 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 2357 राजकीय, 4512 अशासकीय तथा 21023 वित्त विहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं।

1- बालिका शिक्षा संबंधी योजनायें :-

माध्यमिक शिक्षा में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :-

(अ) असेवित विकासखण्डों में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 तक निर्धारित मानक के पूर्ण करने पर कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये निजी प्रबन्ध तन्त्र को रु. 5-5 लाख की दो समान किश्तों में रु. 10 लाख अनावर्तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की।

सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 से अनावर्तक अनुदान को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दिया गया जिसके अन्तर्गत रु. 10-10 लाख की दो समान किश्तों में धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

(ब) एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय हेतु अनावर्तक अनुदान :-

उक्त योजनान्तर्गत एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु रु. 20.00 लाख की दर से (दो समान किश्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।

2- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना संबंधी योजनायें :-

(अ) माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि, भवन क्रय योजना :-

उक्त के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तक 10 विद्यालयों में निर्माण कार्य, कराया गया था। वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु. 10000.00 लाख का बजट प्राविधान था। वर्ष 2022-23 में रु. 10000.00 लाख प्रावधान है।

(ब) जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण :-

क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, गोरखपुर, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती तथा कन्नौज, सुल्तानपुर एवं शामली के जनपदीय कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

3- उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना :-

प्रदेश में योजना का आरम्भ - 1989-90 चयनित विद्यालयों की संख्या -892

4- समग्र शिक्षा अभियान :-

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित दूरी पर माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता-विकास तथा सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण का आयोजन है।

5- माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के ऑन लाइन अग्रिम पंजीकरण :-

तद्नुसार वर्ष 2016-17 से प्रदेश के समस्त जनपदों में कक्षा-9 एवं कक्षा-11 के छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन पद्धति से की जा रही है।

6- माध्यमिक शिक्षा परिषद् से ऑनलाइन मान्यता प्रदान किया जाना :-

वर्ष 2017-18 से माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर मान्यता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

7- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय :-

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा अप्रैल, 2017 से अब तक अशासकीय सहायता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालयों में 505 संस्था, 5226 प्रवक्ता एवं 25249 प्रशिक्षित स्नातक कुल 30980 अभ्यर्थियों के पदों पर चयन किया गया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग उपलब्धियों का विवरण :-

1- विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण-श्रेणीकरण हेतु पोर्टल परख विकसित :-

शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं की नियमित जानकारी प्राप्त कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए परख पोर्टल विकसित किया गया है।

2- ई-लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान विकसित :-

विद्यार्थियों और जन सामान्य को सहजतापूर्वक सम-सामयिक एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ई लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान और मोबाइल एप विकसित किया गया है। पोर्टल पर इ-पुस्तकों के विशाल संग्रह के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं, उद्यमिता व स्टार्ट-अप, एन.आई.सी. ई-ग्रन्थालय एवं उ.प्र. लाइब्रेरी नेटवर्क की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है और उपयोगकर्ता मोबाइल एप में अपने स्वयं के एकाउण्ट में ई-पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं।

3- विद्यालयों की वेबपेज/वेबसाइट निर्माण हेतु पोर्टल परिचय प्रारम्भ :-

अभिभावकों एवं जन सामान्य को विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी की सुलभता के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों का वेबपेज/वेबसाइट निर्माण प्रारम्भ किया गया।

4- असेवित बस्ती का चिन्हीकरण (स्कूल मैपिंग) हेतु पोर्टल पहुँच विकसित :-

विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं संतृप्तीकरण हेतु असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण करने के लिए स्कूल मैपिंग साफ्टवेयर और पोर्टल पहुँच भाष्कराचार्य नेशनल इन्स्टीट्यूट फार स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जिओ इन्फारमेटिक्स (BISAG) गांधीनगर गुजरात के सहयोग से विकसित किया गया है।

5- विद्यार्थियों की करियर काउन्सिलिंग हेतु पोर्टल पंख विकसित :-

विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं, रूचि और रूझान से मेल खाने वाले विभिन्न करियर पथ का चयन करने और उन्हें कालेज, छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम, इन्टर्नशिप और शिक्षा के विषय में उपलब्ध विकल्पों के बारे में बेहतर सलाह प्रदान करने के लिए करियर पोर्टल पंख विकसित किया गया है।

6- राजकीय विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब रेडी स्किल्स के लिए कौशल विकास मिशन के साथ प्रोजेक्ट प्रवीण संचालन हेतु अनुबन्ध (एम.ओ.यू.) :-

माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त सहयोग से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से जॉब रेडी स्किल्स के विकास के लिए प्रत्येक कार्यदिवस में विद्यालय अवधि में निःशुल्क सर्टिफिकेशन कोर्स संचालित किया जायेगा।

7- राजकीय विद्यालय में वाई-फाई की सुविधा प्रारम्भ :-

विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री, ई-कन्टेंट, विभिन्न सम-सामयिक विषयों पर सामग्री, प्रोजेक्ट्स आदि के ऑनलाइन अध्ययन हेतु लक्षित सभी 2273 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा प्रारम्भ हो गयी है। इससे विद्यालयों में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को बाधारहित रूप से संचालित किया जा सकेगा तथा सुचारू शैक्षिक अनुश्रवण एवं प्रशासनिक प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

8- विद्यार्थियों की ईमेल आई.डी. सृजन प्रारम्भ :-

डिजिटल लिट्रेसी के लिए माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ई-मेल आई.डी. का सृजन प्रारम्भ किया गया है। इसके प्रयोग की क्षमता विकसित होने से विद्यार्थियों को सूचना/जानकारी के आदान-प्रदान में सुलभता तथा समय की बचत होगी तथा विभाग द्वारा भी विद्यार्थियों के साथ शैक्षिक और विभिन्न उपयोगी जानकारियाँ प्रदान करने हेतु संवाद किया जा सकेगा।

9- राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापना प्रारम्भ :-

राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करने के लिए लक्षित सभी 2273 राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंन्डेन्स डिवाइस

स्थापित हो गयी है। ऑन लाइन दैनिक उपस्थिति से विद्यालयों में पठन-पाठन नियमित होगा और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि होगी।

10- विद्यालय भवन नवीन मानकीकरण की कार्ययोजना विकसित :-

प्रदेश की राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज के भवन निर्माण हेतु मानकीकृत आगणन एवं मानचित्र में अप्रासांगिक/अनुपयुक्त/अनुपयोगी मदों को हटाकर समय-समय पर किये गये नीतिगत परिवर्तनों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुसंशाओं के दृष्टिगत राजकीय विद्यालय भवन के मानचित्र व आगणन का नवीन मानकीकरण किया गया है।

11- अध्यापक पुरस्कार हेतु मानकों में संशोधन की कार्ययोजना विकसित :-

अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रचलित नीति को और अधिक प्रासंगिक एवं आकलन के मानकों को युक्तिसंगत बनाने, अध्यापकों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये विषयवार/वर्गवार पुरस्कारों की संख्या निर्धारित करने के लिए पुरस्कृत हेतु प्रक्रिया एवं मानकों में संशोधन किया गया है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विषय/वर्ग के अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

12- 39 हाईस्कूल तथा 14 इण्टर कालेज का निर्माण प्रारम्भ :-

असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापरक वहनीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 39 नवीन हाईस्कूल और 14 नवीन इण्टर कालेज का निर्माण किया जा रहा है।

13- प्रोजेक्ट अलंकार-विद्यालयों की संसाधन मैपिंग :-

माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक संसाधनों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण व नियोजन कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय की धारण क्षमता में वृद्धि तथा अन्यान्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के संसाधनों की मैपिंग की गयी है। तद्नुसार चरणबद्ध तरीके से अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार एवं अनुरक्षण किया जायेगा।

14- 65 बालिका छात्रावास संचालन :-

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाली वंचित समूह की लगभग 6500 छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 65 बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

15- 84 निर्मित विद्यालयों का संचालन :-

असेवित क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए 84 नवीन राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण करके संचालन प्रारम्भ किया गया है। इन विद्यालयों के संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 46,200 छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक वहनीय माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी।

16- नवीन स्कूल निर्माण कार्ययोजना विकसित :-

नवीन विद्यालय स्थापना की कार्ययोजना आवश्यकताओं के आकलन, प्राथमिकताओं के निर्धारण और चरण बद्ध विद्यालय निर्माण के नियोजन में उपयोगी होगी।

17- नवीन विद्यालय मान्यता की संशोधित व्यवस्था :-

नवीन व्यवस्था में स्कूली शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिपेक्ष्य में मान और मानकों की व्यवस्था पर बल प्रदान किया गया है।

18- शिक्षकों/अधिकारियों के रिक्त पद अधियाचित/प्रोन्नति :-

विद्यालयों में पठन-पाठन के प्रभावी और जवाबदेह वातावरण सृजित करने के लिए में शिक्षकों के रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन एवं पदोन्नति के माध्यम से उपलब्धता के लिए सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया तथा पदोन्नति की गयी है।

19- सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन प्रक्रिया का निर्धारण :-

सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया तैयार की गयी है। इससे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों का समयबद्ध चयन सुनिश्चित होगा और शिक्षकों की उपलब्धता हो जाने से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

●

उच्च शिक्षा

सार्वभौमिक उच्च शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। भारत द्वारा अपनाये गये सतत विकास एजेण्डा 2030 के लक्ष्य-4 में परिलक्षित वैश्विक विकास एजेण्डा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सभी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए उक्त लक्ष्यानुसार मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाये गये हैं।

वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित भूमिकाएं स्वीकार्य है :-

1. बहुसंस्कृतिवादी मूल्यों की अवस्थापना एवं नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करना।
2. वैश्विक प्रतिस्पर्धानुकूल शिक्षा हेतु तकनीक के यथा सम्भव उपयोग पर जोर।
3. वैश्विक पटल पर अंकित उच्च शिक्षा केन्द्रों व संस्थाओं की नवीनतम अध्ययन पद्धति, पाठ्यक्रम व शोध संबंधी उपलब्धियों को संकलित कर उनका विश्लेषण व संवर्धन करना।
4. राष्ट्रीय चेतना, अस्तित्वबोध समरसता, धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केन्द्र में रखते हुए राष्ट्र समर्पित पीढ़ी तैयार करना।
5. समानता व न्याय से संपृक्त मूल्यों को संवर्धित करने वाली शिक्षा पद्धति स्थापित करना।
6. शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरन्तर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा।
7. बहुविषयक ज्ञान के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास।

उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कटिबद्ध व तत्पर है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च

शिक्षा की संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाय, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी और उनका देश की समृद्धि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए रोजगापरक पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है साथ ही निरोग रहने रहने हेतु योग को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय शासन विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, ई-पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा सूचना क्रान्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था, वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना पर बल दे रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नये महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए मानक निर्धारित किये गये हैं।

राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण

प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में केवल तीन राजकीय महाविद्यालय संचालित थे जिनकी संख्या बढ़कर 172 हो गई है। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के 85 राजकीय महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं हेतु स्वीकृत अनुदान में से 78 महविद्यालयों को पूरा अनुदान प्राप्त कर लिया गया है/प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार प्रदेश में नवनिर्मित 26 राजकीय मॉडल महाविद्यालयों का शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है तथा इन सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

12 राज्य विश्वविद्यालयों में से 10 विश्वविद्यालयों को पूरा अनुदान प्राप्त कर लिया गया है। 02 विश्वविद्यालय प्रक्रियाधीन है। प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रयोगशालाओं, मीडिया सेन्टर, स्पोर्ट सेन्टर, बायोटेक्नालोजी पार्क, स्मार्ट/डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के साथ-साथ नये संकायों के शिक्षण कक्षों का निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है, अनुदान के उपरान्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज

ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1864 में इस पुस्तकालय की स्थापना तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गर्वनर की स्वीकृति से की गयी थी। वर्तमान पब्लिक लाइब्रेरी भवन, जो कि गोथिक स्थापत्य शैली

का उत्कृष्ट उदाहरण है, का निर्माण 1864 में आरम्भ हुआ तथा 1878 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन का वास्तविक नाम थार्नहिल मायने मेमोरियल है। उत्तर प्रदेश को उस दौरान नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऑफ अवध के नाम से जाना जाता था तथा इसके विधान मण्डल ''लेजिस्टलेटिव काउन्सिल फॉर द नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऑफ अवध'' की प्रथम तथा अन्य 13 बैठकें इस पुस्तकालय भवन में सम्पन्न हुईं। पुस्तकालय के 100 वर्ष पूरे होने पर इसके शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सम्बोधन में गंगा, जमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी के समान इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज को आधुनिक त्रिवेणी की संज्ञा प्रदान की थी।

पुस्तक संग्रह

पुस्तकालय का संग्रह पुस्तकालय भवन की भांति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री के साथ ही नवीन पुस्तकों का ऐसा विपुल भण्डार है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेंच व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत शृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों पर लगभग 1.25 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय द्वारा अर्जित महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों की चुनौतियों के बावजूद विगत वर्षों में इस पुस्तकालय की पाठक संख्या में प्रति वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है तथा वर्तमान समय में यह उत्तर भारत के सर्वाधिक पाठक संख्या वाले पुस्तकालयों में से एक है।
- प्रसिद्ध ऑनलाइन जर्नल ''द सिटीजन'' द्वारा जारी विवरण के अनुसार यह पुस्तकालय देश के दस सर्वाधिक सुन्दर पुस्तकालयों में शामिल है।
- इण्डिया टुडे द्वारा जारी ऑनलाइन रिपोर्ट में इस पुस्तकालय को देश में छठवां स्थान प्राप्त है।
- विश्वविद्यालय ऑनलाइन ज्ञानकोश विकीपीडिया द्वारा इस पुस्तकालय को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।
- विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सूचना डायरेक्टरी ''यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग'' द्वारा भी इस पुस्तकालय को स्थान प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रदेश में भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 1969-70 में प्रथम बार लागू की गयी। सर्वप्रथम यह योजना स्नातक स्तर के 2500 छात्र/छात्राओं पर लागू की गई जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु. 250/- प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रमों के लिए रु. 450/- प्रति छात्र सात दिवसीय विशेष शिविर हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन के लिए सचिवालय स्तर पर एक कोष्ठक का

पुनर्गठन किया गया है जिसका शतप्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में रु. 106.18 लाख की व्यवस्था की गई है।

नई पेंशन योजना :- (01.04.2005 से प्रभावी)

वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2010 से दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर राज्य कर्मचारियों की भांति नव परिभाषित पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 ने शासनादेश दिनांक 21.03.2012 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिससे नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों/कार्मिकों का पंजीकरण कर नियमानुसार कटौतियां प्रारम्भ की जा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र०, प्रयागराज को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी का पंजीकरण हो गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21.03.2012 के द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को (जो आहरण/वितरण अधिकारी भी हैं) अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल में अपलोड करने हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को आहरण/वितरण अधिकारी सह भुगतान अधिकारी के रूप में पंजीकरण करा दिया गया है। वे अपने स्तर से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेत्तर के पी.आर.ए.एन. आवंटित कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा माह दिसम्बर, 2021 तक 7293 शिक्षकों/कर्मचारियों को पी.आर.ए.एन., एन.एस.डी.एल. के माध्यम से अद्यावधि आवंटित कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के राजकीय अंशदान हेतु रु. 8500.00 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ऐसे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जिनके प्रॉन आवंटित हो चुके हैं के वेतन से नई पेंशन योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 से कटौती भी प्रारम्भ हो चुकी है।

शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर, 2010 द्वारा शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी कर्मचारी, जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसी समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01.04.2005 के पूर्व शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग पत्र देकर नियुक्त होते हैं तो ये उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे, जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01.04.2005 के पूर्व आच्छादित थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई पेंशन योजना में निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर- 1 खाते में अंशदान हेतु रु. 8500.00 लाख तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर-1 खाते में अंशदान हेतु रु. 2500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

उच्च्व शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

1. प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके विकास कार्य का दायित्व।
2. प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
3. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के अन्तर्गत संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
4. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से शासन-व्यवस्था हेतु प्रबन्धतन्त्र को नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु नाम प्रेषित करना।
5. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं अन्तिम भुगतान की स्वीकृति ।
6. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करना।
7. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वादों का निस्तारण कराना।
8. विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन।
9. शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।
10. महाविद्यालयों में उद्घाटित प्रबन्धकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं का निवारण।
11. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
12. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित करते हुये अनुज्ञा प्रदान करना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।

उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित किए जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण

क. अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य

1. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।

2. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नये पदों के सृजन सम्बन्धी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण, पदों का स्थायीकरण तथा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण।
3. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण।
4. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेन्शन की स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान।
5. महाविद्यालयों का आडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जांच कराना, विभिन्न स्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच कराना तथा तद्नुसार कार्यवाही कराना।
6. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
7. महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना।
8. संसूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची (अधियाचन) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
9 उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था कर अभ्यर्थियों का नाम प्रबन्धतंत्र को नियुक्ति हेतु प्रेषित करना।
10. बर्सर, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कैटलागर के पदों की नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदान करना।
11. महाविद्यालयों के शिक्षकों के एकल स्थानान्तरण से सम्बन्धित कार्य।

ख. राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य

1. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
2. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों से सम्बंधित शिकायतों की जांच एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्यवाही ।
3. राजकीय महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती/ स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
4. नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालयों का खोला जाना।
5. शिक्षकों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
6. शिक्षकों/कर्मचारियों को भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम की स्वीकृति। सेवानिवृत्ति के उपरान्त जी०पी०एफ० की धनराशि का 90 प्रतिशत निदेशालय से स्वीकृत किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत की धनराशि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा स्वीकृत होता है।
7. राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों/शिक्षकों के पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन को अग्रसारित किया जाना।

8. महाविद्यालयों के विकास हेतु आवर्तक/अनावर्तक अनुदान के आवंटन आदेश निर्गत करना।
9. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों यथा- शिक्षकों, बर्सरों, कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, उपपुस्तकालयाध्यक्षों तथा को-आर्डिनेटरों आदि के वेतन निर्धारण का कार्य किया जाता है।
10. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

ग. प्रशासनिक कार्य

1. महाविद्यालयों से सम्बन्धित न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी।
2. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना।
3. उच्च शिक्षा का वार्षिक बजट तैयार करना।
4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से सम्बन्धित पेन्शन कार्य।
5. महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स के कार्यक्रमों का संचालन।
6. राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना एवं उनसे सम्बन्धित विधान मण्डल में उठाये गये प्रश्नों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
7. निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान दिये जाने सम्बन्धी कार्य।

●

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा के नियोजित, क्रमवद्ध एवं समन्वित विकास तथा अभियांत्रिकी, प्रबन्धन एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव-शक्ति तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1961 में उद्योग विभाग से पृथक् कर स्वतंत्र रूप से प्राविधिक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं :-

1. विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 149 राजकीय पॉलीटेक्निक (निजी क्षेत्र की सहभागिता से पी. पी.पी. मोड पर संचालित 02 संस्थाओं सहित), अनुदानित पॉलीटेक्निक और 1467 निजी पॉलीटेक्निक संचालित हैं जिनमें कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 2,38,338 है।
2. वर्तमान में 52 नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं। इन संस्थाओं को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निजी क्षेत्र की सहभागिता से पी.पी.पी. मोड पर प्रबंधन एवं संचालन कराये जाने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के अनुक्रम में चरणबद्ध प्रक्रिया प्रचलित है। प्रथम चरण में चिन्हित 15 पॉलीटेक्निक संस्थानों में से 02 संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा 04 संस्थानों के संचालन हेतु सफल निविदाकर्ता के साथ कन्सेशन एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित हो गया है। उक्त संस्थानों के निर्मित भवनों का हस्तान्तरण कर यथाशीघ्र शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा-2022 में कुल 2,66,696 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये। ऑन-लाइन कांउसिलिंग के माध्यम से कुल 1,34,312 अभ्यर्थियों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश दिया गया।
4. राजकीय पॉलीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कम समय में अधिक ज्ञान अर्जन के दृष्टिगत आधुनिक तकनीकी आधारित ई-लर्निंग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 47 राजकीय संस्थाओं में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित होकर क्रियाशील हैं तथा 13 संस्थाओं में और स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 63 राजकीय पॉलीटेक्निकों में 68 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित होकर क्रियाशील हैं तथा 45 स्मार्ट क्लास रूम और स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
5. मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित कुल 166 संस्थाओं में कार्यरत नियमित कार्मिकों से संबंधित सेवा विवरण अपलोडिंग कर सेवा प्रदान की जा रही है जिसके माध्यम से कार्मिक अवकाश/स्थानान्तरण से संबंधित आवेदन ऑनलाइन प्रेषित कर सकता है।

6. राजकीय पॉलीटेक्निकों के छात्रों में निःशुल्क सॉफ्ट स्किल्स, इन्टरव्यू स्किल्स, इन्टप्रेन्योरशिप क्वालिटी बढ़ाने एवं न्यूनतम 67 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र., लखनऊ में राज्य स्तरीय ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है।
7. विभाग में त्वरित संप्रेषण एवं दिशा-निर्देश दिये जाने हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर में एक सेंट्रल लोकेशन एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों (वाराणसी, लखनऊ, झाँसी, मेरठ) में एक-एक रिमोट लोकेशन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
8. अध्ययनरत छात्रों में कम्यूनिकेशन स्किल, साफ्ट स्किल आदि की वृद्धि के लिये 89 राजकीय पॉलीटेक्निकों में एक-एक लैंग्वेज लैब की स्थापना की गयी है।
9. प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को आधुनिक प्रौद्यौगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने हेतु सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अन्तर्गत 21 राजकीय (पुरुष/महिला) संस्थाओं में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तरीय 04 पाठ्यक्रमों यथा-डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ विंग्स, साइबर सिक्योरिटी तथा ड्रोन टेक्नालॉजी में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।
10. यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर समिति (यू.पी.जी.आई.एस.)-2023 के परिप्रेक्ष्य में प्राविधिक शिक्षा विभाग को रु. 5000.00 करोड़ निवेश कराये जाने का लक्ष्य आवंटित हुआ है। लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ स्टार्ट अप प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन कार्य के लिये 265 निवेशकों द्वारा प्रस्तावित धनराशि रु. 6609.80 करोड़ निवेश करने पर एम.ओ.यू. किया गया है।
11. जनपद सोनभद्र, कन्नौज एवं मैनपुरी में निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अपने-अपने भवनों में संचालित हो चुके हैं। जनपद गोण्डा एवं बस्ती में रूसा योजना के अन्तर्गत एक-एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज तथा राज्य के आय-व्ययक से जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में एक-एक इंजीनियरिंग काजेल निर्माणाधीन है।
12. इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षण की शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलायी जा रही है।
13. पॉलीटेक्निक छात्रों के प्रवेश से लेकर उनके अध्ययन, परीक्षा, परिणाम तथा प्लेसमेंट तक के विभिन्न चरणों से संबंधित छात्र सुविधाओं को एकीकृत रूप उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल 'यूराइज' का निर्माण कराया जा रहा है।

प्राविधिक विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुयी थी, जिसे वर्ष 2010 में दो भागों में विभक्त कर दिया तत्पश्चात् पूर्ववर्ती महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर तथा गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को मर्ज कर दिनांक 01.11.2013 को उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक

विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित ऐसे निजी एवं सरकारी संस्थान जो बी.टेक./बी.फार्मा./बी.आर्क./बी.डेस./बी वॉक/बी.एफ.ए.डी./बी.एफ.ए./एम.बी.ए./एम.सी.ए./होटल मैनेजमेंट/एम.फार्मा./एम.टेक./एम.आर्क./फार्मा.डी./ एम.यू.आर.पी. एवं एम.डेस. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, को सम्बद्धता प्रदान करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना तथा परीक्षा के उपरान्त अध्ययनरत छात्रों को डिग्री प्रदान करना है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रुड़की विश्वविद्यालय की भांति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.12.2013 से क्रियाशील है।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (एच.बी.टी.आई.), कानपुर को उपर्युक्त की भांति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.09.2016 से क्रियाशील है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना

यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 65:35 प्रतिशत वित्त पोषित थी परन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनुदान का प्रतिशत परिवर्तित कर 60:40 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य महाविद्यालय/तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के स्तर/गुणवत्ता में वृद्धि कर पर्याप्त मात्रा में तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना है, जिससे युवाओं को गुणवत्तारक शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिग्री सेक्टर में इस योजना के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती एवं गोण्डा का निर्माण कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुदृढ़ीकरण/विकास के कार्य कराए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुविधायें

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रही समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ ई.डब्लू.एस. के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु डिप्लोमा में प्रवेश हेतु शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 05 प्रतिशत, सैनिक आश्रित के अभ्यर्थियों के लिये 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है।

अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

प्रदेश में चल रही डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के प्रशासन तथा संचालन का सम्पूर्ण दायित्व

प्राविधिक शिक्ष निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर का है, जिसके प्रमुख निदेशक प्राविधिक शिक्षा हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद

इस कार्यालय का प्रमुख, परिषद का सचिव होता है तथा इसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शासन द्वारा नामित किये जाते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रदेश की पॉलीटेक्निकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की परीक्षा आयोजित कराना तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों को सम्बद्धता प्रदान करना है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान

संस्थान का प्रमुख, संस्था का निदेशक होता है। संस्थान का कार्य संकाय प्रशिक्षण, पाठ्य चर्या विकास/प्रशिक्षण, पाठ्य संसाधन विकास एवं शैक्षिक व तकनीकी कार्य करना है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद

यह एक स्वशासी स्ववित्त पोषित संस्था है तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत है। इस परिषद का विभागाध्यक्ष निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद होता है तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह संस्था प्रदेश की सभी पॉलीटेक्निकों में प्रवेश के लिये प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराती है।

डिप्लोमा स्तर की संस्थायें

प्रदेश में विभाग की अधीनस्थ 149 राजकीय एवं 19 अनुदानित एवं 1467 निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनके अतिरिक्त 52 राजकीय पालीटेक्निक संस्थायें अभी अवस्थापना प्रक्रिया में हैं। इन संस्थाओं को पी.पी.पी. मोड पर संचालित किये जाने हेतु चयनित किया गया है।

महिला पालीटेक्निकों की स्थापना

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्तमान में 21 महिला पालीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं। सत्र 2022-23 में इन महिला पालीटेक्निक संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 6181 रही है।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

स्ववित्त पोषण के आधार पर प्रदेश की 12 सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं यथा- जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक, महमूदाबाद (सीतापुर), फिरोज गांधी पालीटेक्निक, रायबरेली, श्री रामदेवी रामदयाल त्रिपाठी महिला, पालीटेक्निक, कानपुर, एम.जी. पालीटेक्निक, हाथरस, श्री अनारदेवी खण्डेलवाल महिला पालीटेक्निक, मथुरा, हंडिया पालीटेक्निक, हंडिया, डी.जे. पालीटेक्निक, बड़ौत डी.एन. पालीटेक्निक, मेरठ, बी.आर.ई.आई. बिचपुरी, आगरा, एम.पी. पालीटेक्निक, गोरखपुर, हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ एवं जनता पालीटेक्निक, जहाँगीराबाद में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनकी शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में कुल प्रवेश क्षमता 1937 रही है।

●

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्चकोटि की एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल एवं पैरामेडिकल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशिष्ट चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी व्यवस्था करना है। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. तथा स्नातकोत्तर स्तर की डिप्लोमा, एम.डी., एम.एस. तथा एम.डी.एस. उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताओं में अति विशिष्ट उपचार पाठ्यक्रम (डी.एम./एम.सी.एच.) भी संचालित हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उच्चकोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहाँ रोगियों को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही हृदय, कैंसर रोग से पीड़ित गंभीर रोगियों के इलाज के लिए क्रमशः हृदय रोग संस्थान, कानपुर, जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर स्थापित हैं। उपचारिकाओं के विशेष प्रशिक्षण हेतु कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर भी इस विभाग के अधीन स्थापित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अधीन संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान भी स्थापित है, जिसमें गंभीर रोगियों को अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, साथ ही यहाँ स्नातकोत्तर तथा अति विशिष्टता की डिग्री भी प्रदान की जाती है। शोध की उपयुक्त व्यवस्था है।

शासन द्वारा निजी क्षेत्र में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स यथा-नर्सिंग, फार्मेसी, लैबोरेट्री टैक्नोलॉजी इत्यादि खोलने तथा उनके मानक पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इन पाठ्यक्रमों को राज्य की स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

वस्तुतः बिना लोक स्वास्थ्य में सुधार किये मानव जीवन स्तर को उच्च नहीं किया जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को उन्नत किया जाना अत्यावश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वर्ष 1984 से चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया है।

- प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, बाँदा एवं बदायूँ, 03 चिकित्सा विश्वविद्यालय- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा एवं अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, 06 स्वायत्तशासी संस्थान- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्था, नोएडा, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल मैगनेटिक रेजानेन्स (सी.बी.एम.आर.) लखनऊ एवं कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ संचालित है। सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहाँ रोगियों को चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं।
- प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे, परन्तु अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् राज्य के कई मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग एवं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय से हो रही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, के अधिनियम में चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने का प्राविधान है, परन्तु अभी तक उस विश्वविद्यालय से कोई संस्था सम्बद्ध नहीं है और यही कारण है कि वह इन संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते और संस्थाओं के पाठ्यक्रमों एवं इनकी परीक्षा के स्तर में एकरूपता नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं के स्तर एवं उनके प्रशासनिक नियंत्रण में एकरूपता लायी जाए। तद्नुसार ही प्रदेश के सभी राजकीय तथा निजी मेडिकल कालेजों, डेन्टल कालेजों एवं अन्य पैरा मेडिकल कालेजों को किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के उपरान्त प्रदेश के चिकित्सा का समुचित विकास हो सकेगा और चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं ज्ञान की खोज में समूह ज्ञान और समूह के प्रयासों के प्रचार-प्रसार हेतु एक सक्रिय वातावरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इससे चिकित्सा क्षेत्र के शोध एवं अनुसंधान की दिशा में भी विकास हो सकेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गई है।
- इसके अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करते हुए स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनाये जाने हेतु फेज-1 के अन्तर्गत 05 जिला चिकित्सालयों, यथा-बस्ती, बहराईच, शाहजहाँपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक

कालेजों में 100-100 एम.बी.बी.एस. सीटों पर नीट के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ है। फेज-2 के 09 कालेजों यथा-एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर एवं जौनपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23, के दो सत्रों से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रवेश दिये जा चुके हैं। फेज-3 अन्तर्गत 13 जिला चिकित्सालयों यथा- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, आगामी सत्र से 100-100 एम.बी.बी.एस. सीटों पर नीट के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके दृष्टिगत कालेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों, क्रमशः बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती, जहाँ शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के कोई भी मेडिकल कालेज स्थापित नहीं हैं, के निवासियों को निकटस्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कालेज की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें 4 जनपद महाराजगंज, सम्भल, मऊ एवं शामली में संचालन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा 6 जनपद हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, महोबा, हमीरपुर एवं बागपत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- प्रदेश में पी.पी.पी. मोड के आधार पर नर्सिंग व पैरा मेडिकल कालेजों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु आवश्यक प्राविधान बजट में किया गया है।
- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों यथा- अयोध्या, बस्ती, बहराईच, फिरोजाबाद तथा शाहजहाँपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु निर्माण तथा उपकरण क्रय किये जाने हेतु आवश्यक प्राविधान बजट में स्वीकृत है, जिससे प्रदेश में व्याप्त नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा।
- प्रदेश में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. सीटों में वृद्धि के दृष्टिगत आवश्यक प्राविधान बजट में स्वीकृत है, जिससे प्रदेश में व्याप्त चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।
- प्रदेश में फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उ०प्र० इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट हेतु आवश्यक प्राविधान बजट में किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

विभागीय इकाइयाँ :-

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखण्ड) :-

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एवं दैनिक क्रिया-कलापों का अनुश्रवण का समस्त कार्य प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ के प्रशिक्षण प्रखण्ड द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित हो रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दैनिक क्रिया-कलापों का अनुश्रवण भी निदेशालय के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.), उ.प्र.

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सम्पूर्ण देश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) द्वारा राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व उनके संचालन हेतु मानक तैयार कर जारी किये जाते हैं। एन.सी.वी.टी. द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू कराने का सम्पूर्ण दायित्व राज्य निदेशालयों का होता है।

प्रादेशिक स्टॉक प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में निर्मित किये गये प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के भवन में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) द्वारा संचालित शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.आई.टी.एस.) के अन्तर्गत 06 व्यवसायों यथा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर-कन्डीशनर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कॉसमेटोलॉजी तथा सीविंग टेक्नोलॉजी (महिलाओं हेतु) में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त किया गया है। 06 स्वीकृत व्यवसायों हेतु एन.सी.वी.टी. के मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण आवश्यक मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र को क्रय कर स्थापित किया गया है। केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ कर संचालित करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के कुल 56 पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान तक 1137 से अधिक प्रशिक्षकों की सी.आई.टी.एस. के अन्तर्गत प्रशिक्षित कराया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन :-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश में कौशल विकास नीति को जुलाई 2013 से लागू किया गया है। उ.प्र. देश का प्रथम राज्य है, जहाँ इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की केन्द्र सहायतित (जिसमें राज्यांश भी सम्मिलित है) योजनाओं तथा राज्य सरकार की योजनाओं को समेकित रूप से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास मिशन कार्यक्रमों के द्वारा 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं (जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, गरीब और कम पढ़े लोग सम्मिलित हैं) को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराने हेतु विभिन्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा हैः- 1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.), 2. स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेडयूल्ड कास्ट सब प्लान (एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.), 3. बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बी. ओ.सी.डब्लू.), 4. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.), 5. स्टेट स्किल्स डेवलपमेन्ट फंड (एस.एस.डी.एफ.)। इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कॉमन नार्म्स के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों की श्रेणी के अनुसार प्रति घण्टे के आधार पर दरें निर्धारित की गयी हैं जिनके अनुसार मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा विश्व बैंक पोषित संकल्प परियोजना (स्किल एक्वीजीशन एण्ड नॉलिज एवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट) का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के स्किल ईको सिस्टम में गुणात्मक सुधार लाना तथा इसके लिए संरचनात्मक पहल सुनिश्चित करना है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पादित कराये गये प्रमुख कार्यों का विवरण :-

वर्ष 2021-22 हेतु विधान मण्डल द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को रु. 1271.0407 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष निम्नलिखित प्रमुख कार्य कराये गये हैं :-

1. शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित "स्किल्स स्ट्रैन्थिनिंग फॉर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एनहैंसमेंट" अर्थात् स्ट्राइव परियोजना (विश्व बैंक फण्डिंग) के अन्तर्गत 25 राजकीय व 04 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के समन्वय से उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराया गया है।
2. प्रदेश में 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा- अयोध्या, बस्ती, चन्दौली व नौगढ़-सिद्धार्थनगर को केन्द्र पुरोनिधानित परियोजना "राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उच्चीकरण (के.70/रा.30)" के अन्तर्गत मॉडल आई. टी.आई. के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित कराया गया है।
3. कौशल प्रशिक्षण तन्त्र को सुदृढ़ करने, उच्च गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षकों व मूल्यांकनकर्ताओं का समूह बनाने तथा समस्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण (कन्वर्जेस) हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्किल्स एक्वीजीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीनेस (संकल्प)

योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से सम्पादित कराया गया है।

4. प्रदेश के 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि जारी कर कार्य प्रारम्भ कराया गया है।
5. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे व्यवसायों के पाठ्यक्रमों के सैद्धान्तिक ज्ञान से सम्बन्धित भाग के वीडियो लेक्चर्स को विभाग के अनुदेशकों से तैयार कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुये प्रशिक्षार्थियों हेतु उपलब्ध कराया गया है।
6. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कुल 29736 सफल प्रशिक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को कैम्पस प्लेसमेंट/रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित कराया गया है।
7. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सी.एम.ए.पी.एस.) के अन्तर्गत सम्पूर्ण वर्ष 2021 में कुल 30,119 युवाओं को प्रतिष्ठित अधिष्ठानों (उद्योग व एम.एस.एम.ई.) व शासकीय कार्यालयों में शिक्षुता प्रशिक्षण (अप्रेन्टिस) प्रदान कराया गया है।
8. प्रशिक्षण में उद्योगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 227 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे व्यवसायों में से 42 व्यवसायों की 16,134 सीटों को प्रथम बार ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डी.एस.टी.) के अन्तर्गत संचालित कराते हुये 14,712 अभ्यर्थियों को प्रवेश/प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।
9. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों कौशल सवंर्धन हेतु उनकी उद्योगों में 07 से 15 दिवस ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओ.जे.टी.) को प्रथम बार प्रारम्भ कराया गया है। वर्ष 2021 में 50 हजार से अधिक प्रशिक्षार्थियों की उद्योगों में ओ.जे.टी. करायी गयी है।
10. उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 3.98 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत करते हुये 91,570 हजार को प्रमाणित किया गया है तथा इस अवधि में 50,200 हजार से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित भी कराया गया है।
11. उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति को प्रथम बार आधार के साथ जोड़ा गया है।
12. उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा दिव्यांगजन को प्रशिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ने के क्रम में प्रदेश में प्रथम बार 38 विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदाता का चयन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित प्रमुख कार्य :-

नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन : प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में नये निर्माणाधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत क्रियाशील किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

डैश-बोर्डस व पोर्टल का विकास एवं संचालन : राजकीय आई.टी.आई. की प्रगति के अनुश्रवण हेतु स्मार्ट डैश-बोर्ड व इन्वेन्टरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु स्मार्ट पोर्टल को विकसित करते हुये संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में न्यू एज ट्रेडस् का संचालन : प्रदेश के चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांग के अनुरूप न्यू एज ट्रेडस् को अगस्त, 2022 के प्रशिक्षण सत्र से संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

नवीन स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का लोकार्पण : प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में स्थापित किये गये विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से पूर्ण होने वाले संस्थानों (न्यूनतम 20) के लोकार्पण लक्ष्य रखा गया है।

मॉडल आई.टी.आई. : केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत नव चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अयोध्या, बस्ती, चन्दौली एवं नौगढ़-सिद्धार्थनगर को मॉडल आई.टी. आई. के रूप में विकसित किये जाने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को पूर्ण किया जायेगा।

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना : प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में संचालित न्यूनतम 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य है।

राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील किया जाना : जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। नये संस्थान में 04 व्यवसायों में सी. आई.टी.एस. का प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना : मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 35 हजार युवाओं को उद्योगों/अधिष्ठानों में प्रशिक्षण/नियोजन प्रदान कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन : उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकाधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराये जाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ परिवहन विभाग, एच.सी.एल., कारागार बंदियों, टेक-महिन्द्रा व आई.बी.एम. के साथ प्रशिक्षण हेतु अनुबंध किये जाने का भी लक्ष्य है।

●

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार स्तम्भ होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23.15 करोड़ है। इसमें हर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जाता है। अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रखने एवं जीवन स्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य विभाग उत्तम सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है।

प्रदेश के निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त रूप से विकास एवं प्रचार करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिये अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा रही है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रोके जा सकने वाले संचारी रोग से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं होने वाली मृत्यु को कम करने में वास्तविक प्रगति हुई है। पूरे प्रदेश एवं देश से चेचक एवं पोलियो रोग का उन्मूलन हो गया है। मलेरिया उन्मूलन हेतु किये जा रहे उपायों के फलस्वरूप वर्ष 2021 में मलेरिया के केवल 10792 केस चिन्हित किये गये जो कि विगत 10 वर्षों में सबसे कम है तथा गत वर्ष की तुलना में 62.3 प्रतिशत कम है। वर्ष 2020 में 2776349 मलेरिया टेस्ट किये गये जबकि वर्ष 2021 में 4245089 मलेरिया टेस्ट किये गये जोकि गत वर्ष की तुलना में 52.9 प्रतिशत अधिक हैं। मलेरिया उन्मूलन हेतु किये जा रहे उपायों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा प्रदेश को कैटेगरी-2 से कैटेगरी-1 अर्थात् Elimination प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2021 में एस.पी.आर. को नियंत्रित कर 0.25 प्रतिशत के स्तर तक लाया गया। फाईलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। मस्तिष्क ज्वर (एईएस) में वर्ष 2017 की तुलना में एईएस रोगियों की संख्या 64 प्रतिशत की कमी आयी एवं मृत्यु दर में 90 प्रतिशत की कमी हो गयी है। जापनीज इसेंफिलाइटिस (जे.ई.) के रोगियों की संख्या में वर्ष 2017 की तुलना में 78 प्रतिशत की कमी आई है तथा मृत्युदर में 96 प्रतिशत की कमी आयी है। कालाजार में उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि कालाजार केसों की संख्या प्रति 10 हजार की आबादी पर 1 से कम है। अन्धापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। प्रदेश में इन रोगों से प्रभावित होने वाले रेगियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियाँ टिटनेंस, डिप्थीरिया, काली खाँसी, पोलियो, मिजिल्स, हिपेटाइटिस-बी तथा क्षयरोग जैसे भयानक रोगों से सुरक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम वृहत प्रशिक्षण योजना के रूप में चलाया जा रहा है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को अल्प रक्तता तथा बच्चों को अंधेपन से बचाने हेतु ठोस कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन समस्त सेवाओं के प्रभावी

संचालन के कारण नागरिकों की औसत आयु में वृद्धि हुई है और उनका जीवन स्तर सुधरा है।

प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों की व्यापक व्यवस्था की गयी है, इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उप केन्द्र स्थापित हैं, जो स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 ग्रामीण जनसंख्या तथा जनजाति क्षेत्रों में 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें सुगमता से उनके घर के समीप सुलभ हो सकें। प्रत्येक विकास खण्ड में 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है, जिसमें आवश्यक विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें जैसे-मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बालरोग, दन्त, पैथालॉजी एक्स-रे आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारात्मक एवं निरोगात्मक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। जन सामान्य को उच्च स्तरीय उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला एवं मण्डल स्तर पर जिला चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा बच्चों को 07 तरह की बीमारियों से बचाने हेतु नियमित टीकाकरण तथा आपात चिकित्सा सेवा पहुँचाने हेतु ई.एम.टी.एम. सेवाओं के अन्तर्गत 108 एम्बुलेन्स सेवा संचालित की जा रही है।

कोविड-19 महामारी में प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत 53 बीएसएल-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना कोविड की जाँच के लिए गयी। प्रदेश में 18 मई, 2022 तक 1131 लाख टेस्ट हुए तथा लगभग 20.78 लाख कोविड धनात्मक रोगी चिन्हित हुए हैं जिसमें से 20.53 लाख कोविड-19 धनात्मक रोगी ठीक हुए हैं और क्रमिक रिकवरी दर लगभग 99 प्रतिशत है।

108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा :-

- 108 एम्बुलेंस सेवा कॉल सेण्टर पर आधारित एम्बुलेंस सेवा है, जिसमें किसी भी आमजन द्वारा टोल फ्री नम्बर 108 डायल करके आकस्मिक परिस्थितियों में एम्बुलेंस की मांग की जा सकती है। 108 एम्बुलेंस सेवा 24x7 आधार पर 365 दिवस हेतु उपलब्ध रहती है। माह सितम्बर, 2012 में प्रारम्भ की गयी 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा के प्रथम चरण में 108 एम्बुलेंस को शहरी क्षेत्र में 20 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में रोगी तक पहुंचने का प्रावधान किया गया था। जुलाई, 2019 से प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण हेतु निष्पापदित अनुबंध में उक्त अवधि को शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये घटाकर रोगी तक 108 एम्बुलेंस को 15 मिनट में पहुंचाये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। उक्त अवधि में 108 एम्बुलेंस के रोगी तक पहुंचने की व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु 108 एम्बुलेंसों की फ्लीट को 1488 से बढ़ाकर 2200 कर दिया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा को अधिक सुलभ बनाये

जाने के उद्देय से उपरोक्तानुसार एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि के साथ ही प्रतिदिन प्रति एम्बुलेंस संचालित किये जाने वाले ट्रिप्स की संख्या में वृद्धि कर इसे 04 ट्रिप्स से बढ़ाकर 05 ट्रिप्स प्रतिदिन कर दिया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा से प्रथम चरण के प्रारम्भ माह सितम्बर, 2012 से समाप्ति माह जून 2019 तक लाभान्वित कुल रोगियों की संख्या-1,25,82,874 (एक करोड़ पच्चीस लाख बयासी हजार आठ सौ चौहत्तर) है। 108 एम्बुलेंस सेवा से द्वितीय चरण के प्रारम्भ माह जुलाई, 2019 से माह फरवरी, 2022 तक लाभान्वित रोगियों की संख्या-58,72,523 (अट्ठावन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ तेईस) है।

ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा :-

- गम्भीर रोगियों की जीवनरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित परिवहन के लिए आधुनिक जीवनरक्षक प्रणाली से युक्त (एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम) 150 एम्बुलेंसों का संचालन दिनांक 13.04.2017 से प्रारम्भ किया गया था। उक्त सेवा की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा में 100 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को दिनांक 18-02-2019 से सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार उक्त सेवा में वर्तमान में 250 ए.एल.एस. एम्बुलेंस संचालित हैं, ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा द्वारा माह अप्रैल, 2017 से माह फरवरी, 2022 तक 344109 (तीन लाख चौवालीस हजार एक सौ नौ) रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा :-

- प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारम्भ दिनांक 18.02.2019 से किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। उक्त सेवा के अन्तर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट सचल चिकित्सालय की भाँति कार्य करती है तथा सम्बंधित जनपद के असेवित क्षेत्रों जहाँ पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, वहां पहुँचती है एवं स्थानीय जनता को चिकित्सकीय जांच एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराती है। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्निशियन उपलब्ध रहता है। रोगियों के उपचार हेतु प्रत्येक मोबाइल, मेडिकल यूनिट में औषधियों के अतिरिक्त जांच हेतु ई.सी.जी. सेमी आटो एनालाइजर, ग्लूकोमीटर, माइक्रोस्कोप एवं ऑप्थेलमोस्कोप की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में माह फरवरी 2019 से फरवरी, 2022 तक कुल 7524299 (पचहत्तर लाख चौबीस हजार दो सौ निन्यान्बे) रोगियों को उपचारित किया गया है।

स्वतंत्र विद्युत फीडर :-

- प्रदेश के 143 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना करायी जा चुकी है। शेष 11 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त शेष 05 चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना कराया जाना शेष है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :-

- **शहरी क्षेत्र के चिकित्सा इकाइयाँ**
- प्रदेश के 28 राजकीय चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश के 24 चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। 55 राजकीय चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
- **ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा इकाइयाँ**
- प्रदेश के 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश के 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। 197 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में जे.ई. टीकाकरण की स्थिति :-

1. नियमित टीकाकरण अभियान-2020 :-

- जे.ई. विशेष टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत छूटे हुए 01 से 15 वर्ष आयुवर्ग का टीकाकरण।
- लक्ष्य 1081228 के सापेक्ष 1136916 (105.05 प्रतिशत) बच्चों को जे.ई. वैक्सीन से आच्छादित किया गया।
- उत्तर प्रदेश कोविड-19 24 घण्टे समरी रिपोर्ट दिनांक 09 फरवरी, 2021 तक कुल पुष्ट रोगियों की संख्या -601562 एवं कुल उपचारित रोगियों की संख्या-589565 है।

प्रदेश की आधारभूत चिकित्सा इकाइयाँ :-

क्रमांक	इकाई का नाम	संख्या
1	2	3
1	जिला पुरुष चिकित्सालय/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय	115
2	जिला महिला चिकित्सालय	52
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	943
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र	3649

प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में वाह्य एवं अन्तः रोगियों का विवरण (संख्या लाख में)

इकाई का नाम	रोगी	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021
1	2	3	4	5	6
जिला पुरुष/महिला /संयुक्त/अन्य	वाह्य	403.72	365.06	461.63	287.93
चिकित्सालय	अन्तः	9.52	9.12	35.88	21.93
प्रा./सामु.	वाह्य	787.92	755.00	571.67	462.21
स्वास्थ्य केन्द्र	अन्तः	36.88	38.53	0.24	28.18

विद्युत एवं यांत्रिक सेल :-

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1974 में इस उद्देश्य से की गयी थी कि प्रदेश में स्थित राजकीय क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों तथा भवनों की विद्युत व्यवस्था का समुचित रख-रखाव किया जा सके। उक्त परिपेक्ष्य में प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत, समयबद्ध रखरखाव तथा निष्प्रयोज्य हो चुके उपकरणों एवं साज-सज्जा की पुनर्स्थापना की कार्यवाही में विभाग को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों के भवनों की विद्युत व्यवस्था का रख-रखाव एवं निर्मित होने वाले चिकित्सालय भवनों हेतु आवश्यक विद्युत व्यवस्था उक्त चिकित्सालय में प्रस्तावित उपकरणों आदि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आंकलित किया जाता है।

उपरोक्त मूल कार्यकलापों के अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तन से सामंजस्य बनाये रखने के लिए यथा आवश्यकतानुसार आधुनिक उपकरणों आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में भी तकनीकी सहयोग विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिससे कि प्रदेश की आम जनता को बेहतर आधुनिक चिकित्सा सेवाएं राजकीय चिकित्सालयों के द्वारा उपलब्ध करायी जा सकें।

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ के अन्तर्गत स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। स्वास्थ्य भवन (मुख्यालय) लखनऊ तथा मण्डलीय निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, झांसी, मुरादाबाद एवं कानपुर में विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ के स्तर पर 108 ई.एम.टी.एस., ए.एल.एस एम्बुलेंस सेवा, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा (एन.एम.एम.यू.) एवं बायोमेडिकल इक्यूपमेंट मेंटीनेन्स प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कार्य व्यवहारित किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य एवं ऑक्सीजन प्लान्टों से सम्बन्धी कार्य भी विद्युत सेल के पर्यवेक्षण में किये जाते हैं।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन.टी.ई.पी.) की रणनीति

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार के अर्थिक सहयोग एवं मार्ग दर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। सेन्ट्रल टी.बी. डिवीजन निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, उ.प्र. को कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

1. वित्तीय वर्ष 2021 (1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक) टी.बी. मोटीफिकेशन सरकारी क्षेत्र में 315529 पंजीकृत क्षय रोगी एवं निजी क्षेत्र में 140798 पंजीकृत क्षय रोगी कुल 456327 क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किये गये।
2. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक- 07 मई 2012 के अनुरूप सरकारी एवं

निजी क्षेत्र में जाँच/निदान एवं उपचार प्राप्त कर रहे समस्त क्षय रोगियों के आंकड़े एवं समस्त/निजी चिकित्सा इकाइयों का पंजीकरण निःक्षय साफ्टवेयर में शत् प्रतिशत अंकन सुनिश्चित कराया जाना है।

3. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण जनपद आगरा, वाराणसी, बरेली गोरखपुर एवं लखनऊ में स्थापित क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यकम प्रबन्धन ईकाई (आर.टी.पी.एम.यू.) के माध्यम से किया जा रहा है।
4. प्रदेश के चार स्टेट ड्रग स्टोर आगरा, लखनऊ, बरेली तथा वाराणसी से प्रदेश के समस्त जनपदों को आंवटित औषधियों को जनपदीय ड्रग स्टोर के माध्यम से समस्त क्षय रोगियों को उपलब्ध करायी जाती है।
5. एम.डी.आर. क्षय रोगियों की त्वरित जाँच एवं निदान हेतु वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में 166 सी.बी. नॉट लैब स्थापित एवं क्रियाशील हैं, जिससे एम.डी.आर. टी.बी. की जाँच मात्र 2 घन्टे में उपलब्ध हो जाती है।
6. स्टेट टी.बी. डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस.टी.डी.सी.) आगरा को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु "उत्कृष्टता के केन्द्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है।
7. इस कार्यक्रम में क्षय रोगियों का उपचार डॉटस पद्धति से किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अपने सामने औषधियाँ खिलायी जाती हैं। अनियमित क्षय रोगियों को पर्यवेक्षकीय स्टाफ एवं ट्रीटमेंट सपोर्टर द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उपचार समय से निरन्तर लेते रहें।
8. प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों, ई.एस.आई. डिस्पेन्सरीज, रेलवे अस्पताल, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी चिकित्सकों का सहयोग टी.बी. नोटीफिकेशन में लिया जा रहा है।
9. कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु ई.क्यू.ए. हेतु प्रदेश में दो आई.आर.एल. लैब (एस.टी.डी.सी. आगरा एवं मेडिकल क़ालेज लखनऊ) की स्थापना की गयी है। कल्चर एण्ड डी.एस.टी. लैब गोरखपुर एवं मेरठ में स्थापित एवं क्रियाशील करायी गयी है तथा दोनों लैब को उच्चीकरण आई.आर.एल. बनाने की कार्यवाही मानव संसाधन उपलब्धतानुसार करायी जायेगी।
10. सम्भावित क्षय रोगियों का सभी स्वास्थ्य केन्द्रों/निजी चिकित्सकों से माइक्रोस्कोपी सेन्टरों/सी. बी. नॉट पर बलगम परीक्षण हेतु संदर्भन किया जाता है।
11. राज्य एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम मानक तथा पर्यवेक्षण की गहन समीक्षा।
12. एन.टी.ई.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ.प्र. के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
13. प्रदेश में टी.बी.एच.आई.वी. कॉओडिनेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.सी.टी.सी. से सम्भावित क्षय रोगियों को जांच हेतु टी.बी. कार्यक्रम में एवं सभी टी.बी. रोगियों को आई. सी.टी.सी. में सलाह लेने के उद्देश्य से इन्टेन्सीफाइड टी.बी.-एच.आई.वी. पैकेज लागू किया

गया है, जिसके अर्न्तगत, समस्त टी.बी. मरीजों का एच.आई.वी. जाँच एवं एच.आई.वी. पॉजिटिव (टी.बी. सस्पेक्ट) रोगियों की क्षय रोग हेतु बलगम जाँच की जा रही है।

14. प्रचार एवं प्रसार मद की ए.सी.एस.एम. स्कीम के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार समस्त सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों एवं छात्रों को क्षय रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उदेद्श्य से समस्त जिला क्षय रोग अधिकारियों को ब्लाकवार गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियाँ संचालित कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में क्षय रोग के प्रति संवेदीकरण किया जा सके।
15. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग कैम्पेन के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में टी.बी. के संदिग्ध मरीजों की पाये जाने की सम्भावना ज्यादा रहती है, उन स्थानों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर टी.बी. के लक्षणों के बारे में लोगों को बताकर संदिग्ध टी.बी. से ग्रसित व्यक्ति की पहचान कर उनकी निःशुल्क जांच व उपचार हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में संदर्भित किया जाता है।
16. 22 नोडल डी.आर.टी.बी. सेन्टरों में एम.डी.आर./एक्स.डी.आर. क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन एवं डिलामिनिड आधारित रेजीमिन उपचार हेतु उपलब्ध है।
17. वर्ष 2021 में निक्षय पोषण योजना के तहत डी.बी.टी. के माध्यम से 290646 क्षय रोगियों को कुल रु. 60 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया।
18. निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टी.बी. नोटिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) माध्यम से उनके खाते में प्रति टी.बी. मरीज के नोटीफिकेशन पर रु. 500/- तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रु. 500/- का प्राविधान किया गया है।
19. प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों की एचआईवी की जांच एवं उपचार निःशुल्क की जा रही है। टी.बी.-एच.आई.वी. समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत शत् प्रतिशत क्षय रोगियों की एच.आई.वी. जांच सुनिश्चित की जा रही है।
20. पीडियाट्रिक क्षय रोगियों को विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लगभग 1,11,668 लोगों को गोद लिया गया है जिनको न्यूट्रीशनल सपोर्ट दिया जा रहा है।
21. समस्त कर्मचारियों की क्षमता वर्धन हेतु राज्य/जनपद स्तरीय निक्षय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं समस्त एन.टी.ई.पी. स्टाक का रिवाइज्ड पी.एम.डी.टी. गाइडलाइन/शार्टर रेजीमेन का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। राज्य स्तरीय ई-लान्च एवं ई-प्रशिक्षण (वेबीनार-1) से जिला क्षय रोग अधिकारी, नोडल डी.आर.टी.बी. एवं जिला बी.आर.टी.बी. केन्द्रों को जो ऑनलाइन रोगी के उपचार में गुणवत्ता प्रदान की जायेगी तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता वर्धन भी किया जा रहा है।
22. स्वास्थ्य विभाग के अन्य विभाग एवं कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। जनपद के जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी एवं जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर को भी राज्य

स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

23. पंचायती राज विभाग को एन.टी.ई.पी. कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करते हुए सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
24. निजी चिकित्सक क्षेत्र जैसे कि इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, इण्डियन एसोसियेशन ऑफ पिडियाट्रिक्स एवं अन्य की भी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
25. प्रदेश के समस्त जनपदों में 01 मई 2020 से निरन्तर डाक विभाग द्वारा क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेन्टर से जनपद मुख्यालय तथा कल्चर एवं ड्रग्स सेन्सटिविटी प्रयोगशाला में पहुँचाया जा रहा है।
26. समस्त क्षय रोगियों का समयान्तर्गत निक्षय पोर्टल पर फीडिंग हेतु समस्त कर्मचारियों को इन्टरनेट सुविधा के साथ एक-एक टैबलेट का वितरण कराया गया।
27. टी.बी. चैम्पियन की भागीदारी एवं सहभागिता बढ़ाने की दिशा में ई-प्रशिक्षण के माध्यम से 2351 टी.बी. चैम्पियन का क्षमता वर्धन किया गया है। उच्च क्षमता वाली डी.एम.सी. एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय में 486 ट ूनॉट म ीनें स्थापित एवं ि या ील हैं जिनके माध्यम से क्षय रोगियों की जाँच की जा रही है।

क्षय उन्मूलन पर उप राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, 2022 के अवसर पर प्रदेश के 8 जनपदों (ललितपुर को रजत पदक एवं बलरामपुर, चन्दौली, गोण्डा, महाराजगंज, मुज्जफरनगर, सोनभद्र तथा उन्नाव को कांस्य पदक) प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम-उत्तर प्रदेश :-

प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से वर्ष 1977 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 2006 से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की वर्तमान दृष्टिहीनता दर 10% को घटाकर 0.3% लाना है। मोतियाबिन्द जनित अंधता को शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा कराये गये अंधता हेतु सर्वेक्षण द्वारा परिणाम प्राप्त हुए हैं कि 62% अंधता, मोतियाबिन्द तथा 20% रिफैक्टिव एरर के कारण होती है, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मोतियाबिन्द की शल्यक्रिया करने तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों की दृष्टिदोष को दूर करने हेतु स्कूल आई स्क्रीनिंग तथा नेत्र बैंकों के माध्यम से कार्निया प्रत्यारोपण का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2015-2019 में भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंधता की व्यापकता दर 1 प्रतिशत से कम (0.36%) हो गई है। अतः इस समय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक वर्तमान अंधता दर को घटाकर 0.3% तक लाना है।

●

आयुष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा वर्ष 2017 में आयुष चिकित्सा विभाग स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ चिकित्सा विधा के मूल सिद्धातों के आधार पर रोगियों को रोग मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है।

आयुष चिकित्सा बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेषकर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनता है, जिसकी व्यय वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हुए जनमानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है। विगत दो वर्षों में कोविड संक्रमण काल में आयुष के सिद्धातों व आयुष औषधियों के प्रयोग से व्याधि के संक्रमण की रोकथाम में अभूतपूर्व सफलता मिली है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश में 2364 राजकीय चिकित्सालय एवं 08 आयुर्वेदिक एवं 02 यूनानी कालेज संचालित हैं।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश के 121 शहरी तथा 1464 ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1585 राजकीय चिकित्सालय संचालित हैं तथा प्रदेश में 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज संचालित हैं।

प्रदेश में आयुष विधाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रमुख रूप से औषधियों की उपलब्धता, राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण, योग वेलनेस केन्द्र व हेल्थ वेलनेस सेन्टर्स की स्थापना, नये मेडिकल कालेजों, 50 शैय्या युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालयों की स्थापना के कार्यक्रम संचालित हैं।

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रदेश में एकरूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में जनपद-गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति :- गतिविधियाँ एवं क्रिया-कलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक, स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं, जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न 3 आयाम हैं -

1. चिकित्सकीय क्रियाकलाप
2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

1. चिकित्सकीय क्रिया-कलाप

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् सम्प्रति उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के कुल 2364 चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10597 शैय्याएं रोगियों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 2.55 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशाला कार्यरत है। प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1977-78 से ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 लागू किया गया है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लायी जा रही औषधियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

3. शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात स्नातकों के प्राशिक्षण हेतु लखनऊ, पीलीभीत, झाँसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-प्रयागराज तथा वाराणसी में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों एवं लखनऊ तथा प्रयागराज में 2 राजकीय यूनानी कालेज स्थापित हैं जिसके माध्यम से कुल 588 आयुर्वेदिक तथा 150 यूनानी स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिये वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा की पात्रता सूची से प्रवेश दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है।

आयुर्वेदिक, यूनानी तथा तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों

के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्रावधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है।

-: आयुर्वेद विभाग :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय हैं।

1. आयुष मिशन के अतर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत 552 राज़कीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को हैल्थ वैलनेस केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है।
2. आयुष मिशन के अंतर्गत केन्द्र पुरोनिधानित योजना में रु. 24503.00 लाख का केन्द्रांश एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश रु. 20325.00 लाख का प्राविधान है जिससेः-
   - प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध करायी जाती हैं।
   - जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।
   - रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत एवं बलिया में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। उक्त को क्रियावन्यन करने हेतु कार्यवाही अन्तिम चरण में है।
   - प्रदेश के 11 जनपदों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संतकबीरनगर, सोनभद्र, अमेठी एवं देवरिया) में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय पूर्व से ही स्थापित किये जा चुके हैं।

-: यूनानी विभाग :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज को सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु. 415.81 लाख की व्यवस्था की गयी है, जिससे चालू निर्माण कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया गतिमान है।
2. शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के चालू निर्माण कार्य हेतु रु. 60.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिससे चालू निर्माण कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया गतिमान है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के जर्जर भवनों का निर्माण/ बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इस कार्य हेतु धनराशि रु. 155.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।
4. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के अन्तर्गत निर्माणशाला भवन एवं प्रयोगशाला

भवन के निर्माण कार्य हेतु रु. 81.70 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित हेतु रु. 1500.00 लाख मात्र की धनराशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस धनराशि से औषधियों का क्रय, चिकित्सालयों में स्वच्छता एक्शन प्लान, योग वेलनेस सेंटर, आयुष ग्राम, आई.ई.सी. एक्टिविटी, चिकित्सालयों का उच्चीकरण के कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विभागीय औषधि विनिर्माण

इस समय प्रदेश में 2 औषधि निर्माणशालायें क्रमशः लखनऊ एवं पीलीभीत में कार्यरत हैं। इन निर्माणशालाओं द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की पूर्ति के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों में की जाती है।

आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रदेश में एकरूपता तथा योगा एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

होम्योपैथी विभाग, उत्तर प्रदेश

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक निदेशालय वर्ष 1981 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा "समः समे समयति" के मूल सिद्धान्त के आधार पर रोगियों को रोगमुक्त करने में सहयोग देती है। प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय-वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा :-

वर्ष 1981 में पृथक् होम्योपैथी विभाग की स्थापना के समय विद्यमान मात्र 329 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष वर्तमान में यह संख्या 1585 है। उक्त चिकित्सालयों में 121 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में तथा शेष 1464 चिकित्सालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा :-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 09 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, गाजीपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं गोरखपुर जनपदों में स्थापित/संचालित हैं। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है

जिसमे कुल प्रवेश क्षमता 976 छात्र प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में प्रवेश नीट मेरिट के आधार पर किया जाता है। उक्त सभी कालेज सहयोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध हैं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद :-

इस संस्था के माध्यम से प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों का पंजीकरण किया जाता है। परिषद के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता व उसका संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख उद्देश्य :-

1. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्तापरक होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।
3. होम्योपैथिक कालेजों में अपेक्षित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए शिक्षण कार्यों को प्रोत्साहन देना।
4. गम्भीर व संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता, बचाव एवं चिकित्सा उपचार।
5. शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से कम करना।
6. जन साधारण विशेषकर निर्धन वर्ग व संवेदनशील वर्ग को गुणवत्ता कारक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
7. आयुष मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति।

नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना

जनपद गोरखपुर तथा अलीगढ़ में 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये गये हैं तथा आयुष मिशन के माध्यम से जनपद वाराणसी में 01 नया राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने की योजना है। प्रथम चरण में सभी मण्डलों में कम से कम 01 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी और अधिक कालेज खोने जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का उन्नयन (पी.जी. पाठ्यक्रम संचालित किया जाना)

प्रदेश में स्थापित 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में केवल 03 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों यथा लखनऊ, कानपुर एवं प्रयागराज में स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित है। होम्योपैथिक के विकास एवं शिक्षा के स्तर में गुणात्मक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सभी कालेजों में परस्नातक विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

होम्योपैथिक औषधि परीक्षणशाला की स्थापना

प्रदेश में होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता आदि की जाँच हेतु कोई औषधि परीक्षणशाला नहीं है। अतः राजकीय औषधि परीक्षणशाला स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

आयुष मिशन के अन्तर्गत होम्योपैथिक विधा का सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में उक्त मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही प्रमुख रूप से प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सुदृढीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के 393 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंन्टर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जनपद वाराणसी में एक नया राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23.12.2021 को शिलान्यास किया गया है। भवन निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष- 2022-2023 की उपलब्धि (प्रमुख कार्यक्रम)

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु वर्ष 2022-23 में केन्द्रांश रु. 7000.00 लाख तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश रु. 5806.00 लाख कुल रु. 12806.00 लाख की बजट व्यवस्था है। इस धनराशि से आयुष मिशन के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, 163 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की स्थापना आदि हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
2. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में मानकों की पूर्ति हेतु अधूरे भवनों के निर्माण आदि कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु.1550.00 लाख से रा. होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कानपुर में शिक्षा भवन एवं प्रशासनिक भवन के सुदृढ़ीकरण, पुरुष एवं महिला छात्रावास के सुदृढ़ीकरण के अन्य डेवलपमेंट कार्य हेतु रु. 250.00 लाख, रा. नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ के वाह्य रोगी/अन्तः रोगी विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं इन्टरलाकिंग तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों हेतु रु. 250.00 लाख, रा. लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज प्रयागराज में पुरुष छात्रावास के निर्माण हेतु रु. 158.82 लाख, डॉ. बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अयोध्या में विभागीय कक्ष एवं क्लासरूम के निर्माण हेतु रु. 106.18 लाख, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज प्रयागराज में आडिटोरियम का निर्माण हेतु रु.200.00 लाख, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोरखपुर के निर्माण हेतु अवशेष देयता के सापेक्ष रु. 100.00 लाख की स्वीकृतियां वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगत की चुकी हैं।
3. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों कार्यालय महाराजगंज के अधूरे निर्माण को पूर्ण किये जाने हेतु रु. 16.62 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

●

परिवार कल्याण

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष 1955 से प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। चूंकि उस समय प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तत्समय स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से चलायी जाती थी, अतः केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशत पोषित यह कार्यक्रम उसी निदेशालय से संचालित किया गया। शनैः-शनैः कार्यक्रम का विस्तार हुआ, अतः: उसके सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय में एक पृथक् "राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो" की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदल कर परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम के विस्तार के साथ ब्यूरो को वर्ष 1986 में परिवार कल्याण निदेशालय तथा वर्ष 1995 में अलग 'परिवार कल्याण महानिदेशालय' के रूप में उच्चीकृत किया गया। वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय पृथक् नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम अधिकारी हैं।

उद्देश्य

परिवार कल्याण महानिदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और परिवार कल्याण की सेवाओं के विस्तार के लिए अभिनव परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करना है।

कार्यक्रम

परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं :-

1. माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें :-

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टेटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश) :-

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो,

टी.बी., गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हैपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे.ई., खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।

कोविड टीकाकरण

- प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 16 जनवरी, 2021 से कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 11.12.2022 तक कुल 39,05,28,532 डोज लगायी जा चुकी हैं।
- आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2022 तक कुल 3,99,12,749 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज से आच्छादित किया गया।

मिशन इन्द्रधनुष

- प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0 अभियान तीन चरणों (07 मार्च,04 अप्रैल एवं 02 मई, 2022 से) में चलाया गया, जिसके कुल 3682512 बच्चों एवं कुल 1031352 गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।

पल्स पोलियो

- प्रदेश के 50 जनपदों में दिनांक 18 सितम्बर, 2022 से पल्स पोलियो एस.एन.आई.डी. अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत कुल 2,20,88,310 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।

बाल स्वास्थ्य पोषण माह

- प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत माह अगस्त 2022 में कुल 2,23,85,862 बच्चों को विटामिन 'ए' की खुराक से आच्छादित किया गया।

3. मिशन परिवार विकास :-

प्रदेश के उच्च सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में लागू मिशन परिवार विकास योजना को शासनादेश दिनांक 04 जुलाई 2022 के माध्यम से विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब प्रदेश के समस्त जनपदों में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है।

गर्भ निरोधक सेवाएं :-

इसके अन्तर्गत दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाई गर्भ निरोधकों, जैसे- ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरुष नसबन्दी की सेवाएं दी जा रही हैं। महिला नसबन्दी की नयी लैप्रोस्कोपिक विधि प्रदेश में बहुत

प्रचलित है। अब पुरुष नसबन्दी की भी नयी विधि "नो स्केलपल वैसेक्टामी" का विस्तार किया जा रहा है। नसबन्दी के उपरान्त बच्चों की मृत्यु हो जाने पर महिला तथा पुरुष नस जोड़ने की सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी ज़ाती हैं। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने हेतु सुरक्षित गर्भसमापन की निःशुल्क सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त नियत दिवस पर नसबन्दी, कॉपर-टी की सेवायें प्रदान की जाती हैं इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात् लूप निवेशन की सेवायें भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम् 1994 :-

प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजना :-

नसबन्दी के उपरान्त होने वाली मृत्यु, जटिलताओं एवं असफल नसबन्दी के मुआवजे हेतु परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मिशन के उद्देश्य

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों (शहरी एवं ग्रामीण) विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज का वह संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उसे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित हैं :-

- जननी सुरक्षा योजना।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
- शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
- एम.डी.एस.आर. कार्यक्रम।
- सुमन कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम।
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम।
- एम्बुलेन्स सेवाएं।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम (कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स)।

- राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॉन कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स)।

5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

महानगरों/नगरों में स्थापित नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शहरी गरीबों को स्वास्थ्य की मूलभूत निःशुल्क सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

6. जननी सुरक्षा योजना-

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रु. 1400/- व शहरी क्षेत्र में रु. 1000/- एवं बी.पी.एल. श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु. 500/- सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं।
- आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु. 600/- एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु. 400/- दिये जाते हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम -

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में 22 अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीज कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम -

- प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं स्तर पर) की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुए महत्त्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान -

- "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की 09 एवं 24 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.एम.एस.एम.ए.) का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना -

- यह योजना 01.01.2017 से लागू की गई है। उक्त योजना शासन के निर्देशानुसार सिफ्सा द्वारा संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

7. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बाल्यावस्था से ही पड़ती है। अतः बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने, उनके बेहतर जीवन एवं समग्र विकास के लिए जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 डी.एस.-बर्थ डिफेक्ट्स, डिफीसिएन्सी, डिजीजेज एण्ड डेवलेपमेन्ट-डीले लीडिंग टू डिसएबिलिटी को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जो वर्ष में दो बार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा एक बार सरकारी, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में जा रही हैं तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इन टीमों द्वारा बच्चों की लम्बाई, वजन की जाँच, नजर की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है। टीमों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श भी दिया जाता है।

8. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मौजूदा क्लीनिक-आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर एक समग्र मॉडल की ओर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर ज़ोर दिया जायेगा जिसके द्वारा निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मज़बूत बनाया जा सकेगा। इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, वस्तुओं और सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सन्दर्भन के लिंकेजेज बनाना सम्मिलित है। इस रणनीति के अर्न्तगत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता- आशा, ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और नेहरू युवा केन्द्र, युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सकें।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा माह जनवरी 2016 से किया जा रहा है।

9. "102" नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 102 एन. ए.एस. प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष के आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में काल करने पर एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित किया गया है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 20 मिनट है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल 2270 एम्बुलेंस संचालित हैं। इस योजना से नवम्बर 2022 तक 586.95 लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10. **मातृ मृत्यु दर को कम करने की योजनाओं को विवरण**

- विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण कराया जा रहा है।
- एच.आर.पी. (अधिक जटिलता वाली गर्भवती) महिलाओं को माह की प्रत्येक 9 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर जाँचें, उपचार एवं संदर्भन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम व गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5000 नये उपकेन्द्रों की भी स्थापना की गयी है जिसे सम्मिलित करते हुये वर्तमान में प्रदेश में कुल 25573 उपकेन्द्र स्थापित हैं।

11. **शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएं-**

शिशु मृत्यु दर व नवजात मृत्युदर में कमी लाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्नवत योजनायें संचालित की जा रही हैंः-

i. **न्यू बार्न केयर कार्नर (एन.बी.सी.सी.)-**

प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिक्षु देखभाल स्थान (न्यू बार्न केयर कार्नर) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1820 नवजात शिशु देखभाल स्थान क्रियाशील हैं।

ii. **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)-**

प्रसव के पश्चात् कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना आवश्यक है के लिये वर्तमान में प्रदेश में सन्दर्भन इकाइयों/जिला महिला चिकित्सालयों में 184 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई क्रियाशील हैं।

iii. **सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.)-**

अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में एस.एन.सी.यू. स्थापित है। वर्तमान में कुल 73 जनपदों में 91 सी.एन.सी.यू. स्थापित हैं।

iv. **कंगारू मदर केयर (के.एम.सी.)-**

कम वजन तथा समय से पूर्व जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में संचालित एस.एन.सी.यू. इकाइयों के निकट के.एम.सी. इकाइयों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। वर्तमान में 71 जनपदों में 179 के.एम.सी. स्थापित हैं।

v. **पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.)-**

कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु चयनित जनपदों के जिला पुरुष चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में कुपोषित बच्चों का उपचार करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित

है। वर्तमान में 78 एन.आर.सी. 72 जनपदों में स्थापित हैं।

vi. **होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच.बी.एन.सी.)-**

वर्तमान में सभी 75 जनपदों में यह लागू कर लिया गया है। माह अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2022 तक आशा द्वारा 1860032 बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है।

vii. **होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर (एच.बी.वाई.सी.)-**

शिशुओं की गृह आधारित देखभाल (एच.बी.एन.सी.) के लिये 6/7 गृह भ्रमण के साथ-साथ 42 दिनों के पश्चात् शिशुओं की वृद्धि, विकास एवं पोषण सुनिश्चित करने हेतु शिशु की आयु 3,6,9,12 एवं 15 माह होने पर आशा द्वारा अतिरिक्त त्रैमासिक गृह भ्रमण की व्यवस्था भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 35 जनपदों में की जा रही है।

viii. **डायरिया एवं न्यूमोनिया कार्यक्रम-**

डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिये जिंक एवं ओ.आर.एस. पैकेट आशाओं के माध्यम से बांटे जा रहे हैं तथा न्यूमोनिया को रोकने के लिये आशाओं के माध्यम से टेबलेट एमाक्सीसीलिन उपलब्ध करायी जा रही है।

12. **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना**

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 23.09.2018 से एश्योरेन्स मोड (ट्रस्ट मोड) के अनुसार किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत एस.ई.सी.सी. डाटा 2011 के अन्तर्गत 1,16,74,453 लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष रु. 5.00 लाख धनराशि तक की फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। अद्यतन योजना के अन्तर्गत 14,82,703 लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जा चुका है तथा 1,68,77,348 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

●

नगर विकास

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतंत्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय, के रूप में अंगीकार किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा-स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कों/गलियों, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराया जाना इन स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है।

- **नगरीय निकाय निदेशालय :-**

भारत सरकार द्वारा गठित रूरल अरबन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर उ.प्र. शासन द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1971 में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गयी जो व्यावहारिक रूप में वर्ष 1973 में गठित किया गया। स्थानीय निकाय निदेशालय में एक निदेशक होता है, जो अपने अधीनस्थ अन्य कार्मिकों के सहयोग से विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता है। वर्तमान में इसे निकाय निदेशालय के नाम से जाना जाता है।

- **जल संस्थान/जलकल :-**

जलकल (सम्बन्धित नगर निगम के अधीन) लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर व सहारनपुर में नगर निगमों के अधीन जलकल।

जल संस्थान- झाँसी मण्डल, चित्रकूट धाम मण्डल

- **क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र :-**

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 1968 में स्थापित इस केन्द्र को प्रदेश सरकार द्वारा 1976 से वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश की नागर निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु इस केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के शहरी विकास तथा आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालयों के तत्वाधान में संचालित समस्त योजनाओं के अधीन प्रदेश के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इस केन्द्र द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र राज्य सरकार एवं नागर निकायों को

परामर्शी सेवाओं एवं शोध अध्ययन का प्रतिपादन करके नगर विकास के नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योगदान देता है।

उत्तर प्रदेश- नागर स्थानीय निकायों व शहरी परिदृश्य का विवरण :-

प्रदेश की कुल जनसंख्या (19.98 करोड़) में से 4.51 करोड़ आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कुल आबादी का 22.57 प्रतिशत है। शहरी आबादी को बुनियादी गुणवत्तापरक सुविधाओं को उनकी जरूरतों के अनुसार मुहैया कराने की जिम्मेदारी 762 नगरीय निकायों पर है। प्रदेश में कुल 17 नगर निगम 200 नगर पालिका परिषद व 545 नगर पंचायतें हैं जो नगरीय क्षेत्रों में सतत विकास तथा औद्योगिकीकरण के दृष्टिगत जनसुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं। राज सरकार द्वारा आमजनों को साफ पीने का पानी, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, सड़क, सीवर एवं सफाई तथा कूड़ा उठाने की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के मकसद से विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनका क्रियान्वयन नगरीय निकायों के द्वारा किया जा रहा है।

- प्रदेश में 17 नगर निगम हैं :- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झाँसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर एवं फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन तथा शाहजहाँपुर।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अनेक योजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही हैं।
- प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में अमृत योजना एवं समस्त नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना संचालित की जा रही है जो कि मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, पार्क इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित है।
- प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया है। जिसमें कार्य त्वरित गति से हो रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश के सभी निकायों में संचालित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा भी सात शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किया गया है।

राज्य वित्त आयोग :-

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के शुद्ध कर राजस्व की 7.50 प्रतिशत धनराशि नगरीय स्थानीय निकायों को दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें नगर निगम का 45 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों का 35 प्रतिशत एवं नगर पंचायतों 20 प्रतिशत अंश पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

15वां वित्त आयोग :-

15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों को नगरों के विकास आदि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुनियादी अनुदान के रूप में रु. 5632.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना :-

प्रदेश की नागर निकायों के सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट्स के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु **"डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** नाम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ की गयी।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना :-

प्रदेश में आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण होने वाले दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पशुओं तथा जनसामान्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे पशुओं के पुनर्वास हेतु "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है।

आदर्श नगर योजना :-

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के एक लाख से कम जनसंख्या वाले ऐसी नगरीय निकायों, जो जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनूवल मिशन योजना एवं यू.डी.आई.एस.एस.एम.टी. योजना से वित्त पोषित नहीं है, के नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना लागू की गयी है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना :-

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अपस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब, संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्व सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं. दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना :-

प्रदेश में नवसृजित/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नागर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं यथा- पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, रोड, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना" (CM-NSY) (नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों हेतु) को क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है/योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकाय कुल 242 निकायों तथा भविष्य में सृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित होने वाली प्रत्येक श्रेणी की निकायों के मध्य नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि आवंटित की जायेगी।

पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम) :-

पी.एफ.एम.एस. जिसका पूरा नाम पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम है। यह पोर्टल वेब ऑनलाइन साफ्टवेयर है, जिसे कन्ट्रोलर जनरल ऑफ एकाउन्ट्स वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं एन.आई.सी. की सहायता से तैयार किया गया है। इस साफ्टवेयर की मदद से सरकार की

विभिन्न योजनाओं की धनराशि का अन्तरण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सबसे निचले स्तर तक सुगमतापूर्वक किया जाता है साथ ही साथ इसकी एकाउन्टिंग भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर से योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे व्यय का पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

नगर विकास विभाग के अन्तर्गत चल रही भारत सरकार एवं राज्य सेक्टर की योजनाओं की धनराशि का अन्तरण/व्यय इसी सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा रहा है।

वर्तमान में नागर निकायों के द्वारा भुगतान के लिए प्रिंट पेमेन्ट एडवाइस प्रयोग किया जा रहा है तथा समस्त नगर निगम को डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

1. स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं तथा "स्मार्ट" समाधान लागू करते हैं। योजना की अवधि 5 वर्ष तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और ढांचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है।
2. प्रदेश की 10 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। जिसके सापेक्ष 04 निकाय- लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत प्रयास के फलस्वरूप अलीगढ़, झांसी एवं प्रयागराज नगरीय निकाय जून, 2017 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुये हैं। उक्त के अतिरिक्त 03 अन्य निकायों यथा- मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली को जनवरी, 2018 में चयनित किया गया है। उक्त चयनित कुल 10 निकायों में गठित एस.पी.वी. द्वारा त्वरित गति से परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- उक्त दस शहरों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने बजट से 7 शहर क्रमशः अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन हेतु चिन्हित किया है।

नगरीय परिवहन निदेशालय

नगरीय परिवहन व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन के दिनांक 20.04.2009 द्वारा नगरीय परिवहन निदेशालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में 14 शहरों यथा-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा;मथुरा, बरली, झाँसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर एवं गोरखपुर में 13 एस.पी.वी.(आगरा-मथुरा की एक एस.पी.वी.) के माध्यम से 1404 नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है। एस.पी.वी. में नगरीय बसों के संचालन से हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति उ.प्र. समर्पित नगरीय निधि नियमावली- 2013 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय

की अध्यक्षता में गठित "निधि प्रबन्ध समिति" के निर्देश पर की जा रही है।

उपलब्धियाँ :-

नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा कराये जा रहे कार्यकलापों का विवरण :-

1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत

- भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनान्तर्गत यू.आई.जी. कार्यान्वयन में यू. आई.जी. के अन्तर्गत 07 शहरों में 1310 बसों के संचालन की परियोजनायें दिनांक 11-04-2009 को स्वीकृति की गयी, जिसके क्रय किये जाने हेतु यू.पी.आर.टी.सी. को अधिकृत किया गया।
- स्वीकृत 1310 बसों के सापेक्ष 07 शहरों हेतु 1140 बसें क्रय की गयी थीं, जिनमें से वर्तमान में 664 बसें प्रदेश के 07 शहरों में एस.पी.वी. के माध्यम से संचालित हो रही हैं।

2. फेम इण्डिया स्कीम के अन्तर्गत लखनऊ शहर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

मे. टाटा मोटर्स लि. से 40 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की गयीं, जिनका संचालन एस.पी.वी.-लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि. के दुबग्गा डिपो से कराया जा रहा है।

3. महानगर गोरखपुर में 02 लो-फ्लोर सी.एन.जी. बस (12 मीटर) की व्यवस्था

उ.प्र. समर्पित नगरीय परिवहन निधि में उपलब्ध धनराशि से 02 सी.एन.जी. बसें क्रय कर नगर निगम, गोरखपुर को उपलब्ध करायी गयी हैं।

4. फेम इण्डिया स्कीम-द्वितीय के अन्तर्गत ग्रॉस कॉस्ट कान्ट्रैक्ट मॉडल पर आधारित प्रदेश के 14 शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

14 शहरों में प्रस्तावित समस्त इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति की जा चुकी है तथा सभी शहरों में मेन्टीनेन्स डिपो क्रियाशील हैं।

5. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन

नगरीय परिवहन के कुशल संचालन हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, उक्त के अनुक्रम में चार विशेषज्ञों को उपलब्ध कराये जाने हेतु मे. क्रिसिल रिस्क एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन्स प्रा. लि. के साथ दिनांक 07.09.2020 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया तथा वर्तमान में फर्म द्वारा चार विशेषज्ञों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिनके द्वारा संबंधित कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है:-

1. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एक्सपर्ट 2. नगरीय इनफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट 3. प्रक्योरमेंट एक्सपर्ट 4. एम.आई.एस. एक्सपर्ट।

6. कम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लाइन बनाये जाने हेतु विशेषज्ञ संस्था का चयन

प्रदेश के 07 शहरों में कम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान बनाये जाने हेतु विशेषज्ञ संस्था का चयन टेण्डर के माध्यम से किया गया है, जिनमें से 03 शहरों के सी.एम.पी. हेतु मे. राईट्स लि. व 04 शहरों हेतु मे. अर्बन मॉस ट्रान्जिट कम्पनी लि. द्वारा परियोजना (Plan) बनाये जाने

की कार्यवाही गतिशील है।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 02 अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य **"खुले में शौच की कुप्रथा"** को समाप्त करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबन्धन करना, शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता सम्वर्द्धन आदि है। मिशन के घटकों में अस्वच्छ शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, आईईसी एवं जनजागरूकता तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 651 नागर निकायों द्वारा **"खुले में शौच से मुक्त"** (ओ.डी.एफ.) स्वघोषित किया जा चुका है एवं जिसमें से 651 निकायों को थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराकर ओ.डी.एफ. प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के 516 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस एवं 37 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस प्लस हो चुके हैं। शेष निकायों में ओ. डी.एफ. प्लस एवं ओ.डी.एफ. प्लस प्लस की कार्यवाही की जा रही है।
- "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यकम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "स्टेट लेबल हाई पावर स्टयरिंग कमेटी" (एस.एच.पी.एस.सी.) गठित है।
- प्रतिबंधित प्लास्टिक 1328.21 टन प्लास्टिक जब्त की गई तथा धनराशि रु. 16.78 करोड़ (रु. बारह करोड़ बयालीस लाख मात्र) का जुर्माना किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 899634 व्यक्तिगत शौचालयों, 35708 सामुदायिक शौचालयों तथा 33673 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।

आरम्भ अभियान - इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की समस्त निकायों के द्वारा 16.23 टन प्लास्टिक जब्त की गई और 55.65 लाख का जुर्माना प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया गया।

'प्रतिबद्ध' 75 घंटे 75 जनपद 750 निकाय अभियान - आजादी @ 75 अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "प्रतिबद्ध 75 घंटे 75 जनपद 750 निकाय जी.वी.पी. (गार्बेज वल्नरेबल प्वांइट) विलोपन" अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान में 1710.82 टन गीला कूड़ा, 2190.08 सूखा कूड़ा एवं 1453.94 टन सी. एण्ड डी. वेस्ट को निस्तारित किया गया।

नगर सुशोभन अभियान - "प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान के अन्तर्गत व उसकी निरन्तरता बनाये रखने के लिए नगर सुशोभन अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05 दिसम्बर 2022 से 07 दिसम्बर 2022 तक आयोजित किया गया था।

स्वच्छ विरासत अभियान - इस अभियान में प्रदेश के समस्त पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों को स्वच्छ धरोहरों के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों पर प्रदेश के एतिहासिक

स्थलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित हो सके।

स्वच्छ ढाबा अभियान - प्रदेश के समस्त 750 निकायों में (उनके सीमान्तर्गत क्षेत्र में) रोड साइड स्थित ढाबों पर एक उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वच्छ ढाबा अभियान की शुरुआत योजनाबद्ध प्रचार-प्रसार के साथ किया गया है।

10तक अभियान - प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक शत-प्रतिशत सोर्स सेग्रीग्रशन सहित पूर्णतया डोर टू डोर बेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित कराने हेतु "10तक" "डोर टू डोर" अभियान 03 चरणों (प्रे-पर्सुएड-पेनलाइज) में चलाया जा रहा है।

स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज - स्वच्छ टैक्नोलॉजी चैलेन्ज का मुख्य उद्देश्य था - सामाजिक समावेशन, जीरो डम्प (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट), प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट, पारदर्शिता (डिजिटल सक्षमता) इन थीम्स के अंतर्गत प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन के साथ अच्छी टेक्नालॉजी का प्रयोग करने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों (स्टार्टअप्स, एन.जी.ओ., आमंत्रित छात्र, सिटीजन ग्रुप्स इत्यादि) को चयनित किया गया।

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना-अमृत

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज तथा सेप्टेज मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा पार्क एवं ग्रीन स्पेसेज से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु इस मिशन के सहायतार्थ क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ को संसाधन केन्द्र के रूप में नामित किया गया है।

अटल मिशन फॉर रिजूवेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत) का आरम्भ जून, 2015 में किया गया। वर्तमान में प्रदेश के 60 शहर इस योजना में आच्छादित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को निश्चित पेयजल करना तथा हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

परिचय

मिशन का शुभारम्भ दिनांक २५.०६.२०१५ को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। प्रदेश में दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा योजना को लागू किया गया।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानक

- लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
- लाभार्थी ऐसे परिवार से होंगे, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम अपना पक्का घर नहीं होगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।
- ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री, जो उपार्जक (रोज कमाता) हो तथा स्वयं के नाम कोई पक्का आवास न हो, भी योजना के लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- सीएलएससी घटक में नोडल एजेन्सी नेशनल हाऊसिंग बैंक एवं हडको हैं। इसमें कोई राज्यांश नहीं है। इस घटक के अन्तर्गत अब तक कुल 71678 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख तक/एलआईजी हेतु आय सीमा 3 से 6 लाख/एमआईजी-1हेतु वार्षिक आय सीमा 6 से 12 लाख लाख/एमआईजी-2 हेतु वार्षिक आय सीमा 12 से 18 लाख है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत अब तक 13,73,814 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक में 1,36,533 आवास कुल अद्यतन 15,10,347 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश लाभार्थी आधरित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत आवास स्वीकृति में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृति आवासों के सापेक्ष 8,68,141 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राण्डिंग हो चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें 4,73,645 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस घटक के अन्तर्गत 7,17,386

लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल रु. 12,977,23 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त की गयी है।

- उत्तर प्रदेश पूरे देश में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तान्तरित करने में प्रथम स्थान पर है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण की उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 (माह मार्च, 2020 तक)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 31 मार्च, 2014 को भारत सरकार द्वारा परिवर्तित कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन (एन०यू०एल०एम०) वर्तमान में प्रदेश के चयनित 130 शहरों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28.02.2014 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल और निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०) के संचालन हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका के मुख्य उपघटक का विवरण निम्नवत् हैः-

1. सामाजिक गतीशीलता एवं संस्थागत विकास

इस घटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों (ए०एल०एफ०/सी०एल०एफ०) के गठन का लक्ष्य निकायों/शहरों को आवंटित करते हुए समूहों के गठन, प्रशिक्षण एवं देखरेख हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 सन्दर्भ संस्थाओं (आर०ओ०) को आर०एफ०पी० के माध्यम से इम्पैनल्ड किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु शासनादेश एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अब तक स्वीकृत 71 शहरी आजीविका केन्द्रों में से 70 शहरी आजीविका केन्द्र क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 600 स्वयं सहायता समूहों के गठन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 4844 स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया गया है एवं 5511 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया गया है।

2. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

इस घटक के अन्तर्गत दिनांक 28.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा राज्य स्तर पर मिशन प्रबन्धन इकाई (एस०एम०एम०यू०) में तथा शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी०एम०एम०यू०) में विशेषज्ञ रखे जाने हेतु आर०एफ०पी० के माध्यम से मानव संसाधन संस्था (एच०आर०) का चयन किया जा चुका है तथा शासनादेश संख्या -226/2015/318/69-1- 2015-14(104)/ 2013 दिनांक 13.03. 2015 के अनुक्रम में आउटसोर्स संस्था के माध्यम से 04 राज्य मिशन प्रबन्धक, 110 शहर मिशन प्रबन्धक एवं 183 सामुदायिक आयोजक कार्यरत हैं जिनको समय-समय पर नामित संस्था द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार

इस घटक के अन्तर्गत मिशन क्रियान्वयन हेतु आच्छादित शहरी निकायों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सेवायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 35205 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष शहरों में 34040 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रगति में है।

4. स्वरोजगार कार्यक्रम

इस घटक के अन्तर्गत शहरी निकायों को योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी तथा 10000 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण तथा 200 समूहों को समूह ऋण के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 8388 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण एवं 204 समूहों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है।

5. शहरी पथ विक्रेता को सहायता योजना

इस घटक के अन्तर्गत कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश में 60 शहरों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण एवं 09 शहरों में मॉडल स्ट्रीट वेंडिग जोन विकसित किये जाने हेतु कार्य भी प्रगति पर है। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु अधिनियम 2014 के अनुरूप पथ विक्रेताओं हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० द्वारा नियमावली बनायी जा चुकी है।

6. शहरी बेघरो हेतु आश्रय योजना

इस घटक के अन्तर्गत शहरी बेघरों के आश्रय हेतु संबंधित शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी। प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का शासनादेश संख्या 833/69-1-14-14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा गठन किया जा चुका है। उक्त घटक में सीएण्डडीएस निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित है। नये निर्माण एवं उच्चीकरण की अद्यतन 148 परियोजना स्वीकृत है, जिनके सापेक्ष 103 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण जिनमें 88 आश्रय गृह क्रियाशील तथा 45 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य गति पर है।

जल सम्पूर्ति

संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या-43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिए एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झाँसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत है। गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित हैं। सम्प्रति पाँच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख-रखाव किया जाता है। प्रदेश के नगरों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण के निर्माण कार्य जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण करा कर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रख-रखाव हेतु सौंप दिया जाता है।

उ०प्र० जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम दिनांक- 24.08.2021 द्वारा निर्गत किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानानुसार उ०प्र० जल निगम का उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन किया गया है।

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. राज्य सरकार निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनको उन्नयन करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं करना।
3. राज्य सरकार के निदेशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', करों तथा जल सम्भरण प्रभारों की समीक्षा करना और उन पर सलाह देना।

5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किए जाने का प्रबंध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।
7. नगरीय क्षेत्रों में ऐसे/सभी कृत्य करना जो यहां पर उल्लिखित न हों और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय जो धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा का मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।
10. जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाए तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।
11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के संबंध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।
12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक निस्तारित करने के लिए व्यवहारिक अनुसंधान कराना।
13. इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन निगम को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों को करना।
14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं।

जल निगम (नगरीय) की शक्ति

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवल व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 15(1) के अन्तर्गत जल निगम (नगरीय) की शक्तियाँ परिभाषित हैं।

15(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन निगम को ऐसा कोई कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी :-

1. समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी संचालित होती हों, निरीक्षण करना।
2. किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे।
3. अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

4. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार और उन्हें कार्यान्वित करना।
5. राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गई समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।
6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।
7. स्वयं वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना।
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा ४६ के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।
9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबंध करना।
10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना।
11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

जल निगम (नगरीय) कार्यालयों का विवरण :-

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम (नगरीय) में १८ मण्डल एवं ६८ खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्रीय कार्यालय	मण्डल कार्यालय	खण्ड कार्यालय
लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा	14 (सिविल) 04 वि०/याँ	56 सिविल 12 वि०/याँ
योग	**18**	**68**

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 734 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.45 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ का लगभग 23.3 प्रतिशत है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 84 नये नगरीय निकाय घोषित किये गये हैं तथा 64 स्थानीय निकायों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में कुल 734 निकाय हैं। उक्त 672 नगरों में पाइप पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है।

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की 31 मार्च, 2022 की स्थिति	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	17	17

नगर पालिका परिषद	194	194
नगर पंचायत	523	523
योग	**734**	**672**

● **आच्छादित नगरों की संख्या 62**

नवसृजित नगरीय निकायों हेतु नगरीय मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :-

क्र.सं. नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	**पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)**	**734 का विवरण दिया जाना है।**	**सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या**
1. 10 लाख से अधिक	150	10	10
2. 1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	31
3. 20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	277	19
4. 20 हजार से कम	135*/70	393	1
योग		**734**	**58**

*** जलोत्सारण हेतु**

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ०प्र० शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

मार्च 22 तक 77 निमार्णाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु० 1557.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। वर्ष 2021-22 में 77 योजनाओं में से 38 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। तथा 39 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। शासन से अवमुक्त धनराशि रु० 1085.59 करोड़ के सापेक्ष रु० 989.61 करोड़ का व्यय किया गया है।

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल ७३४ नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न है :-

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	17	16	*1
नगर पालिका परिषद्	194	46	148
नगर पंचायत	523	3	520
योग	**734**	**65**	**669**

* झाँसी भौगोलिक स्थिति सीवर नेटवर्क के लिए उत्तम नहीं है।

उपरोक्त सभी 65 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

मार्च 22 तक कुल 31 जलोत्सारण योजनाओं के सापेक्ष रु० 758.47 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिसमें से 17 योजनाओं का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी किया गया है तथा शेष 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त रु० 658.07 करोड़ सापेक्ष रु० 583.87 करोड़ व्यय किया गया है।

जल निकासी कार्यक्रम

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

मार्च 22 तक कुल 25 जलनिकासी योजनाओं के विरुद्ध रु० 244.20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिसमें से 12 योजनाओं का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी किया गया है तथा शेष 13 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त रु० 233.55 करोड़ सापेक्ष रु० 199.30 करोड़ व्यय किया गया है।

अमृत (अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि) उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से शहरी विकास भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25.6.2015 को अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरीय निकाय चयनित किये गये हैं। प्रदेश के 60 नगरीय निकाय इस योजना में आच्छादित हैं, योजना की अवधि 2015-2020 (5 वर्ष) की है।

योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन की योजना की अवधि में सार्वभौमिक आच्छादीकरण करना है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण जल निकासी एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु उ.प्र. जल निगम/सी.एण्ड.डी.एस. को नामित किया गया है।

अमृत योजना के अन्तर्गत 172 पेयजल एवं 98 जलोत्सारण की कुल 270 परियोजनाएं

कुल अनुमानित लागत रु० 11399.96 करोड़ की स्वीकृति 'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति' (एस.एच.पी.एस.सी.) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल की 145 योजनायें तथा जलोत्सारण की 80 योजनायें, कुल 225 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति

- **जे.एन.एन.यू.आर.एम.(यू.आई.जी.) कार्यांश** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 7 नगर निगम नामितः लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं मथुरा-वृन्दावन को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 25 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत लागत रु० 6133.95 के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को कुल रु० 6033.33 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु० 5830.92 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 25 परियोजनाओं में से 15 पूर्ण कर जन उपयोगी की जा चुकी हैं। 11 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा लगभग 98.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
- **यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.(यू.आई.जी.) कार्यांश** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 45 परियोजनाओं कुल स्वीकृत लागत रु० 1270.42 करोड़ के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को कुल रु० 1233.60 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु० 1213.33 करोड़ धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 45 योजनाओं में से 44 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। फिरोजाबाद सीवरेज के समस्त कार्य पूर्ण हैं परन्तु योजना पर देनदारी शेष है।
- **यू.आई.डी.एस.एम.टी. कार्यांश के ''ट्रांजिशन फेज''** के अन्तर्गत स्वीकृत 7 योजनाएं कुल स्वीकृत लागत रु० 353.05 करोड़ के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम को कुल रु० 331.20 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु० 293.08 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत समस्त 7 योजनाओं में से 2 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं तथा 5 योजनाओं के समस्त कार्य लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण हैं।
- **वाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी.) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना**
  आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल योजना (वाह्य सहायतित-जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवम् मथुरा शहर को 10 क्यूसेक कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु० 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु० 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता 15 एवम् 30 एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है, सीवेज का शोधन हो रहा है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 99.60 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु० 195.91 करोड़ के सापेक्ष रु० 190.15 करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूट्रीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डन एरिया, स्नैक ज्वांइट, आब्जरवेशन टावर तथा

पैडल बोट्स के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंग फॉउन्टेन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करा दिया गया है।

लक्ष्मी ताल (झाँसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 07/10.11.2014 द्वारा रु० 54.13 करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु० 37.89 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु० 50.00 करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु० 49.22 करोड़ व्यय हुआ है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा योजना ट्रायल रन पर संचालित की जा रही है।

- **संचालन एवं अनुरक्षण कार्य- (एस०टी०पी०)**

  एक शहर एक संचालक सिद्धान्त पर प्रदेश के 14 नगरों में कुछ 1135.30 एम०एल०डी० क्षमता के 29 एस०टी०पी० व तत्सम्बन्धित कार्यों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्राइवेट ऐजन्सी के माध्यम से कराये जा रहे हैं तथा जल निगम द्वारा इनका पर्ववेक्षण किया जाता है। कार्य लागत पर 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क जल निगम को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जल निगम द्वारा 559.05 एम०एल०डी० कुल क्षमता के 23 एस०टी०पी० व तत्सम्बन्धित कार्यों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।

अमृत 2.0

मा० प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2025 तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के समस्त नागरिकों को पाइप पेयजल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल से आच्छादित किये जाने का संकल्प लिया गया। शासनादेश दि० 6 जनवरी 2022 द्वारा उ०प्र० जल निगम को पेयजल एवं सीवरेज कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया।

उपरोक्त कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों के सिटी वाटर बैलेन्स प्लान तथा सिटी वाटर एक्शन प्लान उ०प्र० जल निगम द्वारा भारतीय नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी के सम्पर्क स्थापित कर ससमय तैयार कर भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रदेश हेतु आवंटित की गयी प्रथम किस्त की धनराशि रु0 8000 करोड़ के सापेक्ष पेयजल एवं जलोत्सारण की 101 परियोजनायें लागत धनराशि रु0 7362.27 करोड़ प्रस्तुत की गयी। शासन के कार्यालय ज्ञाप दि० 11 जनवरी 2022 द्वारा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति का गठन किया गया। दिनांक 09.03.2022 को समिति द्वारा प्रथम बैठक में 101 परियोजनाओं की स्वीकृति लागत रु० 7361.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष विस्तृत प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है।

स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0

स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों में जलोत्सारण हेतु शासनादेश दिनांक 06.01.2022 उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में 112 नगरों का चयन किया गया है। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नगरों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 37 नगरों के सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान रु० 697.45 करोड़ पूर्ण करा लिया गया है जिसकी स्वीकृति आगामी राज्य स्तरीय तकनीकि समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किसर जाना प्रस्तावित है। योजना की वित्त पोषण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

1. केन्द्रांश 50 प्रतिशत, 2. राज्यांश 33 प्रतिशत, 3.यू०एल०बी० अंश 17 प्रतिशत।

डिपाजिट कार्य

उ०प० जल निगम (नगरीय) प्रदेश की पेयजल एवं सीवरेज कार्यों की अग्रणीय संस्था है जिसे इस क्षेत्र में प्रर्याप्त तकनीकि अनुभव एवं दक्षता प्राप्त है। जल निगम द्वारा अपने कार्य भार को बढ़ाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य विभागों से कार्य प्राप्त कर अपने कार्य भार को बढ़ाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में उ०प्र० जल निगम द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में रु० 125 करोड़ का कार्य प्राप्त किया गया है। जिससे उ०प० जल निगम द्वारा रु० 15.00 करोड़ की धनराशि सेन्टेज के रूप में अर्जित की गयी।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) का कार्य कलाप

सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम का सृजन वर्ष 1989-90 में उ०प्र० जल निगम की विंग के रूप में प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के कार्यों को प्राप्त कर जल निगम के कार्यभारत में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था, सी0एण्ड डी०एस० उ०प० जल निगम की शासनादेश दिनांक 06.06.1991 द्वारा शासकीय निर्माण ऐजेन्सी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। शासनादेश दिनांक 12.02.2013 द्वारा ए०एण्ड डी०एस., उ०प्र० जल निगम को प्रथम श्रेणी की कार्यदायी संस्था की श्रेणी में रखते हुए किसी भी सीमा के निर्माण कार्यों हेतु अधिकृत किया गया।

- उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के विभागों यथा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पांडिचेरी, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पंजाब एवं पूर्वोत्तर राज्यों आदि में भी सी०एण्ड डी०एस० को उसकी ख्याति के आधार पर कार्य प्राप्त हुए हैं, जिनका सफलतापूर्वक सम्पादन किया गया/जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के लगभग रु० 500 करोड़ के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जा चुके हैं तथा लगभग रु० 400 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन हैं।
- सिविल निर्माण से अलग हटकर पिछले वित्तीय वर्षों में सी०एण्ड डी०एस० को नागरिक

उड्डयन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट एवं विद्युत क्षेत्र विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के कार्य भी प्राप्त हुए जिनका सफल सम्पादन किया गय/जा रहा है। सी०एण्ड डी०एस० की कार्य कुशलता को देखते हुए वर्ष 2020-2021, 2021-22 विभाग को प्रदेश के 36 नगरीय निकायों में जनित ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु नवीन प्लान्ट के अधिष्ठापन कार्य हेतु लगभग रु० 300 करोड़ के कार्य प्राप्त हुए।

निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि०/याँ० नलकूल विंग, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) का उद्देश्य एवं कार्य कलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उ०प्र० शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यभार की कमी को देखते हुए, उ०प्र० जल निगम निदेशक मण्डल की 118वीं बैठक के मद संख्या 118.21 में लिये गये निर्णय एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के कार्यकारी आदेश दिनांक 27.07.96 के द्वारा ''निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि०/याँ० नलकूप विंग, उ०प्र० जल निगम'' नाम से एक विंग का सृजन किया गया। नलकूप विंग के सृजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधित कार्य तथा अन्य विद्युत/यॉत्रिक कार्यों को डिपाजिट कार्य के रूप में प्राप्त कर उ०प्र० जल निगम के कार्यभार में वृद्धि करने हेतु किया गया।

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ उ०प्र० जल निगम (नगरीय)

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभागीय आदेश दिनांक 13.05.96 के क्रम में शासनादेश दिनांक अप्रैल 26, 1999 द्वारा गठित मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता आदि के क्षेत्र में चल रह समस्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के समन्वयक/नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु एक अधिकृत प्रकोष्ठ है, जिसमें कार्यरत प्रायः सभी अधिकारी/कर्मचारी विस्तृत अनुभव प्राप्त पर्यावरण अभियन्ता एवं सामुदायिक सहभागिता विशेषज्ञ है। प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 1996 से वर्ष 2008 के मध्य राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 68 जनपदों में 60,000 से अधिक प्रदेश के ग्रामीण उद्यमियों को न केवल हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ग्रामीण पंचायतों की क्षमता का विकास किया गया, अपितु प्रदेश के 35,000 से अधिक ग्रामों में जन-जागरूकता/आई०ई०सी० कार्यक्रमों के साथ-साथ 275 विकास खण्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर 16,000 ग्रामों में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता (वी०डब्लू०एस०सी०) समितियों का गठन भी कराया गया।

●

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का उद्देश्य

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियाँ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन वर्ष 1966 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन किया गया है। परिषद का गठन विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं को नियोजित ढंग से कार्यान्वित करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीति के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

विकास प्राधिकरण

प्रदेश के विकासशील नगरों का महायोजना के अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु ''उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973'' के अधीन विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 29 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप

(1) विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार करना और उसके अनुसार विकास सुनिश्चित करना।

(2) आवासीय एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन एवं निस्तारण।

(3) अवस्थापना सुविधाओं यथा जल-आपूर्ति, विद्युत-आपूर्ति, जल एवं मल-निस्तारण तथा अन्य जन-सुविधाओं के प्राविधान हेतु निर्माण, अभियान्त्रिकी, खनन एवं अन्य क्रियायें कार्यान्वित करना।

(4) विकास व निर्माण कार्यों हेतु विकास/निर्माण अनुज्ञा जारी करना तथा विकास एवं निर्माण कार्यों का विनियमन।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्रदेश के विशिष्ट महत्त्व के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप

(1) विशेष विकास क्षेत्र के लिये योजना तैयार करना और उसके अनुसार सुनियोजित रीति से विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना।

(2) विकास योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ, भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, विकास करना, प्रबन्ध करना व निस्तारण करना।

(3) अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने हेतु कार्यों का निष्पादन करना।

(4) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर विशेष क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए उसी रीति से उपबन्ध करना जो नगर पालिकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग मुख्य संगठन तथा दूसरा भाग सम्भागीय नियोजन योजना है। मुख्य संगठन का कार्य स्थानीय एवं निरन्तर प्रक्रिया के रूप में सम्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा प्रदेश के नियोजित विकास के हित में प्राविधिक निदेशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य संगठन के अन्तर्गत मुख्यतः चार प्रभाग कार्यरत हैं (1) नगर नियोजन प्रभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों, आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के भौतिक विकास को सुनियोजित व नियन्त्रित करने में परामर्श देना व सहायता प्रदान करना है (2) वास्तुकला प्रभाग द्वारा भवन डिजाइन व स्थल नियोजन सम्बन्धी योजनायें निर्धारित शुल्क लेकर तैयार करना है (3) प्राविधिक प्रभाग द्वारा आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र की योजनाओं के प्राक्कलनों की जाँच, निर्माण योजनाओं का आवश्यकतानुसार निरीक्षण व प्रगति के अनुश्रवण का कार्य सम्पन्न किया जाता है (4) अनुश्रवण प्रभाग द्वारा राज्य सेक्टर की योजनाओं का अनुश्रवण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना, आदि के कार्य सम्पन्न किया जाता है।

महायोजना की प्रगति

प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विनियमित क्षेत्रों, विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों की महायोजनाएं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरणों/नियन्त्रक प्राधिकारियों के अनुरोध पर तैयार की जाती हैं। नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। महायोजना अवधि पूर्ण हो जाने पर उस नगर की पुनरीक्षित महायोजना तैयार की जाती है। प्रदेश में वर्ष 2021 के अनुसार कुल 934 जनगणना नगर हैं, जिसमें विभिन्न नियोजन अधिनियमों यथा-उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं

विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत 29 विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 72 विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 04 विशेष क्षेत्र विकास क्षेत्र प्राधिकरण अधिसूचित हैं, जिनमें कुल 221 नगर शामिल हैं। वर्तमान में 91 महायोजनाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित हैं। विभागीय स्तर पर तैयार की जा रही एवं अमृत योजनान्तर्गत कुल 182 नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने/पुनरीक्षित किये जाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जबकि 39 नगरों की महायोजनाएं बनायी जानी शेष हैं।

जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स की प्रगति

महायोजना के क्रियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स/सेक्टर प्लान्स तैयार किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु अधिनियमों के अधीन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जोनल प्लान्स, महायोजना की रूपरेखा के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली एक विस्तृत कार्य योजना है, जिसमें जोन्स/सेक्टर स्तर पर भू-उपयोग, सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें, सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रस्ताव शामिल होते हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आगरा महायोजना- 2021 के अन्तर्गत दो जोन (जोन-2 एवं जोन-6), इलाहाबाद महायोजना-2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन-बी-4) तथा गाजियाबाद महायोजना-2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन-1) का जोनल प्लान शासन द्वारा स्वीकृत है। अमृत योजनान्तर्गत 59 महायोजनाओं को तैयार किये जाने/पुनरीक्षित किये जाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। शासन द्वारा उक्त नगरों की महायोजना स्वीकृत किये जाने के पश्चात् जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश प्रभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना-2041 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रक्षेपित जनसंख्या 11.3 करोड़ सम्भावित की गयी है। इस क्षेत्र के भावी जनसंख्या के सुविधाओं के दृष्टिगत क्षेत्रीय योजना को तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में योजना के प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एवं अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों में जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना अमृत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों की जी.आई.एस. तकनीक पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन घटक सम्मिलित हैं:-

(क) सैटेलाईट इमेज आधारित बेसमैप्स

(ख) जी.आई.एस. आधारित महायोजनाएं

(ग) जी.आई.एस., तकनीकी का प्रशिक्षण।

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग, सेण्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

शासन के कार्यों में विभाग की सहभागिता

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में विभिन्न नीतियों के आलेख तैयार करने का कार्य, अधिनियमों/नियमों में संशोधन का कार्य, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करना एवं उसमें संशोधन का कार्य, जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन का कार्य एवं विभिन्न शासनादेशों के आलेख तैयार करने का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा किये गये कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

- भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन एग्रीमेंट फॉर सेल/लीज का निर्धारण
- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021
- समाज के लघु-मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को उनकी आर्थिक क्षमता अनुसार आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अफोर्डेबल हाउसिंग नीति का निर्धारण-
- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 में संशोधन विषयक।
- उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम-2021 एवं उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली-2021
- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-12क के अन्तर्गत मॉडल उपविधि ''विकास प्राधिकरण'' (मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि-2021'' के क्रियान्वयन सम्बन्ध में।
- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के परन्तुक के अधीन उपविधि बनाये जाने के सम्बन्ध में।
- 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' : मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का सरलीकरण एवं ऑन-लाइन किये जाने की कार्यवाही।

नगर भूमि सीमारोपण

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976, उत्तर प्रदेश राज्य में फरवरी, 1976 में लागू किया गया था। अधिनियम का मूल उद्देश्य बड़े शहरों में अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारकों से अधिग्रहीत कर इसे आवासहीन निर्बल आय-वर्ग को आवास हेतु उपलब्ध कराना, बड़े शहरों में आवासीय समस्या का समाधान करना तथा शासकीय कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति कराना था। वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अधीन नगर भूमि सीमा रोपण विभाग के कार्यालय प्रयागराज, आगरा,

अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मेरठ एवं देहरादून (वर्तमान में उत्तराखण्ड में) स्थापित किये गये।

आवास बन्धु

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद की "सुविधाप्रदायक" भूमिका को सुदृढ़ बनाने तथा परियोजना क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन वर्ष 1997 में "आवास बन्धु" का गठन किया गया है। आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए एक चिन्तन केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

मुख्य कार्य-कलाप

(1) आवास सेक्टर की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के प्रत्युत्तर में एक नई सोच विकसित करना,
(2) आवास क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की समस्याओं का समाधान,
(3) विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के कार्य-कलापों का अनुश्रवण व कार्यपूर्ति मूल्यांकन,
(4) लोक शिकायतों का समाधान,
(5) सिस्टम सुधार,
(6) प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का मानकीकरण
(7) प्रशिक्षण प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास
(8) शासन की नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का संकलन/प्रकाशन तथा आवास क्षेत्र से सम्बन्धित नवीन सूचनाओं का प्रलेखन, प्रचार एवं प्रसार।

सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड

उ.प्र. सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी आवास समितियों की शीर्ष सहकारी समिति के रूप में वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन किया गया था। संघ का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में होने के फलस्वरूप संघ अब मल्टी स्टेट अधिनियम के अधीन होने के दृष्टिगत सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

(1) आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पट्टे पर, विनिमय, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करना तथा उसे विकसित करना।
(2) सदस्यों की आवश्यकतानुसार आवास बनाना या बनवाना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा प्राविधिक सलाह देना व दिलाना।
(3) सदस्यों को सीधी खरीद, किराया खरीद (हायर पर्चेज) या किराए के आधार पर आवास उपलब्ध कराना या देना।

(4) आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने तथा आवास निर्माण के लिए सदस्यों को भूमि और भवन बन्धक रखकर ऋण देना।
(5) ऋण पत्रों (डिबेन्चर्स) तथा अन्य लेखों द्वारा ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से धन प्राप्त करना।
(6) डिबेन्चर्स के अतिरिक्त अमानतें लेना तथा अन्य पद्धतियों से ऋण प्राप्त करना।
(7) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को ऋण प्रदान करना।
(8) सहकारी कालोनियों का विकास करना।

विनियमित क्षेत्र

प्रदेश के द्रुत गति से बढ़ रहे ऐसे महत्त्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र, जहाँ विकास प्राधिकरणों का गठन अभी व्यावहारिक नहीं है, में अव्यवस्थित विकास को नियन्त्रित करने, महायोजना बनाने तथा महायोजना के अनुरूप सुनियोजित विकास सुनिश्चित किये जाने हेतु उ.प्र. (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1959 के अधीन विनियमित क्षेत्रों का गठन किया गया है। प्रदेश में कुल 72 विनियमित क्षेत्र कार्यरत हैं। विनियमित क्षेत्रों के मुख्य कार्य-कलाप निम्नानुसार हैं :-

(1) विनियमित क्षेत्र में अव्यवस्थित विकास और निम्न मापदण्ड वाली कालोनियों के निर्माण पर नियंत्रण,
(2) विनियमित क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार करना एवं उसके अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना,
(3) विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु अनुज्ञा प्रदान करना।

उ.प्र. मेट्रो रेल कारपोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज़-1ए

- नार्थ-साउथ कॉरिडोर अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 05.09.2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी. सेक्शन पर मेट्रो सेवा व्यवसायिक संचालन दिनांक 08.03.2019 से प्रारम्भ।
- 65000 यात्री लगभग प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

- परियोजना के कॉरिडोर-1 में आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील तक लगभग 09 किमी. का प्राथमिक सेक्शन पर ट्रायल रन दिनांक 10.11.2021 को प्रारम्भ तथा रेवेन्यू ऑपरेशन दिनांक 28.12.2021 से प्रारम्भ।
- परियोजना के प्राथमिक सेक्शन (आई.आई.टी. कानपुर-मोतीझील) पर मेट्रो रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य मा. मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा दिनांक 15.11.2019 को प्रारम्भ।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

- परियोजना के कॉरिडोर-1 (ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक लागभग 06 किमी. का

प्राथमिक सेक्शन चिन्हित। इस सेक्शन पर ट्रेन ट्रायल प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 30.07.2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन हेतु दिनांक 30.11.2021 संभावित/लक्षित तिथि थी। प्राथमिक सेक्शन का रिवेन्यू ऑपरेशन दिसम्बर, 2023 तक सम्भावित।

- परियोजना के कॉरिडोर-1 (ताज ईस्ट गेट से सिकन्दरा) के अन्तर्गत पाईलिंग, पाईल कैप, पियर तथा डिपो बाउण्ड्री वॉल, फाउण्डेशन एवं अन्य बिल्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.) परियोजना

- शासनादेश दिनांक 03.04.2017 द्वारा गोरखपुर महानगर में पर्यावरण अनुकूल, सुलभ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलबध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के संचालन हेतु फिजिबिलिटी/डी.पी.आर. एवं कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया गया।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित पी.आई.बी. की दिनांक 22.11.2021 को सम्पन्न बैठक में गोरखपुर कॉरिडोर-1 (श्याम नगर से एम.एम.एम. इंजीनियरिंग कालेज तक) लम्बाई-15.14 किमी. लागत रु. 2670.37 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज़-1 बी

- फेज-1बी-ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से बसंत कुंज) का डी.पी.आर. माह जून, 2018 तक संशोधन करके माह जुलाई, 2018 में शासन को उपलब्ध कराया गया।
- वर्तमान में यह डी.पी.आर. राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त इसे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

प्रयागराज, बरेली, झाँसी एवं मेरठ में मेट्रो लाईट मेट्रो रेल परियोजना

प्रयागराज, बरेली, झाँसी एवं मेरठ में मेट्रो लाईट रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मै. राईट्स एवं यू.एम.टी.सी. के सहयोग से सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा काम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना/रोप-वे-परियोजना

वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना का डी.पी.आर. दिनांक 09.06.2016 को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा नई मेट्रो रेल नीति, 2017 के अन्तर्गत उक्त डी.पी.आर. का पुनर्परीक्षण करने के निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुए। उक्त के क्रम में राज्य सरकार के स्तर पर विचार-विर्मश के उपरान्त उच्च स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना को फिजिबल नहीं पाये जाने के कारण वाराणसी में रोप-वे/केबल कार की परियोजना (कैंण्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक लम्बाई- 3.82 किमी.) के क्रियान्वयन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एस.पी.वी - नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लि. (एन.एच.एल.एम.एल.) को नामित किया गया है। एन.एच.एल.एम.एल. द्वारा परियोजना का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वाराणसी विकास

प्राधिकरण एवं एन.एच.एल.एम.एल. के मध्य एम.ओ.यू. के निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर परियोजना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में द्रुत क्षेत्रीय परिवहन के माध्यम से समेकित गतिशीलता समाधान द्वारा भीड़-भाड़ व प्रदूषण को कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों तक नागरिकों की पहुँच बढ़ाने व क्षेत्र के संतुलित व सतत आर्थिक विकास को गति देने हेतु रीजनल रैपिड ट्रॉंजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर परियोजना संचालित है।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर परियोजना को भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा मार्च, 2019 में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर की कुल लम्बाई 82.15 किमी. है, जिसमें से दिल्ली में 13 किमी. एवं उत्तर प्रदेश में 69.15 किमी. सम्मिलित है।

आवासीय योजनायें

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्गों हेतु निजी स्रोतों एवं स्वःवित्त पोषण के आधार पर आवासों के निर्माण की योजनायें संचालित की जाती हैं। पूर्व में इस योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त कर आय-व्ययक के माध्यम से विभिन्न विकास प्राधिकरणों, आदि को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती थी, परन्तु विगत कुछ वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण आवंटन प्राप्त न होने के कारण विभाग द्वारा ऋण अवमुक्त नहीं किया जा रहा है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध नहीं है और न ही वर्ष 2022-23 हेतु कोई आय-व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय विकास योजनायें

क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा मुख्य रूप से एन.सी.आर. योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एन.सी.आर. योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं के लिये 75:25 के अनुपात में क्रमशः 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में (ऋण) भारत सरकार से एवं 25 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में (ऋण) राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की जाती है। योजना से आच्छादित सम्बन्धित निकायों द्वारा विगत वर्षों में 25 प्रतिशत राज्यांश को स्वयं वहन करते हुये एवं स्वयं के संसाधनों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से ऋण की धनराशि सीधे प्राप्त की जा रही है। इसलिए वर्ष 2022-23 में कोई आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध नहीं था।

अन्य योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजनागत परियोजनाओं हेतु पूंजी लेखा के अन्तर्गत रु. 319212.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नवत हैः-

- सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के टॉवर्स का निर्माण।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू कार्य)।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (नये कार्य)।
- गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना।
- संस्कृति स्कूल, लखनऊ का निर्माण।
- अयोध्या व अन्य का सर्वांगीण विकास।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना।
- वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांन्जिट सिस्टम परियोजना।
- उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के भवन का निर्माण हेतु भूमि क्रय।
- राज्य की राजधानी का विकास लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" निर्माण कार्य।
- अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड में विकास कार्य।

अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक ए.एच.पी.

- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनाक 25.06.2015 को किया गया है। मिशन के चार घटकों में से अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप घटक के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस० भवन की लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान के लिए धनराशि रु० 1.50 लाख तथा राज्यांश रु० 1.00 लाख निर्धारित किया गया है। अवशेष धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाना है।
- अनुदान धनराशि का भुगतान 03 किश्तों (40%, 40% व 20%) में किया जाना है।
- भवन का अधिकतम कारपेट क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर निर्धारित है तथा लागत पूर्व में अधिकतम रु० 4.50 लाख निर्धारित की गयी थी। जैसे अब बढ़ाकर न्यूनतम रु० 6.00 लाख (22.77 वर्ग मीटर कारपेट एरिया हेतु) कर दिया गया है।
- अभिकरणों (122 परियोजना) एवं निजी विकासकर्ताओं (31 परियोजना) की कुल 153 परियोजनाओं के सापेक्ष 132493 भवनों की स्वीकृति सी.एस.एम.एस.सी. (भारत सरकार) से प्राप्त हो चुकी हैं।
- अद्यतन 89 परियोजनाओं (69555 भवन) के अन्तर्गत 46525 भवनों का निर्माण विभिन्न स्तर पर प्रगति में है। उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 13610 भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा 32915 भवन निर्माणाधीन हैं। अवशेष 23030 भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रक्रियाधीन है। अब तक 37536 भवनों का आवंटन विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया गया है।

लैण्ड बैंक

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा पुनर्ग्रहण सहित समस्त स्रोतों से कुल 483.34 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी है तथा कुल 1250.66 हेक्टेयर भूमि की अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है।
- करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर दर निर्धारित कर भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु दिशा-निदेश निर्गत किये गये हैं।

सबके लिए आवास योजना

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्मित/निर्माणाधीन आवासों का श्रेणीवार प्रगति विवरण निम्नवत् हैः-

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22 निर्मित	कुल निर्माणाधीन
1. दुर्बल आय वर्ग	438	5759
2. अल्प आय वर्ग	30	1850
3. मध्यम आय वर्ग	32	5300
4. उच्च आय वर्ग	168	893
योग	**688**	**13802**

हाईटेक टाउनशिप नीति

- हाई-टेक टाउनशिप नीति के अधीन अनुमोदित कुल 13 परियोजनाओं में से 6 प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं, जबकि 7 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यशील हैं।
- योजनान्तर्गत कार्यशील निजी विकासकर्ताओं द्वारा कुल 2048 दुर्बल आय वर्ग के तथा 1696 अल्प आय वर्ग के भवन पूर्ण किये गये हैं तथा 3959 दुर्बल आय वर्ग के तथा 6024 अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

- एक 'सेल्फ-कन्टेन्ड" रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।
- वर्तमान में इस नीति के अन्तर्गत 24 परियोजनाएँ क्रियाशील हैं।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को ऑनलाइन किया जाना।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 8 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जनहित गारण्टी की 07 सेवाएं (सम्पत्ति नामान्तरण, सम्पत्ति का पंजीकरण, आवंटी द्वारा जमा

धनराशि की वापसी, नजूल भूमि छोड़कर शेष भवन भूखण्डों को फ्री होल्ड करना, आदेशों की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना एवं भवन मानचित्र स्वीकृत) को ऑनलाइन कर दिया गया है। 01 सेवा जो शमन से सम्बन्धित है, वह प्रक्रियाधीन है।

अभिकरणों द्वारा निर्मित/विकसित सम्पत्तियों का ऑनलाइन किया जाना

समस्त अभिकरणों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति अपनी सम्पत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश अभिकरणों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का विवरण अभिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया गया है। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत 662 योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 656 योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है, जबकि अवशेष 06 योजनाओं में सम्पत्तियों को ऑनलाइन किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

एक मुश्त समाधान योजना-2020

एक मुश्त समाधान योजना-2020 के अन्तर्गत अद्यतन कुल 18054 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनमें से 18054 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष रु. 2846.49 करोड़ की मांग से सूचित किया गया है तथा रु. 2524.15 करोड़ जमा हुए हैं।

विभाग द्वारा निर्गत महत्त्वपूर्व नीतियां/उपविधियां

- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-16 के अधीन अधिसूचना दिनांक 08.07.2021 द्वारा विकास प्राधिकरणों (योजनाओं के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि-2021 निर्गत की गयी है। इस उपविधि को नियमानुसार विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार किया जायेगा।
- 17 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 12-क के अधीन अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई, 2021 द्वारा मुख्य मार्गों से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग के अनुश्रवण एवं मरम्मत के सम्बन्ध में मॉडल उपविधि-2021 निर्गत की गयी है। इस उपविधि को नियमानुसार विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार किया जायेगा।
- दुर्बल/अल्प/लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु हाऊसिंग उपलब्ध कराये जाने के लिए अफोर्डेबल हाऊसिंग उपविधि-2021 शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा निर्गत की गयी है। इससे दुर्बल/अल्प/लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे।
- निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ईडब्लूएस इकाईयों के पंजीयन हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुए इसे रु. 500/- निर्धारित किया गया है। इससे ईडब्लूएस श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी।
- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में पूर्व में 'नगरीय प्रभार शुल्क' स्वीकृत डी.पी.आर. के क्षेत्र पर अधिरोपित किया जाता था। अब नगरीय प्रभार शुल्क

नियमावली, 2014 के प्राविधानों के अनुरूप इसे निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकास हेतु प्रस्तुत तलपट मानचित्र में प्रस्तावित क्षेत्र पर लिये जाने की व्यवस्था की गई है।

ई-गर्वनेन्स

शासन की पूर्ण पारदर्शिता एवं जनसामान्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अप्रैल, 2002 में विभागीय वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिसमें जनसामान्य हेतु निम्न व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं :-

(1) विभाग द्वारा जारी सिटीजन चार्टर जिसमें प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनसामान्य हेतु सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की समयावधि व उत्तरदायी अधिकारी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।

(2) विभाग द्वारा जारी समस्त महत्त्वपूर्ण शासनादेश।

(3) प्राधिकरणों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आवश्यक उपविधियों, नियम एवं मानचित्र स्वीकृति की निर्धारित प्रक्रिया।

(4) नगरीय क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों के अन्तर्गत आवश्यक समस्त एकट, नियम एवं अधिनियम।

(5) भवन निर्माण/भवन क्रय इत्यादि में भूकम्परोधी व्यवस्थाओं/नियमों इत्यादित की जानकारी जनसामान्य को समझाने की दृष्टि से सरल भाषा में रेखाचित्रों सहित उपलब्ध है।

(6) प्रत्येक विकास प्राधिकरणों वाले नगरों में कराये जा रहे अवस्थापना सुविधा विकास कार्यों की सूचना।

(7) विभाग के अधीन समस्त विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले टेण्डर्स/नोटिस को प्रकाशित किये जाने की सुविधा।

(8) विभाग के अधीन समस्त विभागों के ई-मेल एवं वेबसाईट के पते।

(9) विभाग का अधिकार अधिनियम-2005 में किये गये प्राविधानों के अनुसार विभाग का वार्षिक बजट, सूचना अधिकारी का विवरण, विभाग के विभिन्न अनुभागों के मध्य कार्य बँटवारा तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं इसके नियंत्रणाधीन अभिकरणों के अपीलीय अधिकारी का विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध है।

●

खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग" की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनों विभागों को संविलियन कर प्रथम बार "खाद्य एवं रसद विभाग" की स्थापना की गयी तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को "सचिव" खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुनर्गठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया। शनैः-शनैः विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए "विभागाध्यक्ष" की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागाध्यक्ष के पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य एवं रसद के पद का सृजन 20 अप्रैल, 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गयी और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।

वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल, 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गयी, परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही। तब से लगातार खाद्यायुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की गयी तथा उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में "खाद्य आयुक्त" तथा शासन स्तर पर "प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद" कार्यरत हैं।

1. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद :-

(i) गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं क्रय केन्द्र :-

भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1925 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। गेहूँ की खरीद हेतु प्रदेश में कुल 5678 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे।

(ii) गेहूँ के मूल्य का भुगतान :-

वर्ष 2021-22 में गेहूँ खरीद योजना में कुल 1301753 किसानों को रु. 11141.031 करोड़ का भुगतान किया गया।

(iii) कृषकों के हित में की गयी कार्यवाही :-

किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नं.-18001800150 एवं खाद्यायुक्त कार्यालय, लखनऊ में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नं. 0522-2288906 स्थापित किया गया। किसानों की सुख-सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों पर पानी पीने की, बैठने की छाया की व्यवस्था की

गयी। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए फ्लैक्सी बैनर, पर्चे व पोस्टर तथा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का उपयोग किया गया।

(iv) ई-उपार्जन :-

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समस्त क्रय एजेन्सियां, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, भारतीय खाद्य निगम, एन.आई.सी. द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया को अपनाया गया।

2. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद :-

(i) श्रेणीवार धान का समर्थन मूल्य :-

धान को दो श्रेणियों- 1. कॉमन तथा 2. ग्रेड-ए में वर्गीकृत किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार निम्नवत निर्धारित किया गया है:-

क्र.	श्रेणी	धान का मूल्य (रु. प्रति कुं.)
1	सामान्य	रु. 1940/-
2	ग्रेड-ए	रु. 1960/-

(ii) क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु व्यवस्था :-

क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु सुविधाएं यथा- धान के मानक नमूने का प्रदर्शन, नमी मापक यंत्रों की व्यवस्था, धान की सफाई हेतु पंखा/छन्ना की व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था आदि के भी निर्देश दिये गये हैं। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नं. 18001800150 स्थापित किया गया।

(iii) धान क्रय केन्द्रों की स्थापना :-

प्रदेश में कुल 4656 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

(iv) धान के मूल्य का भुगतान :-

वर्ष 2021-22 में धान खरीद योजना में दिनांक 24.05.2022 तक कुल 1068399 किसानों को रु. 12352.40 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का की खरीद :-

(i) मक्का का समर्थन मूल्य :-

मक्के का समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा रु. 1870 प्रति कुं. निर्धारित किया गया है।

(ii) मक्का क्रय केन्द्रों की संख्या :-

खाद्य विभाग द्वारा 113 क्रय केन्द्र स्थापित कर मक्का खरीद का कार्य कराया गया।

(iii) मक्का के मूल्य का भुगतान :-

वर्ष 2021-22 में मक्का खरीद योजना में दिनांक 24.05.2022 तक कुल 699 किसानों को रु. 513.03 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

आपूर्ति शाखा

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

क. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 मार्च 2016 से लागू है।

ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत लाभार्थियों की दो श्रेणियां हैं - अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी। दोनों ही श्रेणी के लाभार्थियों को गेहूँ रु. 2.00 प्रति किग्रा. तथा चावल रु. 3.00 प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 35 किग्रा. खाद्यान्न, जिसके अन्तर्गत 20 किग्रा. गेहूँ तथा 15 किग्रा. चावल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 05 किग्रा. खाद्यान्न जिसके अन्तर्गत 03 किग्रा. गेहूँ व 02 किग्रा. चावल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. **जिला शिकायत निवारण अधिकारीः-** प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गयी है।

3. **जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्य :-**

जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निम्न राहत प्रदान की जाएगीः-

क. 30 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर हकदारी निर्धारित किया जाना।

ख. 30 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान।

4. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग में 01 अध्यक्ष तथा 05 सदस्यों के पद हैं।

5. सतर्कता समितियाँ :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के उद्देश्य से निम्न स्तरों पर सम्मुख अंकित जन प्रतिनिधि/अधिकारी की अध्यक्षता में सर्तकता समितियाँ गठित की गयी हैं :-

क. राज्य स्तर पर	-	आयुक्त, खाद्य एवं रसद
ख. जिला स्तर पर	-	जिलाधिकारी
ग. ब्लाक स्तर पर	-	उपजिलाधिकारी
घ. उचित दर दुकान स्तर पर	-	ग्राम प्रधान

6. एफ.पी.एस. आटोमेशन :-

- एफ.पी.एस. ऑटोमेशन के अन्तर्गत वर्तमान में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस की स्थापना कर लाभार्थियों में खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।
- अप्रैल, 2022 में उचित दर दुकानों पर ई-पास के माध्यम से कुल 3,35,36,006 ट्रान्जेक्शन किये गये जिसके अन्तर्गत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 3,34,59,888 ट्रान्जेक्शन किये जो कि 99.77 प्रतिशत है।

7. आधार सीडिंग कार्य की प्रगति :-

- दिनांक 11.05.2022 तक प्रदेश में प्रचलित राशनकार्डों की संख्या 3,61,53,497 है तथा

उनसे सम्बद्ध यूनिटों की संख्या 14,97,88,118 हैं।

- दिनांक 11.05.2022 तक प्रदेश स्तर पर राशनकार्ड मुखिया के आधार फीडिंग की प्रगति 99.89 प्रतिशत है तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार फीडिंग की प्रगति 99.89 प्रतिशत है।

8. वन नेशन वन कार्ड योजना :-

प्रदेश स्तर पर अन्तरजनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। माह मई, 2020 से अप्रैल, 2021 तक अन्य राज्यों के 42,049 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 10,27,384 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।

9. कोरोना महामारी के दौरान जारी राशन कार्ड की स्थिति व खाद्यान्न वितरण :-

कोविड-19 महामारी के दौरान राशन कार्ड एवं खाद्यान्न से वंचित पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड एवं खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु अभियान चलाकर राशन कार्ड बनवायें गये हैं। प्रदेश में माह अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2022 तक कुल 29,00,106 पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड कोरोना अभियान के अन्तर्गत जारी कराये गये हैं।

- **एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण :-**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत उपभोक्ताओं/राशन कार्ड धारकों को सहजता से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये माह दिसम्बर, 2021 से मार्च 2022 तक अन्त्यादय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नियमित वितरित होने वाले गेहूँ एवं चावल का वितरण निःशुल्क करते हुए, तीन अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी सम्मिलित कर आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (कुल 05 आवश्यक वस्तुओं का) निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसका शुभारम्भ दिनांक 12.12.2021 को किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित कुल 3.59 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा. प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा. प्रति कार्ड) एवं खाद्य तेल (यथा- सरसों तेल रिफाइंड आयल, 01 ली. प्रति कार्ड) माह दिसम्बर-2021 से माह मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग रु. 4801.68 करोड़ का व्यय-भार निहित है जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए। यह देश का सबसे विशालतम खाद्यान्न वितरण है। शासनादेश संख्या- 499/29-6-2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसों तेल/रिफाइण्ड ऑयल) तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह अप्रैल, 2022 से माह जून, 2022 तक कुल 03 माह तक वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुपालन में खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रगतिमान है।

● **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण :-**

प्रदेश सरकार के एन.एफ.एस.ए. के नियमित निःशुल्क खाद्यान्न के अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशानुपालन में समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रधनमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति 05 किग्रा. खाद्यान्न (03 किग्रा. गेहूँ व 02 किग्रा. चावल) का भी प्रति माह निःशुल्क वितरण माह मार्च, 2022 तक कराया गया तथा उक्त योजना माह अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक बढ़ा दी गयी है। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत कुल 3,61,67,456 राशन कार्डों से सम्बद्ध 14,96,90,474 लाभार्थियों/यूनिटों को आच्छादित कर उन्हें अनुमन्य लाभ प्राप्त कराया जा रहा है।

● **आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण :-**

इस योजना के अन्तर्गत प्रवासी/अवरुद्ध मजदूरों को अस्थायी राशन कार्ड संख्या जनरेट करते हुये, माह मई, 2020 से अगस्त, 2020 तक प्रति यूनिट 05 किग्रा. की दर से 11888.657 मी. टन निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा. की दर से 1060.497 मी. टन निःशुल्क चना का वितरण कराया गया है।

10. दिव्यांगजन को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना :-

दिव्यांगजन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसके अन्तर्गत 18,50,363 दिव्यांगजन को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

11. स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता :-

शासनादेश दिनांक 07.07.2020 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को, अनुकम्पा के आधार पर प्रस्तावित रिक्तियों को छोड़ते हुए शेष रिक्त दुकानों के आवंटन में प्रथम वरीयता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके क्रम में प्रदेश में कुल अब तक 2210 उचित दर की दुकानें स्वयं सहायता समूह के पक्ष में आवंटित की गयी हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु लेखा शाखा से सम्बन्धित क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 (माह मार्च, 2022 तक)

1. खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, पुलिस प्रकोष्ठ एवं स्थानिक प्रतिनिधि, कोलकाता को वित्तीय प्रकरणों में परामर्श देना, वित्तीय नियंत्रण (बजट कन्ट्रोल) लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण, अंकेक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सहयोग देना एवं समन्वय बनाये रखना।
2. लेखा शाखा द्वारा कृषक/पंजीकृत सहकारी समिति/मल्टीसेक्टोरल इत्यादि से विकेन्द्रीकृत गेहूँ/धान खरीद की जाती है तथा चार सम्भागों को छोड़कर प्रान्तीय सहकारी संघ के माध्यम से शेष सम्भागों में चीनी खरीद पर भुगतान की व्यवस्था के अतिरिक्त लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्नों एवं चीनी इत्यादि की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जमा करना। कृषकों को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर सीधे उनके खातों में भुगतान किया जा रहा है।

3. खाद्यान्न तथा चीनी के व्यवसाय हेतु भारत सरकार से प्रासंगिक व्यय के निर्धारण के प्रस्ताव तैयार करना एवं भारत सरकार से लक्षित जन-वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न के उठान के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करना।

खाद्य प्रकोष्ठ

खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन खाद्य प्रकोष्ठ की स्थापना शासनादेश दिनांक-22.02.1974 द्वारा की गयी थी। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.01.1975 के अनुसार पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं अपर आयुक्त, खाद्य के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं :-

(अ) खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सृजित पुलिस प्रकोष्ठ के कार्यों का सकार्य तथा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का पर्यवेक्षण।

(ब) खाद्य तथा रसद विभाग सम्बन्धी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन सम्बन्धी जिसमें जमा खोरी, तस्करी तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही सम्मिलित है, का समन्वय तथा तस्करी रोकने के लिये पुलिस से सम्पर्क स्थापित करके छापे आयोजित करना।

(स) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों की देखरेख।

(द) अन्य कार्य जो आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग अथवा पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिदिष्ट किये जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 22 अक्टूबर, 1974 को हुई थी।

गतिविधियाँ/कार्यकलाप :-

निगम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, तेलों, बीजों तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद, भण्डारण, संचालन, वितरण तथा विक्रय करना एवं रबी/खरीफ क्रय योजना के माध्यम से किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य दिलाना है, इसके साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्यों को भी संपन्न करना इस निगम का अनुषाँगिक उद्देश्य है।

नीतिगत महत्त्वपूर्ण निर्णय :-

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय तथा निगम के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन के अन्तर्गत उल्लिखित प्राविधानों के तहत निगम द्वारा संचालक मण्डल की बैठकों में आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं ताकि निगम के कार्यकलापों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में राज्य सरकार के निर्णय/निर्देशानुसार एवं शासनादेशों के अनुसार महत्त्वपूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है।

कर्मचारी कल्याण योजना :-

कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को रु. 7.02.000/- का भुगतान होता है, इस योजना में कर्मचारी/अधिकारी से कोई धनराशि नही ली जाती है। सेवा के दौरान मृत्यु के समय रु. 10,000/- निगम की ओर से मृतक के आश्रितों को तात्कालिक सहायता दी जाती है।

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग

बाट और माप के मानकों के निर्धारण, अन्तर्राज्यीय व्यापार में बाट-माप का नियंत्रण तथा वस्तुओं के तौल-माप में विक्रय या वितरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्मित नियमों तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी उ.प्र. विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अधीन कार्य किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रमुख कार्य

- उपभोक्ता के हित संरक्षण के दृष्टिगत व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले बाट माप, तौलने मापने के उपकरणों के मानकीकरण हेतु सत्यापन/मुद्रांकन एवं नियत कालिक पुनः सत्यापन/मुद्रांकन करना।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य, जिसमें अमानक बाट-माप तथा तौलने मापने के उपकरणों का प्रयोग, कम तौलना एवं मापना आदि पाये जाने पर उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम-2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैकेज में रखी वस्तुओं पर वांछित घोषणाओं, पैकेज वस्तु की शुद्ध मात्रा, पैकेज पर अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आदि की जांच करना एवं अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- उपरोक्तानुसार पकड़े गये मामलों में से शमनीय मामलों को सम्बन्धित द्वारा शमन हेतु आवेदन करने पर विभागीय स्तर पर शमन कर निस्तारित करना, शमन द्वारा निस्तारित न कराये गये एवं अशमनीय मामलों को न्यायालय में दाखिल/निवेशित करना।

सेवाओं का आनलाइन किया जाना :-

जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित कुल 13 सेवाओं को विभागीय पोर्टल "लीगलमेट्रोलॉजीडेसयूपीडाटजीओवीडाटइन" पर ऑनलाइन कर दिया गया है। उपरोक्त में लाइसेंस/पंजीकरण सम्बन्धी 07 सेवाओं को "निवेशमित्र" - सिंगल विण्डो पोर्टल से समेकित कर ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिये और उक्त प्रयोजन के लिये उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिये और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये भारतीय संसद द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियम संख्या 35 पारित किया गया जो दिनांक 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त हुआ है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में 'राष्ट्रीय आयोग', राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को 'राज्य आयोग' व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में 'जिला आयोग' के नाम से जाना जाता है।

प्रदेश में राज्य आयोग/जिला आयोगों की स्थापना :-

वर्तमान समय में प्रदेश में 01 राज्य आयोग तथा प्रदेश के 75 जिलों में कुल 79 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित हैं। लखनऊ, आगरा, बरेली, एवं मुरादाबाद में दो जिला आयोग गठित हैं।

वादों के निस्तारण की स्थिति :-

राज्य आयोग में आरम्भ से माह मार्च, 2022 तक कुल 92363 मामले (वाद एवे अपीले आदि) दर्ज हुए, 69393 मामलों (वाद एवं अपीलें आदि) का निस्तारण हुआ और 353 मामले रिमाण्ड हुए। इस प्रकार माह मार्च, 2022 के अंत तक राज्य आयोग में लम्बित मामलों (वाद एवं अपीलें आदि) की संख्या 23323 है।

इसी प्रकार प्रदेश के जिला मंचों में आरंभ से माह मार्च, 2022 तक कुल 783154 वाद दर्ज हुए जिसके सापेक्ष 675739 वाद निस्तारित हुए हैं व 107415 वाद लम्वित हैं।

उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना वर्ष 1965-66 में शासनादेश दिनांक 20.03.65 के अन्तर्गत की गयी थी।

उद्देश्य :-

1. राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार की दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं डिपो (स्टोर्स) स्थापित कर उनके माध्यम से बाजार भाव से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।
2. राज्य कर्मचारियों को कार्यालय प्रांगण में जलपानगृह खोलकर साफ तथा स्वच्छ वातावरण में बाजार के सापेक्ष सस्ती दरों पर चाय, काफी, मीठा, नमकीन, बिस्कुट, लंच पैकेट एवं शीतल पेय पदार्थ उपलब्ध कराना।

उ.प्र. सचिवालय सत्कार सेवा संस्था

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों एवं शासन स्तर पर, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न सरकारी बैठकों में बाजार की अपेक्षा सस्ती दरों पर स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण में कार्यालय प्रांगण में ही उच्च गुणवत्ता के जलपान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित जलपानगृहों की पद्धति पर प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जलपान गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। दिसम्बर, 2006 में उक्त जलपानगृहों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 01.04.2007 से ''उ.प्र. सचिवालय खान-पान निगम'' के अन्तर्गत जलपानगृहों का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा शासनादेश दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 के द्वारा उ.प्र. सचिवालय खानपान निगम का नाम परिवर्तित कर ''उ.प्र. सचिवालय सत्कार सेवा संस्था'' कर दिया गया है। सम्प्रति जलपानगृहों का संचालन उ.प्र. सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के अधीन किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा वर्तमान में 15 जलपानगृह संचालित किये जा रहे हैं।

राज्य भण्डारण निगम

निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय भण्डारण नीति के अन्तर्गत 'दि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग) कार्पोरेशन्स एट 1956" के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित। यह एक्ट बाद में रिपील होकर "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962" के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। पुनः उ0प्र0 राज्यपुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-63 की उपधारा 03 के अधीन राज्य सरकार की अधि ासूचना संख्या 937/49-1-2015-7 (3)-2014 लखनऊ, 21 मई, 2015 द्वारा 01 अप्रैल, 2015 में स्थापित इस निगम के समानुपातिक अंशधारी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम हैं।

केन्द्रीय अधिनियम "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962" में निगम की स्थापना के निम्न उद्देश्य/कार्यों का उल्लेख हैः-

(1) प्रदेश में केन्द्रीय भंडारण निगम से परामर्श के बाद विभिन्न स्थानों पर गोदाम/भंडारगृहों का अधिग्रहण एवं निर्माण कराना,

(2) प्रदेश में कृषि-उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु भंडारगृहों का संचालन करना,

(3) कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं को भण्डारगृह पर लाने तथा वहां से ले जाने के लिए परिवहन सुविधाऐं उपलब्ध कराना,

(4) कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं वितरण हेतु, केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा सरकार के एजेन्ट के रुप में कार्य करना,

(5) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ ज्वाइन्ट वैन्चर्स में शामिल होना,

(6) इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्य जो निर्धारित किये जायें।

समवाय ज्ञापिका/समवाय नियम

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एक सांविधिक निगम है। इसका कार्य संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962" के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत शासन द्वारा बनाये गये रूल्स के अनुसार निगम के दोनों अंशधारियों यथा- उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नामित संचालक मण्डल द्वारा पदेन प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से किया जाता है। उक्त अधिनियम में निगम का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के

यहाँ कराने की व्यवस्था नहीं है।

निगम के वर्तमान कार्यक्रम तथा भावी योजनायें

भण्डारण क्षमता का उपयोग

निगम की भण्डारण क्षमता का उपयोग मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के सेन्ट्रल पूल में भण्डारण हेतु तथा उर्वरक संस्थाओं- इफकों, कृभको आदि द्वारा उर्वरकों के भण्डारण एवं वितरण हेतु किया जा रहा है। किसानों, सहकारी संस्थाओं, बीज उत्पादक संस्थाओं (उ०प्र० बीज विकास निगम, उत्तराखण्ड तराई एवं बीज वित्त निगम, नैफेड आदि) तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (आई०टी०सी०, कारगिल इण्डिया आदि) एवं व्यापारियों द्वारा भी इस निगम के भण्डारगृहों में माल जमा करके वैज्ञानिक भण्डारण की सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस निगम के गोदामों में भण्डारित किये गये स्टाक के भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। भण्डारगृहों से जारी भण्डार रसीदों पर बैंकों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है।

निगम द्वारा सरकार की मंशानुरूप (कृषकों की आय को दोगुना करने) वर्ष 2018 में 11 भण्डारगृहों एवं वर्ष 2020 में 10 भण्डारगृहों का डब्लू०डी०आर०ए० (भण्डारागार विकास विनियामक प्राधिकरण) के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया था। वर्तमान में सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्रांक 25, दिनांक 01-07-2021 के अनुपालन में निगम के स्वनिर्मित एवं मण्डी समिति की भूमि पर निर्मित गोदामों (कुल 132 भण्डारगृहों) को डब्ल्यू०डी०आर०ए० में पंजीकरण कराने की कार्यवाही प्रक्रिया में हैं, जिनमें से 77 भण्डारगृहों के पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कृषकों द्वारा अपने उत्पाद का भण्डारण कराया जा रहा है। उक्त भण्डारगृहों में कृषकों द्वारा अपने उपज का भण्डारण कराने पर उन्हें निगोशियोबिल वेयर हाउसिंग रसीद निर्गत की जाती है, जिसे बंधक रखकर किसी भी बैंक से अथवा वित्तीय संस्था से 90 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है तथा बाजार मूल्य अधिक होने पर किसानों द्वारा अनाज की बिक्री कर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

पी०ई०जी० योजना, 2008 एवं डब्लू०डी०आर०ए० के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण

भारत सरकार की पी०ई०जी०-2008 योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 09 वर्ष के उपयोग की गारण्टी दिये जाने के आधार निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों के परिसरों में उपलब्ध खाली भूमि पर दिनांक 31.03.2020 से पूर्व 1,43,667 मै० टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिसका उपयोग भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों (गेहूँ/चावल) के भण्डारण में किया जा रहा है।

पी०ई०जी० योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 वर्ष की गारण्टी के आधार पर निजी उद्यमियों से 13,40,500 मै०टन क्षमता निर्मित कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके विरुद्ध 10,67,500 मै० टन क्षमता की गारण्टी भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत की जा चुकी है। 1,98,000 मै० टन क्षमता के गोदाम पूर्ण है, परन्तु भारतीय खाद्य निगम से गारण्टी मिलना शेष है तथा 60,000 मै० टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अवशेष 15,000 मै० टन क्षमता के गोदाम निर्माण का कार्य आवंटित/प्रगति पर है।

पी०ई०जी० योजनान्तर्गत 6,85,000 मै०टन (65,000 निगम तथा 6,20,000 मै०टन निजी उद्यमी) क्षमता सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 6,20,000 मै०टन क्षमता सृजन हेतु निजी उद्यमियों/फर्मों/संस्थाओं से निविदायें आमंत्रित करने की कार्यवाही की गयी, जिसमें से 30,000 मै० टन क्षमता सृजित की जा चुकी है तथा 1,40,000 मै० टन क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य आवंटित/प्रगति पर है एवं अवशेष 1,25,000 मै०टन की निविदा भारतीय खाद्य निगम की राज्य स्तरीय एवं उच्च स्तरीय समिति (एस.एल.सी/एच.एल.सी) स्तर पर विचाराधीन है और निजी उद्यमियों द्वारा 40,000 मै०टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है अवशेष 2,85,000 मै० टन क्षमता सृजन हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी हैं। मण्डी परिषद की 36 मण्डी समितियों एवं निगम के दो स्वनिर्मित भण्डारगृहों पर 5,000-5,000 मै० टन कुल 1,90,000 (65,000 मै० टन क्षमता पी०ई०जी० योजनान्तर्गत) मै० टन क्षमता का निमार्ण नाबार्ड की डब्ल्यू०आई०एफ० योजनान्तर्गत रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर उ०प्र० सरकार द्वारा नामित सहकारी क्षेत्र की निर्माण इकाई/एजेंसियों यथा- उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० एवं उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि० को आवंटित किया गया था, जिसमें से 28 मण्डी समितियों पर 1,40,000 मै० टन क्षमता का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 50,000 मै० टन क्षमता का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में साइलो का निर्माण यथा स्थान 50,000 मै०टन हमीरपुर, 60,000 मै०टन ललितपुर एवं 50,000 मै०टन पीलीभीत प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

●

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

विभाग के मूल उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि वे भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों की बराबरी के स्तर पर आ सकें तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें की जा सके, जिसके लिए वे स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना, विद्यालयों को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, निःशुल्क भूमि/दुकान निर्माण/अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जातियों एवं विमुक्ति जातियों के कल्याण हेतु अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु0 144538.92 लाख का आय-व्ययक प्राविधान है। अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु0 105933.46 लाख, लेखा शीर्षक 4225 पूँजी लेखा में रु0 34740.33 लाख तथा लेखा शीर्षक 6225 में रु0 400.40 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-80 में रु0 88014.70 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु0 20570.00 लाख कुल रु0 108584.70 लाख छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

ई गवर्नेन्स की प्रगति

समाज कल्याण विभाग में ई गवर्नेन्स की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में छात्रवृत्ति तथा पेंशन की धनराशि कम्प्यूटर के माध्यम से जनपदों तथा लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जाती है। विभाग की योजनाओं के सफल संचालन एवं अनुश्रवण समीक्षा हेतु सूचना विज्ञान के प्रचलित आधुनिकतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग विभाग में शत-प्रतिशत ई गवर्नेन्स स्थापित करके किया जा रहा है।

पारदर्शिता

विभाग द्वारा संचालित योजना में पारदर्शिता बनाये रखने व छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित विकेन्द्रीकृत की प्रक्रिया लागू की गयी है। पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों करे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके बैंक खाते में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे स्थानान्तरित की जा रही है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करने एवं उन्हें समाज में प्रतिष्ठापरक स्थान दिलाने के उद्देश्य से इन वर्गों के बालक/बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। क्योंकि सरकार का यह मत है कि किसी भी समुदाय से शिक्षा का प्रचार-प्रसार उसके चतुर्दिक विकास की कुंजी है। योजना के प्रारम्भ में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता था, किन्तु अक्टूबर 1991 में इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए विद्यालय को स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु अधिकार प्रदान किया गया था। वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक योजना संचालित नहीं है।

1- पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

कक्षा 9-10 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें शत प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 2012-13 से सुनिश्चित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से योजना में वित्तीय पद्धति 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश किया जाता है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की, जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक है, उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 20500.0 लाख का प्रावधान है।

2- अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 2.50 लाख (रु0 दो लाख पचास हजार मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से दिनांक 21.09.2021 व समय-समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

3- बुक-बैंक योजना

50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों

में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु कोर्स की अनिवार्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से बुक-बैंक की योजना प्रारम्भ की गई।

4- अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को रेमिडियल कोचिंग प्रदान करके उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 6 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, आगरा, मुरादाबाद के राजकीय इण्टर कालेजों में वर्ष 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 120.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 120.00 लाख का प्रावधान है।

5- प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान कराने हेतु विभाग द्वारा निम्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक पालीटेक्निक संचालित है :-

- गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ।
- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर।

6- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जाता है। ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

7- अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सेवाओं की परीक्षा में प्रशिक्षण योजना :-

आई०ए०एस०, पी०सी०एस० से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त उच्च कोटि के स्तर तथा अद्यतन परिवर्तित/परिवर्धित होने वाले पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी के निमित्त कोचिंग केन्द्र के माध्यम से उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी पूर्ण आत्मविश्वास एवं तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में भाग ले सकें एवं इन सेवाओं में इस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व समाहित हो सके।

8- विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र-

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है:-

● हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई, ● सिलाई का प्रशिक्षण, ● हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

9- प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन-

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 09 जनपदों– 1. रामपुर, 2. गाजीपुर, 3. फतेहपुर, 4. हरदोई, 5. रानोपाली (अयोध्या), 6. कालपी (जालौन), 7. मुजफ्फरनगर, 8. रामनगर (वाराणसी) एवं 9. बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं।

10- राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख-रखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अंतर्गत अपराधी जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भांति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुर खीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है।

11- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनूसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है।

12- जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 65 विद्यालय बालकों हेतु तथा 29 विद्यालय बालिकाओं हेतु कुल 94 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं।

13- अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन :-

अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के आवासीय समस्या के निदान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रावासों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वार कुल 261 छात्रावास निर्मित कराये गये हैं।

14- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान की व्यवस्था :-

यह योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता के रूप में शादी के लिये आर्थिक सहायता के रूप में शादी अनुदान दिये जाने हेतु विभाग द्वारा संचालित है।

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

15- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना :-

नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा बुन्देलखण्ड तथा झांसी मण्डल के जनपदों में बोरिंग की वास्तविक लागत या अधिकतम रु0 7500/- जो भी कम हो तथा अन्य जनपदों में रु0 6000/- प्रति बोरिंग निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु सीमान्त कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य अनुदान रु0 6000/- को बढ़ाकर वर्तमान में वास्तविक इकाई लागत या अधिकतम अनुमन्य सीमा की धनराशि रु0 10000/- व्यय करने हेतु शासनादेश दिनांक 23.01.2010 द्वारा कर दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनायें :-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मार्च, 1975 में हुयी।

1. पं० दीन दयाल उपाध्याय स्व: रोजगार योजना

वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च 2022 तक 10909.90 परिवारों को रुपया 1090.90 लाख अनुदान रु0 156.09 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु0 6448.39 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

2. नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि पर 8×10 फीट साइज की दुकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता रु0 78000/- मैदानी क्षेत्र में रु0 82000/- काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित 536 दुकानें निर्मित करायी गयीं तथा 381 दुकानें निर्माणाधीन हैं, जिस पर रु0 316.56 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

3. कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना

(क) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना का संचालन निगम के टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षार्थी नि:शुल्क प्रशिक्षण के साथ ही साथ रु0 50/- से रु0 100/- प्रतिमाह वृत्तिका भी दी जाती है। यह योजना प्रशिक्षार्थियों द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण वर्तमान में बन्द है।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं अन्य योजनायें

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण योजना का संचालन कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल विकास विभाग के माध्यम से संचालित है। माह फरवरी, 2014 से प्रशिक्षण योजना कौशल विकास मिशन को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

4. निगम के माधयम से संचालित योजनाओं में कम्प्यूटर नेटवर्किंग

निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं में कम्प्यूटर नेटवर्किंग हेतु निगम मुख्यालय तथा जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटराइजेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 80.00 लाख (रु0 अस्सी लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक गत वर्ष की अवशेष धनराशि से रु0 19.35 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

5. निगम के माधयम से संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन द्वारा कोई धनावंटन नहीं किया गया है। गत वर्ष की अवशेष धनराशि से रु0 10.42 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

6. निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं में प्रचार-प्रसार तथा जागरुकता कार्यक्रम

निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं में प्रचार प्रसार तथा जागरूकता कार्यक्रम हेतु गत वर्ष की अवशेष धनराशि से माह मार्च 2022 तक रु0 08.72 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

7. धोबी समाज के लिये लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना :-

इस योजना में कुल लागत रु0 1.00 तथा रु0 2.16 लाख, जिसमें रु0 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है, जिसकी अदायगी 05 वर्षों में समान किश्तों में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक 306 लाभार्थियों का चयन कर रु0 270.32 लाख की धनराशि व्यय कर 181 लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग इकाई की स्थापना करायी गयी है।

8. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के आधारभूत सुविधाओं का विकासः-

यह योजना निदेशालय, समाज कल्याण उ0प्र0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 5000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

9. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रदेश के कुल 6171 ग्राम चयनित हुए हैं।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित 6171 ग्रामों के सापेक्ष 2779 ग्रामों में सर्वेक्षण

का कार्य पूर्ण कराते हुए 6,71,923 हाउस होल्ड की आवश्यकता का मूल्यांकन कराया जा चुका है।

- प्रदेश के 75 जनपदों द्वारा 2272 ग्रामों की ड्राफ्ट वी0डी0पी0/आई0वी0डी0पी0 तैयार कर ली गयी है, जिसमें से 1419 ग्रामों की वी0डी0पी0/आई0वी0डी0पी0 जिला स्तरीय अभिसरण समिति से अनुमोदित करा ली गयी है।

10- बैंकिंग सुविधा प्रदाता (व्यवसाय संवाददाता) योजना

व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीकृत बैंकों के अधिकृत एजेण्डा के यप में कार्य करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित बैंक द्वारा व्यवसाय संवाददाता से रुपया 15000/- की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करायी जायेगी। जमा धनराशि की सीमा के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामांकन कार्ड, पैसा जमा करना निकालना, ऑनलाइन धनराशि हस्तान्तरित करना आदि बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक गत वर्ष की अवशेष धनराशि से रु0 1.00 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

11- टेलरिंग शॉप योजना

टेलरिंग शॉप योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 10 हजार व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2060.00 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में माह मार्च, 2022 तक गत वर्ष की अवशेष धनराशि से रु0 884.20 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

12- पं0 दीनदयाल मसाला आटा/चक्की योजना

वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन द्वारा कोई धनावंटन नही किया गया है।

यू०पी० स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०
(पूर्ववती : उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०)

इस निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को हुई थी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में टी.सी./46-5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में है।

निगम के कार्य

- **छात्र/छात्रा छात्रावास (केन्द्र वित्त पोषित)-**

  यू०पी० स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि० के पास वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के केन्द्र वित्त पोषित छात्र/छात्रा छात्रावासों के 04 कार्य है जिनकी अध्यावधिक लागत रु० 943.94 लाख के सापेक्ष निगम को रु० 602.79 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

- **480 क्षमता बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय-**

  वर्ष 2022-23 में निगम के पास 07 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालयों (480 क्षमता) का कार्य है जिसकी अध्यावधिक लागत रु0 17665.67 लाख के विरुद्ध निगम को रु0 1409.86 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है।

- **मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक) -**

  वर्ष 2022-23 में निगम के पास 3 मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के कार्य है, जिनकी अध्यावधिक लागत रु0 4172.42 लाख मात्र है जिसके विरुद्ध निगम को रु० 3951.70 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

- **आश्रम पद्धति विद्यालय (नवोदय पैटर्न) -**

  वर्ष 2022-23 में निगम के पास 08 नग आश्रम पद्धति विद्यालय (नवोदय पैटर्न) के निर्माण कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं जिनकी अध्यावधिक लागत रु० 21014.17 लाख के सापेक्ष निगम को रु0 7108.75 लाख की धनराशि प्राप्त है।

- **आश्रम पद्धति विद्यालय (मरम्मत कार्य) -**

  वर्ष 2022-23 में निगम के पास आश्रम पद्धति विद्यालयों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के 07 निर्माण कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं जिनकी अध्यावधिक लागत रु० 1381.51 लाख के सापेक्ष निगम को रु० 371.45 लाख की धनराशि प्राप्त है।

- **छात्रावास अनुरक्षण -**

  वर्ष 2022-23 में निगम के पास 18 छात्रावासों के अनुरक्षण का कार्य है जिसकी अध्यावधिक लागत रु0 1011.34 लाख के सापेक्ष रु० 155.24 लाख प्राप्त है। 01 कार्य पूर्ण है तथा 17 छात्रावासों में मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

- **समाज कल्याण विभाग के विविध कार्य -**

  वर्ष 2022-23 में निगम को आई०ए०एस०/पी०सी०एस० कोचिंग सेन्टर गोरखपुर के भवन का निर्माण कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

- **आश्रम पद्धति विद्यालयों में आवासीय भवनों का निर्माण -**

  वर्ष 2022-23 में निगम के पास समाज कल्याण विभाग के 08 नग पूर्व निर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में आवासीय भवनों के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

- **जनजाति विकास -**

  निगम के पास जनजाति विकास के वर्ष 2022-23 में 02 आश्रम पद्धति विद्यालय, 02 नग छात्रावास, 01 नग एक लक्ष्य मण्डल आवासीय विद्यालय एवं 27 नग विभिन्न भवनों का निर्माण/अनुरक्षण कार्य प्राप्त हैं।

समाज कल्याण सेक्टर (द्वितीय भाग) (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

समाज कल्याण सेक्टर पहले पृथक निदेशालय के रूप में था, परन्तु वर्ष 1961 में इसे हरिजन कल्याण विभाग के साथ संयुक्त करके एक ही निदेशक के अधीन कर दिया गया। जनवरी

1978 से इन दोनों विभागों की सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर 'हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग' से बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। वर्ष 1987-88 में इस विभाग से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कार्यक्रम को पृथक कर बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय स्थापित किया गया। तदन्तर वर्ष 1989-90 में महिला कल्याण निदेशालय की अलग स्थापना की गई तथा इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे महिला एवं बाल कल्याण के कतिपय कार्यक्रम इस निदेशालय को स्थान्तरित किये गये तथा शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 1964 से विभाग की बाल कल्याण एवं महिला कल्याण सम्बन्धी 23 तथा प्रोबेशन सेवाओं की 9 कुल 32 योजनायें महिला एवं बाल विकास निदेशालय को निदेशालय को स्थानान्तरित कर दी गयी है। तदन्तर सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 की विज्ञप्ति दिनांक 12 अगस्त 1995 द्वारा नवगठित विकलांग कल्याण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को स्थानान्तरित कर दिया गया।

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित है :-

1- मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान :-

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री अपने विवेक से निर्धन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करते हैं।

2- कश्मीरी विस्थापितों को सहायता :-

कश्मीर राज्य से भागकर आये प्रदेश के विभिन्न भागों में से कश्मीरी परिवार के ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिवार का एक भी सदस्य नौकरी नहीं करता अथवा कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा 750/- प्रति परिवार की दर से सहायता दी जाती है।

3- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता :-

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धावस्था स्थापित किये गये है।, जिन्हें पी०पी०पी० मॉडल के तौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध गृह संचालित किये जा रहे हैं।

4- राजकीय अशक्त एवं वृद्ध गृह का संचालन :-

अशक्त एवं वृद्ध जनों के लिए 50 की क्षमता का राजकीय आवासीय गृह का संचालन लखनऊ में हो रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा दैनिक जीवन निर्वहन हेतु शासनादेश दिनांक 07.12.2010 द्वारा रु0 1200/- प्रति माह भरण-पोषण हेतु, रु0 200/- प्रतिमाह औषधि हेतु तथा मृत्योपरान्त दाह संस्कार हेतु रु0 4000/- दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

5- राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन :-

प्रदेश के 7 जनपदों वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर एवं मथुरा में

एक तथा अयोध्या में दो भिक्षुक गृह हैं, इनमें प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुको की है।

6- प्राविधिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राज्य सहायता :-

प्रदेश में संचालित 48 मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्य मुख्य योजनाएं

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पोषित तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 आयु वर्ग के वृद्धजनों को शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2021 द्वारा वृद्धजनों की पेंशन की धनराशि रु0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर रु0 1000/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की गयी है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला/पुरूष) की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रु0 30,000/- की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

3. सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति की समूह-1 अधिकतम सीमा रु0 50000/- समूह-2 में सीमा रु0 30000/- समूह-3 में सीमा रु0 2000/- समूह-4 में सीमा रु0 1000/-में निर्धारित की गयी है।

4- सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पी.एफ.एम.एस. सर्वर से परीक्षणोपरान्त राज्य एन.आई.सी. से प्राप्त डाटा के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2500.00 लाख का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 2500.00 लाख का प्रावधान है।

5. सामान्य जाति शादी योजना

योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 5000.00 लाख का प्रावधान है।

6. मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 50.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 50.00 लाख का प्राविधान है।

7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रति जोड़े को रु0 51,000/- दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत रु0 35000/- कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा रु0 10,000 आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, चांदी की पायल तथा 7 बर्तन) के लिये एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु रु0 6000/- की धनराशि व्यय की जायेगी। सहायता राशि की उक्त व्यवस्था विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के पुनर्विवाह के मामले में भी समान रूप से लागू होगी।

8. अभ्युदय योजना

अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0 नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि परीक्षाओं हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/ऑनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किया जाना है। योजना के प्रथम चरण में मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था की गयी है। मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल मुख्यालय पर राजकीय/ अनुदानित संस्थाओं को चिन्हित कर, स्मार्ट क्लासेज तथा अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था की गयी है।

9. उभयलिंगी (ट्रान्सजेण्डर) व्यक्तियों के अधिकारों व हितों की रखा एवं कल्याणकारी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारी एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनायी गयी स्कीमों तथा कल्याण सम्बन्धी उपायों के प्रयोजनार्थ उनके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रूपया 154.70 लाख का प्राविधान है।

मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध एवं उनके दुरूपयोग को रोकने की दिशा में मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 द्वारा कृत मुख्य शिक्षात्मक कार्यकलापों/योजनाओं की रिपोर्ट

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्वान्त की धारा-47 के तहत मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0 वर्तमान में समाज कलयाण विभाग उ0प्र0 शासन से सम्बद्ध रहकर विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों से सर्वसाधारण में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों को प्रचारित एवं प्रसारित कर प्रदेश में मद्यनिषेध के लिये स्वस्थ एवं प्रभावी वातावरण बनाने के निमित्त शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहा है, जिसे वर्तमान में बढ़ रही मद्यपान की प्रवृत्ति के विरुद्ध संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से और अधिक प्रयोजनपूर्ण बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

●

अनुसूचित जनजाति विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 11,34,273 है :-

क्र०सं०	जाति	जनपद जिसमें निवास करते हैं
1.	गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड)	महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवंसोनभद्र।
2.	खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र।
3.	सहरिया	ललितपुर।
4.	परहिया	सोनभद्र।
5.	बैगा	सोनभद्र।
6.	पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्जापुर।
7.	अगरिया	सोनभद्र।
8.	पटारी	सोनभद्र
9.	चेरो	सोनभद्र एवं वाराणसी
10.	भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष 1984-1985 तक अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। जनजाति विकास निदेशालय पूर्व में समाज कल्याण के भवन में स्थापित था, जो माह सितम्बर 2019 से भवन संख्या 142/4 सी, सेक्टर ए, मन्दिर मार्ग महानगर, लखनऊ में संचालित किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य :

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी है :-

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनजातीय परिवारों के व्यवसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनकी आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।
- जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।
- जनजातीय समुदाय हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
- जनजातीय समुदाय को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करना।
- शिक्षा के स्तर में सुधार एवं साक्षरता दर में वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

जनजाति विभाग में ई-गवर्नेन्स की कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग की अधिकांश योजनाएं आनलाइन हैं। विभाग का यह लक्ष्य है कि योजनाओं के सफल संचालन एवं अनुश्रवण की समीक्षा हेतु सूचना विज्ञान की प्रचलित आधुनिकतम तकनीकों को अधिकतम उपयोग कर विभाग से शत-प्रतिशत ई-गवर्नेन्स स्थापित किया जा सके। शत्प्रतिशत ई-पेमेन्ट के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है तथा बैठकें तथा अनुश्रवण की कार्यवाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं। विभागीय वेबसाइट http://uptdd.gov.in विकसित करते हुए समस्त विभागीय सूचनाएं/योजनाओं का विवरण प्रदर्शित किया जा रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु सुदृढ मानीटरिंग के लिए स्कूल मैंनेजमेन्ट इन्फारमेशन शेयरिकंग ऐप विकसित किया गया है।

पारदर्शिता

वर्तमान में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा शादी अनुदान की धनराशि पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी०एफ०एम०एस०) साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के अन्तर्गत छात्रों/लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है। विभागीय क्रय प्रक्रियाओं में जेम पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी०बी०एस०ई० से सम्बद्ध कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विद्यालय शिक्षा सत्र 2016-17 से कक्षा 6 से 12 तक संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 04 विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, मानदेय, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा

उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो वर्ग के आधार पर प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 निर्धारित है। इस प्रकार इन विद्यालयों में कुल 4410 छात्र/छात्राओं के शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से कक्षा 6 से 12 तक (क्षमता 480 छात्र/छात्राएं) के 03 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित दो विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है।

विभाग के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में अध्ययनत छात्र/छात्राओं द्वारा अखिल भारतीय परीक्षा यथा- आई०आई०टी० एवं नीट की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। विभाग द्वारा स्वरोजगार तथा रोजगार हेतु अनिवार्य अवयवों की पूर्ति के उद्देश्य से जनपद वाराणसी, बिजनौर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ललितपुर आदि जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य (काष्ठ कला, पत्थर कार्य, हस्त शिल्प) संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा आसेवित बस्तियों में अवस्थापना सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग कार्य कराये जाने तथा जनजातीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, अतथि गृह, अनुसूचित जनजाति द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सम्बन्धी उत्पादों तथा कृषि/वनोत्पाद हेतु विक्रय स्थल जनजातीय संग्रहालय आदि कार्य प्रस्तावित है।

जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के क्रम में वनाधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टाधारकों को विभिन्न विभाग तथा ग्राम्य विकास/कृषि आदि के माध्यम से विभागीय योजनाओं यथा मनरेगा/आवास/किसान सम्मान योजना आदि का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनजातीय समुदाय के कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना पुनः संचालित की गयी है। प्रदेश में जनजातीय संग्राहलय की स्थापना हेतु भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

1- दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति :-

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु० 2,50,000/- तक है उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत नियमावली दिनांक 26 सितम्बर, 2012 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में उल्लिखित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र०सं०	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें (प्रतिमाह)	
		अनावासीय	छात्रावासीय
1.	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2.	ग्रुप-2	530/-	820/-
3.	ग्रुप-3	300/-	570/-
4.	ग्रुप-4	230/-	380/-

2- शोध छात्रवृत्ति :-

योजनान्तर्गत प्रदेश की जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध हेतु शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत्-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

3- मेरिट उच्चीकुत योजनान्तर्गत सहायता :-

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना वर्ष 2007-2008 में स्वीकृत की गयी है। जो भारत सरकार की शत्-प्रतिशत सहायता से संचालित की जायेगी।

4- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन :-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों का व्यय भारित है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के लोगों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है।

5- पॉकेट प्लान तथा प्रिमटिव ग्रुप्स योजना :-

पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत्-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यकम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जनजाति समुदाय के लोगों को कृषि एवं लघु /कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ट्राइफेड तथा एफ०पी०ओ० के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करते हुए प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

6- बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान :-

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति

विशेषतः जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती हैं। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून 1996 से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

7- बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास :-

इस योजना से प्रदेश के अधिकांश जनजाति बाहुलल्य जनपदों में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, 1996 से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

8- वन बन्धु कल्याण योजना

जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बन्धु कल्याण योजना की अवधारणा की गयी है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जा रहा है।

9- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी व थारू विकास परियोजना, बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन :-

जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा चिकित्सालयों के संचालनार्थ प्रथम बार राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत पक्ष में व्यवस्था करके योजना संचालित की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019-2020 से थारू विकास परियोजना बलरामपुर में प्रसूति इकाई संचालित की जा रही है, जिससे थारू जनजाति की क्षेत्रीय महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी समस्त सुविधाएं सुगमता पूर्वक प्राप्त हो रही हैं।

10- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (सोनभद्र) का क्रियान्वयन

अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में प्रथम बार रु० 184.02 लाख की व्यवस्था की गयी थी। तब से उक्त योजना निरन्तर संचालित है।

11- प्रदेश में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियाँ जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिए सहायक अनुदान :-

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं, के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं को कृषि, बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है।

12- छात्रावास :-

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर 01 छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता का एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रदान की गयी है तथा जनपद गोरखपुर, खीरी, गोण्डा, बलिया, चन्दौली व बलरामपुर में एक-एक छात्रावास निर्माणाधीन है।

13- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :-

अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये उचित ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये गये है, जहां पर बालक/बालिकाओं की शिक्षा, भोजन, वस्त्र आवास एवं पुस्तकें आदि की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

14- बुक बैंक की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष 2004--2005 में यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

15- पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत कक्षा 4 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित योजना को वित्तीय वर्ष- 2020-21 में पुनः प्रारम्भ किया गया। विभागीय बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से कक्षा 1 से 5 हेतु रु० 134.82 लाख तथा कक्षा 6 से 8 हेतु रु० 83.77 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय पूर्व में रु० 2,00,000/- तक थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से बढ़ाकर रु० 2,50,000,/- की गयी है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रु० 3000/- वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

16- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान :-

कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु यूनीफार्म एवं साइकिल योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 से स्वीकृत की गयी है, जिसमें पूर्व में निर्धारित दरों में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2018-19 से साइकिल हेतु रु० 3,300/- तथा यूनीफार्म हेतु रु० 700/- कुल रु० 4000/- प्रति छात्रा हेतु निर्धारित है।

17- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव हेतु सहायता :-

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन द्वारा चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित

प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत करने की योजना वर्ष 1979-1980 से संचालित है।

18- अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु० जनजातियों की सहायता :-

इस योजनान्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित जनजाति परिवारों को तत्काल अधिकतम धनराशि रु० 8,25,000 की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनान्गर्तत अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता (50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश) अन्य प्रदेशों की भांति राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत वित्तीय 2022-23 में रु० 175.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

19- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान :-

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है। जनपद से प्राप्त प्रस्ताव साक्षम स्तर की समिति के अनुमोदनोंपरान्त भारत सरकार को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा सीधे संस्थाओं को धनराशि प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने व भारत सरकार को अग्रसारित करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से आनलाइन पद्धति से ही सम्पादित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अद्यतन अवधि तक कुल 04 प्रस्ताव स्वीकृतार्थ भारत सरकार को प्रेषित किये गये।

20- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी :-

यह योजना वर्ष 1980-81 तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि का कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

21- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी :-

यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यमसे परिवारोन्मुखी आथ्रिक किवास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि का कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

22- बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास :-

जनपद महाराजगंज, बहराइच एवं श्रावस्ती में बिखरी जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत सहायता से आर्थिक विकास कार्यक्रम जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित हैं, जिसमें परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि का कार्य संचालित किये जा रहे हैं। उक्त योजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर जनपद बहराइच एवं महराजगंज में जो कार्मिक नियुक्त है, उनके अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था उपरोक्त योजनान्तर्गत की जाती है।

23- अन० जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान :-

अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार के बालिकाओं के विवाह हेतु शासनादेश दिनांक 16.03.2016 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसूचित जनजाति की बालिकओं के विवाह हेतु आवेदन आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अरमंत्रित/स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा देय धनराशि रु० 20,000/- पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

24- लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना :-

उक्त योजना वर्ष-2014-15 से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत है। योजना संचालन हेतु कन्द्र सरकार की ओर से ट्रायफेड एवं प्रदेश सरकार की ओर से जनजाति विकास निदेशालय के मध्य अनुबन्ध किया गया है। योजना हेतु जनजाति विकास निदेशालय नोडल विभाग व उ०प्र० वन निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। योजनान्तर्गत प्रथम बार धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी है।

25- आदिम जनजाति समूहों का विकास :-

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में बुक्सा तथा राजी जनजाति को आदिम जनजाति समूहों (पी०वी०टी०जी०) की श्रेणी में सुचीबद्ध किया गया है। मंत्रालय द्वारा आदिम जनजाति समूहों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश की आदिम जनजाति समूहों के विकास हेतु योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवीन योजना के रूप में अंगीकृत किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मार्च 1979 द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदेश की मशीनरी के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत एक शोध इकाई रेस्मो/**RESMO** (Research Evaluation Survey Monitoring Organisation) की स्थापना की गई।

किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों के नियोजित क्रियान्वयन के लिये शोध, सर्वेक्षण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की मूलभूत आवश्यकता होती है। हरिजन कल्याण निदेशालय द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन गठित शोध केन्द्र तथा तराई जनजाति विकास निगम द्वारा शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से इस दिशा में प्रयास किये जाते रहे। विभिन्न कारणों से उक्त केन्द्रों के प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पा रहें थे। इसलिए शासन द्वारा एक पृथक **''शोध व प्रशिक्षण संस्थान''** गठित/स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** की स्थापना वित्तीय वर्ष 1986-87 में

शासनादेश दिनांक 15 जनवरी, 1987 द्वारा की गयी। यह संस्थान अन्य प्रदेशों की भाँति जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना (केन्द्र पुरोनिधानित योजना 50:50) के अन्तर्गत यह संस्थान ''ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उ०प्र०'' के रूप में स्थापित है।

संस्थान के उद्देश्य तथा निर्धारित कार्य

शासन द्वारा 15 जनवरी, 1987 द्वारा इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:

1. पिछड़े वर्गों-जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियां सम्मिलित हैं, के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं हेतु शोध तथा सर्वेक्षण कार्य करना।
2. विभिन्न विकास योजनाओं के परिकल्पन, नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रकिया-विधि का विकास करना।
3. पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य पर लगे कार्मिकों (अधिकारियों तथा कर्मचारियों) को विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार करने व उनके सुचारु कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित करना।
4. पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का अध्ययन मूल्यांकन करना तथा उसमें संशोधन/परिवर्धन तथा सुधार की सिफारिश करना।
5. पिछड़े वर्गों के कल्याण/विकास के संबंध में बहुआयामी सामग्री का संचय तथा प्रकाशन करना।
6. आवश्यकता होने पर पिछड़े वर्गों के लिए व्यवहारिक योजनाएं तैयार करना।

इस संस्थान का मुख्य कार्य समाज के कमजोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व विमुक्त जातियों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं का परिकल्पन, निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया विधि का विकास, योजनाओं का मूल्यांकन करना एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। संस्थान के कार्यों के निष्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित चार प्रभाग अनुमोदित है -

1. शोध, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग।
2. प्रशिक्षण प्रभाग।
3. नियोजन एवं सांख्यकीय प्रभाग।
4. लाइब्रेरी, डाटा बैक, म्यूजियम तथा प्रकाशन प्रभाग।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित शोध संस्थान उ०प्र० लखनऊ द्वारा 03 शोध सर्वेक्षण अध्ययन तथा 15 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 600 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है जिसके विपरीत 01 शोध अध्ययन का क्षेत्रीय भ्रमण कार्य पूर्ण हो गया है लेखन कार्य प्रगति पर है तथा एक शोध अध्ययन का क्षेत्रीय भ्रमण कार्य किया जा रहा है। शोध संस्थान द्वारा चल वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 08 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करन 219 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

●

महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ.प्र.

विभाग के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा निम्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं:-

- अनुपूरक पोषाहार
- स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
- स्वास्थ्य जांच
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- स्कूल पूर्व शिक्षा
- निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें

प्रदेश में बाल विकास परियोजना/केन्द्रों की स्थिति :-

कुल जनपद	:	75
कुल स्वीकृत परियोजना	:	897
कुल स्वीकृत केन्द्र/मिनी केन्द्र	:	189789

अनुपूरक पुष्टाहार

अनुपूरक पुष्टाहार तथा उससे प्राप्त होने वाले पाषक तत्वों का विवरण निम्नवत् है :-

1. 06 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टेक-होम राशन के रूप में फोर्टिफाइड गेंहू दलिया, फोर्टिफाइड चावल, चना दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 कैलोरी तथा 12 से 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
2. 03 वर्ष से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार यथा - फोर्टिफाइड गेंहू दलिया, फोर्टिफाइड चावल, चना दाल, उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे लाभार्थियों को प्रतिदिन 200 कैलोरी तथा 6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
3. गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को टेक-होम राशन के रूप में यथा- फोर्टिफाइड गेंहू दलिया, फोर्टिफाइड चावल, चना दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे लाभार्थियों को प्रतिदिन 600 कैलोरी तथा 18 से 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।

गुणवत्ता नियंत्रण

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत अनुपूरक पुष्टाहार खाद्य सामग्रियों के नमूनों की जांच प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर स्थित एन.ए.बी.एल. प्रमाणित विश्लेषण इकाइयों से करायी जाती है।

हॉट कुक्ड फूड

प्रदेश की सभी 897 परियोजनाओं में हॉट कुक्ड फूड योजना लागू है।

- योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर दैनिक रूप से प्रातः मार्निंग स्नैक तथा मध्यान्ह में हॉट कुक्ड फूड वितरण की व्यवस्था है।
- भारत सरकार द्वारा 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने के लिए प्रति लाभार्थी रु. 8.00 प्रतिदिन अनुमन्य है इस धनराशि में से रु. 3.50 प्रति लाभार्थी मार्निंग स्नैक पर तथा शेष रु. 4.50 हॉट कुक्ड फूड पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है।
- मार्निंग स्नैक के रूप में दिये जाने वाले पोषाहार से 200 ग्राम कैलोरी एवं 06 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी तथा हॉट कुकूड फूड योजना के अन्तर्गत मिड-डे-मील योजना की रेसिपी के अनुसार भोजन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है इससे लाभार्थियों को 300 कैलोरी व 06 से 08 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी।
- हॉट कुकूड फूड में प्रयुक्त होने वाले कच्चे खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री आदि का क्रय ग्राम प्रधान/सभासद/स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष व आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।
- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विगत 02 वर्षों से आंगनवाड़ी केन्द्रों के बन्द होने के कारण योजना का संचालन नहीं हो सका है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 01 से 05 वर्ष आयुवर्ग के चिह्नित गम्भीर अल्पवजन बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करते हुये पोषण स्तर में सुधार के लिये योजना का संचालन किया जाना है। योजना से लगभग 3.75 लाभ गम्भीर अल्पवजन बच्चों को आच्छादित किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 10000.00 लाख धनराशि के प्रावधान हेतु प्रस्ताव है। इस मद की धनराशि शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (S.A.G.)

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए योजना-एस.ए.जी. के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरुक करना एवं औपचारिक स्कूली अथवा व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण आदि गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू.पी.एस.आर.एल.एम.) के स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार तथ फोर्टिफाइड गेंहू दलिया, फोर्टिफाइड चावल, चना दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कुल 1.62 लाख किशोरी बालिकाएं लाभान्वित हुयी हैं।

सूचना, शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) कार्यक्रम

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) योजना में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माताओं, परिवारों एवं समुदाय में बच्चों की देखरेख, लालन-पालन एवं पोषण सम्बन्धी अच्छी आदतों के विकास हेतु प्रयास किये जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष जनपद/परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह जून एवं दिसम्बर में बाल पोषण स्वास्थ्य दिवस का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजन किया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त में परामर्श सत्र का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितम्बर, 08 मार्च महिला दिवस के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता

है। साथ ही साथ कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला, प्रदर्शनी, महोत्सव आदि का आयोजन किया जाता है तथा शिशुओं को विटामिन-ए पिलाई जाती है व छूटे हुये बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में रु. 1897.89 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन

वर्ष 2017-18 के पूर्व में निर्मित ऐसे विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्र भवन जिनमें आधारभूत सुविधायें (पेयजल, शौचालय एवं विद्युतीकरण) अनुपलब्ध हैं, के सापेक्ष 5000 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधायें (पेयजल, शौचालय एवं विद्युतीकरण) उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में रु. 6470.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र

भारत सरकार के निर्देश के क्रम में प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के अर्न्तगत कुल 2350 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आधारभूत सुविधाओं एवं स्कूल पूर्व शिक्षा सम्बन्धी अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की जियो-टैगिंग एवं मैपिंग

प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की विभागीय ऐप के माध्यम से जियो-टैगिंग एवं आधारभूत सुविधाओं की मैपिंग की जा रही है।

स्कूल पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत प्री-स्कूल किट् एवं ई.सी.सी.ई. मैटेरियल

स्कूल पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल किट् एवं विविध ई.सी.सी.ई. सामग्रियां यथा-ई.सी.सी.ई. मैनुअल (पहल), वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर, बाल गतिविधि पुस्तिका एवं बाल मूल्यांकन कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त बच्चों को बाल कहानियों व भावगीत के वीडियो विभाग के यू-ट्यूब चैनल व बाल पिटारा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

राज्य पोषण मिशन

राज्य सरकार द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य पोषण मिशन का गठन करते हुए इसका शुभारम्भ 01 नवम्बर, 2014 में किया गया। राज्य पोषण मिशन द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करते हुए पोषण की महत्ता से सभी विभागों को अवगत कराते हुए रणनीति तैयार करना, जिससे कि उपर्युक्त विभागों में पोषण सम्बन्धी योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि का समुचित विनियोजन एवं उपयोग हो सके। राज्य पोषण मिशन द्वारा पोषण के सहयोगी विभागों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

पोषण अभियान

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए पोषण अभियान कार्यक्रम संचालित है, जिसके द्वारा 0 से 06 वर्ष के बच्चों में कुपोषण (बौनापन) के स्तर में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, 0 से 06 वर्ष आयु के बच्चों में कुपोषण (अल्पवजन) में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, 06 माह से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के स्तर में 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी 15-49 वर्ष की किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में

एनीमिया के स्तर में 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पोषण अभियान के अन्तर्गत लाभार्थियों के नियमित व सही वृद्धि निगरानी हेतु ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यथा- स्टेडियोमीटर, इन्फेन्टोमीटर तथा इन्फेन्ट वेईंग स्केल का जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय कर भारत सरकार की संस्था सिपेट से प्री-डिस्पैच तकनीकी इन्स्पेक्शन उपरान्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराए गए हैं। इन उपकरणों के प्रयोग उपरान्त पोषण सेवाओं का रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर ऐप पर गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित पोषण सेवाओं के अनुश्रवण हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा फीडिंग की जा रही है। इस हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को डाटा प्लान तथा पी.एल.आई. की धनराशि पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

पोषण के सही एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गोदभराई, अन्नप्राशन, वॉश डे तथा सुपोषण दिवस की वित्त पोषित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही जनपद, ब्लॉक एवं क्षेत्र स्तर पर समुदाय तक जन-आन्दोलन की भांति पोषण संदेशों के प्रसारण हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में रु. 35207.76 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश

हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में भी नागरिकों की समानता निहित है, जिसके फलस्वरूप इस देश में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, परन्तु वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अभी भी अधीनस्थ अवस्था में हैं। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्य को यह अधिकार देता है कि समानता लानें के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनायें बना सकते हैं।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरुतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी है जिसके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 948.50 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 1761.50 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये आश्रयगृह की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये आश्रयगृहों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 360.00 लाख केन्द्रांश एवं रु. 180.00 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेषीकृत यूनिटों की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत के लिये सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत ऐसे जरूरतमंद बच्चे, जिन्हें विशेष आवश्यकतायें अपेक्षित हैं, ऐसे

विकलांगता श्रेणी के अन्तःवासियों को संरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से 19 राजकीय बालगृहों में निवासरत् 1-10 विशेषीकृत विकलांग अन्तःवासियों के लिये एक-एक यूनिट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 888.76 लाख केन्द्रांश एवं रु. 570.00 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत जनपदों में विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 439.40 लाख केन्द्रांश एवं रु. 292.93 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम के अर्न्तगत संस्थानों/गृहों का संचालन

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत वर्तमान गृहों को जरूरतमंद बच्चों के लिये उनकी प्रगति के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 8513.14 लाख केन्द्रांश एवं रु. 5676.96 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

बाल संरक्षण इकाई की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत राज्य बाल कल्याण इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 3609.00 लाख केन्द्रांश एवं रु. 2406.00 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह/आश्रयगृह (बालक/बालिका/शिशु) की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत के लिये सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह (बालक/बालिका/शिशु/आश्रय गृह) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 583.20 लाख केन्द्रांश एवं रु. 291.60 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत मुख्यालय पर राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना हो चुकी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 60.00 लाख केन्द्रांश एवं रु. 40.00 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सी.पी.एस. योजना (मिशन वात्सल्य) के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 884.64 लाख केन्द्रांश एवं रु. 1613.65 लाख राज्यांश का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MKSY)

बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने, कन्या

भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से तथा महिलाओं एवं जनमानस में सकारात्मक सोच योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु. 120000.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय निधि

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 700.00 हजार की व्यवस्था की गयी है एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु इस योजना में रु. 700.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

परिवीक्षा सेवा क्षेत्र

प्रोबेशन आफ अफेन्डर एक्ट 1953 अपराधी मनोवृत्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से बदलने तथा अपराधी को दण्ड के बजाय सुधारात्मक ढंग से परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का दायित्व मण्डल/जिला स्थर पर तैनात जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। इनके वेतनादि मदों पर व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 3884.79 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

संस्थाओं/गृहों का संचालन

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होने पर भी विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाएं-किशोरियाँ अपराध की गिरफ्त में आ जाती हैं अथवा कुछ ऐसी बालिकाएं/किशोरियाँ हैं जिन्हें माता/पिता अथवा अन्य संरक्षक के अभाव में विकास के समुचित अवसर नहीं प्राप्त हो पाते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु-लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में 14 राजकीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिनके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में रु. 4696.09 लाख प्रस्तावित किया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। देश की प्रत्येक राज्य सरकारों को बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए, जिससे बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी दी गई है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प इसी परिपेक्ष्य में संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है, तदक्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया साथ ही आयोग के कार्यों के निस्पादन हेतु नियमावली 2015 अधिसूचित की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 658.51 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

स्वाधार आश्रयगृह

स्वाधार योजनान्तर्गत ऐसी महिलाएं जो आश्रयविहीन एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूपविहीन, दैवीय

आपदा से पीड़ित पूर्व महिलाबन्दी, घरेलू हिंसा से पीड़ित तथा परिवार से निकाली गयी ऐसी महिलायें जिनके पास रहने एवं आय स्रोत का कोई साधन नहीं है, को स्वाधारगृह में रखे जाने की व्यवस्था है जहाँ उन्हें और यदि उनके साथ बच्चे भी हैं, को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, विस्तर, वोकेशनल ट्रेनिंग, चिकित्सा सुविधा तथा कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह प्रदेश के 11 जनपदों में कुल 14 स्वाधारगृह संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 500.0 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

उज्ज्वला योजना

उज्ज्वला योजनान्तर्गत वैश्यावृत्ति से पीड़िता महिलाओं एवं बालिकाओं को जो सक्षम प्राधिकारी अथवा संस्था द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से जबरन इस पेशे से जोड़ी गयी हैं उन्हें संस्था में रखे जाने की व्यवस्था है। जहाँ उन्हें और यदि उनके साथ बच्चे भी हैं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, विस्तर, वोकेशनल ट्रेंनिग, चिकित्सा सुविधा तथा कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था है। यह प्रदेश के 02 जनपदों में संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 150.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 क्षमता के आश्रय सदन का संचालन

प्रदेश में जनपद मथुरा स्थित सुनरत बांगर, वृन्दावन में निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए 1000 की क्षमता के ''कृष्ण कुटीर'' नामक आश्रय सदन का संचालन राज्य सरकार के उपक्रम उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम द्वारा भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उक्त संस्था में निवासरत महिलाओं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

इस योजनान्तर्गत बिजली का बिल, कुकिंग गैस सम्बन्धी व्यय तथा सीवेज सम्बन्धी कर का वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। संस्था के अन्य सभी प्रकार के व्ययों का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 190.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

0206–महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना

महिलाओं को सशक्त बनाने एवं जागरुक करने के उद्देश्य से महिला शक्ति केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में जिला स्तरीय महिला केन्द्रों तथा ब्लाक स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जिनके अन्तर्गत जनपद स्तर पर टास्कफोर्स व ब्लाकस्तर पर ब्लाक स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है। उक्त समितियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं का प्रचार-प्रसार व ग्राम स्वरोजगार अभियान के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के संबंध में जागरुकता अभियान का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 के अंश से अवधारित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 3220.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

स्टेट रिसोर्स सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड

स्टेट रिर्सोस सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड की स्थापना महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सांइसेस मुम्बई के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में प्रस्तावित है। एस.आर.सी.डब्लू.सी. ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करेगा जिसमें महिला एवं बाल विकास एवं उनके अधिकारों के साथ हिंसा से बचाव के मुद्दे पर विश्वसनीय एवं सार्थक ज्ञान की उपलब्धता होगी। सेन्टर का मिशन महिला एवं बच्चों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण है, इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये रु. 100 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

परित्यक्त महिलाओं हेतु सहायक अनुदान

समाज में विवाहित महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में घरेलू हिंसा सम्बन्धी घटनाओं की संख्या सर्वाधिक है एवं बहुत से मामलों में महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा सम्बन्धी घटनाओं में शिकायत दर्ज नहीं करायी जाती है, साथ ही जिन महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए न्याय प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाता है, उसका परिणाम पति द्वारा परित्यक्त किये जाने के रूप में सामने आता है। महिलाओं विशेषकर आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग की महिलाओं के पास अपने व अपने बच्चों का पति से पृथक होकर जीवनयापन करने एवं वैद्यानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके दृष्टिगत ऐसी महिलाओं के लिए उक्त योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 1004.81 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता

दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलायें जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, पात्रता की श्रेणी में आती हैं। ऐसी उत्पीड़ित महिलाओं को वाद के निस्तारण होने तक रु. 125.00 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 9.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाएं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में बाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रु. 2500/- की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 8.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

पति की मृत्युपरान्त महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना

योजनान्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 11000.00 का अनुदान दिया जाता है, बशर्ते की वह आयकर दाता न हों। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 45.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना नियमावली 2015 के अन्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल आर्थिक तथा चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करने, पीड़िताओं के भरण-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ परिस्थितिवश यदि ऐसा अपेक्षित हो तो ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण एवं शिक्षा के लिए इस कोष का उपभोग किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं के बहादुरी कार्य करने तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है।

आशा ज्योति केन्द्र

रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार, अल्पावास पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 11 जनपदों आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ,

प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, तथा शाहजहाँपुर में यह योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में इस योजना का संचालन शिथिल कर दिया गया है। इस योजना के अवशेष देयकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 20.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला समाख्या कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा महिला समाख्या कार्यक्रम का संचालन माह जनवरी, 2017 से दिनांक 25 जून, 2020 तक प्रदेश के 19 जनपदों में किया गया है। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर संघ एवं समूह बनाते हुये महिलाओं को संगठित करने, गतिशील करने, सरकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागरुक करने तथा घरेलू हिंसा व महिलाओं के प्रति होने वाले अन्य प्रकार के उत्पीड़न को रोकने व उन्हें राहत पहुंचाने के लिए किया जाना था। वर्तमान में इस योजना का संचालन शिथिल कर दिया गया है तथा योजना के अवशेष देयकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 0.01 लाख की साकेतिक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान-(विडो पेंशन)

इस योजनान्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण समाज तथा परिवार से उपेक्षित रहने तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही हों, प्रदेश की ऐसी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से 1971-72 में यह योजना प्रारम्भ की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रति लाभार्थी बढ़ाकर रु. 1000/- कर दी गयी है।

विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये अन्तःवासियों के लिए राज सहायता

विभागीय संस्थाओं से स्वतः रोजगार मुक्त होने वाले संवासियों/संवासिनियों को रु. 7000/- का पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है। जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि नकद तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि से मशीन/उपकरण क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है। विवाह के माध्यम से पुनर्वासित संवासिनियों को रु. 15000.00 का पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मानसिक मंदित महिलागृहों का संचालन

जनपद लखनऊ में स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से 18 वर्ष से ऊपर की मानसिक मंदित महिलाओं को बेहतर जीवन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 100 की क्षमता के 02 गृह संचालन कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें मानसिक मंदित महिलाओं को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 477.36 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना

प्रदेश में राजकीय महिला शरणालयों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण समाज में उपेक्षित, बेसहारा, जरूरतमन्द बालिकाओं/महिलाओं के संरक्षण तथा उचित देखभाल के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं गाजीपुर में राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु. 0.04 लाख की व्यवस्था है।

निराश्रित महिलाओं के लिये आश्रय सदन

वृन्दावन मथुरा में संचालित दो आश्रय सदन लीलाकुंज एवं रास बिहारी सदन महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें विभिन्न राज्यों से वृद्ध माताएं, निराश्रित तथा विधवा महिलाएं रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा फूडमनी, पाकेटमनी, औषधि आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। निवासरत

महिलाओं को कन्ट्रोल रेट पर राशन, आधारकार्ड, पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध है। आश्रय सदन में तैनात डॉक्टरों द्वारा महिलाओं की समय-समय पर जाँच तथा निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 380.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रमजीवी महिला आवासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान में राज्य सरकार का सहयोग

भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि की लागत का 50 प्रतिशत तथा निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। निर्माण लागत में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 15 प्रतिशत का सहयोग प्रदान किया जाता है। 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठन स्वयं के साधन से वहन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु रु. 0.01 लाख का सांकेतिक आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से संचालित अनाथालयों/यतीमखानों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 82.50 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना

उक्त योजनान्तर्गत विधवापेंशन पर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु. 10,000.00 की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 70.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण

इस योजनान्तर्गत विभागीय संस्थाओं/गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना में रु. 2500.00 लाख की व्यवस्था की गयी है वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु इस मद में रु. 5750.00 लाख आय-व्ययक प्रस्तावित है।

वृद्धाश्रम की स्थापना (निर्माण)

वृन्दावन मथुरा में निगम द्वारा पांच आश्रय सदनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक नये आश्रय सदन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा द्वारा की जा रही है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उ.प्र., राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, बलात श्रम से रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। प्रत्येक राज्य सरकारें बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियां बनायें जिससे उनके बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान की नीति निर्देशिक तत्वों में दी गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत्यसंकल्प है ताकि उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 पारित किया गया है।

तद्क्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य बाल आयोग का गठन किया गया तथा आयोग के

कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नियमावली-2015 अधिसूचित की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

प्रदेश में महिलाओं की उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निदान, विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम-2013 के नाम से प्रख्यापित है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं 25 सदस्य प्राविधानित हैं। मा. अध्यक्ष को राज्यमंत्री एवं मा. उपाध्यक्ष को उपमंत्री का स्तर प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लखनऊ

राज्य सरकार के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन के शासनादेश दिनांक 12.06.1987 के द्वारा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना मार्च 1988 में प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़ी/कमजोर महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 614 के अन्तर्गत की गयी थी।

उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड

अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रय (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 प्रदेश में 19 अक्टूबर, 1991 से लागू है जिसके क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की स्थापना 16 नवम्बर, 1991 को की गई।

बोर्ड का मूलभूत उद्देश्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आश्रमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना है जिसके अन्तर्गत अधिनियम की परिधि में आने वाली संस्थाओं को मान्यता देना, मान्यता का नवीनीकरण करना, उनका निरीक्षण एवं नियंत्रण करना तथा संवासियों का पुनर्वासन तथा संरक्षण, विवाह, नौकरी, संरक्षकों को सौंपकर कराना एवं उनको उच्चतर शिक्षा-दीक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु अन्य उपयुक्त संस्थाओं से स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही संस्था की चल-अचल सम्पत्ति का दरुपयोग न हो तथा संवासियों एवं कार्यरत कर्मचारियों का किसी प्रकार शोषण न हो आदि पर निगरानी रखना है। मान्यता न लेने वाली संस्थाओं तथा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाएं जिनका संचालन संतोषजनक नहीं रहता है, के विरुद्ध क्रमशः दण्डात्मक एवं मान्यता निरस्त कराने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जाती है।

उ.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ

उ.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के अधीन वर्ष 1954 से कार्यरत एक स्वायत्तशासी संगठन है। बोर्ड द्वारा विगत 67 वर्षों से महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर समाज से सरोकार रखने वाले प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सामाजिक गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की गयी है जिसमें पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का गठन किया गया।

विभाग के उद्देश्य :-

1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं का सृजन कर इन क्षेत्रों के निवासियों हेतु विकास के अवसर सृजित करना।
2. अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप-आउट) की प्रवृत्ति नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार करना।
3. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान अंग्रेजी, हिन्दी का पठन-पाठन भी कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें।
4. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा व कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
5. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण।
6. वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय का बढ़ाना ताकि वक़्फ़ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।
7. मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुँच बढ़ाना।
8. निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सेवा योजन की स्थिति में सुधार हेतु चलायी जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना।
9. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।

अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप

1. सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़

उत्तर प्रदेश वक़्फ़ अधिनियम-1960 के अन्तर्गत सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ संगठन की स्थापना वर्ष 1976 में की गयी। इस संगठन का मुख्य कार्य अपंजीकृत तथा नवसृजित अवकाफ का पता लगाकर उनके पंजीकरण हेतु सर्वे रिपोर्ट सुन्नी/शिया वक़्फ़ बोर्ड को उपलब्ध कराना है। वक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जे.पी.एस./जी.आई.एस. टैगिंग किये जाने हेतु वक्फ मैनेजमेण्ट सिस्टम ऑफ इण्डिया (WAMSI) पोर्टल बनाया गया है।

2. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों का गठन वर्ष 1995-96 में किया गया है। निदेशालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना, पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाता है।

3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम निमिटेड

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 नवम्बर, 1984 को कम्पनी के रूप में किया गया। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय सातवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ है। निगम द्वारा टर्मलोन योजना अपनी अंशपूंजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुधार योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलायी जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ब्याज रहित शैक्षिक ऋणयोजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से सहयोग से चलायी जाती है।

4. उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड

प्रदेश में अवकाफ की सुरक्षा एवं विकास तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रुपया पांच करोड़ की अधिकृत अंशपूंजी से की गई थी। वर्तमान में निगम की अंश पूंजी रु. 10.00 करोड़ है।

5. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की पारम्परिक हज यात्रा को सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए "द हज कमेटी एक्ट-2002" के अन्तर्गत उ.प्र. राज्य हज समिति विधिवत रूप से गठित होता है। उल्लेखनीय है कि 2020-21 में कोविड-19 संक्रमण के कारण हज यात्रा सम्पन्न नहीं हो सकी। हज वर्ष 2022 में कुल 8701 आवेदनकर्ताओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनको चयन कर लिया गया है। इस वर्ष सऊदी अरब द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत कम हज यात्रियों को हज की अनुमति दी गयी है।

6. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत उ.प्र. सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया।

7. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत उ.प्र. शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। शिया वक्फ बोर्ड के निर्वाचन हेतु दिनांक 21 मई 2014 द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी है।

8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

उ.प्र. प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय-समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।

9. वसीका कार्यालय हुसैनाबाद, लखनऊ

वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनीतिक पेन्शनों तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज के भुगतान किये जाने के साथ-साथ काला इमामबाड़ा तथा मिर्जा अली खां के मकबरे के नियन्त्रण/देखरेख का कार्य भी किया जाता है।

10. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित/गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों के निरीक्षण एवं उसके प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख के लिए निरीक्षक तथा अरबी-फारसी मदरसों की मुंशी, मौलवी आलिम, कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं के लिए पदेन रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी परीक्षाएं, उत्तर, प्रदेश भी है।

वर्तमान में तहतानिया, फौकानिया एवं आलिया स्तर के प्रदेश में कुल 8573 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से 560 अरबी फारसी मदरसों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर लिया गया है।

प्रदेश के समस्त मदरसों के उन्नयन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मदरसा वेब पोर्टल http-:// madarsaboard.upsdc.gov.in लान्च किया गया है।

उत्तर प्रदेश वक़्फ़ न्यायाधिकरण

प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से उ.प्र. वक़्फ़ न्यायाधिकरण लखनऊ का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम

निदेशालय द्वारा संचालित योजनायें

1. पूर्वदशम् छात्रवृत्ति

पूर्वदशम् कक्षाओं कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है, जिसके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.50 लाख है, को अधिकतम रु. 3000.00 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश दिनांक 16.10.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे।

3. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

इस योजना में एक अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु. 20.000/- की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

4. मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रु. 15000.00 प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है।

5. अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिये जाने की योजना

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये समय-समय पर आलिया स्तर के मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है।

6. अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना

अनुदानित मदरसों में एन.सी.आर.टी. की पुस्तकें, विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण, अनुषंगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तों एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

7. प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई.टी.आई.)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई.टी.आई.) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई.टी.आई. की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध-तंत्र को परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

8. अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकानिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है।

●

पिछड़ा वर्ग कल्याण

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहां समानता का अधिकार दिया गया है वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 341 तथा 342 का प्रावधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1995-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की लगभग 52 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवम् कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वित्तीय वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गयी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लि० तथा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हैं।

पारदर्शिता

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से नई व्यवस्था लागू की गयी है। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुंचाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने एवम् योजना की धनराशि पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रणाली/एस.एन.ए. के माध्यम से उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गयी है। इसी प्रकार शादी अनुदान योजनाओं में लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था वर्ष 2016-17 से तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था वर्ष 2018-19 से लागू की गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रम

1- पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)

पूर्वदशम् कक्षाओं के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गयी है। वर्तमान दरें एवम् आय सीमा की शर्तें निम्नवत् हैंः-

क्र.सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति की मासिक दरें	अभिभावक की आय सीमा	वर्ष में देयता
1.	कक्षा 9 व 10	रु. 150.00 प्रतिमाह एवं तदर्थ अनुदान रु. 750/- एक मुश्त	रु. 2.00 लाख तक वार्षिक	10 माह

2. दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)

शासनादेश दिनांक 08 जनवरी 2013 द्वारा उ.प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली 2012 तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमावलियां जारी की गयी हैं, जिसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रु० 2.00 लाख तक है, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है।

3. छात्रावास निर्माण योजना

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। छात्रावासों का निर्माण शैक्षिक संस्था के परिसर में किया जाता है। वर्तमान में छात्रावासों का निर्माण 100/50 छात्र/छात्राओं की क्षमता के कराये जाते हैं।

4. शादी अनुदान योजना

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने (शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु. 56,460/ व ग्रामीण क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु. 46,080/-) वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। शादी योजना में रु. 20,000/- प्रति शादी की सहायता दी जाती है। शादी योजना में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा से ग्रसित एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2016-17 से पूर्णतया ऑनलाइन है।

5. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास बेरोजगार युवक/युवतियों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रु. एक लाख तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम् रु. 15,000/- प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रु. 3,500/- अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने

की व्यवस्था है।

6. सतर्कता प्रकोष्ठ

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में स्क्रूटनी समिति गठित है। स्क्रूटनी समिति के समक्ष अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच हेतु उ.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन सतर्कता प्रकोष्ठ कार्यरत है। जिसके द्वारा पिछड़ी जातियों को जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लि.

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अधिसूचित पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक/ युवतियों को विभिन्न व्यवसाय/उद्यम/उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ब्याज दर पर टर्मलोन योजना एवं माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध क़राकर उनको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लि. द्वारा संचालित ऋण योजनायें

1. सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन)

इस योजना के अन्तर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, लघु व्यवसाय/दस्तकारी और पारंपरिक व्यवसाय तथा परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजित करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 85 प्रतिशत प्रति लाभार्थी अधिकतम रु. 15.00 लाख तक के ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। रु. 5.00 लाख तक के ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर रु. 5.00 लाख से अधिक रु. 10.00 लाख तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर तथा रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 15.00 लाख तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. शैक्षिक ऋण योजना

निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के अधिसूचित पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों, जो गरीबी रेखा अथवा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, को व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षण हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत भारत में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम रु. 15.00 लाख अथवा जो कम हो का ऋण प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (छात्राओं के लिए 3.5 प्रतिशत वार्षिक) पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है तथा विदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम रु० 20.00 लाख अथवा जो कम हो का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (छात्राओं के लिए 3.5 प्रतिशत वार्षिक) पर दिये जाने का प्रावधान है।

3. न्यू स्वर्णिमा योजना

पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा, दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही महिलाओं में

आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा उनके लिए न्यू स्वर्णिमा योजना संचालित की गयी है। महिलाओं को न्यू स्वर्णिमा योजना के अन्तर्गत समाहित परियोजना में रु. 2.00 लाख तक लागत की परियोजनाओं में 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

4. सूक्ष्म वित्त योजना

इस योजना के अन्तर्गत स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी., में प्रति लाभार्थी ऋण रु. 1.00 लाख तक का ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को अथवा लाभार्थी के स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

5. महिला समृद्धि योजना

इस योजना के अन्तर्गत स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी., में प्रति लाभार्थी ऋण रु. 1.00 लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

6. लघु वित्त योजना

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु रु. 1.00 लाख तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम के अनुदान से संचालित प्रशिक्षण योजना के उद्देश्य

प्रदेश के अधिसूचित पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को उनके परम्परागत तकनीकी कार्यों और उद्यमों हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उनके कार्य के योग्य एवं निपुण बनाना राष्ट्रीय निगम की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय निगम द्वारा प्रदत्त अनुदान से राष्ट्रीय निगम द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उन्हें तकनीकी एवं उद्यम से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. की ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अपना कार्य प्रारम्भ करने हेतु ऋण प्राप्त कर सकता है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधायें एवं आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इन जातियों, वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित वी.पी. मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय की 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने "इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ" वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गों में

जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्युनल या आयोग गठित किये जायेंगे जो शासन को अपनी संस्तुति करेंगे।

आयोग के कार्य

क. आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे।

ख. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए उपबन्धित रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

ग. पिछड़े वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।

घ. पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रकिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

ड. राज्य सरकार को उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की कार्यप्रणाली पर वार्षिक व ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

च. पिछड़े वर्ग के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) और अन्य उपायों के प्रभावी कियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करेगा।

छ. पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें, निर्वहन करना।

●

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है।

समाज के असहाय, सुविधाहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1955 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया।

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य -

- दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली कियान्वयन सुनिश्चित करना।
- योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
- दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यकमों, संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
- सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

सरकार द्वारा 'विकलांग' शब्द को हटाते हुए विभाग का नाम दिनांक 26 अप्रैल, 2017 से 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' कर दिया गया व विकलांग शब्द का प्रयोग वर्जित करते हुए तद्स्थान दिव्यांग शब्द का प्रयोग किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ

1. संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर

लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340)

है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता 60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता-40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र की क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000,/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्र वेतन दिया जाता है।

2. स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय), लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों-बालिकाओं के लिए एक-एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित हैं। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्धति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- होती है, उन छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र-छात्रा रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति-छात्र वेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र-छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

3. ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों-बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों-बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा रु० 2000/ - प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है।

4. प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु० 1000/- तक होती है, उनकों आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु रु० 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है।

5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ

दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ गोरखपुर में छात्र-छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ में छात्रों हेतु एक-एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है।

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 2997.42 लाख के प्रावधान के सापेक्ष कुल रु० 2267.07 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 3377.85 लाख का प्राविधान है।

6. कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50-50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50-50 है। बाँदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्ती, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

7. कौशल विकास केन्द्र (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों-दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु० 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। प्रयागराज एवं उन्नाव में 50 आवासीय एवं 50 अनावासीय एवं वाराणसी में 60 आवासीय एवं 40 अनावासीय संवासियों की क्षमता है।

8. कौशल विकास केन्द्र (मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा

जनपद आगरा में मूक-बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला

स्थापित है। आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रु० 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है।

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि कुल रु० 181.93 लाख के सापेक्ष कुल रु० 105.49 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 233.5 लाख का प्राविधान है।

9. बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ

सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेंडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल रु० 30. 96 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन कुल रु० 26.46 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 31.01 लाख का प्राविधान है।

10. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय-गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय-गृह-सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय-गृह-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल रु० 185.78 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु० 181.34 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 167.42 लाख का प्राविधान है।

11. अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान वाराणसी का संचालन

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 49.11 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु० 45.05 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 49.11 लाख का प्राविधान है।

12. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी०आर०डी० मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है।

इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई०क्यू० असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथेरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल रु० 55.87 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु० 53.27 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 37.17 लाख का प्राविधान है।

13. बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना एवं संचालन

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज,वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा,सहारनपुर,झाँसी,बरेली, गौतमबुद्धनगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008-09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदोपरान्त वर्ष 2009-10 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1-1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर / विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाईकर्मी, चौकीदार की सेवाएं मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/ प्रशिक्षण के साथ-साथ अवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 867.27 के प्राविधान के सापेक्ष कुल रु० 779. 34 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय. वर्ष 2022-23 रु० 867.27 लाख का प्राविधान है। वर्तमान में 18 जनपदों में केन्द्र संचालित हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश 07 महत्वाकांक्षी जनपदों में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर स्थापना की प्रक्रिया प्रचलन में है।

14. समेकित विद्यालयों की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2021-22 में समेकित विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रु० 2975.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु० 2205.35 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 2975.00 लाख का प्राविधान है।

15. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विधार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी०एड० एवं डी०एड० विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी०ए०, एम०ए०, बी०काम०, एम०काम०, एम०एस०डब्लू, एम०बी०ए० तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी०काम० एल०एल०बी० पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें

वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील हैं। विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु० 2432.00 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु रु० 63.13 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक रु० 2100.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु० 3541.88 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु रु० 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है। कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु रु० 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है

16. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांगपेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि 300/- प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति से बढाकर रु० 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य पक्ष के दिव्यांगजन हेतु कुल रु० 88969.55 लाख तथा एस०सी०पी० पक्ष में रु० 900.00 लाख एवं टी०एस०पी० हेतु रु० 2.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन क्रमशः रु० 88968.57 लाख एवं एस०सी०पी० हेतु रु० 900 लाख एवं टी०एस०पी० पक्ष में रु० 2.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु० 100000.00 लाख, एस०सी०पी० में रु० 900.00 लाख व टी०एस०पी० में रु० 2.00 लाख का प्राविधान है।

17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम-अंग, सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रु० 10000/- तक का अनुदान कृत्रिम अंग-सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रु० 3500.00 लाख व एस०सी०पी० में रु० 240,00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक रु० 3155.83 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु० 3500.00 लाख व एस०सी०पी० में रु० 240.00 लाख का प्राविधान है।

18. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत दम्पत्तियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु० 20000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु० 35,000/- तथा दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु० 15,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 264.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रु० 120.25 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 264.00 लाख का प्राविधान है।

19. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु० 12.50 लाख के प्रावधान के सापेक्ष रु० 11.80 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 12.50 का प्राविधान है।

20. स्वैच्छिक संगठनों-संस्थाओं को सहायता

दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं-संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों के प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 35.00 लाख का प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष अद्यतन रु० 22.05 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपया 35.00 लाख का प्रावधान है।

21. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय-गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय-गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 500.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 500.00 लाख का प्राविधान है।

22. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल रु० 4.00 लाख के प्राविधान सापेक्ष रु० 3.99 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 4.00 लाख का प्राविधान है।

23. ब्रेल प्रेस का संचालन

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु सम्बन्धित बिषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 23.6 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रु० 17.19 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 23.23 लाख का प्राविधान है।

24. कुष्ठावस्था पेंशन योजना

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजनों को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होगें, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा बी०पी०एल० सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हों, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा रु० 2500/- प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना की नियमावली प्राख्यापित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल रु० 3750.00 लाख के वजट प्राविधान के सापेक्ष रु० 3750.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 3950.00 लाख का प्राविधान है।

25. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरुक करने एवं समाज में जागरुकता का सृजन कर संवेदन-संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

थर्ड उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 20.00 लाख के बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 20.00 लाख का प्राविधान है।

26. दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा-1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय-भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु० 250.00 लाख पूँजीगत पक्ष में प्राविधान किया गया है।

27. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिह्नित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिह्नित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु० 4404.30 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु० 20.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

28. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल की योजना

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में

100-100 दिव्यांगजन को "मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। योजनान्तर्गत रु० 3256.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2021-22 में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु रु० 3256.00 लाख का प्राविधान है।

29. दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 88(4) एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 की धारा 33(1) में निहित प्राविधानों के तहत राज्य निधि के प्रबन्धन हेतु शासी निकाय का गठन किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रु० 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। राज्यनिधि मद में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक 04 वित्तीय वर्ष में कुल रु० 2000.00 लाख की धनराशि प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद वाराणसी को 04 दिवसीय टी-20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट कार्यक्रम के आयोजन हेतु रु० 10.00 लाख की धनराशि व प्रदेश में 10 जनपदों में हाफ व होम की स्थापना संचालन हेतु रु० 166.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। वर्तमान में राज्य निधि के नाम से संचालित बैंक खाता के ब्याज सहित कुल रु० 1951.00 लाख की धनराशि अवशेष है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

नवीन योजना (पूँजीगत)

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था हेतु -

प्रदेश के 12 जनपदों औरैया, कन्नौज, प्रयागराज, लखनऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, एटा, मिर्जापुर, वाराणसी एवं प्रतापगढ़ में स्थापित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्टाफ हेतु आवास का निर्माण कराया जाना है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन योजना (पूँजीगत) के अन्तर्गत रु० 6.1200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य

- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रु० 100000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 1126670 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रु० 3950.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 11584 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
- कृत्रिम अंग-सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु० 3740.00 लाख के प्रावधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रु० 264.00 लाख की धनराशि से लगभग 1131 दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- दुकान निर्माण-संचालन योजना के अन्तर्गत रु० 106.04 लाख की धनराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

- प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय-भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु० 250.00 लाख पूंजीगत पक्ष धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिह्नित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रु० 1104.30 लाख पूंजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु० 20.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय-गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु० 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
- डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्विटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रु० 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
- सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेंकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रु० 2975.00 लाख का प्राविधान है।
- संकेत मूकबधिर बालक-बालिकाओं के लिये आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण एवं साजसज्जा हेतु कुल रु० 645.60 लाख का प्राविधान है।
- स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रु० 695.00 लाख का प्राविधान है।
- डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम हेतु मशीनें और सज्जा-उपकरण और संयंत्र के लिए 100.00 लाख का प्राविधान है।
- दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रु० 3256.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

●

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

उद्देश्य

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास राज्य सरकार के अधीन रहते हुए पूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों की वीर नारियों एवं आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है।

शासन स्तर पर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाकर पूर्व सैनिकों/आश्रितों की समस्याओं से अवगत कराया जाता है एवं तदनुसार विभाग द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाएं

उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों का सेवायोजन

कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों के 46 आश्रितों को शहीद आश्रित के रूप में सेवायोजित किया गया।

शहीद सैनिक परिवार को अनुदान

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहीद सैनिक के परिवार को दिनांक 01 अप्रैल 2020 से रुपये 50 लाख की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। अभी तक कुल 85 पात्रों को कुल रुपये 31 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

वीरता एवं विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा पदक राशि का भुगतान

वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मानित पदक विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 1986 से पूर्व वीर चक्र के 22 पदक विजेताओं व सेना मेडल श्रृंखला के 34 पदक विजेताओं को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि प्रदान की गयी, साथ ही वर्ष 1986 के बाद वीर चक्र श्रृंखला के 10 पदक विजेताओं ,सेना मेडल श्रृंखला के 746 पदक विजेताओं एवं विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के 555 पदक विजेताओं को पदक राशि का भुगतान किया गया।

अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी

अशोक चक्र-3, कीर्ति चक्र-20 एवं शौर्य चक्र-95 से अलंकृत प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि प्रदान की गई है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, सैनिक पत्नियों को पेंशन

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, सैनिक पत्नियों को राज्य सरकार द्वारा रुपये 6,000/-

प्रतिमाह प्रतिपात्र की दर से त्रैमासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में 1809 पात्रों को धनराशि प्रदान की गई।

प्री कारगिल युद्ध के शहीद सैनिक परिवारों को आर्थिक सहायता

कारगिल युद्ध से पूर्व 1962, 1965, एवं 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों की वीर नारियों को सत्यापन के उपरान्त एकमुश्त रुपये 50,000/- प्रतिपात्र दिया जाता है। वर्तमान में 498 पात्रों को धनराशि प्रदान की गई।

कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के माता-पिता एवं वीर नारियों को आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश में कारगिल युद्ध के शहीदों के माता-पिता (42) को रुपये 5,000/- एवं उनकी वीर नारियों (42)को रुपये 7,500/- प्रतिपात्र प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में पूर्व सैनिकों को समूह 'ग' व समूह 'घ' के पदों में रिक्तियों का 5 प्रतिशत के साथ ही समूह 'ख' के पदों पर भी 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

पैराप्लाजिक सेन्टर में भर्तीयां उत्तर प्रदेश के 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों के उपचार हेतु सहायता

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पैराप्लाजिक सेन्टर किरकी एवं मोहाली में 100 प्रतिशत विकलांग कुल 09 सैनिकों की सेवा सुश्रुषा एवं औषधि के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष रुपये 1.50 लाख प्रति पात्र की दर से प्रदान की जा रही है।

शहीद सैनिकों की पत्नियों को गृहकर से छूट

राज्य सरकार द्वारा शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन, जिसमें वह स्वयं निवास कर रही हैं, गृहकर से छूट प्रदान की गई है।

स्टाम्प ड्यूटी में छूट

उ०प्र० शासन के आदेश दिनांक 20 जून 2018 के अतंर्गत पूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित को रुपये 20 लाख के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है।

भूखण्ड एवं निणमत भवनों के आवंटन में आरक्षण

उ०प्र० सरकार में सेवारत, पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों तथा भूखण्ड, प्लाट आंवटन में 03 प्रतिशत का आरक्षण स्वीकृत है।

उचित दर की दुकानों के आंवटन में 08 प्रतिशत का आरक्षण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आंवटन में 08 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा

उ०प्र० परिवहन निगम द्वारा वीरता एवं विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित सैन्य बल के

अधिकारियों तथा सैनिकों जो उ०प्र० के नागरिक हो, को प्रदेश में निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है।

निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण

प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों को कम्प्यूटर टैली, फैशन डिजायनिंग, इनफारमेशन टेक्नोलाजी एवं एस०एस०बी० कोचिंग हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2022-23 में कम्प्यूटर टैली-60, फैशन डिजाइनिंग-110,इन्फ रमेशन टेक्नोलाजी-394 एवं एस०एस०बी०-756 पात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दातव्य निधि से दिये जाने वाले अनुदान

दातव्य निधि से जरूरतमंद दीन-दुखी पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रित पात्रों के गुजर-बसर हेतु आकस्मिक अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 170 पात्रों को कुल रुपये 312500.00 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जिला सैनिक बन्धु की बैठक

पूर्व सैनिकों, आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु 'ज़िला सैनिक बन्धु' की बैठक प्रत्येक जनपद में प्रत्येक माह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशासन के सहयोग से सम्पन्न करायी जा रही है। वर्ष 2022-23 में 60 जनपदों में जिला सैनिक बन्धु की बैठक का आयोजन किया गया।

उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०

निगम के माध्यम से निगम में कार्यरत पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

(क) पूर्व सैनिकों एवं निगम कर्मियों के आश्रितों को उच्च तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु रुपये 50 हजार से 75 हजार छात्रवृत्ति का प्रावधान।

(ख) पूर्व सैनिकों एवं निगम कर्मियों के आश्रितों को 10वीं क्लास एवं 12वीं क्लास में उल्लेखनीय परीक्षाफल के आधार पर रुपये 50 हजार प्रति छात्र छात्रवृत्ति का प्रावधान।

(ग) निगम के माध्यम से सेवायोजित कर्मी की असामयिक मृत्यु की दशा में तत्काल रुपये 50,000/- की अहेतुक राशि का प्रावधान।

(घ) पूर्व सैनिक एवं निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु रुपये 30,000/ की आर्थिक सहायता।

(च) निगम के असैनिक कर्मियों एवं उनके परिजनों हेतु रुपये 5.00 लाख की चिकित्सा बीमा पॉलिसी।

(छ) निगम मुख्यालय परिसर में पूर्व सैनिकों, निराश्रित महिलाओं, सेवारत सैनिकों एवं निगम के कर्मियों के पुत्र/ पुत्रियों के विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों हेतु न्यूनतम वहनीय दरों पर मैरिज लॉन एवं मैरिज हॉल की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों हेतु भी उपलब्ध है।

(ज) शौर्य सैनिक कल्याण परिसर में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यों

हेतु समारोह स्थल एवं गेस्ट रूम कम दरों पर देने की योजना। इसके अतिरिक्त इसी प्रांगण में वृद्धाश्रम का प्रावधान है।

(झ) उ०प्र० राज्य के पूर्व सैनिकों निराश्रित महिलाओं/दिव्यांग पूर्व सैनिकों/जरूरतमंद सैनिकों हेतु उपकरण सहायता यथा कम्प्यूटर, लैपटॉप, व्हील चेयर आदि का प्रावधान।

कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा

निगम द्वारा कौशल विकास मिशन को अंगीकृत किया गया है, जिसके तहत् पूर्व सैनिक आश्रितों हेतु दो क्षेत्रों में क्रमशः इलेक्ट्रिकल ट्रेड एवं सुरक्षा (डोमेस्टिक) सेवाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर।

सी०एस०आर० परियोजनाएं

- सी०एस०आर० परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 1 करोड़ रुपये से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज के निर्बल वर्ग को सहायता का प्रावधान।

छः माह, एक साल, दो साल एवं पाँच साल की कार्य योजना

- **छः माह-** जनपद औरेया, श्रावस्ती, बदायूं, शामली एवं आजमगढ़ के कार्यालय भवन एवं विश्रामगृह के नव-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा ।
- **एक साल-** संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति सुनिश्चित् करना। जनपदों के लिए आवंटित भूमि के सापेक्ष वृहद् निर्माण हेतु अतिरिक्त बजट-माँग।
- **दो साल-** संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति सुनिश्चित् करना एवं शेष 12 जनपदों (अमरोहा, अम्बेदकरनगर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हाथरस, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, चन्दौली, हापुड़, सम्भल, ललितपुर एवं कन्नौज) के लिए भूमि आवंटन कराये जाने हेतु आवश्यक समयबद्ध कार्यवाही।
- **पाँच साल**-12 जनपदों में भूमि आवंटन के उपरान्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भवन के निर्माण कार्य लक्ष्य को सुनिश्चित करना।

●

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन

राजनैतिक पेंशन विभाग

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन-अनुदान की योजना चलायी गयी। कालान्तर में पेंशन-अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गयी, जो 06 अगस्त, 1975 से प्रभावी है। इस नियमावली के नियमों के अन्तर्गत प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ज़ीवन पर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 11,66,66,000/- (रु० ग्यारह करोड़ छियासठ लाख चौंतीस हजार मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-23 द्वारा रु० 23,33,34,000/- (रु० तेईस करोड़ तैतीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि निदेशक-सचिव, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के निवर्तन रखी गयी है।

जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संतान (पुत्र-पुत्री) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में पैदा हुयीं, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का स्तर प्रदान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुमन्य करायी गयी है।

परिवहन सुविधा

वर्ष 1983 से स्वतंत्रता सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी है। वर्ष 1989 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को एक सहचर के साथ पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्तमान में यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के बाहर के लिए भी अनुमन्य की गयी है। इसी प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 6,66,000/- (रु० छः लाख छियासठ हजार मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-23 के द्वारा रु० 13,34,000/- (रु० तेरह लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि

निदेशक-सचिव, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। यह चिकित्सा विभाग द्वारा अपने बजट से दिया जाता है।

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह-संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने पर उनके सम्मान में शासन की ओर से जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्पार्पण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 2,00,000/- एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-2023 द्वारा रु० 4,00,000/- (रु० चार लाख मात्र) निदेशक-सचिव, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याणार्थ "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद" की स्थापना 12 फरवरी, 1973 में की गयी है। मा० मुख्यमंत्री जी परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद द्वारा सेनानियों के कल्याणार्थ समय-समय पर दिये गये सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 43,26,500/- (रु० तैंतालीस लाख छब्बीस हज़ार पाँच सौ मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-23 द्वारा रु० 87,03,500/- (रु० सत्तासी लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि निदेशक-सचिव, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना भी की गयी है, जिसमें 25 सेनानियों की स्थाई तथा 05 आकस्मिक अभ्यागतों के लिए रहने की व्यवस्था है। सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार एक सेवा सदन की स्थापना मथुरा जिले में भी की गयी है। सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा के अधिष्ठान एवं सेनानियों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 35,72,300/- (रु० पैंतीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-23 द्वारा रु० 72,66,700/- (रु० बहत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ मात्र) की धनराशि निदेशक-सचिव, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान

स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी

बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है। यह कार्य उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के माध्यम से कराया जाता है। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 50,00,000/- (रु० पचास लाख मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी सहायता संस्थान के अधिष्ठान मद में वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 13,22,000/- (रु० तेरह लाख बाईस हजार मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक वर्ष 2022-23 द्वारा रु० 26,44,000/- (रु० छब्बीस लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ की निवर्तन पर रखी गयी है।

शासन सेनानियों की कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में शासन की प्राथमिताओं, नई कार्य शैली तथा वचनबद्धता के दृष्टिगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन प्रकरण को समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जा रहा है।

लोकतंत्र सेनानी

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा-डी०आई०आर० में कारागार में निरुद्ध रहे राजनैतिक बंदियों-लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 दिनांक 22.03.2016" एवं "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018" दिनांक 10.09.2018 एवं उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2021, दिनांक 24.08.2021 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त यथास्थिति पत्नी-पति को उनके सम्मान में उन्हें दिनांक 01.07.2018 से रु० 5,000 की वृद्धि करते हुए रु० 20,000 प्रतिमाह सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा एवं लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु पर सेनानी की अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ किये जाने की व्यवस्था अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 58,33,33,000/- (रु० अट्ठावन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-23 द्वारा रु० 1,16,66,67,000/- (रु० एक अरब सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार मात्र) एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा मद में वित्तीय वर्ष 2022-203 के 04 माह के लिए लेखानुदान द्वारा रु० 1,33,33,000/- (रु० एक करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार मात्र) एवं अवशेष 08 माह हेतु आय-व्ययक 2022-23 द्वारा रु० 2,66,67,000/-(रु० दो करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि निदेशक-सचिव, उ०प्र० स्वतंत्रता सग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है।

●

श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन

वर्ष 1937 में श्रम आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। उद्योग विभाग के सचिव श्री पी.एम. खरेघाट आई.सी.एस. को सन् 1938 में प्रथम अंशकालिक श्रमायुक्त नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम सन् 1940 में श्री एस.एस. हसन, आई.सी.एस.को पूर्णकालिक श्रमायुक्त तथा श्रम विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो 1940 से 1941 तक पदस्थ रहे। श्रम आयुक्त संगठन में 03 अंशकालिक श्रमायुक्त को मिलाकर कुल 51 श्रम आयुक्त कार्यरत रह चुके हैं, तथा 52वें श्रम आयुक्त के रूप में श्रीमती शकुन्तला गौतम, आई.ए.एस. दिनांक 08.06.2022 से कार्यरत हैं।

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश श्रम आयुक्त संगठन उ.प्र. के विभागाध्यक्ष हैं। श्रम आयुक्त संगठन का मुख्यालय जी.टी. रोड, कानपुर में स्थित है। श्रम आयुक्त के अधीन श्रम आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक कारखाना, निदेशक ब्वायलर के कार्यालय भी कार्यरत हैं। श्रमायुक्त उ.प्र. का मुख्यालय स्तर पर 18 प्रभागों के कार्यों के सुचारु संचालन एवं प्रभावी पर्ववेक्षण में प्रशासनिक सेवा/ विभागीय सेवा के अपर/उप श्रम आयुक्त, वित्त नियंत्रक अभियंता, विद्युत-यांत्रिक निदेशक, ब्वायालर निदेशक, कारखाना पर्ववेक्षणीय अधिकारी के रूप में सहयोग करते हैं, प्रभागों का विवरण निम्नवत हैः-

1. स्थापना प्रभाग (प्रशिक्षण-समूह 'क', 'ख', 'ग' श्रेणी का अधिष्ठान, चरित्रपंजिका प्रकोष्ठ, परिवाद प्रकोष्ठ, जनसूचना अधिकार प्रकोष्ठ), 2. नजारत प्रभाग (समूह 'घ' श्रेणी का अधिष्ठान, फैक्स/स्टोर/फोटो कापी), 3. औद्योगिक सम्बन्ध प्रभाग (ग्रेच्युटी/बोनस/प्रश्न प्रकोष्ठ), 4. औद्योगिक सम्बन्ध (रिट) प्रभाग, 5. प्रवर्तन प्रभाग, 6. संख्या प्रभाग (नियोजन/प्रवासी भारतीय कर्मकार प्रकोष्ठ), 7. ट्रेड यूनियन प्रभाग, 8. शाखा सचिवालय प्रभाग, 9. बाल श्रम/बंधुआ श्रम/महिला श्रम प्रभाग, 10. गृह एवं हितकारी प्रभाग (औद्योगिक श्रमिक बस्ती/अनुरक्षण/श्रम हितकारी केन्द्र), 11. अभिलेख प्रभाग, 12. भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रभाग, 13. लेखा सामान्य प्रभाग, 14. फण्ड प्रभाग, 15. पेंशन एवं आडिट प्रभाग, 16. कार्यकुशलता प्रभाग (प्रचार/पुस्तकालय/लोक सहायता केन्द्र), 17. ब्वायलर प्रभाग, कारखाना निदेशालय।

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य योजनाएं

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ श्रम, श्रम उन्मूलन, संगठित क्षेत्र

में कार्यरत श्रमिकों के आश्रितों के लिये व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जो निम्नवत हैः-

बाल श्रम

- **बाल श्रमिक विद्या योजना-** योजना के अन्तर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रु० 1000/- बालकों के लिए व रु० 1200/- बालिकाओं के लिये देय होगी। लाभार्थी कामकाजी बालक/बालिका व किशोर/किशोरी योजना के अन्तर्गत कक्षा-8, 9, 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें कक्षा-8 उत्तीर्ण करने पर रु० 6000/- की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 8-18 आयु वर्ग के 2000 कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अन्तर्गत रु० 25.00 लाख आवंटित किए गए हैं जिसके सापेक्ष धनराशि 22.41 लाख व्यय की गयी है।
- **नया सवेरा योजना-**नया सवेरा योजना के अन्तर्गत यूनीसेफ के सहयोग से प्रदेश के बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों के चिह्नित 1197 ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जाना है। योजना में 20 जिलों के 1197 ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डों में संचालित नया सवेरा के अन्तर्गत अब तक कुल 1197 ग्राम व वार्डों का सर्वेक्षण पूर्ण कराकर 6-14 आयु वर्ग के 34863 कामकाजी बच्चों को चिह्नित किया गया है, जिसके सापेक्ष 29593 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेशित/नियमित कराया गया है। इसी प्रकार 15-18 आयु वर्ग के13610 कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों को चिह्नित किया गया है तथा उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। नया सवेरा योजना के अन्तर्गत चिह्नित कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों के 10915 परिवारों को विभिन्न सामाजिक योजना से भी आच्छादित कराया गया है।
- **बाल श्रम पुनर्वासन योजना**- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में मार्च 2022 तक 1754 बाल श्रमिक चिह्नित किए गए तथा 129 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर करते हुए 53 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 2431 बाल श्रमिक चिह्नांकित किए गए तथा 126 नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर करते हुए 5 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए।
- **बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना 2016**- श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17 मई 2016 के उपरान्त पूर्व में संचालित बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना को संशोधित कर दिया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत बंधुआ श्रम प्रकरणों में समरी ट्रायल पूर्ण होने के उपरान्त पुनर्वासन हेतु क्रमशः धनराशि रु० 1.00 लाख, 2.00 लाख व 3.00

लाख दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जो कि पूर्ण रूप से श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षित योजना में अवमुक्त बंधुआ श्रमिक को तत्काल सहायता के रूप में धनराशि रु० 20,000/- का भुगतान किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के स्तर पर धनराशि रु० 10.00 लाख कार्पस निधि की व्यवस्था प्रत्येक जिले में की जा चुकी है।

श्रम कल्याण परिषद

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली 1972 की व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण हेतु उ०प्र० श्रम कल्याण निधि की स्थापना की गई है। यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है जिनमें 20 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं।

उक्त अधिनियम की व्यवस्थानुसार श्रम कल्याण निधि के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत उ०प्र० श्रम कल्याण परिषद का गठन किया जाता है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। वर्तमान में श्रम कल्याण परिषद के मा० अध्याक्ष पं० श्री सुनील भराला हैं।

वर्तमान में परिषद द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

पात्रता - श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ प्रदेश के ऐसे श्रमिकों को प्रदत्त किया जाता है जो उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962/कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों/अधिष्ठानों में कार्यरत हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो।

उ०प्र० श्रम कल्याण परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनाओं पर वितरित की गई धनराशि का विवरण

(1) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना

वर्ष 1990-91 से संचालित इस योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में कार्यरत औद्योगिक/वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरित करने की व्यवस्था है। यह सहायता सार्टीफिकेट, डिप्लोमा एवं डिगी पाठ्यक्रमों के छात्रों को क्रमशः रु० 10,000/-, 15,000/- एवं 25,000/- की दर से प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी पाठ्यक्रमों के 71 छात्रों को वितरित की गई धनराशि आर्थिक सहायता 8.14 लाख है।

(2) गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना

वर्ष 2006-07 से संचालित की गई इस योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में कार्यरत औद्योगिक/वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/-

से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/परास्नातक की परीक्षाा 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को रु० 5,000/- तथा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को रु० 7,500/- पुरस्कार राशि वितरित की जाती है। 398 मेधावी छात्रों को वर्ष 2021-22 में वितरित की गई पुरस्कार राशि 23.30 लाख है।

(3) दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना

वर्ष 2011-12 से संचालित की गई इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, ऐसे श्रमिकों की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा या आश्रित को रु० 1,00,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 में 12 लाभर्थियों को वितरित की गई आर्थिक सहायता 3.00 लाख है।

(4) ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना

वर्ष 2012-13 से संचालित की गई इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, ऐसे श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में रु० 51,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 में 137 लाभार्थियों में वितरित की गई आर्थिक सहायता धनराशि 50.00 लाख है।

(5) राजा हरिश्चन्द्र मृतक श्रमिक अन्त्येष्टि सहायता योजना

वर्ष 2015-16 से संचालित की गई इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, ऐसे श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में रु० 10,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 में 07 लाभार्थियों में वितरित की गई आर्थिक सहायता धनराशि 70,000/- है।

(6) श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थयात्रा योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, ऐसे श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों एवं अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु आर्थिक सहयता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम रु० 12,000/- एकमुश्त प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 में 19 लाभार्थियों में वितरित की गई आर्थिक सहायता धनराशि 43,000/- है।

(7) महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान कारखाना अधिनियम 1962/कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, की ऐसी पुत्रियां जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही है उन्हें पुस्तक क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत रु० 7,500/- एकमुश्त प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 में 1 लाभार्थी को वितरित की गई धनराशि 7,500/- है।

(7) चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिक जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रु० 15,000/- से अधिक न हो, ऐसे श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों जिनका चयन जिला, राज्य, राष्ट ीय तथा अन्तर्राष्टीय खेलों में हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता वितरित किये जाने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

दिनांक 26.8.2021 तक upssb.in पर कुल 79215 असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 20.10.2022 तक 82957800 असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जा चुका है।

उ.प्र. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की दो योजनाएं अधिसूचित की गयी हैं:-

1. मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से सभी पंजीकरण कामगारों को दुर्घटना के फलस्वरूप जीवन हानि पर 2.00 लाख की आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाना है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से निरन्तर पोर्टल में तत्सम्बन्धी व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। राज्य सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों को योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु रुपये 12 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

2. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

इस प्रकार पंजीकृत असंगठित कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंट्रीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार रुपया 05 लाख तक प्रति वर्ष कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु भी पोर्टल में परिवार का

विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किये जाने सम्बन्धी अनुरोध भारत सरकार से किया गया है। राज्य सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों को योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु रुपये 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

कारखाना प्रभाग का परिचय

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार एवं सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम-19448 व तत्सम्बन्धी प्रादेशिक नियमावली तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के अधीन परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के हथलन, भण्डारण व इन रासायनिक पदार्थों से सम्भावित दुर्घटनाओं के नियंत्रण तथा जनित आपात स्थितियों से निपटने हेतु कार्ययोजना की तैयारियों एवं तत्सम्बन्ध में अनुक्रिया से सम्बन्धित भारत सरकार की नियमावली के प्रवर्तन का कार्य कारखाना निदेशालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रभावी एवं व्यापक प्रवर्तन श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्थाएं श्रमिकों के हितों में प्रवर्तित एवं संवर्द्धित करने के प्रति विभाग दृढ़ संकल्पित है। मुख्य रूप से श्रम आयुक्त संगठन द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रवर्तन तन्त्र के माध्यम से कार्यवाही सुविधाएं सुलभ कराये जाने के प्रति संगठन पूर्णरूप से सजग एवं संकल्पित है। इसी श्रृंखला में प्रमुख उपलब्धियों का विवरण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निम्नवत है:-

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दरों का पुनरीक्षण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत दिनांक 28.1.2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 2010 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी	दिनांक 1-4-2022 से 30-9-2022 तक (कुल मजदूरी रु० में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रु० में	दिनांक 1-10-2022 से 31-03-2023	
				दिनांक 1-10-2022 से 31-3-2023 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9530	3993	9743	374.73
2	अर्धकुशल	6325	10483	4392	10717	412.19
3	कुशल	7085	11743	4920	12005	461.73

उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन एवं नवीनीकरण की कार्यवाही में व्यवसायियों को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 12.06.2015 द्वारा ऑन-लाइन पंजीयन 21 दिनों में तथा दिनांक 03.04.2018 द्वारा पंजीयन एक दिन में और दिनांक 28.06.2018 द्वारा पंजीयन/नवीनीकरण पूर्णतः आटोमेटेड कर दिया गया है। शासकीय अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 द्वारा दूकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों हेतु नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

उपलब्धियों का विवरण

विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रभावी एवं व्यापक प्रवर्तन श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। प्रदेश का श्रम विभाग विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रदत्त मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं उनके हितों का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। उक्त दिशा में मुख्य श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 1941 निरीक्षण किये गये, जिनमें पाए गये उल्लंघनों के अनुपालन न करने के उपरान्त 1005 अभियोजन दायर किये गये। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाया जाना श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। वर्तमान में 74 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को रुपये 366.54, बीड़ी में रुपये 281.13, कालीन में रुपये 314.61, कांच की चूड़ी में रुपये 327.11 तथा कृषि क्षेत्र में रुपये 201.00 प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है। विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण, लाइसेंसिंग व निरीक्षण की प्रक्रिया को ऑन-लाइन कर दिया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित अधिष्ठानों के पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

अटल आवासीय विद्यालय योजना सेल से सम्बन्धित कार्यों/उपलब्धियों का अद्यतन विवरण

- वर्तमान लोकप्रिय सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 18 मण्डलों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों में विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि का चिह्नांकन पूर्ण कर लिया गया है।
- शासन द्वारा अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग का चयन किया जा चुका है एवं निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से समस्त 18 मण्डलों के कार्य ऑगणन शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

- 18 मण्डलों (अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूटधाम, देवीपाटन, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर एवं वाराणसी) के कार्य आंगणन के मूल्यांकित लागत के सापेक्ष शासन द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए धनराशि अवमुक्त की गई है।

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन एवं सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 लागू किया गया है; जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 04 फरवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है तथा उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है तथा उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

बोर्ड का कार्यकाल 03 वर्ष का होता है। बोर्ड की अब तक 55 बैठकें एवं एक आकस्मिक बैठक हो चुकी है, अंतिम बैठक दिनांक 18.10.2022 को सम्पन्न हुई है।

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली 2009 के नियम-10 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 09.11.2013 द्वारा राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। उ.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 द्वारा द्वितीय राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन एवं उ.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 07.09.2021 द्वारा तृतीय राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है तथा श्री रघुराज सिंह को इस समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्य

1. श्रमिक पंजीयन

18-60 आयु वर्ग के ऐसे निर्माण श्रमिक जो निर्माण प्रक्रिया में पिछले 12 महीनों में कम से कम 50 दिन कार्य किये हैं, अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हेतु पात्र हैं। उ.प्र. शासन के शासनादेश दिनांक 25.07.2013 द्वारा 40 प्रक्रियाएं निर्माण कार्यों की सूची में सम्मिलित की गयी हैं।

2. अधिष्ठान पंजीयन

निर्माण स्थलों-जहाँ वर्ष में किसी भी दिन 10 या इससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हैं, का पंजीयन भी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है। रिहायशी भवनों की स्थिति में रु० 10 लाख से अधिक लागत के भवनों पर ही अधिनियम के प्राविधान लागू हैं।

3. उपकर संग्रहण

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 द्वारा अधिनियम से आवर्त सभी भवनों एवं अन्य सन्निर्माणों की लागत का 01 प्रतिशत उप कर लिए जाने का प्राविधान है। उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है।

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण

1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं पंजीकृत महिला कर्मकारों एवं पंजीकृत पुरुष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है। इसके साथ ही बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच सृजित करने तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकारात्मक परिणाम देना।

2. निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDSY)

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उसे अथवा उसके आश्रित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

3. कन्या विवाह सहायता योजना (KVSY)

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।

4. कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ करवाया जाना एवं ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना है। उक्त के अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल संबंधी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से निर्माण स्थलों पर कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कौशल वृद्धि हेतु Recognition of Prior Learning योजना लागू की जायेगी।

5. महात्मा गाँधी पेंशन योजना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 के अंतर्गत 'लाभार्थी' के रूप में पंजीकृत होना, जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई हैं और लगातार 10 वर्ष बोर्ड के सदस्य रहे

हों तथा जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हो, को एक निश्चित धनराशि 'पेंशन' के रूप में उपलब्ध कराया जाना इस योजना का उद्देश्य है।

6. कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

7. आवासीय विद्यालय योजना

प्रायः देखा जाता है कि निर्माण-श्रमिकों के बच्चे अपने माता-पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते हैं। माता-पिता की गरीबी तथा साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण-श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

8. सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY)

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति एवं उनके मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करके उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा-9, कक्षा 10, कक्षा-11 या कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित होने पर उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु प्रेरित करने एवं उन्हें विद्यालय जाने हेतु सुविधा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से साइकिल क्रय किये जाने हेतु एकमुश्त धनराशि जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित की जायेगी, सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी। परन्तु शर्त यह होगी कि एक छात्र को एक ही बार साइकिल क्रय किये जाने हेतु सब्सिडी की धनराशि प्रदान की जायेगी।

09. शौचालय सहायता योजना

इस योजना में ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जिनके पास अपने आवास हैं किंतु उनमें शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें शौचालय निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. आपदा राहत सहायता योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ ऐसी आपदा की स्थिति में जबकि निर्माण श्रमिकों की जीविका एवं उनके भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना होती है।

ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को भरण पोषण करने हेतु आपदा काल में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के महत्वपूर्ण फैसले/बेस्ट प्रैक्टिसेज/ उपलब्धियाँ

- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिष्ठान पंजीयन को बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से आनलाइन कर स्वतः सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं श्रमिक नवीनीकरण को ऑनलाइन पोर्टल upbocw.in के माध्यम से किया जा रहा है।
- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना के आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल upbocw.in के माध्यम से किया जा रहा है।
- आपदा काल में श्रमिकों को भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रु० 1,000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक के रूप में अथवा जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार, उ०प्र० शासन या बोर्ड द्वारा चिह्नित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिये जाने हेतु आपदा राहत सहायता योजना बोर्ड की संशोधित अधिसूचना संख्या 6914-21/भ०नि०बो० (1803)-2021 दिनांक 27.12.2021 अधिसूचित करायी गयी।
- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 152.57 लाख श्रमिकों को रु० 1306.15 करोड़ की धनराशि भरण-पोषण भत्ते के रूप में आधार बेस्ड भुगतान के माध्यम से हस्तानान्तरित की गयी।
- अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु रु० 1800 करोड़ का कार्पस फण्ड तैयार किया गया, जिसमें रु० 1890 करोड़ की धनराशि निहित है।
- श्रमिक पंजीयन हेतु किये गये आवेदन का 03 दिनों में सत्यापन/जाँच न हो पाने की दशा में उक्त आवेदन को डीम्ड किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वार संचालित योजनाओं की जानकारी निर्माण श्रमिकों एवं जनमानस को प्रदान करने के साथ श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्रमिकों को जागरुक करने हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना अधिसूचित की गयी है, जिससे श्रमिक पंजीयन में अपेक्षित वृद्धि हो सके एवं अधिकाधिक पात्र निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। यह योजना दिनांक 28.11.2018 को अधिसूचित की गयी है।
- श्रमिक पंजीयन हेतु स्व-घोषणा के आधार पर पंजीयन किये जाने की व्यवस्था की गयी।
- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत श्रमिकपंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु लिये जाने वाले शुल्क

में छूट प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2022 तक निःशुल्क कर दिया गया है।

- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष से समस्त योजनाओं के अन्तर्गत हितलाभ का भुगतान Single Nodal Account (SNA) के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके दृष्टिगत बोर्ड द्वारा योजनाओं के हितलाभ वितरण का भुगतान Single Nodal Account (SNA) के माध्यम से आधार बेस्ड पेमेंट (ABP) से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सेवा योजन सेवा

संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर विमुक्त सैनिकों को सेवायोजित कराने के उद्देश्य से सन् 1945 में केन्द्रीय स्तर पर पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय की स्थापना की गयी, जिसके नियंत्रण में देश के विभिन्न भागों में सेवायोजन कार्यालयों की स्थापना हुई। संसद सदस्य श्री बी० शिवा राव की अध्यक्षता में सन् 1952 में गठित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन सेवा संगठन समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सन् 1956 से सेवायोजन कार्यालयों का दैनिक प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश शासन को हस्तान्तरित कर दिया गया तथा सेवा योजन कार्यालयों द्वारा अनुपालन की जाने वाली नीति एवं प्रक्रिया के निर्धारण का कार्य भारत सरकार को प्रदत्त किया गया। सेवायोजन कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सन् 1956 में भारतीय संसद द्वारा 'सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम-1959 पारित किया गया, जिसे 01 मई 1960 से जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में प्रभावी किया गया।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सेवायोजना सेवा के अन्तर्गत 95 सेवायोजन कार्यालय कार्यरत हैं। जिनमें 5 क्षेत्रीय रोजगार विकास कार्यालय, 18 क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, 01 व्यावसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय, 57 जिला सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, तथा 01 नगर सेवायोजन कार्यालय सम्मिलित हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग तथा दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि के उद्देश्य से शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र प्रदेश के 52 जनपदों में संचालित हैं।

प्रमुख कार्य योजनाएं

सेवायोजन कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं:

1. सेवायोजन सहायता कार्यक्रम।
2. शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना।
3. कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को रोजागार/प्रशिक्षण/उच्च शिक्षा जगत की सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना।

4. स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं वित्तपोषित होने में सहयोग प्रदान करना।
5. रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगारों को सेवायोजन के अवसर प्रदान करना।
6. भारत सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मॉडल कैरियर सेन्टर का संचालन।
7. औद्योगिक वर्गीकरण रोजगार से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण तथा भावी जनशक्ति की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं पूर्वानुमान।
8. सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये सेवामित्र पोर्टल एप पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकृत कौशल प्राप्त कामगारों यथा इलेक्ट्रिीशियन, प्लंबर, कारपेन्टर, इत्यादि के द्वारा आम नागरिकों के द्वार पर ही स्थानीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
9. आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर।

सेवामित्र

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर आदि प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म पोर्टल sewamitra.up.gov.in/ एप/कॉल सेन्टर की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित करायी गयी है।

वार्षिक योजना वर्ष 2021-22

वर्ष 2021-22 में अनुदान सं.-77 के तथा अनुदान सं. 83 के अन्तर्गत निम्नलिखित विभागीय कार्यों/योजनाओं हेतु क्रमशः रु० 13148.9 लाख तथा रु० 51.74 लाख (रु० 13200.03 लाख) का बजट प्राविधान हुआ है -

- निदेशालय स्तर पर कार्मिकों के वेतन आदि दैनिक विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु बजट की व्यवस्था।
- प्रदेश में संचालित सेवायोजन कार्यालयों के कार्मिकों हेतु वेतन आदि दैनिक विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु बजट की व्यवस्था।
- प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु रोजगार मेलों का आयोजन।
- प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों को कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रोजगार हेतु कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाना।
- दिव्यांगों को रोजगार सहायता देने हेतु प्रदेश के 16 जनपदों में स्थापित विशिष्ट रोजगार कार्यालयों के वेतन आदि का व्यय।
- प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के कार्मिकों हेतु वेतन आदि

दैनिक विभागीय कार्यों के निष्पपादन हेतु बजट की व्यवस्था।

- एस.सी.एस.सी. के अन्तर्गत शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के अनुसूचितजाति/जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क पुस्तकों का विवरण।
- भारत सरकार की शत प्रतिशत केन्द्र पुर्व निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्राविधान।

विभाग की नीति का विवरण

- वैश्वीकरण के वर्तमान परिदृश्य में रोजगार की प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है रोजगार के इस परिवर्तनशील परिदृश्य में यह आवश्यक है कि बेरोजगारों को रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार अवसरों की जानकारी प्रदत्त करायी जाय तथा साथ ही साथ उन्हें इसकी भी जानकारी उपलब्ध करायी जाय कि वे किस प्रकार की शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं को रोजगार के प्रति उपयुक्त बना सकें।

  शासन की इस नीति के लाभार्थी को दी जा सकने वाली सुविधा उनके द्वार पहुँचाई जाय, इसके दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में कैरियर काउन्सिलिंग शिविर का आयोजन किया जाता है। कैरियर काउन्सिलिंग शिविरों में बेरोजगारों के मध्य जाकर उन्हें अपने रोजगार/शिक्षा चुनने हेतु विशेषज्ञों की वार्ताएं करायी जाती हैं तथा उन्हें विभिन्न व्यवसायों हेतु निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
- सरकार की इस नीति की अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बेरोजगारों को प्रदान किए जाएं, इस उद्देश्य को बेरोजगारों एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को एक ही स्थान पर एकत्र कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- सेवायोजन विभाग द्वारा वेब-पोर्टल विकसित किया गया है,जो बेरोजगारों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। इस पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थी किसी भी स्थान से अपना पंजीकरण कर सकते हैं तथा इस पोर्टल पर नियोजकों का पंजीकरण भी करना आवश्यक होगा, जिससे उनके संस्थान में होने वाली समस्त रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय में अधिसूचित करना अनिवार्य होगा।

खेल

भूमिका

स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता था। वर्ष 1974 में अधिग्रहण करके खेल विभाग की स्थापना की गयी। अब प्रदेश में खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल संघों व विभागों के समन्वय एवं खेल प्रेमियों के सहयोग से प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य राज्य एवं केन्द्र की बजटीय व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। खेत के प्रति उचित वातावरण तैयार करने, क्रीड़ा प्रतिष्ठानों की स्थापना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने एवं उनके प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में की जा रही है।

उद्देश्य एवं सिद्धान्त

खेल संस्कृति के विस्तार हेतु समस्त आयु वर्गों के व्यक्तियों को खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य खेल से सम्बन्धित सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए खिलाड़ियों की प्रतिभागिता तथा उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना। "ऑल फार स्पोर्ट्स एण्ड स्पोर्ट्स फार ऑल"

उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज सोसाइटी की स्थापना तथा उद्देश्य

उ.प्र. सरकार द्वारा उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज सोसाइटी, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के 9 से 12 वर्ष आयु वर्ग के उदीयमान खिलाड़ी बालक/बालिकाओं का चयन कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर खेल का वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर एक अच्छा खिलाड़ी बनाना, पठन-पाठन के साथ उनका सर्वांगीण विकास कर स्वस्थ नागरिक बनाना एवं प्रदेश में खेल का विकास कर प्रदेश एवं देश के खेल स्तर को ऊँचा उठाना है। साथ ही खिलाड़ी छात्र एवं छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. (यू.पी. बोर्ड-हिन्दी माध्यम) द्वारा कक्षा-6 से कक्षा 12 तक मानविकी वर्ग में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

कॉलेजों का संचालन

उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज सोसाइटी, लखनऊ के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, खेल विभाग, उ.प्र. सरकार होते हैं तथा उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उ.प्र. शासन होते हैं। उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई संचालित हैं तथा खेल विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा पूर्णतया अनुदानित है।

मैनेजमेण्ट बोर्ड, उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज सोसाइटी, लखनऊ के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उ.प्र. शासन होते हैं तथा प्रधानाचार्य, गुरु गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ पदेन सचिव होते हैं। राज्य के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों का नोडल अधिकारी एवं इन कॉलेजों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ (सचिव, प्रबन्ध समिति, उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, लखनऊ) में निहित हैं।

स्पोर्ट्स कालेजों का प्रबन्धन उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज सोसाइटी, लखनऊ के अन्तर्गत मैनेजमेण्ट बोर्ड में निहित है। प्रदेश में स्थापित तीनों कॉलेजों का संचालन समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मैनेजमेण्ट बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार किया जाता है।

स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश चयन प्रक्रिया

उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेजेज़ सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा-6 में प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रवेश चयन प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पादित की जाती है। प्रथम चरण में प्रारम्भिक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है जो माह अप्रैल, 2022 में प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक चयन परीक्षा संयुक्त रूप से प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय खेल कार्यालय स्थित स्टेडियम में लखनऊ मण्डल की गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में, गोरखपुर मण्डल की वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में तथा कानपुर मण्डल की मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई जनपद इटावा में प्रातः 10.00 बजे से आयोजित होती है। प्रारम्भिक चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदेश स्तरीय खेलवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाती है और इस सूची के आधार पर मुख्य चयन परीक्षा हेतु खेलवार सम्बन्धित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा जाता है तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूची कॉलेज की वेबसाइट www.sportscollegelko.in पर उपलब्ध करायी जाती है।

मुख्य चयन परीक्षा खेलवार सम्बन्धित स्पोर्ट्स कॉलेजों में आयोजित होती है। मुख्य चयन परीक्षा में शारीरिक, खेल तकनीक व खेल परीक्षा आयोजित होती हैं। मुख्य चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा खेलवार प्राप्त अंकों के आधार पर तीनों कॉलेजों की खेलवार रिक्त सीटों के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची से चयनित व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जिसे कॉलेज की वेबसाइट www.sportscollegelko.in पर उपलब्ध कराया जाता है चयनित सूची के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग हेतु खेलवार सम्बन्धित कॉलेज द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। काउन्सलिंग समिति द्वारा वांछित प्रपत्रों की जांच कर छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज- जनपद सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है।

गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ

खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से लखनऊ में कुर्सी रोड पर प्रदेश के प्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गयी।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

खेल विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना आवासीय क्रीड़ा छात्रावास है। जिसके अन्तर्गत जिला स्तर, मण्डल स्तर व प्रदेश स्तर पर छात्रों का चयन समिति द्वारा किया जाता है। इस शिविर के अन्तिम दिवसों में क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु उदीयमान खिलाड़ियों का चयन खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न खेलों में बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत उन्हें आवासीय सुविधा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकिट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। एक खिलाड़ी पर प्रतिवर्ष रु. 1,44,625/- व्यय होता है। वर्तमान में 18 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावास हैं। इनमें विभिन्न खेल छात्रावासों में बालकों की संख्या-670 एवं बालिकाओं की संख्या-220 कुल 890 निर्धारित है।

एक जनपद एक खेल

75 जनपदों में एक जिला एक खेल योजना के अन्तर्गत "खेलो इण्डिया सेन्टर" संचालित, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सेण्टर पर एक प्रशिक्षक को प्रतिमाह रु. 25,000/- मानदेय दिया जायेगा।

सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स

गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स (KISCE) के रूप में विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत 15 ओलम्पिक खेलों में से 03 खेलों के लिए एक्सीलेन्स सेण्टर स्थापित किया जायेगा। उक्त सेण्टर हेतु कोचिंग, स्टाफ, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय खेल कार्यालय स्थापित है। खेल विभाग द्वारा उक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रतिपादित करने में सहयोग लिया जाता है, इसके अतिरिक्त जनपद रायबरेली, इटावा, वाराणसी, बरेली में साई के ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित हैं तथा जनपद लखनऊ, गोण्डा, बागपत, मेरठ, वाराणसी में स्माल खेलो इण्डिया सेन्टर स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रतिभागिता व समन्वय बैटरी ऑफ टेस्ट, प्रचार-प्रसार, उपभोग

(क) उत्तर प्रदेश खेल विकास प्रोत्साहन समिति का विवरण

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2020 द्वारा "जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली 1984" को संशोधित करते हुए "उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020" प्रख्यापित की गयी है, जिसका कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा। गाँव स्तर से राज्य स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों का चिन्हाँकन कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं

प्रोत्साहन नियमावली को उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों, जनपद, मण्डल तथा राज्य में लागू किया जाना है। उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, 2020 के उद्देश्य व लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं-

1. खेल संस्कृति का समस्त वर्गों यथा-महिलाओं, दिव्यांगजन इत्यादि में बढ़ावा देना।

2. खेलों का विस्तार एवं प्रतिभागिता प्रतिशत बढ़ाना।

3. खेल प्रतिभाओं का चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास करना जिससे वह चयनित खेल में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करें।

4. एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधुनिक टेस्टिंग मानकों/मनोवैज्ञानिक प्रचार-प्रसार व तकनीक के माध्यम से किया जायेगा।

5. सभी सम्बन्धित घटकों, खेल संघों/संस्थाओं, विभागों यथा- युवा कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, उद्योग, सेना, रेलवे आदि के मध्य समन्वय रखते हुए खेलों का समग्र विकास करना।

उक्त उद्देश्यों का यह लक्ष्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों का प्रतिभागिता प्रतिशत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़े जिससे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो।

(ख) प्रशिक्षण

खेल विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्मित विभागीय अपस्थापनाओं यथा- स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, जिमनेजियम, तरणताल, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, हाकी एस्ट्रोटर्फ (कृत्रिम घास का मैदान) आदि का नियमित एवं अधिकाधिक सदुपयोग करने एवं बालक/बालिकाओं को खेल का ज्ञान देने व उन्हें उच्च स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु लोकप्रिय खेलों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। खेल विभाग में तैनात विभागीय प्रशिक्षकों (क्रीड़ाधिकारी, उपक्रीड़ाधिकारी, सहायक प्रशिक्षक) द्वारा अपने खेल का प्रशिक्षण शिविर पूरे वर्ष संचालित किया जाता है। जिन जनपदों में खेल विशेष के विभागीय प्रशिक्षक तैनात नहीं होते हैं वहाँ अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को नियमानुसार तैनात कर 31 खेलों में प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कराया जाता है। अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को उनकी योग्यतानुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर, विशेष प्रशिक्षण शिविर

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर छात्रावास का एक अंग है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु आयोजित राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स में निर्धारित संख्या के अनुसार चयनित बालक एवं बालिकाओं को 15 दिवसीय तक केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रगाढ़ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर के अन्तिम दो दिनों में अन्तिम चयन/ट्रायल्स आयोजित किया जाता है। उक्त चयन/ट्रायल्स में प्राप्त अंकों के आधार पर गठित चयन समिति द्वारा मेरिट सूची बनायी जाती है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में

रिक्त स्थानों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है।

(घ) खेलो इण्डिया ऐप का प्रचार-प्रसार

खेल प्रतिभाओं की खोज एवं उनकी क्षमता का आंकलन कर खेल गतिविधियों में बढ़ोत्तरी एवं राज्य प्रतिनिधित्व में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत 'खेलो इण्डिया ऐप' पर सभी जिलों के छात्रों/ खिलाड़ियों एवं कोचेज **(बेसिक, माध्यमिक, उच्च, समाज कल्याण, श्रम विद्यालयों, पॉलीटेक्निक, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चिकित्सा संस्थानों, खेल संघों, क्लबों आदि)** के अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु खेल विभाग के अधीनस्थ समस्त जनपदीय अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कॉलेज़ेज को निर्देशित किया गया।

उक्त के अनुपालन में अधिकारियों द्वारा प्रयास करते हुये अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय कर सभी सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण के 'खेलो इण्डिया एप' पर कुल-171 कोचेज एवं 4260 खिलाडियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। खेल पोर्टल पर खेल अवस्थापनाओं, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की मैपिंग करायी जा रही है।

(ङ) फिट इंडिया प्रोटोकाल का व्यापक प्रचार-प्रसार

खेल विभाग द्वारा फिट इंडिया अभियान को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 से प्रारंभ अभियान अवधि के दौरान आयोजित स्वस्थता समारोह/कार्यकलापों में अपना नाम दर्ज करवाने और उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारतीयों को स्वस्थता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न भाग बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया और यह अभियान 29 अगस्त, 2023 को समाप्त होगा।

फिट इंडिया अभियान में सभी भारतीयों को शामिल किया जाएगा चाहे वे किसी भी लिंग, आयु, व्यवसाय के हों उनका आवास कहीं भी हो, उनकी सामाजिक/वित्तीय स्थिति आदि जो भी हो और चाहे वे भारत में रहते हो या विदेश में और इस अभियान में स्वस्थता और स्वस्थ रहन-सहन पर प्रभाव डालने वाले सभी पहलुओं अर्थात शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, स्वस्थ जीवन शैली, खान-पान की स्वस्थ आदतें स्वस्थ और संतुलित आहार, निवारक स्वस्थ्य देखरेख, सतत और पर्यावरण हितै ाी रहन-सहन आदि ाामिल होंगे।

(च) खेल दिवस (29 अगस्त) का कार्यक्रम

हॉकी के जादूगर स्व. मेजर ध्यान चन्द्र के जन्म दिवस पर (29 अगस्त) खेल दिवस के अवसर पर (15 वर्ष से कम आयु के बालकों की हाकी प्रतियोगिता) प्रत्येक जनपद में करायी जाती है।

(छ) प्रदेशीय टीमों को सुविधा

प्रदेशीय खेल संघों द्वारा चयनित प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। खेल विभाग द्वारा प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व 10-15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे टीम में तालमेल बन सके एवं उनके खेल में सुधार आ सके तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकें। प्रशिक्षण अवधि में खिलाड़ियों के भोजन एवं आवास आदि की सुविधा

पर होने वाले व्यय को खेल विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इन प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु किट तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन स्थल तक आने-जाने का रेल किराया सिंगल फेयर डबल जर्नी के सिद्धान्त के आधार पर आरक्षण शुल्क सहित विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

(ज) वृद्धियाँ

खेल के क्षेत्र में खेलों के प्रतिस्पर्द्धात्मक पक्ष को देखने के लिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय खेल महासंघ और प्रदेश स्तर पर प्रदेशीय खेलसंघ कार्य करते हैं। खेल विभाग ऐसे कार्यक्रमों के संचालन हेतु तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक सहायता उन्हीं प्रदेशीय खेल संघों को दी जाती है जो शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स स्वीकार करते हैं।

(झ) निजी सहभागिता से खेल को विकसित करने की नीति

प्रदेश में खेलों के विकास हेतु शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा भूमि का चिन्हांकन प्राधिकरणों/जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर मान्यता प्राप्त खेलों में एकेडमी विकसित किये जाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

सक्षमता विकास व प्रोत्साहन (स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता)

(क) विभागीय प्रतियोगिता 2020-21 का निर्धारित कार्यक्रम

विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विभागीय प्रतियोगिताओं का कैलेण्डर जारी नहीं किया गया है।

02 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निर्गत गाइड-लाइन्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित कराया गया।

(ख) सामान्य खिलाड़ियों की भाँति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा सुविधायें

प्रदेश में पहली बार सामान्य खिलाड़ियों की भाँति दिव्यांग खिलाड़ियों को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग-अलग प्रदान किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के सम्मान की व्यवस्था

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यवस्था लागू की गयी है।

(घ) भूतपूर्व खिलाड़ियों को सुविधा

विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलायी जाने वाली योजना के अन्तर्गत वृद्ध अशक्त एवं विपदाग्रस्त खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) गत 03 वर्ष में अर्जुन, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता एवं अन्य आर्थिक सहायता

विभाग द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री, पद्मभूषण एवं ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को रु. 20,000/- प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण एवं ध्यानचंद अवार्ड से सम्मनित महानुभाव खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की पात्रता हेतु आय सीमा की छूट है। वर्ष 2021-22 तक कुल 222 खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त हो रहा है जिसमें 55 अर्जुन एवार्डी, 08 द्रोणाचार्य, 01 ध्यानचंद एवार्डी व 01 पद्मश्री एवार्डी को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

अभिनव प्रयास

1. जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय

खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं पेशेवर डिग्री हासिल करने तथा पेशेवर व्यवसाय हेतु मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जनपद मेरठ के सरधना में रकबा 36.9813 हे. (लगभग 91.38 एकड़) भूमि पर की जा रही है। इसमें फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एण्ड एप्लाइड स्पोर्ट्स साइंसजेज, स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एण्ड मॉस मीडिया टेक्नोलॉजी, एडवेन्चर स्पोर्ट्स एण्ड यूथ अफेयर्स विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनके अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों द्वारा स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट, एम.फिल. तथा पीएच.डी. तक की शिक्षा की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में खेल संस्कृति तथा उत्कृष्टता लाना है। फिजिकल एप्टीट्यूड, स्किल्स व खेलों में रिकॉर्ड स्थापित करने तथा पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को खेल की व्यावहारिक आधारित (प्रैक्टिकल बेस्ड) शिक्षा प्रदान करना है, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर सकें।

2. "उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नीति"

खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु "उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली-2020" प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा, जिसके लिए तहसील, जिला एवं मण्डल स्तर पर सरकार द्वारा कुल रु. 8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु की गयी है।

3. एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन)

प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के प्रति संकल्प रखते हुए एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली 2021 प्रख्यापित की गई है। इसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रदर्शन एवं संवर्द्धन हेतु फेलोशिप प्रदान करना, ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, एफ्रो एशियन गेम्स, सैफ गेम्स व राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार कर खिलाड़ियों

एवं प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराना इत्यादि सम्मिलित है।

4. पारदर्शिता एवं सुचिता

खेल विभाग द्वारा सेवाओं का क्रय तथा खेल उपकरणों इत्यादि का क्रय जेम पोर्टल से किया जाता है। खेल विभाग की अवस्थापनाओं, प्रतियोगिताओं एवं अन्य योजनाएँ वेबसाइट/पोर्टल पर प्रदशित हो इसके लिए वेबसाइट/पोर्टल का नवीनीकरण कराया जा रहा है।

5. दिव्यांगजन हेतु सुविधाएं

सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है।

6. सांसद खेल स्पर्धा

खेल संस्कृति को घर-घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से "सांसद खेल स्पर्धा" के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में ग्राम स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक प्रतियोगिताएँ आयोजित करायी गयीं। उक्त प्रतियोगिता के आयोजन से जनमानस में खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ी है। उक्त प्रतियोगिता में 6260 बालक एवं 4122 बालिका कुल 10382 खिलाड़ी प्रतिभाग किये गये।

अगले कदम

- स्पोर्ट्स पालिसी 2022 बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगा।
- मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स इन्फ्रास्टक्चर मिशन का अनुश्रवण बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा युवा कल्याण विभाग के सहयोग से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- तहसील, जिला, मण्डल स्तर पर उत्तर प्रदेश खेल प्रोत्साहन समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुश्रवण बैठकें करायी जायेंगी।
- प्रत्येक गाँव एवं कस्बे पर अवस्थित मानवीय एवं भौतिक खेल अवस्थापनाओं की मैपिंग एवं टैगिंग करायी जायेगी।
- प्रदेश की प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, रामगंगा, चम्बल, गोमती, घाघरा, गण्डक) पर स्थित प्रमुख जनपदों में नौकायन क्लब बनाकर नौकायन प्रतियोगिताओं एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन पर्यटन विभाग के सहयोग से कराया जायेगा।
- पी.पी.पी. मॉडल पर निजी भागीदारी की सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास किया जायेगा।

●

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण

अपने वर्तमान स्वरूप में युवा कल्याण विभाग प्रदेश के युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करने का कार्य युवा कल्याण विभाग का एक प्रमुख दायित्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद की अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा ग्रामीण युवाओं हेतु खेलकूद संबंधी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन तथा सामान्य रूप से विकास की योजनाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में युवा कल्याण विभाग का उद्देश्य है।

विभाग के प्रमुख कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रस्तावित योजनाएं

विभागीय कार्यक्रमों हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में वित्तीय व्यवस्था की जाती है, जिससे निम्नलिखित योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं-

"प्रान्तीय रक्षक दल"

1. प्रान्तीय रक्षक दल में चयन एवं प्रारम्भिक प्रशिक्षण

इसके अन्तर्गत ग्रामीण कम्पनी (विकास खण्ड) तथा बड़े शहरों में सिटी कम्पनी में युवाओं का निर्धारित रिक्ति के सापेक्ष चयन तथा वर्दी सहित 45 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण (बजट की उपलब्धता के अनुसार)। मृतक एवं स्थायी रूप से अपंग पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के पात्र आश्रित को भी पी.आर.डी. में चयन कर प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त एनरोल किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1400 युवाओं को चयनित कर प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिए जाने के उपरान्त उन्हें प्रान्तीय रक्षक दल में एनरोल्ड किया जाना प्रस्तावित है।

2. पी०आर०डी० स्वयंसेवकों का पुनर्प्रशिक्षण

प्रान्तीय रक्षक दल में एनरोल्ड स्वयंसेवकों का 03 वर्ष के अन्तराल पर 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण (बजट की उपलब्धता के अनुसार)प्रदान किया जाता है।

3. पी०आर०डी० ड्यूटी का संचालन

पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की ड्यूटी विभागीय बजट के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त थानों, महिला थानों, यातायात संचालन एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगायी जाती है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों एवं संस्थानों की मांग पर पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगायी जाती है, जिसके लिए उक्त विभाग/संस्थान भुगतान करते हैं। इसके अन्तर्गत 2022-23

में 20000 जवानों को प्रतिमाह ड्यूटी दिया जाना प्रस्तावित है।

4. पी०आर०डी० स्थापना दिवस समारोह

प्रान्तीय रक्षक दल का गठन विधिक रूप से दि यूनाईटेड प्रोविंसेज एक्ट-1948 द्वारा करने के उपरान्त उक्त एक्ट के 11 दिसम्बर, 1948 को शासकीय गजट में प्रकाशित होने के आधार पर दिनांक 11 दिसम्बर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पी0आर0डी0-डे समारोह को प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों हेतु रु० 33,000 प्रति जनपद की दर से एवं राज्य स्तर पर भव्य रूप से मनाये जाने हेतु रु० 15,25,000/-, इस प्रकार कुल 40.00 लाख की धनराशि से आयोजन कराया जाएगा।

5. पी०आर०डी० जवानों की मासिक रिफ्रेशर परेड

प्रान्तीय रक्षक दल संगठन को सुगठित एवं सशक्त बनाये रखने हेतु प्रशिक्षित पी.आर.डी. जवानों को चुस्त-दुरुस्त तथा ''स्टेट ऑफ फिटनेस'' में बनाये रखने, उनका ''टर्न आउट'' ठीक रखने तथा विशेष आकस्मिक अवसरों पर त्वरित उपलब्धता के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में 'मासिक परेड' का आयोजन कराया जाता है।

अतः उपर्युक्तानुसार मासिक परेड के आयोजन हेतु रू 5,000/- प्रति विकास खण्ड दर से कुल रु० 41,35,000/-की धनराशि का प्रावधानित बजट से मासिक परेड करायी जा रही है।

6. पी.आर.डी. कल्याण कोष से आर्थिक सहायता

ड्यूटीरत पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को आर्थिक सहायता तथा घायल होने की स्थिति में चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता कोष की धनराशि प्रदान की जाती है।

7. प्रान्तीय रक्षक दल केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण

प्रान्तीय रक्षक दल में प्रशिक्षण हेतु आनन्द नगर स्थित विभागीय भूमि पर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

"ग्रामीण खेल"

8. 'खेलो इण्डिया योजना'

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजनान्तर्गत युवा कल्याण विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना का सृजन कराया जा रहा है जिसमें प्रदेश की वर्तमान में कुल 21 परियोजना स्वीकृत हैं। कुल 21 परियोजनाओं के सापेक्ष 14 परियोजनाएं (जनपद-सोनभद्र, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, महराजगंज, बाराबंकी, मीरजापुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ (ढिढुई) एवं बस्ती) पूर्ण हो चुकी हैं। जनपद-मेरठ की परियोजना में वूडेन फ्लोरिंग का कार्य अवशेष है। शेष 06 परियोजनाओं (जनपद-कानपुर नगर, बागपत, हरदोई, प्रतापगढ़(आसपुर देवसरा एवं

सरसीखाम) तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल मुख्यालय) में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

9. ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण

खेलकूद को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर सुलभ कराने एवं नियमित अभ्यास हेतु निम्नवत स्टेडियमों की स्थापना करायी जा चुकी है:-

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 20 स्थानों पर स्टेडियम निर्माण कराए जाने के क्रम में ग्राम-इमिलिया कोडर जनपद-बलरामपुर, ग्राम-कन्दईकलां जनपद-अयोध्या, ग्राम-लोटना जनपद-उन्नाव, ग्राम-चाहरवाटी जनपद-आगरा, ग्राम-राठ एवं ग्राम-टिकरौली जनपद-हमीरपुर, ग्राम-तिन्दवारी जनपद-बांदा, ग्राम-नजियापुर जनपद-प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम-इमिलिया कोडर जनपद-बलरामपुर, ग्राम-कन्दईकलां जनपद-अयोध्या, ग्राम-लोटना जनपद-उन्नाव, ग्राम-चाहरवाटी जनपद-आगरा, की परियोजना विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है। 12 स्थानों पर मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

10. अधूरे ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण

इस योजना में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत निर्मित ग्रामीण मिनी स्टेडियम इमलिया कोडर, जनपद-बलरामपुर तथा खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत जनपद-सोनभद्र, पीलीभीत, मुरादाबाद एवं मेरठ में मल्टीपरपज हॉल की बाउण्ड्रीवाल हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानित धनराशि रू० 100.00 लाख से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

11. ग्रामीण स्टेडियमों का संचालन एवं अनुरक्षण

इस योजना के अन्तर्गत कुल 82 ग्रामीण स्टेडियम में 25 स्टेडियमों में अनुरक्षण हेतु प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 725.24 लाख का बजट प्रावधान कराया गया है, जिससे अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 82 पूर्व निर्मित स्टेडियमों एवं 40 नवीन स्टेडियमों में प्रति स्टेडियम न्यूनतम आवश्यकता के लिए कुश्ती के कवर सहित गद्दे, वालीबाल, फुटबाल नेट तथा इनको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराए जाने हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से कोच की व्यवस्था हेतु रु० 393.60 लाख, इस प्रकार कुल रु० 1118.84 लाख की धनराशि का प्रावधान कराया गया है।

12. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता-विकासखण्ड एवं जनपद स्तर (जिला योजना)

गाँव में निवास करने वाले युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार द्वारा विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर सभी आयु वर्ग के पुरुषों/महिलाओं की एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन एवं कुश्ती विधाओं में खुली ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण खेल प्रतियोगिता (जिला योजना) मद के अन्तर्गत मात्र रू० 250.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे सभी आयु वर्ग के पुरुषों/महिलाओं की खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगितायें समस्त 826 विकास खण्ड एवं 75 जनपदों में आयोजित कराए जाने हेतु रू० 250.00 लाख की धनराशि आवंटित कर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा चुका है।

"युवा कार्यक्रम"

13. युवक/महिला मंगल दलों का गठन-

वर्ष 1956 से ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित युवक मंगल दल इस विभाग का मुख्य संगठन है।

दलों का नाम	गठित दल
युवक मंगल दल	46,654
महिला मंगल दल	41,140
योग	**87,794**

राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों खेलकूद, सामाजिक वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत योजना, रक्तदान, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय/वाचनालय की स्थापना व संचालन, जैविक खेती, सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापना एवं अन्य जनोपयोगी क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य हेतु इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

14. युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन

वित्तीय वर्ष 2018-19 से संचालित इस योजना में 1110.00 लाख की धनराशि से 20,000 मंगल दलों को, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2500.00 लाख की धनराशि से 25,000 मंगल दलों को, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2500.00 लाख की धनराशि से 20000 मंगल दलों को प्रोत्साहित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000.00 लाख की धनराशि से 15000 मंगल दलों को प्रोत्साहित किए जाने का लक्ष्य है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

15. विवेकानन्द यूथ एवार्ड

वर्ष 1985-86 से युवकों में रचनात्मक कार्य के प्रोत्साहन स्वरूप राष्ट्र निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारे, कौमीएकता, शान्ति एवं सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु मंगल दलों को विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रारम्भ किया गया, जो कि वर्ष 1996-97 के उपरान्त बन्द हो गया। वर्ष 1996-97 से बन्द विवेकानन्द यूथ अवार्ड की योजना वर्ष 2017-18 से पुनः प्रारम्भ की गयी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 03 युवक एवं 03 महिला मंगल दल को उपर्युक्तानुसार एवं जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 01 युवक एवं 01 महिला मंगल दल को रु० 20,000/- की दर से तथा ब्लाक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ 01 मंगल दल को रु० 5,000/- की दर से पुरस्कृत किए जाने हेतु व्यवस्था करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त विवेकानन्द यूथ अवार्ड के अन्तर्गत ही व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदेश के 10 युवाओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु रु० 50,000/- प्रति व्यक्ति की दर से नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस हेतु कुल रु० 81.45 लाख की प्रावधानित धनराशि से उपर्युक्तानुसार विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रदान किए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

16. युवा उत्सव

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 12 जनवरी से राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें निर्धारित 18 साँस्कृतिक विधाओं में प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर चयनित प्रतिभागियों का राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग कराया जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में 02 परम्परागत साँस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश की टीम को भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिभाग कराया जाना है।

17. युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करने, उनमें साम्प्रदायिक सौहार्द्र तथा सामाजिक कार्यों/सेवाओं में रुचि उत्पन्न करने एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु रु० 15.00 लाख की धनराशि प्रावधानित की गयी है जिससे युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया जा चुका है।

18. मंगल दलों का राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में योगदान

मंगल दलों के माध्यम से युवाओं की सामाजिक वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण, नशा उन्मूलन, खेलकूद कार्यक्रम, जैविक खेती, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार आदि कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करायी जाती है। उक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा मिशन मोड में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा-मिशन शक्ति, आजादी का अमृत महोत्सव, फिट इण्डिया आदि में भी युवाओं का योगदान कराया जाता है।

19. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवाओं को इस योजनान्तर्गत निर्धारित क्षेत्रों में किए गये कार्यों के आधार पर रु० 40,000/- व्यक्तिगत पुरस्कार तथा रु० 2.00 लाख संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

गत पांच वर्षो के बजट का तुलनात्मक विवरण-

(धनराशि लाख रु० मे)

foRr h; o"kZ	2018&19	2019&20	2020&21	2021&22	2022&23
प्रावधानित बजट	7357.12	22773.06	25855.95	26020.30	40589.04

वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियां

1. प्रान्तीय रक्षक दल

- पी०आर०डी० जवानों का ड्यूटी भत्ता 06 जनवरी, 2022 को रु० 375/- से बढ़ाकर रु० 395/-प्रतिदिन किया गया।

- मृतक पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के पात्र आश्रित को प्रान्तीय रक्षक दल में एनरोल करने का शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2021 निर्गत किया जा चुका है, जिसके क्रम में पात्र आश्रितों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।
- विभागीय आनलाइन पोर्टल पर कुल 31,294 जवानों का डाटा जनपदों द्वारा फीड किया जा चुका है। आनलाइन ड्यूटी लगाने का कार्य समस्त जनपदों में प्रारम्भ किया गया है।
- 26 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पी.आर.डी. की टुकड़ी द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- 10-11 दिसम्बर, 2021 को 73वां पी०आर०डी० स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है।
- मासिक रूप से ब्लाक स्तर पर रिफ्रेशर परेड का आयोजन नियमित रूप से किया गया है।
- पी0आर0डी0 जवानों को समस्त थानों, महिला थानों एवं ट्रैफिक व्यवस्था आदि में लगाकर रोजगार के अवसर का सृजन किया गया है।

2. युवा कार्यक्रम

- 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का भव्य आयोजन दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2020 तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक किया गया।
- मंगल दल के 150 युवाओं का राज्य स्तर पर युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया गया।
- जनपद, मण्डल, जोन एवं राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु क्रय की गयी सामग्री का वितरण कराया गया।
- विवेकानन्द यूथ अवार्ड 2020-21 में चयनित मंगल दल श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार दिनांक 12 जनवरी, 2022 को वितरण किया गया।

3. ग्रामीण खेल एवं ग्रामीण खेल अवस्थापना

- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्रामीण स्टेडियम की 19 परियोजनाओं में 17 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करायी गयी तथा 02 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।
- भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 21 परियोजनाएं पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- जिला योजनान्तर्गत विकास खण्ड एवं जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया तथा मण्डल एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है।

●

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय

यह विभाग अविभाजित उ0प्र0 में पहले पर्वतीय विकास विभाग एवं तत्पश्चात उत्तरांचल समन्वय विभाग के रूप में स्थापित था। 09 नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य को उ0प्र0 से पृथक कर नवीन राज्य के रूप में गठित कर दिये जाने के उपरान्त यह विभाग उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग के रूप में स्थापित है।

यह विभाग उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के राज्यावंटन तथा आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन का समन्वय विभाग मात्र है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह एक बजट रहित विभाग है।

उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2019 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की संयुक्त बैठक देहरादून में आयोजित की गयी थी, जिसमें दीर्घकाल से लम्बित 11 विभागों के संबंधित प्रकरणों पर निर्णय लिया गया। तद्क्रम में निर्गत कार्यवृत्त पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त करते हुये सम्बन्धित विभागों को तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर Follow Up बैठकें भी करायी गयी हैं।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के राज्य आवंटन के सम्बन्ध में भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित परामर्शीय समिति की बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार की अपेक्षानुसार लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों की समन्वय बैठक 02 बार आहूत करायी गयी तथा एक बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया, जिसका संयुक्त कार्यवृत्त निर्गत करते हुये सम्बन्धित विभागों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने से सम्बन्धित सूचना निश्चित समयावधि में उपलब्ध करा दें। इस प्रकार प्राप्त सूचना के क्रम में भारत सरकार को निर्णय हेतु ऐजेण्डा तैयार कर भेजा गया। इस पर भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

लोक निर्माण

उत्तर प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक गांव तथा आबादी का मुख्य मार्गों से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों तथा जिला मार्गों का चौड़ीकरण तथा उनका उचित गुणवत्ता से सुधार कराया जाना आवागमन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा सुधार, अन्य जिला मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा मुख्य मार्गों पर संकरे तथा जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकत के आधार पर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 41 जनपदों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी कार्य कराये जा रहे हैं। विभाग में मार्गों के निर्माण/सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण

प्रदेश में सेतुओं के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी०पी०पी०/बी०ओ०टी० पद्धति पर मार्गों के सुधार एवं अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्राधिकरण की स्थापना की गई है:-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० :-

प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 60 मीटर से अधिक दर (स्पान) के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 85 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :-

भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिये 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय निर्माण का लक्ष्य रु० 4200 करोड़ रखा जाना सम्भावित है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण :-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश के राज्य मार्गों के निजी सहयोग से विकास के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर पी०पी०पी०/बी०ओ०टी० पद्धति पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना है।

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने के मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गों का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में दिनांक 31-03-2021 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लम्बाई 2,87,632 कि.मी. है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में उत्तरोत्तर होने वाली सम्भावित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए नई मार्ग विकास नीति है, प्रख्यापित किया गया है जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को भी अपनाया जाना प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे क्वैरी अथवा बार्डर रोड्स हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण के विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।
- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारु वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिये प्रदेश में पूर्व निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का रख-रखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में ग्रामीण

सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है। ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के समुचित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रदेश में शासनादेश दि० 22 नवम्बर, द्वारा लागू नीति संशोधनों सहित प्रचलन में है। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर सतह नवीनीकरण कार्य सामान्यतः 08 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- समस्त विभागों द्वारा सम्पर्क मार्गों की इनवेन्ट्री कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय-समय पर अपडेट किया जायेगा।
- सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन रोड कन्डीशन इन्डेक्स, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किया जायेगा।
- विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित चक्रानुक्रम के अनुसार नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना माह मार्च तक अन्तिम कर ली जायेगी। अब ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण सामान्यतः प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा किया जायेगा।
- विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह मार्च तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।
- स्वीकृति कार्यों पर पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जायेगी जिससे टाईम ओवररन तथा कास्ट ओवररन न हो।
- प्रत्येक विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते हुये आवश्यकतानुसार बैच मेन्टीनेन्स कान्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।
- नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यों पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह एवं शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

मार्ग कार्य :-

1. केन्द्रीय मार्ग निधि/केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि योजना

भारत सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल व डीजल पर सेस के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि से पोषित केन्दीय मार्ग निधि/केन्द्रीय मार्ग पर अवसंरचना निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश

के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं इन कार्यों पर पड़ने वाले सेतुओं/उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

2. ग्रामीण मार्ग/लघु सेतु के निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित आर०आई०डी०एफ० योजना (मार्ग कार्य) :-

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गई इस योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। नाबार्ड द्वारा इस योजनान्तर्गत आर०आई०डी०एफ०-2 से 7 तक स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है। इन योजनाओं में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

3. उत्तर प्रदेश में इण्डो-नेपाल सीमा पर मार्ग का निर्माण :-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामरिक महत्व की भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सशस्त्र सीमा बल की चौकियों को जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज में कुल 640 कि०मी० लंबाई में रु० 1621 करोड़ की लागत से वर्ष 2010-11 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त एस०एस०बी० के साथ संयुक्त निरीक्षण कर मार्ग का संरक्षण निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार परियोजना की कुल लम्बाई 570 कि०मी० है। परियोजना हेतु 28 डी०पी०आर० गठित कर भारत सरकार, नयी दिल्ली को प्रेषित किये गये हैं। परियोजना के अन्तर्गत अब तक 12 डी०पी०आर० लंबाई 235 कि०मी० तथा लागत रु० 1039 करोड़ पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अवशेष 16 डी०पी०आर० की स्वीकृत हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली की एच०एल०ई०सी० की बैठक मार्च, 2014 के सम्पन्न हुयी जिसमें निर्णय लिया गया है कि इन कार्यों के संरेखण पर पड़ने वाले वन/वन्य जीव प्रभाग में अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा। तदानुसार वन/वन्य जीव क्षेत्र से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रगति में है। वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही भारत सरकार से अवशेष डी०पी०आर० पर स्वीकृति प्राप्त होना सम्भावित है।

भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत 235 कि.मी. लम्बाई के 12 डी०पी०आर० के अन्तर्गत 12 कार्यों के गठित अनुबंधों के सापेक्ष 09 कार्य पूर्ण एवं 03 कार्य प्रगति में हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 76 करोड़ का व्यय करते हुये परियोजना के प्रारम्भ से मार्च, 2022 तक कुल रू० 767 करोड़ का व्यय करते हुये 214 कि०मी० में फार्मेशन स्तर तक एवं 190 कि०मी० में सरफेसिंग स्तर तक के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

4. प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों को राज्य राजमार्ग घोषित किया जाना एवं 02 लेन चौड़ीकृत किया जाना :-

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए शासनादेश दिनांक 12-02-2020, दिनांक 21-08-2020, दिनांक 25-08-2020, दिनांक 25-03-2021 एवं दिनांक 17-06-2021 द्वारा कुल 70 नये राज्य मार्ग (लंबाई 5604 कि०मी०) घोषित किये जा चुके हैं तथा इनमें से 16 ऐसे मार्ग, जो कि 02 लेन चौड़ीकृत नहीं है, का 02 लेन चौड़ीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

5. प्रदेश के तहसील मुख्यालय को 02 लेन चौंड़े मार्गों से जोड़ा जाना :-

प्रदेश के 316 तहसील मुख्यालयों में से 290 तहसील मुख्यालय पूर्व से ही 02 लेन चौड़े मार्गों से जुड़े हुए हैं। अवशेष 26 तहसील मुख्यालयों की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2022 तक 25 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष 01 कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

6. प्रदेश के विकास खण्ड मुख्यालय को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना :-

प्रदेश के 817 विकास खण्ड मुख्यालयों में से 679 विकास खण्ड मुख्यालय पूर्व से ही 02 लेन चौड़े मार्गों से जुड़े हुए हैं। अवशेष 138 विकास खण्ड मुख्यालयों में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 81 विकास खण्ड मुख्यालयों, वर्ष 2019-20 में 33 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति एवं वर्ष 2020-21 में 03 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति एवं वर्ष 2021-22 में 16 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार कुल 133 विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़े जाने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अवशेष 05 विकास खण्ड मुख्यालयों की स्वीकृति पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् आगामी वर्षों में प्रस्तावित है। पूर्व स्वीकृत 133 कार्यों में से माह मार्च, 2022 तक 113 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

7. एयरपोर्ट टर्मिनल के सम्पर्क मार्गों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना :-

रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 17 एयरपोर्ट नव विकसित किये जा रहे हैं, जिनको 7.00 मी. चौड़े मार्ग से जोड़ा जाना लक्षित है।

17 एयरपोर्ट टर्मिनल में से 10 एयरपोर्ट टर्मिनल पूर्व से ही 7.00 मी0 चौड़े मार्ग से जुड़े हैं। चित्रकूट, सोनभद्र एवं अलीगढ़ जनपद के 03 एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण किये जा चुके हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का 01 कार्य एन०एच०ए०आई० द्वारा प्रगति पर है। शेष 03 एयरपोर्ट टर्मिनल के मार्गों (कानपुर नगर, सहारनपुर एवं कुशीनगर) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्गत कर दी गयी है एवं कार्य प्रगति में है।

8. मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्गों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना :-

प्रदेश में कुल 08 मेडिकल कालेज के सम्पर्क मार्गों को 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़ा जाना

प्रस्तावित है, जिसमें से 03 मेडिकल कालेज (सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़ एवं फिरोजाबाद) पूर्व से ही 02 लेन चौड़े मार्गों पर स्थित हैं। अवशेष 05 कार्यों में से 04 कार्यों (मिर्जापुर, गाजीपुर, एटा एवं देवरिया) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति में प्रदान की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति में है। शेष 01 कार्य जनपद हरदोई के अन्तर्गत है, जिस पर कार्यवाही आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

9. विभिन्न श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण के कार्यों हेतु संक्षिप्त टिप्पणी :-

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में 10901 कि.मी. राज्य राजमार्ग, 6749 कि०मी० प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा 204148 कि०मी० ग्रामीण मार्ग हैं। प्रदेश में यातायात में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्ग एवं महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गों का कम से कम दो लेन में चौड़ीकरण/सृदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है। अभी भी लगभग 284.80 किमी० राज्य मार्ग एवं 1501.19 किमी० प्रमुख जिला मार्ग एक लेन अथवा डेढ़ लेन चौड़े हैं। चौड़ीकरण/सृदृढ़ीकरण कार्य सुनियोजित रूप से किए जाने हेतु वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय मार्ग निधि/ केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंचरना निधि योजना के अतिरिक्त राज्य योजना एवं नाबार्ड वित्त पोषित आर०आई०डी०एफ० योजना के अन्तर्गत लगभग रु० 6539 करोड़ तथा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत रु० 1750 करोड़ प्रस्तावित है।

10. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने/चौड़ीकरण के सम्बन्ध में :-

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 350 अथवा उससे अधिक आबादी के ग्रामों/बसावटों को एकल सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। वर्ष 2019-20 में उक्त अनजुड़े ग्रामों को जोड़े जाने हेतु कार्य योजना बनायी गयी। कार्ययोजना के आधार पर कुल 9783 ग्रामों को लगभग 8958 किमी० लागत रु० 5398 करोड़ द्वारा एकल मार्ग से जोड़े जाने हेतु चिन्हित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग 2100 (लम्बाई 2037 किमी० एवं लागत रु० 1145 करोड़) को जोड़े जाने हेतु शासन द्वारा आगणनों की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान में 2491 कार्य प्रगति में एवं शेष 1849 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शेष 4393 कार्यों में लम्बाई 4384.91 किमी० एवं लागत रु० 3170.62 करोड़ के सापेक्ष पंचायती राज विभाग द्वारा 1087 कार्य, लम्बाई 328.57 किमी० एवं लागत रु. 226.50 करोड़ द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी लम्बाई 500 मी० से कम है। शेष 3306 कार्य, लम्बाई 4056.34 किमी० एवं लागत रु० 2944.12 करोड़ के कार्यों को आगामी वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है।

11. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाएं) :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-56 व 83 के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास

निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु क्रमशः रु० 300 करोड़ (जिलांश सहित) एवं रु० 210 करोड़ (जिलांश सहित) का बजट प्राविधान था।

12. मार्गों का अनुरक्षण :-

विभाग के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई 2,87,632 किमी० है, जिसमें से 11,590 राष्ट्रीय मार्ग, 10,901 किमी० राज्य राजमार्ग, 6,749 किमी० प्रमुख जिला मार्ग, 54,244 किमी० अन्य जिला मार्ग व 2,04,148 किमी० ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं। इन मार्गों में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गों का रख रखाव लो०नि० वि० के बजट से ही किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के मार्गों पर गड्ढामुक्ति अभियान चलाया गया, इस अभियान के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लगभग 62,000 किमी० से अधिक लम्बाई के मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है।

13. पूंजीगत व राजस्व मदों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु किये गये व्यय के सम्बन्ध में टिप्पणी :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व राजवस्य मदों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु रू.24590 करोड़ की मूल बजट व्यवस्था (अधिष्ठान रहित) प्रस्तावित की गयी है।

विश्व बैंक पोषित परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के मार्ग निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था :-

विश्व बैंक सहायतिति उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना हेतु 400 मिलियन यू०एस० डॉलर की विश्व बैंक सहायता के लिए दिनांक 11.10.2019 को ऋण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का अंश 1.70 मिलियन यू०एस० डॉलर होगा। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत 570 मिलियन यू०एस० डॉलर है। उक्त धनराशि 400 मिलियन यू०एस० डॉलर में से 70 मिलियन यू०एस० डॉलर समर्पण किया जा चुका है। वर्तमान में 320 मिलियन यू०एस० डॉलर का ऋण होगा।

एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के मार्ग निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था :-

प्रदेश के 425 किमी० लम्बाई के प्रमुख जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु एशियन विकास बैंक के साथ दिनांक 27 जून 2017 को 300 मिलियन यू०एस० डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर हुये। इसमें उ०प्र० सरकार का अंश 128 मिलियन यू०एस० डॉलर होगा। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत 428 मिलियन यू०एस० डॉलर (1यू०एस० डॉलर. रु० 65) उक्त धनराशि 300 मिलियन यू०एस० डॉलर में से 105 मिलियन यू०एस० डॉलर का समर्पण किया जा चुका है। वर्तमान में 195 मिलियन यू०एस० डॉलर का ऋण होगा।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 89 राष्ट्रीय मार्ग है, जिनकी कुल लग्ताई 11590 कि०मी० है इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 4355 किमी० एवं पी०आई०यू० मोर्थ अधीन 17 किमी०, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 7218 किमी० है।

राष्ट्रीय मार्गों पर परियोजनाओं का विवरण

- वर्ष 2021-22 में दिनांक 31.03.2022 तक 219.89 कि०मी० नवीनीकरण, 212.79 कि०मी० 2-लेन विद पेव्डशोल्डर/आंशिक 4 लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- मूल कार्यों की वार्षिक योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को लागत रु० 12489 करोड़ की कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसके सापेक्ष मोर्थ को रु० 14415.52 करोड़ की डी०पी०आर०/आगणन प्रेषित किए गए हैं। जिसके सापेक्ष रु० 13324.21 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी।
- नवीनीकरण वर्ष 2021-22 के कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को रु० 249.70 करोड़ के आगणन प्रेषित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष रु० 201.25 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

सेतु कार्य

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो०नि०वि० द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण उत्तर राज्य सेतु निगम द्वारा कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 41 दीर्घ सेतु (पहुंच मार्ग सहित), 150 लघु सेतु तथा 18 रेल उपरिगामी सेतु इस प्रकार कुल 209 सेतु कार्यों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 54 नदी सेतु, 30 रेल उपरिगामी सेतु, 01 फ्लाई ओवर एवं 160 लघु सेतु इस प्रकार कुल 245 सेतु कार्यों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। एक लाख से अधिक टी०वी०यू० वाले 250 लेबिल क्रांसिग पर नये आर०ओ०बी० का निर्माण आगामी वर्षों में किया जाना प्रस्तावित हैं।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

अनुदान सं०-55 के अन्तर्गत भवनों का निर्माण कार्य एवं अन्य विभागों के भवन निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा सम्पादित किया जाता है। मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता भवन तैनात है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की

सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गयी। प्रदेश में इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ में अनजुड़ी बसावटें/मजरों को जोड़ने का प्राविधान था।

नव सम्पर्कता के साथ-साथ मार्गों के उच्चीकरण, चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं। मार्गों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार जनपद की सी०यू०सी०पी०एल० की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। जनपदों की मार्गवार सी०यू०सी०पी०एल का अनुमोदन सम्बन्धित जिला के जिला पंचायत द्वारा भी कराया जाता है। जनपदवार एवं मार्गवार प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदित कराये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत गठित अनुबन्ध में पांच वर्षीय अनुरक्षण के कार्य भी सम्मिलित हैं। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रस्तावित मार्गों जिनकी लम्बाई 5.00 किमी० या उससे अधिक हो, चौड़ाई 5.50 मीटर तक तथा मार्ग पर पड़ने वाले 150 मीटर लम्बाई तक के सेतु भी निर्मित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 250 कार्य (11 सेतुओं सहित), लम्बाई 2172.00 कि०मी० को रु० 135368.49 लाख की धनराशि में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 31 मार्च, 2022 तक रु० 102846.07 लाख का व्यय करते हुए 131 कार्य एवं लम्बाई 1562.11 कि0मी0 को पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 706 कार्य, लम्बाई 4564.39 किमी० को रु० 260728.03 लाख की धनराशि में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण

अन्वेषणालय

अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग की स्थापना वर्ष 1947 में एक मिट्टी परीक्षण ईकाई के रूप में हुई थी। वर्ष 1963 में यह निदेशालय के रूप में विकसित हुआ। अन्वेषणालय संगठन का मुख्य कार्य सभी निर्माण विभागों की निर्माण सामग्री का परीक्षण तथा मार्गों की क्षति के निवारण हेतु उपायों को प्रदत्त करना एवं बने हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का आंकलन कर सन्दर्भकर्ता को परिणामों के सम्प्रेषण का कार्य है। अन्वेषणालय में जांच सम्बन्धित टेक्निकल ऑडिट सेल के नमूनों का परीक्षण कार्य भी शासनादेशानुसार किया जाता है।

क्वालिटी प्रमोशन सेल

क्वालिटी प्रमोशन सेल संगठन में मुख्यालय पर स्थापित प्रयोगशालाएं-रिजिड पेवमेन्ट (रासायनिक विश्लेषण), फ्लेक्सिबल पेवमेन्ट (बिटुमिन एवं ट्रेनिंग), भौतिक तथा जियाटेक्निकल एण्ड स्वॉयल प्रयोगशाला है। परीक्षण की गोपनीयता को बनाये रखने हेतु क्वालिटी प्रमोशन सेल में एक

कोडिंग सेक्शन है, जिसमें डिजाइन तथा मिट्टी के नमूनों को छोड़कर क्षेत्रों से प्राप्त अन्य निर्माण सामग्री प्राप्त की जाती है। कोडिंग करने के पश्चात् इन नमूनों को प्रयोगशालाओं में प्रेषित किया जाता है। परीक्षण के उपरान्त ग्रुपिंग व डीकोडिंग प्रक्रिया के बाद नमूना प्रेषक को परीक्षण परिणाम प्रेषित किये जाते हैं।

क्वालिटी प्रमोशन सेल में न केवल विभागीय अपितु प्रदेश के समस्त तकनीकी विभागों के निर्माण कार्य सम्बन्धी निर्माण सामग्री का परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में अनुसंधान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं में नवीन विशिष्टियों के अनुरूप आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण से अधिकारियों/कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्प्यूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे ये कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे। अध्ययन तकनीकी ज्ञान, विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार हेतु मुख्य रूप से निम्न संस्थाओं द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारितयों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा। 2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली। 3. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ। 4. राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ। 5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली। 6. नेशनल काउन्सिल फॉर सीमेण्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, हैदराबाद। 7. उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ। 8. भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज, हैदराबाद। 9. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की।

ई-गवर्नेन्स

लोक निर्माण विभाग लम्बे समय से मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहा है। आई०टी० क्षेत्र में तीव्र रफ्तार से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय वेब साइट विकसित की गयी है। विभागीय वेबसाइट को शासन के निर्देशानुसार जी०आई०जी०डब्लू० गाइडलान्स के अनुरूप जनोपयोगी बनाने हेतु रि-डिजाइन का कार्य किया जा चुका है। जनपदों में स्थित खण्डों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों एवं आवंटित धनराशि को सर्वसुलभ करने हेतु सूचनायें ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

विभाग द्वारा कम्प्यूटराइजेशन-प्रक्रिया के अन्तर्गत यू०पी० डेस्को के माध्यम से चाणक्य, निगरानी, विश्वकर्मा, कोर्ट केस वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स विकसित कराये गए हैं, जिनमें से चाणक्य, कान्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, कान्ट्रैक्ट मानिटरिंग, ई-एम०बी० तथा ई-बिलिंग सिस्टम आदि से वर्क मैनेजमेण्ट कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। साथ ही निगरानी एप के द्वारा गड्ढामुक्ति

के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। विश्वकर्मा एप्लीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति सी०सी०एल० आवंटन, बी०एम० प्रपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि कार्य आनलाइन किये जा रहे हैं। जबकि कोर्ट केस वेब बेस्ट एप्लीकेशन साफ्वेयर के माध्यम से विभागीय वादों की अद्यतन स्थिति ऑनलाइन कर दी गयी है। वीडियो कानफ्रेंसिंग हेतु मुख्यालय व 18 मण्डलों में स्थित क्षेत्रीय, वृत्तीय एवं खण्डीय कार्यालय से जोड़ा जा चुका है।

मार्गों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। जिसमें वेब-बेस्ड एप्लीकेशन में खण्डों द्वारा आनलाइन प्रविष्टियाँ की जा रही हैं। डाटा प्रविष्टि हो जाने पर डाटा संकलन तथा तकनीकी निर्णयों हेतु विश्लेषण त्वरित हो सकेंगे। ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदायें पूरे प्रदेश में प्राप्त करने की कार्यवाही लागू की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश शासन की ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' की नीति के दृष्टिगत विभाग द्वारा रोड कटिंग साफ्टवेयर विकसित कराया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश में निदेशकों की सुविधाओं हेतु विकसित सिंगल विन्डो सिस्टम (निवेश मित्र) से इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि भावी निवेशकों को विभाग द्वारा रोड कटिंग से सम्बन्धित अनुमोदन व भुगतान सम्बन्धी सुविधायें ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा सकें।

टोल फ्री नम्बर/हेल्प लाइन नम्बर

जनता की सहायतार्थ निम्नलिखित टोल फ्री/हेल्प लाइन नम्बर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा चुका है-

पी.डब्लू.डी. हेल्प लाइन नम्बर - 1800 121 5707

वाट्सएप नम्बर - 7991995566

वेब साईट (यूपीपीडब्लू.जीओवी.आईएन)

लोक निर्माण विभाग लम्बे समय से मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहा है। आई०टी० क्षेत्र में तीव्र रफ्तार से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय वेबसाइट विकसित की गयी है। विभागीय वेबसाइट को शासन के निर्देशानुसार जी०आई०जी०डब्लू० गाईडलाइन्स के अनुरूप जनोपयोगी बनाने हेतु रिडिजाइन का कार्य किया जा चुका है। जनपदों में स्थित खण्डों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों एवं आवंटित धनराशि को सर्व सुलभ करने हेतु सूचनायें उपलब्ध हैं।

राज्य सम्पत्ति

प्रमुख कार्य-कलाप

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर मा० मंत्रीगण, मा० विधायकगण, लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था तथा लखनऊ में सरकारी कार्यालय भवन यथा- विधान भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), बापू भवन, योजना भवन तथा जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्य से दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई जाने वाले मा० मंत्रीगण, मा० विधायकगण, अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के ठहरने हेतु अतिथि गृह अवस्थित हैं। इसी प्रकार मा० सांसदों तथा अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के लिए लखनऊ में अतिथि गृह अवस्थित हैं। इन अतिथि गृहों की प्रबन्धकीय तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार के मा० मंत्रीगण हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य अतिथियों एवं भारत सरकार के मा० मंत्रीगण के प्रदेश (लखनऊ) आगमन पर उनकी सुविधानुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

विभाग के आधारभूत तथ्य -

(1) अतिथिगृहों, विधायक निवासों, आवासीय कॉलोनियों, अनावासीय भवनों एवं सरकारी वाहनों की संख्या

1.	अतिथि गृहों की संख्या	11
2.	विधायक निवासों की संख्या	10
3.	आवासीय कॉलोनियों की संख्या	38
4.	अनावासीय कार्यालय भवनों की संख्या	11
5.	सरकारी वाहनों की संख्या	248

(2) अनावासीय भवन (कार्यालय भवन)

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा-विधान भवन।

(2) सचिवालय भवन (मुख्य भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लोक भवन, विकास भवन, बापू भवन, सचिव भवन, अधिकारी भवन, दरबारी लाल शर्मा भवन एवं योजना भवन)।

(3) इन्दिरा भवन, जवाहर भवन।

(क) मुख्य अनावासीय योजनाएँ

(1) विधान भवन स्थित विधान सभा मण्डप तथा उससे सम्बद्ध लॉबी गलियारों, कार्यालय कक्षों, कैन्टीन आदि की साज-सज्जा सहित उच्च स्तरीय आधुनिकीकरण का कार्य

विधान भवन स्थित विधानसभा मण्डल तथा उससे सम्बद्ध लॉबी, गलियारों, कार्यालय कक्षों, कैन्टीन आदि की साज-सज्जा सहित उच्चस्तरीय आधुनिकीकरण कार्यों हेतु रु० 80.00 लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) सचिवालय भवन एवं योजना भवन का उन्नयन सम्बन्धी कार्य

श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय भवन, बापू भवन, योजना भवन, मुख्य सचिवालय परिसर तथा सचिवालय के अन्य भवनों एवं उनके अनुभागों तथा अन्य कार्यालयों के सुधारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 1500.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) सचिवालय भवनों में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन सचिवालय भवनों में स्थापित वातानुकूलन संयन्त्रों के जीर्णोद्धार-सुधारीकरण सम्बन्धी कार्यों को आवश्यकतानुसार कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 600.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था

अनावासीय भवनों में समुचित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वांछित उच्चीकरण एवं सुधारीकरण के कार्यों के सम्पादनार्थ वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में रु० 50.00 लाख धनराशि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

यू0पी0 भवन/यू0पी0 सदन एवं अन्य अतिथि गृहों का जीर्णोद्धार-सौन्दर्यीकरण

इस योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता तथा मुम्बई स्थित अतिथि गृहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाता है। प्रश्नगत योजना के लिए रु० 604.00 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है। .

(6) राज्य सम्पत्ति विभाग के अनावासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन अनावासीय भवनों जिनमें विभिन्न जीर्णोद्धार-सुधारीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों हेतु धनराशि रु० 1000.00 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(7) लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित अतिथि गृह के निर्माण का कार्य

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थित जीर्ण-शीर्ण राज्य अतिथि गृह 'गोमती' के ध्वस्तीकरण के उपरान्त एक नए अतिथि गृह का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों हेतु धनराशि रु० 1200.00 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(ख) मुख्य आवासीय योजनाएँ

(1) राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों का उन्नयन-जीर्णोद्धार-सुधारीकरण कार्य

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिकांश कॉलोनियां 35-40 वर्ष पुरानी हो जाने के कारण इनमें अवस्थित आवासों का उन्नयन-जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत कॉलोनियों के उन्नयन कार्यों हेतु रु० 967.00 लाख तथा आवासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों के जीर्णोद्धार-सुधारीकरण कार्यों हेतु रु0 3000.00 लाख की धनराशि आय-व्ययक 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) आवासीय भवनों का निर्माण

राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु० 2212.89 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक में वर्ष 2022-23 में कराया जाना प्रस्तावित है।

●

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र का संगठनात्मक ढांचा

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उ.प्र.पा.का.लि. राज्य क्षेत्र की समस्त वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कम्पनी है। यह ऊर्जा क्षेत्र में बल्क पावर क्रय/विक्रय तथा नियोजन एवं नियन्त्रण हेतु उत्तरदायी है।

राज्य क्षेत्र की वितरण कम्पनियाँ

- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि. वाराणसी।
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. लखनऊ।
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. आगरा।
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. मेरठ।
- केस्को, कानपुर।

उपरोक्त वितरण कम्पनियां अपने-अपने क्षेत्र में वितरण नेटवर्क का रख-रखाव, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति, बिलिंग एवं विद्युत बिल वसूली के साथ उपभोक्ताओं की विद्युत एवं बिलिंग इत्यादि सम्बन्धी समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरदायी हैं।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.

यह निगम राज्य में तापीय विद्युत उत्पादन के लिये उत्तरदायी है, जिसके अधीन पाँच परियोजनाएं क्रमशः अनपरा (सोनभद्र), ओबरा (सोनभद्र), पारीछा (झाँसी), हरदुआगंज (अलीगढ़) तथा पनकी (कानपुर) में स्थापित हैं। जवाहरपुर (एटा) में नई परियोजना स्थापित की जा रही है। पनकी (कानपुर) की इकाइयों को डिलीट कर दिया गया है, जिसके स्थान पर 660 मे.वा. की एक इकाई निर्माणाधीन है। चार परियोजनाओं पर वर्तमान में 20 इकाइयाँ स्थापित हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 5820 मे.वा. है।

उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.

यह निगम राज्य क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन के लिये उत्तरदायी है जिसके अधीन 7 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 524.90 मे.वा. है। जल विद्युत निगम लि. में वर्तमान में कुल 582 कार्मिक कार्यत हैं।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. जुलाई, 2006 में अस्तित्व में आया। यह कारपोरेशन 132 के.वी. एवं इससे ऊपर की विभव के विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण व परिचालन के लिये उत्तरदायी है। ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. में वर्तमान में 6,370 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.

1. उत्तर प्रदेश में कुल 327.91 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है :-

विद्या	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	विद्युत भार (मे.वा.)
एल.एम.वी.-01	घरेलू	288.92	41749.43
एल.एम.वी.-02	वाणिज्य	18.76	5254.60
एल.एम.वी.-05	निजी नलकूप	14.54	8928.50
एल.एम.वी.-06	लघु एवं मध्यम औद्योगिक	1.93	2286.36
एच.वी.	वृहद एवं भारी	0.21	7255.21
अन्य	अन्य	3.55	4062.29

2. प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित संरचनायें विकसित की गयी हैं एवं इस पर अग्रेतर कार्य भी प्रक्रियाधीन है।

i. 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र

ग्रामीण (संख्या)	शहरी (संख्या)	कुल योग (संख्या)	स्थापित क्षमता (एम.वी.ए.)
3425	1124	4549	59834

ii. उर्जा की उपलब्धता

	वर्तमान क्षमता (मे.वा.)	अनुबन्धित क्षमता जो कि कमीशन्ड की जानी है (मे.वा.)	वर्तमान क्षमता (मे.वा.)
स्टेट थर्मल	5,820	4,983	10,803
स्टेट हाइड्रो	456	-	456
सेन्ट्रल- थर्मल + गैस	6,174	1,592	7,766
सेन्ट्रल हाइड्रो	1,885	838	2,723

आई.पी.पी. थर्मल	9,345	-	9,345
आई.पी.पी. हाइड्रो	1,442	-	1,442
को-जनेरेशन	1,561	-	1,561
सोलर	2,655	1,094	3,749
विन्ड	1,325	681	2,006
कुल योग	30,663	9,188	39,851

3. विभिन्न केन्द्र सहायतित परियोजनाओं में कराये गये कार्य

- बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण - 29,08,553
- सौभाग्य योजना में निर्गत विद्युत संयोजन - 62.18 लाख
- मजरों का विद्युतीकरण - 1,81,781
- ऊर्जीकृत नये 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र - 489 नग
- क्षमतावृद्धि किये गये उपकेन्द्र (संख्या) - 1720
- 33 केवी नई लाइन (सर्किट कि.मी.) - 4363
- 11 केवी नई लाइन (सर्किट कि.मी.) - 28149
- एल.टी.नई लाइन (सर्किट कि.मी.) - 12481
- वितरण परिवर्तकों की स्थापना (संख्या) - 156451
- एल.टी.ए.बी. केबल (कि.मी.) - 50009
- पोषक पृथक्कीकरण (संख्या) - 2227
- भूमिकत केबलिंग (सर्किट कि.मी.) - 3622

4. आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत जनपद-अयोध्या में भूमिगत केबलिंग

आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत जनपद-अयोध्या में उपरिगामी वितरण तंत्र को भूमिगत कराए जाने हेतु रु. 240.00 करोड़ की धनराशि मेसर्स पी.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत निम्न कार्य कराए जा चुके हैं :-

33 केवी भूमिगत केबलिंग	-	108.70 स.कि.
11 केवी भूमिगत केबलिंग	-	51.32 स.कि.
एल.टी. लाइन	-	401.08 स.कि.

5. निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण :-

- सामान्य योजना - वर्तमान में वित्त पोषण उपलब्ध न होने के कारण सामान्य योजना स्थगित है।
- पूर्ण जमा योजना- पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विभागीय पी.टी.डब्लू. पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों द्वारा निजी नलकूप संयोजन लिये जाने हेतु पंजीकरण किये जा रहे हैं

एवं आवेदकों द्वारा टी.सी. की धनराशि जमा करने के उपरान्त निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

डार्क/क्रिटिकल श्रेणी के 172 विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

6. विद्युत वितरण तन्त्र में सुधार हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलीटेशन प्रोजेक्ट :-

एशियन विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि रु. 3179.9 करोड़ (यू.एस. डॉलर 430 मिलियन) के माध्यम से पूर्वान्चल एवं मध्यांचल वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत क्षेत्रों में पुराने एवं जर्जर तारों/खम्भों को एल.टी.ए.बी. केबल के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिसमें 19655 मजरों में 24537 कि.मी. ए.बी. केबल एवं 219746 खम्भों की स्थापना की जा चुकी है तथा 473 मजरों में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि. में ग्रामीण पोषकों के पृथक्कीकरण कार्य के अन्तर्गत 163 पोषकों का पृथक्कीकरण किया जा चुका है तथा 680 पोषकों का पृथक्कीकरण का कार्य प्रगति पर है।

7. पी.एस.डी.एफ. वित्त पोषित कैपेसिटर बैंक स्थापना :-

वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार एवं गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से केन्द्र सहायतित पी.एस.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत रु. 225.35 करोड़ की स्वीकृत लागत से 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। अद्यतन कुल 457 नग (क्षमता 1211.8 एम.वी.आर.) कैपेसिटर बैंक स्थापित किये जा चुके हैं।

8. रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम :-

भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2021 को आर.डी.एस.एस. की अधिसूचना जारी की गयी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को कुशल एवं सुदृढ़ वितरण तंत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना है। योजना की कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक है, वर्ष 2024-25 तक वितरण हानियों (ए.टी. एण्ड सी.) को 12-15 प्रतिशत तक लाना तथा ए.सी.एस.-ए.आर.आर. के अन्तर को शून्य किया जाना लक्षित है।

योजना के प्रमुख कार्यों में वितरण हानियों को कम करने के कार्य (लॉस रिडक्शन), स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण के कार्य सम्मिलित हैं। लॉस रिडक्शन एवं स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2022 को की गयी है तथा आधुनिकीकरण के कार्य हेतु प्रेषित प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होना सम्भावित है।

9. विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सुविधाएं :-

- विद्युत सब्सिडी

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को कुल रु. 6503 करोड़, निजी नलकूल श्रेणी में रु. 7097 करोड़ तथा कृषि विभाग द्वारा रु. 1250 करोड़ अतिरिक्त

एवं बुनकर को रु. 250 करोड़ तथा लॉस फंडिंग हेतु रु. 8007 करोड़ अर्थात् कुल रु. 23107 करोड़ की सब्सिडी इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट में भी रु. 1000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का प्राविधान किया गया है।

- प्रदेश में समस्त 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों से निर्गत 11 के.वी. पोषकों पर मीटर स्थापित किये गये।
- उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन लेने हेतु ऑनलाइन पोर्टल-झटपट एवं निवेश मित्र पर आवेदन करने की सुविधा है।
- लगातार सुधारात्मक कार्यवाही करके वर्ष 2016-17 में 21.47 प्रतिशत लाइन हानियाँ को घटाकर 17.62 प्रतिशत किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में ए.टी.एण्ड सी. हानियाँ 28.81 प्रतिशत से घटाकर 26.83 प्रतिशत की गयी।
- सभी विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल प्राप्त एवं जमा करने हेतु लिंक उनके पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजा जा रहा है।
- उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन अपना विद्युत बिल स्वयं जनरेट करने की व्यवस्था है।
- उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध समस्त ऑनलाइन माध्यमों से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा है। उपभोक्ता को विभागीय वेबसाइट पर स्वयं अपने बिल को देखने एवं जमा करने की सुविधा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा करने हेतु सुदूर स्थित उपखण्ड कार्यालय/विद्युत उपकेन्द्रों पर जाना पड़ता था। इस समस्या के समाधान हेतु विगत कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जनसेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) द्वारा विद्युत बिल भुगतान की व्यवस्था माह जुलाई, 2018 से चल रही है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (विद्युत सखियों), राशन की दुकानों (पी.डी.एस. शॉप), सहकारी समितियों (पैक्स) एवं बिलिंग एजेन्सियों के मीटर रीडरों के माध्यम से भी विगत दो वर्षों से विद्युत बिल भुगतान प्राप्त किये जाने की व्यवस्था प्रचलित है।
- उपभोक्ता को बिल संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की भी व्यवस्था है।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने की सुविधा है। 245 बड़े उपभोक्ताओं ने इस सुविधा का लाभ लिया है।
- प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना चलायी जा रही है। अभी तक प्रदेश के 12 शहरों में लगभग 11.78 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने पर मैनुअल मीटर रीडिंग के कार्य की आवश्यकता नहीं रह जाएगी तथा विद्युत बिलों का सृजन एवं बिल ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली में ही उपलब्ध हो जाएगा।
- सभी नयी औद्योगिक इकाइयों को पावर कम्पनियों से ली गयी विद्युत ऊर्जा पर 10 वर्षों की अवधि हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट अनुमन्य है।

- कैप्टिव पावर प्लान्ट से स्वयं के उपयोग हेतु ली गयी विद्युत ऊर्जा पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट प्रभावी है।
- ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' की व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक पोषकों की मानीटरिंग कर एवम् आटो रिक्लोसर स्थापित कर उद्योगों को ट्रिपिंग फ्री विद्युत आपूर्ति देने का कार्य हो रहा है।
- 50 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक भार वाले ग्रामीण पोषकों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
- नियोजित आउटेज की सूचना औद्योगिक इकाइयों को कम से कम 1 माह पूर्व दिये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। जिससे औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत व्यवधान के समय उनके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु ससमय निर्णय लिया जा सके।

टोल-फ्री हेल्पलाईन '1912'

उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी सभी समस्याओं के निवारण हेतु टोल-फ्री नम्बर '1912' की व्यवस्था की गयी है। इन नम्बर पर दर्ज विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण की मानीटरिंग डिस्काम एवं पावर कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें टोल फ्री नम्बर पर दर्ज करा सकता है :-

● अपनी बिल सम्बन्धी शिकायत। ● विद्युत आपूर्ति व्यवधान सम्बन्धी शिकायत। ● ट्रांसफार्मर खराब सम्बन्धी शिकायत। ● मीटर की खराबी सम्बन्धी शिकायत। ● नये कनेक्शन के सम्बन्ध में शिकायत। ● विद्युत चोरी के सम्बन्ध में शिकायत।

- विद्युत समाधान सप्ताह में 1.73 लाख शिकायतों में से 1.46 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया।
- संभव पोर्टल पर कुल 71,000 शिकायतों का निस्तारण ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा किया गया।
- ऐसे आवेदक जिनके विरुद्ध पूर्व की चोरी के प्रकरणों के विरुद्ध लम्बित बकाया अथवा एफ. आई.आर. दर्ज है उनसे सादा पेपर पर घोषणा पत्र प्राप्त कर नया संयोजन देने की सुविधा दी गयी है।

10. नये विजिलेन्स का गठन

विद्युत विभाग में वर्तमान में 88 रेड टीमें कार्यरत हैं। जिससे विद्युत चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके एवं ए.टी. एण्ड सी. लॉस को कम से कम किया जा सके।

11. नये विद्युत चोरी निरोधक थाने का गठन

प्रदेश में 75 जिलों में विद्युत चोरी निरोधक थाने क्रियाशील कराये जा चुके हैं।

12. अन्य जनोपयोगी बिन्दु

1 कि.वा. तक के छोटे घरेलू एवं वाणिज्यिक विद्युत चोरी के प्रकरणों में लगने वाले शमन शुल्क को आधा करते हुए क्रमशः रु. 4 हजार प्रति कि.वा. के स्थान पर रु. 2 हजार तथा रु. 10 हजार प्रति कि.वा. के स्थान पर रु. 5 हजार कर दिया गया है, जिससे गरीब श्रेणी के उपभोक्ता सरलता से धनराशि जमा कर सकें।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

''24x7 पावर फार ऑल'' के लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत वर्ष 2017 से अब तक की अवधि में ही पारेषण कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन के फलस्वरूप अभूतपूर्व उपलब्धि परिलक्षित हुई है। माह जनवरी तक की अवधि में कुल रु. 17424.61 करोड़ की लागत से निर्मित 01 नग 765 केवी, 17 नग 400 केवी, 53 नग 220 केवी तथा 81 नग 132 केवी (कुल 152 नग) उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण किया गया है।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 35,021.614 मि.यू. (औसतन 3,998 मे.वा.) का विद्युत उत्पादन किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ.नि.लि. की इकाइयों का कुल पी.एल.एफ. 71.82 प्रतिशत था।

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ.नि.लि. की विद्युत उत्पादन लागत रु. 3.45 प्रति यूनिट थी।

(घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ.नि.लि. की इकाइयों की औसत विशिष्ट कोयला खपत 0.683 किग्रा./यूनिट था।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ.नि.लि. की इकाइयों का कुल विशिष्ट तेल खपत 0.932 मि. लि./यूनिट था।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

1. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. द्वारा प्रदेश में स्थापित जल विद्युत गृहों के परिचालन, रख-रखाव के कार्यों के साथ-साथ नई जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।
2. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थापित जल विद्युत गृहों की अधिष्ठापित क्षमता 524.9 मेगावाट है।
3. **परियोजनाओं का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण :-**

   निगम द्वारा अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुकी जल विद्युत परियोजनाओं से पूर्ण क्षमता पर विद्युत उत्पादन करने हेतु ओबरा जल विद्युत परियोजना के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओबरा जल विद्युत गृह की मशीन सं. 01 वह 02 की कैपिटल ओवरहॉलिंग का कार्य एवं 132 के.वी. बसबार को बदलने का कार्य शेष है। माताटीला जल विद्युत परियोजना का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य एवं सभी मशीनों के जनरेटर ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जबकि 03 इन्टेक गेट एवं स्काडा लगाये जाने का कार्य शेष है।

●

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है। जनपदीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये परियोजना कार्यालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश के 75 जनपदों में योजनाओं का क्रियान्वयन 56 परियोजना कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उपयुक्त ऊर्जा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु जल-विद्युत ऊर्जा जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास एवं प्रसार के लिए ऐसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यूपीनेडा द्वारा लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं के विकास का कार्य भी किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा चिनहट, जनपद लखनऊ, घोसी, जनपद मऊ एवं कन्नौज में शोध, विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं सर्विसिंग के विषय में दक्षता के विकास हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु स्टेट डेजीग्नेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है। सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 (यूपीईसीबीसी-2018) की अधिसूचना जारी की गयी, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ईसीबीसी मानकों के अनुरूप किया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा इसके अधीन विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों के भवन संहिता में यूपीईसीबीसी-2018 जनवरी, 2019 में अंगीकार कर लिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चित्रकला प्रतियोगिता, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिये जाने की योजना लागू की गयी है।

मुख्य कार्यक्रम एवं योजनायें

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन (ग्रिड संयोजित)

सौर ऊर्जा नीति- 2017 :

प्रदेश में बढ़ती हुयी ऊर्जा की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से करने के लिये प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत सौर पावर प्रोजेक्ट अधिष्ठापन के लिये राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगमता से निजी विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाइन सिंगल विण्डो क्लियरेंस की व्यवस्था की जायेगी। नीति के अन्तर्गत कुल लक्षित क्षमता 10700 मेगावाट में से 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जानी लक्षित है। यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं को स्टैण्ड एलोन, सोलर पार्क के अन्तर्गत स्थापना किये जाने के अतिरिक्त, तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित किये जाने की अनुमन्यता है।

नीति के अन्तर्गत 4300 मेगावाट क्षमता ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट स्थापना वर्ष 2022 तक लक्षित है। सरकारी, अर्द्धसरकारी भवनों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप की कैपेक्स मोड में स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी आवासों पर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु निजी आवासों पर इन संयंत्रों की स्थापना पर केन्द्रानुदान के अतिरिक्त रु0 15000/-प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000/- प्रति उपभोक्ता को राज्यानुदान देय होगा।

सोलर पार्क :

भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश में 440 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं जिसके सापेक्ष अब तक जनपद मिर्जापुर में 75 मेगावाट, प्रयागराज में 50 एवं जालौन में 40 मेगावाट कुल 165 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किये जा चुके हैं। अवशेष 275 मेगावाट क्षमता में से जनपद जालौन में 75-75 मेगावाट एवं कानपुर देहात में 50 मेगावाट कुल 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित करने हेतु आवंटन किया जा चुका है। सोलर पार्क के विकास एवं प्रबन्धन हेतु यूपीनेडा एवं भारत सरकार की नामित नोडल एजेन्सी सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) नई दिल्ली के मध्य एक संयुक्त उपक्रम लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 गठित किया गया है।

अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क :

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क योजना के अन्तर्गत यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल के मध्यस्थ गठित संयुक्त उपक्रम टूस्को लिमिटेड को जनपद झांसी एवं ललितपुर में 600-600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल सोलर पावर

पार्क की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। टूस्को लिमिटेड द्वारा जनपद झाँसी में स्थापित किये जाने वाले 600 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की डीपीआर बनाने की कार्यवाही अग्रसर है।

यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड के मध्यस्थ गठित संयुक्त उपक्रम बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) को 1200 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूबल पावर पार्क की स्थापना जनपद जालौन से करने हेतु एमएनआरई भारत सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस पार्क की डीपीआर बनाने की कार्यवाही अग्रसर है।

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट :

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग बिल्डिंग में उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है। इन परियोजनाओं की स्थापना से पारम्परिक विद्युत ऊर्जा में निर्भरता कम होने के साथ-साथ निजी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में भी कमी आयेगी।

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम :

प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस, बायो सीएनजी, प्राड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना करायी जा रही है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता, स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा एसजीएसटी पर 10 वर्षों तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। प्रदेश की नई जैव ऊर्जा नीति का प्रतिपादन प्रक्रियाधीन है।

बायोमास आधारित विद्युत परियोजनायें:

1. बगास आधारित विद्युत परियोजनायें :

चीनी मिलों में उपलब्ध बगास से को-जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा एक उत्प्रेरक/फैसीलिटेटर के रूप में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में लगभग 1900 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित हैं।

2. नान-बगास आधारित विद्युत परियोजनायें :

प्रदेश में बगास के अलावा अन्य बायोमास (एग्रो-रेसीड्यू) का उपयोग कर विभिन्न तकनीक यथा गैसीफिकेशन, सह-उत्पादन तथा कम्बस्शन पर आधारित विभिन्न क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में 286 मेगावाट के ग्रिड/कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये गये हैं।

औद्यौगिक अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनायें :

प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों यथा- डिस्टलरीज, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, डेयरी,

पेपर एण्ड पल्प आदि से निकलने वाले कचरे (अपशिष्ट) से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर संभावनायें हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना से जहाँ एक ओर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी वहीं इन औद्योगिक इकाइयों की थर्मल/विद्युत ऊर्जा की पूर्ति भी की जा सकती है। प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा कुल 104 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम :

प्रदेश सरकार द्वारा कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति घोषित की गयी है, जिसके अर्न्तगत 15 मेगावाट तक की परियोजनायें यूपीनेडा व 15 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

इस नीति के अंतर्गत यूपीनेडा एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. द्वारा निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित कर परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पवन ऊर्जा कार्यक्रम :

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई, (नीवे) के दिशा-निर्देश एवं सुझाव के अनुसार वायु वेग सम्भाव्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में 100 मीटर की ऊँचाई का विण्ड मास्ट स्थापित करके वायु संसाधन मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान :

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) घोषित की गयी है। पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत तीन कम्पोनेन्ट ए.बी. एवं सी हैं।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

1. ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट :

इस योजना के अन्तर्गत निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु डीजल जनरेटर के स्थान पर प्रदेश के विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर ऑफग्रिड/ग्रिड हाईब्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, गत वर्ष 2020-21 मे कुल 4.5 मेगावाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना विभिन्न आई.टी.आई, पालीटेक्निक, कलेक्ट्रेट एवं तहसील इत्यादि में करायी गयी है। परियोजना हेतु धनराशि संबंधित विभागों/संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

2. सोलर स्ट्रीट लाईट :

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना क्रियान्वित की जा रही है। यह संयंत्र सूर्यास्त होते ही स्वतः जल जाता है एवं सूर्योदय होने पर स्वतः बंद हो जाता है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, चौराहों, भवन परिसरों आदि स्थलों पर करायी जाती है। अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में योजना प्रारम्भ से अब तक लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

3. पं. दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना :

पं. दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्र के माध्यम से मुख्य बाजारों में प्रकाश/ पथप्रकाश की व्यवस्था होने पर सामाजिक परिवेश में कार्य क्षमता में वृद्धि से जन-सामान्य की आय में वृद्धि, स्वच्छ वातावरण का निर्माण एवं जन-सामान्य में योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। योजनान्तर्गत वर्तमान तक 26054 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है।

4. मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना :

वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) को अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं से जनसामान्य को लाभान्वित करने एवं समेकित एवं स्थाई विकास की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की गयी। इस योजना में अभिकरण द्वारा वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से करायी जाती है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 19280 अदद संयंत्रों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है।

5. सोलर हाई मास्ट संयंत्र :

प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहाँ पर विद्युत उपलब्धता नहीं है अथवा आपूर्ति अनियमित है तथा जहाँ सायंकालीन या देर रात्रि में जनसामान्य का आवागमन होता है, जैसे- बस स्टैण्ड, छोटे-छोटे हाट, मेला स्थल, मुख्य मार्ग, चौराहा, पेयजल स्थल, पशु बाजार, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एएनएम केन्द्र इत्यादि पर सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3850 संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

6. सोलर पावर पैक की योजना :

ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत घरों में प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोलर पावर पैक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उ.प्र. पावर कार्पोरेशन द्वारा चयनित लाभार्थी के आवासों पर सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जाती है जिससे 3 वॉट की 1 ल्यूमेनियर, 5 वाट की 2 तथा 7 वॉट का 1 ल्यूमेनियर एवं 22 वॉट का एक डीसी सीलिंग फैन एवं मोबाइल चार्ज की सुविधा प्रतिदिन लगभग 8 घंटे हेतु उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत लगभग 53354 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

7. सोलर आर.ओ. वाटर कार्यक्रम :

प्रदेश के ऐसे प्राथमिक विद्यालयों जहाँ जल की गुणवत्ता खराब है, में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल एवं पंखे की सुविधा हेतु सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र की स्थापना की परियोजना चलायी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3727 सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया है।

8. सोलर पम्प सिंचाई कार्यक्रम :

सिंचाई के क्षेत्र में सोलर फोटोवोल्टाईक पम्प किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है। इस तकनीक से सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित ऊर्जा से सिंचाई पम्प को चलाया जाता है। योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में सिंचाई हेतु कुल 29652 अदद सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है।

9. डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) योजना :

इस योजना में सौर ऊर्जा के माध्यम से स्टैण्ड-एलोन संयंत्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कर स्थानीय ग्रिड का निर्माण कर प्रत्येक घर में 96 वाट का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 02 अदद एल.ई.डी लाईट एवं 01 अदद पंखा हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जाती है।

बायोगैस आधारित पावर जनरेशन कार्यक्रम :

योजना के अन्तर्गत गौशालाओं अवशिष्ट से बायोगैस का निर्माण कर उत्पादित बायोगैस से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत सरकार से परियोजना हेतु रु. 25,000/- से रु. 35,000/- प्रति कि.वा. की दर से अनुदान अनुमन्य है, जिसकी प्रतिपूर्ति लाभार्थियों को परियोजना स्थापित होने के पश्चात् किया जाता है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम :

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद पीलीभीत, लखीमपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं बहराइच में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 8224 सोलर स्ट्रीट लाईट, 1562 सोलर होम लाईट, 1291 सोलर लालटेन, 30 सोलर पेयजल पम्प, 13 सोलर पावर प्लांट, 28.52 कि.मी. सोलर फेन्सिंग 2 सोलर पम्प सिंचाई, 04 सोलर आर.ओ.वाटर संयंत्र एवं 35 सोलर हाई-मास्ट की स्थापना करायी गयी है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

1. पर्फोम एचीव एण्ड ट्रेड (पैट) कार्यक्रम :

पैट योजना बाजार आधारित एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों द्वारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स (एसट्र्स) का व्यापार करते हुए ऊर्जा दक्षता को परिवर्धित किया जा सकता है।

2. वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीसेव्सएनर्जी.कॉम :

प्रदेश के जनसामान्य को यूपीएसडीए द्वारा क्रियान्वित ऊर्जा संरक्षण विभिन्न गतिविधियों एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के दृष्टिगत वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीसेव्सएनर्जी.काम संचालित की जा रही है।

वर्ष 2021-22 में एनर्जी सेविंग कैम्पेन के अन्तर्गत कुल 03 स्कूलों एवं उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार- 2021 के अन्तर्गत चिन्हित 10 सेक्टर से कुल 32 विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कृत किया गया। साथ ही वेबसाईट एवं मोबाइल एप यूपीसेव्स के माध्यम से आयोजित

पेंटिंग, क्विज एवं मोबाइल एप शेयरिंग प्रतियोगिताओं में 106 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है।

3. स्टूडेण्ट कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम :

प्रदेश के पॉलीटेक्निक विद्यालयों हेतु यूपीएसडीए द्वारा विकसित कराए गए ऊर्जा संरक्षण पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्षमता विकास हेतु प्रत्येक जनपद से चिन्हित राजकीय पॉलीटेक्निक विद्यालयों के कुल 135 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

300 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 350 से अधिक गोष्ठियाँ आयोजित कराते हुए 5000 से अधिक अध्यापकों को ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूक किया गया एवं 500 से अधिक स्कूलों में स्टूडेण्ट एनजी क्लब की स्थापना करायी गई।

4. एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) :

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) हेतु अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2018 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना में यह भी प्राविधान है कि राज्य के ऐसे सरकारी भवनों का निर्माण जिनके अभिकलन कार्य पूर्ण न किये गये हो, वे उत्तर प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 (यूपीईसीबीसी-2018) के कार्यक्षेत्र से आच्छादित होंगे।

यूपीनेडा प्रशिक्षण केन्द्र :

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाईस) के माध्यम से सूर्यमित्र सृजन विषयक एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टालर एण्ड सर्विस प्रोवाईडर विषयक 600 घंटे (लगभग 90 दिन) का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रदेश के 7646 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनके माध्यम से सुदूर ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के जनसामान्य द्वारा स्थापित सौर संयंत्रों का अनुश्रवण यूपीनेडा द्वारा विकसित मोबाईल एप ''आदित्य सी'' के माध्यम से उक्त प्रशिक्षित युवाओं से कराया जा सकता है। उक्त मोबाईल एप को एण्ड्रायड फोन के गूगल प्ले स्टोर, यूपीनेडा.ओआरजी.इन या यूपीनेडाआरटीसी.कॉम पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

●

राज्य सड़क परिवहन

- उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन एवं सचांर की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेश वासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य सरकार द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश तथा उत्तर प्रदेश में रेलमार्गों, वायुमार्गों, जलमार्गों एवं राजमार्गों का भी विकास किया जा रहा है। किन्तु प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क-यातायात का विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है और मोटरगाड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गयी है। प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समाहित क्षेत्र तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवहन-व्यवस्था के विस्तार की ओर सतत प्रयत्नशील है।
- प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1945 में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा-133 'ए' के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि व्यावसायिक वाहनों के आर्थिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आदि के कारण उनके संचालन को नियमित करने हेतु विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। इस तथ्य के दृष्टिगत मोटरगाड़ी अधिनियम-1939 के अध्याय-4 के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया, जो व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।
- वर्ष 1939 से प्रचलित मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुये अनुसंधान, विकास एवं आर्थिक तकनीकी प्रगति के सापेक्ष सामंजस्य स्थापित करने में कालान्तर में कठिनाई के अनुभव होने पर दिनांक 01 जुलाई, 1989 से मोटरयान अधिनियम-1939 व उ.प्र. मोटरगाड़ी नियमावली-1940 के स्थान पर क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम-1988 व उ.प्र. मोटरयान नियमावली-1998 लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 लागू की गयी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के लागू हो जाने के फलस्वरूप अनेक वाहनों के पंजीकरण, चालक/परिचालक लाईसेंस एवं व्यावसायिक वाहनों के स्वस्थता-प्रमाणपत्र आदि जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तद्विषयक शुल्कों की दरों में

पूरे देश में एकरूपता स्थापित हो गयी है।

- प्रदेश में आवागमन एवं यातायात-व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1991-92 में जहां मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) 21,51,457 थी और अब (वर्तमान उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,95,33,649/- हो गयी है। इस प्रकार विगत 30 वर्षों में इनकी संख्या में लगभग 18 गुने की वृद्धि हुई है।
- यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में बहुमूल्य योगदान देता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 8650.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 5905.98 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 68.28 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेत शासन द्वारा रु. 9350.00 करोड का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष मार्च-2022 तक रु. 7159.38 करोड़ राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 76.57 प्रतिशत है। आय-व्ययक वर्ष 2022-23 हेतु रु. 10285.00 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है।
- प्रशासन की दृष्टि से विभाग को 6 जोन, 19 सम्भागों एवं 75 उपसंभागों में बांटा गया है।

चालक एवं परिचालक लाइसेन्स का निर्गमन

- चालकों एवं परिचालकों को लाइसेंस देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम--1988 की धारा क्रमशः- 8, 9 एवं 30 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-3 के तहत सभागीय/सहायक परिवहन अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत है। संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी लाइसेसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य किय जा सकता है। वर्तमान विभागीय अन्य सेवाओं के साथ ही लाइसेंस सम्बन्धी सेवाएं केवल ऑन-लाइन माध्यम से parivahan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- वर्तमान में अब तक कुल स्थायी लाइसेंस तथा कामार्शियल लाइसेंस जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 13,41,972 स्थायी लाइसेंस तथा 1,08,306 कामर्शियल लाइसेंस जारी किये गये है।

वाहन-पंजीयन की प्रक्रिया

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-39 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाडी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों का पंजीयन उस समय तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत स्वस्थता-प्रमाणपत्र धारा-56 के अन्तर्गत फार्म-38 में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन अधिकांश,

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।

- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन/पंजीयन की प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नाव कार्यालय में दिनांक 14.09.2021 से प्रारम्भ की गयी। यह व्यवस्था जन उपयोगी सिद्ध होने के कारण इसका विस्तारीकरण कर दिनांक 10.12.2021 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया। इस व्यवस्था में इस व्यवस्था डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते ही नये वाहनों का पंजीयन चिन्ह तुरन्त आवंटित हो जाता है। वाहन डीलर द्वारा ही प्रदेश के किसी भी जनपद, जहाँ का वाहन क्रेता निवासी हो, पंजीयन चिन्ह आबंटित होगा। अब उत्तर प्रदेश में वाहन क्रय करने पर उत्तर प्रदेश राज्य में ही पंजीयन कराने पर अस्थायी पंजीयन चिन्ह की आवश्यकता समाप्त हो गयी है।

वाहन क्रय/निष्प्रयोज्यता एवं स्वस्थता-प्रमाण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्देश

परिवहन आयुक्त संगठन की प्राविधिक शाखा शासकीय वाहनों से संबंधित प्राविधिक कार्यों का नियंत्रण-केन्द्र है। शासकीय वाहन की मरम्मत-हेतु गैराजों (मोटरवाहनों की मरम्मत करने वाले वर्कशाप) को मान्यता व मरम्मत-हेतु श्रम-दरें इसी शाखा द्वारा निर्धारित की जाती है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

1. उ.प्र. के शासकीय विभागों को वाहनों के क्रय का अधिकार शासनादेश दिनांक 12.11.1986 द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार विभागाध्यक्षों को प्रदान किये गये हैं, परन्तु शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के रख-रखाव एवं उनको निष्प्रयोज्य घोषित करने का कार्य प्रविधिक अधिकारियों की देख-रेख में प्राविधिक शाखा द्वारा ही किया जाता है।
2. संभाग/उपसंभाग में गाड़ियों का निरीक्षण- गाड़ियों के निरीक्षण के लिए संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) नियुक्त हैं। नई ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों को पंजीयन तिथि से 08 वर्ष की आयु सीमा तक 02 वर्ष की अवधि का स्वस्थता-प्रमाणपत्र दिया जाता है तथा उसके पश्चात् वाहन के स्वस्थता-प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। निरीक्षण की नयी व्यवस्था में जाँच किये जाने वाले वाहन के 06 फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किये जाते हैं।
3. शासकीय वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 31.10.86 द्वारा मापदण्ड व नीति निर्धारत करते हुए निष्प्रयोज्य के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रदान किये गये हैं, परन्तु नई निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में समय से पूर्व (प्रिमैच्योर) निष्प्रयोज्य की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सम्पन्न की जाती है।

मोटर दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता

- उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली- 1998 के नियम-30 एवं 31 में किये गये प्रावधान के अनुसार किसी "सार्वजनिक यान" (इसके अन्तर्गत) ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका

उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी भी सम्मिलित हैं) से दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित यात्री या अन्य किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु जिस जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, उसे जिले के जिलाधिकारी राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जाँच करायेगा, जो सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो एवं राहत की धनराशि के आबंटन के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मामालों के निस्तारण के लिए अधिसूचना दिनाक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों (श्रावस्ती, शामली, अमेठी व अम्बेड़कर नगर को छोड़कर) में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया गया हैं। जिन 04 जनपदों में अधिकरण की स्थापना नहीं की गयी है, इन जनपदों के वादों का निस्तारण भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ जनपद के अधिकरण क्रमशः बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर व अयोध्या के अधिकरण की सीमाक्षेत्र में समाहित किया गया है। लम्बित वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर-नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य जनपदों में एक-एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय को क्रियान्वित/संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 70 जनपदों में 73 अधिकरण स्थापित/संचालित हो चुके हैं, तथा शेष 02 अधिकरण (कन्नौज व मेरठ-दक्षिणी) शीघ्र ही स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण, उ.प्र.

ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों के संचालन पर नियंत्रण मोटरगाड़ी अधिनियम- 1988 के अध्याय-5 की धारा-68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

- मोटरयान अधिनियम- 1988 जो 01 जुलाई 1989 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अन्तर्गत सभी प्रकार के लोक सेवायानों को परमिट उदारनीति के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं।
- अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गाड़ी के परमिट के लिए प्रार्थना पत्र यथास्थिति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाता है। यदि मार्ग अन्तः सम्भागीय है, तो ऐसे मार्गों के लिए प्रार्थना-पत्र उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाता है, जिसमें मार्ग का अधिकांश भाग पड़ता है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सवारी गाड़ियों के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा ही जारी किये जाते हैं।

- अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए परमिट उत्तर प्रदेश तथा सम्बन्धित राज्य के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के आधार पर स्वीकृत/जारी किये जाते हैं। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर जारी होने वाले परमिटों की संख्या समझौतों में दी गयी संख्या से सीमित हो जाती है। ऐसे समझौते समय-समय पर पुनरीक्षित किये जाते हैं।
- अधिसूचित (राष्ट्रीयकृत) मार्गों पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को ही परमिट दिये जाने की व्यवस्था है। योजना की अधिसूचना में प्राविधान होने पर ही ऐसे मार्ग या उसके भाग पर अन्य को भी परमिट स्वीकृत किया जा सकता है।
- राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा समस्त संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था को पूर्णतः ऑन-लाइन कर दिया गया है। आवेदक द्वारा वाहन-4.0 पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा आवेदन फीस जमा करने के पश्चात् कार्यालय द्वारा 03 कार्य दिवस के अन्दर प्रपत्रों का परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर आवेदन सत्यापित कर ग्रान्ट फीस जमा करने हेतु आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा फीस जमा करने की तिथि से 02 कार्य दिवस के अन्दर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पर विचार कर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में आवेदक को इस आशय का भी एस.एम.एस. प्राप्त होगा तथा स्वीकृत होने पर वाहन स्वामी परमिट का प्रिन्ट ऑन-लाइन प्राप्त कर सकेंगे।
- प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के प्रति परमिट जारी किये जा रहे हैं। जनभार-वाहनों के प्रति नेशनल परिमिट विभिन्न संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जाते हैं।

मोटर गाड़ी कानून का प्रवर्तन

- मोटरगाड़ी से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों को अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा प्रदेश के 6 परिक्षेत्रों में तैनात उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) की देख-रेख में 114 सचल प्रवर्तनदलों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल कार्यरत है। मार्गों पर वाहनों की चेकिंग हेतु प्रत्येक दल में एक राजपत्रित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक प्रवर्तन पर्यवेक्षक एवं 3 प्रवर्तन सिपाही के अतिरिक्त चालकयुक्त एक स्टाफ कार का भी प्राविधान है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य कार्यों में मोटर व्हैकित एक्ट एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रविधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराना एवं वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण कराना है।
- मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनायी गयी केन्द्रीय मोटरयान नियमावाली, 1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के प्राविधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में किये गये निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 213(5) (इ) के अधीन चालान

न्यायालय को भेजे जाने की व्यवस्था है। न्यायालय भेजे जाने वाले ऐसे अपराधों में से कतिपय अपराध उक्त अधिनियम की धारा 200 के अधीन शमनीय है। ऐसे अपराधों को प्रशमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशमन की दरें निर्धारित की जाती रहीं है। इस संबंध में अन्तिम बार दरें अधिसूचना दिनांक 30.07.2020 द्वारा निर्धारित की गयी है।

वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

- देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कतिपय वर्षों से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्या के महत्त्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम 115 में प्रदूषण नियंत्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।
- भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली से सड़क सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये मानक के प्रदूषण मापी यंत्र-10 बोलेरो वाहनों में गैस एनालाइजर प्रदूषण जांच संयंत्र लगाकर तथा 09 बोलेरो वाहनों में गैस एनालाइजर व 20 स्मोक मीटर क्रय करके प्रदेश के संभागों में संभागीय परिवहन अधिकारियों को चेकिंग के दौरान वाहनों का उत्सर्जन, मानक जाँच करने तथा प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर उन वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- "इलेक्ट्रिक वाहनों की मैनुफैक्चरिंग एवं संचालन को प्रोत्साहन" उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग एवं संचालन को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में विनिर्मित प्रथम 01 लाख दोपहिया वाहनों पर शत-प्रतिशत एवं अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के कर एवं अतिरिक्त कर में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचनाएं दिनांक 23.06.2020 को निर्गत की जा चुकी हैं। इस निर्णय से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पर्यावरण भी संरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश में दिनांक 31.03.2022 तक निजी एवं व्यावसायिक श्रेणी के कुल 2,91,510 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुये हैं।

सड़क सुरक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य में निरन्तर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें हो रही मृत्यु के कारण राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा विषय को राज्य की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है। सड़क दुर्घटना में नागरिकों की बड़ी संख्या में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक सुचिन्तित एवं सुविचारित सड़क सुरक्षा नीति का निर्माण वर्ष 2014 में किया गया। दिनांक 16 जून, 2014 को अस्तित्व में आयी सड़क सुरक्षा नीति के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नवत है :-

● सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता ● संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण ● सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस की स्थापना ● सुरक्षित सड़क अवस्थापना सुनिश्चित करना ● सुरक्षित वाहन ● सुरक्षित चालक ● असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा ● सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं प्रशिक्षण ● यातायात संबंधी कानूनों का प्रवर्तन ● सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु आपात चिकित्सीय सहायता ● सड़क सुरक्षा अनुसंधान।

परिवहन विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनायें

परिवहन विभाग की क्रियान्वित ई-परियोजनाएँ

1. वेबबेस्ड वाहन 4.0 व्यवस्था :

- उत्तर प्रदेश के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

लाभ :-

क. पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिये सिंगल वेब प्लेटफार्म तैयार होना, जिससे चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को ट्रैक करने की सुविधा।

ख. वाहन पंजीयन, फिटनेस, टैक्स पेमेन्ट आदि की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने की सुविधा।

ग. जन सामान्य को परिवहन विभाग की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं ऑन-लाइन माध्यम से प्रदान किये जाने की सुविधा।

2. वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था :

- उत्तर प्रदेश के सभी 77 परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

लाभ :-

क. मैनुअल आवेदन की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त ।

ख. लाइसेन्स सम्बन्धी सभी सेवाएँ ऑन-लाइन।

ग. लाइसेन्स की डुप्लीकेसी को ट्रैक करने की सुविधा।

घ. लर्नर लाइसेन्स ऑन-लाइन प्रिन्ट करने की सुविधा।

3. मोबाइल एप्प बेस्ड ई-चालान व्यवस्था :-

- ई-चालान व्यवस्था की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य।
- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जून-2017 से शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभ :-

क. एप्प के माध्यम से अभियोग का आरोपण तथा पेनाल्टी का आगणन।

ख. वाहन 4.0 डाटाबेस से वाहन का विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था।

ग. चालान होने पर सम्बन्धित अभियोग की "वाहन 4.0/सारथी 4.0" डाटाबेस में स्वतः दर्ज होने की व्यवस्था।

घ. वाहन स्वामी अथवा चालकों को भी अपने चालान से सम्बन्धित विवरण को ई-चालान वेबसाइट www.echallanweb.in पर देखने की व्यवस्था।

ड. ई-चालान को ऑन-लाइन भुगतान करने की सुविधा

4. आनलाइन परमिट व्यवस्था :-

- यह व्यवस्था लागू करने वाला प्रदेश हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य।
- परमिट संबंधी 6 सेवाओं- नया परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, स्पेशल परमिट, नेशनल परमिट आथराइजेशन नवीनीकरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

लाभ :-

क. परमिट की व्यवस्था पारदर्शी व सरल।
ख. कार्यालय आने से वाहन स्वामी को मुक्ति ।
ग. आवेदकों के समय व धन की बचत।
घ. आवेदन व शुल्क जमा करने हेतु लाइन में लगने से मुक्ति।
ड. किसी भी समय एवं कहीं से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

5. कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से विभागीय सेवाएं आम जनमानस को उपलब्ध कराना:

- विभाग की कुल 25 ऑन-लाइन सेवाएं आम जनमानस को कामन सर्विस सेन्टर्स- जनसेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध।
- मात्र 20 रुपये शुल्क देकर ऑन-लाइन आवेदन का लाभ।
- व्यवस्था का ज्यादा लाभ ऐसे लोगों को जिनके पास न तो कम्प्यूटर है और न ही किसी प्रकार की नेट बैकिंग या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।
- वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्त ऑनलाइन सेवाओं में आवेदन तथा फीस पेमेन्ट ऑन-लाइन माध्यम से करने की व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू।

6. वाहन पंजीयन हेतु ऑन-लाइन डीलर प्वाइंट व्यवस्था में डाक्यूमेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जाना :-

- नए वाहनों के पंजीयन के समय डीलर द्वारा वाहन पंजीयन के लिए आवश्यक प्रपत्र को ऑन-लाइन अपलोड की व्यवस्था।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में डीलर प्वाइंट पर डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शत-प्रतिशत लागू।

लाभ :-

क. फिजिकल फाइल आर.टी.ओ. कार्यालय में ले जाने से मुक्ति।
ख. आर.सी. डिलीवरी में कम समय लगना।
ग. आर.सी. रिकार्ड रखने की समस्या से निदान।
घ. डीलर एवं आर.टी.ओ. के बीच में मानवीय हस्तक्षेप की समाप्ति।

7. ऑन-लाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन व्यवस्था :

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ के एक प्रदूषण जांच केन्द्र पर यह व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हुई।
- 06 मार्च, 2019 से मण्डलीय मुख्यालय एवं एनसीआर वाले जनपदों में चरणवार क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त प्रदूषण जांच केन्द्रों में ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र व्यवस्था लागू।

लाभ :-

क. प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन में पारदर्शिता।

ख. प्रदूषण प्रमाण-पत्र के सही अथवा गलत होने की ऑनलाइन जाँच किये जाने की सुविधा।

ग. प्रदूषण जांच के समय वाहन प्रस्तुत होने पर ही प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन की व्यवस्था।

8. वीआईपी नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्था :-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ टी.पी. नगर में जनवरी, 2019 के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश में चरणवार ढंग से क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में वी.आई.पी. नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्था शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभ :-

क. ई-नीलामी प्रक्रिया में वी.आई.पी. नम्बर बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता।

ख. ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी।

9. आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेन्स निर्गमन की व्यवस्था :-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 24.08.2021 से प्रारम्भ।
- 06 जनवरी 2022 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।

लाभ :-

क. इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे ही ऑन-लाइन टेस्ट देते हुये लर्नर लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है।

10. आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की नवीन व्यवस्था :-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नाव कार्यालय में दिनांक 14.09.2021 से प्रारम्भ।
- 10 दिसम्बर 2021 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।

लाभ :-

क. डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते ही नये वाहनों का पंजीयन चिन्ह तुरन्त आबंटित।

ख. वाहन डीलर द्वारा ही प्रदेश के किसी भी जनपद, जहाँ का वाहन क्रेता निवासी हो, पंजीयन चिन्ह आबंटित होगा।

क. उत्तर प्रदेश में क्रय कर उत्तर प्रदेश राज्य में ही पंजीयन कराने पर अस्थायी पंजीयन चिन्ह की आवश्यकता समाप्त।

11. ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था :-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश के समस्त संभागीय कार्यालय एवं एमसीआर के समस्त परिवहन कार्यालयों (कुल 25 कार्यालय) में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश के सभी जनपदों में ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था दिनांक 11.04.2019 से शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभ :-

क. वाहन स्वामियों को ही अपने वाहन के फिटनेस जाँच की तिथि के चयन का अवसर प्राप्त।

ख. एक वर्ष पूर्व फिटनेस जाँच तिथि की निर्धारण व्यवस्था समाप्त।

ग. फिटनेस जाँच तिथि एवं फीस पेमेन्ट की ऑन-लाइन व्यवस्था से कार्यालय के कार्यभार में कमी।

घ. ऑन-लाइन व्यवस्था सरल व पारदर्शी।

12. वाहन लोकेशन ट्रैकिंग योजना :-

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु स्थापित निर्भया फण्ड के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के पत्र दिनांक 15.01.2020 के साथ जारी गाइड लाइन के टेबल-1 के अनुसार उक्त योजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिये अनुमानित व्यय रु. 1540.00 लाख की है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 60 प्रतिशत अर्थात रु. 924.00 लाख तथा राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत अर्थात रु. 616.00 लाख है।
- विभाग द्वारा डीम्स (Delhi Integrated Multi Modal Transit System Limited) को योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजर कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश में पूर्ण हो चुकी है। नियंत्रण कक्ष में हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय स्थापना/कमीशनिंग व संचालन तथा नियंत्रण कक्ष में मैन-पावर हेतु पृथक-पृथक टेण्डर तैयार कर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
- उत्तर प्रदेश में नये सार्वजनिक सेवा वाहनों, राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित वाहनों तथा ऑसीजन टैंकरों (दिनांक 01.01.2019 या उसके पश्चात पंजीकृत वाहनों) में व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फिटनेस/एक्टीवेशन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जिसके उपरान्त SOP दिनांक 05.01.2022 से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। SOP को प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों का परिवहन आयुक्त कार्यालय में बनी समिति द्वारा परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

लाभ :-

क. प्रदेश में सुरक्षा एवं नियंत्रण के दृष्टिगत सभी सार्वजनिक सेवायानों एवं नेशनल परमिट से आच्छादित भार वाहनों में व्हैकिल लोकेशन एण्ड ट्रैकिंग डिवाइस लगाये जाने की योजना है।

ख. योजनान्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय में एक कमाण्ड व कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से उक्त श्रेणी के वाहनों की लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी।

ग. योजना से वाहनों में लगाये गये पैनिक बटन के सिम्पल को इमरजेन्सी रिस्पोन्स सिस्टम से इन्टीग्रेट करने का प्राविधान भी किया गया है।

13. प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित करने के लिये नये आवेदन/नवीनीकरण की ऑन-लाइन सुविधा :-

- प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदकों को ऑन-लाइन आवेदन की सुविधा जनवरी 2020 से उपलब्ध।

●

नागरिक उड्डयन

(1) संक्षिप्त परिचय

नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। विभाग का मुख्य कार्य शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, एविएशन संबंधी बुनियादी ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण/विकास करना, एविएशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना और राज्य की उड्डयन नीति निर्धारित व क्रियान्वित करना है।

(2) मुख्य क्रिया-कलाप

अ- उड़ान प्रतिबद्धताएँ

शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में 03 वायुयान तथा 03 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं। विभागीय फ्लीट उन्नत तथा आधुनिक विमानों से सुसज्जित है। सभी विमानों के सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण, एवं विमानों की उड़ान योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग आत्मनिर्भर है तथा उपरोक्त समस्त प्रक्रिया नागर विमानन विभाग, भारत सरकार से अनुमोदित है। 06 अलग-अलग प्रकार के राजकीय वायुयानों एवं हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा लखनऊ में ही किया जाता है। शिड्यूल अनुरक्षण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग पूर्णतया आत्मनिर्भर है।

ब- एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं विकास

प्रदेश में एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत लखनऊ तथा वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं तथा जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण वर्ष 2021 में पूर्ण कराया गया है। प्रदेश के 08 स्थानों जैसे गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर (चकेरी), सहारनपुर (सरसावा), बरेली, गाजियाबाद (हिण्डन) तथा लखनऊ (बक्शी का तालाब) में भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे **'नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा'** का विकास पी.पी.पी. मोड पर कराया जा रहा है तथा जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा का विकास कराया जा रहा है। इस प्रकार शीघ्र ही उत्तर प्रदेश राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 05 एयरपोर्ट हो जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में 17 हवाई पट्टियाँ हैं जो आपरेशनल हैं:-

1. अम्बेडकरनगर, 2. गाजीपुर, 3. सुल्तानपुर, 4. अलीगढ़, 5. मेरठ (AAI को हस्तांतरित है),

6. फर्रूखाबाद, 7. अयोध्या (AAI को हस्तांतरित है), 8. सोनभद्र, 9. खीरी, 10. श्रावस्ती, 11. मुरादाबाद (AAI को हस्तांतरित है), 12. इटावा, 13. आजमगढ़, 14. झाँसी, 15. चित्रकूट, 16. कानपुर देहात, 17. ललितपुर।

एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (एयरपोर्ट्स) का विकास

उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2017 तक 4 एयरपोर्ट्स-**लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व आगरा** एयरपोर्ट से व्यवसायिक वायु सेवाएं संचालित हो रही थी।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में नेशनल सिविल एवियशन पॉलिसी के साथ 'रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम' (उड़े देश का आम नागरिक 'उड़ान') जारी की गई, जिसका उद्देश्य आम जनमानस को सस्ती/रियायती दरों पर हवाई सेवा का लाभ प्रदान करना है। केन्द्र सरकार की 'उड़ान' स्कीम को प्रदेश में अधिक प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति'' जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में हवाई सेवाएँ संचालित करने के लिए विमानन कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस निमित्त एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत निम्नलिखित एयरपोर्ट्स का विकास कराया गया है व कराया जा रहा है

जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्टः राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' का विकास पी.पी.पी. मोड पर कराया जा रहा है। इस हेतु समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ/क्लीयरेन्स प्राप्त हो गए हैं।

एयर कनेक्टिविटी में वृद्धि

(1) उड़ानों एवं शहरों की कनेक्टिविटी :

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से वायु मार्ग से जुड़े हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस की संख्या में भी विगत 05 वर्षों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। जहां अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश के सभी शहर मिलाकर 17 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड थे वही जुलाई, 2022 तक 71 डोमेस्टिक तथा 09 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड है।

(2) पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि :

प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 59.98 लाख यात्रियों की तुलना में वर्ष 2018-19 में 89.07 लाख यात्रियों द्वारा हवाई यात्रा की गयी तथा यात्रियों का प्रतिशत 27.2% बढ़ा। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 97.60 लाख यात्रियों द्वारा हवाई यात्रा की गयी तथा इस प्रकार यात्रियों का प्रतिशत 9.58% बढ़ा है।

औद्योगिक विकास

वृहद उद्योग का विकास

किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। इस प्रकार उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद उद्योग जिस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास में अवस्थापना सुविधाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है, अतः उद्योगों को विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का है, जिसके दृष्टिगत समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में फोर लेन सड़क मार्गों से जोड़ना, यमुना एक्सप्रेस वे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के निर्माण के क्रम में लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण, लखनऊ पी०पी०पी० के माध्यम से अन्य एक्सप्रेस वेज का निर्माण, राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, केन्द्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कारीडोर व ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर प्रदेश से पास होने हैं इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को उपलब्ध कराना, जेवर (बुलन्दशहर) व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का विकास, उद्योगों को गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराना, कैप्टिव पावर जेनेरेशन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक के आंकड़ों को सुदृढ़ कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराना व निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों का विकास इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उ०प्र० औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं एवं उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं।

इन्वेस्ट यू०पी०

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से वृहद, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 1981 में उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है। कालान्तरण में वर्ष 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर इन्वेस्ट यूपी किया गया। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बनाने हेतु महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उत्प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओं जैसे भूमि, विद्युत, वित्त, वाणिज्य कर तथा अनुमन्य प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं के संबंध में न केवल यह संस्था नियमसंगत जानकारी उपलब्ध करा रही है बल्कि औद्योगिक नीतियों तथा शासकीय प्राविधानों के फलस्वरूप अनुभव की जा रही बाधाओं के लिए नीतिगत निर्णय लेने तथा नीतियों में यथा संभव संशोधन करने में इन्वेस्ट यूपी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

इन्वेस्ट यू०पी० के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं, छूट, अन्य सुविधाओं जैसे भूमि, विद्युत, वाणिज्य कर इत्यादि से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करना। निवेशकों को प्रदेश के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट को सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग से सम्बन्धित सभी शासनादेशों एवं सम्बंधित सूचनाएं इत्यादि सुगमता से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- उद्यमियों की समस्याओं को उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। उद्योगों के साथ-साथ अब सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें उपलब्ध कराने वाले उपक्रमों की भी समस्याओं का निराकरण एवं अनुश्रवण जिला स्तरीय इन्वेस्ट यूपी मण्डल स्तरीय इन्वेस्ट यूपी एवं राज्य स्तरीय इन्वेस्ट यूपी की बैठकों में किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- शासन एवं विभिन्न विभागों से जनसम्पर्क करना एवं नीतियों के प्रख्यापन में शासन को राय देना। औद्योगिक व अवस्थापना निवेश नीति तैयार करना, अन्य विभागों की नीतियाँ तैयार करने में सहायता करना, नीतियों का प्रचार-प्रसार करना, प्रदेश में निवेश आकर्षण हेतु कार्यवाही करना तथा निवेश में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना।
- निवेश मित्र के माध्यम से ऑन- लाइन स्वीकृतियाँ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था करना। प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अनापत्तियाँ प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु समस्त जिलों में ''निवेश मित्र" व्यवस्था लागू कर दी गयी है जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। निवेश मित्र के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक उद्यमी लाभान्वित हो सकें।

- उद्यमियों को विभिन्न स्वीकृतियाँ/अनुमोदन एवं विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत कराने में सहायता करना। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त जिला स्तरीय इन्वेस्ट यूपी में हेल्पडेस्क की स्थापना कर दी गई है जिसके माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं तथा उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न स्वीकृतियाँ/सहमतियां/अनापत्तियाँ प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।
- विभिन्न सेमिनार्स, इन्टेकमार्ट, ट्रेडफेयर्स आदि में भाग लेना, समन्वय कार्य तथा भारत सरकार के विभागों द्वारा आयोजित बैठकों हेतु व उद्योग से संबंधित विभिन्न औद्योगिक संगठनों से समन्वय करना ।
- प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित किये जाने की विस्तृत रणनीति बनाने एवं अधिक से अधिक निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने हेतु अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षण हेतु सेमिनार अथवा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करना।
- उद्यागों से सम्बन्धित डाटा की मानिटरिंग करना।
- भारत सरकार/उद्योग निदेशालय से आई०ई०एम० एवं एल०ओ०आई० की नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करना।
- विभिन्न मामले, जो कि मण्डलीय/जिला अथवा राज्य स्तर पर स्वीकृत होते हैं, का संज्ञान रखना।
- ओद्योगिक निवेश नीति व अन्य औद्योगीकरण से संबंधित विभागों की नीतियों के लागू होने में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करना।
- उद्योगों की समस्याओं का समाधान करना तथा आवश्यक हो तो इस हेतु नीतिगत निर्णय लेना।
- अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर मत निश्चित करना।
- उद्योगों के स्वीकृत प्रक्रिया में विलम्ब अथवा शिथिलता करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही प्रस्तावित करना।
- औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं अवस्थापना स्थापित करने से सम्बंधित नीतियों नियमों एवं अधिनियमों की समीक्षा कर उनके सरलीकरण एवं सुधार कराए जाने पर संस्तुति करना।
- जिला/मण्डल/राज्य स्तरीय इन्वेस्ट यूपी में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अनुश्रवण करना।
- अन्तर्विभागीय नीतिगत प्रकरणों पर विचार कर संशोधन/परिमर्जन हेतु संस्तुति करना।
- विशिष्ट औद्योगिक संगठनों जैसे-पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स सी०आई०आई०आई०आई०ए०

एवं एसोचैम के साथ इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को प्रत्येक स्तर पर निश्चित करने के उद्देश्य से एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत नीतिगत प्रकरणों पर सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर मत स्थिर किया जाता है।

- निवेश मित्र के निश्चित समयावधि के उपरान्त लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करना।
- इन्वेस्ट यूपी में सी०एस०आर० सेल का गठन किया गया है।
- शासन के निर्देशानुसार एस०डी०जी० सेल के गठन की कार्यवाही प्रचलित है।
- प्रदेश के औद्योगीकरण के विषय में अन्य कोई बिन्दु।

वर्ष 2018 में प्रदेश में प्रथम इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया जिसमें रु० 4.28 लाख करोड़ के 1084 एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित हुए। इन एम०ओ०यू० को धरातल पर लाकर 3 बार ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया

उ०प्र० एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) से सम्बन्धित सूचना सामग्री

उ०प्र० एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन औद्योगिक विकास अनुभाग-4 उ०प्र० शासन की अधिसूचना दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976' की धारा 3 के अधीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सपेस वे परियोजनाओं के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु किया गया था। तत्पश्चात् शासन के नोटीफिकेशन दिनांक 27.07.2021 द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे, प्रयागलिंक एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे एवं बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को जोड़ा गया है।

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का विवरण-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे परियोजना-

जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई होते हुए लखनऊ तक पूर्णतः प्रदेश नियंत्रित (06 लेन एक्सपेण्डबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेस वे लम्बाई- 302.222 किमी० का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल लागत रु० 14937.64 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण (रेल उपरगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु को छोड़ते हुए) लम्बाई में स्टैगर्ड सर्विस रोड एवं दोनों ओर दो-दो स्थलों पर विश्राम गृह, पेट्रोल पम्प, सर्विस सेन्टर एवं भोजनालय आदि की सुविधा उपलब्ध है। एक्सप्रेस वे पर दिनांक 19.01.2018 की मध्यरात्रि से टोल कलेक्शन प्रारम्भ है।

आपातकाल में वायु सेना के विमानों हेतु जनपद उन्नाव में एकसप्रेस वे पर हवाई पट्टी विकसित की गई है। एक्सप्रेस वे वर्तमान में आम जन-मानस के यातायात हेतु उपलब्ध है।

पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे परियोजना

जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ एवं मऊ होते हुये जनपद गाजीपुर तक पूर्णतः प्रदेश नियंत्रित (08 लेन एक्सपेण्डबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेस वे, कुल लम्बाई-340-824 किमी० कर निर्माण कराया गया। इस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रु० 23349.37 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण लम्बाई में (रेल उपरिगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु को छोड़ते हुये) स्टैगर्ड रूप से सर्विस रोड भी निर्माण किया गया है। आपातकाल में वायु सेना के विमानों हेतु जनपद सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे पर पट्टी विकसित की गई है।

प्रत्येक पैकेज में पेट्रोल पम्प एवं सर्विस सेन्टर स्थापित कर लिये गये एवं संचालन में हैं। एक्सप्रेस वे पर 08 स्थानों पर प्रसाधन ब्लाक एवं सूक्ष्म जलपान सुविधा ठेकेदार के माध्यम से प्रदान की गई है। यातायात सुरक्षा हेतु एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस एवं पेट्रोलिंग वाहन लगाये गये हैं। सुरक्षित यातायात हेतु एडवान्स ट्रैफिक मैजेमेन्ट सिस्टम लगाये जाने का कार्य कराया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना

जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एवं इटावा होते हुये आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे तक पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई-298.07 किमी० का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल स्वीकृत लागत रु० 14849.09 करोड़ है। एक्सप्रेस वे के सम्पूर्ण (रेल उपरिगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु की कुल लम्बाई को छोड़कर) लम्बाई में स्टैगर्ड सर्विस रोड का निर्माण कराया जा रहा है। एक्सप्रेस वे पर प्रवेश/निकासी हेतु 13 स्थानों पर इण्टरचेंज निर्मित किये गये हैं।

एक्सप्रेस वे पर 04 स्थानों पर जनसुविधा परिसर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त चिन्हित जनसुविधा परिसर में पेट्रोल पम्प एवं सर्विस सेन्टर स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य प्रगति में है। एक्सप्रेस वे पर 04 स्थानों पर प्रसाधन ब्लाक एवं सूक्ष्म जलपान सुविधा प्रदान की गई है। यातायात सुरक्षा हेतु एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस एवं पेट्रोलिंग वाहन लगाये गये हैं। सुरक्षित यातायात हेतु एडवान्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना

जनपद गोरखपुर, सन्त कबीरनगर, आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर होते हुये निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक पूर्णतः प्रदेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेस वे की कुल लम्बाई-91.352 किमी० का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रु. 5938.08 करोड़ है। एक्सप्रेस वे के सम्पूर्ण (दीर्घ सेतु की कुल लम्बाई को छोड़कर) लम्बाई में स्टैगर्ड सर्विस रोड का प्राविधान प्रस्तावित है।

एक्सप्रेस वे उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु 02 स्थानों पर जनसुविधा परिसर एवं 02 स्थानों पर ट्वालेट ब्लाक्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। एक्सप्रेस वे पर प्रवेश/निकासी हेतु 08

स्थानों पर इण्टरचेंज का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेस वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। परियोजना की अद्यतन प्रगति 60 प्रतिशत प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना को समय से पूर्ण करना लक्षित है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना

देश/प्रदेश के सुरक्षा स्तर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश में झाँसी, चित्रकूट, लखनऊ, अलीगढ़ आगरा एवं कानपुर में रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों को स्थापित करने हेतु यूपीडा द्वारा भूमि अर्जन करने के उपरान्त विभिन्न उद्यामियों को आवंटित किये जाने तथा उद्यम स्थापित करने के लिये कार्यस्थल के विकास हेतु विभिन्न अवसंरचनाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)

उ०प्र० सरकार द्वारा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण का निर्णय लिया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334) पर जनपद मेरठ के बिजौली ग्राम के समीप से प्रारम्भ होगा एवं प्रयागराज बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19) पर जनपद प्रयागराज के जुड़ापुर दाँदू ग्राम के समीप समाप्त होगा। एक्सप्रेस वे से जनपद मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आच्छादित होंगे।

गंगा एक्सप्रेस वे पूर्णतः प्रदेश नियंत्रित (06 लेन एक्सपेण्डबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेस वे, कुल लम्बाई-594 किमी० का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रु. 36229.67 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण लम्बाई से (रेल उपरगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु को छोड़ते हुये) स्टैगर्ड सर्विस रोड का प्राविधान किया गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक केन्द्र विकसित किये जाने हेतु परियोजना विकास परामर्शी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2021 द्वारा यूपीडा को नोडल एजेन्सी नामित किया गया।

उक्त के अनुपालन में यूपीडा द्वारा LEA Associates South Asia Private Ltd. in Consortium with Ernst & Young LLP India को कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है। LEA Associates द्वारा लैण्ड पार्सल चिन्हीकरण हेतु अध्ययन किया जा रहा है।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संस्थापित नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर में एन०एच०-24, पश्चिम में यमुना नदी एवं पूर्व में हिण्डन नदी से बंधे हुए क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नोएडा) का सृजन किया गया था, जो कि आज एक सुनियोजित एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 81 ग्रामों को सम्मिलित करते

हुए लगभग 20,316.00 हेक्टेयर (203.16 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल पर विकास की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 तक के लिए महायोजना तैयार की गयी है। नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का परिचायक है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अभ्युदय, विकास तथा उसके मूलभूल उद्दश्यों से सम्बन्धित विवरण

महायोजना-2021 का संक्षिप्त विवरण-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1991 में किया गया, जिसमें तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के 75 गाँव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गाँच अधिसूचित किए गए थे। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वास्तुशिल्प एवं अभियन्त्रिकी की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहाँ औद्योगिक सुविधाओं, व्यवसायिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेन्ड्री स्कूलों, तकनीकी एवं प्राविधिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों का एक आधुनिक एवं व्यापक मूल ढांचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर वाह्य एवं आन्तरिक सड़कों का निर्माण एवं जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी एवं सीवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लांट की स्थापना, सालिड वेस्ट मैंनेजमेंट, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम हैं। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना 2021 के प्राविधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण (2001-2011) में लगभग 8500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 22255 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की आबादी भी सम्मिलित है।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6.1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन ''औद्योगिक विकास क्षेत्र'' घोषित किया गया एवं राज्यपाल द्वारा अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन अधिनियम के प्रयोजनार्थ ताज एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा के कुल 1187 ग्राम अधिसूचित हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा से

आगरा तक 165.537 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन (08 लेन तक विस्तारणीय) के एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य कराया जाना।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्य योजना में आगरा के साथ ही पश्चिमी उ०प्र० के अधिकांश भागों को देश की राजधानी से जोड़ना है। यमुना नदी के पूर्वी भाग पर मुख्य टाउनशिप स्थापित करना तथा प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी क्रियाकलापों में भौतिक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना है।

परियोजना हेतु काश्तकारों से उचित दर पर भू-अर्जन के प्रतिकर भुगतान के अतिरिक्त प्रभावित काश्तकारी को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। अधिग्रहण से प्रभावित मूल काश्तकारों को उनकी अधिगृहीत भूमि का 07 प्रतिशत भूमि आबादी हेतु, आवंटन तथा इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं में स्कूल, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, सड़क, नाली व सीवर आदि का विकास कराये जाने का प्रावधान है।

प्राधिकरण की उपलब्धियों एवं परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

- यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश आद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 24.04.2001 के माध्यम से की गयी। गठन के समय प्राधिकरण का नाम ताज एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण था जिसे अधिसूचना दिनांक 11.07.2008 द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दिया गया।
- वर्ष 2007 में यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
- यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना पी०पी०पी० मॉडल पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी. ओ.टी) परियोजना के अन्तर्गत जेपी इन्फाट्रेक लि० द्वारा कराया गया है, जिस पर वर्तमान में आवागमन जारी है।
- इस एक्सप्रेस वे में 6 स्थानों पर इन्टरचेन्ज (जीरो प्वान्ट, जेवर, टप्पल, मथुरा, सादाबाद रोड तथा आगरा) बनाये गये हैं। एक्सप्रेस वे के तीन स्थानों (जेवर, मथुरा व आगरा) पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है।
- जनपद अलीगढ़ एवं मथुरा में दो अर्बन सेन्टर (टप्पल-बाजना एवं राया) की महायोजनाओं पर उ०प्र० शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। राया अर्बन सेन्टर में हेरिटेज सिटी के विकास तथा टप्पल बाजना सेन्टर में लॉजिस्टक विकास हेतु फिजिविल्टी व डी०पी०आर० तैयार कराये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है।
- जनपद हाथरस एवं आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित अर्बन नोड की महायोजना तैयार का कार्य प्रगति पर है।
- अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 06 जनपदों में कुल 12501.35 हे. भूमि अर्जन/आपसी

सहमति से क्रय/पुनर्ग्रहण/हस्तांतरण द्वारा प्राप्त की गई है।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकारण, कानपुर

निगम कर अभ्युदय

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष 1961 में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु की गई थी। निगम की अधिकृत पूँजी रु० 4000 लाख एवं चुकता पूँजी रु० 2407.51 लाख है, जिसमें सम्पूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश सरकार का है। निगम अपने स्थापना के वर्ष से ही निरन्तर लाभ अर्जित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं

1. **ट्रान्स गंगा सिटी परियोजना** - जनपद में उन्नाव के निकट स्थित 1144 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित एकीकृत औद्योगिक नगरी विकसित की जा रही है।
2. **सरस्वती हाईटेक सिटी** - प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज के नैनी में 1139 एकड़ भूमि पर एक सुनियोजित एकीकृत औद्योगिक नगरी को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।
3. **आई एम सी आगरा** - प्राधिकरण द्वारा आगरा में 1059 एकड़ भूमि पर एकीकृत मैन्यू फैक्चरिंग कलस्टर को विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
4. **जनपद पीलीभीत में औद्योगिक हब की स्थापना** - प्राधिकरण द्वारा जनपद पीलीभीत के ग्राम भरापचखेड़ा में परियोजना को विकसित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
5. **जनपद बरेली में मेगा फूड पार्क की स्थापना-** जनपद बरेली में तहसील बहेडी के ग्राम मुडियामुकर्रमपुर की 250.00 एकड़ ग्रामीण सीलिंग की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा पार्क स्थापित किया जा रहा है। शासन द्वारा ग्राम मुडियामुकर्रमपुर की 250.00 एकड़ ग्रामीण सीलिंग की अतिरिक्त घोषित राजकीय भूमि निगम को सशर्त हस्तान्तरित करने के आदेश दिनांक 23.01.2015 को निर्गत कर दिए गए हैं। यूपीसीडा द्वारा उक्त भूमि पर मेगा फूड पार्क को विकसित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
6. **जनपद कानपुर नगर में मेगा लेदर क्लस्टर, सेनपूरबपारा-** कानपुर में चर्म उत्पादों को सुनियोजित रूप से स्थापित करने हेतु सेनपूरबपारा में 450 हेक्टेअर भूमि पर मेगा लेदर कलस्टर का विकास एस०पी०वी० द्वारा किया जाएगा।
7. **दिबियापुर, औरैया में प्लास्टिक सिटी-** जिला मुख्यालय औरैया से कंचौसी राजमार्ग पर 03 किलोमीटर दूर ग्राम उसरारी एवं लखनपुर की 359.38 एकड़ भूमि में से 274.45 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र एवं 64.93 एकड़ भूमि पर आवासीय सेक्टर विकसित किया गया है।
8. **जनपद कन्नौज में इत्र संग्रहालय एवं पार्क की स्थापना-** जनपद कन्नौज में परम्परागत इत्र उद्योग को बढ़ावा देने, तकनीकी उत्सर्जन एवं विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ाने हेतु प्रथम चरण में 50 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सुनियोजित परफ्यूम पार्क का विकास किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

1. **गीडा की स्थापना** - गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सृजन पूर्वान्चल के समग्र एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उ०प्र० शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3'' के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1989 में किया गया था।
2. **अधिसूचित ग्राम** - योजना के विकास हेतु कुल 99 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं।
3. **गीडा विकास योजना** - गीडा विकास योजना 2012-2022 (डेवलपमेन्ट प्लान) के अन्तर्गत तहसील-सहजनवाँ एवं सदर के अधिसूचित 78 ग्रामों की लगभग 13,135.00 एकड़ भूमि वर्ष- 2032 तक अधिग्रहित कर समग्र अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित की जानी प्रस्तावित है। गीडा के विस्तारीकरण हेतु तहसील-गोला के अन्तर्गत 18 नये ग्रामों की अधिसूचना वर्तमान विकास योजना से लगभग 35 किमी० की दूरी पर स्थित है, की अधिसूचना दिनांक 02.09.2019 को जारी हुई है। गीडा के तकनीकी सलाहाकार मै० ई०एण्ड०वाई० से आर०एफ०पी० तैयार कराकर निविदा के माध्यम से आवंटित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है।
4. **विकास योजना में कुल सेक्टरों का विवरण** - वर्तमान में लागू विकास योजना को 33 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, जिसमें 11 सेक्टर आवासीय, 4 आवासीय/व्यवसायिक, 1 आवासीय/औद्योगिक, 1 ट्रांसपोर्ट नगर/व्यवसायिक, 2 संस्थागत, 1 संस्थागत/व्यवसायिक एवं 13 सेक्टर औद्योगिक उपयोग हेतु प्राविधानित हैं।
5. **अधिग्रहीत भूमि** - वर्तमान समय में गीडा द्वारा अधिग्रहीत एवं समझौते से लगभग 2300.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है।
6. **विकसित भूमि** - अब तक गीडा द्वारा लगभग 1754.00 एकड़ भूमि विकसित कर ली गयी है।
7. **आवंटित भूमि**- अब तक गीडा द्वारा लगभग 1223.00 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

गीडा क्षेत्र में संचालित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

1. गीडा क्षेत्र के सेक्टर-7 में उ०प्र० पर्यटन विभाग द्वारा स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट की स्थापना।
2. प्लास्टिक पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में।
3. सेक्टर-26 भीटी रावत/गारमेन्ट पार्क।
4. गीडा क्षेत्र के सेक्टर-26 में मैसर्स तत्वा प्लास्टिक, पाईप प्रा० लि० द्वारा लगभग 100 करोड़ के पूँजी निवेश से एच०डी०पी०ई० पाईप उत्पादन इकाई की स्थापना।
5. फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स की स्थापना के सम्बन्ध में।
6. गीडा क्षेत्र में कामन इफलूएण्ट ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट (सी०ई०टी०पी०) की स्थापना।
7. मैसर्स अंकुर उद्योग प्रा०लि०, गोरखपुर द्वारा लगभग 450 करोड़ के पूँजी निवेश से

इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं कैपटिव पावर प्लान्ट की स्थापना।

8. गीडा क्षेत्र के सेक्टर संख्या-7 में आई०टी० पार्क की स्थापना।

सीडा

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन शासन की अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा (3) के अधीन किया गया है। प्राधिकरण का मूलभूत उद्देश्य प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहीत कर समस्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए, उद्यमियों को उदार शर्तों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना है।

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया जनपद-जौनपुर की मछलीशहर तहसील के सतहरिया ग्राम में जनपद मुख्यालय सं 47 किमी० की दूरी पर जौनपुर-इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ उत्तरी एवं दक्षिणी सेक्टर में विभक्त है।

उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में 'ग्रोथ सेन्टर स्कीम' अनुमोदित की गयी थी, जिसकी कुल परियोजना लागत रु० 44.27 करोड़ थी। ग्रोथ सेन्टर के अन्तर्गत सीडा को कुल 1166.74 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास का कार्य करना था, जिसके सापेक्ष उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित 500 एकड़ भूमि पर विकसित औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया को सीडा द्वारा वर्ष 1997 में हस्तान्तरण के माध्यम से लिया गया है।

उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, वस्त्र भवन, शारदा नगर, कानपुर

उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 2 दिसम्बर, 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार की एक कम्पनी के रूप में हुई थी तथा 24 दिसम्बर, 1973 को इस निगम को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1974 में दो सहायक कम्पनियों क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी लि० (नं०-1) तथा उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं०-2) की स्थापना की गई। दिनांक 02.04.90 से निगम की दोनों सहायक कम्पनियों के नाम बदल दिये गये हैं, जो क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लि० एवं उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लि० है। दिनांक 31.03.2022 को निगम की अधिकृत पूँजी रु० 166.00 करोड़ चुकता पूँजी रु० 160.79 करोड़ थी।

यू०पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि०, वस्त्र भवन, शारदा नगर, कानपुर

यू०पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी नं०-1 लि० की स्थापना 20 अगस्त 1974 को उ०प्र० राज्य, वस्त्र निगम की एक सहायक कम्पनी के रूप में हुई थी। दिनांक 02.04.1990 से इस कम्पनी का नाम बदलकर यू०पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि० कर दिया गया है। प्रारम्भ में कम्पनी की अधिकृत पूँजी रु० 7.00 करोड़ एवं चुकता पूँजी 2.93 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2022 को कम्पनी की अधिकृत पूँजी रु० 93.30 करोड़ एवं चुकता पूँजी रु० 93.24 करोड़ थी।

राज्य सरकार के निर्णय पर यू०पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि० द्वारा प्रदेश में 25.00 तकुओं की क्षमता वाली 4 कताई मिलें क्रमशः रायबरेली, बाराबंकी, मऊनाथ भंजन एवं अकबरपुर

में स्थापित की गयीं। सूत की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर राज्य कताई कम्पनी की उपरोक्त चारों कताई मिलों की क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50,000 तकुए कर दी गयी। 11 जून, 1990 से अकबरपुर इकाई बन्द हो चुकी है और बी०आई०एफ०आर० के निर्देशानुसार इसकी सम्पत्तियों का निस्तारण भी हो चुका है। कम्पनी की मऊनाथ भंजन एवं रायबरेली स्थित कताई मिलों में श्रमिक अशान्ति के कारण दिनांक 30.10.2005 एवं 28.06.2012 से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विधिक रूप से औपचारिक बन्दी घोषित कर दी गयी है, तथा वर्तमान में एक मात्र चल रही बाराबंकी स्थित कताई मिल दिनांक 31 मई, 2017 से पूर्ण रूप से बन्द कर दी गयी है, और उसमें कार्यरत अवशेष कमचारियों को कट ऑफ डेट 31.05.2017 मानते हुए शासन द्वारा वी०आर०एस० के मद में स्वीकृत ध नराशि से भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में कम्पनी की तीनों इकाईयों में कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग उ०प्र० (इटप), लखनऊ

इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी०, इटप लखनऊ की स्थापना वर्ष 1981 में भारत-जर्मन के मध्य तकनीकी सहयोग के अनुबंध के तहत की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नवयुवकों को टूल एण्ड मोल्ड मेकिंग विषय में प्रशिक्षण प्रदान कर उनको प्रदेश के औद्यौगिक विकास में योगदान के लिये तैयार करना तथा औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और विस्तार हेतु तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना व उनकी आवश्यकता के अनुसार टूल निर्मित कर उपलब्ध कराना इत्यादि था। वर्ष 2005 में पुनर्वासन किए जाने के उपरान्त से इटप केवल एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में संचालित है जो औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन के प्रशासनिक नियंत्रण एवं बजटरी अनुदान सपोर्ट से संचालित हो रहा है।

इटप लखनऊ द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्ता को देखते हुए माननीय मंत्री जी औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना द्वारा दिनांक 06.01.2020 को इटप के विकास एवं पुनरोद्धार हेतु एक बैठक की गयी, जिसमें उनके द्वारा इटप के पुराने स्वरूप को पुनः बनाने के लिए नियमित महाप्रबन्धक की नियुक्ति, आई०आई०टी० तथा समकक्ष तकनीकी संस्थानों से तकनीकी सहायता प्राप्त करके, बी०एच०ई०एल०, एच०ए०एल जैसी औद्योगिक इकायों के अधिकारियों से प्रशिक्षार्थियों को शिक्षण दिलाना, संस्थान के पाठ्यक्रम को एनएसक्यूएफ द्वारा ग्रेडिंग कराना तथा तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थान में संचालित कराने के लिए कहा गया।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू०पी० लि० (पिकप), लखनऊ

पिकप की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के रूप में वर्ष 1972 में की गई। निगम की वर्तमान अंश पूंजी रु. 150 करोड़ है एवं निगम की चुकता अंश पूंजी रु. 135.57 करोड़ है।

निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक औद्योगिक विकास बैंक की

भूमिका निभाते हुये वृहद एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्व्यन अभिकर्ता के रूप में किया जा रहा है।

पिकप द्वारा राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में निम्न औद्योगिक विकास हेतु निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं जिसके अन्तर्गत पात्र इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण एवं ब्याज उपादान प्रदान किये जाने की सुविधा का प्राविधान है :-

1- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में रु.10.00 करोड़ व उससे अधिक अन्य जनपदों में रु. 25.00 करोड़ व उससे अधिक एवं किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित क्षेत्र में रु. 5.00 करोड़ व उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली नई मेगा औद्योगिक इकाईयां, जिनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 को या उसके बाद पड़ती हो एवं 4 सितम्बर 2012 के पूर्व पड़ती हो, योजनान्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के लिए पात्र होगी।

2- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 का क्रियान्वयन

उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 75.00 करोड़ धनराशि बजट पिकप/यू०पी०एफ०सी के लिए प्राविधानित है जिसके सापेक्ष रु. 17.96 करोड़ की धनराशि सरकार से अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

3- पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 का क्रियान्वयन

प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाये जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैन्यू फैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना प्राविधानित की गयी है।

4- अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 का क्रियान्वयन

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों अथवा उन से समूह/संगठनों का उनके द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अवस्थापना ब्याज उपादान की सुविधा का प्राविधान किया गया है। इस उपादान के माध्यम से सृजित अवस्थापना सुविधाओं के कारण उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि प्रदेश में वृहद स्तर पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहयोगी सिद्ध होगी।

5- उ०प्र० अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था का कार्य

मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रु. 200 करोड़ अथवा उससे अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों से है जो अपने सम्बन्धित क्षेत्र में संकर इकाई का कार्य करती हैं, वृहद स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराती हैं, तथा अपने क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को व्यापक

बढ़ावा देती है।

उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 16 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जा चुके हैं जिसमें कुल प्रस्तावित (लगभग) रु. 16952.78 करोड़ को निवेश के सापेक्ष रु. 7986.57 करोड़ (लगभग) निवेश हो चुका है।

6- औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत नोडल संस्था का कार्य

राज्य सरकार द्वारा पोषित निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर 6 द्वारा प्रदेश में व्यापक निवेश को आकर्षित किये जाने के प्रयोजन से वित्तीय प्रोत्साहन घोषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त नियमावली दिनांक 26.10.2017 का प्रख्यापित की गयी है जिसमें लघु, मध्यम, वृहद एवं मेगा श्रेणियों के औद्योगिक उपक्रमों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने हेतु पिकप को नोडल संस्था नामित किया गया है।

7- इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चिरिंग नीति- 2019

इलेक्ट्रिकल वाहनों के बाजार में विश्व स्तर पर हो रहे विस्तार एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर परिवहन के प्रभाव को कम करने तथा उ०प० में वान बाजार को देखते हुए ''इलेक्ट्रिकल वाहन मैन्युफैचिरिंग नीति-2019'' की घोषणा उ०प्र० सरकार द्वारा माननीय राज्यपाल से प्रख्यापित दिनांक 13.08.2019 के द्वारा की गयी। उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक 11.12.2019 के पत्र के माध्यम से उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु पिकप को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

8- परामर्शी एवं सलाहकार के रूप में सेवायें

पिकप द्वारा उ०प्र० सरकार एवं प्रदेश की अन्य सार्वजनिक/शासकीय संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी एवं बिड प्रॉसेस मैनेजमेंट सम्बन्धी परामर्शी एवं सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विगत वर्षों से अब तक दी गयी सेवाएं तथा उ०प्र० सरकार की विभिन्न चीनी मिलों के विनिवेश, गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के विकासकर्ता चयन, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, यू.पी. डास्प, लीडा, सूडा, आगरा विकास प्राधिकरण एवं उद्यान विभाग आदि में पिकप द्वारा परामर्शी एवं सलाहकारी सेवायें प्रदान की गयी हैं।

9- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश व निजीकरण हेतु सर्वेक्षण कराने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने, परामर्शी सेवाओं को भुगतान करने एवं तत्सम्बन्धी अन्य व्ययों के वहन हेतु अवस्थापना विकास अनुभाग, उ०प्र० शासन द्वारा रु. 2.05 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

उ०प्र० प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु अत्यन्त संभावनाशील प्रदेश है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहाँ एक ओर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराती है वहीं दूसरी ओर एक विशाल बाजार भी उपलब्ध कराती है।

इसी प्रकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने हेतु अवसर प्रदान कराती है। ऐसे में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं इस प्रकार व्यापक पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन करते हुए प्रदेश की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर सम्मुन्नत करने के दृष्टिकोण से लघु उद्योग विभाग की स्थापना की गई जो कि अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के नाम से जाना जा रहा है।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका का विशेष महत्त्व हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूंजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रोत्साहनात्मक औद्योगिक वातावरण का सृजन करते हुए उद्यमियों को उद्यम स्थापना से लेकर उत्पादों के विपणन/निर्यात तक हर संभव सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के अधीन "उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय" के अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय तथा जिला स्तर पर ''जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र" स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास तथा हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो आदि की भी प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सतत प्रयत्नशील हैं।

विभाग की प्रमुख योजनायें

(1) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

- प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु.10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 लाख है।

- इस हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी एवं हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18-40 वर्ष के मध्य किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए।
- योजनान्तर्गत आवेदन ऑनलाइन रूप से http://diupmsme.upsdc.gov.in/ अथवा http://msme.up.gov.in/पर किया जा सकता है।

वित्तीष वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराने हेतु रु. 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया एवं 33496 व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराया गया।

(2) एक जनपद एक उत्पाद योजना

- प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24.01.2018 को एक जनपद एक उत्पाद नाम से एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
- चयनित विशिष्ट उत्पादों को उनकी पूरी वैल्यू चेन में विभिन्न योजनाओं यथा कौशल विकास टूलकिट योजना विपणन प्रोत्साहन योजना एवं सामान्य सुविधा केन्द्र के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(अ) 'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण की योजना :-

जनपद के चिन्हित ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के समग्र विकास हेतु विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय हेतु वित्त पोषण की योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत तक का उपादान देय है। योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। योजना के आवेदन वेबसाईट http://diupmsme.upsdc.gov.in/अथवा http://msme.up.gov.in/ पर किया जा सकता है।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4268 इकाइयों को स्थापित कराने हेतु रु. 106.70 करोड़ की धनराशि के आवंटन के सापेक्ष 3053 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया एवं 45581 व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराया गया।

(ब) कौशल विकास व टूल-किट वितरण की योजना :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित किये गये ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21000 पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु रु. 4677.02 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। रु. 4636.33 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 21000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर टूलकिट का वितरण कराया गया।

(3) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों- बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि स्वरोजगारिया तथा पारस्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं सम्वर्धन तथा उनकी आय से वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है।
- इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे या वे अपनी आजीविका सुगमता से चला सकेंगे।

योजना में प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन, सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के आवेदन वेबसाईट http://diupmsme.upsdc. gov.in/अथवा http://msme.up.gov.in/ पर किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75000 पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु रु. 10993.64 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। रु. 10940.46 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 75000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर टूलकिट का वितरण कराया गया।

(4) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत निर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम रु. 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र/व्यापार के चिन्हित तथा चयनित क्षेत्रों के लिए अधिकतम रु. 20.00 लाख तक की लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।
- योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा- अनु.जाति/ज.जा./ अन्य पिछड़ा

वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तक्षा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है।

प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। योजना पूर्णतः ऑनलाईन है। योजना में आवेदन वेबसाईट http://www.kviconline.gov.in/ पर किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से 4854 इकाइयों की स्थापना हेतु रु. 14693.00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आवंटित किया गया। 6129 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया एवं 49032 व्यक्तियों को रोजगार सृजित कराया गया।

(5) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं तकनीकी उन्नयन योजना

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-** 2017 के प्रस्तर-9.1 में प्रदेश सरकार की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को पुनर्निर्मित करते हुए शासनादेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे महत्तम ढंग से उच्चीकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे-उत्पाद गुणवत्ता सुधार, ऊर्जा, दक्षता, गुणात्मक पैकेजिंग परीक्षण सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। इस योजना को दो श्रेणियों के उद्योगों- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिए क्रियान्वयन का निर्णय निम्नवत् लिया गया है।
- **पूँजी उपादान सहायता-** तीन वर्ष से संचालित एवं कार्यरत ऐसी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों जो तकनीकी उन्नयन हेतु इच्छुक होगी उन्हें 50 प्रतिशत पूँजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रु.5.00 लाख तक होगी। पूँजी उपादान प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण खरीद पर ही दिया जायेगा।
- **ब्याज उपादान सहायता-** मशीनों के क्रय हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज का 50 प्रतिशत ब्याज उपादान के रूप में दिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख (प्रतिवर्ष) होगी। यह सुविधा अधिकतम 05 वर्ष तक दी जायेगी।
- मानक प्रक्रिया, अनुरूपता एवं अन्य प्रमाणीकरण सहायता।
- उद्यम स्रोत योजना (ई०आर०पी०) व्यवस्था सहायता।
- कन्सल्टेंसी/ब्रांडिंग सहायता।
- बौद्धिक सम्पदा प्रमाणीकरण सहायता।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 434.51 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें 94 पात्र इकाइयों को लाभान्वित कराया गया है।

(6) हस्तशिल्प पेंशन योजना

- शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प कला एवं कला कृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलायी है, परन्तु शिल्पकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवन काल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से शिल्पकारों के लिए यह योजना संचालित की गयी है।
- योजनान्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरु के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को रु. 2000/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, इस हेतु शिल्पकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष तथा अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु रु. 57.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। 256 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को माह मार्च, 2022 तक की पेंशन दी जा चुकी है।

(7) हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

- उ०प्र० में विभिन्न हस्तशिल्प जैसे- कालीन, चूड़ी, ताला, जरी जरदोजी, हैण्डलूम, चिकन कारीगरी, स्टोन कार्विंग, बुड कार्विंग, ब्लैक पाटरी, बेंतवास, लकड़ी के खिलौने, टेराकोटा पीतल की कला, जूटवॉल हैंगिंग, पतंगकासा, पंजादरी पाटरी आदि क्षेत्रों में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी हैं। ये अपना अमूल सहयोग देकर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके इतर अधिकाँशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द होते हुए भी अत्यन्त गरीब हैं। हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल के विपणन में सहायता के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।
- प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टाल के किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रु० 10000/- प्रति मेले की दर से अधिकतम 02 मेले हेतु रु. 20000/- की धनराशि राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजनान्तर्गत रु. 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। रु. 196.50 लाख का व्यय करते हुए 1967 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया।

(8) मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

- प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा दिनांक 13.12.2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है।
- योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रु. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु. 87.47 लाख की धनराशि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 1387 हस्तशिल्पियों को माह, मार्च 2022 तक की पेंशन दी जा चुकी है।

(9) हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजना

- हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे-धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं। इस प्रशिक्षण में नवीतम तकनीकी एवं उन्नत किस्म के औजारों/उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता है।

  योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशॉप के माध्यम से हस्तशिल्पियों की क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस योजना में 1740 हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण वर्कशॉप रु. 120.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। रु. 120.00 लाख व्यय करते हुये 1740 हस्तशिल्पियों की क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

(10) अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति युवक/युवतियों को चयनित कर उनमें स्किल्ड डेवलपमेन्ट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 08 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में से की जा सके।

  यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे- बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, विद्युत

रिपेयरिंग, टेलरिंग, साड़ियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है योजना में आवेदन वेबसाईट http://diupmsme.upsdc.gov.in/ अथवा http://msme.up.gov.in/पर किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस योजना में 6771 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 487.50 लाख की बजट स्वीकृत प्रदान की जाती है। रु. 486.64 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 6771 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षित किया गया।

(11) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

- यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। प्रशिक्षणोपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगार युक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें।
- योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित ट्रेंड्स' की टूलकिट भी उपलब्ध करायी है। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षत व्यक्तियों की सम्बन्धित ट्रेड्स में आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। योजना में आवेदन वेबसाईट http://diupmsme.upsdc.gov.in/ अथवा http://msme.up.gov.in/पर किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। रु. 199.73 लाख की धनराशि व्यय करते हुये 2775 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

(12) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।
- औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग

स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

- यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा कराया जाता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस योजना में 1200 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. 06.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। 1200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

(13) एकल मेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

- प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुकर (फैसिलीटेट) कराने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था प्रभाव में है।
- इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए शासनादेश दिनांक 20-05-2013 के माध्यम से राज्य, मण्डल व जिला उद्योग बन्धु समितियों का पुनर्गठन करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु एवं जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
- एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश-मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाईट niveshmitra.up.nic.in पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से सबंधित एन.ओ.सी. आदि प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु में कुल 272918 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 262560 आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया गया।

(14) एम.एम.सी.-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों एवं औद्योगिक आस्थानों का अवसंरचनागत विकास

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के उद्यमियों कारीगरों, हस्तशिल्पियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी इकाइयाँ उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता का उच्चीकरण हेतु भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 14.03.2006 के द्वारा किया गया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ किया।
- **सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना** - सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता की मंशा पर आधारित इस योजना में उद्योगों के उत्पाद, तकनीकी के उच्चीकरण, कच्चा माल बैंक, प्रशिक्षण एवं उत्पाद प्रदर्शन हेतु स्थापित सी.एफ.सी. की परियोजना लागत अधिकतम रु. 2000 लाख हो सकती है। परियोजना लागत में भारत सरकार का

अंशदान 70 प्रतिशत, शेष अंशदान राज्य सरकार एवं स्पेशल पर्पज-व्हीकल (एस.पी.वी.) का होता है (यदि क्लस्टर पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्य या 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म/ग्रामीण/महिलाओं/अनुसूचित जाति/जनजाति की इकाइयां हों तो भारत सरकार का अनुदान 90 प्रतिशत होगा।) परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त उसका संचालन एम.पी.वी. द्वारा किया जाता है।

- योजना आरम्भ किये जाने हेतु एस.पी.वी. को सी.एफ.सी. की स्थापना हेतु भारत सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार योजना का प्रस्ताव एम.एस.एम.ई. पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें अपलोड कर प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति की स्वीकृति उपरान्त डी.पी.आर. भारत सरकार को अन्तिम स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। भारत सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति उपरान्त एस.पी.वी. राज्य एवं केन्द्र का अंशदान निर्गत करते हुये परियोजना को मूर्त रूप दिया जाता है।

औद्योगिक आस्थानों के अवसंरचना विकास का विवरण

औद्योगिक आस्थानों अवसंरचना विकास- (आई.जी. क्लस्टर) के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित औद्योगिक आस्थानों के उच्चीकरण की परियोजना जो अधिकतम 1000 लाख की हो सकती है। इस योजना में भारत सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत होता है (क्लस्टर पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्य या 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म/ग्रामीण/महिलाओं/अनुसूचित जाति/जनजाति की इकाइयां हों तो भारत सरकार का अनुदान 80 प्रतिशत होगा)।

अवसंरचना विकास अन्तर्गत फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हेतु परियोजनाएँ- इस योजना का उद्देश्य फ्लेटेड फैक्ट्री स्थापित कर औद्योगिक वातावरण सृजित किया जाता है जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बल मिल सके। इस योजनान्तर्गत एल.डब्लू.ई. प्रभावित जिलों/महत्त्वकांक्षी जिलों, 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म इकाइयों/महिला एस.सी. एवं एस.टी. स्वामित्व वाली इकाइयाँ होने पर इस परियोजना में केन्द्र सरकार द्वारा 80 प्रतिशत (अधिकतम 15 करोड़) रु. तक का अनुदान दिया जाता है। शेष अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर में चिन्हाकन कर फ्लेटेड फैक्ट्री स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, उ.प्र. द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ/नीतियाँ

- प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2022 को नवीन एमएसएमई नीति-2022 घोषित की गयी है। नई नीति में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योग स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने पर पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा सम्पूर्ण प्रदेश की महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान की जायेगी। इस नीति के अन्तर्गत एमएसएमई इकाइयों को प्रथम बार रुपया 4 करोड़ तक पूंजी उपादान

उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जायेगा जिससे प्रदेश में पूँजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा।

- प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है। एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गयी है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेन्स/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है जिससे उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है।
- औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कारपोरेट लुक दिये जाने हेतु प्रतिवर्ष पांच-पांच जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना लागू की गयी है।
- प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु दिनांक 30.06.2022 को मिशन रोजगार के तहत रोजगार, संगम लोन मेला समारोह का आयोजन करते हुए बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 05 जनपदों में सामान्य सुविधा केन्द्र का ऑनलाइन उद्घाटन हुआ।
- प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों के विलम्बित भुगतान की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर गठित फैसिलिटेशन काउंसिल की व्यवस्था का मंडल स्तर पर विकेन्द्रीयकरण किया गया है, जिससे उद्यमियों की समस्या का निराकरण शीघ्र हो सके।
- विभाग की रोजगारपरक योजना यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक करा दिया गया है जिससे आवेदन-कर्ताओं को आवेदन करने में और अधिक सुविधा प्राप्त हो गयी है। उक्त के साथ ही पोर्टल के माध्यम से योजनाओं का अनुश्रवण भी अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाएगा।
- प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रान्ड-प्रमोशन हेतु विश्व व्यापार संगठन के प्राविधानों के अनुसार जियोग्राफिकल इन्डीकेटर के अन्तर्गत उत्पादों को चिन्हित कर उन्हें पी.जी.आई. पंजीकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

●

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया किया गया है। कालांतार में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके प्रबन्धन में व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से सचिवालय से पृथक ब्यूरो को एक तकनीकी शाखा के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निदेशालय का स्तर प्रदान किया गया।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभागों के लिये तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो /विभाग द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा उपक्रमों /निगमों के कार्य निष्पादन का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए ब्यूरो द्वारा उपक्रम विशेष के कार्यकलापों के अनुरूप रूपपत्रों का निर्धारण किया गया है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उपक्रमों /निगमों द्वारा प्रेषित वित्तीय परिणामों के आधार पर फ्लेश रिर्पोट तैयार करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग से सम्बन्धित कार्य, निगमों/उपक्रमों के अवशेष लेखों के अनुश्रवण इत्यादि का कार्य किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित अधिकृत समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिए गये।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
3. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यरत 40 उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन कर प्राप्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण इसके आधार पर संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।

6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया गया।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति द्वारा आयोजित बैठकों में समिति को सहयोग प्रदान किया गया।

●

भूतत्व एवं खनिकर्म

प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यावसायिक स्तर के खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध व अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1963 में इस निदेशालय को खनिजों एवं उप खनिजों के विकास व दोहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु खनन प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 1984 में निदेशालय को अभियांत्रिकी भू-विज्ञान से सम्बंधित अध्ययन तथा सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया, जिससे कि क्षेत्रीय विकास में त्वरित गति से हो रहे निर्माण कार्यों के होने के फलस्वरूप पर्यावरण को होने वाली सम्भावित क्षति के कारणों का अध्ययन करके उसे न्यूनतम स्तर तक बनाया रखा जा सके। प्रदेश में खनिज सम्पदा का विकास व खनिज अनुसंधान के अन्तर्गत प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज सम्पदा की खोज भूविज्ञान, भूभौतिकी रसायन एवं वेधन विधाओं के एकीकृत प्रयास से किया जाता है। खनिज सेक्टर में खनिज विकास के बढ़ते कार्यकलापों को उचित मार्गदर्शन करने हेतु वर्ष 1985 में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। वर्ष 1998 में पहली बार खनिजों के संतुलित विकास एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज नीति घोषित की गयी और उसका समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएं निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक उद्यमियों को आवश्यकतानुसार खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु निदेशालय/शासन स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। निदेशालय की अन्वेषण विधा द्वारा विगत वर्षों में संचालित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनपद सोनभद्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन लगभग 70 मिलियन टन, डोलोमाईट 21 मि०टन, चाइना क्ले 13.5 मि०टन, सिलिमिनाइट 9.8 मि०टन, स्वर्ण अयस्क, 2.154 मि०टन, जनपद प्रयागराज में 15.00 मि०टन सिलिका सैंण्ड के भण्डारों की खोज की गयी है, जिसका उपयोग ग्लास उद्योग में किया जा रहा है। जनपद ललितपुर एवं झांसी के पाइरोफिलाइट- डायस्पोर 0.50 मि०टन, लौह-अयस्क 100 मि०टन, एस्बेस्टस 0.3 मि०टन, सैण्डस्टोन के 608 एकड़ क्षेत्र, ग्रेनाइट 4849.19 लाख घ०मी० (डायमेन्शनल स्टोन) की खोज की गयी एवं जनपद झांसी में 45 मि०टन क्वार्ट्ज के भण्डारों की खोज की गयी है। प्रदेश में सीमेन्ट श्रेणी के चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन/ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन) एवं सिलिका सैण्ड के भण्डारों का व्यवसायिक स्तर पर दोहन किया जा रहा है जिससे प्रदेश में उद्यमिता व रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। जनपद सोनभद्र में कोयले के भण्डारों का दोहन भारत सरकार के संसाधनों द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

(क) खनिज अन्वेषण

प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज एवं उपयुक्त खनिज भण्डारों का सिद्धीकरण किया जाता है।

(ख) खनन प्रशासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ.प्र. द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की खोज एवं खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु शोध/अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत यह विभाग प्रदेश के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 ज़नपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-1957, खनिज परिहार नियमावली 1960, उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-2021 एवं उ०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 आदि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ख़निजों के वैज्ञानिक ढंग से दोहन किये जाने के लिये परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता, उपयुक्तता पर टिप्पणी सहित तकनीकी संस्तुतियां जिलाधिकारी/शासन को उपलब्ध करायी जाती हैं। खनिज परिहार पर स्वीकृत क्षेत्रों में हो रहे खनन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर खानों को विनियमित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है, ताकि खनिज क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं खनिजों के खनन से प्रदेश को अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। वर्तमान में 09 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 31 क्वेरी कार्यालयों के माध्यम से खनिज क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत कराये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य 44 जनपदों में भी निदेशालय के प्राविधिक कर्मचारियों को तैनात कर जिलाधिकारियों को खनन परिहार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन/प्राविधिक आख्या/संस्तुति प्रदान की जाती है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। खनिज राजस्व के मद में गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु. 3,120.97 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में रु. 2,664.59 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सघन प्रवर्तन के फलस्वरूप रु. 124.38 करोड़ की प्राप्ति हुयी है।

प्रदेश में खनन उद्योग में लगे खनन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने, खनन उद्योग में अधिक से अधिक रोजगार सृजन, खनिज की उपलब्धता बनाये रखने तथा अन्य उपभोक्ताओं को सस्ते एवं सुलभ रूप में उपखनिज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नवत् प्रयास किये गये हैं :-

- खनन पट्टा क्षेत्रों से उपखनिजों के परिवहन हेतु मुद्रित परिवहन प्रपत्र के स्थान पर दिनांक 01.08.2017 से ई-एम०एम०-11 तथा दिनांक 01.07.2020 से भण्डारण स्थल से

परिवहन हेतु ई-फार्म-सी की व्यवस्था की गयी है।

- प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों पर विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विनियमन शुल्क जमा करा कर अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (आई०एस०टी०पी०) जनित किये जाने का प्राविधान माह, फरवरी, 2020 से किया गया है। जिसके फलस्वरूप इस मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु० 180.69 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 200.24 करोड़ जमा कराया गया है।
- बालू/मोरम एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिजों के खनन पट्टाधारकों को ऑनलाइन माध्यम से देय मासिक किश्तों के अग्रिम भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- खनिज से सम्बन्धित सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए माह जुलाई, 2020 में इन्टीग्रेटेड यूनिफाइड सिंगल इण्टरफेस ''यू.पी. माइन मित्रा'' ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे यू०पी० में निवेश मित्रा से भी जोड़ा गया है। उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन क्रमशः निजी भूमि, कृषि भूमि, भवन एवं विकास परियोजना, भण्डारण लाइसेंस, साधारण मिट्टी की अनुमति प्रारम्भ की गयी है। ऑनलाइन आवेदित भूमि के सत्यापन हेतु राजस्व विभाग के भूलेख को ए.पी.आई.के. माध्यम से विभागीय पोर्टल से जोड़ा गया है।
- खनिज वाहनों के ऑनलाइन जांच हेतु 16 स्थानों क्रमशः जनपद जालौन, फतेहपुर, बागपत, इटावा, बाँदा, महोबा एवं सहारनपुर आदि में कैमरे एवं आर.एफ.आई.डी. रीडर युक्त चेक गेट्स विकसित किया गया है, जिनसे प्राप्त डाटा के आधार पर खनिजों का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की सुगमता हेतु ऑनलाइन ई-नोटिस,/चालान तथा ई-पेमेण्ट का मोड्यूल एन.आई.सी. द्वारा विकसित की गयी है, जिसे परिवहन मंत्रालय भारत सरकार से वाहन/वाहन स्वामी का विवरण ए.पी.आई. के माध्यम से पोर्टल से जोड़कर ऑनलाइन नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही प्रचलित की जा रही है।
- अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्ट्रीग्रेटेड माईनिंग सर्विलांस सिस्टम (आई. एम.एस.एस.) विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत खनन क्षेत्रों की जियोफेंसिंग, कार्यरत बालू मोरम की खदानों पर पी.टी. जेड कैमरा, खनन क्षेत्र से निकासी स्थल पर खनिजों के वाहनों के तौल हेतु कैमरे युक्त वे- ब्रिज स्थापित करते हुए इसे निदेशालय स्थित कमाण्ड सेण्टर से इन्ट्रीग्रेटेड किया गया है।
- परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जाँच के लिए विभाग द्वारा मोबाईल ऐप ''एम-चेक'' विकसित किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों को ''एम-चेक'' युक्त आर.एफ.आई.डी. हैण्ड हेल्ड रीडर दिये गये हैं, जिससे विभागीय अधिकारी सुगमता से खनिज वाहनों की वैधानिकता की जाँच कर सकेंगे।
- डी०एम०एफ० रूल्स में संशोधन कर डी०एम०एफ० से अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक के मद में व्यय किये जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को प्रदान किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत कई जनपदों में ऑटोमेटेड चेकगेट कैमरे एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। डी.एम.एफ. मद से प्रदेश में 56 स्थानों पर सचल जांच दल का गठन की कार्यवाही की गयी है।

- कार्यदायी संस्थाओं में आपूर्तित उपखनिजों के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत उ०प्र० के परिवहन प्रपत्र, अन्य प्रदेश के परिवहन प्रपत्र व अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (आई.एस.टी.पी.) का कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वयं ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था विभागीय पोर्टल यूपीएम आईएनईएस.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर की गयी है।
- भूमिधरी में उपलब्ध उपखनिज का अनुज्ञा पत्र स्वामित्व की दो गुनी धनराशि के आधार पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिये भूस्वामी के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं क्षेत्र का विकास होगा। इसके अतिरिक्त उपखनिजों की आपूर्ति बढ़ेगी तथा राजस्व की वृद्धि होगी।
- ईंठ-भट्ठों से रायल्टी के रूप में वार्षिक समाधान शुल्क के स्थान पर विनियमन शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप ईंट मिट्टी का खनन पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र से छूट की श्रेणी में आ गये हैं, जिससे ईंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ईंट भट्ठों से विनियमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था विभागीय पोर्टल यूपीएम. आईएनईएस.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर की गयी है।
- उपखनिजों के ऑनलाइन बिक्री हेतु यूपी मिनिरल मार्ट, ई-कामर्स प्लेटफार्म फार बायर एण्ड सेलर (लेसी/स्टाकिस्ट) पोर्टल विकसित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु. 4500.00 करोड़ निर्धारित थी, जिसके सापेक्ष रु० 2664.59 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य का 59.21 प्रतिशत है।
- विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 21641 छापे मारे गये जिसमें रु० 77.55 करोड़ राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराया गया तथा 536 एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ 3874 परिवाद सक्षम न्यायालय में योजित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक कुल 25837 छापे मारे गये जिसमें रु० 124.38 करोड़ राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराया गया तथा 357 एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ 1869 परिवाद सक्षम न्यायालय में योजित किये गये हैं।

राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किये गये प्रयास :-

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रों के संशोधन/संयोजन सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु दिनांक 01.06.2020 द्वारा तकनीकी समिति का गठन किया गया है ताकि अधिकाधिक खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जा सके।
- शासनादेश दिनांक 23.05.2020 द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के निष्क्रिय खनन पट्टों को निरस्त कर तथा पूर्व में निरस्त किये गये खनन पट्टों से उत्पन्न रिक्त क्षेत्रों को उपखनिज की उपलब्धता के दृष्टिगत ई निविदा के माध्यम से अल्पकालीन व्यवस्था अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये।
- जनपद में डी.एस.आर. उपलब्ध उपखनिज के क्षेत्रों को दीर्घकालीन अथवा अल्प कालीन व्यवस्था के अन्तर्गत खनन परिवार पर व्यवस्थित करने हेतु निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत खनिज परिहार पर व्यवस्थित करने हेतु विज्ञप्ति कराये जाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

- नदी तल स्थित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टों पर देय धनराशि जो कि अग्रिम रूप से त्रैमासिक किश्त के रूप में लिये जाने के प्राविधान के कारण अधिकांशतः पट्टाधारकों द्वारा एकमुश्त बड़ी धनराशि को समय से जमा करने में असमर्थता के फलस्वरूप शासकीय देय काफी बढ़ रहा था। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 01.06.2020 से मासिक किश्त का ऑनलाइन भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया, जिससे पट्टाधारकों द्वारा ससमय किश्तों के भुगतान में वृद्धि हुई है।
- प्रदेश में इमारती पत्थर के स्वीकृत खनन पट्टों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण एकमुश्त अधिक धनराशि के कारण पट्टाधारकों द्वारा खनन पट्टा विलेख के निष्पादन में रुचि नहीं ली जा रही थी, जिसके दृष्टिगत प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि को समाप्त कर समय-समय पर संशोधित रायल्टी की धनराशि जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इससे खनन पट्टा विलेख के निष्पादन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं राजस्व में भी वृद्धि सम्भावित है।
- शासन की पारदर्शी नीति एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत खनिज से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं, जिसमें आवेदन पत्र से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया सम्मिलित है, को ऑनलाइन किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० द्वारा ''यूपीमाइनमित्रा'' ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पत्र दिनांक 17.07.2020 एवं पत्र दिनांक 27.07.2020 द्वारा विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
- ईंट-भट्ठों का विवरण पोर्टल पर फीड करते हुए फरवरी, 2021 से विनियमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है जिससे ईंट-भट्ठे की शत्-प्रतिशत धनराशि जमा हो सके।
- शासनादेश दिनांक 13.04.2022 द्वारा अवैध/परिवहन को रोकने हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पूर्व से गठित 07 सदस्यीय टास्क फोर्स को आपस में समन्वय स्थापित कर प्रवर्तन सम्बन्धी प्रभावी कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार की यह नीति है कि खनन उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक क्षेत्रों को खनन परिहार पर स्वीकृत किया जाय जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उप खनिज प्राप्त हो। प्रदेश में सुगमता से उपखनिज की उपलब्धता होने से सार्वजनिक निर्माण कार्यों/भवन इत्यादि के निर्माण कम लागत पर सम्भव हो सकेंगे। अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स/कार्यबल को सक्रिय एवं उत्तरदायी बनाया गया है। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हेतु सुगमता से सुलभ दरों पर उप खनिजों की उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित किया जा रहा है।

कार्यक्रम/कार्यकलापवार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लक्ष्य व उपलब्धि तथा प्राविधानित परिव्यय व व्यय का विवरण :-

(क) खनिज अन्वेषण

निदेशालय द्वारा विगत वर्षों में बहुमूल्य खनिजों जैसे स्वर्ण, प्लेटिनम समूह की धातुओं लौह अयस्क, जनपद प्रयागराज के शंकरगढ़ एवं चित्रकूट के बड़गढ़ क्षेत्र में सिलिका सैण्ड के भण्डार,

जनपद झांसी, ललितपुर व महोबा में डायमेन्शनल ग्रेनाइट व सैण्डस्टोन के क्षेत्रों की खोज हेतु, जनपद सोनभद्र की सोन नदी के पठारी क्षेत्रों एवं जनपद महोबा के कबरई क्षेत्र में खनन से परिस्थिति की एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित अन्वेषण कार्य संचालित किये गये थे। प्लेटिनम समूह की धातुओं से सम्बन्धित अन्वेषण कार्य की आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है, जिसमें 8.36 मिलियन टन प्लेटिनम अयस्क में प्लेटिनम की औसत मात्रा 0.41 पी०पी०एम० आगणित की गयी है। जनपद सोनभद्र के हरदी क्षेत्र जनपद ललितपुर के बेरवार क्षेत्र, स्वर्ण धातु की खोज हेतु अन्वेषण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। जनपद सोनभद्र में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिजों के अन्तर्गत खोजे गये स्वर्ण धातु के 03 ब्लाक, सिलिमिनाइट का 01 ब्लाक, लौह अयस्क का 01 ब्लाक, ग्लूकोनाइट (पोटाश खनिज) के 02 ब्लाक एवं एण्डालुसाइट के 05 ब्लाकों को कम्पोजिट लाइसेन्स (सी०एल०) आक्शन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार जनपद ललिपुर में उपलब्ध स्वर्ण एवं लौह अयस्क का 01 ब्लाक प्लेटिनम समूह की धातुओं का 01 ब्लाक को कम्पोजिट लाइसेन्स पर आक्शन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर में उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले रॉक फास्फेट के प्रचुर भण्डार उपलब्ध हैं, जिनको 03 ब्लाक में बांटकर 02 ब्लाक को कम्पोजिट लाइसेन्स (सी०एल०) पर आक्शन तथा 01 ब्लाक जिसका पुनर्मूल्यांकन मिनिरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरंशन लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०) के द्वारा किया गया है का माइनिंग लाइसेन्स (एम०एल०) पर आक्शन की कार्यवाही की जा रही है, जिससे भविष्य में राजस्व वृद्धि एवं रोजगार सृजित होने की सम्भावना है। खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों का संचालन चरणबद्ध ढंग से किया जाता है एवं आर्थिक रूप से अनुपयुक्त पाये गये अन्वेषण कार्यक्रमों के तकनीकी समीक्षा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद् की बैठक में तकनीकी चर्चा के उपरान्त बन्द/स्थगित कर दिया जाता है।

(ख) खनन प्रशासन

खनन प्रशासन कार्यों के अन्तर्गत मुख्यतः प्राविधिक दृष्टि से खनन क्षेत्रों का गठन, उनका नियमन, खनिजों से राजस्व प्राप्ति, उप खनिज सर्वेक्षण, खनन योजनाओं का अनुमोदन, संबंधित कार्यों के अतिरिक्त खनन क्षेत्रों तथा जनपद कार्यालयों का निरीक्षण, खनिज राजस्व का अनुश्रवण एवं विभिन्न मा. न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण भी सम्मिलित है, आदि कार्य किये जाते हैं।

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित कार्यक्रमः-

(क) खनिज अन्वेषण

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 पुराना एवं एक नया कुल 05 अन्वेषण कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिन्हें राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त वर्ष 2022-23 में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

1. जनपद ललितपुर के सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र में लौह धातु खनिजीकरण हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
2. जनपद ललितपुर में पिपरिया क्षेत्र के ग्रेनेटिक काम्प्लेक्स में प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।
3. जनपद प्रयागराज एवं चित्रकूट में उपलब्ध सिलिका सैण्ड के नये क्षेत्रों के प्रारम्भिक अन्वेषण

कार्य।

4. जनपद महोबा, ललितपुर एवं झांसी में क्वार्ट्ज रीफ के भण्डारों का पुनर्मूल्यांकन कर आक्शनेबल ब्लाक बनाया जाना।
5. जनपद ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र में ग्लूकोनाइट (पोटाश) का प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम (जी-4)।

आगामी लक्ष्य :-

उक्त खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में खनिजों के विकास के साथ ही खनिज आधारित औद्योगीकरण पर बल देने तथा बहुमूल्य खनिजों की सम्भावना वाले स्रोतों की खोज हेतु सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्लेटिनम, पैलेडियम, लौह धातु, क्वार्ट्जरीफ एवं सिलिका सैण्ड की खोज हेतु प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कार्य प्रस्तावित है। भूवैज्ञानिक/भू-भौतिकीय अन्वेषण कार्यक्रमों के अतिरिक्त खनिज आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी सम्मिलित है।

(ख) खनन प्रशासन

आगामी लक्ष्य :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु० 4500.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष रु० 2664.59 की राजस्व प्राप्त हुयी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 59.21 प्रतिशत है। प्रदेश में उपलब्ध उपखनिजों के अधिक से अधिक परिहार स्वीकृत किये जाने के दृष्टिगत बालू/मौरम एवं इमारती पत्थर के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञापित कर खनन पट्टे आवंटन की कार्यवाही की प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 4860.00 करोड़ राजस्व का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित है।

ई-गवर्नेन्स

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश का एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभाग है। विभाग द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिजों के अन्वेषण के साथ ही मुख्य एवं उप खनिजों का पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हुए सतत खनन कर खनिजों की रॉयल्टी से राजस्व अर्जित करने का कार्य किया जाता है।

खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपी खनिज सम्पदा की खोज, भूविज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन व वेधन विधाओं के एकीकृत प्रयास से की जाती है। विभाग द्वारा प्रदेश में खोजे गये खनिजों के खनन एवं उनके नियंत्रण का कार्य खनन प्रशासन के अन्तर्गत आता है। खनिज अन्वेषण तथा खनन प्रशासन हेतु आंकड़ों को यथा शीघ्र प्राप्त करने व उनके विश्लेषण तथा खनिज परिहारों व उन पर लिये गये निर्णयों के ऑनलाइन सम्प्रेषण/प्रबन्धन की आवश्यकता के अनुसार ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत डब्लूडब्लूडब्लू.यूपी माइनमित्रा.इन पोर्टल के माध्यम से निजी भूमि, कृषि भूमि, भण्डारण अनुज्ञप्ति, भवन विकास परियोजना से सम्बन्धित आवेदनों को ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश में खनिज विकास के कार्यक्रमों को और प्रभावी गति से कार्यान्वित किया जा रहा है, तथा उद्यमियों को आवश्यतानुसार वांछित तकनीकी सेवाएं/सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत, एन०आई०सी० द्वारा तैयार किये गये मानव संपदा पोर्टल

(ई-एचआरएमएच) पर निदेशालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। जनसामान्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये, विभागीय वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू. डीजीएमयूपी.जीओवी.इन विकसित कर स्टेट डाटा सेंटर पर अपलोड करायी जा चुकी है। जनसामान्य को वेबसाइट के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित सूचनाएँ यथा खनन सम्बन्धी अधिसूचनाएँ शासनादेश, नीतियाँ, प्रदेश में उपलब्ध अन्य खनिजों की जानकारी आदि उपलब्ध है। वेबसाइट के माध्यम से जनसामान्य द्वारा प्रदेश में स्वीकृत खनन क्षेत्रों की सम्पूर्ण जानकारी यथा पट्टेदार का नाम, मोबाईल नम्बर, खनिज का विक्रय मूल्य की सूचना प्राप्त की जा सकती है। मानसून सत्र में उपखनिज बालू/मोरम का खनन प्रतिबंधित रहता है, किन्तु उक्त अवधि में भण्डारण के माध्यम से उपखनिजों की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में जनसामान्य को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सभी भण्डारण स्थलों तथा खनिज के विक्रय मूल्य की जानकारी प्रदान करायी जा रही है।

निदेशालय में स्थापित यूनिफाइड रेवेन्यू कमाण्ड सेंटर द्वारा आर०एफ०आई०डी० सेंसर युक्त चेकगेट्स, वे-ब्रिज व माइन टैंग के माध्यम से खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की सतत निगरानी की जा रही है जिससे अवैध खनन/अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जा रहा है।

प्रदेश के बालू, मोरम, आर.बी.एम. तथा खण्डा बोल्डर गिट्टी के रिक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन किये जाने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत अल्प अवधि के क्षेत्रों के व्यवस्थापन करने के लिए उत्तर प्रदेश के डब्लूडब्लूडब्लू.यूपी.एनआईसी.इन पोर्टल तथा दीर्घ अवधि हेतु क्षेत्रों के व्यवस्थापन के लिये ई-टेण्डर सह ई-नीलीमी प्रक्रिया हेतु भारत सरकार के उपक्रम के पोर्टल एम०एस०टी०सी० की सेवाएँ ली जा रही हैं। खनिजों के परिवहन हेतु एन.आई.सी. द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से परिवहन प्रपत्र ई-एन.एम.11, ई-फार्म सी. अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र ईंट भट्ठों को देय विनियमन शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराने हेतु मॉड्यूल विकसित किया गया है।

भारत सरकार के विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा खोजे गये मुख्य खनिज के भण्डारों को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु मेसर्स एस.बी.आई. कैपिटल को ट ान्जेक ान एडवाइजर एवं मेसर्स एम.एस.टी.सी. की ऑक ान प्लेटफार्म की सेवाएँ प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा दो वर्षों के लिए नामित किया गया है। मुख्य खनिजों के ऑक्शन सम्बन्धित समस्त कार्य एम.एस.टी.सी. के पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है तथा जनमानस में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही अन्य इलेक्ट्रानिक्स एवं सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की विभागीय वेबसाइट (डब्लूडब्लूडब्लू.डीजीएमयूपी.जीाओवी.इन) पर जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत समस्त विभागों हेतु अधिसूचित सेवायें एवं विभाग द्वारा अधिसूचित सेवाओं को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है एवं सूचना अधिकार अधिनियम-2005 आदि से सम्बन्धित सूचनाएं विभागीय पोर्टल के माध्यम से जनमानस के अवलोकनार्थ अपलोड किया गया है तथा कृषि भूमि, भण्डारण अनुज्ञप्ति, भवन विकास परियोजनाओं के आवेदनों को सी०एम० डैशबोर्ड दर्पण से जोड़ा गया है।

●

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में कपड़े की वैश्विक एवं घरेलू बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा एवं उत्पादन क्षेत्र के तकनीकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे इस उद्योग में कार्यरत वस्त्र इकाइयों एवं बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित/प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण योजनायें निम्नवत हैं:-

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

● राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है यह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की योजना है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न उप-घटक सम्मिलित हैं:

(i) क्लस्टर विकास कार्यकम

इस उप-घटक में ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित कर क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 04 क्लस्टर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टर प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे- कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, चन्दौली, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, गाजीपुर, ललितपुर, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, मऊ, झाँसी और अमरोहा में संचालित हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा योजना की गाइड लाइन्स में परिवर्तन कर नये कलस्टर के प्रस्ताव मांगे गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 32 क्लस्टरों के प्रस्ताव प्रेषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ii) विपणन प्रोत्साहन

विपणन प्रोत्साहन उप-घटक के लाभ के लिये प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, शीर्ष बुनकर सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय हथकरघा संगठन आदि को विगत तीन वर्षों के औसत बिक्री कारोबार का 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देय होगा। इसमें भारत सरकार का अंश 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंश 50 प्रतिशत का होगा।

(iii) हथकरघा विपणन सहायता (मार्केटिंग प्रमोशन)

हथकरघा विपणन सहायता योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत हथकरघा समितियों/संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिकी हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले, प्रदर्शनी लगाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

- **रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना**

भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य हथकरघा सेक्टर को बैंकों से रियायती ब्याज दर पर ऋण समय से उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर, हथकरघा उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों सहित हथकरघा संगठन तथा हथकरघा उत्पादक कम्पनियाँ ऋण प्राप्त कर सकती हैं। योजनान्तर्गत अधिकतम 7 प्रतिशत ब्याज उत्पादन के साथ 6 प्रतिशत ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मार्जिन मनी ऋण धनराशि का 20 प्रतिशत, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को अधिकतम रु० 25,000 तक एवं हथकरघा संगठनों को अधिकतम रु० 20 लाख तक (प्रति 100 बुनकरों को रु० 2 लाख की दर से) देय हैं। योजनान्तर्गत लाभार्थी को स्वीकृत ऋण का गारंटी कवर एन०सी०जी०टी०सी०/सी०जी०टी०एम०एस०ई० द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। ब्याज उपादान एवं क्रेडिट गारंटी प्रथम ऋण संवितरण की तिथि से 3 वर्षों तक प्रदान किया जायेगा। योजनान्तर्गत बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ऋणी बुनकर को रूपे कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

- **बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना**

बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। योजना के घटक निम्नवत् हैं :-

1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

योजनान्तर्गत हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक निशक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु० 330.00 है। जिसमें भारत सरकार का अंश रु० 150.00 तथा राज्य सरकार/लाभार्थी का अंश रु० 180.00 सम्मिलित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में हथकरघा बुनकरों का बीमा करने हेतु 1900 का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष 1284 बुनकरों को बीमा करने हेतु चयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत 4000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

योजनान्तर्गत हथकरघा बुनकरों को दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक

निशक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु० 12.00 है। जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में हथकरघा बुनकरों का बीमा करने हेतु 1900 का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष 1284 बुनकरों को बीमा करने हेतु चयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में योजनान्तर्गत 4000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. परिवर्तित महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

योजनान्तर्गत हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक निशक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु० 470.00 है। जिसमें भारत सरकार का अंश रु० 290.00 तथा राज्य सरकार/लाभार्थी का अंश रु० 180.00 सम्मिलित है। योजनान्तर्गत भारत सरकार से 100 बुनकरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत 2000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना**

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के लिये नगद पुरस्कार के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है। परिक्षेत्रीय स्तर पर कुल 39 पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के 13 बुनकरों को रु० 20,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु० 15,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु० 10,000.00 प्रति बुनकर तथा राज्य स्तर पर चयनित कुल 12 बुनकरों को प्रथम श्रेणी के 4 बुनकरों को रु० 1,00,000.00 प्रति बुनकर द्वितीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु० 50,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु० 25,000.00 प्रति बुनकरों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में **संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत रु० 19.85 लाख (रुपया उन्नीस लाख पच्चासी हजार मात्र)** का बजट प्राविधान किया गया है।

- **हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता**

योजनान्तर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में अध्ययनरत त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को 50:50 के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि देय होती है। जिसमें राज्यांश के रूप में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए रु० 500.00 प्रति छात्र, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए रु० 550.00 प्रति छात्र एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु० 600.00 प्रति छात्र की दर से 10 माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती थी। विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार के पत्र संख्या- 22/5/2021-DCHL/Estt. के द्वारा शैक्षिक वर्ष

2021-2022 से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु० 1250.00 प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि कर दी गई है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिये उ०प्र० के छात्रों के लिये 45 सीटों के स्थान पर 49 कर दी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु रु० 15.00 लाख (रु० पन्द्रह लाख रुपये मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

- **पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति**

वर्ष 2006 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसमें शहरी क्षेत्र के बुनकरों द्वारा रु० 130.00 रु० प्रति लूम एवं ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों द्वारा रु० 37.50 प्रति लूम दिया जा रहा था। वर्तमान में विद्युत दुरुपयोग की शिकायत मिलने एवं बुनकरों की मांग के अनुरूप नई योजना प्रस्तावित है, योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु० 25000.00 लाख (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) के बजट की स्वीकृत प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रु० 25000.00 लाख (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ को हस्तगत करायी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु० 25000.00 लाख (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

- **हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति**

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत बुनकरों को रु० 328/- प्रतिमाह एवं रु० 3936/- वार्षिक की दर से विद्युत बिलों में छूट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु० 500.00 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष 10868 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित कराने हेतु धनराशि रु० 427.77 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12703 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित कराने हेतु रु० 4,99,99,008.00 (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार आठ मात्र) के बजट की आवश्यकता होगी। अतः वित्तीय वर्ष 2022-223 में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत **रु० 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र)** के बजट का प्राविधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना**

हथकरघा बुनकर भारतीय समाज की परम्परागत कला एवं संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा बुनकरों का पलायन रोकने, कला एवं संस्कृति को संरक्षित रखने एवं इस कला के विलुप्त होने से बचाने हेतु यह आवश्यक है कि

हथकरघा बुनकरों को राज्य सरकार से विशेष सुविधा प्रदान कर उनके पलायन को रोका जाये, ताकि वे हथकरघा व्यवसाय में लगे रहकर अपना जीवनोपार्जन कर सकें। हथकरघा बुनकरों की दयनीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उन्हें सम्मान देने हेतु ऐसे हथकरघा बुनकर ही पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, किन्तु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अर्थात् चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस सम्मान हेतु वे अधिकृत होंगे। योजनान्तर्गत रु० 500.00 प्रति बुनकर प्रतिमाह देय है। योजना की गाइडलाइन्स अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। योजना की गाइडलाइन्स अनुमोदन की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री हथकरधा बुनकर सम्मान योजनान्तर्गत धनराशि **रु० 0.01 लाख (रु० एक हजार मात्र)** का टोकन बजट का प्राविधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना (प्रस्तावित)**

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु संचालित की गई है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों को निम्नलिखित मदों में लाभान्वित कराया जायेगा। 1. आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, 2. कार्यशाला का निर्माण, 3. उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना जिसमें 60 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत बुनकर अंश एवं 20 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है तथा इन सीटू अपग्रेडेशन स्कीम फॉर प्लेन पावरलूम योजना में सामान्य श्रेणी के बुनकरों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों के लिये 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश दिया जाना प्रस्तावित है। योजना की गाइडलाइन्स का अनुमोदन शासन से अपेक्षित है। योजना की गाइडलाइन्स के अनुमोदन की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2022-23 रु० 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) का बजट का प्राविधान किया गया है।

- **धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति**

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से पावरलूम बुनकरों की भांति प्रदेश के धुनकरों को विद्युत दर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना की नई गाइड लाइन्स के अनुसार कोई भी लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहा है। योजना की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव पास होने की प्रत्याशा में द्वित्तीय वर्ष 2022-23 में धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु० 0.01 लाख (रु० एक हजार मात्र) के टोकन बजट का प्रावधान किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना**

योजनान्र्तगत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा- कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 1 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों पर यह

उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु० 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत रु० 500.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 16 वस्त्र इकाइयों को लाभान्वित कराने हेतु रु 131.11 लाख का व्यय किया गया। गत वर्षों में लाभान्वित ज्यादातर वस्त्र इकाइयों द्वारा लिये गये ऋण की अवधि समाप्त हो जाने के कारण आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति -2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत रु० 1.25 लाख (रु० एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम रेशम एवं वस्त्र नीति-2017**

प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से राज्य सरकर द्वारा ''उ०प्र० हैण्डलूम, पावर सिल्क, वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017'' बनायी गयी है। नीति अन्तर्गत प्रदेश की वस्त्र इकाइयों को लाभान्वित किये जाने हेतु परिक्षेत्रों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकरण करने वाले वस्त्र उद्यमियों को वित्तीय सुविधाओं एवं उपादान योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

(क) उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन

1- भूमि की खरीद पर अनुदान - सरकारी संस्था से भूमि की खरीद पर गौतमबुद्ध नगर में 30 प्रतिशत तथा शेष प्रदेश में 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है। जो प्रोजेक्ट कास्ट के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

2- स्टाम्प ड्यूटी में छूट- 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार।

3- पूँजीगत उपादान - प्लान्ट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश का 25 प्रतिशत, (2 करोड़ से 100 करोड़ तक)

4- ब्याज उपादान-

(अ) 7 प्रतिशत 7 वर्ष तक टफ्स पात्र प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीद पर 1.5 करोड़ की सीमा तक।

(ब) 5 प्रतिशत 7 वर्ष तक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 1 करोड़ की सीमा तक।

5- राज्य जी०एस०टी पर छूट - 60 से 90 प्रतिशत तक प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार।

6- इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी में छूट - 100 प्रतिशत 10 वर्ष तक देय।

7- ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति - 50 से 60 प्रतिशत इकाई में श्रमिकों की संख्या के आधार पर।

8- अन्य सुविधायें-

(अ) माल भाड़ा प्रतिपूर्ति 25 से 75 वर्ष के अनुसार।

(ब) मण्डी शुल्क में छूट 5 वर्ष तक।

(स) प्लग एण्ड प्ले सुविधा

(ख) टैक्सटाइल पार्क एवं औद्योगिक आस्थानों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

1-ब्याज उपादान-

(अ) भूमि की खरीद पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1 करोड़ की सीमा तक।

(ब) अवस्थापना विकास हेतु देय वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ अधिकतम कुल 50 करोड़ तक देय।

2-स्टाम्प ड्यूटी में छूट-

(अ) वस्त्र इकाइयों द्वारा सरकारी संस्थाओं से भूमि क्रय करने पर गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष प्रदेश में 100 प्रतिशत छूट।

(ब) गौतमबुद्ध नगर में 75 प्रतिशत छूट।

(स) 100 प्रतिशत पार्क विकासकर्ता को।

(द) 50 प्रतिशत भूमि के प्रथम खरीददार को।

3- स्टाफ क्वाटर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण पर छूट-

(अ) वार्षिक देय ब्याज का 60 प्रतिशत 7 वर्षों तक।

(ब) 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

4- अवस्थापना विकास हेतु राज्य सरकार का सहयोग- सम्पर्क मार्ग, ट्रंकड्रेन, विद्युत लाइन, ट्रान्सफारमर एवं विद्युत उप केन्द्र, फायर स्टेशन की व्यवस्था हेतु।

(ग) मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों हेतु सुविधायें-

1-रोजगार सृजन अनुदान- प्रदेश में 15000 सिलाई मशीन स्थापित होने तक मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी की गारमेन्टिंग इकाइयों को रु० 3200 प्रति माह प्रति श्रमिक की दर से रोजगार सृजन अनुदान देय है।

2-वित्तीय सुविधाओं को बढ़ाना- केस-टू-केस आधार अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं की सीमा शिथिल किया जायेगा।

3-राज्य जी०एस०टी० में छूट- 80 प्रतिशत पूरे प्रदेश में।

4-अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांगों की स्वामित्व वाली इकाइयों को अतिरिक्त सुविधायें देय।

5-उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला बी०पी०एल० श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को विशेष सुविधा देय।

6-प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों जैसे बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल में वस्त्र उद्योग स्थापित करने पर विशेष

सुविधा देय।

7-हथकरघा बुनकरों, रेशम की इकाइयों को भी पालिसी के अन्तर्गत विशेष सुविधायें प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

8-नालेज पार्टनर/कन्सलटेन्ट/सेवा प्रदाता संस्था के सेवा शुल्क का भुगतान।

नई नीति के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं-

1-बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति।

2-बुनाई विषय के इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान।

3-हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय-

4-हथकरघा कलस्टरों को अतिरिक्त अनुदान।

5-प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में विशेष प्रदर्शियों का आयोजन।

6-भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा विदेश में आयोजित प्रर्दशनियों के प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 के अन्तर्गत धनराशि रु0 7500.00 लाख (रु० पचहत्तर करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

● मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना (प्रस्तावित)

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के नाम से नई योजना चलाया जाना प्रस्तावित है। जिसकी गाइडलाइन्स शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दी गयी है। योजनान्तर्गत पावरलूम/हथकरघा बुनकरों की परम्परागत ऊर्जा स्रोत (बिजली) पर निर्भरता समाप्त कर सौर ऊर्जा की तरफ ले जाने हेतु योजना का संचालन किया जाना है। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को गैर पारम्परिक सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा एवं बुनकरों को वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपीनेडा/चिन्हित एजेन्सी या संस्था के माध्यम से सोलर इन्वर्टर दिये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजनान्तर्गत रु० 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

● प्रदेश में संचालित पावरलूमों की जियोटैगिंग योजना (प्रस्ताव)

योजनार्न्गत उ०प्र० के पावरलूम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के पावरलूम की पहचान करने, पावरलूम के तकनीकी उन्नयन एवं इस क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत निर्णयों को लागू कराने के लिये उनका सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसी दिशा में तेलंगाना राज्य द्वारा पावरलूमों एवं बुनकरों के विभिन्न डाटा की जियोटैगिंग करायी जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों से भी पावरलूमों की जियोटैगिंग कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया

है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में संचालित पावरलूमों की जियोटैगिंग कराने का निर्णय लिया है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रु० 60.00 लाख (रुपये साठ लाख मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है।

- **बुनकरों को विद्युत आपूर्ति हेतु इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था**

प्रदेश के पावरलूम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्पादन कार्य विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करता है। पावरलूम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अनवरत न होने के कारण उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। बुनकरों के उत्पादन कार्य में कमी न होने पाये एवं विद्युत आपूर्ति अनवरत बनी रहे इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में पावरलूम बाहुल्य कस्बों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिक्षेत्रीय कार्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उक्त योजनान्तर्गत रु० 0.01 लाख (रुपये एक हजार टोकन मात्र) टोकन बजट का प्रावधान किया गया है।

- **पावरलूम उद्योग का विकास योजना (एस०सी०पी०)**

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को परम्परागत पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत पावरलूम स्थापित कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु संचालित की गई है। योजनान्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यशाला का निर्माण एवं उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 पावरलूम इकाइयों को लाभान्वित कराने हेतु धनराशि रु०-155.00 लाख व्यय का अनुमान है। योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किया जाता है। द्वितीय वर्ष 2022-2023 में पावरलूम उद्योग का विकास योजना (एस०सी०पी०) योजनान्तर्गत रु० 155.00 लाख (रु० एक करोड़ पचपन लाख मात्र) का बजट प्राविधान अनुदान 83 के अन्तर्गत किया गया है।

- **झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (एस०सी०पी०) प्रस्तावित-**

योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत हथकरघा एवं आटोमेटिक पावरलूम स्थगित कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु प्रस्तावित की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को योजनान्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यशाला निर्माण, हथकरघा स्थापना में 80 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 20 प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है। तथा उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना में 60 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 40 प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है। योजना को गाइड लाइन्स शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (एस०सी०पी०) में रु० 800.00 (रु० आठ करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान अनुदान 83 के अन्तर्गत किया गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

बोर्ड का संक्षिप्त परिचय

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम-1960 (अधिनियम संख़्या-10 सन 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदोपरान्त उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम-1966 (अधिनियम संख्या-64 सन 1960) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक कानूनी निकाय के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, 1967 में उद्योग निदेशालय, उ०प्र० से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं।

बोर्ड के उद्देश्य

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूँजी निवेश वाले छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

वित्त पोषण हेतु अनुमन्य उद्योग धन्धे-

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योगों को निम्न सात वर्गो में बांटा गया है:-

- कृषि आधारित उद्योग-खादी, मौनपालन, तेलघानी, गुड़-खांडसारी, अनाजदाल, जड़ी-बूटी, फल-प्रशोधन आदि।
- खनिज आधारित उद्योग-कुम्हारी, चूना, पत्थर की वस्तुएं आदि।
- वनाधारित उद्योग-हाथ कागज, माचिस/अगरबत्ती, लाख, बांस-बेंत, कत्था, गोंद, रेजिन, आयुर्वेदिक दवाइयां, रेशा उद्योग आदि।
- पालीमार तथा रसायन-अखाद्य तेल, साबुन, खाद्य तेल उत्पादन, रबर आधारित उद्योग, हाथी दांत आदि।
- यांत्रिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा-लौह, काष्ठ, अल्यूमिनियम, तांबे, पीतल आधारित उद्योग, काँसे के बर्तन आदि।
- वस्त्र उद्योग-सिलाई, पोलीवस्त्र, होजरी आदि।
- सेवा उद्योग-धोबी, नाई, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, नलसाजी, बिजली उपकरण, आडियो तथा डीजल मरम्मत आदि।

खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषाएंः-"खादी" का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये किसी वस्त्र से है।

"ग्रामोद्योग" का तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थाई पूँजीनिवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन) प्रति कारीगर एक लाख रुपये से अधिक न हो, से है। "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बों से है।

विभागीय कार्यकलाप

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाले छोटे-मोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

1 बोर्ड के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड के अधिनियम की धारा-15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैंः-

- प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गई योजनाओं को क्रियान्वित करना ।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योग में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना ।
- कच्चे माल तथा उपकरणों की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भंण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हों ।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय-विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग वस्तुओं के विकास के लिए स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योगों में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियां भी हैं, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योगों में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।

1. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना वर्ष 2005 से संचालित है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परम्परागत कारीगरों, बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तथा पूंजीगत ऋण पर सामान्य (पुरुष) श्रेणी के उद्यमियों को 4 प्रतिशत ब्याज से ऊपर का ब्याज एवं आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों द्वारा बैंकों को देय समस्त ब्याज, अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में रु० 19209.78 लाख के पूंजीनिवेश से 4125 इकाइयों की स्थापना कराकर 76684 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एवं उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत रु० 50.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य पुरुष को 25 प्रतिशत व महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के उद्यमियों को क्रमशः 15 एवं 25 प्रतिशत का मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जो इकाई के सफलतापूर्वक 03 वर्ष तक संचालित रहने पर छूट में परिवर्तित हो जाती है।

योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में रु० 1867.01 करोड़ के पूंजीनिवेश से 15090 इकाइयों की स्थापना कराकर 154579 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

3. पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित ग्रामीण क्षेत्र की रु० 25.00 लाख तक की परियोजना पर मर्जिन मनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष धनराशि रु० 249.99 लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है। अद्यतन अवधि तक धनराशि रु० 150.85 लाख का व्यय किया जा चुका है।

4. पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता

योजनान्तर्गत खादी संस्थाओं को खादी उत्पादन पर 15 प्रतिशत की छूट पूरे वर्ष उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें 1/3 भाग सीधे कत्तिन एवं बुनकरों को उनके द्वारा उत्पादित खादी (धागा

एवं वस्त्र) के अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है तथा 1/3 भाग संस्था को बिक्री प्रमोशन के लिए एवं 1/3 भाग संस्था को उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु अवस्थापना व्यय के रूप में दी जाती है। विवरण निम्नवत् है-

1. संस्था में कार्यरत कत्तिन/बुनकर को भुगतान	-	34 प्रतिशत
2. संस्था को उत्पादन के आधार पर	-	33 प्रतिशत
3. संस्था को विपणन संवर्धन हेतु सहायता	-	33 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। पूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकृत निर्गत है। अद्यतन अवधि तक धनराशि रु० 501.98 लाख का व्यय किया जा चुका है।

5. प्रशिक्षण योजना

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रदेश के विभिन्न जनपदों यथाः डालीगंज लखनऊ, खजनी-गोरखपुर, आहोपट्टी-आजमगढ़, रतनपुरा-मऊ, बहराइच, अनुवा-इलाहाबाद, कालपी-जालौन, पिपरौला-शाहजहाँपुर, अडिग-मथुरा, नजीबाबाद-बिजनौर एवं जनपद कुशीनगर में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेजरोजगार परम्परागत एवं गैर परम्परागत कारीगर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के उद्यमियों को प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण, प्रबंधकों, कार्मिकों एवं श्रमिकों के अपने कार्यों को और अधिक कुशलतापूर्वक सम्पादित करने हेतु प्रबंधकीय प्रशिक्षण, आडिट प्रशिक्षण, कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण, मोटीवेशन (अभिप्रेरण) प्रशिक्षण, प्रायोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रशिक्षण, गृह उद्योग विशेष प्रशिक्षण आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना है जिससे प्रदेश में खादी ग्रामोद्योगी संस्थाएं उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें तथा अधिक से अधिक रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सके। लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु इकाई प्रबंधन तथा आधुनिकतम वित्तीय प्रबंधक, मार्केटिंग से संबंधित प्रशिक्षण, लाभाथियों को उच्च गुणवत्तायुक्त परम्परागत उत्पादन उत्पादित करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पादन प्रक्रिया की नवीनतम जानकारी प्रदान कराना है।

विगत छह वर्षों में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 54279 व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 655.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष धनराशि रु० 621.67 लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है। अद्यतन अवधि तक धनराशि रु० 144.62 लाख का व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत 9918 व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन अवधि तक 4750 व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिलाया गया है।

6. जागरूकता कार्यक्रम

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपदों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक) 1350 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए 67500 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में प्रति जनपद 2 कार्यक्रमों के अनुसार 150 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने का लक्ष्य है जिससे 7500 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

7. ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन

योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक) खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में कुल 71 जनपदों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिसमें खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों द्वारा 4694 स्टॉल लगाये गये। उक्त प्रदर्शनियों में रु० 70.38 करोड़ की बिक्री की गयी। चालू वित्तीय वर्ष में 75 जनपदों में ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

8. कम्बल कारखानों का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित विभाग के कम्बल कारखाने काफी समय से बन्द चल रहे थे। दिनांक 19.6.2019 को मा० मुख्यमंत्री जी की समीक्षा उपरान्त शासन स्तर से विभाग के सभी कम्बल कारखानों का चलाये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में सभी कम्बल कारखाने संचालित हैं तथा लगातार उत्पादन कार्य किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में 38467 कम्बलों का उत्पादन किया गया है जिससे 135 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अद्यतन अवधि तक 4200 कम्बलों का उत्पादन कराया गया है।

9. प्रदेश में खादी उत्पादन एवं बिक्री

खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्त पोषित 536 खादी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में विगत पांच वर्षों में रु० 2875.74 करोड़ की खादी का उत्पादन किया गया एवं रु० 5033.52 करोड़ की बिक्री की गयी जिससे 656000 खादी से जुड़े प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कामगारों एवं अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50000 मीटर खादी वस्त्रों के उत्पादन का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष अद्यतन अवधि तक 42509 मीटर खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा चुका है।

10. खादी प्रशिक्षण

खादी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी (निफ्ट), रायबरेली के साथ एम०ओ०यू० करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक 240 व्यक्तियों को खादी वस्त्रों की डिजानिंग, कटिंग, सिलाई, पैकेजिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिलाया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 40 कामगारों को प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है।

11. खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति-2017

क-सोलर चर्खा वितरण एवं प्रशिक्षण

योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित उत्पादन केन्द्रों एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग/उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से पंजीकृत/वित्त पोषित खादी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में खादी के उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कत्तिनों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सोलर चर्खा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ताकि गुणवत्तायुक्त खादी उत्पादन के साथ कत्तिनों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। योजनान्तर्गत विगत चार वर्षों में (वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक) में कुल 3677 सोलर चर्खों का वितरण कराया गया जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 7664 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1000 लाभार्थियों को सोलर चर्खा वितरित कराते हुए 2000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। क्रयादेश निर्गत है। अद्यतन अवधि तक आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा 400 सोलर चर्खों की आपूर्ति की जा चुकी है। शेष उपकरणों की आपूर्ति करायी जा रही है।

ख-टूल-किट वितरण/प्रशिक्षण

(1)- दोना पत्तल मेकिंग मशीन वितरण

दोना पत्तल कार्य में लगे विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार एवं परम्परागत व अन्य कारीगरों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से उक्त कार्यक्रम संचालित है। विगत चार वर्षों में (वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक) 747 अदद दोना पत्तल मशीनों का निःशुल्क वितरण कराया गया जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 2241 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष में 539 लाभार्थियों को दोना पत्तल मशीनों का वितरण कराते हुए 1617 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। क्रयादेश निर्गत है। उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।

(2)-पॉपकार्न मेकिंग मशीन वितरण

गत बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में भुर्जी समाज एवं अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि से 240 पॉपकार्न मेकिंग मशीनों का वितरण कराया गया है जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 720 लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

चालू वित्तीय वर्ष में 383 लाभार्थियों को पॉपकार्न मेकिंग मशीनों का वितरण कराते हुए 1149 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। क्रयादेश निर्गत है। उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।

ग-ग्रामोद्योग समाधान सेल

विभाग द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने में उद्यमियों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं

का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण किये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय पर ग्रामोद्योग समाधान सेल एवं जनपदीय कार्यालयों में हेल्प-डेस्क की स्थापना की गयी है। इससे उद्यम लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को काफी लाभ हुआ है। उक्त सेल के माध्यम से उद्यमियों के समक्ष उद्योग स्थापना में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। समाधान सेल की स्थापना तिथि से अद्यतन अवधि तक 5618 व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया गया एवं सेल द्वारा उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया गया है।

12. जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा प्रशोधन केन्द्र की स्थापना

जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा, गाजी में ऊनी धागा प्रशोधन/उत्पादन केन्द्र की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में भेड़ पालकों को भेड़ पालन हेतु प्रोत्साहित करना तथा उनके उत्पादों का समुचित मूल्य प्राप्त हो एवं उस ऊन के प्रशोधन उपरान्त कम्बलों का उत्पादन कराया जा सके। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहित कर बोर्ड को उपलब्ध कराया जा चुका है। बाउण्ड्री वॉल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। भवन निर्माण का कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण है। शेष निर्माण प्रगति पर है। परियोजना की कुल लागत रु० 699.78 लाख है।

योजना के पूर्ण होने तक लगभग 5000 भेड़ पालकों को प्रत्यक्ष रूप से ऊन का समुचित मूल्य प्राप्त होगा। परियोजना का कार्य उ०प्र० लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा किया जा रहा है। ऊन के खादी एवं कम्बल बुनाई से अनुमानित 2000 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। शासन से उक्त मद में प्रथम किश्त रु० 249.89 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। बाउण्ड्रीवाल एवं प्रोडक्शन हॉल सम्बन्धी कार्य पूर्ण है। पीईबी एवं गार्डरूम का कार्य प्रारम्भ है।

13. जनपद प्रयागराज में गोबर गैस प्लाण्ट की स्थापना

जनपद प्रयागराज के ग्राम मंदरदेह माफी में 720 घनमीटर की क्षमता का गोबर गैस प्लाण्ट की स्थापना प्रस्तावित है। प्लाण्ट की स्थापना होने से गोबर से उत्पादित लगभग 400 परिवारों को ईंधन तथा उत्पादित जैविक खाद उपलब्ध होगी। गो पालकों को गोबर से अतिरिक्त आय होगी। गोबर गैस से विद्युती, ऊर्जा एवं कम्प्रेस कर छोटे सिलेण्डर इत्यादि को भरने का कार्य किया जायेगा। परियोजना पूर्ण होने पर लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना का कार्य उ०प्र० लघु उद्योग निगम द्वारा किया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत रु० 335.00 लाख है। बायो गैस प्लाण्ट हेतु भूमिगत डोम की खुदाई एवं बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। बायो गैस का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

14. उ०प्र० माटीकला बोर्ड

- **मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना**

माटीकला से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के परम्परागत कारीगरों, बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की तर्ज पर रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तथा पूंजीगत ऋण पर सामान्य (पुरुष) श्रेणी के उद्यमियों को 4 प्रतिशत ब्याज से ऊपर का ब्याज एवं आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों द्वारा बैंकों को देय समस्त ब्याज, अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने का प्राविधान है। विगत तीन वर्षों में प्रदेश में रु० 664.49 लाख

का पूंजीनिवेश कराते हुए 389 इकाइयों की स्थापना करायी गयी जिससे ऋण वितरण करते हुए 2658 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 300 इकाइयों की स्थापना कराकर 4200 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष अद्यतन अवधि तक 185 इकाइयों की स्थापना से 1430 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

- **माटीकला टूलकिट्स वितरण**

योजनान्तर्गत माटीकला के कार्य में लगे विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार एवं परम्परागत व अन्य कारीगरों को प्रोत्साहित किये जाने एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से विद्युत चालित कुम्हारी चाक का निःशुल्क वितरण कराया जाता है। विगत तीन वर्षों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 8161 माटीकला टूलकिट्स का वितरण कराया गया जिससे 24483 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ।

चालू वित्तीय वर्ष में 3000 लाभार्थियों को विद्युत चालित कुम्हारी चॉकों एवं अन्य उपकरणों का वितरण कराते हुए 9000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अद्यतन अवधि तक 1004 उपकरणों का वितरण कराया गया है जिससे 3012 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। शेष उपकरणों की आपूर्ति करायी जा रही है।

- **माटीकला कौशल विकास योजना**

योजनान्तर्गत उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्थापित 11 मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों, परम्परागत एवं गैर परम्परागत कारीगरों/उद्यमियों को माटी से उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा और अधिक कुशलतापूर्वक कार्य सम्पादित किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। विगत तीन वर्षों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 7957 लाभार्थियों को माटीकला में विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिलाया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5175 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 3578 लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा 2350 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है।

- **माइक्रो कॉमन फैसिलिटी सेण्टर**

योजनान्तर्गत जनपद में क्लस्टर में कार्यरत परम्परागत माटीकला कारीगरों की सहकारी समिति गठित कराकर उन्हें सुविधा सम्पन्न बनाकर कारीगरों/शिल्पियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद रामपुर, पीलीभीत, कन्नौज एवं बाराबंकी में कॉमन फैसिलिट सेण्टर की स्थापना करायी गयी है।

रेशम विकास

विश्व में उत्पादित होने वाले चार प्रकार के व्यावसायिक रेशम की किस्मों में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां चारों प्रकार की रेशम (शहतूती, टसर, अरण्डी एवं मूंगा सिल्क) का उत्पादन हो रहा है। मूंगा रेशम का उत्पादन पूरे विश्व में मात्र भारत के असम राज्य में ही किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश में तीन प्रकार यथा- शहतूती, टसर एवं अरण्डी रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में अग्रणी स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की शस्य-श्यामला उर्दरा भूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता, रेशम उद्योग हेतु सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन एवं अरुण्डी की खेती, रेशम कीटपालन एवं धागाकरण आदि क्रियाकलाप मुख्य हैं। शहतूती रेशम कीट का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती, टसर रेशम कीटों का अर्जुन एवं आसन की पत्ती तथा एरी रेशम कीट का अरण्डी की पत्ती है। अतः इस उद्योग हेतु शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती आवश्यक है। रेशम उद्योग पर्यावरण मित्र उद्योग होने के साथ-साथ श्रमजनित भी है।

प्रदेश की कच्चे रेशम धागे की मांग वर्तमान में उत्पादित धागे से बहुत अधिक है, जिसकी पूर्ति कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों तथा विभिन्न देशों से आयातित रेशम के माध्यम से होती है। भारत में उत्पादित कच्चे रेशम की पर्याप्त मात्रा में खपत प्रदेश के परम्परागत रेशम बुनाई क्षेत्रों वाराणसी एवम् आजमगढ़ में हो रही है। प्रदेश में रेशम की सुदृढ़ बाजार व्यवस्था उपलब्ध है तथा इस हेतु जनपद वाराणसी के सारंग तालाब स्थित स्थान पर सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की गयी है। भारत के रेशम उत्पादन में विकसित राज्यों यथा- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने एवं कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन, अरण्डी की खेती को बढ़ावा देते हुए तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन से जुड़े क्रिया-कलापों हेतु शृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम उत्पादन से जुड़ें कार्यक्रमों में रेशम कीट के भोज्य वृक्षों के विकास हेतु पौध उत्पादन, वृक्षारोपण, पत्ती उत्पादन, चाकी कीटपालन, उत्तरावस्था, कीट पालन, कोया उत्पादन तथा पोस्ट ककून के अन्तर्गत धागाकरण आदि प्रमुख क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

शहतूती रेशम का उत्पादन प्रदेश के ज्यादातर तराई, पूर्वांचल एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में किया जा रहा है, टसर रेशम का उत्पादन बुन्देलखण्ड एवं विध्यांचल क्षेत्र तथा अरण्डी रेशम का उत्पादन यमुना नदी के किनारे स्थित कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट,

जालौन एवं बांदा आदि जनपदों में किया जा रहा है। प्रदेश की ऊष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण जलवायु में शहतूती रेशम के अतिरिक्त ट्रापिकल टसर एवं एरी रेशम के क्रियाकलाप सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने हेतु सभी आवश्यक सम्भावनायें विद्यमान हैं।

रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्देश्य

- रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन।
- विभागीय प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय कार्मिकों, कृषकों एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुये तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- रेशम धागे की माँग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की सम्भावनाओं के अनुरूप योजनाओं/परियोजनाओं की संरचना कर उनका कियान्वयन कराया जाना।
- रेशम उद्योग के विकास हेतु विभागीय राजकीय उद्यानों का रख-रखाव, आवश्यकतानुसार कीटाण्ड उत्पादन, भण्डारण तथा चाकी कार्य आदि की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।

रेशम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सृजित अवस्थापना सुविधाएं

1.	राजकीय शहतूत उद्यानों की संख्या	- 159
2.	शहतूत उद्यानो का कुल क्षेत्रफल	- 1592.37 एकड़
3.	शहतूत उद्यानो का कुल वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1161.08 एकड़
4.	राजकीय टसर उद्यानों की संख्या	- 63
5.	राजकीय टसर उच्यानों का क्षेत्रफल	- 3716.47 एकड़
6.	राजकीय टसर उद्यानों का वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1891.37 एकड़
7.	राजकीय अरण्डी उद्यानों की संख्या	- 05
8.	राजकीय अरण्डी उद्यानों का क्षेत्रफल	- 56.14 एकड़
9.	रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्रों की संख्या	
	(क) शहतूती बीजागार	- 05 (बहराईच-01, औरेया-01, गोरखपुर-01, मेरठ-02)
	(ख) टसर बीजागार	- 11 (सोनभद्र-07, चन्दौली-03, झाँसी-01)
	(ग) एरी बीजागार	- 04 (कानपुर नगर-01, कानपुर देहात-01, फतेहपुर-01, उन्नाव-01)

10.	रेशम कीट बीज उत्पादन की वार्षिक क्षमता	- 47.99 लाख डी०एफ०एल्स
	(क) शहतूती	- 40.43 लाख डी०एफ०एल्स
	(ख) टसर	- 3.366 लाख डी०एफ०एल्स
	(ग) एरी	- 4.201 लाख डी०एफ०एल्स
11.	चाकी कीटपालन केन्द्रों की संख्या	- 244
12.	सामूहिक कीटपालन केन्द्रों की संख्या	- 20
13.	सिल्क एक्सचेंज की संख्या	- 01
14.	प्रशिक्षण संस्थान	- 01

विभागीय उपलब्धियाँ

- कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोये के मूल्य में वृद्धि हेतु राजकीय क्षेत्र में जनपद पीलीभीत एवं बहराइच तथा निजी क्षेत्र में जनपद वाराणसी एवं कानपुर नगर में रीलिंग इकाईयों की स्थापना।
- प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा का शुभारम्भ करते हुए कृषकों को रेशम क्रियाकलापों का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु शहतूती रेशम के अन्तर्गत प्रचलित चार फसलों के स्थान पर छः फसलें क्रियान्वित किया जाना।
- पं० दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की भाँति वर्ष 2020-21 में 50 सर्वोत्तम कोया उत्पादकों को दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 को पर्यटन भवन में आयोजित रेशम उत्पादन पुरस्कार समारोह में आमंत्रित कर रु० 11000/- की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र से मा० राज्य मंत्री, रेशम उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
- प्रदेश में 100 से अधिक ग्रामों को सिल्क ग्राम के रूप में चयनित करना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क-राजस्व पक्ष

1. माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना

राजकीय शहतूती फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास कार्य कराये जाते हैं, इन फार्मों में मुख्यतः चाकी रेशम कीटपालन हेतु "चाकी उद्यान" का कर्षण कार्य (अर्थात पौधों की प्रूनिंग/ट्रिमिंग, गुडाई घास निकालना, खाद/रासायनिक खाद का छिड़काव, सिंचाई इत्यादि) विभागीय वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सफल कीटपालन के लिए विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रसायनिक उर्वरकों, कीटपालन एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों

आदि का क्रय भी किया जाता है।

अतः विभागीय फार्मों पर गुणवत्तायुक्त चाकी रेशम तैयार कर रेशम कोया उत्पादकों/कृषकों में वितरण हेतु फार्मों के रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु० 482.50 लाख का प्रावधान किया गया।

2. टसर रेशम विकास योजना

टसर रेशम फार्मों में वृक्षारोपित क्षेत्रफल में कर्षण कार्य जैसे- घास सफाई, थाले बनाना, सिंचाई, पोलार्डिंग आदि का कार्य तथा अर्जुन पौध का उत्पादन का कार्य (नर्सरी स्थापना), नवीन/अविकसित क्षेत्रों में अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य एवं वैज्ञानिक विधि से टसर कीटों का नायलान नेट में चाकी कीटपालन कराते हुए स्थानीय कृषकों को कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति कर टसर कोया उत्पादन का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। टसर कीटपालन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अतिरिक्त आय का सृजन होता है। इस प्रकार विभागीय टसर फार्मों का रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु० 62.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया।

3. रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

प्रदेश मे रेशम कीटाण्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पी-1 (बीजू) कीटपालन क्षेत्र एवं बीजागारों के रख रखाव, संचालन एवं सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण तथा रेशम कीटाण्ड का क्रय केन्द्रीय रेशम बोर्ड से किया जाएगा। इसलिये इस योजना के स्वरूप मे वृद्धि कर वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु० 301.36 लाख का प्रावधान है।

4. टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना

विभागीय टसर रेशम फार्मों पर 2.0 लाख अर्जुन नर्सरी पौधालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु० 12.73 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

नई योजनायें

1. मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना -

आगामी पाँच वर्ष में रेशम उत्पादन दर को दो से तीन गुना करने हेतु प्रथम वर्ष १००० एकड़ में शहतूत वृक्षारोपण कराते हुए 1500 लाभार्थियों को रेशम उत्पादन से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत चयनित 1500 लाभार्थियों को शहतूत वृक्षारोपण, उपकरण, कीटपालन गृह निर्माण एवं शहतूत वृक्षारोपण करने से प्रथम वर्ष होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु सहायता धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिल्क समग्र योजनान्तर्गत चयनित 600 लाभार्थियों को भी क्षतिपूर्ति हेतु सहायता धनराशि योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 3193.75 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

2. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान बरकछा मिर्जापुर

कृषकों को रेशम उद्योग के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से प्रदेश के कृषकों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा, मिर्जापुर में स्थापित रेशम प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षण संस्थान के अनुरक्षण, व्याख्यान हेतु विशिष्ट प्रवक्ताओं को देय पारिश्रमिक भुगतान एवं नर्सरी हेतु आवश्यक सामग्री क्रय तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि तथा विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ नवनियुक्त होने वाले प्रदर्शकों को भी छः माह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 51.00 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित रेशम विकास की योजना (अनुदान संख्या-81)

अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को शहतूती रेशम उत्पादन की क्रिया कलापों से जोड़े जाने हेतु शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण, सिंचाई सुविधा का विकास कीटपालन उपकरण तथा विशुद्धीकारक क्रय हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत 30 अनूसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये वर्ष 2019-20 में रु. 88.05 लाख केन्द्रांश सहायता केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) से प्राप्त है। केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग हेतु. रु. 31.75 लाख राज्यांश की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु० 31.75 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

अन्य योजनायें

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका राज्य स्तर पर नोडल विभाग कृषि विभाग है, के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु "प्रदेश के महत्त्वपूर्ण रेशम उत्पादक जनपदों के राजकीय रेशम फार्मों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की परियोजना" को धनराशि रु० 1886.503 लाख के आय-व्ययक अनुमान तैयार कर नोडल अधिकारी, आर.के.वी.आई., कृषि भवन, लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जिसकी एस.एल.पी.एस.सी. द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है, जिसका अनुमोदन एस.एल.एस.सी. द्वारा किया जायेगा।

2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कनवर्जेन्स

मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कनवर्जेन्स अन्तर्गत वर्ष 2022-23 हेतु रु. 67.83 लाख धनराशि मांग का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यक्रम

विभागीय प्राथमिकतायें

- रेशम कीट बीज संगठन का सुदृढ़ीकरण एवं नये बीजागारों की स्थापना।
- अधिक पत्ती उत्पादन क्षमता वाली शहतूत प्रजातियों का वृक्षारोपण।

- कोया उत्पादकों/रेशम कृषकों को त्वरित भुगतान।
- नई रेशम धागाकरण मशीनों की स्थापना एवं उच्च क्षमता के चाकी कीटपालन भवनों का निर्माण।
- विभागीय कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी समीक्षा।
- जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण।
- बाईवोल्टीन रेशम कोया एवं उच्च गुणवत्ता के रेशम धागा का उत्पादन।
- रेशम धागे की माँग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करते हुए प्रदेश को रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। बुनकरों को गुणवत्तापूर्ण धागा उचित मूल्य तथा उत्पादों के विक्रय हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु ओ.डी.ओ.पी. योजनान्तर्गत एन.एच.डी.सी के माध्यम से सिल्क एक्सचेन्ज का संचालन।
- सर्वाधिक रेशम उत्पादित जनपदों में एफ.पी.सी. का गठन।

●

मुद्रण एवं लेखन सामग्री

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. प्रयागराज की स्थापना 1857 में की गयी थी जिसके अधीनस्थ राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ की स्थापना 1949 ई. में हुई इसके अतिरिक्त मुद्रणालयों के निरन्तर विकास एवं प्रसार के फलस्वरूप ऐशबाग, लखनऊ के अन्तर्गत शाखा मुद्रणालय, हजरतगंत, लखनऊ का विस्तार किया गया। राजकीय मुद्रणालय, रामपुर की स्थापना 1976 ई. तथा राजकीय मुद्रणालय वाराणसी की स्थापना 1979 में की गयी। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के परिणामस्वरूप शासन के दिनों-दिन बढ़ते हुए मुद्रण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रम के मुद्रण हेतु राजभवन मिनी प्रेस, राजभवन सचिवालय परिसर, लखनऊ तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के काजलिस्ट के मुद्रण हेतु उच्च न्यायालय मिनी प्रेस, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिसर में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय मुद्रणालयों के कार्यों में निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निदेशालय की स्थापना 1990 में की गयी तत्पश्चात् राजकीय विभागों के मुख्यालय लखनऊ में स्थित होने के कारण तथा उनसे समन्वय स्थापित करने के लिये राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ के परिसर में शिविर कार्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी जिसके द्वारा समय-समय पर समस्त मुद्रणालयों की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की जाती है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के शृंखलाओं के 1600 पंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों तथा विभिन्न विभागों के लगभग 300 प्रकार के अपंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों जैसे शिक्षा, गज़ेटियर, साधारण, असाधारण, उर्दू गजट, महालेखाकार के वित्तीय आडिट रिपोर्ट, बजट, परफारमेन्स बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रपत्रों लोक सेवा आयोग के कार्यों, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र समयानुसार लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय एवं पंचायत के निर्वाचन मतपत्रों, विधान मण्डल/परिषद की कार्यवाहियाँ, एजेण्डा आदि का मुद्रण/प्रकाशन एवं महामहिम श्री राज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन विधान सभा/परिषद की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रान्त के अधीन विभागों के गोपनीय कार्य-कार्मिक विभाग के कार्यादेशों, राजाज्ञा, नियुक्तियां, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग के जी.डी., सी.डी., गोपनीय आख्या, कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य मांगाधिकारियों के अनुरूप मुद्रण/आपूर्ति किये जाते हैं।

जनहित के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों की आपूर्ति में शीघ्रता, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से मुद्रण कार्यों में अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालाजी एवं साज-सज्जाओं से सुसज्जित करने हेतु राजकीय मुद्रणालयों को प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय द्वारा लेखन सामग्री, प्रपत्र तथा राजकीय प्रकाशनों के मुद्रण, सम्पूर्ति सम्बन्धी निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन, बजट आवंटन एवं विभागीय वित्तीय नियंत्रण का कार्य, प्रदेश के नीतिगत मामलों के क्रियान्वयन के साथ विभाग के महत्त्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण का दायित्व निर्वहन किया जाता है। विभाग के अन्तर्गत चार राजकीय मुद्रणालय स्थापित हैं। जिसकी देख-रेख पृथक-पृथक इकाइयों में नियुक्ति पदों के वरिष्ठतम अधिककारियों द्वारा की जाती है।

कार्यक्रम तथा कार्यकलापों का विवरण

निदेशन तथा प्रशासन :-

निदेशालय द्वारा सभी मुद्रणालयों के लिए बजट की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, कागज, स्याही एवं सचिवालय के उपयोग हेतु समस्त लेखन सामग्री की क्रय व्यवस्था एवं सम्पूर्ति की जाती है। उक्त सामग्रियों की थोक क्रय व्यवस्था, प्रपत्रों की उपलब्धि एवं पूरे प्रदेश को सम्पूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके साथ समस्त शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना है।

मुद्रण-राजकीय मुद्रणालयों का मुद्रण कार्य :-

मुद्रणालय द्वारा प्रदेश के समस्त माँगाधिकारियों को उनके उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार के पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रपत्रों, रजिस्टरों, जिला गज़ेटियर, साधारण गज़ट, असाधारण गज़ट, उर्दू गजट, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वित्तीय लेखे एवं आडिट रिपोर्ट विषयक पुस्तकें, बजट साहित्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकायें एवं विभिन्न संस्थाओं के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा से सम्बन्धित प्रपत्र वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं का मुद्रण विभिन्न विभागों के परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय कार्य, लोक सभा, विधान सभा, पंचायत एवं स्थानीय निकाय हेतु मत पत्रों का मुद्रण एवं नम्बरिंग, विधान मण्डल की कार्यवाही, एजेण्डों का मुद्रण/प्रकाशन, सामयिक प्रकाशनों का मुद्रण कार्य प्रमुख है, साथ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्यों का मुद्रण, उच्च न्यायालय काजलिस्ट का मुद्रण समयबद्ध एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य स्तर पर कार्य करने वाले शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के मुद्रित प्रपत्रों की सम्पूर्ति कर नगद धनराशि जमा करा ली जाती है तथा अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण सशुल्क किये जाने की व्यवस्था है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं।

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज :-

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण, लोक

सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण एवं मुद्रण, विभिन्न प्रकार के परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्र, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं का मुद्रण, सामयिक प्रकाशन, साधारण/असाधारण गज़टों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में मुद्रण, महालेखाकार के वित्तीय लेखें आडिट आपत्तियों का मुद्रण, अत्यन्त गोपनीय परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्टों का मुद्रण आदि महत्त्वपूर्ण कार्य है। मुद्रित वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं, गजट एवं अन्य सामयिक प्रकाशनों के भंडारण की व्यवस्था है, जिन्हें सम्बन्धित माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किया जाता है, तथा नगद बिक्री की व्यवस्था है। पंजीकृत प्रपत्रों का भण्डारण वर्तमान में राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज के बिक्री कक्ष में किया जाता हे। यहाँ से जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इटावा, औरेया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, झाँसी, बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, महोबा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कांसगंज एवं कौशाम्बी के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति करने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ (ऐशबाग/हजरतगंज) :-

ऐशबाग लखनऊ मुद्रणालय द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों के मुद्रण तथा सचिवालय व सूचना विभाग के आवश्यक मुद्रण कार्य, बजट साहित्य, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्लान, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं, विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आदि का मुद्रण कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। शाखा मुद्रणालय हजरतगंज, लखनऊ द्वारा विधान सभा एवं विधान परिषद की कार्यवाहियों सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण होता है। राजभवन शाखा प्रेस लखनऊ में महामहिम राज्यपाल सचिवालय के कार्य विषयक सामग्री का मुद्रण होता है तथा महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रम का मुद्रण प्रमुख रूप से किया जाता है। मुद्रित प्रपत्रों का भंडारण किया जाता है तथा प्रदेश के जनपद लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर :-

राजकीय मुद्रणालय रामपुर द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण, सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है, मुद्रित प्रपत्रों के भण्डारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, ज्योतिबाफूले नगर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ सम्भल, शामली के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी :-

वाराणसी शाखा द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण,

सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है, मुद्रित प्रपत्रों के भण्डारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, चन्दौली, संतरविदास नगर, कुशीनगर, सन्तकबीर नगर के कतिपय माँगाधिकारियों को आवश्यक प्रपत्रों एवं रजिस्टरों की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त अंकित विभिन्न प्रेसों के निर्धारित मासिक/वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उत्पादन-उपलब्धि की मूल्यांकन/समीक्षा मुद्रण निदेशक द्वारा की जाती है तदनुसार उनके परीक्षण उपरान्त विभिन्न शाखा प्रेसों को निर्धारित मानक के अनुरूप लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/ आदेश निर्गत किये जाते हैं।

विकास की योजनायें :-

राजकीय मुद्रणालयों प्रयागराज, लखनऊ (हजरतगंज एवं ऐशबाग), रामपुर एवं वाराणसी का आधुनिकीकरण किये जाने के दृष्टिगत अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालाजी की मशीनों एवं साज सज्जा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 500.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ है जिससे नवीनतम तकनीक की कम्प्यूटराइज्ड मशीनों एवं उससे संबंधित उपकरणों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है ताकि मुद्रण कार्यों को अल्प अवधि में और अधिक प्रभावशाली बनाने के साथ-साथ गतिशीलता प्रदान की जा सके।

शिशिक्षुओं एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण :-

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मुद्रण कार्य प्रणाली में कम्प्यूटर प्रशिक्षण औद्योगिक एवं कार्यालयीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा सचिवालय प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षित कराया जा रहा है एवं आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जो मशीन लग रही उनको चलाने हेतु मशीन स्थापना के समय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शन (परफार्मेन्स बजट) की वस्तुस्थिति तथा विभाग के कार्यों में प्रगति लाने के लिए अधीनस्थ मुद्रणालयों से उनसे संबंधित विवरण प्राप्त कर समय-समय पर उसका परीक्षण भी किया जाता है।

●

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना विकास का अभ्युदय

गन्ने का मूल स्थान भारतवर्ष है। पौराणिक कथाओं तथा भारत के प्राचीन ग्रंथों में गन्ना व इससे तैयार की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पाया जाता है। विश्व के मध्य पूर्वी देशों सहित अनेक स्थानों में भारत से ही इस उपयोगी पौधे को ले जाया गया। प्राचीन काल से गन्ना भारत में गुड़ तथा राब बनाने के काम आता था।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जावा, हवाई, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जब सफेद दानेदार चीनी का उद्योग सफलतापूर्वक चल रहा था, तब भारतवर्ष में नील का व्यवसाय उन्नति पर था, जो जर्मनी में रंग बनाने की नई तकनीक विकसित होने पर मन्द पड़ गया। इस परिस्थिति का लाभ भारत में चीनी उद्योग की स्थापना को मिला। सन् 1920 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने चीनी व्यवसाय के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हुये इण्डियन शुगर कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1930 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गन्ना उपसमिति की सिफारिश पर एक टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गयी, जिसने भारत सरकार से चीनी उद्योग को आरम्भ में 15 वर्षों के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की। फलतः भारत में सन् 1931 में चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश में यद्यपि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में ही भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित हो चुकी थी, परन्तु गन्ना क्रय-विक्रय की किसी संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयाँ होती थीं। भारत सरकार द्वारा पारित शुगरकेन एक्ट, 1934 द्वारा प्रदेशीय सरकारों को कृषि क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश में सन् 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। कृषकों की मदद की दृष्टि से **'शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट–1938'** लागू किया। वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 लागू हुई। उ.प्र. सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों के अतिरिक्त उ.प्र. शुगर फैक्ट्रीज लाइसेसिंग आदेश, 1969 उ.प्र. गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 एवं अन्य सुसंगत नियम बनाये गये हैं तथा सामयिक आवश्यकता के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी

मिलों के पारस्परिक हितों के सम्बन्ध में बनाये गये शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के प्रावधान भी अपनाये गये हैं।

गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

- विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों द्वारा कृषि निवेशों के समुचित उपयोग से प्रति इकाई भूमि पर अधिकतम गन्ना उत्पादन प्राप्त करना।
- गन्ना कृषकों व चीनी मिलों की आवश्यकतानुसार उन्नतशील गन्ना प्रजातियों का विकास करना तथा गन्ने की खेती की विविध तकनीकों को विकसित करना।
- चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त गन्ने का आवंटन करना।
- गन्ना किसानों को उनके द्वारा उत्पादित गन्ने का समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को समय से आपूर्ति कराना तथा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना।
- चीनी मिल गेट से 15 कि.मी. क्षेत्र के बाहर खांडसारी इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त लाइसेन्स देना।
- किसानों को उन्नतिशील गन्ना खेती की नवीनतम् विधियों की जानकारी देना तथा गन्ना कृषकों, मिल व विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- गन्ना किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि निवेश, ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराना।
- प्रदेश में उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान हेतु मिल वार गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। गन्ने की खड़ी फसल के रेन्डम सैंपल की क्राप कटिंग कराकर प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज का आंकलन कराना।
- चीनी मिल क्षेत्रों में नवीनतम गन्ना प्रजातियों की पौधशालायें स्थापित कर गन्ना कृषकों को स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उपलब्ध कराना।
- गन्ने की फसल पर रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु कृषकों को जानकारी देना तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपज प्राप्त करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा चीनीमिल क्षेत्रों/प्रदेश में अधिकतम गन्ना उपज का आंकलन करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागीय कार्यों के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का पद सृजित है, जो सरकारी चीनी मिलों व सहकारी गन्ना समितियों का पदेन निबंधक (रजिस्ट्रार) भी होता है।

गन्ना विकास परिषदें

वर्ष 1948 तक गन्ना विकास के क्रियाकलापों और गन्ने का क्रय-विक्रय एक साथ सम्मिलित था जिसका कृषकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। वर्ष 1948-49 में उत्तर प्रदेश में गन्ने के विकास व सघन खेती की पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की गयी और तत्समय इण्डियन सेन्ट्रल शुगरकेन कमेटी ने कुछ अंश तक वित्तीय अनुदान दिया। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मिल गेट स्तर पर गन्ना विकास परिषदों की स्थापना हुई। इस योजना के सतत तीन वर्षों तक कार्यान्वित रहने पर इसे प्रदेश की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया।

वर्ष 1948-49 में गन्ना विकास परिषदों के गठन के उपरान्त गन्ना विकास पर अधिक बल के साथ-साथ चीनी मिल परिक्षेत्र स्तर पर सहकारी गन्ना समितियों के गन्ना क्रय-विक्रय सम्बन्धी क्रियाकलापों पर भी प्रभाव पड़ा। गन्ना विकास परिषदों का कार्य परिक्षेत्र हेतु संसाधनों को जुटाना एवं सिंचाई साधनों तथा कृषि सुविधाओं के विक्रय के साथ-साथ गन्ने की फसल को रोग एवं कीट से बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाना है।

गन्ना विकास परिषदों की निधि में प्रदेश तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान, चीनी मिलों का अंशदान एवं चीनी मिलों एवं खाण्डसारी इकाइयों द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर अंशदान आदि सम्मिलित है। वर्तमान में प्रदेश में 152 गन्ना विकास परिषदें हैं।

सहकारी गन्ना विकास समितियां

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 168 सहकारी गन्ना समितियां पंजीकृत एवं कार्यरत हैं। सहकारी गन्ना विकास समितियां स्ववित्त पोषित एवं स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। सहकारी गन्ना विकास समितियों की आय का मुख्य श्रोत चीनी मिलों से गन्ना आपूर्ति पर प्राप्त होने वाला ''गन्ना विकास अंशदान'' है। सहकारी गन्ना समितियों की प्रतिमान उपविधियों में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार समितियों का कार्य संचालन होता है। सहकारी गन्ना समितियों के मुख्य उद्देश्य सदस्य गन्ना कृषकों हेतु खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि रक्षा यंत्र की व्यवस्था करना, सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार सदस्य गन्ना कृषकों की गन्ना आपूर्ति हेतु गन्ना सर्वेक्षण, बेसिक कोटा आगणन, कैलेण्डरिंग एवं पर्ची निष्कासन की व्यवस्था करना, सदस्य कृषकों की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में उन्नति के लिये सहायता करना है।

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ

उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ प्रदेश की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों की शीर्ष संस्था है। गन्ना संघ की स्थापना एवं पंजीकरण 11 अगस्त, 1949 को की गयी थी। गन्ना संघ अपनी सदस्य गन्ना समितियों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी उचित मांगों के प्रति सचेष्ट

रहता है प्रदेश की चीनी मिलों एवं सदस्य सहकारी गन्ना विकास समितियों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुए गन्ने के विकास तथा सुचारु रूप से ई.आर.पी. के माध्यम से गन्ना समितियों द्वारा गन्ना किसानों को चीनी मिल पर गन्ने की तौल कराने हेतु तौल पर्जी उपलब्ध कराना, कृषि निवेशों की बिक्री व्यवस्था, नाबार्ड योजना के अन्तर्गत न्यूनतम ब्याज दर पर गन्ना समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरित करने एवं उसकी वसूली हेतु महत्वपूर्ण योगदान इस संस्था का है। सदस्य सहकारी गन्ना विकास समितियों का पथ प्रदर्शन करते हुए उनके संगठित रूप से कार्य संचालन हेतु नीति निर्धारित करने के साथ ही उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। सदस्य गन्ना समितियों के सदस्यों में मितव्ययिता, आत्मबल, परस्पर भाईचारे की भावना, आत्मविश्वास, प्रेम-व्यवहार, व्यापार-कुशलता, नैतिकता एवं सहकारिता के अन्य उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा सदस्य सहकारी गन्ना समितियों के नीति विषयक मामलों में परामर्श दिये जाने एवं उनके संगठनात्मक विषयों में आवश्यक मार्ग-दर्शन करता है। गन्ना कृषकों/गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों के मध्य किसी भी विवाद में गन्ना संघ विभिन्न न्यायालयों में समिति के प्रतिनिधि के रूप में वाद की पैरवी करता है।

गन्ना विकास की योजनाएं

गन्ना क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश होने के साथ-साथ कृषकों की आजीविका एवं आय का प्रमुख स्रोत है। गन्ने से न केवल चीनी एवं गन्ना आधारित विविध उत्पाद (चीनी, गुड़, शक्कर, खाण्ड, शीरा, शराब, केक व स्पैन्टवाश) आदि की पूर्ति होती है, बल्कि फसल व्यवसाय से जुड़े अन्य अति महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन हेतु वर्ष के 7 से 8 महीनों (अक्टूबर से अप्रैल-मई) तक हरा चारा भी उपलब्ध होता है।

चीनी मिलों की संख्या तथा पेराई क्षमता में वृद्धि ,औसत पैदावार में वृद्धि के बावजूद उत्पादन लागत का बढ़ना तथा कृषिजोत का सिकुड़ना कुछ ऐसे कारक हैं जो चीनी मिलों को उनकी मांग के अनुसार सम्पूर्ण पेराई सत्र में भरपूर एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बाधक है।

गन्ना उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी बढ़ाने के लिए वर्तमान में गन्ने के साथ विभिन्न प्रकार की दलहन, तिलहन, सब्जी तथा मसालों आदि फसलों की सहःफसली खेती एवं ट्रैन्च विधि से गन्ना बुआई जैसे कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुदानित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दिए जाने वाले अनुदानों की तुलना में जिला सेक्टर की योजनाओं में अनुदान अत्यन्त कम होता था, जिससे कृषक जिला सेक्टर योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे। अतः जिला योजना (गन्ना विकास की योजना) का अनुदान भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के समान कर दिया गया है, जिससे कृषकों में किसी तरह का भ्रम न हो तथा रुचि का अभाव न हो एवं औसत उपज के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में गन्ना विकास की योजना **(जिला योजना)** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रु 1875.06 लाख व्यय करने का निम्नानुसार प्रस्ताव रखा गया है -

1. **आधार पौधशाला/बीज वितरण-** आधार पौधशालाधारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए आधार पौधशाला बीज वितरण में रुपया 50 प्रति कुं0 की अनुदान दर से 4.376 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए रु0 218.80 लाख का व्यय अनुमानित है।
2. **प्राथमिक पौधशाला/बीज वितरण-** प्राथमिक पौधशालाधारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है, जिसके लिए प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण में रुपया 25 प्रति कुं0 की अनुदान दर से 23.97 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए रु0 599.32 लाख का व्यय अनुमानित है।
3. **अभिजनक बीज यातायात-** बीज यातायात कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिजनक बीज यातायात पर रु0 15 प्रति कुं0 की अनुदान दर से 0.379 लाख कुन्तल बीज के लिए रु0 5.690 लाख का व्यय अनुमानित है।
4. **आधार बीज यातायात-** आधार बीज यातायात के लिए 3.743 कुन्तल बीज पर रु0 7.00 प्रति कुन्तल की दर अनुदान से रु0 26.20 लाख का व्यय अनुमानित है।
5. **बीज एवं भूमि उपचार-** इस कार्यक्रम में 0.9331 लाख हे0 के बीज एवं भूमि उपचार का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए रु0 500.00 प्रति हे0 की अनुदान दर से 466.55 लाख का व्यय अनुमानित है।
6. **पेड़ी प्रबन्धन-** पेड़ी-प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.490 लाख हे0 क्षेत्रफल में पेड़ी-प्रबन्धन प्रस्तावित है, जिसके लिए रु0 223.58 लाख का व्यय अनुमानित है।
7. **जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग-** भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का 0.553 लाख हे0 में प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है तथा रु0 600 प्रति हे0 की अनुदान दर से रु0 332.06 लाख का व्यय अनुमानित है।

विकास योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादक जनपदों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग की योजनाओं को जिला एवं राज्य सेक्टर योजनाओं में विभक्त कर शासन की विकेन्द्रीकरण प्रणाली के अधीन सभी विकास कार्यक्रमों का निर्धारण कर जनपदों की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वित कराया जाता है। तद्नुसार अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर गन्ने के विकास सम्बन्धी भौतिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्य का सम्पादन कराया जाता है।

गन्ना उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रचार-प्रसार

गन्ना विकास हेतु प्रचार-प्रसार कार्यों के अन्तर्गत गन्ना शोध संस्थानों से विकसित नवीनतम तथा अभिप्रमाणित तकनीकी को गन्ना किसानों तक पहुँचने का कार्य किया जाता है। किसानों को अधुनातन संसाधनों के माध्यम से बताने का यह प्रयास किया जाता है कि वे गन्ना उत्पादन के परम्परागत तरीकों के स्थान पर नयी विज्ञान आधारित उत्पादन पद्धतियों का प्रयोग करें। नये तकनीकी घटक, यथा-अधिक पैदावार तथा चीनी परता देने वाली किस्में, गन्ना बुवाई की नई पद्धतियों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का सुरक्षित एवं समुचित प्रयोग, भूमि सुधार, जल प्रबन्धन, कीट का जैविक नियंत्रण-जैव उर्वरकों की प्रासंगिकता से किसानों को अवगत कराया जाता है। इस कार्य के लिये गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्रचार संगठन स्थापित है।

खाण्डसारी उद्योग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी लाइसेंसिंग योजना का प्रारम्भ वर्ष 1958-59 में इस उद्देश्य से हुआ कि गन्ना उत्पादकों को गन्ना आपूर्ति हेतु चीनी मिलों के अन्यत्र अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होने के साथ-साथ चीनी मिलों को उनके सुरक्षित क्षेत्र में उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की मात्रा उपलब्ध हो सके। इस दृष्टिकोण से योजना के अधीन गुड़ एवं राब तथा खाण्डसारी शक्कर बनाने वाली पावर क्रेशर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा 1967 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत इन इकाइयों को लाइसेंस देने का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1961 में शासन द्वारा शक्कर, गुड़, राब आदि के निर्माताओं द्वारा गन्ने की खरीद पर उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम, 1961 के अधीन क्रयकर के भुगतान हेतु व्यवस्था की गयी थी, जो जी.एस.टी. में समाहित हो गयी है। इस प्रकार विभाग का मुख्य कार्य उक्त आदेश/अधिनियम के अन्तर्गत इकाइयों को लाइसेंस देना एवं अपीलों का निस्तारण करना है।

आन-लाईन खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति-

खाण्डसारी एवं गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पेराई सत्र 2018-19 में खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति निर्गत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं, जिसमें चीनी मिलों से खाण्डसारी इकाई की न्यूनतम हवाई दूरी को 15 कि.मी. से घटाकर 7.5 कि.मी. करना तथा आवेदन करने वाली पुरानी इकाइयों के पुनर्संचालन हेतु सुप्त शुल्क माफ करने तथा सौ घण्टे के अन्दर ऑन-लाईन लाइसेन्स जारी किये जाने का प्राविधान करने के साथ डब्लू.डब्लू.डब्लू.यूपीखाण्डसाारी.इन पर नवीन खाण्डसारी लाइसेन्स हेतु ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। दिनांक 23.05.2022 तक कुल 278 नवीन खाण्डसारी लाइसेन्स जारी किये जा चुके है, जिनकी पेराई क्षमता लगभग 71350 टी.सी.डी. है।

खाण्डसारी एवं गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिये जाने से जहाँ कृषकों को अपने अतिरिक्त गन्ने को आपूर्ति किये जाने का विकल्प मिला है, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार की सम्भावना बढ़ने के साथ-साथ खाण्डसारी लाइसेन्स शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है।

लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उ.प्र. लखनऊ

श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना वर्ष 1975 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत की गयी है। संस्थान का मुख्यालय, तिलक मार्ग डालीबाग, लखनऊ में स्थित है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य गन्ना कृषकों, गन्ना विकास विभाग तथा चीनी उद्योग से जुड़े अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है जिससे प्रदेश में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन एवं चीनी परता में अभिवृद्धि हो सके तथा कृषकों की आय दोगुनी करने में सहायक हो सके। संस्थान द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए गन्ना कृषि की आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीक को शोध केन्द्रों के वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों के द्वारा ग्राम स्तर पर एवं संस्थान स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर

प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 1912 में ईख अनुसंधान केन्द्र शाहजहाँपुर की स्थापना की गई जो उत्तर भारत में गन्ना व चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। गन्ना शोध को बहुआयामी गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1976-77 में इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** के समकक्ष एक स्वशासी संस्था **उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद** के रूप में पुनर्गठित किया गया। प्रदेश की विभिन्न मृदा एवं जलवायु वाले क्षेत्रों की स्थानीय अनुकूलता को ध्यान में रखकर गन्ना किस्मों के विकास के साथ-साथ नवीन विकसित किस्मों के बीज का उत्पादन व वितरण तथा गन्ना कृषि से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर शोध कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

चीनी उद्योग-सहकारी क्षेत्र

वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। संघ द्वारा प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के कुशल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए यह संघ द्वारा तकनीकी, वित्तीय तथा प्रबन्धकीय परामर्श व निर्देशन प्रदान किया जा रहा है। जिनमें से सत्र 2021-22 में 24 सहकारी चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सहकारी चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सहकारी क्षेत्र में 24 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं, जिनकी कुल दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 66625 टन है। आठ आसवनियाँ संचालित हो रही हैं, जिनकी कुल दैनिक एल्कोहल उत्पादन क्षमता 250 किलो लीटर है। आसवनियों में उत्पादित एथनॉल की आपूर्ति भारत सरकार की तेल कम्पनियों को की जा रही है।

प्रदेश की 4 सहकारी चीनी मिलों को पुरस्कार प्राप्त

पेराई सत्र 2020-21 में प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रदेश की 4 सहकारी चीनी मिलों स्नेहरोड़ (बिजनौर), गजरौला (अमरोहा), रमाला (बागपत) एवं तिलहर (शाहजहाँपुर) को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ, नई दिल्ली के द्वारा क्रमशः सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल, अधिकतम चीनी परता, अधिकतम गन्ना पेराई तथा तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लिमिटेड

उ0प्र0 चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अधिनियम 1971, के अन्तर्गत उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित चीनी मिलों के संचालन हेतु वर्ष 1971 में उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की स्थापना उ.प्र. सरकार के प्रतिष्ठान के रूप में हुई। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदेश की 28 चीनी मिलों का अधिग्रहण कर उन्हें निगम में सन्निहित किया गया एवं जनपद गोरखपुर में स्थित पिपराइच चीनी मिल को निगम द्वारा नीलामी में क्रय किया गया। इसके अतिरिक्त 6 नई चीनी मिलों यथा चाँदपुर, छाता, घाटमपुर, रायबरेली, नंदगंज एवं किच्छा की स्थापना उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि. द्वारा की गई। इस प्रकार उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि. में कुल 35 चीनी मिलें सन्निहित हो गयीं। इनमें से जनपद देहरादून में स्थित डोईवाला चीनी मिल एवं जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थित किच्छा चीनी मिल को वर्ष 2002 में उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि. के अधीन कुल 33 मिलें रह गयी थीं।

बन्द चीनी मिलों की निष्प्रयोज्य प्लॉट एवं मशीनरी के स्क्रैप का विक्रय-

बुढवल, नवाबगंज, घाटमपुर, नंदगंज एवं पिपराइच के पुराने चीनी मिल के प्लान्ट व मशीनरी के स्क्रैप का विक्रय किया जा चुका है।

●

पर्यटन

उत्तर प्रदेश अपने बहुआयामी, बहुरंगी एवं विधि संस्कृतियों से भरापूरा प्रदेश है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से उत्तर प्रदेश अत्यन्त समृद्धशाली है। प्रदेश के हर क्षेत्र में पर्यटन की अपार सम्भावनायें उपस्थित हैं।

पिछले वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश पर्यटन अपनी महत्त्वपूर्ण छवि प्रदर्शित कर रहा है। पर्यटन के आधुनिकतम आयामों यथा-चिकित्सा पर्यटन, ईको एवं आध्यात्म पर्यटन की भी अपार सम्भावनायें बनी हुई हैं।

मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयागराज, विन्ध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, गढ़मुक्तेश्वर, गोरखपुर, एवं कुशीनगर, आदि का समुचित एवं समेकित विकास तथा रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट एवं बौद्ध सर्किट का विकास करते हुए पर्यटन पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए, प्रदेश में हेलीकाप्टर सेवा के आरम्भ के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के भ्रमण को एक बहुरंगी, सुखद, अनेकता में एकता एवं सुरक्षित अनुभूति प्रदान करने वाला पर्यटन गन्तव्य बनाया जा रहा है। प्रदेश में आध्यात्मिक एवं तीर्थ, इको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास, हेरिटेज होटलों का सृजन, विरासत स्थलों का संरक्षण, पर्यटन पुलिस की संख्या में वृद्धि इत्यादि कार्य प्रस्तावित है। इसके बाद ही प्रदेश में पर्यटन आकर्षणों को ब्राण्डिंग करके इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिण्ट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक, वृहद एवं सुनियोजित विश्व स्तरीय प्रचार-प्रसार के विशेष प्रयास किये गये हैं।

विश्व बैंक के सहयोग से आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में पर्यटन विकास की अवधारणा सर्व समावेशी है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन, स्वच्छ भारत की स्थापना, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन का विकास, गरीबी उन्मूलन एवं स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। उ.प्र. ब्रजतीर्थ विकास परिषद की स्थापना भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप नीति के आधार पर पर्यटन इकाईयों विनिवेश की प्रक्रिया समुचित विकास को तेज गति प्रदान करेगा। पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए "लैण्ड बैंक" की व्यवस्था भी की जाएगी।

पर्यटन के बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर्यटन-विकास के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिये भी पूँजी-निवेश हेतु विपुल संभावनाएं विद्यमान हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण ही इस प्रदेश में हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित पर्यटन विकास व प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित पर्यटन परिपथों का चिन्हांकन किया गया है- रामायण परिपथ, कृष्णा-ब्रज परिपथ, बौद्ध परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, वन्यजीच एवं इको पर्यटन परिपथ, महाभारत परिपथ, जैन परिषथ, सूफी/कबीर परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, क्राफ्ट परिपथ ट्रेल।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित विकास में सर्व समावेशी एवं सतत विकास की अवधारणा के आधार पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अनेकता में एकता की भावना को मूर्तरूप प्रदान करते हुए पर्यटन नीति-2018, इकाईयों के विनिवेश, प्रो-पुअर पर्यटन विकास कार्यक्रम एवं अन्य बहुआयामी पर्यटन विकास की रणनीति के अन्तर्गत पर्यटन के साथ-साथ विकास के अन्य सेक्टरों को भी सहयोग प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है जिससे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को वृहदतर स्वरूप प्राप्त हुआ है।

अयोध्या में आयोजित विश्व स्तरीय कार्यक्रम दीपोत्सव का गिनीज बुक में नाम दर्ज होने की प्रचलित कार्यवाही, मथुरा में भव्यरूप से रंगोत्सव का आयोजन, बरसाना में आयोजित होने वाली बहुरंगी होली, प्रो-पुअर पर्यटन विकास हेतु विश्व बैंक के सम्पादित हुआ अनुबन्ध आदि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की अत्यन्त संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण एवं अति विस्तारित भूमिका का परिचायक है। पर्यटन विभाग के दूरदर्शी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को विश्व पहल पर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं।

उद्देश्य

- प्रदेश के समन्वित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन-परिपथों का चिन्हांकन और उनके बृहद् विकास के लिए पर्यटन महत्त्व के स्थानों का चयन कर पर्यटन संबंधी अवस्थापना सुविधाएँ सुलभ कराने हेतु योजनाओं की संरचना करके उन्हें राज्य/केन्द्र सरकार के संसाधनों से केन्द्रीय योजना, राज्य योजना एवं जिला योजना के माध्यम से कार्यान्वित कराना ताकि प्रदेश में पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त होने के साथ-साथ उनके आगमन में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन-विकास के लिए ऐसे पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना, जहाँ कम से कम 50 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हों।
- राज्य योजना के अन्तर्गत ऐसे पर्यटक स्थलों का चयन, जो मुख्य परिषथ के अन्तर्गत आते हों, जहाँ विदेशी व भारतीय पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है।
- उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा को संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पर्यटकों परिवहन, आवास, भोजन एवं मनोरंजन हेतु अच्छी सुविधाएं प्रदान करना एवं प्रदेश भ्रमण की सुखद अनुभूति कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश को आदर्श गन्तव्य केन्द्र के रूप में विकसित कराने के प्रयत्नों के क्रम में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

- पर्यटकों के मार्ग-दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों-स्मारकों एवं संस्कृति-कला-शिल्पजनित विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक पर्यटन साहित्य छपवाना व पर्यटकों को उपलब्ध कराना।
- पर्यटकों को प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न मेले-महोत्सवों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करवाना।
- रोजगार-सृजन, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता मिशन एवं पूँजीनिवेश जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आये पर्यटकों की संख्या

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर वर्ष 2017 से 2021 तक आने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों/विजिटर्स की संख्या निम्नवत रही :-

(संख्या लाख में)

वर्ष	भारतीय पर्यटक/विजिटर्स	विदेशी पर्यटक/विजिटर्स	योग
2017	2339.77	35.56	2375.33
2018	2850.80	37.80	2888.60
2019	5358.55	47.45	5406.00
2020	861.22	8.91	870.13
2021	1097.08	0.45	1097.53

नोट -

1. वर्ष 2019 में प्रयागराज में कुम्भ मेला-2019 में आये भारतीय पर्यटक/श्रद्धालु 2394. 70 लाख एवं विदेशी पर्यटक/श्रद्धालु 10.30 लाख सम्मिलित हैं।
2. मार्च 2020 और उसके बाद के महीने में उत्तर प्रदेश में दिनांक 25.03.2020 से लॉकडाउन और आगे कोविड-19 के कारण भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है।
3. वर्ष 2021 में भी प्रदेश में लॉकडाउन और आगे कोविड-19 के द्वितीय फेज के कारण भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में समान्य वर्षो की तुलना में कमी आई है, किन्तु भारतीय पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2020 की तुलना में वृद्धि हुई है।

उ.प्र. प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना

विश्व बैंक सहायतित उ.प्र. प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना एक अभिनव परियोजना है। इस परियोजना में प्रदेश के 04 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों- आगरा, ब्रज, सारनाथ एवं कुशीनगर के अन्तर्गत पर्यटन विकास सम्बन्धी-गतिविधियों के माध्यम से गरीबी-उन्मूलन तथा रोजगार-सृजन करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटक वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक/सामाजिक स्तर के उन्नयन तथा रोजगार-परक अवसर हेतु विभिन्न गंतिविधियाँ संचालित हैं।

उक्त परियोजना का लोन ऐग्रीमेन्ट एवं प्रोजेक्ट ऐग्रीमेन्ट विश्व बैंक एवं आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य दिनाँक 28.12.2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। परियोजना की कुल लागत रु. 371.43 करोड़ (50.60 मिलियन यू.एस. डालर) है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत जनपद-आगरा की दो परियोजनाएं (i) कछपुरा एवं मेहताब बाग क्षेत्र के समेकित पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण, (ii) शाहजहां पार्क तथा ताजमहल एवं आगरा फोर्ट के मध्य विशिष्ट पर्यटक मार्ग का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य, जनपद-मथुरा की दो परियोजनाएं (i) श्री बांके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र का समेकित पर्यटन विकास, (ii) श्री बांके बिहारी जी मन्दिर को आने-जाने वाली चिन्हित 22 गलियों के ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य समाप्ति पर है।

इसके अतिरिक्त ई.पी.सी. मोड में 05 सब-परियोजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें जनपद वाराणसी के सारनाथ का समेकित पर्यटन विकास, कुशीनगर का समेकित पर्यटन विकास, मथुरा में ब्रज क्षेत्र का समेकित पर्यटन विकास, आगरा के कछपुरा में आर्टिजन सेन्टर का निर्माण एवं आगरा किले में ध्वनि एवं प्रकाश शो का कार्य सम्मिलित है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प्रमुख परियोजनाएँ

रोप-वे परियोजना

प्रदेश सरकार द्वारा पी.पी.पी. मॉडल पर रोप-वे की परियोजना उ.प्र. के तीन स्थलों पर चित्रकूट, अष्टभुजा-कालीखोह (विन्ध्याचल) एवं बरसाना (मथुरा) में क्रियान्वित की जा रही है। चित्रकूट, अष्टभुजा-कालीखोह (विन्ध्याचल) में रोप-वे स्थापित करने हेतु उ.प्र. राज्य पर्यटन बिकास निगम लि, को नोडल एजेंसी नामित है। चित्रकूट रोप-वे का **संचालन दिनांक 14 सितम्बर, 2019** से प्रारम्भ हो चुका है। जनपद मिर्जापुर के विन्ध्याचल स्थित अष्टभुजा एवं कालीखोह (विन्ध्याचल) में रोप-वे का **संचालन दिनांक 04 अगस्त, 2021** से प्रारम्भ हो चुका है। बरसाना (मथुरा) में पी.पी.पी. मॉडल पर रोप-वे की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। बरसाना (मथुरा) में राधारानी रोप-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

हेलीकॉप्टर सेवा

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के पाँच प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा- लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा में पर्यटन विभाग द्वारा हेलीपोर्टों का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा में हेलीपोर्ट/हेलीपैड का निर्माण होने के उपरांत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होने पर पर्यटकों को वाराणसी दर्शन, प्रयागराज दर्शन, लखनऊ दर्शन, मथुरा के पवित्र तीर्थ स्थल, गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन तीर्थ दर्शन एवं आगरा दर्शन आदि की सुविधा प्राप्त होगी।

जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को निजी निवेशकों के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु पी.पी.पी. मोड पर लीज पर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी ई-निविदा हेतु दिनांक 20.05.2022 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर ई-टेण्डर पोर्टल पर ई निविदा आमंत्रित की गयी है।

लीज पर संचालित पर्यटन इकाईयाँ

उत्तर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास एंव पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ.प्र. सरकार द्वारा पर्यटन विभाग की बन्द/असंचालित/घाटे में चल रही इकाईयों को निजी क्षेत्र के माध्यम से लीज पर देते हुए संचालित किए जाने को उ.प्र. शासन द्वारा निर्णय लिया गया। वर्ष 2016-17 में पर्यटन विभाग की निम्न 05 पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को उत्तर प्रदेश पी.पी.पी. गाईडलाइन के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर विकसित एवं संचालन किये जाने हेतु दिया जा चुका है। पर्यटन विभाग द्वारा निम्न 07 पर्यटक आवास गृहों को पी.पी.पी. मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु ई-सेण्टर पोर्टल पर ई-निविदा आमंत्रित की गयी है, निविदा दिनांक 13.06.2022 को खोली जानी प्रस्तावित है :-

● राही पर्यटक आवास गृह, बटेश्वर, ● राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल गाँव, ● राही पर्यटक आवास गृह, राधाकुण्ड, ● राही पर्यटक आवास गृह, मथुरा, ● राही पर्यटक आवास गृह, बरसाना ● राही पर्यटक आवास गृह, शिकोहाबाद, ● राही पर्यटक आवास गृह, नीमसार।

पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे अवशेष पर्यटक आवास गृहों को पी.पी.पी. मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण

- जनपद वाराणसी में अप्रवासी भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता।
- उन्नाव के बक्सर में गंगानदी के तट पर स्थित चन्द्रिका देवी मन्दिर व राजाराव रामबख्श सिंह के किले का पर्यटन विकास।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिकां देवी परिसर में घाटों का निर्माण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित राजाराव रामबक्श सिंह शहीद पार्क का सौन्दर्यीकरण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी मंदिर पर साइनेज का कार्य।
- अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली एवं बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन।
- प्रयागराज में मल्टीमीडिया डिजिटल कुम्भ म्यूजियम तथा अयोध्या में रामकथा संग्रहालय में डिजिटल इन्टरवेशन के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृत प्राप्त कर कार्यान्वयन कराया जायेगा।
- कौशाम्बी पर्यटन स्थल में पर्यटकों की सुविधा हेतु गेस्ट हाउस का निर्माण।
- जनपद कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जायेगा।
- रामायण सर्किट/रामवन गमन मार्ग को विकसित किया जायेगा।
- गोण्डा में स्वामी नारायण मन्दिर छपिया का पर्यटन विकास।
- हरिद्वार में निर्माणाधीन पर्यटक भवन का नाम भागीरथी पर्यटक आवास गृह किया जायेगा।
- इटावा में पंचनदा जहां 05 नदियां मिलती हैं को पर्यटक स्थल के रूप में विकास।
- सम्भल को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित किया जायेगा।
    - जनपद सम्भल स्थित सूर्यकुण्ड का स्थानीय पर्यटन विकास।
    - जनपद सम्भल के ग्राम- तिवारी सराय स्थित पातालेश्वर (सम्भलेश्वर) महादेव मंदिर का

पर्यटन विकास।

- जनपद सम्भल के ग्राम- चन्द्रायन चन्दौसी रोड स्थित चन्द्रेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास।
- जनपद सम्भल के रायसत्ती निकट वेलासत्ती के थाना स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास।
- जनपद सम्भल में मोहल्ला कोट पूर्वी में प्राचीन भगवान कल्कि मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।

- विधान सभा क्षेत्र नकुड़ जनपद सहारनपुर में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण जनपद मेरठ में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र सिवालखास जनपद मेरठ में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र अलीगढ़ जनपद अलीगढ़ में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र मारहारा जनपद एटा में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र पीलीभीत जनपद पीलीभीत में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर जनपद खीरी में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर जनपद खीरी में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र विलग्राम जनपद हरदोई में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र बख्सी का तालाब जनपद लखनऊ में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र सरैनी जनपद रायबरेली में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र अमेठी जनपद अमेठी में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र अमृतपुर जनपद फर्रूखाबाद में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र भोजपुर जनपद फर्रूखाबाद में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ जनपद जालौन में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र उरई जनपद जालौन में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र महोबा जनपद महोबा में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र चरखारी जनपद महोबा में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र बाँदा जनपद बाँदा में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र रामनगर जनपद बाराबंकी में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती जनपद श्रावस्ती में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र गैसडी जनपद बलरामपुर में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र गोण्डा जनपद गोण्डा में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर जनपद बस्ती में पर्यटन स्थल का विकास।
  - जनपद बस्ती में बाबा भदेश्वरनाथ धाम का पर्यटन विकास।
  - जनपद बस्ती के बोदवल बाजार बनकटी में स्थित अति प्राचीन हनुमान मन्दिर का पर्यटन विकास।
- विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर में पर्यटन स्थल का विकास।
- विधान सभा क्षेत्र जफराबाद जनपद जौनपुर में पर्यटन स्थल का विकास।

- विधान सभा क्षेत्र चुनार जनपद मिर्जापुर में पर्यटन स्थल का विकास।
- तापसी धाम आश्रम हरैया जनपद बस्ती में घाट एवं पार्क का विकास।
- जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी एवं माँ श्री त्रिपुर बाला सुन्दरी देवी मंदिर, देवबन्द का सौन्दर्यीकरण।
- अयोध्या स्थित पंचकोसी व चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- अयोध्या स्थित रामकथा पार्क का विस्तारीकरण।
- जनपद-बस्ती में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के प्रारम्भ व भगवान राम के उद्भव स्थल मखौड़ा धाम व अन्य पड़ाव स्थलों राम रेखा व हनुमान बाग चकोही तथा श्रृंगी नारी सहित का प्रर्यटन की दृष्टि से समुचित विकास कराया जायेगा।
  - जनपद बस्ती के विधान सभा हरैया के वि.ख. परशुरामपुर में स्थित श्रृंगी नारी मंदिर का पर्यटन विकास।
  - जनपद बस्ती में मखौड़ा धाम स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास।
  - जनपद बस्ती में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के द्वितीय पड़ाव स्थल हनुमान बाग चकोही के चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण।
  - जनपद बस्ती में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के प्रारम्भ व भगवान राम के उद्भव स्थल मखौड़ा धाम हर्रैका पर्यटन विकास (फेज-2)
  - जनपद बस्ती में चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के पड़ाव स्थल रामरेखा का पर्यटन विकास।
- प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना अन्तर्गत एक पर्यटन केन्द्र विकसित किया जाएगा।
- राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व. रामचन्द्र विद्यार्थी शहीद स्थल विकास संग्रहालय का निर्माण।

ट्रैवल ट्रेड अनुभाग

प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बहुआयामी दिशा प्रदान कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन संस्थाओं के सहयोग से निम्नलिखित महत्वपूर्ण आयोजन करवाये गये :-

1. देव-दीपावली, 2. साटे-2021, 3. दैनिक सरयू आरती, 4. बदायूँ गौरव महोत्सव, 5. नवरात्रि महोत्सव, 6. राष्ट्रीय रामायण मेला, श्रृंगवेरपुरधाम, 7. बदलापुर महोत्सव, 8. कपिलवस्तु महोत्सव, 9. गंगा महोत्सव एवं देव दीपावली 10. बागपत महोत्सव, 11. देव-दीपावली, वाराणसी के आयोजन, अवसर पर हॉट एअर बैलूनिंग-शो का आयोजन 12. काशी में देव-दीपावली के अवसर पर लेजर-शो, 13. होली एरच महोत्सव, 14, वाजिद अली शाह अवध महात्सव, लखनऊ, 15. ताज महोत्सव आगरा, 16. गंगा महोत्सव/देव-दीपावली, वाराणसी, 17 भरतकुंड महोत्सव, अधोध्या।

- **ट्रैवल मार्ट में भागीदारी-** पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, पर्यटन मार्टस्/सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया गया, जिससे उ.प्र. पर्यटन को और व्यापक किया जा सके जिसके अन्तर्गत आयटो-गुजरात, टी.टी.एफ.-अहमदाबाद, आई.आई.टी.एम.-पुणे, हैदराबाद, दुबई एक्सप्रो 2020 आदि में भाग लिया गया।

- **दीपोत्सव अयोध्या-** छोटी दीपावली के अवसर पर दिनांक 05.11.2021 को अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वर्ष लगभग 12 लाख दीप जलाकर एक बार फिर से वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया, इस अवसर पर सरयू नदी पर भव्य राम लीला मंचन, लेजर-शो, थोड़ी होलोग्राफिक-शो, फायरवर्क्स आदि का आयोजन किया गया।
- **देव दीपावली-** काशी में देव दीपावली का आयोजन इस वर्ष दिनांक 17.11.2021 से दिनांक 20.11.2021 तक परम्परागत रूप से वाराणसी में राजघाट से अस्सीघाट के मध्य दीपोत्सव के रूप में किया गया, उक्त आयोजन में प्रतिदिन स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गयी, इस आयोजन का उद्घाटन एवं समापन मा. पर्यटन मंत्री जी, के कर कमलों द्वारा किया गया तथा आयोजन में हॉट एयर बैलूनिंग शो, लेजर शो, फॉयर क्रैकर शो आदि का आयोजन किया गया। देव दीपावली को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रृद्धालु/पर्यटक वाराणसी पधारते हैं।
- **रंगोत्सव-** मथुरा में स्थित बरसाना में होली का आयोजन माह मार्च में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया गया, होली का पर्व सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र में अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। ब्रज में होली का त्यौहार बसंत पंचमी से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया के मध्य विविध स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से मनाया गया। होली के प्रमुख आयोजन बरसाना तथा नन्दगांव की लट्ठमार होली, टेसू होली, फूलों की होली, दाऊजी का हुरंगा आदि हैं। मथुरा में ब्रजरज उत्सव का भव्य एवं व्यापक रूप से आयोजन किया गया।
- **मेले/महात्सवों का आयोजन-** पर्यटन विभाग एवं समितियों के द्वारा जिला प्रशासन से आयोजित किया जाता है, जिसमें यथा-गंगा महात्सव वाराणसी, ताज महोत्सव आगरा, अयोध्या महोत्सव अयोध्या, महाशिवरात्रि महोत्सव वाराणसी, भरत कुण्ड महोत्सव आदि प्रमुख महोत्सवों को आयोजन किया गया, जिसके सफल आयोजन हेतु अनुदान की धनराशि विभाग द्वारा दी गयी। इन महोत्सवों के आयोजन से पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार होता है। तथा प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि होती है। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय खान-पान का भी प्रचार-प्रसार होता है।
- **पर्यटन पुलिस का गठन-** उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन-पुलिस का गठन किया गया है। वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए उनके सुविधार्थ/सहायतार्थ आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, झाँसी एवं लखनऊ में पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गयी है।
- **टूरिस्ट गाइड लाइसेन्स प्रदान किया जाना-** मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 27.02.2009 के निर्णय एवं शासनादेश दिनांक 19.06.2009 के अनुपालन में 850 राज्य स्तरीय गाइडों का चयन् किया गया है, जो आगरा एवं वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर परिक्षेत्र में गाइडों द्वारा गाइडिंग का कार्य किया जा रहा है।
- **अतिथि सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण-** इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों, जैसे- ट्रैवल राइटर, ट्रैवेल एजेन्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों तथा पर्यटन-विकास से संबंधित अतिथियों को अतिथि-सत्कार की सुविधा प्रदान की गई।

- **पेइंग गेस्ट योजना-** इस योजना के माध्यम से किसी निजी भवन-स्वामी द्वारा अपने घर का भाग (अधिकतम पांच कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसे योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ऐसे मौजूदा पर्यटक स्थल जहाँ पर किसी प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी देशी/विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होती है तथा इससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होता है।
- **बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना-** पेइंग गेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बेड एवं ब्रेकफास्ट की नवीन योजना तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य भारतीय-विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ आवास-भोजन की सुविधा सुलभ कराया जाना है, जिससे उन्हें भारतीय परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों से परिचित कराया जा सके। इस व्यवस्था को लागू करके प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा उनका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इकाइयों का पंजीकरण/मान्यता भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दी जाती है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति- 2018

- पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को होटल, बजट होटल, हेरिटेज होटल, रिजार्ट, स्पोर्टस रिजार्ट, टेन्टेड एकोमोडेशन, पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार प्रशिक्षण, संस्थान, एडनेन्चर टूरिज्म, थीम पार्क, कन्वेंशन सेंटर, रिवर क्रूज टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, कैरावन, मार्गीय सुविधा, ग्राम स्टे/फार्म स्टे, कैम्पिंग साइट व फिक्सड टेन्ट यूनिट आदि वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रख्यापित पर्यटन नीति में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटन स्थलों के 20 किमी की परिधि में चिन्हित टूरिज्म सर्किट्स एवं स्थलों पर पूंजी निवेश करने वाली नवीन इकाईयों, हेरिटेज इकाईयों आदि को वित्तीय प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव), सुविधा (बेनीफेट्स), अनुदान (ग्रांट) एवं छूट आदि का प्रदान करने का प्रावधान है। उ.प्र. में चिन्हित सर्किट निम्नवत हैं:-

  1. रामायण सर्किट, 2. शक्तिपीठ सर्किट, 3. कृष्ण-ब्रज सर्किट, 4. आध्यात्मिक सर्किट, 5. बुद्धिस्ट सर्किट, 6. सूफी कबीर सर्किट, 7. वाइल्ड लाइफ एवं इको टुरिज्म सर्किट, 8. जैन सर्किट, 9. बुन्देलखण्ड सर्किट, 10. क्राफ्ट सर्किट, 11. महाभारत सर्किट, 12. स्वतंत्रता संग्राम सर्किट।

पर्यटन नीति में चिन्हित पर्यटन स्थलों पर पूँजी निवेश करने वाली उद्यमियों को पूँजीगत निवेश कैपिटल सब्सिडी व इंटरेस्ट सब्सिडी, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क में छूट, भूमि रूपांतरण एवं विकास शुल्क, सतत् पर्यटन के लिये सहायता, नवाचार के लिए प्रोत्साहन, विपणन और संवर्धन के लिये सहायता, कौशल विकास, आई.सी.टी. सक्षमता, पर्यटन/सत्कार उद्योग में शोध के लिए सहायता, रोजगार सृजन पर सब्सिडी, पारिस्थितिकी पर्यटन (इको-टूरिज्स) के लिये सहयोग, स्वदेशी कला, संगीत, नृत्य को पुर्नजीवित करने के लिए सहयोग हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान एवं छूट आदि प्रदान करने का प्रावधान है। पर्यटन नीति-2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाईयों के स्थापना हेतु अब तक 184 प्रस्तावों को पंजीकृत किया जा चुका है। पर्यटन नीति-2018 के अंतर्गत प्रदेश में रु. 6931.81 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

●

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

पर्यावरण निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य, कर्तव्य एवं दायित्व :-

पर्यावरण निदेशालय, राज्य सरकार का एक विभाग है, जिसका गठन वर्ष 1976 में हुआ था। यह प्रदेश में पर्यावरण के सुधार एवं जन मानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत हैं। पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन पर्यावरण निदेशालय द्वारा इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय शोध, पर्यावरण संगत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन मानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से सम्बन्धित हैं।

पर्यावरण निदेशालय अपने अत्यंत सीमित संसाधनों से पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध ययन इनके निदान तथा जन मानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत है।

उपर्युक्त के अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 को निर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण/पूर्व-पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण :-

पर्यावरण निदेशालय द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम मुख्यतः निम्नांकित मदों के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं :-

अ. पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम :-

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में जन सामान्य को सहभागी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जग जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 30.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके अन्तर्गत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1. विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2021) एवं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर 2021) पर वैश्विक महामारी (कोविड-19) के दृष्टिगत वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किये गये। उक्त आयोजित कार्यक्रम पर कोई धनराशि व्यय नहीं हुयी।
2. 28 एवं 29 अक्टूबर 2021 में दो दिवसीय **क्लाइमेट चेन्ज कान्क्लेव** का आयोजन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में कराया गया जिसमें मा. मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में

सम्मिलित हुए।

3. 'जीरो कार्बन उत्सर्जन' के सम्बन्ध में जनजागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एफ.एम. रेडियो के माध्यम से संदेशो का प्रसारण कराया गया।
4. क्लाइमेट चेन्ज अथारिटी के ''लोगो'' को डिजाइन कराया गया।
5. 19-22 जनवरी, 2022 तक पूरे प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से आये प्रतिभागियों का मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण किए जाने का प्रशिक्षण कराया गया तथा मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति की लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करायी गयी।
6. क्लीन इन्वायरमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज हेतु ''स्टेट नॉलेज पोर्टल'' तैयार किये जाने के लिए क्लाउड स्पेस रि व्यवस्था की गई।
7. निदेशालय के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम व ऑनलाईन वीडियों कान्फ्रेंसिंग कराये जाने के लिए डिजिटल वॉल एवं पी.टी.जेड. कैमरे की स्थापना की गयी।
8. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा ई-लर्निंग कोर्स मेटेरियल्स फार कैपिसिटी बिल्डिंग आफ वेस्ट मैनेजमेंट का निर्माण।
9. पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम (जिला योजना)

   जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में निम्नांकित कार्यक्रमों में से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का चयन कर आयोजन कराया गया।

ब. पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम :-

पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्तरिक शोध के माध्यम से स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत अपने वाले विभागों के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे सात शोध अध्ययन प्रस्तावों को अनुदान दिया गया। प्रस्तावकों द्वारा शोध कार्य की प्राथमिक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वितीय एवं तृतीय किश्तों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से चलायी जा रही शोध योजना रामगढ़ ताल, आमी-राप्ती नदी की जल गुणवत्ता का अध्ययन कराया जा रहा है।

स. निदेशन एवं प्रशासन :-

1. ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत निदेशालय का कम्प्यूटरीकरण :-

इसके अन्तर्गत विभागीय कार्यप्रणाली को सुगम बनाने एवं गति देने के उद्देश्य से निदेशालय के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

2. पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना :-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जल एवं वायु प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

द. केन्द्र पुरोनिधानित योजना :

इसके अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएं प्रस्तावित/क्रियान्वित की गई :-

1. परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार : (केन्द्र 50/राज्य 50)

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इनके बैज्ञानिक ढंग से समुचित निस्तारण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 1989 (यथा संशोधित) निर्गत किये गये हैं।

अन्य कार्यक्रम/योजनाएं :

1. उ.प्र. जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठनः-

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उ.प्र. जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

2. मा. एन.जी.टी. द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को रेम्यूनरेशन एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था :-

मा. एन.जी.टी., नई दिल्ली द्वारा ओवर साइट कमेटी का गठन किया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में मा. अध्यक्ष एवं सदस्य को समस्त लाजिस्टिक सपोर्ट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश है।

3. जिला पर्यावरण समिति :-

जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''जिला पर्यावरण समिति'' गठित की गयी है, जिसके सदस्य संयोजक जिला वन अधिकारी/ प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी नामित किये गये हैं, के सुचारू संचालन/समिति के कार्यों की सहायता हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक जे.आर. एफ. अर्थात कुल 75 जे.आर.एफ. को आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करने के उपरांत नियुक्त किया गया।

वन एवं वन्य जीव

प्रकृति की निरन्तरता तथा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं तापमान में वृद्धि को नियंत्रित करने में वनावरण तथा वृक्षावरण, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण, 22239 वर्ग कि.मी. है, जोकि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 प्रतिशत है। वर्षाकाल 2020-21 में 05 जुलाई 2021 को 30.57 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में अवनतीकरण, जैव विविधता क्षति की रोकथाम हेतु बृहद स्तर पर वृक्षारोपण आदि कार्य हेतु राज्य वन नीति 2017 प्रख्यापित की गयी है।

वन्य जीवों के अवेध शिकार एवं तरकरी को रोकने हेतु सघन निरीक्षण, स्मार्ट पेन्ट्रोलिंग, हाईटेक, सर्वेलेन्स के अन्तर्गत एम. स्ट्राइप्त एप, आई.आर. कैमरा, धर्मल विजन कैमरा आदि का प्रयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा वन्य जीव बाहुल्य एवं प्राकृतिक सौन्दर्य वाले क्षेत्रों- दुधवा टाइगर रिजर्व, कतर्नियाघाट, चूका-पीलीभीत, राजदरी एवं देवदरी-चन्दौली तथा विन्डमफाल-मिर्जापुर में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के वन-एक दृष्टि :-

वन्य जीव परिरक्षण	
1. प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
2. प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
3. आरक्षित संरक्षण क्षेत्र	1
4. प्रदेश में प्राणि उद्यान	4

स्रोत :- स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021

प्राथमिकताएं :-

- वनावरण/वृक्षावरण में वृद्धि।
- वनों की सुरक्षा (अवैध कटान, अवैध खनन, अतिक्रमण पर नियंत्रण)
- वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण।
- वानिकी कर्मियों की कार्यकुशलता में वृद्धि।
- ईको पर्यटन को बढ़ावा।
- कृषि वानिकी को बढ़ावा।

वन बन्दोबस्त :-

वन बन्दोबस्त, वन भूमि से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वन बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण होने के पश्चात सम्बन्धित भूमि पर वन विभाग की कानूनी स्थिति भारतीय वन अधिनियम से प्राविधानों अन्तर्गत सुदृढ़ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अतिक्रमण की रोकथाम एवं वन सम्पदा की सुरक्षा में विभाग द्वारा सरलता से की जा सकती है।

वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना निरूपण :-

(क) वन अनुसंधान :-

अनुसंधान वृत्त के अन्तर्गत तीन प्रभाव-साल क्षेत्र, बरेली, दक्षिणी क्षेत्र, कानपुर एवं विन्ध्य क्षेत्र, रामनगर, वाराणसी प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में वन अनुसंधान की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए गठित हैं। तीनों अनुसंधान प्रभागों के अन्तर्गत कुल 15 अनुसंधान केन्द्र एवं 15 पौधशालायें स्थापित है जिनके माध्यम से अनुसंधान कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(ख) प्रशिक्षण :-

वानिकी से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है।

(ग) कार्य योजना निरूपण :-

वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु वन प्रभागों की कार्य योजनाओं का निरूपण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों का सतत् रूप से उपयोग करने हेतु वनों से इमारती, प्रकाष्ठ, ईधन,

चारापत्ती व अन्य वन उपज की सतत् प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर हरियाली को बढ़ाना है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा तीन वर्ष पुराने विभागीय वृक्षारोपणों का सर्वेक्षण रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण व पौधशाला सम्बंधी सूचनाओं का संकलन कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

वन एवं वन्यजीव विभाग की पौधशालाओं का विवरण :-

वृक्षारोपण हेतु उच्च गुणवत्ता के पौधों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पौधशालायें स्थापित हैं। जिनमें विभिन्न प्रजातियों जैसे- आम, जामुन, नीम, इमली, शीशम, सागौन, अर्जुन, कंजी आदि प्रजातियों के पौध तैयार किये जा रहे हैं।

प्रचार-प्रसार :-

प्रचार-प्रसार के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग अपनी प्रत्येक योजनाओं, कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचानें का प्रयास करता है।

विभाग में ई-गवर्नेन्स :-

विभाग में राजकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं ई-गर्वेनंन्स के अन्तर्गत एम.आई.एस. एवं नवीनतम तकनीकी आधारित सूचना तकनीकी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सूचनाओं के ऑनलाइन संकलन एवं अनुश्रवण कार्यों में सहायता मिलती है।

अवैध कटान, अवैध खनन, अतिक्रमण, वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उपयोग एवं वनों की अग्नि से सुरक्षा

अवैध कटान :-

विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अवैध कटान की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है।

अवैध खनन :-

वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजस्व विभाग व पुलिस विभाग से सामंजस्य स्थापित कर वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने का प्रभावी प्रयास किया गया है।

अतिक्रमण :-

जिला स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किये जाने से विगत वर्षों में वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है।

वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उपयोग :-

वन (संरक्षण) अधिनियम- 1980 के प्राविधानों के अनुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

वनों की अग्नि से सुरक्षा :-

उत्तर प्रदेश में वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है, जिससे वन अग्नि

की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।

वन्य जीव संरक्षण कार्य :-

प्रदेश के वन्य जीवों का संरक्षण व प्रबन्धन, वन्य जीव (संरक्षण अधिनियम-1972) यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव से सम्बंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य कराये जा रहे हैं।

(1) वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता वृद्धि हेतु जनपद गोरखपुर में शहीद अशफॉक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान का निर्माण किया गया है।

(2) प्रोजेक्ट टाइगर योजना उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिवर्ज, कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार, उत्तर खीरी (बफर जोन), दक्षिण खीरी वन प्रभाग तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, सामाजिक वानिकी पीलीभीत एवं शाहजहाँपुर वन प्रभाग में क्रियान्वित की जा रही है।

(3) उत्तर प्रदेश में तीन प्रभागों, शिवालिक, बिजनौर सामाजिक वानिकी एवं नजीबीबाद वन प्रभाग, जिनमें हाथियों की बहुतायत है, प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजना के लिए चिन्हित किये गये हैं।

(4) जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क योजना के अन्तर्गत सेन्ट्रल जू अथारिटी द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लाने के अनुरूप ब्रीडिंग सेन्टर, अस्पताल, एनीमल हाउस, इन्टरप्रीटेशन सेन्टर, जन-सुविधायें, ओवरहेड टैंक, पम्प हाउस, जनरेटर रूम, आन्तरिक मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(5) कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत ईको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य लखनऊ महानगर के व्यस्त नगरवासियों को उनके व्यस्त व तनावपूर्ण जीवन के कुछ क्षण शांतिपूर्वक मनो-विनोद में व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना एवं पर्यावरण संरक्षण है। वर्ष 2005 में इस स्थल को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है।

(6) उत्तर प्रदेश के पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बर्ड फेस्टिवल, 2019 को अर्न्तराष्ट्रीय वेटलैण्ड दिवस (2 फरवरी 2020) के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित किया गया था।

(7) नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ तथा कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क की स्थापना की गयी है।

(8) वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

(9) उत्तर प्रदेश में ईको पर्यटन विकास योजना के माध्यम से ईको पर्यटन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कतर्नियाघाट, राष्ट्रीय चम्बल, सहसों वन विश्राम गृह, सोहेलवा, टिकरी गोण्डा व पार्वती अरगा, सीताद्वार तथा सरसई नावर में ईको पर्यटन विकास के कार्य कराये जा रहे हैं।

(10) पक्षियों के संरक्षण एवं उनके प्राकृत वास के सुधार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(11) दुधवा नेशनल पार्क में टूरिज्म के विकास के लिए पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों को सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किया जा रहा है।

विभागीय योजनाएं

वृक्षारोपण योजनाएं

(1) सामाजिक वानिकी

प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकोष्ठ, ईंधन, चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है।

(2) शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षो का रोपण किया जाता है

(3) टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना प्रदेश के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, रामपुर, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर, चित्रकूट, मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज तथा बदायूं जनपदों को पूर्ण रूप से हरा-भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

(4) वनावरण संवर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से आर.आई.डी.एफ.-20 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झाँसी, बांदा, कानपुर नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़) में नाबार्ड के सहयोग से वृक्षारोपण की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(5) पौधशाला प्रबन्धन योजना

वन एवं अन्य जीव विभाग की पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता की पौध तैयार करने हेतु पौधशाला प्रबन्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है। सम्पूर्ण प्रदेश में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(6) सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)

योजना का उद्देश्य कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहित कर वृच्छादन बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में कृषि वानिकी हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशालाओं का विकास खेतों की मेड़ सीमा पर पंक्ति वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर ब्लाक वृक्षारोपण, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार प्रसार सम्मिलित हैं। योजना में कृषकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

(7) नेशनल बैम्बू मिशन योजना

नेशनल बैम्बू मिशन एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्राविधान है। इस योजना में वन क्षेत्रों तथा गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण कर बांस क्षेत्र को बढ़ाना है।

(8) विन्ध्य एवं दुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोड़ी गयी खदानों तथा पठारी/पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण

उत्तर प्रदेश के विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ऐसी पुरानी खदाने हैं, जिनमें वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध हो सकती है। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर वनावरण को बढ़ाया तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ईंधन, चारा एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति भी हो सकती है। वृक्षारोपण करने से मृदा संरक्षण हो सकेगा तथा जल की निरन्तरता बढ़ेगी। ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा को सीमित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश वन निगम

उत्तर प्रदेश के वनों के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संरक्षण, परिरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 25 नवम्बर, 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई।

राज्य वन खेलकूद परिषद

वन विभाग में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु उ.प्र. राज्य वन खेलकूद परिषद का गठन किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

वन विभाग के वित्तीय स्रोत

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वन संवर्द्धन, वन्यजीव संरक्षण तथा इको डेवलेपमेंट कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से अधिकाधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की नीति अपनाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 3 फरवरी, 1975 को "उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड" का गठन किया गया। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा-5 के प्राविधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। 13 जुलाई, 1982 से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" विनिर्दिष्ट कर दिया गया। राज्य बोर्ड के वित्तीय संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भी अधिनियमित किया गया जिसके अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसरण में तत्सम्बन्धी शक्तियाँ भी भारत सरकार द्वारा राज्य बोर्ड को प्रत्यायोजित की गयी। प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त 28 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है एवं उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य

- राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।
- प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
- मल तथा व्यवसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना

तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।

- बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।
- मल तथा व्यवसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।
- उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से दिनाँक 30 जून 2017 तक के जल उपकर का निर्धारण कर जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं आय व्ययक के प्राविधानों के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि :

नमूने एकत्रित किया जाना एवं उनका परीक्षण :

विभिन्न उद्योगों के उत्प्रवाह द्वारा हो रहे प्रदूषण की स्थिति एवं प्रकार ज्ञात करने तथा नदियों के जल की गुणता की जाँच करने के लिए नमूने एकत्र कर भौतिक, रसायनिक एवं जीवाणु परीक्षण हेतु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजकर उनकी जाँच करायी जाती है।

बोर्ड द्वारा वातावरण में परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रदेश के 29 शहरों-आगरा, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सोनभद्र, मुरादाबाद, वाराणसी, रायबरेली, मथुरा, उन्नाव, सहारनपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, मुजफरनगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, कानपुर देहात, बाँदा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, बिजनौर, नोएडा व केन्द्रीय प्रयोगशाला आदि नगरों में 72 स्थलों पर किया जा रहा है।

उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवम् अधिकारों का प्रतिनिधायन

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय द्वारा समस्त जल एवं वायु सहमति प्रकरणों का निस्तारण किया जाता था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। तदोपरान्त प्रक्रिया के सरलीकरण व प्रतिनिधायन की प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29-02-2016 को किये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, उक्तानुसार लाल श्रेणी में 60 प्रकार के उद्योगों, नारंगी श्रेणी में 83 प्रकार के उद्योगों, हरी श्रेणी में 63 प्रकार के उद्योगों एवं सफेद श्रेणी में 36 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित किया गया है तथा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरी श्रेणी में संशोधन करते हुए सी०पी०सी०बी० द्वारा चिन्हित 63 प्रकार के उद्योगों के साथ 28 प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित करते हुए कुल हरी श्रेणी में 91 प्रकार के उद्योग एवं सफेद श्रेणी में सी०पी०सी०बी०

के 36 श्रेणी के चिन्हित उद्योगों के साथ 156 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित करते हुए कुल 192 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित किया गया है तथा यह भी प्राविधानित किया गया है कि हरी एवं नारंगी श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा लाल श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

सहमति आवेदन के निस्तारण एवं सहमति शुल्क प्राप्ति की स्थिति

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम, 1978 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ जो मानकों के अनुरूप अपने उत्प्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहे हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

जल उपकर

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जी०एस०टी० प्रभावी होने की तिथि (01-07.2017) से नये उद्योगों के उपकर को रिपील करके जी०एस०टी० में सम्मिलित कर दिया गया है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत प्रदेश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी बोर्ड को सौंपा गया है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमापार संचालन नियम, 2016 के अन्तर्गत 2724 उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

17 श्रेणी (वृहद एवं मध्यम) के उद्योगों की कार्ययोजना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना, 1990 में तैयार की गई थी, जिसमें 17 प्रकार के वृहद एवं मध्यम श्रेणी के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों यथा- 1. आसवनी, 2. चीनी उद्योग, 3. सीमेन्ट उद्योग, 4. लुगदी एवं कागज, 5. उर्वरक, 6.चमड़ा उद्योग, 7. कीटनाशक, 8. एल्यूमिनियम स्मैल्टर, 9. कापर स्मैल्टर, 10. जिंक स्मैल्टर, 11. लोहा तथा स्टील, 12. डाइज एण्ड डाई इण्टरमीडिएट, 13. पेट्रो केमिकल्स, 14. रिफाइनरी, 15. थर्मल पावर प्लान्ट, 16. कास्टिक सोडा उद्योग, 17. औषधीय उद्योग को चिन्हित किया गया था।

इन 17 श्रेणी के सभी उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने तथा बोर्ड के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में आख्या

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1377 ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनका बी०ओ०डी० लोड 100 कि०ग्रा०/दिन से ज्यादा या जहरीला उत्प्रवाह है) को चिन्हित किया गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 13 प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहन्द एवं शारदा) एवं विभिन्न तालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं।

मानकों की प्राप्ति न करने वाले उद्योगों की जल सहमति अस्वीकृत कर दी गई है एवं साथ ही उद्योग को पर्यावरणीय अधिनियमों के पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदूषण नियंत्रण के अधिनियमों का नियमित रूप से उल्लंघन करने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाती है। इन अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योगों की समीक्षा समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी की जाती है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 37927 अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिन्हित किये गये है जिनमें से समस्त अस्पतालों/नर्सिग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा एकल उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध है। इनमें से 31155 अस्पतालों/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 को अधिसूचना दिनांक 08-04-2016 द्वारा अधिक्रांत करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 कहा गया है।

अभियोजनात्मक कार्यवाही

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों/ स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

प्रयोगशाला एवं जल-वायु गुणता का अनुश्रवण

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा 22 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों एवं भूगर्भ जल के नमूनों का परीक्षण तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं संशोधित 2010 प्रख्यापित किये गये हैं।

पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम

दीपावली पर्व के दौरान जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पर्व के दौरान राज्य के प्रमुख 28 शहरों में जहाँ पर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं, जहाँ ध्वनि प्रदूषण की जाँच का कार्य सम्पादित किया जाता है।

स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 20 शहरों-लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, खुर्जा बुलन्दशहर, मेरठ, हापुड़, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, वृन्दावन (मथुरा), झांसी, फिरोजाबाद एवं मुजफ्फरनगर में कुल 49 स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों से लगातार परिवेशीय वायुगुणता के विभिन्न प्रचालक जैसे-पार्टीकुलेट मैटर (पी०एम०-10 एवं पी०एम०-2.5), सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनो आक्साइड गैसों, बेन्जीन, जाइलीन, टाल्वीन के आंकड़ें प्राप्त होते हैं।

ध्वनि गुणता अनुश्रवण

वर्तमान में बोर्ड द्वारा प्रदेश के 56 शहरों की विभिन्न श्रेणियों-आवासीय, वाणिज्यिक,

औद्योगिक एवं शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि के समय परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है।

स्वचालित परिवेशीय ध्वनिगुणता मापक स्टेशन

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से लखनऊ शहर में 10 स्टेशनों को स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लोहिया अस्पताल, इंदिरा नगर, तालकटोरा, डी०आर०एम० आफिस हजरतगंज, एस०जी०पी०जी०आई०, आई०टी० कालेज, बोर्ड मुख्यालय विभूति खण्ड, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, आंचलिक विज्ञान केन्द्र अलीगंज तथा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थापित है। इन स्टेशनों से लगातार ध्वनि स्तर के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की स्थापना

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना एवं संचार प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से बोर्ड कार्यालय के आधुनिकीकरण की एक विस्तृत योजना लागू की गयी है। वर्तमान व्यवस्था में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के विस्तारीकरण/उच्चीकरण के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय पर सभी अनुभागों के नियंत्रक अधिकारियों एवम् समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण (प्रिन्टर, स्कैनर इत्यादि) उपलब्ध कराये जा चुके हैं। मुख्यालय पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग व्यवस्था को भी स्थापित किया जा चुका है।

बोर्ड द्वारा जन-जागरूकता हेतु वेबसाइट : डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीपीसीबी.कॉम इन्टरनेट पर होस्ट है, जिसमें बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अद्यतन जानकारी दी जाती है बोर्ड की ई-मेल (Info@uppcb-in) सेवा भी उपलब्ध है।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धनः

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18-03-2016 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 अधिसूचित किये गये हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक 18-03-2016 से प्रभावी है, जो कि वर्ष 2018 में संशोधित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2000 को उत्तर प्रदेश अध्यादेश स०-10 सन् 2018 दिनांक 15-07-2018 द्वारा संशोधित कर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जैव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12-08-2021 द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिनांक 01-07-2022 से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 15-07-2018 द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग किसी भी मोटाई के एवं थर्मोकोल से निर्मित कप, प्लेट, गिलास एवं चम्मच

इत्यादि पर पूर्णतया प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जा चुका है।

ई-वेस्ट प्रबन्धन

ई-वेस्ट प्रबन्धन (मैनेजमेंट) रूल्स-2016 के प्राविधानों के अंतर्गत वर्तमान में राज्य बोर्ड में कुल 135 ई-वेस्ट प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों द्वारा रिसाइक्लिंग/डिस्मेंटलिंग/रिफर्बिशिंग/ कलेक्शन सेंटर श्रेणी में प्राधिकार प्राप्त है। प्राधिकृम 135 ई-वेस्ट इकाइयों में से 22 इकाइयाँ रीसाइक्लिंग जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता 110621.7 टन/वर्ष, 76 इकाइयाँ डिस्मेंटलिंग में जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता 220009.5 टन/वर्ष व अन्य श्रेणी में 37 इकाइयों जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता 35165.124 टन/वर्ष हेतु प्राधिकार प्राप्त है। ई-वेस्ट प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों में ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 मे निहित प्रविधानों का अनुपालन कराए जाने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धारा-18(1)(b)के अंतर्गत राज्य बोर्ड को निर्देश किये गए है। उक्त निर्देश का अनुपालन कराए जाने के संबध में बोर्ड द्वारा प्रदेश मे प्राधिकार प्राप्त ई-वेस्ट प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों तथा ई०पी०आर० के अंतर्गत प्राधिकृत इकाइयों के आकस्मिक निरीक्षण कराए जाने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

अपशिष्ट बैटरी प्रबन्धन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनाँक 22-08-2022 द्वारा प्रख्यापित "अपशिष्ट बैटरी प्रबन्धन नियम 2022" के प्रविधानों का अनुपालन हेतु नई नियमावली के नियम 12 के अन्तर्गत बोर्ड को अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनः चक्रण करने वाली प्रत्येक इकाइयों के ई०पी०आर० रजिस्ट्रेशन हेतु ई०पी०आर पोर्टल निर्मित किया जाना हैं।

नियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत बिना ई०पीआर रजिस्ट्रेशन कराये हुए संचालित अपशिष्ट बैटरी का उचित प्रबन्धन नहीं करने वाली तथा मिथ्या जानकारी देने वाली ईकाइयों पर "Pollution Pays Principal" के सिद्धान्त पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपित किया जाता है तथा अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनः चक्रण करने वाली प्रत्येक इकाइयों निरीक्षण एवं आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से नियमावली का अनुपालन कराया जाता है।

प्रदेश के महानगरों की वायु गुणता में सुधार लाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रमुख कार्य

प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख श्रोत वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भवन निर्माण कार्यों से जनित होने वाली धूल, कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से जनित उत्सर्जन आदि हैं।

वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहनों में ईंधन के लिए स्वच्छ ईंधन सी०एन०जी० की आपूर्ति विभिन्न ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे-लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, फिरोजाबाद आदि में की जा रही है एवं वाहनों से जनित उत्सर्जन की जाँच सम्बन्धित विभागों द्वारा पी०यू०सी० प्रमाण पत्र के माध्यम से करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिये जाने हेतु इन्हें परमिट से छूट दी गयी है तथा प्रथम एक लाख वाहनों को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट दी गयी है।

औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु चिन्हित प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की नियमित जाँच कराते हुए और गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण का कार्य कराया जाता है।

भवन निर्माण परियोजनाओं में निर्माण कार्य के दौरान जनित होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए इन परियोजनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि निर्माण क्षेत्र को कवर्ड अवस्था में रखा जाये, यथा आवश्यक जल छिड़काव किया जाये तथा प्रमुख कार्य स्थलों पर पी०टी० 2 कैमरा एवं एन्टी स्मोग गन की स्थापना किया जाना आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

विभाग का संक्षिप्त इतिहास

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान समय का सर्वाधिक विकासमान उद्योग है। कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यद्यपि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की ही एक शाखा कही जा सकती है किन्तु उसकी महत्वपूर्ण स्थिति ने उसे इलेक्ट्रानिक्स उद्योग से पृथक एक स्वतन्त्र उद्योग की स्थिति प्रदान की है। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की छह मुख्य शाखायें यथा उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर्स, संचार एवं प्रसारण, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्पोनेन्ट्स हैं। कम्प्यूटर्स और संचार उपकरणों के पारस्परिक समन्वय (Interfacing) से सूचना प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ है।

आठवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों तक उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिक्स अपेक्षाकृत एक अपरिचित उद्योग था, अतः वर्ष 1974 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु 'यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड' की स्थापना की गई थी। वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश शासन में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु स्वतन्त्र 'इलेक्ट्रानिक्स विभाग' (उद्योग अनुभाग-5) का गठन किया गया था तथा वर्ष 1998 में विभाग को ''आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग'' का नाम दिया गया।

प्रमुख विभागीय कार्यकलाप, योजनायें तथा उपलब्धियाँ

(क) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकलाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विभागीय नीतियाँ

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है तथा उसके द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नित नये प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में अधिकाधिक निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल ही में "उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020", "उ.प्र. स्टार्टअप नीति-2020" तथा "उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2021" की समीक्षा करके प्रोत्साहनों के पुनर्गठन के द्वारा इन नीतियों में उपयुक्त संशोधन कर अधिक युक्तिसंगत एवं आकर्षक बनाया गया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नई "उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू.प्रौ. जनित सेवा नीति-2022" भी अधिसूचित की गई है। सभी नीतियों में प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों का प्राविधान है। महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेन्डर/दिव्यांगजन वर्ग के हितों को भी दृष्टिगत रखा गया है। प्रदेश में अनेक परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स तथा डाटा सेन्टर उद्योग क्षेत्र में प्रतिष्ठित करेंगी।

उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2021 का क्रियान्वयन

राज्य में 250 मेगावॉट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने, रु 20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट किये जाने तथा कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी क्षेत्र के डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित कराये जाने के लक्ष्य सहित उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2021 प्रख्यापित की गई थी। नीति के अन्तर्गत 636 मेगावाट की क्षमता के डाटा सेन्टर स्थापित किये जाने के लिये 7 निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लगभग रू 20,000 करोड़ के निवेश लक्ष्य, नीति की अधिसूचना के प्रथम वर्ष में ही प्राप्त कर लिये गये। हीरानन्दानी समूह द्वारा ग्रेटर नोएडा में भवन डी-1 में स्थापित लगभग 40 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर का उद्घाटन दिनांक 31 अक्तूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है।

उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2021 को संशोधित कर नीति लक्ष्यों को उच्चीकृत किया गया है तथा पूर्व परिलक्षित 03 डाटा सेन्टर पार्क्स के स्थान पर 08 डाटा सेन्टर पार्क्स, तथा प्रदेश में रु 30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र

प्रदेश सरकार की उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र भारत के इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सैमसंग, ओप्पो, वीवो इत्यादि सहित कोरिया, ताइवान तथा चीन की प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा 30 विनिर्माण इकाईयाँ प्रदेश में स्थापित हुईं तथा देश में निर्मित मोबाइल फोन्स के लगभग 70 प्रतिशत का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी) की स्थापना हो रही है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के दौरान बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के अन्तर्गत निवेश हेतु अभिरुचि प्रदर्शित की गई है तथा लगभग रु 3.31 लाख करोड़ के निवेश हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए हैं।

ई.एस.डी.एम. उद्योग में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा इण्डियन सेल्युलर एण्ड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के सहयोग से नोएडा में उत्पाद आधारित Li-ion Cells (Post Cell) हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (सी.ओ.ई.) की स्थापना की गई है।

प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम का विकास

भारत, 90,000 से अधिक स्टार्ट-अप इकाइयों सहित, वैश्विक रूप से तीसरा बड़ा स्टार्ट-अप हब बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि सभी क्षेत्रों हेतु युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 09 नवम्बर 2022 को ''उ.प्र. स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन)'' अधिसूचित की गई है। उ.प्र. स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) से प्रदेश के युवाओं को ''रोजगार आकॉक्षीं''

के बजाय ''रोजगार प्रदाता'' के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है और इससे प्रदेश में 1,00,000 से अधिक व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।

प्रदेश में वर्तमान में 60 शासकीय मान्यताप्राप्त इन्क्यूबेटर्स तथा लगभग 9,000 स्टार्टअप्स भारत सरकार के डीपीआईआईटी से पंजीकृत होकर कार्यरत हैं। वर्तमान में पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 14 इन्क्यूबेटर्स तथा 263 स्टार्टअप्स हैं। स्टार्ट-अप इकाइयों के वित्तपोषण के लिए रू 1,000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना कर दी गई है।

नीति के अन्तर्गत राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना के क्रम में प्रथम उत्कृष्टता का केन्द्र (सी.ओ.ई.), मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स (स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में तथा एक अन्य उत्कृष्टता का केन्द्र आईआईटी कानपुर, नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजन्स (ए.आई.) के क्षेत्र में स्थापित होकर परिचालनरत हो गया है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स एण्ड इन्नोवेशन ड्रिवेन इन्टरप्रेनेयोरशिप सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स पर आर्टिफिशियल इन्टेलीजन्स क्षेत्र के 52 स्टार्टअप्स को तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता सम्बन्धी परामर्श/सहायता, हैण्डहोल्डिंग इत्यादि सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त आईआईटी कानपुर परिसर में ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। ड्रोन तकनीक/सेवा एक उदीयमान क्षेत्र है तथा आने वाले समय में देश एवं प्रदेश में कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा गृह विभाग आदि से सम्बन्धित कार्यकलापों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

प्रदेश में आईटी पार्क्स/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था - उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता है, और देश में सॉफ्टवेयर निर्यात मे छठवें स्थान पर है।

प्रयागराज, लखनऊ तथा कानपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पहले से परिचालनरत हैं। मेरठ में 25,000 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना के पश्चात संचालन का कार्य दिनांक 28 दिसम्बर 2021 से आरम्भ हो गया है। इस केन्द्र में 133 सीट प्लग एण्ड प्ले का इन्क्यूबेशन सेन्टर है।

आगरा विकास प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम योजना में लगभग 23,000 वर्गफुट क्षेत्र का निर्माण कराया गया है तथा इस केन्द्र का संचालन शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। इसमें से लगभग 750 वर्गफुट स्थान एसटीपीआई अधिकारियों के उपयोगार्थ होगा तथा शेष क्षेत्र आईटी/आईटीएस कम्पनियों हेतु - प्लग एण्ड प्ले इन्क्यूबेशन स्पेस, रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस, को-वर्किंग इन्क्यूबेशन स्पेस, आईटी आयोजनों हेतु ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर, कैफेटेरिया इत्यादि है।

गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हेतु एसटीपीआई द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है। बरेली में आईटी पार्क की स्थापना हेतु इण्डियन टरपेन्टाईन एवं रोजिन कम्पनी लिमिटेड की 8000 वर्गमीटर भूमि का क्रय आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किया गया है, जिस पर एसटीपीआई द्वारा भवन निर्माण कराया जायेगा।

एसटीपीआई द्वारा वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु लगभग 10,000 वर्गफुट स्थान चाहा गया है। एलटी कॉलेज परिसर स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन के भवन के ऊपरी तल पर एसटीपीआई हेतु बिल्ट अप स्पेस तैयार किए जाने के सम्बन्ध में एसटीपीआई द्वारा इसका संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश शासन द्वारा उद्घोषित ''उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू.प्रौ. जनित सेवा नीति-2022'' के अन्तर्गत गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल में एक ग्रीनफील्ड आईटी पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डलों में प्रस्तावित आईटी पार्क की स्थापना ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से आच्छादित किसी जनपद में कराई जायेगी। राज्य सरकार द्वारा पश्चिमांचल (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के आगरा जनपद), मध्यांचल, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड - प्रत्येक क्षेत्र में एक आईटी सिटी विकसित करने और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में आईटी इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है।

आईटी सिटी लखनऊ

लखनऊ में आईटी सिटी परियोजना की स्थापना सुल्तानपुर रोड, गंजरिया फार्म स्थित 100 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है तथा मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना के विकासकर्ता हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 30 एकड़ भू-क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना कराई गई है। 10 वर्षों की अवधि में दो चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का विकास कार्य प्रगति में है।

शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है तथा दिनॉक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त इसे बाध्यकारी कर दिया गया है। रु. 10 लाख से अधिक मूल्य की शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है।

ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के उपरान्त निम्नलिखित आंकड़ों के साथ, उत्तर प्रदेश ई-टेण्डरिंग के क्षेत्र में देश में गत पॉच वर्षों से प्रथम स्थान पर हैः-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 की विषम स्थिति के बावजूद प्रदेश में रु. 1,76,896 लाख करोड़ मूल्य की 2,03,577 निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा निदेशालयों मे ई-ऑफिस प्रणाली

उत्तर प्रदेश सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है तथा ई-ऑफिस प्रणाली के रोल-आउट के कार्य के प्रबन्धन का दायित्व आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश को दिया गया है।

ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो जाने पर, समस्त जनपदों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा शासन के मध्य पत्राचार, ट्रॉजेक्शन तथा सूचनाओं का (Two-Way) आदान-प्रदान ऑन-लाईन किया जायेगा तथा पत्रावलियों का आदान-प्रदान मैनुअली नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत आच्छादित 10 सेवायें, जिनका लाभ शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त होता है, जैसे कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, पेन्शन की स्वीकृति, जी.पी.एफ. की स्वीकृति, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति, वेतन का भुगतान, गोपनीय प्रविष्टियों पर निर्णय, पदोन्नति पर निर्णय आदि समस्त कार्यवाही इसी प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही सम्पादित की जायेंगी।

पुलिस विभाग के ई-आफिस प्रयोग हेतु 15000 यूजर्स की क्षमता के पृथक दृष्टांत (Instance) का सृजन स्टेट डाटा सेण्टर पर किया जा चुका है। पुलिस की 06 इकाईयों (राजकीय रेलवे पुलिस, पुलिस यातायात निदेशालय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम तथा पुलिस तकनीकी सेवायें) को उनका इम्प्लायी मास्टर डाटा उक्त दृष्टांत पर फीड कराने सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है।

राइट ऑफ वे अनमतियों हेतु 'डीम्ड एप्रूवल' की व्यवस्था

प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क के सुदृढ़ विस्तार हेतु राइट ऑफ वे अनुमतियों के लिए आवेदन हेतु ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है। इस सेवा को निवेश-मित्र पोर्टल से एकीकृत करके जनहित गारण्टी ऐक्ट से भी जोड़ दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु ऐसे समस्त आवेदन जिनमें शासकीय भूमि/भवन अन्तर्निहित नहीं है, उनमें 'डीम्ड एप्रूवल' की 45 दिनों की व्यवस्था तथा शासकीय भूमि/भवनों पर मोबाइल टावर की स्थापना के लिए भारत सरकार की अधिसूचना में प्राविधानित 60 दिनों में 'डीम्ड एप्रूवल' की व्यवस्था लागू करा दी गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स तथा डाटा सेन्टर उद्योग के क्षेत्र में निवेश हेतु एम.ओ.यू.

दिनॉक 10 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, तथा डाटा सेन्टर उद्योग क्षेत्र के सम्भावित निवेशकों द्वारा लगभग रु. 4.71 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित उद्योग मित्रवत् नीतियों के अन्तर्गत निवेशकों को दिये जा रहे आकर्षक प्रोत्साहनों के फलस्वरूप देश-विदेश की कम्पनियों से प्रदेश में निवेश हेतु निरन्तर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं तथा आशा है कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्रों में एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आयेगा।

सी.ई.जी. कार्यालय अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण

ई-डिस्ट्रिक्ट

- ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत 43 विभागों की 280 शासकीय सेवायें प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों एवं सीधे इंटरनेट के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिनमें से कुछ सेवायें जनहित गारण्टी मे अधिनियम से आच्छादित हैं। जिन्हें और बढ़ाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।
- योजनान्तर्गत तद्दिनांक तक लगभग 32.21 करोड़ आवेदन तद्दिनांक तक डिस्पोस किये गये है, जिसके परिणामस्वरूप आम जनमानस को प्रदेश सरकार की जन कल्यागणकारी योजनाओं से लगातार लाभान्वित किया जा रहा है।
- ई-साथी मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से जन-सामान्य मोबाइल के द्वारा शासकीय सेवाओं हेतु आवेदन एवं किये गये आवेदन की स्थिति की सूचना प्राप्त कर सकता है।
- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजनान्तर्गत लखनऊ स्थित स्टेट डाटा सेण्टर में हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरण स्थापित किये गये जिनमें ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को होस्ट किया गया है।
- जनपद स्तर, तहसील स्तर एवं ब्लाक स्तर पर ई-डिस्ट्रिक्ट लैब की स्थापना की गयी जिनमें कम्प्यूटर, प्रिंटर, एवं स्कैनर इत्यादि को स्थापित किया गया, जिनका उपयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन का निस्तारण हेतु किया जाता है।

कॉमन सर्विस सेन्टर (जन सेवा केन्द्र)

- सी.एस.सी. 3.0 योजना जो कि दिनांक 16.11.2020 से प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रति जनपद 02 डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर डी.एस.पी) संस्थाओं का चयन करते हुए प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 02 जन सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जिसके माध्यम से शासकीय सेवायें आम जनमानस को उनके द्वार के समीप उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- सी.एस.सी. 3.0 योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी है जिस के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 02 जन सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में सी.एस.सी. 3.0 योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य जन सेवा केन्द्रों की संख्या 1.50 लाख के सापेक्ष 2.02 लाख से अधिक जन सेवा केन्द्र राज्य में स्थापित किये गये हैं।
- राज्य में स्थापित समस्त जन सेवा केन्द्रों को डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से एकीकृत कर दिया गया है।

●

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2021-22 की प्रायोजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति तथा उपलब्धियाँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्येगिकी विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है। परिषद द्वारा शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थानों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों के कार्यक्रम को क्षेत्रीय केन्द्रों व जिला विज्ञान क्लबों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।

प्रदेश की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास :

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन :** इसके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास में उपयोगी शोध परियोजनाएं, प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, परास्नातक महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने हेतु वित्त पोषित की जाती है। परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण परिषद द्वारा किया जाता है।
- **सीएसटीयूपी-समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम :** इस फेलोशिप के अन्तर्गत प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/प्रोफेसर्स के साथ 02 माह की अवधि के लिए रिसर्च ट्रेनिंग हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित छात्रों को 02 माह के लिए रु. 25000/- मासिक फेलोशिप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में समर रिसर्च ट्रेनिंग हेतु कुल 60 विद्यार्थियों को सूचीबद्ध किया गया है एवं 10 विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं राज्य की आवश्यकतानुसार विकास :** प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के अन्तर्गत ऐसी परियोजनायें ली जाती हैं जिनके कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी विकास, उन्नयन व हस्तान्तरण निहित हो। इस मद के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों/क्षेत्रों यथा- सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,

इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, कैमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, आयल व पेन्ट टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी एवं फूड टेक्नोलॉजी आदि में व्यावहारिक एवं उपयोगी शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। प्रौद्योगिकी प्रवर्तन के प्रमुख क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, निर्माण प्रौद्योगिकी विशेष रूप से कम कीमत की भवन सामग्री, प्रदूषण निरोधी टेक्नोलॉजी सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी/तकनीक का प्रचार-प्रसार आदि प्रमुख हैं। इस मद की शोध प्रायोजनाओं को सामान्यतः प्रदेश में स्थित भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के इंजीनियरिंग कालेजों तथा शोध एवं विकास संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषित किया जाता है।

- **सीएसटीयूपी अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना**

  परिषद द्वारा उ.प्र. में अध्ययनरत अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार तथा स्थानीय एवं पर्यावरण समस्याओं के निराकरण पर आधारित प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सी.एस.टी.यू.पी. अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बी.टेक के विद्यार्थियों द्वारा बनाये जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से अधिकतम 60 प्रोजेक्ट्स का चयन कर उन्हें रु. 20,000/- की अनुदान धनराशि प्रदान की जायेगी। सर्वोत्तम तीन प्रोजेक्ट्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1,00,000.00, रु. 75,000.00 व रु. 50,000.00 प्रदान किये जायेंगे। परियोजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष हेतु चयनित किये जाने वाले प्रोजेक्टों की संख्या 60 प्रस्तावित है।

विज्ञान लोकप्रियकरण :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मौलिक विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि निरन्तर बनाये रखने के दृष्टिगत परिषद द्वारा प्रदेश में धरातल स्तर पर बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता विकसित करने और उनमें वैज्ञानिक ढंग कार्य कलापों, कल्पनाशीलता विकसित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर तक के बच्चों की प्रतिभा विकास हेतु विभिन्न प्रकार की विज्ञान की प्रतियोगिताएँ, ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्री) एवं प्रयोगशालाओं का वैज्ञानिक भ्रमण, भारतीय विज्ञान एवं भारतीय वैज्ञानिकों पर वैज्ञानिक व्याख्यान, वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या आदि के साथ प्रतिभागी बच्चों को विभिन्न विज्ञान साहित्य तथा दैनिक उपयोग से जुड़ी वस्तुओं आदि से पुरस्कृत किये जाने पर आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य जनमानस में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ढंग से कार्य व्यवहार अपनाने, समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर ढंग से उपयोग को सुनिश्चित कराने इत्यादि से सम्बन्धित विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन प्रायः महत्त्वपूर्ण दिवसों, खगोलीय घटनाओं एवं सामाजिक/शैक्षिक अवसरों पर विज्ञान प्रदर्शनी, अलौकित चमत्कारों तथा अंधविश्वासों में छुपे विज्ञान के प्रयोगों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या आदि गतिविधियाँ आयोजित करायी जाती हैं। जनपद व मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सभी कार्यक्रम जनपदों में गठित जिला विज्ञान क्लब तथा परिषद द्वारा स्थापित क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से आयोजित कराये जाते हैं।

- जिला विज्ञान क्लबों द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
- क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम।
- तकिया पाटन मेला, बीघापुर, उन्नाव।
- मौनी धाम पर्यटक स्थल, ग्राम-बबेरू, जनपद बाँदा में वृहद साइंस विजनः विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी।
- जनपद पीलीभीत में दिनांक 17, 18 व 19 दिसम्बर, 2021 को 03 दिवसीय बाँसुरी महोत्सव (विज्ञान कार्नर)।
- वैज्ञानिक सम्मान योजना (विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए वैज्ञानिक सम्मान)।
- आई.आई.एस.एफ-2021 (इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (आई.आई.एस.एफ.) 2021 दिनांक 10-13 दिसम्बर, 2021 में गोवा में आयोजित)
- प्रदेश में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक सेमिनार्स/सिम्पोजिया/वर्कशाप्स/कान्फ्रेंसेस की संस्तुतियों (प्रोसीडिंग्स) के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता।

जैव प्रौद्योगिकी-संगठनात्मक ढांचा एवं क्षमता विकास

कृषि, उद्योग, खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबन्धन चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यावरण एवं ऊर्जा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग को दृष्टिगत रखकर उक्त योजना का प्रारम्भ वर्ष 1998-99 में अन्तिम चरण में किया गया था। शोध एवं विकास परियोजनाओं के साथ-साथ उक्त योजना के अन्तर्गत उ.प्र. जैव प्रोद्योगिकी नीति, 2014, उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, बायोटेक पार्क, लखनऊ एवं बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ जैसी वृहद योजनाएं विकसित की गयी हैं। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

- **बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ :** जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा बक्शी का तालाब, लखनऊ में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर परिषद द्वारा बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र का विकास किया जा रहा है।
- **नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन व उपयोग परियोजना :** "नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला के उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम परियोजना" के अन्तर्गत बक्शी का तालाब स्थित प्रक्षेत्र पर नील हरित शैवाल जैव उर्वरक तथा एजोला का उत्पादन कर कृषकों को उनके उपयोग हेतु निःशुल्क वितरित किया जाता है।
- **टिश्यू कल्चर लैब :** बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, पर निर्मित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर लैब का संचालन कुशलतापूर्वक निरंतर किया जा रहा है।
- **बायो-डीजल उत्पादन इकाई :** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बायो-डीजल इकाई की स्थापना बक्शी के तालाब पर की गयी है। इस इकाई द्वारा किसानों को बायो-डीजल उत्पादन का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **सीड प्रोसेसिंग इकाई :** बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ पर

सीड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु राज्य औद्यानिक मिशन, उ.प्र. शासन द्वारा रु. 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस इकाई की स्थापना हेतु भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इकाई के उपयोगार्थ सभी उपकरणों को क्रय कर स्थापित कर लिया गया है एवं संचालन हेतु फर्म के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

नक्षत्रशाला-समाज विशेषकर बच्चों के लिये शैक्षिक साधन

- **इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ :** इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ दिनांक 09 मई, 2003 से संचालित है। वर्तमान में नक्षत्रशाला में प्रत्येक दिन (सोमवार को छोड़कर) 4 शो (अपराह्न 1:00 बजे, 2:30 बजे, 4:00 बजे व सायं 5:00 बजे) आयोजित किये जाते हैं एवं प्रत्येक शो हेतु रु. 25.00 प्रति व्यक्ति की दर से टिकट निर्धारित किया गया है। विकलांगों हेतु प्रवेश निःशुल्क है।
- **वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर :** वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर दिनांक 21.12.2009 से जनसामान्य हेतु संचालित की जा रही है। नक्षत्रशाला में जनसामान्य हेतु प्रतिदिन 3 शो का आयोजन किया जाता है। जिसका समय अपराह्न 1:00 बजे, 3:00 बजे व 5:00 बजे है।
- **आर्यभट्ट प्लेनिटोरियम, रामपुर :** आर्यभट्ट प्लेनिटोरियम, रामपुर दिनांक 18.09.2012 से संचालित है। वर्तमान में नक्षत्रशाला में प्रतिदिन चार शो संचालित किये जाते हैं। शो का समय प्रातः 11:30 बजे, 1:00 बजे, 3:00 बजे व 5:00 बजे है।
- **मोबाइल नक्षत्रशाला :** खगोल विज्ञान को सुदूर जनपदों में विद्यार्थियों हेतु सुलभ बनाये जाने की दृष्टि से परिषद द्वारा दो मोबाइल नक्षत्रशालाओं का संचालन किया जा रहा है।
- **विज्ञान पार्क :** जनपद गाजियाबाद में विज्ञान पार्क की स्थापना परिषद द्वारा करायी गयी है। जिसका संचालन दिनांक 02.05.2017 को प्रारम्भ किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क बरेली की स्थापना हेतु बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, बाँदा की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. किया जा चुका है। बाँदा विकास प्राधिकरण द्वारा सिविल कार्य कराये जाने हैं।

विज्ञान छात्रवृत्ति परियोजना

विज्ञान में अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान छात्रवृति परियोजना वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2016-17 हेतु परीक्षा का आयोजन वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30 मई, 2017) किया गया। परियोजना को नये स्वरूप में प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण

आधुनिक एवं उपयोगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास में सतत वृद्धि हमारे प्रदेश व देश की अपरिहार्य आवश्यकता है। इसी के समाधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयुक्त व्यावसायिक/उद्यम रूप से लाभप्रद सिद्ध तकनीकी क्षेत्रों में स्वारोजगार के अवसरों को सृजित और विकसित करने के साथ-साथ उनके उन्नयन हेतु वैज्ञानिक ढंग से 04 साप्ताहिकी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित कराये जाते हैं, जिससे अधिकाधिक

प्रशिक्षणार्थी/लाभार्थी प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ते हैं और इससे युवाओं तथा बेरोजगार उन्नतशील युवाओं आदि को भी प्रेरित कर उनको भी स्वारोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर सृजित करते हैं।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं उनका संरक्षण विषय के महत्त्व को दृष्टिगत करते हुये इनके संरक्षण की क्षेत्रीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उ.प्र. में पेटेण्ट सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी थी।

केन्द्र के मुख्य कार्य बौद्धिक सम्पदा संरक्षण यथा- पेटेण्ट, कापीराइट, भौगोलिक संकेतक, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन रजिस्ट्रेशन आदि विषयों पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना महत्त्वपूर्ण विषयों पर ग्रान्ट किये गये पेटेण्ट की एनालिसिस, पेटेण्ट सूचना केन्द्र की सेवाओं का उपयोग पूरे उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करना, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स से संबंधी बुकलेट, ब्रोशर चार्ट तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन, अन्वेषकों को पेटेण्ट सर्च रिपोर्ट उपलब्ध कराना, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण संबंधी आवेदन पत्रों को फाइल करने के संबंध में मार्गदर्शन करना इत्यादि है।

मैपिंग ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजिकल नीड्स इन स्टेट आफ उत्तर प्रदेश

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के मुख्य सेक्टरों/क्षेत्रों यथा- कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, रेशम, सिंचाई, पेयजल, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पारम्परिक हस्त कौशल, पशुधन इत्यादि में आ रही ऐसी समस्याओं को चिन्हित करना है, जिसके निराकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश की आवश्यकता हो तथा चिन्हित एवं वर्णित समस्या के निवारण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उपयोगों को प्रस्तुत करना है। चयनित क्षेत्रों में द्वितीयक श्रोतों पर आधारित सूचना का कम्पाइलेशन कार्य किया जाता है।

नवप्रवर्तन केन्द्र :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर पर नवप्रवर्तकों की सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. में नव प्रवर्तन केन्द्र की स्थापना की गयी है जिससे प्रदेश स्तर पर अशिक्षित जन सामान्य अथवा गैर संस्थागत लोगों, किसान, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री, परम्परागत उपचार करने वाला, माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थी तथा एम.एस.एम.ई. के द्वारा विकसित नवप्रवर्तनों/अन्वेषणों एवं पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी खोजों या आविष्कारों को स्थानीय समस्याओं के निदान में उपयोग किया जा सके और स्थानीय स्तर पर नव अन्वेषकों/नवप्रवर्तकों तथा स्वयंसेवी लोगों को उत्प्रेरित करने के साथ समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। नवप्रवर्तन केन्द्र द्वारा वर्ष 2021-22 के मध्य निम्नवत् गतिविधियों का आयोजन किया गया-

- दो दिवसीय ऑनलाइन (वर्चुअल) नवाचार कार्यशाला।
- नवप्रवर्तन जागरूकता।
- नवप्रवर्तन विज्ञान महोत्सव।
- नवप्रवर्तन मूल्य संवर्धन।

- नवप्रवर्तकों को सहायता एवं मार्गदर्शन।
- नवप्रवर्तकों का उत्प्रेरण प्रोत्साहन एवं सहयोग।
- नवप्रवर्तकों की तकनीक को औद्योगिक इकाइयों को प्रेषण।
- पेटेण्ट हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग।

ई-गवर्नेन्स का क्रियान्वयन

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद की बेबसाइट : http:/dstup.gov.in का डिजाइन एवं विकास किया गया है। आर.टी.आई. एक्ट के अन्तर्गत परिषद से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। परिषद के रूल्स एवं रेगुलेशन तथा शोध परियोजनाओं हेतु गाइडलाइन्स एवं रूल्स आदि भी वेबसाइट पर सीधे अपलोड किये गये हैं। परिषद द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रयोजनाओं/कार्यक्रमों जैसे-शोध परियोजनाएँ सेमिनार/कान्फ्रेंस एवं विज्ञान सम्मान आदि हेतु प्रोफार्मा तथा गाइडलाइन्स भी सीधे वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. एवं सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उ.प्र. की वेबसाइट को भी परिषद की वेबसाइट से सीधे लिंक किया गया है।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर उत्तर प्रदेश

विगत लगभग छः दशक पूर्व उपग्रहीय रिमोट सेन्सिंग तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्य विकसित देशों के साथ ही भारत में भी रिमोट सेन्सिंग जैसी नवीतम तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश स्तर का प्रथम रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्थापित करने का निर्णय लिया। 14 मई, 1982 में इन केन्द्र की स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में हुई। प्रदेश स्तर का पहला रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर लखनऊ में इस आशय से स्थापित किया गया कि नवीनतम उपग्रहीय एवं वायुवीय रिमोट सेन्सिंग तकनीक तथा पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों सम्बंधी अध्ययन किए जायें। अपनी स्थापना के तुरन्त बाद से ही रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों की समुचित खोज एवं सुनियोजित प्रबंधन हेतु नवीनतम रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा बहुमूल्य आंकड़े सृजित किए जिससे प्रदेश शासन के विभिन्न उपयोगकर्ता विभाग लाभान्वित हुए हैं।

विगत 40 वर्षों के अपने कार्यकाल में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र. द्वारा वायुवीय, उपग्रहीय (एरियल एण्ड सेटेलाइट) तथा पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों सम्बंधी अध्ययन करके बहुमूल्य आंकड़े सृजित किये जाते रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ता विभाग लाभान्वित हो सके हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में योगदान हेतु इस केन्द्र के कार्यकलाप निम्नलिखित संसाधनों के अन्तर्गत केन्द्र के 11 प्रभागों के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैं :-

● कृषि संसाधन। ● सतही जल संसाधन। ● भूजल संसाधन। ● मृदा संसाधन। ● वन संसाधन, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। ● भूमि उपयोगिता एवं नगरीय सर्वेक्षण। ● कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग। ● प्रशिक्षण कार्यक्रम। ● जियोस्पेशियल डाटा बैंक। ● स्कूल ऑफ जियोइन्फारमेटिक्स।

●

कानून व्यवस्था

बेहतर होती उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था
अपराध एवं अपराधियों पर जीरो टालरेन्स के शानदार नतीजे
प्रभावी पैरवी पर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के प्रयास

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली के अद्यावधिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में उ.प्र. द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारत में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है।
- विगत तीन वर्षों में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध सजा दिलाने में उत्साहवर्धक परिणाम आये हैं। पॉक्सो के मामलों में वर्ष 2020 में 535 मामलों में सजा हुयी। वर्ष 2021 में 1230 मामलों में सजा हुयी तथा वर्ष 2022 में 2313 मामलों में सजा हुयी। इस प्रकार वर्ष 2020 के सापेक्ष वर्ष 2022 में पॉक्सो के मामलों में सजा दिलाने में 332 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।
- पॉक्सो मामलों में आरोप तय होने से निर्णय की अवधि तक मात्र एक माह में वर्ष 2020 में 5 मामलों में सजा करायी गयी। वर्ष 2021 में 7 मामलों में सजा करायी गयी तथा वर्ष 2022 में 34 मामलों में सजा करायी गयी।
- बलात्कार में वर्ष 2020 में 177 मामलों में, वर्ष 2021 में 370 मामलों में एवं वर्ष 2022 में 671 मामलों में सजा करायी गयी। इस प्रकार वर्ष 2020 के सापेक्ष वर्ष 2022 में बलात्कार के मामलों में सजा दिलाने में 280 प्रतिशत की वृद्धि हुयी।
- महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध कुल अपराधों में वर्ष 2020 में 1048 मामलों के सापेक्ष वर्ष 2022 में 5351 मामलों में सजा करायी गयी जो वर्ष 2020 की तुलना में 411 प्रतिशत अधिक है।
- महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक/बलात्कार/गम्भीर अपराधों व अन्य अपराधों में वर्ष 2022 में कुल 4579 अभियुक्तों को (487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1016 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक का कारावास एवं 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम के कारावास से) दण्डित कराया गया है।
- पॉक्सो अधिनियम में वर्ष 2022 में कुल 2697 अभियुक्तों को (06 अभियुक्तों को मृत्युदएण्ड, 351 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 980 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 10

वर्ष से अधिक का कारावास एवं 1360 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम के कारावास से) दण्डित कराया गया है।

- इस प्रकार वर्ष 2022 में पॉक्सो अधिनियम एवं महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक/बलात्कार/गम्भीर अपराधों एवं अन्य अपराधों में कुल 7276 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
- विगत 25.03.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक प्रदेश के 16 माफिया अपराधियों को 23 प्रकरणों में दोषसिद्ध कराया गया। वर्ष 2022 में राज्य स्तर पर चिन्हित शीर्ष माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर उनके विचारण हेतु लम्बित वादों में चार्ज फ्रेम्ड कराया गया।

सबसे कम अवधि में सज़ा दिलाने में प्रदेश देश में प्रथम

- आई.पी.सी. और एस.एल.एल. (विशेष और स्थानीय कानून) अपराधों के लिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा सबसे कम समय में परीक्षण पूरा करने की अवधि में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- जनपद एवं सत्र न्यायालय में मात्र एक माह में पूरे देश में सबसे अधिक 1310 मामलों में सजा उत्तर प्रदेश में हुई है जो पूरे देश में हुई सजा का 50 प्रतिशत है।
- इसी प्रकार फास्ट ट्रैक न्यायालयों द्वारा भी मात्र एक माह में पूरे देश में सबसे अधिक 202 मामलों में सजा उत्तर प्रदेश में हुई है जो पूरे देश में हुई सजा का 67 प्रतिशत है।
- फास्ट ट्रैक न्यायालयों द्वारा एक से तीन माह में भी सजा कराने में भी उत्तर प्रदेश 417 मामलों में सजा कराकर पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- विशेष न्यायालयों द्वारा भी मात्र तीन माह में सजा कराने में भी उत्तर प्रदेश 2195 मामलों में सजा कराकर पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- बाल अपराधों से सम्बन्धित मामलों में पूरे देश में सर्वाधिक 2397 मामलों में सजा उत्तर प्रदेश में ही हुई है। ऐसे मामलों में पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे देश में सर्वाधिक 65.6 सजा का दर (कनविक्शन रेट) उत्तर प्रदेश का है।

पॉक्सो अधिनियम एवं महिला उत्पीड़न में अपराधियों को कठोरतम दण्ड
(विगत 25 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक की प्रगति)

- वर्तमान सरकार के दूसरे कार्यकाल में विगत 25 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि में पॉक्सो अधिनियम एवं महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक/बलात्कार/गम्भीर अपराधों एवं अन्य अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के माध्यम से अधिकतम सजा दिलाने के प्रयास किये गये। फलस्वरूप मृत्युदण्ड 8 अभियुक्तों, आजीवन कारावास 812 अभियुक्तों, 10 वर्ष से अधिक का कारावास 2108 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास 4989 अभियुक्तों को दिलाने में सफलता मिली है।
- महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक/बलात्कार/गम्भीर अपराधों व अन्य अपराधों में उक्त अवधि में कुल 4761 अभियुक्तों को (427 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 934 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक का कारावास एवं 3400 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम

के कारावास से) दण्डित कराया गया है।

- पॉक्सो अधिनियम में उक्त अवधि में कुल 3156 अभियुक्तों को (08 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 385 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1174 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक का कारावास एवं 1589 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम के कारावास से) दण्डित कराया गया है।
- पॉक्सो अधिनियम एवं महिलओं के विरुद्ध लैंगिक/बलात्कार/गम्भीर अपराधों एवं अन्य अपराधों में कुल 7917 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
- प्रदेश के 15 माफियाओं को 20 प्रकरणों में उक्त अवधि में दोष सिद्ध कराया गया।
- उक्त अवधि में पॉक्सो अधिनियम के 44 प्रकरणों में विचारण पूर्णकर एक माह से कम समय में सजा करायी गयी।
- बलात्कार के 670 मामलों में उक्त अवधि में सजा करायी गयी। दहेज हत्या में 503 मामलों में उक्त अवधि में सजा करायी गयी। महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध कुल अपराधों में 5834 मामलों में उक्त अवधि में सजा करायी गयी। उक्त अवधि में आयुध अधिनियम के 7628 मामलों में सजा करायी गयी।

अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस के बेहतर नतीजे

- कुख्यात/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध विगत 20 मार्च 2017 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के दौरान 178 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये। 4947 घायल हुये एवं इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा 1428 पुलिस कर्मी घायल हुए। उक्त अवधि में 25 हजार के ईनामी 14512 अपराधी, 25 से 50 हजार धनराशि के 1450 ईनामी अपराधी एवं 50 हजार से अधिक धनराशि के 172 ईनामी अपराधी (कुल 16134) गिरफ्तार कर जेल भेजे गये।
- 16 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि में दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के दौरान 21 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये। 1256 घायल हुए तथा 182 पुलिस कर्मी घायल हुए। उक्त अवधि में 25 हजार के ईनामी 2749 अपराधी, 25 से 50 हजार धनराशि के 267 ईनामी अपराधी एवं 50 हजार से अधिक धनराशि के 36 ईनामी अपराधी (कुल 3052) गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। गैंगेस्टर अधिनियम में 3903 अभियोग पंजीकृत कर 12513 को गिरफ्तार किया गया एवं 126 पर रासुका लगाया गया। 14(1) के अन्तर्गत 70 अरब 58 करोड़ 64 लाख रुपये से अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्तियों के जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण की कार्रवाही की गयी।
- विगत 16 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक प्रदेश स्तर के चिन्हित कुल 66 माफिया व उनके गैंग के सदस्य/सहयोगियों में से कुल 354 के विरुद्ध के कार्यवाही कर 186 अभियोग पंजीकृत किये गये, 94 की गिरफ्तारी की गयी, 61 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की

कार्यवाही, 38 शस्त्र लाइसेंस के विरुद्ध कार्यवाही, 9 के विरुद्ध एन.एस.ए. 138 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, 89 की हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्यवाही की गयी व 5 अपराधी मुठभेड़ में मृत हुए।

- प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सायंकाल बाजारों व भीड़ भरे स्थानों में पुलिस की फुट पेट्रोलिंग (पैदल गश्त) की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाया गया।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का पहला चरण राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था की स्थापना है। आज प्रदेश की छवि बदली है तथा वर्तमान सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का डंका विश्व में बजा है। प्रदेश पुलिस की धमक जो अपराधी के मन में भय पैदा करे, लेकिन एक आम नागरिक के मन में सम्मान का भाव पैदा करे, की दिशा में अग्रसर हुई है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश की नयी छवि स्थापित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रदेश से संगठित अपराधों का तेजी से खात्मा कर उत्तर-प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया है।
- बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण प्रदेश के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होना एक गौरव की बात है।
- बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश की जनता को सुरक्षित परिवेश प्रदान कर साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द्र कायम रखा गया एवं सम्पूर्ण प्रदेश दंगा मुक्त रहा है।
- विश्व व्यापी करोना महामारी के दौरान दोनों चरणों में पुलिस बल द्वारा जन सेवा व सहयोग का उत्कृष्ट नमूना पेश करते हुए मानवता की मिशाल पेश की गयी है। मार्च 2022 में विधान सभा निर्वाचन सकुशल सम्पन्न हुए।
- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ व आगरा में 10 से 15 फरवरी तक वृहद प्रबंध कर ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट एवं जी-20 का सफल आयोजन कराया गया।
- प्रदेश के सभी 1537 स्थानों तथा जी.आर.पी. के थानों को मिलाकर कुल 1584 थानों में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है। प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त महिला थाने के साथ महिला परामर्श चौकी की स्थापना हो चुकी है। प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10,417 महिला बीट गठित की गयी है। इसके साथ ही, प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, जिनमें ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण हो चुका है, वहां पर एक मिशन शक्ति कक्ष का निर्माण भी किया जा चुका है।
- वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13 हजार थी। आज वह संख्या 32 हजार से अधिक है।
- महिला व बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्यु

दण्ड, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक, 1445 से अधिक अपराधियों को व्यापक अर्थदण्ड, 1325 अपराधियों को आजीवन कारावास तथा 3420 अपराधियों को 10 वर्ष से कम की सजा दिलायी गयी है। महिला अपराध में संलग्न लगभग 5 हजार अपराधियों के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की गयी है। उत्तर प्रदेश पॉक्सो एवं महिला सम्बन्धी अपराधों में ई-प्रॉजीक्यूशन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

- प्रदेश में 114 नये थाने, 163 नई चौकियां, 6 नये महिला पुलिस थाने, 4 नये आर्थिक अपराध इकाई थाने, 16 नये साइबर क्राइम थाने, 10 नये सतर्कता अधिष्ठान शाखा, 90 नये अग्निशमन केन्द्र, 2 जल पुलिस चौकियां शासन द्वारा मंजूर किये जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बीते एक वर्ष में 2022 की अवधि में 41 नये थानों की स्थापना की जा चुकी है। मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 40 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थाना घोषित किया गया है।
- बिजली चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक-एक विद्युत निरोधक पुलिस थाना प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित किया गया है। साइबर अपराधी से सख्ती से निपटने के लिए प्रदेश में पहली बार हर परिक्षेत्र में साइबर थानों की स्थापना की गयी है।
- प्रदेश के 74 जनपदों में 79 पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं उन्हें थाने का दर्जा दिया गया है। नवसृजित 8 नये जिलों-हापुड़, चन्दौली, औरैया, सम्भल, शामली, अमरोहा, अमेठी, कासगंज में पुलिस लाइन की स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, सहारनपुर तथा अयोध्या में 06 उ.प्र. विशेष सुरक्षा बल की स्थापना का निर्णय लिया गया है
- प्रदेश पुलिस बजट में दोगुने से अधिक, आवासीय एवं अनावासीय भवनों हेतु बजट में 4 गुने की वृद्धि की गई है।
- शहीद गुलाव सिंह लोधी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद की क्षमता को दोगुनी करने की शासन द्वारा मंजूरी दी गयी है।
- प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु उ.प्र. स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है। प्रथम चरण में इस बल की 05 वाहिनियों का गठन करते हुये 5037 नये पदों का सृजन तथा विशेष सुरक्षा बल के मुख्यालय हेतु 87 पदों को मंजूरी शासन द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त अब जनपद अयोध्या में भी एक अतिरिक्त विशेष सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना हेतु अधिसूचना निर्गत की गयी।
- राज्य आपदा मोचन बल की 03 कंपनियां क्रियाशील हैं एवं तीन कंपनियों का गठन एवं पदसृजन किया गया है।
- प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया हुआ है। इनसे अपराध के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण का नया रिकार्ड बना है।

- उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े महानगरों की पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व चुस्त दुरुस्त बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में अब तक तीन चरणों में कुल 7 पुलिस कमिश्नरेट क्रमशः लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी नगर, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके अलावा लखनऊ ग्रामीण, वाराणसी ग्रामीण तथा कानपुर आउटर को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी व कानपुर में समाहित किया गया है।
- मा. उच्च न्यायालय के निर्णय "धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो" के अनुपालन में अभियान के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानक के अनुरूप न पाये जाने पर 86,785 लाउडस्पीकर हटवाये गये तथा 68,676 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण

- प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 3 महिला पीएसी बटालियन (लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं) का गठन किया जा रहा है। 5 अन्य जनपदों क्रमशः बलरामपुर, जालौन, मीरजापुर, शामली तथा बिजनौर में पीएसी बटालियन की सहमति प्राप्त हुई है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु लखनऊ में 194.44 करोड़ रुपये की सेफ सिटी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत इण्टीग्रेटेड स्मार्ट कण्ट्रोलरूम हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया गया है तथा इण्टीग्रेटेड स्मार्ट कण्ट्रोलरूम के उपकरणों/सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन तथा नगर बसों में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा हेतु पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस प्रणाली की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों एवं नोएडा के शहर के सार्वजनिक स्थलों व शैक्षणिक संस्थानों के समीप सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हेतु राज्य व्यापी सीसीटीवी परियोजना प्रस्तावित की गयी है। महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में 3 हजार पिंक बूथों की स्थापना भी प्रस्तावित की गई है।
- लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सन्निहित प्रोजेक्ट्स के तहत 100 पिंक बूथ क्रियाशील हैं। इसके अलावा पिंक पेट्रोल तथा पिंक टायलेट की स्थापना करते हुए परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में तीसरा स्थान भी प्राप्त हुआ है। सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत 1090 की साइबर सेल को अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक टूल्स का उपयोग करते हुए प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर 21382 मिशन शक्ति कक्ष स्थापित कर 10721 महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी है। महिला एवं बाल अपराधों में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य से 218 पॉक्सो न्यायालयों की स्वीकृति की गयी है।
- प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने और उनको सहायता प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु पुलिस विभाग

के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित कार्यरत इकाइयों यथा 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ व पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ को समेकित करते हुए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (WCSO) की स्थापना की गयी है। शासन द्वारा दिनांक 19 मई 2022 को प्रदेश के प्रत्येक कमिश्नरेट/जनपद में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की जनपदीय ईकाई का गठन किया गया है।

- प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तीकरण हेतु एण्टी रोमियो स्कावड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है।
- इसी कड़ी में 16 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक चले अभियान में 19,44,304 स्थानों पर चेकिंग की गयी तथा 85,57,724 व्यक्तियों को चेक किया गया, 5096 अभियोग पंजीकृत कर 6661 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाही की गयी। साथ ही 31,20,678 व्यक्तियों को चेतावनी प्रदान की गई।
- प्रदेश में प्रत्येक थाने पर महिला बीट आरक्षी व महिला हेल्प डेस्क की स्थापना किये जाने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना जाग्रत हुई है। महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के 1518 थानों पर कुल 15130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10417 महिला बीटों का आवंटन किया गया है।

साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास

- प्रदेश के 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने, 1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क, हेल्प लाइन नं. 1930 का संचालन एवं हेल्प लाइन की सहायता से वर्ष 2017 से अब तक 33 करोड़ रुपये की धनराशि संबंधित बैंकों में फ्रीज/होल्ड करायी गयी। साइबर क्राइम थानों द्वारा साइबर अपराधों में प्रदेश में कुल 5432 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 89.46 करोड़ रुपये की धनराशि बरामद की गयी।
- साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब, 18 परिक्षेत्रीय थानों पर बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब तथा 57 जनपदीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास

- विगत 24 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक चले प्रदेश व्यापी विशेष अभियान के तहत सभी कमिश्नरेट/जनपद में चिन्हित किये गये कुल 328 में से 315 अवैध टैक्सी/बस/आटो स्टैण्ड को हटवाया गया, 14 व्यक्ति माफिया के रूप में चिन्हित किये गये, 55 अवैध चालकों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही की गयी, 43 अभियोग पंजीकृत कराये गये, 1,34,077 वाहनों का चालान, 2238 वाहन सीज तथा 1 करोड़ 13 लाख 77 हजार रुपये से अधिक की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूल की गई।

युवा पीढ़ी को नशे से बचाने हेतु एण्टी नारकोटिक्स फोर्स

- हमारे पास देश का सबसे अच्छा व जुझारू युवा है। युवा पीढ़ी के सामने नशे के रूप में

एक बड़ी चुनौती है। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध के पर्यवेक्षण में एण्टी नारकोटिक्स फोर्स का भी गठन 04 अगस्त, 2022 को किया गया है।

- एन.एन.टी.एफ. के गठन के पश्चात् विगत 6 माह की अल्प अवधि में मादक पदार्थों की तरकरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाही करते हुए 14 सराहनीय कार्य किये गये। इस कड़ी में अब तक 9.46 कि.ग्रा. अवैध स्मैक, 3.900 कि.ग्रा. अवैध अफीम, 7.1 कि.ग्रा. अवैध चरस, 945.6 कि.ग्रा. गांजा व अवैध असलहों सहित 28 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

एसटीएफ की उपलब्धियाँ

- संगठित अपराधियों, मादक पदार्थों के तस्करों, प्रतिबन्धित वन्य जीव तस्करों, अवैध शस्त्र तथा अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध प्रभावी एवं उल्लेखनीय कार्यवाही की गयी है। शासन द्वारा एसटीएफ का तकनीकी उच्चीकरण करते हुए स्विच बेस्ड इन्टरसेप्सन मॉनिटरिंग सिस्टम, मिनी साइबर लैब व ऑडियो/वीडियो बेस्ड एनालिटिकल सिस्टम का प्रयोग करते हुए संघठित अपराध व माफिया तत्वों पर कठोर प्रहार किया गया।
- एसटीएफ को स्मार्ट पुलिसिंग हेतु FICCI Smart Poicing Award-2021 प्रदान किया गया। एसटीएफ के प्रयासों से दस्यु प्रभावी क्षेत्र दस्यु रहित हुआ। फिरौती हेतु अपहरण करने वाले संगठित गैंग की समाप्ति की गयी व घुमन्तु/बावरिया आपराधिक गैंगों का खात्मा किया गया तथा जाली मुद्रा व वन्य जीवों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है।
- विगत 16 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि में एसटीएफ की प्रमुख उपलब्धि के तहत अभियुक्त गिरफ्तार 847, पुलिस मुठभेड़ में मृत 04, गिरफ्तार इनामी अपराधी 85 व साइबर अपराधी 16 गिरफ्तार किये गये। साथ ही 210 मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी कर 458.79 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ बदामद किये गये। इस अवधि में 71.88 लाख रुपये की अवैध शराब बरामद कर 40 तस्कर गिरफ्तार किये गये। एसटीएफ द्वारा उक्त अवधि में 69 जघन्य अपराधिक घटनाओं को घटित होने से पूर्व रोकते हुए आपराधिक योजनाओं को विफल किया गया।

एटीएस की उपलब्धियाँ

- उत्तर प्रदेश एण्टी टेरिरिस्ट स्कावड (एटीएस) का इन्फ्रास्ट्रेक्चर का उच्चीकरण करते हुए गाजियाबाद, लखनऊ तथा अयोध्या में स्पाट टीम का गठन तथा 18 फील्ड यूनिट व 11 ऑप्स टीम को स्थापित किया गया।
- एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक, अस्त्र-शस्त्र, साइबर एक्सपर्ट, आधुनिक साफ्टवेयर (digital forensic/video forensic/big data analysis) से युक्त करते हुए प्रभावी कार्यवाही की गयी।
- वर्तमान सरकार के 16 मार्च 2022 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि में पुरस्कार घोषित

अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या 10 रही है। आईएसआईएस/जैस ए मोहम्मद/ अलकायदा/आतंकवादी संगठन से सम्बन्धित 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई/रोहिग्या/नक्सलवाद से जुड़े 13 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। भारतीय जाली मुद्रा से संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 7.90 लाख की जाली मुद्रा बरामद की गयी। अवैध सिम बाक्स के संचालन से संबंधित 11 तथा अवैध शस्त्र से संबंधित 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी।

पुलिस आपातकालीन सहायता-यू.पी.112

- यू.पी.112 द्वारा 26 मार्च, 2022 से 21 फरवरी 2023 तक यूपी-112 तक नागरिकों की सहायता हेतु कुल 6579593 आपात सहायता इवेंट बनाये गए, जिनमें पुलिस मेडिकल, फायर, वीमेन हेल्पलाइन, डब्लू.सी.डी. एवं जीआरपी संबंधी सहायता प्रमुख है। यू.पी. 112 का रिस्पॉन्स टाइम वर्ष 2023 में 15 मार्च 2023 तक की अवधि में 9 मि. 52 से. हो गया है।
- दिनांक 28.05.2021 को साइबर हेल्प डेस्क स्थापित कर अब तक 1,86,111 सूचनाएं प्राप्त कर साइबर पोर्टल पर दर्ज किया गया है।
- यू.पी.-112 द्वारा कई जनोपयोगी विशेष योजनाएं चलायी जा रही हैं। कुल 233314 बुजुर्ग महिला एवं पुरुष सवेरा योजना में अपना पंजीकरण करा लिया है एवं पीआरवी के माध्यम से लगातार सहायता प्रदान की जा रही है।
- महिला रात्रि एस्कार्ट सुरक्षा : योजना के अन्तर्गत रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी निर्जन/सुनसान स्थान से किसी महिला द्वारा सहायता हेतु कॉल किया जाने पर यूपी-112 की द्वारा महिला को एस्कॉर्ट कर गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया जाता है।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आपात परिस्थितियों में न्यूनतम संभव समयान्तर्गत उक्त पुलिस चिकित्सा, फायर सर्विस की सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यूपी-112 द्वारा लिंक प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है जिसके तहत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2005 एवं यूपी-112 में पंजीकृत निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रक्षित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लोकेशन को यूपी-112 के डिजिटल मैप पर अंकित कर, आपातकालीन परिस्थितियों की प्रकृति के अनुसार पुलिस, चिकित्सा फायर सर्विस की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
- यूपी-112 परियोजना अपना 05 वर्ष का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुकी है, जिसके उपरांत अगले 05 वर्षों हेतु परियोजना के द्वितीय चरण की विस्तृत परियोजना का अनुमोदन उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान किया गया है।
- सभी पीआरवी के लिए बॉडी वार्न कैमरे प्रस्तावित किए गये हैं। प्रस्तावित नई तकनीक के उच्चीकरण, परिवर्धन, पीआरवी की संख्या एवं जनशक्ति में वृद्धि से प्रतिक्रिया समय बेहतर होगा, कॉल ड्रॉप कम हो जायेगा, नागरिकों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी तथा नागरिकों के विश्वास में वृद्धि प्राप्त की जा सकेगी।

कुछ अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ

- प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु c-plan app से 18 लाख से अधिक सदस्य जोड़े जा चुके हैं। प्रदेश के 1,17,977 पुलिस कर्मियों द्वारा सी प्लान एवं के माध्यम से प्रदेश के 18,62,973 आप जनता के संभ्रान्त व्यक्तियों से नियमित वार्ता तथा प्रभावी संवाद सुनिश्चित किया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक व राजनैतिक आयोजनों में इन संभ्रान्त व्यक्तियों की भूमिका अत्यन्त प्रभावशाली है।
- 8 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अलीगढ़, कन्नौज, बरेली एवं गोण्डा में स्टाफ की तैनाती करते हुए परीक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया।
- पुलिस बल में कार्मिकों की कमी को पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ करते हुए अब तक कुल 1 लाख 64 हजार से अधिक पदों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को प्रदेश में सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2017 से 15 नवम्बर 2022 तक निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी आदि विभिन्न पदों पर अब तक 95 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की पदोन्नति भी की गई है। इसके अलावा 16 नवम्बर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक अन्य पदों के 27 हजार से भी अधिक कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की गई। पुलिस बल में नई भर्तियों के साथ ही पुलिस कार्मिकों के उचित प्रशिक्षण के लिए प्रक्षिक्षण की क्षमता को भी काफी बढ़ाया गया है।

●

कारागार प्रशासन एवं सुधार

उद्देश्य

पुलिस प्रशासन एवं न्याय पालिका के साथ कारागार प्रशासन भी आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग है एवं इसकी समाज में कानून के शासन एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कारागारों में निरुद्ध बंदियों का सुरक्षित रख-रखाव, सुधार, व्यवहार परिमार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्वासन हेतु तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है ताकि इनसे लाभान्वित होकर रिहाई के उपरान्त वे समाज़ में पुनर्स्थापित होने योग्य हो सकें। इस हेतु प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करने के साथ ही बंदियों हेतु साक्षरता, शैक्षिक एवं कौशल विकास कार्यक्रम, योग, खेलकूद, व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

कारागार संस्थायें तथा वर्गीकरण

बंदी क्षमता तथा बंदियों को दिये गये दण्ड की अवधि के आधार पर कारागारों का वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की 75 कारागारें संचालित हैं, इसके साथ ही कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु डॉ० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ एवं कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं जनता में प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है। कारागारों के सफल संचालन हेतु इन्हें 09 परिक्षेत्रों के अधीन रखा गया है।

कारागार संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय

आदर्श कारागार, लखनऊ

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के 45 वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष बंदियों, जिन्होंने किसी कारागार में कम से कम 01 वर्ष की सजा व्यतीत कर ली हो, को आदर्श कारागार में निरुद्ध करने का प्रावधान है। लखनऊ जनपद में संचालित केन्द्रीय कारागार को वर्ष 1949 में आदर्श कारागार बनाया गया। यहाँ निरुद्ध बंदियों को सुधार के 5 सोपानों क्रमशः स्वागत भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म में रखा जाता है।

केन्द्रीय कारागार

प्रदेश में संचालित 08 केन्द्रीय कारागारों कमशः केन्द्रीय कारागार आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी (प्रयागराज) एवं वाराणसी में से केन्द्रीय कारागार आगरा की स्थापना वर्ष 1844

में हुई। यह देश की सर्वप्रथम केन्द्रीय कारागार थी। इसके पश्चात् वर्ष 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, वर्ष 1868 में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना हुयी। शासन के संज्ञान में लाये जाने पर कि प्रदेश में वर्ष 1877 के पश्चात् किसी केन्द्रीय कारागार का निर्माण नहीं हुआ है। प्रदेश की जिला कारागारों में ऐसे बंदियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण जो केन्द्रीय कारागारों में निरुद्धि के पात्र हैं, के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा केन्द्रीय कारागारों की संख्या में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2020 में शासन द्वारा नवनिर्मित जिला कारागार बरेली को केन्द्रीय कारागार बरेली (द्वितीय) एवं नवनिर्मित जिला कारागार बरेली परिसर में ही संचालित महिला कारागार को प्रदेश में प्रथम महिला केन्द्रीय कारागार के रूप में संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही नवनिर्मित जिला कारागार इटावा को भी केन्द्रीय कारागार के रूप में वर्ष 2021 में संचालित किया गया है। तद्नुसार कारागार के संचालन के पश्चात् केन्द्रीय कारागारों की संख्या 08 हो जायेगी।

जिला कारागार

आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में मा० न्यायालय, पुलिस प्रशासन एवं कारागार की व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि अपराध नियन्त्रण हेतु जनपद में ही इन तीनों संस्थाओं की भूमिका की उपलब्धता रहे। वर्तमान में प्रदेश में संचालित 75 जनपदों में से 62 जनपदों में जिला कारागार संचालित हैं। वर्तमान में 02 जनपदों क्रमशः श्रावस्ती एवं प्रयागराज में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उप कारागार

वर्तमान में प्रदेश में दो उप कारागारों क्रमशः उप कारागार महोबा तथा देवबन्द क्रियाशील हैं। उप कारागार देवबन्द की उपलब्ध बंदी क्षमता 131 के सापेक्ष में 209(60 प्रतिशत ओवरक्राउडिंग) बंदी निरुद्ध हैं। इसी प्रकार उप कारागार महोबा में उपलब्ध बंदी क्षमता मात्र 175 के सापेक्ष 448 (156 प्रतिशत ओवरक्राउडिंग) बंदी निरुद्ध हैं।

नारी बंदी निकेतन, लखनऊ

03 वर्ष से अधिक अवधि से दण्डित सिद्धदोष महिला बंदियों को नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरुद्ध किया जाता है जहाँ उनके सुधार, कल्याण तथा रिहाई के उपरान्त समाज में पुनर्स्थापित तथा पुनर्वासित होने के लिये विभिन्न रोजगारपरक उद्यम संचालित हो रहे हैं। इन उद्यमों में निर्धारित दरों पर श्रम के एवज में पारिश्रमिक दिया जाता है। महिला बंदियों तथा उनके साथ रह रहे बच्चों के लिये पृथक् रसोईघर/पाकशाला, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष/ अस्पताल तथा क्रेच की सुविधा है।

किशोर सदन, बरेली

एक वर्ष से अधिक सजा अवधि एवं 18 से 23 वर्ष की आयु के सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदियों को किशोर सदन, बरेली में निरुद्ध करने की व्यवस्था है। सदन में निरुद्ध बंदियों हेतु कक्षा 08 तक की शिक्षा हेतु जूनियर हाईस्कूल की व्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न उद्यमों में व्यवसायिक

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की व्यवस्था है। वर्तमान में स्टाफ की कमी तथा अन्य कारणों से बंदी केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध किये जा रहे हैं।

डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

वर्ष 1940 में लखनऊ में स्थापित कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को वर्ष 1990 में डॉ० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत किया गया है। संस्थान में प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सीधी भर्ती के कारागार अधीक्षक, उप कारापाल तथा जेल वार्डर संवर्ग के कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विगत वर्ष संस्थान में 03 अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वर्तमान में 30 कारागार अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण संचालित है। नव चयनित जेल वार्डरों का आधारभूत प्रशिक्षण संचालित है। प्रशिक्षण पूर्ण कराकर उनकी तैनाती कारागारों पर की गयी।

जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में उत्पादित औद्योगिक उत्पादों का कारागारों में प्रयोग एवं अन्य शासकीय विभागों की मांग पर आपूर्ति की व्यवस्था है। इनका आम जनता में प्रदर्शन तथा विक्रय हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो संचालित है। डिपो के माध्यम से उत्पादित सामग्री तथा बंदियों की कृतियों का प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव व कुम्भ एवं अन्य मेलों में किया जाता है। इनमें उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

बंदी क्षमता तथा जनसंख्या

दिनांक 30.04.2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में संचालित विभिन्न श्रेणी की 75 कारागारों की उपलब्ध कुल 62281 बंदी क्षमता के सापेक्ष कारागारों में 114029 बंदी निरूद्ध हैं।

साक्षरता तथा शैक्षिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने हेतु "एक पढ़ाये एक" तथा "नया सवेरा" कार्यक्रम संचालित हैं। कारागारों में प्रवेश करने वाले सभी निरक्षर बंदियों को साक्षर किया जाता है। बंदियों के लिये संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निरुद्ध इच्छुक बंदियों के लिये प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण तथा परीक्षा देने हेतु कारागारों में ही परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।

प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के साक्षरता एवं शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन तथा बंदियों हेतु नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा हेतु पठन-पाठन की सामग्री से युक्त पुस्तकालय स्थापित हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुधारात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम निरन्तर क्रियान्वित हो रहे हैं। कारागार उद्योगों में मुख्य रूप से रंगाई, बुनाई, दरी डिजाइनर, बढ़ईगिरी,

कम्बल बुनाई, पावरलूम, लोहारगीरी, चर्म, सिलाई, हस्तनिर्मित कागज़ एवं प्रिन्टिग प्रेस आदि में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास तथा उन्हें अच्छा पारिश्रमिक उपलब्ध कराने हेतु जॉबवर्क आधारित उद्यम भी प्रारम्भ किये गये हैं।

बंदी पारिश्रमिक

कारागारों में बंदियों से लिये जाने वाले श्रम हेतु पारिश्रमिक प्रदान किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। पारिश्रमिक प्रदान किये जाने हेतु बंदियों को 03 श्रेणियों क्रमशः अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अकुशल श्रेणी बंदियों के लिये प्रतिदिन रु. 25/- अर्द्धकुशल श्रेणी के बंदियों हेतु प्रतिदिन रु. 30/- तथा कुशल श्रेणी के बंदियों हेतु प्रतिदिन रु. 40/- की दर निर्धारित है।

बंदियो हेतु विविध सुधार व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम

कारागारों के मुख्य प्राचीर के अंदर बंद बंदी समुदाय अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से दूर निरुद्ध होता है। यहाँ वह नितान्त एकाकी जीवन व्यतीत करता है। इस एकाकी जीवन के खालीपन को दूर करने हेतु प्रत्येक बंदी को किसी न किसी गतिविधि में लगाये रखने हेतु कारागार प्रशासन कटिबद्ध है। बंदियों को इस एकाकीपन से दूर रखने हेतु कारागारों में प्रिजन रूटीन निर्धारित है। इसके अनुसार यह प्रयास किया जाता है कि कोई बंदी किसी न किसी गतिविधि में प्रत्येक समय सन्नद्ध रहे। सभी कारागारों में बंदियों के लिये व्यायाम, खेलकूद, प्रतिदिन प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों के माध्यम से योग तथा ध्यान के कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं। मनोरंजन हेतु भजन, कीर्तन, लोकगीत एवं संगीत व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सतत आयोजन की व्यवस्था है। प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों/धर्मगुरुओं के माध्यम से प्रवचन, व्याख्यान देने की व्यवस्था है, इसे कारागारों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी बंदियों को उनकी निरुद्धि की बैरकों/अहातों में ही लाभान्वित कराया जाता है। बंदियों के भीतर अन्तर्निहित प्रतिभाओं एवं कौशल को प्रस्तुत करने हेतु समय-समय पर कला एवं लेखन, लोक गायन, कविता एवं कहानी लेखन की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। बंदियों को विचार अभिव्यक्त करने हेतु प्रत्येक कारागार में अभिव्यक्ति पटल की व्यवस्था करायी गयी है।

बंदियों के मनोरंजन के सुविधाओं में मुख्य रूप से सभी कारागारों में एल०ई०डी० टेलीविजन की व्यवस्था करायी गयी है।

कारागारों में निरुद्ध बंदियों की शारीरिक स्वस्थता हेतु वार्षिक खेलकूद कैलेण्डर निर्धारित किया गया है।

बंदियों के मानवाधिकार का संरक्षण

वर्तमान कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था का उद्देश्य कारागारों में विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के आयोजन से बंदियों का सुधार करने के साथ-साथ उनकी मानवीय गरिमा एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करना है, इसके लिये प्रत्येक स्तर पर कारागार विभाग चिंतनशील एवं कटिबद्ध है।

बंदियों हेतु भोजन की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध बंदियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में भोजन की मात्रा निर्धारित है, तद्नुसार निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बंदियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक रविवार एवं त्यौहारों में विशेष भोजन देने की व्यवस्था है।

मुलाकात व्यवस्था

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के मुलाकातियों की सुविधा के दृष्टिगत मुलाकात व्यवस्था में निरन्तर सुधार किये जा रहे हैं। मुलाकात व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, पक्षपात रहित एवं न्यायपूर्ण तरीके से सुलभ कराने के प्रयास किये गये हैं। मुलाकात के नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु कारागार के मुख्य द्वार के पास सूचना पट लगाये गये हैं। तथा किसी प्रकार की असुविधा कठिनाई होने पर शिकायत दर्ज कराने हेतु कारागारों के मुख्य स्थलों पर शिकायत पेटिका लगायी गयी है। जिनमें प्राप्त शिकायतों पर प्रतिदिन निराकरण करने के निर्देश हैं।

बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था

प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल भवन निर्मित हैं। बंदियों की निरन्तर बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत अस्पतालों में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। प्रारम्भिक जाँच से सम्बन्धित सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरण तथा जीवन रक्षा हेतु ऑक्सीजन की व्यवस्था करायी गयी है।

कारागार उद्योग

प्रदेश की कारागारों में स्थापित उद्योगों के संचालन का मुख्य उद्देश्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों की आवश्यकतानुसार सामग्री के उत्पादन के साथ-साथ बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे कारागार से रिहाई के उपरान्त स्वावलम्बी बनकर अर्जित कार्य अनुभव व कुशलता से जीवन-यापन कर सकें। कारागारों में स्थापित उद्योगों से उत्पादित सामग्री से विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ मांग के अनुसार अन्य सरकारी/गैर सरकारी विभागों को इसकी आपूर्ति की जाती है। कारागारों में उत्पादित दरी, चादर, गमछे, डस्टर तथा फिनायल आदि वस्तुओं की बिक्री कारागार स्तर पर एवं अमीनाबाद लखनऊ में स्थापित जेल डिपो के माध्यम से आम जनता को भी की जाती है।

कारागार कृषि

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में लगभग 582.51 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। कृषि कार्य हेतु प्रदेश की कारागारों में 30 ट्रैक्टर, 98 नलकूप तथा 32 पम्पिंग सेट क्रियाशील हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 25876.90 कुन्टल आलू तथा 55393.19 कुन्तल हरी सब्जियों का उत्पादन हुआ।

गौशाला

वर्तमान में प्रदेश की 15 कारागारों में गौशाला संचालित की जा रही है।

शहर के मध्य आ गयी कारागारों का स्थानान्तरण

शहर के मध्य आ गयी कारागारों को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नई कारागार का निर्माण कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

कारागार प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु उपकरणों की व्यवस्था

कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु कारागारों में सुरक्षा, तलाशी, संचार, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स के साथ-साथ बंदी सुविधाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था करायी जा रही है। कारागारों में स्थापित उपकरणों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् है :-

1. वीडियो कान्फ्रेन्सिंग

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु 145 वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाइयाँ (72 कारागार एवं 73 जनपद न्यायालय) स्थापित हैं।

2. मोबाइल फोन जैमर

कारागारों में निरुद्ध माफिया, आतंकवादी, तस्कर तथा अन्य खतरनाक प्रकृति के बंदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से आपराधिक नेटवर्क के संचालन पर पूर्ण अंकुश हेतु 02 चरणों में 24 कारागारों में 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित हैं।

3. सीसीटीवी सर्विलांस इकाई

कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी सर्विलान्स इकाइयों की स्थापना करायी गयी है। कारागारों में संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक कारागार में कम से कम 30 कैमरे स्थापित हैं। वर्तमान में सभी कारागारों में लगभग 3600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं।

4. तलाशी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

कारागार में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों तथा सामग्री की सघन तलाशी की व्यवस्था करायी गयी है ताकि कारागार में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति एवं निषिद्ध सामग्री कारागारों में किसी भी दशा में न पहुँचे। इस हेतु सभी कारागारों में हैण्डहेल्ड, डोरफ्रेम तथा डीप सर्च मैडल डिटेक्टर एवं पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था करायी गयी है।

5. आन्तरिक संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

समय-समय पर कारागारों में वायरलेस सेट तथा इण्टरकाम प्रणाली की समुचित व्यवस्था करायी गयी है। अधिकांश कारागारों में अत्याधुनिक इण्टरकाम सिस्टम लगाये गये हैं।

6. बंदी पीसीओ की स्थापना

देश के अन्य राज्यों की कारागारों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में भी बंदियों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा हेतु सभी कारागारों में बंदी पीसीओ स्थापित कराये गये हैं।

7. ई-प्रिजन कार्ययोजना का संचालन

एनआईसी के सहयोग से कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना संचालित करायी जा रही है। ई-प्रिजन पोर्टल में बनाये गये विभिन्न मॉड्यूल में से प्रदेश की कारागारों में प्रिजनर्स इनफारमेशन मैनेजमेण्ट सिस्टम (पीआईएमएस) मॉड्यूल के अन्तर्गत बंदियों की समस्त सूचनाओं की बैकलॉग डेटा की फीडिंग को पूर्ण कराते हुये अब प्रतिदिन प्रवेश करने वाले बंदियों की सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ-साथ रिहा होने वाले बंदियों की रिहाई की प्रविष्टि करायी जा रही है।

8. बंदी सुविधाओं का उन्नयन

बंदी सुविधाओं में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. प्लाण्ट, मुलाकातियों की पारदर्शी मुलाकात हेतु बंदी पीसीओ, व्याख्यान, भजन तथा नैतिक उपदेश हेतु पब्लिक एण्ड्रेस सिस्टम, मनोरंजन हेतु एलईडी टेलीविजन तथा जेल रेडियों की व्यवस्था, पुस्तकालयों का उन्नयन, कारागार पाकशालाओं में स्वच्छता तथा सफाई हेतु आधुनिक मशीनों की व्यवस्था एवं समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी एवं एक्जास्ट पंखों की व्यवस्था करायी गयी है।

विभागीय क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार

सोशल मीडिया की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत विभाग में हो रहे अच्छे क्रियाकलापों तथा रचनात्मक कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभागीय वेबसाइट में परिवर्तित सूचनायें निरन्तर अद्यतन की जा रही हैं। विभाग का यू ट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज भी संचालित किया गया है, जिसमें विभागीय कियाकलापों की सूचना, फोटोग्राफ तथा डाक्यूमेण्ट्री फिल्म भी अपलोड की गयी है। विभागीय सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा अच्छे कार्यों के सम्बन्ध में समस्त विभागीय अधिकारियों को जानकारी देने हेतु प्रिजन आफीसर व्हाट्स एप ग्रुप संचालित किया गया है।

बंदियों के कौशल विकास हेतु एम.ओ.यू.

समाज में प्रतिष्ठित उद्यमियों को बंदी कल्याण की दिशा में अपना योगदान देने के लिये अभिप्रेरित करते हुये प्रदेश की अनेक कारागारों में छोटे उद्यमों की स्थापना हेतु संस्थाओं/व्यक्तियों से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कराये गये हैं। इन उद्यमों में लगे हुये बंदियों को कार्य सीखने के साथ साथ अच्छी दरों पर मजदूरी प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य

1. कारागारों में अनुशासन हेतु प्रिजन्स एक्ट-1894 में संशोधन

कारागारों में बंदियों द्वारा मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के उपयोग करने की संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाते हुए दण्ड के प्राविधानों में वृद्धि किये जाने हेतु प्रिजन्स एक्ट-1894 की धारा-3, धारा-42 तथा धारा-43 में संशोधन कर 03 वर्ष तक के कारावास तथा रु० 25,000/- तक जुर्माना तथा 05 वर्ष तक कारावास तथा रु० 50,000/- तक के जुर्माने की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

2. कमाण्ड सेण्टर तथा वीडियो वॉल की स्थापना

प्रदेश में संचालित सभी कारागारों में लगभग 3600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित

हैं। प्रत्येक कारागार के संवेदनशील स्थानों पर कम से कम 30 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये हैं। कारागार स्तर पर अच्छी अनुश्रवण व्यवस्था हेतु सभी कारागारों में मिनी वीडियो वॉल तथा कारागार मुख्यालय में कारागारों में स्थापित कैमरों की फीड प्राप्त कर सुपर वीडियो वॉल की स्थापना करायी गयी है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य योजना का लोकार्पण मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2019 को किया गया तथा इस अभिनव प्रयास के लिये सराहना की गयी।

3. सम्मान चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था

पुलिस विभाग महानिदेशक द्वारा स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस पर अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत महानिरीक्षक कारागार का सम्मान चिन्ह (Commendation Disc) व प्रशस्ति पत्र देने की स्थायी व्यवस्था कारागार विभाग में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके अच्छे तथा सराहनीय कार्य के लिये लागू की गयी है।

4. स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्मानित करने की व्यवस्था

विगत वर्ष 98 स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशंसित करने के अनुक्रम में गणतन्त्र दिवस वर्ष 2021 के अवसर पर 60 प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्यमियों तथा व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया।

5. नव चयनित जेल वार्डरों की कारागारों पर तैनाती

कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड द्वारा रिक्त 3638 जेल वार्डरों की भर्ती की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। भर्ती के उपरान्त जेल वार्डरों को कारागारों पर तैनाती प्रदान की गयी है।

6. कुख्यात बंदियों पर नियंत्रण

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध, माफिया, तस्कर, आतंकवादी तथा अन्य कुख्यात बंदियों के निरुद्धिकरण हेतु प्रदेश की 05 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, आजमगढ़ चित्रकूट, बरेली तथा गौतमबुद्धनगर को उच्च सुरक्षा कारागार के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है।

●

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण।

1. कोविड-19 के दृष्टिगत् मा० न्यायालय में वादों की सुनवाई हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020" प्रख्यापित की गयी।
2. मा० उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत सीनियर सिस्टम आफिसर, सिस्टम आफिसर व सिस्टम सहायकों की सेवा के संबंध में "उत्तर प्रदेश ई-न्यायालय केन्द्रीयित कम्प्यूटर सेवा नियमावली, 2021" प्रख्यापित की गयी।
3. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ -खण्डपीठ, लखनऊ एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वादों की सुनवाई सुचारू रूप से करने हेतु मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कोर्ट मैनेजर के 81 अस्थायी पद शासनादेश दिनांक 08.10.2021 द्वारा सृजित किये गये।
4. उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 में मा० मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 का प्रकाशन किया गया है।
5. सामान्य नियमावली (सिविल) 1957 के अध्याय-एक के नियम-13 में मा० मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधन करते हुए अवकाश दिवसों में कार्य हेतु "राजपत्रित अवकाश" के स्थान पर "घोषित अवकाश" करने संबंधी अधिसूचना निर्गत/प्रकाशित।
6. नवसृजित जनपद सम्भल में जनपद न्यायालय का गठन/सृजन दिनांक 05-09-2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया।
7. अधीनस्थ न्यायालयों के कतिपय पदधारियों से प्रतिभूत लेने के संबंध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के भाग-एक के अध्याय तेईस के नियम-541 में मा० मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधित अधिसूचना निर्गत।
8. अधीनस्थ न्यायालयों के आज्ञप्तियों से वादों और अपीलों में विनिर्धारण पर अनुज्ञेय फीस के सम्बन्ध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के नियम-585 में मा० मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधित अधिसूचना निर्गत।
9. प्रदेश के 13 जनपदों- मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर,

झांसी, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर तथा वाराणसी में वाणिज्यिक विवादों के निस्तारण हेतु कामर्शियल कोर्ट्स का गठन अधिसूचना द्वारा किया गया है।

10. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम आफीसर के 71 तथा सिस्टम सहायक के 71 पदों का सृजन शासनादेश द्वारा किया गया है।
11. अधिसूचना दिनांक 29-5-2018 द्वारा जनपद शामली में जनपद न्यायालय का गठन किया गया है।
12. मा० मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्वाचित सांसदों/विधायकों के लम्बित आपराधिक वादों की सुनवाई के लिए जनपद प्रयागराज में 01 स्पेशल कोर्ट के गठन के साथ 7 सहायक स्टाफ के पदों का सृजन अधिसूचना द्वारा किया गया।
13. मा० उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के क्रम में जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1977 तथा जनरल रूल्स (सिविल) 1957 में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 14.08.2018 को निर्गत।
14. महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु जनपद वाराणसी में 01 एफटीसी एडीजे रैंक के न्यायालय के गठन संबंधी शासनादेश मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
15. महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक के 8 एफटीसी न्यायालय के गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
16. 65 जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अधीन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट (Exclusive Special Court) गठित करने एवं 09 जनपदों में किसी अपर सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट (Specify) किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मा० मुख्य न्यायाधीश महोदय की सहमति के क्रम में उच्च स्तरीय अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्या-08/2019/1084/ सात-न्याय-2-2019-124/89, दिनांक 29-4-2019 को निर्गत।
17. 09 ग्राम न्यायालय का गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 09 मई, 2019 को निर्गत किया जा चुका है। कुल गठित 113 न्यायालयों में 44 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो गये हैं।
18. दिव्यांगजनों के विरुद्ध अपराधों के विचारण हेतु मा० उच्च न्यायालय की सहमति से विशेष न्यायालय को विनिर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 20.05.2019 को निर्गत।
19. अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु मैन पावर हेतु 71 जनपदों में सिस्टम सहायक के पदों के सृजन पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेश दिनांक 03-6-2019 को निर्गत।
20. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिवर्तित करके तहसील-बिल्हौर और तहसील-घाटमपुर के क्षेत्रों को जिला रमाबाई नगर (वर्तमान में कानपुर देहात, स्थान-माती) से हटाकर कानपुर नगर में शामिल करने संबंधी

प्रस्ताव पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त अधिसूचना दिनांक 14-6-2019 को निर्गत।

21. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (अधिनियम संख्या-32 सन् 2012) की धारा-28 की उपधारा-1 के अधीन दिनांक 24-10-2013 को निर्गत अधिसूचना के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर संशोधित अधिसूचना दिनांक 18-6-2019 को निर्गत।

22. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एन०डी०पी०एस०) अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1985) की धारा 36 की उप धारा (1) के अधीन अपराधों के विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों की संख्या विनिर्दिष्टि करने विषयक अधिसूचना दिनांक 19-8-2019 को निर्गत।

23. लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में परिचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में शासनादेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा 218 नियमित न्यायालयों का गठन किया गया है तथा तत्संबंधी कुल 1744 पदों का सृजन किया गया है।

24. विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करने, विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में "उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज" नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में अधिसूचना दिनांक 31.08.2020 को निर्गत। उत्तर प्रदेश "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज" का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 11.09.2021 को किया गया।

25. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-705/सात-न्याय-2-2020, दिनांक 30.03.2020 द्वारा निम्न कार्यों हेतु ई०सी०आई०एल० को कार्यदायी संस्था नामित किया गया थाः-

    (1) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/अधिवक्ताओं इत्यादि के बायोमैट्रिक आधारित परिचय पत्र तैयार कराया जाना।

    (2) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु गेट आटोमेशन एवं बायोमैट्रिक सिस्टम का व्यवस्थापन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ एवं आजमगढ़/वाराणसी में किये जाने एवं इसका विस्तार समस्त जनपद न्यायालयों में किया जाना।

    (3) वादकारियों आदि के दैनिक पास हेतु जनशक्ति की तैनाती एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था।

(4) न्यायालय कक्षों में सी०सी०टी०वी० कैमराज (आडियों व वीडियों सहित) का अधिष्ठापन।

(5) अन्य जनपद न्यायालय जहाँ न्यायालय परिसर में सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित नहीं है वहां न्यायालय कक्ष के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में भी सी०सी०टी०वी० कैमरों का अधिष्ठापन।

26. अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों में ई-फाइलिंग हेतु नियमावली का प्रकाशन।

27. अधिसूचना द्वारा उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 का प्रख्यापन।

28. अधिसूचना द्वारा-जनपद कुशीनगर स्थान पडरौना तहसील कसया में सिविल जज (सी०डि०) के एक न्यायालय का सृजन किया गया है।

29. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों यथा- जनपद न्यायालय/वाह्य न्यायालय/ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण किये जाने हेतु मानक निर्धारण के संबंध में शासनादेश निर्गत।

30. अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2019 को निर्गत किया जा चुका है।

31. युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु वृत्ति प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।

32. 30वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर चुके सदस्यों/उनके आश्रितों हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि रु० 1.5 लाख से बढ़ाकर रु० 5.00 लाख किये जाने विषयक अधिनियम प्रख्यापित कर दिया गया है।

33. आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत मृतक अधिवक्ताओं के कुल 1347 अश्रितों को कल्याण निधि से रु० 65,42,50,000/- का भुगतान किया गया।

34. कुल 41 आर्थिक सहायता के आवेदन पत्रों का अनुमोदन दिनांक 07.06.2021 को हुआ है जिसमें कुल रू० 2,05,00,000/- का भुगतान किया जा रहा है।

35. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के अन्तर्गत मृत्यु दावे के रूप में कुल 1010 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को कल्याण निधि से 7,34,33,62/- रु० का भुगतान किया गया है। (दिनांक 01.04.2017 से 31.05.2021 तक)

36. जनपद श्रावस्ती में निर्माणाधीन 10 न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु रुपये 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

37. जनपद कुशीनगर के वाहय न्यायालय कसया में ओवर हेड टैंक, ट्यूबेल पम्प एवं वाटर सप्लाई हेतु रुपये 68.75 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी।

38. गाजीपुर के वाहय न्यायालय मोहम्मदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी-5 के 04 नग आवासों के निर्माण हेतु रुपये 22.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

39. जनपद देवरिया में 04 सूट के ट्रांजिट हास्टल के निर्माण हेतु रुपये 19.36 लाख की धनराशि निर्गत की गयी।

40. कासगंज में जनपद न्यायाधीश के लिए श्रेणी 06 के 01 नग आवास के निर्माण हेतु रुपये 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त।

41. जनपद गाजीपुर के वाहय न्यायालय सैदपुर में न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी-5 के 02 नग आवासीय भवनों हेतु रुपये 74.70 लाख अवमुक्त किये गये।

42. जनपद न्यायालय प्रतापगढ में ट्रांजिट हाल्न के निर्माण हेतु रुपये 49.67 लाख अवमुक्त किये गये।

43. मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपयोगार्थ थार्नहिल रोड प्रयागराज में कान्फ्रेंश हाल, 02 नग वी०आई०पी० सुइट्स एवं म्यूजियम के निर्माण हेतु रुपये 1150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

44. जनपद न्यायालय इलाहाबाद परिसर में बेसमेंन्ट पार्किंग/एलायड भवन के निर्माण हेतु रु. 97.40 लाख अवमुक्त की गयी।

45. जनपद न्यायालय मथुरा में 08 नग न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु रुपये 283.00 लाख की धनराशि अवमुक्ल की गयी।

46. मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना रुपये 640.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

47. जनपद रायबरेली में ए०डी०आर० सेन्टर के निर्माण हेतु रुपये 135.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 27.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गयी।

48. जनपद-सिद्धार्थनगर के वाहय न्यायालय परिसर में 16 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष के निर्माण हेतु रुपये 3845.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 961.47 लाख की धनराशि की स्वीकृति।

49. जनपद देवरिया के न्यायालय परिसर में 24 कोर्ट रूम के निर्माण कार्य हेतु रुपये 4797. 96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 1194.49 लाख की धनराशि स्वीकृत।

50. जनपद रामपुर में 12 कक्षीय न्यायालय भवन के निर्माण हेतु रुपये 2747.96 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 686.96 लाख की धनराशि की स्वीकृति ।

51. जनपद एटा परिसर में नये न्यायालयों हेतु बहुमंजिला न्यायालय (जी-5) भवन के निर्माण कार्य हेतु रुपये 940.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 470.46 लाख की धनराशि की स्वीकृति ।

52. जनपद-प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के भवन एवं बाउन्ड्री वॉल निर्माण कार्य हेतु धनराशि रुपये 404.17 लाख धनराशि अवमुक्त।

53. उ०प्र० पीडित क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु धनराशि रुपये 50.00 लाख अवमुक्त। 19-प्रदेश के 50 अधीनस्थ न्यायालयों में विद्युत खपत एवं वहाँ पर उपलब्ध छाया रहित स्थल के परिमाप के आधार पर शून्य निर्यात पद्धति के आनग्रिड सोलर रूफ टाप पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु धनराशि रुपये 19,07,50,401/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 9,53,75,200/- की धनराशि अवमुक्त।

54. जनपद-श्रावस्ती के सिविल कोर्ट भवन परिसर में फैमिली कोर्ट भवन के निर्माण कार्य हेतु रुपये 1670.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष रुपये 417. 54 लाख की धनराशि अवमुक्त।

55. जनपद सहारनपुर के कोर्ट कैम्पस में 01 जिला जज एवं 20 अपर जिला जज के कोर्टरूम के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि रुपये 2157.48 लाख अवमुक्त की गयी।

●

लोक आयुक्त

भारतवर्ष एक विकासशील देश है और प्रत्येक प्रदेश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में विकास की गति तीव्र हुई है। देश अथवा प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार एक बाधा के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव विकास के परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को मिलने वाली सुख-सुविधाओं पर पड़ता है। आम आदमी को शासन के क्रिया-कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था के रूप में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है।

वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर महामहिम श्री राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन दिनांक 7.9.1975 को अनुमति प्रदान की गयी। प्रथम लोक आयुक्त को दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराने के उपरांत लोक आयुक्त संस्था अस्तित्व में आयी एवं **45 वर्षो** से निरन्तर भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश रखने में सरकार के हाथों को मजबूती प्रदान कर रही है।

लोक आयुक्त की परिधि में प्रदेश के न केवल मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण, विधान मण्डल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन् स्वयंशासी संस्थायें, निगम व परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों या अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद/अभिकथन पर अन्वेषणोपरान्त् अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है।

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार :-

संक्षिप्त रूप में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों या लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आम नागरिकों एवं व्यथित व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में निर्धारित प्रारूप, शपथ-पत्र व प्रतिभूति की धनराशि जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक आयुक्त प्रशासन में 2 प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं, जोकि निम्न हैं :-

1. **शिकायत-** ऐसे परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शिकायत की श्रेणी में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक यदि निगम, स्वायत्तशासी संस्था का है, तो उसे प्रतिभूति जमा करनी होगी।

2. **अभिकथन** - ऐसे परिवाद जिनमें राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता, कुप्रशासन अथवा अनुचित कार्यवाही से शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है। किसी नागरिक, लोक सेवक, मन्त्री या विधायक से राज्य के किसी मन्त्री, विधायक या किसी स्थानीय निकाय या शीर्षस्थ सहकारी संस्था के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के कार्यों से सम्बद्ध किसी अधिकारी, कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम/निगम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की, जिसकी उसे निजी जानकारी हो, के संबंध में प्रस्तुत परिवाद को अभिकथन की श्रेणी मे रखा गया है। अभिकथन के मामले में दो हजार रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

क्षेत्राधिकार में आने वाले पदाधिकारी :-

निम्न के विरुद्ध शिकायत या अभिकथन दोनों प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

1. प्रदेश के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों (मुख्य मन्त्री परिधि में नहीं आते),
2. विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य,
3. शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित हैं, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव,
4. प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत कोई भी अधिकारी।

निम्न के विरुद्ध केवल अभिकथन रूपी परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है :-

1. क्षेत्र समिति के प्रमुख, 2. जिला परिषद के अध्यक्ष, 3. नगर महापालिका के नगर प्रमुख, 4. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, 5. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, 6. प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति :-

1. नगर महापालिकायें, 2. नगर पालिकायें, 3. जिला परिषदें, 4. क्षेत्र समितियाँ, 5. नगर क्षेत्र समितियाँ, 6. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, 7. विकास प्राधिकरण 8. औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निम्नलिखित निगमों की सेवा में वेतनभोगी प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी :-

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, 2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, 3. उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम, 4. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 6. उत्तर प्रदेश वन निगम, 7. उत्तर प्रदेश जल निगम, 8. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली 44 सरकारी कम्पनियाँ एवं उसकी 21 सहायक कम्पनियों में सेवारत वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ :-

वर्ष 2016 से राज्य के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्राप्त परिवादों पर शीघ्र जाँच करके अनेक मह वपूर्ण लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्था द्वारा त्वरित गति से जाँच पूर्ण करके अपने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक आयुक्त प्रशासन द्वारा प्रेषित की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जाती है। लोक आयुक्त संस्था की कार्य प्रणाली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवादों पर लिए गए त्वरित निर्णय और जनता में इस संस्था के प्रति बढ़े विश्वास एवं जागरूकता के फलस्वरूप परिवादों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

●

लोक सेवा प्रबन्धन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के गठन एवं व्यवहृत हो रहे कार्यों के संबंध में टिप्पणी

- लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि.) के कार्यालय ज्ञाप- दिनांक 19 जनवरी, 2011 द्वारा किया गया है।
- लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समय बद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 लागू किया गया है। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 47 विभागों की 411 सेवाएं तथा समस्त विभागों के लिए 10 सेवायें अर्थात कुल 421 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यलय/निदेशालय स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्राविधानित नहीं है। इस विभाग के अंतर्गत कोई योजना/परियोजना संचालित नहीं होती है।

●

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। सचिवालय स्तर पर स्थित न्याय, नियोजन, वित्त विभाग की भाँति प्रशासनिक सुधार विभाग भी एक परामर्शी विभाग (Reference Department) है। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम नहीं संचालित किए जाते हैं, जिसके कारण भौतिक लक्ष्य, प्रगति आदि नहीं संचालित किए जा सकते। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम संचालित न होने के कारण वार्षिक बजट का प्राविधान केवल वेतन/भत्तों आदि हेतु आयोजनेत्तर (राजस्व मद) क्षेत्र में कराया जाता है।

कार्यों का विवरण :-

वर्तमान में प्रशासनिगक सुधार विभाग में शासन स्तर पर दो अनुभाग सृजित हैं जिनमें व्यवहृत किये जा रहे कार्य निम्नवत हैं :-

प्रशासनिक सुधार अनु.-1

(i) उ.प्र. सूचना आयोग का अधिष्ठान तथा बजट सम्बन्धी कार्य।

(ii) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ.प्र. प्रयागराज का अधिष्ठान तथा बजट से सम्बन्धित कार्य।

(iii) प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र लखनऊ का अधिष्ठान तथा बजट से सम्बन्धित कार्य।

(iv) प्रशासनिक सुधार विभाग का अधिष्ठान एवं एतद्सम्बधी अन्य समस्त मामले।

(v) प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक उद्यम, लोक सेवा प्रबन्धन तथा धर्मार्थ कार्य विभाग का आहरण वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य।

(vi) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय एवं प्रशासनिक सुधार निदेशालय द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही किया जाना।

प्रशासनिक सुधार अनु.-2

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य। (अधिष्ठान तथा बजट को छोड़कर)

(ii) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाने सम्बन्धी समस्त कार्य।

(iii) सचिवालय/विभागाध्यक्षों/मण्डलों/जिलों के स्तर पर अपेक्षित प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी

शासनादेशों का निर्गमन एवं अनुश्रवण।

(iv) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों से सम्बन्धित कार्य।

(v) भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न बैठकों से सम्बन्धित समन्वय कार्य।

वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय स्थित है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश सूचना आयोग भी लखनऊ में स्थित है।

(अ) प्रशासनिक सुधार निदेशालय का विवरण :-

01 मई, 1976 में नई दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाय। भारत सरकार में हुये सम्मेलन में लिये हुये निर्णयानुसार संगठन एवं विधि प्रभाग को अतिरिक्त पदों की मांग के कार्य के साथ-साथ मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन का कार्य, प्रशासन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्धति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्डस मैनेजमेंट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्वपूर्ण विषय पर कार्य किये जाने का दायित्व सौंपा गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं विधि को एक निदेशालय का रूप दिया जाने का निर्णय लिया गया। अतः विभाग के शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 1978 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रशासनिक सुधार निदेशालय की स्थापना हुई।

(ब) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज :-

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का गठन शासनादेश दिनांक 11.04.1923 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह इकाई उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन प्रयागराज में अवस्थित है। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष हैं। निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशासन तथा शासकीय प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने, अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्धति में सरलता, प्रारूप तथा विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, अभिलेख प्रबन्धन, जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण तथा नयी कार्यप्रणाली, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी, संवेदनशील प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क में आने वाले विभागों में जनता को आवश्यक सेवायें/स्वीकृतियों में आसानी से सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराने की दिशा, शासन के समस्त प्रशासकीय

विभागों के प्रदेश/मण्डल/जनपद/ब्लाक स्तरीय कार्यालय के माध्यम से संचालित विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालयों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, अनुरक्षित अभिलेख आदि का निरीक्षण करके उनमें सुझाव एवं सहायता देने की दिशा में कार्य कराया जाता है। इन कार्यों हेतु मण्डलायुक्त के अधीन प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1-1 निरीक्षक भी तैनात है।

(स) उ.प्र. सूचना आयोगः-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग के अतिरिक्त 08 राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा दायर की गई द्वितीय अपीलों की सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त सूचना उपलब्ध न कराने वाले जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाहियाँ भी की जाती हैं।

●

होमगार्ड्स

- होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो 59 गौरवमयी वर्ष पूर्ण कर चुका है।
- संगठन की इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जनपदों में स्थापित हैं।

विभाग की उपलब्धियाँ

- प्रदेश के अन्तर्गत पुलिस बल के सहयोग हेतु कानून व्यवस्था ड्यूटियों पर नियुक्त किये जाने के लिये निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली के तहत एन०आई०सी० के द्वारा "Homeguard.up.gov.in" नाम से विकसित विभागीय बेवसाइट के माध्यम से होमगार्ड्स का ऑनलाइन प्रतिस्थापन हो रहा है।
- होमगार्ड्स संगठन में कुल जनशक्ति 1,18,348 के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध लगभग 84300 जनशक्ति से लगभग समस्त होमगार्ड्स जवानों को प्रत्येक दिवस विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित किया जा रहा है।
- यू० पी०-112 के चार पहिया वाहनों पर 4546 होमगार्ड्स को वाहन चालक के रूप में तथा दो पहियां वाहनों पर 4150 होमगार्ड्स को वाहन चालक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।
- आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अपना समुचित योगदान प्रदान करने हेतु 1200 होमगार्ड्स जवानों को प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एन०डी०आर०एफ० यूनिट गोरखपुर एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स लखनऊ पर 180 हवलदार प्रशिक्षक एवं 204 ब्लाक आर्गनाइजर को एन०डी०आर०एफ० द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं बाढ़, आपदा राहत एवं बचाव कार्य में दक्षता पूर्वक योगदान दिये जाने हेतु प्रशिक्षित किया गया। आपदा प्रबन्धन एवं आपदा बचाव के अन्तर्गत जनपद बलिया में एन०डी०आर०एफ० द्वारा 150 होमगार्ड्स जवानों को बाढ़, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी कोलकाता से 35, समुद्र एक्सप्लोर इन्स्टीयूट, कोलकाता से 51 एवं राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एन०डी० आर०एफ०) से 736 सहित कुल 822 अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराया गया है।
- मण्डल आजमगढ़, गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डलों के अर्न्तगत बाढ़ प्रभावित जनपदों में ब्लाक स्तर पर कम्पनियाँ स्थापित हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयं

सेवकों को बाढ़ एवं आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित कराते हुए उन्हें डीप डाइविंग एवं बाढ़ एवं राहत के कार्य हेतु पूर्णतः दक्ष बनाया गया है, जो जिला प्रशासन के साथ बाढ़ मित्र के रूप में बचाव कार्य करते हैं।

- महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत शासन की अपेक्षानुसार महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जनपद-कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ एवं मुरादाबाद की कुल-150 महिला होमगार्ड्स को दिनांक 01.12.2021 से 31.12.2021 एवं 16.12.2021 से 15.01.2022 तक की अवधियों में संबन्धित मण्डल के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्थानीय ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से चार पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिलाया गया है।
- गणतंत्र दिवस-2022 के अवसर पर विधानसभा के समक्ष आयोजित राज्यस्तरीय रैतिक परेड में विभागीय महिला टोली अल्फा स्क्वॉड द्वारा बेस्ट मार्चिंग दल का खिताब अर्जित किया गया, जिसकी गान/प्रशासन एवं अन्य उपस्थित गणमान्य जनों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। इसी अवसर पर द्वितीय स्थान होमगार्ड्स विभाग की पुरुष टुकड़ी के मार्चिंग दल को प्राप्त हुआ।
- गणतंत्र दिवस - 2022 के अवसर पर विधानसभा के समक्ष आयोजित रैतिक परेड में प्रथम बार होमगार्ड्स की महिला/ पुरुष बाइक राइडर द्वारा संयुक्त थंडरबोल्ट टीम के साथ प्रतिभाग किया गया, जिससे आम जनमानस में विभाग की छवि और बेहतर हुई।
- 31 अक्टूबर एकता दिवस-2021 के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड में होमगार्ड्स विभाग की पुरुष टुकड़ी एवं बैण्ड दल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिससे आम जनमानस में विभाग की छवि रचनात्मक उज्ज्वल हुई।
- यातायात व्यवस्था में प्रदेश के अन्तर्गत लगभग 2600 स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों द्वारा अपने महत्वपूर्ण एवं सराहनीय दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के अवसर पर 66444 होमागार्ड्स स्वयंसेवकों का जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय संचरण दिनांक 10.04.2021 से 30.04.2021 तक 04 चरणों में सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में जिला-पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया
- उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अवसर पर प्रथम चरण में 47256, द्वितीय चरण में 42677, तृतीय चरण में 48545, चतुर्थ चरण में 44770, पंचम चरण में 46781, षष्टम चरण में 45436 तथा सप्तम चरण में 42027 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय संचरण दिनांक 05.02.2022 से 08.03.2022 तक कुल 07 (सात) चरणों में सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में जिला-पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

- उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के 5000 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का प्रतिस्थापन उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन हेतु दिनांक 11-02-2022 से 16-02-2022 तक सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्धित जिला-पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों-अवैतनिक अधिकारियों का ड्यूटी भत्ता पुलिसकार्मिकों के न्यूनतम वेतन रुपया 8000-00 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रुपया 600.00 एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य करते हुए भुगतान किया जा रहा है।
- शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों-अवैतनिक पदाधिकारियों को वर्दी एवं वर्दी की अन्य साज-सज्जा की वस्तुओं की व्यवस्था हेतु प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार रू०-3000/-की धनराशि वर्दी भत्ते के रूप में दिये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार वर्दी भत्ते की धनराशि रु० 17,15,64,000.00 का भुगतान अब तक 57188 संबंधित होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के बैंक खातों के माध्यम से किया गया।
- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के कल्याणार्थ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रूपया 10 करोड़ की धनराशि के साथ उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि मोड में जमा किया गया है, जिस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की धनराशि से होमगार्ड्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं मेधावी सन्तानों को छात्रवृत्ति तथा दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अविधि में (अधिवर्षता से पूर्व) मृत्यु की दशा में उनके नामित-उत्तराधिकारी को एवं अपंगता की दशा में संबंधितों के कुल 718 दावों के सापेक्ष अनुग्रह राशि रुपया 35,90,00,000/- (रुपया पैंतीस करोड़ नब्बे लाख मात्र) का भुगतान किया जा चुका है।
- ई-आफिस के अन्तर्गत 55 कम्प्यूटर, 60 प्रिन्टर, 60 यू०पी०एस०, 08 लैपटाप, 01 हार्ड डिस्क एवं 02 वेब कैमरा का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करते हुए उनको विभागीय कार्यों हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है।
- होमगार्ड्स विभाग की उपयोगिता के दृष्टिगत आधुनिकीकरण योजना एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन के 38 जनपदों में अपने कार्यालय भवनों का निर्माण कराकर शासकीय कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। इसी प्रकार 03 मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कराकर उनमें प्रशिक्षण एवं शासकीय कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।
- जिला कार्यालय हरदोई, आगरा तथा मण्डलीय कार्यालय आगरा एवं मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र,

आगरा, प्रयागराज, कानपुर, झांसी का निर्माण अन्तिम चरण में हैं।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा वर्तमान में पुलिस बल के सहयोगी बल के रुप में शासन एवं प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। होमगार्ड्स जवानों के इस बहुमूल्य अनुशासित योगदान के कारण जन-मानस की भूरि-भूरि प्रशंसा संगठन को प्राप्त हो रही है। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की समस्याओं के प्रति शासन संवेदनशील है तथा उनके कल्याण हेतु विभाग में कई कल्याणकारी योजनायें प्रभावी हैं। आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में होमगार्ड्स बल के स्वयंसेवक तथा अधिकारी और अधिक परिश्रम, अनुशासन तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ शान्ति व्यवस्था की स्थापना के अतिरिक्त उ०प्र० सरकार द्वारा दिये गये विधिक दायित्वों के निष्ठा पूर्वक सम्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे।

●

सचिवालय प्रशासन

वर्ष 2021-22 में सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियाँ

- उक्त अवधि में सचिवालय सेवा सवंर्ग के अधिकारियों में विशेष सचिव के 12, संयुक्त सचिव के 23, उप सचिव के 30 एवं अनुसचिव के 39 पदों पर डी.पी.सी. कराकर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।
- सचिवालय सेवा लेखा संवर्ग के अधिकारियों में विशेष सचिव के 01, संयुक्त सचिव के 02, उप सचिव के 04 एवं अनुसचिव के 05 पदों पर डी.पी.सी. कराकर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।
- सचिवालय सेवा भाषा संवर्ग (समूह-क) के अनुसचिव के 02 रिक्त पदों तथा अनुभाग अधिकारी हिन्दी के 02 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गयी।
- सचिवालय निजी सचिव संवर्ग के विभिन्न पदों पर 76 अधिकारियों पर पदोन्नति की गयी।
- पदोन्नति कोटे के समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों को उनके पद पर स्थायी किया गया।
- समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 (बैच) के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 185 समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की गयी।
- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) 2016 (बैच) के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत समीक्षा अधिकारी (लेखा) 13 अभ्यर्थी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की गयी।
- लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 में चयनित कतिपय समीक्षा अधिकारियों का स्थायीकरण किया गया।
- चयन वर्ष 2021-2022 में समीक्षा अधिकारी (सीधी भर्ती) के रिक्त 42 पदों पर चयन कराये जाने हेतु दिनांक 30.03.2022 द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया। चयन वर्ष 2022-2023 में समीक्षा अधिकारी (सीधी भर्ती) के उपलब्ध/रिक्त 70 पदों पर चयन कराये जाने हेतु दिनांक 07.10.2022 द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया।
- चयन वर्ष 2021-2022 में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराये जाने हेतु दिनांक 10.10.2020 द्वारा 04 (विशेष चयन) पदों पर लोक सेवा आयोग को

अधियाचन प्रेषित किया गया। चयन वर्ष 2022-2023 में समीक्षा अधिकारी (लेखा) सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराये जाने हेतु दिनांक 30.08.2022 द्वारा 03 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया।

- चयन वर्ष 2021-2022 में सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराये जाने हेतु दिनांक 24.06.2022 द्वारा 21 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया। सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराये जाने हेतु दिनांक 23.06.2022 द्वारा 16 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया।
- लोक सेवा आयोग प्रयागराज को अपर निजी सचिव संवर्ग के 29 पदों का अधियाचन प्रेषित किया गया।
- "समूह-क", "समूह-ख" व "समूह-ग" के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा निवृत्तिक देयकों के भुगतान आदेश निर्गत किये गये।
- सचिवालय सेवा लेखा संवर्ग की समूह-क लेखा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2021 प्रख्यापित की गई।
- चयन वर्ष 2021-2022 में उ.प्र. सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) एवं उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसरण में मृतक आश्रित के रूप में कम्प्यूटर सहायक के पद पर 21 नियुक्तियाँ की गयी।
- सचिवालय सेवा के अधिकारियों को साइबर सुरक्षा व्यक्तित्व विकास एवं अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

●

नियुक्ति एवं कार्मिक

वर्ष 2021-2022 (दिनांक 01 अप्रेल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक)
कार्मिक विभाग में किये गये महत्त्वपूर्ण कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण।

संख्या व दिनांक	विषय

1. **शासनादेश संख्या-4/2021/849 का- 2/2021 दिनांक 07/10/2021** :- रिट याचिका संख्या-656 (रिट-ए)/2020 श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उ.प्र. राज्य में मा.उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।
2. **शासनादेश संख्या-5/2021/6/12/73-का-2-टी.सी.-4(4)/2021 दिनांक 02/11/2021** :- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशाधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के समयोजन में आ रही कठिनाईयों के निवारण के सम्बन्ध में।
3. **शासनादेश संख्या-6/2021/6/12/73-का-2/2021 टी.सी.-4 दिनांक 12/11/ 2021** :- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021
4. **शासनादेश संख्या-7/2021/2/1/97/का-2/2021 दिनांक 09/12/ 2021** :- उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य भार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 के नियम 6 (1) के स्पष्टीकरण के संबंध में।
5. **शासनादेश संख्या-8/2021/20/1/91-/का-2/2021 दिनांक 10/12/ 2021** :- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गये व्यक्तियों पारिश्रमिक का भुगतान समय से किये जाने के संबंध में।
6. **शासनादेश संख्या-2/2022/3/47/का-2/2022 दिनांक 07/01/ 2022** :- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 के सम्बन में।
7. **शासनादेश संख्या-1/2022/1/47/का-2/2022 दिनांक 07/01/ 2022** :- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बिना पारी की पदोन्नति) नियमावली, 2022 के सम्बन्ध में।
8. **शासनादेश संख्या-5/2022/16/आयोग/1/4/2011-का-4-2022 दिनांक 31/03/ 2022** :- लोक सेवा आयोग उ.प्र. द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी शासनादेश संख्या-28/5/80-का-4-1999 दिनांक 15.11.1999 में संशाधन
9. **शासनादेश संख्या-7/2021/संख्या-1/3/96-का-4-2021** :- सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति।
10. **शासनादेश संख्या-9/2021/संख्या-2-ई.एम./2009-का-4-2021** :- सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।
11. **शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021** :- विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववत्/चरित्र का उनकी प्रथम नियुक्ति के पहले सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।
12. **शासनादेश संख्या-8/2021/संख्या-596/सामान्य-का-4-2021-303/2020**:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

प्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) विभाग

- प्रदेश में निवेश की दिशा में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/नीतियों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। निवेश प्रोत्साहन की दिशा में विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/निवेशोन्मुखी नीतियों का विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा दूतावासों/हाई कमिश्नर्स के सहयोग से प्रवासी भारतीयों में से संभाव्य निवेशकों का डाटाबेस प्राप्त कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से वर्ष 2020-21 में प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) का गठन किया गया। इसके द्वारा 134 भारतीयों दूतावासों, अप्रवासी भारतीयों से सम्बंधित लगभग 60 संगठनों, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समन्यवय कर विभाग के पोर्टल- nri.up.gov.in पर 13,580 उत्तर प्रदेश मूल के अप्रवासी भारतीयों (OCIs/ PIOs/NRIs) का डेटाबेस संग्रह किया गया। यह कार्य निरंतर प्रगति पर है।
- प्रवासी भारतीयों के हितार्थ नवनिर्मित वेबसाइट / वेबपोर्टल- nri.up.gov.in का शुभारम्भ दिनांकः 24.08.2020 को किया गया, इस नवनिर्मित वेबसाइट को निवेश मित्र MSME, (Invest UP) टूरिज्म, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सूचना विभाग के पोर्टल से लिंक किया गया है, ताकि विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय इन विभागों की अद्यतन नीतियों/शासनादेशों से लाभान्वित होते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान कर सकें।
- प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों (NRIs/PIOs/OCIs) से निवेश को आकर्षित करने के लिए PMU द्वारा लगभग 6000 संभावित निवेशकों से सम्पर्क स्थापित किया गया है, संभावित निवेशकों के साथ ईमेल / दूरभाष तथा वर्चुअल बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक तथा अन्य नीतियों, निवेश संभावनाओं व उत्तर प्रदेश की नवीन विकास और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार में जानकारी प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरुप 38 प्रवासी भारतीयों ने लगभग 1200.00 करोड़ धनराशि के निवेश प्रस्ताव इन्वेस्ट- यू.पी. को अनुश्रवण हेतु समय-समय पर प्रेषित किये गए व साप्ताहिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से निवेशकों की जिज्ञासाओं का समाधान कराकर उन्हें इकाई स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह कार्य सतत प्रक्रियारत है।
- उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों को प्रदेश में उनके विशिष्ट योगदान हेतु सम्मान स्वरूप "उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार" प्रदान किया जाता है, और वर्ष 2013 तक 50 महानुभावों को "उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार" प्रदान किया जा चुका है।

- प्रवासी भारतीय विभाग द्वारा नालेज पार्टनर KPMG के माध्यम से "Draft Policy for Engagement with Uttar Pradesh Diaspora 2022-2027" भी तैयार की जा रही है जिसके सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार आदि प्रक्रियाधीन है।
- प्रवासी भारतीय विभाग में दिन प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन हेतु एक स्वतंत्र निदेशालय के गठन हेतु प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से एक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मा. मंत्रिपरिषद के टिप्पणी सहित प्रबंध निदेशक से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
- प्रवासी भारतीयों के मध्य जागरूकता, प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा वर्कशॉप भी आयोजित की जाती है, जिसमें प्रदेश से विदेश में रोजगार हेतु इच्छुक नागरिकों के सुरक्षित एवं वैध उत्प्रवासन के सम्बन्ध में भी जागरूक एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है।
- प्रदेश के कामगारों को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु चयन प्रक्रिया के संचालन राज्य सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी- upfcomra द्वारा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के कुशल/अर्द्धकुशल कामगारों को विदेशों में उपयुक्त रोजगार तथा वैध उत्प्रवासन हेतु अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो सके। विदेशी भर्ती चयन प्रक्रिया का संचालन UPFC के क्षेत्रीय कार्यालयों- गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ एवं गोरखपुर केन्द्रों से ऑनलाइन www.upfcomra.com के माध्यम से किया जा रहा है।
- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इमीग्रेशन एक्ट के अन्तर्गत upfcomra के लाइसेन्स का नवीनीकरण 2021-2026 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। लाइसेन्स नवीनीकरण के उपरान्त विदेशी नियेक्ताओं से लगभग 1000 (एक हजार) पदों हेतु मांग प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, साथ ही एजेंसी के पोर्टल का इंटीग्रेसन ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से किया जा रहा है एवं सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों में संरक्षण व गैर पंजीकृत भर्ती एजेंटों की गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयेजित कार्यशालाओं/बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की जाती है।
- राज्य सरकार के विभाग/अभिकरणों को प्रस्थान पूर्व दिशा-निर्देश कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग करने एवं संभावित उत्प्रवासियों के बीच सुरक्षित, नियमित और सुव्यवस्थित उत्प्रवासन के लाभों को और भारत सरकार के कल्याण और संरक्षण सम्बन्धी क्रार्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (ICM DIVISION) द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 03 पुस्तकों (1) Law Enforcement Agencies Hand Book (2) Aspiring Women Workers Hand Book (1) On Safe and Legal Migration (3)Importment Information for Migrant Workers.
- उत्तर प्रदेश मूल के एन.आर.आई. समुदाय/डायस्पोरा को विशिष्ट पहचान दिए जाने हेतु विभाग की वेबसाइट www.upnri.com पर लिंक देकर एन.आर.आई. कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था संचालित की गयी है। इस कार्ड के माध्यम से वह शासकीय उच्चाधिकारियों से

सुगमता से भेंट कर सकेंगे तथा भविष्य में प्रदान किये जाने वाले तृतीय पक्ष के लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रवासी भारतीयों की सुगमता हेतु ''एन.आर.आई. कार्ड'' के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की सुविधा विकसित की गयी है। अब तक 650 से अधिक एन.आर.आई कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं।

- उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के हितों एवं कल्याण के पर्यवेक्षण तथा उनसे सम्बंधित शिकायतों के समाधान में प्रक्रियागत विलम्ब को समाप्त करने के उददेश्य से वेब पोर्टल-upnrigrs.in का 24x7 संचालन सम्प्रति किया जा रहा है। इस वेबसाई में ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण एवं उनके समयबद्ध अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यापालक अधिकारी/उपाध्यक्ष के स्तर पर सुनिश्चित की जाती है।
- साथ ही, भारत सरकार के मदद से पोर्टल पर भी हाइपर लिंक की सुविधा दी गयी है, विदेशों में उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीय कामगारों की मृत्यु हो जाने पर उनके मृत शरीर के पारगमन (Transportation of Mortal Remains) की व्यवस्था एवं संकट काल में विदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों का सुरक्षित प्रत्यावर्तन विदेश मंत्रालय, (Repatriation) भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

विधायी

संक्षिप्त इतिहास

दिनांक 27.10.2006 से पूर्व विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग राज्य के न्याय विभाग का एक अंग था। विधायी विभाग राज्य का एक महत्त्वपूर्ण विभाग होता है, जिसका कार्य प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायिका द्वारा बनाये जाने वाले नये कानूनों का आलेखन तथा विधीक्षण एवं पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करना होता है। विभाग के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य में विधायी विभाग एक अलग विभाग हो, जिसमें विशेषज्ञ विधि-प्रारूपकार भी हों। भारत संघ की सुशासन से सम्बंधित ड्राफ्ट एक्शन प्लान में विधायी विभाग के उपरोक्त बिन्दु को सम्मिलित किया गया और सभी राज्य सरकारों को विधायी विभाग को पृथक करने के निर्देश के साथ-साथ इसमें विशेषज्ञ की नियुक्ति की अपेक्षा की गई।

भारत संघ की उपरोक्त अपेक्षानुसार राज्य का विधायी विभाग दिनांक 27.10.2006 को न्याय विभाग से पृथक किया गया। तद्क्रम में विधायी विभाग द्वारा जारी की गयी "उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली 2013 (यथासंशोधित 2019)" के अधीन लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तीन विधीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति विधायी विभाग में की गयी है, जिनके द्वारा वर्तमान में सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के प्रख्यापन एवं अधिनियमतन तथा नियमों विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों के विधीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के समस्त विभागों से सम्बन्धित अधिनियमों को अप्रचलित व अप्रासंगिक हो जाने से दृष्टिगत विभाग से अभिमत व संस्तुति प्राप्त करके सम्बंधित निरसन हेतु चिन्हित अधिनियमों को निरसित (रिपील) किए जाने हेतु निरसन अधिनियम विधानमण्डल से पारित होने एवं उस पर संवैधानिक प्रक्रियानुसार श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की अनुमति प्राप्त करके अधिसूचित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायी विभाग की उपलब्धियाँ :-

- विधायी विभाग द्वारा नागरिकों एवं व्यवसाय पर अनुपालन भार को कम करने एवं व्यापार में सुगमता लाने के उद्देश्य से असामयिक एवं अनुपयोगी हो चुके 312 अधिनियमों (46 मूल अधिनियम, 266 संशोधन अधिनियम) को उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संध्या 20 सन् 2021) के माध्यम से 5 अधिनियमों (4 मूल अधिनियम, 1 संशोधन अधिनियम) को उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन अधिनियमन, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2021) के माध्यम से तथा 11 अधिनियमों (3 मूल अधिनियम, 8 संशोधन अधिनियम) को उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2021) के माध्यम से निरसित किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में "इंडिया कोड पोर्टल" पर अभी तक 82 विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित अधिनियमों तथा विधायी प्रलेखों को सर्चेबल पी.डी.एफ./वर्ड फाइल से अपलोड किया जा चुका है।
- विधायी विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट पर राज्य अधिनियमों (पी.डी.एफ./सॉफ्ट कॉपी के) तथा केन्द्रीय अधिनियमों (समवर्ती सूची से सम्बंधित) में किए गए राज्य संशोधनों को अपलोड कराया गया है, जो जनसामान्य के लिए प्रदर्शनीय है।
- उक्त के अतिरिक्त विधायी विभाग के द्वारा उ.प्र. राज्य से सम्बंधित राज्य अधिनियमों को (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में) संहिताबद्ध किए जाने हेतु **'उत्तर प्रदेश संहिता'** के दशम संस्करण के विभिन्न खण्डों का राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से मुद्रण एवं पुस्तक के रूप में प्रकाशन कराया जा रहा है।
- विधायी विभाग की वेबसाईट www.upvidhai.gov.in के अंतर्गत "यू.पी. कोड पोर्टल" को विकसित किया गया है। उक्त नवविकसित "यू.पी. कोड पोर्टल" पर 201 केन्द्रीय मूल अधिनियम तथा 473 उ.प्र. राज्य से सम्बंधित प्रचलित मूल अधिनियम एवं 1152 संशोधन अधिनियमों को विधायी विभाग के स्तर से अपलोड किया जा चुका है। अधिनियमों से सम्बन्धित अधीनस्थ विधायी प्रलेखों को प्रशासकीय विभागों द्वारा अपलोड किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अद्यतन 46 विभागों के स्तर से अपलोड किए गए विधायी प्रलेखों को जनसामान्य द्वारा पोर्टल पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

1. भारत सरकार के निर्देशानुपालन में **"इंडिया कोड पोर्टल"** पर विभिन्न विभागों के माध्यम से अधिनियमों तथा उनके अधीनस्थ बनाए गए विधायी प्रलेखों को अपलोड (शत-प्रतिशत) कराए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नए अधिनियमों, संशोधन अधिनियमों तथा केन्द्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधनों को भी अद्यावधिक रूप से अपलोड किए जाने की सतत रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

2. विधायी विभाग की वेबसाइट www.upvidhai.gov.in के अधीन नवनिर्मित/विकसित **"यू.पी. कोड पोर्टल"** पर समस्त राज्य अधिनियमों एवं उनके अधीनस्थ विधायी प्रलेखों को अद्यावधिक करके अपलोड कराया जाना।

संस्कृति

संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहरों, सांस्कृतिक परम्पराओं, पुरावशेषों एवं स्मारकों तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास में अपने तीन निदेशालयों यथा- उ.प्र. संस्कृति निदेशालय, उ.प्र. पुरातत्व निदेशालय एवं उ.प्र. संग्रहालय निदेशालय तथा अपनी अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को गाँव-गाँव पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित कार्य भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्राप्त होता है। कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में कला और संस्कृति को जनमानस से जोड़ने के लिए लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के साथ-साथ ललित कलाओं के विकास का कार्य एवं सांस्कृतिक उत्सव सम्पन्न कराये जाते हैं।

उ.प्र. सरकार के विभिन्न विभागों एवं अर्द्धशासकीय एवं व्यक्तिगत अधिकारों व स्रोतों से प्राप्त अप्रचलित अभिलेखों के स्थानान्तरण एवं समुचित संरक्षण का कार्य उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं उसकी इकाइयों द्वारा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों के डिजिटाईजेशन संबंधी कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न भागों व अंचलों में बिखरी पड़ी प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों/स्मारकों /पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों का उत्खनन डाक्यूमेन्टेशन एवं प्रकाशन आदि का कार्य भी उ.प्र. राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। पुरातत्व की महत्ता के प्रति सामान्यजन में अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु पुरातत्व निदेशालय द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभागों के अधीन प्रदेश में 15 संग्रहालय कार्यरत हैं। जनपद लखनऊ एवं मथुरा संग्राहालय को अपने संग्रह के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। इन संग्रहालयों में प्रस्तर कलाकृतियां, मृणमूर्तियां, लघुचित्र, सिक्के, हस्तलिखित अभिलेख, पाण्डुलिपियां, धातु, चर्म, कास्ट तथा हाथी दाँत आदि की कलावस्तुएँ भी उपलब्ध हैं। संग्रहालयों द्वारा सांस्कृतिक सम्पदा,

पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का अनुरक्षण, संरक्षण तथा प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। 03 नवीन वीथिकाओं क्रमशः मृणमूर्ति कला विथिका, मुद्रा वीथिका एवं प्राणिशास्त्र वीथिका का निर्माण कार्य प्रचलन में है। जनसामान्य में संग्रहालय की महत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

संस्कृति निदेशालय :-

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन, समन्वय का कार्य विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र एवं अनेक स्वायत्तशासी संस्थायें यथा- उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, उ.प्र. जैन विद्या शोध संस्थान, लोक एवं जन-जातीय कला एवं संस्कृति संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ सम्मिलित हैं। संस्कृति निदेशालय द्वारा भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यों का भी समन्वय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा को वेतन तथा गैर वेतन मद में अनुदान दिया जाता है।

आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं जनपदों के सहयोग से 4278 कार्यक्रमों का आयोजन सम्पूर्ण प्रदेश में किया गया, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित की गई।

आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव, देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो 'आजादी ड्रोन शो' लखनऊ में आयोजित हुआ जिसमें 500 ड्रोन के माध्यम से आकाश में आजादी के नायकों के प्रतीकों का भव्य प्रदर्शन किया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन वर्षगांठ, राष्ट्ररक्षा समर्पण पर्व-झाँसी, आजादी की कलायात्रा-प्रयागराज, आजादी की हुंकार-बलिया, विजय दिवस-कानपुर, मेरठ क्रांतिपर्व, काकोरी बलिदान दिवस-लखनऊ, आजादी हाफ मैराथन लखनऊ, आजादी का रंगोत्सव थियेटर फेस्टिवल-गोरखपुर, रंग दे बसन्ती-लखनऊ, पं. गोविन्द बल्लभ पंत जयन्ती, भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी जयन्ती, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जयन्ती, सरदार बल्लभ भाई पटेल जयन्ती, बाल्मीकि जयन्ती, गाँधी जयन्ती, भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयन्ती, मिशन शक्ति, सुशासन दिवस एवं उत्तर प्रदेश दिवस, संगीत नाटक अकादमी द्वारा त्रिदिवसीय 'अवध महोत्सव', भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा 'रंग समागम', राज्य ललित कला अकादमी द्वारा चित्रकला शिविर/प्रदर्शनी, राज्य संग्रहालय द्वारा 'अभिरुचि पाठ्यक्रम' चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव एवं आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त संग्रहलयों में 117 शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किये गये, दीपोत्सव-2021 में विभाग द्वारा 1000 से अधिक कलाकारों के साथ अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रदेश के संग्रहालयों द्वारा 47 कार्यक्रम तथा वार्षिक कैलेण्डर के अन्तर्गत संग्रहालयों द्वारा निर्धारित 124 कार्यक्रम सम्पन्न हुए, काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न चित्रकारों द्वारा 75 मीटर लम्बे कैनवास पर आजादी की शौर्य गाथा का चित्रण आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उल्लेखनीय है।

संस्कति विभाग द्वारा प्रदेश के गौरवशाली इतिहास एवं कला संस्कृति को आम जनमानस तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न पुस्तकें-सन् 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, चौरी-चौरा संग्राम विषयक बाल पुस्तक, चौरी-चौरा क्रांतिगीत, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, चौरी-चौरा औपनिवेशिक न्याय, अयोध्या 'परम्परा संस्कृति विरासत', लोक मानस में राम संस्कृति (दो भागों में), भारतीय भाषाओं में राम (चार भागों में) विभाग द्वारा वार्षिक शोध पत्रिका प्राग्धारा आदि का प्रकाशन कराया गया।

प्रदेश की विलुप्त कलाओं का डिजिटलाइजेशन कराते हुए 40 लघु फिल्मों का निर्माण, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 से अधिक संस्कार गीतों का अभिलेखीकरण, राज्य संग्रहालय, लखनऊ की कलाकृतियों का डिजिटल डाक्यूमेन्टेशन, राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा चित्रकला में वन्य पर आधारित ई-बुलेटिन आदि का डाक्युमेन्टेशन किया गया।

देश की महान विभूतियों एवं स्मृतियों को बनाये रखने तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जनमानस को प्रेरित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा 23 मूर्तियों का निर्माण कराया गया, जिसमें हेमवती नन्दन बहुगुणा, डॉ. सम्पूर्णानन्द, भारतरत्न अटल बिहारी बाजपेयी, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, महन्त अवैद्यनाथ जी तथा काकोरी के शहीदों की मूर्तियाँ प्रमुख हैं।

कोविड काल में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा 'ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण' से सम्बन्धित 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वेबिनारों का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा प्रदेश के 16 मण्डलों में 'रामायण कान्क्लेव' का आयोजन पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें 2000 से अधिक कलाकारों को कोविड-19 के बाद सीधे रोजगार प्राप्त हुआ।

कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष के ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकार जो जीवन पर्यन्त कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की साधना में संलग्न रहे, किन्तु वृद्धावस्था एवं निम्न स्वास्थ्य के कारण अपनी जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गये हैं, उन्हें रु. 2000/- की मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 406 से अधिक कलाकार उक्त योजना से जुड़े हैं।

गजल, दादरा, खयाल एवं ठुमरी के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों को बेगम अख्तर पुरस्कार से विभूषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कला, संस्कृति एवं साहित्य जगत की महान विशिष्ट विभूतियों को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गतवर्ष में पद्मविभूषण गिरिजादेवी सम्मान समारोह का आयोजन, भारतेन्दु हश्चिन्द्र जयन्ती के अवसर पर 44 वरिष्ठ रंगकर्मियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा, धरोहरों के संरक्षण, उन्नयन एवं समृद्धशील विकास के लिए विभाग कृत संकल्पित है।

उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार

उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस के रूप में शिक्षा विभाग, उ.प्र. इलाहाबाद के कार्यालय में हुई थी, जिसे पृथक् इमारत का आवंटन 53 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद में सन् 1951 में किया गया। उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार अपने नवनिर्मित भवन जो कि बी-44, महानगर विस्तार, लखनऊ में स्थित है, जुलाई 1973 को स्थानान्तरित हुआ। 1973 से ही उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ने अपना विस्तार प्रारम्भ

किया। इसी वर्ष क्षेत्रीय अभिलेखागार व पाण्डुलिपि पुस्तकालय, इलाहाबाद की स्थापना की गयी। विस्तार की यह प्रक्रिया क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी (1976), नैनीताल (1977), आगरा व देहरादून (1980) की स्थापना के साथ ही निरन्तर चलती रही। क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल व देहरादून वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में हैं। उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार में सन् 1803 से अभिलेख संरक्षित हैं तथा व्यक्तिगत अधिकार से प्राप्त सन् 1540 से अभिलेख संरक्षित हैं।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना।
2. शोध-छात्रों को शोध हेतु ऐतिहासिक महत्त्व के अभिलेख एवं शासन को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।
3. अभिलेखों की माइक्रो फिल्मिंग एवं फोटोकापी से सम्बन्धित सुविधायें और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है।
4. उक्त कार्यों की सम्पूर्ति हेतु समय-समय पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अभिलेखों का सर्वेक्षण करना।
5. उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार, शासकीय कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत अधिकार में रखे गये अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए परामर्श भी देता है।
6. मौखिक इतिहास योजना के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण टेप कराकर संरक्षित करना।
7. राज्य के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को दो सप्ताह का अभिलेख संरक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
8. अभिलेखागार द्वारा समय-समय पर संरक्षित अभिलेखों पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी किये जाते हैं।
9. प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक महत्त्वपूर्ण अंग-अभिलेखीय धरोहर के प्रति जन-सामान्य एवं छात्र-छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु अभिलेख अभिरुचि कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखागार भ्रमण एवं अभिलेखों पर आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना :-

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना का कार्यान्वयन संस्कृति निदेशालय की देख-रेख में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं उनके साथ तैनात

अवर लिपिक एवं परिचरों के माध्यम से पूरे प्रदेश में किया जाता था। इस योजना में 100 वर्ष से अधिक पुरानी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व की मूर्तियों एवं अन्य बहुमूल्य कलाकृतियों का पंजीकरण किया जाता था। यह योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित थी।

वर्तमान में पुरावशेषों के पंजीकरण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थानीय इकाईयों-आगरा, सारनाथ तथा लखनऊ द्वारा किये जाने का निर्णय लिये जाने पर समस्त अभिलेख इन इकाईयों को हस्तान्तरित कर दिये गये और अब पंजीकरण का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ

शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एव विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में मैरिस कालेज के नाम से हुई। बाद में इसका नाम बदलकर भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1966 को इसे अपने नियंत्रण में लिया गया और विश्वविद्यालय घोषित होने तक एक शासकीय संस्था के रूप में गतिशील रहा।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 को अपनी अधिसूचना में इसे समविश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। दिनांक 06 जनवरी 2022 को भातखण्डे समविश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर इसे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तत्पश्चात् भातखण्डे संस्कृति अधिनियम, 2022 द्वारा इसे भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर दिये जाने से संगीत के विद्यार्थियों को प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हो गया है।

संगीत जैसी प्रदर्शन प्रधान कलाओं को सीखने के लिए कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर महाविद्यालय में पहले संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को संस्थान में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया है। ताकि जो विद्यार्थी बी.पी.ए. व एम.पी.ए. के लिए निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न करते हों, उन्हें भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

संस्थान द्वारा शास्त्रीय (गायन, ताल-वाद्य, स्वर-वाद्य, नृत्य) संगीत की चारों विधाओं में बी. पी.ए., एम.पी.ए. एवं पीएच.डी. की डिग्री/उपाधि तथा प्रवेशिका, परिचय, प्रबुद्ध, पारंगत एवं उपशास्त्रीय गायन (ध्रुपद-धमार, होरी, ठुमरी, दादरा, संवादिनी, की-बोर्ड, सुगम संगीत) में सार्टिफिकेट डिप्लोमा तथा लोकनृत्य में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संगीत के शिक्षण कार्य के साथ-साथ पूर्व में संचालित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत अभिरुचि की विशिष्ट कार्यशाला एवं संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है।

संस्थान द्वारा सत्र 2001-02 में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ महाविद्यालय के सार्टिफिकेट/डिप्लोमा की वार्षिक परीक्षाओं का स्वतन्त्र रूप से संचालन किया जा रहा है। पीएच. डी. की 60 उपाधियाँ वर्तमान समय पद शोधर्थियों को प्रदान की गयी हैं।

शिक्षण सत्र 2020-21 में संस्थान में प्रवेशिका से पारंगत कक्षा तक सार्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में लगभग 713 तथा विश्वविद्यालय अनुभाग में लगभग 424 अर्थात् शास्त्रीय संगीत की चारों विधाओं (गायन, ताल-वाद्य, स्वर-वाद्य, नृत्य एवं संगीत शास्त्र) में लगभग 1131 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

राज्य ललित कला अकादमी, उ.प्र.

राज्य ललित कला अकादमी, उ.प्र. की स्थापना 08 फरवरी, 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के ध्येय की ओर निरन्तर अग्रसर होती हुई कला जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। अकादमी छत्तरमंजिल और हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी भवन में स्थित है। यह भवन उ.प्र. राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक पुरातात्विक इमारत है। इसका निर्माण सन 1778-1814 के बीच हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम इस भवन में राज्य संग्रहालय स्थापित हुआ। राज्य संग्रहालय का अपने भवन में स्थानान्तरण होने के पश्चात् वर्ष 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई।

अकादमी दृश्य कला से सम्बन्धित विभिन्न प्रदेश/अखिल भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों, कला व्याख्यान मालाओं, कला शिविरों तथा युवा कलाकारों के लिये छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से गतिविधियों का आयोजन कर रही है तथा युवाओं का उत्साहवर्धन पिछले 60 वर्षों से अपने सीमित संसाधनों से कर रही है ।

उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी

अकादमी की स्थापना 13 नवम्बर, 1963 को हुई थी। पिछले 58 वर्षों में अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोकसंगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन एवं परिरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसकी विविध समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं के परिरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना है। अकादमी के अत्यधिक सीमित संसाधन हैं, जबकि इतने वृहद् प्रदेश के लिये अधिक आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों को और अधिक गतिशील व क्रियाशील बनाया जा सके।

प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक विधाओं सम्बन्धी परस्पराओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जानकारी, नवोदित प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थानों से सम्पर्क एवं उनके कार्यकलापों में सहायता लुप्त हो रही विधाओं के परिरक्षण के प्रदर्शन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराना, साथ

ही सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जनता के समक्ष लाना, अकादमी की गतिविधियों में शामिल है।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रतिभावान व महत्त्वाकांक्षी युवक-युवतियों को नाट्यकला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतेन्दु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी। संस्थापक निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया के कुशल निर्देशन में अकादमी का प्रशिक्षण कार्य, अंशकालिक शिक्षण के रूप में प्रारम्भ होकर वर्ष 1978 में एक वर्षीय पूर्णकालिक स्टीफिकेट कोर्स तथा वर्ष 1981 में द्विवर्षीय डिप्लोमा के रूप में स्थापित हुआ, जिसके अन्तर्गत नाट्यकला के विभिन्न पक्षों अभिनय, निर्देशन, रंग-तकनीक एवं नाट्य साहित्य आदि विषयों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमण्डल की स्थापना की गई।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रदेश के 30 जनपदों में (04 स्थानों) स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नायकों पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

अयोध्या शोध संस्थान

तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या-फैजाबाद

अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा अयोध्या के ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन में 18 अगस्त, 1986 को की गयी। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था है। पूर्व में अयोध्या के प्रमुख संतों एवं बुद्धिजीवियों की विशेष मांग पर जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना प्रारम्भ की थी, उक्त स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में तुलसी स्मारक भवन के निर्माण की मांग शासन से की गई। शासन द्वारा इस मांग का सम्मान करते हुए अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण वर्ष 1969 में करवाया गया। इस भवन में गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति को संजोये रखने हेतु उनकी रामचरितमानस के लेखन मुद्रा में एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित है।

अयोध्या शोध संस्थान प्रमुख रूप से शोध छात्रों के लिये पुस्तकालय का संचालन महत्त्वपूर्ण शोध कार्य तथा शोध के परिणामों को प्रकाशित करने हेतु प्रकाशन सहायता शोध पत्रिका का प्रकाशन, महापुरुषों की जयन्ती का आयोजन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन व प्रस्तुतियाँ करवाना तथा हस्तशिल्प में देश के विभिन्न कोने से रामकथा का संकलन, टेराकोटा के माध्यम से विभिन्न शैलियों में रामकथा अंकन तथा विभिन्न चित्र शैलियों में रामकथा का चित्रांकन और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन है। इसी के क्रम में नित्य परम्परिक राम लीला का मंचन तथा मैदानी रामलीला का दस्तावेजीकरण शोध संस्थान द्वरा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1991 में की गई। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन तत्सम्बन्धी शोध तथा जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्त्व की परम्परागत एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण करना।

लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान

उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान की स्थापना सन् 1986 में की गई थी जिसके द्वारा लोक कला जन मानस की विचारधारा, आत्म चिंतन एवं जीवन शैली की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो क्षेत्रीय सर्जना का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हुये माननीय मूल्यों के साथ अनुभूति, कल्पना एवं जन विश्वास का सम्मिश्रण है।

राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ

राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में वर्ष 1988-89 में हुई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परम्पराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण, कथक नृत्य का संवर्द्धन एवं लुप्त हो गये व नवीन पक्षों पर शोध और कथक संग्रहालय की स्थापना है।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1985 में की गई। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था है। संस्थान का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित बौद्ध विधाओं का राष्ट्रीय सन्दर्भ में अध्ययन तत्संबंधी शोध तथा बौद्ध स्थलों की सांस्कृतिक महत्त्व की परम्परागत एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, अवशेषों का संरक्षण करना।

उ.प्र. राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जाता है। पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय इकाईयों के कार्यों पर नियंत्रण, प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरी पुरासम्पदा की खोज हेतु सर्वेक्षण, महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों का उत्खनन, राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण व रख-रखाव एवं पुरावशेषों के प्रति जन चेतना जागृत करना पुरातत्व निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य हैं।

प्रदेश की पुरातात्विक सामग्री और स्थलों/स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व और पुरास्थलों में लोकरुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गयी। सन् 1979-80 में लखनऊ के

बाहर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के लिए पहली क्षेत्रीय इकाई गठित हुई। नवें दशक में पौड़ी गढ़वाल और झाँसी तथा तत्पश्चात् आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में भी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाईयां स्थापित की गयीं। राज्य में पुरातत्व सम्बन्धी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने हेतु 27 अगस्त, 1996 को निर्गत संस्कृति अनुभाग की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन का नाम 'उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग' तथा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन को स्वतंत्र विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया है।

संग्रहालय निदेशालय

संग्रहालय सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केन्द्र है, जहाँ प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहीत कर राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति का दर्शन शोधार्थियों, बुद्धिजीवियों तथा सामान्य जनमानस को कराया जाता है। संग्रहालय का कार्य कलाकृतियों एवं पुरावशेषों का संग्रह करना, संरक्षित करना, शोध करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना है। संग्रहालय वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र भी है जो समय-समय पर प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान संगोष्ठी आयोजित कर सामान्य जनमानस में कला के प्रति अभिरुचि जागृत कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल उन्नीस राजकीय संग्रहालय उ.प्र. संग्रहालय निदेशालय के अधीन हैं जिनमें पन्द्रह संग्रहालय संचालित एवं चार संग्रहालय निर्माणाधीन हैं।

क्र.सं.	सग्रहालय के नाम तथा वर्ष	उद्देश्य
1.	राज्य संग्रहालय, लखनऊ (1863)	उ.प्र. राज्य का बहुउद्देशीय संग्रहालय है।
2.	राजकीय संग्रहालय, मथुरा (1874)	मथुरा मूर्ति कला के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संग्रहालय है।
3.	राजकीय संग्रहालय, झाँसी (1978)	बुन्देलखण्ड की मध्यकालीन कला एवं इतिहास को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से स्थापित है।
4.	अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या (1988)	मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विश्व प्रचलित कथाओं से सम्बन्धित कलाकृतियों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए स्थापित।
5.	राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (1987)	जनपद एवं आस-पास से प्राप्त पुरासम्पदाओं का संरक्षण, संवर्द्धन, शोध एवं ज्ञानवर्धन हेतु स्थापित।
6.	लोक कला संग्रहालय, लखनऊ (1989)	प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं के प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्थापित।
7.	जनपदीय संग्रहालय, सुलतानपुर (1989)	जनपद एवं आस-पास से प्राप्त पुरासम्पदाओं का संरक्षण, संवर्द्धन, शोध एवं ज्ञानवर्धन हेतु स्थापित।

8.	राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर (1994)	तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर जनपद एवं आस-पास से प्राप्त पुरासम्पदाओं का संरक्षण, संवर्द्धन, शोध एवं ज्ञानवर्धन हेतु स्थापित।
9.	राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज (1975)	इतिहास प्रसिद्ध जनपद कन्नौज एवं आस-पास से प्राप्त पुरासम्पदाओं का संरक्षण, संवर्द्धन, शोध एवं ज्ञानवर्धन हेतु स्थापित।
10.	राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ (1996)	भारत के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन 1857 से सम्बन्धित प्राप्त तत्कालीन प्रचलित अस्त्र-शस्त्रों को संग्रहीत करना व विविध पहलुओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित।
11.	जैन संग्रहालय, मथुरा (2003)	जैन कलाकृतियों के प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित।
12.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर, (2004)	भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्रियों के संकलन हेतु स्थापित।
13.	राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवां (सिद्धार्थनगर) (1997)	जनपद कन्नौज एवं आस-पास से प्राप्त पुरासम्पदाओं का संवर्द्धन, शोध एवं ज्ञानवर्धन हेतु स्थापित।
14.	कालका बिन्दादीन महाराज की ड्यूढ़ी व कथक संग्रहालय, लखनऊ (2016)	बिन्दादीन महाराज व घराने के अन्य गुरुओं से सम्बन्धित वाद्य यंत्र एवं अन्य सामग्रियों के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु स्थापित।
15.	स्व. लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन, संग्रहालय, रामनगर, वाराणसी (2018)	भारत की दूसरे प्रधानमंत्री व गांधीवादी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन स्मृति का संग्रह स्थल।
16.	राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद (निर्माणाधीन)	प्राचीन बौद्ध पुरास्थल काम्पिल्य, संकिशा से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के संकलन एवं संवर्द्धन हेतु स्थापित।
17.	बाल संग्रहालय कन्नौज (निर्माणाधीन)	बच्चों, विद्यार्थियों तथा सामान्य जनमानस को विज्ञान के नये-नये आविष्कार एवं तकनीक से परिचित कराने हेतु स्थापित।
18.	धारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, इमलिया कोडर, बलरामपुर, (निर्माणाधीन)	इमिलिया कोडर, जनपद-बलरामपुर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने हेतु निर्माणाधीन। 18.05.2017
19.	प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ, (प्रस्तावित)	बच्चों, विद्यार्थियों तथा सामान्य जनमानस प्रकृति के विभिन्न आयामों से परिचित कराने हेतु स्थापित।

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति ने 26 अक्टूबर, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी पृथक बैठक में यह सिफारिश की थी कि परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर एक ''एकीकरण परिषद'' की स्थापना की जाये। उक्त के अनुसार वर्ष 1968 में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की योजनाएं दीर्धकालीन व सतत प्रयास वाली हैं। इनसे जनमानस में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता की भावना का विकास हो रहा है।

वर्ष 2021-22 की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना

''अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976'' लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7(2) में किए गए संशोधन के अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुए मण्डलायुक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 60.00 लाख एवं अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु रु0 10.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाना

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय अखण्डता दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इसके लिये प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 3.75 लाख की की व्यवस्था की गई है। "आजादी के अमृत अवसर पर" "राष्ट्रीय एकता दिवस" प्रदेश भर में पूर्ण हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया। जनपद लखनऊ में विधान भवन के समक्ष अत्यन्त गरिमापूर्ण ढंग से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सरदार वललभभाई पटेल की प्रतिमा का माल्यापर्ण करके उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात् करने की प्रेरणा दी साथ ही भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में लोगों को शपथ भी दिलाई गयी।

कौमी एकता सप्ताह का आयोजन

प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। इस हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद को रूपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये 375 लाख की बजट व्यवस्था की गई है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी की गई।

जिला एकीकरण समितियों का गठन

राष्ट्रीय एकता, भाईचारा एवं धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक एकता,

सौहार्दपूर्ण वातावरण निरन्तर कायम रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों जैसे- रक्षा-बन्धन, होली, दिवाली, ईद-बकरीद, क्रिसमस डे तथा बसन्त पंचमी सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना तथा इन अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचायी हो एवं अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये नागरिकों को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें।

महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन

प्रदेश के जनपदों के ऐसे ज्ञात-अज्ञात महानुभाव जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल-मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो व उनका जन्मदिन धन के अभाव में नहीं मनाया जाता है, के निमित्त रुपये 35,000/- प्रति जनपद धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 26.2 लाख की व्यवस्था की गई है, जोकि प्रत्येक जनपदवार धनराशि रू0 35,000/- आवंटित की गई।

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यकमों के आयोजन

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यकमों के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद को रूपये 35,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 26.25 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। जोकि प्रत्येक जनपदवार धनराशि रू0 35,000/- आवंटित की गई।

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदान

मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा तथा उनके ऊपर अन्य द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसे देश के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौलाना आजाद आजाद स्मारक अकादमी लखनऊ, जोकि एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है, को रू0 तीन लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर रू0 15.00 लाख किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 15.00 की बजट व्यवस्था की गई है। जिसके सापेक्ष अकादमी की मांग के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 7.50 की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

गुरू गोविन्द सिह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

प्रदेश में निवासरत जन सामान्य से किसी एक महानुभाव, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में सतत् संलग्न रहे हो, का अभिज्ञान कर उन्हें गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के रूप में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 05 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा रूपये एक लाख का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001 से प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 के लिये गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को कमशः श्री वाहिद अली "वाहिद", लखनऊ तथा श्री काजी जैनुल राशिदीन, मेरठ को प्रदान किया गया। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी पूर्व की भाँति रू0 2.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

भाषा

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग, प्रचार-प्रसार व विकास का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है:-

- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ,
- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ,
- उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ,
- उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, लखनऊ,
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ,
- हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज,
- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ,
- स्व. फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ,
- राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ,
- भाषा प्रकाशन (कोष्ठक) लखनऊ।

उ.प्र. भोजपुरी अकादमी के नाम से एक नयी संस्था के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। स्थापना और नियमावली का प्रख्यापन प्रक्रियाधीन है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को सहायता के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन तथा सम्पूर्ण देश में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग भी किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में 26 जनवरी,

1968 से अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

उर्दू भाषी अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष 1989 में उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया है:-

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।
(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।
(3) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।
(4) सार्वजनिक महत्त्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना।
(5) महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।
(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।
(7) महत्त्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास

हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पांच जनपदों कमशः लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पांच भारतीय भाषा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल 13 भाषाओं यथा- तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उडिया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

उ.प्र. भाषा निधि

हिन्दी भाषा एवं साहित्य के संवर्द्धन के उद्देश्य से रु. 10.00 करोड़ की धनराशि से उ.प्र. भाषा निधि की स्थापना की गयी थी। भाषा निधि के बजट से भारतीय भाषा केन्द्रों एवं भाषा संस्थान की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए समर्पित : उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एक परिचय

राष्ट्रभाषा हिन्दी के वाङ्मय की श्रीवृद्धि में जिन संस्थाओं का विशिष्ट योगदान है, उनमें उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान सर्वप्रमुख है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान राष्ट्रभाषा के अनन्य उपासक, मनीषी व चिन्तक राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की पुण्य स्मृति का जीवन्त प्रतीक है। हिन्दी भाषा व साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रभाषा की वर्तमान भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना 30 दिसम्बर, 1976 को हुई थी। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का आर्ष वचन उसके संकल्प को द्योतित करता है:-

कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहँ हित होई।।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य-कलापों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रोत्साहन प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

साहित्यिक समारोह योजना

1. हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 2021 के अवसर पर 'हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अन्तर्सम्बन्ध' विषय पर केन्द्रित ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन।
2. 03 अक्टूबर, 2021 को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जयन्ती की पूर्व संध्या पर 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का रचना संसार' विषय पर केन्द्रित संगोष्ठी का आयोजन।
3. 16 अक्टूबर, 2021 को "भारतीय संविधान का वैशिष्टय" विषय पर केन्द्रित ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन।
4. 31 अक्टूबर, 2021 को 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान' विषय पर केन्द्रित ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन।
5. 24 नवम्बर, 2020 को रेणु जन्मशती समारोह का आयोजन।
6. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के स्थापना दिवस समारोह 30 दिसम्बर, 2021 के अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन।
7. 08 जनवरी, 2022 को 'कृषि सुधार कानून : एक विमर्श' विषयक संगोष्ठी का आयोजन।
8. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 09 व 10 जनवरी, 2022 को दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन।
9. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2022 को निराला जयन्ती समारोह का आयोजन।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली महत्वपूर्ण जनोपयोगी कार्यक्रम/ योजनाएँ :-

- संस्कृत सम्भाषण, पालि/प्राकृत, कम्प्यूटर, योग, पौरोहित्य एवं ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से।
- सम्मेलन, संगोष्ठी एवं समारोह का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से।
- संस्कृत सम्मान समारोह का आयोजन।
- संस्कृत पाण्डुलिपियों का डिजिटलाईजेशन।
- संस्कृत छात्रों हेतु सिविल सेवा परीक्षा, यू.जी.सी. नेट, टी.ई.टी., पी.जी.टी. एवं विद्यालयों/ महाविद्यालयों में छात्रों का व्यावसायिक एवं शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से।
- संस्कृत परिशीलनम्, बाल संस्कृतम पत्रिका एवं पुस्तकों का प्रकाशन।
- मेधावी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति।

- छात्र प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से।
- विभिन्न संस्कृत विषयों की शोध परियोजनायें।
- प्रदेश के प्रत्येक जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालयों को समस्त आवश्यक संसाधनों सहित कम्प्यूटर, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, अलमारी तथा कम्प्यूटर हेतु टेबल एवं कुर्सी आदि का वितरण।
- महर्षि बाल्मीकि जयन्ती के अन्तर्गत होने वाली संस्कृत भाषण, संस्कृत गीत, संस्कृत श्लोकन्त्याक्षरी एवं प्रतिभा प्रदर्शन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाईन/ऑफलाइन माध्यम से।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य योजनाएँ :-

1. पंजाबी भाषा साहित्य, संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों कार्यशालाओं का आयोजन।
2. पंजाबी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्त लिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. पंजाबी भाषा में बाल साहित्यक का प्रकाशन।
4. पंजाबी भाषा में सन्दर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को पंजाबी भाषा में प्रकाशित करना।
6. पंजाबी भाषा के प्रतिभावन छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत पंजाबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. पंजाबी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. पंजाबी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का पंजाबी भाषा में अनुवाद।

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

सिन्धी भाषा, साहित्य, संस्कृति व कला के प्रचार-प्रसार, विकास, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भाषा विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा दिनाँक 07 फरवरी, 1996 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी की स्थापना की गयी थी। अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। अकादमी द्वारा सिन्धी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष विद्वत संगोष्ठी, सिन्धी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहनवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर के सिन्धी कवि सम्मेलनों, सिन्धी नाटक, सिन्धी लोकगीत अन्य सिन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा लेखकों को प्रोत्साहनार्थ सिन्धी पुस्तकों को प्रकाशित करने एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग देने आदि जैसे कार्य समय-समय पर किये जाते हैं। शासन द्वारा अकादमी को वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैर वेतन तथा वेतन मद सहित कुल रु. 130.32 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

उ.प्र. सिन्धी अकादमी के मुख्य उद्देश्य :-

1. सिन्धी भाषा, साहित्य संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।

2. सिन्धी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. सिन्धी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. सिन्धी भाषा में सन्दर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को सिन्धी भाषा में प्रकाशित करना।
6. सिन्धी भाषा के प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत सिन्धी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. सिन्धी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. सिन्धी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का सिन्धी भाषा में अनुवाद करना।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ की स्थापना प्रदेश की भाषा नीति के अनुसरण में भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों व संघीय राज्यों में भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिये की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 103.18 लाख (रुपये एक करोड़ तीन लाख अठारह हजार मात्र) का बजट स्वीकृत किया गया।

भाषा संस्थान द्वारा समय-समय पर संविधान की अनुसूची-8 में उल्लिखित भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी एवं पंजीकृत साहित्यिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को भाषा और साहित्य के विकास के लिए समारोह, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी आदि के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत मुरादाबाद, पिथौरागढ़, गाजियाबाद, बैंगलोर, वृन्दावन, जौनपुर, लखनऊ, बाराबंकी आदि स्थानों पर कवि सम्मेलन, व्याख्यान गोष्ठी आयोजित की गई है।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2021-2022 में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गये हैं:-

1. गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी 2. ई-राष्ट्रीय संगोष्ठी 3. स्थापना दिवस 4. मराठी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य का हिन्दी में अनुवाद 5. संस्थान प्रकाशन 6. अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज

एकेडेमी गतिविधियाँ (2021-22) :-

भारतीय भाषाओं सहित राष्ट्रभाषा हिन्दी, उसके साहित्य तथा ऐसे अन्य रूपों और शैलियों जैसे- उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुन्देली के संरक्षण, विकास एवं उन्नति के लिए संचालित हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज एक ऐतिहासिक संस्था है, जिसकी स्थापना धारा सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा 29 मार्च 1927 को हुई थी।

चलो साहित्यकार की भूमि :-

1. हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने वरिष्ठ साहित्यकारों के जन्मभूमि अथवा कर्मभूमि पर जाकर उनके साहित्यकारे केन्द्रित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करती है। जिसमें इस वर्ष **बाबू गलाब राय के जन्मभूमि-कर्मभूमि आगरा** पर जाकर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन **दिनांक 18-19 अप्रैल 2022** किया गया।

2. हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज एवं नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान **बाबू श्याम सुन्दर दास** पर केन्द्रित 'बाबू श्याम सुन्दर दास का मूल्यांकन एवं आज की दृष्टि' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी **दिनांक 24-25 नवम्बर 2022** को वाराणसी के नागरी प्रचारिणी के सभागार में आयोजन किया गया।
3. हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज एवं प्रज्ञा हिन्दी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट, फिरोजाबाद के संयुक्त तत्वावधान 'हिन्दी की विविध बोलियों में कृष्ण काव्य' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन **दिनांक 23-24 दिसम्बर 2022** को वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन के सभागार में किया गया।
4. हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज एवं नव भारत निर्माण समिति के संयुक्त तत्वावधान 'कवि सम्मेलन' का आयोजन **दिनांक 11-12 फरवरी 2023** को स्वतंत्रता भवन वी.एच. यू. वाराणसी में किया गया।
5. हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के संयुक्त तत्वावधान दो दिवसीय 'अन्तर्राष्ट्रीय सृजनात्मक कार्यशाला' का आयोजन **दिनांक 27-28 मार्च 2023** को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में किया गया।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना का उद्देश्य भाषा का विकास, प्रचार-प्रसार एवं संक्षण व संवर्धन है। स्थापना के समय अकादमी को रु. 5.10 लाख का अनुदान स्वीकृत करके 19 जनवरी 1972 में एक नियमावली पंजीकृत कराकर शासन द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति नामित की गई थी।

अकादमी के बढ़ते हुए कार्यकलापों को दृष्टिगत शासन ने समय-समय पर अनुदान में वृद्धि की है और वर्ष 2021-22 में रु. 932.59 लाख का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर हेतु रु. 200.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अकादमी कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1. प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उर्दू पुस्तकें तथा पत्र/पत्रिकायें क्रय हेतु आर्थिक सहायता।
2. उर्दू पुस्तकों पर पुरस्कार ।
3. लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन पर आर्थिक सहायता।
4. उर्दू पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा बाल एवं स्वतंत्रता संग्राम संबंधी साहित्य का प्रकाशन।
5. केन्द्रीय पुस्तकालय।
6. उ.प्र. के बीमार, वृद्ध तथा आर्थिक रूप से कमजोर उर्दू कवियों तथा लेखकों को आर्थिक सहायता।
7. उर्दू छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति।
8. सेमिनार तथा विचार गोष्ठियाँ इत्यादि।
9. उर्दू अकादमी द्वारा संचालित किताबत स्कूल तथा उर्दू कोचिंग स्कूल।
10. उर्दू कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र।

11. मासिक खबरनामा तथा त्रैमासिक अकादमी पत्रिका का प्रकाशन।
12. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उर्दू कोचिंग स्कूल की स्थापना।
13. उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर की स्थापना।
14. उर्दू मास कम्यूनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर की स्थापना।

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन सन् 1976 में हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में उर्दू का विकास प्रचार-प्रसार करना व कौमी यक्जहती को बढ़ावा देना है। कमेटी पूरे भारतवर्ष के उर्दू विद्वानों, लेखकों, कवियों द्वारा लिखी गयी उनकी महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा पूरे भारत के अधिकांशतः विश्वविद्यालयों के उर्दू प्रभाग से पत्राचार एवं सम्पर्क बनाये रखा जाता है। उर्दू विषय में टापर छात्रों व उर्दू से सम्बद्ध शोध कार्यों के लिए पुरस्कार/सहायता स्वरूप पर्याप्त धनराशि प्रदान करायी जाती है। सम्पूर्ण देश के उर्दू साहित्यकारों, लेखकों आदि की पुस्तकों को प्रकाशित कराए जाने हेतु पर्याप्त सहायता दी जाती है। तात्पर्य यह है कि कमेटी द्वारा ऐसे कार्य एवं योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है, जिससे पूरे भारतवर्ष के उर्दू प्रेमियों एवं उर्दू जगत के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनके मनोबल एवं विश्वास में वृद्धि हो और कमेटी का बहुमुखी विकास हो सके और कमेटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे। निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों का आयोजन संस्था द्वारा किया जाता है जो निम्नवत् हैः-

1. उर्दू पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ सहायता।
2. समीक्षकों को पारिश्रमिक।
3. सेमिनार/लेक्चर/समारोह आदि के आयोजनार्थ सहायता।
4. पी.-एच.डी./डी. लिट् छात्रों को थीसिस हेतु सहायता।
5. गोल्ड मेडिल योजना पर व्यय।
6. लेक्चर/सेमिनार एवं खबरनामें का प्रकाशन।
7. देश की धरोहर/महत्त्वपूर्ण/उपयोगी एवं लोकप्रिय उर्दू पुस्तकों का प्रकाशन।
8. उर्दू के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालनार्थ अन्य संस्थाओं को सहायता।
9. अभावग्रस्त परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे वृद्ध व निर्धन लेखकों व कवियों अथवा उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता।

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का गठन वर्ष 1999 में राज्य कर्मियों में साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा सम्मानित/पुरस्कृत करने के लिए किया गया था। संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हिन्दी एवं उर्दू कार्यरत/सेवानिवृत्त 24 साहित्यकारों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है तथा समाज के विभिन्न साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाता है। संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से लगातार साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका "अपरिहार्य" का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा विधान भवन में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन किया जाता है।

सूचना एवं प्रचार

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुँचाने में एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभा रहा है। सूचना विभाग यह कार्य मीडिया की विभिन्न विधाओं जैसे- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रदर्शनी, होर्डिंग,एल.ई.डी. तथा गीत एवं नाट्य आदि के जरिए जनता तक पहुंच कर सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी समन्वयक की भूमिका निभाता है।

शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1946 के द्वारा सूचना निदेशालय की स्थापना की गयी। इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि शासन 'प्रेस' के सम्पर्क में रहे और देखे कि प्रेस में भेजे जाने वाले शासकीय समाचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हों। वर्तमान में विभाग का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनोपयोगी नीतियों, कार्यकलापों को विभिन्न प्रचार-माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाना तथा आम जनता की प्रतिक्रियाओं से शासन को अवगत कराना है। इस प्रकार यह विभाग शासन व जनता के मध्य सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करता है।

सूचना क्रांति के इस युग में, जबकि संचार माध्यम बहुत सशक्त एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गये हैं और सूचना प्रेषण की गति अत्यधिक तेज हो गयी है, सूचना विभाग का कार्य-दायित्व और महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, डाक्यूमेंट्री, होर्डिंग, एल.ई.डी., प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य,सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म तथा प्रेसनोट के माध्यम से यह विभाग शासन की जनहितकारी नीतियों एवं निर्णयों को विभिन्न स्वरूपों में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह विभाग विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों द्वारा शासन की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी आम जन तक पहुंचाता है, साथ ही ऐसे विचारपरक प्रकाशन भी करता है, जो जनचेतना को विकसित कर सकें।

देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों की जहां एक ओर संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर इनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु सूचना विभाग का अधिकतम प्रयास यह रहता है कि सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रकारों के लिए यथा-संभव सुविधायें उपलब्ध हो सकें, ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में अधिक गतिशीलता आये और वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दे सकें।

वर्तमान में सूचना-संकलन एवं इसको अद्यतन रखने के साथ-साथ संदर्भ के रूप में इसके सार्थक उपयोग हेतु इसे जहां संरक्षित किया जाना आवश्यक है, वही सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनके तत्काल

प्रेषण की व्यवस्था का भी महत्त्व है। समय से सूचना न मिलने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस उद्देश्य से ही विभाग को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस दिशा में अभी तक लखनऊ स्थित मुख्यालय, मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर,सूचना ब्यूरो एवं राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली तथा जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कराये जा चुके हैं और देश के सभी भागों में ई-मेल द्वारा समाचार व चित्रों का त्वरित गति से संप्रेषण हो रहा है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संरचना कुछ इस प्रकार से की गयी है कि शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंच सके, ताकि वह जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

लखनऊ स्थित मुख्यालय द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सकें, इस निमित्त पत्र सूचना शाखा तथा मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर से प्रेस विज्ञप्तियों के अतिरिक्त लेख, फीचर आदि जारी किये जाते हैं। पारम्परिक जन संचार माध्यम, गीत एवं नाट्य, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण जनता तक क्षेत्रीय लोक शैलियों के जरिए मनोरंजन करते हुए नाटकों, रूपकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार कर कल्याणकारी नीतियों के जनहितकारी संदेश आम जन तक पहुंचाये जाते हैं। फिल्म के माध्यम से भी आम जन को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाता है। होर्डिंग, एल.ई.डी.एवं सोशल मीडिया के विभिन्न विधाओं के माध्यम से भी प्रमुख योजनाओं और अद्यतन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। फोटो-फिल्म प्रभाग द्वारा नियमित रूप से प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेजा जाता है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा तीन नियमित महत्त्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें विकास परक **''उत्तर प्रदेश संदेश''** साहित्य, संस्कृति और विचार की साहित्यिक पत्रिका **''उत्तर प्रदेश''** विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू अदब की **''नया दौर''** अत्यधिक लोकप्रिय पत्रिका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की संदर्भ पुस्तक **''उत्तर प्रदेश वार्षिकी''** तथा शासन के कार्यालयों/दूरभाष की जानकारी से युक्त **''सूचना डायरी/सूचना निदर्शनी''** का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर पुस्तकें, प्रसार सामग्री प्रकाशित की जाती है।

प्रेस प्रभाग द्वारा पत्रकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाचारों के संकलन की सुविधा हेतु प्रेस मान्यता प्रदान कर प्रेस कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। सचिवालय एनेक्सी तथा लोक भवन में मीडिया सेन्टर संचालित है, जो विविध रूपों से पत्रकारगणों को सुविधा प्रदान करता है।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

विज्ञापन प्रभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षा शाखा द्वारा समाचार पत्रों की विषयवार कतरनों को प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों तथा सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवों को भिजवाये जाने की व्यवस्था है, ताकि मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए गये विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही समाचार पत्रों की प्रतिदिन निरीक्षा भी की जाती है।

राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज तथा संदर्भ शाखा द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधा के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। ''फिल्म नीति'' के अन्तर्गत गठित ''फिल्म बन्धु'' के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में से समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय संचालित हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। जिला स्तरीय ये इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री भवन, एनेक्सी तथा लोक भवन में प्रचार-प्रसार के आधुनिक संसाधनों से लैस मीडिया सेण्टर है जिसमें प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने के लिए सभागार, पुस्तकालय तथा पत्रकारों के लिए समाचार भेजने हेतु एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर रूम जो इण्टरनेट आदि की सुविधा से युक्त है, स्थापित है। यह मीडिया सेण्टर अपने आप में एक अनूठा एवं मीडियाकर्मियों के लिए सुविधाजनक मीडिया स्थल है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक चैनल्स पर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग आदि का कार्य इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल द्वारा किया जाता है, जिसे और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय कार्य-कलापों का विवरण

पत्र सूचना शाखा

पत्र सूचना ब्यूरों निकासी द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक हिन्दी/उर्दू प्रेस विज्ञप्तियों की संख्या शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य पत्र सूचना ब्यूरो निकासी द्वारा किया जाता है। इस प्रभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक हिन्दी में 7560, एवं उर्दू में 2695 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गयी हैं।

माह अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की प्रेस विज्ञप्तियों का विवरण

माह	हिन्दी	उर्दू	योग
अप्रैल, 2022	600	204	804
मई, 2022	653	193	846

जून, 2022	821	308	1129
जुलाई, 2022	747	261	1008
अगस्त, 2022	711	252	963
सितम्बर, 2022	778	286	1064
अक्टूबर, 2022	566	163	729
नचम्बर, 2022	578	239	817
दिसम्बर, 2022	618	250	868
जनवरी, 2023	609	230	839
फरवरी, 2023	433	162	595
मार्च, 2023	446	147	593
कुल योग	**7560**	**2695**	**10255**

प्रेस प्रभाग

शासन एवं पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं श्रमजीवी पत्रकारों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराकर शासन की नीतियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रेस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका- 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन द्वारा राज्य मुख्यालय और जनपद स्तरीय मान्यता प्रदान करके पत्रकारों को राज्य मुख्यालय तथा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस मान्यता कार्ड जारी किये जाते हैं। इन कार्डों से पत्रकारों को समाचार संकलन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आने-जाने की सुविधा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा तथा रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.जी.पी.जी.आई. में भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

सभी जिलों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है। जिसके सदस्य सचिव/संयोजक जिला सूचना अधिकारी होते हैं। यह समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पत्रकारों से उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करती है और यदि कोई शिकायत उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजी जाती है, तो प्रेस प्रभाग द्वारा उसमें कार्यवाही की जाती है। पत्रकारों द्वारा सीधे भी यदि कोई शिकायत प्रेस प्रभाग में प्राप्त होती है, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

महामहिम श्री राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आहूत पत्रकार सम्मेलन/पत्रकार-भ्रमण आदि के लिए अतिथ्य सत्कार की व्यवस्था भी प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकारों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। मा. मुख्यमंत्री को घोषणा के क्रम में सूचना विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रदेश के 101 दिवंगत पत्रकारों के परिजनों/आश्रितों को आर्थिक सहायता स्वरूप प्रति परिवार 10 लाख रुपये की

दर से कुल 10 करोड़ 10 लाख रुपये की धनराशि मा. मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की गयी। प्रेस से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक कार्य भी प्रेस प्रभाग द्वारा संपादित कराया जाता है।

विज्ञापन प्रभाग

शासन की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए समाचार पत्रों से समय-समय पर सजावटी/वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं।

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा, विशेष भूमि अध्याप्ति, शिक्षा, ऊर्जा, दुग्ध विकास, अवस्थापना विकास एवं अन्य विभागों के कुल 13,898 वर्गीकृत एवं 389 सजावटी विज्ञापन एवं दैनिक/साप्ताहित/मासिक पत्र/पत्रिकाओं में 5,168 शीर्षकीय विज्ञापन जारी किये गये हैं।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने तथा मीडिया एवं जिला प्रशासन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जनपद में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री व जनप्रतिनिधियों आदि के भ्रमण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के साथ ही शासन की योजनाओं तथा उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अपने स्तर से प्रेस नोट जारी करते हैं।

क्षेत्रीय प्रचार संगठन के अन्तर्गत जनपद स्तर पर तैनात अधिकारी शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। प्रदर्शनियों, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रम, प्रचार गोष्ठियों, होर्डिंग्स/एल.ई.डी. प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर, सफलता के कहानी आदि द्वारा भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाता है।

जनपदीय इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपदों में सी.यू.जी., कम्प्यूटर/प्रिंटर तथा फोटो कॉपियर, फैक्स, कैमरा/वीडियो कैमरा, इनवर्टर एवं प्रचार वाहन आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। सभी कार्यालय इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जोड़े गये हैं। परिणाम स्वरूप जिलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित दैनिक एस0एम0एस0 व पाक्षिक फीडबैक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त होती है।

वर्तमान में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अयोध्या मण्डल के जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेन्टर की स्थापना की गई है तथा मण्डल गोरखपुर के जिला मुख्यालय में जिला सूचना कार्यालय भवन/केन्द्र तथा प्रेस क्लब का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद शाहजहाँपुर में जिला सूचना कार्यालय भवन/केन्द्र तथा प्रेस क्लब का संयुक्त निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी प्रेस क्लब सूचना केन्द्र एवं जिला सूचना कार्यालय के लिए स्थायी संयुक्त सूचना संयुक्त भवन बनवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

सूचना ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना ब्यूरो द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं उपलब्धियों की समुचित जानकारी करायी जाती है:-

- हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा संस्कृत में प्रेस नोट।
- प्रदेश सरकार के बजट हाईलाइट्स तैयार करना।
- विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराना एवं तैयार किये गये विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि का कंटेट तैयार करना।
- प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण से सम्बन्धित फीचर एवं लेख सफलता की कहानी तैयार कराकर प्रकाशित कराना।
- इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गाँधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने संबंधित शासनादेश का आलेख तैयार करना।
- विभागीय पुस्तिकाओं, पम्फलेट आदि को तैयार करने हेतु आधार सामग्री उपलब्ध कराना।

ग्रामीण प्रसारण शाखा-आकाशवाणी, लखनऊ

विधान सभा मार्ग आकाशवाणी परिसर स्थित ग्रामीण प्रसारण शाखा (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश एवं केन्द्र सरकार में चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाना ताकि आम आदमी राज्य एवं केन्द्र सरकार की नीतियों से भली-भाँति परिचित हो तथा उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।

इसी कड़ी में अनुभाग द्वारा आकाशवाणी से दो कार्यक्रम क्रमशः **मजदूर मण्डल** (औद्योगिक कार्यक्रम) सायं 5.45-6.20 बजे तथा लोकायतन (ग्रामीण कार्यक्रम) सायं 6.30-6.50 तक प्रसारित किया जाता है। उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से ही प्रदेश में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं को प्रसारित कर जनसामान्य का अंग बनाया गया ताकि वे उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भेंटवार्ताएं कर 'सफलता की कहानी' भी प्रसारित की गयी ताकि ग्रामीण और शहरी भाई-बहन अपने बीच के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी योजनाओं के लाभ से प्रेरित होकर स्वयं भी उनका लाभ लेने के लिये आगे आयें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिला शिक्षा और सुरक्षा, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, भूजल-वर्षा जल संरक्षण, दिव्यांगजनों की तरक्की हेतु हर संभव मदद, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यटन, उ0प्र0 में कौशल विकास मिशन, कौशल विकास (टेक्सटाइल डिजाइनिंग) कौशल विकास के नये आयाम, प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं, वृद्धजन कल्याण हेतु शासन की योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा शहरी आजीविका मिशन, बुनकर कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उ0प्र0 की नयी औद्योगिक नीति,

निर्यात प्रोत्साहन, लघु उद्योग विकास, खादी ग्रामोद्योग की योजनायें, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, किसान कर्ज माफी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, गोपालक योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विकास एवं सर्वहित बीमा योजना, हेल्थकार्ड, लाडली योजना, पशुओं का टीकाकरण, उ0प्र0 शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, कामधेनु डेरी योजना, उ0प्र0 में एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध, सौर ऊर्जा, चिकित्सा सुविधा, उ0प्र0 में ई-गवर्नेंस, जन सुविधा केन्द्र, हस्तशिल्प विकास, उ0प्र0 में औद्योगिक विकास का सुनियोजित प्रयास, इसके साथ ही स्टार्टअप इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जनधन खाता धारकों के लिए बीमा योजना, पोक्सो एक्ट-2019, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, वरूण मित्र योजना, पीएम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, प्रधानमंत्री सम्पन्न योजना पोर्टल, रायतू बंधु योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मिशन इन्द्रधनुष, सुकन्या समृद्धि योजना। मतदाता जागरूकता, नशा उन्मूलन, पल्स पोलियो, सड़क सुरक्षा अभियान। अल्पसंख्यक कल्याण, प्रधानमंत्री मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना, आयुष्मान भारत योजना, गंगा हरीतिमा अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, जी.एस.टी., दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मेक-इन-इण्डिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, साइबर अपराध से बचें, भारत नेपाल सम्बन्ध, स्किल इण्डिया, नमामि गंगे, हंड्रेड स्मार्ट सिटीज, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सबके लिए आवास, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेवजयते, प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजनायें, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कुसुम स्कीम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, आदि योजनाओं की और कानून की जानकारी वार्ता तथा भेंटवार्ता प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत/सन्देश आदि प्रसारित किये गये तथा आगे भी किये जायेंगे, कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु उसमें संगीतरूपक, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, कविता, कहानी, परिचर्चा आदि को भी शामिल किया गया।

राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ

लखनऊ नगर में जिज्ञासु तथा लेखन में रूचि रखने वाले नागरिकों एवं उनके परिवारों की अभिरूचि को ध्यान में रखते हुए हजरतगंज में एक बहुआयामी स्तरीय राज्य सूचना केन्द्र स्थापित है। राज्य में विकास संबंधी गतिविधियों को व्यापक प्रचारित करने के लिए लखनऊ में यह राज्य स्तर का केन्द्र है। दुर्लभ संदर्भ ग्रन्थों के उपलब्ध होने से इस केन्द्र का पुस्तकालय जहाँ शिक्षारत शोधार्थियों के लिये लाभप्रद है वहीं इनमें अधिनियम, रिपोर्टस, गजट एवं गजेटियर तथा अन्य विवरण जनता के उपयोगार्थ उपलब्ध है।

इस केन्द्र के पुस्तकालय में सभी विषयों पर आधारित लगभग 32,500 पुस्तकों का संकलन है। पुस्तकालय की लगभग 26 हजार पुस्तकों की डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर में की गयी है। इसके फलस्वरूप अब पुस्तकालय में पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ी है, वहीं सदस्यों एवं आगन्तुकों को कम्प्यूटर में दर्ज पुस्तकों की जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाती है। केन्द्र के वाचनालय में हिन्दी उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के 20 समचार

पत्र एवं सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिये 43 पत्रिकाएं आती है। राज्य स्तर का यह एक ऐसा पुस्तकालय है, जहाँ शोधार्थियों एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों हेतु, प्रतियोगिता से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें/पत्रिकाएं उपलब्ध हैं साथ ही केन्द्र में समय-समय पर संगोष्ठी आदि का आयोजन भी किया जाता है, जिससे शासन की नीतियों का प्रचार-प्रसार हो सके।

इस केन्द्र के पुस्तकालय व वाचनालय में आगन्तुकों, पाठकों व सदस्यों के बैठने/अध्ययन करने के लिये विशेष व्यवस्था उपलब्ध है। बच्चों के लिये बाल साहित्य की सुविधा भी उपलब्ध है केन्द्र में इन्टरनेट तथा वाई-फाई की भी सुविधा उपलब्ध है।

राज्य सूचना केन्द्र के प्रेमचन्द्र कक्ष में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगिता से सम्बन्धित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था है। राज्य सूचना केन्द्र का वाचनालय प्रातः 8.00 से सायं 6.30 बजे तक लगातार खुला रहता है जबकि पुस्तकालय की सुविधा पूर्वाह्न 11.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सूचना केन्द्र द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के विभिन्न प्रकाशनों को आम जनता के उपयोगार्थ रखा जाता है जिससे शासन की नीतियों का प्रचार-प्रसार किया जा सके। वर्तमान समय में लगभग 2,700 सदस्य केन्द्र में पंजीकृत है तथा केन्द्र में समय-समय पर नई पुस्तकें सदस्यों की मांग पर क्रय की जाती हैं।

राज्य सूचना केन्द्र के सदस्यों, आगन्तुकों एवं पाठकों को आवश्यकता अनुरूप केन्द्र को अधिक व्यापक बनाने पर विभाग द्वारा यथोचित कदम उठाये जा रहे हैं। जिससे केन्द्र की गरिमा बनी रहे।

प्रकाशन शाखा-

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रचार-साहित्य के माध्यम से आम जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस शाखा द्वारा सावधि प्रकाशनों के साथ ही प्रचार-पुस्तिकाएं, फोल्डर, पुस्तकें आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इसके साथ ही स्थायी महत्त्व के विचारात्मक प्रकाशन एवं मा. मुख्यमंत्री जी के चुने हुए भाषण भी प्रकाशित किये जाते हैं।

नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका '**उत्तर प्रदेश**' (हिन्दी मासिक), '**नया दौर**' (उर्दू मासिक) तथा विकासपरक पत्रिका '**उत्तर प्रदेश संदेश**' (हिन्दी मासिक) तथा विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन **''सूचना डायरी''** तथा **''वार्षिकी उ0प्र0''** का प्रकाशन किया जाता है।

2022

01. मिशन शक्ति नारी सुरक्षा- सम्मान- नारी स्वावलम्ब-फोल्डर।
02. राजभवन उमंग (त्रैमासिक पत्रिका)।
03. लोकहित के मुखर स्वर- राजभवन खण्ड-2।
04. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, जिम्मेदार बनें, सुरक्षित रहें - पम्फलेट।
05. फिल्म पॉलिसी - फोल्डर (हिन्दी व अंग्रेजी)।
06. आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष सेवा सुरक्षा और सुशासन के लिये समर्पित 100 दिन- बुकलेट, पॉकेट बुक व फोल्डर।
07. डबल इंजन की सरकार के प्रयास से स्मार्ट होते शहर- फोल्डर।

08 भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति निर्वाचन आधारित पोस्टर।

09 आजादी का अमृत महोत्सव।

10. 06 माह विकास के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन - फोल्डर।

11. कैलेण्डर - 2023 (सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास)।

12. भारत का संविधान उद्देशिका।

13. यू.पी. ग्लोबल इन्वेटर्स समिट संबंधी पुस्तिका।

14. लोक आयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 2019 एवं 2020 खण्ड 01 व 02- बुकलेट।

15. दस माह विकास एवं सुरक्षा सुशासन- फोल्डर।

16. विधायक नीति योजना दिग्दर्शिका।

17. छः वर्ष सुशासन विकास रोजगार आधारित पुस्तिका।

मुख्यमंत्री सूचना परिसर,

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस-विज्ञप्तियां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडिया को उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मा0 मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किये जाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियों व फोटों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

मा0 मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग यूनिट

माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषणों के ध्वन्यांकन हेतु गठित यह इकाई भाषणों की रिकार्डिंग के पश्चात् भाषणों को लिप्यांतरित करती है, और उन्हें सम्पादित करती है। मीडिया के विभिन्न लोगों द्वारा लिये जाने वाले मा. मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कारों तथा उच्चादेशों से अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों, गोष्ठियों की सम्पूर्ण रिकार्डिंग कराकर उन्हें लिप्यांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार एवं रिपोर्ट आदि भी लिप्यांतरित कर संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं।

मा. मुख्यमंत्री जी के सभी भाषणों को रिकार्डिंग के पश्चात लिप्यांतरित करके सम्पादन के बाद संदर्भ सामग्री के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत भाषणों को छांटकर उनका प्रकाशन भी करवाया जाता है। पत्रकारों, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों एवं विधि संस्थाओं द्वारा मांग किए जाने पर भाषणों की प्रति एवं उनसे संबंधित कैसेट एवं ऑडियो सी.डी. उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के भाषणों से मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण अंश संकलित कर उनका प्रयोग ''उत्तर प्रदेश सन्देश'' एवं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2022-23 में मा. मुख्यमंत्री जी के लगभग 205 भाषण रिकॉर्ड हुए, जिनको लिप्यांतरित और सम्पादित किया गया।

गीत एवं नाट्य प्रभाग

इस योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा- विरहा, आल्हा, भजन, कव्वाली, कठपुतली, नृत्य, क्षेत्रीय लोकगीत, जादू, नाटक, नौटंकी आदि विधाओं द्वारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का विभिन्न स्थानीय बोली तथा भाषा से सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रचार-प्रसार किया जाता है। गीत एवं नाट्य योजना को विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से सूचना निदेशालय स्तर पर पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रदेश की समस्त योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

गीत-नाट्य प्रभाग में पंजीकृत विभिन्न सांस्कृतिक दलों यथा-नाटक, नौटंकी, वृहद सांस्कृतिक दल, लघु सांस्कृतिक दल, लोकगीत, भजन, कव्वाली, आल्हा, जादू एवं पपेट के माध्यम से केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार जिला, तहसील, ब्लॉक तथा विभिन्न विशिष्ट पर्वों एवं सुदूर ग्रामीण में कराया जाता है। गीत एवं नाट्य योजना के विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से सूचना निदेशालय स्तर पर पंजीकृत 721 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रदेश की समस्त योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा 46854 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कराये गये हैं। इस माध्यम से शासन की विभिन्न जनहितकारी नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों, कोरोना लक्षण से बचाव, नारी सशक्तिकरण, जी-20, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रचार-प्रसार प्रदेश के समस्त जनपदों में कराया गया है।

प्रदर्शनी

सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शासन की नीतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। प्रदेश की आम जनता को उनकी सांस्कृतिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं आपसी सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शासन की प्रमुख नीतियों, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को आकर्षक चित्रों, कोलार्ज, पैनल, वर्किंग मॉडल एवं ट्रांसलाइट के माध्यम से प्रदर्शनी किट के रूप में तैयार कराकर उसे जिलों में भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेलों तथा अन्य आयोजनों के अवसर पर प्रदर्शनी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शासन का संदेश पहुंचाया जा सके।

मुख्यालय द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नेताओं एवं महान विभूतियों के कार्यों, चिंतन एवं जनहित में उनके क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी प्रभाग द्वारा उन पर नियमित प्रदर्शनी सामग्री के माध्यम से प्रदेश में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

राम नवमी मेला, अयोध्या श्रावण मेला अयोध्या, देवा मेला बाराबंकी, छोटी दीपावली पर्व अयोध्या-दीपोत्सव,अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, बिठूर महोत्सव कानपुर, माघ मेला प्रयागराज, गोरखपुर महोत्सव, उत्तर प्रदेश दिवस, मा0 प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न जनपदों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों के प्रचार-पसार हेतु प्रदेश के महत्वपूर्ण 52 जनपदों में प्रदर्शनी की स्थापना करायी गयी।

होर्डिंग्स/एल.ई.डी.

शासन की नीतियों एवं उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिसमें होर्डिंग्स एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनसाधारण तक व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ तथा प्रदेश के कई जनपदों में एल.ई.डी. डिस्पले बोर्ड की स्थापना कराई गई तथा शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एल.ई.डी. वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी एल0ई0डी0 डिस्पले बोर्ड एवं एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से कराया गया।

राष्ट्रीय समारोह

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली में राजपथ पर आयोजित परेड में एवं मुख्यालय द्वारा लखनऊ परेड में भव्य झांकी प्रदर्शित करायी जाती है। ये झांकियां उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा महापुरुषों की जीवनी, उद्योग धन्धे, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों, विकास एवं उपलब्धियों आदि पर आधारित होती है। विगत 04 वर्षों से झांकियों पर विभाग को पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित परेड में **''अयोध्या दीपोत्सव''** के शीर्षक से सम्बन्धित झांकी प्रदर्शित की गयी, जिसमें उत्तर प्रदेश को जनता की वोटिंग में द्वितीय एवं चयन कमेटी द्वारा प्रदेश को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार लखनऊ में आयोजित परेड में **''मिशन शक्ति''** शीर्षक पर आधारित एक भव्य एवं आकर्षक झांकी निकाली गयी।

अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां नामक संस्था द्वारा महरौली, दिल्ली में आयोजित फूल वालों की सैर में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिसमें देश के अनेक प्रान्त भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से सूचना विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम में सांम्प्रदायिक सदभावना एवं एकता के प्रतीक स्वरूप एक पंखा सूफी संत हजरत ख्वाजा बख्तयार काकी के मज़ार पर तथा दूसरा पंखा पांडव कालीन योगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह कार्यक्रम हिन्दू मुस्लिम भाईचारे को प्रदर्शित करता है।

अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष

(सन्दर्भ पुस्तकालय)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में सन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित है, जिसमें कार्यालय अभिलेखानुसार लगभग 31,000 सन्दर्भीय महत्त्व की पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में प्रदेश एवं देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर आधारित महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तकें हैं। इयर बुक्स, आर्थिक एवं विकास संबंधी विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें हैं। साहित्य, संस्कृति एवं कला क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। गजेटियर, मास मीडिया, कम्प्यूटर, पत्रकारिता, इतिहास, बायोग्राफीज आदि विषयों पर पुस्तकों का बेहतर संग्रह है, जिसका लाभ शोधार्थी छात्र-छात्राएं, महानुभाव, वरिष्ठ पत्रकार इत्यादि पुस्तकालय

स्टाफ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह पुस्तकालय समय-समय पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है।

सूचना विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संदर्भ पुस्तकालय द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

- संदर्भ पुस्तकालय के प्रयोगार्थ प्रतिवर्ष आवंटित बजट के अनुसार संदर्भीय महत्व की अद्यतन पुस्तकें क्रय की गयीं।
- संदर्भ पुस्तकालय में विजीटर्स यथा अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों, लेखकों, शोधार्थियों, गणमान्य अतिथियों, पाठकों एवं आगन्तुकों को उनकी मांगानुसार पाठ्य एवं चयनित सामग्री की फोटोकापी इत्यादि की सुविधा मुहैया कराई गई।
- संदर्भ पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वाले समाचार-पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं पत्रिकाओं (साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक) को पाठकों को उनकी मांगानुसार उपलब्ध कराना।
- वार्षिकी उ0प्र0 2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) में सम्मिलित किये जाने वाली विभिन्न विभागों से प्राप्त आधारभूत सामग्री के सम्पादन/प्रूफरीडिंग इत्यादि का कार्य संदर्भ पुस्तकालय द्वारा सम्पन्न किया गया। इसी क्रम में वार्षिकी उ0प्र0-2022 (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है।
- भारत सरकार से नियमित रुप से प्रकाशित होने वाले संदर्भ ग्रन्थ भारत/INDIA (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) में सम्मिलित किये जाने वाले उ0प्र0 से सम्बन्धित अध्याय को संदर्भित प्रभाग से अद्यतन कराकर रिपोर्ट संदर्भ पुस्तकालय द्वारा भिजवाई जाती है। इसी क्रम में भारत /INDIA -2023 के प्रकाशन हेतु उ0प्र0 से संबंधित रिपोर्ट अद्यतन कराकर भिजवाई गयी।
- प्रतिवर्ष की भाँति ''मास मीडिया इन इण्डिया'' की रिपोर्ट अद्यतन कराकर भिजवाई गयी।
- उच्चादेश के क्रम में चयनित पुस्तकों का बल्क पर्चेज कर निकासी शाखा के माध्यम से उनका जिलों में वितरण कराया गया।

निरीक्षा शाखा के कार्य

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का **निरीक्षा प्रभाग** सूचना सम्बन्धी कार्यों का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। विभाग की यह शाखा शासन की प्रिण्ट मीडिया को 'फीडबैक' उपलब्ध कराती है। इस प्रभाग का कार्य सामान्यतः प्रातः 5.00 बजे से सायं देर तक दो पालियों में होता है। प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों, दिल्ली एवं अन्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा (Scrutiny) की जाती है। निरीक्षा शाखा द्वारा समस्त समाचार पत्र/पत्रिकाओं की नियमितता आदि का कार्य प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट-1876 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। निरीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

- प्रभाग द्वारा ''फीडबैक'' सिस्टम को प्रभावी बनाने हेतु प्रतिदिन प्रकाशित समाचारों की

सूचनाओं की क्लिपिंग्स की फाइल बनाकर मा0 श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह, प्रमुख सचिव सूचना, एवं अन्य उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाती है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों से प्रतिदिन प्रकाशित महत्वपूर्ण/ संवेदनशील समाचारों की क्लिपिंग्स ई-मेल के माध्यम से उच्चाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाती हैं।

• प्रभाग द्वारा समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण क्लिपिंग्स को प्रतिदिन सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाता है। ताकि आम-जन नवीनतम शासकीय योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से अवगत हो सकें।

• प्रभाग के प्रभारी एवं समस्त टीम द्वारा वेबमीडिया (वाटसएप) के माध्यम से महत्वपूर्ण समाचारों को तत्काल प्रभाव से उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है।

• प्रभाग द्वारा विशेष अवसरों पर सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बुकलेट तैयार कर उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाती है।

• मा0 मंत्रीगण के साथ कार्यरत सूचना अधिकारियों को भी प्रभाग द्वारा प्रतिदिन प्रमुख समाचारों की क्लिपिंग्स हार्डकापी में एवं पीडीएफ फार्मेट में उपलब्ध करायी जाती है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रकाशित नकारात्मक खबरों से सम्बन्धित मा. मुख्यमंत्री संदर्भों का भी निस्तारण कराया जाना है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश एवं दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों का सेट तैयार कराना एवं उसकी बाइंडिंग के उपरान्त उसे निरीक्षा स्टोर में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर सन्दर्भित सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सके।

• प्रभाग द्वारा उर्दू समाचार पत्रों के बिलों का परीक्षण किया जाता है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं का अंकन किया जाता है।

• प्रभाग द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं के अंकन के आधार पर उनकी नियमित/ अनियमित रिपोर्ट सूचीबद्धता विज्ञापन प्रभाग एवं प्रेस प्रभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

फोटो-फिल्म शाखा

फोटो -फिल्म शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके माध्यम से मा0 राज्यपाल जी, मा0 विधानसभा अध्यक्ष जी, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा मुख्य सचिव अन्य विशिष्ट जनों के दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 27 मार्च 2023 तक विभाग द्वारा 9200 फोटो एवं 7000 वीडियो कवरेज समाचार चैनलों, समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया को उपलब्ध कराया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित चित्रों व वीडियों को विभिन्न प्रेस सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार पत्रों/ चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराया गया तथा बड़े साइज के चित्र प्रिंट कराकर तथा इंटरनेट के माध्यम से मांगों की आपूर्ति

करायी गयी है।

फिल्म बन्धु

फिल्म बन्धु प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु संशाधित फिल्म नीति-2001 में दी गयी एकल व्यवस्था के अन्तर्गत फिल्म नीति से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु फिल्म बन्धु, उ.प्र. का गठन किया गया है।

वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित फिल्म नीति-2018 प्रख्यापित की गयी है। फिल्म नीति-2018 के बाद से फिल्म बन्धु, उ.प्र. को लगभग 400 से अधिक फिल्म अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिन पर प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्ट्री के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उक्त फिल्म नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 42 फिल्मों को अनुदान प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2018 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी अथवा हिन्दी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का क्रमशः अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी उत्तर प्रदेश में निर्मित फिल्में जिनकी कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवस की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) तक होगी तथा उत्तर प्रदेश में निर्मित फिल्में जिनकी कुल दिवसों में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश से की गयी हो के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 02 करोड़ तक होगी।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हों, उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रु. 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) अथवा रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है।

इसी प्रकार यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म शूटिंग की जाती है। निर्मित की जाती है जिसके समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हों, तो उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रु. 50.00 लाख मात्र जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकता है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 500,00,000/- लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण

संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख में से जो भी कम हो, को अधिकतम अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

फिल्म निर्माण के प्रक्रिया को और गतिशील एवं सरल बनाने के लिए फिल्म बन्धु उ.प्र. द्वारा 'सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स सिस्टम' के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।

फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म-निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फिल्म प्रमोशन एण्ड फैसेलिटेशन कमेटी का निम्नानुसार गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी -अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सदस्य अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी-सदस्य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित)- सदस्य
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी-सदस्य/संयोजक नोडल अधिकारी।
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी -सदस्य
6. मनोरंजनकर विभाग के जनपदीय अधिकारी यथा- उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी - सदस्य।

उक्त कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण भी करती है। फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी की बैठक आयोजित कर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करती है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थी को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25000/- दी जायेगी।

प्लान सेल

प्लान सेल द्वारा विभाग की योजनाओं को तैयार करने, उनका अनुश्रवण तथा व्यय से सम्बन्धित आंकड़े तथा शासन द्वारा तत्सम्बन्धित अपेक्षित अन्य सूचनाएं एवं आंकड़े तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाते हैं।

टी.वी. शाखा

सूचना निदेशालय में सामुदायिक दूरदर्शन योजना **टी.वी. शाखा** के तहत पूर्व में केवल वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट ही कार्य करती थी। परन्तु वर्तमान में समय परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन के कारण इस शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट कार्य कर रही हैः-

1. वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट
2. सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट

3. इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

(1) वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट

निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ, में चल रही वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट के तहत महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मुख्य सचिव, विशेष सचिवों, विधान सभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, एडवोकेट जनरल विशेष कार्याधिकारियों एवं अन्य वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. के यहाँ शासकीय टी.वी. सेटों, एल.सी.डी., एल.ई.डी., टी.वी. सेटों एवं जहाँ केबिल कनेक्शनों की व्यवस्था नहीं है उक्त स्थान पर डी.टी.एचों की स्थापना एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है।

(2) सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट

आधुनिक युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत सेटेलाइट कम्यूनिकेशन और केबिल सिस्टम सूचना क्रान्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हो गया है। इस सिस्टम में छत पर बहुत सारे बड़े-बड़े डिश एन्टीना तथा डी.टी.एच. स्थापित करके सीधे सेटेलाइट से कंट्रोल रूम में सिग्नल रिसीव करने के बाद कन्ट्रोल रूम में ही उस सिग्नल को मॉडीफाई किया जाता है उसके उपरान्त सिग्नल को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इससे विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेण्डों में खबरें प्राप्त की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं। सूचना विभाग ने इस आधुनिकतम सिस्टम को सचिवालय स्थित अधिकारी भवन के कक्ष संख्या 1, 2 तथा 3 में स्थापित किया है। वर्तमान में इस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क के द्वारा सचिवालय के समस्त भवनों, योजना भवन, शास्त्री भवन, राजभवन, बापू भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, सचिव भवन, विधान भवन, मा. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग तक इस नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। इसी वर्ष 2019 में लोकभवन को भी इस कन्ट्रोल रूम से आप्टिकल फाइवर लाइन से जोड़ दिया गया है। इस सेन्टर से 106 सेटेलाइट न्यूज चैनल एवं अन्य चैनलों का प्रसारण आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम में अपग्रेडेशन का कार्य निरन्तर जारी है। साथ ही इसके डिजिटलाइजेशन का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी **सेटेलाइट कम्यूनिकेशन एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट की आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से ही लोक भवन में** इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में सेटेलाइट न्यूज चैनलों की रिकार्डिंग एवं मानिटरिंग की जाती है। चैनलों का प्रसारण चौबीस घण्टे होता है। वर्तमान में सूचना विभाग का नया भवन पार्क रोड पर ही बन गया है जिसका नाम पं0 दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर रखा गया है। इस भवन में भी न्यूज चैनलों की मानिटरिंग आदि के लिए केबिल टी0वी0 नेटवर्क का कार्य करवाया जा रहा है। जिससे सूचना विभाग के सभी कर्मचारी भी शासन तथा सरकार के सभी न्यूजों, सूचनाओं तथा कार्यों से अवगत रहें।

(3) इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकार्डिंग पहले वी0सी0आर0 पर मैनुवली की जाती थी। अब कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। जिसमें आटोमेटिकली कई समाचार चैनलों को एक साथ हार्ड डिस्क पर रिकार्डिंग की जाती है। उसके बाद उसकी एडिटिंग करके डी0वी0डी0 बनायी जाती है।

डी0वी0डी0 प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री तथा अन्य वी0वी0आई0पी0 के अवलोकनार्थ भेजी जाती है। उसके अवलोकन करने के उपरान्त शासन तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करता है, **विगत वर्ष यह यूनिट शास्त्री भवन में कार्यरत थी। वर्ष 2019 में इस यूनिट को लोकभवन में स्थानांतरित कर दिया गया है।** इस यूनिट द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हेतु लगभग सभी सेटेलाइट न्यूज चैनलों की मानिटरिंग भी की जाती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकार्डिंग एवं फीडबैक की उपरोक्त व्यवस्था का उपयोग शासन के ला एण्ड आर्डर में होने के कारण उसकी विवेचना, स्टोरेज, रिकार्डिंग, डेट एण्ड टाइम, न्यूज डाटा कलेक्शन इत्यादि की आवश्यकता तथा सिग्नल ब्रेकडाउन की समस्या को देखते हुए इस सेटअप को कम्प्यूटरीकृत कराया जा चुका है। जो कि सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। साथ ही डी0वी0डी0 व हार्ड डिस्क की वीडियो लाइब्रेरी की भी स्थापना की गयी है जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया की सभी न्यूजें डी0वी0डी0 व हार्ड डिस्क पर रिकार्ड करके लाइब्रेरी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

वर्तमान में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में 365 दिन प्रातः से रात्रिकालीन कार्य शिफ्टों में किया जाता है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों व जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को खबरें, लाइव स्क्रीनशार्ट व विजुवल का फोटो लेकर उनके मोबाइल पर व्हाटसएप के माध्यम से भेजी जाती है। मा0 मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण की मानीटरिंग भी कई चैनलों को नेट से व एम0एक्स प्लेयर व जियो टी0वी0 के माध्यम से देखा जाता है।

पूर्व से स्थापित रिकार्डिंग सर्वर काफी पुराना हो चुका है अतः वर्तमान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नया रिकार्डिंग सर्वर की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, जो कि शासन स्तर पर किया जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में जनसम्पर्क सहित प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कवरेज हेतु सतत् रूप से प्रयासरत् है। राज्य सूचना केन्द्र, जहां सन्दर्भ सुलभता, प्रदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने, महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तियों, बैठकों की कवरेज, अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत है, वहीं सूचना निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य सूचना केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं, उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कवरेज कराने के लिए विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है। प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियाँ दिल्ली के राष्ट्रीय समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, भाषाई समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न लोकप्रिय चैनल्स को प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सरकार की गतिविधियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले पत्र/पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ स्थान मिल सके।

नई दिल्ली एवं एन.सी.आर. में आयोजित राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों पर आयोजित गोष्ठी/बैठक समारोहों के कवरेज, मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों एवं मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के समीपस्थ कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारु व्यवस्था की जाती है। प्रातःकालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा

प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती हैं।

लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं सूचना परिसर से निर्गत दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों को फैक्स/इण्टरनेट के माध्यम से दिल्ली स्थिति प्रेस प्रतिष्ठानों को सुगमता के साथ सुलभ करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के भ्रमण कार्यक्रम एवं दिल्ली से सटे जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों का भी व्यापक कवरेज कराया जाता है।

प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास से जुड़े स्थलों की कवरेज प्रेस टुअर के माध्यम से करायी जाती है। शोधार्थियों/प्रदेश की जानकारी चाहने वालों को अद्यतन वांछित उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सूचना केन्द्र में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं। इन्हें पाठकों के पठन हेतु पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक सुलभ कराया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों के कवरेज हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की टीमों को कार्यस्थल पर ले जाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही स्थल भ्रमण कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक महत्त्व के जनपदों एवं नगरों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज कार्य भी कराया जाता है।

मीडिया सेंटर

लाल बहादुर शास्त्री भवन, सचिवालय तथा लोक भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के भूतल पर वातानुकूलित मीडिया सेंटर संचालित है। यह मीडिया सेंटर शासन और मीडिया के बीच समन्वय और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में एक सुसज्जित प्रेस रूम और लोकभवन में प्रेस रूम स्थापित है।

मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगण तथा शासन के उच्च पदाधिकारियों के महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना, प्रचार एवं प्रसार हेतु मीडिया को उपलब्ध कराने का कार्य मीडिया सेंटर द्वारा किया जाता है। मीडिया सेंटरों में एक सुसज्जित प्रेस कान्फ्रेंस हाल भी है, जहां अल्प सूचना पर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था की जाती है। प्रातः कालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल लोकभवन

- यह सेल जो कि माननीय मुख्यमंत्री इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल, लोकभवन में सी-ब्लॉक के कक्ष सं0-जी-01, जी-02 व जी0-03 के ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित है। यह सेल प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक या समाप्ति तक कार्य करता है। यह सेल 365 दिन कार्य करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में स्थापित सैटेलाइट द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय न्यूज चैनल, प्रादेशिक न्यूज चैनल, क्षेत्रीय न्यूज चैनल व अंग्रेजी समाचार चैनलों की मॉनीटरिंग की जाती है ।

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में 07 पैनल (एक पैनल पर चार चैनल हैं) कुल 28 चैनलों की मॉनीटरिंग की जाती है।
- विभिन्न न्यूज चैनलों में प्रसारित प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में आधारहीन व नकारात्मक समाचारों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों एवं सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनसे वास्तविक स्थित ज्ञात करने के उपरान्त ऐसी नकारात्मक खबरों के प्रसारण को रोकने हेतु वास्तविक जानकारी देकर सार्थक प्रयास किये जाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों में प्रसारित आपराधिक तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शासकीय दूरभाष नं0-0522-2289587 के माध्यम से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाता है जिससे सम्बन्धित अधिकारी बतायी गयी घटनाओं का संज्ञान लेकर जनहित में अविलम्ब उचित कार्यवाही करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस-कांफ्रेंस, कैबिनेट निर्णयों के साथ केन्द्र सरकार के मंत्रियों का प्रदेश में आगमन पर उनके दिये गये महत्त्वपूर्ण बयानों/सम्बोधन आदि का लिप्यांतरण किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों को ई-मेल-cmemcup@gmail.com के माध्यम से शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में अनुश्रवित महत्त्वपूर्ण समाचारों को हार्ड कॉपी व साफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।
- त्वरित कार्यवाही हेतु अति महत्त्वपूर्ण समाचारों को दूरभाष/व्हाट्सएप (**9554961373**) के माध्यम से उच्चाधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाता है।

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस विज्ञाप्तियों इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया को विभिन्न संचार माध्यमों से उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा मा. मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किये जाते हैं। मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियों व फोटो को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

ऑडिट सेल

ऑडिट सेल द्वारा विभाग के जनपदीय कार्यालयों के अभिलेखों का सम्परीक्षण कार्य किया जाता है। सम्परीक्षण के दौरान पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को निदेशक, शासन एवं वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के संज्ञान में लाकर उसे नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के कालातीत भुगतानों का सम्परीक्षण कार्य तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष के विभागीय अनुदान लेखों पर उठायी गयी आपत्तियों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है।

लेखा प्रभाग

लेखा प्रभाग द्वारा समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्ययक के माध्यम से धन की व्यवस्था करना तथा प्रभागों के प्रस्तावों पर विभागीय कार्यों से सम्बन्धित धनराशियों एवं समाचार पत्रों के बिल बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याहरण करना। समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिल तथा उनके सेवाहित लाभों के बिल निर्मित कर प्रत्याहरण के साथ ही मासिक व्यय विवरण की सूचना शासन को प्रस्तुत करना तथा भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव करके ब्याज आदि की गणना कर जमा धनराशि को अद्यतन रखना तथा लिये गये अग्रिमों आदि की वसूली करने के साथ ही समस्त कर्मियों की सेवा पुस्तकों का सेवा के अनुसार अंकन/रख-रखाव आदि कार्य आयकर एवं जी.एस.टी. सम्पादित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

- सूचना विभाग की वेबसाइट- http://information.up.gov.in का अद्यतनीकरण। वेबसाइट को दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाया गया।
- विभागीय नियमित प्रकाशन उत्तर प्रदेश मासिक, उत्तर प्रदेश संदेश, नया दौर व ई-संदेश को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभाग द्वारा अन्य विभागों के वेबसाइट की जानकारी प्राप्त करने एवं वेबसाइट से जुड़ने हेतु नोडल वेबसाइट up.gov.in विकसित करायी गयी है एवं अद्यतनीकरण का कार्य।
- सूचना विभाग द्वारा विधिक नियमावलियों/नोटिफिकेशन और गजट के संकलन हेतु वेबसाइट http://upkanoon.up.gov.in विकसित करायी गयी है, ताकि सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों एवं आदेशों की सूचना आगजन को समय से प्राप्त हो सके।
- सूचीबद्ध समाचार पत्र/पत्रिकाओं को प्रकाशन पर ही विज्ञापनादेश (आर.ओ.) और प्रकाशन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु विज्ञापन पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- विज्ञापन पोर्टल पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं के सूचीबद्धता संबंधी कार्य तथा सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध पत्र-पत्रिकाओं का डी.ए.वी.पी./विभागीय दर विज्ञापन पोर्टल पर अपडेट करना।
- सूचना विभाग में मुख्यालय पर तैनात समस्त अधिकारियों को आधुनिक सूचना तकनीक से जुड़ने एवं त्वरित परिणाम के दृष्टिगत टैबलेट उपलब्ध करा दिये गये हैं।
- ई-निविदा हेतु विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनवाने, संबंधी कार्य।
- सूचना विभाग के डिजिटल डायरी के मोबाइल एप के वार्षिक अनुरक्षण एवं विभागीय कार्यों के उपयोगार्थ कामार्शियल 10 ई-मेल आईडी अनलिमिटेड स्टोरेज के नवीनीकरण कार्य।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर निदेशालय में तैनात विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का समस्त विवरण फीड कराया गया।
- विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में सम्बन्धित विभाग का चतुर्थ लेवल डोमेन रजिस्ट्रेशन का कार्य।
- विभाग में स्थापित कम्प्यूटरों की प्रति दिन आने वाली शिकायतों का अनुश्रवण एवं उनका निस्तारण तथा मेन्टीनेंस का कार्य।

- विभाग में स्थापित इन्टरनेट कनेक्शन (लीजलाईन) के रखरखाव एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य।
- समय-समय पर विभाग द्वारा सौपें जाने वाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन संबंधी कार्य।

सोशल मीडिया

सूचना विभाग की गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की जाती हैं तथा साथ ही साथ दिन प्रतिदिन उनका अद्यतन भी सुनिश्चित किया जाता है।

- मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।
- मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः CM Office, GoUP और Chief Minister Office Uttar Pradesh पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी लाइव, फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर कड़ी कार्यवाई।
- सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करने के लिए INFO UP FACT CHECK लिस्ट हैंडल का सृजन।
- उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः Government of UP पर उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज information and Public Relations Department, UP पर उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक यूट्यूब चैनल Government of UP पर माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार के कार्यक्रमों की लाइव कवरेज व वीडियो अपडेशन।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस कान्फ्रेंसेज तथा कैबिनेट निर्णय से संबंधित सूचनाओं को सोशल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना।
- प्रदेश सरकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का सोशल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना। सोशल मीडिया के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी जनता तक पहुँचाना तथा जनता के विचारों, सुझावों एवं शिकायतों को भी प्राप्त करना।
- प्रदेश सरकार के महत्त्वर्पूण विभागों की सेक्टरवार योजनाओं, कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारप्रसार हेतु जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 11 हैंडल सृजित किए गये हैं- https://twitter.com/UP_Infra; https://twitter.com/UP_Educates; https://twitter.com/UP_SmartTech; https://twitter.com/UP_Agri; https://twitter.com/UP_Explore; https://twitter.com/UP_Gramoday; https://twitter.com/UP_Grows; https://twitter.com/UP_EOL; https://twitter.com/UP_Swasth; https://twitter.com/UP_Lokkalyan; https://twitter.com/UP_Governs; उक्त हैंडल के माध्यम से प्रतिदिन सरकार की उपलब्धियों को सेक्टरवार अपलोड करना।

- इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर चल रही अफवाहों/फेक न्यूज का खंडन/स्पष्टीकरण करने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक टिवीटर हैंडल www.twitter.com/InfoUPFactCheck का सृजन किया गया है। उक्त हैंडल पर ऐसी अफवाहों/फर्जी समाचारों की पहचान कर स्पष्टीकरण/खंडन जारी किया जा रहा है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगा-फसाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाई जा रही अफवाहों तथा फेक न्यूज का चिन्हित कर ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाही करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब, लोक भवन लखनऊ में फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया गया है।
- इस उप समिति का कार्य सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर सक्रियता से नजर रखना चिन्हांकन कर उत्तर प्रदेश पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित करना।
- अफवाहों/फेक न्यूज के चिन्हांकन तथा त्वरित स्पष्टीकरण/खंडन की आवश्यकता तथा इस कार्य में जनता के अपेक्षित सहयोग के महत्व को देखते हुए एक ईमेल आई.डी. InfoFactCheckUP@gmail.com का भी सृजन किया गया है जिस पर नागरिक समाचारों/सूचनाओं की सत्यता को परखने के लिए ईमेल कर सकते हैं।

InfoFactCheckUP@gmail.com

वाहन एवं टेलीफोन व्यवस्था

प्रदेश के जिला सूचना कार्यालयों में वाहनों की बेहतर व्यवस्था कर दिये जाने के फलस्वरूप शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बल मिला है। विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार इकाई के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालयों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सी0यू0जी0 मोबाइल फोन एवं ब्रॉडबैण्ड की सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष में समाचारों के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार में काफी सुगमता रही है। भविष्य में इसकी भी उपयोगिता बढ़ेगी तथा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होगी।

विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कृत अन्य कार्यवाही

1. अधिकारों का प्रतिनिधायन

जिला सूचना कार्यालयों को सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पन्न बनाकर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाया गया है, जिससे कार्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण बढ़ा है। इस प्रकार जनपदीय अधिकारियों को निदेशक के कतिपय वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार का प्रतिनिधायन करके जनपदीय कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है। विभाग में विचाराधीन सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय पैरवी के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है।

2. पारदर्शी व्यवस्था

विभागीय गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की वेबसाइट **http://information.up.gov.in** विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की गयी हैं तथा सूचनाओं को निरन्तर अद्यतन भी किया जाता है। उ.प्र. सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाएं तथा सजावटी विज्ञापन जो विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको भी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समाचार पत्र/पत्रिकाओं से प्राप्त

बीजक को एवं विज्ञापनों के भुगतान आदि की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर पारदर्शी बनाया गया है। इसी प्रकार समस्त विभागीय क्रियाकलापों यथा- गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, स्थापित होर्डिंग्स, जारी किए गये प्रेस नोट्स, समस्त विभागीय प्रकाशन तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विभागीय समस्त गतिविधियों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सके।

3. इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शित खबरों की मानिटरिंग

मा. मुख्यमंत्री सूचना परिसर में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों की डी.वी.डी. रिकार्डर के माध्यम से रिकार्डिंग करायी जाती है और महत्त्वपूर्ण समाचारों की एक डी.वी.डी. लाइब्रेरी भी बनायी गयी है। इस सेटअप का निरन्तर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिकार्डिंग और फीडबैक की उपयुक्त व्यवस्था हेतु रिकार्डिंग डेट एण्ड टाइम न्यूज डाटा कलेक्शन का कम्प्यूटरीकृत सेटअप स्थापित करके व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचारों की समुचित मानिटरिंग की जा सके।

4. जनपदीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु सी0यू0जी0 टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था करायी गयी है तथा जिला सूचना कार्यालयों में कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड, फैक्स, फोटोस्टेट मशीन आदि की व्यवस्था भी करायी गयी है, जिससे जनपदीय कार्यालयों की दक्षता एवं समाचार प्रेषण की क्षमता में वृद्धि हुई है।

5. अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण

विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से निदेशालय की कार्यशैली में सुधार हुआ है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (R.T.I.)

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों को भी लोक निकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन करने के लिए विभाग में जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित को सुलभ कराने एवं सूचना मांगकर्ता के अनुरोध एवं मा. आयोग के निर्देश पर सम्बन्धित को वांछित पत्रावलियों का निरीक्षण/अवलोकन सम्बन्धित प्रभागों से कराने के साथ मा. आयोग में लम्बित वादों की सुनवाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।

अप्रैल- 2022 से मार्च - 2023 तक प्राप्त।

कुल प्राप्त आवेदन - 270

विभागीय स्तर पर निस्तारित -120

सूचना आयोग द्वारा निस्तारित -25

उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन

राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। आधुनिक युद्ध, सीमाओं के साथ-साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों पर भी अत्यंत घातक प्रभाव डालता है, वाह्य युद्ध के समय देश की आन्तरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और नागरिकों का मनोबल बना रहे, इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना देश तथा प्रदेश के सुभेद्य नगरों में की गयी है। नागरिक सुरक्षा विभाग का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों एवं संकल्पों पर आधारित है। वर्ष 1965 एवं 1971 के युद्धों के समय तथा कारगिल अभियान के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

विभाग के मुख्य उद्देश्य/कार्य निम्न प्रकार हैं :-

1. हवाई आक्रमण से जन-धन की हानि को कम करनाफ
2. औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बनाये रखना।
3. जनता का मनोबल बनाये रखना।
4. प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव कार्य में सहयोग करना।
5. शान्तिकाल में अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित करना।

नागरिक सुरक्षा के पदाधिकारियों की उपयोगिता व सहभागिता के दृष्टिगत भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निम्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यों में सहभागिता के भी निर्देश दिये गये हैं। इन कार्यों में भी नागरिक सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

1. सफाई अभियान 2. पल्स पोलियो अभियान 3. प्रदूषण मुक्ति अभियान 4. वातावरण सुरक्षा प्रचार 5. आगजनी में सहायता 6. रक्तदान शिविर 7. गम्भीर दुर्घटनाओं/घटनाएं/आपदा-जैसे बाढ़, चक्रवात आदि। 8. अन्य स्थानीय मामले जो स्थानीय स्तर के हों।

भारत सरकार की नीतियों एवं अनुमोदित रूप के अन्तर्गत प्रदेश के 15 सुभेद्य नगरों में नागरिक सुरक्षा की 17 इकाईयां स्थापित हैं जिसमें नरौरा (बुलन्दशहर) श्रेणी-1 में तथा बरेली, बक्शी का तालाब, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, हिण्डन-गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी इलाहाबाद, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कानपुर, सरसावां (सहारनपुर) एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर (चंदौली) श्रेणी-2 के नगर हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना केवल 15 जनपदों में हैं। इसके अतिरिक्त 11 जनपदों तथा मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, अयोध्या,

आजमगढ़, बांदा, बस्ती, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोण्डा, तथा मिर्जापुर में भी नागरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किये जाने हेतु अधिसूचित किया गया है। इन नव-सृजित 11 जनपदों की नागरिक सुरक्षा महायोजना सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना के अन्तर्गत तैयार करा ली गयी है नागरिक सुरक्षा को संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

नागरिक सुरक्षा योजना के सफल संचालन के दृष्टिकोण से नागरिक सुरक्षा नगरों में नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संचालित करने हेतु 12 प्रकार की सेवायें गठित हैं, जिसमें 92,252 स्वयंसेवक हैं। प्रत्येक नागरिक सुरक्षा नगर में 2 लाख की जनसंख्या पर एक नागरिक सुरक्षा प्रखण्ड, 20 हजार की जनसंख्या पर एक वार्डेन पोस्ट तथा प्रत्येक 4000 की जनसंख्या पर एक सेक्टर स्थापित है।

राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान उ.प्र. लखनऊ में स्थापित है। यह उत्तर भारत का एक मात्र प्रशिक्षण संस्थान जहाँ विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अनेक विभागों के तथा केन्द्रीय सरकार के एन.ए.पी.पी., एच.ए.एल. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी/कर्मचारीगण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आलोच्य वर्ष में ऑनलाइन 06 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 208, ऑफलाइन 32 सत्र आयोजित कर 171 एवं इण्डक्शन कोर्स 03 सत्र आयोजित कर अर्थात् अर्थात कुल 41 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 'सर्वभूतहिते रता' के मूल मंत्र के साथ नागरिक सुरक्षा संगठन विगत 61 वर्षों से अपने कार्य एवं दायित्वों का सफलता से सम्पादन कर रहा है। इस अवधि में नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा देश व समाज को अर्पित की गयी सराहनीय सेवाओं के परिणामस्वरूप आज संगठन के दायित्वों में गुरुतर वृद्धि के साथ ही समाज/प्रशासन/शासन की विभाग के प्रति विश्वस्नीयता व निर्भरता बढ़ी है।

अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य :-

- गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती, झूलेलाल जयन्ती, रमजान, चहेल्लुम, भीम महोत्सव, गौतमबुद्ध जयन्ती, शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस तथा सन्त रविदास जयन्ती के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं/जुलूसों में वार्डेनों द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग दिया गया। श्रावण मास में कॉवड़ यात्रा के दौरान कॉवड़ियों की सहायता हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया तथा यातायात व्यवस्था बनाये रखने में वार्डेनों द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग प्रदान किया गया।
- महाशिवरात्रि, बुढ़वा मंगल, माघ मेला, बड़ा मंगल, मकर संक्रांति मौनी अमावस्या, बसन्त पंचमी, होली, शब-ए-रात, कुम्भ मेले के अवसर पर वार्डेनों द्वारा शान्ति व्यवस्था में जिला प्रशासन/पुलिस को सहयोग प्रदान किया गया। गणतन्त्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रशासन के सहयोग से मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन तथा अन्य कार्यक्रमों यथा निबन्ध प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- वार्डेनों के सहयोग से बच्चों के टीकाकरण, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा इंसेफलाइटिस के लक्षण एवं रोकथाम के सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक किया गया तथा वार्डेनों के माध्यम से भिन्न-भिन्न स्थानों पर पम्फलेट्स/हैण्डबिल का वितरण कराकर आम जनता को

उक्त बीमारियों से बचने हेतु जागरूक किया गया।

- स्वच्छता अभियान, क्लीनिक एवं ग्रीन मैराथन कार्यक्रम, हेलमेट लगाओ अभियान, जीवन बचाओ अभियान, वॉकाथन कार्यक्रम में सहभागिता, चिकित्सा शिविरों, नेत्रदान शिविरों, रक्तदान ध्वनि प्रदूषण अभियान, कचरा समाधान महोत्सव, किसान मेले, सड़क सप्ताह का आयोजन, गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग तथा यातायात नियंत्रण में स्वयंसेवकों द्वारा सहयोग प्रदान कर जनसामान्य को जागरूक किया गया।
- आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शासन की ओर से प्रति एक घर पर तिरंगा झंडा लगाये जाने हेतु वार्डेनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाल कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।
- सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता रैलियाँ व हस्ताक्षर अभियान आयोजित किये गये तथा प्रदेश में मतदान के अवसर पर शान्तिपूर्ण सफल मतदान कराने में वैतनिक तथा अवैतनिक पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया। साथ ही इस सम्बन्ध में जागरूकता गोष्ठी, पदयात्रा एवं मतदाता दिवस पर शपथ आदि कार्यक्रम किये गये।
- कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल विभाग/जिला प्रशासन को सहयोग किया गया। स्वयंसेवकों द्वारा जनमानस को मास्क, सैनिटाजर, दवायें और भोजन वितरण में सहायता की गयी। महामारी के बचाव के दृष्टिगत वैक्सिनेशन कैम्प लगाकर जनमानस को वैक्सिनेशन हेतु जागरूक किया गया।
- ठंड से बचाव के लिये स्वयंसेवकों द्वारा जनपद के रैन बसेरों की व्यवस्था, अलाव जलाने एवं गरम वस्त्रों का वितरण किया गया।

●

धर्मार्थ कार्य

धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं तथा मन्दिरों की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को सृजित किया गया है। इसके कार्यक्षेत्र में प्रदेश के समस्त मंदिर एवं धार्मिक स्थल आते हैं। जिसमें धार्मिक स्थलों पर मूलभूत जनसुविधाओं की व्यवस्था करना है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम-1983 के अन्तर्गत उक्त मंदिर का प्रशासनिक कार्य एवं व्यवस्था करना। धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय का गठन वर्ष 2021 में किया गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग का निदेशालय का मुख्य कार्यालय वाराणसी में एवं उप कार्यालय श्री कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में स्थापित होगा।

धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रमुख परियोजनायें

- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सौन्दर्यीकरण/विस्तारीकरण।
- जनपद अयोध्या में भजन स्थल का निर्माण।
- जनपद चित्रकूट में भजन स्थल का निर्माण।
- धर्मार्थ कार्य विभाग में वेबसाइट/ई-पूजा/ई-डोनेशन साईट का निर्माण।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक साइंस सेण्टर की स्थापना।
- जनपद अयोध्या में तीन सड़कों के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण व पब्लिक एमेन्टीज का निर्माण।
- कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान रु 1.00 लाख प्रति व्यक्ति।
- प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए रु. 1.00 लाख प्रति व्यक्ति।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग से सम्बन्धित की गयी घोषणायें

- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उन्हें रु. एक लाख का अनुदान दिया जायेगा। उक्त के क्रम में विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2017 को निर्गत की गयी, और यात्रियों को रु. एक लाख प्रति यात्री अनुदान वर्ष 2017-18 से दिया जा रहा है।
- कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में कराया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.12.2020 को किया गया।

धर्मार्थ कार्य विभाग की वर्ष 2021 में पूर्ण हो चुकी परियोजनायें

- जनपद-अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण लागत रु 19.02 करोड़ की लागत से कराया गया। उक्त भजन संध्या स्थल का लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.10.2019 को किया जा चुका है।

- जनपद-चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास/निर्माण के लिये कुल लागत रु. 15.00 करोड़ द्वारा कराया गया, जिसका लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.09.2019 को किया जा चुका है।
- उत्तर प्रदेश में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण लागत रु. 115.00 करोड़ से जनपद गाजियाबाद में कराया गया, जिसका लोकार्पण मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.12.2020 को किया जा चुका है।
- वर्ष 2019-20 में कैलाश मानसरोवर से लौटे कुल 1215 यात्रियों को प्रति यात्री रु. 1.00 लाख अनुदान उनके संबंधित खाते में भेजा जा चुका है। इसी प्रकार सिन्धु दर्शन के 350 यात्रियों को प्रति यात्री रु. 20 हजार अनुदान संबधित के खाते में भेजा जा चुका है।
- धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय की स्थापना वर्ष 2021 में की गयी, जिसका मुख्यालय वाराणसी एवं उप कार्यालय कैलाश मानसरोवर, गाजियाबाद में स्थित है। वर्तमान में आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को निदेशक धर्मार्थ कार्य विभाग के पद का कार्यभार शासन द्वारा प्रदान किया गया है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा चुका है। उक्त परियोजना का प्रथम चरण लागत रु. 11.30 करोड़ है, जो पूर्ण हो चुका है। इसके अन्तर्गत शिक्षण भवन बनाया गया है, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षण कार्य प्रारम्भ है। इसका लोकार्पण मा. प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2020 को किया गया है। द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ है।

धर्मार्थ कार्य विभाग में प्रचलित परियोजनायें

- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना का रुपये 345.27 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में 320 भवनों का क्रय कर उनका ध्वस्तीकरण करा कर विस्तृत कार्य स्थल तैयार किया गया है। द्वितीय चरण में मुख्य मंदिर परिसर सहित कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि नवम्बर, 2021 निर्धारित की गयी है। श्री काशी विश्वनाथ विस्तारीकरण एवं सुन्दरीकरण परियोजना की लागत रु. 345.27 करोड़ है। जिसके सापेक्ष 193.00 करोड़ कार्यदायी संस्था को निर्गत किए गए हैं। माह अक्टूबर तक योजना की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत तथा वित्तीय व्यय रु. 190.92 करोड़ है।
- वैदिक विज्ञान केन्द्र के द्वितीय चरण लागत रु. 09.34 करोड़ की परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ हो चुका है, जिसके अन्तर्गत वैदिक पठन-पाठन से सम्बन्धित वैदिक यज्ञशाला, वैदिक वेधशाला, वैदिक कार्यशाला, वैदिक अनुसंधानशाला आदि का निर्माण किया जा रहा है।
- जनपद-अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित 03 सड़कों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराया जा रहा है। सहादतगंज नया घाट मार्ग से सुग्रीव किला होते हुए श्री रामजन्म भूमि तक चार लेन मार्ग, सहादतगंज नया घाट मार्ग तथा अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक।
- जनपद-अयोध्या में पर्यटकों/श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत जलकल अमानीगंज के सामने भूमि पर पब्लिक एम्निटीज एवं दो मंजिला पार्किंग एवं जनसुविधाओं का

विकास कार्य कराये जाने का कार्य धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पर्यटकों/श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत जलकल अमानीगंज के सामने भूमि पर पब्लिक एम्निटीज एवं दो मंजिला पार्किंग एवं जन सुविधाओं का विकास कार्य, परियोजना में दो पहिया एवं चार पहिया सहित जी+3 तलों पर 350 दुकानें/लघु कार्यालय तथा अन्य सुविधाओं सहित वाणिज्य संकुल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त कार्यों की प्रस्तावित लागत 209.00 करोड़ है।

- विलीनीकृत रियासतों के धर्मार्थ संस्थाओं के पुजारियों को अनुदान संबंधी परियोजना।
- प्रयागराज भजन संध्या स्थल संबंधी परियोजना।

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विस्तारीकरण/सौंदर्यीकरण परियोजना

क्रय की गयी कुल संपत्ति	-	320
परियोजना की कुल लागत	-	345.27 करोड़
भूमि क्रय हेतु धनराशि	-	477.83 + 11.22 = 489.05 करोड़
परियोजना का प्रारम्भ वर्ष	-	2020
परियोजना पूर्ण होने का वर्ष	-	2021

वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना

वैदिक विज्ञान केन्द्र, काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री मा. नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को किया गया। वैदिक विज्ञान केन्द्र, धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित है। वैदिक विज्ञान केन्द्र के स्थापना हेतु प्रथम चरण में रु. 1210.36 लाख उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संस्तुत किया गया है, जिसमें से रु. 1129.21 लाख भवन निर्माण तथा रु. 81.15 लाख फर्नीचर क्रय हेतु आवंटित किया गया। केन्द्र के प्रथम चरण का भवन निर्मित हो चुका है तथा इसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मा. नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 16.02.2021 को किया जा चुका है। वर्तमान में केन्द्र की सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक गतिविधियाँ नवनिर्मित भवन से संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र के द्वितीय चरण में भवन निर्माण हेतु रु. 934.46 लाख संस्तुत है, जिससे विभिन्न अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ- वैदिक न्यूरोलॉजिकल एवं संज्ञानात्मक विज्ञान प्रयोगशाला (Vedic neurological and Cognitive Science Lab) वैदिक रसायन एवं वनौषधि परीक्षण प्रयोगशाला, वैदिक योग विज्ञान प्रयोगशाला, जलशोधन प्रयोगशालाएँ, एक सभागार, वेद मंदिर, विक्रय पटल, संग्रहालय व सूक्ष्म वैदिक तारा मण्डल का निर्माण प्रस्तावित है। द्वितीय चरण के भवन का निर्माण प्रगतिशील है तथा केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

●

भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय

एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
एयर फोर्स	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आल इण्डिया रेडियो	-	विधान सभा मार्ग, लखनऊ
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	-	बाइली ग्रार्डन काटेज, लखनऊ
आर्मी सेन्ट्रल कमान्ड	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर	-	सीतापुर रोड, लखनऊ
भारत पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	94, महात्मा गांधी, मार्ग, लखनऊ
सेन्सस प्रोसीजर	-	52, वजीर हसन रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ज्यूडीसरी	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	-	छतर मंजिल, लखनऊ
सेन्ट्रल हेल्थ एण्ड प्लानिंग	-	9, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल न्यूज एण्ड ब्रोडकास्टिंग डिपार्ट.	-	एम0 जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स	-	गोमती नगर, लखनऊ
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल	-	हजरतगंज, लखनऊ
सिटी एण्ड विलेज प्लानिंग	-	7, बन्दरिया बाग, लखनऊ
सिविल एविएशन	-	अमौसी, लखनऊ
दूरदर्शन केन्द्र	-	24, अशोक मार्ग, लखनऊ
जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	-	(नार्थ इण्डिया) सेक्टर- डी, अलीगंज, लखनऊ
ग्राउण्ड रोजवेज	-	बी- 74, सेक्टर- सी, महानगर लखनऊ
हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर	-	महानगर, लखनऊ
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.)	-	फैजाबाद रोड, लखनऊ
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	4, शाहनजफ रोड, लखनऊ
आईबीपी कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
इंडियन आयल कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	कपूरथला काम्पलैक्स, अलीगंज, लखनऊ
इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सेन्ट्रल	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
इंडियन स्टेण्डर्ड ब्यूरो	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
खादी ग्रामोद्योग कमीशन	-	कैसरबाग, लखनऊ
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
नेशनल कैडेट कार्प्स (एन.सी.सी.)	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्थ ईस्टर्न रेलवे	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्दन रेलवे	-	चारबाग, लखनऊ
रोड ट्रांसर्पोट एथोरिटी	-	महानगर, लखनऊ
शुगरकेन रिसर्च सेन्टर	-	रायबरेली रोड, लखनऊ
टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्ट	-	13 ए, माल ऐवन्यू, लखनऊ
जी. एम. टेलीकाम	-	हजरतगंज, लखनऊ
जी. एम. (लखनऊ टेलीकाम)	-	गांधी भवन, एम. जी. मार्ग, लखनऊ
डायरेक्टर टेलीकाम सेन्टर	-	हजरतगंज, लखनऊ
टेलीग्राफ स्टोर डिर्पोटमेन्ट	-	तालकटोरा रोड, लखनऊ
जी. एम. प्रोजेक्टस (नार्थ)	-	ए-2, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
टूरिज्म डिपार्टमेन्ट	-	सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ
वेदर	-	अमौसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नज़र में

1. आगरा

- क्षेत्रफल (2011) — 4041 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4418797
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2053844
- पुरुष (जनसंख्या) — 2364953
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1098 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाह)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (आगरा, एत्मादपुर, खेरगढ़, किरावली, फतेहाबाद, बाह)
- विकास खण्डों की संख्या — 15 (फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर खंदौली, एत्मादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैंया, शमसादबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह, जैतपुरकलाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 893
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, एत्माद्दौला, बटेश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश, मजार शहीदे सालिस
- हस्तशिल्प — जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान

2. अलीगढ़

- क्षेत्रफल — 3650 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3673889
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1721893
- पुरुष (जनसंख्या) — 1951996
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.78 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 882-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1007 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (खैर, अतरौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (इगलास, कोल, अतरौली, खैर, गभाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (अतरौली, गंगोरी, विजौली, खैर, चन्दौस टम्पल, गोण्डा,

लोधा, जवां, धनीपुर, अकराबाद, इगलास)

- आबाद ग्रामों की संख्या 1170
- प्रमुख उद्योग हल्की मशीनरी, ताला

3. एटा

- क्षेत्रफल 2431 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1774480
- महिलाएँ (जनसंख्या) 827141
- पुरुष (जनसंख्या) 947339
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 873-1000
- जनसंख्या घनत्व 723 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 70.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (एटा, अलीगंज, जलेसर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (शीतलपुर, सकीट, जैथरा, अलीगंज, निधौली कलां, अवागढ़, जलेसर, मारहरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 853
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल (पटना पक्षी विहार, जलेसर, अतरंजी खेड़ा, मारहरा)
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू-घंटी, कांचमूँगा मोती, मूँज-बान
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ लिप्टन इंडिया लि., न्यूट्रेशिया, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, पीतल-घुंघरू-घंटी उद्योग, आयरन उद्योग

4. फिरोजाबाद

- क्षेत्रफल 2407 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2498156
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1166110
- पुरुष (जनसंख्या) 1332046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 19.94 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 867-1000
- जनसंख्या घनत्व 1038 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टूण्डला, शिकोहाबाद, सिरसागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला, सिरसागंज)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (ओरांव, एका, फिरोजाबाद, हाथवंत, मदनपुर, नारखी, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- आबाद ग्रामों की संख्या 790
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पाढ़म रपड़ी, शाही-मस्जिद, सांती, फिरोजशाह का मकबरा, दिगम्बर जैन मंदिर, गोपाल आश्रम, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा
- हस्तशिल्प काँच एवं पाटरी

5. मैनपुरी

- क्षेत्रफल — 2760 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1868529
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 875152
- पुरुष (जनसंख्या) — 993377
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 677 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 76.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मैनपुरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (मैनपुरी, भोगांव, करहल, थिरोर, कुरावली, किशनी)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, बेवर, किशनी, जागीर, सुल्तानगंज बरनाहल, करहल)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 820
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, महाराजा तेज सिंह का किला, महाकवि देव स्मारक, कुसमरा व अस्यौली का किला, माँ शीतला देवी मंदिर, च्यवन ऋषि आश्रम, मारकण्डेय ऋषि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, बेवर भीमसेन मंदिर, देव स्मारक

6. मथुरा

- क्षेत्रफल — 3340 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2547184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1180059
- पुरुष (जनसंख्या) — 1367125
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 763 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.04 प्रतिशत
- नगर निगम — 01(मथुरा-वृन्दावन)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (कोसीकलां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (मथुरा, मॉट, छाता, महावन, गोवर्धन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (मथुरा, फरह, गोवर्धन, नंदगाँव, छाता, चौमुहा, राया, माट, नौहझील, वल्देव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 730
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (वृंदावन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, वल्देव)
- हस्तशिल्प — गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक
- प्रमुख उद्योग — साड़ी छपाई, ब्रास टेप्स एण्ड पोक्स, मिल्क पाउडर, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, सूती सिन्थेटिक धागा

7. आजमगढ़

- क्षेत्रफल — 4054 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4613913
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2328909
- पुरुष (जनसंख्या) — 2285004
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.17 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1019-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1138 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (आजमगढ़, मुबारकपुर, बिलरियागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 08 (आजमगढ़, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर, मेहनगर, मार्टीनगंज, बूढ़नपुर, निजामाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 22 (अतरौलिया, कोयलसा, हरैया, अहिरौला, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियाँव, महाराजगंज, लालगंज, मार्टिनगंज, रानी की सराय, पल्हनी, ठेकमा, बिलरियागंज, मेंहनगर, मिर्जापुर, जहानागंज, तरवां, पल्हना, मुहम्मदपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3800
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, चन्द्रमा आश्रम, दतात्रेय आश्रम, पौहारी बाबा, आवंक, पल्हना देवी, बाराहमूर्ति, कोठिया आश्रम, हथियादह, कम्पनीबाग, उद्यान, महामंडलेश्वर
- हस्तशिल्प — काली मिट्टी के बर्तन, बनारसी रेशमी साड़ी
- प्रमुख उद्योग — चीनी, रोलिंग, खाद्य तेल, बर्फ, रेशमी साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग आदि

8. बलिया

- क्षेत्रफल — 2981 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3239774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1566872
- पुरुष (जनसंख्या) — 1672902
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 937-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1087 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बलिया, रसड़ा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बेल्थरा रोड, बांसडीह, बैरिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (रसड़ा, नगरा, सीयर, चिलकहर, गड़वार, सोहांव, हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, बैरिया, मुरलीछपरा, बांसडीह, बेरुआरबारी, रेवती, मनियर, पन्दह, नवानगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1843
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खैराडीह, लखनेश्वरडीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, परासर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बसन्तप,

बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्माइन देवी मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मठ, मखदूमइकतुद्दीन आलम की मजार, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कापिलेश्वरी, जंगली बाबा का मन्दिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मन्दिर, डूहा बिहर (मौन बाबा), शहीद पार्क चौक, वैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल, शहीद मंगल पाण्डेय

- हस्तशिल्प — टिकुली, सिन्दौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खाची मौनी

9. मऊ

- क्षेत्रफल — 1713 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2205968
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1091259
- पुरुष (जनसंख्या) — 1114709
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 979-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1285 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद-गोहना, मधुबन)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, बड़रांव, फतेहपुर मण्डाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1499
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम

10. प्रयागराज

- क्षेत्रफल — 5482 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 5954391
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2822584
- पुरुष (जनसंख्या) — 3131807
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1086 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.3 प्रतिशत
- नगर निगम की संख्या — 01
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 08 (प्रयागराज सदर, फूलपुर, करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, हण्डिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 23 (हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, सहसों, शृग्वेरपुर धाम, भगवतपुर, कौढ़िहार, मऊआइमा, सोरांव, चाका, करछना, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2809

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — स्वराज भवन, जवाहर प्लेनिटोरियम, भारद्वाज आश्रम, संगम, पातालपुरी मन्दिर, प्रयागराज किला, अशोक स्तम्भ, अक्षयवट, रानीमहल, शिवकुटी, आल सेन्ट्रल कैथेड्रल, प्रयागराज संग्रहालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, खुसरोबाग, मिन्टो पार्क, सरस्वती घाट, नेहरू पार्क, शृंगवेरपुरधाम, प्रतिष्ठानपुरी, लक्ष्यागृह, गढ़वा का किला, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, अलोपीदेवी, मंदिर, बेणी माधव मंदिर, नागबासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मण्डपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम आदि
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स

11. फतेहपुर

- क्षेत्रफल — 4152 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2632733
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1248011
- पुरुष (जनसंख्या) — 1384722
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 634 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फतेहपुर, बिन्दकी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा)
- विकास खण्डों की संख्या — 13 (भिटौरा, तेलियानी, हसवा, असोथर, बहुआ, मलवाँ, अमौली, खजुहा, देवमई, ऐराया, हथगाम, धाता, बिजईपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1352
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भिटौरा, असनी, शिवराजपुर, बावनइमली
- प्रमुख उद्योग — स्टील, धागा, चमड़ा आदि।
- हस्तशिल्प — लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने

12. प्रतापगढ़

- क्षेत्रफल — 3717 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3209141
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1603056
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606085
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 998-1000
- जनसंख्या घनत्व — 862 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बेल्हा प्रतापगढ़)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, पट्टी, रानीगंज, कुण्डा, लालगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (प्रतापगढ़ सदर, मान्धाता, सण्डवा चद्रिका, लालगंज, लक्ष्मणपुर सांगीपुर, पट्टी, आसपुर देवसरा, मगरौरा, शिवगढ़, गौरा, कुण्डा, कालाकांकर, बिहार, बाबागंज, रामपुरसंग्रामगढ़, बाबा बेलखरनाथ,)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 2183
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हण्डौर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारडीह, नमक सायर, कहला, रूरे, सराय नाहरराय, कालाकाँकर, बाबा घुइसरनाथ, चन्द्रिका देवी, शनिदेश, चौहर्जन देवी, बाबा बेलखरनाथ, बेल्हा देवी, ज्वालादेवी, भयहरननाथ, हैदेश्वरनाथ, अम्बेडकर पक्षी विहार।
- निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओम अचार मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण एवं मुरब्बा उद्योग, मंजू मुरब्बा उद्योग, कमला ट्रान्सफार्मर, वेस्को रबर इंडस्ट्रीज, अभय ग्रामोद्योग, सरकार फूड प्रोडक्ट्स, परमिल्स फार्मास्युटिकल्स, खण्डेलवाल रबर प्रोडक्ट्स, ममता फूड प्रोडक्ट्स, शिवम फूड प्रोडक्ट्स, खण्डेलवाल फूड प्रोडक्ट्स

13. कानपुर नगर

- क्षेत्रफल — 3155 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4581268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2121462
- पुरुष (जनसंख्या) — 2459806
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 9.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 862-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1452 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 79.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (घाटमपुर, बिल्हौर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (कानपुर, बिल्हौर, घाटमपुर, नरवल)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (बिधनू, सरसौल, कल्याणपुर, पतारा, घाटमपुर, भीतरगाँव, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 902
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी, वस्त्र, आभूषण

14. कानपुर देहात

- क्षेत्रफल — 3021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1796184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 832929
- पुरुष (जनसंख्या) — 963255
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 595 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (झींझक, पुखरायां)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर, रसूलाबाद, मैथा)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर राजपुर, अमरौधा, मलासा, रसूलाबाद)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 966
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शुक्ल तालाब, बानेश्वर महादेव, वन चेतना केन्द्र, औनहां
- हस्तशिल्प — हाथ के पंखे, टोकरी, दरी, कंबल आदि
- प्रमुख उद्योग — साबुन, पेन्ट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी आदि

15. इटावा

- क्षेत्रफल — 2311 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1581810
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 735954
- पुरुष (जनसंख्या) — 845856
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 870-1000
- जनसंख्या घनत्व — 638 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (भरथना, जसवन्तनगर, इटावा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (जसवन्तनगर, सैफई, इटावा, भरथना, चकरनगर, ताखा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (जसवन्तनगर, बदपुरा, बसरेहर, ताखा, महेवा, सैफई, भरथाना, चकरनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 686
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भरेह, पचनदा, मूँज, आसई, चकरनगर, टिक्सी मंदिर, कालीवान, पिलुआ
- हस्तशिल्प — हथकरघा, दरी

16. फर्रुखाबाद

- क्षेत्रफल — 2181 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1885204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 878964
- पुरुष (जनसंख्या) — 1006240
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 874-1000
- जनसंख्या घनत्व — 864 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फर्रुखाबाद, कायमगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, अमृतपुर, कायमगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (बढ़पुर, राजेपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, शमसाबाद, कायमगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 872

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — संकिसा, कम्पिल, सिंगीरामपुर, हनुमान मंदिर, नीम करोरी, दरगाह शेखपुर
- हस्तशिल्प — जरदोजी, छपाई का फरमा
- प्रमुख उद्योग — आलू, तम्बाकू, चीनी मिल

17. कन्नौज

- क्षेत्रफल — 2093 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1656616
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 774840
- पुरुष (जनसंख्या) — 881776
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.37 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 792 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (कन्नौज, छिबरामऊ, गुर सहायगंज, हसेरन)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कन्नौज, जलालाबाद, गुगरापुर, छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम, उमर्दा, हसेरन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 688
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खाना गौरी शंकर का शिवलिंग, हाजी शरीफ़ की दरगाह, डेगभभका, अर्द्धनारीश्वर, लाख वहोसी पक्षी विहार, पंचवटी मंदिर, विशनगढ़, किला बारादरी।
- प्रमुख उद्योग — इत्र, सेंट

18. गोरखपुर

- क्षेत्रफल — 3321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4440895
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2163118
- पुरुष (जनसंख्या) — 2277777
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 950-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1337 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.8 प्रतिशत
- नगर निगम — 01
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सदर, बाँसगाँव, चौरीचौरा, सहजनवाँ, खजनी, गोला, कैम्पियरगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 20 (पिपराइच, बांसगाँव, गोला, पाली, पिपरौली, सहजनवाँ, खौराबार, कौड़ीराम, गगहा, खजनी, भटहट, बेलघाट, सरदार नगर बड़हलगंज, उरुवा, ब्रह्मपुर, जंगल कौड़िया, चरगावाँ, कैम्पियरगंज, भरोहिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2937
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुसमही जंगल, रामगढ़ताल, चौरीचौरा, डोहरिया कलां, गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़ा, गीता वाटिका, गीता प्रेस
- हस्तशिल्प — हथकरघा, टेराकोटा

19. कुशीनगर

- क्षेत्रफल — 2905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3564544
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1746489
- पुरुष (जनसंख्या) — 1818055
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 961-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1227 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हाटा, कुशीनगर, पडरौना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (पडरौना, कसिया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (पडरौना, बिशुनपुरा, कसया, हाटा, मोतीचक, सेवरही, नेबुहानौरंगिया, खड्डा, दुदही, फाजिलनगर, सुकरौली, कप्तानगंज, रामकोला, तमकुही)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1579
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुशीनगर, बुद्ध की निर्वाण स्थली, फाजिलनगर
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, आयल स्पेलर, हथकरघा

20. देवरिया

- क्षेत्रफल — 2540 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3100946
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1563510
- पुरुष (जनसंख्या) — 1537436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1017-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1222 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (देवरिया, गौरा बरहज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (देवरिया, सलेमपुर, रुद्रपुर, भाटपार रानी, बरहज)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गौरीबाजार, देवरिया सदर, देसई देवरिया, पथरदेवा, बैतालपुर, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, भाटपाररानी, भलुअनी, लार, सलेमपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2019
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दिगधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, देवरहा बाबा, परशुरामधाम

21. महराजगंज

- क्षेत्रफल — 2952 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2684703
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1302949
- पुरुष (जनसंख्या) — 1381754
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.5 प्रतिशत

- स्त्री-पुरुष अनुपात 943-1000
- जनसंख्या घनत्व 909 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 62.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (नौतनवां, महराजगंज, सिसवा बाजार)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (सदर, फरेन्दा, नौतनवां, निचलौल)
- विकासखण्डों की संख्या 12 (सदर, परतावल, फरेन्दा, पनियरा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा (खानपुर), निचलौल, घुघली, सिसवां, मिठौरा, धानी)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1212
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल इटइवा मन्दिर, लेहड़ा

22. चित्रकूट

- क्षेत्रफल 3216 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 991730
- महिलाएँ (जनसंख्या) 464009
- पुरुष (जनसंख्या) 527721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 879-1000
- जनसंख्या घनत्व 313 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 65.1 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04(कर्वी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर)
- विकासखण्डों की संख्या 05 (पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, कर्वी)
- आबाद ग्रामों की संख्या 562
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल (राजापुर, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेशबाग, हनुमान जी मंदिर, शबरी प्रपात, कोठी तालाब)
- नगर पालिका परिषद 01 (कर्वी)

23. बाँदा

- क्षेत्रफल 4408 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1799410
- महिलाएँ (जनसंख्या) 833534
- पुरुष (जनसंख्या) 965876
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 19.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 863-1000
- जनसंख्या घनत्व 403 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बाँदा, अतर्रा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बाँदा, अतर्रा, नरैनी, बबेरू, पैलानी)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर, खुर्द, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 657

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कालिन्जर का किला
- हस्तशिल्प — सजर पत्थर का कार्य

24. हमीरपुर

- क्षेत्रफल — 4021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1104285
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 510748
- पुरुष (जनसंख्या) — 593537
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.09 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 258 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हमीरपुर, मौदहा, राठ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (हमीरपुर, मौदहा, राठ, सरीला)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गोहण्डा, सरीला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 497
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सिंह महेश्वर मन्दिर, चौरादेवी मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, सिटी फारेस्ट, गौरइया देवी मन्दिर, मेहर मंदिर, निरंकारी आश्रम गायत्री शक्तिपीठ, खण्डेह मंदिर, सिसोला के शिव मंदिर, समाधि स्थल, दाता साइधाम, भुइयन देवी मन्दिर झलोखर
- हस्तशिल्प — खादी ग्रामोद्योग

25. महोबा

- क्षेत्रफल — 3144 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 875958
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 409600
- पुरुष (जनसंख्या) — 466358
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.52 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 878-1000
- जनसंख्या घनत्व — 304 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (महोबा, चरखारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (महोबा, कुलपहाड़, चरखारी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (कवरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 435
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, उर्मिल डेम, खकरहा मठ, जैन तीर्थंकर, शिव ताण्डव, ऊदल चौक, कीरत ताल
- हस्तशिल्प — गौरा पत्थर, गौरिहारी

26. झाँसी

- क्षेत्रफल — 5024 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1998603
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 941167
- पुरुष (जनसंख्या) — 1057436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 398 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.0 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (झाँसी)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बरुआसागर, मऊरानीपुर, गुरुसराय, समथर, चिरगांव)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरगांव, गुरसराय, बामौर, बंगरा, बबीना, बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर)
- आगाद ग्रामों की संख्या — 745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — झांसी का किला, रानी महल, गंगाधरराव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायन बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआसागर का किला, कम्पनीबाग, स्वर्गाश्रम, बरुआसागर जलाशय, सुकवां-दुकवा, परीछा बाँध, भसनेह जलाशय, करगुवा जी लक्ष्मीबाई पार्क।
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. जी. निवास फर्टीलाइजर्स लि., डायमंड सीमेंट फैक्ट्री
- हस्तशिल्प — घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि।

27. जालौन

- क्षेत्रफल — 4565 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1689974
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 783882
- पुरुष (जनसंख्या) — 906092
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (कालपी, जालौन, कोंच, उरई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जालौन, उरई, कालपी, कोंच, माधोगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (कोच, डकोर, कुठोंद, रामपुरा, माधवगंज जालौन, कदौरा, महेवा, नदीगांव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 942
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अक्षरादेवी, चौरासी गुम्बद, लंका मीनार, बारा खम्भा, चन्देल दुर्ग, ताई-वाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, व्यास मंदिर
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, चदरा, चटाई, हाथ कागज

28. ललितपुर

- क्षेत्रफल — 5039 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1221592
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 580581
- पुरुष (जनसंख्या) — 641011
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 24.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 906-1000
- जनसंख्या घनत्व — 242 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (ललितपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, मंडावरा, पाली)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (मंडावरा, महरौनी, बिरघा, बार, तालबेहट, जखौरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 691
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — देवगढ़, दयावतार, माताटीला, राजघाट
- हस्तशिल्प — सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — ग्रेनाइट (खनन उद्योग), दाल मिल, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव

29. गोण्डा

- क्षेत्रफल — 4003 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3433919
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1646773
- पुरुष (जनसंख्या) — 1787146
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 922-1000
- जनसंख्या घनत्व — 851 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (करनैलगंज, नबाबगंज, गोण्डा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (करनैलगंज, तरबगंज, गोण्डा, मनकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (रुपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पन्डरी कृपाल, इटियाथोक, मुजेंहना, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, कर्नलगंज, परसपुर, बेलसर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1812
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तिर्रेमनोरमा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, लकड़मण्डी अरगा, पार्वती
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन, सूत दरी
- प्रमुख उद्योग — चीनी

30. बहराइच

- क्षेत्रफल — 5237 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3487731
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1643847
- पुरुष (जनसंख्या) 1843884
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 891-1000
- जनसंख्या घनत्व 697 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बहराइच, नानपारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, महसी, पयागपुर,मोतीपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 14 (चित्तौरा, कैसरगंज, जरवल, तजवापुर, महसी, हुजूरपुर, बलहा, शिवपुर, मिहीपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, पयागपुर, विशेश्वरगंज, फखरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1359
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दरगाह सैय्यद सालार, मसऊद गाजी, राजा सुहेलदेव मंदिर, वन्य जीव विहार (कतर्निया घाट)
- हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी, चिकन इम्ब्राइडरी

31. बलरामपुर

- क्षेत्रफल 3349 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2148665
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1033944
- पुरुष (जनसंख्या) 1114721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 27.74 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 927-1000
- जनसंख्या घनत्व 642 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बलरामपुर, उतरौला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (श्री दत्तगंज, उतरौला, गैण्डासबुजुर्ग, रेहराबाजार, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैयासत धरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 998
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजलेश्वरी मंदिर, बिजुलीपुर, दुःखहरणनाथ मंदिर, बाबा हुर्मतशाह का आस्ताना
- हस्तशिल्प हथकरघा, लकड़ी का कार्य

32. अयोध्या

- क्षेत्रफल 2341 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2470996
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1211368
- पुरुष (जनसंख्या) 1259628

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 980-1000
- जनसंख्या घनत्व — 962 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.7 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (अयोध्या)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रुदौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (रुदौली, सदर, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मसौधा, पुराबाजार, सोहावल, मयाबाजार, बीकापुर, तारून, रुदौली, मवई, हैरिंगटनगंज, अमानीगंज, मिल्कीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1235
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अयोध्याजी, सूरजकुण्ड, भरतकुण्ड, बिल्वहरिघाट, बहू बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारघाट, रत्ना गिरि मंदिर (रौनाही) कम्पनी बाग, अयोध्या के जैन मंदिर, नौगजी कब्र, मणिपर्वत देवकाली मन्दिर, मिलेट्री मन्दिर
- हस्तशिल्प — बाँस, चमड़ा

33. बाराबंकी

- क्षेत्रफल — 4402 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3260699
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1553626
- पुरुष (जनसंख्या) — 1707073
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 838 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (नवाबगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (नवाबगंज, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, सिरौली-गौसपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज, रामनगर, देवा, बंकी, हरख, मसौली, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, दरियाबाद, बनीकोडर, पूरेडलई, सिरौली-गौसपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1817
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — श्री लोधेश्वर महादेव, श्री औसामेश्वर महादेव, श्री कुंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, देवाशरीफ, श्री कोटवाधाम, मझगांव शरीफ, दरगाह सैयद सालार शाह, सतरिख, बांसा शरीफ, नाग देवता, मजीठा, नागेश्वर मन्दिर
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन व हथकरघे से निर्मित वस्त्र
- महत्त्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — इण्डियन पालीफाइबर्स लि. सोमैया आर्गेनिक केमिकल्स लि., सुगर मिल हैदरगढ़, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, इकाई बुढ़वल

34. सुल्तानपुर

- क्षेत्रफल — 2673 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2431491
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1204842
- पुरुष (जनसंख्या) — 1226649
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 983-1000
- जनसंख्या घनत्व — 901 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (सुल्तानपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर, बल्दीराय)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 14 (बल्दीराय, धनपतगंज, कुडवार, कूरेभार, दूबेपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखण्डनगर, दोस्तपुर, करौंदीकला, भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर कमेचा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1708
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — धोपाप, विजेथुआ महावीरन, सीताकुण्ड, देवी मन्दिर लोहरामऊ
- हस्तशिल्प — बाधमण्डी
- प्रमुख उद्योग — सहकारी चीनी मिल

35. बरेली

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4448359
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2090694
- पुरुष (जनसंख्या) — 2357665
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1080 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (आँवला, नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, आँवला)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (क्यारा, बिथरीचैनपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, फतेहगंज, नवाबगंज, भदपुरा, भुता, फरीदपुर, बहेड़ी, दमखोदा, आलमपुर, जाफराबाद, शेरगढ़, मंझगवा, रामनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1855
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की कब्र, नज्जू खाँ का मकबरा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, काला इमामबाड़ा
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी, सुरमा, खेल का सामान

36. बदायूँ

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3127621

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1457266
- पुरुष (जनसंख्या) 1670355
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 739 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 52.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (बदायूं, ककराला, उझांनी, बिल्सी, दातागंज, बिसौली, सहसवान)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बदायूँ, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (उझानी, सहसवान, दहगवाँ, कादरचौक, सालारपुर, वजीरगंज, बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, जगत, म्याऊ, उसांवा, दातागंज, समरेर, अम्बियापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1476
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद, घंटाघर, सूरज कुण्ड, सरसोता
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ बान बनाना, चमड़े का कार्य, खाण्डसारी, मेंथा तेल, खराद, हथकरघा

37. पीलीभीत

- क्षेत्रफल 3686 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2031007
- महिलाएँ (जनसंख्या) 959005
- पुरुष (जनसंख्या) 1072002
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 895-1000
- जनसंख्या घनत्व 539 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत,कलीनगर, अमरिया)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (अमरिया, ललौरी खेड़ा, मरौरी, पूरनपुर, विलसण्डा, बीसलपुर, बरखेड़ा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1295
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गौरीशंकर का मंदिर, जामा मस्जिद, हजरतशाह जी मियाँ दरगाह, मैनाकोट, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर, राजा मोरध्वज का टीला, बाबा दुर्गानाथ का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा छटी पातशाही, आयुर्वेदिक कॉलेज, वनौषधि, हरबेरियम फार्मेसी, हर्बल गार्डन, मैथाडिस्ट चर्च, मेन बाजार का गेट, बरेली गेट, जसवन्तरी देवी मंदिर आदि।
- हस्तशिल्प बाँसुरी

38. शाहजहाँपुर

- क्षेत्रफल 4388 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3006538

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1400135
- पुरुष (जनसंख्या) 1606434
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 657 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.5 प्रतिशत
- नगर निगम 01 (शाहजहाँपुर)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पुवायां, तिलहर, जलालाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (शाहजहाँपुर, पुवायां, जलालाबाद, तिलहर, कलान)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (भावलखेड़ा, ददरौला, कांठ, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर, जैतीपुर, खुदागंज, निगोही, पुवायां, बण्डा, खुटार, मिर्जापुर कलान, सिधौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2088
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शहीद उद्यान, वनखण्डीनाथ मन्दिर, विश्वनाथ मंदिर, बहादुर खाँ मकबरा, मुमछा आश्रम, श्रीरामचन्द्र मिशन प्रार्थना भवन, विसरात घाट, सुनहरी मजार, मजार अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल, स्मारक अमर शहीद रोशन सिंह, निजामशाह की दरगाह, रायसुखा निदान का फाटक, उदासियों का अखाड़ा, चौकसीनाथ, फूलमती देवी का मन्दिर, सत्संग आश्रम
- हस्तशिल्प कालीन, कारचोबी

39. बस्ती

- क्षेत्रफल 2688 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2464464
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1209192
- पुरुष (जनसंख्या) 1255272
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 963-1000
- जनसंख्या घनत्व 839 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 67.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (बस्ती)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बस्ती, रुधौंली, मानपुर, हर्रैया)
- विकासखण्डों की संख्या 14 (परशुरामपुर, गौर, हर्रैया, विक्रमजीत, कप्तानगंज, रामनगर, सल्टौआगोपालपुर, रुधौली, साउंघाट, बस्ती सदर, बनकटी, बहादुरपुर, कुदरहा, दुलौलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 3160
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छावनी बाजार, मखैड़ा, अमोढ़ा, नगर बाजार, पैडा, भेद्रेश्वरनाथ, श्रंगीनारी
- प्रमुख उद्योग गन्ना

40. सिद्धार्थनगर

- क्षेत्रफल — 2895 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2559297
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1264202
- पुरुष (जनसंख्या) — 1295093
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 884 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिद्धार्थनगर, बांसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (बांसी, बढ़नी, भनबापुर, बर्डपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरहा, खुनियांव, मिठवल, नौगढ़, लोटन, उस्काबाजार, शोहरतपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2336
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कपिलवस्तु, भारतभारी, पलटादेवी, मजार शाह अब्दुल रसूल (मीरा बाबा)

41. मिर्जापुर

- क्षेत्रफल — 4405 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2496970
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1184668
- पुरुष (जनसंख्या) — 1312302
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 921-1000
- जनसंख्या घनत्व — 482 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मिर्जापुर, चुनार, लालगंज, मड़िहान)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (नगर सिटी, कोन, छानवे, मझवां, पहाड़ी, लालगंज, हलिया, पटेहरा, नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़, सीखड़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — विंध्याचल, विन्डमफाल, लखनियांदरी, सिद्धनाथ की दरी, दुर्गा मन्दिर, टांडाफाल, कुसेहरा काल, सिरसी जलाशय, चुनार किला
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, बर्तन

42. भदोही

- क्षेत्रफल — 1015 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1578213
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 771114

- पुरुष (जनसंख्या) 807099
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 950-1000
- जनसंख्या घनत्व 1555 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भदोही, गोपीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (भदोही, ज्ञानपुर, औराई)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (सुरियावां, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ, अमोली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1087
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सीतामणि, सेमराधनाथ, चकवा महावीर, तीलेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर
- हस्तशिल्प कालीन
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, दि काशी सहकारी चीनी मिल

43. सोनभद्र

- क्षेत्रफल 6905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1862559
- महिलाएँ (जनसंख्या) 891215
- पुरुष (जनसंख्या) 971344
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 274 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (राबर्ट्सगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल, ओबरा)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, बभनी, करमा, कोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1391

44. मुरादाबाद

- क्षेत्रफल 2271 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3126507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1489476
- पुरुष (जनसंख्या) 1637031
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 1370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुरादाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- नगर निगम 01 (मुरादाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (बिलारी, कुन्दरकी, ठाकुरद्वारा, बिलारी, मुरादाबाद, मुंडापाण्डे, भगतपुरटाण्डा, छजलैट)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 965
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सम्भल
- हस्तशिल्प — लकड़ी का काम, स्वर्णकारी, वस्त्र रंगाई-छपाई, लाख, कसीदाकारी, पीतल का काम, स्याह कलम तथा नक्काशी

45. बिजनौर

- क्षेत्रफल — 4561 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3682713
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1761498
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921215
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.64 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 917-1000
- जनसंख्या घनत्व — 807 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 12 (बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, हल्दौर, नहटौर, शेरकोट, किरतपुर, स्योहारा, नूरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (बिजनौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चाँदपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मोहम्मदपुर देवमल, हलदौर, जलीलपुर, नूरपुर, कोतवाली, अफजलगढ, नजीबाबाद, किरतपुर, अल्हेपुर, नहटौर, धामपुर, स्योहारा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2186
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कण्व आश्रम, बिदुरकुटी, जहानाबाद, दारानगर गंज, सीता का मंदिर, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, मयूर ध्वज दुर्ग, नजीबुद्दौला का किला, भंडावर का महल, पारसनाथ, ताजपुर का चर्च, नजफे हिन्द (जोगीरामपुरा)
- हस्तशिल्प — काष्ठकला, ब्रश, कांच का सामान, हथकरघा

46. रामपुर

- क्षेत्रफल — 2367 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2335819
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1111930
- पुरुष (जनसंख्या) — 1223889
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 21.40 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 909-1000
- जनसंख्या घनत्व — 987 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 53.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (स्वार, रामपुर, विलासपुर, टाण्डा, मिलक)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (रामपुर सदर, विलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार, टाण्डा)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (सैदनगर, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1108
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — रजा लाइब्रेरी, किला रामपुर, रठौण्डा मन्दिर, मजार भैसोड़ी शरीफ, कोठी खासबाग, बेनजीर कोठी, शिव मंदिर,

जामा मस्जिद, मजार हाफिज जमातुल्लाह साहब, रामगंगा, कोसी, भाखड़ा, गांगन, सैजनी, पीलाखार

- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — चीनी, डिस्टलरी, उर्वरक, कागज, प्रिंटिंग, मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जीरॉक्स, टेलीविजन, व्हीलबेल, कैमिकल्स आदि।
- हस्तशिल्प — जरी, जरदोजी, चाकू, पैचवर्क, पतंग व गार्डेन टूल्स

47. मेरठ

- क्षेत्रफल — 2559 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3443689
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1617946
- पुरुष (जनसंख्या) — 1825743
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 886-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1330 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.8 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (मेरठ)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सरधना, मवाना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मेरठ, सरधना, मवाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (मेरठ, रजपुरा, रोहटा, जानीखुर्द, खरखोदा, मवाना, हस्तिनापुर परीक्षितगढ़, माछरा, सरघना, सरूरपुरखुर्द, दौराला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 604
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हस्तिनापुर, सरधना, गागोल तथा परीक्षितगढ़
- हस्तशिल्प — होजरी, कैमिकल्स, कारपेट, हस्तशिल्प

48. बुलन्दशहर

- क्षेत्रफल — 4512 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3499171
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1653911
- पुरुष (जनसंख्या) — 1845260
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (1991 के अनुसार) — 16.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 896-1000
- जनसंख्या घनत्व — 804 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 09 (बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, गुलावठी स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिवाई, जहाँगीराबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (बुलन्दशहर, अनूपशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर, डिबाई)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (बुलन्दशहर, गुलावठी, स्याना, भवन बहादुर नगर, लखावटी, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, अरनियाँ, सिकन्द्राबाद, अनूपशहर, अगौता, जहाँगीराबाद, ऊँचागाँव, डिबाई, दानपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1174
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नरौरा, अनूपशहर, राजघाट, कालाआम, गुलावठी, कर्णवास,

	रामघाट, मालागढ़, अहार, खुर्जा आदि
• हस्तशिल्प	पाटरी उद्योग

49. गाजियाबाद

• क्षेत्रफल	910 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3343334
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1563410
• पुरुष (जनसंख्या)	1779924
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	53.0 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	887-1000
• जनसंख्या घनत्व	3674 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	80.5 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	04 (खोड़ा मकनपुर, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी)
• नगर निगम	01 (गाजियाबाद)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी)
• विकासखण्डों की संख्या	04 (रजापुर, लोनी, भोजपुर, मुरादनगर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	183
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	केसरी का टीला, लवणासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर, पूँठ, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़ का नक्का कुआं

50. बागपत

• क्षेत्रफल	1321 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1303048
• महिलाएँ (जनसंख्या)	602978
• पुरुष (जनसंख्या)	700070
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	11.87 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	861-1000
• जनसंख्या घनत्व	986 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	72.0 प्रतिशत
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (बागपत, बड़ौत, खेकड़ा)
• विकासखण्डों की संख्या	06 (बागपत, बड़ौत, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, बिनौली)
• आबाद ग्रामों की संख्या	290
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	पुरा महादेव, बरनाना, वालैनी, बड़ा गाँव
• नगरपालिका परिषद	2 (बड़ौत, बागपत)

51. लखनऊ

• क्षेत्रफल	2528 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4589838
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2195362
- पुरुष (जनसंख्या) 2394476
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.79 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 917-1000
- जनसंख्या घनत्व 1816 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 77.3 प्रतिशत
- नगर निगम 01 (लखनऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (काकोरी, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, गोसाईगंज, सरोजिनी नगर, माल, चिनहट, मोहनलालगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या 803
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल आसिफुद्दौला इमामबड़ा, रेजीडेन्सी, शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, शहीद स्मारक, अलीगंज महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बुद्धेश्वर शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, खम्मनपीर मजार, सिकन्दरबाग, बेगम हजरतमहल पार्क, रोशनुद्दौला कोठी, बिजली पासी का किला, काकोरी शहीद स्मारक, लोहिया पार्क, अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, परिवर्तन चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल तथा बौद्ध विहार शान्ति उपवन।
- हस्तशिल्प चिकन, जरदोजी

52. हरदोई

- क्षेत्रफल 5986 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4092845
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1901403
- पुरुष (जनसंख्या) 2191442
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.39 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 868-1000
- जनसंख्या घनत्व 683 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (हरदोई, साण्डी, बिलग्राम, शाहाबाद, पिहानी, मल्लावाँ, सण्डीला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम, स्वायजपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 19 (सुरसा, बाबन, टड़ियावाँ, हरियावाँ, अहिरोरी, शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावाँ, साण्डी, हरपालपुर, संडीला, भरावन, बेंहदर, कछोना, कोथावाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1907
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दहरझील, साण्डी

53. लखीमपुर खीरी

- क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4021243
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1898056
- पुरुष (जनसंख्या) 2123187
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.14 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 894-1000
- जनसंख्या घनत्व 524 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 60.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (लखीमपुर, गोला, मुहम्मदी, पलिया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 07 (खीरी, निघासन, मोहम्मदी, धौरहरा, गोलागोकरननाथ, पलिया, मितौली)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (लखीमपुर, बेहजम, फूलबेहड़, बाँकेगंज, नकहा, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवाँ, मितौली, कुम्भी (गोला), धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन, पलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1706
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दुधवा नेशनल पार्क, इन्दिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मन्दिर, गोला मंदिर
- हस्तशिल्प पीतल के बर्तन

54. रायबरेली

- क्षेत्रफल 4043 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2903507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1408263
- पुरुष (जनसंख्या) 1495244
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.51 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 942-1000
- जनसंख्या घनत्व 721 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 68.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (रायबरेली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, रायबरेली, ऊँचाहार, सलोन)
- विकासखण्डों की संख्या 18 (राही, सतांव, हरचन्दपुर, अमाबा, लालगंज, सरेनी, खीरों, जगतपुर, डलमऊ, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, ऊँचाहार, दीनशाहगौरा, रोहनियाँ, डीह, छतोह, सलोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1535
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जायसी स्मारक, शहीद स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, विसाका सीमेन्ट उद्योग, राजश्री इण्डस्ट्रीज

55. सीतापुर

- क्षेत्रफल 5743 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4483992
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2108728
- पुरुष (जनसंख्या) 2375264
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 888-1000

- जनसंख्या घनत्व — 781 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, खैराबाद, महमूदाबाद, लहरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर, महोली)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (एलिया, हरगाँव, लहरपुर, परसेन्डी, खैराबाद, बिसवां, बेहटा, रेउसा, सकरन, सिधौली, कसमण्डा, पहला, महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, मिश्रिख, मछरेहटा, गोदलामऊ, पिसावाँ, महोली)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दधीचि कुंड, व्यास पीठ, नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर
- हस्तशिल्प — दरी का कार्य
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2317

56. उन्नाव

- क्षेत्रफल — 4558 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3108367
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1478280
- पुरुष (जनसंख्या) — 1630087
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 907-1000
- जनसंख्या घनत्व — 682 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (उन्नाव सदर, सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर, बांगरमऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (सिकन्दरपुर करन, बिछिया, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, असोहा, हिलौली, बीघापुर, सिकन्दरपुर-सरोसी, सुमेरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1693
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — बक्सर, परियर, बदरका, सचानकोट, नवाबगंज पक्षी विहार, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, चन्द्रिका देवी, दुर्गा, कुशेहरी
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा उद्योग, राइस मिल

57. वाराणसी

- क्षेत्रफल — 1535 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3676841
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1754984
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921857
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 913-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2395 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.6 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (वाराणसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (पिण्डरा, वाराणसी सदर, राजातालाब)

- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागांव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1258
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मारकण्डेय महादेव, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, संकटमोचन मन्दिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मन्दिर, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद (बेनी माधव का करहरा) भारत माता मन्दिर।
- हस्तशिल्प — बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, ग्लास बीड्स
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सिन्नी पंखा, बूटी मिक्सी, राइस व फ्लोर मिल, एच डी पी ई बैग।

58. गाजीपुर

- क्षेत्रफल — 3377 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3620268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1765193
- पुरुष (जनसंख्या) — 1855075
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 952-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1071 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (गाजीपुर सदर, जमानिया, जखनिया, मुहम्मदाबाद, सैदपुर, कासिमाबाद, सेवराई)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गाजीपुर, करण्डा, मरदह, बिरनों, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, बाराचबर, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, भदौरा, सैदपुर, देवकली, सादात, मनिहारी, जखनिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2740
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सैदपुर भितरी, लठिया, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, पौहारी बाबा आश्रम कुरथा, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा मठ, मौनी बाबा आश्रम, गंगादास आश्रम बयेपुर, देवकली, देवल
- हस्तशिल्प — वाल हैंगिंग
- निजी तथा सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओपियम फैक्ट्री, डिस्टलरी, राइस मिलें, बहादुर गंज, कताई मिल

59. जौनपुर

- क्षेत्रफल — 4038 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4494204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2273739
- पुरुष (जनसंख्या) — 2220465
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1024-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1113 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत

- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (जौनपुर, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सदर, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (शाहगंज, सुइथाकला, बदलापुर, खुटहन, महराजगंज, सुजानगंज मुंगरा, बादशाहपुर, मछलीशहर, केराकत, गंज-डोभी, मुफ्तीगंज, जलालपुर, करंजाकला, बक्शा, सिकारा, धर्मापुर, मडियाहूँ, बरसठी, रामनगर, रामपुर, सिरकोनी)।
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3287
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शीतला चौकिया धाम, शारदा मंदिर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, धर्मापुर, काली मंदिर, शिवलिंग गोमतेश्वर महादेव, गौरीशंकर मंदिर, त्रिलोचन महादेव आदि।
- प्रमुख उद्योग — कृषि यन्त्र, खाद्य तेल, राइसमिल, कालीन, ताल जाली, लोहे के समान, फ्लोर मिल

60. सहारनपुर

- क्षेत्रफल — 3689 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3466382
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1632276
- पुरुष (जनसंख्या) — 1834106
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.7 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 940 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (गंगोह, नकुड़, देवबन्द, सरसांवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सहारनपुर, रामपुर मनिहारान, देवबन्द, नकुड़, बेहट)
- विकास खण्डों की संख्या — 11 (बलियाखेड़ी, रामपुर मनिहारान, नानौता, देवबन्द, नागल, मुजफ्फराबाद, सढ़ौली कदीम, सरसावा, नकुड़, पुवाँरका, गंगोह)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1243
- हस्तशिल्प — काष्ठ कला, कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग

61. मुजफ्फरनगर

- क्षेत्रफल — 2796 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2829865
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1335505
- पुरुष (जनसंख्या) — 1494360
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 893-1000
- जनसंख्या घनत्व — 957 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (मुजफ्फरनगर, खतौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मुजफ्फरनगर, खतौली, जानसठ, बुढ़ाना)

- विकासखण्डों की संख्या — 09 (बघरा, चरथावल, पुरकाजी, खतौली, जानसठ, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फर नगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 587
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नेहरू पार्क, शुक्रताल
- प्रमुख उद्योग — रोलिंग, चीनी, स्टील, कागज

62. अमरोहा

- क्षेत्रफल — 2249 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1840221
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 876772
- पुरुष (जनसंख्या) — 963449
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 818 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बछराऊँ, हसनपुर, गजरौला, अमरोहा, घनौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (अमरोहा, घनौरा, हसनपुर, नौगांवा सादत)
- विकास खण्डों की संख्या — 06 (अमरोहा, जौया, घनौरा, गजरौला, हसनपुर, गंगेश्वरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वासुदेव मन्दिर, बायें का कुआँ, नसीरुद्दीन साहब की मजार, भूरेशाह की दरगाह, शाह विलायत साहब की मजार
- प्रमुख उद्योग — चड्ढा रबड़, शिवालिक सेल्लयूलोज

63. गौतमबुद्धनगर

- क्षेत्रफल — 1282 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1648115
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 757901
- पुरुष (जनसंख्या) — 890214
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 49.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 851-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1143 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दादरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गौतमबुद्धनगर, जेवर, दादरी)
- विकासखण्डों की संख्या — 03 (जेवर, विसरख, दादरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 304
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नोएडा फिल्म सिटी, साफ्टवेयर पार्क्स
- प्रमुख उद्योग — आटोमोबाईल, पेण्ट, ऐन्सलियरी इकाइयाँ, न्यूज चैनल्स उद्योग आदि

64. हाथरस

- क्षेत्रफल — 1840 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1564708
- महिलाएँ (जनसंख्या) 728581
- पुरुष (जनसंख्या) 836127
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 871-1000
- जनसंख्या घनत्व 850 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (सिकन्दराराऊ, हाथरस)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (सासनी, हाथरस, सादाबाद, सिकन्दराराऊ)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (सासनी, सहपऊ, हाथरस, मुरसान, सादाबाद, सिकन्दराराऊ, हसायन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 655
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दाऊजी महाराज का मन्दिर, महाकाली मन्दिर (शाहपाउ)
- प्रमुख उद्योग एसोफीटीडा (हींग), देशी घी, चीनी, रेडीमेड परिधान, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर

65. औरैया

- क्षेत्रफल 2016 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1379545
- महिलाएँ (जनसंख्या) 639505
- पुरुष (जनसंख्या) 740040
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.99 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 864-1000
- जनसंख्या घनत्व 685 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 78.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (औरैया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (विधूना, औरैया, अजितमल)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (एरवा कटरा, विधूना, अछल्दा, सहार, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 769
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग हैण्डलूम के कपड़ों का उत्पादन

66. कौशाम्बी

- क्षेत्रफल 1779 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1599596
- महिलाएँ (जनसंख्या) 761111
- पुरुष (जनसंख्या) 838485
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.60 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 908-1000
- जनसंख्या घनत्व 898 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भरवारी, मंझनपुर)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सिराथू, मंझनपुर, चायल)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कड़ा, सिराथू, सरसवां, मंझपुर, कौशाम्बी, मुरतगंज, चायल, नेवादा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 729
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शीतला शक्तिपीठ मन्दिर, प्रभासगिरि (पभोसा), महाराज उदयन के किले के अवशेष, गढ़वा कोसम, दुर्गा देवी मन्दिर (मंझनपुर), संत मलूकदास की समाधि
- प्रमुख उद्योग — बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्टा उद्योग

67. अम्बेडकर नगर

- क्षेत्रफल — 2350 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2397888
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1185478
- पुरुष (जनसंख्या) — 1212410
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 978-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1018 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (टाण्डा, अकबरपुर, जलालपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (अकबरपुर, भीटी, टाण्डा, जलालपुर, आलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (भीटी, अकबरपुर, कटेहरी, टाण्डा, बसखारी, रामनगर, जहागीरगंज, जलालपुर, भियाव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1649
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शिवलिंगम (बीरी), लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम (बसखारी रोड), साहित्य सदन (सेथवा), शिवबाबा
- प्रमुख उद्योग — टाण्डा-टेराकोटा, पावरलूम, थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.), अकबरपुर शुगर मिल, राइस मिल, अचल इण्डस्ट्री

68. श्रावस्ती

- क्षेत्रफल — 1640 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1117361
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 523464
- पुरुष (जनसंख्या) — 593897
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 30.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 601 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 46.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (भिनगा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (भिनगा, इकौना, जमुनहा)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (जमुनहा, गिलौला, इकौना, हरिहरपुर रानी, सिरसिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 509
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जेतवन, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मन्दिर, महावीर मन्दिर, सहेत-महेत, शक्तिपीठ
- प्रमुख उद्योग — कृषि तथा पर्यटन उद्योग

69. सन्त कबीर नगर

- क्षेत्रफल 1646 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1715183
- महिलाएँ (जनसंख्या) 845527
- पुरुष (जनसंख्या) 869656
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 973-1000
- जनसंख्या घनत्व 1037 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (खलीलाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (खलीलाबाद, मेंहदावल, घनघटा)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (सेमरियांवा, मेहदावल, वघौली, खलीलाबाद, नाथनगर, हेसरबाजार, सांथा, बेलहरकला, पौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1582
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल तामा, बखीरा, खलीलाबाद और कबीर निर्वाण स्थली मगहर
- प्रमुख उद्योग पेपर मिल, रिफाइण्ड तेल, काटन टेक्सटाइल, पाटरी, कन्फेक्शनरी, बढ़ईगिरी, ब्रासवेयर, ईंट, एग्रो-उत्पाद, साबुन, मोमबत्ती, खाण्डसारी आदि

70. चंदौली

- क्षेत्रफल 2541 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1952756
- महिलाएँ (जनसंख्या) 934851
- पुरुष (जनसंख्या) 1017905
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 770 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (मुगलसराय)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (सकलडीहा, चन्दौली, चाकिया, मुगलसराय, नौगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (चहनिया, धानापुर, सकलडीहा, नियामताबाद, चन्दौली, बरहनी चकिया, सहाबगंज, नौगढ़)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छहानिया, नवगढ़ के जंगल, जल प्रपात, राजदारी एवं देवदारी जल प्रपात, चकिया, चन्द्र प्रभा डैम, नवगढ़ डैम, अर्वताण्ड जल प्रपात एवं चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग राइस मिल, लकड़ी उद्योग एवं जंगल उत्पाद आधारित उद्योग
- आबाद ग्रामों की संख्या 1425

71. कासगंज

- क्षेत्रफल 1955 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1436719
- महिलाएँ (जनसंख्या) 672554

- पुरुष (जनसंख्या) 764165
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 725 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कासगंज, सोरों, गंज डुडवारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कासगंज, पटियाली, सहावर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 07 (सोरों, सहावर, पटियाली, कासगंज, गंजडुण्डुवारा, सिढ़पुरा, अमापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 650
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल भगवान वराह मन्दिर, जामा मस्जिद, नदरई का पुल, प्रभु का पार्क, चामुण्डा मन्दिर आदि
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांचमूंगा, मोती, मूंगबान
- प्रमुख उद्योग कृषि उत्पाद हेतु शीतगृह, सीमेण्ट कारखाना, राइस मिल, कालीन कारखाना, दुग्ध प्लांट, ईंट भट्टा एवं बेकरी आदि

72. अमेठी

- क्षेत्रफल 2329 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1867678
- महिलाएँ (जनसंख्या) 922443
- पुरुष (जनसंख्या) 945235
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.42 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 976-1000
- जनसंख्या घनत्व 610 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (जायस, गौरीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 13 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, शुकुलबाजार, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, शाहगढ़, जामों, बहादुरपुर, सिंहपुर)
- ग्रामों की संख्या 988
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल मलिक मुहम्मद जायसी की मजार, टीकरमाफी आश्रम, कालिकन धाम, सत्थिन, अहोरवन भवानी
- प्रमुख उद्योग ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री, भेल, इण्डोगल्फ, एच.ए.एल. गैस प्लान्ट

73. शामली

- क्षेत्रफल 1212 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1313647
- महिलाएँ (जनसंख्या) 614259
- पुरुष (जनसंख्या) 699388
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कैराना, शामली, ऊन)
- विकासखण्डों की संख्या 05 (ऊन, थाना भवन, शामली, कैराना, कांधला)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कैराना, कांधला, शामली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 293
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल हनुमान टीला, जैन मन्दिर (जलालाबाद), गुरुद्वारा (शामली), पीर बिडौली (झिंझाना), कर्ण का तालाब (कैराना)

74. हापुड़

- क्षेत्रफल — 660 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1338311
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 629401
- पुरुष (जनसंख्या) — 708910
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा, हापुड़)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 04 (हापुड़, सिम्भावली, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 328
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चण्डी मन्दिर, दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर, सपनावत साईं मन्दिर

75. संभल

- क्षेत्रफल — 2453 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2199774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1039728
- पुरुष (जनसंख्या) — 1160046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (चन्दौसी, सम्भल, बहजोई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (संभल, चन्दौसी, गुन्नौर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 08 (रजपुरा, गुन्नौर, जूनावई, असमौली, संभल, पवासा, बनियाखेड़ा, बहजोई)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 894
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सूर्यकुण्ड, कुरुक्षेत्र, यमतीर्थ, कल्किमन्दिर, शाही मस्जिद, चक्की-पाट
- प्रमुख उद्योग — मैंथा, हड्डी-सींग, कृषियन्त्र, हैण्डीक्राफ्ट, चाँदी का वरक

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी- 2021

भारत के राष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962
2.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1962 से 13 मई, 1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969
6.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974
7.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977
8.	श्री बी0डी0 जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977
9.	श्री नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982
10.	श्री ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987
11.	श्री आर0 वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992
12.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997
13.	डॉ0 के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002
14.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007
15.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012
16.	श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935-2020)	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017
17.	श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017 से 25 जुलाई, 2022
18.	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (जन्म 1958)	25 जुलाई, 2022 से अब तक

स्रोत : भारत- 2023

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
3.	श्री वी0वी0 गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
5.	श्री बी0 डी0 जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1979
6.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979 से 30 अगस्त, 1984
7.	श्री आर0 वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितम्बर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
9.	श्री के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
10.	श्री कृष्णकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997 से 21 जुलाई, 2002
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म, 1937)	11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
13.	श्री एम0 वेंकैया नायडु (जन्म, 1949)	11 अगस्त, 2017 से 10 अगस्त, 2022
14.	श्री जगदीप धनखड़ (जन्म, 1951)	11 अगस्त, 2022 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत- 2023

भारत के प्रधानमंत्री

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947	से	27 मई 1964
2.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964	से	9 जून, 1964
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964	से	11 जनवरी, 1966
4.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966	से	24 जनवरी, 1966
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966	से	24 मार्च, 1977
6.	श्री मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977	से	28 जुलाई, 1979
7.	चौ0 चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979	से	14 जनवरी, 1980
8.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980	से	31 अक्टूबर, 1984
9.	श्री राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984	से	2 दिसम्बर, 1989
10.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	2 दिसम्बर, 1989	से	10 नवम्बर, 1990
11.	श्री चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990	से	21 जून, 1991
12.	श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991	से	16 मई, 1996
13.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	16 मई, 1996	से	1 जून, 1996
14.	श्री एच0 डी0 देवेगौड़ा (जन्म- 1933)	1 जून, 1996	से	21 अप्रैल, 1997
15.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012)	21 अप्रैल 1997	से	19 मार्च 1998
16.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	19 मार्च 1998	से	22 मई, 2004
17.	डॉ0 मनमोहन सिंह (जन्म- 1932)	22 मई, 2004	से	26 मई, 2014
18.	श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म- 1950)	26 मई, 2014	से	वर्तमान तक

स्रोत : भारत- 2023

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	से	02 मार्च, 1949
2.	न्यायमूर्ति श्री बी.बी. मलिक	03 मार्च, 1949	से	01 मई, 1949
3.	श्री एच.पी. मोदी	02 मई, 1949	से	25 जनवरी, 1950
4.	श्री एच.पी. मोदी	26 जनवरी, 1950	से	01 जून, 1952
5.	डॉ. कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी	02 जून, 1952	से	09 जून, 1957
6.	श्री वराह गिरि वेंकट गिरि	10 जून, 1957	से	30 जून 1960
7.	डॉ. बी. रामाकृष्णा राव	01 जुलाई, 1960	से	15 अप्रैल, 1962
8.	श्री विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	से	30 अप्रैल 1967
9.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	01 मई, 1967	से	30 जून 1972
10.	न्यायमूर्ति श्री शशी कान्त वर्मा	01 जुलाई, 1972	से	13 नवम्बर 1972
11.	श्री अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	से	24 अक्टूबर 1974
12.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	से	01 अक्टूबर, 1977
13.	श्री गनपत राव देवजी तपासे	02 अक्टूबर, 1977	से	27 फरवरी 1980
14.	श्री सी. पी. एन. सिंह	28 फरवरी, 1980	से	31 मार्च, 1985
15.	श्री मो. उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	से	11 फरवरी, 1990
16.	श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	से	25 मई, 1993
17.	श्री मोती लाल वोरा	25 मई, 1993	से	03 मई, 1996
18.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	03 मई, 1996	से	19 जुलाई, 1996
19.	श्री रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	से	17 मार्च, 1998
20.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	17 मार्च, 1998	से	19 अप्रैल, 1998
21.	श्री सूरज भान	20 अप्रैल, 1998	से	23 नवम्बर, 2000
22.	श्री विष्णुकान्त शास्त्री	24 नवम्बर, 2000	से	02 जुलाई, 2004
23.	श्री सुदर्शन अग्रवाल	03 जुलाई, 2004	से	07 जुलाई, 2004
24.	श्री टी.वी. राजेस्वर	08 जुलाई, 2004	से	27 जुलाई, 2009
25.	श्री बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	से	23 जून, 2014
26.	डॉ. अज़ीज़ कुरैशी	23 जून, 2014	से	22 जुलाई, 2014
27.	श्री राम नाईक	22 जुलाई, 2014	से	28 जुलाई, 2019
28.	श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल	29 जुलाई, 2019	से	वर्तमान में

स्रोत : राजभवन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. गोविन्द वल्लभ पंत	01-04-1946	से	27-12-1954
2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	28-12-1954	से	06-12-1960
3.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	07-12-1960	से	01-10-1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	02-10-1963	से	13-03-1967
5.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	14-03-1967	से	02-04-1967
6.	चौधरी चरण सिंह	03-04-1967	से	25-02-1968
	राष्ट्रपति शासन	**25-02-1968**	**से**	**25-02-1969**
7.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	26-02-1969	से	17-02-1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17-02-1970	से	01-10-1970
	राष्ट्रपति शासन	**02-10-1970**	**से**	**18-10-1970**
9.	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	18-10-1970	से	04-04-1971
10.	श्री कमलापति त्रिपाठी	04-04-1971	से	12-06-1973
	राष्ट्रपति शासन	**13-06-1973**	**से**	**08-11-1973**
11.	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	08-11-1973	से	30-11-1975
	राष्ट्रपति शासन	**30-11-1975**	**से**	**21-01-1976**
12.	श्री नारायण दत्त तिवारी	21-01-1976	से	30-04-1977
	राष्ट्रपति शासन	**30-04-1977**	**से**	**22-06-1977**
13.	श्री रामनरेश यादव	23-06-1977	से	28-02-1979
14.	श्री बनारसी दास	28-02-1979	से	17-02-1980
	राष्ट्रपति शासन	**17-02-1980**	**से**	**09-06-1980**
15.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	09-06-1980	से	19-07-1982
16.	श्री श्रीपति मिश्र	19-07-1982	से	03-08-1984
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	03-08-1984	से	10-03-1985
18.	श्री नारायण दत्त तिवारी	11-03-1985	से	23-09-1985
19.	श्री वीर बहादुर सिंह	24-09-1985	से	24-06-1988
20.	श्री नारायण दत्त तिवारी	25-06-1988	से	05-12-1989
21.	श्री मुलायम सिंह यादव	05-12-1989	से	24-06-1991

22. श्री कल्याण सिंह	24-06-1991	से	06-12-1992
राष्ट्रपति शासन	**06-12-1992**	**से**	**04-12-1993**
23. श्री मुलायम सिंह यादव	04-12-1993	से	03-06-1995 (अपरान्ह)
24. सुश्री मायावती	03-06-1995	से	17-10-1995
राष्ट्रपति शासन	**18-10-1995**	**से**	**17-10-1996**
राष्ट्रपति शासन	**17-10-1996**	**से**	**21-03-1997**
25. सुश्री मायावती	21-03-1997	से	21-09-1997
26. श्री कल्याण सिंह	21-09-1997	से	12-11-1999
27. श्री रामप्रकाश गुप्त	12-11-1999	से	28-10-2000
28. श्री राजनाथ सिंह	28-10-2000	से	08-03-2002
राष्ट्रपति शासन	**08-03-2002**	**से**	**03-05-2002**
29. सुश्री मायावती	03-05-2002	से	29-08-2003
30. श्री मुलायम सिंह यादव	29-08-2003	से	13-05-2007
31. सुश्री मायावती	13-05-2007	से	14-03-2012
32. श्री अखिलेश यादव	15-03-2012	से	19-03-2017
33. श्री योगी आदित्यनाथ	19-03-2017	से	वर्तमान में

स्रोत : गोपन-1

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	माननीय अध्यक्ष	कार्यकाल		
1.	श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	31-07-1937	से	10-08-1950
2.	श्री नफीसुल हसन	21-12-1950	से	19-05-1952
3.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	20-05-1952	से	10-04-1957
4.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	10-04-1957	से	26-03-1962
5.	श्री मदन मोहन वर्मा	26-03-1962	से	16-03-1967
6.	श्री जगदीश शरण अग्रवाल	17-03-1967	से	16-03-1969
7.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	17-03-1969	से	18-03-1974
8.	श्री वासुदेव सिंह	18-03-1974	से	12-07-1977
9.	श्री बनारसी दास	12-07-1977	से	26-02-1979
10.	श्री श्रीपति मिश्र	07-07-1980	से	18-07-1982
11.	श्री धरम सिंह	25-08-1982	से	15-03-1985
12.	श्री नियाज हसन	15-03-1985	से	09-01-1990
13.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	09-01-1990	से	30-07-1991
14.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	30-07-1991	से	15-12-1993
15.	श्री धनीराम वर्मा	15-12-1993	से	20-06-1995
16.	श्री बरखू राम वर्मा	18-07-1995	से	26-03-1997
17.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	27-03-1997	से	14-05-2002
18.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	14-05-2002	से	19-05-2004
19.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	26-07-2004	से	18-05-2007
20.	श्री सुखदेव राजभर	18-05-2007	से	13-04-2012
21.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	13-04-2012	से	30-03-2017
22.	श्री ह्रदय नरायण दीक्षित	30-03-2017	से	29.03.2022
23.	श्री सतीश महाना	29-03-2022	से	वर्तमान में

कार्यकारी अध्यक्ष

1.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	27-02-1979 से 17-02-1980 तक
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह	19-07-1982 से 24-08-1982 तक
3.	श्री बरखू राम वर्मा	20-06-1995 से 17-07-1995 तक
4.	डॉ. वकार अहमद शाह	19-05-2004 से 26-07-2004 तक

* विधानसभा पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी द्वारा प्रमाणित।uplegisassembly.gov.in

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्री चन्द्र भाल	26 जनवरी, 1950	से	5 मई, 1958 तक
2.	श्री निजामुद्दीन (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1958	से	19 जुलाई, 1958 तक
3.	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	से	5 मई, 1964 तक
4.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई 1964	से	4 अगस्त, 1964 तक
5.	श्री दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964	से	5 मई, 1968 तक
6.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई, 1968	से	1 मार्च 1969 तक
7.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी सभापति)	2 मार्च, 1969	से	14 मार्च, 1969
8.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	से	5 मई, 1974 तक
9.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यकारी सभापति)	6 मई 1974	से	10 जून, 1974 तक
10.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	11 जून, 1974	से	26 फरवरी, 1980 तक
11.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम सभापति)	18 जून, 1980	से	5 अक्टूबर, 1980 तक
12.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	6 अक्टूबर,1980	से	5 मई, 1982 तक
13.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1982	से	2 मार्च 1983 तक
14.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	3 मार्च, 1983	से	5 मई, 1988 तक
15.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	से	5 अप्रैल 1989 तक
16.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	से	7 मार्च, 1990 तक
17.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	13 मार्च, 1990	से	8 अप्रैल, 1990 तक
18.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	9 अप्रैल, 1990	से	4 जुलाई, 1990 तक
19.	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	5 जुलाई, 1990	से	6 जुलाई, 1992 तक
20.	श्री नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी सभापति)	7 जुलाई 1992	से	9 मई, 1996 तक
21.	श्री नित्यानन्द स्वामी (प्रोटेम सभापति)	23 मई, 1996	से	23 अप्रैल, 1997 तक
22.	श्री नित्यानन्द स्वामी	25 अप्रैल, 1997	से	8 नवम्बर, 2000 तक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (प्रोटेम सभापति)	17 नवम्बर, 2000	से	5 मई 2002 तक
24.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह (प्रोटेम सभापति)	6 मई 2002	से	2 अगस्त, 2004 तक
25.	चौ. सुखराम सिंह यादव	3 अगस्त, 2004	से	15 जनवरी, 2010 तक
26.	श्री कमला कान्त गौतम (प्रोटेम सभापति)	16 जनवरी, 2010	से	20 जनवरी, 2010 तक
27.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010	से	15 जनवरी, 2016 तक
28.	श्री रमेश यादव	11 मार्च, 2016	से	30 जनवरी, 2021 तक
29.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह	31 जनवरी, 2021	से	वर्तमान तक

स्रोत : upvidhanparishad.nic.in/pithasinadhikari-sabhapati.htm

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

1.	न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोरगन	(1866-1871)
2.	न्यायमूर्ति श्री राबर्ट स्टुअर्ट	(1871-1884)
3.	न्यायमूर्ति श्री विलियम कोमर पेटहेरम	(1884-1886)
4.	न्यायमूर्ति श्री जॉन एज़	(1886-1898)
5.	न्यायमूर्ति श्री लुईस एडिन कर्शा	(1898)
6.	न्यायमूर्ति श्री आर्थर स्ट्रेची	(1898-1901)
7.	न्यायमूर्ति श्री जॉन स्टेनली	(1901-1911)
8.	न्यायमूर्ति श्री हेनरी रिचर्ड्स	(1911-1919)
9.	न्यायमूर्ति श्री एडवर्ड ग्रीमवुड मिअर्स	(1919-1932)
10.	न्यायमूर्ति श्री शाह मुहम्मद सुलेमान	(1932-1937)
11.	न्यायमूर्ति श्री जॉन गिब थॉम	(1937-1941)
12.	न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद	(1941-1946)
13.	न्यायमूर्ति श्री कमलकान्त वर्मा	(1946-1947)
14.	न्यायमूर्ति श्री विधु भूषण मलिक	(1947-1955)
15.	न्यायमूर्ति श्री ओ.एच. मूथम	(1955-1961)
16.	न्यायमूर्ति श्री मनुलाल चुनिलाल देसाई	(1961-1966)
17.	न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ भार्गव	(25-02-1966 से 07-08-1966)
18.	न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्लाह बेग	(1966-1967)
19.	न्यायमूर्ति श्री विद्याधर गोविन्द ओक	(1967-1971)
20.	न्यायमूर्ति श्री शशिकान्त वर्मा	(1971-1973)
21.	न्यायमूर्ति श्री धात्री शरन माथुर	(1973-1974)
22.	न्यायमूर्ति श्री कुँवर बहादुर अस्थाना	(1974-1977)
23.	न्यायमूर्ति श्री डी.एम. चन्द्रशेखर	(1977-1978)
24.	न्यायमूर्ति श्री सतीश चन्द्रा	(1978-1983)
25.	न्यायमूर्ति श्री महेश नारायण शुक्ल	(1983-1985)
26.	न्यायमूर्ति श्री हृदयनाथ सेठ	(1986)
27.	न्यायमूर्ति श्री के. जगन्नाथ शेट्टी	(1986-1987)

28.	न्यायमूर्ति श्री द्वारका नाथ झा	(1987)
29.	न्यायमूर्ति श्री अमिताव बनर्जी	(1987-1988)
30.	न्यायमूर्ति श्री ब्रह्मनाथ काटजू	(1988-1989)
31.	न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी	(1990-1991)
32.	न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी	(1991-1993)
33.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. सोढी	(1994-1995)
34.	न्यायमूर्ति श्री ए.एल. राव	(1995-1996)
35.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. मोहापात्र	(1996-1998)
36.	न्यायमूर्ति श्री एन.के. मित्रा	(1999-2000)
37.	न्यायमूर्ति श्री श्यामल कुमार सेन	(8-5-2000 से 24-11-2002)
38.	न्यायमूर्ति श्री तरुन चटर्जी	(31-1-2003 से 26-08-2004)
39.	न्यायमूर्ति श्री अजय नाथ रे	(11-1-2005 से 26-1-2007)
40.	न्यायमूर्ति श्री एच.एल. गोखले	(7-3-2007 से 8-3-2009)
41.	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद	(20-3-2009 से 7-2-2010)
42.	न्यायमूर्ति फरदीनो इनासियो रिबेलो	(26-6-2010 से 30-7-2011)
43.	न्यायमूर्ति सैय्यद रफत आलम	(5-8-2011 से 7-8-2012)
44.	न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह	(17-10-2012 से 18-9-2013)
45.	न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़	(31-10-2013 से 12.05.2016)
46.	न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले	(30-07-2016 से 23-10-2018)
47.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	(14-11-2018 से 13-04-2021)
48.	न्यायमूर्ति संजय यादव	(13-06-2021 से 25-06-2021)
49.	न्यायमूर्ति राजेश बिंदल	(11-10-2021 से 12-02-2023)
50.	न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर	(26-03-2023 से वर्तमान तक)

स्त्रोत : allahabadhighcourt.in

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य

क्र.सं.	पदाधिकारियों का नाम	पद नाम
1.	श्रीमती विमला बाथम	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुषमा सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती अंजु चौधरी	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमती अनीता सिंह	सदस्य
5.	श्रीमती सुमन चतुर्वेदी	सदस्य
6.	श्रीमती इन्द्रवास सिंह	सदस्य
7.	श्रीमती सुनीता बंसल	सदस्य
8.	श्रीमती निर्मला द्विवेदी	सदस्य
9.	श्रीमती राखी त्यागी	सदस्य
10.	श्रीमती निर्मला दीक्षित	सदस्य
11.	श्रीमती मीना कुमारी	सदस्य
12.	श्रीमती कंचन जायसवाल	सदस्य
13.	श्रीमती प्रभा गुप्ता	सदस्य
14.	श्रीमती पूनम कपूर	सदस्य
15.	श्रीमती मनोरमा शुक्ला	सदस्य
16.	श्रीमती उषारानी गौतम	सदस्य
17.	श्रीमती अनीता सचान	सदस्य
18.	श्रीमती शशि मौर्या	सदस्य
19.	श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव	सदस्य
20.	श्रीमती रामसखी कठेरिया	सदस्य
21.	श्रीमती संगीता तिवारी	सदस्य
22.	श्रीमती अवनी सिंह	सदस्य
23.	श्रीमती सुमन सिंह	सदस्य
24.	श्रीमती अंजू प्रजापति	सदस्य
25.	श्रीमती अर्चना	सदस्य
26.	श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल	सदस्य
27.	श्रीमती रंजना शुक्ला	सदस्य
28.	श्रीमती अर्चना	सदस्य. सचिव

स्रोत : mahilaayog.up.nic.in

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
2. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सी.पी.आई. परिसर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
3. एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा-201 313, सेक्टर-125, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
4. अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, विभूति खण्ड लखनऊ-226210
5. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
6. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
7. बांदा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा-210001, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
8. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
9. बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लाट न0. 8-11 टेक जोन ।।, ग्रेटर नोएडा-201301, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
10. भातखण्डे म्यूजिक इन्स्टीट्यूट, कैसरबाग, लखनऊ-220 001 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
11. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झाँसी- 284 128 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
12. बाबू बनारसी दास वि0वि0, 55, बाबू बनारसीदास नगर, लखनऊ, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
13. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
14. चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कृषि एवं तकनीकी, नवाबगंज कानपुर- 208002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
15. छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर- 208024 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
16. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ- 250 004 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
17. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा- 282 005 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
18. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर- 273 009 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
19. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी वि0वि0, सेक्टर-11, जानकीपुरम एक्सटेंशन योजना, लखनऊ-226 031, उ0प्र0
20. डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद रोड फैजाबाद-224 001 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
21. डॉ. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ- 226 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
22. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क, आगरा-282 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
23. डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, सेक्टर डी-1, एल.डी.ए. कानपुर रोड स्कीम लखनऊ-226 012 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
24. उ0प्र0 विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ-226 017 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
25. एरा यूनिवर्सिटी, सरफराज़गंज हरदोई रोड लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
26. एफ.एस. विश्वविद्यालय एन.एच.-19 शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
27. जी.एल.ए. वि0वि0, 17 किमी0 स्टोन, एन.एच-2 दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. चौमुहान मथुरा-281 406 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

28. गलगोटियाज विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-2, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा-201 203, जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
29. गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर-201 308 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
30. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
31. आई.आई.एम.टी. वि0वि0, ओ पॉकेट, गंगानगर मवाना रोड मेरठ-250 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
32. आई.आई.एल.एम. वि०वि०, प्लाट नं. 16-18 ग्रेटर नोएडा-201 308 उ०प्र० (प्राइवेट वि०वि०)
33. इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट इज्जत नगर-243 122 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
34. आई.एफ.टी.एम. वि0वि0, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244 102 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
35. इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, दसौली पोस्ट- बसहा, कुर्सी रोड लखनऊ-226 026 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
36. इन्वर्टिस वि0वि0, इन्वर्टिस ग्राम, बरेली लखनऊ नेशनल हाइवे-24 बरेली-243 123 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
37. जगत्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग वि0वि0, चित्रकूट-210 204 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
38. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
39. जे.पी. इन्स्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी ए-10 सेक्टर-62 नोएडा-201 307 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
40. जे.पी. विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर जिला- बुलन्दशहर -203 390 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
41. जे.एस. वि0वि0, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
42. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती उर्दू, अरबी, फारसी, यूनिवर्सिटी सीतापुर-हरदोई बाइपास रोड, निकट आई.आई.एम लखनऊ-226 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
43. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
44. मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
45. माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर-247 120 उ०प्र० (राज्य विश्वविद्यालय)
46. एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, डोरीलाल अग्रवाल मार्ग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243 006 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
47. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
48. महर्षि विश्वविद्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महर्षि बाल विद्या मन्दिर एवं विश्वविद्यालय कैम्पस, सीतापुर रोड पोस्ट-ढिबुरिया लखनऊ-226 020 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
49. महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जनपद गोरखपुर -237007 (प्राइवेट यूनिवर्सिटी)
50. मंगलायतन विश्वविद्यालय, 33वां मील अलीगढ़ मथुरा हाईवे, पोस्ट- बीसवां, अलीगढ़-202 145 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
51. मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी, रामपुर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
52. मोनाड विश्वविद्यालय, पी.ओ.- पिलखुआ, कसमाबाद जिला-हापुड़ - 245 101 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
53. नरेन्द्र देव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्र नगर फैजाबाद-224 229 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
54. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, दूबवाली जिला-इलाहाबाद-221 505 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
55. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लाट नं0-1 सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर- 201 301 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

56. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, उ०प्र० (राज्य विश्वविद्यालय),
57. राजीव गाँधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, जिला- रायबरेली उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
58. रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी.टी. रोड, मन्धाना, कानपुर-209 217 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
59. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एन.एच.-75 निकट पहुज डैम ग्वालियर रोड झाँसी-284 003 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
60. सैम हिग्गिनबॉटम इन्स्टीट्यूट कृषि, तकनीकी एवं विज्ञान (पूर्व में इलाहाबाद कृषि इन्स्टीट्यूट) पोस्ट आफिस कृषि इन्स्टीट्यूट रीवा रोड इलाहाबाद-211 007 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
61. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
62. संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किमी0 मथुरा-दिल्ली हाईवे छाता मथुरा उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
63. संतोष विश्वविद्यालय, संतोष नगर गाजियाबाद उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
64. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी वि0वि0, मेरठ-250 110 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
65. शारदा विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-32-34 नालेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर-201 306 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
66. शिव नादार विश्वविद्यालय, दादरी गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
67. शोभित इन्स्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी दुल्हेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ-250 010, उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
68. शोभित विश्वविद्यालय आदर्श इन्स्टीट्यूशनल एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह जिला-सहारनपुर-247 341 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
69. श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला-बाराबंकी उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
70. सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272 202 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
71. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम, एन.एच.-58 दिल्ली-हरिद्वार मेरठ बाइपास रोड मेरठ-250 005 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
72. श्री वेंकटेश्वर वि0वि0 एन.एच.-24, रजबपुर, गजरौला, जे0पी0 नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
73. तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एन.एच.-24, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
74. दि ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील-बेहट, सहारनपुर-247 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
75. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
76. यू0पी0 किंग जार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेण्टल साइन्स, लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
77. उ.प्र.पं.दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
78. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस, शान्तिपुरम-(से0-एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद-211 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
79. उ.प्र.यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा-206 130 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
80. इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद-211 002 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
81. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)

स्रोत : ugc.ac.in

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14.09.1977	से	13.09.1982
2.	पद रिक्त	14.09.1982	से	09.01.1983
3.	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10.01.1983	से	10.01.1989
4.	पद रिक्त	11.01.1989	से	27.01.1989
5.	न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28.01.1989	से	28.01.1995
6.	पद रिक्त	29.01.1995	से	08.02.1995
7.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	09.02.1995	से	13.01.2000
8.	पद रिक्त	14.01.2000	से	15.03.2000
9.	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16.03.2000	से	15.03.2006
10.	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा	16.03.2006	से	31.01.2016
11.	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31.01.2016 (अपराहन) से		वर्तमान तक

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव

क्र.	नाम	आई.सी.एस./आई.ए.एस.	कब से		कब तक
1.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	27-03-1947	से	20-05-1949
2.	श्री भगवान सहाय	आई.सी.एस.	13-07-1949	से	20-03-1951
3.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	21-03-1951	से	25-02-1953
4.	श्री कालिका प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	26-02-1953	से	15-08-1954
5.	श्री आदित्य नाथ झा	आई.सी.एस.	16-08-1954	से	02-03-1958
6.	श्री गोविन्द नारायण	आई.सी.एस.	03-03-1958	से	02-07-1961
7.	श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन	आई.सी.एस.	03-07-1961	से	08-11-1962
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	09-11-1962	से	09-01-1964
9.	श्री कौशल कुमार दास	आई.सी.एस.	10-01-1964	से	09-03-1967
10.	श्री विपिन बिहारी लाल	आई.सी.एस.	14-03-1967	से	25-11-1969
11.	श्री मुसद्दी लाल	आई.सी.एस.	26-11-1969	से	31-12-1972
12.	श्री सतीश चन्द्र	आई.सी.एस.	01-01-1973	से	13-06-1973
13.	श्री ज्ञान प्रकाश	आई.ए.एस.	17-06-1973	से	19-11-1973
14.	श्री बी.डी. सनवाल	आई.ए.एस.	30-11-1973	से	31-08-1975
15.	श्री महमूद वट्ट	आई.ए.एस.	01-09-1975	से	15-12-1976
16.	श्री कृपा नारायण	आई.ए.एस.	16-12-1976	से	31-01-1978
17.	श्री डी.के. भट्टाचार्य	आई.ए.एस.	01-02-1978	से	25-03-1980
18.	श्री आर.बी. सक्सेना	आई.ए.एस.	26-03-1980	से	21-09-1980
19.	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	आई.ए.एस.	22-09-1980	से	30-04-1982
20.	श्री आर.पी. खोसला	आई.ए.एस.	01-05-1982	से	01-06-1983
21.	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	02-06-1983	से	08-03-1984
22.	श्री गिरीश मेहरा	आई.ए.एस.	09-03-1984	से	01-12-1985
23.	श्री जे.ए. कल्याण कृष्णन्	आई.ए.एस.	02-12-1985	से	15-10-1988
24.	श्री शिरोमणि शर्मा	आई.ए.एस.	18-10-1988	से	28-12-1989
25.	श्री आर.के. भार्गव	आई.ए.एस.	28-12-1989	से	12-12-1990
26.	डॉ. वी.के. सक्सेना	आई.ए.एस.	15-12-1990	से	22-12-1992
27.	श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन्	आई.ए.एस.	22-12-1992	से	09-08-1994

28. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	09-08-1994	से	26-06-1995
29. श्री माता प्रसाद	आई.ए.एस.	26-06-1995	से	23-10-1996
30. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	23-10-1996	से	31-07-1997
31. श्री रवीन्द्रशंकर माथुर	आई.ए.एस.	31-07-1997	से	02-04-1998
32. डॉ. योगेन्द्र नारायण	आई.ए.एस.	02-04-1998	से	18-10-2000
33. श्री बी.एन. तिवारी	आई.ए.एस.	01-11-2000	से	31-07-2001
34. श्री ए.पी. वर्मा	आई.ए.एस.	31-07-2001	से	23-05-2002
35. श्री डी.एस. बग्गा	आई.ए.एस.	23-05-2002	से	04-09-2003
36. श्री अखण्ड प्रताप सिंह	आई.ए.एस.	04-09-2003	से	04-12-2003
37. श्री वी.के. दीवान	आई.ए.एस.	06-12-2003	से	30-04-2004
38. श्री वी.के. मित्तल	आई.ए.एस.	30-04-2004	से	30-04-2005
39. श्रीमती नीरा यादव	आई.एस.एस.	30-04-2005	से	06-10-2005
40. श्री आर. रमणी	आई.ए.एस.	06-10-2005	से	03-04-2006
41. श्री नवीन चन्द्र बाजपेई	आई.ए.एस.	03-04-2006	से	16-03-2007
42. श्री शम्भू नाथ	आई.ए.एस.	16-03-2007	से	30-06-2007
43. श्री पी.के. मिश्र	आई.ए.एस.	01-07-2007	से	23-05-2008
44. श्री अतुल कुमार गुप्ता	आई.ए.एस.	23-05-2008	से	31-03-2011
45. श्री अनूप मिश्रा	आई.ए.एस.	31-03-2011	से	23-03-2012
46. श्री जावेद उस्मानी	आई.ए.एस.	23-03-2012	से	31-05-2014
47. श्री आलोक रंजन	आई.ए.एस.	31-05-2014	से	30-06-2016
48. श्री प्रवीर कुमार	आई.ए.एस.	30-06-2016	से	06-07-2016
49. श्री दीपक सिंघल	आई.ए.एस.	06-07-2016	से	13-09-2016
50. श्री राहुल भटनागर	आई.ए.एस.	13-09-2016	से	29-06-2017
51. श्री राजीव कुमार	आई.ए.एस.	29-06-2017	से	30-06-2018
52. श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय	आई.ए.एस.	30-06-2018	से	31-08-2019
53. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	आई.ए.एस.	31-08-2019	से	30-12-2021
54. श्री दुर्गा शंकर मिश्र	आई.ए.एस.	30-12-2021	से	वर्तमान तक

स्रोत : मुख्य सचिव कार्यालय, उ. प्र.

भारत के मुख्य न्यायाधीश

नाम	कार्यकाल
1. हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 - 6 नवम्बर, 1951
2. एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954
3. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954
4. बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956
5. एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्तूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964
7. पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966
8. ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966
9. के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967
10. के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968
11. एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970
12. जे.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971
13. एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973
14. ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977
15. एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978
16. वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985
17. पी.एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986
18. आर.एस. पाठक	21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989
19. ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 - 17 दिसम्बर, 1989
20. एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990
21. रंगनाथ मिश्र	25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991
22. के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991
23. एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992
24. एल.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993
25. एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994
26. ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997
27. जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998
28. एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998
29. ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001
30. एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर 2001 - 5 मई, 2002
31. बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002
32. जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002
33. वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 - 01 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004	- 31 मई, 2004
35. आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004	- 31 अक्टूबर, 2005
36. वाई.के. सब्बरवाल	1 नवम्बर, 2005	- 13 जनवरी, 2007
37. के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी, 2007	- 11 मई, 2010
38. एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	- 28 सितम्बर, 2012
39. अल्तमश कबीर	29 सितम्बर, 2012	- 18 जुलाई, 2013
40. पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	- 26 अप्रैल, 2014
41. आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	- 27 सितम्बर, 2014
42. एच.एल. दत्तू	28 सितम्बर, 2014	- 2 दिसम्बर, 2015
43. टी.एस. ठाकुर	3 दिसम्बर, 2015	- 3 जनवरी, 2017
44. जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी, 2017	- 27 अगस्त, 2017
45. दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	- 02 अक्टूबर, 2018
46. रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018	- 17 नवम्बर, 2019
47. शरद अरविन्द बोबडे	18 नवम्बर, 2019	- 23 अप्रैल, 2021
48. एन.वी. रमण	24 अप्रैल, 2021	- 26 अगस्त, 2022
49. यू०यू० ललित	27 अगस्त, 2022	- 08 नवम्बर, 2022
50. डी०वाई० चन्द्रचूड़	09 नवम्बर, 2022	- से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2023

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958
2. के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967
3. एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972
4. डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972 - 06 फरवरी 1973
5. टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977
6. एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 - 17 जून 1982
7. आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985
8. आर.वी.एस. पेरी शास्त्री	01 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990
9. श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990
10. टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996
11. एम.एस. गिल	12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001
12. जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001 - 07 फरवरी, 2004
13. टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005
14. बी.बी. टण्डन	16 मई, 2005 - 29 जून, 2006
15. एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009
16. नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010
17. एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012
18. वी.एस. संपत	11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015
19. एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015
20. नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 - 05 जुलाई, 2017
21. अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018
22. ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 - 01 दिसम्बर, 2018
23. सुनील अरोड़ा	02 दिसम्बर, 2018 - 12 अप्रैल 2021
24. सुशील चंद्रा	13 अप्रैल, 2021 14 मई, 2022
25. राजीव कुमार	15 मई, 2022 से अब तक

स्रोत : भारत-2023

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.	नाम	पद अवधि
1.	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926 – अगस्त 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932 – 1936
3.	सर आयरे गोर्डन	1937 – 1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू राबर्टसन	1942 – 1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1 अप्रैल 1947 – 13 जनवरी 1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी 1949 – 9 मई 1955
7.	श्री एन. गोविन्दराजन	10 मई 1955 – 9 दिसम्बर 1955
8.	श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसम्बर 1955 – 9 दिसम्बर 1961
9.	श्री बी.एन. झा	11 दिसम्बर 1961 – 22 फरवरी 1967
10.	श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल 1967 – 2 मार्च 1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई 1971 –1 फरवरी 1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5 फरवरी 1973 – 4 फरवरी 1979
13.	डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी 1979 – 16 फरवरी 1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी 1985 – 5 मार्च 1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5 मार्च 1990 – 2 जून 1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितम्बर 1992 – 23 अगस्त 1996
17.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23 अगस्त 1996 – 30 सितम्बर 1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर 1996 – 11 दिसम्बर 1998
19.	ले.जनरल सुरिन्दर नाथ (सेवानिवृत्त)	11 दिसम्बर 1998 – 25 जून 2002
20.	श्री पी.सी. होता	25 जून 2002 – 8 सितम्बर 2003
21.	श्री माता प्रसाद	8 सितम्बर 2003 – 4 जनवरी 2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी 2005 – 1 अप्रैल 2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1 अप्रैल 2006 – 30 जून 2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30 जून 2007 – 16 अगस्त 2008
25.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त 2008 – 16 अगस्त 2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त 2014 – 22 नवम्बर 2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22 नवम्बर 2014 – 20 सितम्बर 2016
28.	श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितम्बर 2016 – 3 जनवरी 2017
29.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	4 जनवरी 2017 – 21 जनवरी 2018
30.	श्री विनय मित्तल	22 जनवरी 2018 – 19 जून 2018
31.	श्री अरविन्द सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून 2018 – 28 नवम्बर 2018
32.	श्री अरविन्द सक्सेना	28 नवम्बर 2018 – 07 अगस्त 2020
33.	प्रो0 (डॉ0) प्रदीप कुमार जोशी	07 अगस्त 2020 – 04 अप्रैल 2022
34.	श्री मनोज सोनी	05 अप्रैल 2022 – से वर्तमान तक

स्रोत : upsc.gov.in

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

नाम	कार्यकाल
जे.के. टण्डन	1950 - 1957
मिट्ठन लाल	1957 - 1960
लक्ष्मी प्रसाद निगम	20 सितम्बर, 1960 - 1964
आर. चन्द्रा	1964
कृष्ण चन्द्र पुरी	4 अप्रैल, 1964 - फरवरी, 1967
जगमोहन लाल सिन्हा	1 मार्च, 1967 - 6 मार्च, 1967
गुरूशरण लाल श्रीवास्तव	7 मार्च, 1967 - 14 जनवरी, 1968
कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव	15 जनवरी, 1968 - 7 फरवरी, 1968
ओम प्रकाश त्रिवेदी	8 फरवरी, 1968 - जनवरी, 1969
विशम्भर दयाल माथुर	फरवरी, 1969 - 24 मार्च, 1969
प्रेम प्रकाश	25 मार्च, 1969 - 3 सितम्बर, 1972
कैलाश नाथ गोयल	4 सितम्बर, 1972 - फरवरी, 1978
रमेश चन्द्र देव शर्मा	मई, 1978 - फरवरी, 1981
जगदीश चन्द्र पन्त	मई, 1981 - फरवरी, 1988
अखण्ड प्रताप सिंह	18 अप्रैल, 1988 - 27 सितम्बर, 1988
जगदीश चन्द्र पन्त	28 सितम्बर, 1988 - 11 फरवरी, 1990
कल्याण कुमार बक्शी	12 फरवरी, 1990 - 20 मार्च, 1992
मोहिन्दर सिंह	21 मार्च, 1992
शैवाल कुमार मुखर्जी	1 फरवरी, 1993 - 10 मई, 1994
डा. नूर मुहम्मद	12 मई, 1994 - 6 जनवरी, 2003
रवीन्द्र सिंह	19 फरवरी, 2003 - 18 सितम्बर, 2003
विजय शर्मा	24 सितम्बर, 2003 - 13 जून, 2005
अनुज कुमार बिश्नोई	27 अक्टूबर, 2005 - 24 सितम्बर, 2009
उमेश सिन्हा	24 सितम्बर, 2009 - 04 अप्रैल, 2015
अरुण सिंघल	20 अगस्त, 2015 - 29 जुलाई, 2016
टी. वेंकटेश	30 जुलाई, 2016 - 27 मार्च, 2017
लक्कू वेंकटेश्वरलू	04 अक्टूबर, 2017 से 08 अगस्त, 2019
अजय कुमार शुक्ला	08 अगस्त, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : जनपद सचिवालय, लखनऊ

राज्य निर्वाचन आयुक्त

क्र.सं.	आयुक्त/अध्यक्ष का नाम	तैनाती का समय
1.	श्री आर.डी. सोनकर	24 अप्रैल 1994 से 09 दिसम्बर 1996 तक
2.	डॉ. यशपाल सिंह	10 दिसम्बर 1996 से 09 दिसम्बर 2001 तक
3.	श्री अपरमिता प्रसाद सिंह	10 दिसम्बर 2001 से 31 मई 2007 तक
4.	श्री राजेन्द्र भौनवाल	01 जून 2007 से 04 अप्रैल 2012 तक
5.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल	11 अप्रैल, 2012 से 19 दिसम्बर 2017 तक
6.	श्री मनोज कुमार	18 जनवरी, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त

1. मा. श्री भवेश कुमार सिंह, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2. रिक्त, राज्य सूचना आयुक्त
3. मा. श्रीमती रचना पाल, राज्य सूचना आयुक्त
4. मा. श्री सुभाष चन्द्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
5. मा. श्री हर्षवर्धन शाही, राज्य सूचना आयुक्त
6. मा. श्री अजय कुमार उप्रेती, राज्य सूचना आयुक्त
7. मा. श्रीमती किरन बाला चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त
8. रिक्त, राज्य सूचना आयुक्त
9. मा. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राज्य सूचना आयुक्त
10. मा. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य सूचना आयुत्त
11. मा. श्री राजीव कपूर, राज्य सूचना आयुक्त

स्रोत : upsc.gov.in

उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष

क्र.स.	निगम का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	श्री मनोज कुमार
2.	उ.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	श्री जगदीश मिश्रा
3.	उ.प्र. बीज विकास निगम	श्री देवेश चतुर्वेदी
4.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं वि.नि.लि.	श्री हिमांशु कुमार
5.	उ.प्र. वक्फ़ विकास निगम लि.	श्री हिमांशु कुमार
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	श्री नितिन रमेश गोकर्ण
7.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	----------
8.	उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.	श्री अरविन्द कुमार
9.	यू.पी. डेस्को	श्री अरविन्द कुमार
10.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	श्री एम. देवराज
11.	यू.पी. पावर कारपोरेशन लि.	श्री एम. देवराज
12.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	श्री एम. देवराज
13.	यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.	श्री एम. देवराज
14.	उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	श्रीमती वीना कुमारी मीना
15.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	श्रीमती वीना कुमारी मीना
16.	उ.प्र. वन निगम	---
17.	उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
18.	यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि.	---
19.	उ.प्र. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि.	श्री अमित मोहन प्रसाद
20.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	श्री एच.आर. शर्मा
21.	पिकप	---
22.	उ.प्र. वित्तीय निगम	श्री अरविन्द कुमार
23.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	श्री अरविन्द कुमार
24.	यू.पी. स्टेट यार्न कम्पनी लि.	---
25.	उ.प्र. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि.	श्री अनिल गर्ग
26.	उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	---
28.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	श्री रमाकान्त निशाद
29.	उ.प्र. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
30.	उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	श्री बाबू राम निशाद
31.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	श्री नरेन्द्र भूषण
32.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	श्री नरेन्द्र भूषण
33.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं वि. नि. लि.	श्री लालजी प्रसाद निर्मल
34.	यू.पी.स्टेटकंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटकार लि	श्री हिमांशु कुमार
35.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	श्री हिमांशु कुमार
36.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना, बीज एवं वि. निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
37.	उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
38.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
39.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	श्री मुकेश कुमार मेश्राम
40.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी

स्त्रोत : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ.प्र. लखनऊ

कमांडर-इन-चीफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल सर रॉब, लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसम्बर, 1947
2. जनरल सर रॉय बूचर	1 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
3. जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
4. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल बिपिन रावत	01 जनवरी, 2020 - 8 दिसम्बर, 2021
2. जनरल अनिल चौहान	30 सितम्बर, 2022 - वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2023

थलसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
2. जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 7 मई, 1957
3. जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 - 7 मई, 1961
4. जनरल पी.एन. थापर	8 मई, 1961 - 19 नवम्बर, 1962
5. जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 - 7 जून, 1966
6. जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 - 7 जून, 1969
7. फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	8 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
9. जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 - 31 मई, 1978
10. जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 - 31 मई, 1981
11. जनरल के.वी. कृष्णा राव	1 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
12. जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
13. जनरल के. सुन्दरजी	1 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
14. जनरल वी.एन. शर्मा	1 जून, 1988 - 30 जून, 1990
15. जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	1 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
16. जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 - 19 नवम्बर, 1994
17. जनरल एस. रायचौधरी	20 नवम्बर, 1994 - 30 सितम्बर, 1997
18. जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 - 30 सितम्बर, 2000
19. जनरल एस. पद्मनाभन	1 अक्टूबर, 2000 - 30 सितम्बर, 2002
20. जनरल एन.सी. विज	31 दिसम्बर, 2002 - 31 जनवरी 2005
21. जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 - 30 सितम्बर 2007
22. जनरल दीपक कपूर	30 सितम्बर 2007 - 30 मार्च 2010
23. जनरल वी. के. सिंह	31 मार्च 2010 - 31 मई 2012
24. जनरल बिक्रम सिंह	1 जून 2012 - 31 जुलाई 2014
25. जनरल दलबीर सिंह	1 अगस्त 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
26. जनरल बिपिन रावत	1 जनवरी, 2017 - 31 दिसम्बर, 2019
27. जनरल एम.एम. नरवणे	31 दिसम्बर, 2019 - 30 अप्रैल 2022
28. जनरल मनोज पांडे	30 अप्रैल, 2022 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2023

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. रियर एडमिरल जे. टी. एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
2. एडमिरल सर एडवार्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
3. एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955
4. वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लइल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
5. वाइस एडमिरल आर. डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 4 जून, 1962
6. वाइस एडमिरल बी. एस. सोमन	4 जून, 1962 - 3 मार्च, 1966
7. एडमिरल ए. के. चटर्जी	3 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
8. एडमिरल एस. एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
9. एडमिरल एस. एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
10. एडमिरल जे. एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
11. एडमिरल आर. एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
12. एडमिरल ओ. एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवम्बर, 1984
13. एडमिरल आर. एच. तहिलियानी	30 नवम्बर, 1984 - 30 नवम्बर, 1987
14. एडमिरल जे. जी. नादकर्णी	30 नवम्बर, 1987 - 30 नवम्बर, 1990
15. एडमिरल एल. रामदास	30 नवम्बर, 1990 - 30 सितम्बर, 1993
16. एडमिरल वी. एस. शेखावत	30 सितम्बर, 1993 - 30 सितम्बर, 1996
17. एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितम्बर, 1996 - 30 दिसम्बर, 1998
18. एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसम्बर, 1998 - 29 दिसम्बर, 2001
19. एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
20. एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
21. एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
22. एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
23. एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
24. एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016
25. एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 से - 31 मई, 2019
26. एडमिरल करमबीर सिंह	31 मई, 2019 से - 30 नवम्बर, 2021
27. एडमिरल आर. हरि कुमार	30 नवम्बर, 2021 से - वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2023

वायुसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
2. एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसम्बर, 1951
3. एयर मार्शल सर जेराल्ड ई. गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 - 31 मार्च, 1954
4. एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954, - 08 नवम्बर, 1960
5. एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसम्बर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
6. एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
7. एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
9. एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
10. एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ	01 सितम्बर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
11. एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितम्बर, 1981 - 03 सितम्बर, 1984
12. एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे	04 सितम्बर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
13. एयर चीफ मार्शल डी. ए. ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
14. एयर चीफ मार्शल एस. के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
15. एयर चीफ मार्शल एन. सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
16. एयर चीफ मार्शल एस. के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसम्बर, 1995
17. एयर चीफ मार्शल एस. के. सरीन	31 दिसम्बर, 1995 - 31 दिसम्बर, 1998
18. एयर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपणीस	31 दिसम्बर, 1998 - 31 दिसम्बर, 2001
19. एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसम्बर, 2001 - 31 दिसम्बर, 2004
20. एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2007
21. एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
22. एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
23. एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसम्बर, 2013
24. एयर चीफ मार्शल अरुप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
25. एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ	01 जनवरी, 2017 - 30 सितम्बर, 2019
26. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया	30 सितम्बर, 2019 - 30 सितम्बर, 2021
27. एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी	30 सितम्बर, 2021 - से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2023

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग
श्री नरेन्द्र मोदी	प्रधानमंत्री, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो।

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह	रक्षा मंत्रालय
श्री अमित शाह	गृह मंत्रालय एवं सहकरिता मंत्रालय
श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्रालय
श्री अर्जुन मुण्डा	जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, एवं वस्त्र मंत्रालय
श्री धमेन्द्र प्रधान	शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी	संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय	भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
श्री गिरिराज सिंह	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्रालय
श्री नारायण तातू राणे	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री सर्बानन्द सोनोवाल	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	नागर विमानन मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव	रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री पशुपति कुमार पारस	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री किरण रिजिजू	भू-विज्ञान मंत्रालय
श्री राजकुमार सिंह	बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डॉ. मनसुख एल. मंडाविया	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्री पुरुषोत्तम रुपाला	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी	संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री राव इन्द्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना मंत्रालय

डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय

राज्य मंत्री

श्री राव इन्द्रजीत सिंह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

डॉ. जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय

श्री श्रीपद येस्सो नाइक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

श्री अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय

जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के.सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय

श्री कृष्ण पाल विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

श्री दानवे रावसाहेब रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय

श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय

डॉ. संजीव कुमार बालियान मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय

श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

डॉ. सत्यपाल सिंह बघेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सुश्री शोभा कारान्दलाजे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश वस्त्र मंत्रालय और रेल मंत्रालय

श्री वी. मुरलीधरन विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय

श्रीमती मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय

श्री सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जनजातीय कार्य मंत्रालय

श्री रामेश्वर तेली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्री कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय

श्री ए. नारायणस्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

श्री कौशल किशोर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

श्री अजय भटट रक्षा मंत्रालय और पयर्टन मंत्रालय

श्री बी.एल.वर्मा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय

श्री अजय कुमार गृह मंत्रालय

श्री चौहान देवूसिंह संचार मंत्रालय

श्री भगवंत खुबा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील पंचायतीराज मंत्रालय

सुश्री प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

डॉ. सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय

डॉ. भागवत किशनराव कराड वित्त मंत्रालय

उत्तर प्रदेश-2022

डॉ. राजकुमार रंजन सिंह	विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय
डॉ. भारती प्रवीण पवार	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री बिश्वेश्वर टुडु	जनजातीय कार्य मंत्रालय और जलशक्ति मंत्रालय
श्री शांतनु ठाकुर	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई	महिला और बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय
श्री जॉन बारला	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री निशिथ प्रामाणिक	गृह मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

स्रोत : - india.gov.in

उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
हाजी फजर्लुरहमान	सहारनपुर
प्रदीप कुमार	कैराना
संजीव कुमार बालियान	मुजफ्फरनगर
मलूक नागर	बिजनौर
गिरीश चन्द्र	नगीना (अ.जा.)
डॉ. एस.टी. हसन	मुरादाबाद
घनश्याम सिंह लोधी	रामपुर
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	सम्भल
कुंवर दानिश अली	अमरोहा
राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ
डॉ. सत्यपाल सिंह	बागपत
विजय कुमार सिंह	गाजियाबाद
डॉ. महेश शर्मा	गौतमबुद्धनगर
भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ.जा.)
सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़
राजवीर दिलेर	हाथरस (अ.जा.)
हेमा मालिनी	मथुरा
प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल	आगरा (अ.जा.)
राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी
डॉ. चन्द्र सेन जादौन	फिरोजाबाद
अखिलेश यादव	मैनपुरी
राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा
डॉ. संघमित्रा मौर्या	बदायूँ
धर्मेन्द्र कश्यप	आंवला
संतोष कुमार गंगवार	बरेली
फिरोज वरुण गांधी	पीलीभीत
अरुण कुमार सागर	शाहजहाँपुर (अ.जा.)
अजय कुमार	खीरी
रेखा वर्मा	धौरहरा
राजेश वर्मा	सीतापुर
जय प्रकाश	हरदोई (अ.जा.)
अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ.जा.)
स्वामी साक्षी जी महाराज	उन्नाव
कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ.जा.)
राजनाथ सिंह	लखनऊ
सोनिया गांधी	रायबरेली
स्मृति इरानी	अमेठी
मेनका संजय गांधी	सुल्तानपुर
संगम लाल गुप्ता	प्रतापगढ़
मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
डॉ. राम शंकर कठेरिया	इटावा (अ.जा.)
सुब्रत पाठक	कन्नौज
सत्यदेव पचौरी	कानपुर
देवेन्द्र सिंह 'भोले'	अकबरपुर
भानुप्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ.जा.)
अनुराग शर्मा	झाँसी
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर
आर.के. सिंह पटेल	बांदा
निरंजन ज्योति	फतेहपुर
विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ.जा.)
केशरी देवी पटेल	फूलपुर
रीता बहुगुणा जोशी	प्रयागराज
उपेन्द्र सिंह रावत	बाराबंकी (अ.जा.)
लल्लू सिंह	अयोध्या
रितेश पाण्डेय	अम्बेडकरनगर
अक्षयवर लाल	बहराइच (अ.जा.)
बृजभूषण शरण सिंह	कैसरगंज
राम शिरोमणि	श्रावस्ती
कीर्तिवर्धन सिंह	गोण्डा
जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज
हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	बस्ती
प्रवीन कुमार निषाद	सन्त कबीर नगर
पंकज चौधरी	महाराजगंज
रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रविकिशन-	गोरखपुर
विजय कुमार दुबे	कुशीनगर
रमापति राम त्रिपाठी	देवरिया
कमलेश पासवान	बांसगांव (अ.जा.)
संगीता आजाद	लालगंज (अ.जा.)
दिनेश लाल यादव निरहुआ	आजमगढ़
अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	घोसी
रविन्दर	सलेमपुर
वीरेन्द्र सिंह	बलिया
श्याम सिंह यादव	जौनपुर
भोलानाथ (बी.पी. सरोज)	मछलीशहर (अ.जा.)
अफजाल अंसारी	गाजीपुर
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	चन्दौली
नरेन्द्र मोदी	वाराणसी
रमेश चन्द्र	भदोही
अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर
पकौड़ी लाल कोल	राबर्ट्सगंज (अ.जा.)

स्रोतः–निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य

कार्यकाल : 02 अप्रैल 2024 तक

1. श्री अनिल अग्रवाल
2. श्री अनिल कुमार जैन
3. श्री सुधांशु त्रिवेदी
4. श्री अशोक बाजपेयी
5. श्रीमती कान्ता कर्दम
6. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हाराव
7. श्रीमती बच्चन जया अमिताभ
8. श्री विजय पाल सिंह तोमर
9. श्री सकलदीप
10. श्री हरनाथ सिंह यादव

कार्यकाल : 25 नवम्बर 2026 तक

11. श्री अरुण सिंह
12. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
13. श्री नीरज शेखर
14. श्री ब्रजलाल
15. प्रो. राम गोपाल यादव
16. श्री रामजी
17. श्री बी.एल. वर्मा
18. श्रीमती सीमा
19. श्री हरद्वार दुबे
20. श्री हरदीप सिंह पुरी

कार्यकाल : 04 जुलाई 2028 तक

21. श्री जयंत चौधरी
22. श्री जावेद अली खान
23. श्रीमती दर्शना सिंह
24. श्री बाबू राम निषाद
25. श्री मिथिलेश कुमार
26. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
27. डॉ. के. लक्ष्मण
28. डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी
29. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
30. श्रीमती संगीता यादव
31. श्री कपिल सिब्बल

स्रोत : निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग

श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं सख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उ०प्र० पुनर्गठनसमन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्ध, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग, पंचायती राज विभाग, धर्मार्थ कार्य।

श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण।

श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री

चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।

कैबिनेट मंत्री

Jhl qjs'kdqekj [kUUkk	वित्त, संसदीय कार्य।
Jhl wZ Zki 'kkgh	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
JhLorar nso fl ag	जल शक्ति, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन सिंचाई (यांत्रिक), लघु सिंचाई, परती भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण।
Jhersh cscshjkuhekSZ	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।
Jhy{ehukjk;.kpkSgjh	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
Jht ;ohj fl ag	पर्यटन एवं संस्कृति
Jh /keZ Zkyy fl ag	पशुधन, दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा।
JhuUh xkssky xqIrk ^nuUh*	औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर.आई., निवेश प्रोत्साहन
Jhvfuy jkt Hkj	श्रम, सेवायोजन, समन्वय।
Jhft fru izt ki	लोक निर्माण

नाम	विभाग
Jhjkds'k lpku	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग।
JhvjfoUh dqekj 'kekZ	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
Jh ;ksxs'kzmik/;k;*	उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
Jhvkfn'k iVsy	प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप।
Jhl a; fu'kkn	मत्स्य।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

Jhfufr vxzoky	आबकारी, मद्य निषेध
Jhdfiy nso vxzoky	व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास
Jhjohanzt k;l oky	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।
Jhl anhi fl ag	बेसिक शिक्षा।
Jhersh xqIrk bc nsoh	माध्यमिक शिक्षा
Jhfxjh'k pUnz ;kno	खेल, युवा कल्याण।
Jh/keZohj izt kifr	कारागार, होमगार्डस।
Jhvl hse v#.k	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
Jht ;ksxs'kzizt ki fl ag jkBkSM	सहकारिता।
Jhn;k'kadj fl ag	परिवहन।
Jhujs'kzdqekj d';i	पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
Jh fnus'k izt ki fl ag	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात।
Jhv#.kdqekj lDlsuk	वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, जलवायु परिवर्तन।

Jhn;k kadj feJ ^n;kyq आयुष, खाद्य (एम. ओ. एस.) सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।

राज्य मंत्री

Jhe;adsoj 'kj.kfl g संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।

Jh fnuskk [kVhd जल शक्ति।

Jhlafho xkoM समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण।

Jhcynso fl g vkSy [k कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।

Jhvt hr iky विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।

Jht lo Uz fl g lsh संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास।

Jhjkedskfu'kkn जल शक्ति।

Jheukgjy ky eUuwdkjh श्रम एवं सेवायोजन।

Jhlat ; xaokj गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।

Jhct skfl g लोक निर्माण।

Jhdsh efyd वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।

Jhlq jsskjkgh कारागार।

Jhlkeskhzrkej ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा।

Jhvuwi zkku ^okYeh fd ** राजस्व।

Jhermhizrhk'kDy k महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।

JhjkdskjkBkS xqIr नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।

Jhermjt uhfrokjh उच्च शिक्षा।

Jhlrhkpuhz'kekZ खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति।

Jhnkfu'kvkt kn vatkjh अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।

Jhermhfot ; y{ehxkSe ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण।

स्रोतः गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश (31.08.2022 तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य

(दिनांक 13 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार)

सदस्य

विधानसभा	निर्वाचित सदस्य
भारतीय जनता पार्टी (255 सदस्य)	
1. गोण्डा	श्री अजय
2. बस्ती	श्री अजय सिंह
3. गाजियाबाद	श्री अजीत पाल त्यागी
4. कानपुर देहात	श्री अजीत सिंह पाल
5. गाजियाबाद	श्री अतुल गर्ग
6. रायबरेली	श्रीमती अदिति सिंह
7. बुलन्दशहर	श्री अनिल कुमार
8. सोनभद्र	डॉ. अनिल कुमार मौर्य
9. उन्नाव	श्री अनिल कुमार सिंह
10. अलीगढ़	श्री अनिल पाराशर
11. वाराणसी	श्री अनिल राजभर
12. बहराइच	श्रीमती अनुपमा जायसवाल
13. मिर्जापुर	श्री अनुराग सिंह
14. अलीगढ़	श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि
15. हाथरस	श्रीमती अंजुला सिंह माहौर
16. कानपुर नगर	श्री अभिजीत सिंह 'सांगा'
*17. खीरी (लखीमपुर)	श्री अमन गिरि
18. लखनऊ	श्री अमरेश कुमार
19. मेरठ	श्री अमित अग्रवाल
20. अयोध्या	श्री अमित सिंह चौहान
21. बरेली	डॉ. अरुण कुमार
22. कन्नौज	श्रीमती अर्चना पाण्डेय
23. हरदोई	श्रीमती अलका सिंह
24. वाराणसी	डॉ. अवधेश सिंह
25. रायबरेली	श्री अशोक कुमार
26. बिजनौर	श्री अशोक कुमार राणा
27. कन्नौज	श्री असीम अरुण
28. कुशीनगर	श्री असीम कुमार
**29. रामपुर	(हनी) श्री आकाश सक्सेना
30. गोरखपुर	श्री आदित्यनाथ
31. सीतापुर	श्रीमती आशा मौर्य
32. हरदोई	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'
33. लखनऊ	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'
34. उन्नाव	श्री आशुतोष शुक्ल
35. बरेली	श्री एम.पी.आर्य
36. बिजनौर	श्री ओम कुमार
37. बांदा	श्रीमती ओममणी वर्मा
38. संतकबीरनगर	श्री अंकुर तिवारी
39. मुजफ्फरनगर	श्री कपिल देव अग्रवाल
40. सहारनपुर	श्री किरत सिंह
41. बलिया	श्रीमती केतकी सिंह
42. चन्दौली	श्री कैलाश
43. बलरामपुर	श्री कैलाश नाथ
44. कन्नौज	श्री कैलाश राजपूत
45. बागपत	श्री कृष्णपाल मलिक
46. फतेहपुर	श्रीमती कृष्णा पासवान
47. संतकबीरनगर	श्री गणेश चन्द्र
48. जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव
49. औरैया	श्रीमती गुड़िया कठेरिया
50. प्रयागराज	श्री गुरु प्रसाद मौर्य
51. सम्भल	श्रीमती गुलाब देवी
52. जालौन	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)
53. बुलन्दशहर	श्री चंद्रपाल सिंह
54. शाहजहाँपुर	श्री चेतराम
55. आगरा	श्री छोटे लाल वर्मा
56. लखनऊ	श्रीमती जय देवी
57. पीलीभीत	श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द
58. देवरिया	श्री जय प्रकाश निषाद
59. सिद्धार्थनगर	श्री जय प्रताप सिंह
60. महाराजगंज	श्री जयमंगल
61. मैनपुरी	श्री जयवीर सिंह
62. झांसी	श्री जवाहर लाल राजपूत
63. आगरा	डॉ. जी.एस. धर्मेश
64. अलीगढ़	श्री ठाकुर जयवीर सिंह
65. बरेली	डॉ. डी.सी.वर्मा
66. गौतमबुद्धनगर	श्री तेजपाल सिंह नागर
67. बलिया	श्री दयाशंकर सिंह
68. मेरठ	श्री दिनेश कुमार
69. बाराबंकी	श्री दिनेश रावत
70. भदोही	श्री दीनानाथ भाष्कर
71. देवरिया	श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका'
72. सहारनपुर	श्री देवेन्द्र कुमार निम
73. कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह
74. बुलन्दशहर	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी
75. बरेली	श्री धर्मपाल सिंह
76. आगरा	डॉ. धर्मपाल सिंह
77. हापुड़	श्री धर्मेश सिंह तोमर

* दिनांक 06 नवम्बर को सम्पन्न उपचुनाव में निर्वाचित
** दिनांक 08 दिसम्बर को सम्पन्न उपचुनाव में निर्वाचित

78. गोतमबद्धनगर — श्री धीरेन्द्र सिंह
79. गाजियाबाद — श्री नन्दकिशोर
80. प्रयागराज — श्री नन्दगोपाल गुप्ता 'नन्दी'
81. फर्रुखाबाद — श्री नागेन्द्र सिंह राठौर
82. हरदोई — श्री नितिन अग्रवाल
83. सीतापुर — श्री निर्मल वर्मा
84. लखनऊ — डॉ. नीरज बोरा
85. वाराणसी — डॉ. नीलकण्ठ तिवारी
86. वाराणसी — श्री नील रतन सिंह
87. कानपुर नगर — श्रीमती नीलिमा कटियार
88. उन्नाव — श्री पंकज गुप्ता
89. गौतमबुद्धनगर — श्री पंकज सिंह
90. कुशीनगर — श्री पंचानन्द पाठक (पी.एन.पाठक)
91. बलरामपुर — श्री पल्टूराम
92. प्रयागराज — श्री पीयूष रंजन निषाद
93. आगरा — श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल
94. कानपुर देहात — श्रीमती पूनम संखवार
95. मथुरा — श्री पूरन प्रकाश
96. बांदा — श्री प्रकाश द्विवेदी
97. कानपुर देहात — श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
98. गोण्डा — श्री प्रतीक भूषण सिंह
99. बुलन्दशहर — श्री प्रदीप कुमार चौधरी
100. गोरखपुर — श्री प्रदीप शुक्ला
101. गोण्डा — श्री प्रभात कुमार वर्मा
102. हरदोई — श्री प्रभाष कुमार
103. प्रयागराज — श्री प्रवीण पटेल
104. गोण्डा — श्री प्रेम नारायन पाण्डेय
105. फिरोजाबाद — श्री प्रेम पाल सिंह धनगर
106. महाराजगंज — श्री प्रेम सागर पटेल
107. गोरखपुर — श्री फतेह बहादुर
108. उन्नाव — श्री बम्बा लाल
109. रामपुर — श्री बल्देव सिंह औलख
110. पीलीभीत — श्री बाबूराम
111. आगरा — श्री बाबूलाल
112. गोण्डा — श्री बावन सिंह
113. देवरिया — श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम
114. हाथरस — श्री बीरेन्द्र सिंह राणा
115. उन्नाव — श्री बृजेश कुमार
116. आगरा — श्रीमती बेबीरानी मौर्य
117. महोबा — श्री ब्रजभूषण राजपूत
118. लखनऊ — श्री ब्रजेश पाठक
119. सहारनपुर — श्री ब्रिजेश
120. आगरा — श्री भगवान सिंह कुशवाहा
121. सोनभद्र — श्री भूपेश चौबे
122. फिरोजाबाद — श्री मनीष असीजा
123. कुशीनगर — श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू
124. सीतापुर — श्री मनीष रावत
125. हमीरपुर — श्रीमती मनीषा
126. हमीरपुर — डॉ. मनोज कुमार प्रजापति
127. ललितपुर — श्री मनोहर लाल
128. गाजियाबाद — डॉ. मंजू शिवाच
129. अमेठी — श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
130. अमरोहा — श्री महेन्द्र
131. गोरखपुर — श्री महेन्द्र पाल सिंह
132. बदायूँ — श्री महेश चन्द्र गुप्ता
133. कानपुर नगर — श्री महेश त्रिवेदी
134. हरदोई — श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह
135. शाहजहाँपुर — श्री मानवेन्द्र सिंह
136. बुलन्दशहर — श्रीमती मीनाक्षी सिंह
137. सहारनपुर — श्री मुकेश चौधरी
138. अलीगढ़ — श्रीमती मुक्ता संजीव राजा
139. जालौन — श्री मूल चन्द्र सिंह
140. मथुरा — श्री मेघश्याम
141. कुशीनगर — श्री मोहन वर्मा
*142. कानपुर नगर — श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'
143. खीरी — श्रीमती मंजू त्यागी
144. आगरा — श्री योगेन्द्र उपाध्याय
145. बागपत — श्री योगेश धामा
146. खीरी — श्री योगेश वर्मा
147. लखनऊ — श्री योगेश शुक्ला
148. हरदोई — श्रीमती रजनी तिवारी
149. मिर्जापुर — श्री रत्नाकर मिश्रा
150. गोण्डा — श्री रमापति शास्त्री
151. मिर्जापुर — श्री रमा शंकर सिंह
152. जौनपुर — श्री रमेश चन्द्र मिश्र
153. चन्दौली — श्री रमेश जायसवाल
154. झाँसी — श्री रवि शर्मा
155. वाराणसी — श्री रवीन्द्र जायसवाल
156. अलीगढ़ — श्री रवेन्द्र पाल सिंह
157. महोबा — श्री राकेश कुमार गोस्वामी
158. सीतापुर — श्री राकेश राठौर
159. कानपुर देहात — श्री राकेश सचान
160. बरेली — डॉ. राघवेन्द्र शर्मा
161. अलीगढ़ — श्री राजकुमार सहयोगी
162. सुल्तानपुर — श्री राज प्रसाद उपाध्याय
163. रामपुर — श्रीमती राजबाला सिंह
164. प्रयागराज — श्री राजमणि
165. अमरोहा — श्री राजीव कुमार
166. सहारनपुर — श्री राजीव गुम्बर
167. बदायूँ — श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया
168. झाँसी — श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा'
169. प्रतापगढ़ — श्री राजेन्द्र कुमार

* दिनांक 08 दिसम्बर को सम्पन्न उपचुनाव में निर्वाचित

170. फतेहपुर — श्री राजेन्द्र सिंह पटेल
171. सुल्तानपुर — श्री राजेश कुमार गौतम
172. मथुरा — श्री राजेश चौधरी
173. गोरखपुर — श्री राजेश त्रिपाठी
174. लखनऊ — श्री राजेश्वर सिंह
175. आगरा — श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह
176. सीतापुर — श्री रामकृष्ण भार्गव
177. बांदा — श्री रामकेश निषाद
178. अयोध्या — श्री रामचन्द्र यादव
179. सोनभद्र — श्री राम दुलार
180. मैनपुरी — श्री राम नरेश अग्निहोत्री
181. हरदोई — श्री रामपाल वर्मा
182. बलरामपुर — श्री राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा
183. श्रावस्ती — श्री राम फेरन पाण्डेय
184. मऊ — श्री राम बिलाश चौहान
185. ललितपुर — श्री राम रतन कुशवाहा
186. मुरादाबाद — श्री रितेश कुमार गुप्ता
187. मथुरा — श्री लक्ष्मी नारायण
188. बुलन्दशहर — श्री लक्ष्मीराज सिंह
189. खीरी — श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह
190. फतेहपुर — श्री विकास गुप्ता
191. हापुड़ — श्री विजयपाल (आढ़ती)
192. गोण्डा — श्री विनय कुमार द्विवेदी
193. कुशीनगर — श्री विनय प्रकाश गोंड
194. खीरी — श्री विनोद शंकर अवस्थी
195. सुल्तानपुर — श्री विनोद सिंह
196. एटा — श्री विपिन कुमार डेविड
197. गोरखपुर — श्री विपिन सिंह
198. गोरखपुर — डॉ. विमलेश पासवान
199. पीलीभीत — श्री विवेक कुमार वर्मा
200. शाहजहाँपुर — (प्रिंस) श्री वीर विक्रम सिंह
201. एटा — श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी
202. अयोध्या — श्री वेद प्रकाश गुप्ता
203. देवरिया — श्री शलभ मणि त्रिपाठी
204. सीतापुर — श्री शशांक त्रिवेदी
205. खीरी — श्री शशांक वर्मा
206. हरदोई — श्री श्याम प्रकाश
207. बरेली — प्रो. श्याम बिहारी लाल
208. सिद्धार्थनगर — श्री श्यामधनी राही
209. उन्नाव — श्री श्रीकांत कटियार
210. गोरखपुर — श्री श्रीराम चौहान
211. मथुरा — श्री श्रीकांत शर्मा
212. बाराबंकी — श्री सतीश चन्द्र शर्मा
213. कानपुर नगर — श्री सतीश महाना
214. एटा — श्री सत्यपाल सिंह राठौर
215. देवरिया — श्री सभाकुंवर
216. गोरखपुर — इंजी. सरवन कुमार निषाद
217. इटावा — श्रीमती सरिता भदैरिया
218. बहराइच — श्रीमती सरोज सोनकर
219. शाहजहाँपुर — श्रीमती सलोना कुशवाहा
220. बाराबंकी — श्री साकेन्द्र प्रताप
221. प्रयागराज — श्री सिद्धार्थनाथ सिंह
222. सुल्तानपुर — श्री सीताराम वर्मा
223. बिजनौर — श्रीमती सुचि
224. गाजियाबाद — श्री सुनील कुमार शर्मा
225. फर्रुखाबाद — श्री सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर
226. बहराइच — श्री सुभाष त्रिपाठी
227. कुशीनगर — श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा
228. देवरिया — श्री सुरेन्द्र चौरसिया
229. कानपुर नगर — श्री सुरेन्द्र मैथानी
230. अमेठी — श्री सुरेश कुमार
231. शाहजहाँपुर — श्री सुरेश कुमार खन्ना
232. सीतापुर — श्री सुरेश राही
233. बहराइच — श्री सुरेश्वर सिंह
234. बिजनौर — कुंवर सुशांत सिंह
235. फर्रुखाबाद — श्री सुशील कुमार शाक्य
236. चन्दौली — श्री सुशील सिंह
237. देवरिया — श्री सूर्य प्रताप शाही
238. मेरठ — डॉ. सोमेन्द्र सिंह तोमर
239. वाराणसी — श्री सौरभ श्रीवास्तव
240. खीरी — श्री सौरभ सिंह सोनू
241. बुलन्दशहर — श्री संजय कुमार शर्मा
242. पीलीभीत — श्री संजय सिंह गंगवार
243. बरेली — श्री संजीव अग्रवाल
244. सोनभद्र — श्री संजीव कुमार गोंड
245. एटा — श्री संजीव कुमार दिवाकर
246. अलीगढ़ — श्री संदीप कुमार सिंह
247. खीरी — श्री हरविन्द कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी
248. कासगंज — श्री हरिओम
249. शाहजहाँपुर — श्री हरिप्रकाश वर्मा
250. बदायूँ — श्री हरीश चन्द्र
251. हापुड़ — श्री हरेन्द्र सिंह
252. प्रयागराज — श्री हर्षवर्धन बाजपेयी
253. वाराणसी — श्री त्रिभुवन राम
254. सीतापुर — श्री ज्ञान तिवारी
255. महाराजगंज — श्री ज्ञानेन्द्र सिंह

समाजवादी पार्टी (109 सदस्य)

1. आजमगढ़ — श्री अखिलेश
2. मैनपुरी — श्री अखिलेश यादव

3.	बरेली	श्री अताउर रहमान
4.	मेरठ	श्री अतुल प्रधान
5.	चित्रकूट	श्री अनिल कुमार अनिल प्रधान
6.	सीतापुर	श्री अनिल कुमार वर्मा
7.	अयोध्या	श्री अभय सिंह
8.	कानपुर नगर	श्री अमिताभ वाजपेयी
9.	लखनऊ	श्री अरमान खान
10.	अयोध्या	श्री अवधेश प्रसाद
11.	बहराइच	श्री आनन्द कुमार यादव
12.	प्रतापगढ़	डॉ. आर. के. वर्मा
13.	आजमगढ़	श्री आलमबदी
14.	बदायूँ	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू
15.	सहारनपुर	श्री आशू मलिक
16.	सम्भल	श्री इकबाल महमूद
17.	कौशाम्बी	श्री इन्द्रजीत सरोज
18.	श्रावस्ती	श्रीमती इन्द्राणी देवी
19.	कानपुर नगर	हाजी इरफान सोलंकी
20.	सहारनपुर	श्री उमर अली खान
21.	फतेहपुर	श्रीमती ऊषा मौर्या
22.	गाजीपुर	श्री ओम प्रकाश
23.	गाजीपुर	श्री अंकित भारती
24.	आजमगढ़	श्री कमलाकांत राजभर उर्फ पप्पू
25.	मुरादाबाद	श्री कमाल अख्तर
26.	बस्ती	श्री कविन्द्र चौधरी
27.	प्रयागराज	श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)
28.	बाराबंकी	श्री गौरव कुमार
29.	फतेहपुर	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)
30.	बलिया	श्री जय प्रकाश अंचल
31.	भदोही	श्री जाहीद
32.	बलिया	श्री जियाउद्दीन रिजवी
33.	मुरादाबाद	श्री जियाउर्रहमान
34.	गाजीपुर	श्री जैकिशन साहू
35.	बिजनौर	श्री तसलीम अहमद
36.	जौनपुर	श्री तुफानी सरोज
37.	मऊ	श्री दारा सिंह चौहान
38.	आजमगढ़	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
39.	रायबरेली	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
40.	बाराबंकी	श्री धर्मराज सिंह यादव
41.	आजमगढ़	श्री नफीस अहमद
42.	मुरादाबाद	श्री नवाब जान
43.	रामपुर	श्री नसीर अहमद खां
44.	कासगंज	श्रीमती नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया
45.	शामली	श्री नाहिद हसन
46.	कौशाम्बी	डॉ. पल्लवी पटेल
47.	सम्भल	श्रीमती पिंकी सिंह
48.	आजमगढ़	श्रीमती पूजा
49.	कौशम्बी	श्रीमती पूजा पाल
50.	जौनपुर	श्री पंकज
51.	मुजफफरनगर	श्री पंकज कुमार मलिक
52.	औरैया	श्री प्रदीप कुमार यादव
53.	चन्दौली	श्री प्रभू नारायण सिंह यादव
54.	बाराबंकी	श्री फरीद महफूज किदवई
55.	आजमगढ़	श्री बेचई सरोज
56.	मैनपुरी	इंजी. बृजेश कठेरिया
57.	बदायूँ	श्री ब्रजेश यादव
58.	रायबरेली	श्री मनोज कुमार पाण्डेय
59.	बिजनौर	श्री मनोज कुमार पारस
60.	अमरोहा	श्री महबूब अली
61.	अमेठी	श्रीमती महाराजी प्रजापति
62.	बस्ती	श्री महेन्द्र नाथ यादव
63.	सिद्धार्थनगर	श्री माता प्रसाद पाण्डेय
64.	बहराइच	श्रीमती मारिया अली
65.	फिरोजाबाद	श्री मुकेश वर्मा
66.	सुल्तानपुर	श्री मो. ताहिर खान
67.	कानपुर नगर	श्री मोहम्मद हसन (रूमी)
68.	मुरादाबाद	श्री मोहम्मद फहीम इरफान
69.	मेरठ	श्री रफीक अंसारी
70.	आजमगढ़	श्री रमाकांत यादव
71.	लखनऊ	श्री रविदास मेहरोत्रा
72.	अमेठी	श्री राकेश प्रताप सिंह
73.	अम्बेडकरनगर	श्री राकेश पाण्डेय
74.	जौनपुर	डॉ. रागिनी
75.	इटावा	श्री राघवेन्द्र कमार सिंह
76.	मऊ	श्री राजेन्द्र कुमार
77.	बस्ती	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
78.	अम्बेडकरनगर	श्री राम अचल राजभर
79.	बिजनौर	श्री राम अवतार सिंह
80.	सम्भल	श्री राम खिलाड़ी सिंह
81.	अम्बेडकरनगर	श्री राम मूर्ति वर्मा
82.	प्रतापगढ़	श्री राम सिंह
83.	रायबरेली	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी
84.	औरैया	श्रीमती रेखा वर्मा
85.	जौनपुर	श्री लकी यादव
86.	अम्बेडकरनगर	श्री लालजी वर्मा
87.	प्रयागराज	श्रीमती विजमा यादव
88.	जालौन	श्री विनोद चतुर्वेदी
89.	गाजीपुर	श्री विरेन्द्र कुमार यादव
90.	बांदा	श्री विशम्भर सिंह यादव
91.	बरेली	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी
92.	रायबरेली	श्री श्याम सुन्दर
93.	मेरठ	श्री शाहिद मंजूर

94. बलरामपुर — डॉ. शिव प्रताप यादव
95. इटावा — श्री शिवपाल सिंह यादव
96. अमरोहा — श्री समरपाल सिंह
97. फिरोजाबाद — श्री सचिन यादव
98. बिजनौर — श्री स्वामी ओउमवेश
99. फिरोजाबाद — श्री सर्वेश सिंह
100. गाजीपुर — श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी
101. सिद्धार्थनगर — श्रीमती सैय्यदा खातून
102. आजमगढ़ — डॉ. संग्राम यादव
103. बलिया — श्री संग्राम सिंह
104. प्रयागराज — श्री संदीप सिंह
105. प्रयागराज — श्री हाकिम लाल बिन्द
106. मुरादाबाद — श्री हाजी नासिर कुरैशी
107. बदायूं — श्री हिमांशु यादव
108. आजमगढ़ — डॉ. हृदय नारायण सिंह पटेल
109. अम्बेडकरनगर — श्री त्रिभुवन दत्त

अपना दल(सोनेलाल)-11

1. चित्रकूट — श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी
2. जौनपुर — डॉ. आर.के.पटेल
3. फतेहपुर — श्री जय कुमार सिंह जैकी
4. प्रतापगढ़ — श्री जीत लाल पटेल
5. झांसी — डॉ. रश्मि आर्य
6. बहराइच — श्री राम निवास वर्मा
7. प्रयागराज — श्री वाचस्पति
8. सिद्धार्थनगर — श्री विनय वर्मा
9. कानपुर नगर — श्रीमती सरोज कुरील
10. वाराणसी — डॉ. सुनील पटेल
11. फर्रुखाबाद — डॉ. सुरभी

राष्ट्रीय लोकदल-09

1. बागपत — श्री अजय कुमार
2. मुजफफरनगर — श्री अनिल कुमार
3. शामली — श्री अशरफ अली खान
4. मेरठ — श्री गुलाम मौहम्मद
5. मुजफ्फरनगर — श्री चन्दन चौहान
6. हाथरस — श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. शामली — श्री प्रसन्न कुमार
*8. मुजफफरनगर — श्री मदन भैया
9. मुजफफरनगर — श्री राजपाल सिंह बालियान

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आमदल-06

1. सन्तकबीरनगर — श्री अनिल कुमार त्रिपाठी
2. महाराजगंज — श्री ऋषि त्रिपाठी
3. जौनपुर — श्री रमेश
4. मिर्जापुर — डॉ. विनोद कुमार बिन्द
5. भदोही — श्री विपुल दुबे
6. कुशीनगर — श्री विवेकानन्द पाण्डेय

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-06

1. मऊ — श्री अब्बास अंसारी
2. गाजीपुर — श्री ओम प्रकाश राजभर
3. जौनपुर — श्री जगदीश नारायण
4. बस्ती — श्री दूधराम
5. गाजीपुर — श्री बेदी
6. बलिया — श्री हंसु राम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-02

1. प्रतापगढ़ — श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
2. महाराजगंज — श्री वीरेन्द्र चौधरी

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी-02

1. प्रतापगढ़ — श्री रघुराज प्रताप सिंह
2. प्रतापगढ़ — श्री विनोद कुमार

बहुजन समाज पार्टी-01

1. बलिया — श्री उमाशंकर सिंह

रिक्त-02

** 1-395-छानबे, जिला मिर्जापुर
***2-34-स्वार, जिला रामपुर

●

* दिनांक 08 दिसम्बर को सम्पन्न उपचुनाव में निर्वाचित।

** निर्वाचन क्षेत्र संख्या-395, छानबे, जिला-मिर्जापुर से निर्वाचित मा. सदस्य श्री राहुल प्रकाश कोल का निधन दिनांक 02 फरवरी 2023 को हो जाने के कारण दिनांक 02 फरवरी, 2023 से रिक्त।

*** निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34, स्वार, जिला-रामपुर से निर्वाचित मा. सदस्य श्री मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को 2 वर्ष के कारागार से दण्डित किये जाने के कारण 13 फरवरी, 2023 से रिक्त।

उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य

कार्यकाल : 05 मई, 2024 तक

1. श्री यशवन्त
2. श्री विजय बहादुर पाठक
3. श्री विद्या सागर सोनकर
4. डॉ. सरोजनी अग्रवाल
5. श्री नरेश चन्द्र उत्तम
6. श्री भीमराव अम्बेडकर
7. श्री आशीष पटेल
8. श्री अशोक कटारिया
9. श्री अशोक धवन
10. श्री बुक्कल नवाब
11. डॉ. महेन्द्र कुमार सिंह
12. श्री मोहसिन रजा
13. श्रीमती निर्मला पासवान

कार्यकाल : 06 दिसम्बर, 2026 तक

14. श्री उमेश द्विवेदी
15. श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
16. श्री श्रीचन्द शर्मा
17. डॉ. आकाश अग्रवाल
18. डॉ. हरी सिंह ढिल्लों
19. इंजी. श्री अवनीश कुमार सिंह
20. श्री आशुतोष सिन्हा
21. डॉ. मान सिंह यादव
22. डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, ''गुरू जी''
23. श्री दिनेश कुमार गोयल
24. श्री लाल बिहारी यादव

कार्यकाल : 30 जनवरी, 2027 तक

25. श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह
26. डॉ. दिनेश शर्मा
27. श्री स्वतंत्र देव
28. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह
29. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
30. श्री अश्विनी त्यागी
31. श्री गोविन्द नारायण
32. श्री धर्मवीर प्रजापति
33. श्री सलिल विश्नोई
34. श्री सुरेन्द्र चौधरी
35. श्री राजेन्द्र चौधरी

कार्यकाल : 26 सितम्बर, 2027 तक

36. श्री जितिन प्रसाद
37. श्री संजय कुमार निषाद
38. श्री वीरेन्द्र सिंह
39. श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान

कार्यकाल : 12 अप्रैल, 2028 तक

40. श्री सत्यपाल सिंह
41. श्री कुँवर महाराज सिंह
42. श्री वागीश पाठक
43. श्री डॉ. सुधीर गुप्ता
44. श्री अशोक अग्रवाल
45. श्री अनूप कुमार गुप्ता
46. श्री पवन कुमार सिंह
47. श्री राम चन्द्र प्रधान
48. श्री दिनेश प्रताप सिंह
49. श्री अक्षय प्रताप सिंह
50. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह
51. श्री अंगद कुमार सिंह
52. श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी
53. श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह
54. श्री हरि ओम पाण्डेय
55. श्री सुभाष यदुवंश
56. श्री सी.पी. चन्द
57. श्री डॉ. रतन पाल सिंह

58. श्री विक्रान्त सिंह उर्फ रिशु
59. श्री रविशंकर सिंह ''पप्पू भैया''
60. श्री विशाल सिंह ''चंचल''
61. श्री बृजेश कुमार सिंह ''प्रिन्सू''
62. श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह
63. श्री श्याम नरायन सिंह
64. श्री डॉ. के. पी. श्रीवास्तव
65. श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर
66. श्रीमती रमा निरंजन
67. श्री अविनाश सिंह चौहान
68. श्री प्रॉशु दत्त द्विवेदी
69. श्री विजय शिवहरे
70. श्री अशीष कुमार यादव
71. श्री ओम प्रकाश सिंह
72. श्री ऋषिपाल सिंह
73. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
74. श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज
75. श्रीमती वन्दना वर्मा

कार्यकाल : 06 जुलाई, 2028 तक

76. श्री केशव प्रसाद मौर्या
77. श्री भूपेन्द्र सिंह
78. श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर
79. श्री जसवन्त सिंह सैनी
80. डॉ. दयाशंकर मिश्रा "दयालू"
81. श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप
82. श्री मुकेश शर्मा
83. श्री मुहम्मद दानिश
84. श्री मुकुल यादव
85. श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी
86. श्री शाहनवाज खान
87. श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

कार्यकाल : 12 फरवरी, 2029 तक

88. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
89. श्री अरूण पाठक
90. डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त
91. श्री राजबहादुर सिंह चन्देल
92. डॉ. बाबू लाल तिवारी

कार्यकाल : 02 अप्रैल, 2029 तक

93. श्री रजनीकांत महेश्वरी
94. श्री साकेत मिश्रा
95. श्री लालजी निर्मल
96. श्री तारिक मंसूर
97. श्री राम सूरज राजभर
98. श्री हंसराज विश्वकर्मा

रिक्त- 02 उ.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

स्रोत : विधान परिषद सचिवालय, उ.प्र. (दिनांक 05 अप्रैल 2023, तक संशोधित)

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

नाम		वर्ष
1. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	1954
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	1954
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970)	1954
4. डॉ. भगवान दास	(1869-1958)	1955
5. डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	1955
6. पं. जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	1955
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961)	1957
8. डॉ. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	1958
9. डॉ. बिधानचंद्र रॉय	(1882-1962)	1961
10. श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	(1882-1962)	1961
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963)	1962
12. डॉ. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969)	1963
13. डॉ. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	1963
14. श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966)	1966
15. श्रीमती इंदिरा गांधी	(1917-1984)	1971
16. श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	(1894-1980)	1975
17. श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975)	1976
18. मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सहियू (मदर टेरेसा)	(1910-1997)	1980
19. आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982)	1983
20. खान अब्दुल गफ़्फार खाँ	(1890-1988)	1987
21. श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987)	1988
22. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956)	1990
23. डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	(1918-2013)	1990
24. श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991)	1991

	(जन्म-मृत्यु)	
25. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950)	1991
26. श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995)	1991
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत)	(1888-1958)	1992
28. श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
29. श्री सत्यजीत राय (मरणोपरांत)	(1922-1992)	1992
30. श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1998)	1997
31. श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
32. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(1931-2015)	1997
33. श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी	(1916-2005)	1998
34. श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
35. लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
36. प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
37. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
38. पंडित रविशंकर	(1920-2012)	1999
39. सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर	(जन्म 1929)	2001
40. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001
41. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	(1922-2011)	2009
42. प्रो. सी.एन.आर. राव	(जन्म 1934)	2014
43. श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	(जन्म 1973)	2014
44. पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत)	(1861-1946)	2015
45. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(1924-2018)	2015
46. श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत)	(1916-2010)	2019
47. डॉ० भूपेन हजारिका (मरणोपरांत)	(1926-2011)	2019
48. श्री प्रणब मुखर्जी	(1935-2020)	2019

स्रोत : भारत- 2023

नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक *'गीतांजलि'* के लिए सन् 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ0 चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि ा से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

हरगोबिंद खुराना (1922-2011)

हरगोबिन्द खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ0 खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मदर टेरेसा (1910-1997)

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन् 1928 में वह डाल्विन में आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर सन् 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुःख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ

बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शान्ति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

भारत में जन्मे इस खगोल भौतिकी विज्ञानी को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़े सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ' यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं।

वेंकटरमण रामकृष्णन (जन्म 1952)

वेंकटरमण रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरमण तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ष 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने वर्ष 1976 से 1978 तक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954)

कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कैरियर को तिलांजलि देते हुए 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

अभिजीत विनायक बनर्जी (जन्म 1961)

मुम्बई में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जीता था। श्री बनर्जी आधे बंगाली और आधे कोंकणी है और कैंब्रिज स्थित मेस्साचुसेट इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गये और 1988 में अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईशर डफ्लो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया।

स्रोत : भारत- 2023

प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

दिनांक	दिवस का नाम
जनवरी 10	विश्व हास्य दिवस
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस
जनवरी 15	थल सेना दिवस
जनवरी 24	उ०प्र० दिवस
जनवरी 26	गणतंत्र दिवस
जनवरी 30	शहीद दिवस
फरवरी 24	सेंट्रल एक्साइज दिवस
फरवरी 28	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मार्च 8	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मार्च 15	विश्व विकलांग दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च 18	आर्डनेंस फैक्ट्री डे (भारत)
मार्च 21	विश्व वन्य दिवस
मार्च 21	विश्व रंगभेद समाप्ति के लिये दिवस
मार्च 22	विश्व जल दिवस
अप्रैल 5	नेशनल मैरिटाइम डे
अप्रैल 17	वर्ल्ड हीमोफीलिया डे
अप्रैल 18	वर्ल्ड हेरिटेज डे आजाद हिन्द फौज स्थापना दिवस
अप्रैल 21	सेक्रेट्रीज डे
अप्रैल 22	पृथ्वी दिवस
मई 1	श्रमिक दिवस
मई 3	अर्न्तराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
मई का द्वितीय रविवार	माँ दिवस
मई 8	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड रेड क्रास डे
मई 9	वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
मई 11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
मई 13	इंटर्नेशनल नर्स डे
मई 15	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
मई 17	विश्व दूरसंचार दिवस
मई 24	कामनवेल्थ डे
मई 30	पत्रकारिता दिवस
मई 31	एंटी टोबैको डे
जून 4	अबोध बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
जून 5	विश्व पर्यावरण दिवस
जून 20	पिता दिवस
जून 21	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
जून 26	इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग

दिनांक	दिवस का नाम
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस
जुलाई 22	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
जुलाई 28	वन महोत्सव दिवस
अगस्त 1	विश्व स्तन पान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस
अगस्त 6	हिरोशिमा दिवस (विश्व शान्ति दिवस)
अगस्त 9	भारत छोड़ो दिवस, नागासाकी दिवस
अगस्त 15	स्वतंत्रता दिवस
अगस्त 29	राष्ट्रीय खेल दिवस
सितम्बर 2	कोकोनट डे
सितम्बर 5	शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस
सितम्बर 8	विश्व साक्षरता दिवस
सितम्बर 14	हिन्दी दिवस
सितम्बर 16	वर्ल्ड ओजोन डे
सितम्बर 21	अल्जीमर डे, इंजीनियर्स डे
सितम्बर 22	रोज डे, कैंसर मरीज कल्याण दिवस
सितम्बर 27	विश्व पर्यटन दिवस
अक्टूबर 1	अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
अक्टूबर 2	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती
अक्टूबर 3	वर्ल्ड हैबिटेट डे
अक्टूबर 4	विश्व जंतु कल्याण दिवस
अक्टूबर 9	वर्ल्ड पोस्ट आफिस डे
अक्टूबर 10	राष्ट्रीय डाक दिवस
अक्टूबर 14	वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे
अक्टूबर 15	दृष्टिहीनों का मार्ग दर्शन दिवस
अक्टूबर 16	विश्व खाद्य दिवस
अक्टूबर 24	संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस
अक्टूबर 30	विश्व मितव्ययता दिवस
नवंबर 9	लीगल सर्विस डे
नवंबर 14	बाल दिवस
दिसंबर 1	विश्व एड्स दिवस
दिसंबर 4	जलसेना दिवस, विश्व विकलांग दिवस
दिसंबर 10	मानव अधिकार दिवस
दिसंबर 18	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (भारत)
दिसंबर 23	किसान दिवस
दिसंबर 25	क्रिसमस डे

स्रोत : मनोरमा इयर बुक

उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ

Øe l a	l fefr dkuke
1.	प्राक्कलन समिति
2.	लोक लेखा समिति
3.	प्रतिनिहित विधायन समिति
4.	याचिका समिति
5	विशेषाधिकार समिति
6.	सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
7.	प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति
8.	नियम समिति
9.	कार्य मंत्रणा समिति
10.	आचार समिति
11	प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति
12.	विधान पुस्तकालय समिति
13.	संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति
14.	पंचायती राज समिति
15.	संसदीय अनुश्रवण समिति

l a;qDr l fefr ;k¡

16.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति
17.	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति
18.	आवास संबंधी संयुक्त समिति
19.	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति

उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2021 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान

1- **Hkkjr &Hkkjrh; lEeku& #- 8-00 yk[k** (रु. आठ लाख) डॉ. रमानाथ त्रिपाठी

2- **Yks"kg;k lkfgR; lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख) श्री बुद्धिनाथ मिश्र

3- **fgUnh xkSo lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख) डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल

4- **egkRek xk/kh lkfgR; lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख) डॉ. विश्वास किसन पाटील

5- **iaMqun;ky mik/;k; lkfgR; lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख) डॉ. रामशरण गौड़

6- **voUrhckbZ lkfgR; lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख) डॉ. ओम प्रकाश मिश्र

7- **vVy fcgkjh okt isa;h lkfgR; lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख)
श्री हृदय नारायण दीक्षित

8- **jk"Vªh; f'k{kk izpkj lHkk enkl V.Mu lEeku& #- 5-00 yk[k** (रु. पाँच लाख)
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, चेन्नई

9- **lkfgR; Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार) (1) श्री हितेश कुमार शर्मा (2) श्री रघुवीर सिंह 'अरविन्द', (3) डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, (4) श्री किशन स्वरूप, (5) डॉ. उमाशंकर शुक्ल 'क्षितिकंठ', (6) डॉ. नताशा अरोड़ा, (7) श्री जयप्रकाश शर्मा 'जनकवि प्रकाश', (8) डॉ. अशोक कुमार शर्मा, (9) डॉ. दयानिधि मिश्र, (10) डॉ. सभापति मिश्र, (11) डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल, (12) श्री शिवानन्द सिंह सहयोगी, (13) डॉ. नरेश मिश्र, (14) डॉ. रूपसिंह चन्देल, (15) डॉ. सुशील सरित, (16) सुश्री शची मिश्र, (17) श्री विजय शंकर मिश्र, (18) श्री गिरीश पंकज, (19) श्री शिवदयाल, (20) डॉ. नीरजा माधव।

10- **yksd Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. महेन्द्र भानावत

11- **dyk Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. हृदय गुप्त

12- **fo|k Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. सुधांशु चतुर्वेदी

13- **foKku Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), श्री विजय चितौरी

14- **i=dkfjrk Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), श्री बलबीर पुंज

15- **izoklh Hkkjrh; fgUnh Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु.दो लाख पचास हजार), डॉ. नलिनी बलबीर

16- **fgUnh fonsk izpkj lEeku& #-2-50 yk[k** (रु.दो लाख पचास हजार), श्रीमती कल्पना लालजी

17- **cky lkfgR; Hkkjrh; lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. फकीर चंद शुक्ला डॉ. दिनेश पाठक 'शशि'

18- **e/kqyeSlkfgR; lEeku&#-2-50 yk[k** (रु.दो लाख पचास हजार), डॉ. विक्रम सिंह,

19- **iaJhukjk;.kizlknhlkfgR; lEeku & #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), श्री अश्विनी कुमार दुबे

20- **fof/k Hkw"k.k lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजार), श्रीमती सुधा अवस्थी

21- **lkgkfnZd lEeku& #- 2-50 yk[k** (रु. दो लाख पचास हजारा), (1) महीउदीन हसन 'सुहैल काकारवी' (उर्दू), (2) डॉ. आर. लक्ष्मीनारायण (कन्नड़), (3) श्रीमती क्रांति कनाटे (गुजराती), (4) डॉ. बीणा गुप्ता (डोगरी), (5) श्री एस. अनंतकृष्णन (तमिल), (6) डॉ. यम. लक्ष्मणाचार्युलु (तेलगू), (7) श्री मनमोहन स्वरूप सपरा (पंजाबी), (8) श्री रामकृष्ण विनायक सहस्रबुद्धे (मराठी), (9) प्रो. के. एस. सोमनाथन नायर (मलयालम), (10) डॉ. हजारीमयूम इबेयाइमा देवी (मणिपुरी), (11) डॉ. मुरारीलाल अग्रवाल (संस्कृत), (12) श्री राघू मिश्र (ओड़िया) (13) डॉ. तुलसी देवी (सिंधी)

22- **enu ekgu eYyoh; fo'ofo|ky; Lrjh; lEeku& #- 1]00]000¾00 ¼#- ,d yk[k½**
(1) डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, (2) डॉ. प्रत्यूष दुबे ।

ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के प्रमुख रचनाकार

क्र.स.	रचनाकारों के नाम
1.	सुमित्रा नंदन पंत
2.	रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी
3.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
4.	महादेवी वर्मा
5.	नरेश मेहता
6.	अली सरदार जाफरी
7.	कुँवर नारायण
8.	सत्यव्रत शास्त्री
9.	अख़लाक मुहम्मद ख़ान 'शहरयार'
10.	अमरकांत
11.	श्री लाल शुक्ल
12.	केदारनाथ सिंह

यश भारती सम्मान

उ.प्र. के यश भारती सम्मान से सम्मानित महानुभावों का विवरण

क्र. स.	महानुभावों का नाम	सम्मानित वर्ष	विधा
1.	डॉ. हरिवंश राय बच्चन	1994-95	(कवि एवं साहित्यकार)
2.	डॉ. गोपाल दास नीरज	,,	(कवि)
3.	स्व. कैफी आज़मी	,,	(शायर)
4.	श्री मुज़फ्फर अली	,,	(फिल्म निर्देशन)
5.	स्व. उस्ताद विस्मिल्ला खां	,,	(शहनाई)
6.	सुश्री गिरिजा देवी	,,	(गायन)
7.	पं. बिरजू महाराज	,,	(कथक)
8.	प्रो. राज बिसारिया	,,	(नाट्य निर्देशन)
9.	स्व. गुलाब बाई	,,	(नौटंकी)
10.	स्व. सितारा देवी	,,	(कथक)
11.	स्व. श्री बी. एम. शाह	,,	(नाट्य निर्देशन)
12.	स्व. श्री फिदा हुसैन नरसी	,,	(फारसी रंगमंच)
13.	स्व. श्री मोहन उप्रेती	,,	(लोक संगीत)
14.	स्व. श्री अवतार सिंह पवार	,,	(मूर्तिकला)
15.	स्व. श्री सतीश चन्द्रा	,,	(चित्रकला)
16.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया	,,	(बांसुरी)
17.	स्व. श्री शेख शमशउद्दीन	,,	(जरी कसीदाकारी)
18.	सुश्री रूना बनर्जी	,,	(ग्रामीण महिला उत्थान)
19.	श्री अभिताभ बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
20.	श्रीमती जया बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
21.	मो. शाहिद	,,	(हाकी)
22.	सुश्री बछेन्द्री पाल	,,	(पर्वतारोहण)
23.	मो. ज़फर इकबाल	,,	(हाकी)
24.	श्री जसपाल राणा	,,	(शूटिंग)
25.	श्री राज बब्बर	,,	(फिल्म अभिनय)
26.	श्रीमती नादिरा राज बब्बर	1994-95	(नाट्य निर्देशन)
27.	श्री विशम्भर सिंह	,,	(कुश्ती)
28.	श्री पन्ने लाल यादव	,,	(कुश्ती)
29.	श्री रामाश्रय यादव	,,	(कुश्ती)
30.	स्व. श्री जनार्दन सिंह	,,	(कुश्ती)
31.	स्व. श्री बालेश्वर	,,	(भोजपुरी लोक गायन)

32. श्रीमती शबाना आज़मी	”	(फिल्म अभिनय)
33. श्री मलखान सिंह	”	(कुश्ती)
34. श्री सुरेन्द्र पाल	”	(अभिनय)
35. सुश्री मिलन सिंह (भदौरिया)	”	(गायन)
36. सुश्री वन्दना बाजपेई	”	(गायन)
37. श्री शकील अहमद	”	(हाकी)
38. श्री रनवीर सिंह	”	(वालीबाल)
39. स्व. श्री लाल शुक्ल	2005-06	(साहित्य)
40. पं. मुरारी लाल शर्मा	”	(लोकनृत्य लोकगीत)
41. श्री सुभाष वर्मा	”	(पहलवानी)
42. सुश्री काव्या गुप्ता	”	(तैराकी)
43. श्री देवेश चौहान	”	(हाकी)
44. स्व. गोपाल प्रसाद व्यास	”	(साहित्य)
45. स्व. ज्ञान चन्द्र जैन	”	(पत्रकारिता)
46. श्री अच्युतानंद मिश्र	”	(पत्रकारिता)
47. सुश्री मालिनी अवस्थी	”	(गायन)
48. श्री राज कुमार	”	(पर्वतारोहण)
49. श्री कुलदीप नैयर	”	(पत्रकारिता)
50. श्री सोम ठाकुर	”	(कवि)
51. स्व. बिली अर्जन सिंह	”	(वन्य जीव संरक्षण)
52. श्री राजपाल यादव	”	(अभिनय)
53. श्री जनार्दन सिंह यादव	”	(कुश्ती)
54. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	”	(साहित्य)
55. श्री चन्द्र विजय सिंह	”	(कुश्ती)
56. श्री उदय प्रताप सिंह	2006-07	(कवि)
57. श्री अभिषेक बच्चन	”	(फिल्म अभिनय)
58. श्री शीतला सिंह	”	(पत्रकारिता)
59. श्री विजय कुमार	”	(पत्रकारिता साहित्यकार)
60. डॉ. विवेकी राय	”	(साहित्यकार)
61. डॉ. योगेश प्रवीन	”	(साहित्यकार)
62. स्व. श्री तालुकेदार यादव	”	(पहलवान)
63. श्री राजीव तोमर	”	(पहलवान)
64. श्री जगदीश कालीरमन	2006-07	(कुश्ती)
65. श्री शौकिन्द्र तोमर	”	(पहलवान)
66. मोहम्मद कैफ	”	(खेल)
67. स्व. कमलेश्वर	”	(कवि/साहित्यकार)
68. स्व. डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी	”	(कवि/साहित्यकार)

69. स्व. कैलाश गौतम	,,	(कवि/साहित्यकार)
70. स्व. डॉ. उर्मिलेश	,,	(कवि)
71. पं. छन्नू लाल मिश्र	2012-13	(गायन)
72. श्री अंशू तोमर	,,	(कुश्ती)
73. श्री विवेक गुप्ता	,,	(हाकी)
74. सुश्री डॉ. सरिता शर्मा	,,	(साहित्यकार)
75. श्री सुरेश रैना	,,	(क्रिकेट)
76. श्री नरसिंह यादव	,,	(कुश्ती)
77. प्रो. सत्यमित्र दुबे	,,	(शिक्षा)
78. श्री आमिर राजा हुसैन	,,	(शायर)
79. डॉ. राम कृष्ण राजपूत	,,	(साहित्यकार)
80. स्व. श्री राजेन्द्र यादव	,,	(साहित्यकार)
81. श्री अभिजीत भट्टाचार्य	,,	(गायन)
82. श्री मेवालाल यादव	,,	(कुश्ती)
83. मो. जावेद अली	,,	(गायन)
84. स्व. श्री मस्तराम कपूर	,,	(साहित्यकार)
85. श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी	,,	(शायर)
86. लोधी मो. शफी खां	2013-14	(साहित्य)
87. श्री हीरा लाल यादव	,,	(लोक गायन)
88. डॉ. जगदीश गांधी	,,	(शिक्षा)
89. श्री देवी प्रसाद पाण्डेय 'अडिग'	,,	(साहित्य)
90. प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी	,,	(साहित्य)
91. श्री अशोक कुमार सिंह	,,	(हाकी)
92. श्री वंश गोपाल यादव	,,	(आल्हा)
93. श्री अनूप जलोटा	,,	(गायन)
94. पं. राजन मिश्र एवं साजन मिश्र (संयुक्त)	,,	(शास्त्रीय गायन)
95. श्री रमेश भइया	,,	(समाज सेवा)
96. पं. विकास महाराज	,,	(सरोद)
97. श्री शीतला पाण्डेय उर्फ 'समीर'	,,	(फिल्म गीतकार)
98. श्री लाल बचन यादव	,,	(कुश्ती)
99. श्री मुनव्वर अंजार	,,	(जूडो)
100. सुश्री रेखा भारद्वाज	,,	(सुगम संगीत)
101. श्री धर्मेन्द्र यादव	,,	(मुक्केबाजी)
102. श्री भगत सिंह	2013-14	(कुश्ती)
103. श्री योगेन्द्र सिंह यादव	,,	(सैन्य सेवा)
104. श्री विजय पाल यादव	,,	(कुश्ती)
105. श्री राजेश कुमार यादव	,,	(नौकायन)

106. श्री अभिषेक यादव	,,	(मार्शलआर्ट)
107. सुश्री श्वेता प्रियदर्शनी	,,	(शतरंज)
108. मो. हमीदुल्लाह (हामिद हिन्दी)	2014-15	(साहित्य)
109. प्रो. रीता गांगुली	,,	(उपशास्त्रीय गायन)
110. श्री दर्शन सिंह यादव	,,	(समाज सेवा)
111. प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'	,,	(शिक्षा)
112. प्रो. हकीम सैय्यद जिल्लुर्रहमान	,,	(यूनानी चिकित्सा)
113. श्री जयकृष्ण अग्रवाल	,,	(ललित कला)
114. श्री विनोद मेहता	,,	(पत्रकारिता)
115. डॉ. उर्मिल कुमार थपलियाल	,,	(लोक रंगमंच साहित्य)
116. श्री रवीन्द्र जैन	,,	(संगीतकार)
117. श्री योगेश गौड़	,,	(गीतकार)
118. श्री टी. पी. त्रिवेदी	,,	(ज्योतिष विज्ञान)
119. श्री गिरधर लाल मिश्र	,,	(समाज सेवा)
120. श्री राज कुमार वर्मा	,,	(चित्रकार 'माइक्रो पेन्टिंग')
121. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
122. श्री बुद्धि प्रकाश	,,	(योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
123. श्री विष्णु यादव	,,	(बिरहा गायन)
124. डॉ. कुमकुम धर	,,	(कथक)
125. श्री विष्णु सक्सेना	,,	(साहित्य)
126. सुश्री शुभा मुदगल	,,	(शास्त्रीय गायन)
127. श्रीकृष्ण कन्हाई व श्री गोविन्द कन्हाई	,,	(स्वर्ण चित्रकार)
128. डॉ. (प्रो.) सी. एस. यादव	,,	(चिकित्सा)
129. श्री राजकुमार	,,	(कुश्ती)
130. डॉ. आर. पी. सिंह	,,	(हाकी एवं फुटबाल)
131. डॉ. राकेश यादव	,,	(चिकित्सा)
132. श्री इफ्तेखार नदीम खान	,,	(कास्ट कला)
133. श्री जसजीत सिंह गिल 'जिम्मी शेरगिल'	,,	(अभिनेता)
134. श्री कैलाश खेर	,,	(सूफी गायन)
135. श्री राहत अली खान साबरी	,,	(गज़ल गीत एवं सूफी गायन)
136. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी	,,	(अभिनेता)
137. श्री अवनीश कुमार यादव	,,	(वालीबाल)
138. श्रीमती अलका तोमर	,,	(महिला कुश्ती)
139. सुश्री पूनम यादव	,,	(भारोतोलन)
140. सुश्री गीतांजलि शर्मा	2014-15	(नृत्य)
141. श्री खुशबीर सिंह शाद	,,	(शायर)
142. उस्ताद गुलशन भारती	2015-16	(गायन)

143. श्री वजीर अहमद खान	”	(शतरंज)
144. सुश्री मनु कुमारी पाल	”	(खेल)
145. मेजर अशोक कुमार सिंह	”	(नौकायन)
146. श्री नरेन्द्र सिंह राणा	”	(खेल)
147. श्री चक्रेश कुमार जैन	”	(हस्तशिल्पी)
148. प्रो. कमला श्रीवास्तव	”	(लोक संगीत)
149. सुश्री सुधा सिंह	”	(एथलेटिक्स)
150. डॉ. नवाज देवबन्दी	”	(शिक्षा)
151. श्रीमती कुमकुम आदर्श	”	(कथक नृत्य)
152. प्रोफेसर गिरिजा शंकर	”	(साहित्य)
153. अलीम उल्लाह सिद्दीकी	”	(चित्रकार)
154. डॉ. सुभाष गुप्ता	”	(चिकित्सा)
155. श्री अभिन्न श्याम गुप्ता	”	(खेल)
156. श्री गोपाल चतुर्वेदी	”	(साहित्य)
157. श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी	”	(गज़ल गायन)
158. डॉ. (ब्रिगे.) टी. प्रभाकर	”	(चिकित्सा)
159. श्री सर्वेश यादव	”	(निशानेबाजी)
160. सुश्री स्थवी अस्थाना	”	(घुड़सवारी)
161. श्री सुनील कुमार राणा	”	(खेल)
162. श्री सुधीर मिश्रा	”	(फिल्म निर्देशन)
163. श्री राजू श्रीवास्तव	”	(हास्य कलाकार)
164. श्री जगबीर सिंह	”	(हाकी)
165. सुश्री अरूणिमा सिन्हा	”	(पर्वतारोहण)
166. सुश्री सुरभि रंजन	”	(गायन)
167. प्रो. रवि कान्त	”	(चिकित्सा)
168. श्री लाल जी यादव	”	(कुश्ती)
169. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ'	”	(अभिनय)
170. श्री अनुज चौधरी	”	(खेल)
171. श्री अनुराग कश्यप	”	(फिल्म निर्देशन एवं निर्माण)
172. श्री विजय सिंह चौहान	”	(एथलेटिक्स)
173. सुश्री नाहिद आबिदी	”	(साहित्य)
174. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ	”	(गायन)
175. श्रीमती सीमा पुनिया	”	(एथलेटिक्स)
176. श्री मधुकर त्रिवेदी	”	(पत्रकारिता/साहित्य)
177. श्री अंकित तिवारी	”	(गायन)
178. मोहम्मद इमरान खान	2015-16	(कवि/शायर)
179. श्री रूद्र प्रताप सिंह	”	(क्रिकेट)

180. श्री विशाल भारद्वाज	,,	(फिल्म निर्देशन, निर्माण एवं संगीत निर्देशन)
181. श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी)	,,	(साहित्य)
182. श्री हेमन्त शर्मा	,,	(पत्रकारिता)
183. श्रीमती अपर्णा कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
184. डॉ. सुनील जोगी	,,	(साहित्य)
185. प्रो. अशोक चक्रधर	,,	(साहित्य)
186. डॉ. नरेश त्रेहन	,,	(चिकित्सा)
187. प्रो. इरफान हबीब	,,	(शिक्षा)
188. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह	2016-17	(समाज सेवा)
189. श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी	,,	(साहित्य)
190. सुश्री कमर रहमान	,,	(विज्ञान)
191. डॉ. (श्रीमती) सबीहा अनवर	,,	(साहित्य)
192. सुश्री पद्मा गिडवानी	,,	(गायन)
193. श्री संतोष आनन्द	,,	(फिल्म गीतकार)
194. उस्ताद गुलफाम अहमद	,,	(रबाब वादन)
195. डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी	,,	(अभिनय)
196. श्री केवल कुमार	,,	(संगीत निर्देशन एवं गायन)
197. पं. विश्वनाथ	,,	(शास्त्रीय संगीत)
198. ले. जनरल अनिल चैत	,,	(सैन्य सेवा)
199. डॉ. सैय्यद मुहम्मद हस्सान	,,	(यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान)
200. श्री राजकृष्ण मिश्र	,,	(साहित्य)
201. श्री सौरभ शुक्ला	,,	(फिल्म निर्देशन/अभिनय)
202. श्री अनुभव सिन्हा	,,	(फिल्म निर्देशन)
203. नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह	,,	(हस्त शिल्पकला एवं संस्कृति)
204. डॉ. रतीश चन्द्र अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
205. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	(जल संरक्षण)
206. सुश्री सुमोना चक्रवर्ती	,,	(अभिनय)
207. सुश्री अनुपमा राग	,,	(संगीत निर्देशन/गायन)
208. सुश्री सोनी चौरसिया	,,	(कथक नृत्य)
209. श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय	,,	(क्रिकेट)
210. श्री प्रवीन कुमार	,,	(क्रिकेट)
211. श्री पियूष चावला	,,	(क्रिकेट)
212. श्री भुवनेश्वर कुमार	,,	(क्रिकेट)
213. श्री मनोज मुन्तशिर	,,	(फिल्म गीतकार एवं पटकथा लेखन)
214. प्रो. (डॉ.) गौरदास चौधरी	,,	(चिकित्सा)
215. प्रो. राकेश कपूर	2016-17	(चिकित्सा)

216. डॉ. दीपक कुमार अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
217. डॉ. राम रतन बनर्जी	,,	(चिकित्सा)
218. डॉ. आलोक पारीक	,,	(होम्योपैथी चिकित्सक)
219. शेफ गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी	,,	(पाकशास्त्र)
220. श्री गुलाम शर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन	,,	(निर्यातक एवं उद्योगपति)
221. प्रो. (डॉ.) राम मोहन पाठक	,,	(पत्रकारिता एवं शिक्षण)
222. साबरी बन्धु (आफताब-हाशिम)	,,	(कव्वाली गायन)
223. श्री मोहम्मद असलम वारसी	,,	(सूफी गायन)
224. श्री ओमा उपाध्याय	,,	(ज्योतिष)
225. श्री दीपराज राणा	,,	(फिल्म अभिनय)
226. श्री फारूक अहमद	,,	(समाज सेवा)
227. श्री योगेश मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
228. श्री काशीनाथ यादव	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
229. श्री वेंकट चंगावली	,,	(समाज सेवा)
230. सुश्री सुमन यादव	,,	(खेल)
231. श्री अर्जुन वाजपेई	,,	(पर्वतारोहण)
232. सुश्री गार्गी यादव	,,	(कुश्ती)
233. श्री राम मिलन यादव	,,	(कुश्ती)
234. डॉ. रमाकान्त यादव	,,	(चिकित्सा)
235. श्री अशोक निगम	,,	
236. श्री आत्म प्रकाश मिश्र	,,	(दूरदर्शन)
237. पं. हरि प्रसाद मिश्र	,,	(ज्योतिष विशेषज्ञ एवं राज पुरोहित)
238. डॉ. शादाब रूदौलवी	,,	(शायर)
239. श्री सर्वेश कुमार अस्थाना	,,	(साहित्य)
240. श्री रवि कपूर	,,	(फोटोग्राफी)
241. डॉ. शिवानी मातनहेलिया	,,	(शास्त्रीय संगीत)
242. पं. राम कुमार मिश्र	,,	(शास्त्रीय संगीत)
243. श्री कमाल खान	,,	(गायन)
244. श्री विजय शेखर शर्मा	,,	(मोबाइल बैंकिंग)
245. श्री माहेश्वर तिवारी	,,	(साहित्य)
246. श्री नूर अलस्सबा	,,	(चित्रकला)
247. उस्ताद नाजिर हुसैन	,,	(शास्त्रीय संगीत)
248. डॉ. सैय्यद मोहम्मद बशीर बद्र	,,	(शायरी)
249. श्री मरिन्दर कुमार मिश्रा	,,	(लेखन)
250. श्री वरूण सिंह भाटी	,,	(पैरा एथलेटिक्स)
251. लेफ्टिनेन्ट जनरल ए. के. सिंह	,,	(सैन्य सेवा)
252. डॉ. मन्सूर हसन	,,	(चिकित्सा)

253. श्री रामेश्वर नाथ मिश्र	2016-17	(समाज सेवा)
254. श्री अतुल तिवारी	”	(फिल्म/नाट्य लेखन एवं अभिनय के क्षेत्र में)
255. श्री दीन मुहम्मद दीन	”	(साहित्य)
256. श्री प्रमोद कुमार सिंह चौधरी	”	(समाज सेवा)
257. सुश्री रचना गोविल	”	(खेल-शूटिंग)
258. श्री सुहास एल. वाई.	”	(खेल-बैडमिन्टन)
259. श्री अब्बास रज़ा नैय्यर	”	(साहित्य)
260. सुश्री अर्चना सतीश	”	(कला)
261. श्री मुराद अली खान	”	(खेल-निशानेबाजी)
262. सुश्री शिखा	”	(दूरदर्शन)
263. श्री ब्रायन साइलस	”	(पियानो वादन)
264. श्री गौरव खन्ना	”	(खेल-बैडमिन्टन)
265. सुश्री ऋचा जोशी	”	(लोक गायन)
266. मो. वसी खान अहमद	”	(शारीरिक सौष्ठव)
267. मास्टर दविन्दर सिंह	”	(संगीत)
268. श्री आनन्देश्वर पाण्डेय	”	(खेल)
269. डॉ. राम सिंह यादव	”	(लेखन और पत्रकारिता)

●

उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स

Raj Bhawan U.P. (राज भवन उत्तर प्रदेश)	**http://upgovernor.gov.in**
Chief Minister Office (मुख्यमंत्री कार्यालय)	**http://upcmo.up.nic.in**
उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेबसाइट	**http://up.gov.in**
Vidhan Sabha (विधान सभा)	**http://uplegisassembly.gov.in**
Vidhan Parishad (विधान परिषद)	**http://upvidhanparishad.nic.in**
NEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत)	**http://upneda.org.in**
Administrative Reforms (प्रशासनिक सुधार)	**http://www.adminreform.upsdc.gov.in**
Agriculture (कृषि)	**http://upagripardarshi.gov.in**
Appointments & Personnel (कार्मिक)	**http://niyuktionline.upsdc.gov.in**
Animal Husbandary (पशुधन)	**http://animalhusb.upsdc.gov.in**
Board of Revenue (राजस्व परिषद)	**http://bor.up.nic.in**
Cane Development (गन्ना विकास)	**http://www.upcane.gov.in**
Commercial Tax (वाणिज्य कर)	**http://comtax.up.nic.in**
Cooperative (सहकारिता)	**http://cooperative.up.nic.in**
Court Cases Monitoring System (न्यायालय विभाग एवं अनुश्रवण)	**http://courtcases.up.nic.in**
Culture (संस्कृति)	**http://upculture.up.nic.in**
Dairy Development (दुग्ध विकास)	**http://updairydevelopment.gov.in**
Dharmarth (धर्मार्थ कार्य)	**http://updharmarthkarya.in**
Election:off.of Chief Electoral officer (निर्वाचनः मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या.)	**http://ceouttarpradesh.nic.in**
Entertainment Tax (मनोरंजन कर)	**http://etax.up.nic.in**
Environment Information System (पर्यावरण सूचना प्रणाली)	**http://www.upenvis.nic.in**
Estate (राज्य सम्पत्ति)	**http://estate-up.gov.in**
Excise (आबकारी)	**http://www.upexciseonline.in**
U.P. Electronics Corp. Ltd. (यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि.)	**http://www.uplc.in**
Fisheries (मत्स्य)	**http://fisheries.upsdc.gov.in**
Food & Civil Supplies (खाद्य एवं रसद)	**http://fcs.up.gov.in/Foodportal.aspx**
Forest (वन)	**http://upforest.gov.in**
Geology & Mining Directorate (भूतत्व एवं खनिकर्म)	**http://upmines.upsdc/gov.in/**
Ground Water (भू-जल)	**http://upgwd.gov.in**
Handicapped Welfare (विकलांग कल्याण)	**http://uphwd.gov.in**
High Court, Allahabad, U.P. (उच्च न्या०, इलाहाबाद, उ०प्र०)	**http://www.allahabadhighcourt.in**
Home (गृह)	**http://uphome.gov.in**
Home Guards (होम गार्ड्स)	**http://uphaar.up.nic.in**
Horticulture (उद्यान)	**http://uphorticulture.gov.in**
Housing (आवास विकास विभाग)	**http://awas.up.nic.in**

Information & Public Relation (सूचना एवं जनसंपर्क)	**http://information.up.nic.in**
Information Technology & Electronic (सूचना प्रौद्योगिकी)	**http://upite.gov.in**
Infrastructure & Industrial Development (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	**http://udyogbandhu.com**
Integrated Child Development (समन्वित बाल विकास)	**http://www.icdsupweb.org**
Irrigation & Flood Control (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)	**http://idup.gov.in**
Jail Administration (कारागार)	**http://upprison.gov.in**
Khadi & Village Industries (खादी एवं ग्रामोद्योग)	**http://www.upkvib.gov.in**
Labour (श्रम)	**http://uplabour.gov.in**
LandDevelopment & Water Resources (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	**http://upldwr.up.nic.in**
LandRecords (भू-अभिलेख)	**http://upbhulekh.gov.in**
Law (न्याय)	**http://law.up.nic.in**
Legislative (विधायी)	**http://upvidhai.gov.in**
Lok Ayukta U.P. (लोक आयुक्त उ०प्र०)	**http://lokayukta.up.nic.in**
Mandi Parishad (मण्डी परिषद)	**http://upmandiparishad.upsdc.gov.in**
Medical Education (चिकित्सा एवं शिक्षा)	**http://updgme.in**
Medical Health (चिकित्सा स्वास्थ्य)	**http://up-health.in/hi/**
Minor Irrigation (लघु सिंचाई)	**http://minorirrigationup.gov.in**
Minority Welfare (अल्पसंख्यक कल्याण)	**http://minoritywelfare.up.nic.in**
Nivesh Mitra (निवेश मित्र)	**http://niveshmitra.up.nic.in/**
Panchayati Raj (पंचायती राज)	**http://panchayatiraj.up.nic.in**
Parliamentary Affairs (संसदीय कार्य)	**http://upparliamentaryaffairs.gov.in**
Political Pension (राजनैतिक पेंशन)	**http://politicalpension.up.nic.in**
Program Iplementation (कार्यक्रम क्रियान्वयन)	**http://pid.up.nic.in**
Protocol (प्रोटोकाल)	**protocol.up.nic.in**
Public Enterprise (सार्वजनिक उद्यम)	**http://sarvjanikudyam.up.nic.in**
Public Work Development (लोक निर्माण विभाग)	**http://uppwd.gov.in**
Revenue (राजस्व)	**http://revenue.up.nic.in**
Rural Development (ग्राम्य विकास)	**http://rd.up.nic.in**
Rural Engineering Services (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा)	**http://www.upred.gov.in**
Sarva Shiksha Abhiyan (सर्व शिक्षा अभियान)	**http://www.upefa.com**
Science & Technology (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	**http://www.dstup.gov.in**
Secretariat Administration (सचिवालय प्रशासन)	**http://sadup.gov.in**
Social Welfare (समाज कल्याण)	**http://dirsamajkalyan.in/main.htm**
Sports (खेल)	**http://upsports.gov.in**

Stamp & Registration (स्टाम्प एवं पंजीयन)	**http://igrsup.gov.in**
State Election Commission U.P. (राज्य निर्वाचन आयोग)	**http://sec.up.nic.in**
Uttar pradesh State Information Commission (राज्य सूचना आयोग)	**http://upic.gov.in**
Tourism (पर्यटन)	**http://uptourism.gov.in**
Trade Tax Tribunal (व्यापार कर)	**http://tradetaxtribunal.up.nic.in**
Transport (परिवहन)	**http://www.uptransport.upsdc.gov.in**
Treasuries (कोषागार)	**http://treasuries.up.nic.in**
Uttar Pradesh Budget (उ.प्र. बजट)	**http://budget.up.nic.in**
Uttar Pradesh Police (उ.प्र. पुलिस)	**http://uppolice.gov.in**
Uttar Pradesh State Law Commission, Vidhai (विधायी)	**http://upslc.upsdc.gov.in/**
Vidyut Suraksha (विद्युत सुरक्षा)	**http://vidyutsuraksha.org/**
Women Welfare (महिला कल्याण)	**http://mahilakalyan.up.nic.in**
Uttar Pradesh Rera (उ.प्र. रेरा)	**up-rera.in**
Jansunwai Portal (जनसुनवाई पोर्टल)	**http://jansunwai.up.nic.in**
DefExpo (डेफएक्सपो)	**http://defexpo.gov.in**